



# आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन

डॉ० पुरुषोत्तम नागर



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी  
जयपुर

जिज्ञासा तथा समाज-रचयान मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय  
ग्रन्थ-निर्माण योजना के अन्तर्गत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित

प्रथम संस्करण : 1980

Aadhunika Bharatiya Samajika Evam Rajanitika Chintana

प्रथमावृत्ति : 1982

भारत सरकार द्वारा रियायती मूल्य पर  
उपलब्ध कराये गये कागज से निर्मित

मूल्य : 49.50

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी  
ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर  
जयपुर-302 004

मुद्रक :

गायत्री आफसेट प्रेस  
लाजपत नगर  
दिल्ली-24

# समर्पण

स्वतन्त्र भारत

को

गौरवपूर्ण अतीत, वर्तमान तथा भविष्य  
की सबल खण्डा

श्रीमती इन्दिरा गाँधी

को

सादर समर्पित



## प्राक्कथन

विश्व विभिन्न भाषाओं तथा संस्कृतियों का रंगस्थल है। यह रंग-विरगे फूलों का उपवन है। विविधता ही इसका सौंदर्य है। भाषाएँ और संस्कृतियों प्रदेश-विशेष के भूगोल तथा इतिहास की देन हैं। एक देश या प्रदेश की जलवायु से ही मनुष्य का शरीर और मानस बनता है, उसका रहन-सहन भाषा-बोली भी जलवायु से प्रभावित होती है। फिर अनेक वर्षों से एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति चलती है, अतः इतिहास का भी बड़ा महत्त्व है। दूसरी ओर मनुष्य की मातृभाषा जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से संस्कृति और इतिहास की परम्परा प्रवहमान होती है। इसके अतिरिक्त मातृ-भाषा में ही मनुष्य का व्यक्तित्व-सर्वांग रूप से निखरता है। अतः सर्वत्र यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य की सारी शिक्षा-दीक्षा, सर्वोच्च स्तर तक भी, उसकी मातृ-भाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त विश्व का समस्त ज्ञान अनेक भाषाओं में संग्रहीत है और सभी लोग समस्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक भाषाओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से वे केवल भाषा-विज्ञ ही रह जायेंगे, न कि विषय-विज्ञ। भाषा तो एक साधन मात्र है। अतः यह आवश्यक है कि सभी भाषाओं में लिपिबद्ध ज्ञान सबको शोभता एवं सुलभता से अपनी-भाषा में ही उपलब्ध हो अर्थात् ज्ञान के आदान-प्रदान का माध्यम मातृ-भाषा हो।


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब इस दिशा में केन्द्र सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय ने कार्य करने का विचार किया तो यह तथ्य सामने आया कि माध्यम परिवर्तन के मार्ग में बहुत बड़ा अवरोध है संबद्ध भाषाओं में विभिन्न विषयों के मानक ग्रन्थ का अभाव, जिसे यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों में अकादमियों/बोर्डों की स्थापना की गई। राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी इसी योजना के अन्तर्गत पिछले दस वर्षों से मानक ग्रंथ प्रकाशन का कार्य कर रही है और अब तक इसने विभिन्न विषयों (कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि आदि) के लगभग 280 ग्रंथ प्रकाशित किये हैं जो विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों के द्वारा लिखे गये हैं।

यह पुस्तक राजनीतिशास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार करवाई गई थी। इसका पुनर्मुद्रण करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। इसमें राजा राममोहन राय से लेकर विनोबा भावे तक के विभिन्न राजनीतिज्ञों, विचारकों, समाज-सुधारकों एवं क्रांतिकारियों के सिद्धान्तों और विचारों का सप्रमाण विवेचन किया गया है, जो विषय से सम्बन्धित छात्रों और अध्यापकों के लिए तो अत्यधिक उपयोगी होगा ही, अपितु सामान्य पाठकों को भी संभवतः रुचिकर लगे, क्योंकि विवेचित महापुरुषों के जीवन का आधुनिक भारत के निर्माण में प्रभूत योगदान रहा है। इनमें से अनेक

महापुरुष आधुनिक भारतीय मानस में सुप्रतिष्ठित हो चुके हैं। इसलिए हमें आशा है कि यह पुस्तक अपनी पाठ्यक्रम सीमा को त्राँघ कर सामान्य जन तक पहुँचिगी और विचारोत्तेजन करेगी।

इस पुस्तक के अनुभवी लेखक डा. पुरुषोत्तम नागर के प्रति प्रकादमी अपना आभार प्रकट करती है। इसकी समीक्षा डॉ. इकबाल नारायण, सम्प्रति कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय एवं प्रो. प्रदलविहारी माधुर, सम्प्रति निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार ने की। प्रकादमी के अनुरोध को स्वीकार कर इन दो महानुभावों ने अपना समूल्य समय दिया, इसके लिए प्रकादमी इनके प्रति बहुत आभारी है। श्री रामजन्म घतुर्वेदी ने अध्याय 1, 14, 16 तथा 20 का भाषा सम्पादन किया है तथा शेष का डॉ. महावीर प्रसाद दागीप ने। इसके लिए ये महानुभाव प्रकादमी के धन्यवाद के पात्र हैं।

हमें आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक मध्यमनरत छात्रों, प्राध्यापकों तथा जिज्ञासु पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।



(चन्दनमथ बंद)

शिक्षा मन्त्री, राजस्थान सरकार

एवम्

अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी  
जयपुर



(डा. पुरुषोत्तम नागर)

निदेशक

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी  
जयपुर

## प्रस्तावना

आधुनिक भारतीय सामाजिक एव राजनीतिक चिन्तन मूलतः भारतीय राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संग्राम एवं तज्जनित नवचेतना का सुफल है। एक ओर आधुनिक युग की सामाजिक एवं राजनीतिक विश्वव्यापी मान्यताओं का पाश्चात्य ससर्ग के कारण आत्मसात् करने वाले भारतीय मनीषी-चित्तको ने भारतीय परिवेश में उन्हें यथाशक्ति साकार करने का प्रयत्न किया है तो दूसरी ओर परम्पराबद्ध चित्तों ने भारतीय परिवेश में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रकार के विचार-विन्दुओं का अवलम्बन लेकर चिन्तन के अविरल प्रवाह को बनाये रखा है। मूल लक्ष्य भारतीयों में आत्मचेतना, स्वावलम्बन, आधुनिकता तथा स्वराज्य का अंकुरण तथा परिवर्धन रहा है। सुधार का मार्ग हो अथवा पुनरुत्थान का—चिन्तन की अन्तिम परिणति स्वाधीन भारत की स्थापना रही है। तर्क की दृष्टि से आधुनिक भारतीय चिन्तन की मौलिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने का आग्रह करने वाले अध्येताओं को इतना ही समझाना पर्याप्त है कि भारतीय चिन्तन सदियों के विचार-मन्थन एवं आत्मसात्करण का परिणाम है। एक प्राचीनतम देश एवं संस्कृति के कारण भारत की मौलिक प्रतिभा वाद में उभरी राष्ट्रीयताओं के विकास एवं उनकी ग्रहमन्यता के समक्ष स्वयंसिद्ध है। जिस मौलिक चिन्तन की दुहाई आंग्ल-अमरीकी विचारकों के नव-सुसंस्कृत भारतीय पट्ट-शिष्य देते रहे हैं उन्हें शायद इस तथ्य का ज्ञान नहीं है कि पाश्चात्य राजनीतिक-सामाजिक चिन्तन के कर्णधार ग्रीक, रोमन तथा मध्ययुगीन विचारक भारतीय विचारों, ग्रन्थों तथा प्रयोगों का विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति तथा अध्यात्म आदि के क्षेत्र में लोहा मानते रहे हैं। आधुनिक समय में भारतीय चिन्तन की मौलिकता स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, श्री अरविन्द तथा मानवेंद्रनाथ राय के विचारों में मुखरित हुई है। पाश्चात्य विचारकों द्वारा लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र आदि राजनीतिक मुद्दों के प्रयोग का एकाधिकार एवं उनकी प्राथमिकता का दम दर्शा कर भारतीय चिन्तन को हेय अथवा पिछड़ा सिद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है। इन मुद्दों का भारत में वैदिक काल से शाब्दिक नहीं तो व्यावहारिक प्रयोग निरन्तर होता रहा है। भारतीय इन प्रयोगों से अछूने एवं अनभिज्ञ नहीं रहे। परम्परा तथा आधुनिकता, भौतिकता तथा आध्यात्मिकता, सर्वाधिकारवाद तथा लोक-कल्याणकारी राज्य, पूंजीवाद तथा आर्थिक विकेन्द्रीकरण का भारतीयों ने अपने सदियों के जटिल जीवन में अध्ययन एवं अनुभव किया है। अत्याधुनिक कहलाने वाले अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयोग भी प्राचीन भारतीयों के अनुभवों तथा उद्गारों के समक्ष अत्यधिक-धूमिल दिखाई देंगे। किन्तु दुर्भाग्य यह है कि प्राचीन भारतीय घरोघर का यशोगान एवं स्मरण 'परम्परागतता' का प्रतीक बन गया है और भारतीय चिन्तन की समयपश्चता, धर्मन्धता तथा राष्ट्रविहीनता का कल्पित चित्रण 'आधुनिकता' का सेहरा बघवाता है। धन्य है उन पाश्चात्य विचारकों एवं आंग्ल-अमरीकी विद्वानों के भारतीय मानसपुत्रों को जो भारतीय होकर भी भारतीयता से नाक-भीं सिकोड़ कर पाश्चात्य द्वाकाँच में अपनी वैचारिक वर्ण-संकरता को नवीन शब्दावलियों, चटपटी अंग्रेजी बोली तथा आंग्ल-परिधान के माध्यम से छिपाने की चेष्टों में रत हैं। भारतीय शासन तथा राजनीति के अध्ययन की अत्याधुनिक राजनीतिक अध्ययन विधा बतलाकर अखबारी कटिंग पर अपनी विद्वत्ता का ढोंग रचाने वाले विद्वान विद्वपकों पर तरस आता है। वर्तमान सन्दर्भ में आधुनिक भारत के सामाजिक



तथा राजनीतिक चिन्तन के अध्ययन की उच्च विश्वविद्यालय स्तरीय अनिवार्यता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सामान्य भारतीय नागरिक के लिए इसका समीचीन ज्ञान। भारत की चिन्तन-विधा को समझने का कार्य सर्वोपरि रहे तो शासन तथा राजनीति, संविधान तथा लोक-प्रशासन जैसे गौण विषयों को पूर्वाधार स्वतः प्राप्त हो जायगा।

प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राधुनिक भारतीय चिन्तकों के समस्त महत्त्वपूर्ण विचारों को यथासंभव उन्हीं के वक्तव्यों, लेखों तथा सम्मरणों की सहायता से उद्भासित किया गया है। महत्त्वपूर्ण जीवनी लेखकों, टीकाकारों तथा समीक्षक ग्रन्थेताओं के विचारों के माध्यम से चिन्तक तथा उसके चिन्तन को उभाग्ने का प्रयाग किया गया है। चिन्तक को समझने के लिए चिन्तक के जीवन का साक्षात्कार उतना ही आवश्यक है जितना उसके चिन्तन का अध्ययन। अतः चिन्तक तथा उसके चिन्तन दोनों पर यथासंभव विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कतिपय चिन्तकों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सीमित होने के कारण उन्हें ध्यास्या की दृष्टि से सीमित स्थान ही मिल पाया है जब कि कुछ चिन्तकों के जीवन तथा विचार पर विस्तृत व्याख्या की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए विवेचन सविस्तार प्रस्तुत किया गया है। चिन्तन की व्याख्या में यद्यपि व्यक्तित्व-पूजा की शैली का अनुसरण नहीं किया गया तथापि कतिपय चिन्तकों की राष्ट्रीय मान्यता अथवा निकट गममामयिकता के कारण निरपेक्षता के सम्बन्ध में पाठकों के अपने विचार हो सकते हैं जो लेखक की व्याख्या से मेल न खाते हों, किन्तु ऐसे समस्त संदर्भों में चिन्तक तथा उसके चिन्तन की अपेक्षा लेखक की स्वयं की सीमा ही उत्तरदायी मानी जाये। प्राधुनिक भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिन्तन के ग्रन्थेताओं, शोध-स्नातकों तथा समस्त पाठकों को इस ग्रन्थ के अध्ययन के पश्चात् प्राधुनिक भारतीय चिन्तन के गरिमामय पक्ष की अनुभूति हो सके तो लेखक अपने आपको कृतार्थ समझेगा।

लेखक श्री टी. एन. चतुर्वेदी, निदेशक, भारतीय लोकप्रशासन संस्थान, नई दिल्ली का अतीव आभारी है जिनके आशीर्वाद से यह लेखन कार्य पूर्ण हो सका। लेखक प्रो. अटल बिहारी माथुर, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के सौहार्द एवं प्रकांड विद्वत्तापूर्ण पथ-प्रदर्शन के लिये उनके प्रति नतमस्तक है।

ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए लेखक राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशनी, जयपुर के निदेशक डॉ. रामबली उपाध्याय तथा उप निदेशक श्री यशदेव शल्य के प्रति आभारी है। सुन्दर मुद्रण के लिए वैदिक यन्त्रालय, अजमेर के सरक्षक श्रीकरण शारदा, सह-मन्त्री डॉ. भवानी लाल भारतीय तथा व्यवस्थापक श्री सतीशचन्द्र शुक्ल के प्रति लेखक अपना आभार व्यक्त करता है। ग्रन्थ से सम्बन्धित ग्रन्थ उपयोगी कार्यों के लिए लेखक श्री नन्दलाल याज्ञिक तथा श्री भरत रामचन्दानी का ऋणी है।

स्वजनों का ग्रन्थ निर्माण की प्रेरणा में विशिष्ट योगदान रहा है इसके लिए लेखक श्री विजय शंकर नागर तथा श्रीमती रमाबेन का हार्दिक रूप से आभारी है। ग्रन्थ की मुद्रित प्रति के सशोधन तथा अनुक्रमणिका के निर्माण में सहधर्मिणी श्रीमती आशा नागर तथा दोनों पुत्र अनुपम एवं अपूर्व का योगदान अविस्मरणी है।

—पुरुषोत्तम नागर

श्री वल्लभाचार्य जयन्ती

दिनांक 10-4-80

## विषय-सूची

1. आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन : स्वरूप, अध्ययन क्षेत्र, महत्त्व एवं पाश्चात्य प्रभाव	3
2. राजा राममोहन राय (1772-1833)	22
3. स्वामी दयानन्द (1824-1883)	36
4. स्वामी विवेकानन्द (1863-1902)	52
5. श्रीमती एनी बेसेंट (1847-1933)	72
6. उदारवाद एवं उपवाद	88
7. महादेव गोविन्द रानाडे (1842-1901)	95
8. दादाभाई नौरोजी (1825-1917)	115
9. फिरोजशाह मेहता (1825-1915)	126
10. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (1848-1945)	136
11. गोपाल कृष्ण गोखले (1866-1915)	150
12. वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री (1869-1946)	166
13. बाल गंगाधर तिलक (1856-1920)	183
14. लाला लाजपत राय (1865-1928)	213
15. विपिनचन्द्र पाल (1858-1932)	253
16. हिन्दू राष्ट्रवाद : विनायक दामोदर सावरकर (1883-1966)	279
17. मुस्लिम राष्ट्रवाद : सर सैयद अहमद खान (1817-1898)	294
18. शेख मोहम्मद इकबाल (1877-1938)	305
19. मोहम्मद अली जिन्ना (1876-1948)	316
20. मोहनदास करम चन्द गांधी (1869-1948)	331
21. अरविन्द घोष (1872-1950)	444
22. रवीन्द्र नाथ ठाकुर (1861-1941)	463
23. जवाहर लाल नेहरू (1889-1964)	483
24. मानवेन्द्र नाथ राँय (1887-1954)	531
25. जयप्रकाश नारायण (1902-1979)	

26. विनोबा भावे (1895— )	601
27. राष्ट्रवाद एव स्वराज	645
28. न्यासिता एवं सत्याग्रह	656
29. समाजवाद एवं विकेन्द्रीकरण	666
30. ग्रन्थ-सूची	675
31. अनुक्रमणिका	731



खण्ड 1



## आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन : स्वरूप, अध्ययन-क्षेत्र, महत्व एवं पाश्चात्य प्रभाव

राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन का उद्भव, विकास एवं प्रचलन देश, काल एवं परिस्थितियों से संयुक्त होता है। परंपरा, निरंतरता, परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण चिंतन को जीवंत बनाते हैं। भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का अग्रणी एक विशिष्ट स्थान है। इसकी विशिष्टता वस्तुतः प्राचीनता, मौलिकता, निरंतरता तथा आधुनिक तत्त्वों को ग्रहण करने की क्षमता में सन्निहित है। भारत में चिंतन का क्रम कभी विच्छिन्न नहीं हुआ। ऋग्वेदकाल से वर्तमानकाल तक चिंतन की अविरल धारा प्रवहमान रही है। राजनीतिक एवं सामाजिक विचार-क्षेत्र में भारत ने अनेकानेक अद्भुत प्रयोग किये हैं। हमारी राज्य-व्यवस्था ऐसे समय में परिपक्व हुई थी एवं क्रियान्वित की गयी थी जबकि विश्व के अन्य अनेक राज्य, विशेषतः आज के सर्वाधिक आधुनिक एवं सम्पन्न कहे जाने वाले राज्य, अंधकार के गर्त में डूबे हुए थे। भारत की संपन्नता के प्रति ईर्ष्या भावी विदेशी आक्रमणकारियों ने बार-बार आक्रमण कर चिंतन तथा व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के प्रयत्न किये और भारत सदियों तक गुलाम बना रहा, किन्तु चिंतन एवं राजनीतिक प्रबुद्धता कभी भी भारत से विलग एवं विलीन नहीं हुई। अंग्रेजीराज भी भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन के मूल आधारों को समाप्त नहीं कर पाया।

आधुनिक भारतीय चिंतन प्राचीन भारतीय चिंतन से एकदम विच्छिन्न नहीं है।<sup>1</sup> मूल रूप में वह प्राचीन चिंतन का परिवर्धित रूप ही है। पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव से इसमें आधुनिक संदर्भ जोड़े गये हैं। जिन विचारों का आधार भारत से लुप्त हो गया है उन आधारों को पश्चिम से यथावत् ग्रहण किया गया है। भारत की आधुनिक 'राजनीतिक प्रबुद्धता', परंपरावादी 'प्रशासनिक राजनीति' के 'आंदोलनात्मक राजनीति' की और संक्रमण<sup>2</sup> तथा संवैधानिक प्रयोगों को पाश्चात्य प्रभाव के अंतर्गत माना गया है। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना तथा उसके जन-जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव ने कई नवीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को भारत में प्रचलित होने का अवसर प्रदान किया है। काल-विभाजन की दृष्टि से 18 वीं शताब्दी से वर्तमान तक का भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन 'आधुनिक' कहा जाता है। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन-धारा, जिसमें आर्थिक एवं दार्शनिक पक्ष भी संयुक्त हैं, अंग्रेजी शासन काल में निर्वाह प्रवाहित होती हुई, अद्यावधि अक्षुण्ण रूप से प्रवहमान है। अंग्रेजीराज की समानांतरता-के युग में भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन अंग्रेजों की कृपा का प्रतिफल न होकर उनके प्रति अश्रद्धा एवं विरोधजन्य अधिक रहा है। अंग्रेजी साहित्य एवं मान्यताओं के अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका तथा रूस की राजनीतिक परिस्थितियों एवं मान्यताओं ने भी आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया है।

आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का उद्गम समाज एवं धर्म सुधार आंदोलनों से हुआ है। पाश्चात्य विचारधारा एवं विदेशी शासन ने भारतीय

चिंतन तथा संस्कृति की उपादेयता के संबंध में जो चुनौती प्रस्तुत की, उसकी एक विशेष प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। राजा राममोहन राय में सर्वप्रथम इस प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। उनके द्वारा स्थापित 'ब्रह्म-समाज' इसी प्रतिक्रिया का परिणाम था। अंग्रेजी शासन के प्रति राजा राममोहन राय का भाव तो खड़ापूर्ण था किन्तु बाद के वर्षों में भारतीय जनमानस में इस विदेशी सत्ता के प्रति घृणा की भावना बलवती हो गयी थी।<sup>3</sup> यह घृणा कई प्रकार से व्यक्त हुई थी। कई स्थानों पर जनता के प्रत्येक वर्ग ने सशस्त्र विद्रोह किया था ताकि विदेशी शासन उसके धर्म, संस्कृति एवं राजनीतिक स्वतंत्रता पर और अधिक आघात न कर सके। इस कार्य में हिन्दू, मुसलमान, आदिवासी तथा देशी-देशवासियों के राजा सभी एकजुट हुए थे।<sup>4</sup> यहां तक कि मुस्लिम फकीरों तथा हिन्दू संन्यासियों ने भी बंगाल में विद्रोह का झंडा फहरा दिया था।<sup>5</sup> दक्षिण भारत में भी विजयनगरम्, तिन्नवेली तथा वाईनाड में सशस्त्र विद्रोह हुए। संपद ग्रहण करने वाली वर्गों का वहाबी आंदोलन मुस्लिम-सुधार-आंदोलन होने के साथ-साथ स्पष्टतः अंग्रेजों के विरुद्ध भी था। विद्रोह की यह ज्वाला शांत नहीं हुई, यद्यपि अंग्रेजों ने इसे पूर्ण क्रूरता से कुचला फिर भी यह ज्वाला 1857 में अपने प्रचंड रूप में धधक उठी। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन पर इस महान् घटना का प्रभाव पहना स्वाभाविक था। क्योंकि भारतीय जनमानस को झुकाने के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध करने वाली यह आधुनिक युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। अंग्रेजों ने किस निरंकुश क्रूरता से इस स्वातंत्र्य संग्राम को कुचला था, उसका इतिहास साक्षी है। इस घटना के पश्चात् रानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र (1858) मात्र राजनीतिक दिशावादी प्रतीत होता है। लार्ड सेलिसबरी ने 1883 में स्वयं अपनी सत्ता की इस साम्राज्यवादी नीति के लिए धिक्कारा था।<sup>6</sup> इतना होने पर भी भारतीयों को पूर्णतया शक्ति के अधीन रखने के लिए, शांति एवं व्यवस्था के नाम पर सेना का आंग्लिकरण, प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन तथा भारतीय व्यापार का पूर्णतया अंग्रेजों के हित में संचालन किया गया फलतः भारत की आर्थिक दुर्दशा बढ़ी। कुटीर उद्योग एवं कृषि दोनों का ही हास हुआ। विलियम डिकी, दादाभाई नौरोजी तथा रमेशचन्द्र दत्त के आर्थिक विचार इन तथ्यों से प्रभावित हुए। भारत की आर्थिक दुर्दशा का जीवंत चित्र प्रस्तुत कर इन लेखकों ने आर्थिक चिन्तन को एक नयी दिशा दी। दुर्भिक्ष की हृदय-विदारक स्थिति से द्रवित स्वयं डिकी ने अंग्रेजों के इस कथन के लिए कि भारत का शासन उन्हें 'ईश्वरीय वरदान' के रूप में प्राप्त हुआ है धिक्कारा और उनके मिथ्या दंभ का विखण्डन किया।

भारत का शासन हथियाने के बाद अंग्रेजों की समृद्धि निरन्तर बढ़ती गयी। सन् 1852 में उनकी विदेशी विनियोग पूंजी 2180000000 थी, वह सन् 1892 में 2000000000 हो गयी,<sup>7</sup> जबकि भारतीय जनता गरीबी के प्रमत्त बोझ से दबती जा रही थी। भारत की आबादी का 90 प्रतिशत ग्रामीण जन-समुदाय भुखमरी, बेकारी तथा दुर्भिक्ष से जूझ रहा था। अंग्रेजों ने भारत से कमाई पूंजी का भारत में ही विनियोग किया। रेल, डाकघर तथा बागानों का विकास अंग्रेजों ने मूलतः स्वहित-साधन की दृष्टि से ही किया था। दादाभाई नौरोजी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' में इसका उल्लेख किया है और आंकड़ों सहित ऐसे आर्थिक घोषण की पुष्टि की है। भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग पर आबकर लगा कर अंग्रेजी राज ने पनपते हुए एकमात्र सूती वस्त्र-उद्योग को भी दबा दिया। भारतीय ग्राम्यजीवन में नमक-कर तथा

लगान की मनमानी वसूली ने ग्रामीण जनता को आर्थिक दृष्टि से विपन्न बना दिया। इन कारणों से भारतीय आर्थिक चिंतन के क्षेत्र में नवीन दृष्टि उत्पन्न हुई। महादेव गोविंद रानाडे ने अपने आर्थिक निबंधों में इसीलिए मुक्त-व्यापार की भर्त्सना की थी।

इतना ही नहीं, भारत में अंग्रेजी सत्ता ने भारतीयों के धर्म, संस्कृति एवं सामाजिक व्यवहार को भी नकारा। अंग्रेजी शासन में विदेशी ईसाई मिशनरियों की बन आयी। वे खुले रूप में हिंदू-मुस्लिम धर्मों की भर्त्सना करने लगे। उन्होंने दलित एवं शोषित वर्ग को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का कार्यक्रम बनाया। ईसाई धर्म की आड़ में मिशनरियों ने लेखन तथा शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भारत में अंग्रेजी राज को ईश्वरीय वरदान एवं विद्या के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया। उनके इस व्यवहार से भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासकों के प्रति घृणा और बढ़ी।<sup>8</sup> ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज सम्बद्ध कार्य एवं विचारों द्वारा मिशनरियों के कुटिल कार्यों का सामना किया। लाला लाजपतराय ने भी आर्य समाज के माध्यम से भारत की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रभावोत्पादक विचार प्रस्तुत किये। उदारवादियों में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीतिक कार्यक्रमों द्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य अर्सेनिक एवं सैनिक उच्च पदों से भारतीयों को अलग रखने की नीति, का घोर विरोध किया।

पत्रकारिता के विकास से भी आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को पर्याप्त संबल मिला। सन् 1875 में भारत में 374 देशी अखबार निकलते थे, जबकि अंग्रेजी भाषा में केवल 147 ही थे।<sup>9</sup> देशी अखबारों का विरोध अंग्रेजी शासन के प्रति अधिक तीव्र था, जबकि अंग्रेजी अखबार अधिकतर सीम्य थे। लाडें लिटन के विरोधी रवैये के बावजूद यह क्रम लाडें रिपन के समय पुनः प्रारंभ हो गया। बंगाल, बंबई, मद्रास, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी थे। प्रेस की स्वतंत्रता ने भारत में राष्ट्रवादी प्रकाशनों का अम्बार लगा दिया। नील की खेती में लगे श्रमिकों की दुर्दशा अंततः अंग्रेजी सरकार विरोधी गांधी-सत्याग्रह में परिणत हुई। गांधी जी ने यह सत्याग्रह चंपारन में सन् 1917 में प्रारम्भ किया।

भारतीयों के राजनीतिक संगठनों जैसे पूना-सार्वजनिक सभा (1870), इंडियन एसोसिएशन (1876), मद्रास-महाजन-सभा (1884) तथा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा संगठित नेशनल कान्फरेंस (1883) ने ही अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885) का मार्ग प्रशस्त किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आधुनिक भारतीय विचारकों को एक सभा-स्थल प्राप्त हुआ। कांग्रेस के क्रियाकलापों में भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन् 1885 से सन् 1947 तक आधुनिक भारतीय चिंतन की दर्पण रही है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभ में अंग्रेजी शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया-त्मकता को सहानुभूति में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। इमोलिए कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्यों ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। इन्होंने अंग्रेजी शासन का अस्तित्व स्वीकार कर लिया। फलतः सरकारी नौकरियों में अवसरों के विस्तार तथा अन्य प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधारों की माचना का युग प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद जिसने आधुनिक भारतीय चिंतन को वास्तविक आधार प्रस्तुत किया था, इस काल में



चितन तथा संस्कृति की उपादेयता के संबंध में जो धुनीती प्रस्तुत की, उसकी एक विरोध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। राजा राममोहन राय में सर्वप्रथम इस प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। उनके द्वारा स्थापित 'ब्रह्म-समाज' इसी प्रतिक्रिया का परिणाम था। अंग्रेजों शासन के प्रति राजा राममोहन राय का भाव तो श्रद्धापूर्ण था किन्तु बाद के वर्षों में भारतीय जनमानस में इस विदेशी गत्ता के प्रति घृणा की भावना बलवती हो गयी थी। यह घृणा कई प्रकार से व्यक्त हुई थी। कई स्थानों पर जनता के प्रत्येक वर्ग ने सशस्त्र विद्रोह किया था ताकि विदेशी शासन उनके धर्म, संस्कृति एवं राजनीतिक स्वतंत्रता पर और अधिक घापात न कर सके। इस कार्य में हिन्दू, मुगलमान, खादिवासी तथा देवी-देवताओं के राजा सभी एकजुट हुए थे।<sup>4</sup> यहाँ तक कि मुस्लिम फकीरों तथा हिन्दू संन्यासियों ने भी बंगाल में विद्रोह का झंडा फहरा दिया था।<sup>5</sup> दक्षिण भारत में भी विजयनगरम्, तिमनेली तथा चाईनाट में सशस्त्र विद्रोह हुए। संपद महमद बरेलवी का बहाबी आंदोलन मुस्लिम-मुघार-आंदोलन होने के साथ-साथ स्पष्टतः अंग्रेजों के विरुद्ध भी था। विद्रोह की यह ज्वाला शांत नहीं हुई, यद्यपि अंग्रेजों ने इसे पूर्ण क्रूरता से कुचला फिर भी यह ज्वाला 1857 में अपने प्रचंड रूप में धधक उठी। प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन पर इस महान् घटना का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। क्योंकि भारतीय जनमानस को झकझोर कर विदेशी शासन के विरुद्ध करने वाली यह प्राधुनिक युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। अंग्रेजों ने किम निरंकुश क्रूरता से इस स्वतंत्र्य संग्राम को कुचला था, उसका इतिहास साक्षी है। इस घटना के पश्चात् रानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र (1858) मात्र राजनीतिक दिग्गया प्रतीत होता है। नाई सेलिसबरी ने 1883 में स्वयं अपनी मत्ता को इस साम्राज्यवादी नीति के लिए धिक्कारा था।<sup>6</sup> इतना होने पर भी भारतीयों की पूर्णतया शक्ति के अधीन रखने के लिए, शांति एवं व्यवस्था के नाम पर मेना का आंग्लोकरण, प्रशासनिकंत्र का पुनर्गठन तथा भारतीय व्यापार का पूर्णतया अंग्रेजों के हित में संचालन किया गया फलतः भारत की आर्थिक दुर्दशा बढ़ी। कुटीर उद्योग एवं कृषि दोनों का ही हास हुआ। विलियम डिग्बी, दादाभाई नोरोजी तथा रमेशचन्द्र दत्त के आर्थिक विचार इन तथ्यों से प्रभावित हुए। भारत की आर्थिक दुर्दशा का जीवंत चित्र प्रस्तुत कर इन लेखकों ने आर्थिक चिन्तन की एक नयी दिशा दी। दुर्भिक्ष की हृदय-विदारक स्थिति से द्रवित स्वयं डिग्बी ने अंग्रेजों के इस कथन के लिए कि भारत का शासन उन्हें 'ईश्वरीय वरदान' के रूप में प्राप्त हुआ है धिक्कारा और उनके मिथ्या दंभ का विखण्डन किया।

भारत का शासन हथियाने के बाद अंग्रेजों की समृद्धि निरन्तर बढ़ती गयी। सन् 1852 में उनकी विदेशी विनियोग पूंजी 2180000000 थी, वह सन् 1892 में 20000000000 हो गयी,<sup>7</sup> जबकि भारतीय जनता गरीबी के घससू बोझ से दबती जा रही थी। भारत की आबादी का 90 प्रतिशत ग्रामीण जन-समुदाय भुखमरी, बेकारी तथा दुर्भिक्ष से जूझ रहा था। अंग्रेजों ने भारत से कमाई पूंजी का भारत में ही विनियोग किया। रेल, डाकघर तथा बागानों का विकास अंग्रेजों ने मूलतः स्वहित-साधन की दृष्टि से ही किया था। दादाभाई नोरोजी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'पावर्टी एण्ड अनक्रिटिश रूल इन इंडिया' में इसका उल्लेख किया है और आंकड़ों सहित ऐसे आर्थिक शोषण की पुष्टि की है। भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग पर आबकर लगा कर अंग्रेजी राज ने पनपते हुए एकमात्र सूती वस्त्र-उद्योग को भी दबा दिया। भारतीय आध्यजीवन में तमक-कर तथा

लगान की मनमानी वसूली ने ग्रामीण जनता को आर्थिक दृष्टि से विपन्न बना दिया। इन कारणों से भारतीय आर्थिक चिंतन के क्षेत्र में नवीन दृष्टि उत्पन्न हुई। महादेव गोविंद रानाडे ने अपने आर्थिक निबंधों में इसीलिए मुक्त-व्यापार की भर्त्सना की थी।

इतना ही नहीं, भारत में अंग्रेजी सत्ता ने भारतीयों के धर्म, संस्कृति एवं सामाजिक व्यवहार को भी नकारा। अंग्रेजी शासन में विदेशी ईसाई मिशनरियों की बन आयी। वे खुले रूप में हिंदू-मुस्लिम धर्मों की भर्त्सना करने लगे। उन्होंने दलित एवं शोषित वर्ग को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का कार्यक्रम बनाया। ईसाई धर्म की आड़ में मिशनरियों ने लेखन तथा शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भारत में अंग्रेजी राज को ईश्वरीय बरदान एवं विधान के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया। उनके इस व्यवहार से भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासकों के प्रति घृणा और बढ़ी।<sup>8</sup> ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज सम्बद्ध कार्य एवं विचारों द्वारा मिशनरियों के कुटिल कार्यों का सामना किया। लाला लाजपतराय ने भी आर्य समाज के माध्यम से भारत की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रभावोत्पादक विचार प्रस्तुत किये। उदारवादियों में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीतिक कार्यक्रमों द्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य असैनिक एवं सैनिक उच्च पदों से भारतीयों को अलग रखने की नीति, का घोर विरोध किया।

पत्रकारिता के विकास से भी आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को पर्याप्त संबल मिला। सन् 1875 में भारत में 374 देशी अखबार निकलते थे, जबकि अंग्रेजी भाषा में केवल 147 ही थे।<sup>9</sup> देशी अखबारों का विरोध अंग्रेजी शासन के प्रति अधिक तीव्र था, जबकि अंग्रेजी अखबार अधिकतर सौम्य थे। लार्ड लिटन के विरोधी रवैये के बावजूद यह क्रम लार्ड रिपन के समय पुनः प्रारंभ हो गया। बंगाल, बंबई, मद्रास, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी थे। प्रेस की स्वतंत्रता ने भारत में राष्ट्रवादी प्रकाशनों का भ्रम्बार लगा दिया। नील की वेती में लगे श्रमिकों की दुर्दशा अंततः अंग्रेजी सरकार विरोधी गांधी-सत्याग्रह में परिणत हुई। गांधी जी ने यह सत्याग्रह चंपारन में सन् 1917 में प्रारम्भ किया।

भारतीयों के राजनीतिक संगठनों जैसे पूना-सावंजनिक सभा (1870), इंडियन एसोसियेशन (1876), मद्रास-महाजन-सभा (1884) तथा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा संगठित नेशनल कान्फरेंस (1883) ने ही अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885) का मार्ग प्रशस्त किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आधुनिक भारतीय विचारकों को एक सभा-स्थल प्राप्त हुआ। कांग्रेस के क्रियाकलापों में भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। इसलिए यह कहना प्रतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन् 1885 से सन् 1947 तक आधुनिक भारतीय चिंतन की दर्पण रही है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभ में अंग्रेजी शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया-त्मकता को सहानुभूति में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। इसीलिए कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्यों ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। इन्होंने अंग्रेजी शासन का अस्तित्व स्वीकार कर लिया। फलतः सरकारी नौकरियों में अवसरों के विस्तार तथा अन्य प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधारों की याचना का युग प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद जिन्होंने आधुनिक भारतीय चिंतन को वास्तविक आधार प्रस्तुत किया था, इस काल में

उपेक्षित होता दिखाई देता है। किन्तु यह स्थिति अधिक दिन नहीं रही। सन् 1888 में कांग्रेस के कलकत्ता-प्रधिवेशन से ही भारतीय राष्ट्रवाद तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद का संघर्ष प्रारंभ हो गया। सार्थ कर्जन द्वारा किये गये बंगाल के विभाजन (1905) ने राष्ट्रवादी चिन्तन को उत्प्रेरित किया। लाल, पाल तथा पाल द्वारा स्वतंत्रता, राज्य एवं राष्ट्र संबंधी धारणाएँ प्रचारित की गयीं। उपवासियों ने पुनरभ्युदयवाद एवं सुधारवाद का समन्वय प्रस्तुत किया। इनके ठीक विपरीत सन् 1909 में मिटो-मोर्ले-गुधारी ने मुसलमानों को पृथक्ता का उपदेश देकर राष्ट्रवादी विचारधारा के मार्ग में दकावटें पैदा करने की चेष्टा की।

सन् 1919 में जातिपांवाला बाग-हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रवादी चिन्तन को स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध कर दिया। एक घोर सर्वधार्मिक तंत्र तथा संसदीय सोनतंत्र तो दूररी घोर गांधी जी के असहयोग-प्रांदोलन एवं क्रांतिकारी प्रांदोलन की गतिविधियाँ दिखाई देती थी। गांधी जी की राजनीति ने असहयोग एवं सत्याग्रह संबंधी असहयोगवादी नवीन विचार प्रस्तुत कर भारतीय चिन्तन सीमा का विकास किया। इसी प्रकार सैनिक विद्रोह द्वारा भारत की सत्ता हस्तगत करने का सुभाष बोस का विचार घोर प्रयत्न सन् 1857 की याद ताजा करने वाला था। शांति तथा शक्ति दोनों माध्यमों से स्वतंत्रता-प्राप्ति का यह प्रयत्न यदि एक घोर भारतीय चिन्तन की प्राचीन घरोहर गीता के 'कर्मवाद' को आत्मसात् किये हुये है तो दूसरी घोर भारतीय विचारधारा की विश्व के साथ निरंतर प्रगति करने की साधुभौमिक लालसा का भी प्रतीक है।

राजदर्शन की दृष्टि से प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन को एक व्यवस्थित राजनीतिक चिन्तन या दर्शन नहीं स्वीकार किया गया है, जैसा कि पाश्चात्य दर्शन को माना जाता है। इसमें ऐसे तार्किक विश्लेषण की नितात कमी मानी गयी है जिसके द्वारा राजनीतिक दर्शन के रूप में राजनीतिक सभावनाओं, सिद्धांतों एवं विवादों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक दर्शन के समान इसमें राजनीतिक विचारों एवं विचार-धाराओं का व्यवस्थित इतिहास उपलब्ध नहीं होता। यह तर्क भी इसके विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें राजनीतिक मूल्यों, मर्यादाओं एवं प्रादशों का समन्वय नहीं हुआ है और न इसके राजनीतिक चिन्तन का कोई आधार ही दिखाई देता है। इसलिए इसे राजनीतिक सिद्धांत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसमें राजनीतिक मूल्यों की विवेचना भी उपलब्ध नहीं है। इसका कोई व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर इसे व्यवहारवादी, उत्तरव्यवहारवादी अथवा अन्य वैज्ञानिक पद्धति का बाना पहना कर गणित एवं सांख्यिकी के बंधन में रखा जा सके। एक लेखक ने तो यहां तक कह दिया है कि राजनीतिक विश्लेषण जैसी कोई वस्तु प्राधुनिक भारतीय चिन्तन में ही नहीं। वे यह मानते हैं कि राजनीति ने प्राधुनिक भारतीय चिन्तन में कोई भी भूमिका नहीं निभायी है। वे राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक विचारों के प्रांदोलन को भिन्न भिन्न मानते हैं।<sup>10</sup>

उपरोक्त तर्क दोषपूर्ण नहीं तो असम्बद्ध अवश्य हैं। प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन के प्रवर्तकों का मूल उद्देश्य राज्य, सरकार, संप्रभुता आदि की मौलिक धारणाएँ तथा नवीन सामाजिक एवं आर्थिक विचार प्रस्तुत करना नहीं था। उनका उद्देश्य भारत की जातीय, सांप्रदायिक, सामाजिक व आर्थिक शोषण एवं अज्ञानता के चंगुल से निकालकर राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध करना था, ताकि भारतीय जनजीवन

स्वतंत्रता, समानता एवं लोकतांत्रिक विचारों से परिचित होकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। उनका चिंतन राष्ट्रवादी था। वे कल्पना में विचरण न कर जीवन की वास्तविक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। अतः भारतीय चिंतन को निरपेक्ष राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांतों के शास्त्रीय दृष्टिकोण से परखना श्रुतिपूर्ण होगा। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन में राष्ट्रवाद संबंधी अनेक मौलिक धारणाएं प्रस्तुत हुई हैं। राष्ट्रवाद की व्याख्या करते समय विश्व का कोई भी चिंतक अथवा भारत इतिहासज्ञ राष्ट्रवादी विचारधारा का उल्लेख एवं मनन किये बिना नहीं रह सकता। राष्ट्रवाद के विचार का अध्यात्मीकरण आधुनिक भारतीय विचारकों की अनुपम देन है। नव-मानववाद, सावंभीमवाद तथा सत्याग्रह आदि के विचार आधुनिक भारतीय चिंतकों की प्रमुख विशेषताएं हैं।

विषयवस्तु की दृष्टि से आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को वर्गीकृत करना सरल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विचारक ने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं पर अपने व्यवितगत विचार प्रस्तुत किये हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों में कहीं परंपरा एवं आधुनिकता का संमिश्रण है, तो कहीं उनका परस्पर संघर्ष भी। किन्हीं दो विचारकों में साम्य ढूंढना सरल नहीं है। इसी प्रकार यदि इन विचारकों के व्यक्तिगत जीवन तथा क्रिया-कलाप को अलग रखकर केवल उनके विचारों का अध्ययन किया जाये, यह भी उचित नहीं होगा। आधुनिक भारतीय चिंतकों ने विचारों को अपने पुस्तक-कक्ष में आराम कुर्सी पर बैठकर नहीं बनाया है। जीवन की प्रारंभिक घटनाएं, परिवार का वातावरण, शिक्षा-दीक्षा, समाज की मान्यताएं, बौद्धिक प्रबुद्धता, शासन एवं राज्य व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, धार्मिक मान्यताएं, पढ़ने वाले वाह्य प्रभाव आदि अनेक तथ्य मिल कर एक चिंतक का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में चिंतक को उसके संपूर्ण जीवन के संदर्भ में हमें देखना होगा। तदनन्तर ही वर्गीकरण की स्थिति आनी चाहिए।<sup>11</sup>

अध्ययन-सुविधा की दृष्टि से आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचारकों पर इतिहास-क्रम की दृष्टि से विचार करना अधिक उचित लगता है। स्थूलतः विचारकों को विभिन्न विचारशैलियों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है ताकि उनके विचारों में जो सूक्ष्म साम्य है उसे ठीक से परिलक्षित किया जा सके। उदाहरणार्थ 'उदारवाद' तथा 'उग्रवाद' का वर्गीकरण न तो वैज्ञानिक ही है और न तर्क पर आधारित ही। इसे केवल सुविधामात्र मानना चाहिए। चूंकि विचारकों ने परस्पर व्यंग्य कसने की दृष्टि से इन शब्दों का प्रयोग किया था, कालान्तर में यही शब्द बोलचाल में आ गये और टीकाकारों ने इन्हें यथावत् ग्रहण कर लिया। मूलतः उदारवाद तथा उग्रवाद का अंतर केवल समयोचित एवं क्षणभंगुर था। समय के साथ उदारवादी उग्रवादी, तथा उग्रवादी उदारवादी बनते दिखायी देते हैं। फिर भी प्रचलित मान्यताओं का आधार ग्रहण करते हुए आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का अध्ययन-क्षेत्र निम्नांकित रूप में निर्धारित किया जाता है।

सर्वप्रथम, सामाजिक एवं धर्म-सुधार-आंदोलन के प्रणेताओं का अध्ययन किया जाता है। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द तथा श्रीमती एनी बेसेन्ट ने आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को सजीवित कर धर्म एवं समाज के सुधार का अग्रक प्रयास भी किया। इनका यह कार्य संस्थागत था। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर उन्होंने अपने विचारों को स्थायी

उपेक्षित होता दिखाई देता है। किन्तु यह स्थिति अधिक दिन नहीं रही। सन् 1888 में कांग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन से ही भारतीय राष्ट्रवाद तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद का संघर्ष प्रारंभ हो गया। लार्ड कर्जन द्वारा किये गये बंगाल के विभाजन (1905) ने राष्ट्रवादी चिंतन को उत्प्रेरित किया। लाल, बाल तथा पाल द्वारा स्वतंत्रता, राज्य एवं राष्ट्र संबंधी धारणाएं प्रचारित की गयीं। उग्रवादियों ने पुनरभ्युदयवाद एवं सुधारवाद का समन्वय प्रस्तुत किया। इनके ठीक विपरीत सन् 1909 में मिटो-मोल्ले-सुधारों ने मुसलमानों की पृथकता का उपदेश देकर राष्ट्रवादी विचारधारा के मार्ग में रुकावटें पैदा करने की चेष्टा की।

सन् 1919 में जालियांवाला बाग-हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रवादी चिंतन को स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध कर दिया। एक ओर संबैधानिक तंत्र तथा संसदीय लोकतंत्र तो दूसरी ओर गांधी जी के असहयोग-आंदोलन एवं आतंककारी आंदोलन की गतिविधियां दिखाई देती थी। गांधी जी की राजनीति ने असहयोग एवं सत्याग्रह संबंधी अपरंपरावादी नवीन विचार प्रस्तुत कर भारतीय चिंतन सीमा का विकास किया। इसी प्रकार सैनिक विद्रोह द्वारा भारत की सत्ता-हस्तगत करने का सुभाष बोस का विचार और प्रयत्न सन् 1857 की याद ताजा करने वाला था। शांति तथा शक्ति दोनों माध्यमों से स्वतंत्रता-प्राप्ति का यह प्रयत्न यदि एक ओर भारतीय चिंतन की प्राचीन धरोहर गीता के 'कर्मवाद' को आत्मसात् किये हुये है तो दूसरी ओर भारतीय विचारकों की विश्व के साथ निरंतर प्रगति करने की सार्वभौमिक लालसा का भी प्रतीक है।

राजदर्शन की दृष्टि से आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को एक व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन या दर्शन नहीं स्वीकार किया गया है, जैसा कि पाश्चात्य दर्शन को माना जाता है। इसमें ऐसे तार्किक विश्लेषण की मितता कमी मानी गयी है जिसके द्वारा राजनीतिक दर्शन के रूप में राजनीतिक सभावनाओं, सिद्धांतों एवं विवादों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक दर्शन के समान इसमें राजनीतिक विचारों एवं विचार-धारकों का व्यवस्थित इतिहास उपलब्ध नहीं होता। यह तर्क भी इसके विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें राजनीतिक मूल्यों, मर्यादाओं एवं प्रादुर्भावों का समन्वय नहीं हुआ है और न इसके राजनीतिक चिंतन का कोई आधार ही दिखाई देता है। इसलिए इसे राजनीतिक सिद्धांत की सजा नहीं दी जा सकती। इसमें राजनीतिक मूल्यों की विवेचना भी उपलब्ध नहीं है। इसका कोई व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध सिद्धांत नहीं है जिसके आधार पर इसे व्यवहारवादी, उत्तरव्यवहारवादी अथवा अन्य वैज्ञानिक पद्धति का बाना पहना कर गणित एवं सांख्यिकी के बंधन में रखा जा सके। एक लेखक ने तो यहा तक कह दिया है कि राजनीतिक विश्लेषण जैसी कोई वस्तु आधुनिक भारतीय चिंतन में ही नहीं। वे यह मानते हैं कि राजनीति ने आधुनिक भारतीय चिंतन में कोई भी भूमिका नहीं निभायी है। वे राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक विचारों के आंदोलन को भिन्न भिन्न मानते हैं।<sup>10</sup>

उपर्युक्त तर्क दोषपूर्ण नहीं तो असम्बद्ध अवश्य हैं। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के प्रवर्तकों का मूल उद्देश्य राज्य, सरकार, संप्रभुता आदि की मौलिक धारणाएं तथा नवीन सामाजिक एवं आर्थिक विचार प्रस्तुत करना नहीं था। उनका उद्देश्य भारत को जातीय, सांप्रदायिक, सामाजिक व आर्थिक शोषण एवं अज्ञानता के चंगुल से निकालकर राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध करना था, ताकि भारतीय जनजीवन

स्वतंत्रता, समानता एवं लोकतांत्रिक विचारों से परिचित होकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। उनका चिंतन राष्ट्रवादी था। वे कल्पना-में विचरण न कर जीवन की वास्तविक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। अतः भारतीय चिंतन को निरपेक्ष राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांतों के शास्त्रीय दृष्टिकोण से परखना श्रुतिपूर्ण होगा। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन में राष्ट्रवाद संबंधी अनेक मौलिक धारणाएं प्रस्तुत हुई हैं। राष्ट्रवाद की व्याख्या करते समय विश्व का कोई भी चिंतक अथवा भारत इतिहासज्ञ राष्ट्रवादी विचारधारा का उल्लेख एवं मनन किये बिना नहीं रह सकता। राष्ट्रवाद के विचार का अध्यात्मीकरण आधुनिक भारतीय विचारकों की अनुपम देन है। नव-मानववाद, सार्वभौमवाद तथा सत्याग्रह आदि के विचार आधुनिक भारतीय चिंतकों की प्रमुख विशेषताएं हैं।

विषयवस्तु की दृष्टि से आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को वर्गीकृत करना सरल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विचारक ने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं पर अपने व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत किये हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों में कही परंपरा एवं आधुनिकता का संमिश्रण है, तो कहीं उनका परस्पर संपर्क भी। किन्हीं दो विचारकों में साम्य ढूँढना सरल नहीं है। इसी प्रकार यदि इन विचारकों के व्यक्तिगत जीवन तथा क्रिया-कलाप को अलग रखकर केवल उनके विचारों का अध्ययन किया जाये, यह भी उचित नहीं होगा। आधुनिक भारतीय चिंतकों ने विचारों को अपने पुस्तक-कक्ष में आराम कुर्सी पर बैठकर नहीं बनाया है। जीवन की प्रारंभिक घटनाएं, परिवार का वातावरण, शिक्षा-दीक्षा, समाज की मान्यताएं, बौद्धिक प्रबुद्धता, शासन एवं राज्य व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, धार्मिक मान्यताएं, पढ़ने वाले बाह्य प्रभाव आदि अनेक तथ्य मिल कर एक चिंतक का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में चिंतक को उनके संपूर्ण जीवन के संदर्भ में हमें देखना होगा। तदनन्तर ही वर्गीकरण की स्थिति आनी चाहिए।<sup>11</sup>

अध्ययन-सुविधा की दृष्टि से आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचारकों पर इतिहास-क्रम की दृष्टि से विचार करना अधिक उचित लगता है। स्थूलतः विचारकों को विभिन्न विचारशैलियों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है ताकि उनके विचारों में जो सूक्ष्म साम्य है उसे ठीक से परिलक्षित किया जा सके। उदाहरणार्थ 'उदारवाद' तथा 'उग्रवाद' का वर्गीकरण न तो वैज्ञानिक ही है और न तर्कों पर आधारित ही। इसे केवल सुविधामात्र मानना चाहिए। चूंकि विचारकों ने परस्पर ध्वंश कसने की दृष्टि से इन शब्दों का प्रयोग किया था, कालान्तर में यही शब्द बोलचाल में आ गये और टीकाकारों ने इन्हें यथावत् ग्रहण कर लिया। मूलतः उदारवाद तथा उग्रवाद का अंतर केवल समयोचित एवं क्षणभंगुर था। समय के साथ उदारवादी उग्रवादी, तथा उग्रवादी उदारवादी बनते दिखायी देते हैं। फिर भी प्रचलित मान्यताओं का आधार ग्रहण करते हुए आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का अध्ययन-क्षेत्र निम्नोक्त रूप में निर्धारित किया जाता है।

सर्वप्रथम, सामाजिक एवं धर्म-सुधार-आंदोलन के प्रणेताओं का अध्ययन किया जाता है। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द तथा श्रीमती एनी बेसेन्ट ने आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को सजीवित कर धर्म एवं समाज के सुधार का अग्रगण्य प्रयास भी किया। इनका यह कार्य संस्थागत था। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर उन्होंने अपने विचारों को स्थायी

संस्थागत आधार प्रदान किया ताकि भविष्य की पीढ़ियां उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। यह दूरदर्शितापूर्ण कार्य था। आज भी ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसोफिकल सोसायटी का कार्य अपने संस्थापकों की नीति के अनुसार यद्किञ्चित् परिवर्तन के साथ चल रहा है।

राजा राममोहनराय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने जाति-पांति के भेद को दूर करने के कार्य के साथ एकेश्वरवाद का समर्थन एवं मूर्तिपूजा का खण्डन भी किया। ब्रह्मसमाज ने व्याप्त धार्मिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा फहराया। राय के अथक प्रयत्नों से सती-प्रथा समाप्त हुई। वे मात्र धर्म-सुधारक अथवा सामाजोद्धारक ही नहीं थे वरन् पत्रकारिता एवं ग्रंथरचना द्वारा राजनीतिक कार्यक्रम का श्रीगणेश करने वाले भी थे। संसदीय लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारचाय शिक्षा का वरण एवं न्यायिक तथा प्रशासनिक सुधारों के समर्थन में उन्होंने अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये। उनका राजनीतिक तथा सामाजिक लक्ष्य भारतीयों में आत्मसम्मान एवं जागृति का संचार करना था। इसी कारण से उन्हें आधुनिक भारत का 'जनक' भी कहा जाता है।

धर्म एवं समाज-सुधार आंदोलन के अध्ययन में दूसरा प्रमुख नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अपने गहन संस्कृत-ज्ञान द्वारा उन्होंने वेदों की पुनः प्रतिष्ठा की तथा जनमानस में भारतीय संस्कृति, धर्म तथा प्राचीन साहित्य के महत्त्व को संस्थापित किया। व्याप्त हीनता की भावना को दूर कर स्वामीजी ने भारतीयों में पौरुष का संचार किया। आर्यसमाज-आन्दोलन केवल धार्मिक अथवा सामाजिक आंदोलन ही नहीं था बल्कि यह एक राजनीतिक आंदोलन भी था जिसने अंग्रेजी शासन को अतंकित कर दिया था। भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को आधुनिकता एवं भारतीयता का बाना पहनाने का कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से ही संभव हुआ था। वे स्वतंत्रता, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म तथा शिक्षा के भारतीयकरण के प्रणेता थे। वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नायक थे और विदेशी धर्म तथा विदेशी राज्य की दासता के प्रति घोर विद्रोही थे। सत्यार्थप्रकाश में स्वामीजी ने राजनीति की विशद व्याख्या<sup>12</sup> प्रस्तुत कर आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को अपने अतीव मौलिक विचारों से समृद्ध किया है। राजनीतिक चेतना के अप्रदूत होने के साथ ही साथ वे सामाजिक क्रांति के भी सूत्रधार थे। समाज सुधार की दृष्टि से उन्होंने जातिप्रथा-विरोध, विधवा-विवाह समर्थन तथा हरिजनोद्धार का प्रगतिशील कार्य किया। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति को ईसाइयत तथा इस्लामी धर्मों का सामना करने को सामर्थ्य दी। उनके 'शुद्धि' कार्यक्रम से ईसाई मिशनरियों तथा कठमुस्लामों के हौसले पस्त हो गये।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतन में उग्र राष्ट्रवाद का समावेश किया। उनका ध्येय भारतीयों के मानस में आत्मविश्वास उत्पन्न करना था ताकि वे स्वतंत्रता का वरण कर सकें। वे विप्लववाद के प्रेरणा स्रोत थे। भारत के सहस्रों क्रांतिकारियों ने उनके भाषणों तथा लेखों को अपना प्रकाश स्तंभ बना रखा था। उन्होंने वेदान्त तथा उपनिषद् के दार्शनिक तत्त्वों को साधारण जनता तक पहुंचाया तथा भारतीय संस्कृति के भग्न स्तंभों का नवीनीकरण किया। उनका राजनीतिक चक्र का सिद्धांत<sup>13</sup> भारत की भावी समाजवादी व्यवस्था एवं दलित-वर्ग के शासन का पूर्वभास था। वे दरिद्रनारायण के उपासक थे। उनके प्रयत्नों से प्रथम बार भारतीय श्रेष्ठ तथा अभिजात्य वर्ग को दखिभारत की सेवा का आधुनिक

संदेश प्राप्त हुआ ।

श्रीमती एनी बेसेन्ट ने थियोसोफिकल सोसायटी द्वारा भारत के प्राचीन गौरव एवं सम्मान का भाव भारतीयों में जाग्रत किया । पाश्चात्य सभ्यता एवं साहित्य की अंधभक्ति द्वारा भारतीयों में अपनी नास्फुतिक घरोहर के प्रति जो ग्लानि एवं अचेष्टा उत्पन्न हो गयी थी उसको श्रीमती बेसेन्ट ने दूर कर सनातन हिंदू-मिथ्यातों में अपनी तथा देशविदेश के सहस्रों नरनारियों की निष्ठा उत्पन्न की । अघ्यात्म के साथ साथ राजनीति में भी उनका पूरा सहयोग रहा । उन्होंने स्वराज्य का प्रायोगिक पक्ष अपने होम-रूल आंदोलन के माध्यम से प्रस्तुत किया । भारतीय स्वाधीनता के समर्थन एवं सनातन धर्म के उत्थान में उन्होंने अपना सर्वस्व भारत को अर्पित कर दिया ।

दूसरी विचारधारा में आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के उन विचारकों को सम्मिलित किया गया है जो उदारवादी अथवा मितवादी विचारों के हैं । इनमें दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनिवास शास्त्री आदि प्रमुख हैं । इन विचारकों ने संविधानवाद, संसदीय लोकतंत्र, स्थानीय स्व-शासन, प्रशासनिक सुधार एवं सेवाओं के भारतीयकरण के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किये । इनमें से कतिपय विचारक स्वराज्य के पक्षधर तथा अंग्रेजों की शोषणनीति के विरोधी थे । प्रमुखतः उदारवादियों ने राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में आर्थिक तथा औद्योगिक मंपन्नता, स्वावलंबन और स्वशासन पर विचार प्रस्तुत किये । वे शिक्षा का पाश्चात्य आधार ग्रहण कर भारतीय शिक्षा-व्यवस्था को भी उसी ढांचे में ढालना चाहते थे । इनके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों ने भावी राजनीतिक कार्यक्रम की नींव रखी । वे स्वयं जनमानस को उतना अधिक प्रभावित नहीं कर सके, जितना उप्रवादियों ने किया । इसका एक कारण यह था कि वे सरकार के अधिक निकट तथा जनता से अधिक दूर थे ।

आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की तृतीय विचारधारा के अंतर्गत उप्रवाद अथवा अमितवाद का अध्ययन किया जाता है । उप्रवादी विचारकों में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, बिपिन चन्द्र पाल तथा अरविंद घोष का योगदान उल्लेखनीय है । उन्होंने बहिष्कार, स्वराज्य, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम प्रस्तुत किये । राष्ट्रवादी चिंतन को आध्यात्मिक आयाम प्रदान कर उप्रवादियों ने भारतीय जनसमुदाय में नवीन चेतना का संचार किया । निष्क्रिय प्रतिरोध का इनका विचार एक क्रांतिकारी प्रयोग सिद्ध हुआ । अंग्रेजी राज को चुनौती देने में इस विचार का अत्यधिक महत्त्व रहा, क्योंकि इस विचार के प्रभाव से भारतीय जनता में निर्भयता एवं देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने की इच्छा बलवती हुई । इनके विचारों ने नवयुवकों तथा विप्लववादियों को अत्यधिक प्रेरणा दी । इनका दृष्टिकोण स्वदेशी था । पर वे पाश्चात्य ज्ञान एवं शिक्षा के विरोधी नहीं थे । वे आधुनिकता के लिए हर प्रकार का ज्ञान-विज्ञान पश्चिम से ग्रहण करने के लिए उद्यत थे, किन्तु माय हो साथ अपनी संस्कृति, भाषा एवं प्राचीन गौरव को त्यागना नहीं चाहते थे । स्वराज्य प्राप्ति इनका मूल लक्ष्य था । इनके विचारों में समाजवाद, पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, तथा अंतःराष्ट्रवाद का नीरक्षीरविवेकी विश्लेषण मिलता है । विशेषतः लाला लाजपतराय के समाजवाद तथा श्रमिक संगठनों से संबंधित विचार एवं साम्यवाद के प्रति उनके उद्गार<sup>14</sup> आज भी उनकी दूरदर्शिता, राजनीतिक दक्षता एवं विद्वत्ता की याद दिलाते हैं । सामाजिक क्षेत्र में इनके द्वारा किये



संस्थागत आधार प्रदान किया ताकि भविष्य की पीढ़ियां उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। यह दूरदर्शितापूर्ण कार्य था। आज भी ब्रह्मसमाज, धर्म समाज, रामकृष्ण मिशन तथा पियोसोफिकल सोसायटी का कार्य अपने संस्थापकों की नीति के अनुसार यदकिञ्चित् परिवर्तन के साथ चल रहा है।

राजा राममोहनराय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने जाति-पांति के भेद को दूर करने के कार्य के साथ एकेश्वरवाद का समर्थन एवं मूर्तिपूजा का घण्टन भी किया। ब्रह्मसमाज ने व्याप्त धार्मिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह का ऋडा फहराया। राय के प्रथम प्रयत्नों से सती-प्रथा समाप्त हुई। वे मात्र धर्म-सुधारक प्रथवा सामाजोद्धारक ही नहीं थे बल्कि पत्रकारिता एवं प्रबंधरचना द्वारा राजनीतिक कार्यक्रम का श्रीगणेश करने वाले भी थे। संसदीय लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पाश्चात्य शिक्षा का वरण एवं न्यायिक तथा प्रशासनिक सुधारों के समर्थन में उन्होंने अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये। उनका राजनीतिक तथा सामाजिक लक्ष्य भारतीयों में आत्मसम्मान एवं जागृति का संचार करना था। इसी कारण से उन्हें प्राधुनिक भारत का 'जनक' भी कहा जाता है।

धर्म एवं समाज-सुधार आंदोलन के अध्ययन में दूसरा प्रमुख नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अपने गहन संस्कृत-ज्ञान द्वारा उन्होंने वेदों की पुनः प्रतिष्ठा की तथा जनमानस में भारतीय संस्कृति, धर्म तथा प्राचीन साहित्य के महत्त्व को संस्थापित किया। व्याप्त हीनता की भावना को दूर कर स्वामीजी ने भारतीयों में पौरुष का संचार किया। धर्मसमाज-आन्दोलन केवल धार्मिक प्रथवा सामाजिक आंदोलन ही नहीं था बल्कि यह एक राजनीतिक आंदोलन भी था जिसने अंग्रेजी शासन को अतंकित कर दिया था। भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को प्राधुनिकता एवं भारतीयता का बाना पहनाने का कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से ही संभव हुआ था। वे स्वतंत्रता, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म तथा शिक्षा के भारतीयकरण के प्रणेता थे। वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नायक थे और विदेशी धर्म तथा विदेशी राज्य की दासता के प्रति घोर विद्रोही थे। सत्यार्थप्रकाश में स्वामीजी ने राजनीति की विशद व्याख्या<sup>12</sup> प्रस्तुत कर प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को अपने अतीव मौलिक विचारों से समृद्ध किया है। राजनीतिक चेतना के अप्रदूत होने के साथ ही साथ वे सामाजिक क्रांति के भी सूत्रधार थे। समाज सुधार की दृष्टि से उन्होंने जातिप्रथा-विरोध, विधवा-विवाह समर्थन तथा हरिजनोद्धार का प्रगतिशील कार्य किया। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति को ईसाइयत तथा इस्लामी चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य दी। उनके 'शुद्धि' कार्यक्रम से ईसाई मिशनरियों तथा कठमुस्लामों के हौसले पस्त हो गये।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतन में उग्र राष्ट्रवाद का समावेश किया। उनका ध्येय भारतीयों के मानस में आत्मविश्वास उत्पन्न करना था ताकि वे स्वतंत्रता का वरण कर सकें। वे विप्लववाद के प्रेरणा स्रोत थे। भारत के सहस्रों क्रांतिकारियों ने उनके भाषणों तथा लेखों को अपना प्रकाश स्तंभ बना रखा था। उन्होंने वेदान्त तथा उपनिषद् के दार्शनिक तत्त्वों को साधारण जनता तक पहुंचाया तथा भारतीय संस्कृति के भग्न स्तंभों का नवीनीकरण किया। उनका राजनीतिक चक्र का सिद्धांत<sup>13</sup> भारत की भावी समाजवादी व्यवस्था एवं दलित-वर्ग के शासन का पूर्वाभास था। वे दरिद्रनारायण के उपासक थे। उनके प्रयत्नों से प्रथम बार भारतीय श्रेष्ठ तथा अभिजात्य वर्ग को दरिद्रभारत की सेवा का प्राधुनिक

संदेश प्राप्त हुआ ।

श्रीमती एनी बेसेन्ट ने थियोसोफिकल सोसायटी द्वारा भारत के प्राचीन गौरव एवं सम्मान का भाव भारतीयों में जाग्रत किया । पाश्चात्य सभ्यता एवं साहित्य की अंधभक्ति द्वारा भारतीयों में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जो ग्लानि एवं अचेष्टा उत्पन्न हो गयी थी उसको श्रीमती बेसेन्ट ने दूर कर सनातन हिंदू-मिथ्यातंत्रों में अपनी तथा देशविदेश के सहस्रों नरनारियों की निष्ठा उत्पन्न की । अध्यात्म के साथ साथ राजनीति में भी उनका पूरा सहयोग रहा । उन्होंने स्वराज्य का प्रायोगिक पक्ष अपने होम-रूल आंदोलन के माध्यम से प्रस्तुत किया । भारतीय स्वाधीनता के समर्थन एवं सनातन धर्म के उत्थान में उन्होंने अपना सर्वस्व भारत को अर्पित कर दिया ।

दूसरी विचारधारा में आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के उन विचारकों को सम्मिलित किया गया है जो उदारवादी अथवा मितवादी विचारों के हैं । इनमें दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनिवास शास्त्री आदि प्रमुख हैं । इन विचारकों ने संविधानवाद, संसदीय लोकतंत्र, स्थानीय स्व-शासन, प्रशासनिक सुधार एवं सेवाओं के भारतीयकरण के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किये । इनमें से कतिपय विचारक स्वराज्य के पक्षधर तथा अंग्रेजों की शोषणनीति के विरोधी थे । प्रमुखतः उदारवादियों ने राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में आर्थिक तथा औद्योगिक संपन्नता, स्वावलंबन और स्वशासन पर विचार प्रस्तुत किये । वे शिक्षा का पाश्चात्य आधार ग्रहण कर भारतीय शिक्षा-व्यवस्था को भी उसी ढांचे में ढालना चाहते थे । इनके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों ने भावी राजनीतिक कार्यक्रम की नींव रखी । वे स्वयं जनमानस को उतना अधिक प्रभावित नहीं कर सके, जितना उग्रवादियों ने किया । इसका एक कारण यह था कि वे सरकार के अधिक निकट तथा जनता से अधिक दूर थे ।

आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की तृतीय विचारधारा के अंतर्गत उग्रवाद अथवा अमितवाद का अध्ययन किया जाता है । उग्रवादी विचारकों में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, बिपिन चन्द्र पाल तथा अरविंद घोष का योगदान उल्लेखनीय है । इन्होंने बहिष्कार, स्वराज्य, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम प्रस्तुत किये । राष्ट्रवादी चिंतन को आध्यात्मिक आयाम प्रदान कर उग्रवादियों ने भारतीय जनसमुदाय में नवीन चेतना का संचार किया । निष्क्रिय प्रतिरोध का इनका विचार एक क्रांतिकारी प्रयोग सिद्ध हुआ । अंग्रेजी राज को चुनौती देने में इस विचार का अत्यधिक महत्त्व रहा, क्योंकि इस विचार के प्रभाव से भारतीय जनता में निर्भयता एवं देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने की इच्छा बलवती हुई । इनके विचारों ने नवयुवकों तथा विप्लववादियों को अत्यधिक प्रेरणा दी । इनका दृष्टिकोण स्वदेशी था । पर वे पाश्चात्य ज्ञान एवं शिक्षा के विरोधी नहीं थे । वे आधुनिकता के लिए हर प्रकार का ज्ञान-विज्ञान पश्चिम से ग्रहण करने के लिए उद्यत थे, किन्तु माय ही साथ अपनी संस्कृति, भाषा एवं प्राचीन गौरव को त्यागना नहीं चाहते थे । स्वराज्य प्राप्ति इनका मूल लक्ष्य था । इनके विचारों में समाजवाद, पूजावाद, साम्राज्यवाद, तथा अंतःराष्ट्रवाद का नीरक्षीरविवेकी विश्लेषण मिलता है । विशेषतः लाला लाजपतराय के ममाजवाद तथा श्रमिक संगठनों से संबंधित विचार एवं साम्यवाद के प्रति उनके उद्गार<sup>14</sup> आज भी उनकी दूरदर्शिता, राजनीतिक दक्षता एवं विद्वत्ता की याद दिलाते हैं । सामाजिक क्षेत्र में इनके द्वारा किये

गये कार्यों ने महात्मा गांधी को भी प्रेरित किया था ।

आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की चौथी विचारधारा धर्म तथा राजनीति के गठबंधन की ओर इंगित करती है । अंग्रेजी कूटनीति ने जिस सांप्रदायिक त्रिकोण की स्थापना कर हिंदुओं तथा मुसलमानों में फूट डालने में सफलता प्राप्त की, वही नीति धर्म तथा राजनीति को संयुक्त करने वाले चिंतन के लिए उत्तरदायी बनी । मुस्लिम लीग की स्थापना ने तथा मिटो-मोल्ले सुधारों ने मुसलमानों को संगठित हो धाक्रामक रवैया अपनाने के लिए प्रेरित किया । इसकी प्रतिक्रिया में हिन्दु-मानस में भी जोश आया । हिन्दू-विचारधारा के समर्थकों ने प्राचीन सांस्कृतिक गौरव, भारत के विशिष्ट दर्शन तथा मानवीय प्रयुद्धता का संदेश अपने सहधर्मियों को देकर भावी संकट तथा विघटनकारी सांप्रदायिक तत्त्वों के प्रति उन्हें सजग किया । जहाँ हिन्दु-विचारधारा विशुद्ध रूप से भारतीय थी, क्योंकि भारत के बाहर न तो कोई उसका प्रेरणा-स्थल था न विश्राम-स्थल ही, वहाँ मुस्लिम विचारधारा ने बाह्य स्थलों एवं तत्त्वों से प्रेरणा प्राप्त की और सदैव भारत से अपने आपको पृथक् माना । यह पृथक्तावादी नीति अंत में भारत-विभाजन का कारण बनी । चिंतन की इस धारा के प्रमुख हिन्दू विचारक विनायक दामोदर सावरकर हैं, जिन्होंने हिन्दुत्व<sup>15</sup> के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । वे उन विचारकों में से थे, जिन्होंने सन् 1857 के संग्राम को भारत के प्रथम स्वातंत्र्य-संग्राम की संज्ञा दी थी । अन्य अनेक विचारकों ने भी हिन्दू-धर्म तथा संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों पर आश्रित हिन्दू-राष्ट्र की भावना को प्रचारित किया । मुस्लिम विचारकों में सयद अहमद खां, इकबाल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक् राष्ट्र तथा पृथक् राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को भ्रष्ट करने का प्रयास किया ।

आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की पांचवी विचारधारा समन्वयवादी है । इस धारा के प्रमुख विचारक अरविंद घोष, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू हैं । इनके विचारों में उदारवाद तथा उग्रवाद का सम्यक संमिश्रण हुआ है । ये पूर्व तथा पश्चिम की वैचारिक संघि के परिचायक हैं । मानव गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शोषण का विरोध, विश्वबंधुत्व, धार्मिक सहिष्णुता आदि विचारों से इन चिंतकों ने भारत को नवीन दिशा दी । अरविंद घोष ने अपने पूर्ण आध्यात्मिक जीवन में, जो कि उन्होंने पांडिचेरी में सन् 1910 में प्रारंभ किया, मानव-कल्याण के अभूतपूर्व विचार प्रकट किये । भारतीय दर्शन को पश्चात्य वैज्ञानिक चिंतन से जोड़ने का उनका प्रयास अतुलनीय था । वे विश्वराज्य की स्थापना के पूर्वदृष्टा थे ।<sup>16</sup> इसी प्रकार रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता को सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का पूर्वगामी माना ।<sup>17</sup> वे राष्ट्रवाद के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि उनके मतानुसार विश्वबंधुत्व तथा विश्व-मानव का विचार पश्चिमी राष्ट्रवाद के रहते साकार नहीं हो सकता ।<sup>18</sup> उन्होंने अराष्ट्रवाद के माध्यम से विश्व-मानव की प्रतिष्ठा स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया । महात्मा गांधी ने आधुनिक भारतीय चिंतन को अहिंसा, सत्याग्रह तथा असहयोग का कार्यक्रम देकर न केवल भारत अपितु विश्वचिंतन में अपना अनूठा स्थान बना लिया है । धर्म तथा राजनीति का समुचित संमिश्रण, साधन तथा साध्य का सम्यक् संबंध, पूंजीवाद का न्यासकारिता के सिद्धान्त द्वारा शमन, सत्ता का विकेन्द्रीकरण, ग्राम-स्वराज आदि महात्मा गांधी के ऐसे विचार थे; जिन्होंने आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं

राजनीतिक चिंतन को गरिमा एवं विश्वप्रियता प्रदान की। सामाजिक दृष्टि से हरिजनोद्धार का कार्य निष्पक्ष सामाजिक न्याय का प्रतीक था। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद के दुर्गुणों को शांतिपूर्ण ढंग से दूर करने का उनका उपचार साम्यवादी वर्ग-संघर्ष से बचने का एकमात्र उपाय है। गांधीजी के राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर पाश्चात्य प्रभाव अधिक था। वे अत्यधिक आदर्शवादी थे। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के अनन्य उपासक के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद का आघार प्रस्तुत किया। वे अंतर्राष्ट्रवाद, मानववाद, धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा संसदीय लोकतंत्र के समर्थ विचारक हैं।

चिंतन की छठी विचारधारा मानववाद, समाजवाद तथा सर्वोदयवाद से संबंधित है। इसमें मानवेन्द्र नाथ राय का नव-मानववाद अथवा वैज्ञानिक मानववाद, की विचारधारा, आचार्य नरेन्द्र देव, डा. राममनोहर लोहिया, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण आदि समाजवादी नेताओं के विचार एवं विनोबा भावे का भूदान कार्यक्रम सम्मिलित हैं। सर्वोदय से संबंधित विचारकों ने भी भारतीय चिंतन में 'दलविहीन लोकतंत्र', जैसे विचारों का समावेश किया। उपर्युक्त विचारकों में मानवेन्द्र नाथ राय, आचार्य नरेन्द्रदेव तथा विनोबा भावे का विशिष्ट स्थान है। मानवेन्द्र नाथ राय की मौलिकता नव-मानववाद की स्थापना में तथा साम्यवाद की कटु आलोचना में परिलक्षित होती है। राय पहले लेखक हैं जिन्होंने आधुनिक भारतीय चिंतन की माक्सवादी व्याख्या प्रस्तुत की है।<sup>19</sup> आचार्य नरेन्द्र देव ने समाजवाद को भारतीय परिवेश में अंगीकृत करने के लिए वैचारिक एवं व्यावहारिक साधन जुटाये।<sup>20</sup> विनोबा भावे ने गांधीजी के विचारों को मूर्तरूप देनेका सफल प्रयोग किया है। उनका भूदान-कार्यक्रम इसी उद्देश्य से परिचालित है।

आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के वैचारिक प्रवाह ने अनेक अवधारणाओं को जन्म दिया है। इन अवधारणाओं के अध्ययन के बिना भारतीय चिंतन के मर्मस्थल तक पहुँचना संभव नहीं है। स्वराज्य, राष्ट्रवाद, न्यासकारिता, विकेंद्रीकरण, सत्याग्रह, संप्रदायवाद आदि ऐसी अवधारणाएँ हैं, जिनके माध्यम से आधुनिक भारतीय चिंतन को विशेष अर्थ प्राप्त हुए हैं।

### आधुनिक भारतीय चिंतन पर पाश्चात्य प्रभाव का सकारात्मक पक्ष

आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के विकास एवं नवीनीकरण में पाश्चात्य शिक्षा एवं दर्शन का भी योगदान रहा है। पाश्चात्य प्रभाव का मूल कारण भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना है। अंग्रेजों ने कूटनीति, सफल रणनीति एवं भारतीयों की दुर्बलता का लाभ उठाकर अपना शासन यहाँ स्थापित किया था। उनके शासन में चाहे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रहा हो अथवा अंग्रेजी सम्राट् के अंतर्गत, भारतीयों का मनोबल गिराने के समस्त साधन काम में लाये गये। अंग्रेजों की दुरंगी नीति एवं उनके द्वारा किये गये अत्याचारों ने भारतीयों के मन में घृणा का भाव उत्पन्न किया, किन्तु साथ ही साथ उनके प्रति द्यवत इस घृणा ने आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को प्रेरणा भी दी। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के अग्रगामी प्रणेता अधिकतर अंग्रेजी शिक्षा, साहित्य एवं इतिहास से प्रभावित थे। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ उन्हें अन्य पाश्चात्य देशों की भाषा, साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति को

जानने का भवसर भी प्राप्त हुआ। पाश्चात्य शिक्षा ने उनके मानसिक स्तर को विस्तृत एवं उदार बनाया। उन्होंने अंग्रेजों की संसदात्मक व्यवस्था, विधि के शासन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति को आत्मसात् किया। वे फ्रांस की राज्यक्रांति से भी प्रेरित हुए। अमेरिका की स्वतंत्रता ने उन्हें नवीन दृष्टि प्रदान की। वे रूस की साम्यवादी क्रांति से लाभान्वित हुए। आयरलैंड के गृहयुद्ध ने उन्हें अपने स्वराज की प्राप्ति के लिए उकसाया। उन्होंने मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्क, गैरीवाल्डी, केप्लर, मैजिनी, रूसो, वाट्टेयर, नीत्शे, कार्लमार्क्स, लेनिन, टालस्टाय, थोरो आदि को पढ़ा और उनसे प्रभावित हुए। फलतः उनके द्वारा राजनीतिक सुधारों की मांग प्रस्तुत की गई। शनैः शनैः यह मांग स्वराज एवं पूर्ण स्वतंत्रता में परिणत हो गई।

अंग्रेजी शासन ने भारत को एकता के सूत्र में बांधकर भावी राष्ट्रीय जागृति का मार्ग प्रशस्त किया। समस्त भारत को एक ही प्रशासनिक एवं न्यायिक सूत्र में बांधा गया। प्रशासनिक दक्षता एवं न्यायिक सुधारों के द्वारा शांति एवं व्यवस्था स्थापित की गई। सेना को संगठित कर भारत की रक्षा-व्यवस्था को एक ओर सबल किया गया तो दूसरी ओर भारतीय सैनिकों को आधुनिकतम हथियारों तथा सैन्यनीति से परिचित करामा गया। भूमि सुधारों तथा राजस्व की पुनर्गठित व्यवस्था स्थापित की गई। किन्तु भारतीयों का शोषण निरन्तर होता रहा। भारत को आर्थिक दुर्दशा, जो कृषि, कुटीर-उद्योगों एवं व्यवसायों को गिरी हुई स्थितियों से उत्पन्न हुई, अंग्रेजी व्यापार नीति का ही कारण थी। भारत को आर्थिक दृष्टि से छोड़ला कर अंग्रेजों ने अपने व्यवसाय, विदेशी व्यापार तथा साम्राज्यवाद का विस्तार किया। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति भारतीयों के छून और पत्तियों की गाढ़ी कमाई हथिया कर, अंग्रेजों ने, की थी। भारत की सम्यता एवं संस्कृति को हमेशा के लिए धुन लगा कर उन्होंने भारत का बहुत अहित किया।

दूसरी ओर पाश्चात्य विद्वानों ने जिनमें अंग्रेज, फ्रांसीसी तथा जर्मन आदि विद्वान सम्मिलित थे, भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक गौरव को हमारे सामने प्रस्तुत किया। वेदों की गरिमा, उपनिषदों का महत्व, हमारे पौराणिक ग्रंथों का योगदान, हमारी प्राच्य विद्याएँ, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की सिंधु सम्यता का उत्खनन एवं रहस्योद्घाटन, अजंता आदि गुफाओं की खोज आदि कार्य करके उन्होंने हमें स्वयं के बारे में व्याप्त अज्ञानता के तिमिर में से बाहर निकाल कर नवीन प्रकाश दिखाया। अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में भारत का पुनरुत्थान इसी का परिणाम था। यदि भारतीय साहित्यिक तथा सांस्कृतिक धरोहर के सम्बन्ध में यह जानकारी उस समय प्राप्त नहीं हुई होती, तो हमारे आधुनिक राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन को राष्ट्रवादी विचारधारा का वह उफान देखने को न मिलता जो अन्यथा दृष्टिगोचर होता है।

सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी भारत ने पाश्चात्य प्रभाव में अपनी जातिगत एवं धर्मगत बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है। आज के आधुनिक भारतीय सामाजिक चिंतन में हरिजन, दलित एवं पिछड़ी जातियों को अन्य भारतीय जन के समान गौरव एवं सम्मान का पद प्राप्त हुआ है। अतर्जातीय विवाह, धार्मिक सहिष्णुता, अंधविश्वासों की कमी के कारण हमारी सामाजिक चेतना में अभिवृद्धि हुई है। इसी प्रकार आर्थिक चिंतन के क्षेत्र में भी भारत ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त करने, गरीबी दूर करने, पूँजीवाद एवं सामंतवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। हमारा आर्थिक

नियोजन इसका द्योतक है। इस प्रकार पाश्चात्य प्रभाव के दूरगामी परिणाम हुए हैं।

राजनीति आर्थिक एवम् सामाजिक परिवर्तन का आधुनिक माध्यम रही है। राजनीतिज्ञ जो कि राज्य में नवीन विचारों के संदेशवाहक होते हैं बाह्य प्रभावों को आत्मसात् किये बिना नहीं रहते। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा समाजवाद ऐसे विचार हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को नयी दिशा दी है और इनसे राजकीय संरक्षण में अथवा उससे भिन्न सामाजिक व्यवहार को परिवर्तित करने के सुधारवादी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सफलता मिली है। राजनीतिज्ञ विचार तथा व्यवहार में सेतु का कार्य करते हैं। उन्हे समाज को नवीन विचारों के अनुरूप ढालना होता है और वे स्वयं समाज की मान्यताओं के अपने विचारों के माध्यम से प्रतिबिम्बित करते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक भारतीय राजनीतिक एवम् सामाजिक चिन्तन वस्तुतः उन राजनीतिज्ञ विचारकों का चिन्तन था जो कर्म के धनी थे। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय विचारकों ने नवीन भारतीय समाज के सृजन के लिए आर्थिक एवम् राजनीतिक आधार प्रस्तुत किये। वे पाश्चात्य प्रभाव से अछूते नहीं थे और ब्रिटेन के अधीन होने के कारण भारतीय चिन्तन पर ब्रिटेन का सर्वाधिक प्रभाव रहा। कानून, शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह प्रभाव सर्वाधिक रहा। भारत में विधि के शासन की स्थापना अंग्रेजी राज्य का परिणाम थी। अंग्रेजों ने हमारी विधि संबंधी मान्यताओं को संहिताबद्ध किया क्योंकि हिन्दू धर्म में विधि का आधार वर्ण-व्यवस्था थी जो भेदभाव की मूलक थी। न केवल हिन्दू कानून में अपितु मुस्लिम कानून में भी संकीर्णता थी। अतः पाश्चात्य प्रभाव के अन्तर्गत विधि के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। कानून के समक्ष सभी की समानता का आदर्श भारत के लिए नवीन था। यद्यपि न्यायिक पद्धति एवम् प्रशासन में अनेक कमियाँ थी किन्तु न्याय के समक्ष समानता का आदर्श दोष रहित था।

जिन अवधारणाओं पर पाश्चात्य प्रभाव सर्वाधिक मुखर है, वे निम्नलिखित हैं:—

### राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद :

भारतीय चिन्तन पर राष्ट्रवाद का प्रभाव जे. एस. मिल के विचारों का प्रतिफल था। रेनान ने भारत के उग्र राष्ट्रवाद को प्रेरित किया जो आगे जा कर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के रूप में प्रकट हुआ। श्रीअरविन्द ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिकता का बाना पहनाया। सावरकर तथा जिन्ना ने उपराष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया और जिन्ना ने तो द्विराष्ट्रवाद की स्थापना भी कर दी। राष्ट्रवाद के इन सभी उदाहरणों में पाश्चात्य देशों से कम-अधिक भाषा में प्रेरणा प्राप्त की गई थी किन्तु पाश्चात्य प्रभाव का एक और भी पक्ष हमारे सामने रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विचारों के रूप में सामने आया जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद की कमियों के प्रति हमारा ध्यान आर्किपत किया। वे एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धान्त को उचित नहीं मानते थे। मिल ने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धान्त को माना किन्तु लार्ड एक्टन ने बहुराष्ट्रीय राज्य की विचारधारा प्रस्तुत की। भारत में मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के पृथक् राज्य की मांग को मिल के विचारों के अनुरूप प्रस्तुत किया तो डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने लोर्ड एक्टन के विचारों के अनुरूप बहुराष्ट्रीय राज्य की स्थापना की बात कही। इकबाल ने रेनान की दुहाई देकर मुसलमानों के लिए पृथक् राज्य की मांग प्रस्तुत की जबकि राजेन्द्र प्रसाद ने मैकार्ठनी, फ्रीडेम तथा कोवेन के विचारों को

प्रस्तुत कर राष्ट्रीय मूल्यसंघर्षों को बहुराष्ट्रीय राज्य के अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार देने का विचार प्रस्तुत किया। उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय चिन्तकों पर पाश्चात्य राजनीतिक प्रभाव पड़ा था। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भारतीय राजनीतिक चिन्तकों की अपनी मौलिक विचार-धारा नहीं थी। चितरंजन दास ने राष्ट्रवाद के प्रवाह में बहने के बजाय मानवता के संघ को स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया जिसमें राष्ट्र को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया था। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद को आधुनिक राष्ट्रों की स्वार्थपरायण नीति पर आधारित न कर उसे ऐसे मानवतावाद पर आधारित किया जो अन्तर्राष्ट्रवाद के निकट था। सुभाषचन्द्र बोस तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर दोनों ही संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोधी थे। श्रीभरविन्द ने मानव एकता का संदेश देकर राष्ट्रीय राज्यों की अपूर्णता का बोध कराया। वे ऐसे मानव-धर्म की बात कर रहे थे जो विश्व-संगठन की स्थापना कर सके और जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्रीयताएं मिलकर एक महासंघ का निर्माण करें। इस प्रकार से समाज में राज्य की स्थिति को लेकर जो विभिन्न विचार प्रस्तुत किये गये, वे पाश्चात्य प्रभाव से प्रेरित होकर भारतीयता में पूर्णतया आत्मसात् कर लिये गये। भारतीय राजनीतिक विचारकों ने अपने मौलिक विचारों को पाश्चात्य विचारों के संदर्भ में धीरे धीरे अधिक परिष्कृत किया और अपने मौलिक विचारों से चिन्तन के क्षेत्र को लाभान्वित किया।

### राज्य का उद्देश्य

राज्य के उद्देश्य एवम् लक्ष्य के संबंध में आधुनिक भारतीय सामाजिक एवम् राजनीतिक चिन्तकों ने पाश्चात्य विचारकों के प्रभाव में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बैयम तथा मिल ने उपयोगितावाद को पाश्चात्य जगत में सर्वाधिक लोकप्रिय बना दिया था। किन्तु तिलक तथा गांधी ने उपयोगितावाद का खंडन किया और यह व्यक्त किया कि संस्थात्मक आधार पर नैतिकता को नहीं मांका जा सकता। वे अधिक से अधिक धर्मियों के अधिकतम मूल्य के विचार को तर्कसंगत नहीं मानते थे। गांधीजी ने भी उपयोगितावाद को राज्य का लक्ष्य स्वीकार नहीं किया। वे सभी के कल्याण की कामना करते हुए सर्वोदय के पक्षपाती थे। उन्होंने सर्वोदय विचार धारा के अन्तर्गत भौतिक सुख को अधिक महत्त्व नहीं दिया। वे मूल्यसंघर्षों की बहुसंघर्षों के समान स्तर पर रखना चाहते थे। उनका अहिंसा संबंधी विचार भी उपयोगितावाद का खंडन करता था। तिलक तथा गांधी दोनों ही पाश्चात्य एवम् प्राच्य प्रभावों से युक्त थे। तिलक ने मिल, ग्रीन तथा कान्ट के विचारों को अपने लेखों में उद्धरित किया जबकि गांधीजी ने रस्किन, थोरू तथा टॉलस्टाय के विचारों से प्रेरणा ली। फिर भी तिलक तथा गांधी ने अपनी मौलिकता बनाये रखी।

### राज्य का कार्यक्षेत्र

राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, गांधीजी तथा राजगोपालाचार्य ने इस विचार का समर्थन किया है कि भारत जैसे अधिकसंघर्ष राज्य के लिए कम से कम शासन करने वाली सरकार ही श्रेयस्कर है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने राज्य तथा समाज के उत्तरदायित्वों के संदर्भ में समाज की राज्य पर कम से कम निर्भरता सिद्ध करने का प्रयास किया। गांधीजी ने स्वशासन को राष्ट्रीय तथा विदेशी दोनों प्रकार की सरकारों से स्वतंत्र होने का मार्ग बतलाया। गांधीजी राज्य के कार्यों में वृद्धि की अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि

राज्य का बढ़ता हुआ प्रभाव व्यक्तित्व के लिए हानिकारक था तथा राज्य हिंसा का संगठित रूप बनकर सामने आता था। विनोबा भावे ने राज्यविहीन समाज की कल्पना की जिसमें स्वतंत्र लोकशक्ति का सृजन हो सके। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने राज्यविहीन समाज की स्थापना का समर्थन किया। वे समाज को शासन के प्रभाव से स्वतंत्र रखना चाहते थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्ष लेकर राज्य के बाध्यकारी प्रभाव तथा नौकरशाही की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को मानव स्वतंत्रता का भक्षक बतलाया। किन्तु उपरोक्त विचारक अपने विचारों को भारतीय अतीत से संबंधित नहीं कर पाये। बेनीप्रसाद के अनुसार हिन्दू राज्य दर्शन में सीमित सरकार का विचार सर्वथा लुप्त रहा। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य के कल्याणकारी कार्य को महत्त्व दिया जाता था। यद्यपि ग्राम स्वराज्य तथा आर्थिक विकेन्द्रीयकरण की पूर्ण सुविधायें उपस्थित थी परन्तु फिर भी राज्य द्वारा मनुष्य का समस्त भौतिक जीवन नियंत्रित एवम् नियमित किया जाता था। विधि की सर्वोच्चता सर्वमान्य थी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शासन के प्रति व्यक्ति की अविश्वास की भावना को महत्त्व दिया और यह माना कि व्यक्ति शासन के प्रति स्वतंत्रता का समर्पण किये बिना अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता।

### राज्य का प्रतिरोध

महात्मा गांधी ने अहिंसा तथा सत्य की अवधारणाओं पर अत्याचारी राज्य के प्रतिकार करने का मार्ग दर्शाया। वे गीता को शान्ति का संदेश देने तथा हिंसा का प्रतिकार करने की मार्गदर्शिका मानते थे। उनके सत्याग्रह संबंधी प्रयोगों पर थोरू जैसे पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव था किन्तु उन्होंने पाश्चात्य जगत में प्रचलित निष्क्रिय-प्रतिरोध के विपरीत सत्याग्रह की मौलिक धारणा को प्रस्तुत किया। गांधीजी ने सेवा तथा आत्म बलिदान को राजनीतिक पद्धति में प्रवेश देकर अहिंसा की प्राचीन धारणा को विश्व में सर्वत्र लोकप्रिय बना दिया। गांधीजी का राजनीतिक दर्शन पाश्चात्य प्रभाव से भ्रष्टा नहीं था किन्तु यह पाश्चात्य प्रभाव सीमित ही कहा जा सकता है। गांधीजी पर भारतीय दर्शन का प्रभाव अत्यन्त व्यापक था। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिन्तन में पाश्चात्य राजनीतिक विचारों तथा भारतीय दार्शनिक मूल्यों को समन्वित कर नवीन दृष्टि प्रस्तुत की। एक अर्थ में महात्मा गांधी, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, श्रीअरविन्द आदि मनीषियों ने पूर्व तथा पश्चिम के राजनीतिक चिन्तन को संश्लिष्ट विचारधारा के रूप में प्रसारित किया। यह उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण था। पाश्चात्य प्रभाव का यह अर्थ नहीं है कि हम भारतीय सामाजिक एवम् राजनीतिक चिन्तकों की मौलिकता तथा भारतीयता के उन पर पढ़नेवाले प्रभाव को दृष्टि से ओझल कर दें। कोई भी विचारक अपने इर्द-गिर्द के पर्यावरण के प्रभाव से विमुक्त नहीं हो सकता। भारतीय चिन्तन केवल कल की खोज नहीं है। सदियों से चले आ रहे अनवरत विचार प्रवाह का भारतीयों के मानस पर इतना प्रभाव अंकित रहा है कि वे मौलिक चिन्तन की क्षमता में किसी भी पाश्चात्य चिंतक से पीछे नहीं हैं।

### समाजवाद, लोकतंत्र एवम् सर्वोदय

भारतीय राजनीतिक एवम् सामाजिक चिन्तन में समाजवाद, लोकतंत्र तथा सर्वोदय की विचारधारा के उन्नायकों पर पाश्चात्य प्रभाव देखा जा सकता है। भारत में समाजवादी



चिन्तन यूरोपीय समाजवाद के कारण विकसित हुआ। भारतीय समाजवाद अपनी बौद्धिक एवम् व्यवहारिक विशेषताओं में पूर्णतया पश्चात्य समाजवाद की प्रतिकृति था। भारत में समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेन्द्रदेव, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया ने अपनी समाजवादी विचारधारा पश्चात्य चिन्तन के अनुरूप विकसित की थी। साम्यवादी तथा फेडियनवादी दोनों ही प्रकार की समाजवादी विचारधारा ने भारतीय चिन्तन को प्रभावित किया। मार्क्स, एंजल्स, वेब्स तथा बनार्ड शा सभी ने भारतीय चिन्तकों को प्रभावित किया और भारत में भावी वर्ग-संघर्ष, श्रम के सिद्धान्त, सामाजिक स्वामित्व तथा समतावादी समाज का वातावरण तैयार हुआ। पश्चात्य प्रभाव के अन्तर्गत भारत में समाजवादी चिन्तन पर विचार विकसित तो हुआ किन्तु कुछ विशिष्टताएँ इस चिन्तन में अवश्य रहीं। राम मनोहर लोहिया तथा जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद सम्बन्धी सभी पश्चात्य विचारों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने धालोचनात्मक दृष्टिकोण से केवल उन्हीं समाजवादी पश्चात्य विचारों को ग्रहण किया जिनसे भारतीय परिवेश में समाजवाद स्थापित किया जा सके और पश्चिम का अन्धानुसरण न किया जाये। उन्होंने भारतीय संदर्भ में समाजवाद को लोकप्रिय बनाया। किन्तु कुछ ऐसे भी विचारक थे जिन्होंने समाजवाद की धालोचना की। राजगोपालाचार्य ने मानवीय प्रकृति तथा राजनीतिक व्यवहार के आधार पर समाजवाद की धालोचना की। महात्मा गांधी, विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण ने पश्चात्य समाजवाद का विकल्प प्रस्तुत करते हुए सर्वोदय की विचार-धारा का प्रचार किया। सर्वोदय समाजवादी लक्ष्यों को राज्य के सामुदायिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक जीवन में प्रभावशाली बने बिना प्राप्त करने का साधन था। सर्वोदयवादी राज्य के प्रभाव को सीमित करने तथा समतावादी समाज की स्थापना करने के विचार को प्रागे बढ़ाते रहे हैं। समाजवादी चिन्तन में मानवेन्द्रनाथ राय का अपना विशिष्ट महत्व है क्योंकि उन्होंने भारत में समाजवाद को प्रारम्भिक स्तरों पर स्थापित होते हुए देखा था और स्वयं साम्यवादी विचारों से प्रोत-प्रोत होते हुए भी भारत में समाजवादी-मानवतावादी चिन्तन के प्रचारक रहे।

प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवम् राजनीतिक चिन्तन में लोकतंत्र का महत्व पश्चात्य प्रभाव से द्विगुणित हो गया है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना, स्वतंत्रता तथा समानता सम्बन्धी अधिकारों की मांग, वयस्क मताधिकार आदि पश्चात्य लोकतान्त्रिक प्रयोगों ने भारतीय चिन्तकों को अत्यधिक प्रभावित किया। जोन स्टुअर्ट मिल तथा अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की विशेषताओं का प्रतिपादन भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, डा० अम्बेडकर तथा राधाकृष्णन् ने लोकतंत्र को समाज के एक प्रकार के रूप में स्वीकार किया है न कि शासन के प्रकार के रूप में। वे समानता तथा बहुत्व पर आधारित समाज की स्थापना का विचार रखते हैं। डा० राधाकृष्णन् के अनुसार लोकतंत्र एक राजनीतिक सुविधा (वयस्क मताधिकार), एक आर्थिक पद्धति (सभी के लिए अवसरों की समानता) तथा जीवन का नैतिकमार्ग (विवेक संगतता) है। नेहरू ने लोकतंत्र का अर्थ समानता से लिया है—समानता पर आधारित समाज। भारत में लोकतंत्र को शासन के प्रकार के रूप में दीर्घकाल से स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी राज्य के अन्तर्गत भारत के शासकीय अभिजनों ने पश्चात्य लोकतान्त्रिक

संस्थाओं का भारत में अनवरत प्रयोग किया है। जायसवाल तथा जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को भारत के लिए नया नहीं माना। उनकी मान्यता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा भारत में प्राचीन समय से लोकतंत्र का प्रयोग होता रहा है। भारत में सवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना मोन्टेग की 1917 में की गई घोषणा से प्रारम्भ होकर द्वैध शासन, प्रान्तीय प्रशासन, अधिशासी स्वशासन तथा पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में पल्लवित हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात् 1950 में भारत को पूर्ण संप्रभुता सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने का कार्य भारत को पूर्णतया लोकतान्त्रिक बनाने का सफल प्रयास है। संसदीय लोकतंत्र की स्वीकृति ने आधुनिक भारत में पाश्चात्य लोकतंत्र की सार्वभौमिक मान्यताओं को पूर्णतया स्थापित किया है।

प्रो० अण्णादोराय ने आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन को पाश्चात्य राजनीतिक विचारों, भारतीय परम्परा, भारतीय पर्यावरण तथा विश्व की घटनाओं का समिश्रण बतलाया है। उनके अनुसार राजनीतिक तथा वैधिक समानता, समाजवाद तथा लोकतंत्र सम्बन्धी विचार मूलतः पाश्चात्य समाज की देन है। हमारे चिन्तकों ने जो कि भारत की आध्यात्मिक परम्पराओं में पले हुए हैं, वर्तमान भारत की आर्थिक अविकसितता के प्रति जागृत रहते हुए उन पाश्चात्य विचारों को भारत की आवश्यकता-नुसार सन्तुलित किया है। उनके अनुसार मूल प्रश्न यह है कि क्या भारतीय आवश्यकताओं तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव का समिश्रण राजनीतिक सिद्धान्तों के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर दे सका है। एक प्रश्न जो कि भारतीय चिन्तकों के समक्ष उपस्थित होता है यह है कि राजनीतिक संगठनों के उद्देश्य क्या हैं और उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? व्यक्ति अपने श्रेष्ठत्व को प्राप्त करना चाहता है किन्तु राज्य उसकी इस स्वाभाविक चेष्टा में कहां तक सहयोगी बन सकता है? राज्य की सत्ता की प्रकृति क्या है? क्या राज्य व्यक्तियों के विचारों तथा कार्यों को नियमित करने की शक्ति से सम्पन्न है? क्या व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? राज्य की सत्ता के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता का समन्वय जो कि सामाजिक हित की दृष्टि से हो राजनीतिक सिद्धान्त की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। अण्णादोराय के अनुसार हमारे देश में अभिजनों की यह एक सामान्य सर्वसम्मत धारणा है कि व्यक्ति का अन्तिम लक्ष्य व्यक्ति स्वयं है। राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का साधन है, स्वयं साध्य नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार सोचने तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के समर्थ बनाना है ताकि वह बिना किसी बाह्य नियंत्रण के अपने जीवन की नैसर्गिक ऊँचाईयों तक स्वयं पहुँच सके वशतः कि वह अपने समान अर्थों की समान स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे और अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरों की दुर्बलता का शोषण न करे। उन्होंने तीन प्रश्न अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तुत किये हैं—(1) बृहत समाज में राज्य का स्थान (2) समाजवाद का अभिप्राय तथा (3) सहायोगी लोकतंत्र की अवधारणा। सर्वप्रथम समाज में राज्य के स्थान को लेकर गांधीजी के विचारों को महत्ता दी जा सकती है। उन्होंने राज्य को सभी के कल्याण का प्रवर्तक माना है न कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिकतम सुख का। गांधीजी ने सीमित सरकार का जो विचार प्रस्तुत किया है वह एक अपूर्ण समाज की दृष्टि से ही व्यक्त किया गया है। मूलतः गांधीजी का सामाजिक भावार्थ प्रबुद्ध अराजकतावाद का प्रतीक है। इन

सन्दर्भ में जयप्रकाश नारायण, राजेन्द्रप्रसाद तथा विनोबा भावे के विचार गांधीजी के समान ही हैं। किन्तु भ्रष्टाचारी ने सैद्धान्तिक दृष्टि से इस विचार को चुनौती दी है। उनके अनुसार सामाजिक संगठन के भ्रष्टाचारीवादी विचार को कैसे भी प्रस्तुत क्यों न किया जाये, व्यक्ति जन्म से ही सामाजिकतायुक्त होने के कारण अपने हितों का सामंजस्य करते हुए संघर्ष को टालने का प्रयास करेगा। व्यक्ति स्वभाव से बिना किसी बाहरी दबाव के कानून का पालन करता है। एक बार व्यक्ति की भ्रष्टाचारी, उसको भ्राणिक असमानताएँ एवम् बाध्यकारी राज्य दूर कर दिये जाये तो सभी व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करने लगेंगे जैसे कि अधिकतर व्यक्ति आज व्यवहार करते हैं। भय इस बात का है कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी समाज में सभी उत्पन्न होगी जब व्यक्ति राज्य की व्यवस्था को ही व्यवस्था के कारण मानने लग जाये। वास्तव में व्यवस्था व्यक्ति स्वयं बनाये रखते हैं। व्यक्तियों के निजी स्वार्थों के कारण ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती अपितु समाज की भलाई के लिए कौन से विचार श्रेष्ठ है इसको लेकर भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। नागरिक नियमों का उल्लंघन तथा भ्रष्टाचारी केवल निर्धन व्यक्तियों के द्वारा ही नहीं किये जाते अपितु धनी व्यक्तियों द्वारा भी किये जाते हैं। कोई मरनिषेध का नैतिकता के आधार पर विरोध करता है तो कोई मरनिषेध को अपने हितों पर कुठाराघात करने वाला मानता है। जो गोवध-निषेध के आन्दोलन का समर्थन करते हैं और उसके लिए यातनाएँ सहन करते हैं वे समाज के लिए कौन से विचार अच्छे हैं इस दृष्टि से कुछ भिन्न विचार रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा तथा अपने विवेक के अनुसार अन्य व्यक्तियों से भिन्न विचार रख सकता है। अतः सत्य निरपेक्ष न रहकर सापेक्षता का बोध कराता है। सत्य के परस्पर विरोधी विचार ठीक उसी प्रकार से अपरिहार्य है जिस प्रकार से सामाजिक संघर्षों की स्थिति। अतः यह कहना कि राज्य तिरोहित हो जायेगा अत्यधिक आशावादी विचार है। राज्य में अनेकों कमियाँ हो सकती हैं, राज्य शक्ति का अतिरिक्त संग्रह कर सकता है और सर्वाधिकारवादी बन सकता है किन्तु निस्वार्थों द्वारा नियंत्रित भी हो सकता है। इसके निवारण का उपाय है इसको परिष्कृत करना। जनता तथा शासन दोनों को विकसित करने की आवश्यकता है न कि राज्य की कमियों के कारण राज्य का समापन। अस्तु का यह विचार कि राज्य केवल जीवन के लिए उत्पन्न हुआ है लेकिन वह जीवन को विकसित करने के लिए आज भी बना हुआ है उचित ही प्रतीत होता है। मानवीय प्रकृति संवेगों तथा विवेक की मिश्रण है। जीवन में सहकारिता की आवश्यकता है और उसके लिए शासन राज्य का क्रियात्मक रूप होने के कारण सामान्य हित में राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। शक्ति राज्य का आधार नहीं है। इच्छा, न कि शक्ति राज्य का आधार है। राज्य के कार्य परिस्थितियों की सापेक्षता की दृष्टि से देखे जाने चाहिए। सीमित सरकार का विचार भारत जैसे विकासशील देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि राज्य के द्वारा मूलभूत लोककल्याणकारी कार्य किये जाने श्रेयस्कर प्रतीत हों तो उनका स्वागत ही किया जाना चाहिए।

दूसरी समस्या है समाजवाद के अभिप्राय की। भारतीय चिन्तकों ने समाजवाद को पाश्चात्य मान्यता से भिन्न रूप में देखा है। गांधी तथा नेहरू दोनों ही राष्ट्रीयकरण की

नीति को समाजवाद का मूल तत्त्व नहीं मानते। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने राष्ट्रीयकरण की नीति को दक्षता तथा स्वतंत्रता का विरोधी माना है। इससे यह समस्या उत्पन्न होती है कि समाजवाद के दो लक्ष्य - समुचित उत्पादन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किये जा सकते। सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी व्यवसायिकों के मध्य उचित सामंजस्य के बिना समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। एक ओर भारी उद्योगों को राष्ट्रीयकृत करने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर अन्य उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र में करने की उपयुक्तता है।

तीसरी समस्या सहभागी लोकतंत्र से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण ने नागरिकों को शासन कार्य में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया है। किन्तु तिहित स्वार्थों के कारण दलीय व्यवस्था ने लोकतंत्र को पथभ्रष्ट कर दिया है। यह अशुद्ध है कि व्यक्ति शासन कार्य में रुचि ले किन्तु मूल समस्या यह है कि क्या व्यक्ति आधुनिक समय की उलझनों में ऐसा करने में समर्थ है। यद्यपि नैतिक शक्तियां लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा प्रकृति को व्यवस्थित करती हैं किन्तु व्यक्ति जब तक अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को उतार नहीं लेता तब तक नैतिक मूल्य स्वयं जीवित नहीं हो सकते। अतः व्यक्ति पर लोकतंत्र आधारित है। व्यक्ति ही लोकतंत्र की कार्य क्षमता को निर्धारित कर सकता है और लोकतंत्र को बनाये रखने में सहयोग दे सकता है।

आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र का अध्ययन करने के पश्चात् यह प्रश्न मस्तिष्क में उठना स्वाभाविक है कि चिंतन के क्षेत्र में इसका क्या योगदान एवं महत्त्व है। इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हमारे चिंतन में कितनी मौलिकता है। विशुद्ध भारतीय मूल्यों एवं अनुभवों के आधार पर जो अनुपम विचार आधुनिक भारतीय चिंतकों ने प्रस्तुत किये हैं उनकी गणना डा. अण्णादोराय ने इस प्रकार की है :

- (1) पराधीन व्यक्तियों को सरकारों को भी सहमति, न कि शक्ति, को अपनी सत्ता का आधार बनाना चाहिए।
- (2) स्व-शासन सुशासन से न केवल श्रेयस्कर ही है, अपितु सुशासन के लिये अत्यावश्यक भी है।
- (3) वांछित माध्य के लिए उचित साधनों को प्राप्त तथा ग्रहण करना चाहिए।
- (4) समाज का उद्देश्य मात्र अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख न होकर प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए।
- (5) उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छाओं का परिसीमन, न कि उनकी अनिश्चित एवं असंमित वृद्धि, आवश्यक है। इसी प्रकार न्यासवगिरिता के सिद्धांत के अनुसार घनाढ्य वर्ग को अपने अतिरिक्त धन का उपयोग दरिद्रहित में करना चाहिए।
- (6) जहाँ साधारण राजनीतिक तर्क तथा प्राग्रह-वृद्धतियां विफल हो जाती हैं, वहाँ व्यक्तिगत यातना द्वारा इच्छित शुभ-कामना एवं अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।
- (7) समाजवादी सिद्धांत को पूंजीवाद तथा साम्यवाद से अपने मूलभूत उद्देश्य

को उधार लेने के स्थान पर एक स्वशासित दिशा में राजनीतिक एवं आर्थिक विकेन्द्रीकरण प्राप्त करना चाहिए।<sup>21</sup>

उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार एक निर्धारित मार्ग पर चलना चाहता है। इस कार्य में उस देश के विचारक एवं दार्शनिक अपने चिंतन द्वारा उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत भी चिंतन के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। हमारे पूर्वज विचारकों के चिंतन पर ही स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ है। यद्यपि वर्तमान संक्रमणकाल में राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में कई ऐसे तथ्य उभर कर सामने आये हैं, जिनका भावी चिंतन को समाधान देना है। उदाहरण के लिए भारत में संसदीय लोकतंत्र की मजबूती, चुनावों में भ्रष्टाचार, भ्रष्ट एवं अव्यवस्थित नौकरशाही, नेतृत्व का अनैतिक आचरण तथा सत्ता-सौलुभता, पूंजीवादियों द्वारा शोषण, दलीय अधिनायकतंत्र, विदेशी प्रभाव में मौलिकता का ह्रास आदि ऐसी समस्याएँ हैं, जिन्होंने भारत को जर्जरित करना प्रारंभ कर दिया है। गहन अध्ययन, मनन एवं चिंतन में जन साधारण की रुचि कम होती जा रही है। जीवन का मूल लक्ष्य धन एवं पद हथियाने की प्रवृत्ति होता जा रहा है। हमें इन समस्याओं का समुचित समाधान प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन ही प्रदान कर सकेगा। इसके लिए हमें चिंतन के उन पूर्वाधारों को ध्यातमसात् करना होगा। हमारे पूर्वज विचारकों से ही हमें नई ज्योति प्राप्त हो सकती है। एक विदेशी लेखक के अनुसार भारतीय चिंतन में मनु से गांधी तक एक ही विचार सर्वव्याप्त है कि शासक की व्यक्तिगत ईमानदारी तथा नैतिक उत्तरदायित्व ही एक स्थायी शासन स्थापित कर सकते हैं। यदि राज्य में ये गुण उपलब्ध न हो तो कोई भी प्रशासनिक तकनीक अथवा संगठन की चालबाजी, संवैधानिक उपकरण अथवा संशोधन शासन को (नष्ट होने से) नहीं बचा सकते। जहाँ ये गुण विद्यमान हैं वहाँ की राजनीति में राज्य का महत्त्व द्वितीय श्रेणी का है।<sup>22</sup> निराशा होने के स्थान पर आज सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम पुनः दयानंद अथवा विवेकानंद की भाँति उठ कर एक जीवन-आदर्श प्रस्तुत करें और भारतीय चिंतन को पुनः नैतिकता एवं न्याय के पवित्र आधार पर प्रतिस्थापित करें। □ □

### टिप्पणियाँ

1. देखिये पी. एच. नरवाने, *माइन्ड इण्डियन चाँट*, (एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1970) पृष्ठ 8
2. देखिये जान आर. मेक्लेन (संपादक), *दो पोलिटिकल थिंकिंग इन इण्डिया*, (प्रिंटिस हॉल, न्यूजर्सी, 1970), पृ. 1
3. देखिये के. सन्यानम, *ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म एण्ड इण्डियन नेशनलिज्म*, (भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1972), पृ. 20
4. देखिये ताराचन्द, *हिस्ट्री ऑफ़ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया*, द्वितीय खण्ड, (पब्लिकेशन्स डिवीजन, नई दिल्ली, 1977), पृ. 96-97
5. बकिमचन्द्र चटर्जी (1838-1894) ने अपने सुप्रसिद्ध उपन्यास *आनम्बमठ* में इसी पटना को आधार बनाया है।
6. देखिये एन. एंथोलोजी ऑफ़ माइन्ड इण्डियन एलोथेन्स (भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1960), पृ. 5 पर दादा भाई नौरोजी द्वारा सन्धन में मई, 1905 में दिये गये भाषण का सम्बन्धित अंश।
7. देखिये ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म एण्ड इण्डियन नेशनलिज्म, पृ. 28

8. बी. शिवाराव ने इण्डियाज फ्रीडम मूवमेन्ट, (ओरिएंट लोगमैन, नई दिल्ली, 1972) में यह व्यक्त किया है कि भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम में अंग्रेजी शासकों के प्रति भारतीयों में नाम मात्र की घृणा थी किन्तु यह कथन तथ्य पर आधारित नहीं है। देखिए पृ. 1
9. देखिये के. सन्यायन पृ. 39
10. बी. एस. नरवाने, पृ. 17
11. ए. अम्पादोराय ने इण्डियन पोलिटिकल चिंकिंग, (आक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, मद्रास, 1971), पृ. vii-ix में इस धारणा का प्रतिपादन किया है कि चिंतकों के स्थान पर चिंतन का अध्ययन ही सागोपांग है। उनका दृष्टिकोण सकुचित है। भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का गहन अध्ययन इस तथ्य के आधार पर नहीं किया जा सकता।
12. देखिये सत्यार्थप्रकाश, (बौद्धिक यन्त्रालय, अजमेर, 1966, संस्करण 34), पृ. 128-164
13. देखिये स्वामी विवेकानन्द, माडर्न इण्डिया, (अद्वैत आश्रम, अलमोड़ा, 1956, पांचवां संस्करण), पृ. 21-75
14. देखिये लाजपतराय, बी. पोलिटिकल थिंकर आफ इण्डिया, (बी. डब्ल्यू ह्यूबश, न्यूयार्क, 1919), पृ. 206-207
15. बी. डी. सावरकर, हिन्दुत्व, (सदाशिव पेठ, पूना, 1942) पृ. 72-117
16. देखिये श्रीअरविंद, बी आइडियल आफ ह्यूमन यूनिटी, (श्री अरविंद लायब्रेरी, न्यूयार्क, 1950), पृ. 399-400
17. देखिये रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बी रिलीजन आफ मेन ( जार्ज एलन एण्ड अनविन, लन्दन, 1931), पृ. 188
18. देखिये रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नेशनलिज्म, (मेकमिलन, लन्दन, 1920), पृ. 56
19. देखिये एम. एन. रॉय, इण्डिया इन ट्रांजिशन, (जे. बी. टारगेट, ज़िनेवा, 1922),
20. नरेन्द्रदेव, सोशियलिज्म एण्ड नेशनल रेवोल्यूशन, (पन्था पब्लिकेशन, बम्बई, 1946) पृ. 77
21. अम्पादोराय, इण्डियन पोलिटिकल चिंकिंग, पृ. 151-152
22. देखिये डी. मेकेंजी ब्राउन, बी ह्यूड्रिट अम्ब्रेला-इण्डियन पोलिटिकल थिंकर, फ्रीडम मनु टू पाँचों, (जेके पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1964, भारतीय संस्करण), पृ. 161

## राजा राममोहन राय (1772-1833)

राजा राममोहन राय का जन्म 1772<sup>1</sup> में बंगाल के राधा नगर में हुआ था। उनकी मृत्यु सितम्बर 27, 1833 के दिन प्रिस्टल (इंग्लैण्ड) में हुई। राममोहन राय सदैव ईश्वरीय तत्त्व की एकता में विश्वास रखते थे। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने सर्वप्रथम विदेशी धर्मों का भारतीय धर्मों के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रारम्भ किया। वे इस्लाम, बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म तथा ईसाई धर्म के अन्वेषण करते थे। किन्तु इन सब धर्मों में से ईसाई धर्म के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। इसी कारण उन्होंने ग्रीक और हिब्रू भाषाएं सीखीं। हिन्दू-शास्त्रों का उनका ज्ञान बहुत अपर्याप्त था। उन्होंने वेदों के स्थान पर उपनिषदों को ही अपने अध्ययन का आधार बनाया था। उनका एकेण्वरवाद एवं मूर्तिपूजा-विरोधी रवैया चाहे प्रारम्भिक स्तर पर ईसाई एवं इस्लाम धर्म से प्रभावित मान लिया जाय, किन्तु अन्ततोगत्वा यह उपनिषदों का ही प्रभाव था। उन्होंने 'ब्रह्म' की महिमा पहचान कर एक अद्वैती के रूप में 'ब्रह्मसमाज' की स्थापना की थी।

सोलह वर्ष की किशोर अवस्था में उन्होंने फारसी-भाषा में मूर्ति-पूजा के विरोध में एक पुस्तिका प्रकाशित की। अपने पिता के साथ तनावपूर्ण सम्बन्धों के कारण वे घर छोड़ कर देश-भ्रमण के लिए निकल पड़े। इसी दौरान वे तिब्बत भी गये और वहाँ बौद्ध तामाग्रों के सम्पर्क में आये और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में मुर्शिदाबाद लौटे और वहाँ कई वर्षों तक ईस्ट इंडिया कम्पनी में दीवान के पद पर काम करते रहे। उस समय दीवान का पद कम्पनी-शासन की दृष्टि से किसी भारतीय को मिलने वाला सर्वोच्च पद माना जाता था क्योंकि दीवान का पद दण्डनायक, जिलाधीश एवं न्यायाधीश तीनों पदों का एकीकृत रूप था। दीवान के पद पर रहते हुए वे जॉन डिंग्बी के सम्पर्क में आये (जो उनका वरिष्ठ अधिकारी था) और इस सम्पर्क के कारण वे अंग्रेज भाषा में लिखने एवं बोलने में पारंगत हो गये। इस बीच उन्हें दस हजार रुपये वार्षिक ध्राय का कोई गुप्त स्रोत प्राप्त हुआ जिससे वे 1814 में कम्पनी की सेवा छोड़कर स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने के लिए कलकत्ता में बस गये।

राजा राममोहन राय ने धर्म-सुधार, सामाजिक पुनर्निर्माण एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम कार्य किया। बी. मजूमदार के अनुसार आधुनिक भारत में राजनीतिक चिन्तन का क्रम राजा राममोहन राय से ठीक उसी तरह प्रारम्भ होता है जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन का इतिहास अरस्तू से।<sup>2</sup> उन्होंने राजा राममोहन राय को आधुनिक राजनीतिक आन्दोलन का जनक माना है। वे सर्वप्रथम आन्दोलन के मूत्रपातकर्त्ता माने जाते हैं।





उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि भारत में ईसा के लगभग दो हजार वर्ष पूर्व से ही संवैधानिक शासन-व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें ब्राह्मणों का कार्य विधि-निर्माण करने का था तथा क्षत्रिय प्रशासक के रूप में थे। ब्राह्मणों ने विधि-निर्माण का कार्य स्वेच्छाचारिता से न करके लोकमत के आधार पर किया था। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की निरंकुशता पर भी नियन्त्रण बनाये रखा। किन्तु जैसे ही ब्राह्मणों ने पद-तोलुपंता के कारण सत्ता क्षत्रियों को समर्पित कर दी वैसे ही क्षत्रियों ने कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका-सम्बन्धी कार्य अपने हाथ में केन्द्रित कर निरंकुशता का प्रारम्भ किया। गङ्गी तथा गौरी ने राजपूतों के आन्तरिक कलह का लाभ उठा कर भारतीयों को पराधीन बना दिया। राजा राममोहन राय के अनुसार निरंकुशता के अलावा भारतीय राजाओं की आपसी फूट तथा कायरता, युद्ध-कौशल की कमी तथा जनता में देशभक्ति के अभाव ने भारत को अहिंसा के मार्ग की ओर प्रवृत्त कर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया। राजा राममोहन राय न केवल भारतीय इतिहास के ज्ञाता थे अपितु यूरोप तथा अमेरिका के इतिहास का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। उनकी समस्त रचनाओं में यह ऐतिहासिक अनुभव परिलक्षित होता है। निम्नलिखित कृतियों से उनके राजनीतिक विचारों का पता चलता है :

1. हिन्दू-उत्तराधिकार-कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर कतिपय आधुनिक अतिक्रमण सम्बन्धी संक्षिप्त टिप्पणिया (1822);
2. प्रेस-नियमन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सत्राट् को याचिका (1823);
3. अंगेजी शिक्षा पर लार्ड एम्हस्टेन के नाम एक पत्र (1823);
4. ईसाई जनता के नाम अन्तिम अपील (1823);
5. प्राचीन एवं आधुनिक सीमाओं का संक्षिप्त विवरण तथा भारत का इतिहास (1832);
6. भारत की न्यायिक एवं राजस्व-व्यवस्था आदि पर प्रश्नोत्तर (1832);
7. यूरोपवासियों को भारत में बसाने सम्बन्धी विचार (1831);
8. पत्र एवं भाषण आदि।<sup>6</sup>

राजा राममोहन राय की उपर्युक्त रचनाओं में उनका यथार्थवादी व्यक्तित्व झलकता है। वे अंग्रेजी राज्य से उत्पन्न लाभों के प्रशंसक थे फिर भी वे भारत में विधि के शासन की स्थापना के लिए तथा प्रजा को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। उन्हें ग्रामीण भारत की अज्ञानता तथा जनता की शासन के प्रति अन्यायमनस्कता पर क्षोभ होता था। वे इस मौग पर डूब रहे कि योग्य एवं अनुभव-प्राप्त भारतीयों को शनैः शनैः उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाये ताकि उनमें शासन से सम्बन्धित होने की भावना का उदय हो। इस सन्दर्भ में बिमान बिहारी मजूमदार ने लिखा है कि राजा राममोहन राय के लेखों में 'स्वतन्त्रता का जन्म सिद्ध अधिकार' या 'प्राकृतिक अधिकारों' का उल्लेख न मिलना विस्मयकारी है, क्योंकि जो भक्ति फ्रांस की द्वितीय क्रांति, अमेरिका तथा फ्रांस के अधिकारों के घोषणापत्रों में पूर्ण रूचि रखता हो वह अपने ही देश में स्वतन्त्रता का नारा बुन्द न करे, यह विचित्र बात है। किन्तु राजा राममोहन राय का इस प्रकार का व्यवहार किसी ओर तथ्य को प्रकाशित करता है और वह यह है कि वे अपनी दार्शनिक वृत्ति के कारण क्रान्तिकारियों की नारेबाजी से दूर रह यह

स्थापित करना चाहते थे कि कर्तव्यों से ही अधिकार प्राप्त होते हैं और अधिकार राज्य से चलन-चलन होकर प्राप्त नहीं हो सकते। इस संदर्भ में बंगाल हइकाह के संपादक जेम्स सदरलैंड की यह मान्यता थी कि राजा राममोहन राय यद्यपि राजनीति में गणतंत्रवादी नहीं थे, फिर भी वे सिद्धांत रूप में गणतंत्रवाद को स्वीकार करते हुए अमेरिका में गणतंत्र की सफलता से अत्यधिक प्रभावित थे।<sup>7</sup>

राजा राममोहन राय के विचारों पर मोन्टेको, ब्लेकस्टन तथा बेंथम की छाप स्पष्टतः दिखाई देती है। मोन्टेको के प्रभाव में उन्होंने शक्ति-पृथक्करण तथा विधि के शासन की स्वीकार किया और अपने लेखों में इनका बारम्बार उल्लेख किया। इसी प्रकार बेंथम के शासन, नैतिकता एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी विचारों का इन पर प्रभाव पड़ा। बेंथम के समान राजा राममोहन राय ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त का तिरस्कार किया। बेंथम के प्रभाव में राजा राममोहन राय ने भारत में दीवानी तथा फौजदारी दंड-संहिता निर्मित करने की जोरदार मांग प्रस्तुत की। कानून तथा नैतिकता के अन्तर एवं उपयोगितावाद से सम्बद्ध सिद्धान्त भी राजा ने बेंथम के प्रभाव में स्वीकार किये।<sup>8</sup> इन्हीं आधारों पर उन्होंने सती-प्रथा की समाप्ति का आन्दोलन भारत में चलाया था। किन्तु कुछ वर्षों में वे बेंथम से भिन्न विचार भी रखते थे। वे बेंथम के इस विचार से सहमत नहीं थे कि मानव मात्र की समान आवश्यकताएँ होती हैं तथा इस अर्थ में सभी मानव समान हैं। राजा का यह अभिमत था कि भारत की जनता के लिए वे ही नियम तथा कानून उपयुक्त हैं जो कि यहां की मान्यताओं, रीतिरिवाजों तथा परिस्थितियों से मेल खाते हों।<sup>9</sup> बेंथम के बाद ब्लेकस्टन का राजा राममोहनराय पर प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी संविधान की गूढ़ विशिष्टताओं का ज्ञान प्राप्त कर राजा राममोहन राय ने भारत में नागरिक स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत की। तत्कालीन भारत की स्थिति को देखते हुए राजा राममोहन राय ने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत न करके न्याय, जीवन की सुरक्षा तथा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही।<sup>10</sup> राजा राममोहनराय से बेंथम की व्यक्तिगत सेंट लन्दन में हुई थी। बेंथम ने राजा राममोहन राय को "अत्यन्त प्रशंसित तथा मानवता की सेवा में रत प्रिय स्नेही सहयोगी" वाक्य से सम्बोधित किया।<sup>11</sup> ब्रिटिश समाजवाद के पिता रोबर्ट ओवेन के राजा को समाजवादी बनाने के समस्त तर्क विफल रहे। ओवेन प्रोद्युक्त मुद्रा लिये लौट पड़े।<sup>12</sup>

राजा राममोहन राय प्रारम्भ से ही भारत में अंग्रेजी शासन के प्रशंसक नहीं थे। उन्हें प्रारम्भ में अंग्रेजी शासन के प्रति घोर घृणा थी, किन्तु शनैः शनैः जब उन्हें यह अनुभूति हुई कि अंग्रेजी शासन चाहे विदेशी शासन क्यों न हो भारतीयों की शीघ्र उन्नति का कारक बनेगा, तब से वे "अंग्रेजी शासन के प्रशंसक बन गये"।<sup>13</sup> इस पर भी उनके उत्कट देश-प्रेम ने भारत में अंग्रेजी शासन को केवल चालीस वर्षों अर्थात् उन्नीसवीं शताब्दी के तृतीय चरण तक के लिए ही स्वीकार किया ताकि बाद में स्वयं भारतीय अपने भाग्य का निर्माण कर सकें।<sup>14</sup> बिपिन चन्द्र पाल ने राजा की इसी संदर्भ में राजनीति में स्वतंत्रता-आन्दोलन का प्रयत्न कहा है।<sup>15</sup>

राजा राममोहन राय ने 1823 में अंग्रेजी सरकार द्वारा एक संस्कृत-कालेज के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। वे संस्कृत-कालेज के स्थान पर अंग्रेजी

माध्यम से गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि विज्ञानों के अध्ययन के लिए एक उदार एवं जागृत शिक्षा-पद्धति युक्त महाविद्यालय की मांग कर रहे थे। उनके अनुसार संस्कृत-शिक्षा पद्धति ने देश को अंधकार के गर्त में डुबो दिया था, अतः संस्कृत के स्थान पर पाश्चात्य शिक्षा-व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया और इसके लिए विदेशों में शिक्षा-प्राप्त शिक्षकों तथा पुस्तकों आदि की मांग की।<sup>16</sup> किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राजा राममोहन राय पाश्चात्य रंग में रंगे भारतीय थे, जिन्हें हर वस्तु पाश्चात्य रंग के अनुरूप ही स्वीकार्य थी। राजा राममोहन राय ने भारतीयता का त्याग नहीं किया था। उनका विरोध भारतीयकरण की विकृतियों से ही था। इसी कारण उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। वे पुनरभ्युदयवादी नहीं थे। प्राधुनिकता के प्रभाव में उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग चुना। वे ईसाइयों के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि उन्हें सहयोग देने की मांग करते थे ताकि दोनों धर्मों में सौहार्द स्थापित हो सके। यदि मिशनरियों द्वारा धर्म-परिवर्तन का कृत्य हो रहा हो तब भी हिन्दुओं को उनकी भ्रष्टानता पर सहानुभूति ही प्रदर्शित करनी चाहिए।<sup>17</sup> ऐसी उनकी मान्यता थी।

### राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार

राजा राममोहन राय का स्वातन्त्र्य-प्रेम उनके राजनीतिक विचारों का स्रोत था। एक सच्चे भारतीय के रूप में राजा राममोहन राय ने विचार-स्वातन्त्र्य को मानव का परमाधिकार माना। पाश्चात्य विचारदर्शन के अध्ययन ने उनके इस विश्वास को और भी प्रगाढ़ कर दिया। वे विश्वमानवता के हितचिन्तक थे और उदारवाद से अभिभूत थे। राष्ट्रवाद के संकीर्ण विचार से अस्त न होकर उन्होंने अपना अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण सदैव बनाये रखा। स्पेन में संवैधानिक सरकार की स्थापना का समाचार प्राप्त होते ही राजा राममोहन राय ने कलकत्ता के टाउन हाल में एक सार्वजनिक भोज आयोजित किया। फ्रांस की द्वितीय क्रान्ति का उन्होंने अभिवादन किया। नेपल्स की संवैधानिक सरकार के पतन पर वे अत्यन्त खिन्न हो उठे थे। यह सब उनके लोकतांत्रिक विश्वास का प्रतीक था। 1832 के भारत-सुधार-अधिनियम को उन्होंने विश्व की स्वतन्त्रता-प्रेमी जनता की विजय माना था।<sup>18</sup>

राजा का विधिशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान गहन था। उन्होंने विधि को रीति-रिवाजों एवं सामाजिक मान्यताओं से सम्बन्धित माना था। उनसे अनुसार विधि का आधार कालान्तर से चली आ रही सामाजिक मान्यताएं होती हैं, जो समय पा कर सम्प्रभु द्वारा विधि में परिवर्तित कर दी जाती हैं। इसके पश्चात् सम्प्रभु द्वारा विधि में आवश्यक हेर-फेर किया जा सकता है और वह मान्य भी है। किन्तु वे मान्य विधियों में स्वेच्छाचारिता जन्म परिवर्तन के पक्षपाती नहीं थे। यदि प्रचलित विधि तर्क सम्मत है तथा जनहितकारी है तो कोई कारण नहीं कि उसकी मान्यता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाये। यदि वह अन्यायपूर्ण है तो चाहे कितनी भी पुरानी मान्यता क्यों न हो वह निरस्त की जा सकती है। राजा का यह मत न्याय शास्त्र की विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धतियों का समीचीन समंजस्य था। आस्टिन ने भी इसी प्रकार का विचार न्यायशास्त्र के सन्दर्भ में प्रकट किया था। आस्टिन से पूर्व राजा राममोहन राय ने कानून तथा नैतिकता का अन्तर प्रस्तुत किया।<sup>19</sup> राजा राममोहन राय ने हिन्दू-उत्तराधिकार-कानून के सन्दर्भ में जीमूतवाहन द्वारा लिखित भाग्यभाग का सन्दर्भ देते हुए यह स्थापित

किया कि पिता अपनी सम्पत्ति को अपने पुत्रों से सलाह लिये बिना बेच सकता है अथवा रहन रख सकता है। राजा राममोहन राय का यह मत था कि कानून की दृष्टि से यह उचित है, किन्तु नैतिकता की दृष्टि से परिवार के अन्य सदस्यों को सम्पत्ति से वंचित करना उचित नहीं है। किन्तु कानून और नैतिकता अलग-अलग हैं। कुछ नैतिक नियम कानून से भी अधिक बाध्यकारी होते हैं तो कुछ कानून भी नैतिक नियमों से अधिक प्रभावशील होते हैं। अन्त में उन्होंने यह माना कि कानून चाहे नैतिक हों अथवा न हों फिर भी हमें उनका पालन करना चाहिए। राजा राममोहन राय कानून के सन्दर्भ में उपयोगितावादी नहीं थे। उनकी विधिशास्त्र में दक्षता ने उन्हें अन्याय का विरोध करने में सहायता दी। उन्होंने विधि के क्षेत्र में गवर्नर-जनरल द्वारा बनाये गये कानूनों को उचित नहीं माना। उनका यह तर्क था कि भारत पर शासन करने की अन्तिम सम्प्रभु शक्तिस-संसद-सम्राट् में निहित है। इसलिए वे चाहते थे कि स-संसद-सम्राट् ही भारत के लिए कानून पारित करे न कि गवर्नर-जनरल।<sup>20</sup> वे विवेकयुक्त कानून के समर्थक थे और इस कारण उन्होंने ईस्टइण्डिया-कम्पनी के मनमाने शासन की भर्त्सना की। राजा राममोहन-राय शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के अनुगामी थे। उन्होंने कम्पनी-शासन में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों का एकीकृत रूप स्वीकार नहीं किया। किन्तु राजा राममोहन राय भारत में कम्पनी-शासन के स्थान पर ब्रिटिश शासन को स्थापित करने के पक्षपाती नहीं थे। उनके अनुसार कम्पनी-शासन जहाँ सीमित सरकार का प्रतीक था, वहाँ ब्रिटिश शासन पूर्ण निरंकुशता का परिचायक था। वे इस बात से अवश्य सहमत थे कि दोहरी शासन-व्यवस्था स्थापित हो तो ज्यादा अच्छा है ताकि अवरोध एवं सन्तुलन बना रह सके। उनका सुझाव इंग्लैण्ड द्वारा व्यवस्थापन करने तथा कम्पनी-शासन द्वारा उन्हें क्रियान्वित कराने का था। राजा राममोहन राय ने प्रेस की स्वतन्त्रता का समर्थन किया। प्रेस की स्वतन्त्रता का समर्थन अच्छे कानूनों के निर्माण की दृष्टि से किया गया था। उन्होंने यह सुझाव रखा कि भारतीय जनता को अपनी समस्याएँ शासन तक प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। प्रेस के द्वारा यह काम सरलता से हो सकता है और सरकार जनता की इच्छा सुगमता से ज्ञात कर सकती है।<sup>21</sup> इसी तरह से प्रेस के माध्यम से जनता की शिकायतें सरकार तक पहुँच सकती हैं और सरकार उनका हल ढूँढ कर जन-विद्रोह की कठिन स्थिति को टाल सकती है। प्रेस की स्वतन्त्रता से जनता भारत-सरकार की कुटिल नीतियों के विरोध में ब्रिटिश जनता से न्याय की माँग कर सकती हैं। इतना ही नहीं प्रेस-स्वतन्त्रता कम्पनी-शासन की सफलताओं का मापदण्ड भी होगा। राजा राममोहन राय ने प्रेस की स्वतन्त्रता के साथ-साथ जनहित में यह माँग भी की, कि भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करने के लिए समय-समय पर जांच-प्रायोगों की नियुक्ति की जाये ताकि अच्छे कानूनों की संख्या में अभिवृद्धि हो। राजा इतने से ही सन्तुष्ट न हुए, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बुद्धिजीवियों तथा सम्प्रान्त वर्ग के भारतीयों के सुझाव भी कानून बनाते समय कम्पनी-शासन द्वारा प्राप्त किये जायें। जो कानून कम्पनी शासन निर्मित करे उसे इंग्लैण्ड की संसद तथा कम्पनी के निदेशकों के सामने प्रस्तुत किया जाये। संसद की स्थायी समिति द्वारा इस कार्य को अन्तिम रूप दिया जाये।<sup>22</sup> राजा राममोहन राय ने भारत में विधायी परिषद् की स्थापना का सुझाव ठीक नहीं माना, क्योंकि उनके विचारों

से भारत में विधायी परिषद् की स्थापना से कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से सम्बन्धित अधिकारी वर्ग अपना अधिकार्य और भी विस्तृत कर लेगा तथा नाम मात्र के लिए कतिपय भारतीयों का मनोनयन उन्हें कोई विशेष शक्ति प्रदान नहीं करेगा। अतः वे विधायी परिषद् के स्थान पर उच्चवर्ग के भारतीयों द्वारा शासन को सलाह दी जाने की मांग प्रस्तुत कर रहे थे।<sup>23</sup>

प्रेस की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में राजा राममोहन राय की मांग मूलतः पाक्षिक पत्रिकाओं पर कम्पनीशासन द्वारा लगायी गयी रुकावट को दूर करने के सम्बन्ध में थी, किन्तु शर्तें शर्तें उनकी यह मांग सर्वव्यापी हो गयी। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि चूंकि भारत की शासन-व्यवस्था प्रतिनिधि शासन के सिद्धान्त पर आधारित नहीं थी, ऐसी स्थिति में प्रेस भी स्वतन्त्रता अत्यावश्यक थी ताकि इस माध्यम से वाद-विवाद की स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके। उनके अनुसार प्रेस की स्वतन्त्रता ने विश्व के किसी भी भाग में क्रान्ति को कभी जन्म नहीं दिया। क्रान्तियां वही हुई हैं, जहां निरंकुश शासन ने जनता को अज्ञान के अन्धकार में रखा है। उनके अनुसार भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता से, शासन की आलोचना से अधिक शासन के पक्ष का समर्थन हुआ है और शिक्षितवर्ग अंग्रेजों को आक्रामक समझने के स्थान पर मुक्तिदाता के रूप में मानने लगा है। इस पर भी यदि शासन आशयस्त न हो तो वह प्रेस की स्वतन्त्रता पर उचित कानूनी प्रतिबन्ध लगा सकता है ताकि शासन को किसी प्रकार का संशय न रहे। यद्यपि राजा की प्रेस की स्वतन्त्रता सम्बन्धी सारी दलील असफल हो रही, फिर भी उनके द्वारा उठाई गयी यह भावाज इस सद्य का प्रतीक थी कि वे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को रूढ़ करना उचित नहीं मानते थे।<sup>24</sup>

राजा राममोहन राय ध्वजितवाद अथवा राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप के अनुगामी नहीं थे। उन्होंने शासन के कार्यक्षेत्र को अधिक से अधिक व्यापक बनाने के विचार को अपना समर्थन दिया। वे कम्पनीशासन को भारत की सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। उन्होंने शासन द्वारा धर्म-सुधार के कार्य को करने को भी अनुमति दे दी थी, ताकि अमृत्य एवं अधार्मिक क्रूरियों पर शासन अपना नियन्त्रण स्थापित कर सके। उनके अनुसार भारत में प्रचलित अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवहार को शासन की आज्ञा से ही नियन्त्रित एवं नियमित किया जा सकता था। शासन के प्रकार के सम्बन्ध में राजा राममोहन राय का विचार सीमित या संवैधानिक राजतन्त्र के पक्ष में था। वे न तो कुलीनतन्त्र के पक्षपाती थे और न पूर्ण प्रजातन्त्र के। प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में उनका यह विचार था कि समस्त जनता को शासन-कार्य से सम्बन्धित करना उचित नहीं है। प्रायः सामान्य जनता शासन के नियमों तथा कार्यप्रणाली से अवगत नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रजातन्त्र निजी स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बन जाता है। पूर्ण राजतन्त्र का भी उन्होंने प्रतिकार किया। उन्हें किसी एक शासक में सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित करना उचित नहीं प्रतीत होता था। ऐसा शासन जनता के साथ खिलवाड़ कर सकता है तथा निरंकुशता का प्रतीक बन सकता है। उन्होंने कुलीनतन्त्र को भी इसलिए अनुचित बताया कि इसमें जहां चन्द व्यक्तियों को शासन का लाभ प्राप्त हो सकता था, वहां अन्य व्यक्तियों में ईर्ष्या-द्वेष की भावना पनप सकती थी। इस तरह कुलीनतन्त्र में निरंकुश राजतन्त्र तथा अनियन्त्रित

प्रजातन्त्र दोनों की ही बुराइयां प्रकट होती थी।<sup>25</sup>

### राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार

राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के स्त्री-स्वातन्त्र्य के अग्रदूत माने जा सकते हैं। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का पुरजोर प्रयत्न किया। वे स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखने वालों के इस तर्क से सहमत नहीं थे कि स्त्रियों का ज्ञान सीमित होता है। उनका यह विश्वास था कि जब स्त्रियों की शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो फिर उनके ज्ञान को संकुचित बनाने का प्रयत्न अनुचित ही नहीं बरख अन्यायपूर्ण भी है। वे भारतीय स्त्रियों को लीलावती, गार्गी, मैत्रेयी आदि के समान विदुषी बनने की प्रेरणा देते थे। राजा स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों के भी महाद्व समर्थक थे। उन्होंने हिन्दू उत्तराधिकार कानून के सन्दर्भ में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति का एक चौथाई भाग देने का समर्थन किया। उन्हीं के सद्प्रयत्नों से भारत में सती-प्रथा पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने सती-प्रथा को अत्यन्त क्रूर कृत्य बताते हुए यह दावा किया कि भारत के किसी भी धर्मशास्त्र के अनुसार सती-प्रथा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में स्त्रियों पर पुरुषों के अत्याचार का घोर विरोध किया। वे चाहते थे कि सरकार ऐसा कानून पारित करे जिससे कोई भी पुरुष एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह न कर सके। उन्होंने जाति-व्यवस्था का भी घोर विरोध किया और इसे हिन्दू-जाति का कलक बताया। वे स्वयं अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में थे। शास्त्र का आधार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने शैव विवाह-पद्धति का समर्थन किया, जिसमें उम्र, वंश एवं जाति का कोई बन्धन नहीं होता। इसके अन्तर्गत किसी भी परित्यक्ता अथवा विधवा, जो कि सपिण्ड (स्वगोत्रो) न हो, विवाह करने योग्य है।<sup>26</sup>

### धार्मिक विचार

राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों को आधारशिला उनके द्वारा इस्लाम धर्म, हिन्दूधर्म तथा ईसाई धर्म से सम्बन्धित ग्रन्थों का अनुशीलन है। उन्होंने कुरान का अरबी भाषा से बंगाली में अनुवाद किया। संस्कृत का अध्ययन कर उपनिषद्, गीता तथा अन्य शास्त्रीय ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया और विशेषतः वेदान्त में अपनी रुचि दिखाई। 1802 में एकेश्वरवाद के समर्थन में आपने फारसी में तुहफात-उल-मुवाहिदीन नामक ग्रन्थ लिखा। ईसाई धर्म के अध्ययन के लिए आपने लेटिन, ग्रीक तथा हिब्रू भाषाएँ सीधी। धर्म एवं दर्शनशास्त्र सम्बन्धी सत्संग के निमित्त 'आत्मीय सभा' की स्थापना की। वेदान्त के सूक्ष्म अध्ययन से प्रभावित हो आपने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और वेदान्तसार नामक ग्रन्थ 1816 में प्रकाशित किया। अपने इस धार्मिक क्रियाकलाप के कारण जिसमें हिन्दू धर्मावलम्बियों से सम्बन्धित कुरीतियों का उन्मूलन करने का विशेष प्रयास किया गया था, आप 'ईसाई मिशनरियों की आलोचना का विषय बने' ईसाइयों के आरोपों का उत्तर देने के लिए उन्होंने कई संक्षिप्त पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं, जिनमें संवाद कौमुदी विशेष लोकप्रिय हुई।<sup>27</sup>

वेदान्त, इस्लाम तथा ईसाई-धर्म के अज्ञाता राजा राममोहन राय ने तान्त्रिक, बौद्ध, जैन तथा वैष्णव मार्ग का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उनके द्वारा 1828 में ब्रह्मसमाज की स्थापना की गई। ब्रह्म-समाज ने आधुनिकता, उदारवाद एवं त्रिविक-

वाद की नवीन धारा भारत में प्रवाहित की। ब्रह्म समाज की स्थापना द्वारा भारतीय पुनर्जागरण-प्रान्दोलन को नया सम्बल मिला।<sup>28</sup> ब्रह्म-समाज ने रचनात्मक कार्य प्रारम्भ किया और किसी प्रकार के धार्मिक शास्त्रार्थ में न पड़ते हुए एक तटस्थ निरपेक्ष मार्ग का अनुसरण किया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म-समाज के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए यह व्यक्त किया कि ब्रह्म-समाज में न तो किसी मूर्ति की पूजा की जायेगी और न ही कोई प्रार्थना या उपदेश एमा दिया जायेगा जिससे नैतिकता के उच्च आदर्शों एवं एकेश्वर-वाद को धक्का पहुँचे। उन्होंने ब्रह्म-समाज का सर्वोच्च लक्ष्य सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के मध्य एकता का संचार करना स्वीकार किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ब्रह्म-समाज किसी भी जड़-चेतन वस्तु को जो कि किसी धार्मिक पूजा का माध्यम हो, आलोचना, घृणा अथवा प्रतिकार का विषय नहीं बनायेगा। यह 'समाज' की धर्म-सहिष्णु नीति का परिचायक था। 'समाज' की प्रारम्भिक गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य सामाजिक सुधार से अधिक धार्मिक साधना का सम्पादन था। राजा राममोहन राय ने प्रत्येक मानव में ईश्वर की अनुभूति जागृत करने का प्रयास किया था।<sup>29</sup>

राजा के धार्मिक विचारों पर इस्लाम का प्रभाव सर्वप्रथम स्पष्ट हुआ। उन्होंने एकेश्वरवाद को इस्लाम के प्रभाव में ही अपनाया। ईसाई धर्म से उनका सम्पर्क बाद में हुआ। अतः उन पर ईसाई धर्म का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर नहीं होता। ब्रह्म-समाज पर ईसाई मत का प्रभाव राजा के पश्चात् केशवचन्द्र सेन के समय में अधिक देखा गया, जबकि ब्रह्म-समाज के क्रियाकलाप विल्कुल ईसाई धर्मविलम्बियों के समान होने लगे थे। राजा राममोहन राय वेदान्त के महन्व से परिचित हुए उससे पहले ही उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ चुका था। फिर भी वेदान्त में सत्य का साक्षात्कार कर उन्होंने ब्रह्मवाद तथा एकेश्वरवाद को गिलाना ही श्रेयस्कर समझा। इस प्रकार हिन्दू धर्म तथा इस्लाम का समन्वय राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों का मूल बना।<sup>30</sup> हिन्दू धर्म के अन्तर्गत शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त को राजा राममोहन राय ने अपने विचारों का आधार न बना कर उपनिषदों में व्यक्त प्राचीन वेदान्त को ही अपनाया। आत्मा की अमरता तथा एक निराकार, परब्रह्म, सर्वशक्तिमान्, दयालु ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने स्वीकार किया। वे ब्रह्म को विश्व तथा व्यक्तियों के निर्माता के रूप में मानते लगे। प्रकृति को वे एक सहायक तत्त्व मानते हुए ब्रह्म को ही संसार का नियामक तत्त्व मानते रहे। इस दार्शनिक आधार को ग्रहण कर राजा राममोहन राय ने अपने धार्मिक विचारों का प्रचार प्रारम्भ किया। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि इस प्रकार के साधारण धार्मिक मिद्धान्त द्वारा समाज में व्याप्त आडम्बर तथा धार्मिक क्लिष्टता से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वेदान्त का इसी कारण वरण किया तथा उपनिषदों को साक्ष्य बना कर धार्मिक कर्मकांड तथा अंधविश्वास से संपर्क करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने मूर्तिपूजा, जात-पात, खान-पान की हडिवादिता तथा अन्य अंधविश्वासों का इसी आधार पर खंडन भी किया। वे आत्मा को विश्वास तथा निष्ठा का प्रमुख तत्त्व मानते थे। आत्मसाधना तथा आन्तरिक जागृति पर उनका ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित रहा। पारश्चात्य दर्शन एवं साहित्य के प्रभाव में राजा राममोहन राय ने जनता को पाखंडों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया

और इस प्रयास में हिन्दू-धर्म से सम्बन्धित उन दृष्टान्तों का समर्थन भी किया, जो उनके इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकते थे। अपने धार्मिक क्रिया-कलापों में राजा राममोहन राय ने एक सार्वभौमिक धर्म का स्वप्न भी देखा था।<sup>31</sup> यद्यपि राजा राममोहन राय का यह स्वप्न पूरा नहीं हुआ, किन्तु उनके इस प्रयास ने धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का नवीन मार्ग अवश्य प्रस्तुत किया। वे परम सत्य की एकता तथा मानवीय मूल्यों की स्वीकृति को सब धर्मों का आधार मानते थे। धर्मों की इस मौलिक एकता का आदर्श भारतीय चिन्तन का जागृत्यमान रत्न है। राजा राममोहन राय मानव की सेवा की ही सच्ची ईश्वर-उपासना मानते थे। धार्मिक उदारवाद से प्रेरित हो राजा राममोहन राय ने स्वीकार किया कि वे समस्त धर्मों की सूक्ष्मतम समानता को स्वीकार करते हुए धर्मों के पारस्परिक विभाजनकारी सिद्धान्तों को अमान्य समझते हैं।<sup>32</sup>

राजा राममोहन राय के जीवन के एक प्रेरक प्रसंग को प्रायः विस्मृत कर दिया जाता है जो कि स्पष्टतः उनकी धार्मिक दृढ़ता का परिचायक है। कलकत्ता के प्रथम बिशप डा. मिडलटन ने राजा राममोहन राय को ईसाइयत में परिवर्तित करने को अपना परम कर्तव्य समझ कर इस दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ किया। उन्हें न केवल अपने ईसाई धर्म की श्रेष्ठता का ही दंभ था अपितु उन्हें भारत में ईसा के प्रथम पट्टशिष्य (अपोसल) बनने का लोभ भी था। किन्तु राजा राममोहन राय ने बिशप को स्पष्ट कर दिया कि वे सत्य एवं अशुद्धाई के अलावा किसी वस्तु से मोहित नहीं हो सकते। उन्होंने स्वेच्छा से दो ईसाई मिशनरियों विलियम मेट्स तथा विलियम एडम के साथ मिलकर कुछ मसीही साहित्य का बंगला-भाषा में अनुवाद किया था। विलियम एडम राजा राममोहन राय से इतने प्रभावित हुए कि वे एक प्रोटेस्टेंट मिशनरी से एकेश्वरवादी (यूनीटेरियन) ईसाई बन गये।<sup>33</sup>

राजा राममोहन राय को अपने धार्मिक विचारों के लिए न केवल अपने परिवार का ही कोपभाजन बनना पड़ा, अपितु मित्रों की उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ा। यदि राजा राममोहन राय चाहते तो अपने पिता के धार्मिक विचारों का अनुगमन कर चर्च से जीवन बिता सकते थे, किन्तु उन्होंने जो मार्ग चुना वह दंड, पितृप्रेम विहीनता और सामाजिक बहिष्कार का मार्ग था। उन्हें दो बार पिता ने घर से निकाल दिया। मित्रों ने उन्हें अपमानित किया। महां तक कि वे कलकत्ता शहर की सड़कों पर भी सशस्त्र हुए बिना नहीं निकलते थे। जीवन के बाद के दिनों में उनकी माता ने उन्हें अपनी सम्पत्ति से बंचित करने का प्रयत्न किया। फिर भी वे अपने धार्मिक विचारों से विचलित नहीं हुए। यदि वे धर्म-परिवर्तन करना चाहते तो कोई भी अन्य धर्म उन्हें बाह्य फैला कर आलिंगन करने को भागे बढ़ता। वे अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक वेदों में विश्वास रखने वाले ब्राह्मण ही बने रहे। वे अपने धर्म को त्यागने के स्थान पर उसको सुधारना चाहते थे।<sup>34</sup>

**राजा राममोहन राय के धार्मिक विचार**

राजा राममोहन राय के धार्मिक विचार सैद्धान्तिक अथवा दार्शनिक दृष्टिकोण से युक्त न होकर भारत की धार्मिक स्थिति के वास्तविक धरातल पर निर्मित हुए हैं। उनके धार्मिक विचार न तो स्वप्नदर्शी समाजवादी चिन्तन से प्रभावित हैं, न अर्थशास्त्रियों के काम से



कम हस्तक्षेप वाले सिद्धान्त (लेजे फेर थियरी) से। राज्य की प्राथमिक कार्यविधि के क्षेत्र को निर्धारित करने का उनका उद्देश्य उनके प्राथमिक विचारों में दृष्टिगोचर नहीं होता। वे सच्चे अर्थों में एक व्यावहारिक प्राथमिक प्रक्रिया के पक्षपाती थे जिसमें पूँजीपति एवं निर्धन दोनों का निर्वाह हो सके। व्यक्तिगत सम्पत्ति के समर्थक होते हुए भी निर्धनता के गत में फँसी हुई मानवता को शासन द्वारा उबारने का उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया था।<sup>35</sup>

बिमानबिहारी मजूमदार ने राजा राममोहन राय के प्राथमिक विचारों का विवेचन करते हुए लिखा है कि राजा राममोहन राय ने 'पैतृक सम्पत्ति पर हिन्दुओं का अधिकार' नामक लेख में सम्पत्ति तथा वैधानिक मान्यता प्राप्त संविदा को सरकार द्वारा न तोड़ने का आग्रह किया था। राजा ने प्रचलित आंग्लभारतीय मान्यता के विपरीत यह स्थापित किया कि भारत में भूमि का सदैव व्यक्तिगत स्वामित्व ही बना रहा है। भूमि को राज्य को असीम सम्पत्ति के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया गया। मुगल-काल में भी सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के एवज में भूमि की उपज पर भूमि के स्थायी बन्दोबस्त का लाभ कृषकों तथा खेतीहर मजदूरों को देशव्यापी स्तर पर प्राप्त था। राम मोहनराय मध्यम वर्ग को और भी अधिक सम्पन्न बनाने का विचार रखते थे और इस कारण उन्होंने जमींदारी व्यवस्था का अधिक पक्ष लिया। किन्तु वे निर्धन कृषकों का जमींदारों द्वारा शोषण स्वीकार नहीं करते थे। उन्हें खेत में हल जोतने वाले निर्धन तथा अभावग्रस्त कृषक की प्राथमिक दीनता से इतनी अधिक सहानुभूति थी कि वे जमींदार तथा रयतवाडी दोनों ही प्रथाओं के शोषणपाश से उसे बचाने को तत्पर थे। इसके लिए उन्होंने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि जमींदार को लगान का मात्रा अथवा राशि में कोई परिवर्तन न करने दिया जाये। यदि शासन ऐसा करने से इसलिए झिझकता हो कि ऐसे नियमों से दीर्घ काल से चली आ रही व्यवस्था को हानि पहुँचेगी तो शासन को जनहित में ऐसी झिझक छोड़ देनी चाहिए। अच्छी व्यवस्था के लिए प्राचीन मान्यताओं को जो हितकारी न हों, छोड़ने में सकोच नहीं होना चाहिए।

राजा राममोहन राय ने जहाँ निर्धन कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए जमींदारों तथा सरकार को लगान की राशि कम करने का सुझाव दिया वहाँ दूसरी ओर सरकार द्वारा राजस्व की हानि को पूति के लिए तीन सुझाव भी प्रस्तुत किये। उनका पहला सुझाव यह था कि राजस्व को आय बढ़ाने के लिए विलासिता की सामग्री तथा अन्य वस्तुओं पर जो कि दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में सम्मिलित नहीं होती, अत्यधिक कर लगाये जायें। उनका दूसरा सुझाव था कि राजस्व-विभाग पर किये जाने वाले रखरखाव के व्यय में कटौती की जाये। इसी प्रकार राजस्व सम्बन्धी कामकाज के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि जिलाधीश (कलेक्टर) के पद पर सध्रान्त भारतीय नियुक्त किये जायें तथा उन्हें तीन सौ अथवा चार सौ रुपये वेतन दिया जाये। इस प्रकार उच्चवर्गीय भारतीयों में आत्मविश्वास एवं शासन के प्रति सन्तोष का भाव उत्पन्न होगा तथा इन पदों पर नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को दिये गये अत्यधिक वेतन की तुलना में भारतीय अधिकारियों को कम वेतन देने से राजस्व-खर्च में भी बचत होगी। राजस्व की वृद्धि से किसानों पर पड़ने वाले कर का भार भी कम होगा।<sup>36</sup>

राजा राममोहन राय ने राजस्व की बचत के लिए यह भी सुझाव प्रस्तुत किया कि एक स्थायी सेना के स्थान पर अस्थायी नागरिक सैनिक दस्ते बनाये जायें। इस कार्य के लिए किसानों की सहायता ली जाये। उनसे राजस्व की उचित वसूली की जाये, किन्तु उनका भूमि पर स्वामित्व माना जाये ताकि वे ब्रिटिश शासन को हर प्रकार से समर्थित करें तथा आवश्यकता होने पर सैन्यदल के रूप में भी गठित हो सके। इस प्रकार स्थायी सेना पर खर्च में कटौती होगी और आन्तरिक सुरक्षा की समस्या भी हल हो सकेगी।<sup>37</sup>

उन्होंने भारत में पूंजी के निर्माण तथा संरक्षण के लिए यह विचार व्यक्त किया कि देश से प्रतिवर्ष करोड़ों की धनराशि के निर्यात को रोका जाना चाहिए। इसके लिए सम्पन्न विदेशी व्यापारियों को, जो कि भारत में सम्पत्ति का अर्जन करते हैं, भारत में ही बसाया जाये ताकि वे अपना धन बाहर भेजने के स्थान पर भारत की उद्योग-व्यवस्था में ही लगायें। ब्रिटिश नागरिकों का भारत में उपनिवेशन किया जाये। इस तरह के उपनिवेशन से भारत की साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति में सहायता प्राप्त होगी। किन्तु राजा राममोहन राय के इस आशय की बंगाल में तीव्र आलोचना हुई। उनके विरोधियों ने यह व्यक्त किया कि राजा राममोहन राय अंग्रेजों को भारत में आमन्त्रित कर उन्हें यहाँ की भूमि का स्वामित्व देना चाहते हैं ताकि वे अपनी जमींदारी यहाँ कायम कर सकें। वास्तविकता यह थी कि राजा राममोहन राय अंग्रेज श्रमिकों अथवा किसानों को भारत में आमन्त्रित करने का सुझाव नहीं दे रहे थे। वे अंग्रेजों के स्थान पर उनकी कुशलता तथा पूंजी को भारत में लगाना चाहते थे। वे केवल ऐसे यूरोपवासियों को भारत में बसाने के पक्ष में थे जो अपने उच्च ज्ञान एवं लोकनिष्ठा से भारतीयों के चरित्र को उन्नत कर भारत में औद्योगिक चेतना का विकास कर सकें। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि ब्रिटिश तथा अन्य यूरोपवासी भारत की कृषि-व्यवस्था में नवीन उपकरणों का प्रयोग कर उत्पादन वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। तकनीकी ज्ञान का भी भारत में प्रसार उनकी सहायता से सम्पन्न हो सकेगा।<sup>38</sup> उनकी उपस्थिति से भारत में राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति का ज्ञान भी जनता को प्राप्त हो सकेगा और वे भारत में कुशल प्रशासन की स्थापना में सहयोगी सिद्ध होंगे। उनके माध्यम से आम जनता की शिकायतें इंग्लैंड की सरकार तक पहुँचती रहेंगी। जिन्हें राजा के इन सुझावों में अमेरिकी विद्रोह की झलक दिखाई देती थी, उनके लिए राजा राममोहन राय का यह उत्तर था कि अमेरिका ने इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह कुशासन के कारण ही किया था। वे कनाडा का उदाहरण देकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि यदि शासन जनहित में हो और जनता समृद्ध हो तो कोई कारण नहीं कि भारत की मिलीजुली संस्कृति वाली जनता एक उदार एवं जागृत इंग्लैंड की सरकार से अपने सम्बन्ध-विच्छेद करने का प्रयास करेगी। इसी तरह उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूरोप से आकर भारत में बसने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत के भीतरी भागों में न तो किसी प्रकार का दम्भ प्रदर्शित किया जायेगा और न मनमाना व्यवहार होगा।<sup>39</sup> उनके सम्पर्क में आने से भारत में एक नवीन जागृति आयेगी जिससे अंधविश्वास एवं अशिक्षा दूर हो मकेगी। यदि कहीं इंग्लैंड से प्रयुक्तता की मांग भी भारत में बलवती हुई तो भी दो समान धर्मा स्वतन्त्र देशों के रूप में वे सम्बन्ध विकसित होंगे, जिनमें भाषा, धर्म तथा रीति-रिवाजों का नाम

होगा। राजा राममोहन राय के ये विचार उनके सम्बन्ध में कई भ्रान्तियों को जन्म देने वाले हैं। इनसे कई प्रश्न हमारे सामने उभरते हैं। पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या भारत में यूरोपनिवासियों द्वारा उपनिवेशान्तरण भारत में ईसाई धर्म तथा अंग्रेजी भाषा का एकाधिपत्य स्थापित करने की दृष्टि से राजा राममोहन राय द्वारा सुझाया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या राजा राममोहन राय का उद्देश्य भारत को कनाडा, न्यूजीलैंड प्रभवा आस्ट्रेलिया जैसा उपनिवेश बनाने का है जो कालान्तर में स्वतन्त्रता प्राप्त करके भी अंग्रेजी संस्कृति के ही दास बने रहे। यदि इन्हीं दो प्रश्नों पर गहनता से विचार किया जाये तो राजा राममोहन राय से अधिक देशद्रोही तथा भारतीय संस्कृति का शत्रु और कोई नहीं हो सकता। परन्तु राजा राममोहन राय के प्रारम्भिक जीवन तथा उनके बाद के जीवन एवं लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे न तो भारतीय संस्कृति के शत्रु थे और न अंग्रेजी शासन को सदा के लिए भारत में स्थापित करना चाहते थे। उनके उपर्युक्त विचार जो ईसाई-धर्म तथा अंग्रेजी भाषा के समर्थन में व्यक्त किये गये हैं उनकी प्रामाणिकता सन्देहास्पद प्रतीत होती है। यद्यपि उनके बाद के ब्रह्म-समाजियों में, विशेषतः केशवचन्द्र सेन में, ईसाइयत का प्रभाव भवश्य देखने को मिलता है किन्तु राजा राममोहन राय के स्वयं के विचारों से यह पुष्ट नहीं होता कि उन्होंने कभी ऐसा घातमघाती वक्तव्य दिया हो। उनका उपनिवेशीकरण सम्बन्धी विचार केवल आर्थिक प्रगति तक ही सीमित मानना चाहिए।<sup>40</sup> □ □

## टिप्पणियाँ

1. प्रचलित मान्यता के अनुसार उनके जन्म का वर्ष 1772 माना गया है किन्तु उनके मरणस्थल ब्रिस्टल (इंग्लैंड) में बनायी गयी उनकी समाधि पर उनका जन्म समय 1774 अंकित है। प्रो० मैक्समूलर ने भी इसी को मान्य स्वीकार किया है। देखिये मैक्समूलर, *आधुनिक भारत*, (लॉगमैन्स, ग्रीन एंड को, लन्दन, 1884)
2. विमान बिहारी मजूमदार, *हिन्दू ऑफ इंडियन सोशल एंड पोलिटिकल आइडियाज़ : श्री राममोहन टू दायरान्क*, (बुकलैंड, कलकत्ता, 1967) पृ. 22
3. मिस सोफिया डोबसन कोलेट, *साइफ एंड सैटर्स ऑफ राजा राममोहन राय*, (एच. सी. सरकार एंड को. कलकत्ता, 1913) पृ. 15
4. वही
5. वही, पृ. 180
6. विमान बिहारी मजूमदार, पृ. 25 तथा राजा राममोहन राय : *हिज लाइफ, राइटिंग्स एंड स्पीचिज़*, पृ. 1—261
7. वही, पृ. 45 तथा राममोहन राय एंड बी प्रोसेस ऑफ मोडर्नाइजेशन इन इंडिया, (विकास, दिल्ली, 1975) पृ. 102
8. वही, पृ. 37
9. वही, पृ. 45 तथा *सीटर्स ऑफ बी ब्रह्मो समाज*, (नटेशन, मद्रास, 1926) पृ. 48
10. वही, पृ. 28
11. देखिये एस. सी. चक्रवर्ती (सम्पा), *बी फादर आफ मोडर्न इंडिया : कोमेमोरेशन बील्यूम आफ बी राम मोहन राय सेन्टनरी सेलेब्रेशन्स*, 1933, (कलकत्ता, 1935) पृ. 56-57
12. देखिये सोफिया डॉबसन कोलेट, पृ. 200

13. दो फावर आफ मोडर्न इंडिया, पृ. 88 तथा 120
14. वही, पृ. 205
15. वही, पृ. 201
16. वही, पृ. 23
17. वही, पृ. 91—92
18. बिमान बिहारी मजूमदार, पृ. 28
19. वही, पृ. 29
20. वही, पृ. 33
21. वही, 39
22. वही, पृ. 40-41
23. वही, पृ. 36
24. वही, पृ. 24
25. वही, पृ. 39
26. वही, पृ. 47 तथा दो इंग्लिश वर्ल्स आफ राजा राममोहन राय, पृ. 373-384
27. देखिये के. आर. श्री निवास आर्यंगर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, (एशिया, बम्बई, 1973) पृ. 31
28. जकारियास, रिपार्सेट इंडिया (एलन एड अनविन, लन्दन, 1933) पृ. 15
29. बिमानबिहारी मजूमदार, पृ. 24
30. दो फावर आफ मोडर्न इंडिया, पृ. 71
31. बिमानबिहारी मजूमदार, पृ. 24
32. गिवनाथ शास्त्री, हिस्ट्री ऑफ दो ब्रम्हसमाज, पृ. 16-30 तथा मणोलाल पारेख, दो ब्रम्ह समाज : ए शोर्ट हिस्ट्री, (ओरिएण्टल काइस्ट हाउस, राजकोट, 1929) पृ. 15-18
33. मंससभूलर, पृ. 23-24
34. वही,
35. बिमान बिहारी मजूमदार, पृ. 42
36. वही, पृ. 43
37. वही,
38. वही, पृ. 44
39. वही, पृ. 46
40. वही,

स्वामी दयानन्द का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान में हुआ था। उनका

जन्म-नाम मूलशंकर था। उनका परिवार शैवसम्प्रदाय का अनुयायी था तथा कट्टर

सनातन-धर्मी मान्यताओं में विश्वास रखता था। किन्तु बाल्यकाल की 'शिवरात्रि-घटना'

ने स्वामी दयानन्द को मूर्तिपूजा का प्रबल विरोधी बना दिया और वे ज्ञान की खोज में परि-

वार छोड़ कर यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने संन्यासी का वेश धारण कर उत्तर भारत के

समस्त यात्रास्थलों, मठों तथा आश्रमों में भ्रमण किया। चौबीस वर्ष की आयु में स्वामी

पूर्णानन्द सरस्वती से उन्होंने संन्यास की दोक्षा ली और तब से मूलशंकर दयानन्द सरस्वती

कहलाने लगे। उनकी इस ज्ञान-यात्रा में उनका कई साधु-संन्यासियों से साक्षात्कार हुआ

किन्तु कोई भी उन्हें पूर्णतया प्रभावित नहीं कर सका और उनकी जिज्ञासा अतृप्त ही रही।

चारोंपार व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास, जाति-भ्रष्टाचार से उत्पन्न कलुषता तथा नैतिक पतन

का अनुभव उनको समय-समय पर होता रहा। हिन्दू-समाज की ऐसी विपन्न स्थिति देखकर

स्वामी दयानन्द सरस्वती का हृदय द्रवित हुए बिना नहीं रहा। मन ही मन उन्होंने समाज

को परिष्कृत करने का संकल्प किया। इस संकल्प की पूर्ति लिए हिन्दू-धर्म के मूल-आधार

वेद एवं शास्त्रों का अगाध अध्ययन आवश्यक था। साथ ही इस बात की भी आवश्यकता

थी कि वेदों की परम्परावादी एवं संकीर्ण व्यवस्था के स्थान पर अर्वाचीन परिस्थितियों के

सन्दर्भ में उनकी विवेकयुक्त व्याख्या की जाये। उन्हें इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मधुरा

की यात्रा करनी पड़ी जहाँ स्वामी विरजानन्द जैसे वेदों के गूढ़ विद्वान् के शिष्यत्व में स्वामी

दयानन्द को अपने जीवन का सच्चागुरु प्राप्त हो गया। अल्पकाल में ही गुरुकृपा से स्वामी

दयानन्द ने नवीन ज्ञान ज्योति प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति पर उनके सतगुरु ने उनसे

गुरु-दक्षिणा में यह मांग कि वे वेदों के सही ज्ञान, एकेश्वरवाद और वेदोक्त धर्म के प्रचार

तथा अंधविश्वास और कुरीतियों को अन्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने

का वचन दें। स्वामी दयानन्द ने जीवन-पर्यन्त इस वचन का पालन किया और अपना

सर्वस्व देश की सेवा में अर्पित कर दिया।

उन्होंने मूर्तिपूजा को वेद विरुद्ध बताया और विधवा-विवाह, बालविवाह, विदेश-

यात्रा सम्बन्धी कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हिन्दुओं का आह्वान

किया। जाति-प्रथा, छुआछूत, आदि का भी विरोध कर (शास्त्रार्थ के माध्यम से) आपने

एक निर्भीक एवं निष्पक्ष मार्ग प्रस्तुत किया जिसके द्वारा अन्ततः धीरे-धीरे भारत में नवीन

चेतना का संचार होने लगा। उन्होंने अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 10 अप्रैल 1875

को बम्बई में आर्य-समाज की स्थापना की। इसके बाद भारत में आर्य समाज की शाखाएं

फैलती चली गयीं। पंजाब, राजपूताना, उत्तरप्रदेश तथा गुजरात में भार्यसमाज का विशेष प्रभाव रहा। राजपूताना के राजा-महाराजाओं ने स्वामी दयानन्द का सम्मान किया और कई शासक उनके शिष्य बन गये। उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह, शाहपुरा के राव नाहरसिंह तथा जोधपुर के राजा भजीतसिंह उनके विशेष प्रिय शिष्य रहे। स्वामी दयानन्द का दक्षिण-भारत से सम्पर्क नहीं रहा अन्यथा दक्षिण में भी उनका प्रभाव फैले बिना नहीं रहता। उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः उत्तर-भारत तक ही सीमित रहा। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण स्वयं संशोधित किया तथा प्रथम संस्करण जो कि 1875 में उनके द्वारा दिये गये भाषणों एवं वक्तव्यों के आधार पर पंडितों द्वारा लिखा गया था उसे स्वयं रद्द घोषित कर दिया। द्वितीय संस्करण का कार्य स्वामी दयानन्द ने सितम्बर 1882 में उदयपुर (मेवाड़) में पूरा किया था।

### स्वामी दयानन्द तथा उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण

स्वामी दयानन्द द्वारा रचित ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका वैदिक साहित्य में अपना अन्ठा स्थान रखती है। पश्चात्य विद्वानों ने एक स्वर से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वेद विश्व की सर्वाधिक प्राचीन धरोहर है। भार्यों ने वेदों को समस्त मानवीय ज्ञान का भंडार माना है। वेदों के अनुसार ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण और कालान्तर में उसका विनाश करता है। यह क्रिया अनादि एवं अनन्त है। सृष्टि के प्रारम्भ से अन्त तक के समय का एक कल्प माना गया है। ईश्वर द्वारा मनुष्य की रचना की गयी है और उसके मार्ग-दर्शन के लिए समस्त ज्ञान का मूल भी दर्शाया गया है। वर्तमान कल्प के प्रारम्भ से यह ज्ञान चार ऋषियों को मिला जिनके नाम थे—अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरस और इन्हीं के माध्यम से चार वेद ऋक्, यजुः, साम तथा अथर्व उद्घाटित हुए। यही विश्वास आज तक ऋषियों तथा मुनियों का रहा है और यही स्वामी दयानन्द की भी मान्यता थी।<sup>1</sup> आदि शंकराचार्य ने वेदों को अपौरुषेय माना है। स्वामी दयानन्द ने भी इसका समर्थन करते हुए अपने समस्त विचार एवं उपदेश वेदों पर आधारित किये हैं। स्वामी दयानन्द ने अपने गुरु विरजानन्द से यह शिक्षा प्राप्त की कि वेदों तथा समस्त भार्य-साहित्य (ऋषियों एवं मुनियों की कृतियाँ) की व्याख्या निरुक्त एवं अष्टाध्यायी द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के आधार पर की जानी चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने सायण द्वारा रचित वेद-भाष्य को स्वीकार नहीं किया। उनका यह मत था कि सायण द्वारा रचित वेद भाष्य यास्क मुनि के निरुक्त-नियमों से भिन्न रूप हो गया है। इसी प्रकार बेनफे, मैक्समूलर तथा ग्योर की वैदिक टीकाएं भी उन्हें समीचीन प्रतीत नहीं हुईं। इन टीकाओं ने भार्य का अर्थ करने में ही सहायता दी है, क्योंकि ये भी सायण की परिपाटी पर ही रची गई थी। इन पश्चात्य टीकाकारों ने अपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो पश्चिमी जगत् की पिछड़ी हुई मान्यताओं पर अपने तर्क आधारित किये जबकि वास्तविकता यह थी कि वैदिक कालीन भारत पश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से कई गुना विकसित एवं सभ्य था। उन्होंने वैदिक शब्दों का अक्षरशः अनुवाद करने में अपना समय लगाया और ये भावार्थ एवं अर्थ को नहीं छु सके। इस त्रुटि को स्वयं मैक्समूलर ने भी स्वीकार किया है।<sup>2</sup> इस दृष्टि से स्वामी दयानन्द की वैदिक टीकाएं सत्य के सर्वाधिक निकट मानी जा सकती हैं।<sup>3</sup>

स्वामी दयानन्द की दूसरी महत्त्वपूर्ण रचना सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें चौदह

अध्याय है। इस ग्रन्थ में स्वामी दयानन्द ने भारत में प्रचलित सभी धार्मिक एवं दार्शनिक मतमतान्तरों का विवेचन किया है। प्रथम अध्याय में ओम् शब्द की व्याख्या की है। द्वितीय में बच्चों के जन्म, उनकी प्रारम्भिक शिक्षा, मातृत्व की देखभाल, आदि का विवेचन किया गया है। तृतीय अध्याय में ब्रह्मचर्य, शिक्षा, प्राणायाम तथा स्त्रियों एवं शूद्रों को वेदाध्ययन की पूर्ण स्वतन्त्रता का समर्थन हुआ है। चतुर्थ अध्याय में विवाह, वर्णाश्रम-व्यवस्था एवं ग्रहस्थाश्रमधर्म का विवेचन है। पंचम अध्याय में वानप्रस्थ एवं संन्यासधर्म के निर्धारक तत्त्व, ईश्वर तथा आत्मा का अन्तर स्पष्ट किया गया है। छठे अध्याय में शासन, शासक के कर्तव्य, राज्य-परिषदें, मन्त्रियों की योग्यता एवं अनुभव, बहुमत एवं पल्पमत, कराधान, शौर्य के नियम, सैनिक विद्या, सैन्य स्नातकी एवं व्यूह रचना, युद्ध, युद्धबन्धियों के प्रति व्यवहार, तटस्थता, न्याय एवं न्यायिक पद्धतियाँ, दण्ड, राजनीति आदि का सुन्दर विवेचन किया गया है। राजनीति-विज्ञान के विद्यार्थियों के लिये इस अध्याय की विशेष उपादेयता है क्योंकि यह स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों का मूल स्रोत है। सप्तम अध्याय में ईश्वर तथा वेद, एकेश्वरवाद, ईश्वर-आराधना, आत्मा की स्वतन्त्रता, अवतारवाद, नव-वेदान्तवाद आदि का विवेचन है। अष्टम अध्याय में सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार, त्रिमूर्ति, बहुदेववाद एवं नास्तिकतावाद का विवेचन है। साथ ही साथ इसमें भौतिकवाद, बौद्धदर्शन, वेदान्त तथा भाग्यवादिता एवं षट् दर्शन, धार्मावर्त में धर्मों का आगमन आदि का भी तर्कपूर्ण पर्यवेक्षण किया गया है। नवम् अध्याय में ज्ञान, अज्ञान मुक्ति आदि का वर्णन है। दशम अध्याय में नैतिक-अनैतिक की परिचर्चा, खाद्य एवं भ्रष्टाचार वस्तुओं का वर्णन तथा विदेश-यात्रा, अन्तर्जातीय भोजन आदि पर प्रकाश डाला गया है। ग्यारहवें अध्याय में भारत में प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायों का वर्णन एवं खण्डन किया गया है। बारहवें अध्याय में नास्तिकतावाद, बौद्ध एवं जैन दर्शन, चावाक, पशुबली आदि की आलोचना प्रस्तुत हुई है। तेरहवें अध्याय में ईसाई धर्म की परिचर्चा एवं उसका खण्डन किया गया है। चौदहवें अध्याय में इस्लाम एवं कुरान की आलोचना प्रस्तुत की गयी है। इन अन्तिम दो अध्यायों में जिनमें ईसाई धर्म तथा इस्लाम की आलोचना समाहित है स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ-प्रकाश के द्वितीय संस्करण में सलग्न किया है। इन अध्यायों को स्वामी दयानन्द ने ईसाई मिशनरियों तथा मुस्लिम मौलवियों द्वारा हिन्दू धर्म की निरन्तर भर्त्सना करने वाली पुस्तकों के प्रतिकार स्वरूप लिखा था।<sup>4</sup>

स्वामी दयानन्द द्वारा विरचित अन्य ग्रन्थ ये—संस्कार-विधि, धार्मिकविनय, धार्मिकदृश्य-रत्नमाला, व्यवहार-मानु, अष्टाध्यायी भाष्य, संस्कृत-वाक्य-प्रबोध, वेदान्त ध्वांति निवारण, गोकर्णानिधि, पंचमहायज्ञ-विधि, धाति-निवारण, ब्रह्मोच्छेदन, वेद-विह्वल-मतखण्डन, शिक्षापत्री-ध्वाति-निवारण, काशी-शास्त्रार्थ, सत्यधर्म-विचार, वेदांग-प्रकाश आदि। उन्होंने अपनी स्वयं की मान्यताओं को सत्यार्थ प्रकाश के अन्त में 'स्वमन्तव्यमन्तव्य' नामक शीर्षक से प्रस्तुत की है। इस प्रकार स्वामी दयानन्द का वाङ्मय प्रमुखतः धार्मिक एवं धार्मिक चिन्तन में पूर्ण है। किन्तु उनके द्वारा समय समय पर दिये गये वक्तव्य एवं सत्यार्थ-प्रकाश का षष्ठम अध्याय उनके स्पष्ट राजनीतिक चिन्तन को प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचनाओं का मूल भावार्थ देशभक्ति एवं राष्ट्र-प्रेम से प्रोत्पन्न है।

## स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचार

स्वामी दयानन्द सरस्वती के राजनीतिक विचार सर्वथा भारतीय अध्ययन-परम्परा का निर्वाह करते हैं। उन्होंने राजनीतिक अन्वेषण की पाश्चात्य परम्परा के अस्तित्व अपने विचारों को कतिपय पूर्वग्रहों पर आश्रित किया। वे वेदों को मानवीय सभ्यता का मूल आधार मानते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि वेद अपौरुषेय अर्थात् ईश्वरकृत हैं। ईश्वर ही शासन व्यवस्था का दाता है अतः ईश्वर-प्रदत्त शासन व्यवस्था ही जो कि वेदों से निसृत हुई है, वही मान्य है। वे राजनीति को वेद-प्रदत्त शास्त्र के रूप में मानते थे। अपने अन्य विचारों के समान राजनीतिक विचारों का भी वेद-सम्मत दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए स्वामी दयानन्द ने सायण तथा महिधर के वेदभाष्यों को प्रामाण्य घोषित किया। सायण तथा महिधर के भाष्यों के परम्परागत, रूढ़िवादी दृष्टिकोण को स्वामी दयानन्द ने नकारा, क्योंकि वे वेदों की प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक व्याख्या के लिए कृतसंकल्प थे। उनकी सर्वथा नवीन एवं वैज्ञानिक वेदव्याख्या ने उनके राजनीतिक विचारों को नवीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में सहायता दी।<sup>5</sup> उन्होंने ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका तथा ऋग्वेद-भाष्य में वेदकालीन राजनीतिक व्यवस्था एवं चिन्तन को प्रस्तुत करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि परम्परागत वेदभाष्यों में वर्णित वैदिक देवी-देवताओं जैसे इन्द्र, वरुण, अग्नि, मरुत, सूर्य आदि को देवता मानना अज्ञान है एवं वेदों की अताकिक व्याख्या करना है। स्वामी दयानन्द के अनुसार ये देवी-देवता न होकर शासन के प्रकार हैं तथा इनके तात्त्विक गुणधर्म से इनकी व्याख्या होनी चाहिए, न कि देवताओं के रूप में इनकी पूजा-अर्चना आदि से।<sup>6</sup> इन सन्दर्भ में बिमानबिहारी मजूमदार ने यह मत व्यक्त किया है कि स्वामी दयानन्द वास्तव में राजनीतिक विचारों के व्यक्ति थे। आधुनिक समय में उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रायों की राजनीति का विशद चित्रण प्रस्तुत किया है। वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों, उपनिषदों एवं धर्मशास्त्रों से घुने हुए उद्धरणों के आधार पर उन्होंने भारत की प्राचीन राजनीतिक विचारावली को पुनर्प्रकाशित कर दिया। प्राचीन भारतीय राजनीति के अन्वेषकों में स्वामी दयानन्द का नाम अग्रणी रहेगा।<sup>7</sup>

स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों में राज्य को एक विकसित एवं सौकरहित-कारी संस्था के रूप में देखा गया है। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति, उसका विकास तथा राज्य की स्थापना सम्बन्धी विचारों में अपना समय नहीं लगाया। वे राज्य को सकारात्मक अर्थों में स्वीकार करते हुए उसे मानव-जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात् धर्म, धन, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानते हैं। राज्य इहलोक एवं परलोक दोनों की साधना का माध्यम है। बिमानबिहारी मजूमदार के अनुसार स्वामी दयानन्द ने राज्य के उद्देश्यों को जितना व्यापक स्वरूप दिया है वसा प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक समय के किसी भी अन्य राजनीतिक विचारक ने नहीं किया।<sup>8</sup>

स्वामी दयानन्द ने राज्य की समुदायों का समुदाय कहा है। उनके विचार आधुनिक समय के बहुलवादियों के पूर्वगामी दिखाई देते हैं। वे राज्य को एक महत्वपूर्ण समुदाय मानते हुए भी उसे एकमात्र महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था नहीं मानते थे। वे राज्य के साथ ही साथ तीन अन्य समुदायों का भी उल्लेख करते हैं। पहला राजनीतिक समुदाय, दूसरा कला एवं विज्ञान सम्बन्धी समुदाय तथा तीसरा धर्म एवं नैतिकता सम्बन्धी



समुदाय । अपने इन विचारों को स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ-प्रकाश में ऋग्वेद के तृतीय मंडल में सूक्त 38 की व्याख्या करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया है :

“ईश्वर उपदेश करता है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिला कर सुख-प्राप्त और विज्ञान वृद्धि कारक राजा-प्रजा के सम्बन्ध रूप व्यवहार में तीन सभा अर्थात् विद्यायें सभा, धर्मार्थसभा, राजार्थसभा नियत करके बहुत प्रकार के समग्र प्रजा सम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को सब और से विद्या स्वातन्त्र्य, धर्म, सुशिक्षा और घनादि से अलंकृत करें।”<sup>9</sup>

उनके अनुसार विद्वान् एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कला एवं विज्ञान अकादमियों के लिए निर्वाचित किया जाये । विद्वान् तथा पवित्र व्यक्तियों को धर्म-अकादमी के लिये चुना जाये तथा प्रसिद्ध एवं पवित्र व्यक्तियों को राज्य सभा के लिये चुना जाये । इस प्रकार वे सच्चरित्र एवं विद्वान् व्यक्तियों को ही राज्य, धर्म, कला, आदि का कार्य सौंपना चाहते थे । महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्वामी दयानन्द ने उन्हें 'नियुक्त' करने के स्थान पर 'निर्वाचित' करने का आग्रह किया है । यह अपने आप में उनके लोकतान्त्रिक विचारों एवं स्वातन्त्र्य प्रेम का ज्वलन्त उदाहरण है । साथ ही साथ स्वामी दयानन्द ने राज्य के समस्त क्रियाकलापों के लिए इन तीनों सभाओं या अकादमियों का समर्थन आवश्यक माना है । तीनों सभाएं पारस्परिक रूप से सम्बन्धित होते हुए भी अपने व्यष्टिगत कार्यों के लिए आत्म-निर्भर एवं स्वतन्त्र रखी गयी हैं । राज्य तथा अन्य समुदायों में पारस्परिक सहयोग को यान्यता प्रदान कर उनके विरोध को यथासम्भव दूर रखने का प्रयास किया गया है । राज्य के स्वरूप की भागिक एकता को स्वामी दयानन्द ने स्वीकार किया है । यजुर्वेद के उस श्लोक<sup>10</sup> को जो कि प्रायः अन्य विद्वानों द्वारा वर्ण-व्यवस्था के अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है, स्वामी दयानन्द ने राज्य की भागिक सम्बद्धता के सन्दर्भ में देखा है । वे लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि में जो मुख के सदृश उत्तम हो वह ब्राह्मण है, बल-पराक्रम जिसमें अधिक हो वह क्षत्रिय, जो पदार्थों एवं क्रय-विक्रय में चातुर्य रखता हो वह वैश्य तथा जो मूर्खतादि गुणवाला हो वह शूद्र है । निराकार होने से जब परमेश्वर के मुखादि अंग होते ही नहीं हैं तो मुख-आदि से जातियों का उत्पन्न होना असम्भव है ।<sup>11</sup>

स्वामी दयानन्द के विचारों में शासन के प्रकारों के सन्दर्भ में एक विरोधाभास यह दृष्टिगोचर होता है कि जहाँ अन्य लोगों द्वारा वैदिक काल में राजतन्त्र को एक मान्य शासन-व्यवस्था के रूप में प्रायः स्वीकार किया गया है वहाँ स्वामी दयानन्द राजतन्त्र के स्थान पर गणतन्त्र की उपस्थिति का बोध कराते हैं ।<sup>12</sup> उनके अनुसार प्राचीन समय में भी एक व्यक्ति के शासन की भारत में कभी उचित नहीं स्वीकार किया गया था । इस प्रकार राजतन्त्र के स्थान पर गणतन्त्र की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों की विशेषता है और उनकी पूर्वाग्रह-चेष्टा भी ।<sup>13</sup> यह मानने में अस्वीकृति नहीं हो सकती कि भारत में राजतन्त्र एक पूर्ववैदिक कालीन संस्था के रूप में मान्य रहा है ।<sup>14</sup> गणतन्त्र तथा गणराज्य की स्थिति जिसको स्वामी दयानन्द का विशेष समर्थन प्राप्त रहा, एक उत्तरवैदिक कालीन संस्था के रूप में मान्य है । उत्तर वैदिक-कालीन सभा तथा समितियों का उल्लेख स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों में पुनः उद्भासित हुआ है । वे राजा द्वारा त्रिसभाओं के सहयोग से शासन-कार्य संचालित करने

का उल्लेख करते हैं। जनता को राजा तथा सभाओं के सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति दी गयी है। वे शक्ति-पृथक्करण, अवरोध एवं सन्तुलन को मान्यता नहीं देते। शक्ति के पारस्परिक द्वन्द्व का निराकरण करने का अधिकार राजा या अध्यक्ष को न देकर उन्हें निरवकाशों या संन्यासियों को दिया है। संन्यासियों को इस प्रकार की शक्ति से युक्त करने का कारण उनकी निष्पक्षता, निष्कपटता एवं ज्ञान आदि गुण हैं। इतना ही नहीं, स्वामी दयानन्द ने विधि की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए भी यह माना है कि यदि विधि का निर्माण करने वाले अयोग्य, अज्ञानी तथा वेदों के ज्ञान से रहित हों तो उनकी आज्ञाओं की तथा ऐसे लोगों द्वारा निर्मित विधि की अवहेलना धर्म संगत है। उनके द्वारा कानूनों के निर्माताओं के वेद-विरुद्ध आचरण पर उनकी अवज्ञा एक महान् राजनीतिक क्रांति का बोध कराती है।<sup>15</sup> विमानबिहारी मजूमदार ने स्वामी दयानन्द के इन विचारों को सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं असहयोग आंदोलन का मार्ग-दर्शक माना है। धर्म-समाज के समर्थकों का अंग्रेजी शासन से विरोध स्वामी दयानन्द के इन राष्ट्रीय विचारों का प्रतिफल है।<sup>16</sup>

स्वामी दयानन्द ने अपने राजनीतिक विचारों को अधिकतर मनुस्मृति पर अवस्थित किया है किन्तु उनकी व्याख्या अधिक तथ्यपूर्ण एवं आधुनिक है। वे राजा के दैवी अधिकारों को कदापि स्वीकार नहीं करते। उनके विचारों में राजा की स्थिति चुने हुए अध्यक्ष के समान है। उन्होंने धर्मतन्त्र का कही भी अनुसरण नहीं किया।<sup>17</sup>

स्वामी दयानन्द ने विधि अथवा दंड को प्रमुखता दी है। मनुस्मृति से उद्धरित श्लोकों के आधार पर उन्होंने लिखा है कि दंड ही राजा तथा शासन कर्त्ता है और वही चार वर्ष और चार आश्रमों के धर्मों को प्रतिभूत करता है। कानून ही धर्म है तथा दंड एक कृष्णवर्ण रक्तनेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने वाला है। दंड तेजोमय है और उसको प्रविष्टान्, अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता। यदि राजा अधर्मात्मा हो तो दंड उस राजा को कुटुम्ब सहित नाश कर देता है।<sup>18</sup> पापयुक्त, मूढ़ एवं विषयी राजा न्याय पूर्वक दंड संचालन में कभी समर्थ नहीं हो सकता। प्रजापालन करना ही राजाओं का परमधर्म है।<sup>19</sup> राजा को पक्षपात रहित होकर न्याय करना चाहिए। पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित ही वयों न हो ये सब स्वधर्म में स्थित न रहने पर राजा द्वारा दण्ड्य हैं। इसी प्रकार राजा भी स्वधर्मच्युत होने पर दंड का भागी हो जाता है। स्वामी दयानन्द ने राजा के सन्दर्भ में अत्यधिक कठोर दंड की व्यवस्था निर्धारित की है। उनकी व्याख्या के अनुसार जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक भाग दंड हो तो उसी अपराध में राजा पर सहस्रगुण अर्थात् हजार गुना दंड होना चाहिए।<sup>20</sup> मन्त्री को आठ सौ गुना और उससे छोटे राज्याधिकारी को उससे कम। इस प्रकार कम होते होते अपराधी तक दंड का अनुपात आठगुना रखा गया है। कारण यह दिया गया है कि यदि राजपुरुषों को प्रजा-पुरुषों से अधिक दंड न दिया गया तो वे प्रजा के नाश के लिए उद्यत हो जायेंगे। जैसे "सिंह अधिक और बकरी छोटे दंड से ही बश में आ जाती है" उसी प्रकार राज पुरुषों को अधिक दंड से नियन्त्रित किया जाये।<sup>21</sup> इसी प्रकार से चोरी जैसे साधारण अपराध में भी शूद्र को चोरी से आठ गुना, वैश्य को सौलह गुना, क्षत्रिय को बत्तीस गुना, ब्राह्मण को चौंसठ गुना, सौगुना या एक सौ अठ्ठाइस गुना दंड मिलना चाहिए। स्वामी दयानन्द के अनुसार जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक

हो उसको अपराध की स्थिति में उतना ही अधिक दंड दिया जाना चाहिए।<sup>22</sup>

शासन के विकेन्द्रीकरण के प्राचीन मनुस्मृति-सम्मत मत का अनुसमर्थन करते हुए स्वामी दयानन्द ने व्यक्त किया है कि राजा तथा राज्य-सभा अपने राज-कार्य की सिद्धि करने के लिए 'दो, तीन, पांच और सौ ग्रामों के बीच एक राज्य-स्थान रखें, जिसमें यथायोग्य राजकीय कर्मचारी निगरानी के लिए नियुक्त किये जायें। एक-एक ग्राम में एक-एक प्रधान पुरुष को रखे, उन्हीं दस ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवा पुरुष रखे अर्थात् जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दस ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दस तहसीलों पर एक जिला नियत किया है, यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है।'<sup>23</sup>

स्वामी दयानन्द ने इस शासन-व्यवस्था की कार्य-प्रणाली का उल्लेख करते हुए आगे यह व्यक्त किया है कि "एक-एक ग्राम का पति ग्रामों में नित्यप्रति जा जो दोष उत्पन्न हों उन-उन को गुप्तता से दस ग्राम के पति को विदित कर दे और वह दस ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम के स्वामी को दस ग्रामों का वर्तमान नित्यप्रति बता दे। बीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों के वर्तमान को शत ग्रामाधिपति को नित्य प्रति निवेदन करे, वैसे ही सौ-सौ ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात् हजार ग्रामों के स्वामी को बीस-बीस ग्राम के पांच अधिपति सौ-सौ ग्राम के अध्यक्ष को सहस्र-सहस्र के दस अधिपति दस सहस्र के अधिपति को और दस-दस हजार के दस अधिपति लक्ष (एक लाख) की राज्य-सभा को प्रतिदिन का वर्तमान बतावें। ये सब राज्य-सभा, महाराज-सभा अर्थात् सार्वभौम चक्रवर्ति महाराज-सभा में सब का वर्तमान बतावें।"<sup>24</sup> न्यायाधीशों के कार्य की जांच पड़ताल के लिए स्वामी दयानन्द ने राज्य-सभा के अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा घूमफिर कर पता लगाने का कार्य सौंपा है। यह राज्यसभासद "जो कि नित्य घूमने का काम करें उसके अन्तर्गत सभी गुप्तचर संबन्धों को रखा जाये तथा ये गुप्तचर राज्यपुरुषों एवं प्रजापुरुषों के साथ सम्बन्ध रखते हों और भिन्न-भिन्न जाति के रखे जायें। इनके द्वारा सब गुणदोषों को गुप्त रीति से जाना जाये तथा अपराधी को दंड और गुणों को सम्मानित किया जाये। राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार दे वे धार्मिक, सुपरीक्षित, विद्वान्, कुलीन हों तथा उनके अधीन प्रायः शठ और परपदार्य हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख कर उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिये राज्य के नौकर कर के उनसे प्रजा की रक्षा यथावत् करे। जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेकर पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वस्वहरण कर यथायोग्य दंड दे।"<sup>25</sup>

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि स्वामी दयानन्द राजतन्त्रीय शासन के स्थान पर गणतन्त्रीय शासन-व्यवस्था के पक्ष में थे। वे शक्ति पृथक्करण के स्थान पर शासन के कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी कार्यों में सामंजस्य चाहते थे। वे न्यायपालिका को भी स्वतन्त्र आचरण के लिए न छोड़ कर उस पर भी शासन की दृष्टि रखना चाहते थे, ताकि अष्ट न्यायाधीशों को देश निष्कासन दिया जा सके। शासन में व्याप्त अष्टाचार को मिटाने के उनके सुभाव प्राधुनिक समय के अष्टाचार निरोधक विभाग के समान

दिखाई देते हैं।<sup>26</sup>

स्वामी दयानन्द ने केवल शासन के प्रकार एवं राज्य व्यवस्था का सैद्धान्तिक आधार ही प्रस्तुत नहीं किया अपितु उन्होंने शासन के आन्तरिक एवं बाह्य कार्यों का भी विशद वर्णन ग्रार्थ ग्रन्थों के आधार पर सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत किया है। वे वर्ण-व्यवस्था के कर्म को दृढ़ता से क्रियान्वित करना राज्य का आवश्यक कार्य मानते हैं। यदि उच्च परिवार में उत्पन्न बालक की चेष्टाएं शूद्रों जैसी हैं तो उसे शूद्र का ही कार्य करना होगा। यदि माता-पिता के एक ही सन्तान हो और वह सन्तान भी अयोग्य निकल जाये तो राज्य द्वारा उन्हें दूसरी योग्य सन्तान दे दी जायेगी। स्वामी दयानन्द के इस मत का यह तात्पर्य है कि वे राज्य-नियन्त्रित व्यवसायात्मक बालशिक्षा का समर्थन करते हैं जैसा कि आधुनिक समय में सोवियत रूस ने किया है। किन्तु भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या का अनुपात वृहत् है स्वामी दयानन्द का यह मत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। यह इस कारण से भी सम्भव प्रतीत नहीं होता कि भारत में सम्पत्ति का समान वितरण नहीं है। स्वामी दयानन्द ने सम्पत्ति के समान वितरण पर अपना विचार व्यक्त नहीं किया है। वे सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हैं और यह भी व्यक्त करते हैं कि पूँजीपतियों को सम्पत्ति का उपयोग सामाजिक शोषण के लिए न करने दिया जाये किन्तु इससे अधिक और अन्य व्यवस्था उन्होंने व्यक्त नहीं की है।<sup>27</sup>

उनके राज्य दर्शन विषयक लेखन में देश की सुरक्षा को अतीव महत्त्व दिया गया है। वे एक सुनियोजित एवं सुमगठित सेना को राज्य की रक्षा का आवश्यक अंग मानते हैं। सेना के तीनों अंगों अर्थात् चल-सेना, नौ-सेना तथा नभ-सेना का उल्लेख उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर किया है। व्यूहनीति तथा सेना के सभार-तन्त्र की चर्चा उनकी व्याख्या को अधिक महत्त्वपूर्ण बना देती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उन्हें आधुनिक रणनीति का भी पूर्ण ज्ञान था।<sup>28</sup> वे समस्त नागरिकों को भी आवश्यक सैन्यशिक्षण देने के पक्षपाती हैं। देश की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय धन-संपदा की वृद्धि ये दोनों ही राज्य के आवश्यक कार्यों की सूची में मूर्धन्य रखे गये हैं।<sup>29</sup> उनका राज्य-सम्बन्धी विचार एक पुलिस-राज्य की कल्पना पर आधारित न होकर पूर्णतया लोक-कल्याणकारी है। राज्य के कार्यों में प्रनाय, प्रपाहिज एवं समाज के निम्न वर्ग के व्यक्तियों के संरक्षण का समावेश उनके राज्य सम्बन्धी विचारों को यथार्थ के निकट ले आता है।

स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों में चाणक्य की सी शक्ति है। वे शक्ति-राजनीति से भी दूर नहीं। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में जहाँ नैतिकता एवं सत्य को राजनीति एवं शासन-व्यवस्था का मापदण्ड माना है वहीं कुटनीति के मिद्धान्तों का समर्थन करते हुए दुष्टों, आततायियों तथा विदेशी आक्रामकों को समाप्त करने के लिए असौमित शक्ति के प्रयोग की स्वीकृति भी दी है। युद्ध में हिंसा के महत्त्व को पूर्णतया आत्मसात् करते हुए उन्होंने यह भी मत, मनुस्मृति के आधार पर, व्यक्त किया है कि आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन की छाद्य सामग्रियों को तथा उसके जलाशयों को विधायक कर नष्ट कर देना चाहिए। यही नहीं, अपितु हर प्रकार की रीति-नीति अपना कर दुश्मन को सदा के लिए समाप्त करना उन्होंने उचित माना है। एक संन्यासी होकर भी राष्ट्र की रक्षा का जैसा सच्चा दायित्व यथार्थपूर्ण व्यवहार में स्वामी दयानन्द ने दर्शाया है वह

अपने आप में उनकी राष्ट्रीय विचारधारा एवं देशभक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। एक तत्त्वज्ञानी, दार्शनिक, मानवता के सेवी का यह यथार्थपूर्ण राजनीतिक दायित्व भारतीय इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है। इसी कारण से स्वामी दयानन्द ने विदेशी संस्कृति एवं विदेशी धर्मों का भारत में प्रतिकार प्रस्तुत किया।

स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि वे कोरे संन्यासी ही नहीं थे अपितु एक महान् समाज-सुधारक तथा कट्टर देशभक्त भी थे। उनकी कृतियों एवं भाषणों में उनका देशाभिमान झलकता है। ब्रिटिश शासन की जकड़ में फंसे हुए भारत में स्वामी दयानन्द, उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाज तथा उनके अनुयायियों ने देशसेवा का जो व्रत निभाया वह विस्मृत नहीं किया जा सकता। इन्होंने अपने समय में देशी रियासतों के राजा-महाराजाओं को जागृत करने का प्रयास भी राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर किया। उनकी राष्ट्रीय विचार-धारा का उदाहरण उनका हिन्दी प्रेम भी था। ऐसे समय में जब हिन्दी को अपनी मान्यता स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, स्वामी दयानन्द ने गुजराती भाषी होते हुए भी अपने भाषण तथा कृतियाँ संस्कृत-हिन्दी में लिखवायीं। वे हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा मानते थे। हिन्दी भाषा के अलावा उनका स्वदेशी प्रेम भी अमीमित था। उन्हीं के प्रयत्नों से उनके शिष्यों ने जिनमें भारत के कई बड़े राजा-महाराजा आदि थे, विदेशी वस्त्रों को त्याग कर हाथ का बुना हुआ स्वदेशी वस्त्र पहनना प्रारम्भ किया।

स्वामी दयानन्द के राजनीतिक विचारों से निसृत राष्ट्रीय विचारधारा ने उनके कार्यक्रम के प्रति ब्रिटिश शासन को असमंजस में डाल दिया। बेलेन्टोन शिरोल ने स्वामी दयानन्द को 'एक सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ तथा अंग्रेजी शासन को अन्दर से उखाड़ने में प्रयत्नशील' की संज्ञा दी। शिरोल की यह धारणा थी कि स्वामी दयानन्द के विचार हिन्दूधर्म को सुधारने से अधिक विदेशी शासन के विरुद्ध दृढ़ प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले थे। स्वामी दयानन्द के अवसान के पश्चात् भी ब्रिटिश शासन का रवैया आर्यसमाज-विरोधी ही रहा। आर्यसमाज के कई प्रमुख नेताओं को जिनमें अजीतसिंह तथा लाला लाजपतराय प्रमुख थे अपने राष्ट्रीय विचारों के कारण ब्रिटिश शासन का कोपभाजन बनना पड़ा।

उनके राजनीतिक विचारों का आधार उनकी भारत के महान् अतीत में आस्था एवं पुनर्भूयत्ववादी मान्यता थी। उनका मत था कि स्वयंभू मनु के समय से महाभारत-काल तक भारत एक विश्वशक्ति के रूप में रहा था। किन्तु पारस्परिक द्वेष, अज्ञान, अशक्ति एवं विलासिता के कारण भारत की स्वतन्त्रता का लोप होता चला गया। वे विदेशी शासन को, चाहे वह कितना ही उन्नत एवं सुसभ्य क्यों न हो और कितना ही धर्म-निरपेक्ष एवं दयालुता पर आधारित हो, लोक-दुख का निवारक नहीं मानते थे। उनके द्वारा विदेशी शासन की समय समय पर अवमानना के कारण एक हिन्दू संन्यासी अल्लाराम ने उनके वैरुद्ध देशद्रोह का आरोप इलाहाबाद न्यायालय में दर्ज करवाया। किन्तु अंग्रेज न्यायाधीश दूसरा ही मत लिया और यह निर्णय दिया कि स्वामी दयानन्द के प्रवचन सुधारात्मक तथा उनका प्रचार हिन्दुओं की स्वयं की स्वशासन अयोग्यता का आभास करता था। भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द को पूर्ण आत्मविश्वास

था। वे जानते थे कि अंग्रेजी शासन अपनी दमनात्मक नीति एवं मदीन्मत्तता के कारण भारत में अधिक समय नहीं चल सकेगा। इस सन्दर्भ में स्वामी दयानन्द ने व्यक्त किया था कि,

“सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय-पर्यन्त आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश में माण्डलिक अर्थात् छोटे-छोटे राजा रहते थे क्योंकि कौरव पाण्डव-पर्यन्त यहां के राज्य और राज शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे, क्योंकि यह मनुस्मृति जो कि सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण है। इसी अर्थावर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात् विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, भ्लेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करे और महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूययज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनो! चीन का भगदत्त, अमेरिका का ब्रुवाहन, यूरोप देश का विडालाक्ष अर्थात् माजार के सदृश आँख वाले, यवन जिसको यूनान कह आये और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में सब आज्ञानुसार आये थे। जब रघुगुण राजा थे तब रावण भी यहां के अधीन था। जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था।”

इस सम्बन्ध में आगे विचार व्यक्त करते हुए स्वामी दयानन्द ने दर्शाया है :

“स्वार्थभु राजा से लेकर पांडव पर्यन्त आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्चात् आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट हो गये, क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी अविद्वान् लोगो का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। और यह ससार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थरहितता, ईर्ष्या-द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या मुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे मद्य, मांस-सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारिता-दोष बढ़ जाते हैं। और जब युद्ध-विभाग में युद्ध-विद्या-कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगो में पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष उड़ा होता कि उनकी पगजय करने में समर्थ होवे, जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्दसिंहजी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्नभिन्न कर दिया।”<sup>30</sup>

उपर्युक्त उद्धरण के सम्बन्ध में बिमानबिहारी मजूमदार ने व्यक्त किया है कि यद्यपि स्वामी दयानन्द द्वारा प्रस्तुत भारतीय इतिहास की सतरहवीं शताब्दी का उल्लेख स्पष्टपूर्ण है किन्तु उनके इस उद्धरण से स्पष्ट है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अंग्रेजी शासन की समाप्ति का आह्वान कर रहे थे।<sup>31</sup>

**स्वामी दयानन्द के सामाजिक विचार**

स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ-प्रकाश में चार आश्रमों अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं मध्यास सम्बन्धी विवेचन में अपने सामाजिक विचारों को प्रकट किया है।<sup>32</sup> वे समाज तथा सरकार के कार्य-क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं स्वीकार करते। सामाजिक

व्यवस्था को उन्होंने शासन-व्यवस्था का ही अंग माना है तथा दोनों के क्रिया-कलाप अन्यान्याश्रित रहे हैं। समाज के चार वर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र शासन द्वारा नियमित किये जायें तथा राज्य यह देखे कि सब अपने अपने उत्तरदायित्वों का वहन ठीक से करते रहें।<sup>33</sup> इस प्रकार राज्य-व्यवस्था पर सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति रखकर उन्होंने राज्य का कार्यक्षेत्र असीमित बना दिया है। अपने राष्ट्रीय राज्य-सम्बन्धी विचारों के अन्तर्गत वे विवाहादि कार्य भी राज्य द्वारा निदेशित एवं संरक्षित मानते हैं। बाल-विवाह, बहुपतिप्रथा तथा बहुपत्नीप्रथा सब पर राज्य को अंकुश लगाने का अधिकार स्वीकार किया गया है ताकि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ एवं अन्धविश्वास समाज, शासन तथा राज्य को जर्जरित एवं दुर्बल न बना दें। इस सन्दर्भ में स्वामी दयानन्द ने पुरुषों के लिये विवाह की आयु कम से कम पच्चीस तथा सर्वाधिक उपयुक्त आयु अड़तालीस वर्ष की रखी है। स्त्रियों के लिए विवाह-योग्य आयु कम से कम सोलह तथा अधिक से अधिक चौबीस वर्ष की रखी है।<sup>34</sup> बिमानबिहारी मजूमदार ने इस सन्दर्भ में लिखा है कि भारत में विवाह की आयु को वयस्कता का आधार दिलाने का श्रेय बी. एम. मलाबारी को दिया जाता है जिनका एतद् सम्बन्धी लेख 1884 में अर्थात् स्वामी दयानन्द की मृत्यु के एक वर्ष पश्चात् प्रकाशित हुआ।<sup>35</sup> स्पष्ट है कि इस कार्य का श्रेय स्वामी दयानन्द को सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है क्योंकि उन्होंने सत्यार्थ-प्रकाश में ऐसे विचार पहले ही व्यक्त कर दिये थे। यह स्वामी दयानन्द की दूरदर्शिता एवं आधुनिकता का ज्वलन्त उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों के क्षेत्र में जो कार्य किया है, वह अद्वितीय है। विवाह के सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द ने विवाह करने वालों की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया है। उनका मत है कि विवाह में योग्य वर तथा कन्या स्वयं स्वतन्त्र निर्णय द्वारा अपने जीवन-साथी का चुनाव करें। माता-पिता द्वारा यदि सम्बन्ध तय किया जाये तो भी वर-कन्या से सम्मति अवश्य ली जाये।<sup>36</sup> स्वामी दयानन्द का यह सुझाव प्रगतिशील था क्योंकि ऐसा करने से दाम्पत्यसूत्र में बढ़ने वाले वर-वधु का वैवाहिक जीवन अधिक सुखप्रद हो सकेगा। किन्तु उपर्युक्त उदार दृष्टिकोण का यह अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि स्वामी दयानन्द सहशिक्षा अथवा लड़के-लड़कियों के स्वतन्त्र-मिलन में विश्वास रखते थे। उन्होंने ऐसी किमी भी उत्कृष्टलता को स्वीकार नहीं किया है।<sup>37</sup> वे विवाह के पहले लड़के या लड़की में किसी प्रकार का वार्तालाप भी अमान्य ठहराते हैं। इसी तरह उन्होंने विधवा-विवाह को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के लिए अमान्य ठहराया है। विधुर पुरुष एवं विधवा स्त्री के मध्य सन्तान-प्राप्ति के लिए उन्होंने ऋग्वेद के आधार पर नियोग-पद्धति को स्वीकार किया है।<sup>38</sup>

स्वामी दयानन्द के सामाजिक विचारों में अत्यधिक क्रांतिकारी विचार शूद्रों अर्थात् दलितजातियों के उत्थान से सम्बन्धित थे। उन्होंने वर्ण को जन्म के आधार पर न मान कर कर्म के आधार पर स्वीकार किया और यह विचार प्रकाशित किया कि शूद्र वेदाभ्यास का उसी प्रकार अधिकारी है जैसे कि अन्य वर्ण। शूद्रों के उत्थान के लिए उन्हें वेदोक्त संस्कारों से युक्त करने तथा उन्हें हिन्दू-समाज में प्रतिष्ठित पद दिलाने का उनका प्रयास अत्यन्त प्रशंसनीय रहा है। अछूतों के प्रति भारतीय जनमानस की भावनाओं को उन्होंने परिवर्तित कर दिया और स्वयं दलितजातियों के सम्पर्क में आये और उनके हाथ से भोजन

जलादि ग्रहण किया। यह स्वामी दयानन्द के समय की महान् क्रान्तिकारी घटना थी। इस कारण स्वामी दयानन्द को कटुतम झालोचना का विषय बनना पड़ा किन्तु ये दृढ़-प्रतिज्ञ रहे। महात्मा गाँधी ने स्वामी दयानन्द को प्रशंसा करते हुए उनके भ्रष्टृतीद्वार के कार्य को महान् योगदान के रूप में माना है।<sup>39</sup>

### स्वामी दयानन्द के धार्मिक विचार

स्वामी दयानन्द चारों वेदों को स्वतः प्रमाण मानते थे। उनके अनुसार वेदों को स्वयं ईश्वर ने प्रणीत किया है। ईश्वर या ब्रह्म या परमात्मा सच्चिदानन्द-स्वरूप है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं। वह सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु, न्यायकारी, सर्वसृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, जीवों को कर्मानुसार सत्य-न्याय से फल देने वाले लक्षणों से युक्त, परमेश्वर है। इसके विपरीत इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य 'जीव' है। जीव और ईश्वर स्वरूप और बंधर्म्य से भिन्न व्याप्य-व्यापक भाव और साधर्म्य से अभिन्न है। जैसे आकाश से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक और पिता-पुत्र आदि सम्बन्धों से युक्त माना गया है। ईश्वर, जीव तथा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण ये तीनों "अनादि पदार्थ" हैं। इन्हीं तीनों को नित्य कहा गया है और इनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं।<sup>40</sup>

स्वामी दयानन्द ने मूर्तिपूजा का प्रबल खंडन किया है। उनका यह मत था कि जद परमेश्वर निराकार और सर्वव्यापक हैं तब उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है। यदि मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण होता है तो परमेश्वर के बनाये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ परमेश्वर रचित महामूर्तियाँ हैं जो उन पापाणादि मूर्तियों से श्रेष्ठ हैं और उनसे परमेश्वर का सही स्मरण होता है। पापाणादि मूर्तियों के पूजक कुकर्म करने में इसलिए प्रवृत्त होते हैं कि उनका विश्वास है कि यदि मूर्ति उनके सामने नहीं है तो उनको कोई नहीं देख रहा। किन्तु जो पापाणादि मूर्तियों को नहीं मानता वह सर्वदा सर्व-व्यापक, सर्वान्तर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र मानता है और इस कारण से क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक् न जानते हुए किसी भी प्रकार की कुचेष्टा या कुकर्म नहीं करता। क्योंकि वह जानता है कि यदि उसने मन, वचन और कर्म से कोई भी पाप किया तो उस अन्तर्यामी के न्याय से बिना दण्ड पाये नहीं बच सकता। इस प्रकार स्वामी दयानन्द ने जीव को चेतन तथा मूर्ति को जड़ मानते हुए मूर्ति-पूजा को पालंठ सिद्ध किया और उसे जैनियों द्वारा चलाया गया पार्संहकार्य बताया।<sup>41</sup> स्वामी दयानन्द ने हिन्दुधर्म में प्रचलित विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों को अधार्मिक एवं वेद-विरुद्ध सिद्ध किया। इस सन्दर्भ में उन्होंने स्वामी नारायण, वल्लभसम्प्रदाय, वाममार्ग, जैन, सिद्ध, बौद्ध आदि मतों की भर्त्सना की तथा इनमें व्याप्त पालंठों के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित किया। सतपार्थ प्रकाश में स्वामी दयानन्द ने ईसाई धर्म तथा इस्लाम की अधिकतर मान्यताओं को अतार्किक, विवेकभूय, अधर्विकसित एवं अन्यायपूर्ण सिद्ध किया है।<sup>42</sup>

वे पक्षपातरहित, न्यायाचरण, सत्यभावण तथा वेदों से अविरुद्ध कर्म को 'धर्म'



मानते थे तथा इसके विपरीत कर्म को 'अधर्म'। सर्व दुःखों से मुक्त, बन्धन-रहित हो सर्व-व्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरण तथा नियत समयपर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग कर पुनः संसार में आना ही मुक्ति है। उनके अनुसार ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, प्राप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि मुक्ति के साधन हैं। वे प्रारब्ध से पुरुषार्थ को अधिक महत्त्व देते थे क्योंकि पुरुषार्थ से ही संचित प्रारब्ध बनते हैं या बिगड़ते हैं। उनके अनुसार विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और धर्मात्माजन, पतिव्रता स्त्री और स्त्रीव्रतपति का सत्कार करना ही सच्ची देव-पूजा है। सत्यभावण, विद्या, सत्संग यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म ही तीर्थ हैं न कि जलस्यलादि से सम्बन्धित तीर्थ-यात्रा धाम। ईश्वर निराकार है अन्यथा वह व्यापक नहीं हो सकता। यदि ईश्वर साकार हो तो उनके अवयवों को बनाने वाला दूसरा होना चाहिए। यदि कोई स्वेच्छा से भी ईश्वर को स्वयम्भू अर्थात् आप ही आप शरीर बना लिया ऐसा माने तब भी यही सिद्ध होता है कि शरीर के बनने से पूर्व ईश्वर निराकार था। इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत् को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए किन्तु यह स्तुति, उपासना आदि निर्गुण स्तुति के रूप में हों। स्तुति, उपासना का उद्देश्य परमेश्वर जैसे गुण, कर्म स्वभाव धारण करना है। केवल भजन, कीर्तन, प्रार्थना, नमाज करते रहना और अपना चरित्र नहीं सुधारना सब व्यर्थ हैं।<sup>48</sup>

### स्वामी दयानन्द के शिक्षा सम्बन्धी विचार

शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानन्द के विचार प्राचीन वैदिक परम्परा के पोषक हैं। उन्होंने शिक्षा को मानव-जीवन का महत्त्वपूर्ण ध्येय माना है। सत्यायं प्रकाश में मनुस्मृति के आधार पर, स्वामी दयानन्द ने व्यक्त किया है "राजा को योग्य है सब कन्या और लड़को को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के, विद्वान् बनाये। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता-पिता को दण्ड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे किन्तु आचार्यकुल में रहे।"<sup>49</sup> पुनश्च "संसार में जितने दान है अर्थात् जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और धृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान् होता है।"<sup>50</sup>

उपर्युक्त सन्दर्भ से यह स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द अनिवार्य शिक्षा के पक्षपाती थे। उनकी कल्पना के शिक्षण संस्थान आधुनिक समय के 'पब्लिक स्कूल' जैसे नहीं थे। उन्हें सह-शिक्षा भी पसन्द नहीं थी। वे लड़के तथा लड़कियों दोनों के लिए पृथक् शिक्षण-संस्थान चाहते थे। वे शिक्षण-संस्थानों को गुरुकुल प्रणालि के आधार पर गठित करना चाहते थे जहाँ विद्यार्थियों का रहना आवश्यक था। नगर या ग्राम से कम से कम पाच मील दूर आवासीय शिक्षण-संस्थानों की स्थापना उनका उद्देश्य था। वे अनुशासन की कठोरता पर अधिकाधिक बल देते थे। इन शिक्षण-संस्थानों में विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी होने तक रखने के पक्षपाती थे। जब तक विद्याभ्यास पूरा न हो जाये; तब तक वे न

तो घर जा सकते हैं और न अपने माता-पिता से पत्र-व्यवहार ही कर सकते हैं।<sup>46</sup> स्वामी दयानन्द ने इस प्रकार का कठोर नियन्त्रण इसलिए सुझाया है ताकि विद्याभ्यास के वर्षों में विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार की घरेलू समस्याओं का बोझ न पड़े और साथ ही साथ माँ-बाप के लाड़प्यार का बुरा असर अथवा बुरी संगत का प्रभाव उन पर न हो। इसी प्रकार से गुरुकुल में विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर के आधार पर कोई भेद-भाव न किया जाये। चाहे राजकुमार हो अथवा रंक सब के बच्चों को समान शिक्षा दी जाये ताकि उनमें ऊँचनीच, गरीब-धनी का भेद न बने और वे हीनता की भावना से ग्रस्त न हों।<sup>47</sup>

परम्परागत तथा रूढ़ीवादी दृष्टिकोण का त्याग कर स्वामी दयानन्द ने स्त्रियों एवं शूद्रों<sup>48</sup> की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान ही शिक्षा की अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया गया है। उनका यह विश्वास है कि भारत में प्रारम्भ से ही स्त्रियों को विदुषी बनाने का क्रम रहा है। मध्यकालीन संस्कृति एवं पर्दा-प्रथा के कारण स्त्रियों की शिक्षा में जो भ्रवनति आई उसका स्वामी दयानन्द ने प्रतिकार किया है। वे चाहते हैं स्त्रियाँ भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने अनुकूल पति का वरण करे। स्त्रियाँ शिक्षित होंगी तो उनकी सन्ताने भी सुशिक्षित होगी और वे गृहस्थाश्रम को प्रानन्दित बनायेंगी।<sup>49</sup>

पुरुषों के लिये स्वामी दयानन्द ने शिक्षा का कार्यक्रम अधिक विस्तृत एवं गहन रखा है। पुरुषों की शिक्षा बाईस वर्ष की रखी गयी है। उनके शिक्षा काल में केवल पुस्तकों का अध्ययन मात्र ही अनिवार्य नहीं समझा गया अपितु उनकी शारीरिक एवं मानसिक वृत्तियों का विकास भी अनिवार्य माना गया है। योगाभ्यास से शारीरिक बल प्राप्ति एवं कला, संगीत आदि से मानस को परिष्कृत करने का प्रवन्ध किया गया है। स्वामी दयानन्द ने संगीत के सभी प्रकारों को शिक्षा में अनिवार्य स्थान दिया है। संगीत को मन शुद्ध करने का कारक मानते हुए वे सामवेद का सस्वर गायन-वादन पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तुत करते हैं। वे विद्यार्थियों द्वारा प्रेम एवं श्रृंगार रस के गायन का विरोध करते हैं। विद्यार्थियों की सात्विक प्रवृत्ति का विकास एवं ब्रह्मचर्य-पालन शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है। इतना ही नहीं, स्वामी दयानन्द ने पुरुषों के समस्त शिक्षा-काल को प्रलग-प्रलग विषयों के अध्ययन के लिये सुनिश्चित किया है। सर्वप्रथम पाणिनि की व्याकरण तथा पतञ्जलि का महाभाष्य तीन वर्ष के अन्दर पूरा करने का क्रम निर्धारित किया है। इसके पश्चात् यास्क द्वारा रचित निरुक्त आठ महीने में, पिगल का छन्द शास्त्र चार महीने में, मनुस्मृति, रामायण तथा महाभारत के कतिपय अंश एक वर्ष में, पट्ट दर्शन एवं दशोपनिषद् दो वर्षों में, चारों वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थ छः वर्षों में, औपघ एवं चिकित्सा विज्ञान चार वर्षों में, संगीत, गणित, ज्यामिती, भूगोल, भूगर्भशास्त्र तथा खगोल शास्त्र तीन वर्षों में और अन्त में राजनीति शेष दो वर्षों में पढ़ने-पढ़ाने का क्रम निर्धारित किया है। इन शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी अनवरत चलाने का क्रम निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत समस्त विद्यार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण, शस्त्र-संचालन, रक्षण एवं मैन्य नीतियों का ज्ञान आवश्यक है।<sup>50</sup> शिक्षकों के लिए भी विद्वत्ता, सच्चरित्रता एवं

संयम का उच्च मापदण्ड निर्धारित किया गया है ताकि उनके जीवन से विद्यार्थियों को सही प्रेरणा मिल सके।<sup>51</sup> □□

### टिप्पणियाँ

1. देखिये हरबिलास शारदा, साइक ऑफ बयानन्व सरस्वती, (परोपकारिणी समा, अजमेर, 1968, द्वितीय संस्करण) पृ. 350
2. देखिये मंससमूलर, रौकंड बुक्स ऑफ बी ईस्ट, खंड 32, प्रस्तावना, पृ. IX
3. श्री अरविंद, बंकिम, तिलक, बयानन्व, (श्री अरविंद आश्रम, पाण्डिचेरी) पृ. 71
4. हरबिलास शारदा, पृ. 406-409
5. हरबिलास शारदा (स), बयानन्व कोमेमोरेसन बोल्यूम, (वैदिक प्रेस, अजमेर, 1933) पृ. 350
6. "सत्यार्थप्रकाश" में स्वामी बयानन्व ने मनुस्मृति के आधार पर यह व्यक्त किया है कि शासनाध्यक्ष में निम्नलिखित गुण होने चाहिए :  
 "यह सभेस राजा इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता, वायु के समान सब के प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जाननेहारा, यम पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान बर्तने वाला, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अन्धकार अर्थात् अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करनेहारा, वरुण अर्थात् बाँधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बाँधने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुत्रों को आनन्ददाता, घनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सम्भाषित होवे ।...." सत्यार्थप्रकाश (वैदिक पुस्तकालय, अजमेर, 1965, 34th संस्करण) पृ. 131
7. देखिये बिमान बिहारी मजूमदार, पृ. 251
8. वही,
9. सत्यार्थप्रकाश, पृ. 128
10. ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यं कृतः ।  
 ऊरू तदस्य यदंशय पद्भ्यांश्च शूद्रो अजायत ॥ (पञ्च. 31/11)
11. सत्यार्थ-प्रकाश, पृ. 81
12. ऋग्वेदादि भाष्यसूक्तिका, पृ. 551, 672, 674
13. बिमान बिहारी मजूमदार, पृ. 253-255
14. के. पी. जायसवाल, हिन्दू पोलोटी, पृ. 25
15. सत्यार्थप्रकाश, पृ. 131-133
16. बिमान बिहारी मजूमदार, पृ. 256
17. वही, पृ. 257
18. सत्यार्थप्रकाश, पृ. 132
19. वही, पृ. 145
20. वही, पृ. 160
21. वही
22. वही, पृ. 160
23. वही, पृ. 143
24. वही
25. वही, पृ. 144
26. देखिये बिमान बिहारी मजूमदार, पृ. 258-9
27. वही, पृ. 259
28. सत्यार्थ-प्रकाश, पृ. 138-40, 147-8, 150-2
29. वही, पृ. 162-3

30. वही, पृ. 259-60
31. देखिये बिमान बिहारी मजूमदार पृ. 265
32. सत्याप-प्रकार, पृ. 43-127
33. वही, पृ. 85
34. वही, पृ. 75
35. देखिये बिमान बिहारी मजूमदार पृ. 260
36. सत्याप-प्रकार, पृ. 77
37. वही, पृ. 85-6
38. वही, पृ. 104
39. देखिये बिमानबिहारी मजूमदार, पृ. 247
40. सत्याप-प्रकार, पृ. 562-3
41. वही, पृ. 292-3
42. वही
43. वही
44. वही, पृ. 71
45. वही
46. वही, पृ. 36
47. वही, पृ. 37
48. वही, पृ. 51
49. वही, पृ. 37
50. वही, पृ. 63-6
51. वही, पृ. 34

स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कलकत्ता के एक संभ्रान्त परिवार में हुआ था। उनके पिता कलकत्ता-उच्चन्यायालय में बकालत करते थे। उनकी माता विदुषी एवं हिन्दूधर्म की महत्ता में विश्वास रखने वाली महिला थी। विवेकानन्द पर अपनी माता के सद्गुणों का विशेष प्रभाव पड़ा। उनके पितामाह ने पच्चीस वर्ष की अल्प आयु में ही समस्त धन-दौलत का त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया था।<sup>1</sup> किन्तु इन पारिवारिक प्रभावों से भी बढ़ कर स्वामी विवेकानन्द को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारण उनका श्री रामकृष्ण परमहंस का शिष्यत्व था। बंगाल के इस महान् सन्त का शिष्यत्व प्राप्त कर नरेन्द्रनाथ दत्त —स्वामी विवेकानन्द बन गये। वैसे स्वामी विवेकानन्द अपने विद्यालय-जीवन में अत्यन्त मेधावी छात्र के रूप में माने जाते रहे। अपने महाविद्यालय जीवन में स्वामी विवेकानन्द एक अच्छे वक्ता एवं, वार्तालापकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी स्मृति विलक्षण थी। उनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि उन्हें 'एनसाइक्लोपीडिया-ब्रिटैनिका' के ग्यारह खण्ड कंठस्थ थे।<sup>2</sup> भारतीय संगीत की कंठ एवं वाद्य-विद्याओं में वे सिद्धहस्त थे—यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय संगीत के विज्ञान एवं दर्शन पर एक सप्रमाण निबन्ध भी प्रकाशित किया।<sup>3</sup> अपने समय के अनुरूप वे पाश्चात्य विज्ञान, उदारवाद एवं पाश्चात्य समाज की लोकतान्त्रिक मान्यताओं के सम्पर्क में आये। जे० एस० मिल, हेगल, कान्ट के किचारों का अध्ययन उन्होंने किया तथा हर्बर्ट स्पेन्सर के विचारों को पढ़ कर स्पेन्सर से पत्र-व्यवहार किया और उनकी कुछ मान्यताओं की आलोचना भी की। स्पेन्सर स्वामी विवेकानन्द की आलोचना से अत्यधिक प्रभावित हुआ।<sup>4</sup> स्वामी विवेकानन्द ने ब्रह्म-समाज के विचारकों से प्रेरित हो भारत के धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य का भी गूढ़ मंथन किया। वे साधारण ब्रह्म-समाज के सदस्य बन गये। किन्तु उनका वैचारिक अन्तर्बन्ध निरन्तर चलता रहा। वे नास्तिकतावाद एवं संशयवाद की ओर प्रवृत्त होने लगे। अपने मित्र वृजेन्द्रनाथ सील के समक्ष उन्होंने अपना संशयवाद प्रकट किया। वृजेन्द्रनाथ सील से उन्हें शैले तथा वड्सवर्थ पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई, किन्तु साथ ही साथ वे परम ब्रह्म के तत्त्वज्ञान की ओर भी प्रवृत्त हुए।<sup>5</sup> अपने मित्र के समान स्वामी विवेकानन्द के विचारों में बुद्धिवाद, वेदान्तीय अद्वैतवाद, हेगल के द्वन्द्वात्मक परमतत्त्व तथा फ्रांस की राज्यक्रान्ति के वेदवाक्य-स्वतन्त्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की गूँज थी। वे व्यक्तिवाद के स्थान पर सार्वभौमिक विवेक को श्रेष्ठ मानते थे।<sup>6</sup> किन्तु उनका चिन्तन इतने तक ही सीमित नहीं रहा। वे सत्यज्ञान की खोज में रामकृष्ण परमहंस के सम्पर्क में आये। यह सम्पर्क प्रारम्भ में विवेकानन्द पर पड़े पाश्चात्य चिन्तन के प्रभाव एवं बुद्धिवाद के प्रति

उनकी आस्था के कारण उन्हें तुरन्त आस्तिक बनाने में सहायक सिद्ध नहीं हुआ। एक दिवस, नवम्बर 1880 में, जब विवेकानन्द अपनी विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने एक ईसाई मित्र के यहाँ आयोजन में संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया और वही रामकृष्ण को भी देखा। रामकृष्ण ने उन्हें दक्षिणेश्वर बुलाया। वे अपने अल्हड़ मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर पहुँचे। रामकृष्ण ने उन्हें गाना सुनाने को कहा। विवेकानन्द ने गाना सुनाया और इसी मध्य रामकृष्ण तन्मय हो गये। श्रीरामकृष्ण ने गाना समाप्त होते ही विवेकानन्द से एकान्त में वार्तालाप किया किन्तु विवेकानन्द उस महान् सन्त की वास्तविकता से प्रथम भेंट में अवगत नहीं हुए। विवेकानन्द बार बार प्रयास करते कि वे उनसे नहीं मिलेंगे, फिर भी उस सन्त का आकर्षण उन्हें खींच लाता। ऐसी परिस्थिति में भी विवेकानन्द अपनी जिद पर रहे और सन्त का सन्देश न समझ सके। इस बीच स्वामी विवेकानन्द के पिता की मृत्यु हो गयी। परिवार निराश्रित हो गया। विवेकानन्द ने अनुभव किया कि उनकी दरिद्रता की स्थिति में न उनके मित्र सहायक हुए, न ईश्वर। भूख से व्याकुल नौकरी की तलाश में दर दर भटकने से ईश्वर में उनकी रही-सही आस्था भी जाती रही। इसी बीच एक दिन पुनः श्री रामकृष्ण ने उन्हें दक्षिणेश्वर बुलाया। स्वामी विवेकानन्द ने वहाँ जाकर श्रीरामकृष्ण से उनके लिए मा काली से आर्थिक संकट से उबारने का वरदान मांगने को कहा। श्रीरामकृष्ण ने यह ध्यक्त किया कि यह वरदान तो स्वयं विवेकानन्द ही माग सकते थे। इस पर स्वामी विवेकानन्द ने स्वयं मां काली के दर्शन कर उनसे वर मांगना चाहा किन्तु वहाँ उन्हें ऐसा-तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ कि वे अपनी आर्थिक कठिनाइयों को भूलकर ज्ञान एवं श्रद्धा का वरदान मांगने लगे। एक नवोन भौतिक शक्ति उनमें जागृत हुई और वे श्रीरामकृष्ण के अधिक निकट आते चले गये। श्रीरामकृष्ण ने कई बार अपने स्पर्शमार्ग से उनकी समाधि लगवा दी। एक बार उन्हें श्रीरामकृष्ण की कृपा से निर्विकल्प समाधि का भी अनुभव हुआ। इस प्रकार विवेकानन्द की अध्यात्म-साधना निरन्तर बढ़ती गयी और अगस्त 1886 में जब श्रीरामकृष्ण परमहंस का स्वर्गवास हुआ, तब तक विवेकानन्द उनके सर्वाधिक निकटस्थ शिष्य बन चुके थे। श्री रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात् निरन्तर चार वर्षों तक विवेकानन्द भारत का घ्रमण करते रहे। भारत के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों की उन्होंने यात्रा की। इन यात्राओं ने विवेकानन्द को जहाँ एक ओर भारत की धार्मिक दुर्दशा, उसकी सामाजिक पश्चता तथा मानसिक अस्थिरता का ज्ञान कराया तो दूसरी ओर उन्हें भारत की सांस्कृतिक सम्पन्नता, परम्पराओं की शक्ति, प्राण शक्ति तथा प्रच्छन्न आत्मिकशक्ति का भी बोध हुआ। इन्हीं यात्राओं के दौरान वे भलमोड़ा में हिमालय की भग्नता से प्रभावित हुए और कुछ समय के लिए यहाँ ठहर कर संस्कृतभाषा का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। इसी समय विश्वधर्मसंघ के शिकागो सम्मेलन में भाग लेने का उन्होंने निर्णय किया। सेतड़ी (राजस्थान) के सरकारीन ठाकुरसाहब ने उनके शिकागो-सम्मेलन में मम्मिलित होने का व्यय वहन किया। शिकागो-सम्मेलन स्वामी विवेकानन्द के जीवन का एक स्वर्णिम अध्याम बन गया। भारतीय वेदान्त का प्राधुनिक रूपों में दिव्य सन्देश देकर विवेकानन्द ने जो कार्य भारत के लिए किया वह प्राधुनिक भारतीय इतिहास का सर्वोच्च कीर्तिमान बन गया है। एक ओर जहाँ पश्चिम की वैज्ञानिक उपलब्धियों ने

विवेकानन्द को प्रभावित किया, वही उन्हें पश्चिम की मात्मिक प्रज्ञानता तथा असम्बद्धता ने झकझोर दिया। 1899 में दूसरी बार पश्चिमी देशों की यात्रा ने उन्हें और भी अधिक सन्तप्त किया।<sup>16</sup>

स्वामी विवेकानन्द ने 11 सितम्बर, 1893 को शिकागो की विश्वधर्म परिषद् द्वारा किये गये अभिवादन के उत्तर में कहा था :

जिस सोहार्दता और स्नेह के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसके फलस्वरूप मेरा हृदय अकथनीय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तथा सब धर्मों की मातास्वरूप हिन्दूधर्म एवम् भिन्न भिन्न सम्प्रदाय के लाखों-करोड़ों हिन्दुओं को 'और से भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

मैं उन सज्जनों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस सभामंच पर से प्राच्य-प्रतिनिधियों के संबंध में आपको यह बतलाया है कि ये दूर देशवाले पुरुष सर्वत्र सहिष्णुता का भाव प्रसारित करने के निमित्त यश और गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। मुझे ऐसे धर्मावलम्बी होने का गौरव है, जिसने संसार को 'सहिष्णुता' तथा 'सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने' की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते। वरन् समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे आपसे यह निवेदन करते गर्व होता है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ, जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द 'एक्सक्लूजन' का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा भिन्न वर्गों व धर्मों के बहिष्कृत मतावलम्बियों को आश्रय दिया है। मुझे यह बतलाते गर्व होता है कि जिस वर्ग यहूदियों का पवित्र मन्दिर रोमन-जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया, उसी वर्ष कुछ अभिजात यहूदी आश्रय लेने दक्षिण भारत में आये और हमारी जाति ने उन्हें छाती से लगाकर शरण दी। ऐसे धर्म में जन्म लेने का मुझे अभिमान है, जिसने पारसी जाति की रक्षा की और उसका पालन अथ तक कर रहा है। भाइयो! मैं आप लोगों को एक स्तोत्र के कुछ पद सुनाता हूँ, जिसे मैं अपने बचपन से गाता रहा हूँ और जिसे प्रतिदिन लाखों मनुष्य गाया करते हैं।

—“जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्त्रोतो से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभो! भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े-मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अन्त में तुझमें ही आकर मिल जाते हैं।”

यह सभा, जो संसार की अब तक ही सभाओं में से एक है, जगत् के लिए गीता के उस अद्भुत उपदेश की घोषणा एवम् विज्ञापन है, जो हमें बतलाता है—

“जो कोई मेरी ओर आता है—चाहे किसी प्रकार से हो—मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न-भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अन्त में मेरी ही ओर आते हैं।”

साम्प्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धर्मविषयक उन्मत्तता इस सुन्दर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गयी, उन्होंने अनेक बार मानव-रक्त से धरणी को सींचा, सम्पत्ता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला। यदि यह सब न होता, तो मानव-समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका भी समय आ गया है,

और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि जो घण्टे आज सुबह इस सभा के सम्मान के लिए बजाये जाते हैं, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किये जाने वाले समस्त अत्याचारों तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्यु नाद ही सिद्ध होगे।”<sup>9</sup>

विवेकानन्दजी ने नवम् दिवस, 19 सितम्बर 1893 को हिन्दू धर्म की आभ्यन्तरिक शक्ति के विषय में कहा था कि—

“ऐतिहासिक युग के पूर्व के केवल तीन ही धर्म आज संसार में विद्यमान हैं—हिन्दू-धर्म, पारसी-धर्म, और यहूदी-धर्म। ये तीनों धर्म अनेकानेक प्रचण्ड आघातों के पश्चात् भी लुप्त न होकर आज भी जीवित हैं—यह उनकी अन्तरिक शक्ति का प्रमाण है। पर जहाँ हम यह देखते हैं कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म को नहीं पचा सका, वरन अपनी सर्वविजयी सन्तान ईसाई-धर्म द्वारा अपने जन्मस्थान से निर्वासित कर दिया गया, और यह कि केवल मुठ्ठी भर पारसी ही अपने महान् धर्म की गाथा गाने के लिए अब अवशेष हैं,—वहा भारत में एक के बाद एक अनेको धर्म-पंथों का उद्भव हुआ और वे पंच वेद-प्रणीत धर्म की जड़ को हिलाते-से प्रतीत हुए, पर भयंकर भूकम्प के समय समुद्री किनारे की जलतरंगों के समान यह धर्म कुछ समय के लिए इसीलिये पीछे हट गया कि वह तत्पश्चात् हजारगुना अधिक बलशाली होकर सम्मुखस्थ सब को डुबानेवाली बाढ़ के रूप में लौट आये, और जब यह सारा कोलाहल शान्त हो गया, तब सारे धर्म-सम्प्रदाय अपनी जन्मदात्री मूल हिन्दू-धर्म की विराट् काया द्वारा आत्मसात् कर लिये गये, पचा लिये गये। आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र है, ऐसे वेदान्त के अत्युच्च आध्यात्मिक भाव से लेकर मूर्तिपूजा एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दन्तकथाओं, और इतना ही नहीं बल्कि बौद्धों के अज्ञेय वाद तथा जैनों के निरीश्वरवाद-इनमें से प्रत्येक के लिए हिन्दूधर्म में स्थान है। तब, प्रश्न यह उठता है कि वह कौनसा एक साधारण बिन्दु है, जहाँ पर इतनी विभिन्न दिशाओं में जानेवाली त्रिज्या-रेखाएँ केन्द्रस्थ होती हैं? वह कौनसा एक सामान्य आधार है, जिस पर इतने परस्पर विरोधी भासनेवाले ये सब भाव आश्रित हैं? इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रब मैं प्रयत्न करूँगा। हिन्दू जाति ने अपना धर्म अपौरुषेय वेदों से प्राप्त किया है। उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनन्त है। श्रोताओं को, सम्भव है, यह हास्यास्पद मालूम हो और वे सोचें कि कोई पुस्तक अनादि और अनन्त कैसे हो सकती है। परन्तु वेद का अर्थ है भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक तत्त्वों का संचित कोष। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्यों के पता लगने के पूर्व से ही अपना काम करता चला आया था और आज यदि मनुष्य जाति उसे मूल भी जाय, तो भी वह नियम अपना काम करता ही रहेगा, ठीक यही बात आध्यात्मिक जगत् को चलाने वाले नियमों के सम्बन्ध में भी है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ और प्रत्येक आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ जो नैतिक तथा दिव्य आध्यात्मिक सम्बन्ध है, वे हमारे पता लगाने के पूर्व भी थे, और हम यदि उन्हें भूल भी जायें, तो भी वे बने रहेंगे। इन नियमों का सत्त्वों का आविष्कार करनेवाले “ऋषि” कहलाते हैं और हम उनको पूर्णत्व को पहुँची हुई विभूति जानकर सम्मान देते हैं। श्रोताओं को यह



वसलाते हुए मुझे हर्ष होता है कि इन प्रतिशय उन्नत ऋषियों में कुछ स्त्रियां भी थीं। यहाँ पर कोई यह तर्क कर सकता है कि ये आध्यात्मिक नियम, नियम के रूप में अनन्त भले ही हों, पर इनका आदि तो अवश्य ही होना चाहिये। वेद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि का (अत एव सृष्टि के इन नियमों का भी) न आदि है, न अन्त। विज्ञान ने हमें सिद्ध कर दिया है कि समग्र विश्व की सारी शक्ति-समष्टि का परिमाण सदा एकसा रहता है। तो फिर, यदि ऐसा कोई समय था जब किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं था, उस समय यह संपूर्ण व्यक्त शक्ति कहाँ थी? कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर में ही वह सब अक्रिय रूप से निहित थी। तब तो ईश्वर कभी निष्क्रिय और कभी सक्रिय है, इससे तो वह विकारशील हो जायगा। प्रत्येक विकारशील पदार्थ मिश्रित होता है और हर एक मिश्रित पदार्थ में वह परिवर्तन अवश्यंभावी है, जिसे हम विनाश कहते हैं। इस तरह तो ईश्वर को मृत्यु हो जायगी, जो कि सर्वथा असम्भव एवम् हास्यास्पद कल्पना है। अतः ऐसा समय कभी नहीं था, जब यह सृष्टि नहीं थी। अत एव यह सृष्टि अनादि है।" 10

स्वामी विवेकानन्द ने ईश्वर तथा संसार को दो समानान्तर रेखाओं के रूप में माना। उनका यह विचार था कि ईश्वर एक महान् शक्ति है जिसकी प्रेरणा से ब्रह्माण्ड का सृजन एवम् विनाश होता रहता है। सूर्य और चन्द्रमा को विघाता ने पूर्व कल्पों के सूर्य और चन्द्रमा के समान बनाया है। विवेकानन्द ने आत्मा के सम्बन्ध में भी आत्मा के अमरत्व की स्थिति को स्वीकार किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में यह व्यक्त किया कि "आत्मा किसी पदार्थ से सृष्ट नहीं हुई है, क्योंकि सृष्टि का अर्थ है भिन्न-भिन्न द्रव्यों का संयोग और इस संयोग का अर्थ होता है भविष्य में अवश्यंभावी वियोग। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का सृजन नहीं हुआ था, वह कोई सृष्ट पदार्थ नहीं है। पुनश्च, कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनन्द भोगते हैं, उन्हें सुन्दर शरीर, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियाँ प्राप्त रहती हैं। दूसरे कुछ लोग जन्म से ही दुःखी होते हैं, किसी के हाथ या पांव नहीं होते, तो कोई मूख होते हैं और येन-केन प्रकारेण अपने दुःखमय जीवन के दिन काटते हैं। ऐसा क्यों? यदि ये सभी एक ही न्यायी और दयालु ईश्वर द्वारा उत्पन्न किये गये हों, तो फिर उसने एक को सुखी और दूसरे को दुःखी क्यों बनाया? भगवान् ऐसा पक्षपाती क्यों है? फिर ऐसा मानने से भी बात नहीं सुधर सकती कि जो इस वर्तमान जीवन में दुःखी है, वे भावी जीवन में पूर्ण सुखी होंगे। न्यायी और दयालु भगवान् के राज्य में मनुष्य इस जीवन में भी दुःखी क्यों रहे? दूसरी बात यह है कि सृष्टि उत्पादक ईश्वर को मान्यता देनेवाला यह सिद्धांत सृष्टि में इस वैषम्य के लिए कोई कारण बताने का प्रयत्न तक नहीं करता, बल्कि यह तो केवल एक सर्व-शक्तिमान् स्वेच्छाचारी पुरुष का निष्ठुर व्यवहार ही प्रकट करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि यह कल्पना युक्ति-विरुद्ध है (अत एव यह स्वीकार करना ही होगा कि इस जन्म के पूर्व ऐसे कारण होने ही चाहिए, जिनके फलस्वरूप मनुष्य इस जन्म में सुखी या दुःखी हुआ करता है। और ये कारण है उनके ही पूर्वानुष्ठित कर्म। अर्थात्, मनुष्य के शरीर और मन को गठन उसके पिता-पितामह आदि के शरीर मन के अनुरूप होती है, ऐसा आनुवंशिकता का सिद्धांत क्या उपयुक्त समस्या का समुचित उत्तर

न होगा ?' यह स्पष्ट है कि जीवनस्रोत जड़ और चैतन्य इन दो धाराओं में प्रवाहित हो रहा है। यदि जड़ और जड़ के विकार ही आत्मा, मन, बुद्धि आदि हम जो कुछ हैं उन सबके उपयुक्त कारण सिद्ध हो सकते तो फिर और स्वतन्त्र आत्मा के अस्तित्व को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चैतन्य का विकास जड़ से हुआ है। अत एव यह स्वीकार न करने पर कि एक जड़पदार्थ से सब कुछ सृष्टि हुआ है, यह भी स्वीकार करना निःसंशय युक्तियुक्त होता है कि एक मूल चैतन्य से ही समस्त सृष्टि-कार्य का निर्वाह हो रहा है। और यह केवल युक्तियुक्त ही नहीं वरन् वांछनीय भी है। पर यहाँ उसकी आलोचना की कोई आवश्यकता नहीं।<sup>11</sup>

स्वामी विवेकानन्द ने पुनर्जन्मवाद तथा भ्रानुवांशिकता के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया कि मानव की कतिपय शारीरिक प्रवृत्तियाँ भ्रानुवांशिकता से प्राप्त होती हैं। किन्तु वे केवल शारीरिक होती हैं। जीवात्मा की विशेष प्रवृत्ति पूर्वजन्म के कर्मों के कारण निश्चित होती है। स्वामी विवेकानन्द ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को विज्ञान संगत बताने का प्रयास किया है। उनकी यह मान्यता थी कि विज्ञान के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्ति या स्वभाव बार-बार अभ्यास से निश्चित होती है। एक नवजात बालक के संदर्भ में प्रवृत्तियों का कारण पूर्ण कर्मों को मानना आवश्यक हो जाता है चूँकि नवजात बालक ने वर्तमान जीवन में उस स्वभाव की प्राप्ति नहीं कि, वह पूर्व जीवन से ही उसे प्राप्त हुआ है। उनके अनुसार पूर्वजन्म की बातें याद नहीं रहती, उसका यह अर्थ नहीं है कि हमें पूर्वजन्म को घटनाएं याद करने में कठिनाई हो। किसी व्यक्ति की मातृभाषा कुछ और हो और वह वर्तमान में किसी अन्य भाषा का प्रयोग कर रहा हो तो वह उस समय के लिए अपनी मातृभाषा को वह अचेतन मन में लिये हुए होता है। और प्रवास करने पर पुनः चैतन्य मन से उसका प्रयोग कर सकता है। अतः चैतन्य के धरातल पर जो अवस्थित है वही बोधगम्य होता है। हमारे मन के अन्तराल में हमारे समस्त अनुभव संगृहीत रहते हैं। प्रयास करने पर वे मन की गहराई से चैतन्य की सतह पर उभर आते हैं और हमारी पूर्व जन्मों की स्मृति जाग्रत हो उठती है। यही कारण है कि हिन्दू जनमानस में आत्मा की अमरता को विशेष मान्यता मिली हुई है। आत्मा को शस्त्र, अग्नि, जल, तथा वायु से भी शक्ति नहीं पहुँचती। आत्मा "एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है, यद्यपि उसका केन्द्र शरीर में अवस्थित है, और मृत्यु का अर्थ केवल इतना ही है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में इस केन्द्र का स्थानान्तरण हो जाना। यह आत्मा भौतिक नियमों के बशीभूत नहीं है, वह स्वरूपतः नित्य-शुद्ध-बुद्ध मुक्त स्वभाव है। परन्तु किसी अचिन्त्य कारण से वह अपने को जड़ से बंधी हुई पाती है और अपने को जड़ ही समझने लगती है।"<sup>12</sup>

स्वामी विवेकानन्द ने आत्मा की देववद्धता को जड़ का दासत्व करने की प्रवृत्ति का अर्थ दूर किया है। वे यह मानने को तैयार नहीं कि आत्मा और जीव के मध्य किसी अन्य अस्तित्व की कल्पना की जाये। इसे केवल ईश्वरेच्छा मानना भी शंका का समाधान नहीं करता। उन्होंने कर्णवाद को इसका आधार बतलाते हुए कहा है कि "मनुष्य को आत्मा अनादि और अमर है, पूर्ण और अनन्त है, और मृत्यु का अर्थ है—एक शरीर में दूसरे शरीर में केवल केन्द्रपरिवर्तन। वर्तमान व्यवस्था हमारे पूर्वानुष्ठित कर्मों द्वारा

निश्चित होती है और भविष्य, वर्तमान कर्मों द्वारा। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार घूमती हुई कर्मों ऊपर उठती है, कर्मों नीचे जाती है। पर यहाँ एक दूसरा प्रश्न उठता है—क्या मनुष्य उस छोटी सी नौका के समान है, जो प्रचण्ड तूफान में पड़ एक क्षण किसी वेगवान तरंग के फेनिल शिखर पर चढ़ जाती है और दूसरे क्षण भयानक गह्वरे में नीचे धकेल दी जाती है, मनुष्य क्या इस प्रकार अपने अच्छे और बुरे कर्मों के नितान्त परवश हो केवल इधर उधर भटकता फिरता है। क्या वह कार्य-कारण के सतत प्रवाही, सर्वकय, भीषण तथा गर्जनशील प्रवाह में पड़ा हुआ शक्तिहीन, निस्सहाय, नगण्य जीव मात्र है? क्या वह उस कर्म-चक्र के नीचे पड़ा हुआ एक शत्रु कीटाणु है, जो पतिशोक से व्याकुल विधवा के आँसुओं तथा अनाथ बालक की आँहों की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को कुचल डालता है? इस प्रकार के विचार से अन्तःकरण काँप उठता है, पर प्रकृति का नियम तो यही है। तो फिर क्या कोई आशा ही नहीं है? इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है? यही कारण पुकार निराशा-विह्वल हृदय के अन्तःस्तर से ऊपर उठी और उस कर्णानिघान विश्वपिता के सिंहासन तक जा पहुँची। वहाँ से आशा तथा सान्त्वना की वाणी निकली और एक वैदिक ऋषि के अन्तःकरण में प्रेरणा रूप में आविर्भूत हुई। ईश्वरी शक्ति द्वारा अनुप्राणित इस महर्षि ने संसार के सामने खड़े होकर धन-गम्भीर स्वयं से इस आनन्द सन्देश की घोषणा की—

“हे अमृत के पुत्रगण ! हे दिव्यधामवासी देवगण ! सुनो, मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को पहचान लिया है, जो पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हो। दूसरा कोई पथ नहीं है।”

“हे अमृत के पुत्रगण !” कैसा मधुर और आशाजनक सम्बोधन है यह। बन्धुओं ! इसी मधुर नाम से मुझे तुम्हें पुकारने दो “हे अमृत के अधिकांशगण !” सचमुच हिन्दू तुम्हें पापी कहना अस्वीकार करता है। तुम तो ईश्वर की सन्तान हो, अमर आनन्द के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मार्गभूमि पर देवता हो। तुम भला पापी ? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, वह मानव-स्वभाव पर घोर लांछन है। उठो ! ए सिंहा ! “तुम तो जरामरणरहित नित्यानन्दमय आत्मा हो। तुम जड़ पदार्थ नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो। जड़-पदार्थ तो तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं। अतः वेद ऐसी घोषणा नहीं करते कि यह सृष्टि व्यापार कतिपय भयावह, निर्देय भयवा निर्मम विधानों का प्रवाह है, और न यही कि वह कार्य-कारण का एक अच्छे-बन्धन है, वरन् वे यह घोषित करते हैं कि इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में, प्रत्येक अणु-परमाणु में तथा शक्ति के प्रत्येक स्पन्दन में अत-प्रोत वही एक पुराणपुरुष विराजमान है, “जिसके आदेश से वायु चलती है, अग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर इतस्ततः नाचती है।”<sup>1123</sup>

स्वामी विवेकानन्द ने यह कहा है कि वेदों ने शुद्ध प्रेम की शिक्षा दी है। वे भगवान् श्रीकृष्ण, जिन्हें हिन्दू ईश्वर का पूर्णवितार मानते हैं, के कथन को समर्थन करते हैं जिन्होंने मनुष्य को इस संसार में कमलपत्र के समान रहने की शिक्षा दी है। अर्थात् मनुष्य का हृदय ईश्वर से लगा रहे और उसके हाथ नित्यतः भाव से कर्म करने में लगे रहें। फल की आशा छोड़कर ईश्वर की भक्ति करना और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखना

सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर अखिल सौन्दर्य तथा समस्त सुषमा का मूल है। उनके अनुसार वेदों ने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप माना है। आत्मा पंच भूतों के बन्धन में है और बन्धन टूटने पर वह पुनः पूर्णत्व को प्राप्त कर लेती है। इस अवस्था का नाम स्वाधीनता अथवा मुक्ति है। स्वामी विवेकानन्द ने अपरोक्षानुभूति को हिन्दुधर्म का मूल मंत्र माना है, उनके अनुसार आत्मा का बन्धन ईश्वर की कृपा से टूट सकता है। ईश्वर की यह दया उन व्यक्तियों पर होती है जिनका स्वभाव शुद्ध एवम् पवित्र होता है। पवित्रता ईश्वर की अनुग्रह-प्राप्ति का मार्ग है। विशुद्ध व्यक्ति इसी जीवन में ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर भव-बन्धन से मुक्त हो जाता है। ऐसा मानव जिसकी समस्त कुटिलताएं नष्ट हो चुकी और समस्त सन्देह दूर हो गये हैं—कार्य-कारण के नियम से मुक्त होकर पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। उनके अनुसार ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से ही शंकाओं का निवारण होता है। और वही पूर्णत्व की स्थिति है, जिसमें आत्मा तथा परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष दर्शन होता है।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार हिन्दूधर्म विभिन्न मत-मतान्तरों पर विश्वास करने का प्रयत्न मात्र न होकर प्रत्यक्ष अनुभूति अथवा साक्षात्कार पर आधारित है। उनके शब्दों में "केवल विश्वास का नाम हिन्दूधर्म नहीं है हिन्दूधर्म का मूलमन्त्र है, 'मैं आत्मा हूँ, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना।' अतः हिन्दुओं की सारी साधना-प्रणाली का लक्ष्य है—सतत अध्ययन द्वारा पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना, ईश्वर के निकट जाकर उसके दर्शन कर लेना, और इस प्रकार ईश्वरसान्निध्य को प्राप्त होकर उनके दर्शन कर लेना, उन सर्वलोक-पिता ईश्वर के समान पूर्ण हो जाना—यही असल में हिन्दूधर्म है। और जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, तब उसका क्या होता है? तब वह असीम भ्रानन्द का जीवन ध्यतीत करता है। वह अन्य समस्त लोगों की अपेक्षा उत्कृष्ट लाभ स्वरूप परमानन्दधाम ईश्वर को प्राप्त करके परम भ्रानन्द का अधिकारी हो जाता है।"<sup>14</sup>

स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दूधर्म तथा विज्ञान का सामंजस्य स्थापित किया। उनके अनुसार भारतीय दर्शन में भद्वैतवाद धर्म विज्ञान का चरम सिद्धान्त या जो विज्ञान के एकत्व की खोज के समान था। उनके अनुसार परिवर्तनशील विश्व का एकमात्र आधार परमात्मा है और अन्य सब आत्माएं उसका प्रतिबिम्ब मात्र हैं। द्वैतवाद तथा अनेकेश्वरवाद आदि सभी भद्वैतवाद में परिणत होते हैं। आज का विज्ञान भी दृश्यजगत् को सृष्टि न मानकर विकास मात्र कहता है। हिन्दूधर्म भी दृश्यजगत् को माया मानते हुए वैज्ञानिक सत्य के अत्यन्त आधुनिक प्रयोगों के निकट है। भारत में अनेकेश्वरवाद का प्रबल प्रचार रहा है। मूर्तिपूजा हिन्दूधर्म का आधार रही है। मूर्ति के बिना धार्मिक चिंतन असम्भव है। मूर्तिपूजा नीचे की सीढ़ी है, जिसके सहारे ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। मूर्ति-पूजा भ्रमात्मक नहीं है। मूर्ति-पूजा के विरोधियों को स्वामी विवेकानन्द का यह उक्तं निरुत्तर कर देता है कि "ईश्वर यदि सर्वव्यापी है, तो फिर ईसाई गिरजापर नामक एक स्वतन्त्र स्थान में उसकी धाराधना के लिए क्यों जाते हैं? वे 'नाम' को इतना पवित्र क्यों मानते हैं? मन में किसी मूर्ति के बिना आगे कुछ सोच सकना उतना ही असम्भव है जितना कि श्वास लिये बिना जीवित रहना। इसलिए तो हिन्दू धाराधना के समय बाह्य प्रतीक का उपयोग करता है। हिन्दू लोग पवित्रता, नित्यत्व, सर्वव्यापित्व आदि आदि भावों का संबंध विभिन्न देवमूर्तियों से जोड़ते प्रवश्य हैं, पर अन्तर यह है कि

जहाँ अन्य लोग अपना सारा जीवन किसी गिरजाघर की मूर्ति की भक्ति में ही बिता देते हैं और उससे भागे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके लिए तो धर्म का अर्थ यही है कि कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों को वे अपनी बुद्धि द्वारा स्वीकृत कर लें और अपने मानव-भाइयों को भलाई करते रहें— वहाँ एक हिन्दू की सारी धर्मभावना प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कार में केन्द्रीभूत हुआ करती है। मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके स्वयं ईश्वर बनना है। मूर्तियाँ, मन्दिर, गिरजाघर या शास्त्र-ग्रन्थ तो धर्मजीवन की बाल्यावस्था में केवल साधारण या सहायक मात्र है, पर उसे तो उत्तरोत्तर उन्नति ही करनी चाहिए।<sup>15</sup>

किन्तु स्वामी विवेकानन्द मूर्ति-पूजा को परमेश्वर से साक्षात्कार करने की पहली अवस्था ही मानते थे। उनके अनुसार प्रार्थना तथा ईश्वर का साक्षात्कार अन्तिम अवस्थाएँ थीं। वे यह मानते थे कि अज्ञानी के धर्म से लेकर वेदान्त के अद्वैतवाद तक जितने भी धर्म हैं वे सब ब्रह्म-प्राप्ति के उपाय तथा उन्नति की विभिन्न सीढ़ियाँ हैं। उनके अनुसार हिन्दूधर्म में विभिन्नता में एकता को पूर्ण मान्यता मिली है। हिन्दुओं में यह दृढ़ धारणा है कि निरपेक्ष ब्रह्मतत्व की प्राप्ति सापेक्ष का अवलम्बन लेकर ही हो सकती है। मूर्ति, क्रास तथा चाँद प्राथमिक उन्नति के सहायक रूप है। यद्यपि प्रत्येक को इनकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती किन्तु कुछ इन सापेक्ष उपायों के बिना ईश्वर-साधना की ओर नहीं बढ़ पाते। हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जो इन साधनों का परमेश्वर से साक्षात्कार करने में प्रयोग करते हैं, उनके लिए इन साधनों का आश्रय उचित नहीं है। वे हिन्दूधर्म में उदारता का विशेष महत्व देखते हैं। उनके अनुसार हिन्दुओं में अनेक दोष हैं, किन्तु हिन्दू इन दोषों को स्वयं के शरीर को दण्ड देने तक ही सीमित रखते हैं। धर्मान्ध हिन्दू विधर्मियों को ईसाइयों के समान अग्नि में जताने का कभी प्रयास नहीं करेगा। हिन्दू तथा ईसाई धर्मोन्माद में यह अन्तर महत्वपूर्ण है। हिन्दुओं में अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव-विशेष मात्रा में उपलब्ध है। हिन्दू धर्म को संकीर्ण बताने वालों को स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि एक ही ज्योति भिन्न-भिन्न रंग के काँच में से भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होती है। विभिन्न स्वभाव वाले लोगों के लिए उपयुक्त होने की दृष्टि से यह वैचित्र्य आवश्यक भी है। परन्तु प्रत्येक के अन्तस्तल में—प्रत्येक धर्म में—उसी एक सत्य का राजत्व है। भगवान् कृष्ण ने कहा है “जहाँ भी तुम्हें मानवसृष्टि को उन्नत बनाने वाली और पावन करने वाली अतिशय पवित्रता और असाधारण शक्ति दिखायी दे, तो जान लो कि वह मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई है।” और इस शिक्षा का परिणाम क्या हुआ है? सारे संसार को भेरी यह चुनौती है कि वह समग्र संस्कृत दर्शनशास्त्र में मुझे एक ऐसी उक्ति तो दिखा दे, जिसमें यह बताया गया हो कि केवल हिन्दुओं का ही उद्धार होगा और दूसरों का नहीं। भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यास का वचन है, “हमारी जाति और सम्प्रदाय की सीमा के बाहर भी पूर्णत्व को पहुँचे हुए मनुष्य है।”<sup>16</sup>

स्वामी विवेकानन्द ने बौद्ध तथा जैन धर्मों का हिन्दूधर्म के साथ समन्वय स्थापित किया। वे अज्ञेयवादी बौद्ध धर्म तथा निरीश्वरवादी जैन धर्म को हिन्दूधर्म से संबंधित प्रवाह का अंग मानते थे। उनके अनुसार बौद्ध तथा जैन ईश्वर पर निर्भर न होकर भी मनुष्य में देवत्व के विकास के महान् सत्य को स्वीकार करते हैं। वे परमेश्वर को नहीं मानते हैं किन्तु उसके पुत्र स्वरूप आदर्श मनुष्य बुद्धदेव अथवा जिन को मानते हैं

यदि इन्हें ईश्वरपुत्र माना जाये तो परमेश्वर का ज्ञान पिता रूप में स्वयंसिद्ध है। स्वामी विवेकानन्द ने इस प्रकार हिन्दूधर्म की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत कर विश्व में एक सार्वभौमिक धर्म का विचार प्रस्तुत किया जो देश काल से मर्यादित न हो तथा भगवान के समान अनन्त हो "जिसकी ज्योति श्रीकृष्ण के भक्तों पर और ईसा के प्रेमियों पर, सन्तों पर और पापियों पर समान रूप से प्रकाशित होती हो, जो न तो ब्राह्मणों का हो, न बौद्धों का, न ईसाइयों का और न मुसलमानों का, वरन् इन सभी धर्मों का समष्टि स्वरूप होते हुए भी जिसमें उन्नति का अनन्त पथ खुला रहे, जो इतना व्यापक हो कि अपनी असंख्यक प्रसारित बाह्यश्रों द्वारा सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य का आलिंगन करे और उसे अपने हृदय में स्थान दे, चाहे वह मनुष्य हिंसक पशु से किंचित् ही उठा हुआ, प्रति नीच, बर्बर और जंगली ही क्यों न हो, अथवा अपने मस्तिष्क और हृदय के सद्गुणों के कारण मानव-समाज से इतना ऊंचा क्यों न उठ गया हो कि लोग उसकी मानवी प्रकृति में शंका करते हुए देवता के समान उसकी पूजा करते हों। वह विश्वधर्म ऐसा होगा कि उसमें प्रविशवांसियों पर अत्याचार करने या उनके प्रति असहिष्णुता प्रकट करने की नीति नहीं रहेगी, वह धर्म प्रत्येक स्त्री और पुरुष के ईश्वरीय स्वरूप को स्वीकार करेगा और उसका सम्पूर्ण बल मनुष्य-मात्र को अपनी सच्ची, ईश्वरीय प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता देने में ही केन्द्रित रहेगी।" स्वामी विवेकानन्द ने सार्वभौमिक उदार धर्म के प्रादुर्भाव को ही राष्ट्रों द्वारा अनुगमन करने का एक मात्र आधार माना। उनके अनुसार सम्राट् अशोक की धर्म-सभा केवल बौद्ध धर्मावलम्बियों की थी तथा बादशाह अकबर की धर्म-परिषद् उपयुक्त दिखाई देते हुए भी केवल दरबार की शोभा बढ़ानेवाली थी। किन्तु उन्होंने शिकागों की विश्व धर्म-परिषद् को 'प्रत्येक धर्म में ईश्वर है' इस सार्वभौमिक सत्य का विश्वव्यापी प्रचार करने का माध्यम माना। उन्होंने विश्व धर्म-परिषद् को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हुए कहा "वही परमेश्वर जो हिन्दुओं का ब्रह्म, पारसियों का महुर्मज्द, बौद्धों का बुद्ध, मुसलमानों का अल्ला, यहूदियों का जिहोवा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको अपने उदार उद्देश्य की कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व-गगन में नक्षत्र उदित हुआ, कभी घुंघला और कभी देदीप्यमान होते हुए, धीरे-धीरे पश्चिम की ओर यात्रा करते-करते उसने समस्त जगत् की परिक्रमा कर डाली और अब वह पुनः पूर्व-क्षितिज में सहस्र-गुनी अधिक उज्ज्वलता के साथ उदित हो रहा है।" परिषद् के विदाई समारोह पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "ईसाई को हिन्दू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए, और न हिन्दू अथवा बौद्ध को ईसाई ही। पर हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार-भाग को आत्मसात् करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपनी निजी प्रकृति के अनुसार बुद्धि को प्राप्त हो।" शुद्धता पवित्रता और दयाशीलता किसी सम्प्रदायविशेष की सम्पत्ति नहीं है एवम् प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ व प्रतिशय उन्नत चरित्र स्त्री-पुरुषों को जन्म दिया है।" धार्मिक ग्रहमन्यता तथा स्वधर्म की घोषी सर्वश्रेष्ठता के विरुद्ध स्वामी विवेकानन्द का शाश्वत यत्न था— "सहयोग, न कि विरोध", "परभाव-ग्रहण, न कि पर-भाव-विनाश", "समन्वय और शान्ति न कि मतभेद और कलह।" 17

स्वदेश प्रागमन पर उनका भारतीय जनमानस द्वारा समूहपूर्वक स्वागत किया

गया। विवेकानन्द ने तनिक भी समय नष्ट नहीं किया और भारत-भ्रमण करते हुए भारत का आध्यात्मिक नवोदय देश के कोने कोने में पहुंचाया। उनकी इस यात्रा ने भारत के प्रबुद्ध वर्ग को भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रति पुनः आस्थावान् बनाया। उनके सारगर्भित भाषणों का संकलन "लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टु अलमोरा" नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। 1897 में कलकत्ता के निकट बेलूर में विवेकानन्द ने 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की। इस के एक वर्ष पश्चात् वे पुनः यूरोप-भ्रमण पर गये तथा पेरिस में होने वाली "कांफेस ऑफ दी हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स" में भाग लिया। वे कुछ समय मिश्र में भी रुके। भारत लौटने पर वे पुनः भारत को प्रबुद्ध करने के मार्ग पर लग गये। अत्यधिक परिश्रम, चिन्तन तथा कार्यबहन ने उन्हें ध्वन्द से जर्जरित कर दिया था, किन्तु उनके बाह्य शारीरिक आवरण पर कहीं भी थकान का कोई चिह्न नहीं दिखाई देता था। उनका भव्य मुख पारलौकिक आनन्द से सदैव देदीप्यमान रहता था। किन्तु विधाता की लीलावश वे केवल 39 वर्ष की अल्पमायु में जुलाई 4, 1902 को चिर समाधिस्थ हो गये।

इतने अल्प समय में स्वामी विवेकानन्द इतिहास-पुरुष बन गये। भारत में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में उनका नाम-स्मरण अत्यन्त आदर भाव से होने लगा। जगह-जगह उनके स्मारक बने। कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर से लगा हुप्पा हुगली नदी का पुल 'विवेकानन्द ब्रिज' के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख शहरों में विवेकानन्द के नामके स्मारक बने हुए हैं। दक्षिण में कुमारी-अन्तरीप पर 'विवेकानन्द शिला' है जहाँ पर वे ध्यानावस्थित हो बह्माण्ड के रहस्य का अवगाहन किया करते थे।<sup>18</sup> अब वहाँ एक भव्य विवेकानन्द-शिला-स्मारक बन चुका है। विवेकानन्द के इन स्थूल स्मारकों से भी अधिक स्थायी एवं भावपूर्ण स्मारक भारतवासियों के हृदय में अवस्थित है। भारत की समस्त जागृत, राष्ट्र-भक्त एवं प्रबुद्ध जनता उनके प्रति आज भी नतमस्तक है। एक परिव्राजक होकर भी राष्ट्रियता के जिस द्विध्व संदेश का निनाव स्वामी विवेकानन्द ने किया यह आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना है। भारत के क्रान्तिकारी सपूतों ने एक ओर विवेकानन्द का संदेश तथा दूसरी ओर परमपावनी गीता के स्वर पर हंसते हंसते भारत के लिए अपनी शहादत दी है।

### स्वामी विवेकानन्द एवं राष्ट्रवाद

स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध में भारत के शैक्षणिक जगत् में यह भ्रांत धारणा बनी हुई है कि वे केवल संन्यासी, धर्मोपदेशक एवं वेदान्ती मात्र थे, उनका राजनीतिक क्रियाकलापों एवं राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था और स्वामी विवेकानन्द के विचारों की राजनीतिक व्याख्या हो ही नहीं सकती। इस भ्रांति के मूल में जहाँ एक ओर इस आलोचक-वर्ग की पश्चात्य राजनीतिक दर्शन के प्रति अंधभक्ति है तो दूसरी ओर भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन के नाम से उनमें विकर्षण विद्यमान है। इस भ्रांतिमूलक प्रचार एवं दुराग्रह का उन्मूलन आवश्यक है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि पूर्व स्वातन्त्र्य-काल के प्रायः प्रत्येक विचारक ने, चाहे वह संन्यासी हो अथवा समाज-सुधारक, भारत की राजनीतिक प्रगति की अपनी लक्ष्य माना है। इसका अपवाद मिलना असम्भव है। यदि आलोचकों का यह तर्क है कि कोई संन्यासी

अपने स्वयं के वक्तव्यों द्वारा यह घोषित करता है कि उनके विचारों को राजनीतिक श्रेणी में न रखा जाये अथवा उनका राजनीति से कोई सम्बन्ध न जोड़ा जाये तो फिर उन विचारों से राजनीतिक अर्थ निकालना उचित नहीं। किन्तु यह स्थिति हास्यास्पद है। किसी विचारक के नकारने मात्र से उसके विचारों के राजनीतिक पक्ष को कोई भी अध्ययनकर्ता भ्रष्टता नहीं छोड़ सकता। इस सन्दर्भ में गाँधी का उदाहरण स्वयं-सिद्ध है। इसी तरह यह मानना कि कोई परिव्राजक अथवा संन्यासी राजनीतिक दृष्टिकोण लेकर नहीं चलता नितान्त भ्रमपूर्ण है। भारतीय इतिहास एवं दर्शन में राजनीति जीवन से इतनी घुली मिली है कि उसे पृथक् नहीं किया जा सकता। भारत के संन्यासियों ने अन्य धर्मावलम्बियों की तरह केवल धार्मिक चोला पहन कर कार्य नहीं किया अपितु उन्होंने देश को राजनीतिक चेतना एवं स्वतंत्रता का पाठ भी पढ़ाया है। स्वामी दयानन्द का उदाहरण उन अनेक उदाहरणों में से एक है। अतः यह स्पष्टतः मान कर चला जाये कि स्वामी विवेकानन्द के राष्ट्रीयता-सम्बन्धी विचार अथवा अन्य राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें एक राजनीतिक चिन्तक की भी संज्ञा दी जा सकती है। वे राजनीतिज्ञ नहीं, किन्तु एक राजनीतिक चिन्तक अवश्य थे। उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए उनके स्वयं के उद्गार तथा टीकाकारों की उन पर व्याख्या का विहंगम प्रवलोकन किया जाना अनिवार्य है।

स्वामी विवेकानन्द के राजनीतिक विचार उनके धार्मिक एवं सामाजिक विचारों के सहगामी हैं। वे राष्ट्रवाद का अध्यात्मिकरण करने के पक्षपाती थे। हिन्दू-धर्म की महत्ता ने उन्हें राष्ट्रवाद के समीप ला खड़ा किया। वे हिन्दू-धर्म को सब धर्मों का प्रमुख स्रोत मानते थे। उनके अनुसार धर्म ही व्यक्ति और राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। इस सन्दर्भ में भारत की राजनीतिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था,

“.....राज हमारे देश को जिन चीजों की आवश्यकता है वे हैं लोहे की मसि-पेशियाँ, इस्पात की तंत्रिकाएँ, प्रखर संकल्प, जिसका कोई प्रतिरोध न कर सके, जो अपना काम हर प्रकार से पूरा कर सके, चाहे उसके लिये महासागर के तल में जाकर मृत्यु से साक्षात्कार ही क्यों न करना पड़े यह है जिसकी हमें आवश्यकता है और इसका हम सभी सज्जन कर सकते हैं तभी सामना कर सकते हैं और तभी शक्तिशाली बन सकते हैं जबकि हम अद्वैत के आदर्श का साक्षात्कार कर लें, सबकी एकता के आदर्श की अनुभूति कर लें अपने में विश्वास, विश्वास और विश्वास। यदि तुम्हें अपने तैतीस करोड़ पौराणिक देवताओं में तथा उन सब देवताओं में विश्वास है जिन्हें विदेशियों ने तुम्हारे बीच प्रतिष्ठित कर दिया है, किन्तु फिर भी अपने में विश्वास नहीं है, तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। अपने में विश्वास रखो और उस विश्वास पर दृढ़तापूर्वक धरें रहो। क्या कारण है कि हम तैतीस करोड़ लोगों पर विछले एक हजार वर्ष से मुट्ठी भर विदेशी शासन करते आये हैं ? क्योंकि उन्हें अपने में विश्वास था और हमें नहीं है।”<sup>19</sup>

विवेकानन्द हेगल की तरह राष्ट्र की महत्ता के प्रतिपादक थे। उनके अनुसार भारत को अपने अध्यात्म से पश्चिम को विजित करना होगा। उनका मत था “एक बार पुनः भारत को विश्व की विजय करने है। उसे पश्चिम की आध्यात्मिक विजय



करनी है।<sup>20</sup> मानवेन्द्रनाथ राय ने विवेकानन्द की आलोचना करते हुए उनकी राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचारधारा के प्रभाव का इस प्रकार वर्णन किया है :

“विवेकानन्द का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक साम्राज्यवाद था। उन्होंने तरुण भारत को प्रेरित किया कि वह भारत के आध्यात्मिक उद्देश्यों में विश्वास रखे। उनके दर्शन के आधार पर आगे चल कर उन तरुण बुद्धिजीवियों के परम्परानिष्ठ राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ जो अपने वर्गों से सम्बन्ध-विच्छेद कर चुके थे और जिन्होंने अपने को गुप्त समुदायों के रूप में संगठित किया तथा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिये हिंसा और घातक का समर्थन किया....आध्यात्मिक श्रेष्ठता के द्वारा विश्व की विजय करने के इस रोमांचपूर्ण स्वप्न ने उन तरुण बुद्धिजीवियों में भी नयी चेतना जाग्रत कर दी जिनकी दयनीय आर्थिक स्थिति ने उन्हें व्याकुल कर रखा था।”<sup>21</sup>

विवेकानन्द ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक पुट दिया। उनका यह कार्य उनके इस प्रबल विश्वास का कि भविष्य में धर्म ही भारत का मेरुदंड बनेगा अनुगामी था। वे इस धर्म में पुनरभ्युदयवादी थे। वे भारत के अतीत का आह्वान कर भविष्य के भारत का निर्माण करना चाहते थे। वे भारत राष्ट्र की महत्ता एवं एकता के पौषक थे तथा सम्यता की आन्तरिक ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति मानते थे। वे रूढ़िवादी नहीं थे। उनका राष्ट्र प्रेम भारत-माता के चित्र में समाहित था। बंकिम की तरह उन्होंने भी भारत को जननी के रूप में देखा था। वे उग्र-राष्ट्रवाद के पक्षपाती थे और इसी कारण से उन्होंने भगिनी निवेदिता की “आक्रामक हिन्दूवाद” का उपदेश दिया। भगिनी निवेदिता ने इसी आक्रामक हिन्दूवाद को उग्रराष्ट्रवादी आन्दोलन में प्रयुक्त किया। बंगाल के विभाजन (1905) के समय भारत में जो “गरमदल” उभरा उस पर भगिनी निवेदिता का अत्यधिक प्रभाव रहा। इसका यह तात्पर्य नहीं कि स्वामी विवेकानन्द तथा उनकी शोग्य शिष्या दोनों ही संकीर्ण हिन्दू-सांप्रदायिकता के प्रतिपादक थे। वास्तविकता यह थी कि दोनों ही हिन्दूवाद की भारतीय राष्ट्रवाद के पर्यायवाची एवं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के अर्थ में प्रयोग कर रहे थे।

स्वामी विवेकानन्द आधुनिक सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन के (स्वामी दयानन्द के पश्चात्) ऐसे दूसरे विचारक हैं जिन्होंने सक्रिय प्रतिरोध का मार्ग भारतीयों के लिये प्रशस्त किया। स्वामी दयानन्द ने इस प्रतिरोध को जहाँ सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में अधिक प्रचारित किया वहाँ स्वामी विवेकानन्द ने यह चेतना राजनीतिक क्षेत्र में अधिक व्यापक बनायी। उनके उपदेशों ने एक नवीन शक्ति तथा अभय का संदेश संचारित किया। वे भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता के संदेश-वाहक बने। उनके अभय के संदेश से भारत की पददलित, सामाजिक दृष्टि से अहिष्कृत एवं पीरुपहीन जनता को जीवनदान मिला तथा आत्मचेतना प्राप्त हुई। इसी आत्मचेतना के परिणामस्वरूप बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत ने करवट बदली और विदेशी दासता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाया। आत्मा के अमरत्व तथा मानव-गरिमा के महत्त्व को आधार मान कर विवेकानन्द ने बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का आह्वान किया। गीता, वेदान्त तथा उपनिषदों के आधार पर उन्होंने आक्रामक प्रवृत्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक भारतीय को समस्त प्रकार के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास में जुट जाना चाहिए।<sup>22</sup> धार्मिक एवं

सामाजिक अन्यायों का, सेवा एवं सामाजिक दायित्व की भावना से सामना करने का विचार प्रस्तुत किया।<sup>23</sup> भारत की कोटि-कोटि जनता को सम्बोधित कर विवेकानन्द ने कहा—

“हे खीर ! निर्भीक बनो, साहस धारण करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो और गर्व के साथ घोषणा करो, “मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है।” “बोलो ज्ञान-हीन भारतीय, दरिद्र तथा अकिंचन भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, पछूत भारतीय मेरा भाई है।” तुम भी अपनी कमर में लंगोटी बांध कर गर्व के साथ उच्च स्वर में घोषणा करो, “भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत के देवी-देवता मेरे ईश्वर हैं, भारतीय समाज मेरा बाल्यकाल का पालना है, मेरे जीवन का आनन्द उद्यान है, पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था की वाराणसी है।” “मेरे बन्धु बोलो” भारत को भूमि मेरा परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कल्याण है और दिन-रात जपो और प्रार्थना करो, हे गौरीपति! हे जगघात्री! मुझे पुरुषत्व प्रदान करो। हे शक्ति की जननी मेरे दौर्बल्य को हर लो, मेरी पीरपहीनता को हर लो तथा मुझे मनुष्य बना दो।”<sup>24</sup>

उनके द्वारा राष्ट्रीय उत्थति एवं जागरण के लिए दिया गया सशक्त वक्तव्य आज भी भारतीयों के लिये प्रेरणादायक है। विवेकानन्द ने कहा था :

“राष्ट्र के रूप में हम अपना व्यक्तित्व विस्मृत कर बैठे हैं, और यही इस देश में सब दुष्कर्मों की जड़ है। हमें देश को उसका खोया हुआ व्यक्तित्व वापस देना है और जनता का उत्थान करना है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी ने उसको अपने पैरों से कुचला है। किन्तु अब उसके उत्थान की शक्ति भी अन्तराल से आनी चाहिए, अर्थात् परम्परानिष्ठ हिन्दू समाज में से। प्रत्येक देश में जो बुराईया देखने को मिलती हैं वे धर्म के कारण नहीं हैं, बल्कि धर्म-द्रोह के कारण हैं। इसलिये दोष धर्म का नहीं है, मनुष्यों का है।”<sup>25</sup>

राजनीतिक दृष्टि से स्वामी विवेकानन्द जहाँ एक ओर राष्ट्रीय उत्थान के लिये सम्यक् धर्म का उपदेश दे रहे थे तो दूसरी ओर उनका ध्यान भारत की आर्थिक दुर्दशा को दूर करने पर भी केन्द्रित था। उनका विश्वास था कि भारत की आर्थिक समृद्धि से भारत स्वयं राजनीतिक स्वतन्त्रता का उद्देश्य पूरा कर सकेगा। यही कारण था कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का अवलम्बन लिया और कहा—

“मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे एक परिपूर्ण व्यवस्था मानता हूँ किन्तु इसलिए कि भूखे रहने से तो आधी रोटि ही अच्छी है। अन्य व्यवस्थायों को परीक्षित किया गया, किन्तु वे अपर्याप्त पायी गयीं। अब इसका परीक्षण किया जाय यदि और किसी प्रयोजन के लिए नहीं तो केवल इसकी नवीनता के लिए ही सही।”<sup>26</sup>

स्वामी विवेकानन्द ने इस प्रकार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रस्तावित किया जो कि पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति एवं पश्चिम की धर्मनिरपेक्ष उत्थति का समन्वित रूप थी। भारत में स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए ज्वार के प्रतीक बन गये।<sup>27</sup> उनका प्रभाव भारत में एक नवीन चेतना का उद्बोधक तथा विश्व के लिए उत्थान का कारण बना। ऐसे समय में जब कि भारत में राजनितिक उदासीनता एवं निराशा के बादलों ने भारतीयों की अकर्मण्य बना दिया था, स्वामी विवेकानन्द ने हमें पुनः आत्म-सम्मान दिया और हममें हमारे भूतकालिक सुषुप्त अतिमान को पुनः जागृत किया।<sup>28</sup>

## सामाजिक विचार

स्वामी विवेकानन्द ने समाजशास्त्र का शास्त्रोक्त अध्ययन नहीं किया था किन्तु फिर भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति एवं प्रबल प्रज्ञा के कारण उन्होंने भारतीय समाज की सूक्ष्मतम विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर सामाजिक उत्थान एवं क्रांति का सूत्रपात किया। संयोगवश लंदन में 1896 में जब स्वामी विवेकानन्द ने आधुनिक भारत का प्रारूप तैयार किया उसी वर्ष गायटानो मोस्का ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति एलोमेंटी डी साइन्सा पोलीटिका में यूरोप के श्रमिजन वर्ग-चक्र के सिद्धांत का निरूपण किया था।<sup>29</sup> यह स्वामी विवेकानन्द की अलौकिक मौलिक प्रतिभा का ज्वलन्त उदाहरण है कि उन्होंने स्वतन्त्र रूप से भारत के जिस समाजशास्त्रीय अध्ययन का सूत्रपात किया वह आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्र के लिये प्रथम अध्याय माना जा सकता है। भारत के 'जातीय चक्र' का विशद उल्लेख स्वामी विवेकानन्द के सामाजिक चिन्तन का प्रमुख स्तम्भ है। उनके अनुसार मनुष्य में जिन तीन गुणों-सत्त्व, रजस् तथा तमस् का सार्वभौमिक प्राधान्य है वे ही तीन गुण सर्व-कालिक होकर चार वर्गों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के रूप में उपस्थित हुए हैं। इन्हीं चार वर्गों में भिन्न-भिन्न देशों ने भिन्न-भिन्न शासकीय शक्तियों का साक्षात्कार किया है।<sup>30</sup> विवेकानन्द के अनुसार विश्व-इतिहास का अध्ययन इस तथ्य का साक्षी है कि इन्हीं चार श्रेणियों ने कालान्तर में एक दूसरे से राजनीतिक एवं सामाजिक शक्तियाँ अर्जित की हैं। चीन, सुमेरिया, बेबीलोन, मिथ, चेलडी, आर्य, फारसी, यहूदी तथा अरब राष्ट्रों में समाज को मार्गदर्शन पुरोहित अथवा ब्राह्मण-वर्ग से मिला। इसके पश्चात् क्षत्रिय-वर्ग का उद्गम हुआ जिसने निरंकुश राजतन्त्र की या फिर धनिक सामन्ती तन्त्र की स्थापना की। आधुनिक राष्ट्रों में, जिनमें इंग्लैंड प्रधान है, वैश्य-वर्ग ने व्यापार तथा वाणिज्य के द्वारा समाज को नियन्त्रित करने की शक्ति अपने हाथ में ले ली। पुरोहित वर्ग के अधःपतन ने क्षत्रिय-वर्ग का उत्थान किया और पुरोहित एवं क्षत्रिय दोनों ही वर्गों को वैश्य वर्ग ने अपनी आर्थिक सम्पन्नता के सामने झुका दिया। शूद्र की स्थिति जैसी थी वैसी ही रही। शूद्र-वर्ग की चेतना द्वारा ही यह चक्र पूर्ण होगा। भविष्य में शूद्र-वर्ग का ही बोलबाला रहेगा।<sup>31</sup> विवेकानन्द ने शूद्र-वर्ग को भारत की दलित जातियों के अर्थ में ही नहीं लिया किन्तु व्यापक अर्थ में शूद्रों की श्रेणी में मजदूरों, श्रमिकों एवं मेहनतकश किसानों को सम्मिलित किया है। इस दृष्टि से स्वामी विवेकानन्द का समाजशास्त्रीय विवेचन अत्याधुनिक प्रतीत होता है। उनका 'शूद्रतन्त्र' सम्बन्धी दृष्टिकोण समस्त विश्व में श्रमिकों एवं किसानों का आधिपत्य दर्शाता है। समाजवादी देशों में सर्वहारावर्ग के उत्कर्ष को स्वामी विवेकानन्द ने समय से पूर्व इंगित कर दिया था। उनकी यह भविष्य-वाणी, "शूद्रों का यह उत्थान पहले रूस में और फिर चीन में होगा। उसके उपरान्त भारत में उत्कर्ष होगा और वह भावी विश्व के निर्माण में सशक्त भूमिका प्रदा करेगा"<sup>32</sup> सत्य हो रही है।

स्वामी विवेकानन्द का विवेचन आधुनिक समाजवादी विचारकों की भाँति आर्थिक दृष्टिकोण पर पूर्णतया आधारित नहीं है। उन्होंने प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक पुट दिया है। कहीं-कहीं इस प्रकार की आध्यात्मिकता का बाहुल्य उनके विचारों की तर्क संगति को शिथिल कर देता है। जैसे 'एक और पश्चिमी समाजों की स्वार्थ पर आधारित

स्वतन्त्रता है, दूसरी ओर धर्म-समुदाय का अतिशय बलिदान है। यदि इस हिंसात्मक संघर्ष में भारत को ऊपर और नीचे उछाला जाये तो क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है? पश्चिम का लक्ष्य है वैयक्तिक स्वतन्त्रता, भाषा है धर्मकरी विद्या और साधन है राजनीति, भारत का लक्ष्य है मुक्ति, भाषा है वेद और साधन है त्याग।”<sup>33</sup> इसी प्रकार के कथन में विवेकानन्द की धार्मिक भाषा का बाहुल्य दिखाई देता है। इसी तरह वर्ण-व्यवस्था का आंगिक सिद्धांत पर आधारित दृष्टिकोण भी विवेकानन्द के विचारों को पुरातनपंथी बनाता है। किन्तु इस संदर्भ में हमें यह न भूलना चाहिए कि स्वामी विवेकानन्द ने सामाजिक सुधार का भी प्रचार किया था। वे वर्णव्यवस्था के अन्तर्गत दलितों एवं हरिजनों पर होने वाले अत्याचार के प्रबल विरोधी रहे। उन्होंने दलितों को ‘दरिद्रनारायण’ के रूप में देखा और उनकी सेवा को प्रत्येक भारतीय का प्रथम कर्तव्य घोषित किया। उन्हीं के शब्दों में, “मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वे हिन्दू है या मुसलमान अथवा ईसाई, किन्तु जिन्हें ईश्वर से प्रेम है उनकी सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। मेरे वस्त्र अग्नि में कूद जाओ। यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम्हें सब कुछ मिल जायेगा। हमसे प्रत्येक को दिन-रात भारत के उन करोड़ों दलितों के लिये प्रार्थना करनी चाहिए, जो दरिद्रता, पुरोहितों के जंजाल तथा अत्याचार में जकड़े हुए हैं-दिन-रात उनके लिये प्रार्थना करो।..... मैं न तत्त्वशास्त्री हूँ, न दार्शनिक हूँ और मैं सन्त भी नहीं हूँ। मैं दरिद्र हूँ। मुझे दरिद्रों से प्रेम है।..... भारत में कौन ऐसा है जिसके मन में उन बीस करोड़ स्त्री-पुरुषों के लिये सहानुभूति हो जो गहरी दरिद्रता और अज्ञान में डूबे हुए हैं? उपाय क्या है? उनके जीवन में प्रकाश कौन ला सकता है? इन्हीं लोगों को अपना देवता समझो। मैं उसी को महारमा कहता हूँ जिसका हृदय दरिद्रों के किये द्रवित होता है। जब तक करोड़ों लोग भुखमरी और अज्ञान के शिकार हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासपाती समझता हूँ जो उनके घन से शिक्षा प्राप्त कर उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता.....।”<sup>34</sup>

### स्वामी विवेकानन्द के धार्मिक विचार

स्वामी विवेकानन्द, अपने गुरु श्रीरामकृष्ण परमहंस के समान यह मानते थे कि मनुष्य अपने अन्तराल में निहित ईश्वर को आत्मसात् किये बिना जीवन के सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह जीवन ध्येय है जिसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं है।<sup>35</sup> विवेकानन्द हिन्दू-धर्म के सच्चे प्रतिनिधि थे और हिन्दू-धर्म को सब धर्मों का जनक मानते थे। वैदिक धर्म से लेकर बौद्ध धर्म तक उनका क्षेत्र था। नैतिक मानववाद और आध्यात्मिक आदर्शवाद का समन्वय उनके विचारों को सार्वभौमिकता का बाना पहनावा है। वे धर्म की अन्तिम तथा राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करने वाला तत्त्व मानते थे। उनके अनुसार, “मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, चाहे वह उपनिषदों का धर्म हो और चाहे गीता अथवा भागवत का। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बड़कर कुछ नहीं।”<sup>36</sup>

स्वामी विवेकानन्द वैश्वता के निष्ठात प्रवृत्त थे। उनकी दृष्टि में अन्तः  
विश्वता थी। वे प्रादि संकराचार्य के समान अद्वैतवादी-मायावादी थे।

ब्रह्म को पूर्ण सत्य माना था। उनका सच्चिदानन्द ब्रह्म में पूर्ण विश्वास रहा। वे ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता मानते थे। उनके अनुसार ज्ञान की सर्वोच्च ध्वस्था में पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही ब्रह्म है। यदि भक्ति के माध्यम से उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाय तो वह ईश्वर की ओर इंगित करता है। शरीर के मूलरूप में यही ब्रह्म आत्मा के रूप में है। ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता एवं संहारक है। उनके अनुसार प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश विद्यमान है। वे दृश्य जगत् को माया मानते रहे और इसके समर्थन में उन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किये। तन्त्रशास्त्र के प्रभाव के कारण, विवेकानन्द ने ब्रह्म की सृजनात्मक शक्ति को माता के रूप में स्वीकार किया। उनका यह विश्वास था कि जीवात्मा जो कि निष्कलंक एवं निष्पाप है, भौतिक जगत् के बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर ईश्वरत्व ग्रहण कर सकती है। मुकर्मों से यह ध्येय साध्य है और इसी मार्ग पर चल कर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

स्वामी विवेकानन्द अपनी योगसाधना की चरम सिद्धि प्राप्त कर आध्यात्मिक ध्यान में खो गये थे। उनकी यह स्थिति उन्हें व्यक्तिगत मोक्ष साधन की ओर ले जा रही थी किन्तु ऐसे समय में श्रीरामकृष्ण परमहंस ने उन्हें जाधृत किया और यह आदेश दिया कि अपनी मुक्ति प्राप्त करने के स्थान पर मानवता को मुक्ति का संदेश दो। गरीब, निरीह तथा दलित व्यक्ति की सेवा कर उन्हें मुक्त करो। अपने गुरु के इस आदेश से स्वामी विवेकानन्द ने धर्म को मानव-धर्म की परिधि में देखना प्रारम्भ किया और उनका दृष्टिकोण प्रतिव्यापक हो गया। अपनी मुक्ति के स्थान पर मानव मात्र की मुक्ति के लिए उन्होंने चिन्तन प्रारम्भ कर दिया और यह सिद्ध किया कि ध्यान, योग साधना तथा समाजसेवा एक दूसरे के विलोम नहीं है।<sup>37</sup>

स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त-दर्शन के भ्रन्तर्गत इस तथ्य को प्रस्तुत किया कि वेदान्त उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग में समस्त सुख दे सकता है किन्तु जीवित व्यक्ति को रोटी उपलब्ध नहीं करा सकता।<sup>38</sup> उनका वेदान्त-दर्शन इन तीन मुख्य स्तम्भों पर आधारित था—(1) मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है, (2) जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है और (3) समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। उनके अनुसार वेदान्त संसार त्यागने का उपदेश नहीं देता किन्तु समस्त विश्व को ब्रह्ममय करने का पाठ सिखाता है।<sup>39</sup> 'ईशावास्यमिदम् सर्वम्' की धारणा से उनके विचारों में भद्रत, द्वैत एवं विशिष्टाद्वैत तीनों का अद्भुत मिश्रण है। विवेकानन्द ईश्वर को निर्गुण तथा सगुण दोनों ही रूपों में स्वीकार करते हैं।<sup>40</sup> वे अद्वैतवादियों के ब्रह्म-प्राप्ति के निर्विकल्प समाधि के मार्ग को तथा द्वैतवादियों के सविकल्प समाधि के धर्म को ब्रह्म के साथ तादात्म्य की विधाएँ मानते हुए उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार वे सच्चिदानन्द की अनुभूति के लिये ज्ञान, भक्ति तथा कर्मयोग तीनों का ही समन्वय आवश्यक मानते हैं। उनका उद्देश्य शंकराचार्य के ज्ञान तथा बुद्ध की दयालुता का मिश्रण उत्पन्न करना है। वे योग को ही धर्म का मूल आधार मानते हैं। उनके अनुसार योग एक साधारण व्यक्ति के लिए मानव तथा मानवता का सम्मिलन है, एक रहस्यवादी के लिये उनकी निम्न तथा उच्च सत्ता का मिश्रण है, एक प्रेमी के लिये योग प्रेमी तथा प्रेम के देवता का मिलन है तथा एक दार्शनिक के लिये समस्त

अस्तित्व का बोध है। यही योग है और इस मार्ग का पथिक योगी है। मानव मात्र कार्य, पूजा या अनुष्ठान, मानस-निग्रह या दर्शन आदि किसी भी एक अथवा समस्त के माध्यम से योग साधना द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है।<sup>41</sup>

### शिक्षा सम्बन्धी विचार

स्वामी विवेकानन्द केवल आध्यात्मिक शिक्षक ही नहीं थे अपितु भारतीय समाज एवं राष्ट्र की अनेक समस्याओं को हल करने का मार्ग भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। उनका विचार था कि भारत की पिछड़ी हुई स्थिति के लिए शिक्षा की कमी बहुत हद तक उत्तरदायी थी। वे तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के प्रबल आलोचक थे। अंग्रेजों की शिक्षा-पद्धति को वे बाबुओं का निर्माण करने वाला यन्त्र मानते थे।<sup>42</sup> यह शिक्षा उन्हें नकारात्मक ज्ञान देती थी और स्वावलम्बन विहीन थी। रटने पर अधिक जोर देने के कारण बुद्धि का विकास नैसर्गिक रूप में नहीं हो सकता था। यह शिक्षा न तो उन्हें जीविकोपार्जन के लिये तकनीकी ज्ञान देती थी और न जीवन जीने का मार्ग दिखाती थी।<sup>43</sup> स्वामी विवेकानन्द शिक्षा-पद्धति को निश्चित लक्ष्यों से संयुक्त करना चाहते थे। उनका ध्येय मनुष्य का निर्माण करने वाली शिक्षा-पद्धति को अंगीकार करना था। अद्वैत दर्शन के आधार पर स्वामी विवेकानन्द ने यह रहस्योद्घाटन किया कि ज्ञान मनुष्य में ही अन्तर्निहित है। जब व्यक्ति कोई बात सीखता है तो वह अपने अन्दर ही उस तथ्य को योज कर निकालने की प्रक्रिया से ऐसा करता है।<sup>44</sup> बाह्य क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तो आन्तरिक प्रक्रिया है। उसे जागृत करने की आवश्यकता है। शिक्षक सिखाता नहीं है अपितु ज्ञान जागृत करता है।<sup>45</sup>

शिक्षा के लिए स्वास्थ्य को विवेकानन्द ने अत्यधिक महत्त्व दिया। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का बोध हो सकता है।<sup>46</sup> वे ध्यान केन्द्रित करने की प्रिया को भी शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण मानते थे। ध्यानावस्थित होने पर प्रत्येक विद्या का अभ्यास सहज रूप में हो सकता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के पालन से नैतिक चरित्र ऊंचा उठता है।<sup>47</sup> कामवासना की शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में बदलने का स्वामी विवेकानन्द का आह्वान वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना आध्यात्मिक दृष्टि से। पूर्ण शक्ति के साथ विद्याभ्यास कर व्यर्थ की बातों से ध्यान को विकर्षित करना तथा तथ्य पर ध्यान केन्द्रित करना यह विवेकानन्द का स्थापित आदर्श था जिसका अनुसरण करने पर उच्चतम बौद्धिक उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती थी।<sup>48</sup> विवेकानन्द ने गुरु-सेवा तथा गुरु-शिष्य परम्परा का भी उल्लेख अपने भाषणों में किया। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार भौतिक ज्ञान भी सद्गुरु की संगति से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार वे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के पक्षपाती थे। वे यह भी मानते थे कि मन्त्री शिक्षा प्रकृति के आग्निष्य से प्राप्त होती है। प्रकृति से दूर रह कर विद्या अमुरी रह जायेगी।<sup>49</sup>

शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानन्द ने शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के समन्वय पर बल दिया है।<sup>50</sup> इन सभी शिक्षा सम्बन्धी विचारों का मूल सत्य एवं विद्युत् भारतीय शिक्षा-पद्धति का निर्माण करने का था। स्वामी विवेकानन्द पश्चिम के अनुसरण के विरोधी थे। जिन प्रकार से पश्चिमी शिक्षा तथा संस्कृति को उद्दे-विधे भारतवासी ने

प्रपनाता प्रारम्भ किया था उससे उनका मन व्यथित था। यही कारण है कि स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय धर्म तथा संस्कृति के मूलभूत स्तम्भ पर शिक्षा का मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वे पाश्चात्य विचारों की नैतिक एवं मानवीय विशेषताओं को ग्रहण करने के लिए उद्यत थे किन्तु उनकी नकल करना उन्हें पसन्द नहीं था। वेपमूपा, खानपान, रीति-रिवाज, धर्म, चिन्तन, शिक्षा, समाज-उत्थान, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सभी को वेद, वेदान्त, उपनिषद आदि से नियन्त्रित कर उन्होंने भारतीयता को जीवित रखा। इस भारतीयता की छाप उन्होंने पश्चिम पर इतनी गहरी छोड़ी कि आज भी भारत के बाहर जो भारतीय महानता का प्रभाव है उसका अधिकांश स्वामी विवेकानन्द के योगदान का ही परिणाम है।

□□

### टिप्पणियाँ

1. देखिये रोमां रोलां, डी लाइफ ऑफ रामकृष्ण, (अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, 1965) पृ 222
2. देखिये डी लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानन्द बाई हिज़ ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न डिसाइपल्स, (अद्वैत आश्रम, अलमोड़ा) खण्ड 2, पृ. 893
3. देखिये रोमां रोलां, पृ. 223
4. देखिये वी. एस. नरयाने, माइर्न इण्डियन द।ट, पृ. 83
5. देखिये रोमां रोलां, पृ. 225
6. वही, पृ. 226
7. नरयाने, पृ. 84
8. वही, पृ. 86
9. सिंकापो वषट्पता : स्वामी विवेकानन्द, (श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर, 1975). पृ. 10-12
10. वही, पृ. 16-18
11. वही, पृ. 19-21
12. वही, पृ. 22-23
13. वही, पृ. 25-26
14. वही, पृ. 30
15. वही, पृ. 35
16. वही, पृ. 39-40
17. वही, पृ. 49-50
18. नरयाने, पृ. 86
19. डी कम्प्लोड वर्स ऑफ स्वामी विवेकानन्द, खण्ड 3, पृ. 190
20. वही, खण्ड 5, पृ. 120-121
21. इण्डिया इन ट्रांजीशन, पृ. 193
22. डी लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानन्द, खण्ड 2, पृ. 796
23. वही, पृ. 306
24. डी मेसेज ऑफ विवेकानन्द, (अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, 1966) पृ. 13-14
25. डी लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानन्द, खण्ड 1, पृ. 306-307
26. देखिये जवाहरलाल नेहरू, "डिस्कवरी ऑफ इण्डिया", पृ. 358
27. योगेश्वरानन्द (सं), डी लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानन्द, पृ. 7
28. जवाहरलाल नेहरू, टुवर्ड फ्रीडम, पृ. 270
29. देखिये डी. मेकेथी ब्राउन, डी ह्युमन कन्सेला-इण्डियन पोलिटिकल थॉट फ्रॉम भन्तु टु र्माघी, पृ. 279

30. विवेकानन्द, "माहर्षि इण्डिया", देविघिये कम्पलीट वर्स, भाग 4
31. बहो
32. देविघिये भूपेन्द्रनाथ दत्त, विवेकानन्द : पेट्रियट-प्रोफेट, पृ. 365
33. विवेकानन्द, "माहर्षि इण्डिया", देविघिये कम्पलीट वर्स, भाग 4
34. डी लाइफ आफ स्वामी विवेकानन्द, पृ. 690
35. शिशिर कुमार मित्रा, डी विज़न आफ इण्डिया, पृ. 32-33
36. डी लाइफ आफ स्वामी विवेकानन्द, भाग 2, पृ. 699
37. डा. राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानन्द सेन्टेनरी मेमोरियल वॉल्यूम, आमुघ iv
38. बहो, पृ. 248
39. स्वामी विवेकानन्द, ज्ञान योग, पृ. 140-141
40. स्वामी विवेकानन्द, प्रैक्टिकल वेदान्त, पृ. 90-91
41. स्वामी विवेकानन्द, राज-योग, पृ. 1
42. कम्पलीट वर्स आफ स्वामी विवेकानन्द, घण्ट 5, पृ. 364
43. बहो, पृ. 362
44. बहो, घण्ट 1, पृ. 28
45. स्वामी विवेकानन्द, ओन इण्डिया एण्ड हर् प्रोग्रेस, पृ. 58-59
46. कम्पलीट वर्स, घण्ट 3, पृ. 242
47. बहो, घण्ट 1, पृ. 131-132
48. बहो, घण्ट 8, पृ. 47
49. बहो, घण्ट 5, पृ. 360
50. बहो, घण्ट 3, पृ. 190



## अध्याय 5

### श्रीमती एनी बेसेंट (1847-1933)

एनी बेसेंट का नाम उन सर्व विदेशियों में प्रख्यात है जिन्होंने भारत के बाहर जन्म लेकर भी भारत को अपनाया, भारत को अपना घर स्वीकार किया तथा भारतीय संस्कृति एवं हिन्दू-धर्म-दर्शन को श्रेष्ठता के शिखर पर पुनः स्थापित करने में अपना जीवन अर्पित कर दिया। एनी बेसेन्ट आयरलैण्ड में पैदा हुई और ब्रिटेन में ही उनका युवा जीवन व्यतीत हुआ। विवाह उनके लिए बन्धन सिद्ध हुआ। वे सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए उत्पन्न नहीं हुई थी, उनका मार्ग आध्यात्मिक था। किन्तु अपने इस आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें स्वयं के विवेक एवं बुद्धिवाद में सामंजस्य स्थापित करना पड़ा। वे अत्यधिक मेधावी महिला थीं। अपनी विद्वत्ता, लेखनी तथा वक्तृत्व की शक्ति के कारण वे अल्प समय में ही ख्याति प्राप्त करने लगीं। वे ब्रिटेन के समाजवादी आन्दोलन की अग्रणी रही। आयरलैण्ड के होमरूल-आन्दोलन में उन्होंने सुलकर भाग लिया। वे चार्ल्स ब्रैडलॉ की नेशनल सेक्यूलरिस्ट सोसाइटी की सदस्य बनी और होमरूल-कार्यक्रम उनके जीवन का अंग बन गया। किन्तु ब्रिटेन के उनके कार्यक्रमों में अकस्मात् परिवर्तन आया। थियोसॉफी आन्दोलन की प्रवर्तक श्रीमती ब्लैवट्स्की के संपर्क में आते ही एनी बेसेन्ट की विचारधारा भी बदल गई। श्रीमती ब्लैवट्स्की द्वारा लिखित वी सीक्रेट डोक्ट्राइन का उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और वे रहस्यवाद की ओर झुकी। भारत की अग्रगण्य आध्यात्मिक रस-माधुरी का पान करने के लिए वे लालायित रहने लगीं। थियोसॉफी आन्दोलन के लिए उन्होंने अपना सारा समय लगा दिया। श्रीमती ब्लैवट्स्की की मृत्यु के पश्चात् वे 1893 में भारत आयीं। 46 वर्ष की परिपक्व अवस्था में उनका भारत आगमन कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक घरोहर को जहाँ सुरक्षित रखने का कार्य प्रारम्भ किया वहीं भारत से प्रशिक्षण, प्रज्ञान, राजनीतिक शिथिलता आदि को दूर करने का भी संकल्प लिया। बनारस में भगवानदास आदि के सहयोग से उन्होंने 'सेन्ट्रल हिन्दू-कॉलेज' की स्थापना की। प्राये जाकर यही 'सेन्ट्रल हिन्दू-कॉलेज' पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा निर्मित बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी का आधार स्थल बना। बेसेन्ट ने अपने द्वारा प्रचारित शैक्षिक कार्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व दिया। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षण में धार्मिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को जगाया जा सकता है। देन-सेवा एवं नागरिकता के उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए उन्होंने 'इंडियन बॉय-स्कार्ट एण्ड गर्ल-माइड एसोसियेशन' स्थापित किया। 1907 में एनी बेसेंट को भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वे 1907 से अपनी मृत्यु-पर्यन्त (1933) इस पद पर रही। मद्रास के पास अष्टवार नामक स्थान पर, जहाँ पर

वियोसोफिकल समाज का मुख्य कार्यालय है, आज भी श्रीमती एनी बेसेन्ट द्वारा सगृहीत महर्गों पुस्तकों का अद्वितीय संग्रह विद्यमान है। भारत में तन्त्रशास्त्र, योगविद्या एवं रहस्यवाद के अध्ययन के लिए बेसेन्ट द्वारा पल्लवित यह स्थान संसार के बुद्धिजीवियों तथा तत्त्वज्ञानियों के लिए तीर्थस्थल बन चुका है।

एनी बेसेन्ट का भारत के धार्मिक एवं समाज-सुधार आन्दोलन से प्रगाढ़ सम्बन्ध रहा है। वे जब नवम्बर 16, 1893 को भारत के तूतीकोरिन नामक स्थान पर उतरें तो उन्होंने पाया कि भारतवासी जहाँ एक और अपने धर्म के प्रति हीन भावना से ग्रस्त थे तो दूसरी ओर भारत की स्त्रियाँ पर्वप्रथा तथा अन्य कुरीतियों की शिकार थी। उन्होंने सारे भारत का भ्रमण कर भारतवासियों का ध्यान उनकी महान् अध्यात्मिक धरोहर की ओर आकृष्ट किया। इससे भारत में नवीन जागृति एवं विश्वास का वातावरण उत्पन्न हुआ। भारत आगमन के पहले 20 वर्षों में श्रीमती बेसेन्ट ने राजनीतिक मामलों से अपने प्रायः दूर रखा और केवल धार्मिक, शैक्षिक तथा समाज-सेवा के कार्य में ही अपना समय व्यतीत किया। भारत की आध्यात्मिक जागृति एवं भारत की महानता का का-सन्देश देने के पश्चात् श्रीमती एनी बेसेन्ट ने यह नारा लगाया कि कोई भी विदेशी राज्य अन्य राज्यों को अपना गुलाम बना कर नहीं रख सकता। उनके अनुसार भारत जैसे महान् राष्ट्र को स्वराज न देना इंग्लैण्ड की सरकार पर कलंक है। अपने भारतीय स्वतन्त्रता सम्बन्धी क्रियाकलाप में एनी बेसेन्ट ने जनवरी 1914 में कॉमनवेल नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 'होमरूल' कार्य को चलाने के लिये उन्हें एक दैनिक पत्र की आवश्यकता हुई और यह कार्य उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड पत्र को खरीद कर पूरा किया। अब एनी बेसेन्ट के पास एक दैनिक पत्र भी था जिससे वे अपने राजनीतिक विचार जनता तक पहुँचा सकती थी। उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड का नाम बदल कर न्यू इंडिया रख दिया। शनैः शनैः एनी बेसेन्ट का भारत की राजनीति से सम्बन्ध बढ़ता गया। अपने पुस्तक बेक अप इंडिया के माध्यम से उन्होंने भारत की राजनीतिक तन्त्रा से जगगाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिथिल कार्यकलाप को नवीन गति दी। कांग्रेस के नेतागण एनी बेसेन्ट के समर्थन में उतने उत्साह से प्राये नहीं प्राये, भतः उन्होंने 1916 में होमरूल लीग की स्थापना कर डाली। कांग्रेस में श्रीमती बेसेन्ट की उपवादियों का समर्थन प्राप्त था। उदारवादियों के कार्य से बेसेन्ट सन्तुष्ट नहीं थी। उनका विचार तिलक तथा साहा साजपतराय की कांग्रेस के मार्गदर्शकों के रूप में देखने का था। यही कारण था कि 1915 में बम्बई में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के लिए श्रीमती बेसेन्ट ने साहा साजपतराय का नाम अध्यक्ष-पद के लिए प्रस्तावित किया किन्तु उदारपन्थी फिरोजशाह मेहता, जो कि बम्बई-अधिवेशन के लिए स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, को यह प्रस्ताव शकिकर नहीं लगा और उन्होंने शीघ्र ही श्री सत्येन्द्र (बाप में राघपुर के लोहें सिन्हा) को बम्बई-अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित करा दिया। एनी बेसेन्ट ने कांग्रेस के बम्बई-अधिवेशन में भारत के लिए होमरूल की मांग प्रस्तुत की, किन्तु उदारवादियों ने भयभीत स्थिति में इस मांग को सरकार तक पहुँचाने का साहस नहीं दिखाया। समर्थन तो दूर रहा, अध्यक्ष सिन्हा ने श्रीमती एनी बेसेन्ट को "अधीर घादर्शवादी" कह कर नम्बोछिन किया। कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व के दम पशु एवं उपरोक्त रवैये को

देख कर एनी बेसेन्ट का कांग्रेस से कुछ समय के लिए दूर चले जाना स्वाभाविक ही था।

1915 में एनी बेसेन्ट ने अपनी "इंडिया : एनेशन" तथा "हाउ इंडिया रोट फॉर फ्रीडम" नामकी लेखमाला कॉमनवेलथ में प्रकाशित की। बाद में यह लेखमाला पृथक् पुस्तकों के रूप में छापी गयी और अत्यधिक प्रसिद्ध पुस्तकों की श्रेणी में इन्हें माना जाने लगा। एनी बेसेन्ट के सत्प्रयत्नों से 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का एकीकरण हुआ। 1907 की 'सूरत-फूट' के पश्चात् लोकमान्य तिलक पुनः कांग्रेस के मंच पर आये। एनी बेसेन्ट, जिन्ना तथा लोकमान्य तिलक के सम्मिलित प्रयास से ऐतिहासिक 'कांग्रेस-लीग सम्झौता' हुआ। उनके द्वारा किये गये कठिन परिश्रम एवं राजनीतिक चेतना जागृत करने के कार्य ने जहाँ उन्हें अद्भुत लोकप्रियता दिलवायी वहीं ब्रिटिश शासन ने उनके कार्य से चिन्तित हो उन्हें 1917 में नजरबन्द कर दिया। एनी बेसेन्ट के दो भारतीय सहयोगी डा. जी. एस. अरुण्डल तथा बी. पी. वाडिया भी बन्दी बना लिये गये। किन्तु श्रीमती एनी बेसेन्ट का बन्दी बनाया जाना एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का विषय बन गया। डा. सुबह्राण्य अय्यर, जो कि थियोसोफिकल समाज के उपाध्यक्ष थे, ने किसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति श्री वूड्रो विल्सन को एक पत्र लिख कर उनका ध्यान श्रीमती एनी बेसेन्ट पर बिना मुकदमा चलाये उन्हें बन्दी बनाये जाने की घटना की और आकृष्ट किया। वूड्रो विल्सन ने इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जोर्ज को पत्र लिख कर एनी बेसेन्ट की रिहाई की मांग की। भारत में सर्वत्र प्रदर्शन हुए तथा एनी बेसेन्ट की रिहाई के समर्थन में हड़ताल रखी गयी। अन्त में ब्रिटिश सरकार ने आन्तरिक एवं बाह्य दबाव के सामने झुक कर एनी बेसेन्ट तथा उनके दोनों सहयोगियों को रिहा कर दिया। भारत में सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी। कांग्रेस दल ने इस उपलक्ष्य में एनी बेसेन्ट को 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष मनोनीत किया।

1918 के मोन्टेग-चेम्सफर्ड-प्रस्तावों के प्रकाशित होने पर एनी बेसेन्ट ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके अनुसार ये प्रस्ताव इंग्लैण्ड द्वारा प्रस्तुत करने के अयोग्य थे तथा भारत द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं थे। भारत ने प्रथम विश्व-युद्ध में इंग्लैण्ड की तन-मन-धन से जो सहायता की थी उसे देखते हुए ये प्रस्ताव नगण्य थे। इन प्रस्तावों को लेकर श्रीमती एनी बेसेन्ट तथा महात्मा गाँधी में भी मन-मुटाव हो गया। एनी बेसेन्ट संविधानवादी थी, जबकि गाँधी जी सत्याग्रह का आह्वान कर असहयोग की ओर प्रवृत्त हो रहे थे। एनी बेसेन्ट असहयोग एवं सत्याग्रह-प्रान्दोलन की तीव्र विरोधी थीं। उन्होंने अपनी संविधानवादी विचारधारा नहीं बदली और प्रोफेसर भगत राम कुमार द्वारा "कामनवेल्थ आफ इंडिया बिल" तैयार करवाया तथा उसे कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नही किया। इसी प्रकार इंग्लैण्ड की संसद ने भी जोर्ज लेन्सचरी द्वारा प्रस्तुत इसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया।

श्रीमती एनी बेसेन्ट एक महान् ऐतिहासिक विभूति के रूप में सदैव याद की जाती रहेंगी। जन्म से विदेशी होते हुए भी जितनी भारत की सेवा उन्होंने की, उतनी कई भारतवासी भी नहीं कर सकते थे। जार्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें न केवल इंग्लैण्ड अपितु सारे यूरोप में सबसे बड़ी वक्ता माना था। उनका लुभावना व्यक्तित्व एवं उनके रूपहले बालों की चमक प्रत्येक भारतवासी के हृदय पर अंकित है। उनके द्वारा लिखित अनेक ग्रन्थों का

महत्त्व प्राप्त भी वैसे ही बना हुआ है। नवीन भारत के निर्माताओं में श्रीमती एनी बेसेन्ट का नाम सदैव आदर से लिया जाता रहेगा।

### एनी बेसेन्ट के राजनीतिक विचार

एनी बेसेन्ट का यह दृढ़ विश्वास था कि भारत एक राष्ट्र था, एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र रहेगा। वे भारत की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता से राष्ट्रवाद की भावना का सम्बन्ध मानती थी। भारत ने जिस प्रकार राष्ट्र को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया, वह राष्ट्रवाद की नवीन परिभाषा के साथ ही साथ भारत राष्ट्र की प्राचीनता का साक्ष्य प्रस्तुत करता है।<sup>1</sup> एनी बेसेन्ट के अनुसार राष्ट्र ईश्वर की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक मनुष्य में विचार करने वाली आत्मा उस ईश्वरीय तत्त्व का आभास कराती है। इस प्रकार राष्ट्र व्यक्तियों की समष्टि है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भलकता है। आत्म-तत्त्व तथा ईश्वरीय तत्त्व के परस्पर सम्बन्ध से जो आध्यात्मिक अथवा धार्मिक तत्त्व उत्पन्न होता है वही राष्ट्र का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्माणक एवं निर्णायक तत्त्व है।<sup>2</sup> सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी धर्म-तत्त्व के रहते राष्ट्र नष्ट नहीं हो सकता। एनी बेसेन्ट ने यहूदियों का उदाहरण देते हुए यह सिद्ध किया कि केवल धार्मिक मान्यता एवं पृथक् धार्मिक अस्तित्व राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र को जीवित रख सकते हैं चाहे उस राष्ट्रीयता की स्वयं की भूमि, सरकार, सम्प्रभुता हो अथवा नहीं।<sup>3</sup> राष्ट्र दैवीय जीवन का पृथ्वी पर प्रतिरूप है। राष्ट्रीयता के जादू से जो एकता की भावना उत्पन्न होती है वह विश्व की यथाशक्ति सेवा में प्रयुक्त होनी चाहिए। बेसेन्ट ने राष्ट्रवाद की विचारधारा को संकीर्ण अथवा विध्वंसकारी दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं किया।<sup>4</sup> प्रत्येक राष्ट्र का अपना लक्ष्य एवं कर्तव्य पूर्वनिर्धारित है और यह मत्सेनी के शब्दों में "एक विशेष उत्तरदायित्व" है जिसे ईश्वर ने आरोपित किया है।<sup>5</sup>

एनी बेसेन्ट का विचार था कि भारत के एक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के लिए हिन्दू-धर्म का पुनरभ्युदय आवश्यक है। हिन्दू-धर्म की विश्व के धर्मों से श्रेष्ठता से हिन्दुधर्मों में आत्मविश्वास एवं राष्ट्रीय आत्म-सम्मान की वृद्धि होनी चाहिए। भारत धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में, विश्व का शिष्य नहीं किन्तु गुरु है।<sup>6</sup> बेसेन्ट के इन विचारों के साथ भारत की आंतरिक धार्मिक एकता की शृंखला जुड़ी हुई थी जिसके आधार पर उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि भारत अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भी एक राष्ट्र था तथा राष्ट्रीय एकता के सूत्र भारत में यथावत् विद्यमान थे।<sup>7</sup> केवल राजनीतिक जागृति की कमी थी जिसे श्रीमती बेसेन्ट जैसे सोकनायकों द्वारा समय समय पर पूरा किया गया। श्रीमती बेसेन्ट का यह दृढ़ विश्वास था कि भारत जैसे महान् देश के लिये धर्म का आधार महत्त्वपूर्ण था। ज्ञान, अंधविश्वासों का प्रन्थ, भौतिक समृद्धि तो आवश्यक तत्त्व है ही किन्तु बेसेन्ट इन तत्त्वों को धर्म के अधीन ही मानती थीं। उन्होंने एक स्थान पर लेकन की इस उक्ति को "कम ज्ञान मनुष्य को नास्तिकता की ओर से जाता है, किन्तु गहन ज्ञान उसे पुनः धर्म की ओर से जाता है" उद्धृत करके यह सिद्ध किया कि हिन्दू-धर्म ही भारत की राष्ट्रीय आत्म-चेतना का उद्दीपक है।<sup>8</sup> एनी बेसेन्ट राष्ट्र को जीवन युक्त मानती थीं। उनके अनुसार राष्ट्र एक जीव तथा ईश्वरीय तत्त्व का अंश है तदनुसार पारित्रिक विधेयताओं से युक्त है। राष्ट्र में मानवता प्रतिबिम्बित होती है क्योंकि यह

मानव का समग्ररूप है। यह मानवता आध्यात्मिक सूत्रों में ही उचित प्रकार से बंधती है। भारत का आध्यात्मिक अतीत इस धार्मिक महत्ता के माध्यम से भारत को पुरातन राष्ट्र सिद्ध करता है। भारत की यह प्राचीनता विश्व-कल्याण के लिए हितकारी सिद्ध होगी।<sup>9</sup> एनी बेसेन्ट ने यहाँ तक माना कि भारत ही विश्व का उदारक होगा। भारत की सदियों से मान्यता-प्राप्त न्याय निष्ठा, कर्त्तव्य-परायणता तथा कष्ट सहन करने एवं आत्मसात् करने की क्षमता ने उसे एक विशिष्ट भूमिका सीपी है जो समस्त मानवता के हित में प्रयुक्त होती है।<sup>10</sup> हिन्दू-धर्म एकता तथा पारस्परिक निर्भरता का पाठ पढ़ाता है। यह बौद्धिक प्रयत्नो, बौद्धिक अन्वेषणों एवं बौद्धिक स्वतन्त्रता के स्वतन्त्र अस्तित्व को मानने वाला धर्म है। केवल यही धर्म विवेक की सत्ता को अंतिम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। भारत के पहूदर्शन हिन्दू-धर्म की बौद्धिक स्वतन्त्रता के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। श्रीमती बेसेन्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रीय भविष्य केवल हिन्दू-धर्म पर ही आश्रित है। इस तरह का विचार हानिप्रद नहीं, क्योंकि हिन्दू-धर्म अन्य धर्मों पर आक्रमण नहीं करना चाहता, उसमें सहिष्णुता कूट-कूट कर भरो हुई है। हिन्दू-धर्म किसी अन्य का धर्म परिवर्तन नहीं चाहता और न ही उसकी सालसा अन्य मतावलम्बियों से अपनी बात बलात् स्वीकार करवाने की है। सच्चा हिन्दू न तो किसी दमितवर्ग के संत के प्रति अश्रद्धा का भाव रखेगा और न ही वह किसी ज्ञानी मुस्लिम फकीर की समाधि पर पुष्प चढ़ाने में संकोच करेगा। उसमें सहिष्णुता असीमित है।<sup>11</sup> आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दू-धर्मावलम्बियों के धार्मिक कृत्यों में हस्तक्षेप न किया जाये। राजनीतिक मामलों में धार्मिक मतभेदों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। राज्य के लिए सभी नागरिक समान हैं। राज्य द्वारा किसी भी एक धार्मिक मत का समर्थन सर्व्व ही विरोध एवं मनमुटाव का कारण रहा है। पृथक् निर्वाचन-व्यवस्था, अल्प-संख्यकों की राजनीतिक तथा मनोनीत सदस्यों का गुट—सभी राष्ट्रीय इच्छा के लिए घातक हैं तथा नागरिक की स्वतन्त्रता के शत्रु हैं।<sup>12</sup> अल्प-संख्यकों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व अवश्य निर्धारित किया जाये, किंतु यह राजनीतिक सिद्धांतों पर किया जाये, न कि धार्मिक भेदभाव पर। राज्य की दृष्टि में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही समान भारतीय नागरिक माने जायें। हिन्दू-धर्म को किसी सिफारिश अथवा पक्षपातपूर्ण समर्थन की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है तथा अपनी ओर से भारत की राष्ट्रियता की रक्षा करने में समर्थ है।<sup>13</sup> इस प्रकार श्रीमती बेसेन्ट ने धर्म-निरपेक्षता का स्थापन किये बिना हिन्दुओं के आदर्शों पर आधारित राष्ट्रवाद की नींव को सराहा।

राष्ट्र सम्बन्धी विचारधारा के अन्तर्गत श्रीमती बेसेन्ट ने समान धर्म, समान भाषा, समान साहित्य आदि की भी विवेचना की।<sup>14</sup> उनका विश्वास था कि भारत में गनातन्त्र हिन्दू-धर्म के आदर्शों पर हिन्दुओं में एकता एवं राष्ट्रीयता अत्यधिक संगठित एवं शक्ति-शाली बनी रह सकती है। समान भाषा का अभाव संस्कृत तथा अंग्रेजी के प्रयोग से दूर हो सकता है। हर अंग्रेजी-विभाग में संस्कृत पढ़ी जानी चाहिए तथा हर पाठशाला में अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। हिन्दी भारत की आम जनता द्वारा सर्व्वत्र समझी जाने वाली भाषा है। उद्द हिन्दी का ही फारसीकरण है। पंजाबी तथा गुरुमुखी हिन्दी को ही नीलिया है। इसी प्रकार गुजराती तथा मराठी है। बंगाली भी कथितामम हिन्दी

है। किन्तु दक्षिण भारत की भाषाएँ जिनमें तमिल तथा तेलुगु मुख्य हैं-उत्तर भारत की हिन्दी से मेल नहीं खाती। चूँकि दक्षिण भारत की भाषाएँ बहुत कम लोगो द्वारा प्रयुक्त होती हैं इसलिए दक्षिण भारतीयों को भारत की एकता एवं राष्ट्रियता के हित में हिन्दी अपनाने की चाहिए। इस प्रकार संस्कृत समस्त हिन्दुओं को धार्मिक दृष्टि से एकीकृत रखेगी, अंग्रेजी से प्रशासनिक एकता बनी रहेगी और हिन्दी सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में एकता का भाव बनाये रखेगी। समान साहित्य का उदाहरण हिन्दुओं द्वारा मान्य वेद, वेदांग, स्मृतियों आदि से मिलता है। भारत की हिन्दूमत वास्तव्यो जनता इस समान साहित्य से परस्पर जुड़ी हुई है। भविष्य में हिन्दुओं के साथ अन्य धर्मावलम्बियों को भी भारतीय राष्ट्र में रहना है। अतः अन्य धर्मों को धार्मिक सहिष्णुता एवं आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान की समानता के आदर्शों पर मिल कर चलना होगा। तभी भारत राष्ट्र का भविष्य सुदृढ़ होगा। पारस्परिक धार्मिक वैमनस्य मिटाना होगा और सबको समान रूप से सहिष्णु बनाना होगा। अतः समान धर्म न होते हुए भी अनेक धर्मों से युक्त भारत उपर्युक्त आदर्शों पर राष्ट्रियता बनाये रख सकता है। इतना ही नहीं, भौगोलिक कारणों से भी हिन्दू-राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र जैसी चीज मान्य नहीं है, केवल भारतीय राष्ट्र का ही अस्तित्व स्पष्ट है। भारत प्रारम्भ से ही एक पृथक् भौगोलिक प्रदेश के नाम से जाना गया है।<sup>15</sup> कलकत्ता-कापेस-अधिवेशन के अध्यक्षीय पत्र से श्रीमती एनी बेसेन्ट के ये वाक्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं—

‘भारत, जिसने लाखों वर्षों के अपने इतिहास में प्राचीन काल की शक्तिशाली सभ्यताओं को उभरते और गिरते देखा, किन्तु वह उनके साथ नष्ट नहीं हुआ....भारत, जिसे राष्ट्रों के बीच अनेक बार बलि पर चढ़ाया जा चुका है, अब पुनर्जन्म प्राप्त कर चुका है और नव जीवन की इस चिरन्तन बेला में वह दिन दूर नहीं जब भारत गर्व के साथ फिर ऊँचा किये स्वतन्त्र और समर्थ बन कर एशिया के लिए अलौकिक प्रकाश की किरण और विश्व के लिए वरदान बन कर चमकेगा।’<sup>16</sup>

श्रीमती एनी बेसेन्ट ने राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक धारणा का अनुमोदन करते हुए भी भारत राष्ट्र को संकीर्णता के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा। उनकी यह हादिक दृष्टि थी कि भारत ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल का सदस्य बने। वे भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों पर अत्यधिक जोर देती रहीं। उनका विश्वास था कि भारत को ब्रिटेन से पूर्णतया मुक्ति प्राप्ति करने का विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि भारत और ब्रिटेन दोनों को ही मिन कर भविष्य के लिए काम करना है। उनका यह भी विश्वास था कि केवल भारत के प्रयत्नों से ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक राष्ट्रमण्डल में परिवर्तित हो सकता है—एक ऐसा राष्ट्रमण्डल जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को सम्प्रभुता में ब्रिटेन के समान माना जाये। पारस्परिक हितों एवं ऐतिहासिक कारणों से यह राष्ट्रमण्डल हिमा और प्रतिशोध के स्थान पर सहभागिता एवं सहयोग पर आधारित होना चाहिए। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि प्रारम्भ में राष्ट्रमण्डल का केन्द्र इंग्लैंड में होगा किन्तु बाद में इसका केन्द्र भारत ही बनेगा।<sup>17</sup>

स्वराज एवं लोकतन्त्र

श्रीमती एनी बेसेन्ट ने राजनीतिक स्वशासन एवं लोकतन्त्र के सम्बन्ध में अपने विचारों का प्रतिपादन करते हुए जहाँ भारत के लिए स्वराज की माँग का पुरजोर समर्थन

किया, वहाँ लोकतन्त्र के सम्बन्ध में अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को प्रकट करने की स्वतन्त्रता का भी पूरा-पूरा उपयोग किया। उनका यह विश्वास था कि भारत को स्वराज्य प्राप्त होना चाहिए फिर भी वे भारत में पश्चात्य लोकतन्त्र के अंशानुसरण के पक्ष में नहीं थीं।<sup>18</sup> वे खोपड़ियाँ गिनने वाली लोकतान्त्रिक व्यवस्था के स्थान पर ज्ञान तथा विद्वत्ता युक्त प्रतिनिधियों की सरकार की स्थापना देखना चाहती थीं। उनके अनुसार ग्राम-स्तर पर, राज्य-स्तर पर तथा केन्द्रीय स्तर पर अलग-अलग योग्यता-प्राप्त प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। ग्रामस्तर के साधारण योग्यता वाले अनुभवी कृषक को ग्राम, तालुका एवं जिला पंचायत-स्तर पर चुना जाये तो वह दक्षता से कार्य कर सकता है, किन्तु राज्य अथवा संघीय स्तर पर उच्च योग्यता के बिना किसी का चुना जाना उचित नहीं ठहराया जा सकता। संघीय शासन-व्यवस्था की पेशीदगियाँ, कानून की गूढ संरचना, जटिल व्यवस्थापन आदि ऐसी चुनौतियाँ हैं कि उन्हें एक उच्च शिक्षा प्राप्त अनुभवी व्यक्ति ही समझ सकता है।<sup>19</sup> अतः केन्द्रीय संसद के लिये सर्वोच्च योग्यता होनी चाहिए। एनी बेसेन्ट ने "कामनवेल्थ आफ इंडिया बिल" (1925) में प्रतिनिधियों के चुने जाने के लिए निम्नलिखित तीन में से एक योग्यता अनिवार्य मानी—(1) स्नातक-स्तर तक शिक्षा अथवा तकनीकी ज्ञान का डिप्लोमा (2) केन्द्रीय संसद के लिए निर्वाचित होने के लिये एक कार्यकाल की राज्य-व्यवस्थापिका की सदस्यता (3) चैम्बर आफ कामर्स, जमींदारी संगठन ट्रेड यूनियन काउंसिल, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आदि में से किसी एक की सदस्यता। उपयुक्त अर्हताओं का उद्देश्य एक कुलीनतन्त्रीय शासन स्थापित करने की वृत्ति का परिचायक था। एनी बेसेन्ट ने अपने इन विचारों की आलोचना का यह उत्तर दिया था कि उनका उद्देश्य समृद्धवर्ग का शासन स्थापित करना नहीं है। उनका यही तर्क है कि उच्च शिक्षा-प्राप्त सम्भ्रान्त व्यक्ति इतिहास, दर्शन, तर्कशास्त्र आदि से मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त कर नवीन परिस्थितियों का उचित सामना कर सकते हैं। उनका मानसिक स्तर अधिक उदात्त होता है और वे मनुष्यों तथा वस्तुओं को समझने की क्षमता रखते हैं।<sup>20</sup> श्रीमती एनी बेसेन्ट द्वारा प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र की आलोचना तथा उसके स्थान पर अभिजाततन्त्र की प्रशंसा दोनों ही युक्तियुक्त थीं। यद्यपि आधुनिक विचारक इस तर्क से सहमत नहीं कि लोकतन्त्र में मताधिकार अथवा निर्वाचित होने का अधिकार किसी शैक्षिक उपलब्धि पर आधारित हो, किन्तु फिर भी यह मानना होगा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्वों तथा आधुनिक व्यवस्थापन की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए एक अयोग्य तथा अर्धशिक्षित व्यक्ति कदापि शासन-कार्य से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता। श्रीमती एनी बेसेन्ट द्वारा यही विचार व्यक्त किया गया था और उस दृष्टि से यह विचार स्वीकार करने योग्य था। केवल इस आधार पर एनी बेसेन्ट को अभिजाततन्त्र की पोषक मानना उचित नहीं है क्योंकि जहाँ वे देश व्यापी शासनकार्य का सम्पादन करने के लिए उच्च योग्यताएं निर्धारित करती हैं, वहाँ ग्राम पंचायतों के लिए साधारण ग्रामीण को समस्त कार्य चलाने योग्य मानती हैं।

### समाजवाद

एनी बेसेन्ट अपने समय की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थीं। उनका समाजवादी दृष्टिकोण फेबियनवादी था। वे समाज में वर्ग-संघर्ष अथवा सर्वहारा की

अन्तिम विजय के वैज्ञानिक समाजवादी विचारों से दूर थी। उनका समाजवादी दृष्टिकोण व्यक्तिवाद एवं यद्ब्रह्मव्यम् के विरोध-स्वरूप विकसित हुआ था। वे सहकार पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए लालायित थी। सम्पत्ति के समाजीकरण द्वारा वह ऐसे समाजवाद की कल्पना कर रही थीं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी योग्यता के आधार पर उचित सामाजिक उत्तरदायित्व का भार वहन कर सके। इस प्रकार "प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार" के लोकप्रिय समाजवादी कथन के स्थान पर एनी बेसेंट का नारा "प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार तथा प्रत्येक को उसकी बुद्धिमत्ता एवं दक्षतानुसार" था।<sup>21</sup> किन्तु उनके विचारों का यह धर्म लगाना कि वह पूंजीवादी शोषण का समर्थन करती थी, उचित नहीं होगा। उनका उद्देश्य बुद्धिमान एवं अनुभवी व्यक्तियों के शासन से भ्रवश्य था किन्तु वे सम्पत्ति के एकाधिकार का समर्थन नहीं करती थीं। उनका यह विचार सर्वदा रहा कि पूंजीपतियों को सम्पत्ति को सीमित रखने के लिए उन पर अधिक कर लगाये जायें ! ज्ञान तथा नैतिकता सम्बन्धी प्राध्यात्मिकता का भ्रवलम्बन करने के पश्चात् उन्होंने समाजवादी व्यवस्था में भी इन्हीं दो गुणों को प्रमुखता दी।<sup>22</sup> यही कारण है कि उनके समाजवाद सम्बन्धी विचारों को "भूमिजाततन्त्रीय समाजवाद" की संज्ञा दी गयी है।

श्रीमती बेसेंट ने समानता के आदर्श को इतना अधिक महत्त्व नहीं दिया जितना महत्त्व उन्होंने स्वतन्त्रता को दिया। वे अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा नागरिक स्वतन्त्रता को अधिक महत्त्वपूर्ण मानती थी। स्वतन्त्रता को आत्मा का शाश्वत गुण मानते हुए, उच्च तथा अनुशासन से उसे प्राप्त करने का आह्वान किया। बाह्य स्वतन्त्रता के लिए आन्तरिक आत्म-स्वतन्त्रता की प्राप्ति एक पूर्वपिहित तथ्य है और आन्तरिक स्वतन्त्रता आत्मसंयम की सहगामिनी है। आचरण की शुद्धता एवं मन की पवित्रता के आदर्शों पर ही स्वतन्त्रता आधारित की जा सकती है। यही राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए अपेक्षित है। इस प्रकार एनी बेसेंट का स्वतन्त्रता सम्बन्धी चिन्तन प्राध्यात्मिक गुणों से युक्त था।

### धार्मिक विचार

श्रीमती बेसेंट के अनुसार धर्म मनुष्य की आत्मा द्वारा सृष्ट आत्मा के साथ तादात्म्य की छोज है। उनके अनुसार जीवन के तीन महाद् सत्य हैं। प्रथम, मनुष्य की आत्मा धमर है। आत्मा के भविष्य, विकास और सौन्दर्य की कोई सीमा नहीं है। द्वितीय, वह सत्य जो जीवन देने वाला है, हमारे अन्दर है, हमारे बाहर है, धमर है, गर्व बर्ह्याणकारी है, वह न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न मूँपा जा सकता है। लेकिन वह सत्य उस मनुष्य के द्वारा जो उसे जानने का इच्छुक है, जाना जा सकता है। तृतीय, प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह अपने सुख, दुःख, प्रगंता, पुरस्कार, दण्ड आदि सबका विषायक है। ये सत्य उतने ही महाद् हैं जितना कि विधाता महाद् है।<sup>23</sup> श्रीमती बेसेंट ने पिपासोफी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनके अनुसार पिपासोफी उन घटल सत्यों का समूह है जो सभी धर्मों की आधाररजिता वही जा मपती है और कोई भी एक धर्म उसको अपनी सम्पत्ति नहीं बह सकता। यह एक सरल जीवन दर्शन देती है जिसकी सहायता से जीवन की जटिलताओं समझ में आ सकती है। विराग किन्तु प्रकार न्याय व प्रेम की सहायता से चलता है। यह स्पष्ट हो जाता है। यह सृष्ट की



उसके उचित स्थान पर रखती है—एक प्रगल्भ जीवन में बार-बार होने वाली घटना के रूप में। यह इस बात को धोषित करती है कि मृत्यु के बाद का जीवन अधिक व्यापक और भोजपूर्ण होता है। वह मनुष्य से आग्रह करती है कि वह अपने को आत्मा के रूप में देवे और मन तथा शरीर को स्वामी नहीं, बल्कि सेवक के रूप में देवे। यियोसोफी धर्म के जटिल और छिपे सिद्धान्तों के अर्थ को व्यक्त करके, बुद्धि की कसौटी पर जांचने योग्य बनाती है।<sup>24</sup> यियोसोफी का आधारस्तम्भ पुनर्जन्म और कर्म-विधान है। यह कर्म-विधान ईश्वर का कोई मनमाना नियम नहीं है, वरन् वह वैज्ञानिक सिद्धान्त 'कर्म और फल' पर आधारित है। वैज्ञानिक नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कर्म-विधान इसी वैज्ञानिक नियम पर आधारित है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि कोई भी क्षण नहीं जाता है, जब मनुष्य बिना कर्म किये रहे। सभी प्रकृति के गुणों के वश से होकर कर्म करते हैं। गीता में ही अन्य स्थान पर श्रीकृष्ण ने कहा है कि प्रकृति के गुणों के कारण जीव कर्म करता है। अहंकार के कारण यिमूढ आत्मा अपने को कर्ता समझता है। सच तो यह है कि आत्मा तो कुछ करता ही नहीं, न उसको दुःख एवं सुख होता है। वह तो द्रष्टा स्वरूप सब देखता रहता है।<sup>25</sup> अर्थात् शरीर और मन प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः कर्म का प्रतिफल शरीर और मन पर पड़ता है न कि आत्मा पर जो केवल द्रष्टा स्वरूप देखता रहता है। यदि हम अपने को आत्मा समझें जो शरीर, मन और बुद्धि के परे है तो हमको कष्ट नहीं पहुंचेगा। चूंकि हम अपने को शरीर और मन से भिन्न नहीं समझते हैं, हमें कष्टों की अनुभूति होती है। जब तक हमारी चेतना इतनी ऊंची नहीं उठती है कि हम अपने को शरीर और मन से भिन्न समझें, हमें समझ लेना चाहिए कि वैज्ञानिक नियम कारण और फल के अनुसार हमारे कर्मों का प्रतिफल हम पर पड़ेगा ही।<sup>26</sup> हम मनसा, वाचा और कर्मसा तीनों प्रकार से काम करते हैं और वैज्ञानिक नियम के अनुसार तीनों प्रकारों के कर्मों का प्रतिफल होता है और यह फल कर्ता को भोगना पड़ता है। हमारे विचारों का भी फल हमको भोगना पड़ता है। जो विचार हमारे मन में उठते रहते हैं वे विचार मानसिक जगत् के तत्त्वों का रूप धारण कर लेते हैं और वे रूप (घॉंट-फार्म) सोचने वाले के आसपास मंडराते रहते हैं। स्वभावतः जिनके प्रति ये विचार किये जाते हैं, उनकी ओर भी आकर्षित होते रहते हैं और उनके मन में भी वैसे ही विचार पैदा करते हैं। इन विचार-रूपों में ऐसी शक्ति होती है कि समान विचार वाले रूपों से मिलकर वे और भी शक्तिशाली बन जाते हैं और वातावरण को दूषित करते रहते हैं। निःसन्देह हमारा मन विचारों को पैदा करने वाला होने के कारण वह इनका प्रतिफल भोगने का भागी बन जाता है। विचारों में स्वतः कार्यान्वित होने की शक्ति होती है। विचारों के द्वारा एक ऐसे तत्त्व का निर्माण होता है जो बाह्य रूप से भी प्रभावशाली होता है। मनुष्य के द्वारा बोधे जाने वाले शब्द उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। अतः रूपावस्था के विचार ही मनुष्य को रोगी बना देते हैं और स्वास्थ्य के विचार उसे स्वस्थ होने में सहायक होते हैं। विशाल विश्व-चेतना में विचारों का एक केन्द्र है। जब-जब मनुष्य सोचता है वह अपने अस्तित्व को श्रियाशील बनाता है। संसार के समस्त मनुष्य एक विशाल श्रियाशील अस्तित्व के अंतर्गत हैं, जो कि स्वभावतः विचारों के अनुरूप ही विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार करता है।<sup>27</sup>

श्रीमती बेसेंट के अनुसार हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएँ एवं हमारी शारीरिक दशा अधिकशतः हमारी क्रियाओं के द्वारा प्रकट होती हैं। हम जो कुछ बाह्य रूप में हैं भववा जो बनेंगे, सब इस बात पर निर्भर है कि हम क्या सोचते हैं? क्योंकि विचार के द्वारा हम क्रियात्मक शक्ति का उपयोग करते हैं। हम सब लोगों ने अपने जीवन में अपने शब्दों, विचारों और क्रियाओं के द्वारा जैसा भी वातावरण तैयार किया है, हम उसी वातावरण में रहते हैं। विचारों के माध्यम से ही, चाहे चेतन विचार ही अथवा अचेतन, हम अपने मविष्य की घटनाओं और क्रियाओं को निर्मित करते रहते हैं। जो हमारे विचारों के द्वारा बनाया गया है, उसे विचारों के द्वारा ही नष्ट भी किया जा सकता है। जीवन भर की गलत विचारधारा को जानबूझ कर, निश्चयात्मक ढंग से नष्ट किया जा सकता है और उसके स्थान पर पूर्णतः नवीन विचारों को मस्तिष्क में प्रस्थापित भी किया जा सकता है। अतः जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण हमें भले बुरे का विवेक करना ही चाहिए और हमें अपने मस्तिष्क में विवेकपूर्ण विचार ही उत्पन्न करना चाहिए।<sup>28</sup> श्रीमती बेसेंट के अनुसार हम उस महाज्योति की ही चिनगारी हैं और उसी में ही विलीन होंगे, अनेक जन्म हमने लिये हैं और अनेक बार हमारी मृत्यु हुई है। जैसे कोई वृक्ष प्रतिवर्ष हराभरा, पल्लवित व पुष्पित होता है, वैसे ही अनेक जीवन लेकर हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। उस पूर्णता में मृत्यु नाम की मरीचिका समाप्त ही हो जायेगी, विद्योह होगा ही नहीं। हम अपनी अमरता और आत्मतत्त्व को अच्छी तरह अनुभव कर 'पूर्ण' बन जायेंगे। यही जीवन का हेतु है।<sup>29</sup>

श्रीमती बेसेंट ने सर आशुतोष मुखर्जी द्वारा प्रारम्भ करवाये गये "कमला व्याख्यान" के अन्तर्गत जनवरी 1925 में तीन भाषण कलकत्ता-सीनेटहाल में दिये। भाषणों का विषय था भारतीय शिक्षा, भारतीय दर्शन एवं धर्म तथा भारतीय कला। भारतीय दर्शन एवं धर्म सम्बन्धी भाषण में श्रीमती बेसेंट ने भारतीय दर्शन के आदर्श तथा भारतीय धर्म के आदर्श में एक रूपता के दर्शन किये। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में दर्शन को धर्म से असंलग्न नहीं माना गया। विज्ञान तथा नैतिकता के सम्बन्ध को इन विचार ने अति प्रगाढ़ बना दिया है।<sup>30</sup> अर्नैतिक आचरण से सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। उन्होंने इस सन्दर्भ में श्रीमद्भगवद् गीता में वर्णित ईश्वरीय गुणों का उल्लेख किया जिनके बिना सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति असम्भव है। उनके अनुसार भारतीय दर्शन एवं धर्म ने मानव की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है। अज्ञान का ज्ञान तथा योग-पद्धति ने मानव के समस्त संकटों को दूर करने का मार्ग प्रगस्त किया है। चिन्तन का अग्रगण्य सागर हिलोरेँ सेता दियाई पड़ता है। "नेति नेति" ने लेकर "तत्त्वमसि" तक का मार्ग मानव की श्रेष्ठता एवं परमतत्त्व की प्राप्ति का प्रवगाहन है।

श्रीमती बेसेंट के धार्मिक विचारों का आधार उनकी हिन्दू धर्म में अग्रगण्य आस्था है। वे हिन्दू-धर्म को उसकी पूर्णता में स्वीकार करती हैं। उपनिषद्, गीता, पुराण, महा-भारत, रामायण, स्मृति, धर्मशास्त्र आदि भगवत् साहित्य को उन्होंने महर्षि स्वीकार किया। हिन्दू-धर्म के दर्शन, उनके आचार-शास्त्र, उसकी उपासना-पद्धति, उसकी योग-पद्धति, रीति-रिवाज, धर्मकाण्ड तथा वर्णाश्रम धर्मव्यवस्था सभी को स्वीकार कर श्रीमती बेसेंट ने भारतीयों को चर्चित कर दिया।<sup>31</sup> इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म के सिद्धान्त, पुनर्जन्म

धारणा, भ्रवतारवाद आदि को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हुए मद्रास के प्रेसीडेन्सी कॉलेज में अपने नवम्बर 1914 के भाषण में कहा, "मैंने अपने विश्व के महान् धर्मों के चालीस वर्षों से अधिक के अध्ययन में, किसी भी धर्म को न तो इतना पूर्ण, न इतना वैज्ञानिक, न दार्शनिक और न इतना प्राध्यात्मिक पाया जितना हिन्दू-धर्म के नाम से विख्यात महान् धर्म को। आप जितना इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही आप इससे प्रेम करेंगे, जितना अधिक आप इसे समझने का यत्न करेंगे उतनी ही अधिक गहराई से आप इसका मूल्य करेंगे।<sup>32</sup> इससे भी अधिक भोजस्वितापूर्ण वाणी में उन्होंने कहा था :

"और यदि हिन्दू स्वयं हिन्दू-धर्म की रक्षा नहीं करते तो कौन इसकी रक्षा करेगा ? यदि भारत के नौनिहाल अपने विश्वास का भ्रालिगन नहीं करते तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा ? केवल भारत ही भारत को बचा सकता है तथा भारत एवं हिन्दू-धर्म एक ही हैं। कोई भी पाश्चात्य शरीर से वह कार्य नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। भारत के लिए न मेरा प्रेम, न पूर्ण सेवा, न पूर्ण भक्ति इस विदेशी चाले में वह कार्य कर सकती है जो आप भारत की सन्तानें कर सकती हैं। हिन्दू पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। न हिन्दू धर्म की सेवा, न हिन्दू-उपदेशों का पालन, न हिन्दू-ज्ञान की शिक्षा किसी अहिन्दू को हिन्दू बना सकती है। अतः हमसे से वे जिनका हृदय हिन्दू है तथा जिनके पीछे भूत-कालिक हिन्दू जीवन (के अनुभव) हैं केवल आपकी सहायता मात्र कर सकते हैं, मुख्य कार्य आपकी स्वयं करना है।"<sup>33</sup>

### श्रीमती एनी बेसेन्ट के कार्यों का मूल्यांकन

श्रीमती बेसेन्ट ने प्रेम तथा सेवा से अपने आपको हिन्दू राष्ट्र से जोड़कर भारत की जो सेवा की उसके सम्बन्ध में भारत के वर्तमान बुद्धिजीवियों में वैचारिक मतभेद व्याप्त है। एक और श्रीमती बेसेन्ट को भारत की महान् सेविका एवम् धर्म-उद्धारक माना गया है तो दूसरी और ऐसे विचारकों की कमी नहीं है जो उन्हें भारत में अंग्रेजी राज्य की दासता का प्रवर्तक मानते हैं। आलोचकों का यह तर्क रहा है कि जब स्वामी विवेकानन्द 1893 में पश्चिमी विजेताओं को हिन्दू धर्म के माध्यम से विजित करने के लिए दिकागो गये थे, ठीक उसी वर्ष श्रीमती बेसेन्ट भारतीयों की प्राध्यात्मिक संस्कृति के पुनः उद्धार तथा उनके नैतिक उत्थान के लिए भारत आईं। यह कहा गया है कि भारतीय शिक्षित हिन्दू अपने गोरे शासकों की सांस्कृतिक उच्चता के इतने कायल थे कि उन्होंने श्रीमती बेसेन्ट के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के बजाय उन्हें भारत को राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने तथा लोकमान्य तिलक एवम् महात्मा गांधी जैसे महान् देशनेताओं से नेतृत्व की प्रतिद्वन्द्विता करने का अवसर दिया। यह कहा गया है कि श्रीमती बेसेन्ट को प्राध्यात्मिकता उनके अंग्रेजी राज्य समर्थित विचारों को छिनाने का प्रच्छन्न चोगा था। श्रीमती बेसेन्ट यह अच्छी तरह से जानती थी कि शक्ति के बल पर किसी भी साम्राज्य को अधिक दिन तक नहीं चलाया जा सकता है, अतः दासता को बनाये रखने के लिए मानसिक आधार ढूँढना आवश्यक है। उन्होंने केवल प्रशासन तक ही अंग्रेजों के भार को सीमित नहीं रखा अपितु सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी उनका अधिकार विस्तार कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासकों को यह चेतावनी दी कि भारतीयों की सम्मता एवम् संस्कृति आदिम कबीली जमीनी नहीं है। अतः ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को चाहिए कि वे भारत

के विवेक तथा आध्यात्मिकता को मानसिक रूप से अपने अनुकूल बनाये। आलोचकों का यह भी कहना है कि श्रीमती बेसेंट ने हिन्दुओं के मस्तिष्क को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से दूर हटाकर उसे निष्पादक आध्यात्मिकता में लगा दिया। भारतीयों ने भी विजेता अंग्रेजों की नस्ल के एक सदस्य द्वारा हिन्दुओं की महत्ता का उपदेश सुनकर अपने दर्शन तथा धर्म के मूल्यों को उनके माध्यम से प्राप्त कर अपनी सारी श्रद्धा उनके प्रति उड़ेल दी। ठीक उसी प्रकार से जैसे शोपनहावर द्वारा उपनिषदों की प्रशंसा सुनकर भारतीय मस्तिष्क उद्वेलित हो उठा। यद्यपि भारतीय पंडितों ने अनेक बार उपनिषदों की प्रशंसा की थी किंतु हमारी दासता की प्रवृत्ति के कारण हम किसी विदेशी के मुख से की गई अपनी प्रशंसा को सच्ची प्रशंसा मानते रहे।

श्रीमती बेसेंट ने भारतीय संस्कृति के भौतिक पक्ष को जिसके अंतर्गत भारतीयों ने बराहमिहिर तथा आर्यभट्ट जैसे महान् विद्वानों के योगदान को विस्मृत कराकर हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया ताकि हम ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत की राजनीतिक दुर्दशा के प्रति अपरिचित से बने रहे। भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा उसके अनुपम कृतिव को सुरक्षित रखने का ऐसा दौर चना कि हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संपर्क को उसके सामने गौण मानने लगे। भारतीय राष्ट्र की नियति श्रीमती बेसेंट जैसे विदेशियों के हाथ में छोड़कर साम्राज्यवाद के पाग में हम फंसेते चले गये। श्रीमती बेसेंट ने हम बात का निरंतर प्रयास किया कि भारतीय राजनीति के स्थान पर धर्म की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करें। वे खुले तौर पर यह कह देती थी कि भारतीयों की श्रेष्ठता धर्म के क्षेत्र में रही है न कि राजनीति के क्षेत्र में। अतः उन्हें विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनना चाहिए और राजनीतिक संपर्क से अपने आपको दूर रखना चाहिए। भारत के ऊपर विश्व में धर्म की रक्षा करने का भार बतला कर बेसेंट ने भौतिकवाद के विरुद्ध आध्यात्मवाद का प्रवचन दिया। इतना ही नहीं श्रीमती बेसेंट ने प्राण्य एशम् पाश्चात्य में गुणात्मक अंतर दर्शाते हुए दोनों संस्कृतियों की भिन्नता को ईश्वर की मुनिपोजित योजना का भाग मानते हुए यह कहा कि दोनों में समानता इस कारण नहीं हो सकती कि ईश्वर दोहरापन स्वीकार नहीं करता। दोनों संस्कृतियाँ अपने आप में अनुपम तथा अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अंग्रेजों द्वारा अभी भी भारतीयों की सीखने के लिए बहुत कुछ दीया है। इसी प्रकार से भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को बहुत सी शिक्षा दी जानी है। भारत से सभी धर्मों का आध्यात्मिकरण प्रारंभ होगा और ईश्वर से व्यापहारिक विज्ञान प्रवाहित होगा, जो प्रकृति के समस्त स्रोतों की मानव की सेवा में आबद्ध कर देगा। विश्व के उद्धार के लिए दोनों की मिल जाना चाहिए, न कि आपस में एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिये। उनका यह उद्देश्य था कि भारत में धार्मिक भौतिकवाद तथा विज्ञान दोनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाये और भारतीय अपने राष्ट्रीय जीवन में केवल धर्म को लेकर बैठ जायें। श्रीमती बेसेंट का यह विचार भारतीयों की जीवन की घटापे समस्याओं में प्रथम-पथम करने का प्रयास था। उनका आदर्श मानवता की भावना से प्रेरित न होकर राजनीतिक या और यह भी मानव की समानता का आदर्श न होकर साम्राज्यवादी दासता के बंधन की बनावे रखने का राक्षस प्रयास था। उनके मुँह से विश्व बांग्लय की आज केवल टैट डिटेन के

साम्राज्य को भारत में विखण्डित होने से रोकने का तथा शासक-शासित के मधुर संबंधों को बनाये रखने का कुचक्र था।

वैसे भी श्रीमती बेसेंट का मानव-एकता में विश्वास सीमित था, क्योंकि वे बुद्धि-जीवी तथा भ्रजानी को समानता के स्तर पर नहीं मानती थीं। वे यह भी चाहती थी कि मानवबंधुत्व के अनुरूप शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा विजित राष्ट्रों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे दुर्बल राष्ट्र यह अनुभव न करें कि विजयी राष्ट्र उन्हें किसी तरह की सुरक्षा देने में असफल रहेगा। वे हितकारी साम्राज्यवाद की पृष्ठ-पोषक थीं जिसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र, जो कि ब्रिटेन के साम्राज्य में शामिल किया जाये, यह अनुभव न करे कि वह अपने साम्राज्यवादी शासकों से भिन्न है और साम्राज्य के पारिवारिक संबंधों में नहीं है। अर्थात् उन्होंने साम्राज्यिक परिवार का विचार प्रस्तुत किया जिसमें शासक तथा शासित दोनों मिल-जुलकर रहें और पराजित राष्ट्र ऐसी हीन मनोवृत्ति का शिकार हो जाये कि वह भविष्य में कभी भी दासता के बंधन से मुक्त होने का प्रयास ही न करें। श्रीमती बेसेंट का अभिजातीय लोकतंत्र का विचार भी ब्रिटिश साम्राज्य को बनाये रखने का प्रयास था। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय चेतना को सीमित करने के लिए साम्राज्यीय लोकतंत्र का विचार प्रस्तुत किया था ताकि भारतीय पारशात्य लोकतंत्र जैसी सत्त्वामों की माग न करें। इसके लिए उन्होंने जाति-व्यवस्था को सराहा और यह चाहा कि भारत में अभिजातीय लोकतंत्र गरीब तथा अमीर, बुद्धिमान तथा भ्रजानी के अंतर को बनाये रखे। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार को स्वीकार नहीं किया बल्कि उसके स्थान पर बुद्धिजीवियों के प्रभाव को बनाये रखने के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया, जो संख्यात्मक न होकर गुणात्मकता को अधिक महत्त्व देती है।

श्रीमती बेसेंट ने भारत की आध्यात्मिक महत्ता का संदेश फैलाने में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी भारत में ऐसे व्यक्तियों का समुदाय विद्यमान था जो राष्ट्रवाद के प्रचार-एवम् प्रसार में पूर्णतया लगा हुआ था और जिसने यूरोप के क्रांतिकारियों का अनुकरण करने में ही भारत का भावी भविष्य देखा। भारत के हिंदू क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भवन को ध्वस्त करने का प्रयास बंगाल के विभाजन (1905) से प्रारम्भ हुआ और तब से भारतीय राजनीति में उग्रवादियों तथा पिच्छवादियों का ऐसा क्रम प्रारम्भ हुआ जिसने आध्यात्मिकता एवम् भौतिकता तथा शासक और शासित के संबंधों पर व्यक्त किये गये श्रीमती बेसेंट के विचारों को भ्रकभोर दिया। श्रीमती बेसेंट ने इस स्थिति से चिंतित होकर भारत में ब्रिटिश शासन की रक्षार्थ आध्यात्मिकता की बात छोड़कर सक्रिय राजनीति के प्रवेश किया और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाये गये स्वराज्य-अभियान के चार महीने पश्चात् होम रूल लीग का समानांतर अभियान प्रारम्भ किया। श्रीमती बेसेंट द्वारा इस प्रकार से राजनीति में प्रविष्ट होना कम विस्मयकारक नहीं था, क्योंकि वे निरंतर भारतीयों की राजनीति से दूर रहने की प्रेरणा देती रहीं थीं। परंतु अब वे स्वयं राजनीति में प्रविष्ट होकर स्वराज्य की जन्मनिष्ठ अधिकार के रूप में मांगने का प्रयास कर रही थीं। आलोचकों का यह तर्क है कि श्रीमती बेसेंट ने यह नाटक इसलिए किया था कि वे महात्मा गांधी तथा लोकमान्य तिलक दोनों के

राजनीतिक कार्यक्रमों की लोकप्रियता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर दोहरा प्रहार मानती थीं। साम्राज्यवाद की रक्षा करने के लिए उन्होंने जनता का ध्यान तिलक तथा गांधी से हटाकर अपनी धोर केन्द्रित करने का प्रयास किया। वे नहीं चाहती थी कि भारत की राजनीति की वागडोर उग्रवादियों के हाथ में आ जाये। विशेषतः प्रथम विश्व महायुद्ध के समय वे उग्रवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने की दृष्टि से होमरूल-घांदोलन को अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रही थी, ताकि अपने घांदोलन के माध्यम से ब्रिटेन को युद्ध की स्थिति में भारत के उग्र राष्ट्रवाद का सामना न करना पड़े। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से भारत की स्वशासन संबंधी मांगों को मान लेने में कोई हानि नहीं देखी, क्योंकि उनका यह दृष्टिकोण था कि इन मांगों से भारत पर ब्रिटेन का साम्राज्य समाप्त नहीं होगा। वे यह भी कहती थी कि भारत के जनतल के आधार पर ही एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की जा सकती है। ये भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का अंग बनाना चाहती थीं, ताकि भारत को स्वशासन देकर सदा के लिए ब्रिटेन से बांध दिया जाये। श्रीमती बेसेंट का युद्ध के दौरान मद्रास में नजरबंद बनाया जाना उनके लिए बरदान सिद्ध हुआ। क्योंकि उन्हें 1917 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया।

श्रीमती बेसेंट भारतीयों के इस सद्भावनापूर्ण व्यवहार के प्रति अत्यंत प्रसन्न ही रही, क्योंकि प्रायरसैंड में पैदा होने के नाते भारत की स्वतंत्रता की मांग करने के स्थान पर उन्होंने यह कहा कि ईश्वर की इच्छा के कारण ही भारत ग्रेट ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है और इसी में पूर्व तथा पश्चिम का बन्धन अन्तर्निहित है। उनका प्रयास यह था कि ब्रिटेन तथा भारत के सम्बन्धों को वे शक्ति के स्थान पर प्रेम पर आधारित कर दें ताकि भारतीय अपनी दासता की बेड़ियों को बेड़ियां न मानकर पुष्पहार मानने लग जायें। परिस्थितियों ने श्रीमती बेसेंट का साथ नहीं दिया, क्योंकि जलिमावाला वाग हत्याकांड तथा अन्य घटना-पारी ब्रिटिश क्रूरता के कारण भारतीय जनमानस श्रीमती बेसेंट की दर्शनी ईश्वर-इच्छा का विरोधी हो गया। उदारवादियों का प्रभाव सीमित होता गया और उनके साथ ही बेसेंट का प्रभाव भी फीका पड़ता गया। अध्यात्मवाद से निकल कर भारतीयों ने राजनीतिक स्वतंत्रता का माहात्म्यकार किया और वे महात्मा गांधी के पदचिह्नो पर चलने लगे। श्रीमती बेसेंट के प्रभाव और प्रयास निरर्थक सिद्ध हुए, क्योंकि राजनीति बुलीन तथा मिश्रित वर्गों तक ही सीमित नहीं रही। गांधीजी ने राजनीतिक चेतना घर-घर पहुँचा दी। श्रीमती बेसेंट ने गांधीजी के समर्थन एवम् सहिष्कार घांदोलनों को भारत के लिए पानक बताया। ये महात्मा गांधी को संतान की संज्ञा देने लगे और उन्हें श्रीकृष्ण का अनुया मानने लगे। बेसेंट का यह प्रयास अत्यंत परिश्रित एवम् राष्ट्रपाती था। उन्होंने कांग्रेस को भी अपने संतुलन में लेने का प्रयास किया ताकि कांग्रेस गांधीजी के समर्थन-घांदोलन की धोर प्रसरण न हो। उन्होंने गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधित्वपूर्ण सदस्य होने में भी अपना समय प्रकट किया। वे कहने लगी कि भारत के स्वतंत्रता अर्थात्स्वीय है। उनका यह तर्क था कि एक स्वतंत्र सिन्धु दुर्बल, भारत, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पायेगा क्योंकि भारत के दक्षिण भाग पर अंग्रेजों का वर्चस्व है। अतः वे पश्चिम सीमा प्रान्तों पर अंग्रेजों का वर्चस्व काटने का प्रयास करती थीं।

भारत से हटने के कारण भारत की आन्तरिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जायेगी और भारत एक ऐसी घराजकता में फँस जायेगा जिसमें भारत को सभी नेता मिलकर भी नहीं उबार सकेंगे। उनका यह भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन गोरे तथा अश्वेत राष्ट्रों के मध्य संघर्ष का कारण बन जायेगा। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटेन के संरक्षण-छत्र में रहकर भारत दुनियाँ का सर्वोन्नत राष्ट्र बन सकता है, उससे पृथक् होकर नहीं। वेसेंट यह भी मानती थी कि भारत में क्रान्ति का समय नहीं आया है कि वे ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का प्रयास करें। वे चाहती थीं कि भारतवासी ब्रिटिश प्रभामन के अन्तर्गत होने वाले परिवर्तनों तथा राजनीतिक सुधारों के प्रति स्वामिभक्त बने रहें। किन्तु परिस्थितियाँ निरन्तर बदलती गईं और भारत की नंगी-भूखी जनता ने गांधीजी का अनुसरण कर ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। श्रीमती वेसेंट ने हिन्दू धर्म की महत्ता के संदेश की दृष्टि में अपना अहिंसक साम्राज्यवादी मुखौटा छिपाये रखा था। □ □

## टिप्पणियाँ

1. एनी वेसेंट, हाऊ इण्डिया रोट फॉर फ्रीडम, पृ. 11
2. वेसेंट, न्यू इण्डिया, जनवरी 9, 1915
3. वेसेंट, लेक्चर्स ऑन पोलिटिकल साइन्स, पृ. 69
4. वेसेंट, दी एन्क्वायर आफ इण्डियन पोलिटिक्स, पृ. 183
5. वही
6. दी वेसेंट रिपॉर्ट, भाग 3, पृ. 103
7. वही
8. वही, पृ. 104
9. देखिये न्यू इण्डिया, सितम्बर 27, 1917
10. वही
11. वही, जनवरी 9, 1915
12. वही
13. वही
14. एनी वेसेंट, फोर इण्डियान् अपलिफ्ट : कलेक्शन्स आफ स्पीचेज़ एण्ड राइटिंग्स आन इण्डियन पीपुल, पृ. 144-49
15. वही, पृ. 150-52
16. सी. पी. रामास्वामी अय्यर, एनी वेसेंट, पृ. 144 में उद्धृत
17. एनी वेसेंट, दी एन्क्वायर आफ इण्डियन पोलिटिक्स, पृ. 294-316
18. न्यू इण्डिया, नवम्बर 27, 1922
19. वही
20. वही
21. लेक्चर्स आन पोलिटिकल साइन्स, पृ. 133
22. न्यू इण्डिया, जुलाई 30, 1931
23. प्रिओसोफिकल सोसायटी, भारतीय भाषा की सूचना पुस्तिका, पृ. 15-16
24. वही, पृ. 14- 5

25. हम कब्त क्यों होते हैं ? इण्डियन सेक्शन थियोसोफिकल सोसायटी द्वारा प्रकाशित, पृ. 5-6
26. वही, पृ. 7-8
27. विचार शक्ति, पृ. 3-4
28. वही, पृ. 4
29. इण्डियन अगस्टिनिस्टा इन एजुकेशन, फिलोसॉफी एण्ड रिलीजन, एण्ड आर्ट, पृ. 44
30. वही, पृ. 45-47
31. डी. एम. मार्ग, हिन्दूइज्म प्रू बी एजेन्, पृ. 116
32. वही, पृ. 116-117
33. वही, पृ. 115





भारत में उदारवादी तथा उग्रवादी या उपराष्ट्रवादी चिंतन ने देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं धार्मिक समस्याओं के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये हैं। उदारवादियों तथा उग्रवादियों दोनों ही का देश की परतंत्रता को समाप्त करने तथा भारत में नवजागरण लाने में विश्वास रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति ने चिंतन के इन दोनों प्रवाहों को कुछ भिन्न राजनीतिक विचारों का प्रतीक बना दिया था। यह स्थिति लम्बे समय तक चली और वर्तमान में भी वैचारिक मतभेद उदारवाद एवं उग्रवाद के रूप में पाया जाता है। उदारवाद एवं उग्रवाद का भारतीय स्वतंत्रता-आन्दोलन के प्रारम्भिक काल में विशेष एवं पृथक् महत्त्व रहा है। पाश्चात्य शिक्षा तथा भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना ने जिम राजनीतिक चेतना का संचार भारत में किया उदारवाद तथा उग्रवाद उसी चेतना का प्रतिफल था। नव चेतना के संचार ने कतिपय भारतीय चिंतकों को इस पाश्चात्य प्रभाव का इतना कायल बना दिया कि वे इसके अलावा, इससे पृथक् और इसके विपरीत कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। दूसरी ओर चिंतकों का ऐसा भी समुदाय उपस्थित हुआ जिसका उद्देश्य पाश्चात्य प्रभाव की चकाचौंध को समाप्त करने तथा भारतीय गौरव एवं महानता का संदेश देकर विचारों का भारतीयकरण करने का रहा। उदारवादी एवं उग्रवादी चिंतन अनेक समस्याओं पर विपरीत दृष्टिकोण रखने के बावजूद समान रूप से स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प रहा। अन्त में दोनों ही विचारधाराओं का समन्वय प्रारम्भ हुआ और यही समन्वय भारत की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी माना गया।

उदारवाद एवं उग्रवाद ये दोनों ही शब्द कालवाची या समयवाची कहे जा सकते हैं। लोकमान्य तिलक के अनुसार "आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। इसी प्रकार से आज के उग्रवादि कल के उदारवादी हो जायेंगे।" तिलक के उद्गार इन शब्दों के समयवाची होने की ओर इंगित करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों ही परिवर्तनशील हैं। समय, परिस्थितियाँ तथा देश की चिंतनधारा में इनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। तिलक ने अपना जीवन एक उदारवादी के रूप में प्रारम्भ किया किन्तु कालान्तर में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की बढ़ती हुई भावना ने उन्हें उग्रवादी बना दिया। समय के साथ-साथ उनका उग्रवादी चिंतन उदारवाद में परिवर्तित होता गया और उनकी मृत्यु के समय उनके विचारों की तुलना में गांधीजी अधिक उग्रवादी दिखाई देते थे। जहाँ तिलक अपने जीवन के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत अधिशासी स्वशासन एवं शासन से सहयोग की बात कर रहे थे वहाँ गांधीजी अमहयोग-आन्दोलन

प्रारम्भ करने पर अडिग थे। तात्पर्य यह है कि न तो कोई पूर्णतया उदारवादी ही रहा है और न उग्रवादी ही। उदारवादी शब्द का प्रयोग हम उन चिंतकों के लिए विशेषतः करते हैं जिन्होंने ब्रिटिश अथवा पाश्चात्य उदारवादी चिंतन से प्रभावित होकर तदनुरूप विचार भारत में व्यक्त किये और जिनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत रह कर भारत को स्वशासन के योग्य बनाने का रहा। उग्रवादियों ने इससे भिन्न विचार एवं कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

विचारों की दृष्टि से उदारवाद पाश्चात्य चिंतन की देन रहा है। उदारवाद राजनीतिक व्यवस्था को व्यक्तिवाद पर अवस्थित करता है। प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक उपादेयता को उदारवाद ने उभारा है। यूरोप में पुनर्जागरण के समय से यह विचारधारा विद्यमान रही है। उदारवाद विवेक, वैचारिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, प्राकृतिक अधिकार, समानता तथा प्रगति में विश्वास आदि अवधारणाओं पर आधारित है।

उदारवादी विचारधारा से प्रभावित होकर दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फ़िरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री निवास शास्त्री आदि ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें भारतीय मितवाद अथवा उदारवाद की संज्ञा दी जाती है। भारत में उदारवादियों ने अनेक सामाजिक संस्थाओं एवं रीति-रिवाजों में सामाजिक समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना के लिए परिवर्तन का सुझाव दिया। वे भारत में प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं की स्थापना और नागरिक स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत करते थे। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने संवैधानिक आन्दोलन का समर्थन किया। उनके द्वारा जिस राजनीतिक आन्दोलन का प्रारम्भ किया गया वह भारत की एकता, त्रापीय एवं साम्प्रदायिक समन्वय, आधुनिकीकरण, सामाजिक रूढ़िवादिता, एवं भेदभाव का विरोध, नयीन आर्थिक प्रगति तथा औद्योगिकीकरण का समर्थन करता था। उदारवादियों ने सेवाओं के भारतीयकरण, पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार, व्यवस्थापिका मण्डलों के चुने हुए सदस्यों की संस्था में वृद्धि, विधि का शासन, स्वतंत्रता के अधिकार का व्यापक प्रयोग आदि पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया।

भारत उदारवादियों का चिंतन पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होते हुए भी कुछ प्रयों में भिन्नता रखता था। भारत के उदारवादी चिंतकों ने आर्थिक क्षेत्र में उन्मुक्त व्यापार की नीति के स्थान पर राज्य द्वारा देन के आर्थिक क्रियाकलापों को नियमित एवं संरक्षित करने का आग्रह किया। उदारवादियों ने राजनीतिक यथार्थ का महारा लेकर भारत में राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधारों की मांग की। उदारवादियों ने भारत के ब्रिटिश शासकों को प्रसन्न रखते हुए उनकी दयालुता एवं न्यायप्रियता की दुहाई देकर स्वशासन की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया। साहस व कष्ट सहन करने की शमना आदि के प्रभाव के कारण कारावास का जीवन उनके लिए घटाए था। वे भगने पद व्यवसाय तथा सामाजिक-स्तर को घटोपण रखते हुए भारत में स्वराज की स्थापना का स्वप्न देखते थे।

राष्ट्रवाद, अपने सैद्धांतिक धर्म में, एक यूरोपीय विचारधारा के रूप में उन्नीसवीं शताब्दी में विरगिन हुआ। यह उदारवाद एवं रूढ़िवाद के अधिनाल का परिणामक था। भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजी शासन के प्रभाव में जनैः जनैः सुपरिचित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय

कापेस का जन्म इस राष्ट्रवाद की भावना का प्रतीक बना। राष्ट्रीय कापेस का नेतृत्व प्रारम्भिक काल में दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि देशभक्तों के हाथ में था। वे अंग्रेजी शासन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय भावना का विकास चाहते थे। अंग्रेजी शासन उनकी दृष्टि में एक ईश्वरीय वरदान था। वे पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से अनुप्राणित थे। कालान्तर में इस नेतृत्व को उदारवादियों की सजा दी गयी। इसके विपरीत बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिनचन्द्र पाल तथा अरविंद घोष, जिन्हें उदारवादियों द्वारा उग्रवादी कह कर सम्बोधित किया गया, एक नव चेतना के प्रतीक बने। उन्होंने अंग्रेजी शासन को वरदान न मानकर अभिशाप माना। पाश्चात्य प्रभाव को बढ़ने से रोका गया तथा राष्ट्रवाद को संकीर्णता की परिधि से मुक्त कर एक नवीन स्वरूप उग्रवादियों द्वारा प्रदान किया गया। वैसे उदारवाद तथा उग्रवाद दोनों ही शब्द केवल सामयिकता के सूचक थे। उदारवादी अपने समय के उग्रवादी थे, उसी तरह उग्रवादी भविष्य में उदारवादियों की स्थिति में आ गये थे। फिर भी उग्रवादियों का राष्ट्रीय स्वतंत्रता-संग्राम में विशेष योगदान रहा। राष्ट्रवाद को पाश्चात्य परिभाषा में न देखकर एक नवीन स्थिति में देखा गया। भौगोलिक तत्त्वों की प्रधानता गौण कर उसे वृहद् सांस्कृतिक अर्थ दिया गया। भौतिकता से राष्ट्रवाद के विचार को ऊपर उठाकर उसे आध्यात्मिक स्तर प्रदान किया गया। इस प्रकार राष्ट्रवाद की संरचना उदारवादियों के द्वारा की गयी किन्तु पाश्चात्य प्रभाव से अत्यधिक अभिभूत होने के कारण जन-मानस में राष्ट्रीय चेतना का संचार वे न कर सके। यह कार्य उग्रवादियों के द्वारा ही सम्भव हो सका। यहाँ तक कि उग्रवादियों ने राष्ट्रवाद एवं स्वदेश-प्रेम को एकरस कर दिया।

पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा तथा अंग्रेजी शासन के पूर्ण प्रशंसक एवं अनुयायी होने के कारण उदारवादियों का राष्ट्रवाद पाश्चात्य प्रभाव में ही बना रहा। उग्रवादियों ने इस पाश्चात्य आवरण को हटाकर राष्ट्रवाद के मानवीय आदर्शों का अनुकरण करते हुए इसे भारतीय परिधान प्रदान किया। राष्ट्रवाद का भारतीयकरण एक अभूतपूर्व स्थिति का परिचायक था। जहाँ उदारवादियों का राष्ट्रवाद, पाश्चात्य परिभाषाओं में अभिव्यक्त होने के कारण, भारत की दलित एवं शोचनीय स्थिति का परिचायक मात्र रह गया वहाँ उग्रवादियों का राष्ट्रवाद भारत के गौरवपूर्ण प्राचीन महत्त्व का आधार पाकर जनमानस में एक नवीन आत्म-विश्वास एवं प्रेरणा का माध्यम बना। उग्रवादियों ने अंग्रेजी शासन के अराष्ट्रीय एवं दासतापूर्ण कृत्यों को चुनौती देकर भारत में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह कार्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था। दासता में स्नेह संबंध रखकर दासता से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती थी। अतः दासता से अलगव एवं पूर्ण मुक्ति उग्रवादियों के आन्दोलन का आधार बनी। उग्रवादियों ने अंग्रेजों के कल्याणकारी एवं दार्शनिक शासन के नरुली मुखौटे को उतार कर विदेशी शासन के कुरूप एवं विकृत रूप से जनता को परिचित कराया।

उग्रराष्ट्रवाद अंग्रेजों की उदारवादी नीति के मायाजाल से परिचित था। मिटो, मोने, कर्जें प्रभृति शासकों के प्रवचनापूर्ण कार्यों ने विदेशी शासन के प्रति विश्वास डगमगा दिया था। इस विश्वास एवं निराशा के राजनीतिक तिमिर को दूर करने के लिए उग्रवादियों

ने अपने राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यक्रम—स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा से एक नवीन ज्योति प्रज्वलित की।

उदारवादी मेकाले की भविष्यवाणी की तार्किक परिणति में व्यस्त होने के कारण नसस प्राप्त वाणी द्वारा राष्ट्रवाद की मूकता एवं वधिरता दूर नहीं कर सके। शासन से सगाव की भावना ने उन्हें जनता के प्रति विरक्त बना दिया। सरकारी पद एवं मान-सम्मान के सम्मोहन ने राष्ट्रवाद के कर्तव्य-पथ से उन्हें च्युत कर दिया। इसके विपरीत, व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलांजलि देकर, उग्रवादियों ने जनता की दृष्टि राजकीय भवनों से हटाकर राजनीतिक आत्मभावलोकन पर स्थिर की। जनता, राष्ट्र, परमेश्वर एवं भारत के गनातन भविष्य में आस्था की पुनः स्थापना की।

उग्रवादियों ने राष्ट्रवाद को केवल नागरिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श न मानकर एक पुनीत धर्म का स्वरूप दिया। अन्य समस्त आदर्शों का प्रस्फुटन इसी आदर्श में गबंधित माना। उनका राष्ट्रवाद यूरोप के राष्ट्रवाद सत्तन स्वार्थपरायणता पर आघातित न रहा। देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की धार्मिक प्रेरणा से इस राष्ट्रवाद को अनुप्राणित किया गया। तर्कों के स्थान पर आस्था एवं उपदेश के स्थान पर अनुभूति का इममें प्राधान्य था। ज्ञान के स्थान पर भक्ति एवं कर्म की इसमें विशेष स्थिति स्वीकृत हुई थी।

स्वशासन-प्राप्ति हेतु, अभ्यर्थना एवं याचना की नीति में उग्रवादियों का विश्वास नहीं था। विदेशी शासन से सहयोग की स्थिति उन्हें मान्य नहीं थी। विदेशी शासन तथा भारतीय जनता के परस्पर विरोधी उद्देश्यों से शासन के प्रति विकर्षण स्थापित करना आवश्यक था। उग्रवादियों की इसी कारण से शासक द्वारा स्वेच्छा से स्वराज्य प्रदान करने की स्थिति युक्तिभुक्त नहीं लगी। वे स्वराज्य को स्वाधिकार मानते हुए उसे स्वयं प्राप्त करना चाहते थे। इस कार्य के लिए वे निर्भयता, पीरुप एवं यातना सहन करने की तत्परता के संदेशवाहक बने। श्रीमद्भगवद्गीता उनकी प्रेरणा का स्त्रोत बनी।

उग्रवादियों का राष्ट्रवाद उदारवादियों के राष्ट्रवाद से कई अर्थों में भिन्न था। उग्रराष्ट्रवाद समस्त भारतीय जनता को एकीकृत रूप में देखता था। हिन्दू तथा मुस्लिम शासकों का कार्यकाल गौरवपूर्ण प्रतीत के रूप में स्वीकृत किया गया था। यह स्पष्टिम प्रतीत पाश्चात्य सस्कृति को अंगीकृत करने का आधार नहीं बन सकता था। इसके विपरीत उदारवादियों का विश्वास प्रतीत को विस्मृत कर एक नये जीवन का प्रारम्भ करने में था। यह सभंभ नहीं था। भारत का इतिहास केवल अंग्रेजी शासन से ही प्रारम्भ नहीं किया जा सकता था। उग्रवादियों के अनुसार यदि भारत का प्राचीन इतिहास पूर्ण रूपेण गौरवपूर्ण न भी माना जाता तो भी वह भारत की पुरातनता का प्रतीक तो था ही। अत उग्रवादी भारतीय इतिहास के माध्यम से भारत को एक राष्ट्र एवं उसके आत्मनिर्णय के अधिकार की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम का अंधानुसरण उन्हें स्पिदर न था। अंग्रेजों द्वारा निर्देशित योजना पर वे भावी भारत का भवन निर्मित करना नहीं चाहते थे। उनका आदर्श प्रतीत के गहहरों को संजी कर रखने तथा उनके पाप पाप नवीन मुन्न करने का था।

राजनीतिक समाज के नवनिर्माण की दृष्टि में भी उग्रवादियों तथा उ

के विचारों में भिन्नता थी। उदारवादी पूर्णतया नवीन वातावरण में नव समाज की रचना करना चाहते थे। किन्तु उपराष्ट्रवाद न केवल वातावरण अपितु पतृकता पर भी बल देता था। पतृक प्रभाव में ही भारतीय समाज पूर्णतया भारतीय रह सकता था। प्रजातीय विभिन्नताएँ इस पतृकता के तत्त्व से सम्बन्धित थी। प्राचीन भारतीय हिन्दू-संस्कृति एवं धर्म इसी प्रजातीय विभिन्नता का एक उदाहरण था।

उपराष्ट्रवाद द्वारा नवीन सभ्यता का सृजन न तो मात्र हिन्दू पुनर्जागरण पर आधारित था न अंग्रेजी सभ्यता के अंश रूप में। वे दोनों ही परिस्थितियों से मुक्ति चाहते थे। वे अतीत को वर्तमान से सम्बन्धित करने के पक्ष में थे ताकि वर्तमान में रहते हुए भारतीय हिन्दू समाज रूप से मुसलमान, जैन, पारसी तथा ईसाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। वे एक ऐसी सभ्यता का सृजन करना चाहते थे जो बहुजातीय होने के साथ साथ नवीनता के तत्त्वों से भी आप्लावित हो। यह अतीत को भविष्य से सम्बन्धित करने की विचारधारा थी। इस प्रकार उपराष्ट्रवाद एक बहुजातीय समाज के निर्माण में विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयों की समाप्ति का पोषक नहीं था। उनका विचार विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयों के सम्मिलन से एक भारतीय महासंघ की स्थापना करने का था। वे किसी एक संस्कृति को दूसरे पर बलात् स्थापित करने के पक्षपाती न थे। इस प्रकार अग्रवादियों का आदर्श वह प्राचीन हिन्दु दार्शनिक विचारधारा थी जिसमें एकता में विभिन्नता एवं विभिन्नता में एकता के दर्शन किये गये थे। वे इसी कारण से स्वराज्य को केवल नकारात्मक अर्थ में न लेकर पूर्ण सकारात्मक अर्थ में आत्माभिव्यक्ति एवं राष्ट्रभिव्यक्ति का आधार मानते थे। राष्ट्रीयता तथा स्वराज्य दोनों का ही संमिश्रण उपराष्ट्रवाद का आधार था। वे देशोद्धार एवं राष्ट्रवाद की चरम परिणति के रूप में व्यक्ति का सार्वभौम से तादात्म्य स्थापित करना चाहते थे ताकि व्यक्तिगत आत्मा का राष्ट्रीय आत्मा से चिरंतन सम्बन्ध स्थापित हो सके।

उपराष्ट्रवाद मानसिक दृष्टि से दामता से उन्मुक्ति का पोषक था। दर्शन एवं साहित्य के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान की किसी भी दृष्टि से हेय नहीं स्वीकार किया गया था। वेदों की प्राचीनता एवं उनमें निहित ज्ञान समस्त संसार के मार्गदर्शन का आधार माना गया था। मानसिक दामता से मुक्ति दिलाने के रचनात्मक प्रयास में उपवादियों ने उदारवादियों के "वर्देमातपितरौ" के रवैये के विपरीत "वर्देमातरम्" का संदेश उद्धोषित किया।

इस प्रकार उपराष्ट्रवाद पूर्णतया भारतीय सन्दर्भ में विकसित राष्ट्रवाद था। जनता के हृदय को छूने की इसमें सामर्थ्य थी। इसी कारण उपराष्ट्रवादियों का चतुर्मुखी कार्यक्रम जन-मान्दोलन का आधार बना। गांधीजी ने यद्यपि गोधले को अपना राजनीतिक गुह स्वीकार किया था किन्तु वास्तव में उपराष्ट्रवाद द्वारा तैयार किये मंत्र से ही उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारम्भ किया।

उपराष्ट्रवाद, विदेशी शासन का कोपभाजन होने के कारण, विदेशी शासन तथा भारतीय जनता के स्वार्थी तत्त्वों द्वारा रुद्धिवादिता एवं हिन्दू मन्त्रदायवाद का पोषक कहा गया। किन्तु यह कथन भ्रांतिपूर्ण था। उपवादों सामाजिक सुधारों के उतने ही पक्षपाती थे जितने उदारवादी। वे राष्ट्रीय आधार पर सुधार चाहते थे।

उनमें तथा उदारवादियों में केवल यह अन्तर था कि मुघारों की योजना को वे पूर्णतया राष्ट्रीय स्वशासन की प्राप्ति के पश्चात् प्रभाव में लाना चाहते थे या फिर प्राचीन आदर्शों को पूर्णतया परीक्षित कर उन्हें नवीनता से सम्बन्धित करना चाहते थे। नवीनता या पश्चात्कालीन ज्ञान से शिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था से उनका वैमनस्य नहीं था। केवल भारतीय दृष्टिकोण से ही वे नवीनता एवं वैज्ञानिक प्रगति को अपने कार्य में स्वीकृत करना चाहते थे।

राष्ट्रीयता की दृष्टि से उग्रवादी हिन्दू-राष्ट्रवाद के स्थान पर पूर्णराष्ट्रवाद के प्रणेता थे। सब धर्मों के प्रति समान व्यवहार एवं समादर की भावना उनमें विद्यमान थी। गीता से प्रेरणा प्राप्त करने तथा हिन्दूधर्म एवं संस्कृति के उद्धारण एवं दृष्टान्त देने का उनका कार्य स्वाभाविक ही था क्योंकि लाल-वाल-पाल तथा घोष चारों ही हिन्दू थे। किन्तु उनका हिन्दुत्व संकीर्णता, वैमनस्य एवं सांप्रदायिकता का प्रेरक नहीं था। यह अंग्रेजों की फूट डाल कर राज्य करने की नीति का प्रतिफल था कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला तथा उपराष्ट्रवाद को मुस्लिम-विरोधी मानकर उसे प्रसफल करने के राजकीय प्रयास किये गये। अंग्रेजों के शासन की यह नीति ही मुस्लिम "द्वि-राष्ट्रवादी" मिदान्त की पोषक बनी। उपराष्ट्रवाद पृथकतावादी नीति का सर्वदा विरोधी रहा। पृथक प्रतिनिधित्व की अंग्रेजी नीति का उग्रवादियों ने कभी समर्थन नहीं किया।

उपराष्ट्रवाद के आदर्शों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब तक चलती रही तब तक भारत की एकता तथा मूलभूत एकता जीवित रही। जैसे ही इस भावना में परिवर्तन आया देश की स्थिति अज्ञरित हुई। भारत तथा पाकिस्तान का पृथक् राष्ट्रों के रूप में प्रादुर्भाव राष्ट्रवाद नहीं किन्तु उप-राष्ट्रवाद का प्रतीक था। यदि भारत के विभाजन को स्वीकार न किया गया होता तो संभवतः अंग्रेजी शासन की अनुपस्थिति में एकता एवं सौहार्द का वातावरण बन सकता था किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त करने के दिन जैसे-जैसे समीप आते गये जैसे-जैसे राष्ट्रवाद का स्थान उपराष्ट्रवाद ग्रहण करता गया। वाद की दृष्टि उपराष्ट्रवाद का ही परिणाम थी।

उपराष्ट्रवाद अधिकारों के स्थान पर कर्तव्य, व्यक्तिगत स्थिति की मान्यता के स्थान पर समष्टि, तथा राज्य के स्थान पर राष्ट्र का पुनीत पोषक बना। उनका यह काम पूर्ण प्रजातन्त्रीय था। स्वशासन प्राप्ति उनका मुख्य लक्ष्य था। अतः वे राजनीतिक वादों के विवाद में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते थे।

वर्तमान भारत उपराष्ट्रवाद से आज भी प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। आज की राजनीति में बढ़ते हुए प्रांतवाद, जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता के उन्मूलन हेतु राष्ट्रवाद के उचित मूल्यांकन की आवश्यकता के लिए उपराष्ट्रवाद एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। आज उप-राष्ट्रवाद नहीं किन्तु राष्ट्रवाद एवं उप-राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। राष्ट्रवाद के सहायक पोषक तत्वों के रूप में राष्ट्र का स्थायित्व आज भी के राजनीतिक कार्यक्रम स्वराज्य, स्वदेशी, सहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा पर जा सकता है। भारत राष्ट्र की सृष्टि एवं उत्थिति के लिए आज भी स्वराज्य दिग्गज पक्ष संचालित होना चाहिए। राष्ट्र-प्रेम, राष्ट्रीय एकता,

निष्पक्षता एवं निर्लेप तन्मयता, व्यक्तिगत स्वार्थों के स्वान पर राष्ट्रीय हित की भावना आज भी देश में पूर्णतया प्राप्त नहीं है। देश में बढ़ती हुई पृथक्तावादी प्रवृत्ति, संकीर्ण भाषावादिता, विघटनकारी तत्त्वों की वृद्धि स्वराज्य के लक्ष्य की आध्यात्मिक प्रति का प्रतीक नहीं हैं।

स्वदेशी विचारधारा अभी पूर्णतया स्थापित नहीं हो पायी है। उग्रराष्ट्रवादियों का आर्थिक एवं राजनीतिक स्वदेशीकरण आज भी प्रेरणादायक है। आर्थिक दृष्टि से भारत की आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक उन्नति पूर्ण स्वदेशीकरण से ही संभव है। विचारों के क्षेत्र में भी उग्रवादियों सहित पूर्ण भारतीय संदर्भ में विचारने की आवश्यकता है। भारत की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीति के निर्धारण में स्वदेश-हित, राष्ट्रसम्मान एवं भारत के गौरव की प्रतिष्ठा स्वदेशीकरण से ही संभव हो सकती है। उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा निर्दिष्ट विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्य आज भी पूरा होना शेष है। विदेशी वस्तुओं के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण राष्ट्र की आर्थिक जर्जरता का परिणाम बन सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में भी उप-राष्ट्रवादियों का योगदान आज भी बहुत कुछ करने की प्रेरणा देता है। शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय विचारधारा का पूर्ण प्रचार देश की भावी पीढ़ी को राष्ट्रवाद से अभिभूत कर सकता है। पाश्चात्य ज्ञान के साथ-साथ भारतीय संस्कृति एवं भारत को विभिन्न क्षेत्रों में की गयी प्राचीन उपलब्धियाँ शिक्षा का आधार बन सकती हैं।

इस प्रकार उग्रराष्ट्रवाद एक चिरंतन प्रेरक के रूप में है। यह ऐसा राष्ट्रवाद है जो केवल राष्ट्रीयता के बंधन में ही किसी देश को आवद्ध नहीं करता अपितु अन्तरराष्ट्रीयता का भी मार्ग प्रशस्त करता है। दार्शनिक एवं आध्यात्मिक संबल मिलने से वह राष्ट्रों की सकारण स्वार्थ-परायणता की प्रवृत्ति एवं परस्पर अविश्वास एवं घृणा की भावना को कम करता है। आज के विश्व में अंतरराष्ट्रीय सद्भावना एवं मैत्री संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर ही प्राप्त की जा सकती है। उग्रराष्ट्रवाद समस्त मानवता के उचित संरक्षण, सभरण तथा परिवर्धन का नया आयाम प्रस्तुत करता है।



महादेव गोविन्द रानाडे ( 1842-1901 )

महादेव गोविन्द रानाडे का जन्म जनवरी 18, 1842 को निफाड़, जिला नासिक में हुआ था ।<sup>1</sup> उनके प्रपितामह भास्कर भप्पा सांगली रियासत के उच्च सैनिक अधिकारी एवं पूना के पेशवा दरवार में सांगली के शासक के प्रतिनिधि थे । उनके पितामह ने अंग्रेजी सेवा में प्रवेश किया और वे मामलातदार भी रहे । रानाडे के पिता सरकारी लिपिक थे । वे कोल्हापुर राज्य की सेवा में भी रहे । कोल्हापुर उन दिनों अंग्रेजों के राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा शासित था । रानाडे के पिता अंग्रेजों के कृपा पात्र थे । राज्य में बगावत होने पर अंग्रेजी सेना ने रानाडे के पिता गोविंदराव को सामंतों के कोपभाजन होने से बचाया । इस प्रकार रानाडे के बाल्यकाल में ही उनका परिवार मराठा शासन के अंग्रेजी शासन में परिवर्तन के अनुकूल हो चुका था । यह स्वाभाविक था कि उनका परिवार अंग्रेजों के प्रति श्रद्धावान होता । रानाडे पर इसका दो प्रकार से प्रभाव पड़ा । एक ओर उनका भुक्ताव प्रशासनिक दक्षता की ओर हुआ तो दूसरी ओर वे सु-शासन को स्व-शासन से अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे ।<sup>2</sup>

रानाडे की प्रारंभिक शिक्षा कोल्हापुर के मराठी स्कूल में हुई । उनके पिता के अंग्रेज मित्र की सलाह पर उन्हें अंग्रेजी-स्कूल में भर्ती किया गया । उनकी माता को यह पसन्दा नहीं लगा, क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि अंग्रेजी-शिक्षा ने अपने प्रतीतिक एवं लापरवाह हो जाते हैं । उनके पिता अपने निर्णय पर दृढ़ रहे । उनकी माता ने विरोध-स्वरूप धन ग्रहण नहीं किया । पिता की विजय हुई और रानाडे को अंग्रेजी शिक्षा का भवगत मिला । रानाडे का पारिवारिक वातावरण अत्यन्त अनुशासित था । परिवार की सनातन हिन्दू-धर्म में दृढ़ धारणा थी । रानाडे ने अपनी स्कूल-शिक्षा पूरी करने के बाद स्वयं को उच्च अध्ययन के लिए बम्बई भेजने के लिए अपने पिता को जिनो प्रकार प्रयत्न कर लिया । उन्हें बम्बई के एल्फिन्स्टन स्कूल में 1856 में प्रवेश मिला । अपनी प्रथम बुद्धि के कारण वे अध्ययन में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे और नये कीर्तिमान स्थापित करते गये । वे बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम बी०ए०, प्रथम एम०ए० तथा प्रथम एल० एल० बी० छात्रों में से थे । 1865 में इतिहास में रानाडे ने एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की और 1866 में कानून की । इतिहास और अर्थशास्त्र उनके प्रिय विषय रहे । अध्ययन काल में रानाडे पर उन अंग्रेज अध्यापकों का विशेष प्रभाव पड़ा जो उसी समय अंग्रेजी लोगों में मूल्य थे । इस समय तक हिन्दू-धर्म एवं साहित्य के संबंध में रानाडे को धारणा प्रकटी नहीं थी । उनके द्वारा इतिहास की परीक्षा में निर्णय गये उत्तरी की श्रेष्ठता के कारण बम्बई-विश्वविद्यालय द्वारा वे उत्तर एटिनबरा विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रस्ताव अंग्रे गये । वे बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय वेतो नियुक्त हुए । शिक्षा मन्त्र



कर लेने के पश्चात् उन्हें शिक्षा-विभाग में मराठी अनुवादकर्ता के रूप में नियुक्ति मिली। कुछ समय के लिए वे शोलापुर के पास किसी छोटी रियासत के प्रशासक भी रहे। 1867 में वे कोल्हापुर राज्य में न्यायाधीश नियुक्त किये गये। 1868 से 1871 तक वे एलफिन्स्टन कालेज में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर रहे। 1871 में बम्बई के पुलिस मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए। इसके पश्चात् 1871 से 1878 तक पूना में उप-न्यायाधीश, नासिक तथा धुलिया में 1878 से 1881 तक विशेष उप-न्यायाधीश, 1881 में पूना के उप-न्यायाधीश, 1881 से 1884 तक डेक्कन रयोट रिलीफ एक्ट के अंतर्गत उप-न्यायाधीश, पूना की छोटी अदालत में 1884 से 1885 तक न्यायाधीश, रिलीफ एक्ट के अंतर्गत 1885 से 1893 तक विशेष न्यायाधीश रहे। 1886 में उन्हें भारत-सरकार की वित्त-समिति का सदस्य बनाया गया। 1893 से 1901 में मृत्युपर्यन्त वे बम्बई उच्च-न्यायालय में न्यायाधीश रहे।<sup>13</sup>

उनका सार्वजनिक जीवन पहले ही प्रारम्भ हो गया था। 1859 से 1864 तक वे ज्ञान-प्रसारक सभा के सदस्य रहे और वहां समय-समय पर भाषण देते रहे। 1862 से 1863 तक वे सुप्रसिद्ध समाज-सुधारक पत्रिका इन्दु-प्रकाश के अंग्रेजी संभाग के सम्पादक रहे। समाज-सुधार के कार्य में रानाडे का पहला प्रयास विधवा-विवाह आंदोलन से सम्बन्धित था। विष्णुशास्त्री पंडित तथा रानाडे के प्रयासों से यह आंदोलन प्रारम्भ हुआ। महाराष्ट्र में यह हलचल मचा देने वाली घटना थी। कट्टर सनातन-धर्मी हिन्दुओं ने इसका प्रबल विरोध किया। अन्त में शंकराचार्य ने दोनों गुटों की मध्यस्थता की और रानाडे के दल को विरुद्ध निर्णय देते हुए विधवा-विवाह को निषिद्ध घोषित किया। रानाडे और उनके सहयोगियों के लिए प्रायश्चित्त का विधान दिया किन्तु रानाडे ने प्रायश्चित्त करने से मना कर दिया और जाति-बहिष्कार के लिए अपने को प्रस्तुत किया। रानाडे के उच्चपद एवं महाराष्ट्र में नवीन प्रगतिशील विचारों के जागरण के कारण उनके विरुद्ध उठा यह विरोध शनैः शनैः शांत हो गया। वे 1867 में प्रार्थना-समाज के सदस्य बने। प्रार्थना-समाज के सिद्धान्त ब्रह्म-समाज जैसे ही थे। 1864 में केशवचन्द्र सेन की बम्बई यात्रा से प्रेरणा प्राप्त कर यह नया समाज स्थापित किया गया था। प्रार्थना-समाज भी एकेश्वरवादी एवं मूर्तिपूजा-विरोधी था। 1868 में रानाडे ने धर्म एवं तत्त्वमीमांसा का गूढ मंथन कर एकेश्वरवाद पर "ए थीईस्ट्स कानफेशन आफ फेथ" नामक निबन्ध लिखा। 1871 में रानाडे को बम्बई से पूना स्थानांतरित कर दिया गया। पूना में रानाडे ने निरन्तर सात वर्षों तक सार्वजनिक एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जन-सेवा की। पूना की महत्वपूर्ण संस्थाओं को रानाडे का मार्गदर्शन मिला। उनके द्वारा कई संस्थाएं स्थापित हुईं।<sup>14</sup>

महादेव गोविंद रानाडे मराठों के इतिहास से अधिक प्रभावित हुए। अपने दस दो राज्ञ अफ मराठा पावर में रानाडे ने यह सिद्ध किया कि भारत में मराठों का उत्कर्ष सयोगवश नहीं हुआ था। वह महाराष्ट्र के हिन्दुओं का पीछे प्रदर्शन मात्र न हो कर एक स्थायी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, जिसने दासता का प्रतिहार कर सम्मान सहित स्वतन्त्रता का पाठ सिधाय। यह भारत में राष्ट्रवाद का अभिनव प्रस्फुटन था। केवल शासको, सामंतों प्रथवा श्रेष्ठवर्ग तक सीमित न हो कर जन साधारण को उद्देहित

करने वाला यह भांदोलन सदियों से अस्त जनता का नवीन मनोभाव था ।<sup>6</sup> इस प्रकार रानाडे ने भारतीय संस्कृति का पोषण करते हुए नवीन पाश्चात्य धारणाओं से उनका सम्बन्ध स्थापित किया । पाश्चात्य प्रभाव ने उन्हें सामाजिक सुधारों की घोर भाकृष्ट किया । यद्यपि शासकीय सेवा में निरत रहने के कारण वे अधिक समय इस कार्य के लिए नहीं दे सकते थे फिर भी उनका यह संकल्प पूरा हुआ । शासकीय सेवा के नियमों की कठोरता उनके विचारों एवं कार्यों को नहीं बदल सकी । ब्रिटिश शासन की अप्रसन्नता पर भी वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते रहे । शासन ने स्थानांतरण का कठोर प्रहार उन पर किया, फिर भी वे अविचलित रहे । उन्हीं के सद्प्रयत्नों से भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना हुई । वैसे महाराष्ट्र में समाज-सुधार के कार्यों का प्रारंभ गणेश वासुदेव जोशी ने पूना की सार्वजनिक सभा की 1870 में स्थापना करके किया । जोशी को जन सामान्य "सार्वजनिक काका" के नाम से जानने लगे । उसी सार्वजनिक सभा के माध्यम से महादेव गोविन्द रानाडे भी सामाजिक सुधार के क्षेत्र में चमक उठे । सभा के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते रानाडे को ब्रिटिश शासन का समय-समय पर कोपभाजन बनना पड़ा किन्तु उनकी देशभक्ति निरंतर प्रगाढ़ होती गयी ।

उनकी कानूनी दक्षता से प्रभावित होकर बम्बई के गवर्नर ने उन्हें 1885 में बंबई-विधायी परिषद् का सदस्य नियुक्त किया । वे पुनः 1890 तथा 1893 में इस पद पर नियुक्त किये गये ।

अब रानाडे 12 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कर दिया गया था किन्तु उनकी पत्नी के निरंतर अस्वस्थ रहने के कारण उसका दाम्पत्य-जीवन सुखी नहीं रहा । अतः में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया । रानाडे पुनः विवाह करने को राजी नहीं थे । पत्नी वियोग में अत्यधिक दुखी थे । किन्तु उनके पिता रानाडे का पुनः विवाह कर देना चाहते थे । उन्हें यह चिंता थी कि रानाडे की युवावस्था देखते हुए उनका अविवाहित रहना ठीक नहीं था । उन्हें यह भय था कि कहीं रानाडे अपने समाज-सुधार भांदोलन के सहयोगियों के प्रभाव में किसी विधवा से विवाह न कर बैठें । उनके इन प्राचीन रुढ़िवादी विचारों से रानाडे बहुत दुःखी हुए । किन्तु वे विवश थे । वे पिता के जीवन पर्यन्त उनको घादर प्रकट करने के लिए उनके सामने छड़े ही रहते थे । बेचल भोजन के समय को छोड़कर रानाडे अपने पिता की उपस्थिति में उनसे छटे-छटे ही बात करते थे । वे किसी भी दृष्टि से अपने पिता को दृष्ट नहीं कर सकते थे । रानाडे के टालमटोल करने पर उनके पिता ने घर छोड़ कर अपने पैतृक ग्राम जाकर बसेसे रहने की धमकी दी । रानाडे असमंजस में पड़ गये । अंत में एक आज्ञापनक पुत्र के नाते उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । उनका विवाह रमाबाई के साथ सम्पन्न हुआ । रमाबाई उनसे उम्र में 11 वर्ष छोटी थी । यह रानाडे के जीवन में बठिन परीक्षा की घड़ी थी । उनके द्वारा समाज सुधार के लिए किये गये समस्त कार्यों पर पानी फिर रहा था । वे जानते थे कि पुनर्विवाह करना उनके विरोधियों द्वारा उनकी अपनी घोर करनी के अंतर पर बटोर आक्षेप का कारण बनेगा । किन्तु अपने रिश्ता की आशा की टालना उनके मन का काम नहीं था । अपने इस पारिवारिक अनुनाशन की अनिच्छा पर उन्होंने अपना सार्वजनिक तथा सामाजिक जीवन बलि कर दिया ।<sup>7</sup> पछि

विवाह के बाद भी रानाडे समाज-सुधार का कार्य यथावत् करते रहे, किन्तु उनके प्रघर विरोधी लोकमान्य तिलक ने उन्हें इस त्रुटि के लिए सार्वजनिक जीवन में क्षमा नहीं किया।

रानाडे ने अर्थशास्त्र का गूढ़ अध्ययन किया था। 1872 में उन्होंने भारत के विदेश-व्यापार पर भाषण दिया। 1874 में उन्होंने भारत की राजस्व-व्यवस्था को विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। वे भारत के ग्रामीण अंचलों की निर्धनता एवं आर्थिक विवशता से द्रवित हुए। 1876 में पूना, नगर तथा शोलापुर जिलों में अकाल के कारण अपार जन हानि हुई थी। रानाडे ने इसके लिए शासन की राजस्वनीति को उत्तरदायी ठहराया। उनके अनुसार दुर्भिक्ष का कारण कम वर्षा नहीं अपितु कृषकों की आर्थिक विपन्नता थी।<sup>7</sup>

भारत में काँग्रेस की संस्थापना में रानाडे का भी विशेष योगदान रहा। वे काँग्रेस के उदारवादी विचारधारा के सागंदर्शक रहे। उनका काँग्रेस के उग्रवादी आंदोलन से वैचारिक संघर्ष रहा। तिलक तथा उनके सहयोगियों ने रानाडे के सामाजिक सम्मेलन का काँग्रेस के मंच से अपने कार्यक्रम चलाने का विरोध किया। तिलक की लोकप्रियता के कारण रानाडे को झुकना पड़ा। 1895 में राष्ट्रीय काँग्रेस के पूना-अधिवेशन के समय सामाजिक सम्मेलन की कार्यवाही काँग्रेस-पंढाल से न हो पायी। रानाडे तिलक के व्यवहार से दुखी हुए किन्तु उनका मनोबल ऊँचा रहा और सुधार का उनका कार्यक्रम यथावत् चलता रहा। 1896 में रानाडे ने पूना में दक्षिण सभा की स्थापना की। सार्वजनिक सभा के साथ मतभेदों के कारण रानाडे ने इस सभा को गठित किया था। उनके व्यस्त न्यायिक जीवन के बावजूद वे सार्वजनिक कार्यों के लिए निरंतर समय देते रहे और अपने अग्रगण्य ज्ञान एवं परिपक्व अनुभव को सार्वजनिक सेवा के लिए अर्पित करते रहे। उनका स्वास्थ्य जर्जरित होने लगा और उन्हें हृदयरोग हो गया जिसके कारण उनके जीवन का प्रवाह झीरा होता गया।<sup>8</sup>

जीवन के अंतिम सात वर्षों में रानाडे बम्बई में ही रहे। वहाँ वे बम्बई विश्व-विद्यालय से सीनेट, सिटिकेट एवं कला संकाय के अधिष्ठाता के रूप में सम्बद्ध रहे। विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र के उनका योगदान प्रांतीय भाषाओं की पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराने में रहा। वे भारत के औद्योगिक विकास के लिये नोरोरवान जी जमशेद जी टाटा द्वारा दान में दिये गये तीन लाख रुपये के उपयोग संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी नियुक्त किये गये। इस समिति के मुझाव पर बंगलौर में औद्योगिक अन्वेषण प्रतिष्ठान स्थापित किया गया। इस प्रकार रानाडे का जीवन भारत की सेवा में व्यतीत हुआ। वे अर्थों की व्याधि से जीवन-पर्यन्त दुखी रहे। गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण वे 1900 में लाहौर में होने वाले भारतीय सामाजिक सम्मेलन के अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो सके जिसका उन्हें खेद रहा। अल्पसमय रोगग्रस्त रह कर वे जनवरी 16, 1901 को चिरनिद्रा में लीन हो गये।

### रानाडे के राजनीतिक विचार

अन्य उदारवादियों के समान महादेव गोविंद रानाडे भी भारत में अंग्रेजी शासन को अस्वीकार के रूप में मानते रहे। उनके अनुसार भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों को नागरिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों का राजनीतिक शिक्षण देने की दृष्टि से उपयोगी

सिद्ध हुआ था।<sup>9</sup> उनका यह मत किसी भ्रामक विदेशी प्रचार पर आधारित नहीं था। उन्होंने भारतीय इतिहास का गूढ़ मंथन करने के पश्चात् यह धारणा बनायी थी। रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के 1900 के सचनऊ-प्रधिवेशन के उद्घाटन भाषण में यह व्यक्त किया कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा शासन विघाता की योजना का ही अंग था। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उन्होंने भारत को एकता के मूत्र में निरंतर पिरोने का प्रयत्न किया। भारतीय जातियों एवं प्रजातियों की शक्ति तथा उनके चरित्र को हड़ करने की दृष्टि से ये आक्रमण बरदान सिद्ध हुए। हमारी कमजोरियों को दूर करने का हमें प्रयत्न मिला। भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित होने पर भी भारत के निवासियों का मनोबल कम नहीं हुआ। किन्तु हिन्दुओं एवं मुसलमानों में वैज्ञानिक क्रिया कलाप, नवीन शिक्षण तथा व्यवसायिक दृष्टिकोण की कमी होने के कारण प्रगति शिथिल होती गयी। अंग्रेजों के आगमन ने यह स्थिति परिवर्तित कर दी। भारत को एक नवीन ज्योति दिखाई दी। प्राधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंग्रेजों के सम्पर्क में आने से हमें स्वतंत्रता की महत्ता का आभास हुआ। सदियों की गुलामी एवं जड़ता को पारश्चात्य प्रभाव ने समाप्त कर दिया। भारतीय नवजागरण प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार रानाडे ने अंग्रेजी शासन को दैविक बरदान ही माना।<sup>10</sup> किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि रानाडे परतंत्रता के ही प्रसंगक थे। उनके विचारों में भारतीय नवजागरण का आभास मिलता है। वे भारतीयों की प्रबुद्धता की धीरे-धीरे इंगित करते हुए भावी भारत के उज्ज्वल भविष्य का समर्थन कर रहे थे। वे जानते थे कि अंग्रेजी शासन के पश्चात् भारतीय स्वशासन की स्थापना अवश्य होगी और भारत स्वतंत्रता के युग में प्रवेश करेगा। इसी लक्ष्य की ध्यान में रखते हुए देशभक्त रानाडे ने ब्रिटिश समुद्र के नाम एक याचिका भारतीयों द्वारा हस्ताक्षर कराके पूना की मार्कजिनिक मभा के माध्यम से इंग्लैण्ड भेजी जिसमें यह गुभाय दिया गया था कि भारत में मघागीघ्र उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाये तथा ब्रिटिश समुद्र में भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये।<sup>11</sup> भारतीय जनता को प्रतिनिधित्व मिनने से विधिनिर्माण के कार्य में उनका ज्ञान बढ़ेगा और कराधान सम्बन्धी नियमनाओं में भी वे मह-भाग्य बन सकेंगे। वे स्वतंत्रता को प्रतिभ्यापन धर्म में देखते थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता का धर्म या जनता पर अनुचित नियंत्रणों का प्रभाव किन्तु शासन पर अनुप्रति-निधियों का पूर्ण नियंत्रण। उनके ये विचार स्वयं उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था के विचार से मिल नहीं जाते। ये व्यक्तिवादी न होकर समष्टिवादी दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। मानवीय स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन करते हुए भी महादेव गोविन्द रानाडे ने राज्य के हस्तक्षेप को कई दृष्टियों में उचित ठहराया।<sup>12</sup> वे स्वतंत्रता एवं राज्य के सामाजिक पक्ष को अधिक महत्त्व देते थे। इस प्रकार उनके विचार ब्रिटिश उपनिवेशवादी विचारकों से भिन्न दिखाई देते हैं।

महादेव गोविन्द रानाडे भारतीय राजनीतिक विचारों में कई दृष्टियों में बदलाव लाते आ सकते हैं। उनकी इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण प्रमाण उनके द्वारा राज्य की प्रकृति तथा उसके कार्य का अध्ययन है। उनका यह विचार था कि राज्य अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने अर्थ-साधकों की शक्ति, विवेक, रसा तथा परोपकारिता

परिचायक है। वे आंग्लिक रूप में राज्य की आंग्लिक एकता के समर्थक थे<sup>13</sup> तथा इस कारण राज्य की महत्ता के प्रशंसक थे।<sup>14</sup> वे राज्य की धारणा को जर्मन आदर्शवाद के विचारकों के समान अपने समय के उच्च एवं निरपेक्ष विवेक का परिचायक मानते थे। किन्तु रानाडे जर्मन आदर्शवाद के सम्पूर्ण सिद्धांत में निष्ठा नहीं रखते थे। वे आदर्शवाद के विपरीत व्यक्तिवाद में अधिक निष्ठा रखने वाले विचारक थे। राज्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी उनकी यह धारणा थी कि व्यक्ति व राज्य दोनों में राज्य एक साधन और व्यक्ति साध्य के रूप में है। अपने व्यक्तिवादी विचारों में रानाडे ने व्यक्ति को समष्टि के रूप में देखा था न कि एक आणविक इकाई के रूप में। वे टी. एच. ग्रीन के समान राज्य को व्यक्ति के जीवन को और भी अधिक सुखी, सम्पन्न एवं महात्मा बनाने के लिए उपयोगी मानते थे।<sup>15</sup> उनकी इस धारणा में स्वराज्य की भावना भी छिपी थी क्योंकि व्यक्ति का हित साधन करने वाला राज्य विदेशी नहीं हो सकता। राज्य को साधन मानते हुए भी राज्य पर अत्यधिक निर्भरता का उन्होंने हमेशा प्रतिकार किया तथा व्यक्ति को अपने भाग्य-निर्माण के लिए प्रयत्न करने का संदेश दिया। रानाडे का व्यक्तिवाद यूरोपीय व्यक्तिवाद की विचारधारा से भिन्न था। उनका व्यक्तिवाद लोक-कल्याण की भावना से अधिक मेल खाता था। राज्य के लोक-कल्याणकारी पक्ष की विवेचना प्रस्तुत कर रानाडे ने व्यक्ति के आर्थिक एवं नैतिक क्रियाकलाप में राज्य की अधिक सहकार प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में उन्होंने नियंत्रणकारी राज्य-व्यवस्था का प्रतिरोध प्रस्तुत किया। वे सीमित स्वतंत्रता के विचार में विश्वास नहीं करते थे।<sup>16</sup> राजनीतिक विचारों की दृष्टि से रानाडे ने भारतीय जनमानस के राजनीतिक प्रशिक्षण को अधिक महत्व दिया। जन-जागरण के माध्यम से ही संवैधानिक आंदोलन का कार्य अधिक प्रभावी हो सकता था। जेम्स कॅलोक के अनुसार उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में होने वाले समस्त राजनीतिक आंदोलनों को रानाडे के प्रोत्साहित एवं नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क ने प्रेरणादायी शक्ति प्रदान की।<sup>17</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से होने के कारण रानाडे ने भारत के भावी भविष्य का सुखद चित्र प्रस्तुत किया।<sup>18</sup> स्वयं राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक एलन आस्टेवियन ह्यूम ने महादेव गोविंद रानाडे को अपना "राजनीतिक गुरु" स्वीकार किया। रानाडे के लिए इससे अधिक राजनीतिक सम्मान का सूचक और क्या हो सकता था? इतना ही नहीं अपितु भारतीय देशभक्तों के राजकुमार गोपाल कृष्ण गोखले ने भी रानाडे के प्रति श्रद्धांत हो उन्हें अपने 'गुरु' के रूप में स्वीकार किया और उनके पदचिन्हों पर चलने का सकल्प लिया। रानाडे स्वयं राजनीतिक गतिविधियों से अधिक संलग्न न ही सके, किन्तु कांग्रेस के तत्कालीन प्रभावशाली सदस्यों ने किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न पर रानाडे की सम्मति लिये बिना कार्य नहीं किया। देशी भाषा-प्रेस-प्रधिनियम, शस्य-प्रधिनियम, प्रशासनिक सेवा-परिष्कार, मध्य एशिया का प्रश्न सभी पर रानाडे की प्रोजेक्टो वाणी का प्रभाव पड़ा।<sup>19</sup> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विषय-समिति की सदस्यता के माध्यम से रानाडे ने कांग्रेस की रीति-नीति को पग-पग पर संभाला और प्रेरित किया। उन्होंने नये विचारों को प्रोत्साहित किया और लोकमत को राजनीतिक प्रबुद्धता का संदेश दिया।

रानाडे ने जहा राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में बृहद् विवेचन किया है वहाँ सरकार के संगठन एवं प्रशासन को भी सीमित शर्तों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। शासन की दृष्टि से रानाडे लोकतान्त्रिक शासन के पक्षपाती थे। वे शक्ति के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते थे तथा स्थानीय स्वशासन को विकसित करने पर उनका विशेष जोर रहा। वे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थानीय सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप की नीति को स्वीकार नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को विक्रम का पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि स्थानीय संस्थाओं को केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा कम ब्याज पर कर्ज के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाये ताकि स्थानीय स्वशासित संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों व शहरों में उद्योगों का विकास कर सकें। वे स्थानीय निकायों में ब्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने के भी पक्ष में थे।<sup>20</sup> उनका यह विश्वास था कि इस प्रकार के निर्वाचन से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक शिक्षण का प्रसार होगा तथा आत्म-विश्राम जागृत होगा।

सामाजिक एवं धार्मिक प्रश्नों पर उनके उदार विचारों ने राजनीतिक दृष्टि से उन्हें पूर्ण उदारवादी विचारक ही बनाये रखा। उनके उदारवादी विचारों ने उन्हें मानवीय गरिमा को बनाये रखने वाले विचारों एवं कार्यों से दूर नहीं होने दिया।<sup>21</sup> वे हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था के नियन्त्रणकारी नियमों को मानव-स्वतन्त्रता का अक्षक मानते थे। इन कार्यों के लिए एक घोर जहाँ उन्होंने हिन्दू-समाज के प्रगति-विरोधी तत्वों को सलकारा तो दूसरी घोर अंग्रेजी शासन को भी घरोघरी मुनाने से पीछे नहीं रहे। भारतीय जनता का शोषण करने वाले ब्रिटिश सरकार के भूमि-विययक कानूनों को उन्होंने घाटे हाथों लिया। भारत के केन्द्रीभूत प्रशासनिक ढांचे को रानाडे ने स्थानीय शासन का शत्रु माना। वे शासन के विकेंद्रीकरण एवं प्रादेशिक सरकारों के पक्षपाती थे।<sup>22</sup>

रानाडे का यह मत था कि राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए नैतिक इना आवश्यक है। राष्ट्र की नैतिक नैतिक गुणों पर आधारित है। यही तक कि नैतिक गुणों के पूर्ण विकास के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता अर्थहीन है। समाज में लोकतान्त्रिक विचारों के प्रसार के लिए उन सामाजिक नियमों को परिवर्तित करना आवश्यक है जो प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक समानता नहीं पा सकती। लोकतान्त्रिक शासन की स्थापना लोकतान्त्रिक समाज पर ही आधारित हो सकती है।<sup>23</sup> हमी मरथ में रानाडे के मराठा-शक्ति के उत्कर्ष सम्बन्धी विचारों को समझा जा सकता है। रानाडे ने निवासी के शासन की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि उनका शासन नैतिक नियमों पर आधारित था।<sup>24</sup> उनके अनुसार निवासी सामाजिक समानता एवं एकाकी राजनीति का आधार मानते थे। महाराष्ट्र में मराठा-शक्ति का उदय सामाजिक समानता एवं एकाकी के विरुद्ध संघर्ष था। मन्व जलेश्वर, वामन पण्डित, तुकाराम, नामदेव, एतनाद आदि परम्परागत वास्तवकार एवं जातिगत रक्षा के विरुद्ध थे। उन्होंने दूरी तथा दलितों की स्थिति को सुधारा और सामाजिक व्यवस्था को आशुत वेदी की दृष्टि पर धृष्टि कर पढ़ाया। उनके द्वारा राष्ट्र-निर्माण का लक्ष्य प्रकट

किया गया था ।<sup>25</sup>

रानाडे का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण उनके द्वारा मराठा-इतिहास की नवीन व्याख्या में निहित है। उनका यह विचार था कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के लिये अंग्रेजों ने मुगलों से सत्ता प्राप्त नहीं की थी। उन्हें सत्ता के लिए मराठों से संघर्ष करना पड़ा था और उन्हीं से सत्ता छीनी थी। हिन्दू-शासकों से ही अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्त की थी। वे इससे यह सिद्ध करना चाहते थे कि राष्ट्रीय एकता एवं जागृति ने मुगलों को शनैः शनैः पददलित कर मराठा-शासन की स्थापना की।<sup>26</sup> अंग्रेजों ने चालाकी तथा कुशल सैन्यबल के प्रयोग से भारतीय राष्ट्रियता में विघटन के बीज बो कर भारत को पराधीन किया। उनका यह दृष्टिकोण भारत की स्वतन्त्रताप्रेमी जनता की विम्बृत राष्ट्रीय भावना को पुनर्जागरण के लिए ललकारने वाला था। यह राष्ट्रवादी चेतना को परोक्ष रूप से जागृत करने वाला प्रयास था। रानाडे की अन्तरात्मा राष्ट्रवादी विचारों से अनुप्राणित थी। वे भारत में अंग्रेजी शासन की त्रुटिपूर्ण नीतियों के आलोचक थे।<sup>27</sup> उनके द्वारा वासुदेव बलवन्त फड़के के आन्दोलन को अप्रत्यक्ष समर्थन मिला था। शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वालों के प्रति उन्हें सहानुभूति थी, क्योंकि उनकी दृष्टि में विद्रोहियों का कार्य अधिक कारणों से अधिक प्रेरित था, राजनीतिक कारणों से कम। देश में व्याप्त निर्धनता एवं बेरोजगारी के लिए रानाडे ने शासन की त्रुटिपूर्ण एवं अदूरदर्शी नीतियों को उत्तरदायी ठहराया। उन्हें अंग्रेजों की सत्ता के उदारवादी पक्ष से सहानुभूति थी। वे इंग्लैंड के उदारवादी दल से ही भारत के प्रति उचित नीतियों के समर्थन की आशा करते थे।<sup>28</sup>

रानाडे का राजनीतिक चिन्तन पाश्चात्य दर्शन पर आधारित था।<sup>29</sup> पश्चिम में प्रचलित सामाजिक विज्ञानों की ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक पद्धतियों का वे अनुसरण कर रहे थे। वे कान्ट के दर्शन से अप्रत्यक्ष प्रभावित हुए और उसी पर उनका धर्म, अन्तःकरण एवं स्वतन्त्रता सम्बन्धी दृष्टिकोण आधारित रहा।<sup>30</sup> वे पश्चिम के आदर्शवादी चिन्तन से अनुप्राणित थे। वे जर्मन आदर्शवादी फिक्ट तथा हेगल से भिन्न इंग्लैंड के आदर्शवादी चिन्तक ग्रीन के विचारों के अधिक निकट थे।<sup>31</sup> उन्हें ग्रीन की प्रतिकृति भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि रानाडे ने अपने विचार ग्रीन के सदृश किन्तु स्वतन्त्ररूप से विकसित किये थे। जहाँ ग्रीन के विचार परिष्कृत थे, रानाडे के विचारों में उतनी पूर्णता नहीं थी। ग्रीन के सदृश रानाडे ने उन्नीसवीं शताब्दी के इंग्लैंड के उपयोगितावादी व्यक्तित्ववाद का खण्डन किया।<sup>32</sup> वे वैयम तथा मिल के पाश्चात्य भौतिकतावादी दृष्टिकोण के विरोधी थे। इसी प्रकार से रानाडे का आध्यात्मवाद जो कि उनके राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों की पृष्ठभूमि रहा पाश्चात्य प्रभाव के विकसित हुआ।<sup>33</sup> पश्चिम के एकेश्वरवाद तथा प्रोटेस्टेन्टवाद ने उनके आध्यात्मिक विचारों को अति प्रेरित किया।<sup>34</sup> किन्तु कालान्तर में हिन्दू-धर्म की महानता के अभिज्ञान ने उन्हें नवीन राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान किया। वे संकीर्ण हिन्दू-राष्ट्रवाद के विचारक नहीं थे। वे सुधारवादी तथा वैचारिक प्रगति के अप्रदूत थे।

रानाडे के राजनीतिक विचारों में राज्य का कल्याणकारी पक्ष, नागरिकों का उत्तरदायित्व, व्यक्तिवाद तथा समष्टिवाद का सामंजस्य एवं रचनात्मक राजनीति विशेष

महत्त्व रखते हैं।<sup>35</sup> वे स्वशासित भारत के लिए लिखित संविधान के पक्षपाती थे। भारतीय राज्यों की स्वायत्तता तथा उनके संघात्मक एकीकरण पर उन्होंने विचार व्यक्त किये। वे प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे। भारतीय रजवाड़ों के शासकों के लिए उन्होंने इंग्लैण्ड की सार्डें सभा के सदन निकाय बनाने का सुझाव दिया। देशी रियासतों में भी सर्वैधानिक एवं लोकतांत्रिक सरकारों का गठन सुझाया।<sup>36</sup> तिलक ने भी, जो कि रानाडे के सुधारवादी फ्रांसीशन के विरोधी थे, रानाडे के मौलिक राजनीतिक विचारों की प्रशंसा की है।<sup>37</sup>

### रानाडे के सामाजिक विचार

महादेव गोविन्द रानाडे ने सामाजिक क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये। उन्होंने सामाजिक सुधार हेतु पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार पर बल दिया। वे सामाजिक मान्यताओं के आधार पर समाज-सुधार के कार्य करना चाहते थे। समाज-सुधार के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को वे तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न न हो जायें जिनमें राज्य के हस्तक्षेप के बिना कोई चारा ही न रहे। सामाजिक परिवर्तन के लिए वे प्रांतिकारी उपायों का समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने रचनात्मक परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीकों से प्रभावी बनाने में विश्वास प्रकट किया। समाज-सुधार की दृष्टि से रानाडे ने स्वतंत्रता, विवेकपूर्ण व्यवहार, संगठित प्रयास, सहिष्णुता व मानव की गरिमा को प्रमुख निर्धारकों के रूप में माना।<sup>38</sup> वे समाज-सुधार को राजनीतिक एवं धार्मिक स्थितियों के साथ भी जोड़ते थे। एक उच्च सामाजिक व्यवस्था ही राजनीतिक तथा धार्मिक उन्नति का साधन थी इसलिए वे समाज-सुधार के प्रश्न को धार्मिक सहिष्णुता तथा राजनीतिक एवं धार्मिक उन्नति के साथ जोड़ते थे। अंधविश्वासों, कुुरीतियों एवं पुरातन-पथी विचारों के उन्मूलन के लिए वे राज्य की सहायता में विश्वास करते थे। रानाडे के इस विचार को धार्मिक विरोध का सामना करना पड़ा। उनके समकालीन समाज-सुधारकों ने भारत की सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं में अंधेरी शासन के हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया। रानाडे द्वारा सुझाये गये सम्मति-धामु-विधेयक (1891) को इसी आधार पर चुनौती दी गयी कि सामाजिक व्यवस्थापन के क्षेत्र में अंधेरी शासन का हस्तक्षेप उचित नहीं है। तिलक ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया तथा यह प्रकट किया कि किसी भी सुधार के स्थायी होने के लिए उगरी सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। तिलक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सरकार के इस प्रकार के हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराते थे। रानाडे तथा तिलक के विचारों में घोर भी कई भिन्नताएँ थी। जहाँ रानाडे सामाजिक सुधारों को राजनीतिक सुधारों के पहले प्राप्त करने के पक्षपाती थे वहीं तिलक राजनीतिक सुधारों को सर्वाधिक प्रमुखता देते थे। तिलक का यह विश्वास था कि स्वराज्य प्राप्त करने के पश्चात् सामाजिक सुधार स्वतः स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। रानाडे तथा तिलक के विचारों में धर्मशास्त्रियों का दूसरा कारण यह था कि तिलक रानाडे के समान उपदेशक को भूमिका स्वीकार नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि सामाजिक सुधार करने वालों की स्वयं अपने चरित्र एवं सामाजिक व्यवहार से परिवर्तन साकार करने उपरिप्त करना चाहिए। इस सम्बन्ध में तिलक ने रानाडे के एक आशुतोष शिरो के विचार का धार्मिक विरोध किया तथा रानाडे को बचपने व बचपने



को अपने तीव्र प्रहार का लक्ष्य बनाया। किन्तु यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि रानाडे ने श्रीमती रमाबाई के साथ विवाह करके अपने सिद्धांतों को तिलांजलि नहीं दी थी। उन्होंने दूसरा विवाह अपने पितामह की अन्तिम इच्छा की पूर्ति के रूप में किया था। आलोचना की दृष्टि से कर्तव्य एवं सिद्धांत के संघर्ष का यह उदाहरण अपने धाम में झूठा है। रानाडे को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रानाडे का यह व्यवहार उनके शिष्य गोखले की "क्षमा याचना की घटना" की याद दिलाता है। यदि हम इस घटना को विस्मृत कर दें तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि रानाडे ने समाज-सुधार की दृष्टि से जो कार्य किया वह महाराष्ट्र जैसे पुरातन पन्थी राज्य की स्थिति को देखते हुए अत्यन्त क्रांतिकारी कदम था। रानाडे ने अपने प्रगतिशील सामाजिक विचारों के कारण अपने विरोधियों से अपमानजनक व्यवहार को हर बार सहन किया। रानाडे के जीवन का एक उदाहरण इसे और भी अधिक स्पष्ट करता है। जब महादेव गोविन्द रानाडे ने पूना में स्वामी दयानन्द सरस्वती को 1875 में उपदेश देने हेतु आमन्त्रित किया तो सारे सनातन धर्मियों ने इसका पूरा विरोध किया। किन्तु रानाडे अपने पक्ष पर डटे रहे और अंत में जब स्वामी दयानन्द को हाथी पर बैठा कर पूना शहर की परिक्रमा के लिए निकाला गया तो रानाडे ने इस जुलूस का नैतृत्व किया। उनके विरोधियों ने उन पर पत्थर बरसाये एवं कीबड़ फेंका।<sup>39</sup> लेकिन रानाडे ने अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए यह गमस्त अपमान हँसते-हँसते स्वीकार किया। यह घटना रानाडे के सामाजिक आदर्शों व उनकी सहिष्णुता की याद दिलाती है। सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों की द्वेष दशा के लिए रानाडे ने बाह्य आक्रमणकारी तत्वों को उत्तरदायी बताया। सोरियन एवं मुसलमानों ने स्त्रियों को पुरुषों से निम्न स्थान प्रदान किया और उन्हें स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के उत्तराधिकार से वंचित किया था। इसके विपरीत भारत की प्राचीन धार्मिक सम्प्रदायों ने स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्मान मिलता था। हिन्दू-कानून में भी स्त्रियों को संरक्षण दिया गया था। किन्तु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस स्थिति को बदल दिया और समाज में कुरीतियाँ फैलने लगीं। अंग्रेजों के शासन में पुनः धार्मिक सम्प्रदायों की इस प्रवृत्ति को स्थापित करने का भ्रवसर मिला। स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ। उनके लिए पुरुषों के समान शिक्षा, सम्पत्ति, विवाह एवं व्यवसाय के भ्रवसर उपलब्ध हुए। यह भारत में अंग्रेजी शासन का ऐसा उपकारात्मक पक्ष था जिसे सामाजिक दृष्टि से रानाडे ने अत्यन्त महत्वपूर्ण माना था।<sup>40</sup>

रानाडे सामाजिक सुधारों की दृष्टि से शासकीय नियमन इस कारण से उचित मानते थे कि इसके द्वारा निष्क्रिय सुधारात्मक पक्ष अधिक सक्रिय हो उठता है। यदि सुधार के कार्य को ऐसे कार्यक्रम पर छोड़ दिया जाये, जिसमें प्रगति सूचक तत्वों की कमी और नये चरण बढ़ाने की प्रक्षमता हो तो सुधार नहीं लाये जा सकते। वे मानते थे कि शिक्षा के विस्तार एवं जनसाधारण की प्रबुद्धता के कारण सुधारों का मार्ग और भी प्रशस्त होगा किन्तु केवल इतना मात्र मानकर मौन नहीं रहना चाहिए था। इस स्थिति को उपयोगी बनाने एवं शिथिलता के बन्धनों को तोड़ने के लिए राज्य द्वारा उचित व्यवस्थापन आवश्यक एवं अपरिहार्य था।<sup>41</sup> व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को रानाडे ने कभी अल्प महत्व का नहीं माना, किन्तु सुधारों की दृष्टि से रानाडे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को

घाट में धार्मिक एवं सामाजिक भ्रष्टः पतन की स्वीकृति देने के इच्छुक नहीं थे। स्वतंत्रता का भयं भ्रम्य व्यक्तियों की समान स्वतंत्रता का सम्मान करना होता है न कि स्वयं की स्वतंत्रता के लिए भ्रम्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन करना। समाज-मुधार के व्यक्तिगत प्रयत्न चाहे कितने संतोषप्रद क्यों न हों, राज्य द्वारा किये गये प्रयत्नों के समान नहीं हो सकते। राज्य में बुराइयों की रोकथाम करने की प्रदुभुत क्षमता होती है। राज्य अपनी सामूहिक क्षमता में अपने श्रेष्ठ नागरिकों की विवेक, दया तथा परोपकारिता का प्रतीक है।<sup>42</sup> इसकी तुलना में व्यक्तिगत प्रयास धूमिल दिखाई देते हैं। जिस प्रकार राज्य भ्रम्य लोकोपयोगी कार्यों का दक्षता से निष्पादन करता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य द्वारा विवाह, विच्छेद, विधवाओं की स्थिति आदि के सम्बन्ध में उचित नियमन किया जाना चाहिए। अल्पवयस्कों की रक्षा के साथ-साथ विधवाओं का संरक्षण भी राष्ट्र की माननीय प्रवृत्ति का द्योतक है। जिस प्रकार सती-प्रथा, बाल-वध आदि को रोकने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा उसी प्रकार से भ्रम्य सामाजिक कुरीतियों जैसे बहु-विवाह, बाल-विवाह, विधवा-प्रथा आदि को भी राज्य के हस्तक्षेप द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। विधवाओं की घोर से या सामाजिक संरक्षण भुगत रहे प्राणियों द्वारा राज्य को ज्ञापन दिया जाये घोर फिर राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाये, यह कहाँ का न्याय है? रानाडे यह मानते थे कि समाज के ठेकेदार घातक एवं दमन के द्वारा शोषितों की आवाज दबाये रखते हैं। राज्य ऐसी स्थिति में केवल एक मूक दमक नहीं बना रह सकता। अच्छे तथा विधवा स्त्रियाँ स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकतीं घोर न कानून का स्वयं सहारा लेने में समर्थ हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह दमित एवं शोषित वर्गों की घोर सहायता का हाथ बढ़ाये घोर उन्हें आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करे।<sup>43</sup>

रानाडे ने मुधारों की प्रगति के मार्ग को अवलोक करने वाले तत्त्वों को घाटे हाथों लिया। यदि विदेशी सत्ता द्वारा मुधारों के कार्यों में हस्तक्षेप सत्ता के प्रभाव को बनाये रखने तथा निहित स्वार्थों की पूर्ति करने वाला हो तब तो संग्रह करना उचित है भ्रम्यया विदेशी सत्ता पर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रभाव डालकर उचित कानूनों के माध्यम से मुधारों की योजना को क्रियान्वित करना दोष रहित ही होगा। यदि पारसी, योजा मुसलमान तथा भारतीय ईसाइयों द्वारा सामुद्र के माध्यम से सामाजिक व्यवस्थापन का लाभ उठाया जा सकता है तो फिर, रानाडे के अनुसार, हिन्दुओं को इन कार्य में पीछे नहीं रहना चाहिए।<sup>44</sup>

रानाडे ने इस सदर्भ में यह भी व्यक्त किया कि मुधारों की माँग का अर्थ यह नहीं है कि हम अंग्रेजों की नकल करना चाहते हैं या पाश्चात्य तौर तरीके अपनाते चाहते हैं। रानाडे के अनुसार मूल उद्देश्य अपनी पुरानी स्थिति को पुनः प्राप्त करने का है। यदि हम वैदिक धर्ममन्त्रणा के स्वयं मापदण्डों की पुनर्स्थापति के लिए ऐसा करते हैं तो हममें दोष नहीं है। शास्त्रों ने जिन प्रतिबन्धों को रचाया है वे सब हमारे सामाजिक नियमों को अक्षत रखा है वे बेदोष नियमों के विरुद्ध हैं।<sup>45</sup> इन अक्षतों को दूर करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। रानाडे का यह भी मत था कि राज्य द्वारा पारित कानूनों की आवश्यकता का यह अर्थ नहीं है कि हम हमसे पहले किसी कानून के अन्तर्गत नहीं रहे।

हिन्दू-समाज को कानूनों ने प्रारम्भ से ही त्रियमित किया है और भविष्य में भी आवश्यक कानूनों द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। विवाह की आयु लड़कियों के लिए बारह वर्ष तथा लड़कों के लिए अठारह वर्ष निर्धारित होनी चाहिए।<sup>46</sup> इसके विपरीत किये गये विवाह मान्य नहीं होने चाहिए। यदि ऐसे विवाद न्यायालय द्वारा तय किये जायें तो न्यायालय को चाहिए कि उन्हें अवैध घोषित करें। विवाह के बाद पति-पत्नी के शारीरिक सम्बन्धों के स्थापित होने के पश्चात् ही विवाह को पूर्ण एवं अंतिम माना जाना चाहिए। रानाडे ने यह भी व्यक्त किया कि गोत्र, पिंड तथा सूतक का निर्णय भी विवाह के पूर्ण होने पर किया जाये। इससे बाल-विधवाओं के संकट का समाधान हो सकेगा।<sup>47</sup> पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त विधवाओं को स्वेच्छा से केशमुण्डन तथा अन्य नियंत्रणों से बद्ध होने का नियम हो। विधवाओं को पुनर्विवाह करने पर उनके पूर्वपति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार से वंचित न किया जाये। पचास वर्ष से अधिक आयु के विधुर तथा चौदह वर्ष से कम उम्र की कन्या का विवाह पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया जाये। इस प्रकार रानाडे ने समाज-सुधार का कार्यक्रम तथा तत्सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत किये। वे इन सुधारों को क्रमिक गति से प्रभावी करने में विश्वास करते थे। उनका उद्देश्य ग्रामूल-भूल तात्कालिक परिवर्तन लाने का नहीं था। वे यह मानते थे कि सामाजिक व्यवस्थापन का कार्य सहज नहीं है। इसमें लम्बा समय लगना स्वाभाविक है किन्तु प्रारम्भ यथाशीघ्र होना चाहिए ताकि कालान्तर में इन्हें प्राप्त किया जा सके। रानाडे ने इस कार्य के लिए शासन द्वारा एक जांच-आयोग नियुक्त करने का सुझाव भी दिया, जिसमें भारतीय एवं यूरोपीयन्स दोनों को ही सदस्य बनाया जाये। इससे अनेक नवीन सुझाव प्राप्त हो सकेंगे तथा जांच के द्वारा उन हितों को संरक्षण प्राप्त हो सकेगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है।<sup>48</sup>

रानाडे ने इलाहाबाद में आयोजित द्वितीय सामाजिक सम्मेलन के 1888 के परिशेषण में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि स्वैच्छिक सुधार-संगठनों को उनके अपने सदस्यों पर नियमों तथा दंडों का अनुपालन कराने की शक्ति दी जाये।<sup>49</sup> इस सम्बन्ध में उन्होंने कानून बनाने की भी मांग प्रस्तुत की। इससे पंजीकृत संगठनों द्वारा अपने सदस्य से उचित व्यवहार कराने सम्बन्धी नियंत्रण होगा और समाज में सुधारों की गति तीव्र होगी। रानाडे ने इसी प्रकार 1891 के अपने तामपुर-भाषण में यह विचार व्यक्त किया कि सामाजिक सुधारों के लिए व्यवस्थापन को अंतिम अस्त्र के रूप में ही प्रयुक्त किया जाये।<sup>50</sup> जब तक अन्य पद्धतियाँ सुधारों के लिए उपलब्ध एवं कारगर हैं, तब तक व्यवस्थापन का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। रानाडे ने सुधार की चार पद्धतियाँ बतलायीं।<sup>51</sup> पहली पद्धति के अनुसार सुधारों को परम्पराओं पर आधारित किया गया था और शास्त्रों के निर्णयों को मान्यता दी गयी थी। इस में शास्त्रों की व्याख्या पर जोर दिया गया था और उन पर नवीन आवश्यकता का हल आधारित किया था। रानाडे के अनुसार इस पद्धति का अनुसरण डा० भण्डारकर तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानन्द ने प्राचीन शास्त्रों की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। इसी पद्धति का प्रयोग सामाजिक सम्मेलन (सोशल कान्फरेन्स) ने विधवा-विवाह के संदर्भ में किया था। रानाडे के अनुसार दूसरी पद्धति शास्त्रार्थ की थी। इसमें व्यक्तियों पर प्रश्ने-बुरे, उचित-अनुचित, पाप-पुण्य आदि के सीधे-प्रभाव का प्रतिपादन किया गया था। इन

पद्धति के प्रयोगकर्ता सुधारक व्यक्तियों को उनके वचन एवं शक्तों से बांधने का प्रयास करते थे। सुधारकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली तीसरी पद्धति दंड की थी। यह दंड या तो जाति द्वारा निर्धारित था या राज्य द्वारा। इसमें चतुर व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टानियों पर नियंत्रण सामान्यहित में स्थापित किया जाता था। इस पद्धति में गुण भी थे तथा दोष भी। ऐसे इस पद्धति का प्रयोग तभी सम्भव था जब पहले की दो पद्धतियाँ असफल हो जायें, क्योंकि तीसरी पद्धति सुधारात्मक अधिक थी। चौथी पद्धति ग्रन्थों से सम्बन्ध विच्छेद कर अपना पृथक् अस्तित्व स्थापित करने की थी। रानाडे के अनुसार यह पद्धति अधिक दोषयुक्त है। इसके प्रयोग से निरंतरता भंग हो जाती है। सभी पद्धतियाँ एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हैं। चौथी पद्धति के प्रलावा दोष तीनों पद्धतियाँ सामाजिक सम्मेलन में स्वीकार करली गईं। रानाडे ने यह स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया कि सम्मेलन के सम्बन्ध में यह भ्रांति कि वह कानून के द्वारा सुधार लाने वाली संस्था है, गलत है।<sup>52</sup> रानाडे के अनुसार कानून के द्वारा समाज-सुधार के कार्य की आवश्यकता वही समझी जानी चाहिए जहाँ अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई हो। उन्होंने उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करते हुए बतलाया कि मद्रास उच्च-न्यायालय ने विवाह में कन्या-विक्रय का समर्थन किया जबकि बम्बई तथा बंगाल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय इसके विरुद्ध दिये।<sup>53</sup> रानाडे के अनुसार ऐसे मामलों में ही कानून बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। कानून द्वारा समाज सुधार तभी प्रयोग में लाया जाये जब उपर्युक्त पद्धतियाँ असफल हो जायें। रानाडे ने इसी प्रकार से मद्रास में हुए आठवें सामाजिक सम्मेलन (1894) में "समाज-सुधारों के पूर्वकालिक इतिहास" पर बोलते हुए कहा कि "समाज-सुधार का कार्य राज्य का कार्य नहीं हो सकता। इसका महत्व तभी है जबकि यह जनसामान्य द्वारा किया जाये ... .."<sup>54</sup>

सामाजिक चिंतन की दृष्टि से रानाडे पुनर्जागरणवादी नहीं थे। वे तत्काल के पुनर्जागरणवादी विचारों के विरुद्ध थे। उपवादी चिंतकों में लाला लाजपत राय ने रानाडे के उन विचारों की आलोचना की, जो उन्होंने भारतीय सामाजिक सम्मेलन के अमरावती भाषण में व्यक्त किये थे।<sup>55</sup> रानाडे ने अपने अमरावती भाषण में व्यक्त किया था कि क्या पुनर्जागरणवादी भारत को जाति-व्यवस्था के भेद-भाव को जागृत करना चाहते हैं? क्या वे भारत के गवर्नों की माँग एवं मदिरा सेवन को घटानाओं को दोहराना चाहते हैं? क्या वे हमारे पुराणों में बलिगत मनुष्यों एवं देवताओं की बिलसिता की कथाओं को पुनरावृत्ति करना चाहते हैं? क्या हम बारह प्रकार के विवाह तथा अर्धघ यौनाचार को पुनः प्रोत्साहन दें? क्या वे नियोग प्रथा द्वारा गन्तानोत्पत्ति चाहते हैं? क्या हम प्राचीन ऋषियों के कामानुर प्रसंगों को, जनमेज, नरमेज यज्ञों को, बामनागी शक्तों की दुराचारी विधियों को, मनो-प्रथा को तथा काशी-करवट, बटुपरतो-प्रथा अथवा बटुपति-प्रथा को पुनर्जीवित चाहते हैं? पुनर्जागरण सम्भव नहीं है। रानाडे ने मुद्राणवाद को ही अन्तिम मरण दस्तावेज।<sup>56</sup>

यद्यपि रानाडे के उपर्युक्त विचारों को पूर्ण तर्क-संगत नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके विचार एकपक्षीय हैं फिर भी यह निश्चित है कि रानाडे अपने तर्कों के माध्यम से भारतीय सामाजिक व्यवस्था की भूतकालिक रूपाओं को घोर अज्ञान अंधविश्वास हमारी

सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे थे।<sup>57</sup>

### रानाडे के धार्मिक विचार

रानाडे के धार्मिक विचार उनके सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों से जुड़े हुए हैं। उनका सामाजिक दर्शन उसी प्रकार धर्म से संयुक्त है, जिस प्रकार से उनका राजनीतिक दर्शन। रानाडे के धार्मिक विचारों के अध्ययन के बिना उनके राजनीतिक एवं सामाजिक विचार स्पष्ट नहीं हो सकते। स्वयं रानाडे ने इस संदर्भ में व्यक्त किया था कि तत्त्व-मीमांसा तथा समाजशास्त्र एक दूसरे से अत्यधिक सम्बन्धित हैं। मानव अस्तित्व के प्रश्न के निराकरण पर ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक समृद्धि आधारित है। यही तत्त्वमीमांसा नैतिकता, व्यवस्थापन तथा राष्ट्र-नीति को निर्धारित करती है।<sup>58</sup>

महादेव गोविन्द रानाडे अपने धार्मिक विचारों में अग्नि-विश्वास तथा असहिष्णुता का सदैव प्रतिकार करते रहे। वे बम्बई प्रार्थना-समाज के सदस्य बने तथा उन्होंने निराकार ब्रह्म की शिक्षा का जीवनपर्यन्त पालन किया। उनके धार्मिक विचारों पर महाराष्ट्र के सन्त विचारकों जैसे एकनाथ, तुकाराम आदि का विशेष प्रभाव पड़ा। वे अपनी दैनिक गति-विधियों में केवल भजन की ही ईश्वर-उपासना के रूप में मानते रहे। उनकी इस धार्मिक प्रवृत्ति ने उन्हें जातिवाद तथा धार्मिक संकीर्णता से सदैव अलग रखा। वे हिन्दू तथा मुसलमानों के साम्प्रदायिक विरोध का पक्ष नहीं लेते थे। वे समस्त अल्प-संख्यकों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाते पर बल देते रहे। उनके इन धार्मिक विचारों पर भारत के प्राचीन धार्मिक गौरव का प्रभाव नहीं था। पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य ने उन्हें अधिक उदारवादी बना दिया था, जिसके कारण वे हिन्दु-राष्ट्रवाद के रंग में नहीं रंगे। वे गुणों के विकास व चारित्रिक गठन पर अधिक बल देते थे। इसी कारण से वे पुनरभ्युदयवादी के स्थान पर सुधारवादी कहे जाने लगे। भारत की प्राचीन मान्यताओं को उन्होंने इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वेद व पुराणों की संस्कृति बदलते हुए समय के साथ नहीं चल सकती और इस कारण से हमें अपनी प्राचीन सभ्यता की हमेशा दुहाई नहीं देनी चाहिए। वे भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का कार्यक्रम चलाना चाहते थे। इस प्रकार वे विवेक को अधिक महत्त्व देते थे। गोधले उनके धार्मिक प्रवचनों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे।

रानाडे के धार्मिक विचारों का प्रवाह 1885 के बाद ही प्रारम्भ हुआ। 1878 तक रानाडे पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारतीय विद्वत्ता को हेय मानते रहे। किन्तु उनके विचारों में आकस्मिक परिवर्तन आया और बम्बई के प्रसिद्ध समाज-सुधारक दादोजी पांडुरंग के विचारों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने माना कि ईसाई धर्म में जीवन-मृत्यु की समस्याओं का उचित निराकरण नहीं मिलता। प्राचीन हिन्दूधर्म, दर्शन एवं रहस्यवाद दोनों में, ईसाई धर्म से श्रेष्ठ है।<sup>59</sup>

इससे पहले रानाडे ने प्रार्थना-समाज के माध्यम से धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में अपनी रुचि को परिष्कृत किया। प्रार्थना समाज के तीन प्रमुख सिद्धान्त थे, जो उसे सनातन हिन्दू धर्म से भिन्नता प्रदान करते थे :

1—ईश्वर एक है तथा निराकार है।

2—मूर्ति-पूजा अनुचित है अतः समाप्त की जानी चाहिए।

3—ईश्वर की उपासना ध्यान, प्रार्थना एवं सत्कार्यों के माध्यम से होनी चाहिए।<sup>60</sup>

इन सिद्धान्तों के अलावा प्रार्थना-समाज के सदस्यों पर पर में अथवा मन्दिर में मूर्तिपूजा करना, जाति-भेद को मानना, बाल-विवाह, विधवा-प्रथा आदि को बढ़ावा देना निषिद्ध था। रानाडे ने इन्हीं विचारों को व्यवस्थित करने की दृष्टि से एक विस्तृत लेख "एथीईस्ट्स कॉन्फेसन ऑफ फेथ" 1868 में प्रकाशित किया। इस लेख में रानाडे ने धार्मिक ज्ञान, ईश्वर, परमात्मा तथा आत्मा का सम्बन्ध तथा पाप आदि का विवेचन किया।<sup>61</sup>

रानाडे ने नास्तिकतावादी विचारों की आलोचना करते हुए धार्मिक भावना का पूर्ण समर्थन किया। उनके विचार आगरकर से भिन्न थे। रानाडे ने धर्म के सम्बन्ध में कहा था, "हिन्दुओं के लिए धर्म उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मिल तथा स्पेन्सर के विचारों का इंग्लैण्ड के लिए कुछ भी महत्व हो, भारत के लिए उनका कोई उपयोग नहीं।"<sup>62</sup> उन्होंने शिक्षण-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण का सुझाव भी दिया। हिन्दू-धर्म-शास्त्र का गूढ़ अध्ययन कर रानाडे ने स्त्रियों के अधिकारों का पक्ष समर्थित किया। 1886 में मद्रास में रानाडे ने "हिन्दू आइडियल्स ऑफ ड्यूटी" पर भाषण दिया और यह स्पष्ट किया कि हिन्दुओं के सिवाय और कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें कर्तव्यों पर इतना अधिक बल दिया गया हो।<sup>63</sup> 1887 में रानाडे ने एक और महत्वपूर्ण धार्मिक विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईसाइयों के धर्म से भिन्न हिन्दुओं का धर्म उन्हें रोटी के लिए प्रार्थना करना नहीं सिखाता। हमारा धर्म यह कहता है कि हम ईश्वर द्वारा दान संसार में सुख का उपभोग करने के लिए नहीं भेजे गये अपितु इस अभिप्राय से भेजे गये हैं कि हम आगे के जीवन की तैयारी कर सकें। उनके अनुसार हिन्दू-धर्म की श्रेष्ठता ही भारतीयों की प्रत्येक शक्ति में श्रेष्ठता का कारण है।<sup>64</sup> हिन्दू-धर्म की प्राचीनता और उसके निरंतर संपर्क के दीर्घ इतिहास के आधार पर रानाडे ने हिन्दू-धर्म के उज्ज्वल भविष्य की अविनाशिता को पुष्ट किया। उनके अनुसार यदि अल्पसंख्यक महर्षियों को विस्मयकारी ईश्वरीय विद्यान बतलाया गया है तो फिर मानव-जाति के पाचवे भाग (हिन्दू) का विस्मयकारी अस्तित्व केवल संयोग मात्र नहीं है।<sup>65</sup>

रानाडे ईश्वरवादी थे। ये मानते थे कि ईश्वर द्वारा प्रकृति का निर्माण एवं नियमन किया जाता है। माय-माय उनका यह भी मत था कि ईश्वर के नियंत्रण के बाहर मनुष्य का एक ऐसा भी पक्ष है, जिसमें वह अपने कार्यों के लिए स्वयं नैतिक रूप से उत्तरदायी है। इस ईश्वरवादी दृष्टिकोण का प्रमुख आधार निष्ठा या विश्वास है। विवेक भी ईश्वर का शान जागृत करता है। इस प्रकार रानाडे विवेक एवं निष्ठा दोनों को समान महत्व देने हैं। उनके द्वारा नियति एवं स्वतन्त्र इच्छा दोनों का सुन्दर समिश्रण प्रस्तुत किया गया है।<sup>66</sup> वे नैतिक धर्म को स्वीकार करने वाले ईश्वरवादी थे। ऐसे श्रृष्टाणु एवं व्यक्तित्व ईश्वर में उनकी निष्ठा थी जो विश्व का रक्षित, प्राकृतिक नियमों का नियंत्रक तथा मानव की प्रसन्नता का हेतु है। पुरुष तथा प्रकृति से भिन्न शिन्तु उनकी नियंत्रक सर्वोच्च शक्ति ही ईश्वर है। ईश्वर जो वित्त प्राणियों के समान है तथा एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में है। वह सब कारणों का कारण, अज्ञान, अविनाशी, अज्ञान का सर्वोच्च कारण, विवेक, अज्ञान, प्रेम, अज्ञान एवं अविज्ञान में सर्वोच्च, स्वामी, पिता, अज्ञानी तथा सर्वोच्चों का नैतिक दाता है।<sup>67</sup> रानाडे ईश्वर के अस्तित्व के अस्तित्व में अज्ञान-सौभाग्य, अज्ञानीय तथा

सोद्देश्यवादी तीनों ही प्रकार के मतों को स्वीकार करते हुए सोद्देश्यवादी मत को अधिक महत्व देते थे। वे इतिहास को ईश्वर के विधान का प्रतिफल मानते थे। ईश्वर की सत्ता की वे आत्मा की क्षमता का विकास करने वाली व्यवस्था मानते थे। वे द्वैतवादी थे क्योंकि उनकी दृष्टि में मानवीय आत्मा ईश्वर के सदृश नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अमर है और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति-योग, कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों ही से श्रेष्ठ है। व्यक्ति ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। उसे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखना चाहिए। वे पुनर्जन्म के बारे में निश्चित धारणा नहीं रखते थे, किन्तु आत्मा की अमरता में उन्हें अटूट विश्वास था।<sup>68</sup> परमात्मा की नैतिक सत्ता तथा अंतःकरण की प्रेरणा उनकी आध्यात्मिक विचारधारा की धुरी थी।

### रानाडे के आर्थिक विचार

भारत की शोचनीय आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में रानाडे के विचार विलियम डिवी तथा दादा भाई नौरोजी से भिन्न थे। रानाडे का विश्वास था कि भारत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति के लिए निर्गम-सिद्धान्त उचित स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत करता।<sup>69</sup> वास्तविक कारण भारत के धरेलू उद्योग-धन्धों का ह्रास तथा भारत की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को माना।<sup>70</sup> भारतीय कृषि की प्रकृति पर निर्भरता स्थिति को और भी जटिल बनाने वाली थी। वे भारत की आर्थिक समस्याओं का निराकरण चाहते थे। वे जनता की आर्थिक दरिद्रता के दाहण पक्ष से भलीभांति परिचित थे। वे मानते थे कि भारत की अधिकांश जनता दुर्भिक्ष एवं क्रमिक मृत्यु के कगार पर खड़ी थी। नवीन उद्योगों की स्थापना तथा औद्योगीकरण की मात्रा में वृद्धि ये दो मार्ग थे जिन पर चलकर भारत की निर्धनता को दूर किया जा सकता था किन्तु रानाडे इन दोनों मार्गों की कठिनाइयों से भी परिचित थे।<sup>71</sup> उनका यह विश्वास था कि पूंजी की कमी के कारण भारत का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो रहा था। ऋण देने की व्यवस्था भी इतनी पुरातनपंथी थी कि इसके कारण नये उद्योगों के लिये प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त नहीं हो सकता था। और इस पर अंग्रेजी शासन की विरोधी नीति थी, जो भारतीयों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही थी। उन्होंने इस विषय स्थिति का प्रतिकार करने के लिए 'इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इण्डिया' गठित किया तथा 1890 में पूना में प्रथम औद्योगिक परिषद् आमन्त्रित की गयी। 1892 में पूना के रेस्कन कालेज में उन्होंने भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर भाषण दिया।<sup>72</sup>

आर्थिक क्षेत्र में रानाडे ने धर्मविवाद की मान्य धारणाओं के विपरीत विचार व्यक्त किये। वे "यद्बुधाव्यम्" अर्थात् कम से कम हस्तक्षेप के सिद्धान्त के विरोधी थे। उनका यह विश्वास था कि सार्वजनिक अर्थ-व्यवस्था के हित में राज्य का तटस्थ रहना उपयुक्त नहीं है। वे भारत के सन्दर्भ में राज्य के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने के पक्ष में थे। रानाडे ने दादाभाई नौरोजी से भिन्न विचार प्रतिपादित करते हुए व्यक्त किया कि भारत की आर्थिक विपन्नता 'निर्गम-सिद्धान्त' से स्पष्ट नहीं होती। वे भारत की निर्धनता के लिये भारत के अल्प औद्योगिक विकास तथा भारत की कृषि प्रधानता को दोषी मानते थे। उनके अनुसार भारत की आर्थिक दुर्दशा राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के रवंधे के कारण नहीं मुघरी। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की अहस्तक्षेप की नीति का विरोध किया<sup>73</sup> और यह

सुझाया कि भारत की आर्थिक प्रगति के लिये शासन द्वारा सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाये। वे उन्मुक्त-व्यापार के समर्थक नहीं थे क्योंकि इस प्रकार के व्यापार में भारतीय उद्योगपतियों के लिए अंग्रेज उद्योगपतियों से स्पर्धा करना सम्भव नहीं था।<sup>74</sup> उनके अनुसार भारत की सहकारिता पर आधारित आर्थिक व्यवस्था मृत प्रायः हो गयी थी। व्यक्तिगत व्यवसाय व क्रियाकलाप भी पूंजी की प्रत्यता के कारण समाप्त प्रायः थे। प्रतः उन्होंने भारतकी आर्थिक प्रगति के लिए ब्रिटिश शासन में सहयोग प्राप्ति के कार्य को अधिक महत्व दिया। वे प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर लिस्ट के विचारों से प्रत्यधिक प्रभावित थे।<sup>75</sup> लिस्ट के समान उनका भी यह मत था कि उद्योगों की प्रारम्भिक अवस्था में राज्य का संरक्षण अत्यावश्यक है। रानाडे ने भारत में उन्मुक्त-व्यापार समाप्त करने तथा भारत का औद्योगिक विकास करने के लिए ब्रिटिश शासन का ध्यान आकृष्ट किया।<sup>76</sup> उन्होंने सरकारी उद्योगों में लगने वाली सामग्री के भारतीय करण का सुझाव दिया। वे चाहते थे कि भारतीय रेल आदि विभाग अपने समस्त कल-गुजों की आवश्यकता की पूर्ति भारत में निमित्त माल से ही करें।<sup>77</sup> भारतीय शासन निजी व्यवसायियों को धन उपसन्ध कराये और कुशल कारीगरों की नियुक्ति कर उन्हें भारतीय तकनीकी संस्थानों में उच्च प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रकार रानाडे ने भारत के औद्योगिकरण के लिए राज्य के क्षेत्राधिकार का विस्तार स्वीकार किया। वे उत्पादित वस्तुओं के उचित वितरण में विश्वास करते थे और इस कारण उन्होंने उद्योगों के समुचित प्रबन्ध का सुझाव भी प्रस्तुत किया।

महादेव गोविन्द रानाडे भारतीय आर्थिक चिन्तन के क्षेत्र में भारत की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे। इन आर्थिक प्रगति के लिए रानाडे ने भावी नीतियों का समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनके द्वारा भारतीय आर्थिक जीवन का वर्गीकृत विवरण भावी अर्थशास्त्रियों का मार्गदर्शक बना।<sup>78</sup>

### रानाडे का योगदान

महादेव गोविन्द रानाडे को भारत में "मार्क्सजिनिक जीवन का पिता" कहा जाता है।<sup>79</sup> रानाडे ने शासकीय सेवा में होते हुए भी इतनी उपलब्धियां प्राप्त की, जो अपने पाप में एक कीर्तिमान हैं। वे व्यक्तिगत उत्कर्ष अथवा यश के लिए लालायित नहीं रहे। गोखले के अनुसार रानाडे में प्रहमंग्यता नेशनल भी न थी। पवित्र जीवन एवं उदारवाद उनके जीवन के स्तम्भ थे। उनका जीवन तथा कार्य उनके समकालीन दादाभाई नौरोजी, गोपालहरि देशमुख, किरोडशाह भेट्टा, कामोनाथ ट्यम्बक संलग्न, ज्योतिबा फूले, धारकर, तिसक, मालाबारी आदि से भिन्न था। वे ज्ञान्ति एवं आत्मानुशासन के प्रतीक थे। उनका मन्त-मन्त व्यक्तित्व उनके भारत व्यापी सम्मान एवं श्रद्धा का कारण था। गोखले ने एक बार कहा था कि यदि रानाडे कुछ जन्मादिश्यों पहले जन्मे होते तो उनका स्थान एतनाथ या मन्त लुकाराम के समान होता।<sup>80</sup>

रानाडे भारत में राष्ट्रवाद के सुदृष्टा थे। वे भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में वे थे और राष्ट्रवाद की स्थापना में वे ही पहले दृष्टु-प्रवृत्त तथा मार्क्सजिनिक समाजवाद के आन्दोलन में जनता के राजनीतिक शिक्षण का कार्य करते रहे। राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी थे, किन्तु उनका राष्ट्रवाद उच्च-राष्ट्रवाद या स्वतन्त्रता की भावना नहीं था।



राष्ट्रवाद नहीं था। रानाडे का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक एवं मानवीय राष्ट्रवाद था। उन्हें भारत के जातीय गौरव तथा भारत की प्रचीनता पर गर्व था।<sup>81</sup> एक दूरदर्शी राजनेता प्रखर चिन्तक, दृढ़ देशभक्त, समाज सुधारक, चिन्तन-पुरुष, मार्गदर्शक, विद्वान इतिहासविज्ञ, महान् अर्थशास्त्री<sup>82</sup> रानाडे भारतवासियों के लिए विश्व पटल पर सम्मानपूर्ण स्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्हें भारत के उज्ज्वल भविष्य का पूर्वज्ञान प्राप्त हो गया था। रानाडे ने कहा था, "हमारा देश एक उदीयमान कर्मभूमि है। हमारी प्रजाति एक प्रतिष्ठित प्रजाति है। ईश्वर ने अकारण ही भार्यावर्त की इस प्राचीन भूमि पर अपने श्रेष्ठ वरदानों की वृष्टि नहीं की है। हम इतिहास में ईश्वर की कृति देख सकते हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत को एक सभ्यता तथा धार्मिक एवं सामाजिक राज्य व्यवस्था विरासत में मिली है, जिसे समय की विशाल रंगशाला में अपने स्वतन्त्र विकास का अवसर मिला है। हमारे यहां कोई क्रांति नहीं हुई फिर भी पुरानी स्थितिया आत्मसात्करण की प्रक्रिया से सुधरती जा रही हैं। विश्व के महान् घर्मों का यहां जन्म हुआ और भव वे बंधुओं की तरह मिल कर एक ऐसे उच्च विधान के स्वागत के लिए तत्पर हैं जो सब को एकाकार कर दे, सब में जीवन का संचार करदे। विश्व के समस्त देशों में भारत ही एक मात्र देश है जिस पर ऐसी कृपा हुई है और इस मनन से हम आन्तरिक अभिलाषा की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।"<sup>83</sup> □ □

### टिप्पणियाँ

1. टी. वी. पावेंते, महादेव गोविन्द रानाडे : ए बायोग्राफी, (एशिया, बम्बई, 1963) पृ. 1
2. पी. जे. जागीरदार, स्टडीज इन दी सोशल थॉट ऑफ एम. जी. रानाडे, (एशिया, बम्बई, 1963) पृ. 4
3. वही, पृ. 4-5
4. वही, पृ. 6-7
5. जी. ए. मांकड, ए स्केच आफ दी लाइफ एण्ड वर्क ऑफ रानाडे, घण्ट 2 (बम्बई, 1902) पृ. 35
6. रमा बाई रानाडे, रानाडे : हिज़ लाइफ रेमिनिसेन्सेज, (पब्लिकेशन्स डिवीजन, नई दिल्ली, 1963) पृ. 32
7. देखिये जागीरदार, पृ. 8-9
8. वही, पृ. 1
9. जेम्स केलीक, महादेव गोविन्द रानाडे : पेइवियट एण्ड सोशल सर्वेंट (एसोसिएशन प्रेस, बलकत्ता, 1926) पृ. 120
10. बी मिसेलेनियस राइटिंग्स आफ एम. जी. रानाडे, (मनोरंजन प्रेस, बम्बई, 1915) पृ. 117
11. जागीरदार, पृ. 9
12. मिसेलेनियस राइटिंग्स, पृ. 78
13. कोलास्कर द्वारा संकलित, महादेव गोविन्द रानाडे : रिस्पोन्सिव एण्ड सोशल रिफॉर्म (गोपान नारायण एण्ड को. बम्बई, 1902) पृ. 103
14. वही, पृ. 26-27
15. मिसेलेनियस राइटिंग्स, पृ. 80
16. वही, पृ. 82
17. जेम्स केलीक, पृ. 111
18. जागीरदार, पृ. 12
19. जेम्स केलीक, पृ. 111

20. जागीरदार, पृ. 10
21. मिलेलेनिपस राइटिंग्स, पृ. 172
22. जागीरदार, पृ. 11-12
23. देविचे श्रीमराव अम्बेडकर, रानाडे, गांधी एण्ड मित्रा, (पेंकर एण्ड को., बम्बई, 1943) पृ. 32
24. महादेव गोविन्द रानाडे, राइज ऑफ दी मराठा पावर (पुनलेकर एण्ड को., बम्बई, 1900) पृ. 57
25. बहो, पृ. 171-172
26. बहो, पृ. 4-7
27. जागीरदार, पृ. 10
28. बहो
29. बहो, पृ. 97
30. बहो
31. बहो, पृ. 98
32. बहो
33. बहो
34. बहो
35. पाचेंते, पृ. 221-225
36. बहो, पृ. 225
37. बहो, पृ. 231
38. मिलेलेनिपस राइटिंग्स, पृ. 132
39. जागीरदार, पृ. 9
40. अप्पाडोराय, डोक्यूमेंट्स ऑन पोलिटिकल थॉट इन मोडर्न इण्डिया, खण्ड 1, पृ. 110
41. बहो, पृ. 111
42. बहो,
43. बहो, पृ. 112
44. बहो, पृ. 113-114
45. बहो, 116
46. बहो, पृ. 117
47. बहो, पृ. 118
48. बहो, पृ. 118-119
49. बहो, पृ. 119
50. बहो, पृ. 121
51. बहो
52. बहो
53. बहो, पृ. 122
54. बहो
55. देविचे साता सात्रपत राज : हो येन इन रिज बहें, (नरेगन, मद्रास, 1907) पृ. 126
56. मिलेलेनिपस राइटिंग्स, पृ. 180-197
57. जागीरदार, पृ. 31
58. रिपब्लिक एण्ड लोकल रिफॉर्म, पृ. 5
59. जागीरदार, पृ. 11
60. बहो, पृ. 7
61. बहो, पृ. 8
62. एन. आर. वाटव, राजाई बरिब, पृ. 371, अःरोस्ताइ इला पृ. 12 वर वरुदु"

63. वही
64. वही
65. देखिये डॉ. एस. शर्मा, हिन्दूधर्म प्रू बी एजेस, (विद्या-भवन, बम्बई, 1967) पृ. 87-88
66. रिसेजस एण्ड सोशल रिफार्म, पृ. 257-263
67. वही, पृ. 262-263
68. वही, पृ. 265-272
69. महादेव गोविन्द रानाडे, एसेज इन इण्डियन इकोनोमिक्स, पृ. 177
70. वही. पृ. 174
71. वही, पृ. 176
72. वही, पृ. 166-167
73. जागीरदार, पृ. 13
74. वही, पृ. 117
75. वही, पृ. 123
76. वही, पृ. 121
77. वही, पृ. 124-126
78. पार्वते, पृ. 183
79. वही, पृ. 310
80. वही
81. निसेलेनियस राइटिंग्स, पृ. 89-90
82. डॉ. जी. कर्वे, रानाडे : बी प्रोसेट ऑफ लिबरेटेड इण्डिया (आयंभूयण प्रेस, पूना 1942) पृ. 1
83. रानाडे पार्वते द्वारा उद्धृत, पृ. 222

## दादाभाई नौरोजी (1825-1917)

दादाभाई नौरोजी का जन्म 1825 ई० में गुजरात के नवसारी जिले में हुआ था।

बाल्यकात्त में ही पिता के देहावसान से उनकी शिक्षा का भार उनकी माता पर पड़ा। उनकी माता ने पारसी-समुदाय की धार्मिक सहायता से उन्हें मया सम्भव शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया। दादाभाई अत्यन्त मेधावी छात्र थे। अपनी प्रकृतिय प्रतिभा के कारण वे प्रथम श्रेणी में निरन्तर उत्तीर्ण होते रहे और एक दिन वे एन्फिन्सटन कालिज बम्बई में गणित के व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए। ये इस पद पर बम्बई में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। शनैः शनैः दादाभाई नौरोजी ने समाज-सेवा एवं देश की राजनीतिक चेतना का कार्य भी प्रारम्भ किया। 1853 में "बम्बई अगोसिपेसन" के संस्थापकों में से दादाभाई नौरोजी भी एक थे। गणित के व्याख्याता के पद पर दादाभाई नौरोजी धार्मिक समय तक नहीं रहे। अपने एक मित्र के सामन्तल पर दादाभाई नौरोजी ने इम्पेन्ड जाकर कामा एन्ड कम्पनी के साथ अपना व्यावसायिक जीवन प्रारम्भ किया। स्ववसाय की देखरेख के साथ साथ दादाभाई ने पत्रकारिता के माध्यम से भारत की धार्मिक दुर्दशा का गम्भीर विवेचन भी किया। उनकी प्रेरणा से 1867 में सन्तन में "ईस्ट इन्डिया अगोसिपेसन" की स्थापना हुई। दादाभाई नौरोजी सन्तन के पास एक उपनगर के छोटे से कमरे में जीवन निर्वाह करते थे, जिसमें दादाभाई नौरोजी तथा उनकी बिराबे एवं अग्रजों के अलावा कुछ भी नहीं था। अपने सन्तन प्रवास के दौरान दादाभाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था का गंभीर अन्वेषण कर हास्यबद्ध एवं मशीन दृष्टिकोण विकसित किया। उनकी भारतीय बित्त सम्बन्धी विज्ञान के कारण उन्हें ब्रिटिश संसद की "फासेट भारतीय बित्त-प्रश्न-समिति" के समस्त पचाही देने के लिए आमन्त्रित किया गया। दादाभाई नौरोजी ने इम्पेन्ड में रह कर तेन्दुन सिन्डिकेरो-निर्वाचन-सोच से ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव मझा और वे 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे।<sup>1</sup> किसी भारतीय के लिए ब्रिटिश संसद का सदस्य निर्वाचित होना उस समय की महान घटना थी। दादाभाई ने पुनः संसद के लिए चुनाव मझा परम्पु पराजित हुए। 1897 में उन्हें भारतीय बित्त-अन्वेष सम्बन्धी वेल्को-बर्मीनग के समस्त अपनी गिराविलो प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित किया गया। 1901 में दादाभाई नौरोजी की प्रकृत दुर्घटन पारसी एन्ड अन्वित्तिक कल इन इन्डिया सन्तन में प्रकृत हुई, जिसमें उन्होंने बर्मीनग द्वारा भारत के सेवा का विस्तृत एवं सर्वोत्तम विवेचन किया। एक दृष्टि से उनका यह दन्व भारतीय राजनीतिक एवं समाजकारी विज्ञान में धार्मिक दृष्टिकोण का महत्त्वपूर्ण अंश था। उनकी सेवा से रोमेन्सवाइ इन कला

गोखले ने भी आर्थिक "निर्गम-सिद्धान्त" (ड्रेन थिअरी) का प्रयोग किया। दादाभाई नौरोजी की प्रतिभा तथा उनके असन्दिग्ध देशप्रेम के कारण उन्हें भारतीय श्रद्धा से "दि येन्ड थ्रोल्ड मेन ग्राफ इण्डिया" कहा करते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक रही कि वे तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किये गये।

### राजनीतिक विचार

भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक उन्नति में पूर्णविश्वास रखने वाले दादाभाई नौरोजी अपने राजनीतिक विचारों के कारण उदारवादियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अपनी उदारवादी नीति के कारण वे अंग्रेजों के विवेक एवं उनकी न्यायप्रियता के प्रशंसक थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों के शासन के अन्तर्गत भारत का भविष्य सदैव उज्ज्वल रहेगा। वे रानी विक्टोरिया द्वारा की गयी 1858 की घोषणा से अत्यधिक प्रभावित हुए तथा मानने लगे कि इस घोषणा के क्रियान्वयन का कार्य शीघ्र पूरा होगा। उन्हें अंग्रेजों द्वारा भारत को सभ्य बनाये जाने वाले पुनीत कार्य में भी विश्वास था। उनकी यह धारणा थी कि अंग्रेजों का शासन भारत के चहुँमुखी विकास के लिए दैविक वरदान का कार्य करेगा।<sup>2</sup> जब कभी भी उन्हें अवसर मिला तब तब वे भारत पर किये गये अंग्रेजों के उपकार का वर्णन करने से पीछे नहीं रहे। अपने कलकत्ता कांग्रेस के सभापतित्व में उन्होंने यहाँ तक व्यक्त कर दिया कि अंग्रेजों का उस समय तक भारत में बने रहना आवश्यक है जब तक कि भारतीयों को वे स्वावलम्बी बनाने सम्बन्धी अपना न्यासिता का उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते। उनका यह विश्वास था कि वह दिन दूर नहीं है जब कि विश्व के सामने इंग्लैंड भारतीयों के साथ समान मेश्री का उच्चादर्श प्रस्तुत करेगा। अपनी इसी धारणा के कारण दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैंड तथा भारत के उद्देश्यों में विषमता के म्यान पर समानता के दर्शन किये। वह यह निरन्तर कहते थे कि यदि हम उचित माँगों को अंग्रेजी शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो कोई कारण नहीं कि अंग्रेज उन्हें स्वीकार न करें। हमें अंग्रेजों की सत्यप्रियता में पूरा भरोसा होना चाहिए। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी अंग्रेजी शासन तथा सभ्यता के महान् प्रशंसक रहे।

दादाभाई नौरोजी ने अपने उदारवादी या मितवादी दृष्टिकोण के कारण प्रार्थना एवं याचिका का मार्ग अपनाया। उनकी दृष्टि से यह पद्धति तत्कालीन परिस्थितियों में अत्यन्त उपयोगी पद्धति थी तथा वे इस पद्धति को सशक्तप्रतिरोध से भी अधिक मूल्यवान् समझते थे। शायद दादाभाई नौरोजी का यह विचार सत्य के अत्यधिक निकट था। उन दिनों में ब्रिटिश शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था तथा भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने वाला तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाला कोई संगठन विद्यमान नहीं था। कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थिति में अन्तर आया फिर भी 1905 तक राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रचारित पक्ष उदारवादी अथवा मितवादी ही बना रहा। अतः दादाभाई भी अपने समय के अनुकूल उदारवादी रहे किन्तु उनका यह उदारवाद उनके समय के अन्य उदारवादियों से अधिक उन्नत था। वे कहा करते थे कि अंग्रेजों को याचिकाएँ प्रस्तुत करने का अर्थ कोई भिन्ना-वृत्ति नहीं है। उनके अनुसार जिम तरह औपचारिकता में "विश्वासपात्र सेवक" प्रार्थना पत्रों पर लिखा जाता है उसी तरह से यह याचिकाएँ भी औपचारिक शिष्टता के कारण अधिक नम्र भाषा में ही लिखी जा सकती हैं। किन्तु ये

याचिकाएं अधिकारों के लिए, न्याय के लिए तथा सुधारों के लिए थी ताकि ब्रिटिश संसद यह जान सके कि भारतीयों की अभिलाषाएं क्या हैं तथा भारतीय जनता किस प्रकार से गोचरती है। अपनी इसी वैचारिक स्वतन्त्रता व मौलिकता के कारण दादाभाई कड़ा करते थे कि स्वतन्त्रता ब्रिटिश साम्राज्य के घन्तगंत रहने वाले प्रत्येक भारतीय को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। ब्रिटिश ध्वज के घन्तगंत घाने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। किन्तु दादाभाई नौरोजी न तो भारतीयों के जन्मसिद्ध अधिकार की मांग कर रहे थे जैसे कि बाद में लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की और न दादाभाई प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्तों की दुहाई देकर रूसों के समान स्वतन्त्रता की बात ही साना चाहते थे। वे इन अधिकारों को अंग्रेजों की दयासुता एवं उनके पारिविक लक्ष्य पर निर्भर मानते थे।<sup>3</sup>

दादाभाई नौरोजी ने अपनी सुधारवादी वृत्ति के कारण समस्त प्रकार के सुधारों के लिए अंग्रेजी शासन का सहारा लेना उचित ठहराया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार-योजनाएं ब्रिटिश शासन के सम्मुख प्रस्तुत कीं। दादाभाई नौरोजी को एक माँग यह रही कि प्रशासनिक सेवाओं में अधिक से अधिक भारतीयों को नियुक्त किया जाये। उनका यह गुस्सा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। वे एक और अंग्रेजी शासन की घममानता व भेदभाव की नीति को चुनौती दे रहे थे तो दूसरी ओर वे सुनिश्चित एवं इंग्लैण्ड में उच्च प्रतिशत-प्राप्त भारतीयों की रोजगार की समस्या का हल प्रस्तुत कर रहे थे। दादाभाई नौरोजी ने अपनी माँगों के घन्तगंत एक माँग यह भी रखी थी कि भारत को मीड्य ही प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं से मुक्त किया जाये। उनका यह गुस्सा उनकी दूरदर्शिता का परिष्पक था। इस योजना के घन्तगंत भारत सरलता से सुशासन की ओर बढ़ने हुए एक पूर्ण लोकतांत्रिक राज्य बन सकता था। इसी प्रकार से दादाभाई नौरोजी भारत के धार्मिक पुनर्निर्माण के लिए भी चिन्तित थे। वे चाहते थे कि इंग्लैण्ड तथा भारत के धार्मिक सम्बन्धों में मधुरता बनी रहे किन्तु साथ ही साथ इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों में ही समानता के घाटनों का पालन किया जाये। वे चाहते थे कि इंग्लैण्ड भारत को कच्चे मान की छान तथा तैयार मान की मण्टी मात्र न माने। इसके विपरीत अंग्रेजों का यह दावित्व है कि वे भारत की धार्मिक प्रगति के लिए उदार शर्तों पर धायत-निर्वात निर्धारित करें ताकि भारत की धार्मिक सम्पदा में वृद्धि हो तथा भारत की गरीबी तथा घात-विपन्नता का निराकरण किया जा सके। वे भारत की समृद्धि के साथ ही साथ अंग्रेजों की समृद्धि को जुड़ा हुआ मानते थे।

दादाभाई नौरोजी का यह विश्वास था कि भारत की राजनीतिक सन्नता के लिए भारत की धार्मिक स्थिति उत्तरदायी है। वे इन धार्मिक संघटनों को भारत के नैतिक एवं धार्मिक पतन का मूलकारण मानते थे। उनके अनुसार भारत में व्यापार करने वाले अंग्रेज दूतोंवर्गीयों ने लागूवायी धार्मिक को व्यापार से बन्धित कर दिया। यही कम प्रशासनिक सेवाओं में भी चरता रहा। स्वतन्त्र तथा प्रशासन दोनों में ही दबावित्व एवं निररहण होकर भारतीयों ने स्वतन्त्र निर्णय की स्थिति एवं धार्मिकविश्वास की घात खो दी। इस प्रकार विदेशी शासन ने भारतीयों को वृद्धि, वैभव एवं स्वतन्त्रता से बन्धित कर दिया।<sup>4</sup> दादाभाई नौरोजी का यह विश्वास प्रभाव रहा कि भारतीयों

इन खोई हुई प्रतिभाओं को पुनः प्राप्त किया जाये। भारत के खोये हुए आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए उन्होंने व्यवस्थापिकाओं के सुधार पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक भारतीयों को प्रतिनिधि शासन का लाभ प्राप्त हो सके। किसी प्रकार वे भारत में होने वाले वित्तीय खर्च पर भारतीयों के नियन्त्रण का स्वप्न देखने लगे ताकि भारत में स्वशासन की स्थापना हो सके तथा भारतीय धन का इंग्लैण्ड निर्गमन न हो सके। अपने इन विचारों के समर्थन में दादाभाई नौरोजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों का शासन भारत में इन सुधारों की मांग को अधिक दिन तक नहीं टाल सकता। यह कहना कि भारतीय पहले प्रतिनिधिशासन के लायक बन जाये इसके बाद उन्हें प्रतिनिध्यात्मक शासन से विभूषित किया जायेगा, उन्हें अतार्किक प्रतीत होता था। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी एक उदारवादी से शर्नः शर्नः स्वराज्यवादी बनते चलते गये। 1906 के अपने अद्यक्षीय भाषण में कांग्रेस-अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने भारतीयों को स्वराज्य शब्द का मन्त्र पहली बार कांग्रेस-मंच से प्रदान किया और यह व्यक्त किया कि बदलते हुए समय के अनुसार अब भारतीय जनता केवल सुशासन तक ही सीमित नहीं रखी जा सकती किन्तु उसे स्वशासन की भी आवश्यकता है। यद्यपि यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 1906 के कलकत्ता-अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रोचित स्वराज्य शब्द कांग्रेस के उदारपन्थियों पर उपवादियों द्वारा घोषी गयी शर्तें थी। उपवादियों को इस अधिवेशन के सभापतित्व से दूर रखने के लिए जहां एक ओर दादाभाई नौरोजी को सभापति चुना गया तो दूसरी ओर उनके मुंह से स्वराज्य शब्द का सिंहाद कराकर उपवादियों के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष कांग्रेस ने तिरोहित कर दिया।

### दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचार

दादाभाई नौरोजी के चिन्तन का आर्थिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। एक दृष्टि से उन्हें भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद के उन्नायक का श्रेय दिया जाता है। पाषण्डे एण्ड अन-ब्रिटिश क्लब इन इन्डिया में दादाभाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बृहत् व्याख्या की है। उन्होंने भारत से पूँजी के निर्गम-सिद्धान्त का प्रतिपादन कर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति भारतीय जनमानस को सजग कर दिया। इसी निर्गम-सिद्धान्त के अन्तर्गत दादाभाई नौरोजी ने यह सिद्ध किया कि भारत की आर्थिक समृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक इस निर्गम को नियन्त्रित नहीं किया जाता तथा भारतीय जनता को उनके प्राकृतिक अधिकारों से युक्त नहीं किया जाता। उन्होंने भारत तथा इंग्लैण्ड के वित्तीय सम्बन्धों पर कड़ा प्रहार किया तथा यह सिद्ध कर दिया कि इंग्लैण्ड ने भारत का वित्तीय शोषण किया है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक भी उनके आर्थिक विचारों को स्वतः स्पष्ट करने वाला था। उन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन को अब्रिटिश कहा था। इससे उनकी यह धारणा और भी पुष्ट हुई कि अंग्रेजों का इंग्लैण्ड में शासन नैतिकता तथा स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों पर आधारित था, किन्तु भारत में उनके शासन को उसी प्रकार उदार नहीं माना जा सकता था। अंग्रेज अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत भारत में स्वतन्त्रता एवं समानता का दमन कर रहे थे। उनके विचार में भारत की ब्रिटिश सरकार दमनारमक शासन-तन्त्र का प्रयोग कर रही थी जो कि इंग्लैण्ड की राजनीतिक परम्पराओं के लिए कर्त्तव्य था।<sup>3</sup> उनको इस

पुस्तक में उनके द्वारा भारत की धार्मिक व्यवस्था पर पड़े गये भिन्न-भिन्न लेखों का संपह  
 या । इस पुस्तक का उनका पहला लेख भारत की निर्धनता पर था, जिसमें उन्होंने यह  
 प्रमाणित किया था कि भारत की प्रति व्यक्ति धन्य 40 मिलिंग के लगभग यी घोर इतनी  
 घल्प धन्य एक जेल के बन्दी अपराधी का भी खर्चा पूरा नहीं कर सकती थी । बचत तथा  
 धन्य सामाजिक पर्व व त्योहारों पर तो खर्च करने का सवाल ही नहीं उठता था । भारत  
 की इस दयनीय धार्मिक स्थिति का रहस्योद्घाटन उन्होंने सन्तन के ईस्ट इन्डिया  
 एसोसिएशन की बम्बई-शाखा के समक्ष 1876 में किया था । दादाभाई नौरोजी ने भारत  
 की निर्धनता के लिए धन्य विचारकों एवं धासोचकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को जिसमें  
 भारत की निर्धनता के लिए भारत की बढ़ती हुई धाबादी को दोषो ठहराया था, धमाग्य  
 सिद्ध किया । अपने तर्कों में उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारत की निर्धनता के लिए  
 भारत की जनसंख्या घपबा दोषपूर्ण धार्मिक नियमों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा  
 सकता । इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की क्रूर धार्मिक शोषण की नीति को उत्तरदायी  
 ठहराया । वे यह मानते थे कि अंग्रेजों ने भारत को सम्पत्ति विहीन बना दिया था । वे  
 भारत सरकार की ध्यावार के घसस्तुसन की नीति को भी दोष पूर्ण मानते थे, जिसमें  
 धापाल-निर्मात से कई मुता धधिक किया जाता रहा था । अपने निर्गम-सिद्धान्त में दादा-  
 भाई ने यह बतसाया कि भारत से पूंजी कई तरह से निर्मात की जा रही थी । एक  
 उदाहरण में उन्होंने यह बतसाया कि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों द्वारा घपनी बचत  
 खाते की बड़ी बड़ी रकमे इंग्लैण्ड भेज दी जाती थी तथा दूसरी घोर भारत-प्रगासन पर  
 इंग्लैण्ड में गृह-सरकार पर किया जाने वाला खर्च भी भारत पर घोष दिया जाता था ।  
 सरकार भारत के प्रगासन पर किये जाने वाले खर्च को भी जनता से ही वगूल करती थी,  
 जब कि इस खर्च का साम इंग्लैण्ड की जनता को मिसता था । इतना ही नहीं भारत द्वारा  
 इंग्लैण्ड की सरकार को भारत में मदी ब्रिटिश पूंजी के ब्याज की चुकाने के लिए भी बहूण  
 बड़ी रकम इंग्लैण्ड को देनी पड़ती थी । इसका स्वाभाविक परिणाम एक घोर भारत की  
 गरीबी तथा दूसरी घोर इंग्लैण्ड की सम्पत्ता के रूप में सामने धाया । इतना ही नहीं  
 बिन्धु यह शोषण निरन्तर पुनरावृत्ति को प्राप्त हो रहा था जिसके घन्ठगंत भारत द्वारा  
 प्रेषित राशि पुनः इंग्लैण्ड द्वारा भारत से नियोजित की जा रही थी । इतने भारत के  
 धार्मिक शोष में जहाँ ब्रिटिश पूंजी का निवेश बढ़ रहा था वहाँ भारतीयों की पूंजी ब्यावार  
 में कम होती जा रही थी । इतने भारत की धार्मिक स्थिति में घातक परिणाम हुए । अंग्रेजों  
 साधारण पर निर्भरता बढ़ती घमी घजी । अंग्रेजों ने भारत में ब्यावार तथा बाणिज्य के  
 शोष में सनैः सनैः एकाधिचार प्राप्त कर लिया तथा शोषण को यह बहानी निरन्तर बिल-  
 मान रही । उनके घराट्य तर्कों से यह भी मिस हुआ कि भारत में घानायाय के साधनों के  
 बिराम के रूप में अंग्रेजों ने भारत में जिन एशोबराज का घोष प्राप्त करने का प्रयास  
 किया था वह बागव में धार्मिक शोषण की बहानी थी । बनीक घाग्य की लेखों के बिराम  
 के लिए इंग्लैण्ड की सरकार को घनराशि ब्यय कर रही थी उसका मुनाफा तथा उत राशि  
 पर मदा ब्याज दोनों ही इंग्लैण्ड के सञ्चालने में जमा हो रहा था । इतने उत्तरार के रूप में  
 दादाभाई नौरोजी का यह विचार था कि भारत में घाग्य के ब्यावारियों को ब्यावार करने  
 के लिए सुविधाये दी जाये तथा उद्युत ब्यावार की व्यवस्था ब्यारिध की जाये



भारतीय व्यापारी अंग्रेज व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें तथा विदेशी पूंजी के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त कर सकें। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी ने भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक पक्ष के प्रति भारत को जागृत किया तथा अपने तर्कों से यह सिद्ध कर दिया कि यदि भारत अपनी निर्धनता दूर करना चाहता है तथा अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहता है तो उसे अंग्रेजों के शासन से लोहा लेना होगा। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वराज्य को जितना स्पष्ट नहीं किया उतना उनकी आर्थिक विचारधारा ने आर्थिक साम्राज्यवाद का पर्दाफाश कर भारत में नवजागरण उत्पन्न किया। दादाभाई नौरोजी द्वारा 1876 में अंग्रेजों के आर्थिक साम्राज्यवाद की प्रालोचना उन्हें मार्क्स के विचारों का पूर्वगामी बना देती है। मार्क्स तथा दादाभाई दोनों समकालीन थे तथा समकालीन होने के साथ-साथ ही दोनों ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर रहे थे। यह बात और भी अधिक विस्मयकारी है कि जिस ब्रिटिश म्यूजियम वाचनालय से मार्क्स को पूंजीवाद की अन्तिम परिणति साम्राज्यवाद के रूप में कैसे हो सकती है पता नहीं चली, वह बात दादाभाई नौरोजी ने अपनी भारत की आर्थिक स्थिति के अध्ययन में प्रकट कर दी। मार्क्स के विचारों का यह पक्ष प्राये जाकर लेनिन ने स्पष्ट किया और यह व्याख्या प्रस्तुत की कि साम्राज्यवाद ही पूंजीवाद की अन्तिम अवस्था है। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी अनायास ही में मार्क्सवाद-लेनिनवाद की विश्वव्यापी लोकप्रियता के पहले अपने समाजवादी विचार प्रकट कर सकें। दादाभाई ने न तो मार्क्सवाद का ही बरण किया और न वे शुद्ध समाजवादी चिन्तक थे फिर भी समाजवाद में उनकी आस्था निरन्तर बढ़ती गयी और वे 1904 के एमस्टर्डम में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए। जनका प्रयास केवल भारत की वित्तीय समस्याओं का हल करने का तथा भारत में मुक्त-व्यापार की स्थापना करना था। वे उदारवादी विचारक थे और इस कारण चाहते थे कि इस मुक्त-व्यापार की अंग्रेजी शासन की सहायता से ही कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है, विरोध करके नहीं। इस कार्य के लिए दादाभाई नौरोजी ने स्वदेशी का प्रचार प्रारम्भ किया। भारत की आर्थिक विपन्नता को भारतीयों द्वारा केवल स्वदेशी के माध्यम से ही दूर किया जा सकता था। उनके स्वदेशी-कार्यक्रम के साथ ही साथ स्वराज्य का पक्ष भी जुड़ गया।

अपने उग्र आर्थिक विचारों के कारण दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रवाद का अपने प्रकार से समर्थन किया। उदारवादी होते हुए भी बाद के समय में वे धीमती एनीबेसेंट के द्वारा चलाये गये होमरूल मॉन्दोलन में सम्मिलित हो गये। उनकी आर्थिक योजनाओं ने उन्हें बाद के समय में इंग्लैंड की मजदूर सरकार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बना दिया तथा ब्रिटेन के कई समाजवादी नेताओं से उनकी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुए।

दादाभाई नौरोजी के विचारों का आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष अन्य कई विचारकों के समान सुप्त प्रायः ही रहा। अपने उदारवादी विचारों के कारण उन्होंने किसी भी आर्थिक मान्यता को प्रमुखता नहीं दी। वे समाजसुधार से भी अधिक सम्बन्धित नहीं रहे। इसके कई कारण थे—प्रथम, दादाभाई नौरोजी ने लम्बे समय तक विदेश में प्रवास किया और इस कारण वे भारत में चल रहे राजनीतिक एवं समाजसुधार कार्यक्रम से दूर रहे। द्वितीय, वे पारसी अल्पसंख्यक थे तथा इस कारण से उनके द्वारा किसी भी बहुसंख्यक

समुदाय के धार्मिक अथवा सामाजिक त्रिधाकलाप में हस्तक्षेप करना अथवा उममे मुधार मुमाना स्वीकार नहीं किया जाता। तृतीय, ये अपने विकसित राजनीतिक एवं धार्मिक विचारों के कारण धार्मिक घाटम्बर व संकीर्णता के ऊपर थे। यही कारण था कि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की मान्यता प्रकट की। उनका राजनीति तथा धर्म को अलग मानना स्वाभाविक था। इस प्रकार मार्क्सवादी रूप से उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लिया। किन्तु व्यक्तिगत रूप में अपने पारसी समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए वे बम्बई-प्रदेश के पारसियों के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अभिरुचि रखते थे। एक पारसी सत्पतंज्यक के रूप में उनका यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण उनके राष्ट्रवादी विचार अथवा भारत-प्रेम को अवरुद्ध नहीं कर सका। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी के रूप में भारत को एक महान् देवभक्त एवं धार्मिक विचारक प्राप्त हुआ।

दादाभाई नौरोजी ने भारत में अंग्रेजी राज्य की सामता के कारण उत्पन्न नैतिक दरिद्रता का उन्मुख करने हुए यह व्यक्त किया कि भारत के धार्मिक शोषण के कारण भारतीयों को उनके प्राकृतिक अधिकारों में वंचित रहना पड़ा था। उन्होंने भारत के नैतिक ह्रास के प्रति दुःख प्रकट करने हुए धार्मिक विपन्नता को बुद्धि तथा अनुभव की धीमृता से सम्बन्धित माना। यूरोपियों के शासन के सभी विभागों में उच्च पदों पर धार्मिक रहने के कारण भारतीयों में हीनता की भावना का संचार हुआ। स्वाभाविक ही था। नौरोजी के अनुसार यूरोपवासी भारत की सेवा में नियुक्त होकर एक घोर धन अहित करने का कार्य प्रारम्भ करते थे तो दूसरी घोर अनुभव तथा बुद्धि का भी अहित करते थे। सेवा नियुक्त होने के पश्चात् वे धन और अनुभव दोनों ही अपने साथ लेकर स्वदेश लौट जाते थे। इस प्रकार भारत को धार्मिक एवं नैतिक दोनों प्रकार की गंभीरता में रहित होना पड़ता था। इसका परिणाम यह हुआ है कि राष्ट्रीय तथा सामाजिक कार्य में बुद्धि तथा अनुभव से युक्त बयोबुद्ध व्यक्ति मिलने कठिन हो गये और देश को मार्ग दिखानेवालों की कमी का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार "विदेशों में जाकर भारत में काम करने वाले बौद्धिक, नैतिक अथवा सामाजिक सहयोग में बतुराते हैं। न वे भारतीयों को समझने का प्रयास करते हैं और न भारतीय उनके बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। उनके कार्यों का महत्व अस्थायी प्रकृति का होता है जो कि उनके जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यूरोपवासी भारतीयों की सही नेतृत्व नहीं दे सकते, क्योंकि वे भारतीयों के प्रति गह्रभावना रहित व्यवहार करते हैं। भारतीयों को जानबूझकर हर प्रकार के सम्मान में दूर रखा जाता है, ताकि वे यूरोपवासी के साथ पुनः-मिलकर नहीं रह सकें। किसी भी प्रकार के राजनीतिक नेतृत्व की सुविधा न मिलने के कारण भारत की उन्नति हुई सीधी दिग्भ्रान्त हो जाती है। इसके लिए इतिहास सामान्य उत्तरदायी है। फिर भी शिक्षा के प्रसार द्वारा असीम प्रभाव तथा अज्ञानता भारतीयों में उभरने लगी है। किन्तु इस पर भी भारत के इतिहासकारों ने अनेक कार्य वास्तुतः करने अज्ञान-भावनाओं को कुचलने का निश्चित कुचक बना रखा है। विश्वविद्यालयों के प्रतिकूल व्यवहार विचारने लगे हैं। किन्तु उनका अक्षर्य अक्षर्य अक्षर्य दिशाई देना है। क्योंकि उन्हें अपने ही देश में किसी प्रकार के विकास को सुविधा मिलनी सम्भव नहीं है। अक्षर्य के सभी कार्य विदेशियों से अक्षर्य

रखे हैं। वे चाहे शिक्षा में भारतीयों से कम ही क्यों न हो भारतीय स्नातकों के लिए सड़क पर भीख माँगने अथवा पत्थर तोड़ने के प्रस्ताव और कोई रास्ता नहीं है। जब तक भारत के ब्रिटिश शासक अपने अधिकारों तथा अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठा का थोड़ा बहुत अंश भी भारतीयों के लिए त्याग न करें तब तक भारतीयों का कोई रखवाला नहीं होगा। यदि यही स्थिति रही तो भारतीयों द्वारा विध्वंसकारी मार्ग अपनाए जाने का प्रस्ताव और कुछ शेष नहीं रहेगा। एक स्वस्थ जागृति जो कि इस स्थिति से उत्पन्न हुई है वह यह है कि शनैः शनैः भारतीयों में पारस्परिक राजनीतिक सद्भाव तथा संगठन की भावना बलवती होती जा रही है। हिन्दू, मुसलमान तथा फारसी सभी यह सोचने लगे हैं कि अंग्रेजी राज्य अभिशाप है अथवा वरदान? वे राजनीति की ओर अधिक रुचि दिखाने लगे हैं। विभिन्न सम्प्रदायों तथा प्रजातियों के मध्य यद्यपि भेदभाव की भावना अभी भी है, लेकिन यह भेदभाव राजनीतिक संगठनों में कम होता जा रहा है। वे समान लक्ष्य लेकर इन राजनीतिक संगठनों में समस्त पारस्परिक भेदभाव को भुला कर एक साथ उठ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं।<sup>16</sup>

दादाभाई नौरोजी के अनुसार इंग्लैण्ड ने भारत के साथ सम्बन्धों के कारण 33 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से लाभ प्राप्त किया है। भारत अपने भूमिपुत्रों को सेवा से वंचित रखकर 12 हजार उच्च तथा मध्य पद एवम् 60 हजार निम्न पद विदेशियों को दे रहा है। कुल मिलाकर सौ करोड़ रुपया भारत को ब्रिटिश शासन को भेंट करना पड़ रहा है। भारत के राजस्व का एक चौथाई भाग पूर्णतया विदेश चला जाता है और वह इंग्लैण्ड के धाय का स्रोत बनता है। भारत में उद्योगों का विकास भी अंग्रेजों को ही लाभ पहुँचाता है, भारतीयों को नहीं। भूतकाल में भारत पर जितने आक्रमण हुए उसमें आक्रमणकारियों ने भारतीय सम्पदा को लूटा और लूट का माल लेकर वे अपने देश को लौट गये। भारत ने पुनः परिश्रम करके इस राष्ट्रीय सम्पदा की हानि की पूर्ति कर ली। जो आक्रमणकारी भारत में आकर प्रादेशिक स्वामित्व प्राप्त करने में सफल हुए वे भारत के ही होकर भारत में बस गये। यदि उन्होंने अमीरों को लूटा और रयत को परेशान किया तब भी देश की सम्पदा देश में ही रही, किन्तु अंग्रेजों का विदेशी शासन इनसे भिन्न प्रकार का रहा। भारतीयों को प्रतिघण निधन से निर्धनतर बनाने का प्रयास अंग्रेजों ने ही किया है। भारत का प्राथिक स्वास्थ्य इतना गिर चुका है कि भारत के कदम सड़खड़ाने लगे हैं। इस पर भी भारतीयों को प्रशासन में नहीं रखा गया है। पहले के विदेशी आक्रमणकारियों ने श्रेष्ठ भारतीयों को प्रशासन के उच्च पदों पर रखा था लेकिन अब भारत का शासन ब्रिटिश संसद के चन्द सदस्यों की उपस्थिति में बजट पास करके चलाया जा रहा है।<sup>17</sup>

पत्रे-लिखे तथा चिंतनशील भारतीय यह कहने लगे हैं कि यदि इंग्लैण्ड ने भारत को कानून तथा व्यवस्था प्रदान की है तो इंग्लैण्ड ने भी भारत को अपार सम्पदा का लाभ प्राप्त किया है। भारत के घन से इंग्लैण्ड एक महान् शक्ति के रूप में उभरा है। इंग्लैण्ड वाले तलवार के जोर पर भारत का शासन प्राप्त करने की बात सन्धे समय में कहते रहे हैं। यदि ऐसा है तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को किसी भी दिन बाहर खदेड़ा जा सकता है। क्योंकि भारत के करोड़ों असंतुष्ट जनों के समस्त अंग्रेजों को कुछ हजार लोगों के बराबर तक टिकी रह सकती है। एक सतुष्ट राष्ट्र तो बर घमकान ही सकता है निश्चिन्त बट

फिर मुकाबले के लिए घड़ा ही सकता है। किन्तु विदेशी धाक्रमणकारी के लिए तो एक दो पराजय भी घातक सिद्ध हो सकती है। भारतवासियों की प्रत्येक हार जो उनके भार को बढ़ाती है किन्तु उन्हें विदेशी जूड़ा उतार फेंकने के लिए घोर भी अधिक प्रसंतुष्ट भी बनाती है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रलावा यूरोप के ऐसे कई देश हैं जो भारत में अंग्रेजों की दुर्दशा देखने में धानन्द का अनुभव करते हैं। यदि अंग्रेजों का राज्य सतयार के जोर पर भारत में बना भी रहे तो उसे घट्याचारी संज्ञ में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी। शायद इंग्लैण्ड की जनता ऐसे घट्याचारी शासन का भारत में समर्थन न करे। क्योंकि अंग्रेजों का चरित्र इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। यही कारण है कि भारतीयों के मन में अंग्रेजों की ग्वायप्रियता में अभी भी विश्वास दोष है।<sup>18</sup>

अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार करने की नीति प्रारम्भ की जाये, फिर भी भारतीयों को प्रशासन में स्थान न मिले तो उसे परोपकारी निरंकुशवाद ही कहा जायेगा। भारतीयों ने शक्ति, संपत्ति, सभ्यता, शासन, कानून, साहित्य, कला आदि का जो ज्ञान अर्जित किया है, उसकी इंग्लैण्ड वाले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से भारतीयों ने कला तथा साहित्य में जो विभिन्न उपलब्धियाँ प्राप्त की थी उन्हें देखते हुए क्या भारतीयों को हर समय शोषण का शिकार ही बनाया जाता रहेगा? घोर क्या वे इसे इसी प्रकार सहन करते रहेंगे? मूल बात यह है कि भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की राजनीतिक एवम् बौद्धिक नबजागरण का संदेशवाहक मानकर उसे समर्थन दिया है। इसी कारण से प्रेरित होकर भारतीयों ने अपना देशप्रेम ब्रिटिश शासन की स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया है। यदि भारत के अंग्रेज शासक इस बात को विस्मृत करते रहे तो ही गणना है कि भारतीयों का प्रसंतोष उग्र से उग्रतर हो जाये।

दादाभाई नौरोजी के अनुसार निश्चित बेरोजगार भारतीयों को उनकी प्रतिभा के अनुसार प्रशासन तथा अन्य सेवाओं में लिया जाये प्रयत्न फिर अंग्रेज शक्ति के कम पर शासन बना लें। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा में भारतीयों को भारत में ही उनकी परीक्षा लेकर प्रवेश दिया जाये। रंग प्रयत्न विश्वास का भेदभाव किये बिना भारतीयों को शासकीय सेवा में लिया जाये, चाहे प्रशासन के लिए उन्हें इंग्लैण्ड भेजने की व्यवस्था रख ली जाये। इसी प्रकार से नैतिक विभागों में भी भारतीयों को प्रवेश दिया जाये जो कि पक्षपात रहित हो तथा भारतीयों की सेवा में उच्च पदों पर पदोन्नत करने की भी व्यवस्था की जाये। भारतीयों से अपेक्षित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनसे ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण निष्ठा की भावना ब्रिटिश शासन है। एक पूर्णतया भारतीय सेवा का गठन भी आवश्यक है ताकि बहु सेवा भारतीयों को के जाने भारतीय दलों का संरक्षण करे घोर ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्णतया वर्णभेद रहित रहे। भारत से निर्धनता को दूर करने के लिए इंग्लैण्ड का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि इंग्लैण्ड ने जो पूर्णतया भारत से अर्जित की है वह पुनः भारत में निवेशित हो। इससे ब्रिटिश साम्राज्य की धार में कमी नहीं आयेगी, बल्कि भारत के विकास पर तथा धन उन्हें कई नुका अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा। यदि भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है तो इससे ब्रिटिश साम्राज्य की भी मजबूति बढ़ती। इसके लिए यह आवश्यक है कि भारतीय समाजों से ब्रिटिश शासन को अधिक रबि लेने के लिए प्रेरित किया जाये


ताकि ब्रिटिश जनता भारतीय शासन के प्रति दुर्भावनापूर्ण प्रचार का शिकार न बने। ब्रिटिश जनता को इस तथ्य का ज्ञान कराया जाय कि भारत ने ब्रिटेन की समृद्धि को बढ़ाया है। अतः उनका भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वे भारत के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वाह करें और भारत का प्रशासन चलाने वाले ब्रिटिश प्रतिनिधियों के कार्यों का सही लेखा-जोखा रखें। ब्रिटेन का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीयों को उनके कष्ट की घड़ी में सहानुभूति तथा सहायता का रवैया अपनाये। उड़ीसा के भीषण अकाल के समय (1866-67) इंग्लैण्ड ने किसी प्रकार का सहायताकार्य नहीं किया, उन्होंने सारी जिम्मेदारी भारत सरकार पर छोड़ दी और उसका परिणाम यह हुआ कि सहस्रों भारतीय अकाल से कालकवलित हो गये। इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि वह अपने प्रशासन की कमियों को दूर करे और वह भारत में सिंचाई तथा कृषि के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये ताकि भविष्य में दुर्भिक्ष का सामना नहीं करना पड़े। सरकार को अपने कमियों दूर करनी चाहिए, न कि अपने प्रशासन की कमियों को जनता के मस्तिष्क पर धोपना चाहिए।<sup>9</sup>

इस प्रकार दादाभाई नौरोजी ने भारत के देशवासियों विशेषतः शिक्षित भारतीयों की वफादारी को बनाये रखने तथा भविष्य के लिए और अधिक बढ़ करने के लिए प्रशासन में भारतीयों के उचित प्रतिनिधित्व का सुझाव प्रस्तुत किया। उनका यह विश्वास था कि भारतीयों को उनके देश के शासन में प्रतिनिधिमूलक वाणी मिलने पर उनमें नैतिक हीनता की भावना कम होगी। दादाभाई नौरोजी भारतीय समाज के निम्न एवम् पिछड़े हुए वर्ग को प्रतिनिध्यात्मक शासन के प्रति सुपुष्ट मानते हुए केवल शिक्षित भारतीयों के लिए ही प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था की मांग प्रस्तुत कर रहे थे। सर चार्ल्स वुड के सुझाव पर भारतीयों का विधायी परिपदों में प्रतिनिधित्व उनकी दृष्टि से इस बात का साध्य था कि पढ़े-लिखे भारतीय शासन-कार्य में हाथ बटाने के लिए कितने उत्सुक हैं और ऐसी सुविधाओं का स्वागत करने के लिए कितने लालायित हैं। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में भी भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व चाहते थे। उनका यह भी सुझाव था कि महरी क्षेत्र के विधायक सरकार द्वारा मनोनीत न किये जाकर निर्वाचन के द्वारा चुने जाएं। भारत के विभिन्न शहरों को निर्वाचन-क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि भारत में ब्रिटिश शासन की जड़े मजबूत हों तथा जनता की स्वामोभक्ति में वृद्धि हो। वे भारत में शिदा की प्रगति से भी असंतुष्ट थे और चाहते थे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों में निरन्तर प्रगति होती रहे और भारत राष्ट्रीय दृष्टि से ऊँचा उठते हुए ब्रिटिश शासन के प्रति आभार एवम् भक्ति प्रकट करता रहे। वे भारतीयों के प्रति शासन की ओर से पूर्ण मानवीय व्यवहार की अपेक्षा करते थे। वे चाहते थे कि भारतीयों को उपहास तथा प्रताड़ना का पात्र न समझा जाकर उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। उनकी यह अभिलाषा थी कि ब्रिटिश शासन भारत में केवल ईमानदारी तथा निष्ठा से युक्त उच्च चरित्रवान् व्यक्तियों को भारत में भेजे ताकि उच्च नैतिकता एवम् बुद्धिमत्ता का जो प्रभाव अंग्रेजों ने भारतवासियों पर डाल रखा है वह बना रहे।<sup>10</sup>

## टिप्पणियाँ

1. देखिये श्री इण्डियन नेशन बिस्डम, भाग 2, (गणेश एण्ड बं, मद्रास, त्रिदि रटिन) पृ. 14-15
2. देखिये आर. पी. मगानो, दादाभाई नौरोजी : श्री डॉ. मोन्टमेन ऑफ इण्डिया, (लन्दन, 1939) पृ. 96
3. देखिये स्पोचेज़ एण्ड राइटिंग ऑफ दादाभाई नौरोजी, (मटेसन, मद्रास, 1911) पृ. 671
4. श्री इण्डियन नेशन बिस्डम, भाग 2, पृ. 39-46, "इण्डिया मस्ट दि इन्टे", जुलाई 1, 1900 को वेल्थमण्टो (इंग्लैण्ड) में दिया गया भाषण
5. देखिये दादाभाई नौरोजी, पावर्टी एण्ड अन्-ब्रिटिश क्ल इन इण्डिया, (गोर्न मोने'गोन, लन्दन, 1901) पृ. 465
6. पावर्टी एण्ड अन्-ब्रिटिश क्ल इन इण्डिया, पृ. 206-207
7. पुन्नीयाल वल्लू भाई पारिय (अनु), एमेज़, स्पोचेज़, एड्मिज़ एण्ड राइटिंग (मान इण्डियन पॉलि-टिकल) ऑफ श्री आनरेबल दादाभाई नौरोजी (बेन्गलूर, 1887), पृ. 26
8. वही, पृ. 27-28
9. वही, पृ. 42-45
10. वही

□□



फिरोजशाह मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 को बम्बई के एक सम्पन्न परिवार में हुआ। एल्फिस्टन कॉलेज से उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी प्रखर शैक्षिक योग्यता के कारण उन्हें उच्च अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इसी मध्य उन्होंने एम. ए. परीक्षा पास की और वे कानून के अध्ययन के लिये इंग्लैण्ड गये। इंग्लैण्ड में फिरोजशाह दादाभाई नौरोजी के सम्पर्क में आये। इंग्लैण्ड के उदारवादी चिन्तकों का उन पर प्रभाव पड़ा।<sup>1</sup> वे पारश्चात्य विचारधारा से प्रभावित हुये किन्तु साथ ही साथ उनमें रुढ़िवादिता का भी विकास हुआ। अपनी कानून की शिक्षा पूर्ण कर स्वदेश लौटे और अल्प समय में ही एक अच्छे कानून विशेषज्ञ की ख्याति अर्जित की। उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया। उन्हें सरकार की ओर से न्यायिक पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, किन्तु सार्वजनिक कार्यों में रुचि के कारण उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें सार्वजनिक जीवन की शिक्षा इंग्लैण्ड में ईस्ट इण्डिया असोसिएशन से प्राप्त हुई। उन्होंने बम्बई-नगर-निगम के लिए सराहनीय काम किया जिसका ज्वलन्त प्रमाण बम्बई-नगर-निगम के बाहर उनकी विशाल प्रतिमा से पुष्ट होता है। वे बम्बई-विधानपरिषद् तथा केन्द्रीय विधान परिषद् के भी सदस्य रहे। 1888 का बम्बई म्युनिसिपल एक्ट उनके सुझावों का ही प्रतिफल था।

फिरोजशाह मेहता ने लार्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रत्यक्ष विरोध किया। उन्होंने वाइसराय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि वे प्रेस की स्वतन्त्रता को समाप्त न करें, अन्यथा शासन की उचित-आलोचना न होने से भारत की राजनीति के विक्रम का मार्ग अवर्ध हो जायेगा तथा शासन की लोकप्रियता भी पटेगी। इसी प्रकार से इण्डियन सिविल सर्विस की परीक्षाएं भारत तथा इंग्लैण्ड में कराने के लिए एवं उनमें भारतीयों की नियुक्ति के लिए भी उन्होंने निरन्तर प्रयास किया। फिरोजशाह मेहता का विधिज्ञान एवं प्रशासनिक अनुभव उनके द्वारा बम्बई-नगर-निगम की 35 वर्ष लम्बी सदस्यतावधि में और भी सुधर हो उठा।<sup>2</sup> उन्हें 39 वर्ष की अल्प आयु में ही निगम का अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद भी वे पुनः इस पद पर चुने गये। प्रिंस ऑफ वेल्स के बम्बई आगमन के समय बम्बई-नगर-निगम ने उन्हें पुनः अध्यक्ष बनाया। अपने नगर निगम के कार्य-काल के दौरान फिरोजशाह मेहता ने निगम की स्वायत्तता को प्रक्षुण्ण रखा तथा शासन के अनधिकृत हस्तक्षेप को अमम्भव बनाये रखा। बम्बई-नगर-निगम में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा-शुविद्याएं, जल-निकास, जन-पूति, पुलिस सम्बन्धी ध्यय का निर्धारण एवं नगर के सौन्दर्योत्तरण के लिये प्रगतिशील

कार्य किया। फिरोजशाह मेहता ने एक विधायक के रूप में भी अभूतपूर्व गजबता प्राप्त की। वे 15 वर्ष तक बम्बई विधान परिषद् के सदस्य रहे। 1894 में वे केन्द्रीय विधान परिषद् के 3 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहे। इस तीन वर्षों की अवधि में फिरोजशाह मेहता ने समयानुसार शासन की गलत नीतियों की तीव्र निन्दा की। उनकी पक्वता प्रभावोत्पादक थी। उन्होंने केन्द्रीय विधान-परिषद् में वित्त, कृषि, संचालक रोग, घायात, पुतिम विभाग, सैनिक व्यय, विनिमय आदि की समस्याओं पर समय-समय पर अपने विचार प्रकट किये और अपने सर्वप्रधानिक कानून के उच्च ज्ञान द्वारा सबका हृदय जीत लिया किन्तु इस सदस्यता के दौरान उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता गया और 1896 में सदन की सदस्यता से उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। कुछ समय बाद पुनः वे केन्द्रीय विधान परिषद् के लिए मनोनीत किये गये। किन्तु अस्वस्थ होने के कारण पुनः 1900 में इस कार्य से त्याग-पत्र दे दिया। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति गोपालकृष्ण गोखले ने की।

फिरोजशाह मेहता की प्रतिदि 1882 में इल्बर्ट (बिल) विधेयक-विवाद के समय विशेष रूप से हुई। उन्होंने इल्बर्ट-विधेयक की निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से उचित नीति के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि इस विधेयक से भारत के ब्रिटिश शासन के इतिहास में पहली बार भारतीय दण्डनायकों एवं सत्र-न्यायाधीशों द्वारा अपेजों के मुद्दों में गुनने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अपेजों तथा भारतभारतीयों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किया गया प्रचार फिरोजशाह मेहता को स्वीकार नहीं था, अतः उन्होंने इस विधेयक के समर्थन में अपनी आवाज बुलन्द की। 28 अप्रैल, 1883 को बम्बई की सार्वजनिक सभा में इल्बर्ट विधेयक के समर्थन में फिरोजशाह मेहता ने कहा कि जो शासन अपने उपनिवेशों पर शक्ति के बल पर शासन करना चाहता है वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकता। उन्होंने अपने वक्तव्य में इस धर्म का स्पष्टन किया कि अपेजों ने भारत की तमवार के बल पर जीता है। उनके अनुसार अपेजों ने बंबल तलवार के बल से भाग नहीं जीता किन्तु अपने नैतिक और भौतिक गुणों के द्वारा सफलताएँ प्राप्त की एवं शक्ति के दुष्-प्रभावों से अपने शासन को बचाया। इस सन्दर्भ में उन्होंने तीन कारण प्रस्तुत किये जिनमें यह सिद्ध होता था कि तलवार के जोर से अपेज भारत पर शासन नहीं कर सकते थे। प्रथम, इंग्लैण्ड यदि सेना के बल पर शासन करता तो यूरोप के विवादों में पंगने के कारण वह इंग्लैण्ड के लिए आर्थिक भार बन सकता था। चूंकि इंग्लैण्ड यूरोप के विवादों में अपने को घातक नहीं रख सकता था इस कारण यह भारत पर दमनात्मक शासन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता था। द्वितीय, इंग्लैण्ड द्वारा शक्ति की नीति का पालन उगे भारत में विचार अपेजों सेना तथा अपेजों प्रशासकों की निरुक्ति के लिए बाध बनता। इसकी बड़ी महत्ता में जब अपेजों को इस निरुक्ति कार्य में सहायता जाँचना भी वे इंग्लैण्ड को अपने पर इंग्लैण्ड की सर्वप्रधानिक एवं स्वतन्त्र परम्परा का स्वाभाविक विरोध करते। इसी विषय में इन स्वयं अपेजों की स्वतन्त्रता लोकतन्त्र-विरोधी बन सकती है। तृतीय, अपेजों द्वारा अपनायी गयी दमन की नीति उन्हें अपनी सेना तथा प्रशासन के सर्वोत्तम के अधिक से अधिक लोपण के लिए बाध बनती। इसका उदाहरण भारत में 1857 के बाद होने वाले आन्दोलन पर भी पुरेण जियो इंग्लैण्ड का उदाहरण नहीं है। फिरोजशाह मेहता के अनुसार पूर्ववर्ति कारणों से भारत में तलवार पर जीत का



अधिक समय तक नहीं किया जा सकता। अतः इंग्लैण्ड को चाहिए कि रानी विक्टोरिया की घोषणा का अनुसरण करते हुए भारत में न्याय, समानता, रंग, जाति, विश्वास प्रादि की असमानताओं से रहित शासन की स्थापना करे और इसी दृष्टिकोण से इल्बर्ट-विधेयक सफल बनाने का प्रयास करे। इस प्रकार फिरोजशाह ने उपर्युक्त प्रकाट्य तर्कों द्वारा इल्बर्ट-विधेयक के समर्थन में वातावरण निर्मित किया। यद्यपि यह विधेयक स्वीकृत नहीं हो सका, किन्तु इस विधेयक के समर्थन में फिरोजशाह मेहता द्वारा दिया हुआ भाषण उनकी भारतव्यापी लोकप्रियता का कारण बन गया।

फिरोजशाह मेहता ने केवल बम्बई-नगरनिगम, बम्बई विधान परिषद्, केन्द्रीय विधानपरिषद् को ही अपनी सेवाएँ अर्पित नहीं की किन्तु बम्बई-विश्वविद्यालय को भी अपने अनुभवों से लाभान्वित किया। बम्बई-विश्वविद्यालय से उनका सम्बन्ध क्रमशः एक फैलो, सेनेटर, सिडिक तथा कला-संकाय के डीन के रूप में रहा और इसकी चरम परिणति उनके बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त होने में हुई। उन्हें सम्मान में डाक्टर आफ लॉज की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिरोजशाह मेहता ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए निरन्तर कार्य किया और शासन को शिक्षा हेतु अधिक से अधिक व्यय करने के लिए बाध्य किया। फिरोजशाह मेहता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता कांग्रेस के प्रारम्भिक दिनों में ही ग्रहण कर ली थी। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भारतीय प्रशासन की कार्य-प्रणाली की जांच के लिए नियुक्त समिति में अंग्रेजों के साथ-साथ भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदित किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बर्मा के हस्तान्तरण का विरोध किया और उसे भारत से अलग रखने का सुझाव दिया। 1889 में पुनः बम्बई में होने वाले कांग्रेस-अधिवेशन में फिरोजशाह मेहता को स्वागत-समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस की राज्य भक्ति का पक्ष समर्थित किया। 1890 में वे कांग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन के अध्यक्ष नियुक्त किये गये। कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कांग्रेस को भारतीय जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा सर्वैधानिक तरीकों से काम करने की नीति की सराहना की और उन व्यक्तियों का ध्वजन किया जो कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करते वाली संस्था बताते थे। उन्होंने विधान परिषदों में भारतीयों द्वारा बजट सम्बन्धी वादविवाद में भाग लेने के अधिकार का समर्थन किया। 1904 के बम्बई के अधिवेशन में पुनः स्वागत समिति के अध्यक्ष बने और 1905 में बनारस-अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये। 1909 में पुनः कांग्रेस की अध्यक्षता करने का निमन्त्रण प्राप्त हुआ पर वे ऐसा न कर सके। वे कांग्रेस में उदारवादी दल के स्तम्भ थे। उन्हें उपवासियों से बहुत चिड़ थी। उनके स्वभाव में दृढ़ता एवं दृढदर्शी का संयोग था। वे अंग्रेजों की संस्कृति एवं सभ्यता के कायम थे। अपनी दैनिक कार्य-प्रणाली में पाश्चात्य संस्कृति के चलते फिरते प्रतिनिधि थे। उनका गानपान, रहन-सहन, बोल-चाल सभी विदेशी ढंग का होने के कारण उपवासियों ने उन्हें अपनी मान्यता का प्रमुख लक्ष्य बनाया और उन्हें भला-बुरा कहा। फिरोजशाह मेहता ने जब कांग्रेस में उपदन के बढ़ते हुये प्रभाव को देखा तो वे हतप्रभ हो गये। उन्होंने अपनी कांग्रेस की सदस्यता के अन्तिम दिनों तक उपवासियों की स्वराज्य, स्वदेशी और बहुत्कार की नीति को अग्रसर

बनाने का प्रयास किया। इसी कारण से उग्रवादियों की लोकप्रियता के बढ़ने के साथ साथ फिरोजशाह मेहता की लोकप्रियता तिरोहित होती चली गई। कांग्रेस के मूरत-घडियेवन में फिरोजशाह मेहता की भूमिका प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती है। उन्होंने कांग्रेस में अपने वचंस्व को बनाये रखने के लिए अवैधानिक तरीकों का साध्य लिया। कांग्रेस के नवोदित सदस्यों के प्रति उनका व्यवहार रूक्ष एवं दम्भपूर्ण था। इसका उदाहरण उस घटना में मिलता है कि उन्होंने कांग्रेस के मंच से पहली बार दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों के कष्ट के संदर्भ में बोलने के लिए छटे हुये मोहनदास करमचन्द गांधी को यह कह कर कि इन बातों के लिए समय नहीं है स्टेज से उतार दिया। उन्हें मो. घाई. ई. के. गो. घाई. ई. की उपाधियों द्वारा फलंशुत किया था जो कि अंग्रेजी दासता की प्रतीक माना जाता रही थी।

फिरोजशाह मेहता की अन्य गतिविधियों में उनके द्वारा स्थापित अंग्रेजी दैनिक की बोम्बे जानिकल (1913) बम्बई-प्रदेश के उदारदल का लोकप्रिय दैनिक पत्र था। 1911 में उन्होंने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में महयोग दिया। 1915 में वे कांग्रेस का घडियेवन बम्बई में बुलाना चाहते थे किन्तु घडियेवन के पहले ही उनकी जीवन-सीला समाप्त हो गई।

### फिरोजशाह मेहता के राजनीतिक विचार

फिरोजशाह मेहता सन्निय भाग्यवादी तथा ईश्वर के प्रति आस्थावान् थे। उनके इन विश्वास ने उन्हें भारत में अंग्रेजों के शासन को ईश्वरीय विधान के रूप में स्वीकार करने के लिये प्रेरित किया।<sup>3</sup> उनके विचारों में उदारवाद एवं रुढ़िवाद का गहमभरा विद्यमान था। वे भारत में स्वशासन के प्रामाणिक विकास के पक्षपाती थे। उदारवाद के प्रभाव में वे स्वतन्त्रता एवं अधिकारों के समर्थक बने। वे अन्ध्याय तथा निरंकुशता के घोर विरोधी थे। उनके स्वतन्त्रता-प्रेम का उदाहरण प्रेम की स्वतन्त्रता सम्बन्धी उनके विचारों में परिलक्षित होता है। 19 मार्च 1878 को उन्होंने बर्नार्डुल्ल प्रेम-घडियेवन के सम्बन्ध में टाइम्स ऑफ इन्डिया के नाम पत्र में यह स्पष्ट किया कि दमन का प्रयोग उत्पन्नता में वृद्धि करता है। यदि बर्नार्डुल्ल प्रेम का कार्य शासन को अनुसरणीय दिखाई देना है तो यह अनुसरणीय सरकार के नियमन एवं पंजीकरण द्वारा भी बना रह सकता है। प्रेम की स्वतन्त्रता का दमन भारत में मधुकरनवित स्वतन्त्रता के विकास को व्यवस्त कर देगा। इससे शासन को संचार के एक महत्त्वपूर्ण साधन में रूचित रहना पड़ेगा और उसे जन प्रतिनिधिता की मही जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी। यदि प्रेम की स्वतन्त्रता का दमन किसी स्थान विरोध को दबाने में प्रयुक्त किया जाता है तो वह उचित नीति नहीं होती। इसका तात्पर्य होगा किसी उद्देश्य पर धर्म में धर्म का दमन कर देना और परिणाम एक विस्फोट के रूप में होगा। उन्होंने भारत सरकार को आग्रह किया कि वह ऐसी किसी भी नीति का अनुसरण नहीं करे। वे निर्वाचित के अधिकार के समर्थक थे और हम धारणा से उन्होंने मनुशासन वृद्धि का अनुमोदन किया। वे कार्यपालिका की व्यवस्थाविधा के प्रति उत्तरदायी बनाने की व्यवस्था का अनुमोदन करने थे। फिरोजशाह मेहता सुधारों के पक्षपाती थे। उनका यह हृदय राजनीतिक विचारण रहा कि अंग्रेज शासक शासन में स्वशासन स्वीकार करे। वे शासन में अंग्रेजी शासन के

परोपकारी पक्ष के समर्थक थे। उन्हें वेद-ब्रिटेन के साथ भारत के राजनीतिक सम्बन्धों पर विशेष आस्था थी और वे इसे ईश्वरीय वरदान के रूप में स्वीकार करते थे। उनका यह बड़ा विश्वास रहा कि अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत भारत पूर्ण राष्ट्रत्व को प्राप्त करेगा तथा भारत में स्वशासन की स्थापना होगी। वे विश्वास करते थे कि किसी दिन स्वयं अंग्रेज भारत की राष्ट्रीय मांगों को स्वीकार करेंगे। वे अंग्रेजों के संरक्षण में भारत के राजनीतिक शिक्षण का मार्ग ढूँढ रहे थे। उनका विश्वास था कि भारत शान्तिपूर्ण तरीकों से संवैधानिक पद्धति का अनुसरण करके ही अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। वे ब्रिटेन तथा भारत के सम्बन्धों में विच्छेद स्वीकार नहीं करते थे और न वे इसकी कल्पना कर सकते थे कि भारत ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद कर भी सकता है। वे हिंसा की राजनीति के विरोधी थे तथा अंग्रेजों के न्यायप्रिय तथा उदार स्वभाव को प्रभावित करने में विश्वास करते थे ताकि अंग्रेजों का हृदय तथा मन परिवर्तित हो सके। फिरोजशाह मेहता इस कार्य के लिये इंग्लैण्ड में जनमल बनाने का कार्यक्रम चाहते थे ताकि भारत की समस्याओं के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जा सके।

फिरोजशाह मेहता ने यद्यपि राष्ट्रवादी विचारों को खुले रूप में प्रकट नहीं किया था, किन्तु उनके विचारों में राष्ट्रियता की दबी भावाज कभी कभी बलवन्त हो उठती थी। उन्होंने अंग्रेज इतिहासकारों के इस दावे का खण्डन किया था कि अंग्रेजों ने भारत-शक्ति के बल पर जीता था। लेकिन वे अंग्रेजी शासन से विरोध मोल लेकर जेल-यात्रा से घबराने थे। इसलिये अंग्रेजों के शक्ति द्वारा भारत विजय का खण्डन करते हुये भी उसी श्वास में उन्होंने इस विजय का श्रेय अंग्रेजों की न्यायप्रियता, सदाचारिता एवं बुद्धिमत्ता को दिया। यदि फिरोजशाह मेहता के स्थान पर कोई उग्रवादी विचारक होता तो वह शायद अंग्रेजों के छल-प्रपंच, कूटनीति तथा बर्बरता को उनकी भारत विजय का कारण मानता। इसमें दोष केवल फिरोजशाह मेहता के विचारों का ही नहीं है बल्कि उनके समान उन समस्त उदारवादी कार्यसजनों का है जो अंग्रेजों की कृपा पर भारतीय स्वशासन की मांग को आधारित करते थे।

फिरोजशाह मेहता अपने राजनीतिक विचारों में राजनीति एवं नैतिकता को घुसपट्टे करने में विश्वास नहीं करते थे। वे राजनीतिक शक्ति का आधार नैतिकता पर ही अवस्थित करते थे क्योंकि राजनीतिक नैतिकता का हास स्वयं इंग्लैण्ड के लिए कभी घातक भिन्न हो सकता था। उनका अभिप्राय यह था कि इंग्लैण्ड भारत में दोहरी नीति का पालन न करे। फिरोजशाह स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता के पक्षपाती थे। वे निश्चित सीमा तक सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करते थे किन्तु उसमें घटिया नहीं। वे स्थानीय स्वशासन में चुने हुये जन प्रतिनिधियों के प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे ताकि इन निकायों द्वारा विनिश्चयो को अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके। राजनीतिक विचारक्रम की दृष्टि से फिरोजशाह मेहता भारतीय जनता के प्रबुद्ध एवं कुतूहल पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। सामान्य जनता के विचारों एवं उनकी भावनात्मक परिस्थितियों का उन्हें बोध नहीं था। भारत की सामान्य जनता के जीवन-द्वन्द्व से वे अनभिन्न ही रहे।

स्वशासी संस्थाओं में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का विरोध

फिरोजशाह मेहता ने स्त्रियों को बम्बई नगरनिगम के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत

किये जाने छपवा पुने जाने का विरोध किया था। जून 21, 1906 को बम्बई नगर-निगम की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्त्रियों का स्थान घर पर है, घर के बाहर नहीं। उनके अनुसार यह पुरखों का स्त्रियों से अधिक उच्च होना छपवा स्त्रियों के पुरखों से अधिक श्रेष्ठ होने की बात नहीं है बल्कि वास्तविकता यह है कि मानवीय जीवन का मूल निर्देशक गिद्यान्त धर्म का विभाजन है। कार्य के विभाजन से समय तथा धन दोनों का सदुपयोग होता है। स्त्रियों में कुछ विनिष्टताएं एवम् क्षमताएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग वे निश्चित दिशा में ही कर सकती हैं, ठीक उन्ही प्रकार में जिस प्रकार से पुरख अपनी योग्यताओं को अपने अनुकूल क्षेत्रों में ही प्रयुक्त करते हैं। अतः मूल समस्या पुरखों तथा स्त्रियों की उच्चता छपवा हीनता, क्षमता तथा क्षमता, की नहीं है, मुख्य बात यह है कि क्या स्त्रियों को पुरखों के कार्यक्षेत्र का उल्लंघन करना चाहिए छपवा अपनी गतिविधियों के क्षेत्र तक ही अपने आपको सीमित रखना चाहिए। कुछ मामलों में स्त्रियाँ पुरखों से अधिक योग्य एवम् प्रतिष्ठित पायी जाती हैं। पुरखों तथा स्त्रियों के कार्य सर्वथा भिन्न हैं। मानवीय प्रकृति, मानवीय जीवन तथा मानवीय कार्यविधियों के अनुस्यू ही है कि धर्म-विभाजन को स्वीकार किया जाय। क्या स्त्रियों के नगर-निगम में उपस्थित होने से स्त्रियों के प्रति ध्यान नहीं बढ़ेगा? स्त्रियों की उपस्थिति में क्या पापंद अपने धारकों निगम के कार्य में पूर्ण एकाग्रता में लगा पावेंगे? जो पापंद अधिक बोलते हैं उन्हें स्त्री की गमा दी जाती है। यदि स्त्रियाँ निगम की सदस्य बन गयीं तो फिर उनके बोलने की सीमा नहीं रहेगी और निगम में समय के सदुपयोग का जो कार्य किया जाता है वह गमाया ही जावेगा। अतः प्रकृति की निर्माण योजना को ध्यान में रखते हुए पुरखों तथा स्त्रियों को अपनी क्षमताओं तथा विनिष्टताओं के अनुसार पृथक्-पृथक् वर्गों में कार्य करना चाहिए। स्त्रियों को घर में रह कर अपना कार्य सम्हालना चाहिए तथा पुरखों को घर के बाहर का कार्य करना चाहिए। फिरोजशाह मेहता के उपर्युक्त विचार उनकी रुढ़िवादिता के परिचायक हैं। एक और स्त्रियों के समान अधिकारों की बात ही रही थी तो दूसरी ओर हम प्रकार की सदुचित मनोवृत्ति का उदाहरण मिल रहा था। महात्मा गांधी ने अपनी धर्मयोग धारणाओं में स्त्रियों को मर्यादा करने के लिए प्रेरित कर उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए पुरखों के साथ बंधे से कड़ा मिलाकर सड़ने के लिए आशुष किया किन्तु फिरोजशाह मेहता ने और अधिक क्या साक्षात् ही मरणी की।

### फिरोजशाह मेहता तथा स्थानीय स्वशासन

बम्बई नगरपालिका प्रशासन के सम्बन्ध में फिरोजशाह मेहता के विचार व्यवस्थापक महत्त्वपूर्ण माने गये हैं। उनके विचारों को 1872 के अधिनियम में स्वीकृत कर सम्मिलित किया गया था। उनके अनुसार अधिदेश की श्रेष्ठ की बदलावों द्वारा समय-समय पर भुक्ताना आवश्यक था, ताकि उनके माध्यम से एक परामर्शकारी टाउन बोर्डिंग पुनी जा सके। यह बोर्डिंग सरकार द्वारा नियुक्त एक उपरदायी निष्ठाएन अधिकारी के अधीन हो। श्रेष्ठ के द्वारा एक मेधा नियुक्त की नियुक्ति की जाय जो नगरपालिका अधिकार को नियंत्रण में रहे। फिरोजशाह मेहता की यह ही धारणा थी कि दुर्भाग्य में स्वामीय स्वशासन सम्बन्ध उनको ही दुःखी थी किन्तु दुर्भाग्य नहीं। उनके अनुसार स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता से स्वतंत्र प्रतिनिधित्व का ही उत्पन्न हो समाज का सम्बन्ध था,

वे यह मानते थे कि भारत के इतिहास में प्रथमतः अथवा प्रजातीयता सम्बन्धी कोई ऐसी कमी नहीं रही जिसके कारण वे प्रतिनिधि संस्थाओं का उपयोग करने में असमर्थ माने जायें। ग्रामीण समुदायों में प्राचीन समय से स्वशासी संस्थाओं का प्रचलन रहा था। इन संस्थाओं ने इतना दक्षतापूर्ण कार्य किया कि अब यह कहना हास्यास्पद लगता है कि भारतवासियों के लिए प्रतिनिधि संस्थायें विदेशी हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में शासकीय संस्थाओं का स्वशासी संस्थाओं के साथ इतना तालमेल बैठा हुआ था जितना शायद ही किसी और देश में रहा होगा। यह कहना सर्वथा अनुपयुक्त है कि भारत में मॉर्डन-बाप सरकार ही रही है और जनता में स्वशासन के प्रति किसी भी प्रकार की जागृति नहीं रही। फिरोजशाह मेहता ने यह तर्क बम्बई में स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को व्यापक प्रतिनिधित्व के आधार पर पुनर्संगठित करने के लिए व्यक्त किये थे। यद्यपि फिरोजशाह मेहता जैसे उदारवादी कांग्रेसी विचारक के उपर्युक्त विचारों को तत्कालीन ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इतना उग्र भागा कि उनके वक्तव्य की वृत्तिपूर्ण तथा अनुपयुक्त करार देकर एसोसिएशन की कार्यवाही से उनके वक्तव्य को निकाल दिया गया, किन्तु फिरोजशाह का उत्साह कम नहीं हुआ। अन्त में उनके प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ कि भारत सरकार ने बम्बई नगरपालिका को पन्द्रह लाख का अनुदान स्वीकृत किया और 1872 में एक विधेयक पारित करके सीमित प्रतिनिधित्व के आधार पर सदस्यता का निर्धारण किया गया, किन्तु फिरोजशाह इससे सन्तुष्ट नहीं हुए।<sup>15</sup>

लार्ड रिपन के शासनकाल में बम्बई प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन ने उनका अभिनन्दन किया और बम्बई नगरपालिका के संविधान सम्बन्धी मूल प्रश्नों को रिपन के शासनकाल में उठाया गया। फिरोजशाह का इस सम्बन्ध में विचार था कि बम्बई नगरपालिका में मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या कम की जाये और उनके स्थान पर निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का अनुपात बढ़ाया जाये। वे चाहते थे कि स्वतन्त्र मताधिकार के आधार पर यह कार्य किया जाये ताकि सच्चे अर्थों में पूर्ण प्रतिनिध्यात्मक स्थानीय स्वशासन का बम्बई वासियों को अवसर प्राप्त हो सके। फिरोजशाह के सुझावों के परिणामस्वरूप एक संविधि का गठन हुआ और सरकार ने स्वयं फिरोजशाह को इसका सदस्य नियुक्त किया। यह गमिति 1888 के नगरपालिका अधिनियम को संशोधित करने के लिए बनायी गयी थी। फिरोजशाह ने लार्ड रिपन जैसे भारत में स्थानीय स्वशासन के बोधक के कार्यकाल में वृद्धि की मांग के आन्दोलन का भी समर्थन किया। फिरोजशाह मेहता का यह विचार था कि लिटन जैसे वायसराय के कार्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि भविष्य में लिटन के समान ही और कोई वायसराय आ जाये और वह रिपन जैसे उदार तथा निष्ठावान वायसराय के कार्यों पर पानी फेर दे। इस दृष्टि से वे रिपन के कार्यकाल में वृद्धि चाहते थे ताकि स्थानीय स्वशासन की योजना को और भी अधिक आगे बढ़ाने में रिपन का और अधिक सहयोग प्राप्त हो सके। फिरोजशाह का यह निश्चित मत था कि नौरुजशाही जनता के कार्यों का प्रशासन आत्मोपता की भावना से अधिक समय तक नहीं कर सकती। उनके अनुसार तन्त्रे समय तक अन्धविश्वास में रहे गये भारतीयों से शासनकार्य में सहयोग की अपेक्षा करना और उन्हें सहयोग देने के लिए प्रयत्न करना सर्वथा अनुपयुक्त दिखाई देता है। फिरोजशाह ने प्रकसरशाही के द्वारा जन-प्रतिनिधियों की उपेक्षा को स्वशासन की दृष्टि से अत्यन्त घोर

बतलाया। वे इस नीकरशाही के बढ़ते हुए प्रभाव को सीमित कर सच्चे धर्मों में प्रजासैनिक विकेन्द्रीकरण स्थापित करना चाहते थे।<sup>7</sup> फिरोजशाह मेहता ने बम्बई नगरपालिका के अध्यक्ष की हैसियत से साइं रिपन को नगरपालिका-भवनों का शिलान्यास करने के लिए बम्बई आमंत्रित किया तथा 19 दिसम्बर 1884 को लिगे गये अपने निमंत्रण पत्र में साइं रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के सिद्धान्तों के सच्चे विकास का प्रतिष्ठाता माना।<sup>8</sup>

1889 के कांफेस के कलकत्ता-प्रधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिरोजशाह मेहता का चयन, कांफेस के उदारवादी मेमे की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं था। फिरोजशाह मेहता ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में पारसियों के योगदान को धामक प्रचार द्वारा कम करने बातों के विरुद्ध यह कहा कि भारत का पारसी उतना ही अच्छा व सच्चा पारसी है जितना एक मच्छा मुसलमान अथवा एक सच्चा हिन्दू और वह अपनी जन्मभूमि के प्रति उतना ही लगाव रखता है और अन्य भूमिपुत्रों के प्रति उतना ही स्नेहमय व्यवहार रखता है जितना कोई अन्य रख सकता है। एक सामान्य शासन के अन्तर्गत पारस्परिक सम्बन्धना का पारसियों को उतना ही ज्ञान है जितना की अन्य किसी को हो सकता है।

फिरोजशाह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उन विचारकों की भर्त्सना की जो भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की व्यापक स्थापना की मांग को इंग्लैण्ड के सदियों के प्रयासों के समक्ष नमयावधि की दृष्टि से उचित नहीं मानते थे। फिरोजशाह के अनुसार प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ही की गई थी और वह किसी जाति-कारी परिवेश में नहीं की गई थी। भारतीयों द्वारा अपने अधिकारों तथा अपने विशेषाधिकारों का जो ज्ञान गिरा के माध्यम से अज्ञित किया गया है उमां सदर्भ में भारतीयों ने प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग सामने रखी है। उन्होंने परोपजीवी नीकरशाही का उपहास करते हुए यह कहा कि भारतीयों के हितों को केवल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही सुरक्षित किया जा सकता है, न कि प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से और उन्होंने अत्यन्त जोरशक्ती वाली में यह स्पष्ट किया कि भारतीयों ने सीमित गिरा और प्रजातंत्र एवम् धार्मिक मनोमालिन्य के होते हुए भी यह गिद्ध कर दिया है कि उनके प्रतिनिधियों की अस्पृश्यता अपने देवतागियों की आश्चर्यचकाभो एवम् भावनाओं का गहरी प्रतिनिधिप्व कर सकती है, जबकि उनमें भी कम संख्या वाले मजबूत जिला अधिकारी, जिनका भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त के होटम परिवारकों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के समान होता है, देगा नहीं कर सकते।<sup>9</sup>

निष्ठा व्यक्त करते हुए अंग्रेज राजनेताओं से भारत में भी प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की कामना की।<sup>10</sup>

अक्टूबर 1892 में फिरोजशाह मेहता बम्बई प्रान्तीय काँग्रेस के पूना सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत में व्यवस्थापिका सभाओं के विस्तार को प्रमुखता देते हुए इन विचारों का पुरजोर विरोध किया जिसमें राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले भारतीयों के सामाजिक एवम् नैतिक सुधार तथा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग को प्रकृति के नियम के विरुद्ध बतलाया गया था। फिरोजशाह मेहता ने यह स्वीकार किया कि जब तक भारत के पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब तक प्रतिनिधित्व का कार्य पूर्ण नहीं माना जा सकता। स्वतन्त्रता समान रूप से सभी वर्गों को मिलनी चाहिए। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अल्पसंख्यकों तथा अछूतों के अधिकारों को पूर्णतया स्वीकार न करने तक किसी प्रकार का कोई भी कार्य न करें और समस्त विकास को अवरुद्ध करें।<sup>11</sup>

फिरोजशाह मेहता ने अहमदाबाद में नवम्बर 1893 को आयोजित प्रान्तीय सम्मेलन में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण की समस्या पर स्मरण पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का एक ही हाथ में केन्द्रीयकरण दोषपूर्ण व्यवस्था का परिचायक है। गाँवों में तथा कस्बे में प्रतिदिन जनता को राजस्व तथा न्यायिक अधिकारों के एक ही हाथों में एकीकरण के कारण अनेक कठिनाइयाँ भेलनी पड़ती हैं। कानून तोड़ने वाले अपराधियों को इतनी मुसीबत नहीं भेलनी पड़ती, जितनी इस कुव्यवस्था के अन्तर्गत ईमानदार जनता को नमक, अफीम, आबकारी, शस्त्र तथा भू-राजस्व अधिनियमों के अन्तर्गत भेलनी पड़ती है। इन कानूनों को क्रियान्वित करने तथा इनके आधार पर दण्डित करने का कार्य एक ही शक्ति के हाथों में होने से सत्ता का दुरुपयोग अवश्यम्भावी है। जनता को दोहरी मार का शिकार होना पड़ता है और निरपराधी दोषी ठहराये जाते हैं। कार्यपालिका से सम्बन्धित अधिकारी इस दोषपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध कोई सुझाव नहीं देना चाहते क्योंकि जितनी शक्तियों का प्रयोग वे इस व्यवस्था के तहत कर रहे हैं, उसमें कमी आ जायेगी। नौर-शाही के अतंकपूर्ण शासन को सीमित करने का यही उपाय है कि उचित प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का विभाजन कर दिया जाये। फिरोजशाह मेहता के उपर्युक्त विचार प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थे फिर भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह कार्य भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों द्वारा प्रेरित किया गया। इस प्रकार फिरोजशाह मेहता के प्रशासनिक सुधार सम्बन्धि विचार अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने स्थानीय स्वशासन तथा सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में अपने मौलिक चिन्तन का परिचय दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपने कुशाग्र बुद्धियुक्त सुझावों से मार्ग प्रदर्शित किया।<sup>12</sup>

मर होमी मोदी ने फिरोजशाह मेहता के जीवन चरित्र के अपने विनम्र अध्ययन के समापन में लिखा है कि फिरोजशाह मेहता ने बहुत कम उम्र में परिपक्व चिन्तन प्रस्तुत किया था। उन्होंने शिक्षा की समस्याओं पर जो विचार व्यक्त किये वे इन तथ्य

का प्रमाण हैं। पञ्चम वर्ष की सत्य प्राप्ति में ही उन्होंने नगरपालिका प्रभामन के सम्बन्ध में जो मौलिक मुधारों की योजना प्रस्तुत की वह उनके धनुषम योगदान की प्रतीक है। उन्होंने भारतीय प्रामाणिक सेवा के सम्बन्ध में जो मुधारों की योजना प्रस्तुत की तथा भारत की दलीय राजनीति के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये वे भाषी भारतीय पीढ़ी के लिए पथ-प्रदर्शक रहे हैं। एक दृष्टि से वे अपनी पीढ़ी के चिन्तन से द्यूत प्रागे थे। उनके चिन्तन की प्रखरता, उनका प्रोधी स्वभाव तथा दयम व्यक्तित्व उनके द्वारा देन के कई सूर्यय राजनेताओं से वैचारिक एवम् व्यक्तिगत संपर्क का कारण बन गया था।<sup>13</sup>

□□

### टिप्पणियाँ

1. एच. पी. मोदी, सर किरोजगाह मेहता, ए पोलीटिकल बायोग्रेफी, पृ. 18
2. महेगन, किरोजगाह मेहता : ए स्पेस ऑफ टिज साइक एण्ड केरियर, पृ. 34
3. एपीवेज एण्ड राइटिंग ऑफ सर किरोजगाह मेहता, पृ. 813
4. सी. आई. बिन्नामणी (सं), एपीवेज एण्ड राइटिंग ऑफ श्री मोनरेबल सर किरोजगाह एम. मेहता, पृ. 139-40
5. मय सनपलियर एण्ड सेटर एपीवेज एण्ड राइटिंग ऑफ श्री मोनरेबल सर किरोजगाह मेहता, (बांग्लादेश ट्रेड, बम्बई, 1918) पृ. 182-183
6. देखिये एच. पी. मोदी, सर किरोजगाह मेहता : ए पोलीटिकल बायोग्रेफी, पृ. 1, पृ. 64-75
7. वही, पृ. 144-148
8. वही, पृ. 158
9. वही, पृ. 252-255
10. वही, पृ. 256-259
11. वही, पृ. 280-281
12. वही, पृ. 269-298
13. वही, पृ. 11, पृ. 681

□□



सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता डाक्टर थे। उनकी प्रेरणा से वे स्नातक होने के पश्चात् आई० सी० एस० की परीक्षा की तैयारी के लिये लन्दन गये। आई० सी० एस० की परीक्षा में अन्ततः उत्तीर्ण होने के कारण उन्हें 1871 में सिलहट (बंगाल) में सहायक दण्डनायक के रूप में नियुक्त किया गया। किन्तु ब्रिटिश नौकरशाही के भारतीयों के प्रति भेदभाव के रवैये ने उन्हें चैन से नौकरी नहीं करने दी।<sup>1</sup> उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर उन्हें नौकरी से अल्पदण्ड कर दिया गया। वे अपने पक्ष को पँखा करने इंग्लैण्ड भी गये, किन्तु उनकी सफलता न मिली। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने उन्हें अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए अपने मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट में नियुक्त किया। 26 जुलाई, 1876 को सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, धानन्द मोहन बोस तथा शिवनाथ शास्त्री ने मिलकर कलकत्ता में "इण्डियन असोसिएशन" की स्थापना की। इस संस्था ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही प्रेरणा दी, अपितु कांग्रेस की भावी सफलता के लिए पथ-निर्माण भी किया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व ने इस संस्था को भारत-व्यापी महत्त्व का बना दिया। इण्डियन असोसिएशन के मूल सिद्धान्त थे :

1. भारत में लोकमत की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए कार्य करना।
2. भारतीय जातियों एवं जनता को समान राजनीतिक हितों एवं लक्ष्यों के प्राधार पर एकीकृत करना।
3. हिन्दुधर्मों एवं मुसलमानों के मध्य मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध को प्रोत्साहित करना।
4. सार्वजनिक आन्दोलन में जन समुदाय की सम्मिलित करना।<sup>2</sup>

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने राजनीतिक आन्दोलन की प्रेरणा इटली के देशभक्त मारिनी के जीवन से प्राप्त की थी। वे मारिनी को अपना "राजनीतिक गुरु" मानने लगे थे। इण्डियन असोसिएशन को भी उन्होंने मारिनी के विचारों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। किन्तु इस कार्य में एक अन्तर प्रकट था कि उनके कार्यक्रम में मारिनी के समान हिंसात्मक क्रांतिकारिता नहीं थी। बनर्जी का यह विश्वास था कि भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। इस विश्वास ने उन्हें भारत में संबैधानिक आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित किया।

मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट से अलग होकर उन्होंने कुछ समय तक की र्चर कावेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात् वे एक स्कूल से सम्बन्धित हो गये। उनके निदेशन में वह स्कूल रिपन कालेज में परिवर्तित हो गया और कने: कने: वह संस्था कलकत्ता की गणमान्य संस्थाओं में गिनी जाने लगी। उन्होंने रिपन कालेज के लिए

शासकीय सहायता स्वीकार नहीं की थी और इस कारण से उसे सरकारी हस्तक्षेप से दूर रहे रहे। 1904 में उन्होंने रिपन कालेज एक ट्रस्ट को सौंप दिया और वे 1912 तक वहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। फरवरी 1913 में इम्पीरियल सेजिस्ट्रेटिव वाउन्सिल में निर्वाचित होने के कारण उन्हें अध्यापन-कार्य छोड़ना पड़ा। अध्यापन-कार्य के प्रति अपनी घातकता ए मैगन इन मेरिग में उन्होंने यह उद्गार प्रकट किया :

“राजनीतिक कार्य यद्यपि अत्यधिक उपयोगी होते हुए भी अल्पाधिक रूप में धारणयोग्य है। शैक्षिक कार्य स्वयं में स्थायी उपयोगिता के तत्व लिए हुए है। एक शिक्षक का साम्राज्य सदा विद्यमान रहने वाला साम्राज्य है जो कि भविष्य तक विस्तृत है। शिक्षक भविष्य के स्वामी हैं। मैं उनके निर्यात अधिक सम्मानप्रद कार्य सोच ही नहीं सकता।”<sup>3</sup>

इंडियन प्रोग्रेसिवांस की स्थापना में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी सर्वस्व लगा दिया। जिस दिन इनकी स्थापना हुई उसी दिन प्रातःकाल बनर्जी के एक मात्र पुत्र का निधन हो चुका था। देश सेवा के कार्य में अपने व्यक्तिगत दुःख को भुलाकर बनर्जी ने इन गथा को धामे बढ़ाया। इस संस्था के एक वर्ष के कार्यकाल में ही भारतीयों को, जो कि भिन्न-भिन्न विचारों, प्रदेशों एवं समुदायों के थे, एक समान राजनीतिक कार्य के मंच पर ला गया किया। इसी मध्य ब्रिटिश सरकार ने इंडियन नेशनल गवर्नमेण्ट एक्ट की प्रस्तावों की प्रायुगीन 20 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी ताकि भारतीय अध्यापियों को प्रविष्ट होने का अवसर न प्राप्त हो सके। किन्तु इंडियन प्रोग्रेसिवांस ने एक राष्ट्रव्यापी धान्दोलन चलाने का संकल्प लिया। कालकता में बिरोध स्वरूप एक विनाश मार्बंजनिक गथा 24 मार्च, 1877 को आयोजित की गयी।<sup>4</sup> बनर्जी को गमस्त भारत का दौरा कर जनता को जागृत करने के लिए नियुक्त किया गया। उनकी यह भारतव्यापी यात्रा राष्ट्रीयता के प्रचार एवं प्रसार की दृष्टि से महत्वपूर्ण गिनी हुई। स्वयं बनर्जी ने यह अनुभव किया कि भारतीय भाषा, धर्म, जाति एवं प्रदेशों की दृष्टि से भिन्नता क्यों न रखते हो, वे सब राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक हो सकते थे। भारत की अनेकता में एकता पर उनका विश्वास बढ़ होता चला गया। इसी एकता के धारान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को बन दिया। बनर्जी द्वारा समर्थित धान्दोलन गफल हुआ और भारत की तत्कालीन सरकार ने निम्न गवर्नमेण्ट में भारतीयों की सीधी नियुक्ति के विरोधाधिकार का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया।<sup>5</sup>

इसी प्रकार इंडियन प्रोग्रेसिवांस ने साईं निटन द्वारा पारित कर्नाटुलर प्रेस-एक्ट तथा कामेन्स-एक्ट का भी बिरोध किया। बिरोध मंचन रहा और पहले एक्ट को साईं रिपन ने निरस्त कर दिया और दूसरे एक्ट में प्रावधान परिवर्तन बिदे गये। इंडियन प्रोग्रेसिवांस के प्रयासों से कालकता में 1883 में भारतीय राष्ट्रीय गवर्नमेण्ट बुकाना गथा, जिसमें देश के दूर-दूर से धाई सदस्यों ने भाग लिया। ऐसा ही गवर्नमेण्ट बुकाना 1885 में कालकता में आयोजित हुआ। इसी समय बार्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक बुलाई गयी थी, जिसके कारण सुरेन्द्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिदेशक के रूप में चुने गये। कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय गवर्नमेण्ट की इसी धारा बिदा गया। बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रस्ताव कर उसे स्थापन करने में दुर्ल

सहयोग दिया।

एक पत्रकार के रूप में भी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का अनुपम योगदान रहा। वे बंगाली पत्र के 1879 से 1919 तक संपादक एवं नियंत्रक रहे। उन्हीं के प्रयत्नों से इसे साप्ताहिक से दैनिक पत्र में परिवर्तित कर दिया गया। पत्रकारिता के माध्यम से बनर्जी की प्रथम सफलता इलबर्ट-बिल के विरोध से प्रारम्भ हुई। अंग्रेजों की आलोचना करने का एक अवसर ऐसा उपस्थित हुआ जिसने बनर्जी को रातों-रात जनता का नेताज बादशाह बना दिया। कलकत्ता के एक अंग्रेज जज ने किसी बाद में भगवान शालिग्राम की मूर्ति भ्रमालत में प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। इस बात को लेकर हिन्दुओं में बहुत रोष फैला। बनर्जी ने बंगाली के माध्यम से जज की भर्त्सना की, जिस पर उनके विरुद्ध भ्रमालत की मानहानि का आरोप लगाया गया। उनके द्वारा क्षमायाचना करने पर भी न्यायाधीश ने उन्हें दो मास का साधारण कारावास दिया। इस पर भारतव्यापी जन-आन्दोलन एवं विरोध-प्रदर्शन हुआ। बनर्जी लोकनायक के रूप में उभर आये।<sup>6</sup>

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के जीवन में बंगाल की एक ग्रन्थ महत्वपूर्ण घटना का भी विशेष प्रभाव रहा। वह घटना थी बंगाल का 1905 में किया गया विभाजन। लार्ड कर्जन तथा बँमफील्ड फुलर द्वारा बंगाल का विभाजन भारत के निवासियों के साथ एक क्रूर उपहास था। यद्यपि ब्रिटिश शासन ने इस विभाजन को प्रशासनिक सुविधा के लिए आवश्यक बताया, किन्तु यह शासकीय स्पष्टीकरण एक धोखा था।<sup>7</sup> वास्तविकता यह थी कि लार्ड कर्जन भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना चाहते थे। इसका सबसे गरल उपाय उनके द्वार प्रयोग में लाई जाने वाली-भूट डालो और राज्य करो नीति-थी। बंगाल का विभाजन हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट के बीज बोकर बंगाल के राष्ट्रवादी आन्दोलन को समाप्त करने के लिए हुआ था। बनर्जी ऐसे समय बव शान्त बैठ सकते थे। उन्होंने इण्डियन प्रोसिजेशन के माध्यम से बंग-भंग विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ किया। उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में स्वदेशी के प्रचार तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। शर्नः शर्नः यह स्वदेशी एवं बहिष्कार आन्दोलन सारे भारतवर्ष में फैल गया। पुनः विदेशी शासन ने अपनी हरकतों से भारत में राष्ट्रीयता की लहर पैदा की, जिसमें उदारवादी तथा उपवादी दोनों ही, कांग्रेस के तत्वावधान में, एकजुट होकर बंग-भंग विरोधी कार्यक्रम को सफल बनाने में लग गये। यद्यपि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी तथा बहिष्कार की नीति का अनुसरण किया किन्तु वे हृदय से संवैधानिक पद्धति के ही उपासक थे। किन्तु स्वदेशी तथा बहिष्कार का यह आन्दोलन उप्रतर होता चला गया। एक और उपवादियों ने इसे संबल दिया तो दूसरी ओर बंगाल के तर्हण क्रांतिकारियों की एक नई टोली उठ पड़ी हुई। अन्त में इस आन्दोलन की सफलता परिलक्षित होने लगी। दिसम्बर 12, 1912 में नाउ हाडिंग द्वारा बंगभंग को समाप्त कर दिया गया।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 1876 से 1899 तक कलकत्ता-नगर निगम के सदस्य भी रहे। 1897 में इंग्लैण्ड में बेल्वी-प्रायोग के समक्ष उन्हींने अपना माध्य दिया। वे निगम की ओर से बंगाली विधायी परिषद् के सदस्य भी रहे। वे पहले गैर-सरकारी भारतीय सदस्य के रूप में बंगाल की व्यवस्थापिकापरिषद् के लिए 1893 में चुने गये थे। वे

निरन्तर निर्वाचित होने रहे और 1901 तक इनके सदस्य बने रहे। उस समय तक ब्रिटिश सरकार के नियमों में सामंतीय नेत्रों से पण्डित्य व्यक्ति के लिए चुनाव नहीं किया गया था। किन्तु 1902 के भारत-परिषद्-अधिनियम में यह नियम भी जोड़ दिया गया जिसके कारण बनर्जी चुनाव नहीं मँड मरने थे किन्तु तत्कालीन उप-राज्यपाल ने, जो कि बनर्जी की व्यक्तिगत रूप से जानते थे, यह नियम उनके लिए निरस्त कर दिया। बनर्जी ने इनका नाम उठाने से इमलिए मना कर दिया कि वे बंगाल-विभाजन के विरोध स्वरूप विद्यापी परिषद् के लिए चुने जाना उचित नहीं मानते थे।<sup>8</sup> बाद में जब बंगाल का विभाजन समाप्त कर दिया गया, तब वे बंगाल की विद्यापी परिषद् तथा साम्राज्यीय विद्यापी परिषद् दोनों के 1913 के निर्वाचन में विजयी हुए। उन्होंने साम्राज्यीय विद्यापी परिषद् की सदस्यता पहला की और उनके सदस्य 1916 तक बने रहे। 1916 के निर्वाचन में उन्हें पराजित होना पड़ा। उनके स्थान पर श्रीरंग राय बसु का मननना निचो।<sup>9</sup> 1915 से 1918 के बीच होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति बनर्जी की विशेष दृष्टि नहीं थी। वे होमरूल आन्दोलन से दूर रहे। कांग्रेस की महानमिति ने बम्बई की बैठक में विविध प्रतिकार का प्रस्ताव सुनाया, 1917 में पारित किया जिसका बनर्जी ने विरोध किया। बनर्जी तथा देवबन्धु पितारजाशम से राजनीतिक मतभेद का प्रारम्भ हुआ। बनर्जी ने माई मोटेल की 1917 की खोज का स्वागत किया तथा विद्यापी परिषदों के सुधार की माँग की। उदारवादियों एवं उपवादियों में वैचारिक मतभेद का एक और दौर प्रारम्भ हुआ। बनर्जी तथा उनके सहयोगी उदारवादियों ने 1918 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन का बहिष्कार किया। इससे पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन्व से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने प्रोजेक्टों को तथा उदारवादी विचारों में जन सेवा का कार्य किया था। वे प्रायः धारासभाओं के सुधार पर अपने विचार व्यक्त किया करते थे। माप माप स्थानीय स्वशासन तथा भारतीय व्यक्तियों की अंग्रेजों सेवा में निरुक्ति उनके प्रिय विषय थे, जो कांग्रेस की पौष्टियों में उनके द्वारा विचारविमर्श के लिए प्रस्तुत किये जाते थे। कांग्रेस के 1895 के पूना तथा 1902 के अहमदाबाद अधिवेशन के वे अध्यक्ष रहे। वे कांग्रेस के प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में 1890 से 1905 भी चले और पणजी स्वतंत्रता के द्वारा ब्रिटिश जनता की मन्त्रमुग्ध कर दिया। वही उनका भावना धारकपण्डें दुनिया विदेश के सम्पर्क हुआ जो उनकी राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था।<sup>10</sup> कांग्रेस में संवैधानिक आन्दोलन के पक्ष-पातियों में बनर्जी प्रणीत थे। उनके विचार साता मातृभारत, विभक्त, विविधपण्ड पाण जैसे उपवादियों से मिलते थे। यही कारण था कि कांग्रेस के अन्दर बनर्जी तथा उपवादियों के

गयी। अन्त में बंगाल विधायी परिषद् के सदस्य निर्वाचक चुने गये। उन्हें 1921 में स्थानीय स्व-शासन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्यमन्त्री का पद दिया गया। उन्हें 'सर' के खिताब से सम्मानित किया गया। द्वैधशासन के विरोध स्वरूप जब कांग्रेस ने चुनावों का बहिष्कार किया बनर्जी मन्त्री-पद पर शोभायमान रहे। उनकी प्रतिष्ठा इस कारण से गिरी। निदकों ने उन्हें पदलोलुप तथा देशद्रोही तक कहा। उनकी भालोचना के गुब्बार में उनके द्वारा मन्त्री की हैसियत से स्थानीय स्व-शासन के क्षेत्र में किये गये कार्यों को भुला दिया गया। उनके निर्वाचन-क्षेत्र में भी उनका अनादर किया गया। इससे भी अधिक आघात उनके 1923 के निर्वाचन में डा० विद्यानन्द राय द्वारा पराजित होने पर हुआ।<sup>11</sup> उनके राजनीतिक एकाकीपन के इस जीवन का अन्तिम समय उन्होंने अपनी भात्मकथा ए नेशन इन मैकिंग पूरी करने में लगाया। अगस्त 6, 1925 में उनकी मृत्यु हुई। यद्यपि जीवन के अन्तिम दशक में उन्हें अपने विचारों एवं नीतियों के कारण कई कटु अनुभव हुए किन्तु भारत उनकी आधे शतक से अधिक काल तक की सार्वजनिक सेवा को नहीं भुला सकता। ऐसे समय में जब राजनीतिक आन्दोलन की बात करना दूभर था, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भारत में राजनीतिक चेतना का प्रयास प्रारम्भ किया। वे जीवनपर्यन्त संवैधानिक सुधारों एवं उदारवादी विचारों पर अडिग रहे। यह उनके संवैधानिक सुधारों का विश्वास ही था जिसने उन्हें मन्त्री-पद स्वीकार करा कर जनता का कोपभाजन बनाया। यह उनकी पदलोलुपता न होकर आदर्शों के प्रति उनकी अनुदार अट्टा ही कहीं जा सकती है।

### राजनीतिक विचार

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के राजनीतिक विचारों पर आंग्लप्रेमवाद का विशेष प्रभाव अंकित है।<sup>12</sup> वे मेकाले की उस भविष्यवाणी को चरितार्थ कर रहे थे जिसमें अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त भारतीय एक दिवस भारतीय रक्त तथा रंग के होते हुए भी रुचि, विचार, नैतिकता एवं बुद्धि में अंग्रेज सदृश होने वाले थे। यही कारण था कि बनर्जी जहाँ एक ओर भारत में स्व-शासन की मांग कर रहे थे तो दूसरी ओर उनका विचार ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्व-शासन प्राप्त करने का था। वे ब्रिटेन के मांगदशन में भारत की प्रगति का स्वप्न देखते थे। भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग प्रस्तुत करना तथा अंग्रेजी शासन से प्रार्थना एवं याचिकाओं के माध्यम से नवीन सुधारों को लागू करवाना उनका उद्देश्य रहा। ब्रिटेन के समर्थन एवं सहयोग के बिना स्व-शासन प्राप्त करना उनकी दृष्टि में असंभव सा था। उनका विश्वास था कि ब्रिटेन का भारत में महान् उद्देश्य है। भारत की दासता, अंधकार एवं अज्ञान से बचाने का कार्य ब्रिटेन के माध्यम से ही हुआ है। भारत में एकता की स्थापना ब्रिटिश शासन का ही प्रतिफल है।<sup>13</sup>

पाश्चात्य प्रभाव में पूर्णतया रगे हुए, वे पाश्चात्य ग्राहित्य को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रेरक मानते थे। भारत में स्वतन्त्रता एवं समानता के उच्च सिद्धांतों का प्रवर्तन केवल वरदान रूप में प्राप्त ब्रिटिश शासन ही कर सकता था। भारत में निर्वाचन की सुविधा, राजनीतिक उत्तरदायित्व, संवैधानिक स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक दलों के प्रति चेतना सभी अंग्रेजों के सहयोग एवं आशीर्वाद से ही गुनगुन हो सकती थी। अतः बनर्जी अंग्रेजी शासन को दासता का अभिशाप न मानकर विघाता का परम उपकारी विघात मानने दे।<sup>14</sup>

बनर्जी के अनुसार अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य शिक्षा ने भारत के करोड़ों निवासियों को एकता के मूत्र में पिरोने का मफल यत्न किया था। बहुभाषा-भाषी भारत में राष्ट्रीय एकता के बीज अंग्रेजी भाषा ने ही बोये थे। इनमें पहले भारत प्राप्तिदान के संकुचित विचार से ग्रस्त था। अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों ने ही विभिन्न प्रांती के मम-विचारक व्यक्तियों को एकत्रित कर राजनीतिक आंदोलन का प्रारम्भ किया था। मगध बनर्जी के इन प्रगाथ अंग्रेजी-प्रेम एवं अदूरदर्शी विचारों ने ही उन्हें अपनी धारमरथा का शीर्षक 'ए नेशन इन मेकिंग' रखने की प्रेरणा दी। वे मह भूल गये कि भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों से विरामत में नहीं मिली थी और न ही भारत की बहुभाषा-भाषिता राष्ट्रीय एकता में बाधक सिद्ध हुई थी। भारत की एकता का रहस्य केवल भाषा न होकर भारतीय संस्कृति एवं धर्म था। किन्तु मेकासे के मानस-पुत्र इस तथ्य को स्वीकार करने में कतराने रहे और आज भी कतराते हैं।

मुरेन्द्रनाथ बनर्जी सर्वैधानिक विरोध के पक्षपाती थे। उन्हें इस पद्धति की अंतिम मफलता पर बड़ विश्वास था। वे भारत तथा इंग्लैण्ड की जनता को भारतीय मामों के प्रति इसी विधि से आकर्षित कर अपने पक्ष में जनमत तैयार करने का विचार रखते थे। उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं सदाचारिता पर पूरा भरोसा था। वे तन्त्रे समय तक इस सर्वैधानिक पद्धति के प्रयोग का पक्ष प्रतिपादित करते रहे। उन्हें विश्वास था कि चाहे अधिक समय ही क्यों न लगाना पड़े, सर्वैधानिक पद्धति में ही स्व-शासन प्राप्त होगा। उन पर मेकासे, बर्क, मिल, स्पेयर, फाबन, पिट, अरोडन आदि ब्रिटिश विचारकों का प्रभाव स्पष्ट अंकित था। इटली के मुर्मिडो देगमरु मस्मीनी का धारम-बलिदान एवं धारमविश्वास उनके प्रेरक थे। जिन प्रकार मस्मीनी ने नैतिक एवं धार्मिक धेतना के प्रसार को राजनीतिक प्रगति का आधार बताया था उसी तरह बनर्जी भी धार्मिकता को राजनीति में विलग नहीं मानते थे। मस्मीनी के महन वे राष्ट्रीयता की भावना का भी संचार करने के दृष्टान्त थे। वे उदारवादी ध्यक्तिसाध एवं नैतिक धारमवाद को राजनीतिक विचारों की दृष्टि में प्रमुयता देने थे। इसी प्रकार ब्रिटिश मरिधानवाद उनके विचारों का आधार बन्य था। यही कारण था कि उनके द्वारा सर्वैधानिक मुषाओं की मांग का आंदोलन अधिक तीव्रता से चलाना गया। सर्वैधानिकता के माध्यम में धारम में शनिक राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने में विश्वास करने थे। उनके सामने ब्रिटेन का उदाहरण था जिसे वे भारत में मरनीयुक्त बनाना चाहते थे।<sup>15</sup>

सर्वैधानिक दृष्टि में वे नैतिक धारमवाद के पक्षपाती थे। राजनीति में नैतिक धारमवाद का पुट देकर उन्होंने इस सर्वैधानिक धारमता को प्रयोक्तमक बताया। वे हीना में भयवान थीं इप्ता के धर्मयोगवाद में प्रभावित थे।<sup>16</sup> मरिधो ने उनके धारम राजनीति के धारमभीकता का जो प्रयोग किया वह बनर्जी के धारमों में करने से ही विद्यमान दिखाई देता है। किन्तु इस का मुलं श्रेय बनर्जी का नहीं मिल पाता, बरौकि वे धारमिक राजनीति में इनके उपभे रहे कि धारम राजनीतिक सिद्धांतों की मुलं धारमता एवं दूरदुगार राजनीतिक धारमता सिद्धि में बर पाते। इनके मुलं श्रेय धारम परिवर्तित होता है कि धारम के राजनीतिक एवं सामाजिक धारम में धारमभीकता का पुट विचारकों की धारमता द्वारा मरदिन रहा है। धारमता धारम के मुलं धारम

निमज्जित होते हुए भी बनर्जी भारतीय संस्कृति एवं भारत की राष्ट्रीय धरोहर को भूल नहीं पाये थे। भारत के प्राचीन गौरव के प्रति वे आस्थावान थे। यही कारण है कि भारत में राष्ट्रीय जागरण के लिए उनके अनेक भाषणों का विषय भारत की गौरवपूर्ण परम्परा ही रही। भारत का प्राचीन इतिहास, भारतीय एकता, मत्सीनी, चैतन्य महाप्रभु तथा सिक्खों का कार्यकलाप उनके भाषणों के विषय रहे।<sup>17</sup> वे भारत माँ की सेवा को ही सर्वोच्च धर्म मानते थे। उनके अनुसार इससे बड़ा और कोई बलिदान नहीं हो सकता कि व्यक्ति देश के काम आये।

अपने उदारवादी दृष्टिकोण के कारण बनर्जी ने रानी विक्टोरिया की नवम्बर 1, 1858 की घोषणा को महत्त्वपूर्ण मानते हुए यह व्यक्त किया कि भारत के निवासियों की प्रसन्नता ही भारत में अंग्रेजी शासन की सफलता की कसौटी है। यदि सरकार अपने उत्तरदायित्वों से च्युत हो जाती है तो वह जनता का सहयोग कदापि नहीं पा सकती।<sup>18</sup> बंगाल-विभाजन (1905) के संदर्भ में बनर्जी ने यह मत व्यक्त किया कि दमन का प्रयोग शासन के लिए घातक होता है। दमनकारी शासन को जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए वर्षों तक प्रयत्न करने होते हैं। 1857 की घटना के बाद भारत के निवासियों का हृदय ब्रिटिश शासन ने तुष्टीकरण की नीति द्वारा ही जीता था।<sup>19</sup>

बनर्जी सहयोग तथा असहयोग दोनों ही नीतियों के समर्थक थे। वे न तो पूर्णतया ब्रिटिश शासन से सहयोग की नीति पर चलना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करना स्व-शासन की दृष्टि से लाभप्रद नहीं हो सकता था। इसी प्रकार पूर्ण असहयोग भारत में संबैधानिक सुधारों के आंदोलन से तालमेल नहीं खाता था। यही कारण है कि बनर्जी के प्रारम्भिक राजनीतिक जीवन में तथा बंगाल के विभाजन के समय उनके उद्गारों में जिस असहयोग का चित्रण मिलता है, वह उनके द्वारा मंत्री पद-ग्रहण करने तथा गांधी जी एवं उप-वादिओं का विरोध करने सम्बन्धी उनके विचारों में नहीं मिलता। यदि शासन जनता द्वारा इच्छित नियमों के अनुरार चलने लग जाये तो फिर असहयोग की आवश्यकता ही क्या है ऐसा उनका मत था। उन्हें असहयोग का समस्त दर्शन नकारात्मक प्रतीत होता था। असहयोग, घृणा एवं अराजकता का प्रतीक दिखाई देता था। विचारवाद तथा व्यावहारिक राजनीति दोनों ही दृष्टियों से असहयोग उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ।<sup>20</sup>

बनर्जी साम्राज्यवाद के उग्रतम विरोधी थे। वे साम्राज्यवाद को निरंकुश शासन का ही प्रतिरूप मानते थे। साम्राज्यवाद लोकप्रिय सत्ता का विरोधी होने के नाते एकतन्त्रात्मक था। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधी थे, क्योंकि यह ब्रिटेन की स्वतन्त्रता की रक्षा तथा ब्रिटिश उपनिवेशों की शासता का पोषक था। इतिहास पर अपने विचारों को आधारित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेशों का तथा शक्ति का विस्तार दोनों ही लोकप्रिय सरकारों के लिए घातक सिद्ध हुए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य केवल अंग्रेजी भाषी एवं अंग्रेज रक्त के व्यक्तियों के संगठन का प्रतीक रहा है। भारतीय रक्त के व्यक्तियों के लिए केवल अंग्रेजों की सेवा करना ही अपने हिंस्र में प्राप्त हुआ है। दक्षिणी अफ्रीका में नाटाल की रक्षा के लिए भारतीय निवासियों का प्रयोग किया गया, चीन में भारत के निवासी भेजे गये और चीन की दीवार पर उन्होंने ब्रिटिश शासन के झंडे को फहराया फिर भी भारत के निवासियों के साथ भेदभाव किया गया।<sup>21</sup> वे

ग्लेडस्टन के उदारवादी कार्यक्रम का समर्थन करते हुए अनुदारवादी शासन को जनहित का विरोधी मानते थे। उन्हें भारत के ब्रिटिश शासकों की शासन-शोकात् एवं विद्रुनधर्मी पसंद नहीं थी। एक और वैभव का प्रदर्शन हो रहा था तो दूसरी ओर समय के पाप बागानों के मजदूरों पर धरशाधार हो रहे थे। यही कारण था कि बनर्जी भारत में स्वतन्त्रता के संदेश को स्थायी बनाना चाहते थे। वे यह मानते थे कि स्वतन्त्रता की देवी धरने भक्तों में कठिन प्रार्थना एवं इच्छा तथा दीर्घ उपायना मांगती है। उसे प्रमत्त करने के लिए धैर्य एवं धारम-बलिदान की भक्ति की आवश्यकता है जिसे संबंधानिक कार्यक्रम के दूरगामी प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है।<sup>22</sup>

बनर्जी ने धरने स्व-शासन सम्बन्धी विचारों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी। वे स्व-शासन की प्राप्ति ब्रिटिश साम्राज्य के हित में, प्रशासन के हित में तथा धारमसुरक्षा के हित में मानते थे। स्व-शासन के राष्ट्रीय मदर्शों में वे जनता की नैतिक एवं धार्यात्मक उत्पत्ति को मानते थे। उन्होंने एक भविष्य श्वा के रूप में यह शक्त किया था कि भारत को स्व-शासन देना स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य के हित में हीगा। उन्हें ऐसी सभावना प्रतीत हो रही थी कि विश्व कही पुनः महायुद्ध की शिविति में न पडूथ जाये। यदि विश्व-युद्ध हुआ तो भारत इंग्लैंड की महायत्ता स्व-शासित राष्ट्र के रूप में भलीभांति कर पायेगा और जर्मनी ने पुनः इंग्लैंड से युद्ध किया तो उसे मुंह की गानी पड़ेगी।<sup>23</sup> यद्यपि भारत में पूर्ण स्व-शासन की स्थापना तो विलंब में हुई किन्तु बनर्जी के उद्गार मत्त्व प्रतीत हुए और जर्मनी से लोहा लेने में तथा ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा में भारतीय धन एवं शक्त पानी की तरह बहाया गया। यदि भारत का सहयोग उम समय इंग्लैंड को न मिला होता तो विश्व का इतिहास कुछ और ही होता। वे प्रशासन की दृष्टि में स्व-शासन की मांग की इस कारण से हितकारी मानते थे कि स्व-शासन के अंतर्गत प्रशासन को धर्याति एवं श्वा का शासन नहीं करना पड़ेगा। शासन में जातिधारियों के श्वा-मत्त्व रवेंदे के लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन को उत्तरदायी ठहराया। वे मानते थे कि धर्याति एवं धौदीनिक कारणों से श्वा-मत्त्व धौदीनिक को बन मिला है। उन्होंने यह श्वात दिया था कि यदि धारम की स्व-शासन दे दिया गया तो ए धर्या की धर्या में धर्या-मत्त्व पुनः श्वा धर्या ही जायेगी। वे मर हैनरी बेन्टलेन संनर्मेन के श्वा को धर्या-मत्त्व कर रहे थे कि सु-शासन स्वशासन का स्थापन नही से मत्त्व।<sup>24</sup> जारान, टर्की, चीन धर्या के श्वा-मत्त्व में



इसी प्रकार बनर्जी ने स्व-शासन को आत्म-सुरक्षा का साधन भी सिद्ध किया। उनका यह तर्क था कि यदि भारत को स्व-शासन मिल गया तो उसे अपने प्रतिनिधियों के स्वतंत्र निर्वाचन का सुझाव प्राप्त होगा और ब्रिटिश साम्राज्यीय परिपदों में सच्चे भारतीय प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त होगा। अंत में वे स्व-शासन को जनता की आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार राजनीतिक हीनता की भावना नैतिक पतन को जन्म देती है। एक परतंत्र व्यक्ति की आत्मा एवं बुद्धि स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा एवं बुद्धि के समान कदापि नहीं हो सकती। उनके अनुसार किसी परतंत्र राष्ट्र में परतंत्र, बुद्ध, वाल्मीकि उत्पन्न नहीं हो सकते। हम स्व-शासन प्राप्त करके ही अपना मस्तक ऊचा उठा कर चल सकते हैं। बनर्जी ने स्व-शासन की मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए यह भी व्यक्त किया कि भारत स्व-शासन केवल अपने लिए ही नहीं मांगता। वह स्व-शासन की मांग समस्त मानवता के लिए करता है। उनके अनुसार, ".....भारत के वैदिक ऋषियों ने गंगा तथा यमुना के तट पर विश्व प्रभात की बेला में, उन ऋचाओं का गान किया है जो नवजात मानवता द्वारा ईश्वरीय आदर्श के प्रति प्रथम उद्गार के रूप में सर्वज्ञात हैं। सप्त पर्वतों पर बने वाली सनातन नगरी के निर्माण के पहले से ही भारत मानवता का अग्रणी रहा है। काशी का निर्माण हुआ। काशी बेबीलोन के पहले से ही वैभवपूर्ण रही है।"..... जिन दिनों विश्व बर्बरता में डूबा हुआ था, भारत विश्व मानवता का मार्गदर्शक एवं शिक्षक था। किन्तु आज हमारा उद्देश्य अधूरा पड़ा है। इसे पूरा करना है ताकि यूरोप को भौतिकता एवं युद्ध के उन्माद से बचाया जा सके। हमें पुनः मानवता का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनना है। किन्तु स्वयं स्वतंत्र हुए बिना हम यह कार्य कैसे पूरा कर सकते हैं। उस महान् सद्य की प्राप्ति के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए।" 26

### सामाजिक विचार

यद्यपि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन में सामाजिक सेवा अथवा सुधारों के लिए अधिक समय नहीं दे सके फिर भी उनके सामाजिक विचार उनकी मशहूर अभिलाषाओं के प्रतीक हैं। वे स्वयं कहा करते थे कि राजनीति से संन्यास लेने के पश्चात् वे सामाजिक सुधार के महान् प्रेरक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर द्वारा चलाये गये विद्यार्थी-उद्धार कार्यक्रम में अपना शेष जीवन लगा देंगे।<sup>27</sup> राजनीति ने उन्हें मुक्त नहीं किया और विद्यासागर के आंदोलन में वे अपना योगदान न दे पाये किन्तु उनका इस कार्य में लगाव उनकी अन्तःप्रेरणा का साक्ष्य रहा। बनर्जी पुरातन पंथी हिन्दू विचारधारा के अनुगामी नहीं थे। उनका सामाजिक दृष्टिकोण प्रगतिशील था। वे समाज में होने वाले परिवर्तन के प्रति जागृत थे। किन्तु क्रांतिकारिता एवं त्वरित परिवर्तन उनके स्वभाव में नहीं था। क्रमिक विकास के पक्षपाती थे। पश्चात्पुनः विचारधारा में रंगे होने के बावजूद वे भारतीयता के प्रतीक हों माने जाने चाहिए। वैशुभपा, रहन-महन तथा गानपान में वे विशुद्ध भारतीय थे। उनके इस स्वदेशी दृष्टिकोण का अंग्रेजों की नकल करने वाले भारतीयों पर प्रभाव न पड़ा हो, यह मानने योग्य कैसे हो सकता है। वे सामाजिक जीवन में चरित्र की शुद्धता के प्रतीक थे। उनके निरपलक चरित्र का बंगाल की मुवापीड़ी पर प्रभाव पड़े

बिना न रहा। उनके द्वारा विदेशयात्रा करने के कारण उन्हें उनके समाज ने प्रारंभ में निष्कासित माना, किंतु उनके देखते ही देखते इतना सामाजिक परिवर्तन घाया कि वे एक संप्रान्त व्यक्ति के रूप में माने जाने लगे। बनर्जी की यह धारणा थी कि समय के साथ नानैः नानैः परिवर्तन घटिक स्थायी हुआ करते हैं। बाल-विवाह, विधवा-विवाह,<sup>25</sup> पन्नाज्जातीय विवाह तथा समुद्र-यात्रा संबंधी भारतीय पुरातन दृष्टिकोण में बनर्जी जैसे प्रगतिशील विचारकों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा और कालांतर में एक नया सामाजिक दृष्टिकोण बनने लगा।

बनर्जी समाज की भ्रमययी एकता में विश्वास करते थे। उनका यह दृष्टिकोण था कि मानव-मस्तिष्क चलत चलत विभागों में बंटा हुआ नहीं है। मानव-प्रयासों का किसी एक दिशा में निदेशन अन्य गतिविधियों को भी निश्चित रूप में प्रभावित करता है। उनकी यह मान्यता थी कि सामाजिक सुधार का कार्य राजनीतिक गतिविधियों से ही जुड़ा हुआ है। सामाजिक सुधार, औद्योगिक उत्पत्ति, नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्पत्ति सभी राष्ट्रीय जागृति के कार्यक्रम से गुंथे हुए हैं। उनके अनुसार ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा केशवचन्द्र सेन द्वारा किये गये सुधारों का क्रिस्टोदास पाल तथा अन्य पर प्रभाव पड़ा और बंगाल की पाश्चात्य प्रभाव में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक पीढ़ी ने सिद्धित एवं परिशिष्ट सभी वर्गों पर प्रभाव डालते हुए उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध किया। बनर्जी इस प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा नैतिक सुधारों को समान महत्त्व देते हुए उनके सम्मिलित क्रियान्वयन पर बल दे रहे थे।<sup>26</sup> उनकी दृष्टि में स्वदेशी तथा बहिष्कार का आंदोलन केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन सामाजिक तथा धार्मिक भी था। सामाजिक दृष्टि से स्वदेशी एवं बहिष्कार की भावना ने समाज में फैली हुई कुुरीतियों को दूर करने की प्रेरणा दी। भारत में पाश्चात्य प्रभाव को सीमित कर राष्ट्रीय चेतना की वृद्धि में उससे पूर्ण सहायता प्राप्त हुई। वे हिन्दू-समाज की कड़वादिता का विरोध करते रहे और उसे दूर करने के लिए शैतन्य, ब्रह्म-समाज के प्रवर्तक राजा राममोहन राय, देवेन्द्र नाथ ठाकुर के विचारों को सौकरप्रिय बनाने में अपना योगदान देते रहे। एक सच्चे ब्रह्म-समाजी के रूप में उनका सामाजिक तथा कड़वादिता का विरोध एवं क्रमिक सुधारों का प्रतीक था।<sup>30</sup>

**धार्मिक विचार**

बनर्जी का अपने संबंधी दृष्टिकोण जॉन ब्राइट के इन विचारों में प्रभावित था कि धर्म किसी भी देश की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाइये और धारण की गईं कि धर्म और स्थितियों की जानकारी स्वयः मिल जायेगी।<sup>31</sup> धर्मात्मी वित्तीय स्थिति से ही देश की राजनीतिक स्थिरता कांकी जा सकती है। भारत की वित्तीय स्थिति पर बीबीसी हुए बनर्जी ने 1895 की पुस्तक-राज्य के अपने व्यापक भाषण में भारत में ध्यान घाटे एवं धर्म की और ध्यान घाट्ट किया। भारत के विचारविमर्श एवं जनता की दिशा में ही धर्म की दृष्टि से ही उन्होंने भारत को उत्तरदायी बताया। उनकी ऐसा प्रतीत हुआ कि धर्म की वित्तीय स्थिति जनता की भावनाओं एवं बटिनाइयो के प्रति जागृत नहीं थी। धर्म के व्यापक विचारों तथा धार्मिक दृष्टिकोण को उन्होंने पसंद नहीं किया। धर्म के अर्थों का कारण बनता है हुए बनर्जी ने भारत-परिवार की धार्मिक संस्था

को इसके लिए दोषी ठहराया। रुपये के अवमूल्यन से गिरती हुई स्थिति को घोर भी गिराने का उत्तरदायी माना।<sup>32</sup>

जनता की राजनीतिक प्रगति के लिए जनता की आर्थिक समृद्धि को मूल मापदण्ड मानते हुए उन्होंने बतलाया कि भारत के उद्योगों का विकास एवं संरक्षण होना चाहिए। जब तक उद्योगों का उचित संरक्षण एवं संवर्धन नहीं होगा तब तक भारत में राष्ट्रीय जागृति बलवती नहीं हो सकती। बम्बई के कपड़ा-उद्योग, बंगाल के जूट-उद्योग, आसाम का चाय-उद्योग तथा मध्य प्रांत एवं दक्षिण भारत के कोयला एवं लौहा-उद्योगों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। वे तत्कालीन फ़ैक्ट्री नियमों की उत्पादन घटाने तथा उत्पादन मूल्य बढ़ाने वाले मानते थे। भारत सचिव पर अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा दबाव डाला जा रहा था कि वे ऐसे नियम बनायें जिससे भारत के व्यापारी तथा उत्पादक लाभान्वित न हो सकें। बनर्जी ने लंकाशायर के सूती कपड़ा-उद्योगपतियों को भारत के सूतीवस्त्र-उद्योग को शिथिल करने का दोषी पाया। स्काटलैंड में डण्डी के जूट-निर्माताओं ने भारत के जूट-उद्योग को जर्जरित करने का प्रयास किया।<sup>33</sup>

बनर्जी ने बेरोजगारी की समस्या पर भी अपने विचार व्यक्त किये। वे भारतीय सरकारी सेवा में भारतीयों की नियुक्ति पर इस कारण से बल दे रहे थे कि यह उनको दृष्टि में भारत की वित्तीय स्थिति को सुधारने वाला तत्त्व था। भारत की निर्धनता रोजगार के नये तरीकों के प्रयोग से और अधिक रोजगार प्रदान करने से दूर हो सकती थी। वे दादाभाई नौरोजी तथा रॉबर्ट नाइट के वित्त सम्बन्धी विचारों से सहमत थे और वित्तीय निर्गम को भारत की आर्थिक दुर्दशा का कारण मानते थे। भारत से पूंजी बाहर जाना भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा था। उनके विचारों के अनुसार विदेशियों की भारतीय सेवाओं में नियुक्ति नैतिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद तथा राजनीतिक दृष्टि से अव्यवहारिक थी। वे प्रतियोगी-परोक्षाओं में भारत के निवासियों को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करने के पक्षपाती थे। प्रशासनिक सेवा, तकनीकी सेवा, पुलिस-सेवा, वन-सेवा सभी में भारतवासियों को उचित स्थान दिवाने के वे पृष्ठपोषक थे।<sup>34</sup> उन्हें इस बात का क्षोभ था कि भारत के निवासी अंग्रेजों की दृष्टि में प्रशासन के योग्य नहीं माने जाते थे। रंग, जाति, रक्त प्रादि के आधार पर किया गया भेदभाव उन्हें स्वीकार नहीं था। वे मानते थे कि हम भारतीय कितनी भी दृष्टि में हेय नहीं हैं। हम अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व है। हम उस सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जो मानव सभ्यता के उषाकाल से हमें संयुक्त करती है। बनर्जी इतने पर भी यह मानते थे कि अंग्रेजों के शासन में इंग्लैण्ड के नागरिकों के समान भारतीय भी स्वतन्त्रता एवं समानता के अधिकारों से अवश्य युक्त होंगे।<sup>35</sup>

बनर्जी भारत के निवासियों की सेना में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए भी प्रयत्नशील थे। भारत के शूरवीर ब्रिटिश सेना में मुखेदार-भेजर के पद में प्रथम पदोन्नत नहीं किये जा रहे थे। वे मजाक में कहा करते थे कि अंग्रेजों के शासन में निवासी, हैदरअली, रणजीतसिंह, महादजी सिधिया भी ब्रह्मण के पद में ऊंचा पद भारतीय सेना में नहीं पा सकते थे।<sup>36</sup>

घषने घहमराबाद-कापेत के 1902 के अध्पतीय भाषण मे बनर्जी ने कहा कि हमारे उद्योगी को संरक्षण की आवश्यकता है। उन्मुख प्यारर मे भारत को हानियां उठानी पड़ी है। शासन को चाहिए या कि यह भारत की आर्थिक प्रगति के लिए निराम बनाया। यदि शासन ऐसा नहीं करता तो स्वयं भारतीयों को घषने ममरत मोमधेम का उपयोग करते हुए घषने बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी को अंगीकृत कर हम देश के लिए उपयोगी मिष्ट हो सकते हैं।<sup>127</sup> इसी भाषण में बनर्जी ने ब्रिटिश शासन की मणितियों एवं घषयोगों का शासन बताया। देश की साम्बिक परिस्थितियों का निपटारा इन घषयोगों के द्वारा कराने में शासन अक्षमता रहा है। भारत में पढ़ने वाले अकाल इसने गाथी है। बनर्जी का विश्वास था कि शासन द्वारा भारत की निधनता का यथायं निपट प्राप्त करने के लिए मोमनीय जाप-पढ़ान में विशेष साध नहीं हुआ। लाटं रिपन तथा लार्ड हफरिन दोनों के समय में यह जाप-पढ़ान हुई, किन्तु उनसे वास्तविकता को छिपाने तथा ब्रिटिश शासन की प्रुटियों पर पर्दा डाने का कार्य ही किया गया।<sup>128</sup> इस प्रकार सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने तत्कालीन आर्थिक समस्याओं पर जनमत जागृत करने की शक्ति से घषने विचारों को विभिन्न माध्यमों में स्वरुप दिया।

#### सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का योगदान

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने निरन्तर 50 वर्षों तक भारत की मार्बनिक सेवा की। ने उदारवादी विचारक थे, घषः अंग्रेजीराज को भारत में ममून गल्ट करने का विचार उन्हें ममीधीन प्रतीत नहीं हुआ। भारत के उधवादी विचारकों के समान उनको बर्बात नहीं हुई, किन्तु इसका यह घषं बदाधि नहीं हो सकता कि बनर्जी घषः उदारवादी विचारकों के समान भारत के राष्ट्रीय शक्ति पर शीघ्र तिरोहित हो गये। बनर्जी घषः उदारवादीयो से निपट थे। उन्हें शासन का ममपन एवं बिरोध करने का जो मुधममर घषण हुआ वह घषः उदारवादीयो से निपट था। अंग्रेजीशासन द्वारा कायराय एवं घषमान भुगाने जाने से एकमात्र उदारवादी थे। इसी तरह भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में देश-धामियों का नेतृत्व करने वालों में बनर्जी ही ऐसे व्यक्ति में गिःहोने सर्वप्रथम घषणो पर गहाना। उनके जीवन का यह बिरोधभाग उनके आलोचकों द्वारा उनके बिरोध में पूरु घषणक हुआ। किन्तु बनर्जी को माध्याय्य परनोनुप शक्तियों की अंगी के नहीं तथा का मरुत। के राष्ट्रप्रेम तथा सर्वधामिकता के घषः उदायक थे। आधुनिक भारत में यह शक्तिविह आन्दोलन घषनी घषःवाक्या में था, बनर्जी ने घषने वाली एवं भाषणी के

पूर्वजों ने महान् साम्राज्यों की स्थापना की, वैभवशाली नगर बसाये, और नीतिशास्त्र, धर्म तथा एक ऐसी महान् भाषा का विकास किया जो कि आज भी सम्पन्न विश्व द्वारा प्रशंसित है। स्व-शासित संस्थाएं धार्यसभ्यता की मुख्य विशेषता थी। स्वयं सर हेनरी मेन ने कहा है कि स्व-शासित संस्थाओं का सर्वप्रथम उदाहरण भारत के प्राच्य घालेघो से मिलता है। भारत के ग्रामीण समुदाय उतने ही प्राचीन हैं जितने पर्वत। अतः भारत में स्व-शासित संस्थाओं की माँग भारत के बौद्धिक एवं वैचारिक स्तर के अनुरूप है।<sup>40</sup> बनर्जी के ये उद्गार उनकी देशभक्ति तथा देशाभिमान के शाश्वत प्रतीक माने जाते रहेगे। निस्संदेह "बनर्जी के बिना भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की कल्पना असम्भव है।"<sup>41</sup>

□ □

### टिप्पणियाँ

1. सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग (आथपकोड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, रिप्रिंट, 1963) पृ. 25-31
2. वही, पृ. 39
3. वही, पृ. 35
4. वही, पृ. 41
5. वही, पृ. 50
6. वही, पृ. 69-73
7. वही, पृ. 174-175
8. वही, पृ. 238
9. वही, पृ. 278
10. वही, पृ. 107-108
11. एम. के. बोस, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, (पब्लिकेशन्स डिबीजन, इण्डिया, नई दिल्ली, रिप्रिंट, 1974), पृ. 173
12. टेनिसल ऐरलोव, मोडरेट्स एण्ड एक्स्ट्रीमिस्ट्स इन द इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, 1883-1920, (एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1967) पृ. 1
13. नटेशन, बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी : बी मेन एण्ड हिम् निशन, (मद्रास 1917), पृ. 19
14. ए नेशन इन मेकिंग, पृ. 19
15. वही, पृ. 178
16. बनर्जी द्वारा दादाभाई नौरोजी पर दिया गया व्याख्यान, आर. के. प्रभु, एन. एन्थोलोजी ऑफ मोडर्न इण्डियन एंथोलोजी, (विद्याभवन, बम्बई, 1960) पृ. 29
17. देखिये बोस, पृ. 180
18. स्पीचिंग एण्ड राइटिंग ऑफ आनरेबल सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सेनेटरेट बाई रिमोस्ट, (नेशन, मद्रास, 1920), पृ. 119
19. वही, पृ. 373
20. बोस, पृ. 177
21. वही, पृ. 196-197
22. वही, पृ. 198
23. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के मजलुऊ कांटेम अग्रिगेसन (1916) में स्व-शासन पर लिखे दस भाषण में उद्धृत।

देविदे ए. अणारोराय, होम्युमेण्डस ऑन सोसोटियल चाँट इन मोडर्न इण्डिया (पुस्तककार मुद्रैन्द्रनाथ बनर्जी, 1973) पृ. 151-152

24. वही, पृ. 153
25. वही, पृ. 153-154
26. वही, पृ. 154
27. ए ग्रेगन इन अेक्जिग, पृ. 8, देविदे बोग, पृ. 181
28. वही, पृ. 93
29. वही, पृ. 183
30. वही, पृ. 366-368
31. देविदे बोग, पृ. 185
32. वही
33. वही, पृ. 187
34. वही, पृ. 188-189
35. वही, पृ. 189
36. वही
37. वही, पृ. 195
38. वही, पृ. 196
39. ए ग्रेगन इन अेक्जिग, पृ. 106-108
40. वही, पृ. 107
41. डी इण्डियन ग्रेगन रिफरेंस, (बंगाल, 1921) पृ. 56

गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई, 1866 में महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में हुआ।

गोखले का पारिवारिक जीवन धर्म-प्रधान था। जीवन के प्रारम्भिक दस वर्षों तक वे गांव में रहे और वही उनकी शिक्षा हुई। जब वे 13 वर्ष के थे उनके पिता को मृत्यु हो गई और उन्हें परिवार के साथ दूसरे गांव में जाना पड़ा जहाँ उनके बड़े भाई नौकरी करते थे। वे कोल्हापुर में हाई स्कूल परीक्षा के लिए अध्ययन करने गये। पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई ने ही उनका पालन पोषण किया किन्तु उन्हें इतना कम वेतन मिलता था कि वे गोखले पर अधिक व्यय नहीं कर सकते थे। गोखले ने अपना प्रारम्भिक जीवन अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों में गुजारा।<sup>1</sup> पढाई के दिनों में रीशनी का प्रबन्धन कर पाने के कारण वे सड़क की बत्ती के नीचे बैठ कर अपना अध्ययन करते थे। 1881 में मैट्रिक-परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गोखले ने कोल्हापुर के राजाराम कलेज, पूना के दक्षिण कॉलेज तथा बम्बई के एल्फिन्स्टन कलेज में विद्याभ्यास किया और बम्बई से 1884 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। गोखले गणित विषय में विशेष योग्यता रखते थे। साथ साथ उन्हें अंग्रेजी साहित्य से अधिक लगाव था। उन्होंने एडमन्ड बर्क की रिप्लैबशन्स ऑन वी फ्रेंच रिबोल्यूशन पुस्तक कण्ठस्थ कर ली थी। बर्क अपने समय के माने हुए बक्ता थे और भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। वे अंग्रेजी रुढ़िवाद के प्रमुख विचारक भी थे। गोखले ने बर्क से केवल भाषण कला की प्रेरणा ही नहीं प्राप्त की अपितु बर्क के रुढ़िवाद को भी अपने विचारों में अपनाया। गोखले का उदारवादी चिन्तन तथा उनके क्रान्ति-विरोधी विचारों का सूत्र बर्क के विचारों से जुड़ा हुआ है।

गोखले ने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में प्रारम्भ किया। वे डेवरन एजुकेशनल सोसायटी के आयोजन सदस्य बन गये। अत्यन्त अल्प वेतन पर लगातार 20 वर्षों तक उन्होंने इसकी सेवा की। आर्थिक संभव तथा जीवन का सुख उन्होंने स्वयं टुटाराया था क्योंकि समाज की सेवा ही उन्हें जीवन का मध्य दिग्दर्शक देती थी। 1902 में वे सोसायटी से सेवा मुक्त हुए और इसके साथ ही उनके जीवन का दूसरा पक्ष प्रारम्भ हुआ। गोखले को फुर्लुमन कालेज, पूना में नियुक्त किया गया। यहीं उनकी महादेव गोविन्द रानाडे से भेंट हुई। गोखले रानाडे से अत्यधिक प्रभावित थे। रानाडे के मार्ग दर्शन में गोखले ने अपना सर्वजनिक जीवन प्रारम्भ किया। वे रानाडे को अपना "राजनीतिक गुरु" मानते थे। रानाडे के संरक्षण में गोखले ने सर्वप्रधानिक कार्य प्रगतिशीलों को मोधा तथा मार्बंजनिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिश्रित हुए।<sup>2</sup> रानाडे ने उन्हें सामान के प्रति जागरूक तथा माचिकामो का कार्यभार मोधा जिममें मार्बंजनिक हितों को प्राप्त करने की मांगें तथा

करती थी। इस कठोर कार्य ने गोखले की भावी विधायी कार्यों की दक्षता में निम्नलिखित प्रगति दिला।<sup>15</sup> वे पूना की सार्वजनिक सभा के सदस्य बने। पशुसन कॉलेज के विस्तार के लिए धन एकत्रित करने के लिए उन्हें महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ना था। इसलिए वे कई व्यक्तियों के सम्पर्क में आये। वे तिलक तथा धामरकर के सम्पर्क में पशुसन कॉलेज में ही एक महकमी के रूप में आये। वे तिलक की प्रत्यक्ष श्रद्धा की दृष्टि में देखने पर पशुसन उनके विचारों में महत्त्व नहीं दे रहे थे धामरकर से ज्यादा प्रभावित थे और धामरकर द्वारा प्रकाशित सुधारक मासाहिक में लेख लिखा करते थे। धामरकर के विचार तिलक-विरोधी थे। धामरकर तथा तिलक के पारस्परिक वैचारिक भेद एक मनोमानिय के कारण महाराष्ट्र में दो निश्चित गुट बन गये। धामरकर, रानाडे तथा गोखले एक गुट में थे तथा दूसरे में तिलक तथा उनके सहयोगी थे। तिलक मराठा एवं केतरी के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते थे। उनकी शक्ति तथा प्रभाव में निरन्तर वृद्धि होती गई और 1896 में तिलक ने पूना की सार्वजनिक सभा पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया। गोखले ने सार्वजनिक सभा से त्यागपत्र दे दिया। रानाडे के सहयोग एवं मार्गदर्शन से गोखले ने बेकन सभा की स्थापना की।

गोखले ने विधायक के रूप में सार्वजनिक प्रश्नों पर जो विचार व्यक्त किये वे उनकी विश्वश्रद्धा, चातुर्य एवं प्रगाढ़ ज्ञान के परिणामक हैं। वे सर्वप्रथम बम्बई विधायी परिषद् के सदस्य चुने गये। उन्होंने सरकार की भू-राजस्व सम्बन्धी नीति की आलोचना की और भूमि हस्तांतरण विधेयक को सरकार से बहिष्कृत करने के विरोध में धन्य चुने हुए सदस्यों के साथ परिषद् में बहिर्गमन किया। बम्बई के शासन ने गोखले के विरोध का महत्व पहचाना तथा विधेयक को पारित करने के बाद उसको प्रभावी नहीं किया। जिन नगरपालिका अधिनियम में सशोधन के प्रस्ताव का भी गोखले ने विरोध किया और उसकी कमियाँ को दूर करने के सुझाव दिये। 1902 में गोखले सर्वोच्च विधायी परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। वे वाजपराय की विधायी परिषद् के सदस्य मनोनित किये गये। परिषद् की सदस्यता का कार्य उनके जीवन के अधिनियम दिनों तक था। अपने दायित्वों को छोड़कर गोखले ने अपने विचारों में शासन में द्वितीय शासन का मार्ग दर्शन किया। बजट पर हुई बहसों के दौरान उनके भावनों का विवेक महत्व माना जाता रहा है। उन्हें न केवल सदस्यों द्वारा अपितु शासकों द्वारा भी ध्यान में रखा जाता था और उनके विचारों तथा सुझावों पर निश्चित शासकीय प्रतिबन्ध भी होती थी।<sup>16</sup> लॉर्ड बरैंटन के प्रतिनिधित्वकारी सुधारों का गोखले ने दृढ़ दृष्टि से विरोध किया। उनके विरोध के बावजूद, भारतीय विधेयक-अधिनियम, अंग-अधिनियम तथा शासकीय शोधन-अधिनियम इन्हें विरुद्ध लॉर्ड बरैंटन के भी गोखले की विधायी प्रतिभा की सुबकट में आना ही और उन्हें ली-पार्टीशन का विचारक दिया।<sup>17</sup> गोखले की सफलता का रहस्य उनकी आत्मनिरीक्षण, लक्ष्य का चयन, सुदृढ़ता एवं विचारों की शीघ्रता थी।



के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये अत्यधिक धन के अपव्यय को उत्तरदायी ठहराया। गोखले का भ्रष्टशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान गहन था। वे भारतीयों के द्वारा राष्ट्रीय वित्त पर नियन्त्रण रखे जाने के पक्ष में थे। वे प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण के पक्ष में थे। अपनी इंग्लैण्ड यात्रा के दौरान गोखले ने अनेक सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित किया। वे लाई मॉर्ले से भी मिले और उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। इंग्लैण्ड में प्रवास करते हुए गोखले को पूना के पत्रकारों द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि बम्बई प्रशासन ने प्लेग की रोकथाम के लिए जो कदम उठाये थे उनके द्वारा जनमत उद्वेलित हो उठा था। पूना में दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या से यह स्पष्ट था कि प्लेग की रोकथाम करने वाले अधिकारियों के प्रति जनता में घृणा एवं अविश्वास फैल रहा था।<sup>7</sup> इस बीच गोखले को यह सूचना मिली कि प्लेग की रोकथाम के दौरान गौरी सिपाहियों ने महिलाओं का शील भंग किया जिससे उन महिलाओं ने घामहत्या करली। गोखले का यह वक्तव्य इंग्लैण्ड के एक प्रमुख अंग्रेजी पत्र में छपा तथा ब्रिटिश ससद में इस पर प्रश्नों की बौछार शुरू हुई। किन्तु बम्बई की सरकार ने उस समाचार को असत्य बतलाया। भारत लौटने पर जब गोखले को उस समाचार की छानबीन कर उसके निराधार होने का पता लगा तो उन्होंने सुरन्त बम्बई के मदनर से लिखित क्षमायाचना की। इस क्षमायाचना की घटना ने गोखले के विरोधियों को उनकी आलोचना करने का अवसर प्रदान किया और उन्हें भीरु, अपरिपक्व एवं राष्ट्रविरोधी तक कहा गया। किन्तु गोखले ने क्षमायाचना से अपनी स्पष्टवादिता एवं सरयनिष्ठता का अद्भुत परिचय दिया।<sup>8</sup> सार्वजनिक जीवन में सच्चार्इ तथा निर्भोक्ता का यह अनुकरणीय उदाहरण बन गया।<sup>9</sup>

गोखले ने 1905 में सर्वेन्ट्स आफ इन्डिया सोसायटी की स्थापना कर देशसेवा के निमित्त सर्वस्य अपेण कर देने वाले देशभक्तों का नवीन संगठन प्रस्तुत किया। वे राजनीतिक सन्यासियों की ऐसी टोली तैयार करने में लग गये जो राष्ट्र-निर्माण के काम में समुचित योगदान दे सके। गोखले ने दृग संस्था के माध्यम से अपने विचारों को मूर्तरूप दिया। इस संगठन के उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन की प्राप्ति, भारत तथा ब्रिटेन के सम्बन्धों की अनिवार्यता, भारत में ब्रिटिश शासन की विघाता के वरदान रूप में स्वोकारोक्ति आदि थे। वे भारत के राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन में ऐसे कार्यकर्त्ताओं को दक्ष करना चाहते थे जो धर्मनिष्ठ होकर जन सेवा का कार्य कर सकें। ये सदस्यों को स्वायंरहित हो प्रेम एवं सद्भाव का वातावरण बनाने को प्रेरणा देते थे।<sup>10</sup> जनता के राजनीतिक शिक्षण, विभिन्न समुदायों में प्रेम एवं सहृदयता, स्थियों तथा दलितों की शिक्षा के विस्तार के माय-माय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शिक्षा का प्रसार, भारत के औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्न तथा सर्वधानिक पद्धति में राष्ट्रीय हितों का गरक्षण आदि गोमापटी के प्रमुख कार्य थे। गोखले ने गोमापटी की मददसे प्राप्त करने वालों के लिए कठोर अनुशासनात्मक प्रतिज्ञा के अनुरूप जीवन जीने का नियम निर्धारित किया।<sup>11</sup> अत्यधिक धर्म भक्त पर अपने तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले गृहचरित्र, उद्यमों एवं मजदूरीय शक्तियों को गोखले ने दृग कार्य के लिए पूना। गोखले के पश्चात् सर्वेन्ट्स आफ इन्डिया गोमापटी का कार्यभार धीनशासनशासियों ने सम्भाला। भारत की गृहों सेवा करने वाले अनेक मनोनिषे वा प्रतिभाल एव अनुकूलन दत्त गृह्या

के माध्यम से हुआ।

काँग्रेस के प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में गोखले ने मामा साखरराय के साथ 1905 में इंग्लैण्ड की पुनः यात्रा की। लगातार पचास दिनों तक ब्रिटेन की जनता को भारतीय हितों से अवगत कराने का यह कार्यक्रम चला। वहाँ से लौटने पर गोखले ने काँग्रेस के बनारस-सम्मेलन (1906) की अध्यक्षता की।

गोखले पुनः इंग्लैण्ड गये और भारत लखिब साहू मौलू से उन्होंने भारत में संबन्धानिक सुधारों की प्रक्रिया को बनाये रखने की मांग की। गोखले ने भारत में प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए नियुक्त हार्बहाउस कमीशन (1908) के समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दिया और प्रशासन में विकेंद्रीकरण के लिए घनेक सुझाव दिये। गोखले संबन्धानिक कार्यक्रम में विश्वास करते थे। उनकी नीति प्राप्ति एवं याचना की थी। वे भारत में अंग्रेजों के बने रहने में विधाता का हाथ मानते थे। अंग्रेजों का शासन बरदान रूप में मानते हुए गोखले ने तिनक, साखरराय, विमिनकाटवान के निष्पक्ष प्रतिरोध एवं स्वराज्य के कार्यक्रम को उचित नहीं माना। गोखले का उदारवाद 1905 के बंगाल-विभाजन के कारण घालोचना का विषय बना। पुन 1907 की मूलतः काँग्रेस में उदारवादियों तथा उपवादियों के संपर्क ने कुछ समय के लिए उपवादियों की तौर प्रियता में वृद्धि घटाय की किन्तु 1908 में सरकार के दमनपत्र ने उपवादियों की मोक्षप्रियता को क्षीण कर दिया। गोखले ने काँग्रेस में उदारवादियों के एकाग्रित्य का मार्ग प्रकट किया। गोखले के प्रथम प्रयत्नों से साहू मौलू द्वारा सुधारों की त्रिआयित्व करने का कार्य गोखला से प्रारम्भ हुआ। गोखले चाहते थे कि काँग्रेस में पुनः उपवादियों के प्रभाव को रोबने तथा राजनीति में हिंसा के बढ़ते हुए प्रसार को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारत के उदारवादियों के हाथ मजबूत करने चाहिए। इसी दृष्टि में मिटो-मोर्ले सुधारों को घोषणा हुई। किन्तु मिटो-मोर्ले सुधार (1909) गोखले के विचारों के अनुकूल न थे। प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण, गोखले के प्रारम्भिक शिक्षा-विषयक की ध्वनीकृति, नाटम में बने भारतीय श्रमिकों की स्थिति के प्रति उदासीनता धारि देने घन थे तिनके कारण गोखले को इन सुधारों में निराशा ही हुई। सुधारों की नवीन घोषणा के साथ गोखले 1912 में पुनः इंग्लैण्ड गये। किन्तु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उनका शिक्षा सम्बन्धी विषयक ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं प्राप्त कर सका। ब्रिटिश सरकार ने गोखले को तेषाघो से प्रयत्न होकर उन्हें साहू इजमिण्डन की अध्यक्षता में नियुक्त पश्चिम लखिबेज कमीशन का सदस्य मनोनीत किया। मिलने हुए स्वराज्य के कारण गोखले एक कार्य को पुरा न कर पाये। वे 1912 में पत्र-पत्र लौट पाये। इंग्लैण्ड से लौटने

किया। उनके सद्-प्रयत्नों से दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर लगाये गये पंजीयन नियम एवं विशेष कर को सरकार ने समाप्त करने का आश्वासन दिया।<sup>12</sup> गोखले इजलिगटन कमिशन की बैठक में भाग लेने के लिए पुनः 1913 में इंग्लैण्ड गये किन्तु उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता गया। वे कमिशन का कार्य पूरा नहीं कर पाये और पुनः भारत लौट आये। जीवन के अन्तिम दिनों में पूना में ही रहे। बम्बई के गवर्नर लार्ड वेलिगटन ने उन्हें भारत में भावी सुधारों की रूपरेखा तथा भारतीयों को संतुष्ट करने वाली न्यूनतम सुधारों की योजना का सुझाव देने का आग्रह किया।<sup>13</sup> किन्तु गोखले इतने प्रस्थव्य थे कि वे पूना से बम्बई नहीं जा सकते थे। उनके आग्रह पर फिरोजशाह मेहता तथा आगाखाने पूना पहुँचे और वहाँ गोखले ने अपना अन्तिम राजनीतिक वक्तव्य दिया जिसे "गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा" कह कर पुकारा जाता है। इसमें गोखले ने भारत में प्रतीय स्वायत्तता देने की पुरजोर सिफारिश की और अनेक ऐसे सुझाव प्रस्तुत किये जो आगे जाकर मोटेग-चेम्सफर्ड सुधारों की योजना के प्रारूप बने। गोखले की यह अंतिम राजनीतिक प्रवृत्ति उनकी उदारवादी नीति तथा सर्वधार्मिक पद्धति के अनुसरण की चरम परिणति थी। इन सुधारों का प्रारूप तैयार करने के दो दिनों पश्चात् ही गोखले ने फरवरी 19, 1915 को शरीर त्याग दिया।

### गोखले के राजनीतिक विचार

गोखले के राजनीतिक विचारों पर उद्योगवी शताब्दी के उदारवादी विचारों की स्पष्ट छाप मिलती है। गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस में उदारवाद का प्रसार किया और जनजीवन को उदारवादी विचार-धारा के प्रति आकर्षित किया। गोखले अपने गुरु महादेव गोविन्द रानाडे के सहस्य यह मानते थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन विघाता की दृष्ट्यानुसार हुआ और यह भारतीयों की भलाई के लिए स्थापित किया गया था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीय जनता को स्वशासन की ओर प्रवृत्त करेगा और कालांतर में भारतीय स्वयं अपना प्रशासन चलाने के योग्य हो जायेंगे। उदारवादी विचारधारा से प्रोत्-प्रोत् होने के कारण गोखले ने भारत में सविधानवाद का सहारा लिया। उनके अनुसार क्रमिक सर्वधार्मिक विकास का मार्ग अपनाकर भारत अपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता था। भारत को इंग्लैण्ड के मार्ग-दर्शन में रहकर अपनी राजनीतिक उन्नति करनी थी। वे भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं यूरोप मन्त्र राजनीतिक आस्थाओं का व्यापक प्रयोग करना चाहते थे। इस कार्य के लिए वे इंग्लैण्ड तथा भारत में मध्य मधुर सम्बन्धों की स्थापना करना चाहते थे ताकि भारत ब्रिटिश प्रशासन के अन्तर्गत प्रतिनिधि शासन-स्वरूपा स्थापित कर सके। गोखले के अनुसार भारत को जनता नैतिक उत्तरदायित्व की भावना के कारण अंग्रेजी शासन से बंधी थी। उनके अनुसार अंग्रेज भारत की सत्ता को नैतिक न्याय के रूप में ले लें।<sup>14</sup>

गोखले अर्थिक विकास के दक्षिण थे और भारत की प्रगति के प्रदक्षिण चरण की नीति समर्थक आगे बढ़ाना चाहते थे। वे भारतीयों के राजनीतिक विशेषाधिकारों की पूर्ति में दृष्टान्त होते हुए भी यह जानते थे कि अंग्रेज अपनी सामग्री और नीतिगत से राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करेंगे। यही कारण था कि वे अर्थिक विकास पर बत

द रहे थे। एक यथासंवादी विद्वत्क के रूप में वे बही करना चाहते थे जो सम्भव था। समझव को सम्भव बनाने की कठिनता को वे भलीभांति जानते थे। उनमें देश-प्रेम तथा उम्माह की कमी न थी किन्तु उनकी दृष्टि में देश की परिस्थिति ऐसी न थी कि वे अग्रिम उद्यम विचार प्रवृत्त का कार्यक्रम अपनाते।

यह गोखले का राजनीतिक यथार्थ ही था कि वे सर्वप्रथम प्रायोजन द्वारा देश में जागरण एवं अनुकूल परिवर्तन लाना चाहते थे। एक घोर वे प्रायोजना, स्मरणपत्र, प्रतिनिधिमण्डल, वातचीत एवं शासन की रचनात्मक आलोचना का मार्ग अपना रहे थे जो दूरगो घोर उनके आन्दोलन में विश्वीह, हिंसा, त्राति प्रवृत्त उद्यम आन्दोलन का निराकरण प्रभाव था। वे अपेक्षा की दबाव एवं भय दिखाकर उनमें राजनीतिक सुधारों की मांग नहीं करना चाहते थे। उनका उद्देश्य नैतिक अनुभव-विनय का था। वे शासन में सम्बन्ध विस्तार कर, स्वतंत्र रूप से राजनीतिक सद्य की प्राप्ति के यार्थ की आलोचना करते थे, वे शासन में सुधारों की मांग प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति का प्रयोग कम से कम ही सके। ब्रिटिश नीकरगाही के उद्भवन पर ही प्रस्ताव करने के साथ-साथ गोखले ने उमरी दृष्टियों की घोर भी द्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश प्रशासन ने दक्षता की मापदण्ड मानकर अपने प्रशासनिक प्रवृत्त की ही अपना अन्तिम सत्य मान लिया था। गोखले इसे उचित नहीं मानते थे। उनके अनुसार भारत में अंग्रेजीराज का बंधन नहीं उद्भव नहीं था। उनका मूल उद्देश्य, जिनके प्रति वे तनवद हीने चाहते थे, भारतीयों की आस्थापन उच्चस्तरीय स्वशासन के योग्य बनाना था। इस यत्न को पूरा न करने की नीति अंग्रेजी शासन की विफलता का घोरक की। दक्षता का सामान्य स्तर भारतीय प्रशासन ने प्राप्त कर लिया था। इसके अग्रिम दक्षता की प्राप्ति केवल स्वशासन के अन्तर्गत ही ही सकती थी। उसे नीकरगाही की अन्वयता में प्राप्त नहीं किया जा सकता था। गोखले ने ब्रिटिश नीकरगाही की तीन प्रमुख कमियां बताईं। प्रथम, सरकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जनता के हितों का प्रतीक होता। द्वितीय, शासन के पूर्ण वे-द्वीकरण के कारण सभी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव वे-द्वीकरण प्रस्तुत किये जाते थे। तृतीय, वे-द्वीकरण में ऐसी व्यक्ति भरे हुए थे जो कि बीच में उठ बहा कर पुनः पीट जाते थे।

किया। उनके सद्-प्रयत्नों से दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर लगाये गये पजीयत नियम एवं विशेष कर को सरकार ने समाप्त करने का आश्वासन दिया।<sup>12</sup> गोखले इंजलिगटन कमीशन की बैठक में भाग लेने के लिए पुनः 1913 में इंग्लैण्ड गये किन्तु उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता गया। वे कमीशन का कार्य पूरा नहीं कर पाये और पुनः भारत लौट आये। जीवन के अन्तिम दिनों में पूना में ही रहे। बम्बई के गवर्नर लार्ड वेलिंगडन ने उन्हें भारत में भावी सुधारों की रूपरेखा तथा भारतीयों को सतुष्ट करने वाली न्यूनतम सुधारों की योजना का सुझाव देने का आग्रह किया।<sup>13</sup> किन्तु गोखले इतने अस्वस्थ थे कि वे पूना से बम्बई नहीं जा सकते थे। उनके आग्रह पर फिरोजशाह मेहता तथा आगाखान पूना पहुँचे और वहाँ गोखले ने अपना अन्तिम राजनीतिक वक्तव्य दिया जिसे "गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा" कह कर पुकारा जाता है। इसमें गोखले ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता देने की पुरजोर सिफारिश की और अनेक ऐसे सुझाव प्रस्तुत किये जो आगे जाकर मोटेग-चेम्सफर्ड सुधारों की योजना के प्रारूप बने। गोखले को यह अंतिम राजनीतिक प्रवृत्ति उनकी उदारवादी नीति तथा संवैधानिक पद्धति के अनुसरण की चरम परिणति थी। इन सुधारों का प्रारूप तैयार करने के दो दिनों पश्चात् ही गोखले ने फरवरी 19, 1915 को शरीर त्याग दिया।

### गोखले के राजनीतिक विचार

गोखले के राजनीतिक विचारों पर उन्नीसवीं शताब्दी के उदारवादी विचारों को स्पष्ट छाप मिलती है। गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवाद का प्रसार किया और जनजीवन को उदारवादी विचार-धारा के प्रति आकर्षित किया। गोखले अपने गुरु महादेव गोविन्द रानाडे के सदृश्य यह मानते थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन विधाता की इच्छानुसार हुआ और वह भारतीयों की भलाई के लिए स्थापित किया गया था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीय जनता को स्वशासन की ओर प्रवृत्त करेगा और कालांतर में भारतीय स्वयं अपना प्रशासन चलाने के योग्य हो जायेंगे। उदारवादी विचारधारा से ओत-प्रोत होने के कारण गोखले ने भारत में संविधानवाद का सहारा लिया। उनके अनुसार क्रमिक संवैधानिक विकास का मार्ग अपनाकर भारत अपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता था। भारत को इंग्लैण्ड के मार्ग-दर्शन में रहकर अपनी राजनीतिक उन्नति करनी थी। वे भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं यूरोप सदृश राजनीतिक सस्थाओं का व्यापक प्रयोग करना चाहते थे। इस कार्य के लिए वे इंग्लैण्ड तथा भारत के मध्य मधुर सम्बन्धों की स्थापना करना चाहते थे ताकि भारत ब्रिटिश प्रशासन के अन्तर्गत प्रतिनिधि शासन-व्यवस्था स्थापित कर सके। गोखले के अनुसार भारत की जनता नैतिक उत्तरदायित्व की भावना के कारण अंग्रेजी शासन से बंधी थी। उनके अनुसार अंग्रेज भारत की सत्ता को नैतिक न्यास के रूप में रखे हुए थे।<sup>14</sup>

गोखले क्रमिक विकास के पक्षधर थे और भारत की प्रगति के प्रत्येक चरण को सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहते थे। वे भारतीयों के राजनीतिक विशेषाधिकारों की पूर्ति के इच्छुक होते हुए भी यह जानते थे कि अंग्रेज इतनी आसानी और शीघ्रता से राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करेंगे। यही कारण था कि वे क्रमिक विकास पर बल

द रहे थे। एक यथार्थवादी विन्तक के रूप में वे वही करना चाहते थे जो सम्भव था। असम्भव को सम्भव बनाने की कठिनता को वे भलीभांति जानते थे। उनमें देश-प्रेम तथा उत्साह की कमी न थी किन्तु उनकी दृष्टि में देश को परिस्थिति ऐसी न थी कि वे अधिक उग्र विचार अथवा कार्यक्रम अपनाते।

यह गोखले का राजनीतिक यथार्थ ही था कि वे संवैधानिक आंदोलन द्वारा देश में प्रावश्यक एवं अनुकूल परिवर्तन लाना चाहते थे। एक ओर वे प्रायंता, स्मरणपत्र, प्रति-निधिमण्डल, बातचीत एवं शासन की रचनात्मक आलोचना का मार्ग अपना रहे थे तो दूसरी ओर उनके आन्दोलन में विद्रोह, हिंसा, क्रांति अथवा उग्र आन्दोलन का नितान्त अभाव था। वे अंग्रेजों को दबाव एवं भय दिखाकर उनसे राजनीतिक सुधारों की मांग नहीं करना चाहते थे। उनका उद्देश्य नैतिक अनुगमन-विनय का था। वे शासन से सम्बन्ध विच्छेद कर, स्वतन्त्र रूप से राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के कार्य को अस्वीकार करते थे।<sup>15</sup> वे शासन से सुधारों की मांग प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति का प्रयोग कम से कम हो सके। ब्रिटिश नौकरशाही के उज्ज्वल पक्ष की प्रशंसा करने के साथ-साथ गोखले ने उसकी त्रुटियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश प्रशासन ने दक्षता को मापदण्ड मानकर अच्छे प्रशासनिक प्रबन्ध को ही अपना अन्तिम लक्ष्य मान लिया था। गोखले इसे उचित नहीं मालते थे। उनके अनुसार भारत में अंग्रेजीराज का केवल यही उद्देश्य नहीं था। उनका मूल उद्देश्य, जिसके प्रति वे वचनबद्ध होने चाहिए थे, भारतीयों को पश्चात्य उच्चस्तरीय स्वशासन के योग्य बनाना था। इस वचन को पूरा न करने की नीति अंग्रेजी शासन की विफलता का द्योतक थी। दक्षता का सामान्य स्तर भारतीय प्रशासन ने प्राप्त कर लिया था। इससे अधिक दक्षता की प्राप्ति केवल स्वशासन के अन्तर्गत ही हो सकती थी। उसे नौकरशाही की व्यवस्था से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। गोखले ने ब्रिटिश नौकरशाही की तीन प्रमुख कमियाँ बतलाईं। प्रथम, सरकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जनता के हितों का प्रतीक होता। द्वितीय, शासन के पूर्ण केन्द्रीकरण के कारण सभी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये जाते थे। तृतीय, केन्द्र में ऐसे व्यक्ति भरे हुए थे जो कि पाँच वर्ष तक वहाँ रह कर पुनः लौट आते थे।

गोखले ने बहिष्कार को राजनीति का विरोध किया। शासन से असहयोग कर देश की उन्नति का मार्ग निमित्त करना उन्हें असम्भव सा प्रतीत होता था। औद्योगिक बहिष्कार की नीति से स्वदेशी का थोड़ा बहुत लाभ ही जाय किन्तु इसे स्थायी नीति के रूप में स्वीकार करने का यह अर्थ होगा कि दूसरों को हानि पहुँचाई जाय चाहे स्वयं को उससे कितनी भी हानि क्यों न हो। उनकी यह धारणा थी कि आर्थिक बहिष्कार की नीति द्वारा विदेशी राजनीतिक नियन्त्रण की मात्रा में कमी नहीं आ सकती। इसी प्रकार से स्कूलों तथा कॉलेजों के बहिष्कार का कार्य भी राष्ट्रीय शिक्षा की वृद्धि के स्थान पर उसकी प्रगति को धीमा करेगा। सरकारी नौकरियों के बहिष्कार के संदर्भ में गोखले का यह विचार था कि नौकरियों का बहिष्कार तब सफल हो सकता था जबकि सरकारी काम के लिए एक भी व्यक्ति अपने प्रापको प्रस्तुत न करे। जहाँ शिक्षित बेकारों की इतनी बड़ी संख्या हो वहाँ नौकरियों का बहिष्कार सफल नहीं हो सकता था। विधान-परिषदों तथा

नगरपालिकाओं के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देकर बहिष्कार का मार्ग अपनाना भी उचित नहीं माना गया। गोखले के अनुसार अनेक ऐसे व्यक्ति थे जो नये चुनाव होने पर सदस्यता के लिए लालायित थे। गोखले ने सांख्यिक जीवन के उत्तरदायित्वों को त्यागने का कार्यक्रम स्वीकार नहीं किया। उनका यह सुझाव था कि यदि निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक राजनीतिक कार्यक्रम चलाना ही चाहते हैं तो उन्हें पूर्ण बहिष्कार के स्थान पर कर न देने का आन्दोलन चलाना चाहिए। कर न देने का आन्दोलन प्रत्येक आन्दोलनकारी को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी बनाता है और इससे यह भी सात हो सकता है कि आन्दोलनकारियों के सच्चे समर्थक कितने हैं। गोखले के विचार से स्वराज्य-प्राप्ति के लिए इससे बढ कर निष्क्रिय प्रतिरोध का और कोई उपाय नहीं।<sup>16</sup>

उनके अनुसार ब्रिटिश शासन के लिए भारत की तीस करोड़ जनता को प्रभावित करने वाली समस्याओं को समझना आसान नहीं है। न वे उन समस्याओं को सुलझाने की स्थिति में है। जब वे लौट जाते हैं तो उनके स्थान पर नये व्यक्ति लिये जाते हैं और उन्हें भी उसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सिविल सर्विस भी शक्तिशाली होने के बावजूद कोई ठोस कदम इसलिए नहीं उठा पाती क्योंकि उसका प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वे जैसे ही सेवामुक्त होते हैं, पेंशन प्राप्त कर पुनः इंग्लैण्ड लौट जाते हैं। भारत उनके अनुभव का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। भारत से शिक्षित समुदाय को शक्ति से वंचित रखा गया है। यह शिक्षित वर्ग निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। उनका शासन से दूर रहना उनमें असंतोष बढ़ाता है और यह असंतोष जनमत के रूप में प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में भारत में दक्षता की बात करना न्यायोचित नहीं है। भारत की अफसरशाही प्रत्येक कार्य को अपनी शक्ति के संदर्भ में देखती है। वे अपनी शक्ति के एकाधिकार की ईर्ष्या के कारण उचित निर्णय नहीं ले पाते। जनहित के स्थान पर उनके स्वार्थ ही सर्वत्र सुरक्षित रखे जाते हैं। भारत में सेना, गृह-विभाग तथा अंपेज अधिकारियों पर प्रतिव्यय राजस्व को निगल जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा आदि पर नगण्य राशि व्यय की जाती है। यह भी व्यापक असंतोष का कारण बन गया है। इन परिस्थितियों ने भारत में अंग्रेजी शासन के योगदान को विस्मृत करने के कारक उत्पन्न कर दिये हैं। गोखले ने उपर्युक्त तर्कों के आधार पर यह व्यक्त किया कि भारतीय नस्ल के व्यक्तियों को शासन से वंचित न रखा जाय तथा भारत के आर्थिक पराभव को रोकने के उपाय किये जायें। गोखले ने निरन्तर भारत में स्वशासन की स्थापना को ही उपर्युक्त समस्याओं का एक मात्र समाधान माना।<sup>17</sup>

गोखले भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। उनकी शासन के प्रति स्वामि-भक्ति, देशप्रेम का ही पर्यायवाची थी। वे इस कारण से अंग्रेजीराज के प्रति निष्ठावान नहीं थे कि वह विदेशी शासन था अपितु इस कारण से निष्ठा रखते थे कि वह व्यवस्थित शासन था। गोखले अन्वयवस्था अथवा अराजकता के विरोधी थे। वे शासन की हार अथवा शासन को कमजोर बनाने वाले किसी भी कार्य के लिए सहमत नहीं थे। वे स्वामिभक्ति के बशीभूत होकर शासन की सदैव रक्षा तथा महायता करने के पक्षपाती थे। सरकारी अफसरों के कृपापात्र बनने की दृष्टि से यह स्वामि-भक्ति प्रदर्शित नहीं की गई थी। उनका वास्तविक उद्देश्य जागृत आत्महित से प्रेरित था। वे ब्रिटिश जनमत

तथा भारत के अंग्रेजी शासन को भारत के विकास का सहभागी मानते थे। अंग्रेजों के सहयोग से भारत में जिस प्रकार से प्रशासन, शिक्षा एवं नागरिक चेतना का संचार हुआ था उसे देखते हुए गोखले शासन के विरुद्ध पद्यन्त्र अथवा असहयोग प्रदर्शित कर शासन को तनिक भी विकृत अथवा दुर्बल करने के पक्ष में नहीं थे।<sup>18</sup>

गोखले की अंग्रेजीराज के प्रति निष्ठा का यह तात्पर्य नहीं था कि वे भारतीय राष्ट्रीय गौरव एवं सम्मान के प्रति चेष्टावान न थे। उन्हें भारत की महानता तथा भारत के उज्ज्वल भविष्य पर उतना ही गर्व था जितना किसी अन्य को हो सकता था। किन्तु वे भारत के भ्रतीत की दुहाई पर आश्रित रहने वालों में से न थे। उन्हें पुनरुत्थानवादियों से यह शिकायत थी कि वे भ्रतीत को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा में वर्तमान को सुधारने तथा नवीन उपलक्षियों के प्रति विमुख रहने का प्रयास कर रहे थे। उनका चिन्तन यथार्थ पर आधारित था। वे भारत में अंग्रेजी शासन के लाभ को विरमृत कर सुधारों की प्रक्रिया का त्याग पसन्द नहीं करते थे। वे भारत के गौरवशाली भ्रतीत को वर्तमान के कष्टसाध्य प्रयासों द्वारा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। उनका ध्यान वर्तमान तथा निकट भविष्य पर केन्द्रित था। वे भारत के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं पुनर्जीवन के लिए क्रमिक विकास का सहारा लेना चाहते थे। "एक एक कदम आगे बढ़ना" उनके राजनीतिक यथार्थ का परिचायक था। पूर्ण स्वतन्त्रता अथवा स्वराज्य की तत्काल प्राप्ति के स्थान पर गोखले ने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन की स्थापना को अपेक्षा ध्येय माना। उनके द्वारा विभिन्न सुधारों की मांग समय समय पर प्रस्तुत की गयी और उसके आशातीत परिणाम सामने आये। वे तत्कालिक प्रशासनिक ढाँचे को सुधार कर भारत को उसकी महत्ता के अनुरूप स्थिति प्राप्त कराने के लिए उद्यत रहे। भारतीयों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में उचित स्थान एवं समान व्यवहार की उनकी मांग का शासन पर प्रभाव पड़े बिना न रहा। इसके अतिरिक्त भी कई सुधारों की मांग उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, स्वस्थ वित्तीय नीति, जन-स्वास्थ्य की योजनाएँ, शासन पर अतिरिक्त एवं अनावश्यक खर्च में कटौती, शिक्षा का विस्तार, अकाल एवं महामारियों से सुरक्षा, उचित कृषि-नीति, नौकरशाही में सुधार, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का विरोध आदि ने शासन को अपने कर्तव्यों के प्रति गजब किया। गोखले सुधारवादी थे और इस कारण से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के उपासक भी। वे उत्तर्कनात्मक भावणी तथा लेखी द्वारा जन-आन्दोलन प्रेरित कर जनता को शासन के क्रूर अत्याचारों का शिकार बनाना पसन्द नहीं करते थे। हिंसा अथवा बल-प्रयोग उनके चिन्तन का अंग नहीं बन पाया था। हिंसा से उत्पन्न प्रतिहिंसा, घृणा, विद्वेष तथा नरसंहार भारत की समस्याओं का स्थायी हल नहीं था। वे अंग्रेजों की उनकी व्यापारप्रियता, संवैधानिकता एवं मानव-स्वतन्त्रता की उदारवादी परम्पराओं के अनुरूप व्यवहार करने का आग्रह कर भारत की समस्याओं का शान्तिपूर्ण निराकरण चाहते थे।<sup>19</sup>

गोखले की नैतिक एवं आध्यात्मिक आत्मचेतना उनके राजनीतिक विचारों की मूल प्रेरणा थी। उनका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन समान रूप से नैतिक मापदण्डों पर आधारित रहा। राजनीति में नैतिकता को सर्वोपरि मानते हुए गोखले ने माधन तथा साध्य



की एकरूपता पर बल दिया। साधन की पवित्रता माध्य को भी पवित्र बना देती है। गोखले ने साधन-माध्य की नैतिकता के आधार को प्रस्तुत कर गांधोजी के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया। गोखले भारत में उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण तथा साधनों की महत्ता को साध्य से भी अधिक महत्त्व देने वाले विचारकों में से एक थे। स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रोन्नति से प्रेरित हो हर प्रकार के साधनों का प्रयोग उन्हें रुचिकर नहीं लगता था। उनका जीवन ऐसी घटनाओं से परिपूर्ण था जिसमें सत्य तथा नैतिक दायित्व की पूर्ति के लिए गोखले ने अपने राजनीतिक नेतृत्व तक की चिन्ता नहीं की। वे राजनीति में उन तत्त्वों के प्रेरक थे जिनके बिना राजनीति में आसुरी तत्त्वों की भरमार हो जाती है। उनका राजनीतिक उद्देश्य सत्ता तथा शक्ति प्राप्त करने का न होकर सेवाधर्म निभाने का था। सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी की स्थापना का उद्देश्य भी यही था। राजनीति को आध्यात्मिक मूल्यों से अभिभूत करने का उनका प्रयास इन्हीं कारणों से प्रेरित था।<sup>20</sup> उनकी दृष्टि में स्वतन्त्रता अथवा स्वराज्य का उतना महत्त्व नहीं था जितना भारतीयों में चारित्रिक मनोबल के उद्वहन का था। नैतिक मूल्यों का समुचित निर्वाह कर भारत स्वतः स्वराज्य की ओर बढ़ सकता था।

गोखले के राजनीतिक विचारों का अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक उनके द्वारा भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति को सुधारने सम्बन्धी उनके प्रमुख सुझावों पर दृष्टिपात न कर लिया जाय। गोखले ने शासन के विकेन्द्रीकरण की संभयनाओं का पता लगाने वाले हॉबहाउस कमिशन (1908)<sup>21</sup> के समक्ष अपने माध्यम से यह व्यक्त किया कि उच्च प्रशासनिक स्तर पर सत्ता का केन्द्रीकरण समाप्त होना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं की मनुमानी रोक कर जनता को शासन से सम्बन्धित करने के लिए गोखले ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सुझाव प्रस्तुत किया था। वे प्रान्तीय मामलों में प्रशासन पर जनता का उचित नियंत्रण चाहते थे। उन्होंने तीन प्रमुख प्रशासनिक आवश्यकताओं पर बल दिया। प्रथम, सभी महत्त्वपूर्ण प्रान्तों में ईंग्लैण्ड द्वारा मनोनीत गवर्नर नियुक्त किये जायें तथा उनकी सहायता के लिए ऐसी कार्यकारी परिषद् नियुक्त की जाये जिसके तीन या चार सदस्य हों। द्वितीय, प्रान्तीय विधायी परिषद् का विस्तार कर उसे अधिक से अधिक प्रतिनिधि मूलक बनाया जाय। सदस्यों को बजट पर विचार-विमर्श करने तथा सशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। तृतीय, निर्वाचित सदस्यों को भाग पर परिषद् का विशेष अधिवेशन बुलाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके अलावा गोखले ने वित्तीय क्षेत्र में साम्राज्यीय एवं प्रान्तीय प्रश्नों को स्पष्ट करने तथा दोनों में आय-व्यय का समावेश करने का सुझाव दिया था। प्रान्तीय सरकारों को स्वतन्त्रता से राजस्व एकत्रित करने का अधिकार भी उन्होंने सुझाया। ऋण की व्यवस्था करने का दायित्व केवल केन्द्र पर छोड़ दिया और कामिक प्रशासन पर भी केन्द्र का नियंत्रण स्वीकार किया। किन्तु वे स्थानीय स्वशासन को बाह्य नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहते थे। वे केन्द्रीय सरकार को प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, आयकारी, डाक-तार, रेल तथा कर एवं व्यवस्थापन का अधिकार सौंपकर अन्य विभागों का दायित्व प्रान्तीय सरकारों को सौंपने के पक्ष में थे। जिला स्तर पर गोखले ने प्रशासन से जन-प्रतिनिधियों की समुक्त करने का सुझाव दिया। वे जिलार्थीश की सर्वोच्च स्थिति के

ग्रालोचक थे। जिलाधीश की सहायता के लिए जिलापरिषदों का निर्माण उन्होंने सुझाया। वे स्थानीय स्वशासन को पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में थे ताकि उनके कार्यों में प्रशासनिक तथा वित्तीय हस्तक्षेप न किया जाय। गोखले भारत में पंचायती राज-व्यवस्था की पुनः स्थापना के पक्ष में थे। वे पंचायतों को स्थानीय प्रशासन एवं साधारण न्यायिक कार्य सौंपना चाहते थे ताकि स्थानीय स्वायत्तता का बोध हो सके। पंचायतों को अपने आर्थिक साधन जुटाने के साथ-साथ तालुका बोर्ड से आर्थिक सहायता दो जाने का सुझाव भी उन्होंने दिया था। उनके अनुसार तालुका बोर्ड में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को मनोनीत करने तथा वित्तीय स्वायत्तता दी जानी थी। वे नगरपालिकाओं के स्वतन्त्र निर्वाचन कराये जाने के पक्षधर थे। जिला-बोर्ड की अध्यक्षता का एकमात्र अधिकार जिलाधीश में न रखकर गोखले ने उसके स्थान पर किसी सम्माननीय व्यक्ति की नियुक्ति का सुझाव दिया। यदि ऐसा व्यक्ति प्राप्त न हो सके तो फिर जिलाधीश को ही यह कार्य सौंपने का सुझाव दिया। वे जिलाबोर्ड में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में थे। वे जिला-प्रशासन से गोपनीयता, नौकरशाही की वृत्ति तथा विभागीय विलम्ब की मनोवृत्ति को दूर करवाना चाहते थे। वे इसके लिए जिला-परिषद् नियुक्त करने का सुझाव दे रहे थे जो जिलाधीश को सहायता तथा सुझाव दे सके। वे जिला-प्रशासन में जिलाधीश को लोकतांत्रिक तौर तरीके तथा समय के साथ परिवर्तित होने वाली विचारधारा से युक्त करना चाहते थे। प्रशासकों के मनमाने आचरण तथा एकतन्त्रतावादी रवैये को परिवर्तित करने के लिए गोखले ने उपयुक्त सुझावों के द्वारा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बुनियाद रखी।<sup>22</sup>

लार्ड इजलिगटन की अध्यक्षता में नियुक्त पब्लिक सर्विसेज कमिशन (1912) के सदस्य के रूप में गोखले ने लोक-सेवाओं में भारतीयों की सीधी भर्ती को तुरन्त क्रियान्वित करने पर बल दिया। वे चाहते थे कि भारत में शिक्षा के ऐसे प्रबन्ध किये जायें जिनसे भारतीयों को उच्च सेवा में नियुक्त होने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वे भारत तथा इंग्लैण्ड दोनों स्थानों पर नियुक्ति की व्यवस्था किये जाने के पक्ष में थे। वे भारतीयों की नियुक्ति की संख्या निश्चित कराने के पक्ष में थे ताकि यूरोपीयों तथा भारतीयों की नियुक्ति में समान स्थान प्राप्त हो सकें। वे अन्य सेवाओं में जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान न था दो तिहाई स्थान सीधी भर्ती में तथा एक तिहाई वरिष्ठता के आधार पर देने के पक्ष में थे। वे सभी परीक्षाओं में प्रतियोगिता के आधार पर स्थान भरने के हामी थे। साम्प्रदायिक स्थिति के समाधान के लिए वे कुछ स्थान सुरक्षित रखने का भी विचार रखते थे। आर्थिक एवं वैज्ञानिक सेवाओं में गोखले केवल भारतीयों की नियुक्ति चाहते थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा से न्यायिक सेवा को अलग रखने के पक्ष में थे। इसी प्रकार से वे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय शिक्षा-सेवा तथा भारतीय न्यायिक सेवा, चिकित्सा-सेवा, तकनीकी सेवाओं आदि का भारतीयकरण करने के पक्ष में थे। यद्यपि उनके सुझावों को स्वीकृत नहीं किया गया फिर भी उनके द्वारा सुझाये गये विचार भारत की भावी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार बने।<sup>23</sup>

इसी प्रकार से गोखले ने लार्ड इजलिगटन के आग्रह पर भारत के भावी सर्वोच्चानुसूचित जातियों का सुझाव 1915 में प्रस्तुत किया जिसे प्रांतीय स्वायत्तता का पूर्वगामी माना

जाता है। गोखले ने यह सुझाव दिया कि भारत के प्रत्येक प्रान्त में प्रशासन के प्रमुख के रूप में इंग्लैण्ड की सरकार द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाय। प्रत्येक प्रान्त में छः सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद् अथवा कैबिनेट नियुक्त की जाय। इस में तीन अंग्रेज तथा दोप तीन भारतीय होने चाहिए। इन सदस्यों को गृह ( विधि एवं न्याय सहित ), वित्त, कृषि, सिंचाई एवं सांख्यिक निर्माण, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन ( सफाई एवं चिकित्सा सहित ), उद्योग एवं वाणिज्य विभाग सौंपे जाय। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कार्यकारिणी परिषद् में न की जाय। प्रत्येक प्रान्त में विधायी परिषद् की सदस्य संख्या 75 से 100 के बीच रखी जाय जिनमें से 4-5 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों एवं हितों का प्रतिनिधित्व करें। मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित रहे जाय। गवर्नर द्वारा कुछ सरकारी विधेयकों की नियुक्ति का भी प्रावधान रहे। कार्यपालिका तथा विधायिका परिषद् के प्रान्तीय स्तर पर सम्बन्ध जर्मनी की रीश्टेग तथा केन्द्रीय सरकार के सदन रखने का सुझाव भी गोखले ने दिया। गोखले उत्तरदायी शासन की स्थापना के स्थान पर प्रतिक्रियात्मक शासन की स्थापना चाहते हैं जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित न की जाय तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न हो। वे प्रान्तों में उत्तरदायी तथा प्रतिक्रियात्मक व्यवस्थापिका अवश्य चाहते थे किन्तु उस व्यवस्थापिका को भी ब्रिटिश 'कामन सभा' के समान शक्तिशाली बनाने का उनका उद्देश्य नहीं था। गोखले क्रमिक विकास के पक्षपाती थे। वे भारत में ब्रिटिश शासन से अनेक अनुभव प्राप्त करने के इच्छुक थे। वे भारत में सुधारों की प्रक्रिया तब तक अपूर्ण मानते थे जब तक भारतीयों में परिपक्वता नहीं आजाती।<sup>21</sup>

गोखले ने प्रांतीय स्वयत्तता की स्थापना के लिए वित्तीय विकेन्द्रीकरण पर भी बल दिया। किन्तु अधिक राजस्व की प्राप्ति पर प्रांतीय सरकार द्वारा अतिरिक्त धन भारत सरकार को दिये जाने का सुझाव भी उन्होंने दिया। वे प्रांतों द्वारा पृथक् वित्तीय साधनों के संधारण के पक्ष में थे ताकि प्रांतों की आर्थिक स्थिति केन्द्र की कृपा पर निर्भर न करे। वे जिला-प्रशासन तथा स्थानीय स्वशासन में ऐसे परिवर्तन तथा प्रयोग चाहते थे जिससे अधिक रचनात्मक कार्य सम्भव हो सके। वे जिलों में कमिश्नरों के पक्ष में न थे। जिला-परामर्शदात्री परिषदों को जिलाधीश की सहायता एवं सलाह के लिए प्रयुक्त किया जाय। ग्राम-पंचायतों की स्थापना निर्वाचन तथा मनोनयन के आधार पर हो। नगरपालिका, तालुका-बोर्ड आदि को पूर्णतया निर्वाचित संस्थाओं में परिवर्तित करने का सुझाव भी गोखले ने दिया। वे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में सशोधन का सुझाव भी दे रहे थे। उनके अनुसार इसके छः सदस्यों में से दो भारतीय होने चाहिए थे। परिषद् के विभाग आंतरिक, वित्त, विधि, प्रतिरक्षा, संचार ( रेलवे, पोस्ट व टेलीग्राफ ) तथा विदेश-सम्बन्ध होने चाहिए थे। वे साम्राज्यीय विधायी परिषद् को भारत की विधान-सभा के नाम से पुकारा जाना पसन्द करते थे। सड़की सदस्य-संख्या बढ़ाने के साथ ही साथ गोखले ने इसकी शक्तियों में वृद्धि करने का भी सुझाव प्रस्तुत किया। वे शासकीय बहुमत को तब तक बनाये रखने के पक्ष में थे तब जब प्रांतों में स्वायत्तता की पूर्ण स्थापना नहीं हो जाती। वे इसे अर्थात्कालीन प्रयोजन भी मानते थे ताकि प्रांतों पर आवश्यकतानुसार नियंत्रण रखा जा सके। गोखले

द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय सभा में शासन की नीति को प्रभावित करने के लिए सभी विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते थे। वित्तीय मामलों में भारत-सचिव के नियंत्रण को शिथिल करने का विचार सुझाया गया था। वे भारतसचिव की भारत-परियोजना को समाप्त करने के पक्ष में थे। भारतीयों की सेना के प्रत्येक अंग में उच्च पद दिवाने का सुझाव भी गोखले ने प्रस्तुत किया। आगाखानों के सुझाव पर गोखले ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका को भारतीयों के उपनिवेशीकरण के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।<sup>25</sup> गोखले राजनीतिक यथार्थवादी थे। उनके द्वारा सुझाये गये सुधारों को भारत सरकार ने क्रियान्वित चाहे न किया हो किन्तु उनमें गोखले की भविष्यद्रष्टा की स्थिति का बोध अवश्य होता है। गोखले के सुधारों की योजनाओं ने मिटो-मोल्ले सुधारों तथा मॉटेग चेम्सफर्ड सुधारों की योजना को अत्यधिक प्रभावित किया। भारत में स्वशासन एवं नागरिक स्वतन्त्रता की मान्यता की दिशा में गोखले के प्रशासनिक सुधारों तथा राजनीतिक विचारों का वही महत्व माना जा सकता है जो कि एक मार्गदर्शक अथवा मार्गनिर्धारक का हो सकता है।

### सामाजिक विचार

गोखले का सामाजिक दर्शन विभिन्न समुदायों, जातियों एवं राष्ट्रीयताओं में समन्वय का प्रतीक था। गोखले ने यद्यपि समाज सुधार आन्दोलन में तिलक के समान सक्रिय भाग नहीं लिया किन्तु वे सच्चे समाज सुधारक थे। वे रूढ़िवादिता के प्रबल विरोधी थे। भारत में प्रचलित जाति-व्यवस्था को गोखले ने प्रगति की प्रतिगामी विचारधारा माना था। वे भारत की दलित जातियों के उत्थान के प्रबल समर्थक थे। सूत्रासूत तथा भेदभाव की नीति का अन्त करने के लिए गोखले ने भारतीयों को सामाजिक संकीर्णता से बाहर निकलने का आह्वान किया। वे सामाजिक सहिष्णुता तथा सद्भावना के प्रतीक थे। केवल भारत में ही नहीं अपितु दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेद नीति की भी उन्होंने तीव्र आलोचना की। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जातीय भेदभाव का अन्त करके भारत विश्व के राष्ट्रों में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकता था। उनके अनुसार जब तक भारत में छुआछूत की समस्या का निवारण नहीं कर लिया जाता तब तक भारत द्वारा समान अधिकारों की मांग अर्थहीन है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जिन अधिकारों की मांग कर रहे थे उन्हें अधिकारों का प्रयोग भारत के सर्वत्र विद्यमान एवं दलित जातियों को देने में संकुचते थे। इस प्रकार की दोहरी सामाजिक नीति से भारत भारत का हित नहीं हो सकता था।<sup>26</sup>

गोखले ने हिन्दुओं में व्याप्त सामाजिक संकीर्णता का विरोध किया। वे व्यापक दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का हल ढूँढ रहे थे। ऐसे समय जब कि महाराष्ट्र के पुरातनपंथी ब्राह्मणों द्वारा जाति-वहिष्कार के निर्णय लिये जाते थे और अर्थों के साथ सामाजिक आदान-प्रदान पर प्रायश्चित्त करवाया जाता था, गोखले ने अर्थों की समस्या को लेकर अद्भुत साहस का परिचय दिया। वे अपने आपको हिन्दू कहलाने के स्थान पर भारतीय कहलाना पसन्द करते थे। केवल हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था ही नहीं अपितु उनके द्वारा अन्य धर्मावलम्बियों के साथ किये गये व्यवहार को भी गोखले ने मताबा। वे धार्मिक सहिष्णुता को सामाजिक एकता का प्रमुख आधार मानते थे। हिन्दू तथा

मुसलमानों के मध्य मधुर सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना उनका ध्येय था। वे विभिन्न समुदायों में एकता की भावना का संचार कर उन्हें एक ही राष्ट्र के अन्तर्गत लाने के पक्षपाती थे। वे हिन्दू लीग तथा मुस्लिम लीग दोनों को ही राष्ट्र-विरोधी मानते थे। उनके विचारों का भारत-राष्ट्र न तो हिन्दू था न मुस्लिम। वे धर्मनिरपेक्षता तथा सहिष्णुता के उपासक थे। वे पृथक् प्रतिनिधित्व को महत्त्वहीन मानते थे। भारत में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक समुदायों में किसी भी प्रकार के मनोमालिन्य अथवा अविश्वास के लिए स्थान नहीं था। सहिष्णुता के आदर्श को अपना कर एक जुट होने का संदेश भारत के निवासियों के लिए गोखले की सामाजिक विरासत थी। गोखले मानववादी थे। उनका किसी भी धार्मिक समुदाय अथवा राष्ट्रीयता के प्रति दुराव नहीं था। वे धार्मिक रुढ़िवाद से ऊपर उठकर सोचने में सक्षम थे। वे ईश्वर की सत्ता को मानव-प्रेम में उद्भासित मानते रहे। भारत के आध्यात्मिक गौरव एवं तत्व-ज्ञान की अभिव्यक्ति उनके सामाजिक विचारों का मूल थी।<sup>27</sup>

### आर्थिक विचार

गोखले भारत की औद्योगिक क्षमता के विकास के लिए सदैव इच्छुक रहे। वे स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन के समर्थक थे। किन्तु उनका स्वदेशी सम्बन्धी दृष्टिकोण उपवादियों से भिन्न था। वे बहिष्कार की नीति द्वारा स्वदेशी का विस्तार हितकारी नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में भारत के लिए स्वदेशी की नीति अपनाने के साथ पूँजी, आर्थिक उद्यम का चालुयं तथा उद्योगों सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक था। विदेशी उद्योगों की तुलना में भारतीय उद्योगों की स्थिति इतनी मजबूत न थी कि विदेशी वस्तुओं तथा औद्योगिक जानकारी का परित्याग कर हम अपना स्वतंत्र आर्थिक अस्तित्व प्राप्त कर सकें। वे विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों की जानकारी, भारतीय उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों में अधिक से अधिक पूँजी का विनियोजन, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शिक्षण का विस्तार तथा भारत के निवासियों में देश में उत्पादित वस्तुओं के अधिक से अधिक प्रयोग करने का विचार चाहते थे।<sup>28</sup> उचित मानसिक दृष्टिकोण का विकास करके ही विदेशी आयात पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। उपयोगी वस्तुओं का भारत में उत्पादन न होने तक विदेशी माल का बहिष्कार केवल नारों तक ही सीमित रहने वाला था। गोखले का यह दृष्टिकोण यथार्थवादी था। आज भी जब कि भारत ने अत्यधिक औद्योगिक विकास प्राप्त कर लिया है, विदेशी वस्तुओं के तीव्र आकर्षण कम नहीं हुआ। तस्करी के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का चोरीछिपे भारत में आना यह सिद्ध करता है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति का देशीकरण करने की नितात आवश्यकता है।

गोखले उदारवादी होते हुए भी उन्मुक्त व्यापार तथा कम से कम हस्तक्षेप की नीति के पक्षपाती नहीं थे। वे जानते थे कि उन्मुक्त व्यापार का समर्थन करने का अर्थ आर्थिक दृष्टि में निर्यत देशों के व्यापार को चौपट करना होगा। भारत जैसा देश जहाँ आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की आवश्यकता थी, उन्मुक्त व्यापार का शिकार बन अपने आर्थिक हितों का संरक्षण नहीं प्राप्त कर पायेगा। वे अंग्रेजों को भारत के प्रति दुरावपूर्ण आर्थिक नीति के आलोचक थे। अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत के कुटीर उद्योगों

पर कुठाराघात किया था उसके कारण भारत विदेशों से तैयार माल आयात करने के लिए विवश हुआ। भारत को केवल कृषि प्रधान देश बनाकर तैयार माल आयात करने वाली मण्डी बनाने का अंग्रेजों का कुचक्र गोखले द्वारा भलीभांति पहचाना गया। शासन की भारत के आर्थिक विकास में अरुचि भारत की प्रगति को अवरुद्ध करने वाली थी। भारत में उचित आर्थिक संरक्षण की नीति को अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए गोखले ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। किन्तु वे पूर्ण संरक्षण के पक्ष में नहीं थे। उनका उद्देश्य यह था कि भारतीय उद्योगों को उचित संरक्षण तो प्रदान किया जाय किन्तु यह कार्य प्रशासन की उन्मुक्त व्यापार की नीति के अनुरूप ही हो।<sup>29</sup> ऐसा होने पर भारत भी अपनी औद्योगिक क्षमता का स्वतन्त्रता पूर्वक विकास कर अन्य देशों के समान आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता था। वे अनियंत्रित व्यापार तथा अनुचित संरक्षण दोनों के विरुद्ध थे। वे अपने गुरु रानाडे के समान जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडेरिक लिस्ट से अत्यधिक प्रभावित थे। लिस्ट ने कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था के उद्योगीकरण का मार्ग दर्शाया था और गोखले ने भी उसी विचारधारा पर चल कर भारत की औद्योगिक क्षमता में वृद्धि का आग्रह किया। वे राष्ट्रीय शक्ति तथा स्वावलम्बन के विकास के साथ साथ शासकीय संरक्षण में भारत के नव-स्थापित उद्योगों को इतना विकसित देखना चाहते थे कि वे अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा में मात न खा जाय।

### गोखले के शिक्षा सम्बन्धी विचार

गोखले ने एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था और इस कारण से वे भारत की शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में समय-समय पर महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट करते रहे। वे भारत में अंग्रेजी शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाना उचित एवं वांछनीय समझते थे। उनके अनुसार शिक्षा का प्रसार नैतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से अनिवार्य था। बलिन के प्रोफेसर ट्यूज़ के विचारों को आधार मान कर गोखले ने शिक्षा के विस्तार को कृषि, छोटे उद्योगों, निर्माताओं तथा बाणिज्य द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में वृद्धि का कारण माना।<sup>30</sup> शिक्षा के विस्तार द्वारा श्रम से उत्पन्न लाभ का उचित वितरण किया जा सकता था। श्रम का बँटवारा सामाजिक शांति एवं सामान्य समृद्धि का स्रोतक था। जनसामान्य का उचित शिक्षण सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अन्तरराष्ट्रीय आदान-प्रदान की वृद्धि का भी मूचक था। अतः शिक्षा के विस्तार को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए गोखले ने भारत में शिक्षा तथा विशेषतौर से प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान किया। अन्य देशों में राज्य द्वारा शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था और शिक्षा के विस्तार के लिए धन का समुचित प्रबन्ध भी किया जाता था किन्तु भारत सरकार वित्तीय कठिनाइयों के नाम पर शिक्षा के प्रति विमुख थी। गोखले ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और उचित वित्तीय व्यवस्था द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया।<sup>31</sup>

गोखले शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य किये जाने के पक्ष में थे। अपने जीवन के अनुभव से उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था। अपनी बाल्यकाल की निर्धनता के दिनों में गोखले ने स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेकों कष्ट भेने थे। यही कारण था कि

गोखले शिक्षा की अनिवार्यता के साथ उसके निःशुल्क होने पर अधिक बल दे रहे थे ताकि निर्धन वर्ग आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाय।<sup>32</sup>

शिक्षा के विस्तार द्वारा व्यक्तियों के जीवन में नवीन चेतना का संचार अवश्यभावी था। गोखले यह जानते थे कि शिक्षा के विस्तार मात्र से भारत अपनी समस्याओं तथा कठिनाइयों को हल नहीं कर सकता था। जीवन में संघर्ष, अपरिपक्वता, स्वार्थ तथा कष्टों का फिर भी सामना करना पड़ेगा। केवल शिक्षा से निर्धनता का अन्त भी सुलभ नहीं होगा। देशभक्ति एवं परमार्थ से प्रेरित सहायता कार्यों की आवश्यकता बनी रहेगी। इतना अवश्य होगा कि उचित शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में जिस नवीन आत्मनिष्ठा का विकास होगा उससे वे आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण का प्रतिकार कर सकेंगे और मानवीय गरिमा के संरक्षण का उचित वातावरण बन सकेगा।<sup>33</sup> गोखले का यह विश्वास निरर्थक सिद्ध नहीं हुआ। उनके द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का समर्थन आगे चल कर भारतीयों को स्वशासन के कार्य में पाश्चात्य स्तर की दक्षता दिलाने में सहायक हुआ। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा तथा अंग्रेजी के पठन-पाठन पर जितना ध्यान केन्द्रित किया उसका लाभ भारत को अपनी विस्मृत राजनीतिक चेतना को जाग्रत करने के अर्थ में अवश्य प्राप्त हुआ।

### योगदान

गोखले का जीवन सरलता सहृदयता, एवं सार्वजनिक सेवा की तत्परता से प्रीतःप्रोत था। उनके द्वारा संवैधानिक आन्दोलन का जिस प्रकार से संचालन एवं संवर्धन हुआ वह निरन्तर चलता रहा और भारत की स्वाधीनता के बाद भी उनकी सुधारों की प्रवृत्ति की स्पष्ट छाप भारत के शासकीय कार्यों पर बनी रही है। गोखले केवल उदारवादी ही नहीं थे। उनके जीवन का एक और पक्ष भी था और वह था उनके द्वारा उपवादियों को संरक्षण प्रदान करने का। पंजाब में लाला लाजतराय के देशनिर्वासन के समय गोखलेने उनके वचाव के लिए जो कार्य किया<sup>34</sup> वह इस बात की पुष्टि करता है कि वे देश के स्वाधीनता-संग्राम के सेनानियों के प्रति अत्यधिक निष्ठावान एवं सहायक रहे। वैचारिक मतभेदों के बावजूद गोखले ने व्यक्तिगत रूप से उपवादियों के प्रति कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा अथवा सुरक्षा खतरे में पड़ती। गोखले ने लाला लाजपतराय का भगिनी निवेदिता से परिचय करवाया।<sup>35</sup> निवेदिता भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन की सहायक थी। इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि गोखले हृदय से क्रांतिकारी आन्दोलन के शत्रु नहीं थे। स्वयं तिलक ने, जो कि उनके कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वन्दी थे, गोखले की मृत्यु पर उन्हें भारत का हीरा<sup>36</sup> कहकर उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की। उनकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही जिन्ना ने अपने आपकों "मुस्लिम गोखले"<sup>37</sup> बनाने का उद्गार प्रकट किया। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु<sup>38</sup> मानते थे। गोखले ने अपने प्रयासों से भारत को स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया और कांग्रेस संगठन को अंग्रेजों के हाथ प्रतिबंधित होने से बचाया।

टिप्पणियाँ

1. आर. पी. परांजपे, गोपाल कृष्ण गोखले, (आर्य भूषण प्रेस, पूना, 1915) पृ. 3-4
2. टी. के. साहनी, गोपाल कृष्ण गोखले : ए हिस्टोरिकल बायोग्राफी, (आर. के. मोदी, बम्बई, 1929) पृ. 59
3. जे. एस. होयलैण्ड, गोपाल कृष्ण गोखले, (वाई. एम. सी. ए. पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता, 1933) पृ. 11
4. वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री, साइक ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, (बी बैंगलोर प्रेस, बैंगलोर, 1937) पृ. 11
5. परांजपे, पृ. 41-45
6. बहो, पृ. 81-82
7. टी. बी. पार्वते, गोपाल कृष्ण गोखले, (नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1959) पृ. 72
8. श्रीनिवास शास्त्री, पृ. 95
9. होयलैण्ड, पृ. 59-60
10. जी. के. देवघर, बी सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी, (आर्य भूषण प्रेस, पूना, 1914) पृ. 11
11. वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री, माई मास्टर गोखले, (मॉडल पब्लिकेशन्स, मद्रास, 1946) पृ. 87
12. एस. ए. बोलपर्ट, तिसक एण्ड गोखले, (कॅलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस, बर्कले, 1961) पृ. 271
13. परांजपे, पृ. 58-62
14. टी. आर. देवगिरिकर, गोपाल कृष्ण गोखले, (पब्लिकेशन्स डिवीजन, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1969, द्वितीय संस्करण) पृ. 116
15. स्पीचेज़ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, (नेटेशन, मद्रास, 1920, द्वितीय संस्करण) पृ. 951
16. बहो, पृ. 954-956
17. बहो, पृ. 942-945
18. पार्वते, पृ. 255 तथा 457
19. देवगिरिकर, पृ. 149-150
20. परांजपे, पृ. 64-70
21. बहो, पृ. 56
22. देखिये बी. बी. मायुर, गोखले ए पोलिटिकल बायोग्राफी, (मानकटलाज़, बम्बई, 1966) पृ. 58-64
23. बहो, पृ. 67-75
24. बहो, पृ. 430-431
25. बहो, पृ. 432-434
26. परांजपे, पृ. 27
27. बहो, पृ. 26-28
28. बहो, पृ. 45
29. बहो, पृ. 45-46
30. स्पीचेज़, पृ. 49-50
31. बहो, पृ. 53-54
32. बहो, पृ. 598-599
33. बहो, पृ. 659
34. अल्लुराय शास्त्री, साता सात्रपत राय : जीवनी, (शोक सेवक मण्डल, दिल्ली, 1957) पृ. 220
35. बहो, पृ. 105
36. डी. पी. बरमचन्द, ज्ञान गंगाधर तिसक : एक व्यययन (पोसुतर बुक डिपो, बम्बई, 1956) पृ. 246
37. हेक्टर कोलियो, जिन्ना : बी क्रियेटर ऑफ पाकिस्तान, (जॉन मर्से, मन्दन, 1954) पृ. 55
38. गौडी, गोखले : माई पोलिटिकल गुड, (नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1955) पृ. 37



श्रीनिवास शास्त्री का जन्म 22 सितम्बर, 1869 को तामिल नाडू में कुंभकोणम् के निकट बलगेमन ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम शंकर नारायण शास्त्री तथा श्रीमती बालाम्बाल था।<sup>1</sup> श्रीनिवास जन्म से निर्धन थे किन्तु चरित्र के धनी थे। उनकी मेधा विलक्षण थी। उनके पिता ब्राह्मणवृत्ति से प्राप्त साधारण आय पर परिवार का भरणपोषण कर रहे थे। पिता दयालुता, सत्य एवं धार्मिक गुणों से भरपूर किन्तु क्रोधी स्वभाव के थे। श्रीनिवास ने बाल्यकाल से अपने भावातिरेक को नियंत्रित कर अपने भाप को अनुशासन के ढाँचे में ढाल लिया था। पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान् थे। माता पूर्ण धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। घर का वातावरण पुरातन धर्मावलम्बी ब्राह्मण-परिवार का था किन्तु निर्धनता कष्टकारक थी। प्रायः कई बार भोजन भी दुर्लभ होता था। एक बार कहीं से उनकी माता को अन्त में डालने के लिये कोई कच्चे आम भेंट में देने आया किन्तु उनकी माता के पास इसने पैसे भी नहीं थे जिससे वे नमक खरीद लेती और आम का अचार डाल देती। अतः उन्होंने आम लेने से मना कर दिया चूँकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आम भेंट करना उचित था किन्तु किसी को नमक देना वर्जित था। श्री निवास शास्त्री ने उनकी बाल्यकाल की निर्धनता का यह प्रसंग राज्यसभा में नमक कर कानून के विरोध में बोलते हुए मार्च 23, 1944 को सुनाया था।<sup>2</sup>

शास्त्री ने 1883 में कुंभकोणम्-हाईस्कूल से मैट्रिक-परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। 1885 में इंटर की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1887 में बी. ए. परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी आने के कारण उनकी फीस माफ होती रही और इससे उनका अध्ययन भी सुचारु रूप से चलता रहा। बी. ए. परीक्षा में उन्हें संस्कृत में पूरे मद्रास प्रान्त में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। उन्हें 350 रुपये पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए और अंग्रेजी में विशेष योग्यता के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उनके पिता ने प्रसन्नतावश घर पर भोज का आयोजन किया। अन्य विद्वान् ब्राह्मण आमंत्रित किये गये। श्लोकोच्चारण हुआ उस पर शास्त्री ने एक संस्कृत श्लोक में व्याकरण की अशुद्धि पर विद्वत् मंडली को ललकारा। बुजुर्ग इसे कैसे स्वीकार करते। आखिर शास्त्री को पिता से ताडना मिली और भविष्य के लिये शास्त्री ने किसी की व्याकरण अथवा भाषा सम्बन्धी कोई भी और किसी भी अशुद्धि को न सुधारने का प्रण किया। किन्तु यह प्रण चलने वाला न था। शास्त्री तथा उनके मित्रों ने नेसफील्ड की अंग्रेजी व्याकरण की अशुद्धियाँ पकड़ी। उस जमाने में किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी व्याकरणकर्ता की व्याकरण को अशुद्ध बतलाना एक सनसनी पैदा करने वाली घटना बन गयी। वे सदैव अंग्रेजी शब्दकोष जीवन पर्यन्त अपने साथ रखते रहे।



शास्त्री तथा सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी ने कांग्रेस से पृथक होने का निर्णय किया तथा उदारवादियों के दल में सम्मिलित हो गये। वे लांड साउथवोरो की मताधिकार-समिति के सदस्य रहे। 1919 में वे उदारवादियों के प्रतिनिधिमण्डल के साथ इंग्लैंड गये। वहाँ वे ब्रिटिश संसद् की संयुक्त समिति के समक्ष सुधार प्रस्तावों पर साक्षी देने उपस्थित हुए। शास्त्री कांग्रेस से पृथक होकर प्रसन्न नहीं थे। 1920 में वे कांग्रेस के दिल्ली-अधिवेशन में उपस्थित हुए और कांग्रेस से सुधार-प्रस्तावों को स्वीकार कराने का उद्यम करते रहे। उन्हें सरकार ने एकबर्थ रेल्वे-समिति का सदस्य बनाया। वे निर्वाचन में खड़े हुए तथा राज्यसभा के सदस्य चुन गये। 1921 में लन्दन साम्राज्यीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गये। राष्ट्र संघ में वे भारत-सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गये। उन्हें प्रिवी कौंसिल का सदस्य बनाया गया। वे वार्शिंगटन में होने वाले नौसैनिक निशास्त्रीकरण-सम्मेलन में ब्रिटिश साम्राज्यीय प्रतिनिधिमण्डल में सम्मिलित किये गये। बम्बई में हुए प्रान्तीय उदारवादी सम्मेलन की 1922 में उन्होंने अध्यक्षता की। आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के निमन्त्रण पर इन उपनिवेशों की यात्रा की। उपनिवेशों में रहने वाले भारतीयों के पूर्ण नागरिकता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्तावों की सिफारिश के लिए यह यात्रा आयोजित की गई थी। 1923 में शास्त्री नागपुर में राष्ट्रीय उदारवादी संगठन के अध्यक्ष बने। वे केन्या में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता एवं जातिगत समानता सम्बन्धी भारत-सरकार के प्रस्ताव को लेकर लन्दन के औपनिवेशिक मन्त्रालय में उपस्थित हुए। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन प्रस्तावों के ठुकराये जाने के कारण उन्हें बहुत निराशा हुई। वे कुछ समय तक बीमार रहे। उन्होंने लन्दन में होने वाली साम्राज्यीय प्रदर्शनी के लिए यह प्रस्ताव किया कि भारत द्वारा इसका बहिष्कार किया जाये। श्रीमती एनी बोसैंट के साथ शास्त्री ने पुनः 1924 में इंग्लैंड की यात्रा की और भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग वहाँ की जनता के समक्ष रखी। 1925 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के निमन्त्रण पर शास्त्री ने "भारतीय नागरिक तथा उसके अधिकार एवं कर्तव्य" विषय पर कमला व्याख्यानमाला के अन्तर्गत भाषण दिया। 1926 में कैपटाउन में होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन में हबीबुल्ला प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका गये। 1927 में वे दक्षिण अफ्रीका में भारत के ऐजेन्ट-जनरल नियुक्त किये गये। वहाँ उनका कार्य अत्यन्त सराहनीय रहा। उनके प्रयत्नों से भारतीयों के साथ गोरों के व्यवहार में परिवर्तन आया तथा पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार हुआ। वहीं डर्बन में उनके द्वारा शास्त्री कालेज स्थापित किया गया, जहाँ भारतीयों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबन्ध था। 1928 में उन्हें के० सी० एस० आई० से सम्मानित किया जाना तय हुआ, किन्तु शास्त्री ने इसे अस्वीकार कर दिया। वे साम्राज्यिक श्रम-आयोग के सदस्य नियुक्त हुए। पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों की एकता के लिए नियुक्त हिल्टन-यंग शाही-आयोग के समक्ष उन्होंने भारत सरकार के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। 1929 में उन्हें "कम्पेनियन ऑफ मानर" के खिताब से सम्मानित किया गया। 1930 में लन्दन-गोलमेज-सम्मेलन के सदस्य मनोनीत हुए और उन्होंने साम्राज्यिक संघ के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 1931 में वे गांधी-इरविन-समझौते के सूत्रधार बने। पुनः द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन में उपस्थित

हुए। उन्हें "फ्रीडम ग्रॉफ सिटी ग्रॉफ एडिनबरा" ग्रॉफि की गई। 1932 में वे कैपटाउन में होने वाले भारत-अफ्रीका सम्बन्धों के द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन में उपस्थित हुए। उनकी द्वितीय धर्म-पत्नी का भी 1934 में देहान्त हो गया। 1935 में शास्त्री ने मैसूर-विश्वविद्यालय भाषणमाला के अन्तर्गत गोखले पर भाषण दिया। वे अन्नमलाई विश्वविद्यालय के उप-कुलपति नियुक्त हुए। उन्हें मद्रास में नये मन्त्रिमण्डल का गठन करने के लिये आमन्त्रित किया गया किन्तु उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। 1936 में उन्हें भारतीय प्रतिनीधि के रूप में मलाया के भारतीय श्रमिकों की कामकाजी हालत की जांचपड़ताल के लिए भेजा गया। 1937 में वे मद्रास विधायी परिषद् के सदस्य मनोनीत किये गये। 1940 में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में स्त्रियों की दशा पर भाषण दिया। तमिल साप्ताहिक स्वदेशामित्र में 1941 में उनकी आत्मकथा के कुछ अंश प्रकाशित हुए। 1943 में उन्होंने फिरोजशाह मेहता पर भाषण दिया। 1944 में उनके पत्रों का संकलन प्रकाशित हुआ। उन्होंने रामायण पर भाषण दिये। 1945 में उनकी पुस्तक दो घरर हार्मनि प्रकाशित हुई। उन्होंने यह मांग की कि द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर होने वाले शान्ति-सम्मेलन में महात्मा गांधी सम्मिलित हों। इस वर्ष गांधीजी के साथ उन्होंने जिन्ना की भारत-विभाजन की मांग का पूर्ण विरोध किया। 1946 में उनके ग्रन्थ एम्बनेल स्केचेज तथा भाई मास्टर गोखले प्रकाशित हुए। जीवनपर्यन्त भारत की सेवा में रत रहने के कारण उनका स्वास्थ्य शनः शनः बिगड़ने लगा। गांधीजी उनकी रुग्णावस्था में उनसे मिलने मद्रास आये। दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्मट्स द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली रंगभेद की नीति की उन्होंने तीव्र आलोचना की। अप्रैल 17, 1946 को उनका देहान्त हुआ।<sup>13</sup> उनके साथ ही भारत के उदारवादी चिन्तकों का सूर्यास्त हो गया।

### शास्त्री के राजनीतिक विचार :

श्रीनिवास शास्त्री भारत में उदारवादी चिन्तन के अन्तिम स्तम्भ थे। उदारवादियों के प्रति उनका रुझान तथा अपने स्वयं के जीवन में उदारवादी विचारधारा का बरण शास्त्री ने उदारवादी चिन्तकों के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर किया था। शास्त्री पर सर्वप्रथम सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के विचारों का प्रभाव पड़ा। बनर्जी ने अपने मद्रास-भाषण में देशभक्ति का जो प्रचण्ड उद्घोष किया उससे शास्त्री प्रभावित हुए बिना न रहे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि बनर्जी की प्रेरणा ने उन्हें मत्सिनी, केपूर, गैरीबाल्डी प्रभृति इतालवी देशभक्तों के राष्ट्रीय विचारों से परिचय हुआ और वे अभिभूत हो गये।<sup>14</sup> यह प्रभाव विर-स्पायो रहा। इसी प्रकार गोखले से शास्त्री को संवैधानिक विचारों की प्रेरणा मिली। गोखले को शास्त्री ने अपना राजनीतिक गुरु<sup>15</sup> माना और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए शास्त्री ने सर्वेण्ट्स ग्रॉफ इण्डिया सोसायटी को सदस्यता प्राप्त की।<sup>16</sup> गोखले के देहावसान के पश्चात् शास्त्री ने सोसायटी का कार्यभार सम्भाला और वे इसके जीवन पर्यन्त अध्यक्ष रहे। फिरोजशाह मेहता, दीनशाह वाचा, दादाभाई नौरोजी, वी० शृण्ण-स्वामी अम्बर आदि भी शास्त्री के प्रेरणा स्रोत रहे।<sup>17</sup> इन प्रकार शास्त्री के विचारों पर उदारवाद का विशेष प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उदारवादी विचारधारा के अन्तर्गत ही शास्त्री ने संवैधानिक आन्दोलन को प्रमुखता दी। उनका यह विश्वास था

कि भारत में स्व-शासन की स्थापना संवैधानिक आन्दोलन से ही सम्भव थी। वे भी अन्य उदारवादियों की भाँति ब्रिटेन से भारत के सम्बन्धी को दैवी कृपा मानते थे। शास्त्री के अनुसार ब्रिटेन ने भारत का शासन अपने हाथों में लेकर भारतीयों को भ्रम, अंध-विश्वास तथा पारस्परिक जातीय वैमनस्य से मुक्ति प्रदान कर भारत को आधुनिकता एवं प्रगतिशीलता का मार्ग दिखाया था। अंग्रेजी भाषा ने भारत को एक सूत्र में पिरोया तथा उनमें नव चेतना का विकास किया। शास्त्री आंग्ल प्रभाव के प्रशंसक थे किन्तु वे भारतीय संस्कृति के भी परम उपासक रहे। उनका यह समन्वयवादी दृष्टिकोण ही उनकी सफलता का रहस्य बना रहा। वे अंग्रेजीराज से सहयोग करने की नीति के सहगामी रहे। अपने जीवन के अधिकांश वर्ष शास्त्री ने अंग्रेजीराज की भक्ति एवं सेवा में ही व्यतीत किये। अंग्रेजों की उनपर विशेष कृपा रही और उन्हें ऐसे सम्मान एवं पदों से विभूषित किया जो अन्य अंग्रेज भक्त तथा अंग्रेजी परस्त भारतीयों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया।

संवैधानिक आन्दोलन को शास्त्री ने भारत में विदेशी प्रशासन का मार्गदर्शक एवं सचेतक माना था। उनका यह विश्वास था कि संवैधानिक कार्यक्रम एवं सुधारों की माँगों से भारतीय प्रशासन सचेत होकर अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करेगा तथा क्रमिक सुधारों के माध्यम से एक दिन भारत-स्वराज की कल्पना साकार हो सकेगी। अपने इन विचारों के कारण शास्त्री गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन के विरोधी रहे। वे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के उग्रतम विरोधी थे।<sup>8</sup> उनकी यह धारणा थी कि यदि भारतीयों को असहयोग एवं अवज्ञा का पाठ ही पढ़ाया जाता रहा तो एक दिन भारत के स्वतंत्र हो जाने पर जनता स्वयं द्वारा निर्वाचित शासन का भी इसी प्रकार विरोध करेगी। भविष्य में यह स्वयं भारतीयों के लिये पश्चात्ताप का कारण बन जायेगा।<sup>9</sup> शास्त्री के ये विचार ब्रिटिश शासन के प्रति उनके अदम्य सहयोग के प्रतीक थे। 1923 में शास्त्री ने भविष्यवाणी की थी कि असहयोग से स्वराज-प्राप्ति असम्भव है किन्तु सहयोग की नीति तथा संवैधानिक आन्दोलन के सहारे भारत अपना लक्ष्य पच्चीस वर्षों में पूरा कर लेगा। उनकी इस गणना के अनुसार भारत को आजादी 1948 में मिलनी चाहिए थी, किन्तु हमें आजादी 1947 में ही मिल गयी।<sup>10</sup> शास्त्री की भविष्यवाणी काल-गणना से अवश्य सत्य हुई किन्तु उनका यह कथन सत्य नहीं कहा जा सकता कि भारत सहयोग से स्वराज प्राप्त करेगा। भारत की आजादी असहयोग एवं उग्र-असहयोग का ही परिणाम थी।

गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन की आलोचना करते हुए शास्त्री ने कहा था कि यह आन्दोलन सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति के विनाश के लिये उत्तरदायी था। इसके कारण एक और अनेकों व्यक्तियों की जानें गयीं तो दूसरी ओर लगभग 20,000 व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हरण हुआ। इससे शासन की कठोरता एवं सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। पारस्परिक मद्भाव का वातावरण बनने के बजाय हिन्दुओं और मुसलमानों में भयंकर विरोध की प्रथम मिला। इससे हमारे देश की विदेशों में बनी शांतिप्रियता एवं अहिंसा की धारणा को हिला दिया। जनता ने जोश में अनेकों ऐसे कृत्य किये जिनसे बर्बरता एवं हिंसा का ही बोध होता है। इससे सिद्ध हुआ कि हमारी भोली-भाली, अशिक्षित एवं अल्प विवेकी जनता को गलत एवं भ्रामक प्रचार ने किस प्रकार दिशाहीन बना दिया। इससे उन समझदार भारतीयों के कार्य को ठेस पहुंची जो भारत-निर्माण के कार्य में लगे हुये थे।

इससे कयनी और करनी का भेद भी प्रकट हुआ। एक और बहिष्कार की बात कही गयी तो दूसरी और हमारे ही व्यक्तियों ने इसे असफल बनाया। भारत के बाल, वृद्ध, स्त्रियो, युवको को असहयोग का मार्ग दिखाकर उनमें निराशा का भाव पैदा किया गया। उनमें अकर्मण्यता की भावना में वृद्धि हुई। असहयोग ने शासन का विरोध करना और शासन को हानि पहुंचाने का मार्ग बतलाया किन्तु उसका परिणाम जनता को हानि पहुंचाने में ही हुआ। इस प्रकार शास्त्री ने असहयोग-आन्दोलन को खुले शब्दों में आलोचना की।<sup>11</sup> गांधीजी ने 1933 के आमरण अनशन करने से पहले शास्त्री से अनशन के बारे में उनके विचार जानने के लिए पत्र लिखा तो अपने उत्तर में उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि गांधीजी की उपवास की राजनीति न तो शास्त्र सम्मत थी और न विवेक तथा मानवतावादी सिद्धान्तों पर आधारित। वे ऐसे प्रयास को नैतिक छद्म मानते थे।<sup>12</sup>

शास्त्री नागरिक-स्वतन्त्रताओं के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजीशासन के हिमायती होते हुए भी रॉलट-एक्ट का तीव्र विरोध किया। जालियावाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में राज्य-परिषद् में 1919 में बोलते हुए जब उनके एक प्रस्ताव को गवर्नर-जनरल ने स्वीकृति नहीं दी तो वे विरोध प्रदर्शन में सदन से बहिर्गमन कर गये। उनका प्रस्ताव था कि दमनकारी कानूनों की एक समिति द्वारा समीक्षा की जाये तथा प्रावश्यकतानुसार उनका संशोधन अथवा समापन कर दिया जाये। जब यही प्रस्ताव शास्त्री ने 1921 में मोटेग संविधान के अन्तर्गत नवगठित राज्यपरिषद् में प्रथम गैरसरकारी प्रस्ताव के रूप में रखा तब उसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया।<sup>13</sup> भारतीय जनता के नागरिक अधिकारों के लिए वे निरन्तर तत्पर रहे। कलकत्ता में 1926 की कमला-व्याख्यानमाला के अन्तर्गत शास्त्री ने भारतीय नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों पर भाषण दिये।<sup>14</sup> उनका यह दृष्टिकोण था कि राज्य नागरिकों के उच्चतम नैतिक कल्याण के लिए है। मस्तीनी के विचारों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य नागरिकों की शक्तियों एवं क्षमताओं को उच्चतम स्तर तक विकसित करने का होना चाहिए।<sup>15</sup> वे स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान अधिकारों के समर्थक थे। स्त्रियों की शिक्षा, व्यवसाय, सम्पत्ति, विवाह तथा तलाक में पुरुषों के समान अवसर प्राप्त हो, वे इसके पक्ष में थे। उन्होंने सह-शिक्षा का पुरजोर समर्थन करते हुए स्त्रियों के लिए पृथक् विद्यालयों एवं संस्थानों का विरोध किया।<sup>16</sup>

वे प्रजातीय समानता के पक्षधर थे। वे सभी प्रजातियों में, विशेषकर भारतीय एवं अंग्रेजी प्रजातियों में, समानता के लिए प्रयत्नशील रहे। 1921 के साम्राज्यिक सम्मेलन में शास्त्री ने ब्रिटिश अधिराज्यों में वैधानिक तरीके से अधिवासी भारतीयों के लिए नागरिकता के अधिकारों की मान्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिरिक्त सभी अधिराज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया और कालांतर में क्रियान्वित भी किया। शास्त्री के प्रयत्नों से बाद में दक्षिण अफ्रीका ने भी इसे सिद्धान्त रूप से कॅप्टान समझौते के अंतर्गत स्वीकार कर लिया था किन्तु अंत में दक्षिण अफ्रीका पुनः रंगभेद नीति का अनुगामी बन गया।<sup>17</sup> शास्त्री के विचारों को मबये अधिक धक्का केन्या की समस्या से लगा था। केन्या में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिलाने का जो कार्य शास्त्री ने हाथ में लिया था वह ब्रिटिश सरकार तथा केन्या के गोरो ने

कर दिया। रंगभेद तथा प्रजातीय भेदभाव का यह ताडव देखकर शास्त्री इतने दुःखित हुए कि उनकी अंग्रेजीशासन के प्रति वह निष्ठा एव श्रद्धा नहीं रही जो पहले थी।<sup>18</sup>

शास्त्री ने राष्ट्रमंडलीय प्रव्रजन के सिद्धान्त को सैद्धान्तिक मान्यता दिलवाने का प्रयास किया। उनका यह विचार था कि प्रत्येक अधिराज्य को उत्प्रवासन एवं आप्रवासन नियमित करने का अधिकार है, किन्तु वे इस विचारधारा को स्वीकार नहीं करते थे कि अधिराज्यों की यह शक्ति राष्ट्रमण्डलीय देशों में पारस्परिक आदान-प्रदान को संकुचित कर दे। उनका मुख्य लक्ष्य भारतीयों के साथ भेद-भाव की नीति का विरोध करना था। वे दक्षिण अफ्रीका के विरोधी रवैये से प्रसन्न नहीं थे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निम्नूत लाभकारी परिणामों को दृष्टि में रखते हुए शास्त्री ने भारत के राष्ट्रमंडल में बने रहने के पक्ष को प्रबल समर्थन दिया। उनके विचारों से भारत राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में अपना अधिक विकास कर सकता था।<sup>19</sup>

भारत की भावी स्वतन्त्रता को दृष्टि में रखते हुए शास्त्री ने भारत के लिए अधिराज्य-स्थिति की शीघ्र प्राप्ति पर जोर दिया। वे भारत के हित में तथा भारत की मांग पर कतिपय कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्वीकार करने के विरोधी नहीं थे। किन्तु वे अधिराज्य-स्थिति की क्रमिक प्रगति के विरोधी थे। उन्हें इस नीति में विश्वास नहीं था कि भारत में अधिराज्य की स्थापना समय-समय पर ब्रिटिश सरकार द्वारा की गयी समीक्षा पर आधारित की जाये। वे अधिराज्यीय कार्यों के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के पहले अधिराज्य की स्थापना का क्रियान्वयन चाहते थे ताकि भारत को प्रतीक्षा न करनी पड़े।<sup>20</sup>

भारत की संवैधानिक स्थिति के विषय में भी शास्त्री ने अपने परिपक्व विचार प्रस्तुत किये। मोटेग की भ्रगस्त 1917 की घोषणा के पहले तक उनका विचार भारत में अनुक्रियाशील शासन की स्थापना का था। वे स्विट्जरलैंड की भांति उत्तरदायी राज्य-व्यवस्था नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका संविधान द्वारा निश्चित समय तक कार्यशील रहे। वे अमेरिका के नमूने पर अपने विचार आधारित करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के सम्बन्धों के सद्दृश व्यवस्था भारत के लिए उपयोगी मानते थे। वे चाहते थे कि असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में कार्यपालिका द्वारा प्रतिनिधि-व्यवस्थापिका के आदेशों का पालन किया जाये। वे ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था को दोषयुक्त मानते थे। वे नहीं चाहते थे कि स्वयं ब्रिटेन के लिए दोषयुक्त ससदीय प्रणाली को भारत में प्रयुक्त किया जाये। किन्तु शास्त्री के इन विचारों में मोटेग की घोषणा के बाद परिवर्तन आया। मोटेग ने अपनी सुप्रसिद्ध घोषणा के माध्यम से भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जिसके कारण शास्त्री ने राजनीतिक यथार्थ एव उपयोगितावश उत्तरदायी शासन की धारणा को ही भावी संवैधानिक योजनाओं का आधार स्वीकार कर लिया। शास्त्री जानते थे कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना मूलतः अंग्रेजों की कृपा एवं स्वेच्छा पर ही सम्भव थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज अपने ससदीय गौरव के बशीभूत हो भारत में अन्य किसी व्यवस्था की स्थापना के इच्छुक न होंगे। वे इस कारण बाधा उत्पन्न करना उचित नहीं समझते थे। उन्हें भय था कि किसी अन्य शासन पद्धति का प्रचार भारत के विरोधियों द्वारा भारत की संवैधानिक प्रगति को शिथिल बनाने का यंत्र बन जायेगा। इस प्रकार वे अनुक्रियाशील शासन के स्थान पर

उत्तरदायीशासन के समर्थक बन गये ।<sup>21</sup>

शास्त्री ने संवैधानिक संरचना के सम्बन्ध में भी अपने विचार व्यक्त किये । प्रारम्भ में उनके विचार भारत में एकात्मक संविधान की स्थापना के पक्षपाती थे । वे चाहते थे कि भारत में एकात्मक शासन, जिसके अन्तर्गत देशी-रियासतें तथा ब्रिटिश प्रान्त दोनों ही समाविष्ट थे, यथावत् चलता रहे । देशी रियासतों में ब्रिटिश प्रान्तों के समान लोकतन्त्रात्मक प्रयोग किये जायें । उनका यह सुझाव था कि उन्नत देशी रियासतें अपने वहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना करें तथा शेष छोटी रियासतें जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं उन्नत रियासतों में मिला दी जाये । वे भारत के उस एकीकरण का स्वप्न देख रहे थे जो सरदार पटेल द्वारा भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के बाद पूरा हुआ । शास्त्री ने एक प्रमुख सुझाव यह प्रस्तुत किया कि भारत-सरकार ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों की जनता द्वारा चुनी हुई व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो न कि ब्रिटेन की संसद् के प्रति । वे भारत-सरकार द्वारा देशी रियासतों पर पूर्ण प्रभुसत्ता की स्थापना चाहते थे । उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि देशी रियासतों का ब्रिटिश सम्राट से सीधा सम्बन्ध रहे । वे राजनीतिक एवं संवैधानिक दृष्टि से भी इसे अनुपयुक्त मानते थे । किन्तु प्रथम गोलमेज-सम्मेलन के बाद शास्त्री के इन विचारों में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दिया । सम्मेलन के बाद देशी रियासतों के शासकों ने ब्रिटिश प्रान्तों के साथ मिलकर भारत-संघ की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । भारत में अधिराज्य स्थिति की स्थापना को भी रियासतों ने स्वीकार कर लिया जिसके द्वारा उनपर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने वाली थी । यद्यपि भारत-संघ की स्थापना कठिन थी और देशी रियासतों के शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए अनेक अलोकतान्त्रिक प्रावधानों की मांग की थी फिर भी शास्त्री ने इस योजना का स्वागत किया । कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों पर अपनी प्रभुसत्ता भारत-सरकार को सौंपने से अस्वीकार कर दिया । वह भारत की देशी रियासतों के शासकों की सहमति के बिना उन्हें भारत-सरकार के अधीन नहीं करना चाहती थी । भारत-सरकार केवल ब्रिटिश प्रान्तों के शासन के लिए उत्तरदायी रखी गयी । इसका एक कारण यह भी था कि देशी रियासतों के शासक ब्रिटेन की सर्वोच्चता को गांधी तथा नेहरू की कांग्रेस की सर्वोच्चता से अधिक अच्छा मानते थे । ऐसे हठधर्मितापूर्ण वातावरण में भारत अधिराज्य की स्थापना असंभव सी थी । कांग्रेस की शक्ति को क्षीण करने के लिए देशी रियासतों ने अंग्रेजों के समर्थन में अपना कुचक्र प्रारम्भ कर दिया था । वे भारतीय व्यवस्थापिका के लिए अपने प्रतिनिधि स्वयं मनोनीत करना चाहते थे ताकि कांग्रेस को रियासतों में एक भी स्थान प्राप्त न हो सके और रियासतों के शासक अपने वहाँ लोकतन्त्र को जड़ से उखाड़ सकें । इतने पर भी शास्त्री अधिराज्य-स्थिति के लिये पालायित थे । वे इसके लिये संघ की स्थापना तथा देशी रियासतों की लोकतन्त्र विरोधी हरकतों को मानने के लिए भी तैयार थे । उनका यह विश्वास था कि एक बार भारत में अधिराज्य-स्थिति स्थापित होने के पश्चात् प्रजातन्त्र-विरोधी शक्तियां अपने प्रायः क्षीण हो जायेगी ।<sup>22</sup>

शास्त्री भारत में भाषायी राज्यों की स्थापना तथा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध थे । वे मानते थे कि भारत राष्ट्र एक है और उसकी एकीकृत राज-



नीतिक संरचना है। भाषायी आधार पर भारत का विघटन देश को खोखला कर देगा। प्रान्तीय भाषाओं की पृथक् इकाइयाँ भारत के मूल स्रोत से पृथक् हो जायेंगी। एक प्रान्त के निवासी दूसरे प्रान्त वालों के लिए अपरिचित से हो जायेंगे। केन्द्रीय सरकार का खर्च बढ़ेगा और प्रान्त अपने संकीर्ण प्रान्तवाद एवं पिछड़े राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर चलेंगे।<sup>23</sup> वे इसे राष्ट्रविरोधी मानते थे। वे भारत की एकता तथा अखंडता के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता पर बल देते थे। आजादी के बाद भी 20 से 30 वर्ष तक अंग्रेजी शासन-कार्य में प्रयोग लायी जाने वाली थी।<sup>24</sup>

शास्त्री के राजनीतिक विचारों का विवरण उनके सौप्रदायिक समस्या विषयक विचारों के विवेचन के बिना अपूर्ण माना जायेगा। यद्यपि शास्त्री का पारिवारिक वातावरण सनातनधर्म के सिद्धान्तों से आप्लावित था, किन्तु हिन्दू-धर्म की सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति श्रीनिवास शास्त्री अपने राजनीतिक जीवन में सदैव धर्मनिरपेक्षता के पुजारी रहे। वे हिन्दुओं तथा मुसलमानों के सम्बन्धों को सौहार्द्रपूर्ण बनाने में विश्वास रखते थे। इसी मतव्य से उन्होंने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को अल्पावधि समाधान के रूप में स्वीकार किया। वे नहीं चाहते थे कि साम्प्रदायिकता का यह विषयक भारत के भावीजीवन को आच्छादित कर दे। उन्हें यह जानकर सेद होता था कि भारत के मुसलमान अंग्रेजों के इशारों पर इस अलोकतांत्रिक बुराई से चिपके हुए थे। पंजाब के धर्मग्रन्थ मुसलमानों द्वारा कोहात के निरीह हिन्दुओं पर 1923 में किये गये भ्रत्याचारों का चित्र उनके स्मृतिपटल पर स्पष्ट अंकित था। इस सम्बन्ध में वे गांधीजी से भी रूष्ट हुए थे। किन्तु इस साम्प्रदायिक समस्या का हल मुसलमानों की सहमति पर ही आधारित दिखाई देता था, अतः वे उन्हें कुछ समय के लिए तुष्ट करने हेतु उनके लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने में पीछे नहीं रहे। वे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को केवल व्यवस्थापिका तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे इसे नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य निर्वाचित सभ्याओं तक नहीं फैलने देना चाहते थे। उनका यह भी तर्क था कि साम्प्रदायिक मतदान अनिवार्य नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र से सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने को इच्छुक हो, उन्हें इसकी स्वतन्त्रता दी जाये। उनका यह भी मुझाव था कि कुछ ऐसे सामान्य निर्वाचन-क्षेत्र भी रखे जाय जिसमें सभी समुदाय एक साथ मतदान कर सकें। एक स्वस्थ विकल्प के रूप में उन्होंने यह भी सुझाया कि व्यवस्थापिकाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए सामान्य निर्वाचक-सूचियों द्वारा निर्वाचन किया जाये और यदि अ-साम्प्रदायिक निर्वाचन में मुसलमानों को निश्चित स्थान प्राप्त न हो सकें तो मुस्लिम निर्वाचन सूची के आधार पर मुसलमानों के लिए पूरक निर्वाचन किया जाय।<sup>25</sup>

शास्त्री ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को विवशता में स्वीकार किया, किन्तु वे पाकिस्तान की मांग को किसी मूल्य पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे काँग्रेस से सम्बन्धित हो कर भी काँग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को तुष्ट करने की नीति के पक्षपाती नहीं थे। उन्हें इस बात का धोष था कि काँग्रेस के चोटी के नेताओं ने जिन्ना जैसे पृथक्तावादियों को बढ़ावा देकर मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा दिया। उनका विश्वास था कि हिन्दू-मुस्लिम तनाव के लिए ब्रिटेन को दोष देना व्यर्थ था। वे स्वयं 1930 में तथा 1931 के गोलमेज-सम्मेलनों में आगाधा, शफी तथा जिन्ना के

अखिलेश्वर का अड़ियलपन का दृश्य अपनी आँखों से देख चुके थे।<sup>26</sup> यही कारण था कि उन्होंने गाँधीजी द्वारा मुस्लिम लीग को भारत की सत्ता सीपने अथवा कांग्रेस तथा लीग में भारत को आधा आधा बाँटने के प्रस्तावों की भर्त्सना की। यदि वे भारत का विभाजन देखने के लिए जीवित रहते तो वे इस असह्य वेदना को सहन न कर पाते।<sup>27</sup> वे भारत का विभाजन स्वीकार करने सम्बन्धी सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी के निर्णय से इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। यद्यपि उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया और उनके प्रभाव में सोसायटी की नीति भी परिवर्तित हुई, किन्तु इससे स्पष्ट है कि शास्त्री के अलावा कांग्रेस में अन्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि विभाजन का इतना उग्र विरोधी रहा हो।<sup>28</sup> शास्त्री के जीवन का यह ऐसा पक्ष था जो उन्हें रानाडे तथा गोखले की परम्परा से दूर कर तिलक तथा लाजपतराय की उपवादी विचारधारा में मिला देता है। वे हर कीमत पर विभाजन का विरोध कर रहे थे। शायद गाँधीजी के ढिलमिल विचारों को शास्त्री की लताड़ ने ही ठीक किया और शास्त्री की मृत्यु के बाद वे ही अकेले कांग्रेसी थे, जिन्होंने विभाजन के विरोध में अपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया।

यद्यपि शास्त्री ने विभाजन का विरोध किया था, किन्तु वे विभाजन को रोकने के लिए असहयोग एवं अहिंसा का सहारा लेने वाले व्यक्ति नहीं थे। 75 वर्ष की आयु में शास्त्री कह रहे थे कि विभाजन को रोकने के लिये कांग्रेस के मंत्रियों को शासन सम्हाल लेना चाहिए और पुलिस द्वारा शांति एवं सुरक्षा के प्रबन्ध को और भी कड़ा करना चाहिए।<sup>29</sup> यदि उनकी सलाह मान ली गयी होती तो विभाजन के कारण अपार जन-धन की हानि एवं पाकिस्तान के निर्माण को रोका जा सकता था।

शास्त्री ने अन्त समय तक ब्रिटिश शासन से सहयोग की बात कही किन्तु इसका यह यह सात्पर्य नहीं कि वे अन्य उदारवादियों के समान ब्रिटिश शासन के अध भक्त थे। वे सहयोग की बात इसलिए कह रहे थे कि ब्रिटेन के सहयोग के बिना भारत की स्वतन्त्रता सम्भव नहीं थी। यदि मुस्लिम लीग के मसूबों पर पानी फेरना था तो वह भी ब्रिटेन की सहायता से ही सम्भव था। यह एक कटु सत्य था किन्तु गाँधीजी तथा उनके सहयोगियों ने भी इसका ही सहारा लिया था। अन्तर यह था कि शास्त्री बिना लागलपेट के यह विचार प्रकट कर रहे थे जबकि गाँधीजी, राजगोपालाचारी, नेहरू आदि हेमलेट की भाँति द्विविधा के शिकार थे।<sup>30</sup>

शास्त्री ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, अमेरिका द्वारा सिफारिश कराये जाने का भी विरोध किया था। वे जानते थे कि अमेरिका की बात चर्चिल नहीं मानेगा। किन्तु गाँधीजी तथा जयकर राजी न हुए। हुआ भी ऐसा कि चर्चिल ने रूजवेल्ट की बात नहीं मानी और शास्त्री के विचार सत्य सिद्ध हुए। इसी प्रकार शास्त्री ने भारत-सचिव एमेरी द्वारा लार्ड बैबन को गुमराह किये जाने सम्बन्धी मन्त्रणा के विरोध में बैबल को सचेत किया। एमेरी चाहता था कि कांग्रेस द्वारा "भारत छोड़ो आन्दोलन" वापस न लिए जाने तक उनसे कोई वार्ता न की जाये। इस पर शास्त्री ने एमेरी, महात्मा गाँधी तथा बैबल के नाम तीन "सुले पत्र" लिगे। अपने बैबन के नाम पत्र में शास्त्री ने लिखा कि भारत को ब्रिटेन, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के समान अधिराज्य-स्थिति दी जाये। वे ब्रिटेन को भी अन्य अधिराज्यों के समान स्तर पर रख

रहे थे, <sup>31</sup> उनके द्वारा बँबल को मध्यस्थता करने का सुझाव भी दिया गया, ताकि भारत का विघटन कराने वाली शक्तियों को बल न मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंग्लैंड, कैन्या तथा उत्तरी आयरलैंड के मामले में अल्प सख्यकों द्वारा सशस्त्र विरोध की घमकियों के डर से जो झुटिया कर बँठा है वही झुटियां भारत में न कर बँठे। <sup>32</sup>

शास्त्री भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयताओं के आत्म-निर्णय सम्बन्धी अधिकार को उचित नहीं मानते थे। मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हुए उन्होंने व्यक्त किया कि आज के विश्व में जो कि भौगोलिक दृष्टि से सिकुड़ता जा रहा है इस प्रकार के आत्म निर्णय का कोई स्थान नहीं। वे केवल सांस्कृतिक आत्म-निर्णय को मान्यता देने के पक्ष में थे। उनका कथन था कि भविष्य के अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में सांस्कृतिक आत्मनिर्णय ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का परिचायक होगा। <sup>33</sup>

### शास्त्री के सामाजिक विचार

शास्त्री के सामाजिक विचारों में स्त्रियों की दशा को सुधारने एवं उनको पुरुषों के समान अधिकार एवं सामाजिक स्तर दिलाने का विशेष स्थान रहा। विवाह तथा मानवृत्व तक ही स्त्रियों को सीमित रखना उन्हें रुचिकर नहीं लगा। स्त्रियों के अविवाहित रहने तथा उन्हें स्वेच्छा से व्यवसाय चुनने को वे बुरा नहीं मानते थे। वे स्त्रियों को आधिक दृष्टि से स्वतन्त्र एवं स्वावम्बी बनाने के पक्ष में थे। उन्हें सम्पत्ति का उत्तराधिकार पुरुषों के समान प्राप्त होना चाहिए था। शास्त्री सह-शिक्षा के प्रचारक थे। कुछ विषय जैसे संगीत तथा शिशु-परिचर्या स्त्रियों के लिए अलग से पढाये जा सकते थे, किन्तु अन्य विषयों में लड़के तथा लड़कियों को समान ही माना जाना चाहिए था। स्त्रियों के लिए पृथक् विद्यालयों की मांग उन्हें स्वीकार नहीं थी। इसी कारण से शास्त्री ने कर्वे द्वारा स्थापित पूना के भारतीय महिला-विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पद को स्वीकार नहीं किया था। वे महिलाओं की प्रशासन, अध्यापन तथा अन्य समस्त विभागों से सम्बन्धित देखना चाहते थे। भारत की स्त्रियों को बिना संघर्ष किये मताधिकार प्राप्त हुआ था, जबकि पश्चिम के देशों में स्त्रियों को इसे प्राप्त करने के लिये संघर्ष करना पड़ा था। अतः शास्त्री यह चाहते थे कि भारत में स्त्रियों द्वारा मताधिकार का उचित प्रयोग किया जायेगा तथा वे स्वतन्त्र रूप से अपने विचार रख सकेंगी। <sup>34</sup>

शास्त्री ने विवाह की सस्था के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट किये। वे भारतीयों की और विशेष तौर पर हिन्दुओं की विवाह पद्धति को धर्म से इतनी ओत-प्रोत मानते थे कि उसके सम्बन्ध में विचार व्यक्त करना भ्रंशों से भरा था। उनके अनुसार विवाह दासता का बंधन मात्र रह गया था। स्त्रियों को विवाह के पश्चात् पुरुष के आधिपत्य को पूर्णतया स्वीकार करना पड़ता था। इसे शास्त्री प्रगति तथा प्रसन्नता का विरोधी मानते थे। पश्चिम में जहाँ पारिवारिक स्वतन्त्रता के वातावरण में स्त्रियों का समान भाव होता है, वहाँ भी गृह-कलह होते हैं किन्तु तलाक की सुविधा ने वहाँ स्त्रियों की स्थिति को विगड़ने से बचाया है। यद्यपि शास्त्री इसी प्रकार की स्वतन्त्रता भारत के लिए भी चाहते थे किन्तु वे तलाक के प्रश्न पर बहुत सतर्कता से विचार व्यक्त कर रहे थे ताकि प्राचीन भारतीय मान्यताओं को अधिक ठेस न पहुँचे। शास्त्री ने कन्या क्रम-विक्रय का विरोध किया। वे अपाहिज तथा अन्य कारणों से विवाह के अयोग्य कन्याओं को

अनिवार्य वैवाहिक बन्धन में बाँधने को बुरा मानते थे। ऐसी कन्याओं के लिए माता-पिता के पास रहना ही श्रेयस्कर था ताकि उन्हें प्यार तथा सहानुभूति मिलती रहे अन्यथा पतिगृह में ऐसी कन्याओं को अमानुषिक व्यवहार का शिकार ही बनना पड़ेगा। वे ऐसे स्त्री-पुरुषों की अनिवार्य नसबन्दी चाहते थे, जो विकृत थे और जिनकी संतति भी विकृत हो सकती थी।<sup>35</sup>

शास्त्री ने दहेजप्रथा का जोरदार शब्दों में विरोध किया। “वर-दक्षिणा” की कुटिल प्रथा को वे समाप्त करना चाहते थे। मद्रास प्रान्त में यह दहेज बढ़ता ही जा रहा था और यदि होने वाला दामाद आई सी. एस. होता तो दहेज के दाम सर्वाधिक हुआ करते थे। शास्त्री ने सुझाव दिया था कि वर को दहेज में धन देने के स्थान पर वधू को वह धन दिया जाना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय वह उस धन का प्रयोग कर सके और उसमें आत्म-सम्मान एवं आत्म-विश्वास जागृत हो सके। शास्त्री पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार दिलाने के पक्ष में थे। बढ़ती हुई आवादी को ध्यान में रखते हुए शास्त्री ने परिवार नियोजन पर भी अपने विचार व्यक्त किये। वे गर्भ-निरोध के साधनों का प्रयोग करने के लिए जन-जागृति चाहते थे।<sup>36</sup> उन्हें फिर भी यह सन्देह था कि भारत की स्त्रियाँ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की मनोस्थिति में नहीं हैं। वे परम संतोषी हैं और अछड़ई-बुराई को विधाता के विधान पर छोड़ देती हैं। यह स्थिति शास्त्री को स्वीकार नहीं थी। वे महिलाओं में जागृति का प्रसार चाहते थे ताकि उनका जीवन ऊँचा उठ सके और वे दमन तथा अन्याय का प्रतिकार कर सकें। वे भारत की नारियों को विश्व की समस्त नारियों से श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि भारत की नारियाँ लोभ, लालच, वासना से ऊपर उठकर विवाह के बंधन की पवित्रता को जितना निभा सकती थी, वैसा उदाहरण विश्व में अन्यत्र मिलना असम्भव था।<sup>37</sup>

शास्त्री ने समाजसुधार का कार्य अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से ही किया था। वे कन्याओं की, विशेषकर ब्राह्मण कन्याओं की विवाह आयु रजोदर्शन पर आधारित करना चाहते थे।<sup>38</sup> इस सम्बन्ध में वे मद्रास विधायी परिषद् में विधेयक भी पारित कराना चाहते थे। वे अपने परिवार में भी इस नियम का पालन कर रहे थे। किन्तु उन्हें अन्तर्जातीय विवाह पसन्द नहीं थे। वे जाति-व्यवस्था के विरोधी थे और पियोसोफिकल सोसायटी द्वारा जाति-व्यवस्था को उचित ठहराने तथा ब्राह्मण-विधवाओं के पुनर्विवाह का उन्होंने प्रतिकार भी किया था किन्तु वे इस सत्य को नहीं छिपाना चाहते थे कि वे स्वयं अन्तर्जातीय विवाह को अपने परिवार में प्रयुक्त नहीं करेंगे। वे इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे थे कि इस व्यवस्था में बुराई थी, अपितु इस कारण से विरोध कर रहे थे कि अन्तर्जातीय विवाह सामाजिक बहिष्कार तथा अन्य पारिवारिक संकट उत्पन्न करने वाला था जिसके लिए वे तैयार नहीं थे।<sup>39</sup> हिन्दुओं में अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्धी विधेयक भारतीय व्यवस्थापिका सभा में 1920 में एक गैर सरकारी विधेयक के रूप में लाया गया था और शास्त्री ने इस विधेयक का स्वागत किया था क्योंकि इसके द्वारा वैवाहिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। यद्यपि इस विधेयक को अधिक समर्थन नहीं मिला और यह विधेयक न्यायालय की अमान्यता की परिधि के बाहर रहा फिर भी शास्त्री द्वारा इसका समर्थन उनके सामाजहितकारी विचारों को दर्शाता था। वे इस

से प्रसन्न थे कि भारत-सरकार, जोकि धर्म से ईसाई थी तथा कामिकी दृष्टि से विदेशी थी, भारत में सामाजिक सुधारों के बारे में, विशेषतः हिन्दुओं के विवाह सम्बन्धी निजी मामलों में, तब तक हस्तक्षेप करने में झिझकती थी जब तक कि बहुसंख्यक हिन्दू समाज ऐसे नियमों पर अपनी स्वीकृति की छाप न लगा दे और शासन द्वारा उसको व्यवस्थापन का बाना पहनाना केवल औपचारिकता ही रह जाये।<sup>40</sup>

अछूतों की समस्या के सम्बन्ध में शास्त्री के विचार रुढ़िवादिता से बद्ध थे। दक्षिण भारत के सर्वणों की हठधर्मिता का सबसे अमानवीय पक्ष उनके द्वारा अछूतों से घृणा करने का था। शास्त्री इसके अपवाद नहीं थे। केवल एक बार शास्त्री ने एक अछूत को अपने घर में शरण दी और वह भी इसलिए कि महात्मा गांधी उस अछूत के बिना शास्त्री के मेहमान बनने को तैयार न थे। वे अछूतों को घर के निजी देवालय में प्रवेश करने के कट्टर विरोधी थे।<sup>41</sup> शास्त्री के जीवन का यह पक्ष दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की पारिवारिक विरासत का परिणाम था। आलोचना में कुछ भी कहा जा सकता है किन्तु शास्त्री की महानता यह थी कि उन्होंने इस बात को कभी छिपाया नहीं। शास्त्री कट्टर ब्राह्मण-परिवार में उत्पन्न हुए थे, किन्तु समय एवं परिस्थितियों के प्रवाह में उन्होंने अपने आपको ढालने का खूब प्रयास किया। फिर भी उनके सामाजिक जीवन के कतिपय पक्ष ऐसे थे जो कि उनकी रुढ़िवादिता की बरबस याद दिलाते थे।

### शास्त्री का अध्यात्म सम्बन्धी दृष्टिकोण

शास्त्री ने धर्म तथा दर्शन के सम्बन्ध में व्यवस्थित शास्त्रीय विचार व्यक्त नहीं किये, फिर भी उनके स्फुट विचारों में धर्म एवं दर्शन का अनोखा पुट दिखाई देता है। शास्त्री का विश्वास था कि सत्य की व्यवस्था सर्वाधिकारवादी है जिसमें अपवाद नहीं होते। असत्य भाषण एवं असत्य व्यवहार जीवन की त्रुटियाँ हैं। सत्य शाश्वत है। विवेक की सीमाएं हैं और कई बार विवेक द्वारा सत्य के दर्शन नहीं होते। फिर भी विवेक से मुक्ति नहीं। विज्ञान द्वारा विवेक का प्रयोग अन्ततः सत्य तक पहुँचने का मार्ग है। विज्ञान को ही सभ्यता का एक मात्र शत्रु क्यों माना जाये। इतिहासकार, लेखक, राजनेता सभी असत्य का वरण कर सभ्यता के विनाश को और मानवता को धकेलते रहे हैं। राज्य की सत्ता की सीमाएं होनी चाहिए ताकि वह अपने निर्माणक तत्त्वों पर सर्वोपरि न हो जाये।<sup>42</sup>

शास्त्री आत्मा की अमरता को पूर्णतया स्वीकार नहीं करते थे। उनमें प्रयोगिक दर्शन एवं बौद्ध दर्शन के सिद्धान्तों का अपूर्व संमिश्रण दिखाई देता है। जीवन के अंतिम पक्ष में वे गीता के कर्मवाद से प्रभावित रहे। गीता के भक्तियोग ने उनके हृदय पर अधिकार स्थापित किया किन्तु मस्तिष्क पर नहीं। विवेक तथा श्रद्धा के संघर्ष में विवेक की विजय रही। वे मृत्यु को जीवन का अंत मानने लगे। उनका विचार था कि अमरत्व का आविष्कार मृत्यु के भय से किया गया है। कर्मवाद का भी इसी कारण से प्रयोग किया गया किन्तु उनकी दृष्टि में वह विवेकयुक्त उत्तर नहीं था।<sup>43</sup>

शास्त्री वाल्मीकि कृत रामायण के परमभक्त थे। किन्तु यहां भी उनकी रामायण माधना एक साहित्यिक मनीषी की ही रही। वे रामायण को धर्मनिरपेक्ष दृष्टि में देखते थे न कि धार्मिक तथा परंपरागत दृष्टि से।<sup>44</sup> वे इसे मानवीय प्रलेख मानते हुए उनकी

मालोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करना चाहते थे न कि धार्मिक ग्रन्थ मानकर उस पर पवित्र एवं तर्करहित श्रद्धा का प्रदर्शन।<sup>45</sup> उनके रामायण पर भाषणों का लगभग 500 पृष्ठों का संग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। गांधी जी उनके रामायण संबंधी विचारों से प्रभावित थे यद्यपि गांधीजी का दृष्टिकोण शास्त्री से भिन्न था।

शास्त्री ने 1916 में रामायण पर अपने विचारों को प्रकट करते हुए राम को श्रवतार न मानकर एक श्रेष्ठ मानव के रूप में देखा। उनका विश्वास था कि राम को ईश्वर की तरह मानकर जो रामायण का अध्ययन करता है वह उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि इस कथानक को मानवीय घटनाचक्र के रूप में देखा जाय तो पता चलेगा कि यह विवेक के बहुमूल्य खजानों से पूर्ण है।<sup>46</sup> शास्त्री के अनुसार, घलौकिक न होते हुए भी राम मानव की श्रेष्ठता के प्रतीक हैं। एक पुत्र, पति, शासक, समर्थक या शत्रु के मित्र के रूप में वे मानव की प्रकृति की श्रेष्ठता की ओर उठने की प्रेरणा देते हैं। शास्त्री पर रामायण का इतना चमत्कारिक प्रभाव था कि वे इसके सम्बन्ध में चर्चा करते करते भाव विह्वल हो उठते और उनके नेत्र अनायास अश्रुपूर्ण हो जाते। रामायण के पात्र उनके जीवन का अंग बन गये थे। वे मानते थे कि राम और सीता का चरित्र पढ़ कर ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि हम मानव न होकर ईश्वरीय महिमा एवं उच्चता की ओर आकर्षित हो रहे हों।<sup>47</sup> शास्त्री ने इंडियन रिव्यू (जनवरी, 1946) में अपने लेख "बुक्स देट इन्प्लूएन्ड मी" में शीक्सपीयर, बर्क, स्कॉट, जोर्ज इलियट, टिबाल, टी. एच. हक्सले, हर्बर्ट स्पेन्सर, जॉन स्टुअर्ट मिल, मार्कस आरेलियस, टॉलस्टॉय, टॉमस हार्डी तथा विक्टर ह्यूगो का विवरण देकर रामायण की प्रशंसा में अपना उपसंहार लिखा। उन्होंने व्यक्त किया, "रामायण विश्व साहित्य में बेजोड़ है। कथानक की श्रेष्ठता को लें, या चरित्रों के वैविध्य को, इसके आदर्शवादी स्वर को लें अथवा श्रद्धालु हृदय के प्रति इसके आग्रह को, यह काव्यात्मक प्रतिभा के उच्चतम कीर्तिस्तम्भों में से है।"<sup>48</sup> शास्त्री रामायण की इस अमरता के संदेश-याहक थे।<sup>49</sup>

### शास्त्री का योगदान

श्रीनिवास शास्त्री भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन के विस्मृत किन्तु अद्भुत विचारक माने जा सकते हैं। वे उदारवाद की परम्परा में पले तथा सार्वजनिक जीवन में उदारवादियों की भाँति क्रियाशील हुए किन्तु समय एवं समस्याओं के व्यावहारिक निदान ने उनके विचारों में उदारवाद की धारणा को झकझोर दिया। केन्या में भारतीयों की समस्या का समाधान न होने पर उनके विचारों में विचित्र परिवर्तन दिखाई दिया। बेल्लेटोन शिरोल ने इस सम्बन्ध में व्यक्त किया कि शास्त्री उदारवादी से स्वराज्यवादी होते जा रहे हैं और उनके विचारों में असहयोग की भावना तीव्र है।<sup>50</sup> यद्यपि शास्त्री पूर्ण असहयोगी कदापि नहीं रहे फिर भी उनकी देशभक्ति एवं भारतीयता में निष्ठा ने उन्हें समय समय पर अंग्रेज़ीराज की तीव्र मालोचना करने के लिए बाध्य किया।

शास्त्री गोखले की परम्परा के विचारक थे। गोखले ने रानाडे को अपना "गुरु" माना तथा शास्त्री ने एवं गांधीजी ने गोखले को "गुरु" बनाया। शास्त्री के विचार रानाडे के अधिक निकट थे। गोखले तथा शास्त्री के जीवन एवं विचारों में

समानता थी। दोनों निर्घटन उत्पन्न हुए थे; दोनों शिक्षक से राजनेता बने थे; दोनों ने भारत के संविधान के विकास में अपनी भूमिका निभायी; दोनों प्रान्तीय एवं केन्द्रीय धारा सभाओं के प्रभावशील सदस्य रहे; दोनों अनेक बार इंग्लैंड की यात्रा पर गये; दोनों दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की समस्या के समाधान में रत रहे; दोनों अपने देशवासियों की असंगत एवं तीव्र आलोचना के शिकार हुए तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा भी कई बार नगण्य समझे गये; दोनों ही राजनीतिक संघर्ष में संवैधानिक पद्धतियों के पक्षपाती तथा राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत भारत की अधिराज्य स्थिति के इच्छुक रहे; दोनों व्यक्तिगत जीवन में महात्मा गांधी के अनन्यतम प्रशंसक रहे, किन्तु राजनीतिक जीवन में उनसे भिन्न विचारों के रहे; दोनों ने अपनी शोचनीय अस्वस्थता के क्षणों में महान् राजनीतिक कार्य संपादित किये। गोखले का मोर्चे के प्रति जो भाव रहा वही शास्त्री का मोटेग के प्रति रहा। शास्त्री कतिपय विषयों में गोखले से भी आगे रहे। शास्त्री ने ब्रिटेन तथा दक्षिण अफ्रीका ही नहीं, अपितु समस्त अधिराज्यों की यात्रा कर प्रवासी भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के लिए प्रयत्न किया। वे राष्ट्र संघ की बैठक में भाग लेने जिनेवा गये तथा शास्त्रास्त्र नियंत्रण सम्मेलन के लिए वाशिंगटन। जहाँ गोखले भारत में अधिराज्य की स्थापना को दूरगामी लक्ष्य मानते थे वहाँ शास्त्री ने अधिराज्य की तत्काल स्थापना की मांग की।<sup>51</sup>

शास्त्री ने गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन की और समय-समय पर गांधीजी के विचारों एवं कार्यों की तीव्र आलोचना की। गांधीजी के जीवन में उनके दो प्रिय आलोचक थे—एक लाला लाजपतराय तथा दूसरे शास्त्री। लाजपतराय के प्रति गांधीजी का भाव एक श्रद्धालु का था, जबकि शास्त्री के प्रति उनका मंत्रीभाव था। लाजपतराय की मृत्यु के बाद शास्त्री ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधीजी को मार्गच्युत होने से बचाया और आलोचना के बावजूद दृढ़ समर्थन प्रदान किया। शास्त्री तथा गांधी में तीव्र वैचारिक भेद होते हुए भी उनका व्यक्तिगत मैत्री सम्बन्ध प्रगाढ़ होता गया। नेहरू द्वारा शास्त्री की आलोचना पर गांधीजी ने नेहरू को करारी झिड़की मुनाई। जब गांधीजी 1923 के आन्दोलन में यवदा-कारावास में एपेंडिसाइटिस की शल्यक्रिया के लिए क्लोरोफार्म में बेहोश किये जा रहे थे, सर्जन द्वारा यह पूछे जाने पर कि वे अचेत होने के पहले किससे मिलना चाहेंगे, उन्होंने शास्त्री से मिलने की अभिलाषा व्यक्त की। उन दिनों क्लोरोफार्म के घातक प्रभाव पर नियंत्रण नहीं किया गया था। इसी तरह शास्त्री जब अपनी मरणशैया पर थे, गांधीजी उनसे मिलने कई बार मद्रास गये। दोनों में रामायण पर भावभीनी चर्चा हुई और हार्दिक आदान-प्रदान हुआ।

शास्त्री “क्रोस वेन्च माइंड” कहे जाते थे अर्थात् वे अपने तर्कों से अनेकों बार अपने विरोधी को लाभ पहुँचाते थे। उनकी यह नैसर्गिक प्रवृत्ति उनके समर्थकों एवं मित्रों को दुविधाजनक लगती थी। किन्तु यही शास्त्री की महानता थी। राजनीतिक लाभ या स्वार्थ उनको नहीं जोत सका था। सत्य उनके जीवन का मार्गदर्शक था। एक वीतराग ब्राह्मण मनस्वी के समान वे लालच, मोह एवं तृष्णाओं से ऊपर थे। छिछली तथा मानवीय मूर्त्यों का अवमूल्यन करने वाली राजनीति से उन्हें घृणा थी। वे सच्चे मनस्वी थे। रामायण की महिमा से श्रोतप्रोत शास्त्री भारतीयता के सच्चे प्रतीक थे। उनकी

वेशभूषा, उनका खान-पान, स्वदेशी था। वे तमिल, संस्कृत एवं अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे। इनकी स्मृति विलक्षण थी। अपने मंसूर विश्वविद्यालय के गोखले पर दिये व्याख्यान उन्होंने मौखिक रूप में दिये थे। भारतीय संस्कृति उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष से झलकती थी। श्रीमती सरोजनी नायडू ने कहा था कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बाद शास्त्री ही विदेशों में भारतीय संस्कृति के महानतम राजदूत एवं व्याख्याकार थे।<sup>52</sup>

परम देशभक्त, भारतीय संस्कृति के प्रतीक, रामायण के व्याख्याकार एवं साहित्यिक उपामक श्रीनिवास शास्त्री अंग्रेजी के "मास्टर" थे। भारत में उनके सदृश्य अंग्रेजी पर अधिकार किसी अन्य का नहीं रहा। अंग्रेजी में उनके पत्र, उनके भाषण, उनका वार्तालाप सभी अंग्रेजी भाषा का उच्चतम प्रतिमान स्थापित करते हैं। अंग्रेज उन्हें "सिल्वर टंग्ड शास्त्री" के नाम से पुकारते थे। लार्ड वाल्टर ने उन्हें शताब्दी के महानतम अंग्रेजी भाषणकर्ताओं में माना था। आक्सफोर्ड के ए० एच० स्मिथ ने कहा था कि शास्त्री को सुनने तक उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि अंग्रेजी भाषा इतनी सुन्दर है। लेडी निटन ने उन्हें "शब्दों का कलाकार" कहा था और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका ने शास्त्री को "अपने समय के महानतम भारतीय भाषणकर्ता" स्वीकार किया<sup>53</sup>।



### टिप्पणियाँ

1. टी. एन. जगदीशन्, डॉ. एस. श्रीनिवास शास्त्री, (पब्लिकेशन्स डिबीजन, नई दिल्ली, 1969) पृ. 1
2. पी. कोदण्ड राव, डॉ राइट ओनरेबल डॉ. एस. श्रीनिवास शास्त्री : ए पोलिटिकल बायोग्राफी, (एशिया, बम्बई, 1963) पृ. 1
3. शास्त्री का जीवन परिचय उपरोक्त दोनों ग्रन्थों पर आधारित है।
4. रा. कं. प्रभु, साइड इण्डियन एलोक्वेन्स, पृ. 107 तथा जगदीशन्, पृ. 6-7
5. श्रीनिवास शास्त्री, माई मास्टर गोखले, (माड्रन पब्लिकेशन्स, मद्रास, 1940) देखिये गोंधीजी द्वारा लिखित प्राक्कथन
6. कोदण्ड राव, पृ. 8
7. वही, पृ. 411-420
8. वही, पृ. 456
9. वही
10. वही
11. स्वीजेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ़ डॉ राइट ओन. श्रीनिवास शास्त्री, (नटेशन, मद्रास, तृतीय संस्करण) पृ. 210-215
12. जगदीशन्, लेटर्स ऑफ़ श्रीनिवास शास्त्री, (रोच हाउस, मद्रास, 1944) पृ. 115
13. कोदण्ड राव, पृ. 456
14. श्रीनिवास शास्त्री, डॉ राइटिंग्स एण्ड इयूटीज़ ऑफ़ डॉ इण्डियन मिटिगन, (बमला मेम्बरियम कोर 1926, कमरुत्ता यूनीवर्सिटी प्रेस, 1927) पृ. 6
15. कोदण्ड राव, पृ. 457
16. वही
17. वही, पृ. 451



18. वही, पृ 154-155
19. वही, पृ. 453
20. वही, पृ 454
21. वही
22. वही, पृ. 455
23. वही, पृ. 43
24. वही, पृ. 43-44
25. वही, पृ. 455-456
26. वही, पृ 398
27. वही, पृ. 340
28. वही, पृ. 394-395
29. वही, पृ. 399
30. वही, पृ 400-404
31. वही पृ 404-405
32. वही, पृ. 405
33. वही, पृ. 410
34. वही, पृ. 333-384
35. वही, पृ. 385
36. वही
37. वही
38. वही, पृ. 386
39. वही
40. वही
41. वही, पृ. 387
42. वही, पृ 422-423
43. वही, पृ 424-425
44. वही
45. वही,
46. वही, पृ. 428
47. वही, पृ. 429
48. वही, पृ. 430-431
49. श्रीनिवास गान्धी, बी अरर हार्मनि, (जगदीशान द्वाग मम्पादिन, एम. विश्वनाथन, गदाम, 1945)  
पृ. 159 163
50. मोरन्ड राव, पृ. 154
51. वही, पृ. 345
52. वही, पृ 436
53. ने. धार. श्रीनिवास धयगर, इण्डियन राइटिंग इन इंगलिस, (एणिया, बम्बई, 1973, द्वितीय संस्करण)  
पृ 558-559

बाल गंगाधर तिलक (1856-1920)

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि स्थान पर हुआ था। उनके दादा केशवराव पेशवा राज्य में उच्च पद पर आसीन थे किन्तु पेशवा-राज्य का अंग्रेजों द्वारा विध्वंस कर देने के पश्चात् उनके परिवार की वह स्थिति न रही। तिलक के पिता गंगाधरपंत अध्यापक थे। उन्होंने बाल को संस्कृत, गणित और मराठी का अच्छा ज्ञान घर पर ही करा दिया था। वे 1866 में पूना नगर स्कूल में भर्ती हुए। उनकी स्मरण-शक्ति अद्भुत थी। संस्कृत के सहस्रों श्लोक उन्होंने कंठस्थ कर लिये थे। स्कूल में तिलक ने निर्भयता तथा सत्य का अनेक अवसरों पर परिचय दिया। उनकी अपने अध्यापकों से इसी कारण से अनवन रहती थी। 1871 में पन्द्रह वर्ष की आयु में ही उनका विवाह तापीबाई से हो गया। पिताजी की असामयिक मृत्यु के बाद उनके चाचा गोविन्द राम उनके अभिभावक बने। 1873 में तिलक ने डेकन कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ उन्हें अपनी शारीरिक दुर्बलता का आभास हुआ और वे व्यायाम आदि करने में इतने व्यस्त हो गये कि उनका शरीर तो बलिष्ठ हो गया किन्तु वे इन्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये। वे पढ़ने-लिखने में अधिक समय न लगाकर मित्रों के साथ बातचीत, व्यायाम तथा आमोद-प्रमोद में अधिक समय लगाया करते थे। किन्तु तिलक कट्टर सनातनी थे। वे घर के बाहर भोजन नहीं करते थे। वे सच्चरित्रता की प्रतिभूति थे। कॉलेज के दीप जीवन में तिलक ने पढ़ने के क्रम का विस्तार किया। वे 1876 में प्रथम श्रेणी में बी० ए० में उत्तीर्ण हुए। 1879 में उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। दो बार वे एम० ए० परीक्षा में बैठे किन्तु दोनों बार उन्हें असफलता का ही सामना करना पड़ा।

तिलक ने पूना में रहकर अपना सार्वजनिक जीवन 1880 में प्रारम्भ किया। वामुदेव बलवन्त फडके ने रामोशियों की सहायता से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा फहरा दिया था। देशव्यापी अकाल से तथा लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति से भारत को लार्ड रिपन ने मुक्ति दिलाई। ऐसे समय में तिलक का राजनीति में प्रवेश हुआ। निश्चय ही तिलक इन घटनाओं से प्रभावित हुए। तिलक ने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया। विद्यु शस्त्री चिपलुणकर तथा तिलक ने पूना में ग्नु इन्विसिटी स्थापना की 1880 में स्थापना की। 1881 में तिलक ने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। मराठा तथा केसरी का संचालन धागरकर, नामजोशी, चिपलुणकर तथा तिलक के सम्मिलित रूप से आरम्भ कर दिया। इन पत्रों ने जन-जागरण के माध्यम से रियासतों का पक्ष भी प्रस्तुत किया। कोल्हापुर रियासत के प्रश्न को लेकर तिलक की जो आलोचना इन पत्रों में प्रकाशित हुई उसके कारण मराठा के शासक

तथा केसरी के सम्पादक आगरकर के विरुद्ध कोल्हापुर के दीवान ने मुकदमा चलाया। तिलक तथा आगरकर को चार-चार मास का साधारण कारावास मिला। जब उन्हें जेल से रिहा किया तब अपार जन-समूह उनके स्वागत के लिए तैयार था। तिलक की बढ़ती हुई लोकप्रियता के दौरान 1884 में डैकन एजुकेशन सोसायटी की स्थापना हुई। विलियम वेडरबर्न इसके प्रेरक तत्त्व थे। 1885 में बम्बई के गवर्नर के नाम पर फर्ग्युसन कालेज की स्थापना की गई। कुछ समय बाद आगरकर तथा तिलक में हिन्दुओं के रीति-रिवाजों तथा सामाजिक सम्बन्धों में सुधार के प्रश्न को लेकर मन-मुटाव पैदा हो गया। आगरकर इस संस्था से अलग हो गये। 1890 में तिलक ने भी सोसायटी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उनका त्यागपत्र देने का कारण संस्था में त्याग के स्थान पर लोभ-लालच का प्रभुत्व होना तथा आमदनी का सदस्यों में बंटवारा करने की परम्परा का प्रचलन था। तिलक के त्यागपत्र के बाद गोखले इस सोसायटी के मंत्री बने।

तिलक ने 1888-1889 में शराब-बन्दी, नमक-कर-विरोध, क्राफोर्ड भ्रष्टाचार-कांड के पर्दाफाश का तथा मामलातदारों के संरक्षण का अपने पत्र के माध्यम से कार्य किया। 1889 के अन्त में वे पूना की सार्वजनिक सभा द्वारा बम्बई कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन लिये गये। बम्बई कांग्रेस (1889) में तिलक ने प्रान्तीय कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इम्पीरियल कांसिल का चुनाव कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया जिसका अनुमोदन गोखले ने किया। यह प्रथम तथा अन्तिम अवसर था जबकि गोखले तथा तिलक ने एक दूसरे का साथ दिया था। तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन में ठीक उदार-वादियों जैसा ही व्यवहार किया था। अभी उनका ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विरोध का भाव जागृत नहीं हुआ था।

1891 में सरकार द्वारा विवाह के बारे में स्वीकृति आयु-विधेयक पेश किया गया जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकने तथा विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की करने का था। किन्तु तिलक ने इसे जनता के सामाजिक अधिकारों पर राज्य का हस्तक्षेप माना और इसका विरोध किया। विरोध के बावजूद जब यह विधेयक कानून बन गया तब तिलक ने उसका पालन किया। इसके विपरीत कई समाज सुधारकों ने इसका चोरी छिपे उल्लंघन ही किया। इसी बीच एक और घटना घटी। तिलक, रानाडे आदि को पूना के किसी मिशन स्कूल ने भाषण के लिए आमन्त्रित किया। भाषण के बाद चाय पार्टी हुई। तिलक ने इसमें हिस्सा लिया जिसके कारण सनातनधर्मी हिन्दुओं ने तिलक के विरुद्ध व्यापक प्रचार किया। तिलक को विवश होकर न केवल प्रायश्चित्त ही करना पड़ा अपितु सनातनधर्मियों की इच्छानुसार काशी-स्नान भी करना पड़ा। किन्तु तिलक का राजनीतिक नेतृत्व दिन प्रतिदिन प्रभावशाली होता चला गया। 1890 की राजनीतिक कांग्रेस में तिलक ने शासन की आवश्यक-नीति की आलोचना की। 1891 की नागपुर-कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक ने शस्त्रास्त्र कानून पर भारतीयों को शस्त्र-युक्त करने का प्रस्ताव रखा। 1893 की कांग्रेस में उन्होंने जनता की गरीबी की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया और शासन की भूमि सम्बन्धी नीतियों की आलोचना की तथा स्थायी भूमि व्यवस्था की मांग प्रस्तुत की।

बम्बई तथा पूना के हिन्दू-मुस्लिम दंगों (1893) के प्रति शासन की गिथिलता

देखकर तिलक ने हिन्दुओं को संगठित करना प्रारम्भ किया। उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति-महोत्सव को पुनर्जीवित कर उसे लोकप्रिय त्यौहार बना दिया। तिलक ने अपने राजनीतिक नेतृत्व को सबल बनाने के लिए धर्म का आश्रय लिया। 1895 में तिलक ने शिवाजी-जयन्ती मनाना प्रारम्भ करवाया। महाराष्ट्र की देशी रियासतों ने तिलक को इस कार्य में सहयोग दिया। 1895 में तिलक ने कांग्रेस के पूना अधिवेशन में सुधारवादियों पर प्रहार किया और कांग्रेस को जन-ग्रान्दोलन बनाने का सन्देश देकर भारतीय सामाजिक कांग्रेस को कांग्रेस के पांडाल में न होने दिया। रानाडे तथा उनके सहयोगी तिलक के इस कार्य से क्षुब्ध हो उठे। तिलक की विजय हुई और उन्होंने सार्वजनिक सभा पर एकाधिकार स्थापित कर रानाडे के बपों से चले आ रहे नेतृत्व को चुनौती दी। रानाडे तथा गोखले को परास्त होकर डेक्कन सभा की स्थापना करनी पड़ी। 1897 के दुर्भिक्ष के समय तिलक ने महाराष्ट्र की जनता की तनमनघन से सेवा की। उन्होंने विद्यार्थियों का अध्ययन छोड़कर दुर्भिक्ष पीड़ित जनता की सहायता करने का आह्वान किया तथा लगान की जबरन वसूली के सङ्कारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए किसानों को उकसाया। सरकार ने तिलक के नेतृत्व वाली सार्वजनिक सभा की मान्यता समाप्त कर दी। तिलक ने इसकी परवाह किये बिना ग्रामीण जनता को लगान-बन्दी के लिए खुले आम प्रेरित किया। सरकारी विरोध के बावजूद तिलक दो बार (1895 तथा 1897) बम्बई विधान-परिषद् के सदस्य चुने गये। 1896 में बम्बई तथा पूना में प्लेग महामारी का प्रकोप हुआ। तिलक ने पूना में रहकर सहायता कार्य चलाया। सरकार ने प्लेग की रोकथाम के लिए रैड को पूना का प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया। प्लेग की रोकथाम के लिए सरकार ने जो तीव्रतरीके काम में लिये उससे जनता तिलमिला उठी। तिलक ने मराठा तथा केसरो में लेख लिखकर सरकार की आलोचना की। इसके बाद तिलक ने ब्रिटिश शासन पर करारा प्रहार अपने पत्रों के माध्यम से प्रारम्भ किया। शिवाजी द्वारा घफजलछाँ को मारना, श्रीकृष्ण का अर्जुन को अपने कुटुम्बियों के वध के लिए प्रेरित करना आदि आख्यान जनता को विद्रोह के लिए उकसाने वाले थे। इसी बीच चापेकर बन्धुओं ने रैड तथा आयस्टेंट की हत्या कर दी। टाइम्स ऑफ इण्डिया जैसे विरोधी पत्रों ने तिलक का इस घटना में हाथ बतलाया। तिलक बन्दी बना लिये गये। उन पर चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट डॉवर की अदालत में राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। उनकी जमानत अस्वीकार कर दी गयी। किन्तु उच्च न्यायालय में अर्जियाँ दिये जाने पर जस्टिस तैयबजी ने तिलक को पचास हजार रुपये की जमानत तथा पञ्चीस-पञ्चीस हजार के दो मुचलकों पर छोड़ दिया। बम्बई के सेठ द्वारकादास धरमजी ने यह धनराशी प्रस्तुत कर तिलक को छुड़वा लिया। इसके बाद जस्टिस स्ट्रेची की अदालत में तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें अठारह महीने के कठोर कारावास का दण्ड मिला। तिलक को सजा मिलने के समाचार ने भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक स्तम्भित कर दिया। भारतीय जनता तिलक को निर्दोष मानती थी। अंग्रेज न्यायाधीश ने तिलक के मुकदमें में घाघे भारतीय जूरी नहीं रखे थे। फँसले में यह यूरोपीय जूरी तिलक को अपराधी करार देने और तीन भारतीय निर्दोष करार देने के पक्ष में थे। यह न्याय की मरामत हत्या थी।

कारागृह से मुक्त होकर तिलक पुनः सार्वजनिक जीवन में प्रविष्ट हुए। कांग्रेस के लखनऊ-अधिवेशन (1899) में तिलक ने बम्बई के गवर्नर लार्ड सैण्डहर्स्ट को अकाल के दिनों में बनी नीतियों की आलोचना की किन्तु नरम-दल वालों के सामने तिलक की आवाज बुलन्द न हो सकी। विवश होकर तिलक ने पत्रों के माध्यम से देश के नेतृत्व की कार्यरता पर करारा प्रहार किया। 1900 में पुनः शिवाजी जयन्ती तिलक के नेतृत्व में धूमधाम से मनायी गयी। तिलक ने भारत राष्ट्र की धारणा को बलवती करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता का सन्देश दिया। मौलाना हसरत मोहानी उनसे इतने प्रभावित थे कि वे तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे।

तिलक केवल राजनेता ही न थे अपितु वैदिक साहित्य, ज्योतिष, पुरातत्व तथा भूगर्भशास्त्र के महान् विद्वान् भी थे। 1903 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द्वि आर्कटिक होम इन दि वेदाज प्रकाशित हुई। इससे पहले उनकी पुस्तक ओरिऑन् 1893 में प्रकाशित हो चुकी थी। वेदों से सम्बन्धित यह पुस्तक तिलक ने अपने कारावास के जीवन में लिखी थी। इसमें वेदकालीन भारतीयों के पूर्वज उत्तरी ध्रुव के निवासी बतलाये गये थे। वैदिक क्रौन्डोलोजी एण्ड वेदांग ज्योतिष में तिलक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऋग्वेद का काल ईसा से चार हजार वर्ष पूर्व का था। उनके अकाट्य प्रमाणों ने विश्व भर के पुरातत्ववेत्ताओं तथा वैदिक साहित्य के अध्येताओं को चकित कर दिया।

1905 के स्वदेशी आन्दोलन में तिलक ने महाराष्ट्र की जनता को सोते से जगा दिया। बहिष्कार आन्दोलन ने महाराष्ट्र में जोर पकड़ा। स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण एवं उपयोग का नया वातावरण पैदा हुआ। तिलक वर्षों से चले आ रहे "टाई महाराज काण्ड" के झूठ आरोपों से प्रिवि-कौंसिल द्वारा मुक्त कर दिये गये थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति स्वदेशी के प्रचार में लगा दी। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया गया। भारत को समस्त प्रान्तीय भाषाओं के लिए तिलक ने देवनागरी लिपि अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में बंग-भंग के प्रश्न को लेकर उदारवादियों तथा उग्रवादियों में मनोमालिन्ध्य पैदा हुआ। लाजपतराय, तिलक तथा बिपिनचन्द्र पाल राष्ट्रवादी नेताओं के रूप में उभरे। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के लिए तिलक का नाम अध्यक्ष के लिए रखने का उग्रवादियों का विचार उदारवादियों द्वारा दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने से पूरा न हो सका। उदारवादियों तथा उग्रवादियों का संघर्ष 1906 में टल गया किन्तु 1907 के सूरत-अधिवेशन के समय पुनः उभरा और कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गयी। 1907 के सूरत अधिवेशन में तिलक ने लाला लाजपतराय को अध्यक्ष बनाना चाहा किन्तु गोधले, फिरोजशाह मेहता आदि ने डा० रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस की फूट का श्रीगणेश किया। परिणाम निश्चित था। उग्रवादों कांग्रेस से पृथक हो गये। तिलक ने सूरत फूट के बाद उदारवादियों की भीरुता का स्थान स्थान पर भण्डाफोड़ किया। अब उनका नारा था "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूँगा।"

तिलक ने सरकार की आयकारी नीति के विरोध में शराब की दुकानों पर धरना देने का नशाबन्दी अभियान चलाया। धरने के विरुद्ध राजकीय अभियान में तिलक 1908

में गिरफ्तार कर लिये गये। तिलक की गिरफ्तारी का एक और कारण भी था और वह था मुजफ्फरपुर बम काण्ड जिसमें खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने जिलाजज किंग्स-फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। दोनों को फासी दी गयी। यद्यपि तिलक ने इस बम काण्ड की निन्दा की किन्तु वे कैसरी के माध्यम से क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन का समर्थन कर रहे थे। तिलक ने श्यामजीकृष्ण वर्मा तथा विनायक दामोदर सावरकर का मार्गदर्शन किया था। यह भी सत्य था कि तिलक ने रूस के क्रान्तिकारियों से भारतीयों को बम बनाने तथा छापामार युद्ध सिखाने के लिए बम्बई में रूस के व्यापार प्रतिनिधि से एक बार सम्पर्क भी स्थापित किया था। तिलक की क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन में रुचि छिपी न रही। सरकार ने उनके घर की तलाशी में बम बनाने सम्बन्धी पुस्तकों का विवरण प्राप्त किया। तिलक को मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया गया किन्तु उनकी जमानत नहीं हुई। उनके वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिन्ना ने उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दी किन्तु जस्टिस डॉवर ने उनकी एक न सुनी। विचित्र संयोग यह था कि स्वयं डॉवर ने 1897 में तिलक में वकील के रूप में तिलक की जमानत के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया था। वही डॉवर न्याय के पद पर आसीन हो तिलक की जमानत अस्वीकार कर रहा था। लाई मिटो तिलक को किसी भी प्रकार से शिकंजे में लेना चाहते थे। तिलक ने अपनी पैरवी स्वयं करते हुए भाषण दिया जो इक्कीस घण्टे तक चला। फंसला तिलक के विरुद्ध हुआ। उन्हें 1908 में छः वर्ष के काले पानी का दण्ड मिला। तिलक का देश-निर्वासन भारतव्यापी प्रदर्शन एवं विरोध का कारण बना। जनता की दृष्टि में तिलक "शहीद" बन चुके थे। उन्हें माण्डले-जेल में रखा गया। माण्डले-जेल के अत्यधिक कष्टप्रद वातावरण में तिलक ने कारावास का समय बिना किसी शिकायत के साहस एवं धैर्य से पूरा किया। उनकी रिहाई के दो वर्ष पूर्व उनकी धर्मपत्नी का देहान्त हो गया। किन्तु तिलक विह्वल न हुए। उनमें अदम्य साहस तथा कष्ट भैलने की क्षमता थी। सरकारी नीति से उपद्रव छिन्नभिन्न हो गया। लाजपतराय ने राजनीति में मौन धारण कर लिया, विपिन चन्द्रपाल विदेश-यात्रा पर चले गये तथा अरविन्द घोष भारत छोड़कर पाण्डिचेरी पहुंच गये। गोखले का राजनीतिक मितारा चमकने लगा था।

तिलक ने माण्डले जेल में रहते हुए भी मराठी भाषा में 900 पृष्ठों की गीता पर टीका लिखी जो गीता रहस्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। तिलक ने गीता के कर्मयोग को मानव-जीवन का परमात्मा में विलीनीकरण का मार्ग बताया। भक्ति तथा ज्ञान से भी उच्च, कर्म की स्थिति को मानते हुए सतत् कर्मरत रहने की प्रेरणा तिलक ने गीता से ही प्राप्त की थी। माण्डले जेल से 1914 में मुक्त किये जाने के बाद तिलक ने वेनेश्टीन गिरोल की पुस्तक इंडियन अररैस्ट में उनके विरुद्ध पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा नासिक के कलेक्टर जैकसन की हत्या का झूठा आरोप लगाये जाने के विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया। तिलक पुनः राजनीति में सक्रिय हुए। वे श्रीमती एनी बेगेन्ट के "होमरूल" भ्रान्दोलन में सम्मिलित हो गये। कांग्रेस में तिलक के पुनः प्रवेग ने उपवादियों पर प्रतिबंध हटा और उपवादियों ने उदारवादी कांग्रेस की कायापलट करना प्रारम्भ कर दिया। तिलक ने 1916 के कांग्रेस के लघनऊ अधिवेशन में पूरे नौ वर्ष बाद हिस्सा लिया था। उनके सद्प्रयत्नों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक ही

पांडाल में साथ-साथ हुआ। लखनऊ पैकट तैयार हुआ जिसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर स्वराज्य की संयुक्त मांग प्रस्तुत की। उन्होंने मुसलमानों के पृथक् प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में ही स्वीकार किया था। "तिलक महाराज की जय" इस उद्घोष के साथ उनका स्थान-स्थान पर स्वागत हुआ। वे भारत में होमरूल आन्दोलन के प्रमुख स्तम्भ बन गये। भारत सचिव चार्ड मोटेग ने उन्हें अंग्रेजों को प्रथम विश्वयुद्ध में सहायता देने का आग्रह किया। तिलक ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने श्रीमती बीसेन्ट को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित करवाया। तिलक ने भारत में स्वराज्य अथवा होमरूल की स्थापना का समर्थन किया और भारत सचिव द्वारा घोषित उत्तरदायी शासन की स्थापना को इसी अर्थ में स्वीकार करने को कहा जिसमें भारत की विधान-सभा का हर सदस्य चुना हुआ हो तथा प्रशासन पूर्णतया विधान-सभा के अधीन हो। वे गवर्नर का पद भी निर्वाचन पर आधारित करना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस मंच से शौकत अली तथा मौहम्मद अली की रिहाई की मांग भी प्रस्तुत की। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान तिलक ने गांधीजी के विपरीत ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में स्वशासन की स्थापना के आश्वासन की शर्त पर ही युद्ध में सहायता दिये जाने का प्रचार किया। सरकार को तिलक का असहयोग पसन्द नहीं आया। 1918 में दिल्ली में हुए युद्ध सम्मेलन में वाइसराय ने तिलक को आमंत्रित नहीं किया। गांधीजी को निमंत्रण दिया गया। गांधीजी ने सम्मेलन में भाग लिया। भारत-सचिव मोटेग ने तिलक को सम्मेलन में न बुलाने के कार्य की निन्दा की क्योंकि वे तिलक को ही भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नेता मानते थे। बम्बई के गवर्नर लार्ड विलिंगडन की अध्यक्षता में हुए प्रांतीय युद्ध सम्मेलन में तिलक आमंत्रित किये गये किन्तु गवर्नर ने जिस प्रकार से सभा की कार्यवाही का संचालन किया उससे क्षुब्ध हो वे सभा से उठकर चले आये। उनके साथ ही होमरूल लीग के अन्य सदस्य भी उठकर आ गये। गवर्नर के व्यवहार की निन्दा के लिए गांधीजी के सभापतित्व में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गयी जिसमें गांधीजी ने गवर्नर के व्यवहार की आलोचना की। तिलक ने पूना की एक सार्वजनिक सभा में अध्यक्ष पद से शासन के प्रति असहयोग की नीति अपनाने के वचन कहे। शासन ने उनके वक्तव्य को गंभीर चुनौती मानते हुए उनके भाषणों पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये। गांधीजी ब्रिटिश सेना में भारतीय रंगरूटों की भर्ती कराने में अन्त तक लगे रहे। तिलक ने गांधीजी को सहायता करने का आश्वासन दिया किन्तु इस शर्त के साथ कि सेना में भर्ती हुए भारतीयों को उच्च पद दिलाने का सरकारी आश्वासन दिया जाय। गांधीजी यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सके और तिलक ने सहयोग न देने का निर्णय कर लिया।

मोटेग-चेम्सफर्ड सुधार-योजना की घोषणा का गांधीजी ने स्वागत किया किन्तु तिलक इसके पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 29 अगस्त, 1918 में बम्बई में आयोजित हुआ। तिलक का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया गया किन्तु तिलक ने मना कर दिया ताकि वे अपने विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त कर सकें। तिलक ने अधिवेशन में यह व्यक्त किया कि भारतीयों ने अठग्री भर शासन मांगा था किन्तु शासन ने उन्हें केवल द्दग्री भर स्वशासन देने की बात कही। उन्होंने सुधारों की योजना को निराशाजनक बतलाया। इसी समय तिलक ने होमरूल लीग के सौजन्य से भारतीयों का

एक प्रतिनिधिमण्डल इंग्लैण्ड भेजने का निर्णय लिया। तिलक, करंदीकर, केलकर, घाषडे तथा विपिनचन्द्रपाल इस प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य थे। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य भारत से विदा हुए किन्तु मार्ग में ही उन्हें उनके पासपोर्ट रद्द किये जाने की सूचना दी गयी। इस घटना के विरोधस्वरूप जिन्ना की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा बम्बई में बुलाई गयी और शासन की तीव्र आलोचना की गयी। बाद में तिलक ने शिरोल पर मानहानि के मुकदमे के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड जाने की अनुमति चाही। काफी सोच-विचार के बाद उन्हें इसकी अनुमति प्रदान की गयी किन्तु उनके द्वारा वहाँ किसी भी राजनीतिक आन्दोलन में भाग लिये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। लन्दन पहुँच कर तिलक ने अपने ऊपर लगाये गये राजनीतिक प्रतिबन्धों को हटाने की प्रार्थना की जिसे स्वीकार कर लिया गया। तिलक ने वहाँ होमरूल लीग की स्थापना की। कर्नल वेजवुड के सहयोग से उन्होंने अनेक सभाओं में भारत को स्वशासन देने की मांग दोहराई। वहाँ से उन्होंने हार्डीकर को लाला लाजपतराय के पास होमरूल लीग की स्थापना के कार्य में सहायता करने के लिए भेजा। इस कार्य के लिए तिलक ने भारत लौटने पर लाला लाजपतराय को धनराशि भी प्रेषित की। उधर शिरोल पर मानहानि का मुकदमा शुरू हुआ। तिलक के वकील सर जॉन साइमन थे। जूरी ने तिलक के विरुद्ध फैसला दिया और उन्हें शिरोल को हरजाना देने को कहा। ब्रिटिश न्यायपालिका के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का एक और उदाहरण तिलक के सामने आया।

उनके स्वदेश लौटने के पहले कांग्रेस का जो अधिवेशन दिल्ली में 1918 में हुआ उसके वे अध्यक्ष चुने गये थे किन्तु उनकी अनुपस्थिति में मदनमोहन मालवीय अध्यक्ष बनाये गये। मुंबई की समाप्ति पर लंदन में होने वाले शांति-सम्मेलन में कांग्रेस ने गांधीजी, तिलक तथा हसन ईमाम को सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की जिसे सरकार ने प्रस्वीकार कर दिया। उत्तरदायी शासन के स्थान पर रोलट एक्ट और जलियाँवाला बाग हत्याकांड सामने आये। गांधीजी ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। भारत लौटने पर बम्बई में तिलक का प्रभूत्वपूर्व स्वागत किया गया। तिलक ने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन द्वारा उन्हें भारत में आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को समय आने पर लागू करने का जो लिखित आश्वासन दिया था उसका हवाला दिया। कांग्रेस के प्रभूत्वसार अधिवेशन (1919) में शासकीय सुधारों की 1919 की घोषणा को तिलक ने निराशाजनक बतलाया। वे पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के उद्देश्य से ही इस कानून को स्वीकार करना चाहते थे। कांग्रेस का प्रभूत्वसार-अधिवेशन अन्तिम अधिवेशन था जिसमें तिलक ने भाग लिया। तिलक ने सुधारों की योजना को त्रिप्रायिक करने के लिए कांग्रेस डिमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और चुनाव लड़ने के लिए प्रचार एवं माधन जुटाने प्रारम्भ किये। गांधीजी ने पंजाब के नरसंहार तथा घिसापठ के प्रश्न को लेकर सत्याग्रह करने का निश्चय किया। तिलक भी प्रसहयोग आन्दोलन में विधायिका गभाओं का बहिष्कार करने को तैयार थे यदि प्रत्येक दल भी ऐसा करने को तैयार प्रगोत होते। गांधीजी ने प्रसहयोग आन्दोलन की घोषणा कर दी और भारतभरानी प्रसहयोग आन्दोलन चन्वाने के लिए 1 अगस्त, 1920 का दिन निर्धारित किया। टीक एक घण्टा की तीक्ष्णमात्र बाल गंगाधर तिलक का अल्प-रक्षणवस्था के बाद बम्बई में निधन हो



गया। देश के महान् नेता को श्रद्धाजली अर्पित करने तथा उनकी अन्तिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए ऐसा अपार जनसमूह बम्बई के इतिहास में कभी नहीं उमड़ा जैसा तिलक के स्वर्गवास के समय पर। तिलक का स्वर्गवास और उसी दिन गांधीजी के असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन के काल-विभाजन का प्रतीक बन गया। तिलक युग के समाप्त होते ही गांधीयुग प्रारम्भ हुआ।<sup>1</sup>

### तिलक के राजनीतिक विचार

तिलक के राजनीतिक विचारों का क्रम उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1889 में सदस्यता-प्राप्त करने से प्रारम्भ होता है। उनके समकालीन साजपतराय तथा बिपिनचन्द्र पाल के समान तिलक भी प्रारम्भ में उदारवादी विचारधारा के थे। भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने अपने विचार प्रकट करना प्रारम्भ नहीं किया था। वे भी अन्य उदारवादियों के समान कांग्रेस के कार्यक्रम का समर्थन करते थे और अपनी कांग्रेस की प्रारम्भिक दिनों की सदस्यता में यह स्वीकार करते थे कि कांग्रेस ने अपनी संवैधानिक नीति तथा प्रस्तावित सुधारों की मांग से अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की थी। वे भी सरकार से सुविधाओं की मांग तथा प्रार्थना पर विश्वास करते थे। इस सम्बन्ध में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन (1891) में उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य शासन को दुर्बल बनाना नहीं है। वे शासन को मजबूत बनाना चाहते थे ताकि भारत की सरकार अपने बाह्य विरोधियों का सामना कर सके।<sup>2</sup> किन्तु तिलक की यह विचारधारा अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकी। भारत में ब्रिटिश सरकार के राष्ट्र-विरोधी कार्यों ने तथा उनके स्वयं के राष्ट्रवादी विचारों ने उन्हें सदा के लिए उदारवादियों से अलग कर दिया। 1895 में वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता तथा उनकी दयालुता के झूठे दम्भ के विरोध में उठ खड़े हुए। वे मानने लगे कि भारतीयों के एव ब्रिटिश शासकों के हित समान नहीं है। परिवर्तित विचारों के द्वारा वे उदारवादियों की प्रार्थना एव याचिकाओं की नीति को भिक्षावृत्ति मानने लगे। उनके विचारों की उपरता 1905 के बंगाल-विभाजन के समय और भी मुखर हो उठी।<sup>3</sup>

अपने राजनीतिक कार्यक्रम में तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा की नीति को अपनाया। यही विचारधारा आगे चलकर उपवादियों की प्रमुख नीति मानी गयी। तिलक ने स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का राजनीतिक लक्ष्य चुना। वे स्वशासन की मांग को स्पष्ट शब्दों में तथा सार्वजनिक रूप से प्रकट करने लगे। भारत में ब्रिटिश प्रशासन की दमनपूर्ण नीति के विरोध में उन्होंने इस व्यवस्था की समाप्ति अथवा इसमें आमूल चूल परिवर्तन की मांग की। तिलक केवल राजनेता ही नहीं थे बल्कि एक महान् विद्वान् तथा दार्शनिक भी थे। उनके प्रकाण्ड संस्कृत पाण्डित्य ने उन्हें आत्मा की वास्तविक प्रगति को प्रकट करने के लिए विवश किया और वे सदैव स्वशासन को अथवा स्वराज्य को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्रस्तुत करने लगे। उनकी स्वराज्य की जन्मसिद्ध मांग पर प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त का प्रभाव नहीं था। उन्होंने यह मांग भारतीय दर्शन की परम्परागत शैली में प्रस्तुत की थी। वे स्वराज्य को धर्म अर्थात् कर्तव्य के रूप में देखते थे। वे राजनीतिक समुदाय में भी पहले स्वराज्य की स्थिति को स्वीकार करते थे क्योंकि स्वराज्य एक नैतिक आवश्यकता थी जिस पर व्यक्ति का सामुदायिक

जीवन प्राधारित था। इस सन्दर्भ में कतिपय लेखकों ने जो यह माना है कि तिलक की स्वराज्य की धारणा का वैदिक परम्परा के मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था, उचित प्रतीत नहीं होता। तिलक द्वारा वेद-वेदांगों का अध्ययन भारतीय लौकिक नीति तथा न्याय से सम्बन्धित था। गीता के मर्मज्ञ तिलक स्वराज्य की पाश्चात्य धारणा में विश्वास नहीं करते थे। महाराष्ट्र में शिवाजी-उत्सव ने जिस स्वराज्य की परम्परा का पुनरुद्धार किया था उसे देखते हुए भी यह कहा जा सकता है कि तिलक की स्वराज्य की धारणा उनके भारतीय संस्कारों का परिणाम थी। तिलक ने स्वराज्य की धारणा को क्रियान्वित करने के लिए, सार्वजनिक रूप में, क्रान्ति को उपयुक्त नहीं माना। किन्तु वे पूर्णतया अहिंसा के पुजारी भी नहीं थे।<sup>1</sup> वे अहिंसक प्रतिरोध की नीति को एक सुविधा के रूप में प्रयोग में लाते रहे। यह उनके जीवन की नीति नहीं रही। वे राष्ट्र में ऐसी शक्ति का संचार करना चाहते थे कि शासन का प्रतिरोध उग्र से उप्रतम होता चला जाये। इसके लिए तिलक ने प्रति-क्रियात्मक सहयोग की नीति का प्रयोग किया ताकि यथासम्भव शासकीय परिवर्तन लाया जाये। यदि परिवर्तन सम्भव न हो तो असहयोग का मार्ग अपनाया जाये। तिलक ने इसी कारण से उदावादियों की संवैधानिक कार्यप्रणाली के स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति को अपनाया। उन्होंने इस सन्दर्भ में भारतीय जनता का आह्वान करते हुए यह विचार प्रकट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग पर ही जीवित है। यदि भारतीय ब्रिटिश शासन को सहयोग देना बन्द कर दें तो यह शासन समाप्त हो सकता है। भारतीय जनता चाहे शस्त्र रहित हो किन्तु उसमें एक नवीन शक्ति विद्यमान है जो शस्त्र से भी अधिक महत्त्व रखती है तथा वह शक्ति है—बहिष्कार। यदि हम स्वतन्त्र होना चाहें तो स्वतन्त्र हो सकते हैं। किन्तु इस स्वतन्त्रता के लिए प्रतिरोध आवश्यक है।<sup>2</sup> इस प्रकार तिलक ने भारत में असहयोग की नीति का प्रारम्भ किया जो आगे जाकर गांधीजी की योजनाओं का प्रमुख अंग बन गयी। महात्मा गांधी ने तिलक की इस विचारधारा की नवीन सन्दर्भों में तथा अपने स्वयं के विचारों के अनुरूप ढालकर एक नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तिलक ने बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी की माग भी प्रस्तुत की। वे स्वयं स्वदेशी विचारधारा की जीवित प्रतिमा थे। मनसा-वाचा-कर्मणा तिलक पूर्णतया स्वदेशी थे। स्वदेशी की धारणा को प्राथिक कार्यक्रम के रूप में तिलक ने अधिक विस्तार से प्रयुक्त नहीं किया। फिर भी तिलक ने भारत के औद्योगिक विकास व भारतीय श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए विचार प्रस्तुत किये।<sup>3</sup>

तिलक ने भारतीय राजनीति के तत्कालीन दलों पर प्रकाश डालते हुए उदारवादियों एवं उपवादियों के राजनीतिक उद्देश्यों तथा वैचारिक मतभेदों का सुन्दर चित्रण प्रस्तुत किया। जनवरी 2, 1907 को कलकत्ता में भाषण देते हुए उन्होंने नवीन दल (गरम दल) के सिद्धान्तों को स्पष्ट किया। तिलक के अनुसार 'उदारवादी' एवं 'उपवादी' शब्द सम्यक् वाचक शब्द थे। उनका यह कथन कि "भाज के उदारवादी कल उसी प्रकार में उपवादी हो जायेंगे जिस प्रकार से भाज के उदारवादी कल के उपवादी थे" उनकी विनम्र मुद्रि का प्रतीक है। एक ही वाक्य में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन दो गुटों की मान्यताओं को स्पष्ट कर दिया। प्रारम्भ में दादाभाई नोरोजी ने जब कांग्रेस के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये तब उन्हें उपवादी की सजा दी गयी थी किन्तु कालान्तर में उनका नाम

उदारवादियों के साथ लिया जाने लगा। तिलक ने उग्रवाद को प्रगतिशील विचारों का प्रतीक माना। वे यह भी मानते थे कि आज के उग्रवादियों को कल उनकी स्वयं की सतान उदारवादी कहेगी और स्वयं को उग्रवादी मानेगी। समय की परिवर्तनशीलता का उल्लेख करते हुए तिलक ने यह सम्भावना व्यक्त की कि कौन कह सकता है कि भविष्य के हजार वर्षों में श्वेतों की सम्यता हिमयुग में प्रविष्ट हो जाय।<sup>7</sup>

तिलक ने उग्रवादियों द्वारा भारत की ब्रिटिश सत्ता का विरोध स्पष्ट करते हुए व्यक्त किया कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन असहनीय है। इस प्रकार का शासन स्थायी नहीं हो सकता। प्रारम्भ में भारतीयों को ऐसी अनुभूति करायी गयी कि अंग्रेजी शासन भारत को तमूलरंग तथा चंगेजखाँ के आक्रमणों से मुक्त कराने के लिए स्थापित किया गया था। बाह्य आक्रमण ही नहीं अपितु भारत में व्याप्त आंतरिक अव्यवस्था एवं पारस्परिक विग्रह से अंग्रेजों ने मुक्ति दिलाई। किन्तु यह भ्रम अधिक दिनों तक नहीं चल सकता था। दादाभाई ने बतलाया कि अंग्रेजों ने हमें एक दूसरे का गला काटने से रोका ताकि अंग्रेज हमारा गला काट सके। "पेक्स ब्रिटेनिका" के नारे ने भारत के शोषण का मार्ग खोल दिया। हमें शासन की परोपकारिता का पाठ पढाया गया जबकि राजनीति में परोपकारिता नाम की वस्तु होती ही नहीं है। परोपकारिता एक बाह्य आवरण है जिसके अन्दर स्वार्थ एवं शोषण का कटु पदार्थ संचित होता है। अंग्रेजी शिक्षा, बढ़ता हुआ दारिद्र्य तथा शासकों के उद्देश्यों का सूक्ष्म विवेचन भारतीय नेतृत्व को जागृत करने में सफल रहा। दादाभाई ने इस विदेशी शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध प्रचार में अपना समस्त जीवन लगा दिया।<sup>8</sup>

तिलक ने उदारवादियों का उपहास करते हुए उनके सिरमौर गोखले को दादाभाई के पथ का अनुसरण करने को कहा। दादाभाई जीवन के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन से बहुत निराश थे। तिलक गोखले को दादाभाई से प्रेरणा प्राप्त कर इंग्लैंड के उदारवादियों पर अधिक निर्भर न रहने की सलाह दे रहे थे। इस संदर्भ में तिलक ने ऐलन आक्टेवियन ह्यूम के 1893 में प्रकट किये गये विचार को, कि सरकार चाहे उदारवादी हो प्रथवा रूढ़िवादी, स्वेच्छा से कोई वस्तु नहीं देगी, तर्क-संगत मानते थे। इंग्लैंड के उदारवादियों का भारत में रूढ़िवादियों जैसा व्यवहार उनके साम्राज्यी हितों से प्रेरित था। इंग्लैंड के जनमत को भाषणों द्वारा तभी तक प्रभावित किया जा सकता था जब तक उनके हितों पर आंच नहीं आती। जैसे ही उनके आर्थिक हितों पर प्रभाव पड़ता दिखाई देता वे तुरन्त अपने असली रूप में आ जाते थे। इसी कारण से तिलक ने ब्रिटिश नीकरशाही को अपील करने का मार्ग स्वीकार नहीं किया। उदारवादियों एवं उग्रवादियों के कार्यक्रम का यही मुख्य अन्तर था कि जहाँ उदारवादी ब्रिटिश शासन को अपील करने तथा याचिका प्रस्तुत कर सुधारों की मांग कर रहे थे वहाँ उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में अतिसहयोग एवं निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से अपना मार्ग निमित्त किया था। तिलक के अनुसार सुधारों की मांग निष्प्रयोजन थी क्योंकि सम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा बिना मांग के की गयी थी। इससे बाद यह घोषणा लार्ड कर्जन द्वारा विस्मृत कर दी गयी। लार्ड मोल्ले के निरर्थक आश्वासनों के प्रति तिलक ने रोष प्रकट किया। वे उग्रवादी दल के माध्यम से सहकार की नीति का आह्वान करते हुए ब्रिटिश शासन का विरोध करना

चाहते थे। उनके अनुसार महाभारत का दृष्टान्त, जिसमें श्रीकृष्ण जब कौरवों तथा पांडवों के मध्य समझौता कराने का प्रयास कर रहे थे, दोनों ही पक्ष सैनिक दृष्टि से तैयारो कर रहे थे ताकि समझौता भंग होने पर स्थिति का सामना किया जा सके, अनुकरणीय था।<sup>9</sup>

तिलक ने उदारवादियों के राजनीतिक कार्यों की आलोचना करते हुए 1907 में केसरी में लिखे गये अपने लेखों में स्पष्ट किया कि संवैधानिक पद्धति पर आधारीत कांग्रेस का आन्दोलन केवल समय का अपव्यय है। 'संवैधानिक' शब्द का निरन्तर प्रयोग जनता को वर्षों से गुमराह कर रहा है। वास्तविकता यह है कि संवैधानिकता का सही अर्थ उदारवादियों को ज्ञात ही नहीं। तिलक के अनुसार भारत के उदारवादी इंग्लैण्ड की राजनीति में प्रयुक्त शब्दों का भारत के संदर्भ में निरर्थक प्रयोग कर रहे हैं। इंग्लैण्ड में सत्ताहृद्द दल द्वारा पारित किसी भी अलोकप्रिय अधिनियम को जनता के मत द्वारा निरस्त किया जा सकता है। वहाँ की जनता को शासन में परिवर्तन करने का लोकतांत्रिक साधन प्राप्त है। यदि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह न करे तो उसे बदल दिया जाता है किन्तु भारत में विपरीत स्थिति है। गोखले और उनका उदारवादी दल भारत के किस संविधान की दुहाई देता है जो जनता को ये अधिकार देता हो। भारत की सरकार इंग्लैण्ड की संसद के प्रति उत्तरदायी है। जो भी भारत सरकार का विरोध करता है उसे भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित किया जाता है। तिलक के अनुसार गोखले भारत के जिस संविधान की दुहाई देते हैं वह भारतीय दण्ड संहिता ही हो सकती है।<sup>10</sup>

तिलक के अनुसार संवैधानिक आन्दोलन की बात करना व्यर्थ है क्योंकि भारत का अपना कोई संविधान नहीं है। संवैधानिक आन्दोलन द्वारा ब्रिटिश संसद की विधि से स्थापित भारत सरकार के माध्यम से परिवर्तन लाना कोरी कल्पना है। भारतीय जनता को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। सरकारी अफसरों को ही कानून बनाने और बदलने का अधिकार दिया गया है। यदि अफसरशाही चाहे तो सभी आन्दोलन समाप्त करवा कर रही सही स्वतन्त्रता भी छीन सकती है। भारत की नौकरशाही ने जिस निरंकुशतन्त्र की स्थापना कर रखी है उससे संघर्ष करने के लिए वैधानिक पद्धति की दुहाई देना हास्यास्पद प्रतीत होता है। तिलक कानून के स्थान पर न्याय, नैतिकता तथा घोषित्य को आन्दोलन के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाते चाहते हैं। विदेशी नौकरशाही के, जो कि निरंकुश शक्तियों से युक्त हैं, विरुद्ध संवैधानिक एवं विधि-निष्ठ पद्धतियों का प्रयोग राजनीतिक आत्महत्या है। अन्त्याय का विरोध करने वाला दण्डित किया जायगा किन्तु दण्ड की बिन्ता किये बिना नैतिकता विहीन कानून का प्रतिकार होना चाहिए।<sup>11</sup>

तिलक बहिष्कार को ऐसा राजनीतिक शस्त्र मानते थे जो भारतीयों के निःशस्त्र होते हुए भी अयोध अस्त्र का काम कर सकता था। भारत में विदेशी शासन भारतीयों की सहायता से चलाया जा रहा था। भारतीय उपसेवकों में कार्य कर रहे थे। विदेशी शासन ने भारतीयों को इस सत्य से अंधकार में रखा था कि वे पारस्परिक सहयोग से स्व-शासन प्राप्त कर सकते थे। तिलक ने इस अज्ञान को दूर करते हुए संकेत दिया कि यदि भारतीय सक्रिय विरोध की शक्ति नहीं रखते तो उन्हें अवज्ञा प्रथम प्रयोग करने

से कौन रोक सकता है। वे इस पद्धति से भारतीय विदेशी सरकार को उन पर शासन करने से वंचित कर सकते हैं। बहिष्कार को राजनीतिक शस्त्र इसी कारण से माना गया है। उन्हें शांति बनाये रखने तथा राजस्व एकत्रित करने में सहायता न दी जाय। भारत की सीमाओं के बाहर भारतीय रक्त एवं धन के माध्यम से युद्ध करने में सहयोग न दें। उनके न्याय-प्रशासन में सहयोग न दिया जाय। जनता की अपनी अदालत स्थापित की जाय और आवश्यकता उपस्थित होने पर भारतीयों द्वारा कर न देने का आह्वान किया जाय।<sup>12</sup>

तिलक के राजनीतिक विचारों में अहिंसा एवं हिंसा के मध्य अन्तर्द्वन्द्व स्पष्ट दिखाई देता है। उनका बाल्यकालीन पारिवारिक वातावरण विद्रोही स्वर से गुंजित था। उनके परिवार ने वासुदेव बलवत फड़के का समर्थन किया था।<sup>13</sup> तिलक का उग्र राजनीतिक दृष्टिकोण प्रारम्भ में विदेशी दासता से मुक्ति के लिए सभी प्राप्त उपायों का समर्थक था। उनकी लेखनी से जो शब्द निसृत हुए उनके द्वारा राजनीतिक हिंसा का वातावरण महाराष्ट्र में बना। श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा सावरकर जैसे क्रान्तिकारियों से उनका सीधा सम्बन्ध रहा। वे क्रान्तिकारियों के प्रशंसक थे। उनके विरुद्ध लगाये गये राजद्रोह के अभियोग के समय तिलक ने यद्यपि अपने आपको हिंसा एवं क्रान्ति से विलग सिद्ध करने का प्रयास किया किन्तु वास्तविकता यह थी कि तिलक भारत में अंग्रेजीराज के प्रबलतम शत्रु थे।<sup>14</sup> यह उनकी विवशता थी कि वे निष्क्रिय प्रतिरोध की ओर अपसर हुए। उन्हें भारत की जनता की भीरुता तथा सशस्त्र विद्रोह की अक्षमता के कारण यह विचार व्यक्त करना पड़ा कि भारत में रूस की तरह क्रान्ति करने तथा बम का सफल प्रयोग करने का समय आया नहीं था किन्तु आने वाला था।<sup>15</sup> एक बार तिलक ने व्यक्तिगत क्रान्ति के अन्तर्गत क्रान्तिकारियों द्वारा बम फेंकने तथा हत्याएँ करने की निन्दा की किन्तु साथ ही साथ वे भारत की जनता को निःशस्त्र रखने के लिए सरकार की भी आलोचना करने लगे। उनके द्वारा क्रान्तिकारियों के कार्य की निन्दा केवल शासन को भुलावे में रखने की उनकी राजनीतिक चाल थी। 1905 में तिलक ने रूस के वाणिज्य प्रतिनिधि से बम्बई में भेंट कर कुछ भारतीयों को रूस में सैन्य प्रशिक्षण दिलाने के सम्बन्ध में उनसे सूचना मांगी थी। वे पूना के एक सैनिक अधिकारी माधव राव जाधव को इस कार्य के लिए रूस भेजना चाहते थे ताकि वे ब्रिटिश सेना से पलायन करने वाले भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर उन्हें सेना के रूप में संगठित कर सकें। रूसी अधिकारी क्लेम द्वारा इस योजना को अत्यधिक खर्चीली बताने पर तिलक ने उनसे कहा था कि वे धन की चिन्ता न करें।<sup>16</sup> इससे यह प्रतीत होता है कि तिलक ने सुभाष बोस की आजाद हिन्द फौज के समान एक विशुद्ध भारतीय सैन्य दल बनाने की योजना और उसके लिए अपार धन राशि का प्रबन्ध कर रखा होगा किन्तु परिस्थितियों ने उन्हें समस्त योजना को त्यागने के लिये विवश किया होगा। ब्रिटिश शासन की उन पर कठोर दृष्टि थी और वे स्वतन्त्रता-पूर्वक विचारण कर ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सके। तिलक की निराशा का कारण भारतीयों में पौरुष की कमी तथा अंग्रेजीराज के समर्थक सत्ता एवं धन लोलुप भारतीय सामन्त, व्यापारी तथा अधिकारी थे। तिलक ने हिंसक क्रान्ति की योजना अपने देश-निर्वासन (1908) के समय ही त्याग दी थी। वे उग्रवादी दल के निष्क्रिय प्रतिरोध

एवं अहिंसक असहयोग के समर्थक बन गये थे। वाद में वे स्वराज्य प्राप्ति के लिए संवैधानिक आन्दोलन की ओर आकृष्ट हुए। उनके द्वारा काँग्रेस लोकतान्त्रिक दल की स्थापना इसका प्रमाण थी। उनके विचारों की उग्रता कालान्तर में सशस्त्र आति के स्थान पर अहिंसक संवैधानिक आति में परिवर्तित होती हुई दिखाई दी।

तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति को विधि-सम्मत सिद्ध किया। 1907 में वे संवैधानिक आन्दोलन को हास्यास्पद मानते थे किन्तु 1917 में वे स्वयं संवैधानिक पद्धति की ओर झुक गये थे। वे पद्धतियों की चिंता छोड़कर इस बात पर विशेष जोर दे रहे थे कि प्रत्येक आन्दोलनकारी कानून तथा संविधान के दायरे में रहे। कानून और संविधान का अन्तर बतलाते हुए तिलक ने व्यक्त किया कि जब तक भारतीयों के हाथ में स्वयं कानून-निर्माण की शक्ति नहीं आती तब तक ऐसे कानून समय समय पर पारित हो सकते हैं जो नैतिकता एवं न्याय के विरुद्ध हों। ऐसे कानूनों का पालन न किया जाय। निष्क्रिय प्रतिरोध साध्य-प्राप्ति का साधन है अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध किसी कानून का पालन करने से उत्पन्न लाभ तथा हानियों को संतुलित करने का माध्यम है, कानून का पालन नहीं। यदि विवेक द्वारा कानून की अवज्ञा अधिक लाभप्रद प्रतीत हो तो कानून का पालन नहीं किया जाय। लक्ष्य-प्राप्ति का संकल्प ही निष्क्रिय प्रतिरोध है। यदि मार्ग में बाधाएँ उपस्थित हो रही हों तो संकल्प-प्राप्ति के लिए उनसे संघर्ष करना चाहिए। प्रत्येक कानून संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। न्याय तथा नैतिकता के विरुद्ध बनाये गये कानून संवैधानिक नहीं होते। निष्क्रिय प्रतिरोध न्याय संगत एवं उच्च नैतिक आदर्श होने के नाते पूर्णतया संवैधानिक है।<sup>27</sup>

तिलक ने ब्रिटिश शासन से स्वराज्य-प्राप्ति के सदर्भ में ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति को ब्रह्म की तरह अपरिवर्तनशील माना और वास्तविक शासन को "माया" की संज्ञा दी। जिस प्रकार से ब्रह्म की स्थिति की परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसी प्रकार ब्रिटिश सम्राट् को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। माया के परिवर्तनकारी स्वरूप को शासन के परिवर्तनों के सद् रूप माना जा सकता है। शासन में परिवर्तन का अर्थ है ऐसी सरकार की स्थापना जो जनहित में कार्य करे। नौकरशाही के हाथों से शासन लेकर जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाय। स्वराज का यह अर्थ है कि भारत के शासन पर नौकरशाही का नियंत्रण जनता को हस्तान्तरित कर दिया जाय। जिस प्रकार से इंग्लैण्ड में सम्राट् की स्थिति एक नाम मात्र के शासक की ओर समस्त कार्य मंत्रियों की मनाह पर होता है उसी तरह भारत में जन-प्रतिनिधियों के हाथों में वास्तविक सत्ता होनी चाहिए। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते हैं और सत्ता बदलती है किन्तु भारत में अंग्रेजी नौकरशाही अपरिवर्तनशील है। उसे बदलने का प्रयास देशद्रोह माना जाता है। क्या इंग्लैण्ड में भी ऐसे प्रयासों की देशद्रोह की है संज्ञा दी जा सकती है? सम्राट् की स्थिति को यथावत् बनाये रखते हुए भारत का शासन भारतीयों के हाथों होना ही स्वराज्य है। दुर्भाग्य से स्वराज्य का इंग्लैण्ड में उपयोग करने वाली अंग्रेजी सत्ता भारत में स्वराज्य की मांग को धरतीतल कर रही है। तिलक ने स्पष्ट किया कि स्वराज्य की मांग की देशद्रोह समझना व्यर्थ है। यह सम्राट् की सत्ता को चुनौती नहीं प्रदत्त करता। नैतिकता के नाते जनता के नियंत्रण की मांग है। तिलक ने यह भी स्पष्ट किया कि

कि भारत में स्वशासन का अधिकार किसी भी दल को सौंपा जाय—चाहे उदारवादियों को प्रथवा उग्रवादियों को या पुलिस के सिपाही को ही यह अधिकार क्यों न दिया जाय—उन्हे कोई आपत्ति नहीं। मूल प्रश्न स्वराज्य का है, अधिकारों का है।<sup>18</sup>

तिलक ने राज्य की प्रकृति तथा उद्देश्य के संदर्भ में बेंचम के उपयोगितावाद की प्रालोचना की है। वे सुखवाद के संख्यात्मक आधार 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिक से अधिक सुख' को उचित नहीं मानते। नैतिकता सम्बन्धी प्रश्नों का संख्यात्मक निर्णय त्रुटिपूर्ण होता है।<sup>19</sup> तिलक ने गीता-रहस्य में कौरवों तथा पाण्डवों का उदाहरण देते हुए यह विचारप्रश्न किया है कि क्या पाण्डवों की सेना संख्या में कौरवों की सेना से कम होने के कारण दोषी थी और पाण्डवों को हराने पर कौरवों को संख्यात्मक आधार पर अधिकतम सुख की प्राप्ति होती? साधारण जन मानस द्वारा जिस वस्तु को सुख उत्पन्न करने वाली माना जाता है उसे दूरदृष्टा हानिप्रद बतलाते हैं।<sup>20</sup> उदाहरण के लिए सुकरात तथा यीशू अपने देशवासियों को कल्याणकारी उपदेश दे रहे थे किन्तु उनके देशवासियों ने उनको भस्मना कर उन्हें समाज का शत्रु करार देकर मृत्युदण्ड दिया। तिलक के अनुसार नैतिक गणित का सिद्धान्त इस प्रश्न का कि सहस्रों व्यक्तियों का सुख किसमें है और उसकी प्राप्ति कैसे और किसके द्वारा हो सकती है, उचित समाधान प्रस्तुत नहीं करता। यह सिद्धान्त अत्यधिक यांत्रिक है और इसमें व्यक्ति के उद्देश्यों का समावेश नहीं किया गया है। इसी तरह उपयोगितावाद यह नहीं दर्शाता कि परहितवाद स्वार्थवाद से क्यों प्रच्छन्न है। यदि परहित का उद्देश्य यह है कि दूसरों के हित की रक्षा करने से स्वयं के हितों की रक्षा होती है और इस प्रकार अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिकतम लाभ हो सकता है तो यह उचित नहीं। मूल प्रश्न यह है कि हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को कैसे सुखी बनायें। तिलक ने नैतिक प्रश्नों का भौतिकवादी समाधान स्वीकार नहीं किया। जीवन में भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि ही सब कुछ नहीं। उच्च कार्यों तथा सद्बिवेक एवं मस्तिष्कजन्य उपलब्धियों से मानव-कल्याण एवं सुख की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ है। इन्द्रियजन्य सुख निम्नकोटि का सुख है।<sup>21</sup>

तिलक ने राजनीतिक स्वतन्त्रता को ईश्वरीय गुण मानते हुए जनता को राष्ट्रवादी एवं लोकतांत्रिक विचारों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतिकार करने के लिए प्रेरित किया। तिलक ने राष्ट्रवादी विचारों की ध्याख्या करते हुए राष्ट्रवाद को एक मनोवैज्ञानिक धारणा बतलाया।<sup>22</sup> उनके अनुसार राष्ट्र का निर्माण जनसमूह की परस्पर सम्बन्धगत एकता की भावना पर आधारित था। जहाँ अरविंद घोष तथा बिपिन चन्द्र पाल ने राष्ट्रवाद को प्राध्यात्मिकता का बाना पहनाया वहाँ तिलक ने राष्ट्रवाद को राजनीतिक अर्थ तक ही सीमित रखने का प्रयास किया। उनकी राष्ट्रवाद सम्बन्धी धारणा पर पश्चिम के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय-सिद्धान्त का विशेष प्रभाव अंकित था। वे आत्मा की शाश्वत स्वतन्त्रता में विश्वास करते हुए मानव विकास के लिए स्वराज्य एवं स्वराष्ट्र की कल्पना कर रहे थे। वे राष्ट्र की भावना को प्राध्यात्मिक स्फूर्ति एवं नैतिक बल से युक्त मानते थे। गीता तथा वेदों की प्रेरणा से तिलक ने भारत के अतीत के राष्ट्रीय गौरव एवं संस्कृति को उभारने का प्रयास किया था। तिलक इस अर्थ में पुनरुत्थानवादी थे। वे राष्ट्रवाद को उस प्राचीन नींव पर आधारित करना चाहते थे जिसे भारत ने अपने

गौरवपूर्ण धरोहर के रूप में संजो रखा था। तिलक के अनुसार प्राचीन गौरव को तिरस्कार की दृष्टि से देखना धराष्ट्रीय कार्य है। हमारी सांस्कृतिक विरासत ही हमें भविष्य के भारत के निर्माण में सहायक हो सकती है। वे भारतीयों द्वारा पश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति की नकल को भारत राष्ट्र के लिए अपमानजनक समझते थे। इन नवोदित राष्ट्रदोहियों से जनता को बचाने के लिए तिलक ने गणपति-उत्सव तथा शिवाजी-उत्सव का सहारा लिया। उनका मूल उद्देश्य वर्तमान को भ्रतीत से सम्बंधित करने का था ताकि धारम-विश्वास तथा पीरूप की वर्तमान कमी को भ्रतीत की ऐतिहासिक महत्ता के अनुगान से दूर किया जा सके।<sup>23</sup>

तिलक ने गणपति एवं शिवाजी के उत्सवों का प्रारम्भ हिन्दुओं को संगठित करने की दृष्टि से किया था। वे सनातन हिन्दू धर्म के कट्टर समर्थक थे। भ्रतः भ्रपने प्रारम्भ के सार्वजनिक जीवन में हिन्दू राष्ट्र की धारणा ने उन्हें भ्रछूना नहीं रखा। तिलक कालान्तर में साम्प्रदायिक समन्वय के समर्थक बन गये। उन्होंने शिवाजी-उत्सव के संदर्भ में कहा कि यह कोई मुस्लिम-विरोधी उत्सव नहीं है। शिवाजी ने मुसलमानों से जिस काल में मुद्ध किया उस समय मुसलमान विदेशी शासक के रूप में भ्रारूढ़ थे। अंग्रेजों के शासन-काल में मुसलमानों का विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ऐसे समय में हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक हीकर विदेशी दासता से मुक्ति प्राप्ति करने का सन्देश तिलक ने दिया।<sup>24</sup> बंगाल के विभाजन से जनित्र भ्रान्दोलन के समय तिलक ने साम्प्रदायिक समन्वय एवं सहयोग की प्रपील की थी। तिलक व्यक्तिगत रूप से हिन्दू धर्म के अनुयायी थे निन्तु राजनीति में उनका दृष्टिकोण व्यापक रहा। हिन्दुओं के "लोकमान्य" तिलक को जिन्ना, गोकुल भली, हजरत मोहानी आदि ने अपना राजनीतिक गुरु माना। यह इस बात की पुष्टि करता है कि हिन्दुओं द्वारा समर्थित उनका नेतृत्व मुसलमानों के लिए भी उतना ही प्रेरणास्पद रहा। जकारिया, प्राइस तथा रजनी पाम दत्त द्वारा तिलक को हिन्दू-राष्ट्रवादी करार दिया जाना त्रुटिपूर्ण था। वे तिलक के व्यापक राजनीतिक उद्देश्यों एवं प्राध्यात्मिक दर्शन से अनभिज्ञ रहकर ही अपनी प्रालोचना प्रस्तुत कर रहे थे। तिलक का राष्ट्रवाद प्रत्यन्त व्यापक राष्ट्रवाद था। वे राजनीतिक राष्ट्रवाद के विचार के साथ-साथ प्राधिक राष्ट्रवाद के भी समर्थक थे। दादाभाई नौरोजी, विलियम डिंगी, गोश्वले तथा लाजपतराय के समान तिलक ने अंग्रेजों द्वारा भारत के प्राधिक शोधण सम्बन्धी निर्गम-सिद्धान्त का समर्थन किया। वे स्वदेशी के परम उपासक थे। अंग्रेज उद्योगपतियों द्वारा भारत के व्यापार एवं बाणिज्य पर एकाधिकार का तिलक ने विरोध किया। प्राधिक बहिष्कार की नीति को तिलक ने इसी कारण से स्वीकार किया कि भारत में स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन एवं उपयोग बढ़े और भारतीय स्वयं प्रायात की नीति पर नियंत्रण रख सके। शासन में प्राधिक संरक्षण की मांग करने के स्थान पर जनता को स्वावलम्बन के माध्यम से प्राधिक प्रगति करने का सन्देश तिलक ने दिया।

तिलक संकीर्ण राष्ट्रवादी नहीं थे। अपने संस्कृत प्रादित्य के कारण वेदान्त के गूढ़ रहस्यों में उनकी विशेष गति थी। वेदान्त की मानव एकता की धारणा को राष्ट्रवाद के माध्यम से प्राप्त कर विश्ववन्धुत्व की स्थापना तिलक का अन्तिम प्रिय था। वे अन्तर्राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद का ही उन्नत रूप मानते थे।



तिलक ने राजनीतिक यथार्थवाद का अवलम्बन लेकर पेरिस के शान्ति-सम्मेलन (1919) के अध्यक्ष क्लेमेंशो को स्मरण-पत्र प्रेषित करते हुए उसमें भारत की भावी अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता का चित्र प्रस्तुत किया। वे भारत के स्वशासन की समस्या के समाधान को विश्वशांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व के लिए आवश्यक मानते थे। भारत एशिया तथा सम्पूर्ण विश्व के लिए शांति का प्रेरक हो सकता था। राष्ट्रसंघ की सफलता एवं ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के हित में भारतीयों को स्वशासन देने की बात तिलक ने दोहरायी। भारत जैसे शांतिप्रिय एवं अन्य देशों की स्वतन्त्रता का समान रूप के सम्मान करने वाले देश को आत्म-निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए था। उन्होंने स्मरण-पत्र में यह भी व्यक्त किया कि भारत की अंग्रेजी सरकार ने बीकानेर के महाराजा तथा लार्ड सिन्हा को भारत के प्रतिनिधियों के रूप में शांति-सम्मेलन में भेजकर अनुचित कार्य किया है। ये व्यक्ति भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कांग्रेस के मनोनीत प्रतिनिधियों (गांधी, तिलक एवं हुसैन ईमाम) को शांति-सम्मेलन में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि भारत की प्रशासनिक क्षमता एवं योग्यता को जब इंग्लैंड के मजदूर दल ने भी स्वीकार किया तब भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता क्यों नहीं प्रदान की जा सकती। तिलक ने क्लेमेंशो से अपील की कि वे शांति-सम्मेलन द्वारा भारत को अन्य ब्रिटिश स्वशासी उपनिवेशों के समान राष्ट्रसंघ की सदस्यता के समस्त अधिकार प्रदान करवायें। भारत को आत्म-निर्णय का अधिकार देने की घोषणा की जाय ताकि भारत में लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधियों की सरकार स्थापित हो सके। तिलक ने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को पृथक करने का नहीं था। वे भारत सरकार की केन्द्रीय शासन-व्यवस्था को प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा सेना विभाग से युक्त रखना चाहते थे। उनका उद्देश्य द्वैध शासन के स्थान पर प्रान्तों में पूर्ण स्वशासन तथा केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना का था। क्लेमेंशो को भेजे गये इस स्मरणपत्र की एक प्रति तिलक ने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को भी भेजी थी। विल्सन ने भी भारतीयों को स्वशासन देने में रुचि दिखाई। किन्तु वे भारत में आत्म-निर्णय का सिद्धान्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज के समक्ष रखने का साहस नहीं रखते थे।<sup>25</sup>

तिलक केवल स्वतन्त्रता सेनानी ही नहीं थे अपितु एक कर्मठ राजनेता भी थे। उनका प्रारंभिक राजनीतिक जीवन प्रतिवादी रहा किन्तु समय एवं परिस्थिति की मांग को देखकर उनका स्वशासन सम्बन्धी दृष्टिकोण भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग से गहव्योग में परिवर्तित हो गया। मोंटफर्ड सुधारों की योजना को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने जिस कांग्रेस लोकतांत्रिक दल की स्थापना की उसके चुनाव घोषणा पत्र (मार्च, 1920) में वरिष्ठ शब्दावली उनके परिपक्व राजनीतिक चिंतन की प्रतीक थी। घोषणा-पत्र में तिलक ने कांग्रेस तथा लोकतंत्र दोनों के प्रति अपनी अविचल भक्ति का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की समस्याओं के समाधान के लिए लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को ही उपयुक्त मानते हुए भारत में निष्ठा तथा राजनीतिक मताधिकार के विस्तार को दृढ़ कार्य के दो प्रमुख शस्त्रों के रूप में माना। जाति भयवा रीति-रिवाजों पर आधारित समस्त नागरिक, धर्मनिरपेक्ष अथवा सामाजिक अयोग्यताओं को वे दूर करने के पक्ष में

ये। धार्मिक सहिष्णुता, धर्म की व्यक्तिगत पवित्रता तथा राज्य द्वारा इसको बाह्य भाङ्गमण से रक्षित करने अधिकार एवं कर्तव्य में उनका पूरा-पूरा विश्वास था।<sup>26</sup>

तिलक ने थोपल-पत्र में यह भी व्यक्त किया कि उनका दल भारत संघ को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संयुक्त करने के पक्ष में है ताकि मान्यता एवं विश्व-बन्धुत्व का विकास हों सके। किन्तु इसके लिए वे भारत में पूर्ण स्वायत्तता तथा ग्रेट ब्रिटेन सहित ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्य देशों से भारत के लिए समान स्तर की मांग कर रहे थे। उन्होंने विश्व-शान्ति, राज्यों की राष्ट्रीयता, राष्ट्रों एवं राष्ट्रीयताओं की स्वतन्त्रता तथा देशों में परस्पर शोषण की वृत्ति को समाप्त करने में राष्ट्रसंघ की भूमिका का स्वागत किया। वे भारत को उत्तरदायी शासन के पूर्ण योग्य मानते हुए उसके द्वारा स्पष्टिक शासन का ढाँचा स्वयं निर्धारित करने तथा संविधान बनाने के पृथक् अधिकार की मांग प्रस्तुत कर रहे थे। वे इस कार्य के लिए इंग्लैंड की संसद में, धार्मिक दल तथा सहानुभूति रखने वाले अन्य व्यक्तियों के सहयोग से, एक नया विधेयक प्रस्तुत करवाना चाहते थे। वे भारत तथा राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों में इसके समर्थन में व्यापक अभियान चलाना चाहते थे।<sup>27</sup> इस कार्य के लिए तिलक ने "शिक्षा, भान्दोलन तथा संगठन" का मार्ग अपनाने को कहा। उनका दल मोंटेग सुधार-अधिनियम को क्रियान्वित करवाने के पक्ष में था ताकि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना को तीव्र गति दी जाय। तिलक ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस कार्य के लिए शासन के प्रति सहयोग प्रपन्ना संबंधात्मक विरोध जो भी उपयुक्त तथा लोकमत को संबल देने वाला होगा प्रस्तुत करेंगे।<sup>28</sup>

तिलक ने कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल के अन्य कार्यों में दमनात्मक व्यवस्थापन का घन्त, औद्योगिक एवं कृषि-धर्मिकों को उचित न्यूनतम वेतन, पूंजीपतियों एवं धर्मिकों के मध्य समानता के आधार पर सम्बन्धों की स्थापना, धार्मिक संगठनों को प्रोत्साहित करना, छाछाओं तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के निर्यात पर नियन्त्रण स्थापित किये कीमतें कम करना तथा आपूर्ति का संरक्षण करना, राज्य से धार्मिक सहायता तथा संरक्षणार्थक नियमों द्वारा तथा अन्य स्वीकृत साधनों द्वारा स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन एवं विस्तार, औद्योगिक विकास के लिए रेलों का राष्ट्रीयकरण तथा मालवाहन की शक्ति का नियमन, सेना पर किये जाने वाले व्यय में कटौती तथा समान वितरण की शक्ति में रखकर धार्मिक करारोपण, नागरिक सेना का निर्माण, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सेवाओं के लिए नियुक्ति, भारत की राष्ट्रभाषा की स्थापना तथा धार्मिक-प्रदायिक सम्बन्धों में सुधार के द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास, भाषायी आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन आदि निर्धारित किये।<sup>29</sup>

उपयुक्त विषयों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से होने के कारण तिलक ने प्रान्तों के लिए भी अन्य कार्यक्रम सुझाये। प्रान्तीय कार्यक्रम में तिलक ने राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा, निगम-भेद रहित नि.शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ग्राम-संघायनों को शक्ति में बुद्धि, मठ-निर्देश तथा सार्वभौमिक मताधिकार का विस्तार आदि रंगे।<sup>30</sup> तिलक द्वारा कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल के चुनाव घोषणा-पत्र में सम्मिलित कार्यक्रम को देखकर साभाग होता है जैसे स्थापित भारत के कांग्रेस दल का चुनाव घोषणा पत्र हो।<sup>31</sup> के बाद कांग्रेस ने तिलक की उपयुक्त योजना के अधिनियम विधायी की।<sup>32</sup>

माध्यम से तथा अन्य शासकीय उपबन्धों द्वारा क्रियान्वित किया। तिलक अपने समय से अनेक दशक आगे थे।

### तिलक के सामाजिक विचार

तिलक सामाजिक विचारों में सुधारवादी न होकर पुनःअभ्युदयवादी थे। वे रानाडे के विचारों के विपरीत भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्राचीन सफल सामाजिक प्रयोगों को वर्तमान भारत में पुनः स्थापित करने में विश्वास रखते थे। उनके द्वारा सामाजिक सुधारों के सन्दर्भ में भारत की प्राचीन मान्यताओं का समर्थन रूढ़िवाद से ग्रस्त नहीं था। प्राचीन मान्यता में कालान्तर में प्रक्षिप्त भ्रान्त विचारों एवं मान्यताओं को वे समाप्त करने के पक्ष में थे किन्तु भारत की प्राचीन धरोहर को एक और हटाकर पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति के अनुकूल भारत की नवीन सामाजिक संस्थाएँ स्थापित करना उन्हें मान्य न था। वे भारत के उदारवादियों के समान सुधार की पाश्चात्य परम्परा का अनुसरण करना नहीं चाहते थे। उन्हें इसका क्षोभ था कि भारत की सम्भ्रान्त एवं शिक्षित पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता के ग्रन्थानुकरण द्वारा भारत की सभ्यता व संस्कृति की धरोहर को विस्मृत करने पर उतारू था। वे पाश्चात्य संस्कृति की भौतिकतावादी परम्परा का विस्तार भारत में नहीं चाहते थे। इतना होने पर भी तिलक अंग्रेजी भाषा व साहित्य के अध्ययन तथा पाश्चात्य राजनीतिक मान्यताओं के ग्राह्य पक्ष को अपने मन से मना नहीं करते थे। वे स्वयं दक्षिणी शिक्षा समिति, पूना के प्रमुख कर्त्तव्यता के रूप में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन की अनिवार्यता का समर्थन करते रहे। तिलक ने जहाँ एक और वेद, उपनिषद् व गीता आदि का गहन अध्ययन किया था वहाँ दूसरी ओर हेगल, कांट, स्पेन्सर, मिल, वेन्यम, वाल्टेयर व रूसों आदि के विचारों का भी अध्ययन किया था। वे पाश्चात्य साहित्य एवं संस्कृति के उच्चादर्शों से अनभिज्ञ नहीं थे। किन्तु एक राष्ट्रवादी भारतीय के रूप में वे भारत का वैचारिक पुनर्निर्माण पाश्चात्य विचारधारा पर आधारित करना नहीं चाहते थे।

तिलक ने समाज-सुधारों के क्षेत्र में उत्तरी उपवादी नीति का अनुसरण नहीं किया ब्रतना कि राजनीतिक क्षेत्र में। समाज-सुधार की दृष्टि से तिलक सामाजिक सुधारों को राजनीतिक सुधारों के बाद ही लाना चाहते थे। समाजसुधार के क्षेत्र में वे यथास्थितिवादी थे। वे पहले स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे बाद में और कुछ। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समाजसुधार को तिलक ने विस्कुल महत्त्व नहीं दिया। वे प्रगतिशील सुधारकों के साथ कई मामलों में सम्यक् थे। उन्होंने रानाडे द्वारा प्रस्तावित कतिपय सुधारों का समर्थन भी किया। उदाहरणार्थ वे इस बात से सहमत थे कि लड़कों का विवाह 16, 18 व 20 वर्ष के पहले न किया जाये तथा लड़कियों का 10, 12, या 14 वर्ष के पहले। उन्होंने बहुपत्नी-प्रथा का विरोध किया तथा 60 वर्ष की आयु पर विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने का समर्थन किया। रानाडे की सुधार-योजना में लड़के व लड़की के विवाह पर एक वर्ष से अधिक की आयु न रखने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। शराब पर प्रतिबन्ध तथा स्त्री-शिक्षा के विस्तार का भी उन्होंने समर्थन किया। यद्यपि तिलक ने "स्वीकृत अशुभ विधेयक" का विरोध किया था किन्तु यह विरोध राजनीतिक कारणों से था न कि सामाजिक कारणों से। विरोध का प्रमुख कारण यह था कि वे सामाजिक

व्यवस्थापन का कार्य ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं सौंपना चाहते थे। इसके माध्यम से वे भारत की विदेशी सरकार का विरोध कर रहे थे।<sup>31</sup> तिलक की दृष्टि से भारत का पाश्चात्य स्वरूप में पुनर्निर्माण भारत की महानता के लिए घातक या घोर किसी भी प्रकार के सुधार को विदेशी शासन द्वारा जबरन थोपा जाना उस सुधार को अनैतिक बनाना था।<sup>32</sup>

तिलक ने सामाजिक सम्बन्धों के संदर्भ में हिन्दु-समाज की कतिपय मान्यताओं को स्वीकार किया किन्तु वे हिन्दू-समाज की रूढ़ियों से बंधे हुए नहीं थे। चाय-पार्टी की घटना में तिलक ने रूढ़िवादियों का मन रखने के लिए प्रायश्चित्त आदि किया किन्तु व्यवहार में छुप्राछूत का कोई स्थान नहीं था। वे सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अनेक समाजसुधारकों से आगे थे। उन्होंने विधवा-विवाह का समर्थन किया। प्रो० डी० के० कर्वे द्वारा विधवा-विवाह किये जाने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने स्वयं अपनी पुत्रियों का विवाह पन्द्रह वर्ष की आयु के पश्चात् किया। शिवाजी तथा गणपति महोत्सव में उन्होंने भयणों को सवणों के साथ सम्मिलित किया तथा उनके साथ कुलीन हिन्दुओं जैसा व्यवहार किया। इस प्रकार तिलक ने समाज सुधारकों के कथन तथा कार्य के भेद को अपने जीवन में प्रविष्ट नहीं होने दिया। अन्तर केवल यह था कि तिलक सुधारों को कानून के माध्यम से क्रियान्वित करने के पक्ष में न थे।<sup>33</sup> वे सामाजिक सुधारों को उचित सामाजिक शिक्षण के माध्यम से क्रियान्वित कराना चाहते थे। उचित सौकरमत का निर्माण कर सुधारों को सुगमता से लाया जा सकता था। वे सामाजिक सुधारों के प्रति प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण नहीं रखते थे। न वे सुधारों की बाढ़ में प्रवाहित हो जाना ही स्वीकार करते थे। वे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं सामाजिक धरोहर को विच्छिन्न नहीं करना चाहते थे। भारत अपनी संस्कृति का त्याग करके आगे नहीं बढ़ सकता था। उनकी यह मान्यता थी कि भारत के गौरवपूर्ण अतीत को भुलाने के स्थान पर उन दृष्टियों को दूर किया जाय जिनके कारण कतिपय सामाजिक कुरीतियाँ पनप आई हैं। उन कुरीतियों, अंध-विश्वासों एवं रूढ़ियों के अन्त के पश्चात् शेष को यथावत् बनाये रखा जाय। तिलक ने इस संदर्भ में यह ध्यक्त किया कि "जिस प्रकार से रूढ़िवादी मान्यताएं तथा उनके पोषक पंडित एकपक्षीय हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त सुधारक भी एकपक्षीय एवं दकियानुसी हैं। पुराने शास्त्रों तथा पंडित नवीन परिस्थितियों से उसी प्रकार अपरिचित हैं जिस प्रकार से नवीन शिक्षा प्राप्त सुधारक हिन्दू धर्म की परम्पराओं एवं दर्शन से। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि नवीन शिक्षा प्राप्त वर्ग को प्राचीन मान्यताओं तथा दर्शन का उचित ज्ञान कराया जाय तथा पुराने पंडितों तथा शास्त्रियों को नवीन परिवर्तनों एवं परिवर्तनशील परिस्थितियों को जानकारो दी जाय।"<sup>34</sup> तिलक का यह दृष्टिकोण परम्परा तथा आधुनिकता में समन्वय का प्रतीक था।

**तिलक का धर्म तथा अध्यात्म**

बाल गंगाधर तिलक को मनातन हिन्दू-धर्म में पूर्ण निरठा था। हिन्दू-धर्म की महानता, उदारता व महिम्नता के ये प्रबल प्रयोगक थे। उन्होंने हिन्दूधर्म से सम्बन्धित समस्त मान्यताओं, रीति-रिवाजों, धार्मिक धर्मों आदि का विशद अध्ययन किया था। वे हिन्दूधर्म की व्यवसायी, अज्ञानवादी तथा ज्ञान-भक्ति-धर्म की विवेकों से निरगुन दोष-

साधना की मान्यताओं के समर्थक थे। उन्होंने सनातनी होते हुए भी अनेक धार्मिक आडम्बरों का विरोध किया था। छुआछूत, विधवा-विवाह आदि ऐसी कुरीतियाँ थीं जिनको तिलक ने धार्मिक दृष्टि से असंगत पाया। वे हिन्दुओं में सामाजिक सुधार के कार्य के विरुद्ध नहीं थे किन्तु वे समाज-सुधारको की नास्तिकता अथवा धर्म के प्रति उदासीनता के विरोधी थे। समाजसुधारकों ने पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति के विदेशी प्रभाव में हिन्दू धर्म की मान्यताओं तथा हिन्दू-संस्कृति को तिरस्कृत करने का जो प्रयास किया था उसे तिलक ने राष्ट्रघाती बतलाया। वे प्राचीन मान्यताओं को आधुनिक परिस्थितियों में ढालना चाहते थे, न कि उनका त्याग करना। वे हिन्दू-धर्म की प्राचीनता को मानव जाति के समकालीन मानते थे। उनके अनुसार वेदों, उपनिषदों तथा वेदान्त की वैज्ञानिक धारणाओं में सन्देह नहीं किया जा सकता। उनमें भौतिकता का विरोध तथा आध्यात्मिकता का तार्किक समर्थन आधुनिक मानवता के मार्गदर्शन की सनातन क्षमता से युक्त है।<sup>35</sup>

तिलक ने हिन्दुओं की साम्प्रदायिक एकता पर बल दिया। वे हिन्दुओं के विभिन्न मत-मतांतरों को समन्वित कर समस्त हिन्दू मतावलम्बियों को एक जुट होने का आह्वान कर रहे थे। तिलक ने कहा था, "धर्म, घृ घातु से बना बंधन का अर्थबोधक शब्द है- धारणा करने, ग्रहण करने के अर्थ में आने वाला शब्द। एक साथ रखने या धारण करने के लिए क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, मनुष्य मनुष्य को जोड़ना या एक साथ रखना। धर्म से हमारे ईश्वर व मनुष्य के प्रति कर्त्तव्य का बोध होता है। वैदिक युग में भारत स्वावलम्बी देश था। वह एक महान् राष्ट्र की भाँति संगठित था। वह संगठन और एकता छिन्न-भिन्न हो गयी है जिससे हमारा बहुत पतन हुआ है। हमारे नेताओं का कर्त्तव्य है कि वे इस एकता को पुनर्जीवित करें।"<sup>36</sup>

तिलक ने धर्म को अति व्यापक अर्थ में देखा था। वे धर्म को संपर्प अथवा मतभेदों का जनक नहीं मानते थे। धर्म का उद्देश्य हिंसा, अपराध अथवा विद्वंस सिखाना नहीं हो सकता था। वे समाज में व्याप्त संकीर्ण साम्प्रदायिकता को दूर करने के लिए धार्मिक शिक्षण पर जोर देते थे। तिलक ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों को अपने अपने धर्म की उचित शिक्षा दिलवाने का आग्रह किया ताकि वे परस्पर धार्मिक सहिष्णुता का ज्ञान प्राप्त करें। तिलक ने पण्डिता रमाबाई द्वारा संचालित "शारदा-सदन"<sup>37</sup> की गतिविधियों का भंडाफोड़ कर यह सिद्ध किया कि धर्म की भाँड़ में ईसाई मिशनरियों द्वारा किस प्रकार अबोध हिन्दू बालिकाओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। उन्हें इस बात का खेद था कि हिन्दुओं में अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान घट रहा था क्योंकि वे स्वधर्म से अनभिज्ञ थे। तिलक के अनुसार "किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है, यदि वह उससे अनभिज्ञ है? धार्मिक शिक्षा का अभाव ही इस बात का एक मात्र कारण है कि देश भर में मिशनरियों (ईसाई पादरियों) का प्रभाव बढ़ गया है।"<sup>38</sup>

किन्तु तिलक संकीर्ण हिन्दू राष्ट्रवादी नहीं थे। उनके द्वारा महाराष्ट्र में चलाये गये जन-घान्दोलनों में उन्हें सभी सम्प्रदायों का समर्थन प्राप्त होता रहा। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ-अधिवेशन में तिलक ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों में साम्प्रदायिक समझौता करवाने का सफल प्रयाग किया। उनके सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण मुसलमानों को पृथक्

प्रतिनिधित्व देने का निर्णय कांग्रेस ने स्वीकार किया। मुसलमान नेताओं में उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। शीकत अली तथा मोहम्मद अली अपने आप को तिलक की पार्टी का ही मानते थे।<sup>39</sup> मौलाना हजरत मोहानी ने तिलक को अपना राजनीतिक गुरु माना था।<sup>40</sup> आसफ अली<sup>41</sup> तथा डा. अन्सारी ने<sup>42</sup> खिलाफत आन्दोलन के समक्ष मुसलमानों के प्रति तिलक के सहानुभूतिपूर्ण समर्थन एवं सहयोग का उल्लेख किया था। इस प्रकार तिलक ने एक धर्मनिष्ठ सनातनी हिन्दू होते हुए भी अपने धार्मिक विश्वास का अन्य सम्प्रदायों के अहित में प्रयोग नहीं किया।

तिलक ने हिन्दू सनातन धर्म को लिंग तथा जाति भेद रहित मानव स्वतन्त्रता की समानता का पोषक माना। उन्होंने सनातन धर्म को स्त्री तथा पुरुष के सम्बन्धों की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर करने वाला माना। वे वर्ण-व्यवस्था तथा आत्मिक विकास के कर्म-सिद्धांत को मानव की उर्ध्वगामी प्रगति का सूचक मानते थे। सनातन धर्म ने मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानकर अर्थ तथा काम की पिपासा संतुष्ट करने का भवसर दिया किन्तु उन्हें भी धर्म के नियमों की परिधि में रखा। वर्ण-व्यवस्था सामाजिक संगठन का निर्माण कर व्यक्ति की प्रकृति तथा उसकी प्रतिभाओं के अनुरूप उसे स्वतन्त्रता का अधिकार देती है।<sup>43</sup> धर्म के प्रति व्यक्ति की शिथिलता को दूर करने के लिए कर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है।<sup>44</sup> कर्म के अनुरूप चेतनामय जीवन मोक्ष प्रदायक है।<sup>45</sup> तिलक ने वर्णव्यवस्था को व्यक्तिगत एवं सामाजिक कर्तव्यों की पूति का अत्यन्त विकसित उदाहरण बतलाया है। वे इस आलोचना का खंडन करते हैं कि वर्ण-व्यवस्था सामाजिक भेदभाव तथा अन्याय पर आधारित है। तिलक यह कहते हैं कि यदि ईश्वर भी अद्युत प्रथा का समर्थन करे तो वे ऐसे ईश्वर को ईश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। उनका यह विचार है कि वर्ण-व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सबकी स्वतन्त्रता में परिवर्तित कर देती है। वे वर्ण-व्यवस्था को जाति-व्यवस्था से सर्वथा भिन्न मानते हुए, जाति व्यवस्था को अत्यन्त दोषपूर्ण मानते हैं। वे पान-पान में छुपा-छुत तथा अद्युतप्रथा को सनातन-धर्म जनित न मान कर ऐसी व्याधि मानते हैं जिसे सनातन-धर्म पुरातनपंथियों ने धार्मिक नित किया है। इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए सनातन धर्म का त्याग करने के स्थान पर उन रूढ़िवादियों से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। वे सनातन धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास करते हुए उसे विश्व-धर्म की संज्ञा देते हैं। विश्व में कोई अन्य धर्म ऐसा नहीं है जो भाष्यत सत्य तथा परब्रह्म की सत्ता का इतना स्थायी एवं निमल विचार प्रस्तुत करता हो।<sup>46</sup> वे सनातन धर्म को भेदभाव रहित किन्तु प्रभावपूर्ण एतना वा प्रोत्साहक मानते हैं।

तिलक ने मोक्षा-रहस्य के माध्यम से अपने आध्यात्मिक विचार प्रस्तुत किये हैं। वे यह मानते थे कि परब्रह्म के मातास्कार के अनेक मार्गों में कर्म वा मार्ग प्रधान है। ज्ञानयोग तथा भक्तियोग ईश्वर से साक्षात् स्थापित करने की श्रेष्ठता रखते हुए भी कर्म से विमुक्त नहीं हैं। व्यक्ति को ज्ञान तथा भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने भी मोक्ष-प्राप्ति के लिए कर्म वा महत्त्वपूर्ण करना होता है। उनके अनुसार प्रकृति, पुण्य एवं ईश्वर में परस्पर सम्बन्धोन्मापितता है। अनुप्य वा ईश्वर के माध्यम स्थापित होना उसे कर्म से मुक्त करके प्रेरणा देता है। तब ही ईश्वर भी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं। प्रकृति तथा

एकरूपता कर्म से ही स्थापित हो सकती है और इसके बाद पुरुष तथा ईश्वर का एकीकरण भी कर्म प्रेरित है। सृष्टि का क्रम ईश्वरेच्छा पर आधारित होने के कारण, पुरुष का कर्म भी ईश्वरीय विधान का अनुगामी है। कर्म द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है मानव सेवा कर ऐहिक बन्धनों से मुक्ति तथा चिरंतन सत्य के साथ एक रूपता। जीवन के संघर्ष से दूर रह कर एकांत-ईश्वर साधना कर्म से पलायन होने के कारण एकांगी है। कर्म का कुक्षेत्र मानव क्रियाकलापों को चुनौती देता है। कर्म के रण-प्रांगण में विजय-प्राप्ति ही मोक्ष की प्रतीक है। इस प्रकार तिलक ने मानव तथा ईश्वर को एकीकृत कर भद्वैतवाद का समर्थन किया है।<sup>147</sup>

गीता-रहस्य में कर्मयोग की विशद व्याख्या करते हुए तिलक ने यह बतलाया है कि कर्म, अकर्म और विकर्म में कर्म का अर्थ सात्त्विक कर्म, अकर्म का अर्थ राजसिक कर्म तथा विकर्म का अर्थ भ्रान्तिवश किये गये कार्य हैं। योग ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कर्मयोग इस दृष्टि से ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपयोग है। यह प्रवृत्ति-मार्ग है जो निष्काम कर्म की प्रेरणा को जीवनोपयोगी बनाता है। तिलक ने आचारनीति की समस्याओं का आध्यात्मिक विवेचन श्रेष्ठ मानते हुए सुखवाद, परार्थवाद एवं उपयोगितावाद की आलोचना प्रस्तुत की है। वे नैतिक गुणों को निरपेक्ष तत्त्व के रूप में मानते हुए उसे प्राधिदैविक एवं प्राधिभौतिक दृष्टिकोण से दूर रख उसकी तत्त्वशास्त्रीय व्याख्या पर जोर देते हैं। तिलक ने मनुष्य में स्वार्थ तथा परमार्थ दोनों ही प्रवृत्तियों का दर्शन किया है। परमार्थ की स्वार्थ पर विजय ही नैतिक मूल्यों द्वारा व्यक्ति के चरमोत्कर्ष का मार्ग है। जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना कर मानव आत्मा की शक्तियों का सकारात्मक मनुष्य को सुख और दुःख के अनित्य से मुक्त कर उसे धर्म की नित्यता का संदेश देते हैं। ऐन्द्रिक एवं भौतिक सुखों से बढ़कर आध्यात्मिक परमसुख की प्राप्ति ही श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक अन्तरचेतना के जागृत होने के पश्चात् सदासद निरूपक विवेक-शक्ति सक्रिय होती है। इसके बिना अन्तःकरण की ध्वनि नैतिक मूल्यों पर आश्रित नहीं होती। सात्त्विक, राजसिक एवं तामसिक कर्मों में मानवीय संकल्प का प्राधान्य बतलाते हुए तिलक ने सत्य की सार्वभौमिकता के आध्यात्मिक निरूपण पर कर्म की गति निर्धारित की है।<sup>148</sup>

तिलक ने परब्रह्म के सच्चिदानन्द स्वरूप की कल्पना को आध्यात्मिक चिंतन की महत्तम उपलब्धि बतलाया है। वे ऋग्वेद में वर्णित परब्रह्म के इस प्रत्ययात्मक निरूपण के सम्बन्ध में आदिशंकराचार्य के विचारों से सहमत हैं। तिलक और शंकर दोनों ही भद्वैतवादी हैं। वेदान्त में व्यक्त परब्रह्म की दृश्यमान अभिव्यक्ति को ईश्वर के रूप में तिलक ने स्वीकार किया है। आध्यात्मिक साधना के प्रथम चरण में ईश्वर की उपासना श्रेष्ठ है। इसके पश्चात् ध्यानावस्था की धरम परिणति निर्विकल्प समाधि है जिसमें निराकार परब्रह्म के सच्चिदानन्द स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तिलक ने सांख्य दर्शन के भनीश्वरवादी परब्रह्म तथा श्रीकृष्ण के ईश्वरीय अस्तित्व के वेदान्ती दृष्टिकोण का गीता में अतीव सुंदर समन्वय अनुभूत किया है। इतना ही नहीं गीता में विश्व को ब्रह्ममय मानकर माया धर्मात् कर्म को ब्रह्म का विधान माना है। मनुष्य की परब्रह्म प्राप्ति की सालमा उसके संकल्पों की स्वतन्त्रता का प्रतीक है। आध्यात्मिक साधना की

स्वतन्त्रता का प्रयोग कर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्षार्थी को कर्म त्यागने के स्थान पर अहंकार तथा स्वार्थ का त्याग करना होता है। तिलक ने गीता के भवतारवाद को स्वीकार करते हुए ईश्वर द्वारा धर्म तथा प्राणियों की रक्षा के लिए चारंबार पृथ्वी पर भवतरित होने को निष्काम कर्म का जीवंत उदाहरण माना है। गीता ने पलायनवादी धारणा को प्रश्रय नहीं दिया। कर्महीन जीवन की कोई उपादेयता नहीं। क्रोध, मद, मोह से विमुक्त मानव अपने अंतराल में विरक्ति एवं निरासक्ति धारण कर जन-सेवा के कार्य में लगा रह सकता है। यही निष्काम कर्म मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग है। ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य अथवा संन्यास में भी कर्म की स्थिति बनी रहती है। दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संन्यासी को भी विचरण करना होता है फिर कर्म से मुक्ति वहां सम्भव है।<sup>49</sup>

तिलक के अनुसार गीता में मानसिक अहिंसा का उपदेश दिया गया है। आपद्धर्म आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करता है। दुष्ट तथा पापात्माओं से परिरक्षण का प्राकृतिक अधिकार आध्यात्मसम्मत है। आध्यात्मिक चेतना के विकास में भक्ति साधन रूप में है। साध्य रूप में ज्ञान तथा कर्म को ही स्वीकार किया गया है। ईश्वर आराधना में भक्ति का अपना महत्त्व है। भक्ति परब्रह्म की चेतना की और प्राणिमात्र को प्रेरित कर अन्त में उसे स्थितप्रज्ञ की स्थिति प्रदान करती है। गीता के सम्पूर्ण भवगहन के पश्चात् तिलक ने निष्कर्ष रूप में यह व्यक्त किया है कि गीता ज्ञानभित्त समन्वित कर्मयोग का मार्ग प्रशस्त करती है।<sup>50</sup>

तिलक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण निष्काम कर्म को लोकसंग्रह अर्थात् जनसेवा में प्रयुक्त करने का रहा है। जीवन में मन और बुद्धि की शुद्धता रखकर सभी कर्मजन्य फलों को कृष्णार्पण कर देना ही उन्हें श्रेयस्कर प्रतीत हुआ है। साम्ययोग अर्थात् गिद्वान्त तथा व्यवहार में संतुलन बनाये रखने का उपक्रम मनुष्य को आध्यात्मिक सत्ता तथा सामाजिक यथार्थवाद में समन्वय स्थापित करने का अवसर देता है। गीता को आधुनिक जीवन की मार्गदर्शिका मानते हुए भारतीय स्वाधीनता-संग्राम में निर्भयता, स्वतन्त्रता, बलिदान तथा सेवा की प्रेरणा तिलक ने गीता से ही प्राप्त की है।<sup>51</sup> उनका सांघ्य तथा वेदान्त-ज्ञान उन्हें संकीर्ण सम्प्रदायवादी हिन्दू न बनाकर सार्वभौमिक मानव के रूप में परिवर्तित करने में सहायक रहा है।

### तिलक के आर्थिक विचार

तिलक के राष्ट्रवादी विचारों की मूल प्रेरणा के साथ भारत की आर्थिक उन्नति का चिन्तन सदैव जुड़ा हुआ रहा। 1897 में उन्होंने भारत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति पर विचार व्यक्त किये और भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता के हाम पर दुःख प्रकट किया। उनके अनुसार पहले निमित्त उपभोक्ता-वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत न केवल आत्मनिर्भर था अपितु उनका निर्यात भी करता था। किन्तु धनः धनः स्थिति बलवती गयी और भारत अनाज का निर्यात करने लगा। भारत अनाज का निर्यात कर वहां से निमित्त उपभोक्ता-वस्तुओं का आयात करने लगा। यह बहना कि भारत का विदेशी व्यापार बढ़ रहा था, केवल धन था। रेल, डाकतार एवं मडकों के विराम के नाम पर करोड़ों रुपये विदेशी जेबों में जा रहे थे। विदेशी मूल्य का अनुमान तथा



भारत की आर्थिक स्थिति के खोखलेपन का कारण बना। कुटीर-उद्योगों तथा अन्य प्राचीन उद्योगों का पतन प्रारम्भ हुआ। इस स्थिति का सामना करने के लिए तिलक ने स्वदेशी का उपदेश दिया। वे स्वयं स्वदेशी की प्रतिमूर्ति थे। बंग-भंग आन्दोलन के समर्थन में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार तथा प्रसार कर तिलक ने महाराष्ट्र में नवीन स्फूर्ति का संचार किया। स्वदेशी-आन्दोलन को तिलक ने ब्रिटिश दासता से मुक्ति तथा ब्रिटिश नागरिकता की सम्मान पूर्ण स्थिति प्राप्त करने का मार्ग बतलाया।<sup>52</sup> बहिष्कार द्वारा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ने की संभावना थी अतः विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तिलक की यह मान्यता थी कि भारतीय दक्षिण अफ्रीका के समान "बोयर् युद्ध" करने की क्षमता नहीं रखते किन्तु वे ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार कर इसका राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।<sup>53</sup>

स्वदेशी-आन्दोलन के कर्णधार पंजाब के कूका सम्प्रदाय के सरदार रामसिंह ने 1870 में अंग्रेजों के विरुद्ध इसी बहिष्कार की नीति का प्रयोग प्रारम्भ किया था। महाराष्ट्र में यह आन्दोलन वासुदेव बलवत फड़के ने तीव्र किया। तिलक को स्वदेशी की प्रेरणा फड़के से ही प्राप्त हुई। 1870 में महाराष्ट्र के कृषक-विद्रोह से उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए बाध्य किया।<sup>54</sup> फड़के को तिलक का वास्तविक राजनीतिक गुरु माना जा सकता है। उनके द्वारा क्रान्ति का सन्देश महाराष्ट्र की आर्थिक दुर्दशा के कारण जन-आन्दोलन का प्रतीक बन गया। 1876 से ही महाराष्ट्र में युवापीढ़ी ने एक और ब्रिटिश शासन की शोषक राजस्व-नीति के विरोध में चल रहे कृषक-आन्दोलन का समर्थन किया तथा दूसरी ओर मारवाड़ी, गुजराती तथा पारसी व्यापारियों की शोषण की परम्परा का तीव्र प्रतिकार किया। तिलक इस वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वे पत्रकारिता के माध्यम से इस कार्य में लग गये। केसरी तथा मराठा उनके सदेश-वाहक बनें। लंकाशायर के उद्योगपतियों द्वारा बम्बई के सूती वस्त्र-उद्योग को ठप्प करने के षडयन्त्रों एवं ब्रिटिश शासन की उनसे सांठगांठ का तिलक ने मराठा के माध्यम से विरोध किया। वे पूंजीवादजनित महाराष्ट्र के आर्थिक शोषण का विरोध कर समस्त भारत की आर्थिक स्थिति को परिवर्तित करने के प्रतीक बन गये। 1881 में केसरी ने भारत की धर्मजीवी जनता के आर्थिक पिछड़ेपन का चित्रण प्रस्तुत किया।<sup>55</sup> भारत के राष्ट्रीय उद्योगों को पनपाने एवं भारतीय उद्योगपतियों को संरक्षण देने की नीति का तिलक ने जीवन-पर्यन्त समर्थन किया।

तिलक ने 1887 के काप्रेस के मद्रास-अधिवेशन के समय मराठा में यह मत प्रकट किया कि भारत में तकनीकी शिक्षा का प्रसार किया जाय। भारत की जनता से निर्धनता का अन्त केवल प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना से नहीं हो सकता, उसके लिए भारत में स्थायी बन्दोबस्त किया जाय ताकि सरकारी जमींदारों के द्वारा शोषण का अन्त हो सके। वे देश में उद्योग-धन्धों की स्थापना तथा आन्तरिक व्यापार का विस्तार करने के पक्ष में थे।<sup>56</sup> उनका सुझाव था कि किसानों पर ऋण का भार कम किया जाय तथा राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना की जाय। तिलक ने भारतीय मूदगोरी के विरुद्ध बोलते हुए 1896-97 के अनाल के समय पूना के व्याघ्र विक्रंताओं की कीमते घटाने के लिए विवश किया। वे भारत के कुटीर उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए

शासन का प्रोत्साहन आवश्यक मानते थे। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए तिलक ने सिंचाई के साधनों को बढ़ाने का सुझाव दिया। वे चाहते थे कि भारत में उद्योगीकरण की गति तीव्र की जाय ताकि भारत को आर्थिक निर्गम एवं दरिद्रता से बचाया जा सके।<sup>57</sup>

तिलक ने सदैव श्रमजीवी वर्ग का हित सर्वोपरि रखा। उनके स्वदेशी-भ्रान्दोलन में किये कार्य को सराहा गया। स्वदेशी के प्रसार द्वारा तिलक भारत की श्रमजीवी जनता का भविष्य सुनिश्चित कर रहे थे। बम्बई में श्रमिकों की हड़ताल के पीछे तिलक की ही प्रेरणा थी।<sup>58</sup> 1908 में तिलक को गिरफ्तारी तथा उनके देश-निर्वासन के विरोध में श्रमिकों तथा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने ग्राम हड़ताल तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही की। लेनिन ने तिलक के समर्थन में श्रमिकों के प्रदर्शन एवं हड़ताल को भारत में सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक चेतना का उदय माना।<sup>59</sup>

तिलक ने मई-जून 1908 में कैसरी में अनेक लेख लिख कर यह सिद्ध किया कि भारत में ब्रिटिश शासन एक विदेशी शासन होने के कारण केवल राजनीतिक शक्ति का ही उपभोग नहीं कर रहा था, बल्कि उनका उद्देश्य भारत के उद्योगधर्मों को जबरन हथियाने तथा स्वहित में न होने पर नष्ट करने का भी था। जनता को कर भार से इतना दबा दिया गया था कि जीवन दूभर हो गया था। उनके अनुसार प्राचीन स्वराज्य नष्ट हो गया था, उद्योगव्यवसाय चौपट होते जा रहे थे, व्यावसायिक कुशलता तथा साहस का ह्रास हो रहा था। नवीन शिक्षा का अभाव था, अधिकारों एवं जनमत का हनन हो रहा था और वैभव एवं सतोष की समाप्ति हो गयी थी। तिलक के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन ने "दारिद्र्य", "दुष्काल", "द्रव्यशोष"—इन तीन "द" को जनता के बलात् दबाव के लिए प्रयुक्त किया था।<sup>60</sup> तिलक ने शोषण के विरुद्ध बम्बई में श्रमिकों को प्रोत्साहित किया क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि भारत की स्वाधीनता में श्रमिकों की भूमिका हराबल की रहेगी। यद्यपि तिलक समाजवादी विचारों का प्रसार नहीं कर रहे थे किन्तु समाजवादी कार्यक्रम का मानवीय पक्ष उनके भाषणों तथा लेखों से स्वतः निगृत हो रहा था।<sup>61</sup> वे रूस के श्रमिकों द्वारा 1905-1907 में की गई ग्राम हड़ताल से प्रेरणा प्राप्त कर श्रमिकों को जागृत कर रहे थे।<sup>62</sup> अतः उनके निर्वासन के समय श्रमिकों द्वारा विरोध-प्रदर्शन तथा बम्बई शहर में ग्राम-हड़ताल का कार्य स्वाभाविक था क्योंकि श्रमिक वर्ग उन्हें अपना शुभचिन्तक मानता था।<sup>63</sup>

तिलक का आर्थिक चिन्तन प्रारम्भ में पूंजीवादी-सामंतवादी व्यवस्था का विरोधी नहीं था। कालांतर में उनके आर्थिक विचारों में परिवर्तन आया। वे भूमिहीन श्रमिकों तथा श्रमिकों की दयनीय स्थिति की घोर घाट्ट छुए। उन्होंने भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की, किन्तु यह आलोचना एक पक्षीय थी। वे जहाँ अंधेरे पूंजीपतियों का विरोध कर रहे थे वहाँ अन्य उद्योगियों के समान भारतीय पूंजीपतियों के संघर्ष के लिए स्वदेशी-भ्रान्दोलन का संपादन कर रहे थे। तिलक ने साधर अपने आर्थिक चिन्तन के इन पक्ष की घोर ध्यान नहीं दिया। उनकी बड़नी हुई नीरसता एवं जन साधारण की राजनीतिक भ्रान्दोलन के लिए प्रेरित करने वाला उनका प्रभाव, नेतृत्व उन्हें जन साधारण की आर्थिक समस्याओं के मह्य से धाये। अपनी के कामपारी, मजदूरों तथा अन्य प्रकार के व्यवसायियों के हितसंबंध का पूरा

प्राप्त किया। वे समाजवाद के सैद्धान्तिक व्याख्याकार न थे किन्तु उन्होंने सहकारिता के माध्यम से कार्य करने की प्रेरणा दी। तिलक का जागृत मस्तिष्क समय-परिवर्तन का आभास प्राप्त करने लगा। बौद्धिकवाद से आतंकित प्रश्नकर्ता को उनका उत्तर था कि "भारत को बौद्धिकवाद से भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके सिद्धान्त तो शाश्वत सिद्धान्त है। गीता में भी कहा गया है कि यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति है तो वह दूसरों के हितार्थ धरोहर के समान है। उन्होंने आगे कहा था कि हिन्दू शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संचय करता है, वह पापी है। प्राचीन भारत के इतिहास से उन्होंने उन राजाओं व समृद्धिशाली व्यक्तियों के कई उदाहरण दिये जिन्होंने अपनी सम्पत्ति गरीबों को बाँट दी थी।"<sup>64</sup>

### योगदान

लोकमान्य तिलक भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिन्तन के अद्वितीय विचारक थे। शिरोल ने उन्हें 'भारत में असंतोष के जनक' के रूप में सम्बोधित करके भारतीयों की सेवा ही की थी। तिलक ने न केवल भारतीयों को शासन के रवैये के प्रति ही असंतुष्ट बनाया अपितु उन्हें अपने आपके विकास के प्रति भी संतुष्ट होकर नहीं बैठने दिया। दासता में संतोष कर बैठने वाले भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का संचालन नहीं कर सकते थे। तिलक ने उन्हें नया जीवन, नई प्रेरणाएं दी। उन्होंने अपना वर्तमान भारत के सुखद स्वप्निल भविष्य के लिए देश को अर्पित कर दिया। तिलक ने न केवल राजनीति सिखाई, न केवल धर्म का उपदेश दिया बल्कि देश के लिए सहर्ष यातनाएं सहन करने का मार्ग भी दिखाया। सुख, समृद्धि, परिवार तथा महत्वाकांक्षाओं का परित्याग कर तिलक ने वह मार्ग अपनाया जो शहीदी के निमित्त था। राजद्रोह के भयंकर अभियोग द्वारा शासन ने उनका मनोबल झुकभोरना चाहा किन्तु वे चट्टान की तरह अडिग रहे।

तिलक ने स्वराज्य की मान्यता को सैद्धान्तिक शब्दावलि से लाकर भारतीयों के होठों पर ला बिठाया। स्वराज्य की सनातन धर्म के साथ संयुक्त कर तिलक ने स्वराज्य की शाश्वतता सिद्ध की। राष्ट्रवाद की सुरसरी को भगीरथ के समान जनमानस के स्मृति-पटल पर अक्षरित कर तिलक ने भारत को पुनः एकता का सन्देश दिया। वे अनेकता में एकता का दर्शन करने वाले सहिष्णु तथा धर्मनिरपेक्ष मानव के रूप में उपस्थित हुए। गीता का अमर-सन्देश देकर भारतीयों के मानस में सुषुप्त अजुन को कर्म-मार्ग के प्रति प्रेरित किया। स्वराज्य, स्वदेशी, स्वधर्म, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पंचकोणात्मक कार्यक्रम की सफलता पूर्वक संचालित कर तिलक ने विदेशी शासन की नींव हिला दी। पत्रकारिता में निर्भयता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर तिलक ने हमें प्रकाश की ओर बढ़ाया। राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करने का श्रेय प्राप्त कर तिलक ने जन जन को राजनीतिक आन्दोलन में समाहित किया। उदारवादियों की भोक्ता तथा पर-जीवी मनोवृत्ति का विरोध कर तिलक ने पौरुष, आत्मबल तथा स्वाभिमान का संचार किया।

एक युगम एवं दूरदर्शी राजनेता के रूप के तिलक ने सममानुसार परिवर्तन एवं संघर्ष का मार्ग अपनाया। स्वराज्य की अमहयोग से प्रतिश्रियात्मक सहयोग पर आधारित किया। निष्क्रिय प्रतिरोध को संवैधानिक आन्दोलन में परिवर्तित किया।

स्वधर्म को धर्मनिरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक समन्वय के सह-प्रस्तित्व में प्रस्तुत किया। स्वराज्य प्राप्ति की लालसा उनमें जीवनपर्यन्त बनी रही। वे युग द्रष्टा थे। हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले तिलक ने गांधी जैसे उत्तराधिकारी को भी पहचान लिया था। गांधी उनके मानसपुत्र थे। गांधी ने गोखले को गुरु माना किन्तु जन सामान्य उनके क्रियाकलापों में तिलक का ही दर्शन करता रहा। लगानबन्दी, बहिष्कार, मद्यनिषेध, स्वदेशी, ग्रसहयोग आदि समस्त कार्यक्रम प्रस्तुत कर तिलक ने भविष्य के राजनीतिक प्रान्दोलन का मार्ग प्रशस्त किया।

तिलक ने राजनीति एवं विद्वत्ता का अभूतपूर्व संगम उनकी महानता एवं यशगाथा को द्विगुणित करने वाला था। उनके ग्रंथों में प्रगाढ़ पांडित्य के साथ साथ उनकी राष्ट्रीय भावनाएँ प्रकट हुई हैं। धर्मजाति के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध कर तिलक ने भारतीयों के मन की सांस्कृतिक हीनता को सदा के लिए समाप्त कर दिया। पाश्चात्यीकरण के प्रबल भ्रंशावात में तिलक ने भारतीय संस्कृति को टेक देकर भारतीयता के विनाश को रोका। सामाजिक सुधारों के शासकीय भ्रमजाल में फँसने के स्थान पर बुरादियों को स्वविवेक से समाप्त करने का प्राह्वान कर तिलक ने भारत में अंग्रेजी शासन को सामाजिक क्षेप में प्रविष्ट होने से रोका। तिलक ने ग्रसहयोग का पाठ सिखाकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रन्त को धोपणा कर दी थी। यही ग्रसहयोग कालांतर में गांधी के पूर्ण-स्वराज का मंत्र बना।

श्री मा० कृ० केलकर के अनुसार "लोकमान्य तिलक का राजनीतिक नेतृत्व दो राजनीतिक सिद्धान्तों पर आधारित था, पहला यह कि जनता को उसके अधिकारों के प्रति सचेत कर उसमें नैतिक प्रतिकार की शक्ति जागृत की जाय। दूसरा सिद्धान्त यह है कि जनता की छोटी-छोटी शिकायतों को लेकर उसमें अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध प्रसंतोष का निर्माण किया जाये और अंग्रेजों पर लोकमत का दबाव डाला जाय। उनका यह पाग्रह था कि स्वराज्य के लिए प्रायश्चय जन-इच्छा शक्ति का निर्माण होना चाहिए। युवा पीढ़ी को विचारधारा यह थी कि अंग्रेजों के साथ सशस्त्र युद्ध किया जाय। तिलक विशाल नींव पर आधारित क्रान्ति करना चाहते थे और यह भी लोगों को प्रबुद्ध करके। तिलक स्वयं क्रान्तिकारी थे परन्तु उनकी क्रान्ति व्यापक थी। तिलक का मत यह था कि यह क्रान्ति स्वराज्य-प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक शक्ति का निर्माण हुए बिना नहीं हो सकेगी। तिलक ने एक बार कहा था कि यदि स्वराज्य पाना हो तो नींव पर आधारित होना चाहिए। वह लोकतांत्रिक क्रान्ति का तत्त्वज्ञान है।

लोकमान्य के जीवन-कार्य का दूसरा अंग उनके सांस्कृतिक विचारों का है। तिलक के काल में अंग्रेजों सत्ता के साथ राजनीतिक संपर्क शुरु हो चुका था। जैसे तो पाश्चात्य विचारों के प्रभाव में उत्पन्न हुए सांस्कृतिक मूल्यों में भी भारतीय संस्कृति का गमर्ष शुरु हो गया था। बढ़ूया तिलक को सामाजिक दृष्टि में प्रतिगामी कहा जाता है, परन्तु तिलक ने उस काल में सुधारवादियों से जो प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर आज भी नहीं मिल रहा है। तिलक के दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न यह था कि भारत में धर्म ने समाज को अनुत्थानित किया है। यदि भारत को इन धर्मरहितता को हटाकर समाज-सुधार करना हो तो ऐसा सुधार समाज के मंत्रधर्म में ही किया जाना चाहिए क्योंकि विदेशी सत्ता को

अपेक्षा स्वराज्य की सरकार द्वारा किया गया सुधार अधिक स्वीकार्य सिद्ध होगा। दूसरा प्रश्न यह था कि भारत की अपनी जीवन पद्धति है। उसे बदलते समय शास्त्रीय विचार किया जाना चाहिए। अंधानुकरण काम नहीं देगा। पाश्चात्य संस्कृति का मुख्य आधार सुखवाद है। इस पर आधारित समाजसुधार को स्वीकार न करते हुए अपनी जीवन-पद्धति के अनुकूल सुधार किया जाना चाहिए। तिलक ने गीतारहस्य लिखकर समाज के जीवन, धर्म और नीति सम्बन्धी हिन्दू तत्त्व ज्ञान को समग्रतः प्रतिपादित किया और यह विचार रखा कि भारत के इस प्राचीन नीतिशास्त्र को स्वीकार किया जाना चाहिए। उनका यह विचार आज के सामाजिक सुधार के विचार की अपेक्षा अधिक मौलिक था।

तिलक आधुनिक भारतीय लोकतन्त्र के प्रणेता है। जन शक्ति ही उनकी उपासना की देवी थी। इसी कारण उनकी राजनीति लोकतन्त्र की राजनीति हुई। उन्होंने व्यक्ति की महिमा को बढ़ावा नहीं दिया। इसके विपरीत सामूहिक विचार, सामूहिक आचार तथा सामूहिक आन्दोलन ही उनकी युद्धकला का तंत्र था। यही कारण है कि तिलक भारतीय लोकशक्ति की गंगोत्री है। यही कारण है कि अंग्रेजों ने तिलक को साम्राज्यवाद का कट्टर शत्रु माना था। तिलक ने पाश्चात्य राजनीतिक आन्दोलन के माध्यम का प्रभावी उपयोग किया। लार्ड सिडनहम ने जो बम्बई के तत्कालीन गवर्नर थे, ब्रिटिश सरकार को 1908 में लिखे अपने एक गुप्त पत्र में कहा था कि 'तिलक ही ब्रिटिश साम्राज्य को उलट देने वाले पड्यत्र के मुख्य सूत्रधार हैं।'

तिलक के राष्ट्रवाद की एक अन्य विशेषता उनकी सब समुदायों की एकता है। हिन्दू-मुस्लिम संबंध, जाति-भेद, राजनीतिक दृष्टि से एकात्म भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य बाधा थी।"

तिलक "आधुनिक भारत के हरब्यूलीज तथा प्रोमेथियस"<sup>65</sup> ही नहीं अपितु "भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे।"<sup>66</sup>



### टिप्पणियाँ

1. जीवन-परिचय रामगोपाल इत लोकमान्य तिलक, (एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1965) पर आधारित।
2. वही, पृ. 43
3. एम. ए. बुच, राज्ञ एण्ड प्रोप ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, (गुड कम्पेजिशन, बड़ोदा, 1940) पृ. 45
4. बाल गंगाधर तिलक : हिज राइटिंग एण्ड स्पेचिज, (गोस एण्ड को. मद्रास, 1922, तृतीय संस्करण) पृ. 170
5. वही, पृ. 65
6. देविने रीजनर तथा गोल्डबर्ग (स.), तिलक एण्ड डी स्ट्रुगल फॉर क्रोडम, (पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1966) पृ. 318-415
7. देविने एन एन्थोलोजी ऑफ मोडर्न इण्डियन एलोक्वेन्स, पृ. 51-52
8. वही, पृ. 52-53
9. वही, पृ. 53-57
10. डी. बी. तहसानकर, लोकमान्य तिलक : कावर ऑफ इण्डियन अनरेटेड एण्ड डी मेजर ऑफ मोडर्न इण्डिया (जान मरे, सन् 1956) पृ. 128-130

11. प्रधान तथा मागवत, सोरुमान्य तिलक : ए बायोप्राफी, (जेको पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1959) :
12. राइटिंग एण्ड स्पीचिज, पृ. 64-65
13. एन. सी. केलकर, लाइफ एण्ड टाइम्स ऑफ सोरुमान्य तिलक, (मद्रास, 1928) पृ. 76
14. डी. सिरोल, इण्डिया, (मैकमिलन, लन्दन, 1926) पृ. 63
15. देखिये रीजुनर तथा गोल्डबर्ग. पृ. 654
16. वही, पृ. 561
17. राइटिंग एण्ड स्पीचिज, पृ. 261-263
18. सहमानकर, पृ. 232-235
19. डी. एम. जौल, रोमन एण्ड रिसेलिपन, (प्रेटिस हॉल, न्यूयार्क, 1963) पृ. 253
20. बाल गंगाधर तिलक, धोमदुभगवद्गीता रहस्य अर्थात् कर्मयोगशास्त्र, (तिलक बदर्न, पूना 1935) खण्ड 1, पृ. 114-128
21. वही
22. केलकर, पृ. 486-487
23. राइटिंग एण्ड स्पीचिज, पृ. 24-74
24. देखिये डी. पी. करमरकर, बाल गंगाधर तिलक : ए स्टडी, (पोपुलर बुक डिपो, बम्बई, 1956) पृ. 72-83
25. रामगोपाल, पृ. 226
26. करमरकर, पृ. 581
27. वही
28. वही, पृ. 282
29. वही
30. वही, पृ. 282-283
31. देखिये थासें होमसाय, इण्डियन नेशनलिज्म एण्ड हिन्दू सोशल रिफॉर्म, (ब्रिन्डन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1964) पृ. 164
32. विद्योदर एल. जे. डी विरोतो ऑफ बी सोरुमान्य, (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1956) पृ. 64
33. डी डी अयास्ये, डी लाइफ ऑफ सोरुमान्य तिलक, (जगन्निष्ठु प्रेस, पूना, 1921) पृ. 54-55
34. डी. एल. जे में उद्घृत 1. 71-72
35. देखिये एम. ए. बुच, डी स्पिरिट ऑफ एनसाट हिन्दू काबर, (एम. ए. बुच, बरोस, 1921) पृ. 179
36. रामगोपाल में उद्घृत, पृ. 118
37. देखिये डी. एम. गर्ना. हिन्दूइज्म डू डी एजेज, पृ. 104-105
38. रामगोपाल, पृ. 114-115
39. देखिये एल. डी. बायट (छं.), रैविजितेग्रेज एण्ड एनेडरोट्स ऑफ सोरुमान्य तिलक, खण्ड 2, (एम डी. बायट, पूना) पृ. 576
40. वही, खण्ड 3. पृ. 36-37
41. वही, पृ. 142
42. वही, पृ. 115
43. गीता एण्ड, पृ. 92-93
44. के. एच. मुंकी, जगन्निष्ठु एण्ड मोहन लाइफ (विद्या भवन, बम्बई, 1964) पृ. 101-113
45. राधाकृष्णन, डी हिन्दू डू ऑफ लाइफ. (अनविन मुसम, लन्दन, 1960) पृ. 58
46. राइटिंग एण्ड स्पीचिज, पृ. 13-14
47. गीता एण्ड, पृ. 506
48. वही, पृ. 511-556
49. वही, पृ. 552-555

50. षहो, पृ. 375-394
51. पी. नागराजा राव, कोन्टेम्पोरेरि इण्डियन फिलोसोफी, पृ. 51
52. रामगोपाल, पृ. 235
53. सहमानकर, पृ. 107
54. देखिये रोज़नर तथा गोलडबर्ग, पृ. 11
55. षहो, पृ. 36-38
56. षहो, पृ. 45-46
57. षहो, पृ. 47-48
58. षहो, पृ. 467
59. षहो, पृ. 470
60. षहो, पृ. 454-455
61. टी. बी. पार्वते, बाल गंगाधर तिलक, (नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1958) पृ. 222
62. सहमानकर, पृ. 184-185
63. रोज़नर एण्ड गोलडबर्ग, पृ. 590-591
64. रामगोपाल, पृ. 236-237
65. देखिये एस. एल. करन्दीकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक : दी हरब्यूलीज एण्ड प्रोमेथियस अंफ मोडर्न इण्डिया, (एस, एल, करन्दीकर, पूना, 1957)
66. जवाहरलाल नेहरू, टुवर्ड फ्रीडम (दी जॉन डे कम्पनी, न्यूयार्क, 1942) पृ. 35 तथा 85

लाला लाजपतराय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के दूदीके नामक स्थान पर हुआ। उनका परिवार जगदीय में रहता था। उनके पिता मुंशी राधाकृष्ण फारसी के अध्यापक थे। वे सर सैयद अहमद खां के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में कई बार इस्लाम धर्म स्वीकारना चाहा किन्तु लाजपतराय की माता गुलाबदेवी के प्रभाव से वे अपना धर्म परिवर्तन न कर पाये। लाजपतराय के बाल्यकाल में उनके पिता उन्हें कुरान पढ़ कर सुनाते और रमजान के दिनों में उनसे भी व्रत रखवाते और नमाज पढवाते। 1879 में लाजपतराय ने लुधियाना के मिशन स्कूल में प्रवेश लिया। मौलवी मोहम्मद हुसैन की दो पुस्तको कश्मिरो हिन्द तथा वाकियाते हिन्द का उन पर प्रभाव पड़ा। मुमलमानी द्वारा हिन्दुओं पर किये जाने वाले अपराचारों तथा राजपूतों की शौर्यगाथा का वर्णन इन पुस्तकों में पढ़कर लाजपतराय इस्लाम से घृणा करने लगे। लुधियाना से वे लाहौर चले गये और वहाँ के गवर्नमेन्ट कालेज से उन्होंने एन्ट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण कर 1882 में मुह्तार (कनिष्ठ वकील) बन गये।

लाजपतराय का लाहौर में प्रवास उनके विचारों का निर्माणकाल था। उनके कालेज के सहपाठी पण्डित गुरुदत्त तथा लाला हंसराज ने उनको अत्यधिक प्रभावित किया। वे हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर आकृष्ट हुए। 1882 में पंजाब के हिन्दी-उर्दू विवाद में लाजपतराय तथा उनके सहपाठियों ने हिन्दी को भारतीय राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार किया। पंजाब में उन दिनों उर्दू तथा फारसी आदि का बोल-बाला था। लाजपतराय स्वयं उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे किन्तु राष्ट्रहित में उन्होंने हिन्दी का पक्ष लिया और इसके प्रचार एवं प्रसार के लिये प्रयत्न किया। 1881-1882 में उन्होंने मुरेन्द्रनाथ बनर्जी के भाषणों का अध्ययन किया। वे बनर्जी के मतों पर दिये गये भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मत्सेनी को अपना गुरु मान लिया। मत्सेनी, मेरीबैरंडी तथा कंगूर के जीवन तथा कार्यों का उन्होंने विगद अध्ययन किया और उनसे अपने राजनीतिक जीवन का मार्ग निर्धारित किया।

लाजपतराय ने पण्डित शिवनारायण अग्निहोत्री के प्रभाव में ब्रह्ममात्र की गतिविधियों में सम्मिलित होना प्रारम्भ किया। बाद में पण्डित गुरुदत्त, लाला हंसराज तथा लाला गार्डिया ने उन्हें धर्म ममाज की ओर आकृष्ट कर लिया। धर्म ममाज की गुरुमता ने लाजपतराय के विचारों में आमूलभूत परिवर्तन ला दिया। धर्म ममाज से उन्होंने मार्क्सवादी जीवन का पाठ भी पढ़ा। धर्मों की महानता के मन्त्रों ने उनमें राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा भी धर्म ममाज से मिली। रसामी दानानन्द गुरुमती के उपदेशों का उनपर इतना प्रभाव पड़ा कि वे उन्हें गुरु-दत्तचर



50. वही, पृ. 375-394
51. पी. नामराजा राव, कोन्टेम्पोरेरि इण्डियन क्लोसोफी, पृ. 51
52. रामगोपाल, पृ. 235
53. सहमानकर, पृ. 107
54. देखिये रीजनर तथा गोल्डबर्ग, पृ. 11
55. वही, पृ. 36-38
56. वही, पृ. 45-46
57. वही, पृ. 47-48
58. वही, पृ. 467
59. वही, पृ. 470
60. वही, पृ. 454-455
61. टी. बी. पार्वते, बाल गंगाधर तिलक, (नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1958) पृ. 222
62. सहमानकर, पृ. 184-185
63. रीजनर एण्ड गोल्डबर्ग, पृ. 590-591
64. रामगोपाल, पृ. 236-237
65. देखिये एस. एल. करन्दीकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक : दो हारब्यूतोस एण्ड प्रोमेसियस आण्ड मोडर्न इण्डिया, (एस. एल. करन्दीकर, पूना, 1957)
66. जवाहरलाल नेहरू, दुबई कीडम (दी जॉन डे कम्पनी, न्यूयार्क, 1942) पृ. 35 तथा 85

## लाला लाजपतराय (1865-1928)

लाला लाजपतराय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के दूदीके नामक स्थान पर हुआ। उनका परिवार जगराँव में रहता था। उनके पिता मुंशी राधाकृष्ण फारसी के अध्यापक थे। वे सर सैयद अहमद खाँ के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में कई बार इस्लाम धर्म स्वीकारना चाहा किन्तु लाजपतराय की माता गुलाबदेवी के प्रभाव से वे अपना धर्म परिवर्तन न कर पाये। लाजपतराय के बाल्यकाल में उनके पिता उन्हें कुरान पढ़ कर सुनाते और रमजान के दिनों में उनसे भी व्रत रखवाते और नमाज़ पढ़वाते। 1879 में लाजपतराय ने लुधियाना के मिशन स्कूल में प्रवेश लिया। मौलवी मोहम्मद हुसैन की दो पुस्तकों कश्शिये हिन्द तथा धाकियाते हिन्द का उन पर प्रभाव पड़ा। मुगलमानीों द्वारा हिन्दुओं पर किये जाने वाले अत्याचारों तथा राजपूतों की शौर्यगाथा का वर्णन इन पुस्तकों में पढ़कर लाजपतराय इस्लाम से घृणा करने लगे। लुधियाना से वे लाहौर चले गये और वहाँ के गवर्नमेन्ट कालेज से उन्होंने एन्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण कर 1882 में मुह्तार (कनिष्ठ वकील) बन गये।

लाजपतराय का लाहौर में प्रवास उनके विचारों का निर्माणकाल था। उनके कालेज के सहपाठी पण्डित गुरुदत्त तथा लाला हंसराज ने उनकी अत्यधिक प्रभावित किया। वे हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर आकृष्ट हुए। 1882 में पंजाब के हिन्दी-उर्दू विवाद में लाजपतराय तथा उनके सहपाठियों ने हिन्दी को भारतीय राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार किया। पंजाब में उन दिनों उर्दू तथा फारसी आदि का बोल-बाला था। लाजपतराय स्वयं उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे किन्तु राष्ट्रहित में उन्होंने हिन्दी का पक्ष लिया और इसके प्रचार एवं प्रसार के लिये प्रयत्न किया। 1881-1882 में उन्होंने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के भाषणों का अध्ययन किया। वे बनर्जी के मत्सेनी पर दिये गये भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मत्सेनी को अपना गुरु मान लिया। मत्सेनी, शेरीबैल्डी तथा कँवूर के जीवन तथा कार्यों का उन्होंने विशद अध्ययन किया और उनसे अपने राजनीतिक जीवन का मार्ग निर्धारित किया।

लाजपतराय ने पण्डित शिवनारायण अग्निहोत्री के प्रभाव में ब्रह्मसमाज की गतिविधियों में सम्मिलित होना प्रारम्भ किया। बाद में पण्डित गुरुदत्त, लाला हंसराज तथा लाला साईदास ने उन्हें आर्य समाज की ओर आकृष्ट कर लिया। आर्य समाज की सदस्यता ने लाजपतराय के विचारों में आमूलभूत परिवर्तन ला दिया। आर्य समाज से उन्होंने सार्वजनिक जीवन का पाठ सीखा। आर्यों की महानता के संदेश ने उनमें राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा भी आर्य समाज से मिली। स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशों का उनपर इतना प्रभाव पड़ा कि वे उन्हें युग-प्रवर्तक

तथा भारत के गौरवपूर्ण अतीत का सन्देशवाहक मानने लगे। स्वामी दयानन्द की मृत्यु पर लाहौर के आर्यसमाज द्वारा आयोजित शोकसभा में उनके उक्त उद्गार प्रकट हुए। लाजपतराय आर्यसमाज के अोजस्वी वक्ताओं में गिने जाने लगे। वे लाहौर से जगरांव तथा वहां से रोहतक चले गये और रोहतक में उन्होंने अपनी वकालत के साथ-साथ रोहतक आर्यसमाज का कार्य भी देखना प्रारम्भ किया। वे लाहौर में दयानन्द एंग्लोवैदिक कालेज की स्थापना के लिये धन एकत्र करने लगे। 1886 में वे मुज्जार से बकील बन गये और उन्होंने हिसार में अपनी वकालत प्रारम्भ की। वे 1892 तक हिसार में रहें और वहां वकालत से अपनी धनराशि अर्जित की। वे हिसार की म्युनिसिपल कमेटी के अवैतनिक सचिव भी बनाये गये।

लाजपतराय ने 1888 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। जाजं मूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में सम्पन्न यह अधिवेशन लाजपतराय के राजनीतिक जीवन का शुभारम्भ था। अधिवेशन के पहले लाजपतराय ने सर सैयद ब्रह्मद खां की कांग्रेस-विरोधी नीति तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता के विपरीत मुस्लिम हितसंरक्षता की धारणा को 'छुले पत्रों के माध्यम से कटु आलोचना का विषय बनाया। सर सैयद की राजनीतिक कलावाजी का पर्दाफाश करने के कारण लाजपतराय कांग्रेसजनों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गये। बाद में स्वयं ए० प्रो० ह्यूम ने लाजपतराय के उन छुले पत्रों को प्रकाशित करवाकर बंटवाया। इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने विधायी परिषदों के विस्तार एवं उनके सुधार पर अपने विचार व्यक्त किये। 1889 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में लाजपतराय ने तिलक के एक संशोधन का समर्थन किया। यहीं उनका तिलक, गोधले तथा बिपिन चन्द्र पाल से व्यक्तिगत परिचय हुआ।

पंजाब में आर्य समाज के कांग्रेस-विरोधी दृष्टिकोण के कारण लाजपतराय ने भी 1889 से 1892 तक कांग्रेस के कार्य में रूचि नहीं दर्शाई। पंजाब के आर्यसमाजियों का यह तर्क था कि कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। उनकी यह भी धारणा थी कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत हिन्दू-मुस्लिम एकता का विचार हिन्दुओं को राजनीतिक दृष्टि से दुर्बल बना सकता था। वे भारत के पड़ोसी देशों में इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति के समक्ष भारत के हिन्दुओं की असंगठित स्थिति से चिन्तित थे। लाजपतराय ने पंजाब आर्य समाज के उपरोक्त रवैये का समर्थन किया था। आर्य समाज को गैर-राजनीतिक संस्था के रूप में उभारने का प्रयास किया जा रहा था ताकि पंजाब में आर्य समाज की बढ़ती हुई लोकप्रियता सरकार की आंख की किरकिरी न बन जाये। उस समय अनेक सरकारी कर्मचारी आर्यसमाज के सदस्य थे। यदि सरकार का रूख आर्यसमाज विरोधी बन जाता तो इन राजकीय कर्मचारियों को आर्यसमाज में अपना सम्बन्ध तोड़ना पड़ता जो कि स्वयं आर्यसमाज की लोकप्रियता एवं सदस्य संख्या घटने का कारण बन जाता। इस प्रकार लाजपतराय तथा उनके सहयोगी आर्यसमाजियों ने अपने आपको कांग्रेस की राजनीति से कुछ समय के लिये पृथक रखा।

1892 में लाजपतराय लाहौर में आकर बस गये और वहीं वकालत करने लगे। वकालत के साथ-साथ वे आर्यसमाज के कार्यों में पूरी रूचि लेते रहे। पंजाब में आर्यसमाज में साम्प्रदायिक भोजन तथा संस्कृत-अंग्रेजी माध्यम को लेकर जो विवाद-द्विद्धा, उससे

धार्मसमाज में दो गुट बन गये। एक गुट लाला मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) के नेतृत्व में शुद्ध शाकाहारी भोजन तथा शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल-पद्धति तथा संस्कृत को शिक्षा का माध्यम बनाने का समर्थक था, तो दूसरी ओर लाला हंसराज भादि का गुट था जो मांसाहार, अंग्रेजी के पठन-पाठन तथा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने के पक्ष में था। लाजपतराय दूसरे गुट से सम्बन्धित थे। यद्यपि लाजपतराय लाहौर धार्मसमाज के सचिव के रूप में इन दोनों गुटों के प्रति तटस्थ रहना चाहते थे किन्तु अधिक समय तक तटस्थ नहीं रह सके। उनके विचार लाला हंसराज के गुट से मिलते थे। लाला लाजपतराय तथा लाला हंसराज भादि के प्रयासों से ही पंजाब में डी० ए० वी० शिक्षण सस्थाओं का जाल बिछ गया था। उन्होंने 1886 में डी० ए० वी० कालेज, लाहौर की स्थापना की थी। धार्मसमाज का यह कालेज-गुट स्वामी श्रद्धानन्द के गुट से भ्रमण हो गया और इस गुट ने 1893 में धार्मसमाज का भ्रनारकली, लाहौर में पृथक कार्यालय स्थापित कर दिया। लाला लाजपतराय भ्रनारकली धार्मसमाज के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने डी० ए० वी० कालेज समिति के महासचिव के रूप में स्थान-स्थान का भ्रमण कर कालेज के लिए धन एकत्रित किया। उन्होंने दयानन्द एंग्लो-वैदिक कालेज समाधार का सम्पादन किया और लाला हंसराज के साथ धार्मसमाज गजट का सह-सम्पादन किया। 1897 में धार्मसमाज के प्रचारक पण्डित लेखराज की किसी मुसलमान द्वारा हत्या कर दी गयी। इस हत्याकाण्ड ने धार्मसमाज के दोनों गुटों को एक होने के लिये प्रेरित किया। लाजपतराय ने हत्यारे को पकड़वाने का धार्मसमाज की ओर से प्रयास किया किन्तु लाहौर के मुसलमान रईसों तथा मौलवियों ने हत्यारे को संरक्षण देकर उसे भगने का अवसर दे दिया और धार्मसमाज के सभी प्रयत्न विफल कर दिये।

1897-98 में लाजपतराय ने मध्य प्रान्त में फैले भ्रकाल के समय धार्मसमाज की ओर से सहायता कार्य किया और सैकड़ों दुर्भिक्षपीडित भ्रनाय बच्चों को ईसाई मिशनरियों के हाथ पढ़ने से बचाया। 1899-1900 में पुनः दुर्भिक्ष का भयंकर दौर फैला। इस बार दुर्भिक्ष ने पंजाब, मध्य प्रान्त, राजपुताना तथा संयुक्त प्रान्त में भ्रपना नग्न तांडव दिखाया। लाजपतराय ने धार्मसमाज की ओर से हजारों भ्रबोध भ्रनायों को ईसाइयों से बचाया और भ्रकाल-पीडित क्षेत्र में धन, भ्रन्न तथा भ्रन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में वितरण किया। भारत सरकार द्वारा गठित दुर्भिक्ष आयोग (1901) के समक्ष लाजपतराय ने साक्ष्य दिया और सरकार ने उनका दिया यह सुझाव स्वीकार किया कि दुर्भिक्ष के समय भ्रनाय एवं निराश्रित बच्चों को तब तक भ्रन्य संस्थाओं एवं धर्मविलम्बियों के सुपुर्दे न किया जाय, जब तक उनके स्वयं के धर्म से सम्बन्धित संस्था उन्हें अपने संरक्षण में लेने में भ्रसफल सिद्ध न हो जाय। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद् के कलकत्ता अधिवेशन (1901) में हिन्दुओं को भ्रकालपीडित भ्रनायों की सहायता में ईसाई मिशनरियों से पीछे रहने के लिये लाजपतराय ने लताड़ा।

1896-1898 के मध्य लाजपतराय ने उर्दू में मत्सेनी, गैरीबेल्डी, शिवाजी, दयानन्द तथा श्रीकृष्ण की जीवनियां लिखी। 1896 में उत्तर भारत में फैले भ्रकाल के समय तथा 1899 के राजपुताना दुर्भिक्ष में लाजपतराय ने स्मरणीय सेवा की और भ्रनाय बालकों को ईसाई मिशनरियों के हाथ बिकने से बचाया। इसके पूर्व 1895 में लाजपतराय

ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में सहयोग दिया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (1900) ने लाजपतराय को पुनः कांग्रेस की धोर आकृष्ट किया। इस अधिवेशन में उन्होंने शिक्षा तथा औद्योगिक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए कम से कम आधा दिन निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने इस कार्य के लिये दो समितियाँ बनाई—एक औद्योगिक समिति तथा दूसरी शैक्षिक समिति। पहली समिति में लाजपतराय, फिरोजशाह, मदनमोहन मालवीय व दीनशा वाचा सदस्य बनाये गये और दूसरी समिति में लाजपतराय, तिलक, गोखले तथा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को सदस्य बनाया गया। इस अधिवेशन में लाजपतराय तथा तिलक अत्यधिक निकट आये और उनकी घनिष्ठता आगे जाकर कांग्रेस की 'लाल-बाल-पाल' की त्रिमूर्ति में प्रकट हुई। लाजपतराय ने कांग्रेस के संवैधानिक आन्दोलन की झालोचना की। वे व्यापक राजनीतिक आन्दोलन चलाने के पक्ष में थे। पंजाब में जनमत जागृत करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में पंजाबी अर्द्धसाप्ताहिक का 1904 में प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्र के सम्पादक के० के० अयावले को तिलक की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन (1904) में इंग्लैंड में ग्राम चुनावों के समय भारत-समर्थक जनमत जागृत करने के लिये एक प्रति-निधिमण्डल भेजने का निर्णय किया गया। गोखले तथा लाजपतराय इसके सदस्य बनाये गये। 1905 के मध्य में गोखले तथा लाजपतराय ने इंग्लैंड के अनेक स्थानों पर श्रमिकों तथा मध्यमवर्गीय जनसभाओं के समक्ष भाषण दिये। लाजपतराय प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ इंडिया हाउस, लन्दन में ठहरे। श्यामजी ने उनका परिचय हैनरी मेयर्स हाइंडमैन से करवाया। हाइंडमैन इंग्लैंड के ख्यातिप्राप्त उग्र समाजवादी नेता तथा इंग्लैंड के प्रथम समाजवादी दल सोशल डिमोक्रेटिक फंडेशन के संस्थापक थे। उनकी यह मंत्री महत्वपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि लाजपतराय के समाजवादी विचारों का यही से प्रारम्भ हुआ। लाजपतराय का इंग्लैंड के जिन अन्य समाजवादी विचारकों से घनिष्ठ परिचय रहा वे थे कीरहार्डी, जोसिया वैंजवुड, लेन्सबरी, ब्रेडलॉ तथा रेमसे मैकडोनाल्ड। लाजपतराय को ब्रिटेन के श्रमिकदल तथा आयरिश नेताओं से भारत में स्वशासन की स्थापना के लिये अधिक सहयोग की आशा थी। वे ब्रिटिश उदारवादियों के भारत के प्रति दृष्टिकोण से अधिक आशान्वित न थे। इंग्लैंड में लाजपतराय ने लंका-शायर, केटरिंग तथा लिंकनशायर में भारत के प्रति भाषण दिये। वे एक महीने के लिये इंग्लैंड से अमेरिका भी गये। वहाँ न्यूयार्क, फिलेडेल्फिया तथा बोस्टन में उन्होंने अमेरिका निवासियों के समक्ष भाषण दिये। भारत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति के लिए अंग्रेजी शासन को उत्तरदायी ठहराते हुये लाजपतराय ने शासन की तीव्र निन्दा की। उनके बोस्टन में दिये गये भाषण को भारत सरकार के गुप्तचर विभाग ने 'धोर आपत्तिजनक' बतलाया।

स्वदेश लौटकर लाजपतराय ने लाहौर में आर्यसमाज द्वारा आमंत्रित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुये भारतीयों को अपने बलिदान की वेल को रक्त तथा त्याग से सिंचित करने का आह्वान किया। इसी वर्ष लाजपतराय ने लाहौर से थंवेमातरम् दैनिक-पत्र का उद्घाटन में प्रकाशन आरम्भ किया। 1905 का वर्ष लाल-बाल-पाल की त्रिमूर्ति की व्यापक लोकप्रियता का वर्ष था। इसी वर्ष लाड कर्जन की राष्ट्रघाती नीति ने बंगाल का विभाजन कर भारतियों के जनमानस को उद्वेलित कर दिया। सरकार के दमनचक्र ने

कांग्रेस के उग्रवादी नेतृत्व को उभारा। लाजपतराय ने बग-भंग-भ्रान्दोलन के समय जनता को जागृत किया और ब्रिटिश शासन की मनमानी एवं दमनकारी नीति को रूस की जारशाही के समान बताया। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा का देश-व्यापी कार्यक्रम उग्रवादियों की ही देन थी। लाजपतराय ने बहिष्कार को जनता का बौद्धिक शस्त्र माना। उन्होंने सरकार की साम्प्रदायिक नीति का विरोध कर हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार किया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन (1905) में लाजपतराय ने उदारवादियों की 'प्रार्थना तथा याचिकाओं' की नीति का विरोध करते हुये कांग्रेस के मंच से 'निष्क्रिय प्रतिरोध' की नीति अपनाने का आग्रह किया। लाजपतराय ने उदारवादियों को भीरुता का त्याग कर देश के लिये कट्ट उठाने को ललकारा। तिलक ने लाजपतराय का समर्थन किया। तिलक द्वारा 'निष्क्रिय प्रतिरोध' का शब्द लाजपतराय के उद्गारों के एक वर्ष पश्चात् कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (1906) में प्रयोग में लाया गया था। इस अर्थ में लाजपतराय तिलक के अग्रणी थे।

1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के समय तिलक लाजपतराय को अध्यक्ष निर्वाचित कराना चाहते थे। उदारवादियों ने इसे उग्रवादियों द्वारा कांग्रेस पर एकाधिकार करने की योजना का अंग माना और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने दादाभाई नौरोजी को इंग्लैण्ड से तार द्वारा कलकत्ता बुलाया ताकि वे अध्यक्ष-पद सम्हालकर कांग्रेस को उग्रवादियों से बचायें। कलकत्ता अधिवेशन में बंगाल के उग्रवादी नेता विपिन चन्द्र पाल, तिलक तथा लाजपतराय के प्रभाव के कारण दादाभाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कर उग्रवादियों के विरोध को शांत करने का प्रयास किया। लाजपतराय ने कलकत्ता से लौटकर पंजाब सरकार के लैंड एलियनेशन तथा कोलोनाइजेशन कानूनों के विरुद्ध किसानों का जनमत तैयार किया। पंजाब के किसानों में व्याप्त असंतोष को सही नेतृत्व मिला और पंजाब में व्यापक प्रदर्शन हुये। अंग्रेजी शासन हिल उठा। पंजाब के इस असंतुष्ट प्रदेश से भारतीय सेना में सिपाहियों की भर्ती सर्वाधिक की जाती थी। शासन भयभीत हुआ, क्योंकि विद्रोह की यह आग सेना में भी फैल सकती थी। दमनचक्र प्रारम्भ हुआ और लाजपतराय तथा किसान नेता अजीतसिंह (शहीदे आज़म भगतसिंह के चाचा) को बंगाल रेग्यूलेशन एक्ट (1818) के अन्तर्गत, भारत के सम्राट के प्रदेशों में खलबली मचाने के आरोप में, देश निकाला दे दिया गया। दोनों को बिना मुकदमा चलाये वर्मा के माण्डले नामक स्थान पर दुर्ग में बन्दी रखा गया; किन्तु उनके देश-निकाले को लेकर ब्रिटिश संसद, भारतीय प्रशासन तथा जनसामान्य में जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई, वह अपने आप में ऐतिहासिक थी। विवश होकर लार्ड मिन्टो ने लार्ड मोर्ले के दबाव में पंजाब के काले कानूनों को रद्द किया और लाजपतराय विजेता के रूप में माण्डले से लाहौर पहुंचे। उनके लाहौर पहुंचने पर सारे शहर में दीपावली मनाई गई।

कांग्रेस के सूरत अधिवेशन (1907) में तिलक ने लाजपतराय को पुनः अध्यक्ष बनाना चाहा किन्तु फिरोजशाह मेहता के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। इस पर अरविन्द घोष ने सूरत कांग्रेस को छिन्न-भिन्न करवा दिया और अब कांग्रेस दो दलों में स्पष्टतः विभक्त हो चुकी थी। लाजपतराय ने दोनों दलों में समझौता कराने का प्रयास किया, किन्तु दोनों ही दल हठधर्मिता का मार्ग अपनाते हुये थे। ब्रिटिश शासन का दमनचक्र

उग्रवादियों पर चलना प्रारम्भ हुआ। प्ररविन्दघोष, तिलक तथा विपिनचन्द्र पात बन्दी बना लिये गये। लाजपतराय ने देश का वातावरण देखते हुये विदेश चले जाना श्रेयस्कर समझा। एक वर्ष बाद लौटने पर लाजपतराय ने राजनीतिक गतिविधियों को शिथिल कर अपना 1911 से 1913 का समय अछूतोद्धार तथा हिन्दुओं को संगठित करने में लगा दिया। 1913 में लाजपतराय ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दक्षिण-अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की समस्या पर अत्यन्त श्रोजस्वी भाषण दिया जिसकी तुलना सी० वाई० चिन्तामणि ने लॉयड जॉर्ज के सर्वश्रेष्ठ भाषणों से की। लाईं हाडिंग पर बम फेकने की घटना में सम्बन्धित व्यक्तियों का उनसे सम्बन्ध होने के कारण वे पुनः विदेश जाने की तैयारी करने लगे। सरकार उनके विरुद्ध तथ्य न जुटा पाई और लाजपतराय कांग्रेस के प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में इंग्लैण्ड भेजे गये। इंग्लैण्ड में उनका विचार केवल कुछ माह रुकने का था, किन्तु इसी बीच प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया। युद्ध के समय भारत के जाने-माने व्यक्तियों द्वारा ब्रिटिश शासन का तन-मन-धन से समर्थन उन्हें रुचिकर न लगा। वे पुनः भारत लौटना चाहते थे, किन्तु युद्ध के कारण विचार बदल दिया और वे इंग्लैण्ड से अमेरिका चले गये। अमेरिका में लाजपतराय ने अपने अनेक प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना की। वे कुछ समय के लिये जापान भी गये और प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस को उन्होंने सुरक्षा दिलवाई। जापान से पुनः अमेरिका लौटने पर लाजपतराय ने अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। "यंग इंडिया" पत्रिका निकाली और उसका सम्पादन भी किया। उनके सहयोग तथा सुध्रुपा के लिये हाडॉकर, जो कि बाद में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक दल के संस्थापक बने, विद्यमान थे। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान लाजपतराय ने मानवेन्द्रनाथ राय की आर्थिक सहायता देकर उनको भाषी योगदान के लिए प्रेरित किया। लाजपतराय ने विदेशों में कार्यरत भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की भर्त्सना की। अमेरिका में गदर पार्टी द्वारा जर्मनी से आर्थिक तथा सैन्य सहायता प्राप्त कर भारत को स्वतन्त्र कराने की योजना बनायी जा रही थी और गदर पार्टी के कार्यकर्त्ता लाजपतराय का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, किन्तु लाजपतराय ने उनका साथ नहीं दिया। लाजपतराय ने गदरपार्टी के सदस्यों को जर्मनी से प्राप्त धन का अपने मौज-शौक के लिये प्रयोग करने के लिए लताड़ा और विदेशों में भारत की स्थिति को हास्यास्पद बनाने का दोषी ठहराया। लाजपतराय ने स्वयं अपने प्रयत्नों से सैद्धान्तिक तरीकों से भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति का व्यापक कार्यक्रम चलाया। अमेरिका की प्रबुद्ध जनता ने लाजपतराय का अपूर्व सम्मान किया और उन्हें अपना ययासम्भव सहयोग दिया। युद्ध की समाप्ति पर लाजपतराय इंग्लैण्ड होते हुये भारत लौटना चाहते थे, किन्तु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पासपोर्ट देने से मना कर दिया। ब्रिटिश संसद में श्रमिक-दल के दबाव के कारण उन्हें भारत लौटने की अनुमति प्राप्त हुई।

1920 में भारत लौटने पर लाजपतराय का देशव्यापी स्वागत किया गया। उनका नाम 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता में होने वाले विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया गया। लाजपतराय को 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता का तिलक का प्रस्ताव अनिच्छा से अस्वीकार करना पड़ा। 1914 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता का प्रस्ताव भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, किन्तु 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की

अध्यक्षता उन्हें स्वीकार करनी पड़ी। सितम्बर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन ऐतिहासिक माना गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी का असहयोग का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया और इसके बाद गांधीजी भारत के राष्ट्रीय जीवन पर छा गये। लाजपतराय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पंजाब के जालियावाला बाग हत्याकांड के लिये जनरल डायर तथा उपराज्यपाल माइकेल ओटावर पर खुले आरोप लगाये तथा उनकी बर्खास्तगी के साथ साथ तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को उक्त कांड का सहभागी होने के कारण पदत्याग करने का सुभाव दिया। लाजपतराय गांधीजी के सत्याग्रह-आन्दोलन के प्रशंसक होते हुये भी पूर्णतः अनुगामी नहीं थे। लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजनदास, श्रीमती एनी बेसेन्ट आदि कांग्रेस के चोटी के नेताओं ने गांधीजी के असहयोग प्रस्ताव को गिराने का विचार किया था, किन्तु गांधीजी ने अपार धन तथा जनसमर्थन अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए जुटा लिया था। उसी वर्ष दिसम्बर के नागपुर अधिवेशन में लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजनदान ने गांधीजी के कार्यक्रम का समर्थन कर दिया। 1920 में लाजपतराय ने न्यूयार्क के रैण्ड स्कूल के समान 'तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स' की लाहौर में स्थापना की। 1922 में उन्होंने गोखले का अनुसरण करते हुए सर्वेन्ट्स ऑफ पीपुल सोसायटी लाहौर में स्थापित की। इस संस्था ने आगे चलकर भारत के अनेक कर्मठ राजनेताओं को समाज-सेवा के कार्य में प्रशिक्षित किया। लालबहादुर शास्त्री भी इसी संस्था की देन थे। असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित छात्रों को राष्ट्रीय कार्य में प्रशिक्षित करने के लिए लाजपतराय ने 'नामिलवर्स्तन प्राधम' की स्थापना की। 1921 में लाजपतराय असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित हुए और उन्हें अट्ठारह महीने का कारावास दिया गया। उनके विरुद्ध अभियोग सिद्ध नहीं हुआ, अतः वे मुक्त कर दिये गये किन्तु जेल से निकलते ही उन्हें अन्य आरोप में गिरफ्तार कर पुनः दंडित किया गया। इस बार उन्हें दो वर्ष का कारावास दिया गया। गांधीजी द्वारा चोरीचोरा कांड के कारण असहयोग आन्दोलन सहसा समाप्त करने का लाजपतराय ने तीव्र विरोध किया। गांधीजी के अहिंसक आन्दोलन को लाजपतराय नीति के रूप में ही स्वीकार करते थे, वे अपने आपको गांधीवाद से प्रतिबद्ध करना स्वीकार नहीं करते थे। लाजपतराय तथा गांधीजी के मध्य वैचारिक अन्तर की खाई बढ़ती गई। खिलाफत के प्रश्न पर भी वे गांधीजी के विरोध में रहे। उन्हें राजनीति में धर्म का प्रयोग उचित नहीं लगता था। जनता का सही मार्ग-दर्शन करने की दृष्टि से लाजपतराय ने लाहौर से अंग्रेजी साप्ताहिक 'दी पीपुल' का सम्पादन एवं प्रकाशन 5 जुलाई 1925 को आरम्भ किया।

1925 में लाजपतराय ने स्वराज्य दल के समर्थन पर चुनाव लड़ा और वे केन्द्रीय धारासभा के सदस्य निर्वाचित हुये। उसी वर्ष लाजपतराय ने पंडित मदनमोहन मालवीय के साथ हिन्दू महासभा का गठन किया जिसका पहला अधिवेशन बनारस में सम्पन्न हुआ। लाजपतराय कांग्रेस में रहकर हिन्दुओं को संगठित करने की नीति के विरोधी न थे। ब्रिटिश शासन द्वारा मुसलमानों को तुष्ट करने की नीति पंजाब तथा बंगाल की हिन्दू जनता को घनाथ एवं मुसलमानों की हिंसा का शिकार बना रही थी। लाजपतराय हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा धर्मनिरपेक्षता के कट्टर समर्थक थे, किन्तु वे हिन्दुओं को संगठित करने के कार्य में पीछे नहीं रहना चाहते थे। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी हिन्दू



द्वारा अपने हिन्दू बने रहने के अस्तित्व को मिटाना नहीं था। उनके नेतृत्व में हिन्दू महासभा ने सामाजिक सुधारों का कार्य किया और अपने आपको राजनीतिक कार्यक्रम से दूर रखा। लाजपतराय ने बाद में स्वराज्यदल से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू का हठधर्मितापूर्ण व्यवहार उन्हें उचित नहीं लगा। उन्होंने एक स्वतंत्र दल मालवीयजी के साथ मिलकर स्थापित किया और स्वराज्यदल को निर्वाचन में करारी मात दी। साम्प्रदायिक राजनीति के अनुपम अध्येता लाजपतराय ने 1923 में मुसलमानों की पृथकतावादी नीति को देखते हुये भारत के विभाजन का पूर्वाभास दिया जिसमें पंजाब, बंगाल, तथा सिंध को पृथक मुस्लिम राज्यों के रूप में दर्शाया गया था। यह लाजपतराय की दूरदृष्टि एवं परिपक्व राजनीतिक दूरदर्शिता का ही प्रतीक था कि 1947 में होने वाले भारत-विभाजन का उन्होंने इतने वर्ष पहले पूर्वाभास प्राप्त कर भारतीयों को इस विभाजन को रोकने की चेतावनी दी थी, किन्तु उस समय भारत के दिग्गज नेताओं ने इस प्रश्न की गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया और बाद में इसके भयंकर परिणाम हमारे सामने आये।

लाजपतराय ने 1926 में जिनेवा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अफ्रीका तथा अमेरिका में मजदूरों की स्थिति की जांच करवाने तथा भारत में सम्मेलन द्वारा एक संवाददाता नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने 'पूर्व में मजदूरों की स्थिति' पर भाषण दिया और भारत में राज्यों तथा रियासतों में बेगार प्रथा की ओर सम्मेलन का ध्यान आकर्षित किया। वहाँ से लाजपतराय बर्लिन माइड्रेशन कांग्रेस में भाग लेने के लिए इंग्लैण्ड गये और वहाँ उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में रंग-भेद की समस्या पर भाषण दिया। वे जिनेवा की बर्लिन पार्लियामेन्ट्स यूनियन से भी सम्बद्ध रहे। इसके पूर्व लाजपतराय भारत में 'ग्राल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' की स्थापना में सहयोगी रहे। वे इसके बम्बई में होने वाले प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। उनका भारत के श्रमिक-आन्दोलन को अनुपम योगदान रहा। एक और जहाँ उनका केन्द्रीय धारा-सभा का कार्यकाल अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश शासन की तीव्र आलोचना से शीतप्रोत रहा वहीं उन्होंने साइमन कमिशन के बहिष्कार-सम्बन्धी अपने प्रस्ताव को केन्द्रीय धारा-सभा में पारित करवा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन आयोग के विरुद्ध लाहौर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज से लाजपतराय की छाती पर संगीन चोटें लगी। समस्त ब्रिटिश शासन जैसे लाजपतराय को अपने मार्ग से हटाने के प्रयास में लगा हुआ था। लाजपतराय ने इस घटना के दिन शाम को लाहौर की सभा में जोशीला भाषण देते हुए कहा था "हमारे शरीर पर पड़ी हुई एक-एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक-एक कील सिद्ध होगी।...यदि मैं मर गया और उन नवयुवकों ने जिनको मैंने काबू में रखा हुआ था, कोई अन्य मार्ग ग्रहण करने का निश्चय किया, तो मेरी आत्मा उनके कार्य को आशीर्वाद देगी।" इसी साघातिक चोट के कारण लाजपतराय का 17 नवम्बर, 1928 को निधन हो गया। उनकी मृत्यु के ठीक एक महीना पूरा होते ही चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगतसिंह ने लाजपतराय पर लाठी प्रहार करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांण्डर्स की पुलिस कार्यालय के सामने हत्या कर दी। देश के वयोवृद्ध लोकप्रिय नेता के अपमान का बदला चुका लिया गया।<sup>1</sup>

जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में "भगतसिंह, केवल अपने घातकवादी कार्य से प्रसिद्ध नहीं हुये, अपितु इससे हुये कि उन्होंने लाला लाजपतराय के सम्मान तथा उनके माध्यम से राष्ट्र का बदला लिया था।"<sup>2</sup>

### राजनीतिक विचार

लाला लाजपतराय ने कांग्रेस में एक उदार दलीय के रूप में प्रवेश लिया। उन दिनों बिपिनचन्द्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक भी अपने विचारों में उदारवादियों के समान ही थे। किन्तु कांग्रेस के कर्णधारों के ब्रिटिश शासन के प्रति असीम भक्ति-भाव ने उन्हें कांग्रेस की राजनीति के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाने के लिये बाध्य किया। लाजपतराय का राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा उनकी आंतरिक देशभक्ति ने उन्हें ब्रिटिश शासन का कटुतम विरोधी बना दिया और अपने विद्रोही स्वर को व्यक्त करते हुये वे उदारवादियों की भ्रष्टावृत्ति के विरोधी बन गये। उनका ब्रिटिश शासन के 'न्याय एवं सद्व्यवहार' में विश्वास नहीं रहा। वे 'प्रार्थना तथा याचना' की नीति के बजाय आत्मविश्वास, स्वावलम्बन तथा स्वराज्य से प्रेरित हुये। उपराष्ट्रवादियों ने भारत के जनमानस की शक्ति का आभास लिया। वे भारत के निवासियों की मौलिक एकता, उनके स्वर्णिम अतीत तथा उज्ज्वल भविष्य का संदेश देने लगे।<sup>3</sup> लाजपतराय का यह उपवाद उनके द्वारा की गई उदारवादियों की कटुतम आलोचना में व्यक्त हुआ। वे उन भारतीयों के विरोधी थे जो 'साम्राज्य दिवस' मनाते थे और जो शासकीय पद प्राप्त करने के लिये अंग्रेजों की चाटुकारिता में लगे रहते थे। इन परजीवी रोगाणुओं को वे राष्ट्ररूपी देह में विकृति उत्पन्न करने वाला मानते थे।<sup>4</sup>

प्रारम्भ में लाजपतराय की यह धारणा थी कि भारत को स्वतन्त्रता तभी मिल सकती है जब भारत हिंसक राजनीति के उथल-पुथल के दौर से गुजरे। लाजपतराय भारत के उपवादी नेताओं में प्रथम उपराष्ट्रवादी थे। वे तिलक से भी पहले भारत में निष्क्रिय प्रतिरोध के पक्षधर बने। यद्यपि वे पूर्ण स्वतन्त्रता के समर्थक नहीं थे जैसे कि बिपिनचन्द्र पाल तथा श्रीधरविन्द थे, फिर भी वे ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम निष्क्रिय प्रतिरोध का कार्यक्रम कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में प्रस्तुत किया।<sup>5</sup> जहाँ तिलक अपने राजनीतिक जीवन के संघाकाल में ब्रिटिश प्रशासन से सहयोग की भावना व्यक्त करने लगे, बिपिनचन्द्र पाल अंग्रेजों के सहयोग से एक साम्राज्यीय संघ की स्थापना का सुझाव प्रचारित करने में लग गये और श्रीधरविन्द ने पाँडिचेरी में योगसाधना प्रारम्भ कर राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया, वहाँ लाजपतराय निरन्तर ब्रिटिश शासन के विरोधी बने रहे और जीवन के अन्त तक ब्रिटिश शासन का विरोध करते करते उन्होंने अपने प्राण त्यागे।

लाजपतराय का राजनीतिक उपवाद अन्य उपवादियों से पृथक् प्रकृति का था। एक और बिपिनचन्द्र पाल तथा श्रीधरविन्द राष्ट्रवाद को धार्मिक रहस्यवादी बना पहनाने में व्यस्त थे, तो दूसरी ओर तिलक गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव के माध्यम से राजनीति को धार्मिक कलेवर दे रहे थे। लाजपतराय ने मार्यममाज के तत्वावधान में अपना राजनीतिक जीवन प्रारम्भ करके भी राष्ट्रवाद को रहस्यवादी प्रत्ययों से दूर रखने का प्रयास किया। उनका गीता के उपदेशों में विश्वास था और वे राष्ट्रवाद को राजनीतिक

कर्मवाद में परिवर्तित करना चाहते थे। उनकी आस्था भक्ति में थी और वह अपनी आस्था देशभक्ति में ही व्यक्त कर रहे थे।<sup>6</sup>

लाजपतराय ने भारत के राजनीतिक आन्दोलन को नया मोड़ दिया। वे ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता को जागृत करने के लिये ऐसे नेतृत्व की कामना करते थे जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर सार्वजनिक कर्तव्यों की पूर्ति में लग जाय। वे जानते थे कि अंग्रेज भारत पर प्रभुत्व बनाये रखने के लिए केवल वे ही सुविधाएँ भारतीयों को दे सकते थे जिनसे उनका स्वार्थ सिद्ध होने में बाधा न पड़ें। इससे अधिक की शासकों से अपेक्षा करना ही व्यर्थ था। इसी कारण उन्होंने उदारवादियों के संवैधानिक आंदोलन की आलोचना की और ब्रिटिश शासन को देवी वरदान मानने से अस्वीकार किया। वे अंग्रेजों को दुकानदारों का देश मानते थे जो कि अपने आर्थिक स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ सकता था। उन्हें भारतवासियों के राजनीतिक ज्ञान पर भरोसा था। वे अपने अमेरिका, जापान तथा इंग्लैंड के प्रवास के अनुभवों के आधार पर यह व्यक्त कर रहे थे कि भारतीय प्रतिनिध्यात्मक शासन के पूर्ण योग्य हैं। उनमें तथा उनके समान पारश्चात्य देशों के निवासियों में कोई अन्तर नहीं है। लाजपतराय के अनुसार कांग्रेस के प्रारम्भ के नेतृत्व ने भारतीयों के मन से इस हीन भावना को, कि उनमें वे गुण नहीं हैं जो पारश्चात्य देशों में है, निकालने का भी कभी प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व को इसका दोषी ठहराया।<sup>7</sup>

राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए लाजपतराय ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के बहुमुखी कार्यक्रम को अंगीकार किया। वे उदारवादियों के विपरीत स्वराज्य की स्थापना क्रमिक रूप में नहीं चाहते थे। वे ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के पक्ष में थे। वे अंग्रेजों के साथ एक मित्र की भाँति सहयोग करने के विरुद्ध नहीं थे, किन्तु वे अंग्रेजों को शासक के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उनका उद्देश्य इंग्लैंड के समान भारत में स्वशासन की स्थापना करने का था। वे भारत की आर्थिक स्वतन्त्रता को भी सुदृढ़ करना चाहते थे। वे औद्योगीकरण के पक्ष में थे ताकि भारतीय जनता इससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने इस कार्य के लिये स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया। बहिष्कार को वे स्वदेशी का सहयोगी तत्त्व मूल्यते थे। बहिष्कार की भावना से भारतीयों में विदेशी सत्ता के प्रतिकार का भाव उत्पन्न हो रहा था। लाजपतराय इसे स्वराज्य-प्राप्ति के संघर्ष का आधार बनाना चाहते थे। उनका यह विश्वास था कि स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण एवं उपयोग के लिये बहिष्कार-आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता थी। एक आर्थिक अस्त्र के रूप में बहिष्कार का प्रयोग अंग्रेजों के लिये न्याय एवं औचित्य के तर्कों से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता था।<sup>8</sup>

लाजपतराय के अनुसार राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व देने की आवश्यकता थी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की योजना प्रस्तुत करते हुये यह मुझाव दिया कि भारतीयों को सदैव अपनी भारतीयता को बनाये रखने का पाठ सिखाया जाय।<sup>9</sup> अर्थात् भारतीयों के साथ भारतीयों के व्यवहार में यह बात बताना आवश्यक है कि वे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में अपनी पृथक् उदाहरण रखते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं था कि लाजपतराय बाह्य प्रमाणाँ की अपेक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह

भलीभांति स्वीकार किया कि भारतीय राष्ट्रवाद को बाह्य प्रभावों का भी योगदान रहा। यूरोप के राष्ट्रवादी विचार ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। भारतीय जनता ने इंग्लैण्ड के सर्वहारा वर्ग के संघर्षों एवं उनकी सफलताओं का अवगाहन किया। फ्रांस की राज्य-क्रांति की पीड़ा तथा विजय ने उन्हें प्रेरणा दी। इतालवी जनता के प्रयासों ने उन्हें प्रेरित किया। रूस, पोलैण्ड, फिनलैण्ड, हंगरी तथा अन्य यूरोपवासियों के संघर्ष ने उनके राष्ट्रवादी विचारों को उद्वेलित किया। लाजपतराय के अनुसार न केवल विश्व की घटनाओं ने ही भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रभावित किया, अपितु देशभक्त वाशिगटन, केन्नर, मत्सीनी, बिस्मार्क, कोस्पूय, एमेट, पार्नेल ने भी उन पर अपना प्रभाव अंकित किया। भारत के महान देशभक्त राणा प्रताप, शिवाजी, गुरुगोविन्दसिंह, टीपू सुल्तान तथा भ्रांसी की रानी ने भी उन्हें अत्यधिक प्रेरित एवं प्रभावित किया।<sup>10</sup> 1905 में जापान की रूस पर विजय ने एशिया की यूरोप पर विजय स्थापित कर एशिया में नवराष्ट्रवाद को पल्लवित किया। भारत, चीन तथा जापान के सम्बन्धों की मूलभूत एकता को पश्चात्य प्रभाव छिन्न-भिन्न नहीं कर सका। उपर्युक्त कारणों ने भारतीय जनता में एकता का भाव संचारित किया। अंग्रेजीशासन द्वारा दमनात्मक नीति का अनुसरण करने के बावजूद भारतीय जनता भारत की राजनीतिक मुक्ति के कार्य में जुटी हुई थी। लाजपतराय ने व्यक्त किया कि स्वतन्त्रता की भावना शहीदों के खून से संचित होती है, इस कारण कितना भी दमन विदेशी सत्ता द्वारा प्रयोग में क्यों न लाया जाय, अंतिम रूप में भारतीयों की विजय निश्चित है। उनके शब्दों में "भारतीय राष्ट्रवाद की लहर उठ चुकी है। वायसराय अथवा उप राज्यपालों के मोठे भाषण, सम्मान, उपाधियां अथवा व्यक्तिगत पुरस्कार, एक समुदाय की तुलना में दूसरे समुदाय को लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति, नहर-निर्माण अथवा रेलों का विस्तार—कोई भी इस उठते हुए राष्ट्रवाद के ज्वार को नहीं रोक सकता।"<sup>11</sup> अपने राजनीतिक गुरु मत्सीनी से राष्ट्रवाद की प्रेरणा प्राप्त कर लाजपतराय ने भारत के पुनर्जागरण को राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भों में देखते हुये भारत के उज्ज्वल भविष्य में अपना अगाध विश्वास प्रकट किया।<sup>12</sup>

भारत की जनता तथा स्वयं भारत की महानता में अगाध श्रद्धा प्रदर्शित करते हुये लाजपतराय ने अपनी यह धारणा प्रस्तुत की कि राष्ट्र राज्य से भी अधिक शक्तिशाली एवं उच्च होता है। उन्होंने व्यक्त किया कि "राज्य की सर्वोच्चता के जर्मन सिद्धांत का खंडन करना चाहिये और भविष्य के नागरिक को यह सोचने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये कि राष्ट्र राज्य से उच्च है और हर प्रकार से राज्य का स्वामी है। राष्ट्र ही राज्य के प्रकार को निर्धारित करता है और उसे परिवर्तित करने के लिये स्वतन्त्र है। अपनी मंयुक्त क्षमता एवं संयुक्त इच्छा के अनुरूप परिवर्तित करने के लिये स्वतन्त्र है।"<sup>13</sup> लाजपतराय द्वारा राष्ट्र की सर्वोच्चता का विचार उनकी भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीय एकता की भावना से अभिभूत था। वे भारत को एकीकृत एवं संगठित रूप में देखना चाहते थे। वे साम्प्रदायिक एवं धार्मिक भेदभावों रहित भारत की तर्नीर स्मृति में संजोये हुये थे। वे सकोण स्वार्थवाद, प्रांतवाद एवं व्यक्तिगत स्वार्थवाद से विरुद्ध थे। वे राष्ट्रवाद का भाव बनाये रखने के लिये देश-भक्ति को मान्यमानते थे। उनके लम्बे विदेश प्रवासकाल में उन्हें यह बात अचरती ही कि भार...

में देश-भक्ति की भावना निर्मल थी। इसी कारण से प्रेरित हो उन्होंने यह व्यक्त किया कि हमें मञ्ची देश-भक्ति के अलावा और कोई वस्तु मृत्यु तथा विनाश से नहीं बचा सकती। सच्ची देश-भक्ति में पद तथा शक्ति प्राप्त करने की लोलुपता को जन-कल्याण के पारि-श्रमिक रहित कार्य के लिये तिलांजलि देनी पड़ती है। उनके अनुसार देश के हित सच्ची एवं निःस्वार्थ भक्ति ही हमारा धर्म होना चाहिये। यह हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय है। देश-सेवा के पुनीत कार्य में हमें अपना धन तथा जीवन अर्पित कर देना चाहिये। इस प्रकार लाजपतराय के विचारों में राष्ट्रवाद ही सच्चा धर्म है।<sup>14</sup>

लाजपतराय राष्ट्रवाद को संकीर्णता से मुक्त कराने में विश्वास करते थे। उन्होंने इस संदर्भ में यह व्यक्त किया कि भारतीय राष्ट्रवादियों को ऐसे किन्ही आक्रामक राष्ट्रवाद की आवश्यकता नहीं है। यह धारणा कि स्वदेश-प्रेम अनिवार्य रूप से अन्य देशों के प्रति घृणा अथवा शेष मानवता के लिये उदासीनता से युक्त है, सर्वथा अनुचित एवं उत्छ्छल है। इसका पूर्णतया खंडन किया जाना चाहिये। हम अपने देश से इसलिये प्रेम करते हैं कि यह हमें मानवता के उच्चतम शिखर तक पहुँचा सके। लाजपतराय की दृष्टि से राष्ट्रवाद सकारात्मक शब्द है, न कि नकारात्मक। यह अन्याय का प्रतीक न होकर, शालीनता का उच्चतम आदर्श है।

राजनीतिक स्वतंत्रता जनता के सर्वहितकारी संप्रभु राष्ट्र में निवृद्ध होने की शक्ति पर आधारित है। स्वतंत्रता का लक्ष्य है सभी मनुष्यों का राष्ट्र में निमग्न और यही मानव-जाति के कल्याण का मार्ग है। उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों में स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना है। अपनी स्वयं की स्वोकारोक्ति के अनुरूप जीवन जीने की स्वतंत्रता है जिसमें स्वयं के आदर्शों का अनुसरण, सभ्यता का विकास तथा उस ध्येय की एकता का साक्षात्कार समोच्च है। अन्य राष्ट्रों में पृथक् अस्तित्व प्रदान करते हुये हमारी स्वतंत्रता, हमारा सम्मान, हमारी आंतरिक सुरक्षा तथा हमारे कार्यों में बाह्य हस्तक्षेप का अभाव ही सच्ची स्वतंत्रता है।<sup>15</sup> लाजपतराय के इस कथन का यही आशय है कि वे भारत के लिये एक लोकतांत्रिक संप्रभुतासम्पन्न राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का उद्देश्य लेकर चल रहे थे। उनका यह विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता की मांग इस कारण से भी उचित है कि प्रत्येक राष्ट्र को आत्म-निर्णय का अधिकार है। उन्होंने ये विचार राष्ट्र संप की स्थापना के समय व्यक्त किये थे। यह उनकी सम-सामाजिकता का प्रमाण है कि वे तत्कालीन विश्व-जनमत को भारत की समस्याओं से युक्त कर रहे थे। वे जनता की सहमति पर आधारित शासन को ही सच्चा शासन मानते थे।<sup>16</sup>

लाजपतराय ने 'राष्ट्र' शब्द की सामाजिक परिभाषा को अपने विचारों में स्वीकृति दी। उन्होंने एन ओपन लेटर टु दै राइट ऑनरेबल डेविड लायड जोर्ज में यह व्यक्त किया कि ब्रिटिश सरकार का यह मंतव्य कि भारत के राष्ट्रवादियों का बहुमत एक ही प्रकार के धर्म का अनुसरण करता है, एक ही भाषा का प्रयोग करता है तथा एक ही प्रजाति का है। उन्होंने यह घोषणा की कि वे किसी भी तरह यह स्वीकार नहीं करते कि भारत राष्ट्रीवादी नहीं है।<sup>17</sup> उन्होंने स्वप्नलोक के विश्वबन्धुत्व को व्यय माना। उनके अनुसार ऐसा विश्वबन्धुत्व का विचार राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में रत जन समुदाय को उसके देशप्रेम सम्बन्धी कर्तव्यों से विकर्षित करता है। लाजपतराय के अनुसार भारतीयों को देश-भक्त

बनना चाहिये। देश-भक्ति के बाद ही विश्व-बन्धुत्व का सच्चा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। उन्होंने मत्सीनी के इस कथन को कि इड़ एवं एकनिष्ठ स्वदेश-प्रेम मानवता के प्रति प्रेम का सहंगामी है, स्वीकार किया। वे सहकारिता पर आधारित देशभक्ति तथा शिथिल विश्वबन्धुत्व के विश्लेषणात्मक संकटों के प्रति सबको सजग रखना चाहते थे। इस प्रकार लाजपतराय के विचारों में देशभक्ति अथवा राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद से जुड़े हुए थे।<sup>18</sup>

लाजपतराय द्वारा प्रचारित एवं विश्लेषित देशभक्ति का विचार भारतीय राष्ट्रीय जीवन के शारीरिक तथा धार्मिक पक्ष को समाहित किये हुये था। विभिन्न धार्मिक मान्यताओं एवं जातियों में बंटे हुये भारत को राष्ट्र प्रेम का संदेश देकर लाजपतराय ने प्रान्तवाद तथा उप-राष्ट्रवाद का खंडन किया। उन्होंने द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त का भी विरोध किया। उनकी मान्यता थी कि भारत मूल में एक ही राष्ट्र है। वे जाति, रंग, सम्प्रदाय आदि के नाम पर प्रस्तुत किये गये विभेदों को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने भारत में किसी भी प्रकार के प्रजातीय मतभेद को भ्रमान्य ठहराते हुये यह सिद्ध किया कि भारत के हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई सभी प्रजातीय मिश्रण के प्रतीक हैं। यद्यपि उन्होंने संभावित साम्प्रदायिक वैमनस्य को अस्वीकार नहीं किया, फिर भी उनकी यह मान्यता रही कि भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद तथा साम्प्रदायिक लगाव वास्तविक न होकर कृत्रिम हैं। इसे स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित किया गया है। यदि कोई वैमनस्य है भी, तो वह भ्रान्ति पर ही आधारित है। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता को भारतीय राष्ट्रवाद की कसीटी मानते हुये अपने राष्ट्रवादी विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया: "यदि भारतमाता को नानक पर गर्व है, अशोक पर गर्व है, तो अकबर भी उसी का है। उसके चेतन्य के साथ-साथ कबीर भी हैं। उसे खुसरो, फँजी, गालिब पर भी उसी प्रकार गर्व है जिस तरह वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास पर। यहाँ तक कि हम आधुनिक भारतीय हाली, इकबाल, मोहानी पर उसी प्रकार गर्व कर सकते हैं जिस प्रकार से हमें ठाकुर, राय तथा हरिश्चन्द्र पर गर्व है। हमें सैयद अहमद खाँ पर उसी प्रकार गर्व है जिस प्रकार राममोहन राय तथा दयानन्द पर।"<sup>19</sup>

राष्ट्रवाद सम्बन्धी लाजपतराय के विचारों में भारतीयपन पर अधिक जोर दिया गया है। वे किसी भी प्रकार के सामाजिक बन्धन से राष्ट्रवाद का मार्ग अवरुद्ध होता नहीं देख सकते थे। साम्प्रदायिकता को उन्होंने इसी कारण से व्यक्तिगत मान्यता के क्षेत्र तक ही सीमित माना, ताकि भारतीय राष्ट्र का स्वरूप विकृत न होने पाये। उनकी राष्ट्रीय एकता की धारणा केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता तक ही सीमित नहीं थी। वे इसके साथ-साथ सिक्ख, ईसाई, ब्रौड, जैन, पारसी आदि को भी राष्ट्रीय एकता में समन्वित करना चाहते थे। उनकी कल्पना का भारत-राष्ट्र न तो हिन्दू-राष्ट्र था, और न मुस्लिम, ईसाई या सिक्ख राष्ट्र। वे सभी सम्प्रदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोकर स्वराज्य की स्थापना की कामना कर रहे थे।<sup>20</sup> लाजपतराय के विचारों के अनुसार भारत की स्वतंत्रता भारतीय जनता की विभिन्नता पर आधारित थी, न कि किसी कृत्रिम एकता की भावना पर, जो कि शक्ति अथवा नियंत्रण द्वारा स्थापित की गयी हो। भारत में स्वशासन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देते हुये भी उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वराज का स्वरूप प्राप्ति के समय तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर

करेगा। भारत राष्ट्र की नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति तथा राजनीतिक विचारों को व्यवहार में परिवर्तित करने की योग्यता एवं क्षमता पर निर्भर करेगा कि भारत में किस प्रकार का स्वराज्य स्थापित किया जाय। तत्कालीन विश्व की स्थिति का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। बीस वर्षों में प्राप्त होने वाले स्वराज्य से एक वर्ष में प्राप्त होने वाले स्वराज्य की प्रकृति नितान्त भिन्न होगी। उन्होंने इस संदर्भ में व्यक्त किया है 1930 में स्थापित होने वाला स्वराज्य स्वाभाविक रूप से 1923 में स्थापित होने वाले स्वराज्य से भिन्न है। अतः हमें राष्ट्र के पूर्ण परिपक्व होने के पहले किसी भविष्य की मनमानी योजना का निर्माण नहीं करना चाहिये। हमें अपने सिद्धान्तों की स्थापना कर उनके अनुसार जनता को शिक्षित करना चाहिये ताकि समय आने पर परिस्थितियों का पूर्ण सदुपयोग किया जा सके। इस प्रकार लाजपतराय ने स्वराज्य एवं स्वशासन में अन्तर प्रकट करते हुये कोरी घोषणाओं में समय नष्ट करने के राजनीतिक कार्यक्रमों को झाड़े हाथों लिया और हमें राजनीतिक यथार्थ की साधना का संदेश दिया।<sup>21</sup>

स्वशासन के संदर्भ में लाजपतराय पाश्चात्योकरण के समर्थक नहीं थे। वे चाहते थे कि हमें पाश्चात्य देशों की केवल उन राजनीतिक संस्थाओं एवं मान्यताओं का वरण करना चाहिये जिन्हें भारत में प्रयुक्त किया जा सके। वे पश्चिम के तिरस्कृत नमूनों को भारत में प्रयुक्त करना नहीं चाहते थे। उनके अनुसार ब्रिटिश संविधान राजनीति में अंतिम शब्द नहीं है तथा पाश्चात्य सभ्यता सभ्यताओं में एकमात्र नहीं है। यद्यपि भारतीयों को ब्राह्म प्रेरणाओं को सर्वथा त्यागना भी नहीं चाहिये किन्तु उनमें स्वावलम्बन की भी आवश्यकता है।<sup>22</sup>

लाजपतराय भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना के पक्ष में थे। उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि भारत के लिये लोकतंत्र अपरिचित नहीं था। यद्यपि भारत में उस प्रकार की लोकतांत्रिक संस्थाएँ नहीं रही जैसी आधुनिक यूरोप में हैं, फिर भी भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ प्राचीन समय में उपलब्ध थी। उनके अनुसार लोकतांत्रिक संस्थाएँ जनता द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के अधिकार पर आधारित थीं ताकि वे पद्धतियों अथवा प्रक्रियाओं में न उलझ कर अपने कार्यों का संचालन कर सकें। उनके अनुसार इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में सदैव प्रचलित रही थी। उनके अनुसार भारत में अत्यन्त निरंकुश एकतंत्र के अन्तर्गत भी जनता का बहुत बड़ा भाग अपने सामूहिक कार्यों का स्वयं संचालन करता रहा। उन्होंने शिक्षालयों की स्थापना तथा उसका प्रबन्ध, सफाई व्यवस्था, रावजनिम निर्माण कार्य, जन-सुरक्षा, न्याय-प्रशासन आदि कार्यों का संचालन किया और उनके लिये स्वयं राजस्व एकत्रित कर उसे लोकतांत्रिक पद्धति से व्यय किया। इस प्रकार उपयुक्त आधार पर लाजपतराय ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन किया। भारत में प्रतिनिध्यात्मक शासन की स्थापना का पक्ष समर्थित करते हुये उन्होंने व्यक्त किया कि भारतीयों को, जिन्हें स्वशासन का दीर्घकालिक अनुभव रहा है, शक्ति द्वारा संचालित व्यवस्था का अभ्यस्त मान लेना त्रुटिपूर्ण है। लोकतंत्र भारत के लिये कोई विदेशज पौधा नहीं है जिसके कार्य को समझने के लिये भारत को शताब्दियाँ लग जायें। भारत में लोकतंत्र भारत की मौलिक राजनीतिक मान्यताओं की निरन्तरता का बोधक

ही रहेगा ।<sup>23</sup>

लाजपतराय ने अब्राहम लिंकन की लोकतन्त्र की परिभाषा "जनता का", "जनता के लिये" और 'जनता द्वारा' शासन को स्वीकार किया। शासन के सबिधान के सम्बन्ध में उनकी कोई निश्चित धारणा नहीं थी। वे मानते थे कि लिंग, विश्वास, रंग तथा प्रजाति के भेद रहित समानता के अधिकार को प्रदान करना ही लोकतन्त्र की कसीटी है। उनके अनुसार यूरोप तथा अमेरिका में भी अल्प लोकतन्त्र है। आधी जनसंख्या लिंग के आधार पर राजनीतिक शक्ति से वंचित रखी गयी है और शेष जनसमुदाय का वृहद् भाग आर्थिक स्तर के अभाव में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। लाजपतराय ऐसे लोकतन्त्र को भारत में स्थापना के इच्छुक नहीं थे जो कि जनता के किसी भी वर्ग को शासन की प्रक्रिया से वंचित रखने का पड्यन्त्र करता हो। वे राजनीतिक शक्ति को किसी का एकाधिकार नहीं मानते थे। उनके अनुसार समाज में नेतृत्व का प्रकार परिवर्तित ऐतिहासिक परिस्थितियों का प्रतिफल होता है। वे भारत में ऐसा नेतृत्व नहीं चाहते थे जो उदारवादियों के समान अदम्यवादिता एवं सूक्ष्म से निदेशित होने वाला हो और जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा तथा व्यक्तिगत कल्याण का ही ध्यान रखा जाय। वे अग्रवादियों के नेतृत्व के भी आलोचक थे क्योंकि उनके नेतृत्व में वक्तृता, हठधर्मी तथा अहंकार की भावना अधिक थी। लाजपतराय के अनुसार भारत को ऐसे समर्पित राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व की आवश्यकता थी जो साधारण व्यक्तियों की तरह रहकर श्रमजीवी बनें तथा सामान्य-जन के विचारों, उनकी कठिनाइयों एवं उनकी चिन्ताओं के महभागी बनें। उनका नेतृत्व-मापदण्ड उनकी लोकतान्त्रिक निष्ठा का प्रतीक था। वे ऐसा नेतृत्व चाहते थे जो "सत्ता द्वारा दण्डित किये जाने पर अपनी रक्षा में मिथ्या अथवा सन्देशात्मक व्यवहार करने लगे। हमें ऐसा निर्भीक नेतृत्व चाहिये जो भारतवासियों में सम्पत्तिवाद, शक्तिशाली एवं विशिष्ट वर्ग की आलोचना उतनी ही निर्भीकता एवं कठोरता से कर सके जितनी कि हम विदेशी शोषकों की करते हैं। उन्हें इस तथ्य का साक्षात्कार एवं प्रचार करना है कि वे देश में सच्चा लोकतन्त्र स्थापित करने के लिये दृढ-संकल्प हैं।"<sup>24</sup>

लाजपतराय ने शक्ति के विकेन्द्रीयकरण का समर्थन किया। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता के निवारण के लिये उन्होंने विकेन्द्रीयकरण को उपयुक्त माना। उनके अनुसार शक्ति का केन्द्रीयकरण दो धारवाली तलवार के समान है। यह शक्ति के विकेन्द्रीयकरण से अधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक है। केन्द्रीयकरण अहंकार, संकुचित दृष्टिकोण, स्वार्थपरायणता तथा असहाय स्थिति को जन्म देता है, जबकि विकेन्द्रीयकरण नम्रता, सहिष्णुता, निरन्तर सतर्कता एवं त्याग का शिक्षण देता है। उनके अनुसार शक्ति के विसरण मात्र से समस्याओं का अन्त नहीं होता। वर्गों एवं जनसमुदायों द्वारा शासन के निर्माण एवं समान अधिकारों को मान्यता के पश्चात् भी मध्यमवर्गीय बुजुर्ग विद्यमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में जनता की वास्तविक सरकार स्थापित होने में समय लगेगा। लोकतन्त्र की वास्तविकता तभी सम्भव है जबकि यूरोपीय लोकतन्त्र के भौतिकवादी दृष्टिकोण का त्याग किया जाय। इस तरह भारत को यूरोप के अनेक आर्थिक संघर्षों से बचाया जा है। वे ब्रिटेन के प्रतिनिध्यात्मक शासन के आदर्श को भारत के लिये उपयुक्त



थे। उनकी दृष्टि से सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना ही भारत की भावी विपत्तियों से बचा सकती थी। वे लोकतन्त्र तथा समाजवाद का समन्वय चाहते थे।<sup>25</sup>

लाजपतराय ने भारत सरकार के अनुपस्थित मूस्थामित्र की प्रालोचना की। वे ब्रिटिश सरकार की वित्तीय नीति की भत्सना कर रहे थे। ब्रिटेन की वित्तीय नीति ने भारत की जनता का शोषण कर इंग्लैंड के हितों का संरक्षण किया था और भारतीय जनता को संवैधानिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा था। उन्हें प्रथम विश्व महायुद्ध के समय विश्व को लोकतन्त्र के लिये सुरक्षित रखने की घोषणा में विश्वास नहीं था। उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार तथा भिन्न राष्ट्रों ने जिस जर्मन एकतन्त्र, नौकरशाही, सैन्यवाद तथा युद्धोन्माद का प्रतिरोध किया था, वे सारी दानवीय स्थितियाँ स्वयं ब्रिटेन ने भारत में बना रखी थी। विश्व में लोकतन्त्र की रक्षा का दम्भ भरने वाला ब्रिटेन स्वयं भारत में लोकतन्त्र का गला घोट रहा था। उनके अनुसार भारतीय जनता सरकारी नौकरियों तथा परिषदों में कतिपय स्थान दिये जाने से सन्तुष्ट होने वाली नहीं थी। भारतीय जनता अपने अधिकारों की तथा स्वतन्त्रता की मांग कर रही थी। वे चाहते थे कि भविष्य के संवैधानिक सुधारों का कार्य भारतीयों पर छोड़ने की आवश्यकता थी ताकि वे स्वयं निर्णय कर सकें कि उन्हें किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करनी है। लाजपतराय लोकसम्प्रभुता के अनन्य उपासक थे।<sup>26</sup>

1917 में उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा के सन्दर्भ में लाजपतराय ने कतिपय प्रशासनिक सुधारों की योजना प्रस्तुत की। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की तत्कालीन तीन प्रस्तावित योजनाओं—कायेस-लीग योजना (दिसम्बर 1915), गोपले योजना (फरवरी, 1915) तथा लार्ड इर्जिल्टन योजना (जुलाई, 1917) से अधिक उन्नत एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना की पूर्व-आवश्यकता के रूप में अपनी योजना प्रस्तुत की। भारत सरकार के गठन के सम्बन्ध में लाजपतराय ने यह सुझाव दिया कि भारत सचिव के निषेधाधिकार का अन्त कर दिया जाय, वायसराय की परिषद् के सरकारी सदस्यों का पद समाप्त कर दिया जाय, गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों का बहुमत व्यवस्थापिका में स्थापित किया जाय ताकि भारतीय विधायकों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हो सके तथा ब्रिटिश सरकार के भय के निवारण के लिये शासन को केवल यह सुविधा दी जाय कि साम्राज्यिक कार्यों के लिये इंग्लैंड की संसद भारत द्वारा देय वित्तीय धनराशि निर्धारित कर दे और उसमें कटौती का अधिकार भारतीय व्यवस्थापिका के भेत्ताधिकार से बाहर रखा जाय। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षार्थ किये जाने वाले भारत के सैनिक व्यय में कटौती का सुझाव देते हुए, देश में प्रशिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय सैन्य दल की स्थापना, ब्रिटिश सिपाहियों की संख्या में कटौती, भारतीय नौ सेना के विकास तथा देश की सुरक्षा के लिए भारतीयों को सेना में नियुक्त किये जाने के अवसरों की वृद्धि पर भी बल दिया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यिक सेना के खर्च पर भारतीय व्यय को इंग्लैंड की संसद द्वारा निर्धारित किये जाने के साथ-साथ उस व्यय का वहन ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों द्वारा किये जाने का सुझाव भी दिया ताकि देशी रियासतों पर भी आनुपातिक प्रभाव बढ़ाया जा सके। लाजपतराय का यह सुझाव कि ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों में भारतीयों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाय, अत्यन्त महत्वपूर्ण था। उनका यह तर्क था कि जब देशी

रियासतों का प्रशासन भारतीयों द्वारा चलाया जा सकता है, तब ब्रिटिशप्रान्तों का प्रशासन भारतीय क्यों नहीं चला सकते ? वे ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों में कार्यकारिणी परिषद् का समय प्रान्तीय विधायी परिषद् के समकालीन रखना चाहते थे। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में भी उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण एवं मौलिक सुझाव दिये। उन्होंने नौकरशाही के तरीकों को सुधारने पर बल दिया। लाजपतराय का यह सुझाव कम महत्वपूर्ण नहीं था कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रतियोगी परिक्षाओं के आधार पर की जाये। ऐसे विभागों जैसे वित्त, अभियान्त्रिकी, चिकित्सा, शिक्षा विभाग आदि, जिसमें विद्वानों की आवश्यकता होती है, के लिए लाजपतराय ने केवल अल्पावधि के लिये नियुक्ति का सुझाव दिया ताकि नये व्यक्ति तथा उदीयमान प्रतिभागों की सेवाएँ प्राप्त हो सकें। उन्होंने विभागाध्यक्षों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर न की जाकर योग्यता के आधार पर किये जाने का सुझाव दिया। इनका चयन स्थायी सेवाओं में से न किये जाने का सुझाव भी उन्होंने दिया। उनका यह भी विचार था कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तकनीकी विभागों में नियुक्त न किया जाय। प्रशासन में भ्रष्टाचार के निवारण के लिये लाजपतराय का यह सुझाव था कि भारतीयों को उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वशासन का अवसर दिया जाय ताकि भ्रष्ट अधिकारियों के कार्यों का भण्डाफोड़ किया जा सके। उनके अनुसार परिवहन, सेना-रसद, चिकित्सा, रेल्वे तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार के केन्द्र थे। भ्रष्ट अंग्रेज अधिकारियों को दण्डित करने में भारत की अंग्रेज सरकार अपनी प्रतिष्ठा की अवमानना समझती थी। लाजपतराय ने, इस प्रकार, विदेशी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का अन्त करने का आग्रह किया।<sup>27</sup>

आपने प्रशासनिक सुधारों की अपनी योजना के अन्तर्गत यह सुझाव भी दिया कि भारत में स्वशासन की स्थापना ऊपर के स्तर से लागू की जाय। उन्होंने पंचायती राज की स्थापना का इस कारण विरोध किया कि ब्रिटिश सरकार की कुटिल नीति के कारण इन स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को इतना कुचल दिया था कि उनकी पुनः स्थापना सम्भव न थी। उनको फिर से स्थापित करने का अर्थ था पार्थक्य एवं स्थानीयकरण। उनके अनुसार जीवन की बदली हुई स्थितियों, आवागमन की स्वरिक्ता, बाह्य-जीवन पर निर्भरता आदि कुछ ऐसे कारण थे जिनसे ग्रामसमितियों को अपनी प्राचीन स्थितियों में पुनर्जीवित करना असम्भव था। वे केवल ऐसी ग्राम-समितियों की स्थापना के पक्ष में थे जो गावों में सफाई की व्यवस्था कर सकें तथा गावों का बाह्य सम्पर्क की दृष्टि से प्रतिनिधित्व कर सकें। लाजपतराय के पंचायतराज सम्बन्धी विचार विदेशी शासन के सन्दर्भ में प्रकट किये गये थे। उन्होंने मदनमोहन मालवीय का भी सुझाव दिया कि जनता की नैतिक एवं आर्थिक स्थिति पर इसका उचित प्रभाव पड़ सके। वे सरकार द्वारा नशीले द्रव्यों से उत्पन्न राजस्व को जन-हितकारी नहीं मानते थे। उन्होंने कृषिभूमि-कर में कटौती करने का भी सुझाव दिया। उनका सुझाव था कि जमीन जोतने वाले खेतीहर मजदूरों एवं किसानों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिले। भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का भी उनका आग्रह रहा। वे जमींदारी-व्यवस्था के प्रालोचक थे।<sup>28</sup>

लाजपतराय ने भारत में स्वशासन की स्थापना के लिये हिंसात्मक कार्यक्रम को

अनुपयुक्त न मानकर असंभव अवश्य माना। एक समय स्वयं लाजपतराय भारतीय क्रांति-कारियों के आराध्य एवं अत्यन्त विश्वसनीय महयोगी रहे थे। मानवेन्द्रनाथ राय, पंजाब की सरलादेवी, रासबिहारी बोस, भगिनी निवेदिता तथा श्यामजीकृष्ण के निकट सम्पर्क में आये। अमेरिका तथा जापान-प्रवास में लाजपतराय का प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में सशस्त्र आन्दोलन से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के प्रयासों का विवरण प्राप्त होना है। यद्यपि लाजपतराय पूर्णतया हिंसक आन्दोलन में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी भारतीय क्रांति-कारियों का उनसे निकट का सम्पर्क यह सिद्ध करता है कि उनकी क्रांतिकारी आन्दोलन-कारियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति थी। साइमन आयोग के विरोध में उनपर किये गये घातक लाठी चार्ज का बदला चन्द्र शेखर झाजाद के नेतृत्व में ही लिया गया। शहीदे आजम भगतसिंह ने लाजपतराय की मृत्यु का बदला उस अंग्रेज पुलिस अधिकारी की हत्या करके लिया जिसने लाजपतराय पर वार किया था। उपर्युक्त तथ्यों से उनका भारतीय क्रांतिकारी-आन्दोलन से परोक्ष सम्बन्ध अवश्य स्थापित होता है।<sup>29</sup> फिर भी लाजपतराय ने यह अनुभव किया कि भारत के जनसमुदाय की राजनीतिक शिक्षितता, उनका अहिंसा के प्रति लगाव, उनकी आग्नेय अस्त्रों की अनभिज्ञता की विवशता तथा आर्थिक लाभ के लिये सरकारी पदों को प्राप्त करने की लोलुपता आदि ऐसे कारण थे जिनसे भारतीयों ने क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं किया और क्रांति की सफलता धूमिल होती चली गयी। लाजपतराय ने यह भी अनुभव किया कि भारतीयों में देशभक्ति का भावना का अभाव होने के कारण ब्रिटिश शासन की ओर से गुप्तचरी करने वाले भारतीयों ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों की पूर्व-सूचना देकर इस आन्दोलन को धक्का पहुंचाया। इतना ही नहीं, उनके अनुसार कतिपय पेशेवर क्रांतिकारियों ने यूरोप में जर्मनी आदि से बहुत बड़ी मात्रा में धन भारत में सशस्त्र क्रांति कराने के नाम पर एकत्रित कर उमका व्यक्तिगत ऐशो-आरागम के लिये दुरुपयोग किया। ऐसे छद्मवेशी क्रांतिकारियों ने विदेशों में जहाँ भारत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया, वही देश के प्रति उन्होंने गद्दारी का भी प्रदर्शन किया।<sup>30</sup>

इन अनेकानेक कारणों से लाजपतराय शनैः शनैः गांधीजी के अहिंसक आन्दोलन की ओर आकृष्ट हुये। उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिए गांधीजी के अहिंसक असहयोग आन्दोलन का समर्थन भी किया।<sup>31</sup>

लाजपतराय ने गांधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन को समर्थन दिया और असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित होने पर उन्हें कारावास का भी अनेक बार दंड मिला। इतने पर भी लाजपतराय गांधीजी के सत्याग्रह एवं अहिंसा के विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हुये। लाजपतराय एक योद्धा थे, न कि सत्याग्रही।<sup>32</sup> उन्होंने गांधीजी का साथ दिया किन्तु एक वरिष्ठ राजनेता के नाते उन्होंने गांधीजी को समय-समय पर त्रुटियों को दोष भी कराया और उनका साहस के साथ विरोध भी किया। लाजपतराय तथा लोकमान्य तिलक, ये दो ही ऐसे भारतीय दिग्गज थे जिन्होंने गांधीजी के राजनीतिक कार्यक्रमों को उचित-सीमा में बने रहने को बाध्य किया। तिलक की मृत्यु के बाद केवल लाजपतराय ने ही गांधीजी के समक्ष अपनी निर्भीक शैली का परिचय देकर गांधीजी का मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ स्वयं गांधीजी के कार्यक्रम को समय-असमय सबल प्रदान किया।

लाजपतराय राजनीति में अहिंसा को एक नीति के रूप में स्वीकार करते थे,

सिद्धान्त के रूप में नहीं।<sup>33</sup> लाजपतराय ने गांधीजी के निष्क्रिय प्रतिरोध को भी सहर्ष स्वीकार किया यद्यपि उनके निष्क्रिय प्रतिरोध सम्बन्धी स्वयं के मौलिक विचार गांधीजी से भिन्नता रखते थे। गांधीजी तथा लाजपतराय के विचारों में उस समय मतभेद उत्पन्न हो गया, जब गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन अचानक समाप्त करने की घोषणा की। गांधीजी के नाम लाजपतराय ने जेल से 70 पृष्ठों के एक पत्र में अपना विरोध व्यक्त करते हुए लिखा कि "राजनीति में भावुकता अथवा अतिनाटकीयता का कोई स्थान नहीं होता। हम लम्बे समय से ऐसे प्रयोग की योजना बना रहे हैं जो मानवीय स्वभाव में आमूलचूल परिवर्तन किये बिना सफल नहीं हो सकते। राजनीति राष्ट्रीय जीवन के तथ्यों से सम्बन्धित होती है और इसकी प्रगति उन्हीं के प्राधार पर सम्भव हुआ करती है" "बन्दूक की नोक पर आरोपित विदेशी शासन के अन्तर्गत राजनीतिक स्वतन्त्रता का आन्दोलन नहीं किया जा सकता। इसके प्रयत्न असफल ही होते हैं और उनकी परिणति भयावह होती है।"<sup>34</sup>

इसी प्रकार लाजपतराय ने असहयोग आन्दोलन में खिलाफत का समावेश भी अनुचित माना। उनकी दृष्टि से असहयोग आन्दोलन कार्यक्रम में धर्म का समावेश उचित नहीं ठहराया जा सकता था। उन्होंने व्यक्त किया कि वे अहिंसा को सिद्धान्त रूप में स्वीकार नहीं करते। केवल परिस्थितिजन्य नीति के रूप में ही अहिंसा को स्वीकार किया जा सकता था। विदेशी शासकों के प्रति असहयोग परतन्त्र जनता का एकमात्र आधार है, किन्तु असहयोग का कठोर कार्यक्रम भारत जैसे बृहद् राष्ट्र के लिए, जिसमें इतनी विभिन्नतायें हों, सफल नहीं हो सकता। हमें सहयोग अथवा असहयोग से बंधने के स्थान पर वही करना चाहिये जो श्रेष्ठ, व्यावहारिक एवं परिस्थितियों के अनुकूल हो। लाजपतराय का अहिंसा आन्दोलन के प्रति अनासक्त दृष्टिकोण जीवन-पर्यन्त बना रहा।<sup>35</sup>

राजनीति में यथार्थवाद के उपासक लाजपतराय ने अपनी मृत्यु के एक महीने पहले यह व्यक्त किया कि 'भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग करनी चाहिए।' उन्हे भारत की स्वतन्त्रता का मार्ग लम्बा दिखाई दिया। उन्होंने व्यक्त किया कि 'यद्यपि अधिशासी राज्य की स्थापना से भारत में तुरन्त स्वतन्त्रता की स्थापना तो नहीं होगी किन्तु इससे भारत को ब्रिटिश राष्ट्रकुल में रहने अथवा उसे त्यागने का अधिकार प्राप्त होगा। राष्ट्रकुल के सदस्यों के समर्थन द्वारा भारत के साथ प्रजातीय भेदभाव भी टाला जा सकता था। यदि इसके विपरीत भारत के साथ प्रजातीय कारणों से भेदभाव किया भी जाय तो भारत राष्ट्रकुल छोड़ सकता था।' लाजपतराय के उपर्युक्त विचार सत्य थे। स्वतन्त्र भारत की स्थापना के समय राष्ट्रकुल की सदस्यता स्वीकार करते समय उपर्युक्त तर्क भारतीय नेताओं द्वारा पुनः विचार-विमर्श के दौरान काम में लाये गये। लाजपतराय ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग को 1928 में प्रस्तुत न करने के अनेक विवेकयुक्त कारण व्यक्त किये। उनके अनुसार कांग्रेस द्वारा तत्काल लक्ष्य के रूप में स्वाधीनता की अपरिपक्व मांग भारत की देशी रियासतों को सन्देहास्पद एवं प्रतिगामी बना सकती थी। भारतीय नेतृत्व के समक्ष तत्काल लक्ष्य यह होना चाहिये था कि वे पहले भारतीय रियासतों को अपनी और जीतने की कोशिश करें क्योंकि ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय देशी रियासतों का मिश्रण भारत की राजनीतिक प्रगति एवं स्वतन्त्रता के लिये घातक सिद्ध हो सकता था। उनकी यह भी मान्यता थी कि भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता की मांग जनता की रचनात्मक

राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों से विमुख करती है। यह देश में राष्ट्र-निर्माण के विभागों के लिये बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों को देखते हुए लाजपतराय ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग के किसी कार्यक्रम को प्रारम्भ करने का समर्थन नहीं किया। उनकी यह मान्यता रही है कि केवल नारेवाजी एवं प्रस्तावों के पारित करने मात्र से पूर्ण स्वाधीनता की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए एक दीर्घकालीन संघर्ष की आवश्यकता थी। वे अहिंसा के समर्थकों से अधिक आशान्वित नहीं थे जब तक कि वे कोई और अधिक प्रभावशाली कदम नहीं उठाते।<sup>36</sup>

लाजपतराय ने भावी शासन की संरचना पर समय नष्ट न करने का विचार भी प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भविष्य के भारतीय संविधान के संघात्मक अथवा एकात्मक होने के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें साम्प्रदायिक मुसलमानों की यह बात स्वीकार नहीं थी कि प्रान्तों की अवशिष्ट शक्तियों से मुक्त स्वायत्तता दे दी जाय। आगाखां तथा मोहम्मद शफी के तर्कों के विपरीत लाजपतराय ने यह व्यक्त किया कि 'ऐसे समूह जो किसी राज्य में अल्पसंख्या में थे, संघात्मक शासन के अन्तर्गत अपने राज्य से भी अधिक उपयोगी कार्य कर सकते थे यदि उन्हें केन्द्रीय शासन में पूर्ण प्रतिनिधित्व देने के लिये एकीकृत होने की सुविधा दी जाती।' उनके अनुसार विश्व के किसी संघात्मक संविधान में, चाहे वह केन्द्रीयकरण अथवा विकेन्द्रीयकरण पर आधारित हो, ऐसे प्रयोग कभी नहीं किये गये, फिर भी उनकी यह राय थी कि ऐसा अपूर्व प्रयोग भारत के लिये विचारणीय था। उनके अनुसार विश्व में भारत ही ऐसा देश था जहाँ बहुसंख्यक अथवा अल्पसंख्यक का निर्णय धार्मिक आधार पर किया जाता था। यह कुटिल परम्परा अंग्रेजी भारत में ही प्रचलित थी।<sup>37</sup>

लाजपतराय ने भारत की समस्याओं को केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही नहीं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा। उन्होंने भारत के राष्ट्रवादियों से अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचने-विचारने का आग्रह किया। उनके अनुसार 'भारत को शेष विश्व से पृथक् रखने के लिए अंग्रेजी शासन चाहे जितना भी प्रयास क्यों न करले, यह असंभव ही है। यदि भारत की संतानें ऐसा करती हैं तो वे अपनी बेड़ियों को ही मजबूत करेंगी और देश उनके बोझ से दबा ही रहेगा।'<sup>38</sup> उन्हें 1918 के बाद का विश्व अन्तर्राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दिया जिसमें संकीर्ण राष्ट्रवाद तिरोहित हो रहा था। उन्होंने प्रथम विश्व महायुद्ध को प्रजातियों एवं राष्ट्रों, धर्मों एवं भाषाओं के सामाजिक सम्मिश्रण द्वारा पारस्परिक विनाश का अभूतपूर्व उदाहरण माना। प्रथम महायुद्ध ने रूस में क्रांति को जन्म दिया तथा बोल्शेविकवाद ने अन्तर्राष्ट्रवाद का नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बोल्शेविकवाद का यह विस्तार भारत की तत्कालीन स्थितियों में परिवर्तन करके ही रोका जा सकता था। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता का दिग्दर्शन कराते हुये लाजपतराय ने मत व्यक्त किया कि भारत पूर्व एवं सुदूर-पूर्व के निकट होने के कारण विश्व व्यापार का मध्यगृह है। इसके द्वारा यूरोपीय आर्यों तथा पीली प्रजातियों में सन्तुलन बना हुआ है। यदि श्वेत एवं पीत प्रजातियों में कोई संघर्ष हुआ तो भारतीय जनता की इसमें निर्णायक भूमिका होगी। शांति के कार्यों में भारत की भूमिका समन्वय-कारक सिद्ध होगी।<sup>39</sup> लाजपतराय ने भारत में स्वतन्त्र एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की

स्थापना को भू-राजनीति के विवेचन पर आधारित करते हुये व्यक्त किया कि 'भारत के उत्तर-पूर्व में गणवादी चीन, उत्तर-दक्षिण में संवैधानिक फारस तथा निकट उत्तर में बोल्शेविक रूस के होते हुये भारत को निरंकुशता से शासित करना अत्यन्त मूर्खतापूर्ण होगा। विश्व शांति, अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय एवं सद्-इच्छा, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का सुनाम एवं ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा भारत में लोकतन्त्र की प्रस्तावना एवं उसके विकास की मांग करती है'<sup>40</sup> और भारत में लोकतन्त्र की स्थापना का अर्थ था भारत की स्वतन्त्रता।

उन्होंने राष्ट्र-संघ की स्थापना को केवल एक कूटनीतिक तमाशा मानते हुये भी उसे सफल बनाने का आह्वान किया। वे चाहते थे कि भारत राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में उपयोगी भूमिका निभाये। वे चाहते थे कि भारत की स्वाधीनता के लिये विश्व-जनमत तैयार किया जाय। उन्हें भारत की स्वतन्त्रता के लिये अन्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं था। विदेशी राजनीतिक अथवा सैनिक सहायता उन्हें पसन्द नहीं थी।<sup>41</sup> वे भारत के लिये अन्य राष्ट्रों का नैतिक समर्थन मात्र चाहते थे। लाजपतराय ने विदेशों में भारत के समर्थन में प्रचार करने के लिए पांच सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनके अनुसार (1) सूचना ब्यूरो, (2) प्रचार ब्यूरो, (3) किताबें, (4) समाचार ऐजेंसियां तथा (5) प्रोफेसरों का विनिमय करके भारत के सम्बन्ध में विदेशों में फैली ध्रान्ति को दूर किया जा सकता था। लाजपतराय ने विदेशों में भारत की स्वाधीनता के समर्थन में स्वस्थ प्रचार की आवश्यकता पर इस कारण भी अधिक बल दिया कि अमेरिका, जर्मनी तथा जापान में कार्यरत भारतीय क्रांतिकारियों ने भारत के भविष्य के सम्बन्ध में अनेक संदेह एवं भ्रम उत्पन्न कर रखे थे। विदेशों में प्रचार किया जा रहा था कि भारतीय जनता जर्मनी के सहयोग से भारत की सशक्त मुक्ति का प्रयास कर रही थी। लाजपतराय क्रांतिकारियों के ऐसे भ्रामक प्रचार का शमन करना चाहते थे।<sup>42</sup>

लाजपतराय ने एक भविष्यद्रष्टा की भांति व्यक्त किया कि ब्रिटिश साम्राज्य अथवा साम्राज्यवादी नीतियों के सहारे अधिक समय तक नहीं बना रह सकता। उनका यह आग्रह था कि पहले भारत को ब्रिटिश राष्ट्रकुल में राजनीतिक समानता का स्तर प्रदान किया जाय। तत्पश्चात् भारत विश्व-राष्ट्रों में इसे स्वतः प्राप्त कर लेगा। वे ब्रिटेन के साथ भारत के सम्बन्धों में उन राजनेताओं एवं राजनीतिज्ञों को, विचारकों तथा कार्यकर्ताओं को सहयोग देना चाहते थे जो मानने थे कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य को ब्रिटिश राष्ट्रकुल में परिवर्तित नहीं किया गया तो ब्रिटिश साम्राज्य उसी तरह नष्ट हो जायेगा जिस प्रकार अन्य साम्राज्य।<sup>43</sup>

लाजपतराय ने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया कि 'लोकतंत्र के लिए विश्व तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता, जब तक भारत पराधीन है। विश्व शांति भी भारत की स्वतंत्रता के बिना पूर्णतया स्थापित नहीं हो सकती।' उनके अनुसार 'समस्त विश्व एक परिवार के रूप में परिवर्तित हो रहा है। जो कोई इस प्रक्रिया अथवा योजना का मार्ग अवरुद्ध करना चाहेगा, यह न केवल अपने देश के प्रति, अपितु समस्त मानवता के लिए विश्वासपाती होगा।'<sup>44</sup>

लाजपतराय ने समस्त विश्व की एकता का आभास प्राप्त करते हुये व्यक्त कि 'मूलभूत मानवीय प्रकृति सर्वत्र समान है। सामाजिक, भाषायी एवं ...'

अन्तरों को छोड़कर शेष मानवता को प्रजातीय अन्तरों के कारण पृथक्त्व की संज्ञा देना अतिशय अशुभ है। भाषायी एवं जलवायु सम्बन्धी अन्तर तो रहेंगे किन्तु सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अन्तरों का लोप हो जायेगा। उनके अनुसार विश्व में एकता का यह अर्थ नहीं है कि सभी राष्ट्र एकरूपता में आबद्ध हों। विश्व की विभिन्नता एवं अनेकता मोहक है। यही अनेकता एकता को जन्म देगी। विभेदों को दूर कर सशक्त तत्त्वों को पुष्ट किया जाना बाँझनीय है।<sup>45</sup> इस सदर्भ में एशिया के अभ्युदय की आकांक्षा से अभिभूत होकर उन्होंने एक भविष्यद्रष्टा की तरह यह व्यक्त किया कि 'अब समय आ गया है जबकि अरब, ईरानी, हिन्दू, चीनी तथा जापानी मिलकर उन तथ्यों पर विचार-विमर्श करें जो उनमें निकटता उत्पन्न करते हैं। एशिया की एकता यूरोप तथा यूरोपीय चिन्तन को सगठित करेगी और एशिया के प्रति भयभीत होकर तथा एशिया के एकता सूत्र में बन्धन पर विश्व-एकता स्थापित होगी। अमेरिका चूँकि यूरोप का शिशु है और अफ्रीका एशिया का शिशु, दोनों ही विश्व में समन्वय, एकता एवं आत्मसात्करण की प्रक्रिया में सहायता देंगे। विश्व युद्ध (अथवा युद्धों) द्वारा विश्व एकता का उदय होगा।'<sup>46</sup>

इस प्रकार लाजपतराय राष्ट्रवादी विचारक होकर भी विश्व-एकता को राष्ट्रीय जागरण का उन्नत स्वरूप मानते रहे।

### सामाजिक विचार

लाजपतराय के सामाजिक विचारों पर उनके प्रारम्भिक सम्पर्कों का विशेष प्रभाव रहा। उनकी सामाजिक गतिविधियों का प्रारम्भ आर्यसमाज के प्रभाव में हुआ था। आर्यसमाज ने उनके राष्ट्रीय एवं राजनीतिक विचारों को भी प्रभावित किया था। सिडेनी वैंब ने लाजपतराय-रचित आर्यसमाज की प्रस्तावना में लिखा था कि आर्यसमाज ने हिन्दू धर्म की रूढ़िवादिता को परिष्कृत कर जीवन के सामान्यीकरण एवं भारतीय बौद्धिक चिन्तन के परिवर्द्धन का सुधारवादी तथा पुनर्जागरणवादी कार्य सम्पादित किया। आर्य समाज ने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध विद्रोह किया।<sup>47</sup> हिन्दुओं के सामाजिक नवनिर्माण-कार्य में आर्यसमाज की भूमिका ने लाजपतराय को भी प्रभावित किया। वे सामाजिक सुधारों के कार्य में जुट गये। आर्यसमाज ने जिस प्रकार से जाति-व्यवस्था का विरोध, बालविवाह की भर्त्सना, विधवाओं की दयनीय स्थिति का प्रतिकार तथा दलितवर्गों एवं अछूतों के उद्धार का महात्म्य कार्यक्रम चलाया, उससे लाजपतराय अछूते न रहे। उन्होंने आर्यसमाज से प्रभावित होकर अपने सामाजिक विचारों को तदनु रूप बनाया और स्वयं आर्यसमाज को नवीन दिशा बोध दिया। उनके नेतृत्व में आर्यसमाज को आन्दोलन से संयुक्त कर दिया गया। उनके अनुसार समाज-सुधार का कार्य राष्ट्रीय समृद्धि की कुंजी था।<sup>48</sup>

दयानन्द सरस्वती से भिन्न लाजपतराय विचारों में सुधारवादी दृष्टि से समान लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। उनके अनुसार बालविवाह, स्त्रियों की शिक्षा, दलित जातियों के उद्धार, विदेश यात्रा, उपजाति व्यवस्था आदि विवादास्पद विषयों पर भी सुधारवादियों एवं पुनर्जागरणवादियों के रवैये में कोई मौलिक अन्तर नहीं था। केवल विधवा-विवाह को लेकर कुछ मनोमालिन्य अवश्य था, अन्यथा दोनों ही दल समान राष्ट्रीय कार्यक्रम को लेकर चतुर रहे थे। लाजपतराय के मतानुसार रानाडे-समर्थित सुधारवादियों

का 'विवेक के आधार' पर सुधारों का आविर्भाव तथा अग्र्य समाज एवं तिलक के समर्थक सुधारवादियों का 'राष्ट्रीय सुधारों का कार्यक्रम' दोनों ही उपयोगी थे। समाजसुधार का कार्यक्रम विवेक एवं राष्ट्रियता पर ही आधरित होना चाहिये था। 'सुधार' एवं 'पुनर्जागरण' दोनों के मौलिक अन्तरो को स्पष्ट करते हुये लाजपतराय ने व्यक्त किया कि जहाँ सुधारवादी विवेक एवं यूरोपीय समाज से प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे, वहाँ पुनर्जागरणवादियों के प्रेरणा स्रोत उनके शास्त्र तथा उनकी भूतकालिक ऐतिहासिक धरोहर, जनता की मान्यताये तथा वे प्राचीन संस्थायें थीं, जबकि भारत राष्ट्र अपने उत्कर्ष के सर्वोच्च शिखर पर था। दोनों ही मतों से प्रभावित होकर लाजपतराय ने सुधार एवं पुनर्जागरणवाद में समन्वय स्थापित किया।<sup>49</sup> वे न तो प्राच्य प्रभावों के विरुद्ध थे और न पाश्चात्य प्रभाव के विरोधी ही थे। लाजपतराय के अनुसार प्राचीन हिन्दुओं की किसी भी दृष्टिकोण से विश्व की शेष जनता से हीन नहीं माना जा सकता था। फिर भी वे भारत के समस्त अतीत का पुनर्जागरण असम्भव मानते थे। इसी प्रकार उन्हें पश्चिम का अधानुकरण स्वीकार नहीं था। रानाडे-समर्थक सुधारवादियों को लाजपतराय ने चुनौती देते हुये यह पूछा कि 'सुधारवादी किस प्रकार का सुधार चाहते हैं? क्या वे हमें अथेजो अथवा फ्रांसिसियों के समान सुधारना चाहते हैं? क्या वे हमें ईसाई समाज के विवाह-विच्छेद नियम अथवा फ्रांस तथा अमेरिका में प्रचलित अस्थायी विवाह पद्धति स्वीकार करना चाहते हैं? क्या वे हमारी स्त्रियों में वे पुरुषोचित सम्बन्ध स्थापित कराना चाहते हैं जो प्रकृति के विपरीत है? क्या हमारा समाज ऐसी यूरोपीय बुराइयों को ग्रहण करलें?'<sup>50</sup> इस प्रकार लाजपतराय ने सामाजिक सुधारों के अपने 'स्वदेशी' कार्यक्रम को मूर्त रूप देते हुये पश्चिम के अधानुकरण ही प्रवृत्ति वाले भारतीय सुधारवादियों को आड़े हाथों लिया।

लाजपतराय-ने यह व्यक्त किया कि भारतीयों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना एवं जागृति के संचार की आवश्यकता है। वे राज्य के कल्याणकारी कार्यों में व्यक्ति के सामाजिक दायित्व को आवश्यक तत्त्व के रूप में मानते थे। राज्य द्वारा व्यक्ति के सर्वतोन्मुखी विकास का प्रयास तभी सम्भव हो सकता था जबकि व्यक्ति स्वयं इसके प्रति जागरूक हो। वे पश्चिमी देशों की लोक-हितकारी व्यवस्थापन प्रणाली के प्रशंसक थे। शिशुओं के लिए पीठिक आहार, निधन व्यक्तियों के लिए उचित आवास, जन स्वास्थ्य एवं उपचारात्मक सुविधायें, शोषण से बालकों की सुरक्षा, स्त्री-उद्धार, उन्नत विवाह नियम, वृद्ध एवं अपाहिजों के लिए सुविधायें एवं समुचित वेतन आदि के प्रयोजन के लिये शासकीय प्रयासों के वे पक्षपाती थे। यद्यपि उनके समय में शासन का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक नहीं था, फिर भी उन्होने भारत में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना के विचार उपयुक्त आधारों पर व्यक्त किये।<sup>51</sup>

पश्चिम के देशों में सामाजिक सुधारों को जिस प्रकार का राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो रहा था वैसे भारत में सम्भवन था। लाजपतराय ने इसके लिए ब्रिटिश शासन तथा जनता में व्याप्त उदासीनता को दोषी ठहराया। उनके अनुसार भारत में शासक तथा शासित दोनों ही भीषणता का परिचय दे रहे थे। शासकदल नीति एवं वित्त का सहारा लेकर अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा था तो शासित जनता उनके घरेलू मामलों में शासकीय हस्तक्षेप के भय से त्रस्त थी। उन्हें इस बात का क्षोभ था कि भारत में



वादियों को न केवल अज्ञान एवं ईर्ष्या का ही सामना करना पड़ रहा था, अपितु राज्य द्वारा उन्हें समुचित समर्थन भी नहीं मिल पा रहा था जिसकी सुधारवादियों को आवश्यकता थी। राज्य के समर्थन के बिना पुराने सामाजिक ढाँचे को नहीं बदला जा सकता था। उनके अनुसार धर्म तथा सामाजिक जीवन के सम्मिश्रण ने भारत में राजनीतिक एवं समाज सुधार के मध्य गहरा अन्तर उत्पन्न कर दिया था। इसके कारण सामाजिक सुधार की गति धीमी होना स्वाभाविक था।

लाजपतराय के अनुसार धर्म का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता था। सामाजिक सुधारों पर धर्म का प्रभाव अपरिहार्य था। विरोधाभास प्रतीत होते हुये भी यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था कि 'भारत में धर्म की सत्ता के कारण ही सामाजिक सुधार सम्भव हुए।' इस दृष्टि से लाजपतराय के विचार स्वामी विवेकानन्द के सदृश लगते हैं। वे ब्रह्म-समाज, आर्यसमाज, सनातन धर्म तथा सर सैयद अहमद खाँ द्वारा चलाये गये समाजसुधार कार्यों को धर्म पर आधारित मानते थे। धर्म-प्रधान भारत में धर्म का सारांश लिये बिना कोई भी महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधार क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था। उनके अनुसार धर्म के साथ-साथ बुद्धिवाद, विवेक तथा विज्ञान को भी सामाजिक अंधविश्वास एवं द्वेष के निवारणार्थ प्रयुक्त किया गया था।<sup>52</sup> रुढ़िवादिता को समाप्त करने में धर्म तथा विज्ञान का सम्मिश्रण लाजपतराय की अनुपम दृष्टि का परिचायक है।

लाजपतराय ने अछूतों की समस्या के निवारण के लिए अनेक उपयोगी विचारों एवं कार्यों सहित अपना समस्त जीवन अर्पित कर दिया। वे अछूतों की दयनीय स्थिति के लिए हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था को दोषी मानते थे। वे जाति-व्यवस्था के बन्धनों को दूर करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे। हिन्दुओं के बौद्धिक एवं नैतिक स्तर को तब तक ऊँचा उठा हुआ मानने को वे तैयार नहीं थे, जब तक समाज में दलित वर्ग की स्थिति सुधार नहीं ली जाती। वे दलित वर्ग को सामाजिक प्रतिष्ठा में अन्य वर्गों के समान बनाना चाहते थे ताकि उनके साथ सामाजिक अन्याय तथा भेदभाव न बरता जाय। वे हिन्दू समाज के इस कलंक को दूर करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ रहे। स्वयं महात्मा गांधी ने 4 जनवरी, 1934 के 'हरिजन' में लाजपतराय के योगदान का विवरण देते हुये लिखा कि 'हिन्दू भारत जब हरिजनों के प्रति कर्तव्यों की ओर जाग्रत भी नहीं हुआ था, तब लाला लाजपतराय ने त्रुटि-रहित प्रभावशाली भाषा में उद्घोषणा की कि छुआछूत की बुराई हिन्दू-धर्म का कलक थी। यदि लाला जी ने जीवनपर्यन्त ओर कोई भी कार्य नहीं किया होता, तब भी हम हिन्दू उनके द्वारा छुआछूत के विरुद्ध घोषित युद्ध के लिये उनकी पवित्र स्मृति में श्रद्धावन्त रहते।'।

छुआछूत की समस्या के निवारण के लिये लाजपतराय ने वेदों का उदाहरण देते हुये कहा कि प्राचीन जाति-व्यवस्था परिवर्तनशील थी। आर्यों के समाज में कोई भी व्यक्ति अपने गुणों पर उच्च स्थान प्राप्त कर सकता था। शास्त्रों के आधार पर निम्न वर्ग के प्रति दुर्व्यवहार उचित नहीं ठहराया जा सकता था। उन्होंने भारत की राजनीतिक एकता एवं आर्थिक समृद्धि के लिये अछूतों को आवश्यक माना। उन्होंने भारत के पारचात्य शिक्षण में पले बुद्धिजीवियों को उनके दलितवर्ग के प्रति घृणास्पद व्यवहार को दुतकार, क्योंकि सम्भ्रांतवर्ग स्वतंत्रता एवं समानता की बातें तो करता था, किन्तु अछूतों एवं

दलित समुदाय के साथ बैठने अथवा भोजन करने में उसे संकोच होता था। लाजपतराय को यह स्थिति शोचनीय लगती थी, क्योंकि दलितवर्ग जातियों के साथ हिन्दू सवर्णों का यह व्यवहार उन्हें किसी दिन धर्म-परिवर्तन के लिए विवश कर सकता था। इसकी संभावना और भी प्रबल इस आधार पर थी कि ईसाई धर्म, जो कि धर्म परिवर्तन का जन्मसिद्ध आन्दोलन भारत में चलाये हुये था, इन दलित समुदायों पर अपनी दृष्टि जमाये हुये था। अतः लाजपतराय ने हिन्दुओं को हिन्दूकरण का बोध कराकर हरिजनों को समाज का अविभाज्य अंग माना और स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत कर सहस्रों हरिजनों को यज्ञोपवीत धारण करवाया, उन्हें सवर्णों का दर्जा दिया और उनके साथ बैठकर भोजन-पानी ग्रहण किया। उन्होंने हरिजनोद्धार के लिए सवर्णों से समस्त देवालयों के द्वार खोलने का आग्रह किया। उनसे शिक्षा के प्रचार को व्यापक अभियान के रूप में चलाने का आग्रह किया ताकि वे स्वयं अपने सामाजिक स्तर को उच्च करने के प्रति जागरूक बनें।<sup>53</sup> लाजपतराय ने लाहौर में अपनी स्वयं की भूमि का बहुत बड़ा भाग हरिजनों के स्वस्थ आवास के लिये दान में दे दिया।

शिक्षा के सुधार का कार्य करके लाजपतराय ने सामाजिक चिन्तन को नया मोड़ दिया। वे पब्लिक स्कूल शिक्षा-पद्धति के प्रबल विरोधी थे। उनके अनुसार अमेरिका का उदाहरण, जहां गरीब तथा धनकुबेर दोनों के बच्चों की समान शिक्षा की व्यवस्था थी, ब्रिटेन के कुलीनतंत्रीय एवं आर्थिक भेदभावपूर्ण शिक्षाक्रम से अधिक अच्छा था।<sup>54</sup> वे चाहते थे कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण समानता का व्यवहार कर सभी को समान स्तर की शिक्षा प्रदान की जाय। लाजपतराय ने विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किये। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार कर ऐसे विद्यालयों की स्थापना का आह्वान किया जो भारतीयों में राष्ट्रीयता का पूर्ण बोध एवं समावेश कर सके। वे शिक्षा को साम्प्रदायिक बन्धनों से भी मुक्त रखना चाहते थे तथा शिक्षा की प्रगति का तथा प्रगति को स्वतंत्रता का सूचक मानते थे। उन्हें भारतीय समाज में व्याप्त त्याग एवं जीवन में नकारात्मकता की भावना भारतीय संस्कृति के द्रुष्टिपूर्ण अध्ययन का परिणाम प्रतीत हुई। भारतीय संस्कृति में त्याग की आध्यात्मिक भावना भौतिक उपलब्धियों के परित्याग को सूचक नहीं थी। जीवन को नीरस, दुःखमय एवं बोझिल बनाने वाले साम्प्रदायिक व धार्मिक दृष्टिकोण उन्हें स्वीकार नहीं थे। वे प्रत्येक भारतीय में जिंदादिली देखना चाहते थे ताकि भारत अपने राष्ट्रीय गौरव का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। उनका कथन था कि भारत के ऋषि-मुनि एकान्त में आश्रम स्थापित कर साहित्य-साधना अथवा शोध-कार्य में लगे रह कर सामाजिक लक्ष्यों को प्रशस्त करते थे। वे मोक्ष प्राप्ति के लिये ही साधना नहीं करते थे, अपितु समस्त मानव जीवन की समस्याओं का हल ढूँढ़ते थे। उनका यह कार्य हमने भुला दिया और हम त्याग को ही जीवन का सर्वोच्च आदर्श मानने लगे। लाजपतराय के अनुसार जीवन का उद्देश्य इच्छाओं का दमन करना अथवा भवबन्धन से मुक्ति पाना ही नहीं था। जीवन में नकारात्मक लक्ष्यों का पालन कर चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता थी, न कि साधुवादी प्रवृत्ति की।<sup>55</sup>

लाजपतराय ने भावी भारत के निर्माण के लिये बच्चों के उचित लातनपालन तथा उनके बौद्धिक विकास के लिए स्कूल तथा कॉलेज-शिक्षा ग्रहण करने वाले लड़के एवं लड़कियों

को सहशिक्षा का अवसर देने की आवश्यकता प्रतिपादित की। वे हर स्तर पर सह-शिक्षा के समर्थक थे ताकि युवक एवं युवतियां अपने भविष्य का स्वयं निर्माण कर सकें। लाजपतराय ने इस दृष्टि से हमारे दम्भपूर्ण नैतिक दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की सलाह दी ताकि हम लड़के लड़कियों को हिल-मिलकर स्वतंत्र, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास का जीवन जीना सिखावें। वे शिक्षकों से यह चाहते थे कि वे विद्यार्थियों का हाथ की मिट्टी समझ कर स्वेच्छानुसार उन्हें ढालने का प्रयास न करें। विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की प्रकृति के अनुसार जीवन बनाने का अवसर दिया जाय। विद्यार्थियों का जीवन, प्रकृति वंशानुगतता एवं पर्यावरण की उपज है, न कि शिक्षकों की आज्ञा एवं सत्ता के दासत्व का। उनके अनुसार छात्रों को निरन्तर दबाव में रखने से उनके पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित गुणों का विकास नहीं होता। माता-पिता तथा अध्यापकों को बालकों की इज्जत करनी चाहिये। उन्होंने इस संदर्भ में जापान का उदाहरण दिया और व्यक्त किया कि जापान में बच्चों को प्रताड़ना नहीं दी जाती, फिर भी उनके बालक विवेक के उदाहरण हैं।<sup>56</sup> इस प्रकार उन्होंने बाल-मनोविज्ञान के सूक्ष्मतम पक्षों का विवेचन करते हुये बच्चों के स्वाभाविक विकास के मानवीय पहलू को स्पष्ट किया।

शिक्षा के क्षेत्र में लाजपतराय ने प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति की आलोचना की और उसके दोषों के निवारणार्थ अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। वे भारतीयों को उन्नत एवं प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उनके अनुसार यूरोपीय भाषाओं, साहित्य एवं विज्ञान के अध्ययन को तिरस्कृत नहीं समझा जाना चाहिये। उनके शब्दों में, "क्या हम पाश्चात्य विज्ञान एवं दर्शन को अस्वीकार कर दें क्योंकि विज्ञान में आविष्कर्ता एवं दार्शनिक अ भारतीय हैं? क्या हम शेक्सपीयर, वेकन, गेटे, शेली, एमर्सन, व्हिटमैन का इस कारण अध्ययन न करें कि वे भारतीय नहीं थे? क्या हम ओपध, शल्प, रोगविज्ञान, स्वास्थ्य, यात्रिकी (नगर, प्रविधि, विद्युत, कृषि, खनन) वनस्पतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, प्राणीशास्त्र आदि का इस कारण अध्ययन न करें कि हमारे यहाँ इन विषयों पर उपलब्ध साहित्य पाश्चात्य साहित्य की तुलना में अल्प है? क्या हम जहाजरानी, वाणिज्य, बैकिंग-बीमा, राजनीति, समाजशास्त्र आदि का आधुनिक अध्ययन न करें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की महत्ता को स्वीकार करके भी क्या हम आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन से स्वयं को वंचित रखें?" इस प्रकार लाजपतराय ने अत्याधुनिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। वे नहीं चाहते थे कि आधुनिक तथा यूनानी पद्धतियों को हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मूल्य पर पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। आधुनिक चिकित्सा, शिशु एवं मातृत्व विज्ञान का इस कारण त्याग नहीं किया जा सकता कि हम अधिक राष्ट्रीय होने के नाम पर अपने पुरुषों और स्त्रियों को इस विश्व में लाकर प्राचीन पद्धतियों के नाम पर उन्हें सहस्रों की संख्या में मरने के लिये छोड़ दें। इसी प्रकार लाजपतराय को धर्म शास्त्र तथा मनु, नारद, आपस्तंब आदि की संहिताओं के समक्ष आधुनिक व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित संहिताओं को त्यागने में बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई देती थी। उन्होंने शस्त्र-विद्या के आधुनिकतम प्रयोगों एवं उपकरणों को अपनाने तथा युद्ध-कौशल की नवीन पद्धतियों को तीर कमान, तलवार तथा भाले की तुलना में राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी मानने का आग्रह रखा।<sup>57</sup> इस प्रकार लाजपतराय के विचारों में

सामाजिक परम्पराओं के साथ-साथ आधुनिकता का पूर्ण समावेश था। वे आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को भारत के उत्कर्ष में सम्बन्धित मानते थे।

उनके सामाजिक विचारों में आधुनिकीकरण की भूलक इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि वे भारतीय स्त्रियों को पुरुषों के समान समस्त अधिकार दिलाने के भी प्रेरक थे। उनके अनुसार प्राचीन समय से प्रचलित यौन नैतिकता को परिवर्तित करने की आवश्यकता थी। स्त्रियों को केवल वच्चे उत्पन्न करने वाली मशीनें नहीं माना जा सकता था। शारीरिक दृष्टि से पुरुषों एवं स्त्रियों के अन्तर को स्वीकार करते हुये भी लाजपतराय यह मानते थे कि स्त्रियों को सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित, सम्मानित एवं शिक्षित करने की आवश्यकता थी। वे विवाह के पूर्व लड़कियों को उनकी सम्मति तथा अपने भावी पति के साथ वार्तालाप का अवसर देना चाहते थे ताकि वैवाहिक जीवन के भावी शारीरिक, भावनात्मक एवं आर्थिक पक्ष में असन्तोष न उत्पन्न हो। वे अन्तर्जातीय विवाहों के भी पक्ष में थे। वे वर्णाश्रम धर्म की पुरानी मान्यताओं को परिवर्तित कर अन्तर्जातीय सम्बन्धों पर बल दे रहे थे। स्त्रियों को उच्चतम शिक्षा देने के समस्त साधन प्रस्तुत करने के साथ-साथ उनका यह भी सुझाव था कि स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिये भारत में नारी-व्यायामशालाएँ एवं स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित किये जायें।<sup>58</sup>

### आर्थिक विचार

लाजपतराय अपने राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ से ही विदेशी पूँजी के प्रतिगामी आर्थिक प्रभावों का परिणाम देख रहे थे। उन्होंने भारत में आर्थिक विकास के अनेक महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये। 1891 में उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए हडिडियों के निर्यात एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद के रूप में उसके प्रयोग पर लेख लिखा।<sup>59</sup> उन्हीं के आर्थिक विचारों के परिणामस्वरूप 1900 में कांग्रेस ने आर्थिक एवं औद्योगिक समस्याओं पर विचार करने का समय अधिवेशनों के लिए निश्चित किया। कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रथम औद्योगिक समिति के सदस्य के रूप में लाजपतराय ने स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण एवं उनके उपयोग का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्हीं के सद्प्रयासों से कांग्रेस अधिवेशन के साथ-साथ प्रतिवर्ष औद्योगिक प्रदर्शनी लनायी जाने लगी जिसमें भारतीयों द्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुओं का प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ।<sup>60</sup>

लाजपतराय ने दादाभाई नौरोजी तथा विलियम डिंगी के विचारों का समर्थन करते हुए भारत की आर्थिक विपन्नता के लिये अंग्रेजी शासन को उत्तरदायी ठहराया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंग्लैण्ड्स डेट टु इण्डिया में लाजपतराय ने व्यक्त किया कि अंग्रेजों के शासन के पहले भारत पर आक्रमण करने वाली प्रजातियों ने भारत की सम्पदा भारत में ही बनाये रखी। मुगल शासन को देशी शासन की संज्ञा देकर उन्होंने सिद्ध किया कि मुगल-शासन में फारस अथवा अरब देशों में कोई "इण्डिया आफिन" नहीं खुला और न किसी मेनचेस्टर तथा लंकाशायर की ही वहाँ मृष्टि की गई। उन्होंने भारत के धन को भारत में रखा। एक-दो विदेशी आक्रमणकारियों के अलावा वेप ने भारत को ही अपना बतन स्वीकार किया, किन्तु अंग्रेजी शासन ने भारत का बौद्धिक, राजनीतिक एवं आर्थिक शोषण कर भारत की आर्थिक सम्पदा का अपने देश के उद्योगों पर निरोजन किया।

उनके अनुसार इंग्लैण्ड की आर्थिक समृद्धि एवं उनकी औद्योगिक क्रांति भारतीय धन पर प्राधारित थी। भारत के उद्योगों को चौपट कर इंग्लैण्ड ने अपने यहां भारतीय धन से बड़े-बड़े उद्योग एवं महानगर स्थापित किये। भारत की बढ़ती हुई निर्धनता के साथ-साथ इंग्लैण्ड की समृद्धि बढ़ती गई। शोषण की इस ददंनक गाथा का लाजपतराय ने सजीव चित्रण प्रस्तुत कर भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद को सम्बल प्रदान किया।<sup>61</sup>

अपनी इंग्लैण्ड यात्रा (1905) के दौरान लाजपतराय वहां के सुप्रसिद्ध समाजवादी श्रमिक नेताओं के सम्पर्क में आये। श्रमिक-दल के कीयर हार्डी, रेमजे मेकडोनेल्ड, सिडनी तथा बीट्रिस वैंब, जोसिया वैंजवुड तथा जॉर्ज लेन्सबरी के विचारों का उन पर प्रभाव पड़ा। 1907 में पंजाब के कृषक-ग्रान्दोलन का समर्थन एवं नेतृत्व करने के कारण लाजपतराय को माण्डले निर्वासित कर दिया गया किन्तु उन्होंने श्रमिकों, किसानों तथा निर्धन वर्ग की समस्याओं को अपने जीवन-कार्य का अंग बना लिया। श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए लाजपतराय ने व्यापक अभियान चलाया। उन्हीं के प्रयत्नों से भारत में पहली बार इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इन्टक) की स्थापना हुई। वे भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने तथा भारत की आर्थिक समृद्धि के लिये प्रयत्न-शील रहे। वे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (आई० एल० प्रो०) में भारतीय श्रमिक दल के प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा गये और वहां भारतीय श्रमिकों की दशा को सुधारने का तथा ब्रिटिश की शोषण नीति को समाप्त करने का प्रचार किया। उनके अनुसार प्रत्येक श्रमिक को उचित वेतन, आवास तथा आजीविका की सुरक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिये, चाहे वह खेतीहर श्रमिक हो अथवा औद्योगिक श्रमिक।<sup>62</sup>

लाजपतराय साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद के प्रबलतम विरोधी थे। वे साम्राज्यवादी शोषण को विश्व-मानवता का अभिशाप मानते हुये उसे व्यक्ति के गले में बैधा हुआ चक्की का पाट मानते थे। शोषण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूंजीवाद एवं पश्चिम की भौतिक संस्कृति का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वे यद्भाव्यम् अर्थात् कम से कम हस्तक्षेप की व्यक्तिवादी पूंजीवादी विचारधारा के विरोधी थे। उनके मतानुसार राज्य को जनता की आर्थिक उन्नति के लिये सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिये थी। वे समाज के आर्थिक ढांचे को अनुचित एवं शोषण पर प्राधारित मानते हुये उसे बदलना चाहते थे। उनका विचार ऐसे लोक-कल्याणकारी शासन की स्थापना का था, जहां प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्यवर्द्धक आवास तथा उचित परिधान प्राप्त हो सके। वे प्रत्येक मां के शिशु को, चाहे वह वैध संतान हो अथवा अवेध, भोजन एवं वस्त्र के साथ-साथ शिक्षा तथा विकास के समुचित अवसर प्रदान करने के इच्छुक थे। प्रत्येक वयस्क द्वारा राष्ट्रीय जीवन में योगदान, प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम तथा मनोरंजन की सुविधाएँ, सामाजिक अहिंसा, परिवार के लिये भूमि, वायु, पानी तथा अन्य भौतिक सुविधाओं की आवश्यक एवं उचित उपलब्धि, बेगार-प्रथा का अन्त, समान राजनीतिक स्तर की प्राप्ति, समुदायो एवं संघों की सदस्यता का स्वतन्त्र अधिकार, स्त्रियो तथा पुरुषों में अधिकारों की समानता आदि शासन के कर्तव्य उन्होंने प्रस्तुत किये। लाजपतराय द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त शासकीय कर्तव्य वर्तमान भारतीय जनता के भौतिक अधिकारों के समान प्रतीत होते हैं।<sup>63</sup>

लाजपतराय ने सम्पत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को समाजवादी दृष्टिकोण से देखा। वे यह मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता हुआ अधिक सम्पत्ति अर्जित करता है अथवा वह सम्पत्ति पसीने की कमाई से प्राप्त करता है, तो उसे निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार होना चाहिये बशर्ते वह उस सम्पत्ति से अन्य व्यक्तियों का शोषण अथवा उनका व्यक्तिगत या समष्टिरूप हनन न करता हो। इस प्रकार उन्होंने सम्पत्ति के सीमित अधिकार को मान्यता दी। वे भूमिहीन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भूस्वामित्व की जमींदारी प्रथा के विरुद्ध थे। उनका यह सुझाव था कि भूमि का अधिकार सीमा निर्धारित की जाय और स्वयं अपने हाथों से खेती करने वालों को ही भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जाय। वे भूमि-हीनों को अतिरिक्त भूमि वितरित करने के समर्थक थे और उन्हें विदेशी पूंजीपतियों तथा भारतीय पूंजीपतियों-दीनों-के शोषण से बचाना चाहते थे।<sup>64</sup>

आर्थिक समानता का समर्थन एवं शोषण का प्रतिकार करते हुये भी लाजपतराय हिंसा के द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन लाने के पक्ष में न थे। वे विकास के द्वारा आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे। भारतीय उद्योगों के विकास द्वारा भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने, रोजगार के अधिक अवसर उपस्थित करने तथा उत्पादन के माध्य-माध्य उपयोग की स्थिति को सुधारने का उनका विचार समाजवादी होते हुये भी मार्क्सवादी-साम्यवादी व्यवस्था के अनुरूप नहीं था। लाजपतराय भारत के उन मनीषियों में से थे जिन्हें मार्क्स के विचारों से परिचित होने का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ। वे पहले भारतीयों में से जिन्होंने रूस की साम्यवादी क्रान्ति (1917) का स्वागत किया। उन्हीं के सहयोग एवं आर्थिक सहायता से भारत को विश्व-प्रसिद्ध मार्क्सवादी-मानवतावादी विचारक मानवेन्द्रनाथ राय के रूप में देखने को मिला। वे भारत के श्रमिक-आन्दोलन के प्राण थे। फिर भी उन्हें साम्यवादी-मार्क्सवादी पद्धतियों के प्रति मोह नहीं था। उनके अनुसार भारत में मार्क्सवाद के लिये कोई स्थान नहीं था। वे भारतीय स्थितियों में लोकतान्त्रिक समाजवाद को ही उचित मानते थे ताकि भारतीय उद्योगपतियों तथा श्रमिकों एवं किसानों को एक ही मंच पर समानता के अधिकार-सहित लाया जा सके। उन्होंने मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा के नारों तथा कार्यक्रमों को विश्व-मानवता का परित्राण करने में बाधक माना। वे रूस की नीतियों से भलीभांति परिचित होते हुये यह चाहते थे कि भारत में हिंसा तथा राजकीय पूंजीवाद को सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का आधार न बनाया जाय। लाजपतराय सिद्धान्तवादी समाजवादी नहीं थे। वर्ग-संघर्ष तथा सर्वहारा के अधिनायकतन्त्र आदि के प्रति रुचि न दिख कर लाजपतराय ने चाहा कि भारत में भारतीय दृष्टिकोण अपनाकर ही आर्थिक समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। पश्चिम के अधानुकरण की प्रवृत्ति भारत के लिए हानिप्रद सिद्ध होगी।<sup>65</sup>

सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना के लिए लाजपतराय ने निर्धनता तथा शोषण के घन्ट का आह्वान किया। उनके अनुसार भारत की जनता का दमन एवं शोषण यथावत् रहा तो "हिमालय भी भारत में बोल्शेविकवाद के प्रवेश को नहीं रोक सकेगा"।<sup>66</sup> मानवीय गरिमा एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के समर्थक लाजपतराय ने मार्क्सवाद का विरोध किया। वे विचारवाद के दास नहीं थे अपितु भारतीय राष्ट्र के निर्माण में अस्त

चिन्तक थे। इसी कारण एक ओर उन्होंने धनश्यामदास विड़ला को अपना "राजनीतिक पुत्र"<sup>67</sup> माना तो दूसरी ओर श्रमिकों को संगठित करने के साथ-साथ भारत में समाजवाद का श्रीगणेश किया।

### धार्मिक विचार

लाजपतराय के धार्मिक विचारों का अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं कि वे किसी धर्म-विशेष के उत्थान अथवा उसकी प्रस्तावना का प्रयास कर रहे थे। उनके धार्मिक विचारों का महत्व भारत की साम्प्रदायिक राजनीति के विश्लेषण के कारण अपना महत्व रखता है। प्रालोचकों के एकपक्षीय विवेचन ने लाजपतराय को साम्प्रदायिक हिन्दू सिद्ध करने का प्रयास किया है। वास्तविकता यह है कि साम्प्रदायिक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं में लाजपतराय का नाम अग्रणी है। उन्होंने भारत के हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों पर जो विचार व्यक्त किये हैं, वे उनकी व्यक्तित्व महत्ता के प्रतीक हैं। उनके जैसा व्यक्तित्व समस्त आधुनिक सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन में मिलना कठिन है क्योंकि साम्प्रदायिकता से ग्रस्त होकर भी उससे ऊपर उठकर धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले उनके विचार विकासोन्मुख मानवीय पक्ष के द्योतक हैं। प्रारम्भ से अन्त तक धर्मनिरपेक्ष विचार रखने वाले चिन्तक के धार्मिक विचार ही नहीं सकते। इसी तरह साम्प्रदायिक राजनीति में निरन्तर फंसे हुए व्यक्ति के विचारों में निरपेक्षता मिलना कठिन है। किन्तु लाजपतराय इस दृष्टि से उपर्युक्त दोनों श्रेणियों से भिन्न हैं। वे साम्प्रदायिकता में रहकर भी उससे ऊपर उठने के प्रयास में सफल हुए और उनके विचारों की निरपेक्षता पूर्णतया निरपेक्ष विचारोंको से भी श्रेष्ठ थी क्योंकि उनको दोनों पक्षों की गहरी पैठ प्राप्त थी। धर्म से जो तादात्म्य उनका रहा, वह उसी प्रकार अद्वितीय था जैसा उनका साम्प्रदायिक राजनीति का विवेचन। आवश्यकता है उनके विचारों को विवेकयुक्त दृष्टिकोण से परखने की।

लाजपतराय का बाल्यकाल भारत के प्रमुख धार्मिक सम्प्रदायों का क्रीडांगन रहा। जैन धर्म, सिक्ख धर्म, हिन्दू धर्म व इस्लाम उन्हें परिवार से विरासत में प्राप्त हुये। ब्रह्मममाज, देवसमाज तथा आर्यसमाज से भी उनका सम्बन्ध रहा। अपने पिता की इस्लाम-परायणता के कारण वे नमाज भी पढ़ते और रमजान के महीने में उपवास करते किन्तु शीघ्र ही उनकी माता के हिन्दू विचारों की विजय हुई और उनके पिता का इस्लाम के प्रति मोहभंग हुआ।<sup>68</sup> लाजपतराय ने वयस्कता में आर्यसमाज का वरण किया। आर्य समाज के प्रति उनकी आसक्ति उनके अन्तराल में स्थित राष्ट्रवाद के विचारों के कारण ही बाद में स्पष्टतः प्रस्फुटित हुई। आर्यसमाज ने उनके राजनीतिक जीवन का मार्ग दर्शाया और वे हिन्दुओं की महत्ता तथा हिन्दू-राष्ट्रवाद के समर्थक बने।<sup>69</sup> उन्होंने वेदों की आपौरुषेयता को स्वीकार करते हुये किसी भी विपरीत आचरण को स्वीकार करने से मना कर दिया। वे हिन्दी के प्रयोग तथा प्रचार, हिन्दू संगठन तथा शुद्धि के आर्य समाजी कार्यक्रमों के समर्थक रहे। पंडित गुरुदत्त तथा लाला हंसराज के प्रभाव में लाजपतराय ने आर्यसमाज के आन्दोलन को पंजाब में लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने स्वामी दयानन्द की स्मृति को स्थायी बनाने के उद्देश्य से दयानन्द ऐंग्लो-वैदिक पाठशाला की स्थापना की तथा बाद में आर्यसमाज के तन्वावधान में लाजपतराय ने भारत में पढ़ने

वाले भयंकर दुर्भिक्षों के समय 'आर्य अकाल सहायता आन्दोलन' चलाये और सहस्रों अनाथ बालक-बालिकाओं को ईसाई मिशनरियों के चंगुल से बचाया तथा अनेक प्रकार की सेवाएं अकाल पीड़ित क्षेत्रों में दीं।<sup>70</sup>

कालान्तर से लाजपतराय के विचारों के अनेक परिवर्तन आये। उनके विदेश-प्रवासों तथा राष्ट्रव्यापी राजनीतिक आन्दोलन से उनके सम्बन्धित होने के कारण उनका दृष्टिकोण अन्य आर्यसमाजियों जैसा न रहा। वे आर्य समाज, हिन्दू संगठन तथा हिन्दी के अत्यधिक प्रचार को मुस्लिम पृथकतावादी प्रवृत्ति को और भी अधिक भड़काने वाले कारण मानने लगे थे। लाजपतराय ने स्वामी दयानन्द द्वारा अन्य धर्मों की आलोचना को दोषपूर्ण ठहराया। इस प्रकार लाजपतराय ने धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुये अन्य धर्मों की आलोचना तथा उनके संस्थापकों के प्रति अभद्रता का व्यवहार उचित नहीं ठहराया। लाजपतराय ने दयानन्द सरस्वती के मंतव्य को अन्तिम वाक्य नहीं माना।<sup>71</sup> आर्यसमाज में स्वामी श्रद्धानन्द की गुरुकुल शाखा का उन्होंने समर्थन नहीं किया। इसी प्रकार उन्होंने आर्यसमाज में शाकाहारी तथा मांसाहारी समुदायों के मध्य विवाद में मांसाहार का समर्थन किया। इस प्रकार आर्यसमाजी होते हुये भी लाजपतराय का दृष्टिकोण प्रगतिशील एवं सहिष्णुता से पूर्ण था।

वे साम्प्रदायिक सद्व्यवहार एवं सहिष्णुता के लिये कार्य करना चाहते थे। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम साम्प्रदायिकता को टुट्ट करने के लिये पृथक् प्रतिनिधित्व स्वीकार करने का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत में साम्प्रदायिक मनोमालिन्य फैलाने के लिये उत्तरदायी ठहराया।<sup>72</sup> गांधी जी द्वारा खिलाफत एवं असहयोग आन्दोलन में उन्होंने असहयोग को अपने विचारों के अनुरूप माना क्योंकि वे जीवन पर्यन्त शासन के प्रति असहयोगी बने रहे, किन्तु वे खिलाफत में धार्मिक विवाद को राजनीतिक आन्दोलन से मिलाने के मुद्दे पर गांधी के प्रबल विरोधी रहे। मुस्लिम साम्प्रदायिकता की बढ़ती हुई पृथक्त्व की नीति तथा साम्प्रदायिक दंगों को मुस्लिम नेताओं के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थन ने उन्हें चिन्तित कर दिया। उन्हें भारत में लोकतांत्रिक पद्धति से स्वराज्य की स्थापना मुसलमानों को अपनी संख्या के अनुपात से अधिक स्थानों पर प्रतिनिधित्व की मांग के समक्ष धूमिल होती दिखाई दी।<sup>73</sup> उन्होंने राष्ट्रीय समझौता करने में भी सहयोगी भूमिका निभाई और सदैव इस मत का समर्थन किया कि भारत में अत्यधिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाय किन्तु राज्य धर्म निरपेक्ष रहे। फिर भी मुस्लिम नेताओं ने खिलाफत के प्रश्न को लेकर साम्प्रदायिक विषयमन करने में कोई कमी न रखी। मोहम्मदमली तथा शौकतमली तो गांधी जी को भी इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने के स्वप्न देख रहे थे।<sup>74</sup> ऐसे वातावरण में किसी भी साम्प्रदायिक पक्ष की धार्मिक मान्यता को पूर्ण अधिकार (एबसोल्यूट राइट) कैसे दिया जा सकता था ?<sup>75</sup>

लाजपतराय ने मुसलमानों की हठधर्मिता को देखते हुए शुद्धि एवं संगठन के कार्यक्रम को उचित माना। वे मुसलमानों के आक्रामक रवैये को देखते हुये हिन्दुओं के संगठित होने का समर्थन करने लगे। यद्यपि लाजपतराय ने हिन्दुओं को संगठित होने का आह्वान किया, तथापि उनके विचार धार्मिक असहिष्णुता के विरोधी रहे। उन्होंने यह माना कि विभिन्न भाषा-भाषियों तथा धर्मों के देश भारत में किसी भी एक समुदाय द्वारा



अन्य समुदायों को अपने अधीन करने अथवा उनपर दबाव डालने का अधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता था। वे भारत की एकता को बनाये रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करने को उद्यत थे। वे राजनीति को धार्मिक संकीर्णता से दूर रखना चाहते थे।<sup>76</sup> हिन्दू मुस्लिम दंगों को उन्होंने धर्म के प्रति अज्ञानता की संज्ञा दी। उनके अनुसार साम्प्रदायिक दंगे धर्म की कमी के कारण हो रहे थे, न कि धर्म के प्राधिकार के कारण। उनकी मान्यता थी कि कोई भी धर्म, चाहे वह हिन्दू धर्म ही अथवा इस्लाम, हिंसा पर आधारित नहीं हो सकता।

लाजपतराय ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों के साम्प्रदायिक सम्बन्धों का विवचन करते हुए प्रकट किया कि भारतीय मुसलमानों को, जिनमें से अधिकांश धर्म-परिवर्तन के कारण हिन्दुओं से मुसलमान बने थे, पृथक् राष्ट्रीयता से अपने आपको संयुक्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिये था। वे सर्व-इस्लामवाद (पैन-इस्लामिज्म) के धार्मिक प्रचार के शिकार थे। उनके अनुसार सर आगाखां अथवा जिन्ना कितने मुसलमान थे? वे केवल अपने राजनीतिक नेतृत्व के लिये मुसलमानों को भड़काना चाहते थे। उनका कहना था कि अंग्रेजों की फूट डाल कर राज्य करने की नीति उनके द्वारा धार्मिक प्रलोभनों तथा सरकारी सेवाओं में मुसलमानों के लिए अधिक स्थान देने के उद्देश्य से प्रयुक्त की गयी थी ताकि भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन शिथिल हो जाय और भारतीय परस्पर लड़ते हुये राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग न करें। लाजपतराय ने कांग्रेस संगठन को हिन्दुओं का संगठन बनाने वाले विरोधियों की भालोचना की और यह मत व्यक्त किया कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन को किसी सम्प्रदाय-विशेष द्वारा चलाया गया आन्दोलन समझना त्रुटिपूर्ण था।<sup>77</sup>

उधर मुसलमानों का जिन्ना-समर्थक समुदाय हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्थान पर पृथक्त्व में अधिक विश्वास रखता था। कांग्रेस के नेताओं की मुस्लिम-सम्प्रदायवाद को तुष्ट करने की नीति लाजपतराय को उचित नहीं दिखाई दी। वे कांग्रेस-लीग के लखनऊ सम्मेलन को पंजाब के अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर करारा प्रहार मानते थे, क्योंकि जहाँ मुस्लिम लीग ने अपनी चातुरी से मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों में मुसलमानों के हितों को संरक्षित करने के प्रबन्ध कर लिये थे, वहाँ कांग्रेस की नीति के कारण हिन्दू अल्पसंख्यक प्रान्त पंजाब में हिन्दुओं के हितों को सुरक्षित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। लाजपतराय ने समय की मांग को देख कर पंजाब के हिन्दुओं के हितों को सुरक्षित करने का कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने 1924 में जिन्ना द्वारा मुसलमानों के लिये 'प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व' एवं संख्या से अधिक स्थान प्राप्त करने की मांग में भारत के विभाजन के बीज बोये। 1924 में सिन्धु लाजपतराय के और कोई भी भारतीय नेता यह सोच भी नहीं सका कि एक दिन साम्प्रदायिक राजनीति भारत का विभाजन करवा देगी। लाजपतराय ने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया कि जिन्ना का प्रस्ताव संयुक्त भारत राष्ट्र की अवमानना था। यह भारत के दो भागों-एक मुस्लिम भारत तथा दूसरा गैर-मुस्लिम भारत में पूर्ण विभाजन का प्रतीक था।<sup>78</sup> 1925 में लाजपतराय ने व्यक्त किया कि "मौलाना हजरत मोहानी के वक्तव्यों के अनुसार मुसलमान अंग्रेजों के अन्तर्गत भारत की अधिराज्य स्थिति को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उनका उद्देश्य भारत में पृथक् मुस्लिम राज्यों

की स्थापना का है जो राष्ट्रीय संघात्मक शासन के अन्तर्गत हिन्दू राज्यों से जुड़े हुये हों। उनका उद्देश्य हिन्दू तथा मुसलमानों की घनी आबादी वाले छोटे राज्यों की स्थापना का है। यदि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाय तब तो मौलाना हजरत की छोटे प्रान्तों की योजना ही एक मात्र क्रियाशील प्रस्ताव है। मेरी योजना के अनुसार मुसलमानों को चार मुस्लिम राज्य प्राप्त होंगे :— (1) पठान प्रान्त अर्थात् उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त, (2) पश्चिमी पंजाब, (3) सिन्ध, तथा (4) पूर्वी बंगाल। यदि भारत के किसी अन्य भाग में घनी मुस्लिम आबादी हो—एक प्रान्त बनाने जितनी विस्तृत—तो उसे भी इसी प्रकार संगठित किया जायेगा, किन्तु यह स्पष्टतया समझा जाना चाहिये कि वह संयुक्त भारत नहीं होगा। इसका अर्थ है भारत का मुस्लिम-भारत तथा गैर-मुस्लिम भारत में स्पष्ट विभाजन।”<sup>79</sup>

यद्यपि लाजपतराय ने भारत के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट बतलायी और 1947 में दैवयोगात् भारत का विभाजन लगभग इसी प्रकार हुआ, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि लाजपतराय उपर्युक्त योजना को स्वयं स्वीकार करते थे। वे संयुक्त भारत की स्वतन्त्रता में निष्ठा रखते थे। उन्होंने विभाजन की योजना का पूर्वाभास प्राप्त कर मुसलमानों की पृथकतावादी भाग की चरम परिणति हमारे समक्ष प्रस्तुत की। उनकी इस भविष्यदष्टा की स्थिति का मुस्लिम नेताओं ने अतिशय लाभ उठाया और जिन्ना, खलीकुज्जमा खा रहमत अली आदि ने पाकिस्तान के निर्माण (1947) के समय यह दोहराया कि पंजाब के नेता लाला लाजपतराय ने भारत के विभाजन का सुझाव पहले ही से दे दिया था। वास्तविकता यह थी कि लाजपतराय विभाजन टालने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इसी कारण से ‘हिन्दू राष्ट्र’ के समर्थकों को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। वे एक धर्म-निरपेक्ष भारत-राष्ट्र की स्थापना के सदैव इच्छुक रहे। उन्होंने मुसलमानों के संगठित विरोध-स्वरूप ही हिन्दू महासभा से अपना सम्बन्ध स्थापित किया। उनके नेतृत्व में हिन्दू महासभा को साम्प्रदायिक तनावों से दूर रहने और देश की प्रमुख राजनीतिक समस्याओं पर हिन्दुओं का जनमत संगठित करने का अवसर मिला। हिन्दू महासभा के कट्टर नेताओं को लाजपतराय का यह सुझाव कि महासभा को हिन्दुओं के सामाजिक संगठन का कार्य ही करना चाहिये और राजनीतिक प्रश्नों से दूर रहना चाहिये, उचित प्रतीत नहीं हुआ।<sup>80</sup> उनके नेतृत्व के कारण ही हिन्दू महासभा ने कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। इस प्रकार वे संकीर्ण हिन्दू राष्ट्रवादी नेता न होकर भारत की एकता एवं सहिष्णुता पर आधारित अखंडता के पक्षधर रहे। लाजपतराय हिन्दुओं के उचित हितों के संरक्षक होकर भी ‘हिन्दू-राज’ की स्थापना भारत में करने के समर्थक न थे।<sup>81</sup> वे अंग्रेजों तथा मुसलमानों की इस नीति के—कि पंजाब के हिन्दू अल्पसंख्यक सदैव अल्पसंख्यक ही रहें जबकि अन्य प्रान्तों के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हिन्दू बहुसंख्या के समान अधिकार दिये जाय—सदैव विरोधी रहे। इस पर भी नेहरू रिपोर्ट का उन्होंने हृदय से स्वागत किया और मुसलमानों में भय एवं असुरक्षा के भ्रामक प्रचार के निवारण के लिये दस वर्षों के लिए मुस्लिम साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्वीकार किया। जीवन के अन्तिम दिनों में उन्होंने मुस्लि

‘हिन्दू-राष्ट्रवाद’ शब्द का विरोध किया। उन्हें एक ही शब्द प्रिय था और वह था भारतराष्ट्र।<sup>82</sup>

नवम्बर 22, 1928 को गांधीजी ने यंग इण्डिया में लिखा : “मेरे मुस्लिम मित्रों के प्रति सम्पूर्ण आदर भाव रखते हुये, मैं दृढ़ता से यह कहना चाहता हूँ कि वे (लाजपतराय) इस्लाम के शत्रु नहीं थे। उनकी हिन्दू धर्म को संगठित तथा शुद्ध करने की अभिलाषा को मुसलमानों अथवा इस्लाम के प्रति घृणा नहीं समझना चाहिये। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ाने तथा प्राप्त करने के सच्चे इच्छुक थे। वे हिन्दू राज नहीं चाहते थे, बल्कि वे भारतीय राज के अभिलाषी थे, वे उन सबको, जो अपने प्रापको भारतीय कहते थे, पूर्ण समानता प्राप्त कराने के इच्छुक थे।”

### मूल्यांकन

लाजपतराय ने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना समस्त जीवन अर्पित कर दिया। वे भारत में स्वराज्य अथवा उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक स्तरों के बजाय एक ही बार में चाहते थे। उत्तरदायी शासन को किरतों में स्थापित करने के तर्क को वे मात्र धोखा मानते थे। उनके अनुसार दासता शनैः-शनैः स्थापित की जा सकती है, किन्तु स्वतन्त्रता की स्थापना एकदम की जाती है।<sup>83</sup> उन्होंने पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग प्रस्तुत नहीं की और वे अधिशासी स्तर की मांग ही प्रस्तुत करते रहे क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत को लम्बे संघर्ष के लिये तैयार रहना था। वे ऐसे स्वप्नों के राजनीतिज्ञ नहीं थे जो “एक वर्ष में स्वराज्य” अथवा “पूर्ण स्वतन्त्रता” के नारे लगाकर भारतीय जनता को वास्तविकता से अनभिज्ञ रखते। उनका यह अनुमान भी सत्य सिद्ध हुआ कि पूर्ण स्वतन्त्रता की स्थापना के पहले भारतीय नेतृत्व द्वारा देशी रियासतों को अपने पक्ष में करना होगा अन्यथा वे स्वतन्त्रता की वेला में भारत की एकता के लिए विदेशी शासकों से भी अधिक भयंकर सिद्ध होगी। ठीक यही समस्या भारत के समक्ष 1947 के बाद उपस्थित हुई। यदि वल्लभभाई पटेल ने इसका सही उपचार न किया होता तो स्थिति की भयावहता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

लाजपतराय ने भारत में वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना का प्रचार किया। वे लोकतांत्रिक पद्धति के प्रति पूर्ण निष्ठावान् बने रहे। वे भारत की पूर्ण संप्रभुता के पक्ष में थे और साथ ही साथ यह भी मानते थे कि भारत को ब्रिटिश राष्ट्रकुल से पृथक् न होकर उसका प्रभावशाली सदस्य बनना होगा। प्रारम्भ में नेहरू ने इसकी आलोचना की थी किन्तु स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाने में ही श्रेय समझा। इसी प्रकार लाजपतराय ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि “भारत राष्ट्रसंघ की सदस्यता अथवा वार्शिगटन-सम्मेलन में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से स्वतन्त्र नहीं होगा। भारत तभी स्वतन्त्र होगा जबकि भारतीय जनता अपनी इच्छानुसार शासन चलाने में समर्थ होगी। दस हजार ‘राइट ग्रॉनरेबल्स’ भी भारत को तब तक स्वतन्त्रता नहीं दिला सकते, जब तक भारत की जनता स्वयं सम्प्रभु राष्ट्र में निबद्ध होकर एक ऐसा राज्य स्थापित न करे जो कि भारत राष्ट्र की सत्ता के अधीन हो।”<sup>84</sup>

लाजपतराय ने राष्ट्र को राज्य से अधिक महत्व दिया और यह माना कि राष्ट्र ही राज्य को नियंत्रित करता है। वे राष्ट्र की सामूहिक स्वतन्त्रता के पक्षधर थे, किन्तु समष्टिवादी नहीं थे। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का ध्वमूल्यन नहीं किया। यही कारण था कि उन्होंने भारत के उदारवादी नेतृत्व की आलोचना की और यह व्यक्त किया कि "हम नीचे से विकास चाहते हैं, जबकि हमारे विरोधी ऊपर से बरदान प्राप्त करना चाहते हैं। तथ्य यह है कि उदारवादी कदापि लोकतांत्रिक नहीं हैं। वे जनता की परवाह नहीं करते। वे केवल कुछ व्यक्तियों के लिये शक्ति के इच्छुक हैं....."।<sup>85</sup> लाजपतराय स्वयं राष्ट्रवाद तथा लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्ष में थे। उन्होंने सदैव उप-राष्ट्रवाद<sup>86</sup> की भर्त्सना की और जनता को उच्च राष्ट्रीय आदर्शों के अनुकूल चलने की प्रेरणा दी। यही कारण था कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के वे तीव्र आलोचक रहे और निरन्तर संगठित भारत के प्रेरक रहे। उनका राष्ट्रवाद भी संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं था। वे विश्व-बन्धुत्व के अनन्य उपासक थे। प्रसिद्ध समाजवादी जोसिया वैंजबुड ने लाजपतराय की प्रशंसा में लिखा था कि 'वे रचनात्मक राष्ट्रवाद के पक्ष में थे और उन्होंने अन्याय एवं दमन का ऐसा विरोध किया जिसके कारण युगों-युगों तक उदारवाद उन पर गवं करेगा।'<sup>87</sup> लाजपतराय ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना तथा मानवीय प्रगति के उत्थान के लिए एक विश्व-संगठन की कल्पना की<sup>88</sup> जो बाद में सयुक्त राष्ट्र के रूप में साकार हुई।

सामाजिक चिन्तन की दृष्टि से लाजपतराय ने दलित एवं पिछड़ी जातियों के प्रति सवर्ण हिन्दुओं के व्यवहार की भर्त्सना की तथा स्वर्ण के कार्यों द्वारा उनकी अपूर्व सेवा कर भारत में छुआछूत की समस्या के निराकरण का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्रियो, युवाओं तथा बालकों की उन्नति के लिए अनेक सुभाव तथा कार्य प्रस्तुत किये तथा उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने का अभियान चलाया। अग्र्यसमाज के समाज-सुधार कार्यों की बागडोर सम्भाल कर लाजपतराय ने देश में व्याप्त अनेकानेक कु-रीतियों को दूर करने का हर सम्भव प्रयास किया। सामाजिक न्याय तथा निर्भयता के अग्र्यसमाजी सेनानी लाजपतराय की रोमां रोलाने ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है।<sup>89</sup>

यद्यपि लाजपतराय ने सामान्यतः अभ्युदयवादी के रूप में अपना सामाजिक जीवन प्रारम्भ किया था किन्तु विचारों की परिपक्वता के साथ वे सुधार एवं पुनरभ्युदय में अद्भुत समन्वय स्थापित करने में सफल हुये। सामाजिक सुधारों के प्रति उनके विचार रूढ़िवादी प्रयत्न संकीर्णता-युक्त कदापि न रहे। उपर राष्ट्रवादी विचारक के नाते पुनरभ्युदय का समर्थन करके भी लाजपतराय ने सामाजिक सुधारों द्वारा समाज के समस्त समूहों को लाभान्वित करने तथा आधुनिक भारत का निर्माण करने में अपना अपूर्व योगदान दिया।<sup>90</sup> वे सामाजिक प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को अक्षुण्ण बनाये रखने का प्रयास कर रहे थे। वे संकीर्ण हिन्दू पुनरभ्युदयवादी न होकर भारतीय जनता की भागे बढ़ाना चाहते थे, न कि पीछे, मध्यमवादी बनाना चाहते थे, न कि अस्पष्ट एवं प्रभावहीन आत्मवादी।<sup>91</sup> वे न तो तिलक के समान राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक सुधारों से प्राथमिकता देने के पक्ष में थे और न महादेव गोविन्द रानाडे तथा गोखले के समान पार्ष्चाय प्रभावों से युक्त मात्र सामाजिक सुधारों के पक्षापाती थे। उनका दृष्टिकोण

राष्ट्र के उन्नयन एवं सामाजिक सुधारों को समन्वित करने का था। वे प्राधुनिक राष्ट्रवादी एवं द्विवेकशील प्रगतिवादी थे।

भारत के आर्थिक चिन्तन में भी लाजपतराय का स्मरणीय योगदान रहा। वे साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद के कट्टर शत्रु थे। उन्होंने भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। वे भारत की निर्धनता के निवारण के लिए स्वावलम्बन द्वारा भारतीय स्वदेशी उद्योगों की स्थापना के पक्षपाती रहे। रूस की क्रांति के प्रथम प्रशंसक<sup>92</sup> होकर भी लाजपतराय ने मार्क्सवाद अथवा साम्यवाद को भारत के लिये उपयुक्त नहीं माना। वे समाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना के पक्ष में थे। उन्होंने भारत में श्रमिक-ग्रान्डीलन का नेतृत्व केवल राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं किया। वे मानवीय आधारों पर श्रमिकों की कठिनाइयों का निवारण चाहते थे। उन्हें वर्ग-संघर्ष में विश्वास नहीं था। वे मानवतावादी समाजवादी थे। उन्हें भारत के प्रथम समाजवादी की उपमा दी गयी थी।<sup>93</sup> वे पंजाब समाजवादी दल के प्रेरक रहे। प्रमुख उद्योगपति घनश्यामदास बिड़ला को राजनीति में लाने की प्रेरणा देकर भी वे भारतीय श्रमिकों के अग्रणी शुभचिन्तक रहे। यह विरोधाभास न होकर उन्हीं के शब्दों में "आदर्शात्मक व्यावहारिकता"<sup>94</sup> का उदाहरण था। ह्यूग टिंकर के अनुसार 'निर्धन एवं साधनहीन भारतीय जनता जिस प्रकार परम्परागत सत्ताधारियों के हाथों से शक्ति छीनने की नवीन परिस्थितियों का अन्वेषण कर रही है, उनसे उत्पन्न समस्याओं का निदान लाजपतराय ने आज के तीस या चालीस वर्ष पहले ही ज्ञात कर लिया था'<sup>95</sup>

लाजपतराय उग्रवाद एवं सविधानवाद को राष्ट्रवाद के साथ समन्वित करने वाले विचारक थे। वे गांधीजी के प्रशंसक भी थे एवं आलोचक भी। वे निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रथम उद्घोषक होकर भी गांधीजी के अहिंसा सम्बन्धी स्वप्नलोक की दृष्टिकोण के आलोचक थे। गांधीजी आदर्शवादी सुधारक थे, किन्तु लाला लाजपतराय अपने समग्र जीवन में व्यावहारिक व्यक्ति बने रहे। वे राष्ट्रवादी थे, किन्तु यथार्थवाद में उनका चिन्तन दूर नहीं था। वे हिन्दुओं के उचित एवं न्याय-संगत अधिकारों के समर्थक होते हुए भी मुसलमानों के न्यायोचित अधिकारों के विरोधी नहीं थे। यदि उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक मतान्धता की आलोचना की, तो वे हिन्दुओं की जाति एवं अस्पृश्यता सम्बन्धी बुराइयों के भी प्रबल आलोचक रहे। भारत में साम्प्रदायिक राजनीति की अन्तिम नियति का पूर्वाभास प्राप्त कर उन्होंने भारत के विभाजन का चित्र प्रस्तुत किया। वे साम्प्रदायिकता के विपक्ष की भारत से सभ्रल नष्ट करना चाहते थे।<sup>96</sup> उनके अनुसार साम्प्रदायिक समस्या के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाते के स्थान पर दृढ़ता एवं निर्भयता से इसका निराकरण करने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, लाजपतराय ने धर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र तथा समाजवाद को राष्ट्रीय जीवन का मूल आधार स्वीकार कर पृथक्त्व, धर्मान्धता एवं दलबन्दी से भारतीय राष्ट्रीय चिन्तन को मुक्त रखने का आह्वान किया।

लाजपतराय की स्वाभिमानी देशभक्ति तथा उनका भारत राष्ट्र के लिये जीवनोत्सर्ग सदैव प्रेरणास्पद रहेंगे। भारत माता के मच्चे 'लाल' लाजपतराय ने मिस केथेरीन मेयो

द्वारा लिखित महर इण्डिया, जिसे गांधीजी ने 'गटर इन्स्पेक्टर्स रिपोर्ट' कहा था, के उत्तर में अनहैपी इंडिया<sup>97</sup> की रचना कर भारतीयों के सामाजिक एवं नैतिक जीवन पर कीचड़ उछालने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लालाजी की मृत्यु पर रोमां रोलां ने लिखा, "लाजपतराय ने अपनी बलिदानी भूमि की रक्षा में पुकारा 'दुखी भारत' किन्तु मैं कहता हूँ 'सुखी भारत' जितने, दुर्बल चरित्र एवं साधारण गुणों वाले आधुनिक यूरोप की तुलना में, ऐसी पवित्र भक्ति का निर्माण किया है और जिसने अपनी पवित्र कोख से अनेक महा-पुरुषों—दयानन्द, विवेकानन्द, गांधी तथा पंजाब के इस क्षेत्र लाजपतराय को जन्म दिया है।"<sup>98</sup> सुभाषचन्द्र बोस के अनुसार लाजपतराय 'कांग्रेस के अग्रणी बौद्धिक दिग्गज'<sup>99</sup> थे। महात्मा गांधी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए व्यक्त किया, 'लाला लाजपतराय का देहावसान हो गया है। लाला जी अमर रहें! जब तक भारत के आकाश में सूर्य देदीप्यमान है, लालाजी जैसे ध्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है.....'<sup>100</sup>

### टिप्पणियाँ

1. जीवन परिचय डा. पुरुषोत्तम नागर, लाला लाजपतराय : बी मेन एण्ड हिज आइडियाज (मनोहर बुक सर्विस, दिल्ली, 1977) पर आधारित
2. जवाहर लाल नेहरू, एन आटोबायोग्रेफी, पृ. 175
3. एम. ए. बुच, राइज एण्ड फॉल ऑफ इण्डियन निलिटेन्ट नेशनलिज्म, पृ. 91 तथा 101
4. इण्डियन रिव्यू, जनवरी, 1907
5. लाजपत राय के भाषण के लिए देखिये रिपोर्ट ऑफ बी ट्वेन्टी कस्ट इण्डियन नेशनल कांग्रेस, धनारस, 1905, पृ. 73-75
6. लाजपत राय, बी मेसेज ऑफ बी भगवद्गीता, (इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 1908) पृ. 12-13
7. लाजपत राय, यंग इण्डिया : एन इन्टरप्रिटेशन एण्ड हिस्ट्री ऑफ बी नेशनलिस्ट मूवमेन्ट क्रोम बिदिन, (बी. डब्ल्यू. स्टूडन, न्यूयार्क, 1916) पृ. 169-170 तथा 138-139
8. मोडर्न रिव्यू, मार्च 1907
9. लाजपतराय, बी प्रोग्रेस ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इण्डिया (पब्लिकेशनस डिबीजन, दिल्ली, 1966) पृ. 61
10. लाजपतराय, यंग इंडिया, पृ. 221
11. वही, पृ. 233
12. लाला लाजपतराय जी की आत्मकथा, (नवयुग प्रेस, लाहौर, 1932) पृ. 147
13. बी प्रोग्रेस ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इण्डिया, पृ. 63
14. लाजपतराय : बी कॉल टु यंग इण्डिया, (एन. गंगेसन, मद्रास, 1920) पृ. 52
15. लाजपतराय, बी पोलिटिकल थ्युचर ऑफ इण्डिया, (बी. डब्ल्यू. स्टूडन, न्यूयार्क, 1919) पृ. 197
16. वही, पृ. 30
17. लाजपतराय ने यह 'ओपन लेटर' न्यूयार्क में जून 13, 1917 को प्रसारित किया था। इस पत्र पर भारत सरकार ने भारत में वितरण एवं प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।
18. प्रोग्रेस ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इण्डिया, पृ. 58
19. वही, पृ. 62
20. लाजपतराय : आइडियल्स ऑफ मांन-बीओपरेसन एण्ड अदर एनेज, (ए. गंगेसन, मद्रास, 1924) पृ. 75
21. वही, पृ. 78

22. वही, पृ. 79-80
23. बी पोलिटिकल प्यूब्लिक ऑफ इण्डिया, पृ. 17 तथा 29
24. बी कॉल टु यंग इण्डिया, पृ. 81-82
25. लाला लाजपतराय, राइटिंग्स एण्ड स्पीचिंग, खण्ड II, (यूनिवर्सिटी पब्लिशर्स, दिल्ली, 1966) पृ. 118-168
26. लाला लाजपतराय, एन ओपन लेटर टु एडविन मोंटेग, सितम्बर 15, 1917, न्यूयार्क
27. देखिये पुरुषोत्तम नागर, "लाला लाजपतराय ऑन दी करेक्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन ब्रिटिश इण्डिया", एथनिनिस्ट्रेटिव सेन्स, जनवरी-जून, 1975, पृ. 179-182
28. वही
29. देखिये आर. सी. मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया, खण्ड II, पृ. 304, विमान बिहारी मजूमदार, मिनिस्ट्रेट नेशनलिज्म इन इण्डिया, पृ. 130, सोर्स मेटोरियल फोर ए हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया, खण्ड II, पृ. 395
30. देखिये लाला लाजपतराय की निजी डायरी, (फून 6, 1919, न्यूयार्क) नेशनल आरकाइव्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
31. लाला लाजपतराय : इण्डियाज विल टु फ्रीडम, (गणेश एण्ड को मद्रास, 1921) पृ. 62
32. पट्टाभि सीतारामैया, हिस्ट्री ऑफ बी इण्डियन नेशनल काँग्रेस, खण्ड I, पृ. 103
33. बी घोषण (लाहौर), जुलाई 26, 1925
34. वही, जुलाई 5, 1925
35. वही, जुलाई 26, 1925
36. वही, अक्टूबर 11, 1928
37. वही, अक्टूबर 25 तथा नवम्बर, 1928
38. लाजपतराय, यंग इंडिया, पृ. 224
39. बी पोलिटिकल प्यूब्लिक ऑफ इण्डिया, पृ. 206
40. वही, पृ. 207
41. बी कॉल टु यंग इंडिया, पृ. 121-131
42. इंडियाज विल टु फ्रीडम, पृ. 42-53
43. वही, पृ. 86-87
44. बी प्रोग्रेस ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, पृ. 31
45. वही, पृ. 31-32
46. वही, पृ. 33
47. लाजपतराय, बी आर्य समाज, (लॉगमेन्स, ग्रीन एण्ड को. लन्दन, 1915) पृ. 12
48. आरम्भकथा, पृ. 44
49. लाला लाजपतराय : बी मेन इन हिज वर्ड, (नटेशन, मद्रास, 1907) पृ. 114-128
50. वही, पृ. 126
51. बी मोडर्न रिथ्यू, मार्च 1908
52. बी इंडियन रिथ्यू, सितम्बर 1908
53. बी मोडर्न रिथ्यू, जुलाई 1909
54. लाजपतराय, बी युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका : ए हिन्डूज इन्फ्लेन्स एंड ए स्टडी, (आर. चटर्जी, कलकत्ता 1919) पृ. 88
55. बी प्रोग्रेस ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, पृ. 1-28
56. वही
57. वही, पृ. 29-30
58. बी मोडर्न रिथ्यू, जनवरी तथा फरवरी, 1920

59. दो ट्रिब्यून, फरवरी 5 तथा 19, 1891
60. देखिये रिपोर्ट ऑफ दो सिविलसोन्व इण्डियन मेरानल कांफ्रेंस, लाहौर, 1900, पृ. 3-5 तथा 79
61. लाजपतराय, इंग्लैण्ड्स डेट टु इण्डिया, (बी. डब्ल्यू ह्यूबग, न्यूयार्क, 1917), पृ 327
62. दो कॉल टु यंग इण्डिया, पृ. 86
63. वही, पृ. 83-85
64. वही, पृ. 85-86
65. आइडियल्स ऑफ नॉन-कोऑपरेशन एण्ड अदर एसेज, पृ. 32-86, दो पोलिटिकल एयुचर ऑफ इण्डिया, पृ. 202, दो कॉल टु यंग इण्डिया, पृ. 83
66. दो पॉलिटिकल एयुचर ऑफ इण्डिया, पृ. 203
67. देखिये लिम्क, जनवरी 31, 1965
68. आत्मकथा, पृ. 22-41
69. वही, पृ. 44
70. लाला लाजपतराय : दो मेन इन हिज वर्ड, पृ. 1-38
71. दो आर्वंसमाज, पृ. 253
72. आइडियल्स ऑफ नॉन-कोऑपरेशन एण्ड अदर एसेज, पृ. 69
73. लाजपतराय द्वारा दिसम्बर, 1922 में देशवन्धु चिनरजनदाम को लिखा पत्र, देखिये दो पीपुल, अप्रैल 13, 1929, जिन्ना ने लाजपतराय के उक्त पत्र को मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में पढ़कर अपने कार्यक्रम विरोधी रवैये का आधार बनाया देखिये बी. बी. नागरकर, जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान (अलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, 1975) पृ. 490
74. देखिये बी. बी. नागरकर, पृ. 160
75. दो ट्रिब्यून, नवम्बर 28, 1924
76. वही, दिसम्बर 9, 1923
77. वही, नवम्बर 30, 1924 से दिसम्बर 13, 1924
78. वही, दिसम्बर 14, 1924
79. वही, चौथी खनोडुग्जना के अनुसार लाजपतराय द्वारा सुभाये गये मुस्लिम राज्यों की योजना में बनुचिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा जोड़ दिया गया और नवम्बर-दिसम्बर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आये मुस्लिम नेताओं से रहमत अली ने सदन में मिसकर भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की तथा पाकिस्तान का नामकरण किया। देखिये पायवे टु पाकिस्तान (मोंगनेन्स, लाहौर, 1961) पृ. 228
80. देखिये इन्द्र प्रकाश, हिन्दू महासभा : इट्स कॉन्ट्रीड्यूशन टु इण्डियाज पोलिटिक्स, पृ. 27-28 तथा 36। प्रभा दीक्षित, कम्पूनलिज्म—ए इट्रिपुष फॉर पावर, (ओरियेन्ट लोर्गेन, नई दिल्ली, 1974) पृ. 161
81. दो पीपुल, नवम्बर 1, 1928
82. वही
83. आइडियल्स ऑफ नॉन-कोऑपरेशन एण्ड अदर एसेज, पृ. 98
84. वही, पृ. 94
85. वही, पृ. 115 तथा 117
86. देखिये बी. बी. रमगुप्ति, "नेशनलिज्म एण्ड नव-नेशनलिज्म इन कॉन्ट्रेन्टरी इण्डिया" बरेट, जनवरी-मार्च, 1968, पृ. 33-37
87. देखिये धाम्य, यंग इण्डिया. (लाहौर संस्करण, 1927) पृ. 2
88. देखिये जे. एम. बॅन्स, "लाजपतराय एण्ड देवेनेन्स ऑफ हिन्दू आइडियाज टुडे", पंजाब मुनिवर्सिटी, चण्डीगढ़ मेमिनार, नवम्बर 17-19, 1972 (निमिप्रोफ़)



89. रोमों रोलां, यान्चे, (एल्बिन मिषेल, पेरिस, 1960) पृ. 106
90. चार्ल्स हीमसाथ, इण्डियन नेशनलिज्म एण्ड हिंदू सोशियल रिफॉर्म, (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1964) पृ. 309
91. डॉ. जाकिर हुसैन, आमुख, दी प्रोब्लम ऑफ़ नेशनल एजुकेशन इन इण्डिया (भारतीय संस्करण) पृ. 11
92. देखिये लिन्क, जनवरी 31, 1965
93. एच. एन. ब्रैक्सफोर्ड, सड्डेबट इण्डिया, (बोरा एण्ड को., बम्बई, 1946) पृ. 24
94. बी ट्रिग्यून, दिसम्बर 14, 1927
95. देखिये आमुख, डेनियल आर्गोव, मोडरेट्स एण्ड एक्स्ट्रीमिस्ट्स इन बी इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेन्ट, (एशिया, बम्बई, 1967) पृ. 8
96. फिरोज चन्द 'इन लाजपतराय इण्डिया लॉस्ट हर् लिंकन' सयॉन्ट्स ऑफ़ बी पीपुल सोसाइटी, गोल्डन जुबिली सुवैनर, दिसम्बर, 1972 (लाजपत भवन, नई दिल्ली) पृ. 29-34
97. लाजपतराय, धनहैपी इंडिया, (बन्ना पब्लिशिंग को., कलकत्ता, 1928)
98. बी पीपुल, दिसम्बर 5, 1929
99. सुभाषचन्द्र बोस, बी इंडियन स्ट्रगल, खण्ड II, (धेकर, सिपन्क एण्ड को., कलकत्ता, 1948) पृ. 91
100. यग इंडिया, नवम्बर 22, 1928

बिपिनचन्द्र पाल (1858-1932)

बिपिनचन्द्र पाल का जन्म 7 नवम्बर 1858 को सिलहट जिले के एक गांव में हुआ । उनका बचपन ही कटक के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में प्रारम्भ हुआ । वही उन्होंने पत्रकारिता

सिलहट में रहने लगे और वहाँ एक हाई स्कूल की स्थापना की । वही उन्होंने पत्रकारिता का कार्य भी 1880 में प्रारम्भ किया । वे बंगाली साप्ताहिक परिदर्शक के सम्पादक रहे । कुछ समय बंगलौर में हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक रह कर वे पुनः कलकत्ता लौटे और वहाँ नगर पुस्तकालय के अध्यक्ष नियुक्त किये गये । उन्होंने ट्रिब्यून, न्यू इण्डिया, वन्देमातरम्, स्वराज, हिन्दू रिब्यू का भी सम्पादन किया । वे इन्डिपेन्डेंट, डिमोक्रेट तथा बंगाली के भी सम्पादक रहे । देश की अनेक पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख छपते रहे । वे एक श्रोजस्वी वक्ता तथा राष्ट्रवाद के उग्र उन्नायक थे । भारत के पुनर्जागरण में उनका अनुपम योगदान रहा । वे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तथा इंग्लैण्ड में भी भारत की स्वतन्त्रता के लिए जागृति उत्पन्न करने का समय पर प्रयास करते रहे । उनके श्रोजस्वी भाषणों की प्रशंसा श्रीनिवास शास्त्री ने मुक्त कण्ठ से की है ।<sup>1</sup>

पाल का पारिवारिक जीवन अनेक संघर्षों की कहानी है । बाल्यकाल में उनके पिता ने उन पर पूर्ण अनुशासन रखा । जब वे कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी कालेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनके विचारों का विद्रोही स्वर प्रकट हुआ । वे अपने पिता की इच्छा के विपरीत ब्रह्मसमाज के सदस्य बन गये । उनके पिता इस अवज्ञा से इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने पाल को न केवल अध्ययन के लिए धन भेजना ही बन्द किया अपितु उन्हें अपनी वसीयत से भी वंचित कर दिया । समाज ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया । इन विपरीत परिस्थितियों में पाल को अपना अध्ययन त्याग देना पड़ा । पाल को ब्रह्मसमाज की ओर आकृष्ट करने वाले व्यक्ति शिवनाथ शास्त्री थे । उनकी सहायता से ही पाल को बंगलौर में प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया था । शिवनाथ शास्त्री ने उनका परिचय एक बाल-विधवा से करवाया और बाद में पाल ने उनसे विवाह कर लिया । पाल का यह विवाह उनके पिता को इतना खला कि पाल ने उनमें विवाह के प्रार्यना समाज में जाकर विवाह की रस्म पूरी करवायी । किन्तु भाग्य पुनः पलटा और 1882 में उनके पिता ने अपनी मृत्यु-संज्ञा पर अपनी वसीयत में पुनः सम्पत्ति का समस्त उत्तराधिकार पाल को सौंप दिया ।<sup>2</sup>

कांग्रेस के महास-अधिवेशन (1886) में पहलीबार पाल सम्मिलित हुए और सरकार के शास्त्र-अधिनिषेध के विरोध में विचार प्रस्तुत किये । प्रारम्भ में पाल भी उदारवादियों के समान ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे किन्तु साला साजपतराय एवं बाल

गंगाधर तिलक के साथ मिलकर लाल-बाल-पाल का राष्ट्रवादी स्वर मुखरित होने लगा। 1907 की मूरत फूट ने पाल को कांग्रेस छोड़ने के लिए विवश किया। 1916 में वे पुनः तिलक आदि के साथ कांग्रेस में सम्मिलित हुए। वे होमरूल आन्दोलन में सम्मिलित हुए और होमरूल लीग के प्रतिनिधिमण्डल के साथ इंग्लैंड जाकर मोटेग-चेम्सफर्ड सुधार सम्बन्धी समद्रीय समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

पाल के विचारों की उग्रता स्वदेशी आन्दोलन के दिनों में उद्भासित हुई। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में तथा 1907 में मद्रास में दिये गये उनके भाषणों ने भारत की अंग्रेजी सरकार को सशक्त कर दिया। वे भारत में पूर्ण स्वतन्त्रता की स्थापना चाहते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से स्वराज प्राप्ति का उनका विचार शासन द्वारा उत्तेजनाजनक माना गया। जब 1907 में अलीपुर बम-काण्ड के सम्बन्ध में श्रीधरविन्द की गिरफ्तारी हुई तो पाल को साक्ष्य के लिए अदालत द्वारा आमन्त्रित किया गया। पाल ने अन्तःकरण की प्रेरणा के कारण साक्ष्य देने से मना कर दिया। उन्हें अदालत की मानहानि के आरोप में छः महीने का कारावास दिया गया। वे कलकत्ता एवं वरसर जेल में रहे।<sup>3</sup> किन्तु वे हिमात्मक आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे। भारत सरकार ने उन्हें देश से निर्वासित करने का प्रयास भी किया। लार्ड मिन्टो ने सारे प्रयत्न कर लिये किन्तु वे कानूनी तौर पर ऐसा करने में असफल रहे। पाल ने राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं भारत से बाहर रहना ही उचित समझा और वे 1908 से 1911 तक इंग्लैंड में ही रहे और वहाँ से स्वराज पक्षिक प्रकाशित करते रहे। इंग्लैंड में रहते हुए पाल के विचारों में परिवर्तन आया और वे राष्ट्रवाद से अन्तर्राष्ट्रवाद की ओर भूके। वे एक ब्रिटिश साम्राज्यीय सभ्य की स्थापना तथा उसमें भारत को अग्र्य उपनिवेशों के समान सम्मानपूर्ण मदस्यता दिलाने का प्रचार करने लगे। भारत की पूर्ण स्वाधीनता के स्थान पर उसकी अधिशासी गणराज्य की स्थिति उन्हें अधिक मुक्तिसंगत दिखाई दी। वे ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के विचार के अग्रदूत थे।

भारत लौटने पर पाल ने भारत में संघात्मक सरकार की वास्तविक स्थापना एवं संघात्मक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया।<sup>4</sup> वे सर्व-इस्लामवाद को भारत की राष्ट्रीयता का शत्रु मानते थे। वे 1916 से 1920 तक तिलक के साथ मिलकर कांग्रेस के कार्य में लगे रहे। किन्तु तिलक की मृत्यु के पश्चात् गांधीजी के नेतृत्व को पाल ने स्वीकार नहीं किया। वे गांधीजी के धर्म एवं राजनीति के समन्वयवादी विचारों के आलोचक थे। इसी कारण से गांधीजी के द्वारा चलाये गये बहिष्कार एवं असहयोग-आन्दोलन को पाल का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। वे धारामभाष्यों के बहिष्कार की नीति को प्रगति के लिये घातक मानते थे। गांधीजी के कार्यक्रम का विरोध करने के कारण उन्हें देश की राजनीति से दूर होना पड़ा। वे दाद के दिनों में भारत की व्यवस्थापिकामन्त्रा के सदस्य भी रहे। डा० विधान चन्द्र रॉय के अनुसार पाल के जीवन के अन्तिम दिनों की घासदी उनके ही जीवन की नियति नहीं अर्थात् सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वालों की विश्व-व्यापी नियति रही है। पाल ने सत्य, ईश्वर तथा देश के लिए अनेक कष्ट सहे। जीवन के अन्तिम दिनों में भी अपने इष्ट मित्रों एवं सम्बन्धियों से अगनी दड़ निष्ठाओं के कारण अलग रह कर भी उन्होंने शानदार जीवन भोगा।<sup>5</sup>

जीवन के उत्तरार्द्ध में पाल सनातन धर्मों बन गये। वैष्णव सम्प्रदाय में उनका मन रम गया। वे चैतन्य महाप्रभु तथा वैष्णव सम्प्रदाय की भक्ति परम्परा के प्रशंसक बन गये। भगवान् श्री कृष्ण के दिव्य जीवन ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। लाजपतराय तथा तिलक की भांति ही श्री कृष्ण पर उनका ग्रन्थ हिन्दू-धर्म-दर्शन को अनुपम देन है। उनके द्वारा लिखित बी सोल आफ इण्डिया तथा दी स्टडि ऑफ हिन्दुइज्म भारत की मध्यात्मिक घरोहर एवं हिन्दू-धर्म की गौरव-गाथा के प्रमाण हैं। राष्ट्रवाद पर उनके विचार इसी आध्यात्मिक प्रेरणा से अनुप्राणित हैं। उनकी बी स्पिरिट ऑफ इण्डियन नेशनलिज्म एवं नेशनलिटी एण्ड एम्पायर भारत की राष्ट्रीय विचारधारा की जन-जन तक सम्प्रेषित करने वाली पुस्तकें हैं। लार्ड रोनाल्डसे ने दी हाट ऑफ आर्यावर्त्त में पाल के सामाजिक एवं राजनीतिक लेखन की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। अरविन्द घोष ने पाल को "राष्ट्रवाद का सशक्त प्रवर्द्धन" कहा। सर वैंलेन्टीन शिरोल ने इण्डियन अनरेस्ट में पाल के मद्रास-भाषणों को सविस्तार उद्धृत कर उन्हें उच्च भारतीय राजनीतिक चिन्तन का अत्यधिक साधकृत कार्यक्रम बतलाया।<sup>6</sup>

### विपिन चन्द्र पाल के राजनीतिक विचार

अपने ग्रन्थ उपवादी समूह के विचारको के समान ही विपिन चन्द्र पाल प्रारम्भ में उदारवादी एवं ब्रिटिश शासन के प्रशंसक के रूप में कांग्रेस में सम्मिलित हुए।<sup>7</sup> 1887 के कांग्रेस के मद्रास-अधिवेशन में उन्होंने "शस्त्र अधिनियम" के विरोध में भाषण दिया था।<sup>8</sup> उन्हें इस बात से प्रसन्नता हुई थी कि अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत कांग्रेस के संगठन के माध्यम से मराठा, पंजाबी, पठान, पारसी, बंगाली, मद्रामी एक ही मंच पर एकत्रित हो प्रसन्नता एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में विचार विनिमय कर रहे थे।<sup>9</sup> अंग्रेजी शासन भारत में विघाता की अनुपम देन के रूप में उभरा था और पाल इसके लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने से नहीं हिचकिचाये। वे अंग्रेजी शासन को भारत की मुक्ति का कारण मानते थे। उन्होंने अपने भाषणों ब्रिटिश शासन का वफादार घोषित किया क्योंकि उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार होने का अर्थ था भारत तथा भारत की जनता के प्रति वफादार होना। वे अपनी वफादारी इस कारण से भी प्रकट कर रहे थे कि वे ब्रिटिश शासन को स्वराज का पर्यायवाची मानते थे।<sup>10</sup> अपने भाषण में उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि वे उपविचारवादी एवं लोकतन्त्रनिष्ठ होकर भी ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे।<sup>11</sup> उन्हें इसमें कोई विरोधाभास नहीं प्रतीत होता था। इन्हीं विचारों से वे शस्त्र-अधिनियम का विरोध कर रहे थे। उनकी यह मान्यता थी कि शासन द्वारा शस्त्र-अधिनियम को यथावत् बनाये रखना उचित नहीं था। वे चाहते थे कि शासन इस विषय को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये। शासन की प्रतिष्ठा इसमें है कि वह जनता को प्रसन्न रखे। इसके विपरीत कार्य शासन की निबलता ही परिलक्षित करेंगे। अपने वक्तव्य के समर्थन में उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि हैदराबाद का निजाम ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए साठ लाख रुपये के स्थान पर माठ करोड़ भी देने की तैयार हो और शासन चाहे कितना भी प्रचार भारत की जनता को वफादारी दर्जाने की वरों न करे जनता का निःशस्त्र रहना शासन के प्रति सन्देश की वृद्धि ही करेगा।<sup>12</sup>

1907 के अपने मद्रास-भाषण में विपिनचन्द्र पाल ने ब्रिटिश शासन की भर्त्सना

करते हुए व्यक्त किया कि उनका ब्रिटिश शासन में विश्वास समाप्त हो चुका है। उनका यह उद्गार उनके 1887 के कांग्रेस भाषण से पूर्णतया विपरीत था। उनका ब्रिटिश राष्ट्र, लॉर्ड रिपन तथा लॉर्ड मैकाले सम्बन्धी प्रशंसात्मक दृष्टिकोण बदल चुका था।<sup>13</sup> वे यह मानने लगे थे कि बदलते हुए घटनाचक्र ने उनकी मान्यताओं को भी परिवर्तित कर दिया था। शस्त्र-विहीन भारत अपनी स्वाधीनता के लिए सघर्ष कैसे कर सकता था। जनता इसमें परेशान थी किन्तु ब्रिटिश नौकरशाही इस की आड़ में अपने आपको सुरक्षित समझती थी इसी कारण से शासन ने शस्त्र-अधिनियम को भंग करने से मना कर दिया था। भारतीयों की अमहाय स्थिति ने पाल को ब्रिटिश शासन का विरोधी बना दिया था।<sup>14</sup> वे यह मानने लगे कि भारत में ब्रिटिश शासन ईश्वरीय वरदान न होकर जनता का शोषक है। शस्त्र-अधिनियम ने भारतीय जनता के प्रति अविश्वास प्रकट किया अतः ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी दिखाने का भारतीयों का रवैया व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति के भी विरोधी थे।<sup>15</sup>

वे अंग्रेजी राज्य के परोपकारी पक्ष के समर्थक थे। किन्तु 1904 में बंगाल की राजनीतिक स्थिति के परिवर्तन के साथ ही उनके विचारों में परिवर्तन आ गया और वे बंगभंग आन्दोलन के पथप्रदर्शक उपवादी विचारक बन गये। 1908 तक उनकी लेखनी से जो साहित्य निस्तृत हुआ उसे बंगाल के नवराष्ट्रवाद का प्रेरक साहित्य माना जाता है। इसी समय वे तिलक व लाजपत राय के सम्पर्क में भी आये तथा इन तीनों महान् नेताओं ने मिलकर लाल, पाल, बाल की त्रिमूर्ति के रूप में भारतीय जनता का हृदय जीत लिया। किन्तु 1908 के बाद उनके विचारों में पुनः उतार आया तथा वे "साम्राज्यीय संघ"<sup>16</sup> (इम्पीरियल फेडरेशन) के विचार को आगे बढ़ाने में लग गये। इसी कारण से 1912 के वाद में जनता ने उन्हें विस्मृत सा कर दिया।

बंगाल-विभाजन के समय पाल के प्रकाशित लेखों एवं ग्रन्थों से उसके राजनीतिक विचारों को समझने में सहायता मिलती है। अपने उपवादी विचारों में पाल ने उदारवादियों को राजनीतिक उच्छृंखलतावादियों की सजा दी। वे स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। पाल, तिलक व लाला लाजपतराय दोनों से स्वराज्य की मांग में एक कदम आगे थे। वे पूर्ण स्वराज्य की मांग के समर्थक थे। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए पाल ने बताया कि स्वराज्य की धारणा का आध्यात्मिक स्वरूप है। यह वेदात की उस धारणा पर निर्भर है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने आपको सार्वभौमिक सत्ता के साथ एकाकार करने की लालसा व्यक्त करता है। वे स्वराज्य की धारणा को केवल बन्धनों से मुक्ति का साधन ही नहीं मानते थे किन्तु विश्व की ग्रन्थ वस्तुओं के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाली धारणा मानते थे। उन्होंने संस्कृत शब्द स्वराज्य तथा अंग्रेजी के शब्द स्वतन्त्रता (फ्रीडम) के मध्य अन्तर बतलाते हुए यह स्पष्ट किया कि पहला शब्द सकारात्मकता का बोधक था और दूसरा शब्द नकारात्मकता का। वे स्वराज्य की धारणा को निर्बाध स्वतन्त्रता के रूप में नहीं देखते थे। वे स्वराज्य को स्वयं पर शासन के रूप में मानते थे जिसे व्यक्ति स्वयं को स्वयं के नियन्त्रण में रख सके। वे स्वराज्य को आत्मशासन का ही रूप मानते थे जिसके अन्तर्गत आत्मघ्न को परमात्मन् का अंश माना गया था। यह एक ऐसी शासन की विधि थी जिसमें व्यक्ति

सार्वभौमिक सत्ता के नियन्त्रण में रहता है। वे इस धारणा को भारतीय संस्कृति के विकास का प्रतिफल मानते थे। इस प्रकार पाल ने स्वराज्य की धारणा पाश्चात्य विचारों पर आधारित न कर भारतीय मौलिक चिंतन पर अवस्थित की। उनके स्वदेशी सम्बन्धी विचारों में स्वदेशी तथा बहिष्कार दोनों एकाकार हो गये थे। वे बहिष्कार को केवल विदेशी वस्तुओं के त्याग तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे बहिष्कार को विदेशी निरकुशवाद के प्रति पूर्ण असहयोग की नीति मानते थे।<sup>17</sup> उनका असहयोग का मार्ग हिंसक नीति पर आधारित नहीं था। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का मार्ग अपनाया जो कि अनाक्रामक प्रतिरोध के रूप में स्पष्ट किया गया। उनका कहना था कि हम कानून के अन्तर्गत रहकर ही कार्य करें तथा कानून का सम्मान करें। जब तक शासन द्वारा हमारे अधिकारों पर हाथ न डाला जाये तब तक हमें शान्त रहना है। यदि अंग्रेजी शासन भारतीयों के जीवन, उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व सम्पत्ति को हानि पहुंचाने पर उद्यत हो तो ऐसी स्थिति में निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति से भिन्न मार्ग भी अपनाया जा सकता है।

विपिन चन्द्र पाल का राजनीतिक विचारों के दृष्टिकोण से योगदान उनके राष्ट्र सम्बन्धी चिन्तन से आंका जाता है। उनके विचारों में राष्ट्रवाद की धारणा केवल राजनीतिक ही नहीं थी किन्तु धर्म-निरपेक्ष भी थी। वे राष्ट्र की धारणा को पवित्र तथा धर्म-निरपेक्ष दोनों ही मानते थे। इस सन्दर्भ में उनके विचार महत्वपूर्ण हैं। उनका यह कहना था कि पवित्र तथा धर्म-निरपेक्ष दोनों ही तत्त्व मिले हुए होते हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। धर्म राजनीति में विलीन हो जाता है। राजनीति नागरिकता में तथा धर्म निरपेक्षता पवित्रता में विलीन हो जाती है।<sup>18</sup> इस प्रकार के तालमेल से उन शाश्वत नियमों को विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है जो व्यक्ति को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण<sup>19</sup> को ब्रह्म एवं परमात्मा दोनों के गुणों से युक्त निरपेक्ष तत्व, भारत की आत्मा<sup>20</sup> के प्रतीक एवं आध्यात्मिक सांस्कृतिक तत्वों से युक्त भारतीय सभ के अधिष्ठाता मानते हैं। श्रीकृष्ण का दिव्य चरित्र पाल के लिए राजनीति के के आध्यात्मिककरण का प्रेरक प्रसंग है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप में कहा था कि भारत की स्वतन्त्रता का आन्दोलन एक आध्यात्मिक आन्दोलन है। इसका दर्शन ब्रह्मतत्व की अभिव्यक्ति है जिनमें व्यक्ति के सामाजिक एवं नागरिक जीवन का प्रस्फुटन हुआ है। राष्ट्र भौतिक एकता या जातीय परम्परा पर आधारित नहीं है। राष्ट्र एक आध्यात्मिक भावना है। उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता के लिए भारत-माना की अर्चना को एक नवीन क्रान्ति का उद्घोषक माना। इसी प्रकार से उन्होंने नव वेदान्तवाद को भारतीय चिन्तन में नवीन भावना का संचार करने का प्रेरक तत्व माना। वे राष्ट्र को केवल विचार के रूप में ही नहीं मानते थे। राष्ट्र ऐतिहासिक एकता जनित सिद्धान्त एवं प्रयोग दोनों ही था। उनको राष्ट्रवादी धारणा नकारात्मक नहीं थी क्योंकि वे राष्ट्रवाद के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रवाद के भी समर्थक थे। राष्ट्रवाद से ही अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर प्रवृत्त हुआ जा सकता है ऐसा उनका विचार था। वे राष्ट्रीय विचार धारा एवं देशभक्ति के नवीन आदर्श को सार्वभौमिक मान्यता में सम्बद्ध मानते हुए उसे विष्णु अथवा नागवर्ण की जगदिता म्यदिन का प्रतीक मानते थे।<sup>21</sup>

करते हुए व्यक्त किया कि उनका ब्रिटिश शासन में विश्वास समाप्त हो चुका है। उनका यह उद्गार उनके 1887 के कांग्रेस भाषण से पूर्णतया विपरीत था। उनका ब्रिटिश राष्ट्र, लॉर्ड रिपन तथा लॉर्ड मैकाले सम्बन्धी प्रशंसात्मक दृष्टिकोण बदल चुका था।<sup>13</sup> वे यह मानने लगे थे कि बदलते हुए घटनाचक्र ने उनकी मान्यताओं को भी परिवर्तित कर दिया था। शस्त्र-विहीन भारत अपनी स्वाधीनता के लिए सघर्ष कैसे कर सकता था। जनता इससे परेशान थी किन्तु ब्रिटिश नौकरशाही इस की आड़ में अपने आपको सुरक्षित समझती थी इसी कारण से शासन ने शस्त्र-अधिनियम को भंग करने से मना कर दिया था। भारतीयों की असहाय स्थिति ने पाल को ब्रिटिश शासन का विरोधी बना दिया था।<sup>14</sup> वे यह मानने लगे कि भारत में ब्रिटिश शासन ईश्वरीय वरदान न होकर जनता का शोषक है। शस्त्र-अधिनियम ने भारतीय जनता के प्रति अविश्वास प्रकट किया अतः ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी दिखाने का भारतीयों का रवैया व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भवित के भी विरोधी थे।<sup>15</sup>

वे अंग्रेजी राज्य के परोपकारी पक्ष के समर्थक थे। किन्तु 1904 में बंगाल की राजनीतिक स्थिति के परिवर्तन के साथ ही उनके विचारों में परिवर्तन आ गया और वे बंगभंग आन्दोलन के पथप्रदर्शक उपवादी विचारक बन गये। 1908 तक उनकी लेखनी से जो साहित्य निस्सृत हुआ उसे बंगाल के नवराष्ट्रवाद का प्रेरक साहित्य माना जाता है। इसी समय वे तिलक व लाजपत राय के सम्पर्क में भी आये तथा इन तीनों महान् नेताओं ने मिलकर लाल, पाल, बाल की त्रिमूर्ति के रूप में भारतीय जनता का हृदय जीत लिया। किन्तु 1908 के बाद उनके विचारों में पुनः उतार आया तथा वे "साम्राज्यीय संघ"<sup>16</sup> (इम्पीरियल फेडरेशन) के विचार को आगे बढ़ाने में लग गये। इसी कारण से 1912 के बाद में जनता ने उन्हें विस्मृत सा कर दिया।

बंगाल-विभाजन के समय पाल के प्रकाशित लेखों एवं ग्रन्थों से उसके राजनीतिक विचारों को समझने में सहायता मिलती है। अपने उपवादी विचारों में पाल ने उदारवादियों को राजनीतिक उच्छृंखलतावादियों की सजा दी। वे स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। पाल, तिलक व लाला लाजपतराय दोनों से स्वराज्य की मांग में एक कदम आगे थे। वे पूर्ण स्वराज्य की मांग के समर्थक थे। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए पाल ने बताया कि स्वराज्य की धारणा का आध्यात्मिक स्वरूप है। यह वेदात् की उस धारणा पर निर्भर है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने आपको सार्वभौमिक सत्ता के साथ एकाकार करने की लालसा व्यक्त करता है। वे स्वराज्य की धारणा को केवल बन्धनों से मुक्ति का साधन ही नहीं मानते थे किन्तु विश्व की ग्रन्थ वस्तुओं के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाली धारणा मानते थे। उन्होंने संस्कृत शब्द स्वराज्य तथा अंग्रेजी के शब्द स्वतन्त्रता (फ्रीडम) के मध्य अन्तर बतलाते हुए यह स्पष्ट किया कि पहला शब्द सकारात्मकता का बोधक था और दूसरा शब्द नकारात्मकता का। वे स्वराज्य की धारणा को निर्बाध स्वतन्त्रता के रूप में नहीं देखते थे। वे स्वराज्य को स्वयं पर शासन के रूप में मानते थे जिमें व्यक्ति स्वयं को स्वयं के नियन्त्रण में रख सके। वे स्वराज्य को आत्मशासन का ही रूप मानते थे जिसके अन्तर्गत आत्मत्त्व को परमात्मत्त्व का अंश माना गया था। यह एक ऐसी शासन की विधि थी जिसमें व्यक्ति

सार्वभौमिक सत्ता के नियन्त्रण में रहता है। वे इस धारणा को भारतीय संस्कृति के विकास का प्रतिफल मानते थे। इस प्रकार पाल ने स्वराज्य की धारणा पाश्चात्य विचारों पर आधारित न कर भारतीय मौलिक चिंतन पर अवस्थित की। उनके स्वदेशी सम्बन्धी विचारों में स्वदेशी तथा बहिष्कार दोनों एकाकार हो गये थे। वे बहिष्कार को केवल विदेशी वस्तुओं के त्याग तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे बहिष्कार को विदेशी निरंकुशवाद के प्रति पूर्ण असहयोग की नीति मानते थे।<sup>17</sup> उनका असहयोग का मार्ग हिंसक नीति पर आधारित नहीं था। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का मार्ग अपनाया जो कि अनाक्रमक प्रतिरोध के रूप में स्पष्ट किया गया। उनका कहना था कि हम कानून के अन्तर्गत रहकर ही कार्य करें तथा कानून का सम्मान करें। जब तक शासन द्वारा हमारे अधिकारों पर हाथ न डाला जाये तब तक हमें शान्त रहना है। यदि अंग्रेजी शासन भारतीयों के जीवन, उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व सम्पत्ति को हानि पहुंचाने पर उद्यत हो तो ऐसी स्थिति में निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति से भिन्न मार्ग भी अपनाया जा सकता है।

विपिन चन्द्र पाल का राजनीतिक विचारों के दृष्टिकोण से योगदान उनके राष्ट्र सम्बन्धी चिन्तन में आंका जाता है। उनके विचारों में राष्ट्रवाद की धारणा केवल राजनीतिक ही नहीं थी किन्तु धर्म-निरपेक्ष भी थी। वे राष्ट्र की धारणा को पवित्र तथा धर्म-निरपेक्ष दोनों ही मानते थे। इस सन्दर्भ में उनके विचार महत्वपूर्ण हैं। उनका यह कहना था कि पवित्र तथा धर्म-निरपेक्ष दोनों ही तत्त्व मिले हुए होते हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। धर्म राजनीति में विलीन हो जाता है। राजनीति नागरिकता में तथा धर्म निरपेक्षता पवित्रता में विलीन हो जाती है।<sup>18</sup> इस प्रकार के तालमेल से उन शाश्वत नियमों को विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है जो व्यक्ति को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वे भगवान् श्री कृष्ण<sup>19</sup> को ब्रह्म एव परमात्मा दोनों के गुणों से मुक्त निरपेक्ष तत्व, भारत की आत्मा<sup>20</sup> के प्रतीक एव आध्यात्मिक सांस्कृतिक तत्त्वों से मुक्त भारतीय संघ के अधिष्ठाता मानते हैं। श्रीकृष्ण का दिव्य चरित्र पाल के लिए राजनीति के आध्यात्मिककरण का प्रेरक प्रसंग है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत की स्वतन्त्रता का आन्दोलन एक आध्यात्मिक आन्दोलन है। इसका दर्शन प्रकृतत्व की अभिव्यक्ति है जिसने व्यक्ति के सामाजिक एवं नागरिक जीवन का प्रस्फुटन हुआ है। राष्ट्र भौगोलिक एकता या जातीय परम्परा पर आधारित नहीं है। राष्ट्र एक आध्यात्मिक भावना है। उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता के लिए भारत-माना की अर्चना को एक नवीन श्रान्ति का उद्बोधक माना। इसी प्रकार में उन्होंने नव वेदान्तवाद को भारतीय चिन्तन में नवीन भावना का संचार करने का प्रेरक तत्व माना। वे राष्ट्र की केवल विचार के रूप में ही नहीं मानते थे। राष्ट्र ऐतिहासिक एकता जनित सिद्धान्त एव प्रयोग दोनों ही था। उनकी राष्ट्रवादी धारणा नकारात्मक नहीं थी क्योंकि वे राष्ट्रवाद के साथ माप अन्तर्राष्ट्रवाद के भी समर्थक थे। राष्ट्रवाद से ही अन्तर्राष्ट्रीयता की घोर प्रवृत्त हुआ जा सकता है ऐसा उनका विचार था। वे राष्ट्रीय विचार धारा एवं देशभक्ति के नवीन आदर्श को सार्वभौमिक मानवता में सम्मिलित मानते हुए उसे विष्णु अथवा नारायण की जगत्पिता (पिता) की प्रतीक मानते थे।<sup>21</sup>



बिपिनचन्द्र पाल की राष्ट्रीय विचारधारा में उस समय अन्तर आया जब उन्होंने राष्ट्रवाद तथा साम्राज्यवाद के अन्तर को स्वीकार नहीं किया। वे भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा का अंग्रेजी साम्राज्य के चिन्तन में निमज्जन करना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने एक साम्राज्य सध का विचार प्रस्तुत किया जिसमें भारत की स्थिति इंग्लैण्ड के अन्य उपनिवेशों के समान समता पर आधारित थी। बिपिन चन्द्र पाल के इन विचारों का उनके उग्रवादी चिन्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आलोचकों ने उन्हें दलबदलू कहना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु वास्तविकता कुछ और ही थी। पाल के स्पष्टीकरण के अनुसार वे जापान की बढ़ती हुई शक्ति, चीन का नवनिर्माण तथा पेन-इस्लेमिक मुस्लिम विचारधारा से चिन्तित हो भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के स्थान पर भारत को अंग्रेजी साम्राज्य का सहयोगी सदस्य बनाने के लिए अधिक इच्छुक दिखायी दिये। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अन्तर्राष्ट्रवाद से भी एक कदम आगे मानते थे ताकि एक और भारत की सुरक्षा का प्रवन्ध रहे और दूसरी ओर भारत आन्तरिक रूप से पूर्ण स्वतन्त्र हो सके। इसी सन्दर्भ में पाल ने राष्ट्रीयता को नये दृष्टिकोण से परिभाषित किया तथा उसे जनता का व्यक्तित्व माना। इस अर्थ में राष्ट्रीयता विभिन्नता का परिचायक बन गयी तथा वे राष्ट्रीयता की व्यक्तिवादी परिभाषा को न मानकर उसे विभिन्नता के बृहद अर्थों में देखने लगे।<sup>22</sup>

पाल के अनुसार धर्म तथा राजनीति दोनों ही मानव-प्राति के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। मानव-कल्याण की भावना दोनों में अन्तर्निहित है। प्रकृति में आगिक एकता स्पष्ट झलकती है। प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित है। प्रत्येक वस्तु पवित्र एवं उपयोगी है क्योंकि कण-कण में ईश्वर का वास है।<sup>23</sup> अतः जीवन के सार्वभौमिक मूल्यों की विवेचना में धार्मिक तथा निरपेक्ष का अन्तर गौण है। धर्म निरपेक्ष स्वतः पवित्रता में परिवर्तित हो जाता है और केवल राज्य सम्बन्धी तत्त्व (आध्यात्मिक तत्त्व के विपरीत) भी शाश्वत तत्त्व में परिवर्तित हो ईश्वर की सत्ता का बोध कराता है। मानव प्रकृति के ये विभिन्न आयाम ईश्वर की महत्ता तथा अद्भुत निर्माणक शक्ति के जीवत उदाहरण हैं।<sup>24</sup>

राजनीतिक सुधारों की माग प्रस्तुत करने में धर्म को विस्मृत करना उचित नहीं। राजनीति एवं धर्म दोनों ही मानव-विकास को अग्रगण्य लक्ष्य मानते हैं। राजनीतिक संस्थाओं एवं क्रिया-कलापों को धार्मिक तराजू में तोलना उचित है ताकि उनको मानव-कल्याण सम्बन्धी उपादेयता सिद्ध की जा सके किन्तु राजनीति में स्थिरता जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। धर्म तथा राजनीति को समय के साथ परिवर्तित होने की आवश्यकता है। मानव-प्रगति के साथ लय से लय मिलाकर चलने की आवश्यकता है। निरंकुशता से लोकतन्त्र की ओर बढ़ना इसी परिवर्तन का प्रतीक है। राजनीति धर्म के समान विकसित होती है, दी नहीं जा सकती। फ्रांस की राज्यक्रान्ति के प्रणेता फ्रांस को नई राज्यव्यवस्था देना चाहते थे किन्तु परिणाम क्या हुआ? अमेरिका में गणतन्त्रवाद विकसित हुआ—प्रदान नहीं किया गया। उसी कारण से वहाँ गणतन्त्रवाद आज भी पल्लवित है।<sup>25</sup>

पाल अधिकारों को प्रदत्त करने के साथ साथ कर्तव्यों के विकास पर बल देते थे। उनको यह मान्यता थी कि अधिकार एवं कर्तव्यों का उचित सामंजस्य आवश्यक है।

इसी आधार का पाल ने यह व्यक्त किया कि राजनीतिक सुधारों की मांग के साथ धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों की भी आवश्यकता है। भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह प्रकट किया कि जहाँ धर्म भेद-भाव सिखाता हो, ऊँच-नीच को बढ़ावा देता हो वहाँ राजनीतिक सुधारों की स्वीकृति भ्रष्टाचार स्वशासित संस्थाओं की स्थापना खतरे में पड़ सकती है। वे मद्रास में पेरियाओं के साथ किये गये दुष्प्रवृत्त को दणति हुए यह सिद्ध कर रहे थे कि भारत में जब तक छुप्राछूत, जातिभेद, धर्मान्धता समाप्त नहीं हो जाती और जब तक नवीन धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता तब तक राजनीतिक सुधारों का कानून लागू कर भी दिया जाय, तब भी वे सफल नहीं हो सकते। इसका यह अर्थ नहीं था कि पाल राजनीतिक सुधारों को सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का अनुगामी बनाना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण जीवन के सभी विभागों में समान एवं सर्वव्यापी विकास को प्राप्त करने का था। राजनीतिक सुधार एवं धार्मिक सुधार साथ साथ होने चाहिए ताकि दोनों की प्रगति, दोनों का सामंजस्य जनहित में प्रयुक्त किया जा सके। पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी इन्हीं आधारों पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वे चाहते थे कि कांग्रेस द्वारा जातिवाद, पुरोहितवाद तथा सामाजिक सत्ता के कठिन बंधनों के विरुद्ध कार्य किया जाना चाहिए। कांग्रेस को धर्म, समाज तथा राजनीति—तीनों का ही परिष्कार करना है। वे क्रान्ति द्वारा सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों के पक्षपाती नहीं थे। उनका दृष्टिकोण मध्यम मार्ग अपनाते का था ताकि समस्त समाज को तथा भारतीयों के आन्तरिक जीवन को अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागृत किया जा सके। नव-संगठित सामाजिक जीवन में ही भारत की भावी प्रगति संभव है। राजनीतिक प्रगति एवं राजनीतिक सुधारों की मांग तथा उनकी उपलब्धियाँ उन्हीं समस्याओं के समाधान में अन्तर्निहित हैं।<sup>26</sup>

विपिन चन्द्र पाल के राजनीतिक विचारों में उनके द्वारा की गई राष्ट्र की व्याख्या महत्वपूर्ण है। 1904 में पाल ने राष्ट्र की तुलना गृह-निर्माण से की। जिस प्रकार गृह-निर्माण में सही योजना की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से राष्ट्र-निर्माण का कार्य भी योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है। वे राष्ट्र की प्रांगिक इकाई मानते थे। राष्ट्र की संरचना में भूतकालिक इतिहास तथा वर्तमान जीवन की वास्तविकता परिलक्षित होती है। राष्ट्र की ईश्वरीय योजना को विचारों तथा संस्थाओं के माध्यम से पूर्ण करना देशभक्ति का सर्वोच्च कार्य है।<sup>27</sup> वे एक ऐसे भारत राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे जो प्राधुनिक मानवता रूपी महासंघ में समानता का स्तर प्राप्त कर सके। भारत का इतिहास उनकी दृष्टि में भारतीयों के साथ ईश्वर का साक्षात्कार था। भारत की राष्ट्रियता को वे इसी प्राध्यात्मिक प्रेरणा पर आधारित करना चाहते थे। पुनर्जागरणवाद से ही सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता था। हमें अपने घटीत के प्राचीन एवं मध्ययुगीन जीवन से बहुत कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता थी। प्राधुनिक भारत में राष्ट्र-निर्माण का कार्य केवल प्राचीन भारतीय परम्पराओं एवं संस्कृति के अनुरूप ही नहीं होना चाहिए बल्कि नवीन परिस्थितियों में नवीन आदर्शों को अपनाना भी आवश्यक है। हमें भूत एवं भविष्य दोनों को वर्तमान से जोड़ना है ताकि भारत राष्ट्र की दायें के घरातल पर अर्थात्त किया जा सके।<sup>28</sup>

पाल ने आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करना भारत की विशेषता रही है। केवल आत्मा तक सीमित रहने में संकीर्णता बढ़ती है। नवीन भारतीय राष्ट्र का निर्माण आत्मा, प्रकृति तथा समाज के सन्दर्भ में निर्धारित किया जाय। आत्मा की सर्वोच्चता सदैव मान्य होनी चाहिए अन्यथा आर्थिक गतिविधियों का प्रसार, समाज का पुनर्निर्माण तथा नागरिकता के गुणों में अभिवृद्धि सभी कुछ शिथिल हो सकती है।<sup>29</sup> नवीन प्राधुनिक राज्य की स्थापना में हमारा जातीय गौरव एवं उसके प्रति चेतना हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए। आर्थिक उन्नति एवं राजनीतिक जागरण दोनों में साम्य आवश्यक है। ये दोनों न्यूनाधिक रूप में विद्यमान रहें किन्तु इन्हें साध्य न मान लिया जाय। आत्मा के प्रति चेतना हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। इसे भुला देना अपने भाग्य को विस्मृत कर देने के समान होगा। भारतीय राष्ट्र का आधार हमारी आध्यात्मिक चेतना ही है।<sup>30</sup> इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना है कि भारत में पाँच महत्वपूर्ण विश्व-संस्कृतियों का संगम हुआ है। इन संस्कृतियों की विशिष्टताओं को बनाये रखना आवश्यक है। हमारी राष्ट्रीय एकता का यह अभिप्राय नहीं कि हम विविधताओं को एकता के नाम पर बलि कर दें। विविधता में एकता विद्यमान रहनी चाहिए। हिन्दू, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम तथा ईसाई संस्कृतियों को राष्ट्रीय-चेतना एवं राष्ट्र के विकास में प्रयुक्त करना है। विभिन्न संस्कृतियों में वैमनस्य उत्पन्न होने के स्थान पर सामञ्जस्य होना चाहिए। प्रत्येक सभ्यता मानव-मस्तिष्क की उपज है। मानव मात्र में एकता एव समानता को स्वीकार कर लेने पर विभिन्न संस्कृतियों में अन्तर्निहित एकता के दर्शन हो सकते हैं। भारत राष्ट्र की आधारशिला इसी पर आधारित होनी चाहिए। पारस्परिक सहयोग से ही यह सम्भव है। भारत में बसने वाली विभिन्न प्रजातियों का व्यवहार-वैभिन्य मार्ग-प्रवरोधक न बने इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें सहयोग एवं संगठन के माध्यम से पृथक्त्व की भावना से दूर रखा जाय। समान आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में उन्हें सहभागी बनाया जाय। तभी एक शक्तिशाली, संगठित तथा महान् भारत-राष्ट्र का निर्माण सम्भव है।<sup>31</sup>

पाल ने राष्ट्र-निर्माण में भौतिक तत्त्वों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जिस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य एव शक्ति का महत्व है उसी प्रकार से राष्ट्रीय जीवन में भी शक्ति-संचार होना चाहिए। विदेशियों ने भारत की बौद्धिक क्षमता की उच्चता को स्वीकार किया है किन्तु वे हमारी शारीरिक क्षमता तथा हमारे नैतिक गुणों की उच्चता को स्वीकार नहीं करते। हमें अपने राष्ट्रीय जीवन में इन कमियों को दूर करना है। ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों का राष्ट्र हमें बनाना है जो अग्र्य के साथ तुलना में हेय नहीं कहे जायें। नवयुवकों एव विद्यार्थियों में प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रम जैसा अनुशासन आवश्यक है ताकि उनके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हमारे राष्ट्र को ऊँचा उठा सके। जीवन में सादगी का पाठ सिखलाना भी आवश्यक है। पाश्चात्य सस्कृति की नकल करने से हमारा राष्ट्रीय पतन ही होगा। पाश्चात्य राष्ट्रों के प्राधुनिक विलासितापूर्ण जीवन का भारत में अनुकरण अनुचित है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि भारत में निवास करने वाले इतने सादगी का जीवन जीयें कि उगमे जिजीविषा ही न रहे।

अच्छा भोजन तथा रहन-सहन का उचित स्तर आवश्यक है ताकि जीवन सुखमय बना रहे ।<sup>32</sup>

पाल ने भारत राष्ट्र की अवधारणा को भारतीय इतिहास की विरासत से संयुक्त करते हुए बतलाया कि हिन्दुओं का जीवन आध्यात्मिकता, सर्वभौमिकता एवं शाश्वतता की भावना से जुड़ा हुआ है। उनकी मान्यता थी कि हिन्दुओं का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सर्वैव (प्रागैतिहासिक काल से) संबैधानिक स्वतन्त्रता से अभिभूत रहा है। भारतीयों के विश्व-इतिहास पटल पर अवतरित होने के समय से हिन्दू-शासन-पद्धति, निरंकुश तन्त्र पर आधारित न होकर लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित रही है। संबैधानिक राजतन्त्र भारत की विशिष्टता थी। व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका का कार्य पृथक्करण हमारी संबैधानिक स्वतन्त्रता का मूल आधार रहा था। राजा राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख था। ब्रह्म सभा वृहत्तर परिषद् के माध्यम से व्यवस्थापिका की सत्ता का प्रतिनिधित्व करती थी। धार्मिक राज्य व्यवस्था के कारण राजा तथा नमितियों में संपर्क नहीं होता था। अन्य देशों में भी संबैधानिक स्वतन्त्रता का इसी प्रकार से विकास हुआ था। भारत में परतन्त्रता के लम्बे अंधकार-युग में भी हिन्दुओं ने ग्राम-सभाओं एवं जातिगत सगठनों में इस संबैधानिक स्वतन्त्रता को सजीवित रखा था ।<sup>33</sup>

पाल की धारणा थी कि हिन्दुओं का सामाजिक सगठन पितृमत्तात्मक होते हुए भी वैसा सर्वाधिकारवादी नहीं था जैसा कि अरबों तथा यहूदियों में था। सामाजिक सत्ता का प्रयोग एक व्यक्ति के हाथों में न होकर बृहत्-परिषद् को सौंपा जाता था। भारत में लोकतन्त्र का आधुनिक स्वरूप विकसित न होने का कारण भी यही था कि हमारे यहाँ व्यक्ति को महत्त्व न दिया जाकर परिवार को सामाजिक एवं नागरिक संगठनों का मूल आधार स्वीकार किया गया था। पाल ने इन्हीं दो तत्त्वों—संबैधानिक स्वतन्त्रता तथा आध्यात्मिक चेतना—को भारत राष्ट्र का मूलाधार माना। आध्यात्मिकता एवं स्वतन्त्रता में पहली आदर्श माध्य और दूसरी अनिवार्य पथ की द्योतक है ।<sup>34</sup>

पाल ने भारत-राष्ट्र को न तो हिन्दू-राष्ट्र माना था और न मुस्लिम राष्ट्र। वे भारत को हिन्दुओं तथा मुसलमानों का राष्ट्र भी नहीं मानते थे। और भी राष्ट्रीयताएँ भारत में निवास करती थी, अतः भारतीय राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रीयताओं का समन्वित रूप था। हिन्दुओं तथा मुसलमानों में संघर्ष का कोई कारण नहीं होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की सांस्कृतिक महानता एवं मन्धता को समझने का प्रयास करना चाहिए ।<sup>35</sup> पाल ने हिन्दू-धर्म के योग एवं वैराग्य का उदाहरण इस्लाम की शिक्षाओं में भी देखा। उनका कहना था कि योग एवं समाधि जैसी आध्यात्मिक रिधतियाँ इस्लाम के संस्थापकों एवं फकीरों में अद्भुत रूप से विकसित थीं। वे हिन्दू-धर्म तथा इस्लाम की ममान आध्यात्मिक धरातल पर देखते थे। इसी को वे दोनों सम्प्रदायों में परस्पर आदान-प्रदान का आधार बनाना चाहते थे ।<sup>36</sup>

पाल ने भारत में इस्लाम के राजनीतिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय पान्थात्म प्रभाव के कारण न होकर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण हुआ। भारत की एकीकृत करने का कार्य मुसल-शासन ने ही पूर्ण रूप से पूर्ण किया। अंग्रेजों को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। पाल के अनुसार

मुगल-साम्राज्य के अन्तर्गत भारतीयों को समान स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त था। हथियार रखने पर कोई मनाही नहीं थी। यदि कोई भेद-भाव अथवा मन-मुटाव था तो वह केवल धार्मिक स्तर तक ही सीमित था। राजनीतिक दृष्टि से मुगलों तथा हिन्दुओं में भेद-भाव नहीं किया गया। न्याय की समानता तथा विधि के सम्मुख समता जो कि राष्ट्रीयता के विकास का महत्त्वपूर्ण आधार है, सर्व प्रथम मुगल-शासकों द्वारा प्रदान की गयी। इससे पहले हिन्दुओं में न्याय का आधार व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं जाति को माना गया था। पाल यह बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि भारत में राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति मुगल-शासन के अन्तर्गत ही हुई थी। लोकतान्त्रिक लक्षणों का वास्तविक विकास तब तक नहीं हो सकता था जब तक जातिगत भेद-भाव बना हुआ था। वे मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन को भी इस्लाम के प्रभाव का उदात्त उदाहरण मानते थे।<sup>37</sup>

आधुनिक भारत में राष्ट्र-निर्माण का कार्य, पाल के अनुसार, विशिष्टता युक्त होगा। अन्य राष्ट्र प्रजातीय संगठनों के विकसित रूप हैं जब कि भारत में प्रजातीय संगठनों के स्थान पर पूर्णतया विकसित संस्कृतियों का समूह विद्यमान है। इन संस्कृतियों का अपना पूर्व इतिहास रहा है। इन्हें समान राजनीतिक चेतना के सूत्र में पिरो कर भारत राष्ट्र की स्थापना करनी होगी। संघात्मक आधार पर प्रत्येक राष्ट्रीयता के व्यक्तिगत गुणों को बनाये रखना होगा। भविष्य का भारत राष्ट्र किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देगा। वह पूर्णतया धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होना चाहिये। भावी राष्ट्र किसी एक सामाजिक कानून की मान्यता पर भी आधारित नहीं होगा। यह समझना निरर्थक है कि भावी भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति असुरक्षित होगी। भारत में विभिन्न धर्मावलम्बियों को समान सुरक्षा प्राप्त होगी ताकि वे अपने योगक्षेम का राष्ट्रहित में प्रयोग कर सकें।<sup>38</sup>

विपिनचन्द्र पाल के जीवन पर श्रीकृष्ण के दिव्यरूप की अमिट छाप थी। वे श्रीकृष्ण-को उदारता एवं सामञ्जस्य का अग्रदूत मानते थे। उनकी धारणा थी कि श्रीकृष्ण का उल्लेख वेदों में भी अंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में मिलता है। श्रीकृष्ण के अनार्य युगपुरुष होते हुए भी आर्यों द्वारा अत्यन्त सम्मानप्रद स्थान उन्हें दिया गया है। इस प्रकार श्रीकृष्ण आर्यों तथा अनार्यों ने समन्वय के महान् आधार माने जा सकते हैं। महाभारत में श्रीकृष्ण केवल पारिवारिक वैमनस्य के सन्दर्भ में ही नहीं अपितु एक प्रजातीय संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाते दिखाई पड़ते हैं। गीता उनके उच्चतम उपदेशों एवं समन्वय-कारी विचारों का जीता जागता उदाहरण है। वर्तमान युग की प्रजातीय समन्वय की आवश्यकताओं को देखते हुए श्रीकृष्ण का जीवन और भी अधिक महत्त्व प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। भारत को राष्ट्रीय जागरण एवं एकीकरण का संदेश गीता से प्राप्त हो रहा है।<sup>39</sup>

पाल ने हिन्दुओं की आध्यात्मिक प्रतिभा में मौलिक एकता को विशेष महत्त्व दिया। एकता की भावना समस्त विकासार्थक अतीत का आधार रही। कुछ दार्शनिकों ने एकता की भावना को इतना अधिक विस्तृत रूप प्रदान किया कि उसमें व्यक्ति का सामाजिक जीवन केवल माया दिखाई देने लगा। उन चिन्तकों ने वास्तविक जीवन के विवादों एवं वैमनस्य को दूर करने के लिए यह हल प्रस्तुत किया था। अन्य विचारकों ने इस एकता की भावना में विभिन्नता को अन्तिम सत्य का ही स्वरूप देखा और उसे ईश्वर लीला के

रूप में स्वीकार किया। दोनों ही परिस्थितियों में मानसिक एवं सामाजिक जीवन से सम्बन्धित संधर्षों, द्वन्द्वों एवं वैभिन्य को अन्तिम एकता के लक्ष्य से एकरस कर दिया गया था। पाल के अनुसार यह मौलिक एकता ही भारतीय हिन्दू-दर्शन का सार है। हिन्दू-दर्शन में अनेक द्रष्टव्य हैं किन्तु वास्तविकता एक ही है।<sup>40</sup> अनेक देवी-देवताओं के होते हुए भी एक ही सर्वोच्च ईश्वर को ही स्वीकार किया गया है। अनेक जातियों के होते हुए भी एक सामाजिक पूर्णता के विचार को माना गया है। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों एवं प्रजातियों को हिन्दू-दर्शन उस सर्वोच्च एकता के विभिन्न रूप मानता है। हिन्दू-दर्शन समन्वयकारी है। पृथक्त्व तथा अहंमन्यता दोनों से हिन्दू-दर्शन दूर रहा है। प्रत्येक वस्तु ईश्वरमय है। विशिष्ट एवं सार्वभौमिक में गूढ़ सम्बन्ध है।<sup>41</sup>

पाल ने मत्सीनी द्वारा दी गयी राष्ट्रीयता की परिभाषा का उल्लेख किया जिसमें राष्ट्रीयता को जनता की व्यक्तित्वता बताया गया। हिन्दू धर्म में अद्वैतवाद ने इसे जनता का व्यक्तित्व माना है। यूरोप में व्यक्तित्वता अधिकारों से जुड़ी हुई है जिसमें पृथक्ता एवं संधर्ष अवश्यभावी है। पाल के अनुसार फ्रांस की राज्यक्रांति के जनक इन व्यक्तित्वता की सङ्कुचित सीमा से परिचित थे। इसी कारण से उन्होंने समानता एवं स्वतन्त्रता के आदर्शों के साथ-साथ भ्रातृत्व को सम्बद्ध किया, किन्तु उनकी स्वतन्त्रता तथा समानता के साथ भ्रातृत्व का ताल-मेल नहीं बँठ सका।<sup>42</sup> मत्सीनी ने भी इसी आधार पर फ्रांस की राज्य-क्रांति की आलोचना की। पाल के अनुसार मत्सीनी भी राष्ट्रवाद को उस उच्चता तक नहीं पहुँच पाये जो समानता एवं स्वतन्त्रता के पृथक्तावादी विषय का शमन कर सके। यूरोप का राष्ट्रवाद दर्शन व्यक्तित्ववाद से प्रभावित है। इसकी परिणति विलियम मोरिस तथा नीत्शे के दार्शनिक अराजकतावाद में हुई है।<sup>43</sup> प्रेम की ईसाई भावना के स्थान पर देशभक्तिजन्म ईर्ष्या बढती जाती है और मानवता तथा सभ्यता के नाम पर बृहत् मानव-परिवार के कमजोर तथा नवोदित सदस्य देशों को समाप्त किया जाता है।<sup>44</sup>

हिन्दू-संस्कृति ने यूरोप की व्यक्तित्वता से भिन्न मार्ग चुना है। हिन्दू-राष्ट्रीयता का आदर्श यूरोप से श्रेष्ठतर है। हिन्दू-संस्कृति व्यक्तित्वता को नियन्त्रित करती है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तित्वता सबसे बड़ी बाधा है। यह मनुष्य को पेट्ट, स्वार्थी एवं निष्क्रिय बनाती है। आर्थिक प्रतियोगिता, सहयोग की कमी तथा सम्पन्न व्यक्तियों का शासन व्यक्तिवाद जनित दोष है जिनसे हिन्दू-संस्कृति ने दूर रहने का आग्रह किया है। यूरोपवासी "पंगन" संस्कृति कह कर जिन यूनान तथा रोम सभ्यताओं की आलोचना करते थे वहाँ भी व्यक्ति को सामाजिक पूर्णता के अन्तर्गत माना गया था। समाज पूर्ण था और व्यक्ति उसका अंश। व्यक्ति को समाज में स्वतन्त्र व्यवहार करने का अधिकार नहीं था। किन्तु हिन्दू-संस्कृति एक चरण और आगे है। जहाँ यूनान तथा रोम की सभ्यताएं सामाजिक मान्यता को यथावत् सुरक्षित रखना चाहती थी, वहाँ भारत की हिन्दू लोकनीति व्यक्ति की पूर्णता को महत्त्व देती थी।<sup>45</sup>

हिन्दू लोकनीति का आदर्श एक सर्वोच्च सामाजिक राज्य की स्थापना करने का है। यद्यपि व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था के पूर्ण नियन्त्रण में रखा गया है फिर भी विश्व का किसी भी सामाजिक विचारधारा में चाहे वह प्राचीन काल में सम्बन्धित हो रही हो अथवा आधुनिक काल से, सर्वोच्च सामाजिक राज्य का ऐसा आदर्श नहीं है।

दिखाई देगा जैसा कि हिन्दू-विचारों में परिलक्षित होता है।<sup>46</sup> इस व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर स्वतन्त्र जीवन जीने-का अवसर प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में स्वयं अपने द्वारा निर्धारित नियम का अनुमरण करता हुआ नियन्त्रण से स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर होता है। हिन्दुओं की आश्रम-व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पाल ने यह बतलाया कि ब्रह्मचर्याश्रम से संन्यास की ओर बढ़ता हुआ जीवन इसी क्रम का माक्षी है। संन्यास की स्थिति में जाति, समाज तथा अन्य बन्धन नहीं रहते। यह समाजोपरि अवस्था है जिसका उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है।<sup>47</sup>

पाल के अनुसार राष्ट्रीयता का वास्तविक अर्थ है मानवीय समुदाय की भावना न कि प्रजाति अथवा वंश विशेष का आग्रह। जिस प्रकार से परिवार व्यक्ति से, प्रजाति परिवार से, वंश प्रजाति से अधिक व्यापक है उसी प्रकार से राष्ट्र भी वंश से अधिक व्यापक है। सामाजिक विकास का मूल लक्ष्य मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त करवाना है। यह पूर्णता व्यक्तिगत पृथक्त्व से प्राप्त न होकर सामाजिक तादात्म्य से प्राप्त होती है। ये सामाजिक समुदाय मानवीय हितों की अभिवृद्धि करते हैं तथा व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ कर चलना सिखाते हैं। व्यक्ति अपने आप तक सीमित रहने में पशुवत् है। उसका जैविक इकाई से अधिक महत्त्व नहीं। किन्तु परिवार के सदस्य के रूप में वह एक संगठित इकाई का भाग है। परिवार का सामूहिक स्वरूप जो व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, व्यक्ति के विकास की आवश्यक शर्त है। पारस्परिक वैमनस्य और कलह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में सहयोग देते हैं। राष्ट्र का जटिल संगठन व्यक्ति के विकास का एक और आयाम है। व्यक्ति उपयुक्त समस्त संगठनात्मक निरायों से अनुभव प्राप्त करता हुआ अधिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने में समर्थ है।<sup>48</sup>

पाल ने स्वतन्त्रता को नकारात्मक अबधारणा के रूप में स्वीकार किया है। बन्धनों का अभाव ही स्वतन्त्रता का द्योतक है। यूरोप में स्वतन्त्रता तथा उच्छ खलता का तार्किक अन्तर स्पष्ट नहीं मिलता। बहुत कुछ व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करता है। जैसे किसी के विचार दूसरे से मेल खाने हैं तो वह प्रगतिशील है और यदि दूसरा पहले के विचारों में सहमत न हो तो वह पहले वाले की दृष्टि में प्रतिक्रियावादी एवं रूढ़िवादी है। इसी प्रकार में यूरोप में स्वतन्त्रता का अर्थ भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जोड़ दिया गया है। चूँकि कोई ऐसा विवेक का सर्वोच्च न्यायालय आज तक नहीं बना जो यह अन्तर स्थापित कर सके अतः पाश्चात्य शक्ति ही इन बातों में निर्णायक सिद्ध हुई है। राष्ट्रों में परस्पर शान्ति एवं सहयोग तब तक सम्भव नहीं जब तक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मान्यता में ग्रामूलचूल परिवर्तन न हो जाय।<sup>49</sup> किन्तु यूरोप की विचारधारा के विपरीत हिन्दू विचारधारा में स्वतन्त्रता को नकारात्मक अर्थ में लिया गया है। हम इसे स्वाधीनता कह कर पुकारते हैं न कि अनाधीनता। इसका अर्थ है स्वयं का स्वयं पर नियन्त्रण, नियमन एवं अधीनत्व। स्वाधीनता का उच्चादर्श है सार्वभौमिक तत्त्व की अधीनता। व्यक्ति का सार्वभौम के साथ एकाकार होना ही मन्त्री स्वाधीनता है।<sup>50</sup>

पाल ने स्वराज के वास्तविक अर्थ पर भी प्रकाश डाला। वे स्वराज को, उपनिषदों की व्याख्या के अनुसार, सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था मानते थे। छादोग्य उपनिषद् में

यह बतलाया गया है कि आत्मा जब आत्मा को देखने और जानने लग जाय अर्थात् जब आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाय तभी स्वराज प्राप्त होता है। वेदों में वामदेव द्वारा स्वराज-प्राप्ति का ऐसा उदाहरण मिलता है जबकि वामदेव सार्वभौमिक तत्त्व से एकाकार हो कह उठता है—“मैं सूर्य हूँ, मैं मनु था”।<sup>51</sup> देवत्व प्राप्त करने का यही मार्ग है। मानवत्व एवं देवत्व एक ही हैं। एकता हिन्दू-दर्शन का आधारभूत तत्त्व है। केवल हिन्दू-धर्म में मानवता एवं देवत्व को प्रकट करने में एक ही शब्द का प्रयोग मिलता है और वह शब्द है नारायण। नारायण मानवीय व्यक्तियों के अन्तराल में निवास करते हैं। नारायण मानवता के सामूहिक जीवन में भी निवसित हैं। वे समस्त सामाजिक एवं ऐतिहासिक आन्दोलनों के निदेशक हैं। भारत में नरनारायण का आदर्श अत्युच्च माना गया है। नारायण समस्त मानवता का प्रतीक है। नारायण पूर्ण है, विभिन्न राष्ट्र उस पूर्णता के ही अंश हैं। नारायण या मानवता एक सावयव है, विभिन्न प्रजातियाँ, नस्ल तथा राष्ट्रीयताएँ उस सावयव के अंग हैं। इस प्रकार नारायण अथवा सार्वभौमिक मानवता प्रत्येक प्रजाति, नस्ल एवं राष्ट्र में व्याप्त है। जीवन नारायणमय है। पूर्ण सामाजिक पृथक्त्व अथवा दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ तथा स्वतन्त्र रहने का विचार नारायण के आत्म-दर्शन के विरुद्ध है। यही राष्ट्रवाद का दर्शन है जिसे उच्चतमहिन्दू-दर्शन द्वारा आत्मसात किया गया है।<sup>52</sup>

पाल ने सभ्यता की आरोही प्रक्रिया का वर्णन करते हुए व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सर्वजनहिताय विचारक्रम को महत्त्व दिया है। परिवार, प्रजाति, समाज तथा राष्ट्र के संकीर्ण दायरे में बंधकर केवल अपने समुदाय विशेष का हित-संचय वर्धन का प्रतीक एवं सच्चे राष्ट्रवाद का शत्रु है। राष्ट्रवाद का हनन सभ्यता का हनन है। मानवीय सम्बन्धों के वृहत्तर क्षेत्र के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए पाल ने राष्ट्र के विचार को सर्वोपरि रखा है। राष्ट्र मंकुचित धारणा न होकर विश्व अन्धुत्व का प्रतीक है। राष्ट्रवाद ही सामाजिक विकास की सर्वोच्च परिणति नहीं। राष्ट्रवाद से अन्तर्राष्ट्रवाद की ओर प्रवृत्ति बीसवीं शताब्दी की मांग है। कोई भी राष्ट्र इस अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर से विमुक्त नहीं रह सकता। वर्तमान युग के समस्त आर्थिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों में अन्तर्राष्ट्रवाद के चिह्न स्पष्ट रूप से परिलक्षित हैं। समाजवाद आज के अर्थशास्त्र का उन्नत विचार है और प्राच्य नहीं तो पाश्चात्य विश्व के भावी विकास का साधन। यूरोप में पूँजीवाद का विरोध करने वाला यह विचारवाद एक नवीन प्रकार का अन्तर्राष्ट्रवाद लायेगा।<sup>53</sup>

समाजवाद ही नहीं अपितु आधुनिक साम्राज्यवाद भी अन्तर्राष्ट्रीयता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। नव-साम्राज्यवाद एकाधिकारवादी न होकर लोकतान्त्रिक है। कई छोटे सार्वभौम राज्यों का एक मंगल के अन्तर्गत गठित होकर स्व-शासन या अधिशासन बनाये रखना नव-साम्राज्यवाद का उदाहरण है। ब्रिटिश साम्राज्य इसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रवाद का प्रतीक बन रहा है। पाल का यह विचार भावी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की स्थापना की ओर इंगित करता है।<sup>54</sup> वे संपातक अन्तर्राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि केवल मात्र राष्ट्रीय इच्छाएँ सफल नहीं हो पायेंगी। राष्ट्रीय इच्छाओं को अधिक सहयोग एवं सहयोगिता का प्रयोग करना है। भारत में राष्ट्रवादी चिन्तन को केवल स्वतन्त्रता तक ही सीमित नहीं रहना है। उसे अपने राष्ट्र, पानों



संस्कृति एवं अपनी सभ्यता के चरित्र का इस प्रकार विकास करना है कि वह सार्वभौमिक मानवता का पालन करते हुए ब्रिटेन से भारत के सम्बन्धों को बनाये रखने में सहयोगी हो। ब्रिटेन से भारत के संघात्मक सम्बन्ध हमारे राष्ट्रवादी चिन्तन के विपरित सिद्ध नहीं होंगे। हमें ब्रिटेन से हमारे राष्ट्रीय जीवन के विकास में पूर्ण सहायता प्राप्त करनी है। यही हमारी राष्ट्रीयता को एक दिन सार्वभौम मानवीय परिसंघ में ईश्वर द्वारा निर्धारित स्थान प्रदान करेगा। इसी में नारायण के जीवन एवं स्नेह का पृथ्वी पर अवतरण होगा।<sup>55</sup>

पाल के अनुसार राष्ट्रवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में उसी प्रकार से ऋणात्मक नहीं जिस प्रकार से आत्मानुभूति का सिद्धान्त। इसका घनात्मक मूल्य अधिक महत्त्वपूर्ण है। आत्मानुभूति का सिद्धान्त व्यक्ति को यह नहीं दर्शाता कि उसे अपने अन्तराल में विद्यमान किस स्वत्व की अनुभूति करनी है और एक सूचना-पट्ट के समान वह व्यक्ति को उन प्रवृत्तियों के प्रति सचेत करता है जो उसके मार्ग में बाधक सिद्ध हों। किन्तु राष्ट्रवाद की धारणा राष्ट्र को यह बतलाती है कि उसे वर्तमान जीवन में किन तत्त्वों का विकास करना है तथा किन का दमन। वह उस सही दिशा का बोध कराता है जो राष्ट्र की मैघा के अनुकूल हो।<sup>56</sup> यह मानना उचित नहीं कि व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों के सन्दर्भ में आत्म चेतना वैचारिक एवं व्यावहारिक समस्याओं के संधारण के मार्ग में बाधक है। व्यक्ति के सम्बन्ध में यह चाहे सत्य सिद्ध हो किन्तु राष्ट्र के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र जानते वृक्षते भी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करता। सच्चे राष्ट्रीय आन्दोलन संबंदा स्व-चालित होते हैं। समूह का संचालन स्वचालित एवं अवचेतनात्मक होता है। सामाजिक आन्दोलन सामाजिक शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रियाओं का फल है न कि व्यक्तियों द्वारा निर्धारित या विनिश्चित विकल्प।<sup>57</sup> जब तक व्यक्ति अपने विवेक से पूर्णतया संचालित होने की स्थिति में नहीं आता तब तक वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रों तथा मानवीय समुदायों का व्यवहार संवेग एवं अचेतन द्वारा संचालित रहेगा। पाल ने इसे राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के मनोविज्ञान की संज्ञा दी है।<sup>58</sup>

पाल के अनुसार राष्ट्रवाद घनात्मक मूल्यों से युक्त है। भारत के सन्दर्भ में उन्होंने प्रतिपादित किया कि यहां विभिन्न सभ्यताओं के संघर्ष में भारत अपनी प्राचीन संस्कृति तथा विशिष्टीकृत संस्थाओं एवं आदर्शों को वहन कर रहा है। अंग्रेजी सभ्यता का भारतीय सभ्यता से संघर्ष नवीन परिस्थितियां उत्पन्न करता है। साहचर्य हिन्दूधर्म की विशेषता है जब कि वैधानिकता ईसाई धर्म की। समाजवाद या समष्टिवाद हमारे सामाजिक संगठनों का मूल है जबकि व्यक्तिवाद यूरोपीय सभ्यता का केन्द्र बिन्दु। सहयोग हमारे आर्थिक जीवन की विशेषता है जबकि यूरोप का आदर्श है प्रतिद्वन्द्विता। पारश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में भारतीयों के सामने नवीन प्रलोभन उत्पन्न हुआ है किन्तु भारत को अपनी सभ्यता छोड़ने की आवश्यकता नहीं। यूरोप की सभ्यता मनुष्य की विलासिता एवं इन्द्रिय-सुख की प्रवृत्ति को चेतक है जबकि भारतीय सभ्यता जीवन में विवेक एवं आध्यात्मिकता पर अधिक बल देती है। यदि हमने अपनी सभ्यता के इन तत्त्वों को भुला दिया तो हम राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व खो देंगे। विदेशी प्रभावों से अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को हमें बचाना है।<sup>59</sup>

राष्ट्रवाद रूढ़िवादिता से भिन्न है। राष्ट्रवाद विकास के सिद्धान्त पर आधारित

विचार है। रूढ़िवादिता परिवर्तन-विरोधी होती है किन्तु विकासवाद परिवर्तन पर ही प्राधारित है। राष्ट्रवाद प्रतीत से विच्छेदित हुए बिना निरन्तरता बनाये रख सकता है। विकास निरन्तरता का बोध कराता है। परिवर्तन एवं स्थायित्व दोनों में समन्वय विकास की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं। राष्ट्रवाद रूढ़िवादिता एवं क्रान्ति दोनों से मित्र मार्ग का द्योतक है। राष्ट्रवाद नवीन राष्ट्रीयताओं को अंकुरित होने से नहीं रोकता किन्तु नवीन राष्ट्रीयताओं को वर्णसंस्कर पद्धति से अंकुरित होने में मौलिकता समाप्त हो सकती है। वर्णसंस्कर राष्ट्रवाद एक बुराई है जो पुनः की तरह सब कुछ नष्ट कर देती है, 60 वर्णसंस्कर राष्ट्रवाद के स्थान पर स्वस्थ सांस्कृतिक एवं प्रजातीय सम्बन्धों की स्थापना नवीन राष्ट्रीयता के लिए हितकर है। राष्ट्र के मूल प्रवाह में अनुकूल नवीन राष्ट्रीयताओं को आत्मसात किया जा सकता है। प्राधुनिक समय में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा तथा अफ्रीका आदि देशों में वाणिज्य, उपनिवेशन एवं अन्य कारणों से एक प्रकार की नवीन राष्ट्रीयता एवं संस्कृति विकसित हुई है। उनकी समान संस्कृति, धारणाएं एवं राज्य के प्रति समान भक्ति ने नवीन राष्ट्रीयता को जन्म दिया है। इस प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय मिश्रण राष्ट्रवाद के लिए घातक सिद्ध न होकर सहायक ही सिद्ध हो रहा है। सामाजिक विकास के नवीन प्रयोग राष्ट्रवाद की घनात्मक उपयोगिता के प्रतीक हैं।<sup>61</sup>

पाल ने दैवी लोकतन्त्र का प्रतिपादन किया। वे ऐसे लोकतन्त्र का चिन्तन कर रहे थे जिसमें वर्गजनित वैमनस्य एवं संघर्ष न हो और सभी के हितों को संरक्षण प्राप्त हो सके।<sup>62</sup> अधिकारों को मत्सीनी के विचारों के अनुरूप कर्त्तव्यों में परिवर्तित कर दिया जाय। ऐसा वातावरण तैयार किया जाय जहाँ प्रतियोगिता का स्थान स्नेह तथा सहयोग ले ले। उनकी दृष्टि में लोकतान्त्रिक आन्दोलन का यह आदर्श साध्य होना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की स्वार्थसिद्धि छोड़कर सबके हित में अपना हित विचार करे। राष्ट्रों तथा व्यक्तियों के मध्य संघर्ष समाप्त हो जाय तभी विश्व में सच्चा लोकतन्त्र स्थापित हो सकता है। पाल के अनुसार भारत में सदियों से ही इसी प्रकार के दैवी लोकतन्त्र की स्थापना का प्रयास चलता रहा। आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति का यह मार्ग भारत के स्वतन्त्र राष्ट्रीय जीवन की मांग का आधार है। भारतीय प्रान्तों में बंगाल इस प्रकार के लोकतन्त्र की स्थापना का उपयुक्त उदाहरण है। मगध में शताब्दियों पूर्व बुद्ध के समय में इसी प्रकार का प्रयास किया गया था। साम्प्रदायिक एवं प्रान्तीय महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय लोकतन्त्र के लिए घातक रही हैं। ऐतिहासिक प्रतीत का पुनरुत्थान इसी प्रकार की भावना फैलाता है किन्तु बंगाल में ऐसी भावना नहीं रही। स्वदेशी आन्दोलन के दौरान बंगाल में प्रतापादित्य का आह्वान नहीं किया गया जैसा कि अज्ञान में सिवाजी, गुरुगोविन्दसिंह या पेशवाओं का अन्य प्रान्तों में हुआ। शुद्ध प्रान्तीय भावनाओं को पुनः उभारने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना अंग्रेजी शासन के कारण जागृत हुई और बंगालियों ने अपने आदर्शवाद एवं अपनी संस्कृति से राष्ट्रीय आन्दोलन को संबल दिया। अतः बंगाल का आन्दोलन इस कारण से भी अनुकरणीय है कि वहाँ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में स्वतन्त्रता के अंकुर विद्यमान हैं। वहाँ के राजनीतिक जीवन को राजा राममोहन राय से खीननाप ठाकुर तक नवीन दिशाएँ प्राप्त हुई हैं। अंग्रेजों के प्रभाव में राममोहन राय ने अपना सामाजिक गुण-आन्दोलन प्रारम्भ

किया, यह धारणा भ्रममूलक है। राजा राममोहन राय ने जब अपना सामाजिक सुधार आन्दोलन प्रारम्भ किया था उस समय उन्हें अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान भी नहीं था। प्रारम्भ में बंगाल का स्वतन्त्रता-आन्दोलन हिन्दू-पुनर्जागरणवादी रहा ही किन्तु बाद में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश एवं घृणा ने सही राष्ट्रीय चिन्तन को ही बढ़ावा दिया।<sup>63</sup>

### सामाजिक विचार

विपिन चन्द्र पाल ने हिन्दू जाति-व्यवस्था का विरोध किया है। वे यूरोप के सामाजिक दर्शन में व्याप्त भाई-चारे की भावना के पक्षपाती हैं। सामाजिक अर्थ-व्यवस्था में व्याप्त भेद-भाव दूर करना इतना सरल नहीं जितना जातिगत भेद-भाव दूर करना। जाति-भेद का कारण अज्ञान रहा है। भूतकाल के भारत में ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनमें ब्राह्मणों ने शूद्रों को अपना गुरु माना था। पाल इस प्रकार की जाति-भेद की नीति को केवल नैतिक आधार पर उचित मानते हैं जिसमें व्यक्ति की खान-पान एवं कामवासना को जातिगत नियमों से नियन्त्रित किया गया है। जाति-व्यवस्था ने नैतिक जीवन को नियन्त्रित करने में सहायता दी है किन्तु अन्य आधारा प्रर जाति-भेद स्वीकार करने योग्य नहीं है। वे यूरोप के आर्थिक वर्गभेद को जाति-भेद तुल्य हानिकारक मानते हैं। भारत की प्राचीन व्यवस्था में निर्धन होना अपराध नहीं था किन्तु अंग्रेजों के आगमन एवं पाश्चात्य प्रभाव ने नये समाज में निर्धन की स्थिति हेय कर दी है। धन-सम्पन्न व्यक्तियों का समाज के निर्धन वर्ग पर अत्याचार उसी प्रकार फेल रहा है और उसके पापों पर उसी तरह से पर्दा डाल दिया जाता है जिस प्रकार से भूतकाल में छ्रष्ट ब्राह्मण के अपराधों को क्षम्य मान लिया जाता था। वास्तव में जातिभेद एवं वर्ग-भेद दोनों ही अनुचित हैं। हमारी धर्म-प्रधान आर्थिक व्यवस्था उतनी ही अपूर्ण है जितनी आधुनिक लोकतान्त्रिक अर्थ-नीतियां। मानवता सर्वत्र समान रूप में विद्यमान है। जातिगत भेद-भाव, प्रजातीय ऊंचनीच सभी निरर्थक हैं।<sup>64</sup>

पाल ने बंगाल के सामाजिक आंदोलनों एवं तर्जनि सुधारों को अपने लेखन एवं भाषणों में प्रतिध्वनित किया है। उनके अनुसार बंगाल में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मानवतावाद प्रारम्भ से ही मान्य रहा है। इसी कारण से अंग्रेजी शासन का बंगाल पर अधिक प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि बंगालियों की समानता एवं स्वतन्त्रता में निष्ठा अंग्रेजी शिक्षा तथा प्रशासन के अनुकूल है।<sup>65</sup> तान्त्रिक, शाक्त एवं वैष्णव सभी मतावलम्बियों ने जातिगत भेद-भाव को दूर करने में सहायता दी है। बंगाल में ऐसे कई हिन्दू सम्प्रदाय हैं जिनमें जाति-भेद कभी नहीं रहा। बंगाल में धर्म-गुरुओं की वंसी परम्परा नहीं रही जैसी की गुजरात में वल्लभाचार्य सम्प्रदाय की अथवा दक्षिण में शंकराचार्यों की रही है। बंगाल में पेरिया अथवा शूद्रों की सी स्थिति नहीं के बराबर है। चांडालों को भी मन्दिर में प्रवेश प्राप्त है। यह स्थिति मद्रास में नहीं रही।<sup>66</sup> इस प्रकार पाल ने अनेक दृष्टान्तों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बंगाल में सामाजिक समानता एवं सीहाद्र का अनुकरणीय उदाहरण प्राप्य है। यद्यपि पाल के इन विचारों में सत्य की मात्रा अधिक है तब भी यह नहीं माना जा सकता कि बंगाल में सामाजिक भेदभाव अथवा जातिप्रथा की बुराइयां विद्यमान नहीं हैं। पाल ने बंगाल प्रान्त की विशिष्टता को कुछ नटा-नटा न ही प्रस्तुत किया है।

पाल ने हिन्दुओं के सामाजिक संस्कारों एवं प्रयोगों का समर्थन किया है। महालय अथवा श्राद्धकर्म की प्रशंसा करते हुए उन्होंने प्रकट किया कि हिन्दुओं को प्रयाण आधुनिक समाजशास्त्रियों द्वारा ठीक से नहीं भाँकी गई। यूरोपीय समाजशास्त्र के अत्यधिक प्रभाव में भारत का सामाजिक अध्ययन समीचीन नहीं। हिन्दुओं की सामाजिक संरचनाएं आधुनिकता के सन्दर्भ में भी सामाजिक पुनर्निर्माण का आधार हैं। हिन्दुओं की आत्मा के अमरत्व में आस्था उनकी सामाजिक परिपाटियों की जड़ है। मृत्यु को मनुष्य तथा मनुष्य के भेद को मिटाने वाले तत्त्व के रूप में माना गया है। यह मानवजीवन से सभी सम्बन्धों को सार्वभौमिकता में परिवर्तित कर देती है। हिन्दुओं की श्राद्धप्रथा व्यक्तिगत मानवीय जीवन को शाश्वत मानवजीवन से जोड़ती है। मनुष्य के अन्तहीन मानवीय सम्बन्ध तथा सम्पूर्ण मानव-जाति से उसकी एकता हिन्दुओं के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का आधार है क्योंकि वे समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हैं। समस्त जगत् नारायणमय है।<sup>67</sup>

### धार्मिक विचार

पाल के धार्मिक विचारों पर हिन्दू-धर्म-दर्शन का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। पाल के हिन्दू-धर्मविषयक विचार उनकी पुस्तक दी स्टडी ऑफ हिन्दुइज्म (1908) में प्रतिपादित किये गये हैं। पाल के अनुसार हिन्दुओं ने आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से प्रत्येक वस्तु को देखा था। उनके लिए प्रकृति केवल प्राकृतिक नहीं थी और मनुष्य केवल मानवीय नहीं था। प्राकृतिक पदार्थ एवं अवस्थितियाँ आत्मा के रूप में मानी गयी थी। अग्नि, जल, आकाश, वायुमण्डल, सूर्य, चन्द्र नक्षत्र, आदि सब भूमण्डलीय अथवा आकाशीय तत्त्व आत्मायुक्त माने गये थे। ऋग्वेद में इन पदार्थों का अत्यन्त वारतविक वर्णन उपलब्ध है। किन्तु वास्तविकता भौतिकता के रूप में नहीं मानी गयी। प्रत्येक में आत्मा का निवास माना गया है। ऋग्वेद का काश्य हेगल के वर्गीकरण को नकारता है। ऋग्वेद की अद्वैत आध्यात्मिकता उपनिषदों की अमूर्त आध्यात्मिकता में विकसित हुई है। ऋग्वेद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यह चित्रण जीववादी न होकर मानवतारूपी है। इसमें जीव और आत्मा का अद्भुत संमिश्रण है। उपनिषदों में अद्वैत के दर्शन होते हैं। यहाँ प्रकृति का स्वतन्त्र अस्तित्व न होकर उसे ब्रह्ममय दर्शाया गया है। ब्रह्म विश्व का भौतिक कारण है। उपनिषदों के बाद के साहित्य में मायावाद के दर्शन होते हैं। यह विराट् पुरुष के स्थान पर प्रकृति तथा आध्यात्म का विभाजन है।<sup>68</sup>

पाल के अनुसार हिन्दुधर्म साधारण धर्म में धर्ममात्र नहीं है। यह धार्मिकतम धर्म न होकर धर्मों का ऐसा परिवार या समूह है जिनमें कुछ निम्न, कुछ उच्च और कुछ विराट् के उच्चतर स्तर पर हैं। हिन्दुधर्म जीवन धर्म है। हिन्दुओं के धार्मिक अनुभवों में विश्व के समस्त धर्मों का रहस्य विद्यमान है। यह सब धर्मों की कुँजी है। पाश्चात्य विश्व की मरवाधों का नमाधान भी इसमें विद्यमान है। हिन्दू-धर्म ईसाई धर्म का ध्यापक बनाने में महायत्न गिड़ हुआ है। यद्यपि ईशमूलक ने हिन्दू-धर्म का अन्वेषण करने का प्रयास किया किन्तु यह सफल नहीं हो पाया। यह हिन्दू साहित्य के अभाव में ही हो पाया है। इसका भावार्थ और मूलार्थ किसी पाश्चात्य विद्वान् द्वारा मान्य करवाए नहीं हुआ है। विदेहियों का अध्ययन करने मन्त्रो माना जा सकता है।<sup>69</sup> हिन्दू-धर्म

को समझने के लिए पहले हिन्दुओं के आदिकालीन जीवन का अध्ययन आवश्यक है ताकि उनके विशेष इतिहास एवं संस्कृति के विकास का नियामक विचार अन्वेषित हो सके। इसके बाद उस नियामक विचार के विभिन्न रूपों का तथा समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी आवश्यक है जिससे प्रजातीय एवं ऐतिहासिक घटनाओं का परिवर्तनकारी प्रभाव समझा जा सके।<sup>70</sup>

पाल ने हिन्दुओं की पौराणिक गाथाओं को मिथक अथवा असत्य के रूप में नहीं देखा। मिथक वह है जिसमें असत्य एवं अवास्तविकता हो। पाल के अनुसार हिन्दू अपने देवी-देवताओं को असत्य या अवास्तविक नहीं मानते। अतः हिन्दूधर्म के सम्बन्ध में माइथोलोजी शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। पाश्चात्य विचारधारा ने देवी-देवताओं के पूजन को मानसिक एवं सामाजिक विकास की निम्न अवस्था माना है। मध्य अफ्रीका, फीजी, ग्रीस, रोम आदि में देव-पूजन की मान्यता रही है। चीन में पुरखों की पूजा होती थी और भारत में भी ऐसी परम्परा रही है। किन्तु यूरोप के विचारकों ने उपर्युक्त सभी देशों को एक ही श्रेणी में रख दिया है। यूरोप के विचारकों ने अपने संकीर्ण अनुभवों की परिधि से निकल कर गम्भीर विचार नहीं किया। उनका सीमित ज्ञान भ्रान्ति फैलाता रहा है।<sup>71</sup> भारत में वेदों तथा पुराणों में वर्णित देवी-देवताओं के नामों में साम्य होते हुए भी दोनों में बहुत अन्तर है। भारत में धार्मिक विकास के तीन स्तर रहे हैं।<sup>72</sup> पहला अनुभवात्मक स्तर, दूसरा विचारात्मक स्तर तथा तीसरा कल्पनात्मक स्तर रहा है। वैदिक देवताओं को प्रथम स्तर पर रखा जा सकता है। दूसरे स्तर पर उपनिषदों की ईश्वरीय धारणा है और तीसरा स्तर पुराणों में वर्णित देवी-देवताओं के चित्रण में द्रष्टव्य है। पुराणों में वर्णित गाथाएं, त्रुटिपूर्ण व्याख्याओं के बावजूद, उच्च कोटि की हैं और हिन्दुओं के धार्मिक जीवन की उपनिषदों से भी अधिक सन्देशवाहक हैं। अतः पौराणिक गाथाओं को वैदिक देवताओं अथवा पिछड़ी संस्कृति के समकक्ष रखना सर्वथा विवेकरहित है। पौराणिक गाथाओं का विकास ऐसे समय में हुआ है जब हिन्दुओं ने उपनिषदों के विचारात्मक धर्म का स्तर पार कर लिया था।<sup>73</sup> पाल ने सरस्वती का उदाहरण देते हुए यह बतलाया कि सरस्वती वैदिक काल में नदी के रूप में मान्य थी। उसका वैदिक समय में मानवीकरण हुआ और उसके बाद सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में पूजा गया। इतना ही नहीं सरस्वती में समस्त देवियों का आह्वान कर सरस्वती को उमा, वाग्देवी, काली, विद्या, महाविद्या, लक्ष्मी आदि अनेक रूपों में स्वीकार किया गया। सरस्वती का यह अर्चन प्रतीकात्मक है। कोई कितना भी विवेकपूर्ण एवं मूर्तिपूजा का विरोधी क्यों न हो, वह हिन्दुओं के देवी-देवताओं को निम्नस्तर की तुल्य नहीं बतल सकता। जहाँ इन धार्मिक कृत्यों का वास्तविक अर्थ एवं अभिप्राय समझ में नहीं आता वहाँ आलोचकों का अज्ञान इसे आलोचना का विषय भले ही बना ले अन्यथा हिन्दुओं की पौराणिक गाथाओं एवं पौराणिक पात्रों में प्रतीकों के माध्यम से जिस उच्च स्तरीय कल्पनात्मक स्तर की अनुभूति की गयी है वह श्रेष्ठता एवं धार्मिक विकास के चरम चिह्न पर है।<sup>74</sup>

पाल ने यह व्यक्त किया कि मनुष्य का धर्म उसके अस्तित्व का अनन्यतम भाग है। जन्म से मृत्युपर्यन्त धर्म का आश्रय एवं प्रभाव दिखाई देता है। मतपरिवर्तन, अविश्वास,

नास्तिकता आदि विभिन्न तर्क-वितर्कों के माध्यम से धर्म-सम्बन्धी अनुभूतियाँ मानव के पराचेतन में व्याप्त रहती हैं। संशयवाद एवं नास्तिकता एक ही वस्तु के दो पहलू हैं।<sup>75</sup> आधुनिक हिन्दू-धर्म धार्मिक विकास की चरम परिणति है। हिन्दुओं की मूर्तिपूजा केवल मूर्तिपूजा न होकर आदर्शों की आराधना है। यह मूर्तियों की पूजा न होकर उन आदर्शों या विचारों का अर्चन है जो उच्चतम एवं पवित्रतम धार्मिक कल्पना के ब्राह्म प्रतीकों के माध्यम से निस्त हुए हैं। दुर्गा-पूजा का आधुनिक रूप इसी पर आधारित है। बंगाल की दुर्गा अथवा शक्ति-पूजा के पीछे हिन्दू-धर्म-दर्शन की पुरुष एवं प्रकृति की मान्यता जुड़ी हुई है। पुरुष ईश्वर रूप में है और प्रकृति पुरुष से सम्बन्धित है। प्रकृति पुरुष की शक्ति है जो उत्पन्न करती है, भरणपोषण करती है और संहार करती है। प्रकृति ब्रह्माण्ड की माता अर्थात् जगदम्बा है। हिन्दुओं की दुर्गा ईसाइयों के क्राईस्ट के समान है। दुर्गा मुक्तिदायिनी है। दुर्गा महामाया है। आत्मा के ब्रह्म अर्थात् अन्तिम सत्य के साथ सम्बन्ध के विषय में अज्ञान अथवा भ्रमिणा ही माया है। यह अज्ञान निर्माण की प्रक्रिया की विविधता के कारण उत्पन्न होता है जिसमें "ब्रह्म एक है दूसरा नहीं" (एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति)। ब्रह्म से एकाकार होने में इस भ्रान्ति का समाप्त होना अनिवार्य है। प्रकृति बन्धन का प्रमुख कारण है। प्रकृति के माध्यम से ही बन्धन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। शक्ति की आराधना इसी कारण से मुक्तिदायिनी मानी गयी है। अज्ञान रूपी तिमिर को हरने वाली दुर्गा या महामाया अन्धविश्वास तथा धार्मिक आडम्बरों का नाश कर मनुष्य को आध्यात्मिकता के उच्च घरातल पर पहुँचा देती है। पाल ने दुर्गापूजा के इस नवीन विवेचन के माध्यम से भारत में राष्ट्रवादजनित राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं देशभक्ति को जागृत करने का प्रयास किया है।<sup>76</sup>

विपिनचन्द्र पाल के धार्मिक विचारों में उनका इस्लाम के प्रति दृष्टिकोण विवेचनीय है। सर्वे-इस्लामवाद (पैन-इस्लामिज्म) के सम्बन्ध में पाल ने 1913 में यह व्यक्त किया कि भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास पर इसका प्रभाव निश्चित है। इस्लाम के अनुयायी अपने संख्यात्मक बहुमत एवं अपनी संगठनात्मक शक्ति का प्रयोग विश्व-राजनीति को अपने हित में परिवर्तित करने के लिए कर सकते हैं। एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में इस्लाम का बढ़ता हुआ आक्रामक प्रचार उनके लिए चिन्ता का विषय था। सैनिक शक्ति से इस्लाम के प्रभाव में वृद्धि के आसार भ्रम नहीं के तुल्य थे किन्तु धर्म-परिवर्तन का व्यापक भय उन्हें दिवाही देने लगा था। इस्लाम को यह मान्यता कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसका अग्रदूत है—अत्यन्त प्रभावशाली प्रचार का माध्यम बन सकती है। इस्लाम की एकप्राणता (सोलिडरिटी) अनुकरणीय है यदि इसका प्रयोग विश्व-शान्ति के लिए किया जाय। तुर्कों के साम्राज्य का विघटन इस सर्वे-इस्लामवाद का प्रवर्तक है। भारत में इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। भारत के मुसलमानों में हिन्दुओं के प्रति घृणा का भाव सर्वे-इस्लामवाद के कारण अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थित स्वदेशी-आन्दोलन हिन्दुओं के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव का कारण माना जाता है। यदि भारत के मुसलमानों ने स्वदेशी-आन्दोलन को समर्थन दिया होता तो यह स्थिति उनके अनुकूल भी बन सकती थी। स्वदेशी-आन्दोलन राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि से और अधिक व्यापक बन सकता था। किन्तु मुसलमानों

की कांग्रेस के प्रति तिरस्कार की भावना ने उन्हें राष्ट्रीय जीवन से अलग-थलग कर दिया। वे स्वदेशी-आन्दोलन का खुला विरोध करने लगे। इससे हिन्दुओं का आन्दोलन पर प्रभाव बढ़ा। पाल ने हिन्दुओं के बढ़ते हुए प्रभाव एवं हिन्दू-राष्ट्र की भावना का स्वागत किया है। उन्हें इस बात से प्रसन्नता हुई कि हिन्दुओं में जिस जाग्रति एवं एकता की कमी थी वह किसी तरह प्राप्त हो सकी है। इससे हिन्दू संघात्मक राष्ट्र की स्थापना कर सकेंगे और विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्मावलम्बियों को विकास का उचित अवसर मिल सकेगा। पाल को हिन्दू-आन्दोलन या हिन्दू-राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से कोई चिन्ता न थी। न उन्हें इस बात की चिन्ता थी कि मुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलन से दूर रहना क्यों चाहते थे। उन्हें चिन्ता केवल मुसलमानों के विरोधी रख के कारण थी। भारतीय मुसलमानों ने एक समानान्तर मुस्लिम आन्दोलन छेड़ रखा था तथा सर्व-इस्लामवाद एवं लार्ड मिन्टो उनके प्रेरणास्रोत थे। सैयद अमीर अली तथा अन्य मुसलमानों का क्रिया-कलाप सर्व-इस्लामवाद के आन्दोलन का राजनीतिक होना सिद्ध करता था।<sup>77</sup>

पाल ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के प्रश्न को, जिससे सर्व-इस्लामवादी आन्दोलन जुड़ा हुआ है, केवल राजनीतिक माना था। तुर्की ने भारतीय मुसलमानों से धर्म-निरपेक्ष एवं राजनीतिक समर्थन मांगा था किन्तु भारतीय मुसलमानों ने, अपने आपको पहले मुसलमान और बाद में भारतीय मानते हुए, अपनी पृथक्ता का धार्मिक नाटक इस नये आन्दोलन के नाम पर प्रारम्भ कर दिया। उनका राज्यक्षेत्रातीत दृष्टिकोण सगठित राष्ट्र के निर्माण में बाधक सिद्ध हो सकता है। संघात्मक राष्ट्र सभी धर्मों को समान मान्यता देकर राज्य की कृत्रिम सीमाओं को दूर कर देता है किन्तु उसमें भी राज्य की घातक एकता एवं राज्य का स्वयं का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। राज्यक्षेत्रातीत भावना किसी भी राज्य का विध्वंस कर सकती है। राष्ट्र धार्मिक जीवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भारत के मुसलमान मुस्लिम भाईचारे की बात करें या भारत के हिन्दू हिन्दू भाईचारे का नारा लगायें वह उचित है किन्तु भारत की परिस्थितियों में मुस्लिम राष्ट्र की बात करना अनुचित है। हिन्दू राष्ट्र का विचार उचित है क्योंकि भारत के सभी हिन्दुओं का सामान्य भौगोलिक क्षेत्र है और वे समान रूप में एक राज्य की सत्ता के अन्तर्गत हैं और एक ही राज्य संगठन के निवासी हैं।<sup>78</sup> यदि चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका में हिन्दुओं की आवादी हो तो हम वहाँ हिन्दू-राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं कर सकेंगे जैसा कि हम भारत में करते हैं। पाल ने इस सन्दर्भ में जमींदार पत्र के सम्पादक जफरअली या के विचारों को विस्तार से उद्धृत कर दर्शाया कि सर्व-इस्लामवाद के पीछे भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रकट होती थी।<sup>79</sup>

सर्व-इस्लामवाद का ईसाई धर्म विरोध उसके धार्मिक पक्ष को स्पष्ट करता है और उसमें कोई बुराई नहीं। यदि मुसलमानों का धर्म काफिरों को मुसलमान बनाने का कर्तव्य दर्शाता है तो ईसाई धर्म में भी विधर्मों की ईसाई बनाना पुनीत कार्य माना गया है। मुसलमानों को ईसाई धर्म के प्रति अपनी नैसर्गिक प्रतिपक्षता का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनकी संस्कृति एवं यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया का उनका साम्राज्य सुरक्षित रहे। इस्लाम मृत नहीं है। उनमें अद्भुत जीवनी शक्ति है। इस्लाम मूल रूप में लोकतांत्रिक एवं आर्थिक रूढ़ि में समाजवादी है। ईसाई साम्राज्य का इस्लाम द्वारा विमोचन विश्व-

मानवता के हित में ही होगा। सर्व-इस्लामवाद का नैतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष सर्वथा सहानुभूति योग्य है किन्तु उसका राजनीतिक पक्ष खतरनाक है। उनका राजनीतिक प्रचार प्रत्येक गैर-मुस्लिम राज्य के लिए घातक का सूचक है। यह विश्व-भ्रान्ति तथा उन देशों की जनता के लिए जहाँ गैर-मुसलमानों के साथ-साथ मुसलमान भी बसते हैं, भयावह है।<sup>80</sup>

पाल ने सर्व-इस्लामवाद को कृत्रिम नहीं अपितु वास्तविक खतरा बतलाया। हिन्दुओं और मुसलमानों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों एवं आदान-प्रदान का वर्णन करते हुए उन्होंने बतलाया कि बंगाल में दीर्घकाल से मुसलमान हिन्दू देवी-देवताओं को हिन्दू पुजारियों के माध्यम से बढ़ावा बढ़ाते थे और हिन्दू मुसलमान पीरों तथा दरगाहों की मान्यता मानते थे किन्तु सर्व-इस्लामवाद के प्रभाव से मुसलमानों का सुधारवादी नेतृत्व इस सोहार्द्रपूर्ण वातावरण को विषम करने में लग गया। वे मुसलमानों को धर्मान्ध एवं हिसक कार्यों के लिए प्रेरित करने लगे। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध से यह परिवर्तन प्राया। प्रारम्भ में सर सैयद साम्प्रदायिक समन्वय के प्रतीक थे किन्तु बाद में वे भी साम्प्रदायिक राजनीति के शिकार हो गये। अंग्रेज नौकरशाही को इसका दोष दिया जा सकता है किन्तु मुख्य रूप से मुसलमानों का दक्षिणान्धी धार्मिक नेतृत्व इसके लिए अधिक उत्तरदायी रहा है। मुस्लिम राष्ट्र का प्रयोग ईरान अथवा अफगानिस्तान के सन्दर्भ में किया जा सकता है, किन्तु भारत में जहाँ जन-संख्या, शिक्षा एवं सम्पत्ति की दृष्टि से मुसलमान हिन्दुओं से पिछड़े हुए हैं वे मुस्लिम राष्ट्र का स्वप्न नहीं देख सकते। यह तथ्य मुसलमान नेताओं को घबराता है। वे मुगल साम्राज्य के प्राचीन वैभव एवं वर्चस्व पर जीवित रहना चाहते हैं। अंग्रेजी नौकरशाही ने उनमें यह भ्रम पैदा कर रखा है कि वे भारत के भूतपूर्व शासक रहे हैं प्रसूति अंग्रेजों ने भारत का साम्राज्य मुसलमानों से छीना है। वास्तविकता यह है कि अंग्रेजों को भारत का शासन प्राप्त करने के लिए सिख तथा मराठा शक्तियों से लोहा लेना पड़ा है। यदि अंग्रेज नहीं होते तो भारत का साम्राज्य सिख तथा मराठों में बंटा हुआ मिलता। किन्तु इन ऐतिहासिक तथ्यों की चिन्ता न कर अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध भड़काया है। इसका परिणाम सर्व-इस्लामवाद के भारतीय राष्ट्रवाद विरोधी होने के रूप में हुआ है। पाल ने इसके लिए भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी सताड़ा है। यदि भारतीय राष्ट्रवादी नेता सिख और मराठों के शासन का इतना बढ़ा-घड़ा कर वर्णन न करते और पुनर्जागरण का धान्दोलन प्रारम्भ न करते तो यह स्थिति टाली जा सकती थी। यद्यपि पुनर्जागरण भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायक सिद्ध हुआ और इसमें भारतीयों को नवीन राजनीतिक स्फूर्ति प्राप्त हुई किन्तु इनके कई प्रचारकों ने भारत में स्वराज के स्थान पर हिन्दूराज्य की भावना को उकसाया। यह ध्रामक विचार भी मुसलमानों के हिन्दू-विरोधी रविये तथा उनके सर्व-इस्लामवाद के प्रति श्रुकाव के लिए उत्तरदायी था।<sup>81</sup>

साम्प्रदायिक वैमनस्य का ऐतिहासिक अथवा मनोवैज्ञानिक आधार जो कुछ भी रहा हो, पाल राजनीतिक सर्व-इस्लामवाद के प्रति सचेत रहने का आह्वान करते हैं। वे सर सैयद तथा सैयद अमर और अली के इन विचारों की कि भारत के मुसलमान मुसलमान पहले हैं, भारतीय बाद में—वैचारिक भ्रान्ति की संज्ञा देते हैं। पाल के अनुगार 'भारतीय' शब्द भौगोलिक अथवा राजनीतिक शब्द है। भारतीय के रूप में व्यक्ति या तो भारत का



निवासी है या भारत सरकार की प्रजा है। इससे भिन्न भारतीय शब्द का कोई धार्मिक, प्रजातीय अथवा वंश सम्बन्धी अर्थ नहीं हो सकता। इसके विपरीत मुसलमान शब्द केवल धार्मिक तथ्य है। इससे भौगोलिकता अथवा राजनीतिक सम्बन्धों और कर्तव्यों का बोध नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानता है तो इसका अर्थ है कि उसके धार्मिक सम्बन्ध एवं कर्तव्य राजनीतिक सम्बन्धों एवं कर्तव्यों के अग्रगामी हैं। अन्य शब्दों में गैर-मुस्लिम राज्य जिसका कि वह निवासी अथवा नागरिक है उसके प्रति उसकी राजभक्ति विश्व के मुसलमानों तथा मुस्लिम शासकों के प्रति उसकी निष्ठा के सामने नगण्य है विशेषतः जब दोनों निष्ठाएं संघर्ष में हो। यही राजनीतिक सर्व-इस्लामवाद का तर्क है जो कि मुस्लिम लीग, अमीर अली आदि द्वारा समर्थित है। इस रूप में यह भारतीय राष्ट्रवाद का शत्रु है। इस शरारत पूर्ण धार्मिक-राजनीतिक आन्दोलन का उपचार, विशेषतः भारत तथा मिश्र के सन्दर्भ में, यही है कि एक सच्चे राष्ट्रवादी आदर्श एवं संघात्मक भारतीय सरकार के संविधान को विकसित किया जाय जो एक बृहत् ब्रिटिश साम्राज्यीय संघ का समानता के आधार पर अंग बन सके।<sup>82</sup>

### धार्मिक विचार

पाल के धार्मिक विचारों में भारत की धार्मिक समस्याओं का समाधान ऋतुकता है। वे भारत में व्याप्त निर्धनता एवं धार्मिक शोषण के प्रति सजग थे। वे भारत की धार्मिक समस्याओं का समाधान उद्योगीकरण के माध्यम से प्राप्त करने के समर्थक नहीं थे। यूरोप के औद्योगिक अनुभव ने उनकी दृष्टि से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया था। उद्योगीकरण संस्कृति एवं नैतिकता का शत्रु माना गया था। वे इसे राष्ट्रीय जीवन का शत्रु एवं सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का नाशक मानते थे। उन्हें यह भय था कि यदि भारत का पश्चात्य देशों की भाँति उद्योगीकरण किया गया तो भारत की प्राध्यात्मिकता एवं सांस्कृतिक धरोहर समाप्त हो जायगी। हम भारतीय के रूप में अपना अस्तित्व छोड़कर पश्चात्य देशों की भाँति भौतिकवाद के भ्रमवात में फँस जायेंगे। आरम्भिक शांति एवं नैतिक गुणों के विकास के लिए धार्मिक जीवन को नकारा नहीं जा सकता किन्तु यह हमारी गौरवपूर्ण परम्पराओं के अनुरूप होना चाहिए। विदेशों की नकल कर भारत में ऐसे धार्मिक प्रयोग करना जो कि हमारी मान्यताओं की ऋकभोर दे और हमें पश्चिम की मानसिक दासता में बद्ध कर दे उनके लिए असह्य था।<sup>83</sup>

पाल ने भारत के धार्मिक उन्नयन के लिए कुटीर-उद्योगों के विकास पर बल दिया। वे स्वदेशी-आन्दोलन से सम्बन्धित थे अतः भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते थे। वे भारत की निर्धनता को दूर करने के लिए भारत के प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन करने के इच्छुक थे। प्रारम्भ में उनके धार्मिक विचार यद्भाष्यम् (लेजे फेर) की नीति का समर्थन करते थे। उन्हें भय था कि अंग्रेजों का परोपकारी धार्मिक प्रयास भारत पर अंग्रेजों के आततायी शासन को और भी अधिक सशक्त बनाने में सहायक होगा। अतः वे स्वावलम्बन तथा स्वदेशी के पक्ष में थे ताकि हम अपनी धार्मिक प्रगति अपने आप कर सकें। शासन केवल जनता की सुरक्षा के प्रबन्ध तक ही सीमित रहे। वे अंग्रेजी शासन के बढ़ते हुए धार्मिक प्रयासों को भारत में क्षुधा-पीड़ित यूरोपीय समाजवाद के आगमन का सूचक मानते थे।<sup>84</sup> किन्तु बाद में उनके धार्मिक विचारों

में नवीन परिवर्तन भाया और वे समाजवाद के प्रशंसक बन गये।<sup>85</sup> स्पष्ट समाजवादी चिन्तक न होते हुए भी पाल के विचारों की प्रगतिशीलता सराहनीय थी।

पाल ने पूंजीवाद का विरोध किया। वे इसे भारत की प्राचीन जाति-व्यवस्था का नया रूप मानते थे। जाति-व्यवस्था में व्यक्ति का जन्म और उसकी भ्रानुवांशिकता को महत्त्व दिया जाता था। उसी प्रकार प्राधुनिक समय के पूंजीवाद में धन के प्राधार पर व्यक्ति का सामाजिक स्तर प्राका जाने लगा। वे दोनों ही स्थितियों को शोषण एवं भ्रन्याय की प्रतीक मानते हुए इनकी समाप्ति के इच्छुक थे। भारत की प्राचीन प्रामीण व्यवस्था जिसमें श्रम की प्रधानता एवं विकेन्द्रीकरण का बाह्यत्व था, उन्हें पुनर्जीवित करने योग्य प्रतीत हुई थी। छोटे उद्योगों के माध्यम से बड़े पूंजीपतियों की उत्पत्ति रोकी जा सकती थी।<sup>86</sup> उनका पूंजीवाद-विरोधी चिन्तन रूस की बाल्येविक क्रान्ति की सफलता के सन्दर्भ में और भी प्रखर हो उठा। उन्होंने रूस की सफल क्रान्ति का जयघोष किया और उससे जारशाही तथा जर्मन सैन्यवाद के विनाश में अस्त मानवता के उद्धार का मार्ग देखा। प्रथम विश्वयुद्ध की विजेता महाशक्तियों को भस्मना करते हुए पाल ने उन्हें विश्व की निरीह एवं प्राधिक दृष्टि से विपन्न मानवता का शोषक माना।<sup>87</sup> रूस का प्रयोग उन्हें गरीब जनता के शोषणरहित नवीन जीवन को उद्घोषित करने वाला दिखाई दिया।<sup>88</sup>

पाल ने भारत में श्रमिक आन्दोलन की गति त्वरित करने तथा ब्रिटेन के मजदूर-दल से इस सम्बन्ध में सहयोग प्राप्त करने पर बल दिया। किन्तु ब्रिटिश मजदूर-दल के साम्राज्य-पोषक दृष्टिकोण से उन्हें निराशा हुई। इसलिए भारत की स्वतन्त्रता एवं श्रमिकों की दशा सुधारने के कार्य को स्वयं भारतीयों द्वारा सम्पादित करने की प्रेरणा उन्होंने दी।<sup>89</sup> वे राज्य की सहायता से प्राधिक प्रगति प्राप्त करने के विचार से सहमत हो गये। वे चाहते थे कि भारतीयों द्वारा ऐसी मांगे प्रस्तुत की जाय जिससे जनता का प्राधिक शोषण रूक सके। इस सन्दर्भ में उनका यह विचार था कि सरकार प्रतिरिक्त मुनाफे को अपने अधिभार में ले ले। इस प्रकार से प्राप्त प्रतिरिक्त धन को सार्वजनिक हित में खर्च किया जाय। सफाई एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के लिए इस धन का प्रयोग जनता की कठिनाइयों का निराकरण कर उन्हें श्रेष्ठ जीवन जीने योग्य बना सके। वे श्रमिकों की प्राधिक दुर्दशा से परिचित थे। उनके लिए काम करने का समय निश्चित करने तथा उन्हें अधिक पारिश्रमिक दिलाने का मुझाव भी पाल ने प्रस्तुत किया।<sup>90</sup> पाल के उपयुक्त विचार उनके समाजवादी दृष्टिकोण के परिचायक हैं। किन्तु उनका समाजवाद यही तक सीमित नहीं था। वे प्राधिक समाजवाद के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक साम्य भी चाहते थे ताकि जीवन के सभी पक्ष पूर्णतया समान स्तर पर प्राये जा सकें। मार्क्स के विचारों से भिन्न उनका यह प्राध्यात्मिक समाजवाद "हिन्दू समाजवाद" के नाम से प्रस्तुत किया गया था क्योंकि वे हिन्दुधर्म के सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन में समाजवाद का प्रादर्श अन्तर्निहित मानते थे।<sup>91</sup> पाल का यह विश्वास था कि प्राधिक विषमताओं एवं शोषण की प्रवृत्ति का निराकरण करने के लिए व्यक्ति की इच्छाओं को प्रात्मसंयम द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। हिन्दू-धर्म में इस प्रकार के प्रात्मसंयम को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त थी और इसी कारण से पाल ने हिन्दू-समाजवाद शब्द का प्रयोग कर प्रात्मसंयम की इस भावना को मार्क्स के समाजवादी विचारों से भी प्राधिक समाजवादी माना। एक अर्थ

मे वे समाजवाद के आधुनिक प्रादर्श को हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुकूल सिद्ध कर एक घोर हिन्दूधर्म की आधुनिकता तथा दूसरी ओर समाजवाद की अवश्यभाविता प्रकट कर रहे थे।

बिपिनचन्द्र पाल भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिन्तन के प्रमुख चिन्तकों की गणना में आते हैं। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अपना पृथक् अस्तित्व रखता है। स्वराज्य एवं स्वदेशी के निर्भीक प्रचार से लेकर साम्राज्यीय संघ की अवधारणा तक उनका समस्त चिन्तन प्रेरणास्पद माना गया है। लेखन, भाषण एवं चिन्तन तीनों विद्याओं में उनका समान अधिकार रहा है। समय के साथ परिवर्तित उनकी विचारधारा ने अनेक आलोचकों को आमन्त्रित किया फिर भी उनकी निर्भीक शैली यथावत् बनी रही। स्वदेशी-मान्दोलन के समय उनका चिन्तन और भी प्रखर हो उठा था। राजनीति में अध्यात्म का प्रयोग कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि मानवता का कल्याण केवल भौतिक उपलब्धियों से प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हमें अपनी आध्यात्मिक धरोहर का पुनरावेषण करना पड़ेगा। वे हिन्दूधर्म के सार्वभौमिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण कर उनके माध्यम से भारत एवं विश्व की विविध समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत कर रहे थे। उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। उन्हें भारत की महत्ता का सन्देशवाहक कहा जा सकता है। वे भारत की स्वतन्त्रता में विश्व की दासता-पीड़ित मानवता की मुक्ति का दर्शन कर रहे थे। आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रतिपादित उनके विचार मानसंवादी मुखौटे की कृत्रिमता दर्शाते हैं। आर्थिक प्रलोभनों से उन्मुक्त उनके अन्तराल का मानव लोकतन्त्र एवं मानवीय गरिमा का जागृत प्रहरी है। राज्य अथवा दल जनित नौकरशाही के आर्थिक नियोजन का दम्भ उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों के समक्ष धूमिल दिखाई देता है। शोषण का निराकरण बाह्य जगत् में नहीं अपितु अपने अन्तराल में छिपी शोषण की प्रवृत्ति में विद्यमान है। आत्मनिग्रह ही मानवीय दुर्बलताओं का एक मात्र हल है। यही बिपिनचन्द्र पाल का शाश्वत सन्देश है। □□

## टिप्पणियाँ

1. देखिये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, पृ 541-542
2. टी. बी. पार्वते, कैफ़स आफ़ मोडर्न इंडिया, (यूनीवर्सिटी पब्लिशिंग, जलंधर, 1964) पृ. 79
3. वही, पृ. 84
4. देखिये लाइफ़ एंड मटरेरिऑज ऑफ़ बी. सी. पाल (गणेश एण्ड को, मद्रास) पृ 151
5. पार्वते, पृ. 83-84
6. वही, पृ. 80-81
7. बिपिनचन्द्र पाल, राइटिंग्स एंड स्पीचिंग, खण्ड I, (सुगयात्री, बलकत्ता, 1958) पृ. 3
8. वही, पृ. 1-7
9. वही, पृ 3
10. वही, पृ 4
11. वही,
12. वही, पृ. 6
13. बिपिनचन्द्र पाल : स्वदेशी एवं स्वराज, (सुगयात्री प्रकाशक, बलकत्ता, 1954) पृ 124-127

14. वही, पृ. 171-172
15. बी. सी. पाल : बी स्मू स्प्रिट (सिन्हा सर्वाधिकारी एण्ड को., कलकत्ता, 1907) पृ. 222
16. पाल, रेस्पेन्सिबल गवर्नमेन्ट, (बनर्जी, दास एण्ड को., कलकत्ता, 1917) पृ. 41
17. मुखर्जी, हरिदास एण्ड मुखर्जी, उमा, विपिनचन्द्र पाल एंड इन्डियाज इगुल फोर स्वरराज, (मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1958) पृ. 6-12, 30
18. बी स्प्रिट आक इन्डियन नेरानसिज्म, पृ. 11
19. पाल, धोकृष्ण (टैगोर एण्ड को., मद्रास) पृ. 3, 165, 166
20. पाल, बी सोल आक इन्डिया, (बौधरी, कलकत्ता 1911) पृ. 124
21. वही, पृ. 135-143
22. पाल, स्वदेशी एड स्वरराज, पृ. 161-167
23. पाल, बी स्प्रिट आक इन्डियन नेरानसिज्म, पृ. 39
24. पाल, राइटिंग्स एड स्पोजेन, पृ. 11-13
25. वही, पृ. 14
26. वही, पृ. 21-24
27. वही, पृ. 25
28. वही, पृ. 27-28
29. वही, पृ. 28-29
30. वही, पृ. 30
31. वही, पृ. 30-33
32. वही, पृ. 34-36
33. वही, पृ. 39
34. वही, पृ. 41
35. वही, पृ. 46
36. वही, पृ. 48-50
37. वही, पृ. 51-54
38. वही, पृ. 55-57
39. वही, पृ. 61-63
40. वही, पृ. 66-67
41. वही
42. वही, पृ. 68
43. वही, पृ. 69
44. वही
45. वही, पृ. 69-71
46. वही, पृ. 71-72
47. वही, पृ. 72
48. वही, पृ. 73-75
49. वही, पृ. 75-76
50. वही, पृ. 76
51. वही, पृ. 77
52. वही, पृ. 79-80
53. वही, पृ. 82-83
54. वही, पृ. 83
55. वही, पृ. 87-89

56. वही, पृ. 145-146
57. वही, पृ. 147
58. वही, पृ. 146
59. वही, पृ. 151
60. वही, पृ. 163
61. वही, पृ. 166-67
62. पाल, नेमोरीज़् आफ् भाई साइफ् एंड् टाइम्स, भाग 1, (मोहनं बुक एजेंसी, कलकत्ता 1932), पृ. 355
63. राइटिंस् एंड् स्पीचेज्, पृ. 168-175
64. वही, पृ. 151-155
65. वही, पृ. 186
66. वही, पृ. 186-187
67. वही, पृ. 192-199
68. विपिनचन्द्र पाल, बी स्टडी आफ् हिन्दूइज्म, (युगयात्री प्रकाशक लि., कलकत्ता, 1951, द्वितीय संस्करण) पृ. IV-VII
69. वही, पृ. 2-21
70. वही, पृ. 209
71. राइटिंस् एंड् स्पीचेज्, पृ. 91-92
72. वही, पृ. 93
73. वही, पृ. 94
74. वही, पृ. 110
75. वही, पृ. 101
76. वही, पृ. 104-111
77. वही, पृ. 116-126
78. वही, पृ. 126-131 तथा 132
79. वही, पृ. 132-133
80. वही, पृ. 133-138
81. वही, पृ. 138-142
82. वही, पृ. 142-144
83. स्वराज, बी गोल्ड एण्ड् बी वे, (1921), पृ. 103-104
84. विपिनचन्द्र पाल, नेशनलिटी एण्ड् एम्पायर, (दीकर, स्पिक एण्ड् को., कलकत्ता, 1916) पृ. 252
85. वही, पृ. 85-86
86. स्वराज, बी गोल्ड एण्ड् बी वे, पृ. 106
87. बी वर्ल्ड् सिन्धुएरान एण्ड् अवरसंस्त्स (कलकत्ता, 1919) पृ. 4
88. वही, पृ. 22-23
89. वही, पृ. 41-42
90. वही, पृ. 44-45
91. नेशनलिटी एण्ड् एम्पायर, पृ. 28, 85-86

विनायक दामोदर सावरकर का जन्म मई 28, 1883 को महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर नामक ग्राम में हुआ। वे प्रसिद्ध चितपावन ग्राह्यएवंशज थे। उनका बाल्यकाल महाभारत-रामायण की कथाओं एवं प्रताप, शिवाजी तथा पेशवाओं की कहानियों के श्रवण से भ्रोत-भ्रोत रहा। बाल्यकाल में इन्होंने कविता लिखने का शौक था। चापेकर-बन्धुओं के ऐतिहासिक बलिदान ने सावरकर को अत्यधिक प्रेरित किया। एक दिन रात्रि में माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने सावरकर ने देश को अंधेजों से मुक्त कराने का संकल्प किया। उस समय उनकी आयु केवल सौलह वर्ष की थी। 1900 में सावरकर ने 'मित्र मेला' नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। यही संगठन धीरे जाकर अभिनव समाज के रूप में 1904 में परिवर्तित हुआ। यह संस्था सारे पश्चिम तथा मध्य भारत में तथा इसके पश्चात् गदरपार्टी के रूप में इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, बर्मा आदि में सक्रिय रही। इसका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाना था और इसके लिए यह संस्था सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करती थी। इस संस्था ने नवयुवकों में जिस स्फूर्ति तथा राष्ट्र-प्रेम का संचार किया वह भारतीय इतिहास की स्वर्णिम कड़ी बन चुकी है। सावरकर ने अपने प्रारम्भिक राजनीतिक जीवन में जाति-प्रथा के उन्मूलन का अत्यन्त उदाहरण प्रस्तुत किया तथा अपना समस्त जीवन हिन्दुओं की एकता के लिए न्योछावर कर दिया। अपने कालेज जीवन में भवभूति तथा कालिदास का विस्तार से अध्ययन किया। इसी प्रकार अंधेजी के दोक्सपीयर, स्कॉट तथा मिल्टन की रचनाओं से भी वे प्रभावित हुए। उनकी साहित्यिक रचि का परिणाम यह निकला कि उन्होंने मराठी भाषा की अपनी कविताओं में 'मुक्त छंद' का प्रयोग प्रारंभ किया।

तिलक के सम्पर्क में सावरकर को स्वदेशी व स्वराज्य का नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। बंग-भंग-भान्दोलन के दौरान सावरकर ने पूना में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। तिलक की सिकांरिण पर सावरकर को श्यामजी कृष्णवर्मा ने सन्दन बुलाया। सावरकर ने श्यामजी कृष्णवर्मा के इच्छिया हाउस में रहते हुए बैरिस्ट्री का अध्ययन प्रारम्भ किया। सन्दन में सावरकर ने श्री इच्छिया गोमास्ट्री गठित की। प्रसिद्ध शान्तिकारी भाई परमानन्द, साना हरदयान, मदनमाल धोंगडा, मंडम कामा, सेनापति भापट आदि ने सावरकर का सम्पर्क हुआ। सावरकर ने अल्पसु में ही सारे शान्तिकारियों पर अपने देग-भक्त विचारों की अमित छाप कायम कर दी। उनके नेतृत्व में बम, रिस्तोन तथा राजनीतिक हत्याओं का कार्यक्रम बनाया गया। उनकी प्रेरणा से मदनमाल धोंगडा ने बर्जन् वामनी की गोपी मारी। उन्हें पामी हुई किन्तु उनके बलिदान से एक नया योग पैदा। सावरकर की

गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। इन्डिया हाउस बन्द कर दिया गया। सावरकर अपनी गतिविधियाँ लन्दन में नहीं चला सकते थे अतः उन्हें पेरिस जाना पड़ा तथा वहाँ से उनका भारत की स्वाधीनता के लिए सशस्त्र कार्यक्रम चलता रहा।

इस बीच नासिक-पड्यन्त्र में सावरकर के बड़े भाई बाबाराव सावरकर को आजन्म कारावास का दण्ड दिया गया। बाबाराव को दण्डित करने में जिम्मेदार नासिक के कलेक्टर जैक्सन को अनन्त कान्हरे नामक युवक ने गोली मार दी। विनायक दामोदर सावरकर ने जो पिस्तौल चुपचाप भारत भेजे थे उन्हें में से एक का प्रयोग इस हत्या में किया गया साबित हुआ। तुरन्त सावरकर पर बम्बई के गवर्नर ने मुकद्दमा चलाया तथा उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया गया। सावरकर लन्दन में गिरफ्तार किये गये तथा उन्हें भारत सरकार को सौंप दिया गया। भारत सरकार के अंग्रेज पदाधिकारियों ने उन्हें एक स्टीमर से भारत भेजा। वे बन्दी के रूप में एक विशेष पहरे के अन्तर्गत जहाज में अलग रखे गये थे। जहाज के फ्रान्सिसी बन्दरगाह मार्सीलीज के निकट पहुँचने पर वे जहाज से कूद कर बच निकले तथा फ्रान्स की भूमि पर पहुँच गये। वे अपने आपको फ्रान्स की सरकार के समक्ष उपस्थित करना चाहते थे ताकि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत राजनीतिक शरण प्राप्त हो सके किन्तु फ्रान्स के पुलिसमैन की लापरवाही से वे पुनः अंग्रेज अधिकारियों द्वारा पकड़कर बन्दी बना दिये गये तथा जहाज में बैठा कर भारत लाये गये। वीर सावरकर का यह मामला बाद में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग में उठाया गया जिनमें फ्रान्स की सरकार ने इंग्लैण्ड की सरकार पर उनके राजनीतिक शरण में प्राये सावरकर को जबरन फ्रान्स की भूमि पर अनधिकृत प्रवेश कर ले जाने का मुकदमा चलाया। अन्त में न्यायालय ने निर्णय दिया कि फ्रान्स सरकार की लापरवाही से सावरकर को पुनः अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया गया था अतः उन्होंने स्वयं अपनी सप्रभुता को क्षीण किया तथा इस कारण से सावरकर तो उन्हें पुनः नहीं सौंपे जा सकते थे, पर न्यायालय ने इंग्लैण्ड से फ्रान्स सरकार के नाम इस घटना के लिए क्षमा मांगने का आदेश दिया। इंग्लैण्ड ने फ्रान्स से क्षमा मांगी। विनायक दामोदर सावरकर के 'केस' ने उन्हें रातोंरात अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध बना दिया।

भारत पहुँचने पर सावरकर को सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करने तथा अंग्रेजी राज्य का तख्ता पलटने के आरोप में कुल मिला कर पचास वर्ष का आजीवन कारावास दिया गया। उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। उन्हें बैरिस्टर की मान्यता नहीं मिली तथा बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उनकी बी० ए० की उपाधि भी पुनः लेकर रद्द कर दी गई। वे अण्डमान (कालेपानी) की बदनाम जेल में भेज दिये गये। वही सावरकर के बड़े भाई बाबाराव सावरकर भी पहिले से सजा काट रहे थे। सावरकर को अनगिनत यातनाएं दी गयीं किन्तु उन्होंने अपने देश-प्रेम तथा अंग्रेजों के शासन के प्रति घृणा में लेशमात्र अन्तर नहीं आने दिया। उन्हें कोठरू में तेल निकालने के लिए बेल की तरह जुतना पड़ा। खड़ी हथकड़ियों में लटकाया गया। अपमानित किया गया। तथापि उन्होंने सब कुछ शाजादों के दीवानों की तरह सहन किया। जेल में इन्हें पढ़ने व लिखने की सख्त मनाही थी फिर भी विनायक दामोदर सावरकर ने कंकड व काटों की सहायता से अपनी कविताएं लिखना जारी रखा जो कि उनकी रिहाई के बाद प्रकाशित हुईं। इस तरह सावरकर ने मिद्ध कर

दिया कि बिना कागज कलम के भी वैदिक ऋषियों की भांति महाद् रचनाएं स्मृति के प्राधार पर संजोयी जा सकती थीं। जेल में कैदियों का परस्पर मिलना मना था। उन्हें केवल भोजन के समय भ्रष्ट शाारीरिक परिश्रम के समय साथ रखा जाता था। अपने विचारों का प्रादान-प्रदान करने के लिए सावरकर ने हिन्दी भाषा में ऐसा 'कोड' तैयार किया जिससे भ्रष्टमान की जेल के कंदी रात में हृषकटियों से ध्वनि निकालते हुए 'कोड' से बात करते थे। 1921 में भ्रष्टमान से सावरकर तथा उनके बड़े भाई दोनों भारत लाये गये। सावरकर को रत्नागिरि जेल में रखा गया। उनकी रिहाई के लिए आन्दोलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 1937 में जेल से रिहा किया गया। इस तरह उनका सत्ताईस वर्ष का जेल-जीवन पूर्ण हुआ।

जेल-मुक्त होने के पश्चात् सावरकर ने अपनी सारी शक्ति हिन्दू-महासभा को प्रवित कर दी। हिन्दुओं को संगठित करने में सावरकर ने भ्रष्टों की समस्या का समाधान, उनके लिए समान शिक्षा का प्रवन्ध, दलित हिन्दू जातियों के उद्धार, अन्तर्जातीय विवाह प्रादि पर जी-जान से कार्य किया। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो उनकी व्यापक कथनीय थी। वे अन्त तक विभाजन का विरोध करते रहे। उनकी हिन्दू-विचार-धारा के कारण उन्हें भारत के स्वतन्त्रता समारोह में भी आमन्त्रित नहीं किया गया। गांधीजी की हत्या के पश्चात् सावरकर को गांधीजी विरोधी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हितैषी होने के नाते गिरफ्तार किया गया किन्तु वे साल किले में लगाई गयी गांधी हत्याकाण्ड विरोध प्रदालत द्वारा (जिसमें गोइसे तथा घाटे को फाँसी की सजा सुनायी गयी) साफ बरी घोषित कर दिये गये। वे हिन्दुओं को संन्य बल में देखना चाहते थे। उनकी विचारधारा से राजनेता सहमत नहीं थे, किन्तु चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण ने गिड़ कर दिया कि भारत को अपनी संन्य बल बढ़ाना होगा तथा केवल पंचशील तथा आन्ति के नाम पर देश की अखण्डता की रक्षा नहीं होगी। सावरकर को स्वतन्त्र भारत में सहायता के लिए पेशना दी गयी किन्तु उनकी सम्पत्ति जो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास देते समय जब्त कर ली थी वह पुनः नहीं लौटायी गयी। सावरकर ने कभी भी पश्-लोलुपता के वश सत्ता की कामना नहीं की। वे एक महाद् देशभक्त थे। उनकी जीवन-गाथा भारतवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगी।<sup>1</sup>

### सावरकर तथा हिन्दू-राष्ट्र की अवधारणा

विनायक दामोदर सावरकर हिन्दू-राष्ट्रवाद तथा हिन्दू-पुनरुद्धार के अद्वितीय विचारक थे। वे हिन्दुओं की सांस्कृतिक महत्ता को स्वीकार करते हुए राष्ट्र की पूर्ण एकता का प्रतीक मानते थे। उनके विचारों में हिन्दुओं को विभाजित करने वाले धार्मिक आन्दोलनों के स्थान पर उनके राजनीतिक एवं सामाजिक एकीकरण की अधिक आवश्यकता थी। उन्होंने हिन्दुओं के समान हितों पर बल देते हुए उनकी संगठित होने के लिए आह्वान किया। उनका यह परम विश्वास था कि एक राष्ट्र की दृष्टि में हिन्दुओं में भाषा, इतिहास, मरुति, देश, धर्म आदि समस्त तथ्यों की समानता विद्यमान थी। इस आधार पर हिन्दुओं को राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।<sup>2</sup>

उन्होंने हिन्दुत्व की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा कि जो धर्म, हिन्दु नदी के समुद्रसंन सम्पूर्ण भारत की अपनी विभूभूमि तथा पुन्य-भूमि मानता है वही हिन्दू है।



हिन्दू राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से हिन्दुत्व की यह परिभाषा एक क्रान्तिकारी प्रयोग था। इसके माध्यम से उन्होंने हिन्दू-राष्ट्रवाद की धारणा को सम्बन्धित किया। सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिन्दूत्व की धारणा ने एक अग्रवयी सामाजिक राजनीतिक योग्यता के साथ एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें हिन्दुओं को पूयक करने वाले समस्त तत्त्वों को अस्वीकार किया गया। वे हिन्दुओं में अन्तरजातीय तथा अन्तर-उपजातीय विवाह आदि आदान-प्रदान के समर्थक थे। वे मुसलमानों को प्रसन्न करने वाली नीति के उपासक नहीं थे। उनके अनुसार यदि भारतीय मुसलमान स्वराज्य-प्राप्ति में सहयोग नहीं देना चाहते थे तो उनसे अनुनय-विनय करने की आवश्यकता नहीं थी। मुसलमानों के बिना भी हिन्दू अपनी स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करने में समर्थ थे।

सावरकर ने हिन्दू राष्ट्र की अग्रवयी एवं सांस्कृतिक एकता को स्वीकार करते हुए हिन्दुत्व के तीन लक्षण बतलाये। उनके अनुसार पहला लक्षण राष्ट्र-प्रेम एवं प्रादेशिक एकता तथा अखण्डता में विश्वास था। उनके अनुसार दूसरा लक्षण जातीय तथा रक्त सम्बन्ध था। वे हिन्दू-रक्त को हिन्दूत्व के महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में मानते थे। तीसरा लक्षण हिन्दू सभ्यता तथा संस्कृति में गर्व अनुभव करने से सम्बन्धित था। इस प्रकार राष्ट्र, जाति तथा संस्कृति हिन्दूत्व के प्रमुख लक्षण थे। सावरकर द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त हिन्दूत्व की धारणा हिन्दूवाद के विचार से कहीं अधिक व्यापक है। हिन्दूवाद जिसका अनेक भारतीय विचारकों ने समर्थन एवं प्रतिपादन किया है केवल संकीर्ण विचार ही प्रस्तुत करता है। इसमें केवल हिन्दुओं के धर्म, विद्या, धार्मिक अनुष्ठान, रीतिरिवाज तथा क्रियाकलाप आदि सम्मिलित किये जाते हैं। किन्तु हिन्दुत्व शब्द हिन्दुओं की राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आदि समस्त विशेषताओं को लिये हुए है। इतना होने पर भी हिन्दूत्व की धारणा मानवतावाद तथा सार्वभौमवाद के प्रतिकूल नहीं है। सावरकर ने इसे एक बौद्धिक तथा वैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत किया है ताकि उसमें संकीर्णता का प्रवेश न होने पाये।<sup>3</sup>

सावरकर ने हिन्दू पुनरुत्थानवाद तथा दार्शनिक आदर्शवाद का भी समीचीन निर्वाह किया है। वे हिन्दू अध्यात्मवाद तथा नीति-शास्त्र के मूल भूत सिद्धान्तों में निष्ठा रखते थे। गीता के कर्मयोग ने उन्हें यथार्थ में कर्मयोगी बना दिया। उनका राजनीतिक जीवन इसका साक्षी है। वे हिन्दूत्व के विश्व-दर्शन में विश्वास रखते थे तथा हिन्दू-समाज-व्यवस्था में क्रमिक परिवर्तन के अनुयायी थे। वे हिन्दू-वर्णाश्रम-व्यवस्था के स्थान पर हिन्दू-वर्णाश्रमधर्म का समर्थन करते थे। समाजवादी सिद्धान्तों की अनुपालना उनका लक्ष्य नहीं था क्योंकि राजनीतिक वादविवाद में अपना समय नष्ट करने के स्थान पर देश की स्वतन्त्रता व राष्ट्रीयता के संचार में अधिक व्यस्त थे। वे प्रतिक्रियावादी पुरातनपन्थी नहीं थे। यथार्थ में उनकी पूर्ण निष्ठा थी। मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन एक ऐसी स्थिति थी जिससे वे हिन्दू संगठनवादी बने। बहुसंख्यक समाज की विचारधारा के अनुसार नीति-निर्माण का पक्ष लेते हुए अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का उन्होंने विरोध किया। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे धार्मिक असहिष्णुता में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने विचार दर्शन में अग्न्याय का प्रतिकार किया तथा हिन्दू-धर्म की सहृदयता, दयालुता

तथा सहिष्णुता का पूरा पूरा परिचय दिया। उनके विचारों का विरोध मुसलमानों व अंग्रेजों के द्वारा इसलिए नहीं हुआ कि वे हिन्दूत्व के प्रचारक थे अपितु इस कारण अधिक हुआ कि वे एक विदेशी सत्ता के उग्रतम विरोधी थे।<sup>4</sup>

हिन्दू-राष्ट्र के बारे में सावरकर का यह मत था कि भारत में केवल हिन्दू ही राष्ट्र के रूप में थे तथा अन्य व्यक्ति प्रल्पसंख्यकों के रूप में। हिन्दुओं का प्रतीत तथा वर्तमान इतिहास समान था। उन्होंने समान शत्रुओं का सामना किया। उनकी इस एकता ने इन्हें एक विशिष्ट राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। हिन्दुओं के सांस्कृतिक त्यौहार व रीतिरिवाज समान रहे। उन्होंने वैदिक ऋषियों, पाणिनि तथा पतंजलि जैसे वैयाकरणों, भवभूति तथा कालिदास जैसे कवि, राम तथा कृष्ण जैसे युग-पुरुषों, शिवाजी व प्रताप जैसे स्वतन्त्रता सेनानियों से समान रूप में प्रेरणा प्राप्त की। उनकी प्राचीन पवित्र भाषा संस्कृत ने समान रूप से नागरी लिपि द्वारा समस्त लेखन को प्रभावित किया तथा उनके विचार से गंगा तथा मिस्रीसीपी नदियों के पानी में कोई अन्तर नहीं था। इसलिए प्रश्न यह उठता था कि गंगा जैसी नदी भारत के मलावा है ही नहीं, इसीलिए हम भारत को अद्वितीय देग मान लें। इस देग के हिन्दुओं के इतिहास तथा उनके पूर्वजों की यह जन्मभूमि तथा कर्मभूमि रहा है, इसलिए हमें इससे अधिक लगाव है।<sup>5</sup>

सावरकर ने भारतीय राष्ट्रवाद के सिद्धान्त को कांग्रेस के राष्ट्रवाद के सिद्धान्त से अलग होकर देखा। उनका कहना था कि विभिन्न जातियों के द्वारा अन्य जातियों से पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर किसी देशविशेष में निवास करना राष्ट्रवाद का परिचायक नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस ने यही भूल की कि वह हर एक को भारतीय राष्ट्रवाद का अंग मानती रही। सावरकर के अनुसार कांग्रेस की विचारधारा भारतीय राज्य की प्रतीक थी न कि भारतीय राष्ट्र की। हिन्दुओं द्वारा अन्य जातियों से सम्बन्ध स्थापित करना भारतीय राज्य का निर्माण कहा जा सकता है, राष्ट्र का नहीं। उनके विचार में विश्व के समस्त मुसलमान तथा विशेषकर भारतीय मुसलमान धार्मिक मतान्धता से ऊपर उठे हुए नहीं हैं; वे अपनी धार्मिक राजनीति में विश्व को दो भागों में बंटा पाते हैं—एक मुस्लिम देश तथा दूसरे शत्रु देश। उन्हें केवल मुस्लिम देश के प्रति निष्ठावान होना सिखाया जाता है न कि ऐसे देश के प्रति जहाँ वे अल्पसंख्या में हैं। उन्हें इसी बात का रोद था कि भारतीय मुसलमान खिलाफत की भाड़ में देश छोड़ने को तैयार थे परन्तु भारत को अपना देश नहीं समझते थे। जो मुसलमान, चीन, पोलैण्ड, हंगरी आदि में रहने लगे हैं वे यहाँ की बहु-संख्यक जाति के सामने मुंह तक नहीं धोतते, क्योंकि ऐसा करने का उन्हें भयान ही नहीं दिया जाता। इस कारण वे स्वतः यहाँ के निवासियों में घुल-मिल गये हैं। किन्तु भारतीय मुसलमानों की स्थिति विचित्र थी। उनके विचार में इस देग के प्रति हिन्दुओं के समानाधीन कोई बफादार नहीं था। स्वतन्त्र भारतीय राज्य की आधार-दिला हिन्दू ही हो सकते थे। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता के लिए पहल ही नहीं की अपितु सर्वाधिक योगदान भी दिया है तथा दे रहे हैं। हिन्दुओं को अपना एक स्वतन्त्र देग चाहिए जहाँ वे अपने पूर्वजों के समान अपनी महान् परम्परा का निर्वाह कर सकें। इस कारण से उनकी संगठन, एकाग्र एवं सक्रिय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सावरकर ने इस उद्देश्य में सुद्धि-मान्योपन को धार्मिक ही नहीं बरन् राजनीतिक, राष्ट्रीय व धर्म-निरपेक्ष उद्देश्य में

देखा। उनके अनुसार यदि हिन्दुओं की जनसंख्या कम होती है और अल्पसंख्यक संख्या में अधिक हो जाते हैं तो हिन्दुस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। हिन्दू जाति में वे समस्त गुण मौजूद हैं जिससे वह आज तक जीवित रही है तथा आगे भी वह श्रेष्ठतम रहेगी।<sup>6</sup>

सावरकर हिन्दू-राष्ट्र की भावना को संकीर्ण नहीं बतलाते थे। उनका विचार था कि यदि उनमें संकीर्णता होती तो भारतवासी भारत के अलावा अन्य के लिए क्यों लड़ने को जाते! भारत से प्रेम करने वाला ही तो भारत के लिए लड़ेगा। औरंगजेब या टीपू-सुल्तान को सावरकर क्षेत्रीय दृष्टि से भारतीय अवश्य मानते थे किन्तु उनकी हिन्दू-राजाओं से शत्रुता अराष्ट्रीय थी। इसी कारण से प्रताप, शिवाजी, गुरुगोविन्द सिंह तथा पेशवाओं ने हिन्दू-स्वराज्य की स्थापना करने के लिए मुसलमानों के आधिपत्य के विरुद्ध संघर्ष किया। सावरकर यह मानते थे कि देश-भक्ति संकीर्ण एवं सामुदायिक हुमा करती है तथा मानवता के इतिहास में देश-भक्ति की धारणा ने भीषण युद्ध कराये हैं। किन्तु सावरकर के अनुसार अच्छाई व बुराई का अन्तर प्रयोजन के परीक्षण से हो सकता है। उनका यह विचार था कि जब तक कोई राष्ट्र या समुदाय अपनी न्यायपूर्ण मांगों तथा अधिकारों के लिए विदेशी अन्यायपूर्ण आक्रमणकारियों से लड़ता है तथा दूसरों के समान स्वतन्त्रता का हनन करने का प्रयोजन नहीं रखता तो ऐसा राष्ट्र तथा उसके देशभक्त मानवता के शत्रु नहीं माने जा सकते। राष्ट्रवाद आक्रामक होने पर उसी प्रकार घातक सिद्ध होता है जिस प्रकार सम्प्रदायवाद किन्तु रक्षात्मक सम्प्रदायवाद तथा न्यायोचित राष्ट्रवाद मानवीय तथा न्यायसंगत है।<sup>7</sup>

सावरकर के अनुसार हिन्दुओं ने दूसरों के मानवीय अधिकारों का प्रतिक्रमण नहीं किया। वे अपने लिए विशेषाधिकारों की माँग नहीं कर रहे थे। उनका उद्देश्य केवल यह था कि वे अन्य समुदायों के हाथ शोषित न हों। सावरकर हिन्दू-मुस्लिम-एकता के पक्ष में थे। वे शिवाजी व औरंगजेब के संघर्ष की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। किन्तु उन्होंने राजपूत, सिक्ख तथा मराठों द्वारा मुगल शासन को समाप्त करने वाले संघर्ष को उचित ठहराया तथा इसी आधार पर वे मुसलमानों के प्रभुत्व तथा उनके द्वारा भारत के विभाजन की माँग को स्वीकार नहीं करते थे। वे एक व्यक्ति एक मत का सिद्धान्त चाहते थे। इस प्रकार सावरकर, गोखले, फिरोजशाह मेहता, एनीबेसेन्ट, अम्बेडकर आदि के विचारों के निकट थे। केवल अन्तर यह था कि सावरकर अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने तथा बहुसंख्यकों द्वारा उनके सामने घुटने टेक देने के पक्ष में नहीं थे। सावरकर यह भी नहीं मानते थे कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता को भंग करने के लिए अंग्रेज दोषी ठहराये जायें। उनका विश्वास था कि मुसलमानों की कुटिलनीति ने ही हिन्दू-मुस्लिम-एकता को भंग किया है। उनके अनुसार और भी अल्पसंख्यक भारत में हैं पर वे मुसलमानों की तरह नहीं। वे पारसियों को, ईसाइयों को तथा यहूदियों को भारतीय राज्य का सहगामी मानते थे। इस प्रकार उनके विचारों में अल्पसंख्यकों की समस्या केवल एक अल्पसंख्यक अर्थात् मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या थी। भारतीय मुसलमानों के लिए सावरकर वे सारी सुविधायें देने के पक्ष में थे जो किसी भी नागरिक को भाषा, धर्म तथा संस्कृति के आधार पर मिल सकती है। किन्तु वे उन्हें उनकी अन्तर्जातीय धृति के कारण कुछ वर्षों के लिए एक अविश्वसनीय

मित्र के समान रखना चाहते थे।<sup>8</sup>

सावरकर सापेक्ष ब्रहिंसा के पक्ष में थे। वे हिंसा तथा शक्ति को भी देग-रक्षा के लिए अनिवार्य मानते थे। उनके अनुसार भारत शक्ति का प्रयोग केवल अपने अस्तित्व को बनाये रखने तथा अपनी स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए ही चाहता है। विक्रमादित्य तथा शालिवाहन ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति का रक्षण कर सके। महात्मा बुद्ध तथा गीता के उपदेशों के अनुसार ही हिन्दुओं का आचरण रहा है तथा रहेगा। किन्तु बुद्ध के आदेशों पर चलकर ब्रहिंसा को अपना लक्ष्य बनाने पर वही स्थिति होगी जो शक तथा हूणों ने की। इसलिए पूर्ण ब्रहिंसा के स्थान पर सापेक्ष ब्रहिंसा ही राष्ट्र की मूल होनी चाहिए।<sup>9</sup>

सावरकर की हिन्दू-विचारधारा का मूल यह था कि ब्रिटिश भारत में होने वाले समस्त चुनावों में हिन्दू केवल उन्हीं हिन्दुओं को अपना मत दें जो प्रत्यक्ष में हिन्दू-राष्ट्र का समर्थन करें। उनके अनुसार कांग्रेस की नीति पूर्णतया मुस्लिम समर्थक थी। यहाँ तक कि एक कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने हिन्दुओं को मोहरम के दिनों में संगीत का कार्यक्रम करने की मनाही की थी। कांग्रेस के मन्त्री इस बात में गर्व महसूस करते थे कि वे मुसलमानों को हर तरह की सुविधा देना चाहते हैं तथा मुसलमानों को गुश करने के लिए हिन्दुओं के हितों का बलिदान भी कर सकते हैं। सावरकर के अनुसार यही कारण है कि मुसलमान दिन पर दिन सिर पर चढ़ने लगे तथा हिन्दुओं के विरुद्ध अधिक से अधिक पातक बनते गये।<sup>10</sup>

सावरकर ने भारत की स्वतन्त्रता व अग्रगण्यता को सदैव अपने राजनीतिक जीवन का लक्ष्य रखा। हिन्दु-महासभा के वे मूर्धन्य नेता रहे। हिन्दु-महासभा के महमदाबाद (कर्णावती) अधिवेशन (1937) की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की नीति का विरोध मुस्लिम तुष्टीकरण, साम्प्रदायिक घोषणा, साइमन कमीशन जनगणना, राष्ट्रीय लिपि, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगीत आदि अनेक मुद्दों पर करते थे। जब मुस्लिम लीग ने अपने साहौर अधिवेशन (1940) में पृथक् राज्य की मांग रखी तब सावरकर को मुसलमानों की निष्ठा के प्रति सन्देह हुआ। अपने हिन्दू-महासभा के मद्रास अधिवेशन (1940) के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने भारत को सैनिक दृष्टि से प्रबल बनाने की बात कही। वे हिन्दुओं में सैन्यीकरण का आन्दोलन चलाना चाहते थे। 1941 में भारत की जनगणना के समय सावरकर ने विचार प्रकट किया कि भारत के समस्त हिन्दू चाहे वे आदिवासी भील हों, सन्थाल हों अथवा अन्य अपने आपको हिन्दू लिखवायें। उन्होंने यह भी अपना जो कि आर्यसमाजी, त्रिगायत आदि समस्त अपने जो आर्य (हिन्दू), निषध (हिन्दू), जैन (हिन्दू) आदि के रूप में अंकित करायें। उन्होंने हिन्दू-महासभा के माध्यम से इसका राष्ट्रव्यापी प्रवास किया कि हिन्दू जनगणना के समय जागरूक व गतिवद् रहे। वे चाहते थे कि जनगणना के समय हिन्दुओं द्वारा सरकार से यह आश्वासन प्राप्त किया जाये कि ईसाई व अन्योद्दिष्ट महासा निरीशकों के द्वारा मुस्लिम मित्रों को मृत्यु की आज्ञा की जायेगी। किन्तु सावरकर की बात पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया और 1921, 1931 की भाँति 1941 की जनगणना का भी बहिष्कार किया। कांग्रेस के महासचिव आचार्य कृपलानी ने जनगणना का इसलिये बहिष्कार किया कि वह एक साम्प्रदायिक

प्रश्न था। सावरकर ने इस पर व्यंग करते हुए व्यक्त किया कि यदि जनगणना साम्प्रदायिक है तो फिर निर्वाचन के समय कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्वाचकों से मतों की भीख क्यों मांगती है और वे स्वयं नामांकन पत्र भरते समय जाति व धर्म का उल्लेख क्यों करते हैं? सावरकर की बात कांग्रेस के समर्थक हिन्दुओं ने नहीं मानी तथा परिणाम यह निकला कि जहाँ पंजाब में 1881 में हिन्दू 53 प्र०श० थे वहाँ 1921 में 49 प्र०श० तथा 1931 में 48 प्र०श० तथा 1941 में 47 प्र०श० रह गये। इसी प्रकार में बंगाल में भी मुस्लिम लीग की चालवाजी से हिन्दुओं को जनगणना में अल्पमत में बताया गया। बंगाल की 14 प्र०श० हिन्दू जनजातियों की जनगणना ही नहीं हुई। इस प्रकार भारत के विभाजन के लिए जनगणना का जो आधार बताया गया उसे सावरकर ने एक झूठी चाल माना तथा उसे अस्वीकार किया। जिज्ञा द्वारा हिन्दू-महासभा की आलोचना किये जाने पर सावरकर ने कहा कि जिज्ञा यदि यह समझता है कि वह विश्व इस्लामी समुदाय के समर्थन से पाकिस्तान बना लेगा तो हिन्दू भी एक हिन्दू-बौद्ध संगठन बनाकर जम्मू से जापान तक उसका विरोध करेंगे। उनका कहना था कि जिस तरह मराठों ने मुगल शासन का अन्त किया उसी तरह से एक दिन जिज्ञा का यह पाकिस्तान यदि बन भी गया तो उसी प्रकार से छिन्न-भिन्न हो जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान बने या समाप्त हो जाये पर हिन्दुस्तान तो हमेशा ही रहेगा। सावरकर का विचार था कि भारत के मुसलमानों का भविष्य इसी में सुरक्षित है कि वे हृदय से भारत के स्वामिभक्त बने तथा भारत की स्वतन्त्रता व अविभाज्यता को मानते हुए जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व स्वीकार करें। योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में नियुक्त होना स्वीकार करे तथा समान मौलिक अधिकार प्राप्त करे। सावरकर ने अपनी 59वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र को यह सन्देश दिया कि राजनीति का हिन्दूकरण हो तथा हिन्दू-राज्य का संन्यकरण। सावरकर ने समय-समय पर हिन्दुओं में व्याप्त अछूतों की समस्या का निराकरण करने के लिए जाति विरोधी आन्दोलन संचालित किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशंसक एवं संरक्षक थे।<sup>11</sup>

सावरकर ने अपनी हिन्दू-राष्ट्र की अवधारणा में सर्वैव निष्ठा रखी तथा भारत के विभाजन की मांग को भी स्वीकार नहीं किया। उनका यह स्पष्ट विचार था कि कोई भी कांग्रेस-लीग समझौता हिन्दुओं को नहीं बांध सकता। यदि वह हिन्दू विरोधी हुआ तो हिन्दू महासभा उसका विरोध करेगी। सावरकर ने क्रिप्स-मिशन के सामने उपस्थित होकर क्रिप्स को इस प्रकार तर्क से कि भारत एक संगठित राष्ट्र है तथा इसी कारण उसे आत्मनिर्णय का अधिकार है स्तब्ध कर दिया। क्रिप्स ने जब यह कहा कि भारत संगठित राष्ट्र नहीं है तो सावरकर ने जवाब दिया कि हिन्दुओं का यह विश्वास रहा है कि भारत जो कि उनकी मातृभूमि तथा पवित्र भूमि रहा है एक सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय इकाई है और इस कारण से अविभाज्य भी है। उनका यह तर्क था कि प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार भी भारत सरकार को भारत की सरकार तथा सेना और नौ सेना को भारतीय सेना तथा भारतीय नौ सेना मानती है। बम्बई व बंगाल को प्रान्त माना जाता है न कि पृथक राज्य। इससे निश्चय होता है कि भारत एक अविभाज्य केन्द्रीभूत राष्ट्र व राज्य है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्णय का अधिकार एक राष्ट्र का अधिकार है और वह सारे

राष्ट्र को मिलना चाहिए न कि किसी एक भाग को। क्रिप्स जो कि अपनी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध था, जिसने रूस को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया तथा नेहरू के विचारों पर छाया रहा, वही क्रिप्स सावरकर के अकाट्य तर्कों के सामने निरस्त हो गया। वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ने इस घटना से प्रसन्न होकर सारे देश के नाम प्रपोल जारी की कि भारत की एकता में विश्वास रखने वाले समस्त हिन्दुओं को हिन्दू-महासभा का समर्थन करना चाहिए।<sup>12</sup>

पाकिस्तान की स्थापना ने सावरकर की विचारधारा को झकझोर दिया। वे यह देखकर हतप्रभ रह गये कि कांग्रेस, समाजवादी दल, धर्म-समाज तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी ने भी भारत के विभाजन का विरोध नहीं किया। भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई किन्तु सावरकर तथा हिन्दू महासभा दोनों को ही विस्मृत कर दिया गया। सावरकर ने आजादी की वेला में हिन्दू महासभा का गेरुआ झण्डा जिसमें कुन्डलिनी (भारतीय योग दर्शन का प्रतीक) तथा कृपाण (शक्ति का प्रतीक) अंकित थे, फहराया। साथ ही साथ तिरंगे झण्डे को भी फहराया। उनके अनुसार पहला राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हिन्दू-राष्ट्र का प्रतीक था तथा दूसरा भारतीय राष्ट्र के प्रतीक के रूप में था। सावरकर ने हिन्दू-राष्ट्र के सिद्धान्त को नहीं छोड़ा। उन्होंने हिन्दुओं का आह्वान किया कि वे उसी प्रकार से हिन्दू-राष्ट्र के लिए लड़ते रहें जिस प्रकार अंग्रेजों से स्वतन्त्रता के लिए लड़ते रहे।<sup>13</sup>

सावरकर भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के महान् सेनानी थे। नेहरू तथा मानवेन्द्रनाथ राय के राजनीति में प्रवेश करने से पहिले उन्होंने धर्म-निरपेक्षता तथा आधुनिकता का संदेश दिया। किन्तु उनके विरोधियों ने उन्हें सकीर्ण सम्प्रदायवादी तथा पुरातनपंथी कहने में कसर नहीं छोड़ी। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1909 में प्रकाशित अपने ग्रन्थ बी इन्डियन वार आफ इन्डिपेन्डेंस में यह सिद्ध किया कि 1857 का युद्ध भारत का प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम था जो भारत से ब्रिटिश शासन को निकाल फेंकने का हिन्दू-मुस्लिम सहस्रन प्रयास था। इसी प्रकार से अपने ग्रन्थ भारतीय इतिहास के छः खण्डों में सावरकर ने यह सिद्ध किया कि "आत्मानिक यवन, शक, कुषाण व हूण के कुरवण को विफल करने के लिए चन्द्रगुप्त, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य एवं यशोवर्मा की पीरपूरण विजय तथा तत्कालीन परिस्थितियों का सत्य भारतीय इतिहास के खण्डों में से है। उनके शौर्य के सम्मुख सिकन्दर जैसा तयारकियत "महामु" एवं विश्व-विजेता भी अपनी बख्शना साकार नहीं कर सका तथा नतमस्तक हुआ।" सावरकर का हिन्दूत्व-दर्शन तथा हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का अभियान महान् कार्य थे। अपने 27 वर्ष के जैस जीवन में जो कठिन योगसाधना उन्होंने की तथा जो मौलिक चिन्तन किया वह बिनी पद, प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। उनका जीवन प्रारम्भ से अन्त तक राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। हिन्दू जाति के उन्नायकों में उनका महान् स्थान रहेगा। सावरकर को यह धारणा कि भारत को मौलिक दृष्टि में मुड़क रहना चाहिए याद रखी जायेगी। उनकी एक दृष्टिक अभिप्राय रही कि भारत अपने राष्ट्रीय कट्टरता की संरक्षित का प्रतीक बने। वे हिन्दुओं को एक राष्ट्र के रूप में सर्वे देखने रहे। अपने भावुक क्षणों में एक बार सावरकर ने यह व्यक्त किया कि यदि हिन्दू राष्ट्र को गौरव प्राप्त करना है तो हिन्दुओं को हिन्दू धर्म के नीचे अपने राष्ट्र की स्थापना करनी होगी। उनका कहना था कि यदि नहीं

प्रश्न था। सावरकर ने इस पर व्यंग करते हुए व्यक्त किया कि यदि जनगणना साम्प्रदायिक है तो फिर निर्वाचन के समय कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्वाचकों से मतों की भीख क्यों मांगती है और वे स्वयं नामांकन पत्र भरते समय जाति व धर्म का उल्लेख क्यों करते हैं? सावरकर की बात कांग्रेस के समर्थक हिन्दुओं ने नहीं मानी तथा परिणाम यह निकला कि जहाँ पंजाब में 1881 में हिन्दू 53 प्र०श० थे वहाँ 1921 में 49 प्र०श० तथा 1931 में 48 प्र०श० तथा 1941 में 47 प्र०श० रह गये। इसी प्रकार में बंगाल में भी मुस्लिम लीग की चालबाजी से हिन्दुओं को जनगणना में अल्पमत में बताया गया। बंगाल की 14 प्र०श० हिन्दू जनजातियों की जनगणना ही नहीं हुई। इस प्रकार भारत के विभाजन के लिए जनगणना का जो आधार बताया गया उसे सावरकर ने एक झूठी चाल माना तथा उसे अस्वीकार किया। जिन्ना द्वारा हिन्दू-महासभा की धारणा किये जाने पर सावरकर ने कहा कि जिन्ना यदि यह समझता है कि वह विश्व इस्लामी समुदाय के समर्थन से पाकिस्तान बना लेगा तो हिन्दू भी एक हिन्दू-बौद्ध संगठन बनाकर जम्मू से जापान तक उसका विरोध करेंगे। उनका कहना था कि जिस तरह मराठों ने मुगल शासन का अन्त किया उसी तरह से एक दिन जिन्ना का यह पाकिस्तान यदि बन भी गया तो उसी प्रकार से छिन्न-भिन्न हो जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान बने या समाप्त हो जाये पर हिन्दुस्तान तो हमेशा ही रहेगा। सावरकर का विचार था कि भारत के मुसलमानों का भविष्य इसी में सुरक्षित है कि वे हृदय से भारत के स्वामिभक्त बने तथा भारत की स्वतन्त्रता व अविभाज्यता को मानते हुए जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व स्वीकार करें। योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में नियुक्त होना स्वीकार करे तथा समान मौलिक अधिकार प्राप्त करे। सावरकर ने अपनी 59वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र को यह सन्देश दिया कि राजनीति का हिन्दूकरण हो तथा हिन्दू-राज्य का संन्यकरण। सावरकर ने समय-समय पर हिन्दुओं में व्याप्त झूठों की समस्या का निराकरण करने के लिए जाति विरोधी आन्दोलन संचालित किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशंसक एवं संरक्षक थे।<sup>11</sup>

सावरकर ने अपनी हिन्दू-राष्ट्र की अवधारणा में सर्वेव निष्ठा रखी तथा भारत के विभाजन की मांग को भी स्वीकार नहीं किया। उनका यह स्पष्ट विचार था कि कोई भी कांग्रेस-लीग समझौता हिन्दुओं को नहीं बाध सकता। यदि यह हिन्दू विरोधी हुआ तो हिन्दू महासभा उसका विरोध करेगी। सावरकर ने क्रिप्स-मिशन के सामने उपस्थित होकर क्रिप्स को इस भ्रमात्मक तर्क से कि भारत एक संगठित राष्ट्र है तथा इसी कारण उसे आत्मनिर्णय का अधिकार है स्तब्ध कर दिया। क्रिप्स ने जब यह कहा कि भारत संगठित राष्ट्र नहीं है तो सावरकर ने जवाब दिया कि हिन्दुओं का यह विश्वास रहा है कि भारत जो कि उनकी मातृभूमि तथा पवित्र भूमि रहा है एक सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय इकाई है और इस कारण से अविभाज्य भी है। उनका यह तर्क था कि प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार भी भारत सरकार को भारत की सरकार तथा सेना और नौ सेना को भारतीय सेना तथा भारतीय नौ सेना मानती है। दम्बई व बंगाल को प्रान्त माना जाता है न कि पृथक राज्य। इसमें मिथ होना है कि भारत एक अविभाज्य केन्द्रोन्मुख राष्ट्र व राज्य है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्णय का अधिकार एक राष्ट्र का अधिकार है और वह सारे

हुआ तो यह उनका दिवास्वप्न होगा। यदि यह स्वप्न पूरा होता है तो उन्हें ऐसे राष्ट्र का भविष्यवक्ता माना जायेगा। यही उनकी हार्दिक अभिलाषा थी जो सावरकर ने अपने शब्दों में व्यक्त की थी।<sup>14</sup>

### सावरकर का चिंतन

सावरकर ने अपने राष्ट्रवादी विचारों को मानवतावादी दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष में प्रस्तुत किया है। वे एक सर्वमानव राज्य के पक्ष में हैं न कि संकीर्ण राष्ट्रवाद के उन्नायक। उनका अन्तिम लक्ष्य विश्व राज्य की कल्पना को साकार करने का है। किन्तु मानव राज्य की कल्पना को वे हिन्दू राष्ट्रवाद के नाम से प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक हिन्दू एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर अपने आपको सशक्त नहीं बना लेते तब तक विश्व संगठन की कल्पना साकार नहीं हो सकती। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान तथा कला दोनों का आदर्श मानवीय राज्य की स्थापना ही है। पृथ्वी हमारी मातृभूमि है और समस्त विश्व मानवता हमारा राष्ट्र और अधिकार तथा कर्तव्यों की समानता पर आधारित एक मानवीय सरकार हमारा अन्तिम लक्ष्य है। सावरकर ने हिन्दुओं को हिन्दूत्व से परिचित कराते हुए कहा है कि विकासवाद का सिद्धान्त यह मानता है कि दुर्बल तथा डरपोक हमेशा से शक्तिशाली एवम् शौर्यवानों के शिकार रहे हैं। उनके अनुसार जब तक विश्व में राष्ट्रीय एवम् प्रजातीय अन्तर विद्यमान है तब तक भारतीयों को भी अपनी राष्ट्रीय एवम् प्रजातीय एकता को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। उन्होंने हिन्दुओं को सार्वभौमवाद एवम् अहिंसा से सजग रहने का सुझाव दिया है ताकि वे अपरिपक्व विश्व एकता के बने रहते अपने शत्रुओं के शिकार न बन जायें। हमें अपने शत्रुओं का सामना करने में समर्थ बनना होगा और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए विरोध के अधिकार से युक्त होना होगा। उन्होंने इस संदर्भ में बौद्ध धर्म की असफलता का उल्लेख किया है और कहा है कि एक विश्वव्यापी धर्म होकर भी बौद्ध धर्म असत्य एवम् अन्याय की मार नहीं सह सका। इस प्रकार सावरकर ने राष्ट्रवाद, मानवतावाद तथा सार्वभौमवाद को दृष्टि में रखकर यह व्यक्त किया है कि हिन्दुओं को हिन्दू राष्ट्रीयता को बलवती बनाना है। हमें गैरहिन्दुओं के प्रति आक्रामक रवैया नहीं अपनाना है किन्तु अपनी आत्म रक्षार्थ हमें हर पल तैयार रहना है ताकि किसी भी आकस्मिक आक्रमण का साहसपूर्ण सामना कर सकें।<sup>15</sup>

सावरकर ने हिन्दुओं को शक्तिपूर्ण समृद्धि की ओर बढ़ाने का दर्शन प्रदान किया है। उन्होंने सापेक्ष अहिंसा को स्वीकार किया है किन्तु पूर्ण अहिंसा को पापपूर्ण माना है। उनका विश्वास है कि हिन्दू प्राणी मात्र में आत्मवत् समानता के दर्शन करते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम पूर्ण अहिंसा को स्वीकार कर अपनी कायरता का परिचय दें। उनके अनुसार हम अहिंसा का इसलिये त्याग नहीं करते कि हम कम साधुवृत्ति के हैं बल्कि इसलिए करते हैं कि हम अधिक बुद्धिमान हैं। उनके अनुसार अहिंसा के उपदेश देने वालों ने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् हैदराबाद, कश्मीर तथा अन्य प्रदेशों में जो कुछ किया है वह उनके उपदेशों से मेल नहीं खाता। अतः बुद्धिमत्ता इसी में है कि पूर्ण अहिंसा के स्थान पर सापेक्ष अहिंसा को ही व्यावहारिक जीवन में स्वीकार किया जाय। सावरकर शक्ति तथा पीरप के प्रतीक रहे हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर अहिंसक उपाय



अपमाने के विरोधी नहीं है। उनके अनुसार दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता का अंत करने में बुराई नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने पर उतारू है तो उसे ऐसे आततायी के प्रति कदापि दया नहीं करनी चाहिये।<sup>16</sup>

सावरकर ने क्रांति के संबंध में अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किये हैं। वे क्रांति को छलांगें मारने वाला विकासवाद मानते हैं। क्रांतियाँ निश्चित नियमों के आधार पर नहीं होती। क्रांति में अनिश्चितता के लिए कोई स्थान नहीं है। शत्रु को किसी भी प्रकार का समय तथा अवसर देना क्रांति के लिए घातक होता है। जिस क्रांति के द्वारा अन्याय तथा दमन को नष्ट किया जाता है वह पवित्र होती है। किन्तु जब क्रांति एक प्रकार के अन्याय तथा दमन को दबाकर दूसरी प्रकार का अन्याय तथा दमन प्रारम्भ कर देती है तो वह अपने आप में अपने विनाश के बीज लिए हुए ही होती है। विदेशी शासन से क्रांति द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात् जनता के बहुमत द्वारा निमित्त संविधान तत्काल लागू कर सभी को उसके प्रति आदर भाव टिखलाना चाहिए। इस प्रकार सावरकर ने बाहर क्रांति तथा घर में संविधान, बाहर अशांति तथा घर में शांति, बाहर शक्ति का प्रदर्शन तो घर में कानून की मान्यता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है।<sup>17</sup>

सावरकर ने जिस भावी भारत का आदर्श स्वरूप चित्रित किया है वह प्राधुनिक समय के भारत की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डालने तथा समस्याओं का निवारण करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सावरकर का भावी स्वप्न इस प्रकार से है—

1. सावरकर के भारत में जाति, धर्म, नस्ल अथवा विश्वास के भेदभाव के बिना उन सभी नागरिकों के समान अधिकार एवम् कर्तव्य होंगे जो भारत के प्रति पूर्णतः राजभवत होंगे।
2. सभी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की सुरक्षा का अधिकार दिया जायगा किन्तु किसी को भी एक राज्य के अंतर्गत नवीन राज्य का निर्माण करने अथवा बहुमत के वैधानिक अधिकारों का हनन करने का अधिकार नहीं दिया जायगा।
3. भाषण, विश्वास, अर्चना, सगठन आदि की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होंगे, सार्वजनिक शांति एवम् व्यवस्था के हित में अथवा राष्ट्रीय आपातकाल के समय उन पर जो कुछ प्रतिबंध लगाये जायेंगे वे किसी धार्मिक अथवा प्रजातीय उद्देश्य से प्रेरित न होकर समान राष्ट्रीय कारणों पर आधारित होंगे।
4. जाति, विश्वास, प्रजाति अथवा धर्म के भेदभाव के बिना प्रति व्यक्ति एक मन सामान्य नियम होगा।
5. मनुष्य प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी।
6. प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क एवम् अनिवार्य होगी।
7. सेवाओं में बंधन योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ की जाएँगी।
8. भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने दास्यों को अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना का अधिकार होगा, उनकी धार्मिक तथा सांस्कृतिक गरवों से इनकार के लिए सरकार द्वारा महापत्या लागू

करेंगी किन्तु यह सहायता उनके द्वारा शासन को दिए गए कर के अनुपात में होगी ।

9. अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।
10. नागरी लिपि राष्ट्रीय लिपि होगी, राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी तथा संस्कृत भारत की देवभाषा होगी ।<sup>18</sup>

उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त सावरकर ने भावी भारत की कल्पना करते हुए उसके आर्थिक पक्ष पर भी विचार व्यक्त किये हैं । उनके अनुसार भारत की जनता मशीन युग का स्वागत करेगी । हस्तशिल्प तथा हाथ करघा को भी बढ़ावा दिया जायेगा किन्तु राष्ट्रीय उत्पादन मशीनों द्वारा भारी मात्रा में किया जाएगा । किसान तथा श्रमिक राष्ट्र को सम्पदा, स्वास्थ्य एवं शान्ति के प्रमुख स्रोत होंगे अतः उनके विकास के सभी प्रयत्न किये जायेंगे और ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण विकास किया जाएगा । किसानों तथा श्रमिकों की पूँजी के वितरण का उतना साझा प्राप्त होगा जिसके कारण वे निर्धनता की निम्नतम सीमा में न रहकर आरामदायक जीवन के सामान्य स्तर को प्राप्त कर सकें । उन्हें राष्ट्र का अविभाज्य अंग मानते हुए सभी प्रकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों से युक्त किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय उद्योगों, सम्पत्ति के सामान्य विकास एवं सुरक्षा के अनुपात में उन्हें अपना लाभ प्राप्त हो । राष्ट्रीय पूँजी व्यक्तिगत प्रकृति की होने के कारण राष्ट्रीय उद्योगों के विकास में अनवरत रूप से उसी प्रकार लगी रहे इसके लिए पूँजी के व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्राप्त होगा । पूँजी तथा श्रम दोनों के हित राष्ट्र की आवश्यकताओं के अधीन रहेंगे । यदि कोई उद्योग अत्यधिक मुनाफा कमा रहा हो तो उस लाभ को अनुपात से श्रमिकों में बांट दिया जाएगा किन्तु उसके विपरीत स्थिति होने में पूँजीपति तथा श्रमिक दोनों को घाटे की स्थिति समान रूप से भँलने के लिए तत्पर रहना होगा ताकि राष्ट्रीय उद्योग पूँजीपति अथवा श्रमिकों के निहित स्वार्थों द्वारा हानि न उठाये । राज्य द्वारा ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे राष्ट्रीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान की जा सके । यदि राष्ट्रीय सरकार चाहे तो वह सभी प्रमुख उद्योगों अथवा उत्पादनों को राष्ट्रीयकृत कर सकेगी और उन्हें निजी उद्योगों से भी अधिक दक्षता से चला सकेगी । यही सिद्धान्त कृषि के क्षेत्र में भी प्रयुक्त होगा । सरकार के द्वारा भूमि अधिभूत की जाकर स्वयं खेती की जा सकेगी । इससे किसानों को बड़ी मशीनों के प्रयोग में प्रशिक्षित किया जायेगा और अधिक व्यापक एवं वैज्ञानिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकेगा । सभी उद्योगों में हड़ताल तथा तालाबंदी के मामले जो कि उद्योगों को विफल करने तथा आर्थिक विकास को रोकने वाले होंगे वे सब पूर्णतः राजकीय पंच फँसले को सौंपे जाएंगे तथा तय किये जाएंगे । गम्भीर मामलों को कठोरता से निपटाया जाएगा । निजी सम्पत्ति सामान्य रूप से अनाक्रान्त होगी । राज्य द्वारा समुचित मुआवजे की रकम दिये बिना किसी भी सम्पत्ति को हस्तांतरित कदापि नहीं किया जाएगा ।<sup>19</sup>

इस प्रकार सावरकर ने आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं वे किसी परम्परागत मान्यता से मेल नहीं खाते हैं । वे समाजवाद के घिसे-पिटे नारे में विश्वास नहीं रखते और न इतिहास की आर्थिक व्याख्या को अंतिम मानते हैं । उनके अनुसार व्यक्ति केवल घाने के लिए नहीं जीता है । उसकी और भी कई आकांक्षाएँ होती

है। केवल धार्मिक कार्यक्रम से देश की सभी समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता। वे राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं और वर्ग संपर्क के स्थान पर राष्ट्रीय सहयोग के पक्षपाती हैं। वे विभिन्न हितों को सामुदायिक एकता में बद्ध करना चाहते हैं ताकि धार्मिक हितों में टकराहट न हो तथा शोषण से भी बचा जा सके।<sup>20</sup>

### सावरकर का योगदान

विनायक दामोदर सावरकर ने हिन्दू राष्ट्रवाद अथवा हिन्दू संगठन आन्दोलन का प्राधुनिक भारतीय चिंतन में प्रतिपादन किया है। हिन्दू राष्ट्रवाद की भावना कोई नवीन विचार नहीं है। सावरकर के पहले स्वामी विवेकानन्द, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा लाला हरदयाल ने हिन्दू राष्ट्रवाद के विचार को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था। सावरकर ने हिन्दू राष्ट्रवाद के विघटे हुए मूल्यों को एक निश्चित विचारवाद के रूप में संकलित किया तथा उसे सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का प्राधुनिक वातावरण प्रदान किया। भाई परमानन्द तथा स्वामी श्रद्धानन्द ने भी हिन्दू राष्ट्र का विचार प्रस्तुत किया था किन्तु सावरकर ने जिस प्रकार से हिन्दुओं को गौरवान्वित करने तथा प्राधुनिकता के साथ हिन्दू परम्परागत चिंतन को समन्वित करने का प्रयास किया वह अत्यन्त मौलिक एवं प्रभावोत्पादक था। हिन्दू-मुस्लिम समस्या के प्रति सावरकर के विचारों ने देश में चिंतन का एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया। उनके विदेश नीति तथा अहिंसा सम्बन्धी विचार भी वैचारिक दृष्टि से गरिमायुक्त थे। सामाजिक प्रगति, राष्ट्रीयता, धार्मिक नीति, राष्ट्रभावना तथा विश्व संगठन सम्बन्धी उनके विचार एक हिन्दू शोषणपत्र का गृजन करते हैं। सावरकर ने भारतभूमि पर बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हिन्दू की श्रेणी में रखा। उनकी हिन्दूत्व सम्बन्धी व्याख्या हिन्दू संगठन आन्दोलन का दर्शन बनी। भाई परमानन्द तथा स्वामी श्रद्धानन्द ने सावरकर के हिन्दूत्व सम्बन्धी चिंतन को हिन्दू नवप्रभात का प्रतीक माना था। सावरकर भारत में केवल हिन्दुओं को राष्ट्र मानते थे तथा अन्य समुदायों को अल्पसंख्यक की श्रेणी देने थे। सावरकर का राष्ट्रवाद मात्रात्मक राष्ट्रवाद नहीं था और न उनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को पूर्णतः कुचल देने का था। उनका विश्वास था कि भारतवर्ष में हिन्दुओं का दृष्टिकोण किसी से कुछ छीनने का नहीं है और न वे बहिष्कारियों को माय करते हैं। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्ष में थे। किन्तु साथ ही साथ वे मुगल शासन को देश में उग्रार्थ फैलाने के राजपूत, सिक्ख तथा मराठों के इतिहास को भारतीय राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानते थे। वे एक ऐसे भारतीय राज्य का विचार प्रतिपादित कर रहे थे जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी मुक्त से रह सकें। उन्होंने मुसलमानों की भारत के विभाजन की योजना का तीव्र विरोध किया था। वे अल्पसंख्यकों को तृप्त करने की नीति के समर्थक नहीं थे। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर प्रकाश डालते हुए तीव्र मुठ के रूप में अंग्रेजों के हस्तक्षेप का तर्क कि अंग्रेजों की पकड़ में हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित नहीं हो पा रही थी, पत्राचार बतलाया। उनके अनुसार मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी तथा औरंगजेब की भारत में भीषण नरसंहार तथा गोहत्या करने की प्रेरणा बिगने दी थी ? क्या उन्हें अंग्रेजों ने प्रेरित किया था ? सावरकर की यह मांग थी कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रसारण पर ध्यान देने है कि मुसलमान भारत को हिन्दू राष्ट्र के रूप में देखना अथवा न पूर्ण मानते हैं और उनका प्रयास हमेशा हिन्दुओं में

वैमनस्यता रखने, उन्हें नीचा दिखाने तथा उन पर हावी रहने का रहा है। सावरकर के अनुसार पारसी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में है किन्तु उनका दृष्टिकोण हिन्दुओं के इतने अधिक निकट है कि वे पूर्णतया भारत से गुंथे हुए हैं। पारसियों ने दादा भाई नौरोजी तथा श्रीमती कामा जैसे महान देशभक्त पैदा किये हैं। ऐसे में पारसियों को भारतीय राज्य में समान अधिकारों के साथ सम्मिलित करने में कोई हिचक नहीं हो सकती। भारतीय ईसाई भी सहिष्णुता तथा सहयोग की भावना रखते हुए हिन्दुओं के प्रति विरोध नहीं रखते। केवल ईसाई बनाने का उनका कार्य कुछ हद तक दोषपूर्ण है जिसके निवारण के पश्चात् ईसाइयों के प्रति हिन्दुओं को कोई शिकायत नहीं हो सकती। भारत में अल्पसंख्यकों के नाम से समस्या केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों की ही है।<sup>21</sup>

सावरकर का भारत ऐसे लोकतान्त्रिक राज्य का चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें देश के विभिन्न धर्मावलम्बियों तथा विभिन्न प्रजातियों को पूर्ण समानता के घरातल पर रखा गया है और सभी को स्वतन्त्र नागरिक का समान अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिये प्रत्येक अपने समान उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए पूर्ण रूप से राज्य के प्रति निष्ठावान होने चाहिये। सावरकर के अनुसार हिन्दुस्तान जो कि हिन्दुओं की मातृभूमि एवम् पुण्यभूमि है वह सिधु से समुद्र पर्यन्त एक अविभाज्य अहिंसक राज्य होगा। इस भारत भूमि को भारत अथवा हिन्दुस्तान के नाम से पुकारा जायेगा। सावरकर के भारत में कोई भी धोखे अथवा बल के आधार पर हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा। सर्वत्र भारतीयों को एक महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में सम्मान दिया जायेगा। ऐसे भारत में सापेक्ष अहिंसा को एक गुण माना जायेगा। हिन्दू एक जाति विहीन समाज के रूप में होंगे और वे एक आधुनिक, संगठित तथा प्रगतिशील राष्ट्र बनेंगे। उनके वैवाहिक रीति-रिवाज धर्मनिरपेक्ष होंगे। स्वेच्छिक अन्तर्जातिय विवाह स्वतन्त्रता पूर्वक सम्पन्न होंगे। हिन्दुओं का अन्तिम संस्कार विद्युत शवदाहग्रहों में होगा। सावरकर के भारत में विज्ञान भौतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा और सभी प्रकार के अंध-विश्वासों को समाप्त कर देगा। जमींदारी प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जायेगा। शनैः शनैः समस्त भूमि राज्य के स्वामित्व में आ जाएगी। सभी प्रमुख उद्योग राष्ट्रीयकृत कर दिये जायेंगे। कृषि का यात्रिकीकरण होगा। भारत छाछात्र, वस्त्र, आवास तथा प्रतिरक्षा में पूर्णतः आत्मनिर्भर होगा। सावरकर के स्वप्नों का भारत विश्व संगठनों में पूर्ण निष्ठा रखेगा क्योंकि सावरकर के अनुसार पृथ्वी हमारी समान माता है और मानवतावाद मानव का देश प्रेम है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सावरकर का भारत विश्व शान्ति एवम् समृद्धि में अपना योगदान देगा। सावरकर ने अपने राजनीतिक दर्शन के अनुसार भावी भारत का जो ध्वज हिन्दुओं के लिए तैयार किया है उसमें कुण्डलिनी को श्रींकार तथा कृपाण के साथ चित्रित किया गया है। सावरकर ने राष्ट्रीय ध्वज में कुण्डलिनी को इस कारण स्थान दिया है कि वे हिन्दुओं को योगविद्या में निष्ठा मानते हैं। वे योगविज्ञान को मानवीय जीवन का सर्वोच्च वरदान मानते हुए इसे मानवता को हिन्दुओं का सर्वोच्च योगदान माना है। सावरकर के अनुसार जागृत कुण्डलिनी के माध्यम से प्राप्त पराचेतन आनन्द हिन्दू अथवा गैर-हिन्दू सभी मानवों के लिए उच्चतम आदर्श है।<sup>22</sup>

टिप्पणियाँ

1. देगिये घनशय कीर, बीर सावरकर, (पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1966)
2. विनायक दामोदर सावरकर, हिन्दुत्व (पूना, 1942, द्वितीय संस्करण) पृ. 111
3. वही, पृ 72-73। देगिये बी. डी. सावरकर : हिस्टोरिक स्टेटमेन्ट्स (पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1967) पृ. 214-217)
4. देगिये सावरकर, भारतीय इतिहास के छः स्वर्णिम पृष्ठ, 3 भाग, (राष्ट्रधर्म पुस्तक प्रकाशन, मयनऊ, 1965-66)
5. देगिये घनशय कीर, बीर सावरकर, पृ 261-262
6. वही
7. सावरकर, बी इंडियन वॉर आफ इन्डिपेंडेंस 1857, (राजधानी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1970, आठवाँ संस्करण) पृ. 5-10, 273-274
8. देगिये घनशय कीर, बीर सावरकर, २. 271-280
9. वही, पृ. 265-268
10. देगिये सावरकर . हिस्टोरिक स्टेटमेन्ट्स, पृ. 21-22, 174
11. वही, पृ. 1-2, 4-7
12. वही, पृ. 39-40
13. वही, पृ. 201-206
14. देगिये घनशय कीर, बीर सावरकर, पृ. 284-285
15. वही, पृ 265-268
16. वही, पृ. 271-279
17. वही, पृ. 279-280
18. वही, पृ. 281-285
19. वही
20. वही, पृ. 280-281
21. वही, पृ. 261-262
22. वही, पृ. 281-285

सर सैयद अहमद खाँ भारतीय मुसलमानों के उन्नीसवीं शताब्दी के सर्वोच्च नेता थे।

लगभग पांच दशकों तक वे भारत में मुस्लिम सम्प्रदाय के समस्त राजनीतिक एवं सामाजिक क्रिया-कलापों का एकछत्र मार्ग-दर्शन करते रहे। उनके प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व, चमत्कारिक लेखन तथा अोजस्वी वक्तृत्व के कारण उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई। उर्दू भाषा में गद्यशैली का प्रवर्तन एवं प्रचलन कर उन्होंने उर्दू साहित्य को नवीन जीवन प्रदान किया। वे प्राच्य-विद्याओं में निष्णात थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा पाश्चात्य पद्धति के अनुसार न होकर पूर्णतया प्राच्य मुस्लिम परम्परा में हुई थी। वे अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं से अनभिज्ञ होते हुए भी कालांतर में पाश्चात्य प्रभाव से आच्छादित हो गये। उन्होंने ब्रिटिश सविधान तथा पाश्चात्य विधिशास्त्र का गहन अध्ययन कर उसे आत्मसात् किया। अपने सह-धर्मियों से परंपरागत मुस्लिम विद्याओं में निष्णात होने के साथ ही उन्होंने स्वाध्याय से अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य में भी उच्च विद्वत्ता अर्जित की। भारतीय मुसलमानों के उत्थान के लिए उन्होंने भारत में अंग्रेजी के प्रचलन तथा प्रयोग को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मुसलमानों के शिक्षा सम्बन्धी पुरातन दृष्टिकोण एवं सामाजिक ध्ववहार को नवीन दिशा देकर सर सैयद ने उन्हें एक सुसंगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में उभारा। उनके प्रारम्भिक विचारों में परिवर्तन आया। वे हिन्दुओं तथा मुसलमानों की एकता तथा भारतीय राष्ट्रवाद में निष्ठा व्यक्त करने के स्थान पर पृथक् मुस्लिम राष्ट्रवाद के अनुयायी बन गये। उनके द्वारा प्रारम्भ में कांग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रदत्त समर्थन कालांतर में अंग्रेजों की अंध-भक्ति में परिवर्तित हो गया। उनकी इस राजनीतिक कलाबाजी के कारण गैर-मुस्लिम भारतीय जनता में उनकी प्रतिष्ठा जाती रही।

### जीवनपरिचय

हजरत हुसैन के वंशज सर सैयद अहमद का जन्म 17 अप्रैल 1817 को दिल्ली में हुआ।<sup>1</sup> शाहजहां के काल से बहादुरशाह जफर तक उनका परिवार मुगल शासन की सेवा में रत रहा। सर सैयद के पिता की मृत्यु उनकी अल्प आयु में ही हो गई थी। अतः परिवार के भरण-पोषण का भार उनकी माता की धार पर निर्भर हो गया। उनकी माता अजीनुन्निसा बेगम विदुषी एवं संप्रान्त परिवार की थी। अतः सर सैयद अहमद की शिक्षा-दीक्षा उन्हीं की देख-रेख में घर पर ही हुई। इसका एक लाभ यह हुआ कि सैयद मुस्लिम समाज में व्याप्त तत्कालीन रुढ़िवाद तथा अंधविश्वास से अछूते रहे और भविष्य में वह मुस्लिम-समाज-सुधार का कार्य संपादित कर सके। सर सैयद अरबी, फारसी, मुस्लिमधर्म-शास्त्र एवं विधि तथा तत्कालीन इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे। युवावस्था में वह ईस्ट इंडिया कम्पनी में नौकर हो गये। 1839 में वह आगरा के कमिश्नर के नायब मीर मुंशी नियुक्त

हुये। इसके पश्चात् मुंसफी-परीक्षा पासकर 1841 में मैनपुरी के मुंसिफ नियुक्त किये गये। उनके कार्य से प्रभावित होकर मुगल-सम्राट् ने उन्हें उनका पारिवारिक प्रिताय नवाब जवाहुरहीला दिया। 1846 से 1854 तक वह दिल्ली के मदरसामीन रहे। यहाँ उन्होंने दिल्ली के पुरातत्व पर असरे-सनदीद ग्रन्थ लिखा। 1855 में उन्हें बिजनौर स्थानान्तरित कर दिया गया जहाँ उन्होंने प्रबुलफजलकृत 'फाइन प्रकबरी' का सम्पादन किया। 1857 की क्रांति के समय वह बिजनौर में ही थे। उन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों की पूब सेवा की और अनेकानेक अंग्रेजों के प्राणों की रक्षा की। क्रांति के पश्चात् भारत में अंग्रेजी शासन की विधिवत् स्थापना ने मुगल शासन को समाप्त कर दिया। सर सैयद इससे खिन्न थे। मुगलमानों का परामय उन्हें स्वीकार नहीं था, अतः वे मुगलमानों के पुनरुत्थान में लग गये। 1858 में उनकी पुस्तिका "काजेज आफ दी इन्डियन रिबोल्ट" निकली जिसे उर्दू से अंग्रेजी में सर फार्कलैंड कोल्विन ने अनुदित किया। 1861 से 1865 तक सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों के धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का कार्य किया। वे मुगलमानों की शिक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे और उन्हें कला तथा विज्ञान में पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति खरण करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। 1863 में उन्होंने एक माहिश्चिक एवं वैज्ञानिक सभा की स्थापना की और अनेक अंग्रेजी ग्रन्थों का उर्दू में अनुवाद किया। उन्होंने मुरादाबाद में एक इंग्लिश स्कूल स्थापित किया। अंग्रेजों के प्रति अपनी स्वामि-भक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने 1866 में 'ब्रिटिश इंडियन प्रसोसिएशन' की स्थापना की। 1873 में बंगाल के नवाब के आमंत्रण पर उन्होंने कलकत्ता में बंगाली मुगलमानों के समक्ष अंग्रेजी की शिक्षा के लाभों पर व्याख्यान दिया।<sup>2</sup>

सर सैयद 1869 में इंग्लैंड की यात्रा पर गये और वहाँ पर उन्होंने "प्रोजेक्ट ऑन दी साइक ऑफ मोहम्मद" पुस्तक प्रकाशित की। भारत लौटने पर उन्होंने उर्दू में 'तहज़ीबुलमदयल्लाक' नामक मासिक पत्र प्रारम्भ किया। इस पत्र में सर सैयद के अन्धा नवाब मोहसिन-उल-मुल्क, विकार-उल-मुल्क तथा मोतबी चिराग़ अली आदि की रचनाएं भी प्रकाशित होती रहती थी। इसके पश्चात् सर सैयद ने मुसलमानों की वृषक शिक्षा के लिए मोहम्मदन एंग्लो-ओरियण्टल स्कूल की अलीगढ़ में स्थापना की जो कि 2 वर्ष पश्चात् 1875 में कालेज में परिवर्तित हो गया। लार्ड लिलिन ने कालेज की नई ईमारत का शिलान्यास किया और वे सर सैयद से इनके प्रमत्न हुए कि उन्हें 1878 में गान्गागिरिक विधान परिषद् का सदस्य नियुक्त कर दिया। 1881 में लार्ड रिपन ने उन्हें परिषद् में पुनर्नियुक्त किया। इस प्रकार वे पूरे पांच वर्ष परिषद् के सदस्य रहे। वे वही भारतीय सदस्य थे जिन्हें निजी विधेयक प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विधान परिषद् में उन्होंने 1883 में भारत में स्वतन्त्र निर्वाचन प्रारम्भ करने का विरोध किया और मुसलमानों के लिए वृषक निर्वाचन की मांग की। इस प्रकार वे उस वृषकतावादी गान्गा-सायिक प्रतिनिधित्व के वर्णधार बन गये जिसे अंग्रेजों ने 'एट्ट हाथी तथा गान्गा बरों' की नीति का आधार बनाया। उन्होंने इसबर्त विधेयक का समर्थन किया। वे कुछ समय तक शिक्षा आयोग के सदस्य भी रहे। 1884 में वे अन्ध के अमला पर निर्भर और अलीगढ़ महाविद्यालय के लिए उन्होंने धन समुहोत किया। वर्णम के राष्ट्रवारी वर्णधन की सिद्धि करने की अर्द्धी नीति के प्रभाव में सर सैयद ने मोहम्मदन एंग्लो-ओरियण्टल

की 1886 में स्थापना की। 1887 में लाई डफरिन ने उन्हें लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया। सर सैयद ने इस पद के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की खूब सेवा की। 1887 में सर सैयद खुले आम भारतीय मुसलमानों द्वारा कांग्रेस में सम्मिलित न होने का प्रचार करने लगे। उन्होंने निरन्तर यही कामना की कि भारत में अंग्रेजी शासन कभी भी समाप्त न हो। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर अंग्रेजी शासन ने उन्हें के० सी० एस० आई० से सम्मानित किया। 1898 में उनकी मृत्यु हुई।<sup>3</sup>

### सर सैयद के राजनीतिक विचार

सर सैयद के विचारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम 1846 से 1857 तक के उनके राजनीतिक विचार तथा द्वितीय 1857 से 1898 तक का उनका राजनीतिक चिन्तन। प्रारम्भ में सर सैयद के विचार राष्ट्रियता से द्योत-प्रोत रहे। वे अंग्रेजों द्वारा भारत में मुगलिया सल्तनत के अन्त को कष्टदायक मानते रहे। अंग्रेजों के प्रति उनकी भावना प्रारम्भ में घृणा एवं तिरस्कार का भाव लिए हुए थी किन्तु 1857 में पासा पलट गया और सर सैयद भी इसके साथ बढ़ले हुए दिखाई दिये।<sup>4</sup> वायु के वेग के साथ चलने की नीति का अनुसरण करते हुए सर सैयद ने अंग्रेजों की भक्ति में ही अपना श्रेय समझा। शनैः शनैः समस्त मुस्लिम समाज की सेवा का भाव उनके मन में हिलोरे मारने लगा। वे मुसलमानों के एकछत्र नेतृत्व के लिए लालायित रहने लगे। अंग्रेजों की कृपा उन पर पूरी रही और उनका वह स्वप्न भी साकार हो गया। उल्लेखों तथा मौलवियों के एकाधिकार को समाप्त कर सर सैयद ने राजनीति को धर्म के गाय मिला दिया और धार्मिक ग्रन्थों को अपने मनमाने ढंग से प्रतिपादित किया। सन् 1858 के पश्चात् सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों के सम्बन्ध में संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुये उनके भविष्य को सुरक्षित करने का उपाय खोज निकाला। अब वे अंग्रेजों का विश्वासपात्र बनने का हर सम्भव प्रयास करने लगे। वे भारत में अंग्रेजी शासन के बने रहने तथा मुसलमानों द्वारा अंग्रेजी शासन का समर्थन कराने में प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस कार्य के लिए मुसलमानों को हिन्दुओं से पृथक् करने तथा उनमें हिन्दुओं के प्रति घृणा फैलाने का कार्य प्रारम्भ किया। यद्यपि सर सैयद ने केवल मुस्लिम कुलीन वर्ग के हितचिन्तन तक ही अपने आपको सीमित रखा किन्तु अंग्रेजों ने सर सैयद के समर्थन का लाभ उठाकर ऐसा प्रचार किया जैसे वे समस्त मुस्लिम सम्प्रदाय के एकमात्र उन्नयक हों। भारत के अनपढ़ एवं संकीर्ण मुसलमानों ने उनका साथ दिया और वे इनके प्रचार-प्रवाह में बहने लगे। फिर भी जागृत एवं प्रगतिशील मुसलमानों ने कांग्रेस को अपना समर्थन देकर सर सैयद की राष्ट्रविरोधी एवं भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को शिथिल करने की नीति का समर्थन नहीं किया।<sup>5</sup>

सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों में पृथक्ता का भाव उत्पन्न करने की दृष्टि से यह आमक प्रचार किया कि वे भारत को अपना वतन न मानें क्योंकि उनके पूर्वज भारत के बाहर से आये थे और उन्होंने भारत पर तलवार के जोर से शासन स्थापित किया था। भारतीय मुसलमान उस जाति के वंशज हैं जो एक समय भारत पर राज्य करती थी। लण्डन में 1887 के एक भाषण में उन्होंने कहा ".....हम यह है जिन्होंने भारत पर 6 या 7 शताब्दियों तक राज्य किया है"....."हमारी कोम उन लोगों के छून से बनी है, जिनसे न केवल अरब बल्कि एशिया और यूरोप भी कांते थे। हमारी कोम ने अपनी



तलवार से समस्त भारत को जोता था, यद्यपि यहाँ के लोग एक ही धर्म को मानने वाले थे।<sup>16</sup> इसी प्रकार मेरठ में 1888 में उन्होंने कहा—“मेरे भाई मुसलमानों, मैं तुमको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने विभिन्न कौमों पर राज्य किया है और कई मुल्कों को शताब्दियों तक अपने अधीन रखा है। भारत में सात सौ वर्षों तक तुमने राज्य किया है। तुम जानते हो राज्य करना क्या होता है ?”<sup>17</sup>

मेरठ में 14 मार्च 1888 को अपने एक भाषण में सर सैयद ने व्यक्त किया कि ‘भारत में ब्रिटिश शासन केवल चन्द वर्षों के लिए ही नहीं, अपितु सदा के लिए बना रहना चाहिए।’ उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में यह कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ कर चले जायँ और साथ में अपनी तोपें तथा अपनी भव्य सैन्य सामग्री, सेना आदि भी ले जायँ, तब भारत पर शासन कौन करेगा ? ऐसी स्थिति में क्या हिन्दू तथा मुस्लिम राष्ट्र एक ही सिंहासन पर बैठ कर शासन चलायेंगे ? उनके अनुसार ऐसा सम्भवतः न होगा। इसका यह परिणाम होगा कि एक राष्ट्रीयता दूसरे पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन बना लेगी। अंग्रेजों की अनुपस्थिति में यूरोप के किसी भी राष्ट्र—जैसे फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल अथवा स्पेन—की बन आयेगी और वह भारत पर आक्रमण कर देगा। यूरोप के इन राष्ट्रों के विषय में सभी जानते हैं कि उनको सरकार ब्रिटिश सरकार से निम्नतर कोटि की है; अतः भारत में शान्ति बनाये रखने के लिए यहाँ ब्रिटिश शासन हमेशा-हमेशा के लिए बना रहना चाहिए।<sup>18</sup> उन्होंने ब्रिटिश शासन के माध्यम में शिक्षा का प्रसार करने तथा अधिक से अधिक सरकारी पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों का विश्वास जीतने का आह्वान किया। उन्होंने बंगाल के राजनीतिक आन्दोलनकारियों से मुसलमानों को दूर रहने की गलाहरी ताकि वे अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा में कमी न आने दें। वे मानते थे कि भारत की अंग्रेज सरकार मुसलमानों पर अपनी पूर्ण दृष्टि लगाये हुए थी क्योंकि भारतीय मुसलमान, सर सैयद के अनुसार, झगड़ानु, बहादुर तथा अश्लेषे योद्धा थे।<sup>19</sup>

सैयद ने निर्वाचन तथा विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का अर्थ है जनता के बहुसंख्यक वर्ग के हितों एवं विचारों को संरक्षण प्रदान करना। जिन देश में जनसमुदाय एक ही नस्ल तथा विश्वास के हों, वहाँ के लिए तो यह श्रेष्ठ व्यवस्था है किन्तु, सैयद के अनुसार, भारत जैसे देश में जहाँ जातिगत भेदभाव, धार्मिक मतभेद तथा शिक्षा की कमी है, वहाँ निर्वाचन के सिद्धान्त का प्रारम्भ करना सर्वथा अनुचित तथा अनाभकारी होगा। स्थानीय निकायों के संदर्भ में यह और भी महत्त्वपूर्ण है। बहुसंख्यक जनसमुदाय अल्पसंख्यकों के हितों पर छा जायेगा और प्रतिष्ठित जनता शासन की भेदभाव का उत्पत्तियों उत्पत्तियाँ। अतः निर्वाचन के बजाय स्थानीय निकायों में एक निर्वाही मण्डलों का मनोनयन ही श्रेष्ठ उपाय है ताकि सामंतीय संरक्षण में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को धारण रखा गया जा सके।<sup>20</sup>

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सुभाषे गले बादशाह की परिषद् के कुछ सदस्यों को निर्वाचित करने के विचार को सर सैयद ने स्वीकार नहीं किया। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन तथा समाज तथा श्रेणी व्यवस्था को स्थापना की मांग करे। उन्हें यह भय था कि यदि यहाँ सामंतीयक शासित्व दे दिया

गया तो हिन्दू संख्या में अधिक होने के कारण मुसलमानों पर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। हिन्दुओं को मुसलमानों की तुलना में चार गुना अधिक लाभ मिलेगा। निर्वाचन के लिए सम्पत्ति की अंशता को भी उन्होंने अमान्य घोषित किया क्योंकि वे मानते थे कि मुसलमानों की तुलना में हिन्दू अधिक सम्पन्न होने के कारण शासन से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। उनकी राय थी कि वायसराय की परिपद् का गठन हिन्दुओं तथा मुसलमानों में बराबर के स्थान वितरित करके ही किया जाय। निर्वाचन पृथक्ता के आधार पर कराये जायं, अर्थात् मुसलमान मुसलमानों की निर्वाचित करें तथा हिन्दू हिन्दुओं को। उन्होंने अत्यन्त दुःखी मन से व्यक्त किया कि सारे भारत में इन कार्यों के लिए हिन्दुओं के मुकाबिले अन्य कोई जाति नहीं है।<sup>11</sup> इस प्रकार सर सैयद आधुनिक भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिक राजनीति तथा पृथक्त्व के पर्वतक थे। जिन्ना ने सच्चे अर्थों में सर सैयद का ही अनुसरण किया था जिसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में सामने आया।<sup>12</sup>

सर सैयद का एकमात्र उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान् बनाने का था। उनका शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य भी इसी उद्देश्य से प्रेरित था। वे ऐसे शिक्षित मुसलमान तैयार करना चाहते थे जो अंग्रेजों शासन के लाभकारी पदों को प्राप्त कर अंग्रेजी शासन की बुनियाद बन जायं, उनके प्रति स्वामिभक्त बने रहें तथा हिन्दुओं का सर्वत्र प्रतिकार करें। सर सैयद ने इस कार्य के सम्पादन के लिए कुरान तथा हदीस का मनमाना भाषानुवाद एवं भावार्थ प्रस्तुत किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारत दारुल इस्लाम (वह देश जहाँ सत्ता मुसलमानों के अन्तर्गत हो) तथा दारुल हर्ब (वह देश जहाँ सत्ता गैर मुसलमान के नियंत्रण में हो) दोनों ही था। वे अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों की रही सही धृष्टा को निकाल फेंकने का प्रयास करते रहे। यहाँ तक कि वे ईसाइयों को मुसलमानों का घनिष्ठ मित्र मानने लगे।<sup>13</sup>

सर सैयद ने सरकार के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने में अपनी निष्ठा प्रकट की। उनके अनुसार सरकार का विस्तृत कार्य-क्षेत्राधिकार सरकार को आलोचना का केन्द्र बिन्दु बना देगा और मुसलमान शासकीय हस्तक्षेप अथवा शिथिलता का विरोध करना प्रारम्भ कर देंगे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा स्वयं अपने अनुकूल शिक्षाध्ययन की व्यवस्था का नमर्थन किया जो कि शासकीय नियंत्रण अथवा संरक्षण से पृथक् था। उनका उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता का न होकर ऐसी शिक्षा-पद्धति का विस्तार करना था जिसमें मुसलमानों को शेष जनसमुदाय से पृथक् रखा जा सके। यद्यपि उन्होंने अलीगढ़-मैन्डोवन का सूत्रपात शासकीय हस्तक्षेप से विलग रह कर स्वयं के प्रयासों से शिक्षा-कार्य करने के लिए किया था, किन्तु सर सैयद का यह कार्य बेमानी सिद्ध हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय अंग्रेजों की फूट डाल कर राज्य करने की नीति की प्रयोगशाला बन गई। वहाँ के अंग्रेज प्राचार्यों ने पृथक्ता एवं साम्प्रदायिकता को जड़ें ही सिद्ध की। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए भवन-निर्माण किये जाते समय भारत के अनेक हिन्दू सनातनी राजाओं ने अपार धनराशि दान में दी। इस तरह सर सैयद का यह कथन कि वे स्वयं के प्रयासों से सब कुछ कर रहे थे, सत्य नहीं था।

सर सैयद ने मुसलमानों के उच्चकुलीन वर्ग के हित-साधन के लिए यह विचार प्रस्तुत किया कि उच्च पदों पर निम्नलिखित के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थान पर केवल

जन्म के आघार पर ही नियुक्तियों की जायं। उनका मूल उद्देश्य यह था कि उच्च कुलीन मुसलमानों को अंग्रेजी शासन में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाय, जो उन्हें मध्यकालीन भारत में प्राप्त थी। उन्होंने उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित परीक्षा की आलोचना की और वह भी उस समय जबकि इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 से घटा कर 19 वर्ष कर दी गयी। सर सैयद जानते थे कि शिक्षा तथा अध्ययन में हिन्दू अभ्यर्थियों की तुलना में मुसलमान अभ्यर्थियों का स्तर नीचा था; अतः वे हिन्दुओं के अनुपात में उपर्युक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते थे। सर सैयद ने मुसलमानों के शैक्षिक स्तर को उठाने के स्थान पर सारा दोष इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पर ही मढ़ा और यह व्यक्त किया कि परीक्षा की यह पद्धति देश तथा सरकार दोनों के लिए हानिकारक थी। उनके अनुसार परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का परिणाम यह हो रहा था कि उच्च कुलों तथा माधुर्य वर्ग के लोगों को एक ही स्तर पर रखा जा रहा था। उच्चकुलीन व्यक्ति सामान्य स्तर के व्यक्ति के साथ तुलना-मिलना कैसे पसन्द कर सकता था ! उनके अनुसार जब तक भारत की समस्त जातियाँ एक न हो जायं अथवा उनमें शैक्षिक स्तर की समानता जब तक स्थापित न हो जाय, तब तक मुसलमानों के साथ ब्याप नहीं हो सकता। उन्होंने बंगाल के अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त हिन्दुओं की प्रशासनिक सेवाओं में सफल होने देखा कर अपनी संकीर्ण साम्प्रदायिक नीति में कहा कि भारत के मुसलमान तथा राजपूत अपने ऊपर उन दरपोक बंगालियों का प्रामाण्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो कि तलवार तो बसा, छुरी देव कर ही मेज के नीचे छिप जाते हैं। सैयद के अनुसार भारत की भूतपूर्व साम्राज्य शक्तियों को जब तक सरकारी सेवाओं में सम्मानित पदों पर बिना परीक्षा के ही नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक भारत में शान्ति नहीं हो सकती।<sup>14</sup>

सर सैयद ने उन समस्त साम्राज्य शक्तियों का विरोध किया जो किसी न किसी प्रकार में भारत में शोकात्मक एवं प्रतिनिधिभूतक संस्थाओं के पोषक बन सकते थे। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का समर्थन किया जिसके अन्तर्गत अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मत व्यक्त करना दण्डनीय था। वे समाचार पत्रों पर नियंत्रण के पक्ष में थे ताकि अंग्रेजी शासन की नीचे मजबूत रहे और मुसलमानों की अवसरवादिता को चुनौती न दी जा सके। वे मुद्रप्रिण्ट इनवर्टिग पर विचार के समय भी विदेश के विरोध में रहे और अपनी मकीजता का परिचय दिया। उन्हें यह भय था कि कहीं भारतीय व्यापारियों द्वारा अंग्रेजी के मुकदमों को मुनबाई के बारदा मुसलमानों के प्रति सरकार का अहित न हो जाय, क्योंकि अनेक भारतीय व्यापारियों मुसलमान थे। वे हर प्रकार में राष्ट्रीय आन्दोलन के विरोधी रहे। स्वराज्य एवं स्वदेशी आन्दोलनों में भी उनका बड़ी रुचि नहीं थी। उन्हें भारत की स्वतन्त्रता की संशयपूर्ण प्रतीति न थी। वे स्वदेशी आन्दोलन के स्थान पर व्यापारिक विदेशी बस्तुओं को अस्मान का प्रहार कर भारतीय उद्योगों को हानि पहुँचाने का कार्य कर रहे थे, ताकि भारतीय हिन्दू उद्योगधियों को पतन का अवसर न मिले। उनकी अंग्रेजी के प्रति अत्यधिक दृग् विचार में भी स्पष्ट होती है कि वे विदेश की उद्योगधियों का प्रहार की तुलना में अनुदार दृग् को सरकार के प्रशासन में। यह संबंधित है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उद्योगधियों का प्रहार के स्वराज्य प्रार्थना के कार्य में अस्वीकृत

प्राप्त होने की आशा थी, जबकि अनुदार दल से भारत स्वशासन प्राप्त करने की कभी भी आशा नहीं कर सकता था; किन्तु सर सैयद वही राग अलापते थे जो भारत की स्वाधीनता एवं समृद्धि के विरुद्ध हो और जिससे भारत की गुलामी का अन्त न हो। वे अंग्रेजों के प्रति भक्ति को अपना धार्मिक कर्तव्य समझने लगे थे।<sup>15</sup>

सर सैयद ने कांग्रेस का विरोध करने के साथ-साथ भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने का भी विरोध किया। मुसलमानों के हितों के संरक्षण के नाम पर सैयद ने 1883 में मोहम्मदन पोलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की। यह संस्था सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इण्डियन नेशनल कान्फ्रेंस के प्रत्युत्तर में बनायी गयी थी। इसके उद्देश्य थे :

1. ब्रिटिश राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों के अभ्युदय तथा वृद्धि के लिए प्रयत्न करना तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रत्येक साधन जुटाना;
2. विभिन्न विधि-प्रस्तावों पर (जो व्यवस्थापिका सभा में भारतीयों की भलाई के लिये प्रस्तुत किये जाते थे) विचार करना और आवश्यकतानुसार उनको सरकार के समक्ष अत्यन्त आज्ञाकारिता के साथ व्यक्त करना;
3. मुसलमानों की आवश्यकताओं-अधिकारों को तथा देश की भलाई और उन्नति की योजनाओं को अत्यन्त विनीत रूप से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना; तथा
4. ऐसे कार्यों के विषय में सरकार को सूचना देना जो देश की उन्नति में बाधक हों।<sup>16</sup>

सर सैयद द्वारा स्थापित यह संस्था अधिक दिनों तक प्रभावशाली नहीं रही, क्योंकि इस संस्था में साधारण स्थिति वाले मुसलमानों के हितों को प्रतिनिधित्व मिलने के स्थान पर बड़े-बड़े मुस्लिम रईसों तथा जमींदारों द्वारा अपना हित-संचय करने का ध्येय प्रमुख था। सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस के राष्ट्रीय मन्दोलन से दूर रखने के लिये इण्डियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की जिसके उद्देश्य थे :

1. इण्डियन नेशनल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा किये गये उन समस्त प्रयासों को ध्वस्त करना जिनसे इंग्लैण्ड की जनता को यह आश्वासन दिलाने का प्रयत्न किया गया था कि समस्त जनता कांग्रेस के उद्देश्यों से सहमत थी;
2. भारतीय मुसलमानों के विचारों तथा कांग्रेस-विरोधी हिन्दुओं के विचारों से ब्रिटिश सरकार के सदस्यों को अवगत कराना; तथा
3. अंग्रेजी राज्य को दृढ़ बनाना तथा भारत में शान्ति सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना।<sup>17</sup>

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सर सैयद ने कतिपय हिन्दू राजाओं एवं सामन्तों का भी समर्थन प्राप्त किया; किन्तु यह मंथ्या भी मुसलमानों के राजनीतिक हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से अपर्याप्त सिद्ध हुई। सर सैयद ने 1893 में मोहम्मदन एंग्लो-ओरियंटल ट्रिफेन्स एसोसिएशन की स्थापना कर डाली। इस संस्था की स्थापना के

कारणों में पहला कारण तो कांग्रेस की तुलना में मुसलमानों के हितों को प्रतिनिधित्व देने का था और दूसरा कारण मुस्लिम मुवाक़ाफ़त को कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच से दूर रख कर इस एसोसिएशन के अन्तर्गत एकत्रित करने का था। सर सैयद इस सँस्था के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अस्तित्व कर अंग्रेज़ी राज्य से उनके लिये अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे। इस मंस्था के उद्देश्य थे :

1. भारत सरकार तथा इंग्लैण्ड की जनता के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक हितों की उप्रति के लिये प्रयत्न करना;
2. मुसलमानों में व्यापक राजनीतिक आन्दोलन के उभार को रोकना;
3. अंग्रेज़ी सरकार तथा साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को समर्थन देना तथा
4. भारत में शान्ति स्थापित रखने का प्रयत्न करना और सामान्य जनता में निष्ठा और भक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना।<sup>18</sup>

इस तरह मोहम्मदन डिफेन्स असोसिएशन ने मुसलमानों के हितों का विष्ट-पेपण कर उसे एक प्रकार से मुस्लिम लीग (1906) का पूर्वगामी बना दिया। असोसिएशन द्वारा मुसलमानों को बिना किसी प्रवेश-परीक्षा के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, व्यवस्थापिका सभा तथा अन्य स्थानीय स्वशासी निकायों में मुसलमानों के समुचित प्रतिनिधित्व तथा साम्प्रदायिक प्रणाली के आधार पर प्युक् निर्वाचन-पद्धति की स्थापना की माँग की गई। इन माँगों के लिए प्रस्तुत आधारभूत सिद्धान्त थे: (1) जिन नगरों में मुस्लिम जन मख्या 15 प्रतिशत तक थी, वहाँ कम से कम एक मुस्लिम सदस्य अवश्य होना चाहिए, (2) जिन नगरों में मुस्लिम जन संख्या 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक थी, वहाँ मुगलमान सदस्यों की संख्या यथासम्भव आधी होनी चाहिए तथा (3) जिन नगरों में मुस्लिम जन मख्या 25 प्रतिशत से अधिक थी, चाहे मध्य अवश्य मुगलमान होने चाहिए।<sup>19</sup>

सर सैयद ने अंग्रेज़ों को प्रमत्त करने की दृष्टि में मुसलमानों को गर्भ-इस्लामवाद से दूर रखने का प्रयास किया। उन दिनों इंग्लैण्ड ने रूस-तुर्की का विरोध किया था और अंग्रेज़ों को भय था कि भारत के मुगलमान तुर्की के मुगलमानों का, क्योंकि तुर्की का गुल्तान इस्लाम का खलीफा माना जाता था, पक्ष लेगे। सर सैयद अंग्रेज़ों को उन विचरमनीयता की खोना नहीं चाहते थे, जो अल्पजन्म कठिनाई में घबिज थी थी। धन: उन्होंने खलीफा के नेतृत्व को चुनौती देने में विचर्य नहीं किया और यह प्रचार किया कि भारत के मुगलमानों का तुर्की के मुगलमानों से कोई लेना-देना नहीं है। सर सैयद का यह प्रयास याने अल्पजन्म स्वयं मुगलमानों द्वारा रिक्त कर दिया गया जबकि उन्होंने माधोयी के समूहों के आन्दोलन के दौरान विचारधारा के अन्त को उठाकर अंग्रेज़ों का विरोध आरम्भ कर दिया। सर सैयद अंग्रेज़ों को यह विचर्य दिखाना चाहते थे कि "भारत के मुगलमानों का तुर्की के साथ उसी प्रकार का सम्बन्ध का जैसा तुर्की के अपने खलीफा का अल्पजन्म के विचारधारा के साथ था।" <sup>20</sup> इस प्रकार सर सैयद ने तुर्की के अन्त पर अपना विरोध प्रकट कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारतीय मुगलमानों का अल्प-इस्लामवाद में कोई विचर्य नहीं था। वे अल्पजन्म

प्रश्नों को धार्मिक समस्याओं से दूर रखने का प्रयास करते हुए यह सिद्ध करना चाहते थे कि तुर्की के खलीफा के साथ भारत के मुसलमानों का कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं था। सर सैयद की यह चाल मात्र अंग्रेजों की भक्ति तथा राजनीतिक हितों को संरक्षित करने की दृष्टि से चली गयी थी। उनका यह विचार हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों पर व्यक्त उनके साम्प्रदायिक विचारों से मेल नहीं खाता था। यह उनके द्वारा अंग्रेजों की चाटुकारिता का ही प्रमाण था। उन्होंने न केवल तुर्की के सम्बन्ध में अपितु प्रथम अफगान युद्ध के समय भी अंग्रेज वायसराय लार्ड लिटन को बधाई दी और बाद में इंग्लैण्ड द्वारा मिल पर किये गये सफल आक्रमण की भी प्रशंसा कर अंग्रेजों शासन के प्रति स्वामिभक्ति का परिचय दिया।

सर सैयद ने भारत में साम्प्रदायिक राजनीति का श्रोगणेश किया और अपनी राजनीति का आधार धर्म के आदेशों को बनाया। वे राजनीतिक दलों को धार्मिक आधार पर संगठित करना उचित मानते थे। मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्त्व का बार-बार बखान कर वे हिन्दुओं तथा मुसलमानों में भेदभाव गहरा करना चाहते थे ताकि मुसलमानों को पृथक्त्व की राजनीति का पाठ सिखाया जा सके। अपने मेरठ भाषण में सर सैयद ने कहा था, "इन प्रान्तों के हिन्दू हमारा साथ छोड़कर बंगालियों के साथ मिल गये हैं। तब हमें उस कौम के साथ मिल जाना चाहिये जिसके साथ हम मिल सकते हैं"। कोई मुसलमान इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि ईश्वर ने कहा है कि ईसाइयों के अतिरिक्त किसी धर्म के अनुयायी मुसलमानों के मित्र नहीं हो सकते। जिसने कुरान पढ़ा है और जो इम पर यकीन रखता है, वह जान सकता है कि हमारी कौम किसी अन्य कौम से मित्रता और हमदर्दी की आशा नहीं कर सकती। हमें ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ईसाइयों के प्रति निष्ठावान् और मित्रतापूर्ण बने रहना चाहिये।" 21

सर सैयद ने हिन्दुओं की धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार करते हुये यह माना कि 'हिन्दू धर्म में सिद्धान्तों के अध्ययन की अपेक्षा पुराने प्रचलित रीति-रिवाजों का पालन अधिक है। हिन्दू किन्हीं धर्मसूत्रों तथा नियमों को अथवा अन्तःकरण और हृदय से अभ्यर्षना को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका धर्म इन चीजों को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वे (हिन्दू) दार्शनिक सिद्धान्तों के विषय में अत्यधिक निरुत्साही हैं। वे अपनी पुरानी परम्पराओं के कठोर पालन तथा अपने खाने-पीने के साधनों के अतिरिक्त किसी भी वस्तु पर बल नहीं देते हैं। ऐसी रस्मों और परम्पराओं की जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं दूसरे व्यक्तियों द्वारा अवहेलना एवं तिरस्कार से उन्हें कोई परेशानी अथवा कष्ट भी नहीं होता है। इसके विपरीत मुगलमान अपने धर्म के सिद्धान्तों का पालन मोक्ष के लिए आवश्यक और उनका तिरस्कार नरकवाम के लिए उत्तरदायी समझते हैं, और इसलिए उनसे भलीभांति परिचित होते हैं। वे अपने धार्मिक सिद्धान्तों को ईश्वर का आदेश मानते हैं।" 22 मनु 1887 में सर सैयद ने व्यक्त किया, "कांग्रेस में हिन्दू बंगालियों के साथ मिलकर अपनी शक्ति घटाना चाहते थे जिससे वे मुसलमानों के धर्म-विरोधी कार्यों को दबा सकें।" 23 इन विचारों के आधार पर यह समझना कठिन नहीं था कि वे हिन्दुओं से महायोग को घातक नष्ट करना चाहते थे जब उन्हें अपनी गढ़-प्रायद्वीप में मन्वन्धित संस्थाओं के निचे प्राथिक महायन्त्र की आवश्यकता होनी थी। ऐसे समय में उनकी उक्ति होती थी—“भारत में दो कौम हैं—हिन्दू और मुसलमान। इनमें से यदि एक कौम उन्नति करे और दूसरी कौम

मयनति में पड़ी रहे तो इसका (भारत का) सुन्दर मुण्डा वाना ही रहेगा। इस दुल्हन के सुन्दर चेहरे की पूबसूरती इसी में है कि इसकी दोनों आँखें पूरी तरह स्वस्थ हों।"<sup>24</sup> इसके पश्चात् ये पुनः अपने वास्तविक रंग में झाँक कर हिन्दुओं को धमकियाँ देने से नज़ी पूकते थे। उनकी दलील थी कि भारत के बहुसंख्यक हिन्दुओं को मुस्लिम धर्म संघर्षकों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने चाहिये अन्यथा शक्ति के जोर पर मुसलमान उनका जीवन कठिन बना देंगे। उनके शब्दों में, "मुसलमान यद्यपि संख्या और अजेजी गिना में कम हैं, लेकिन वे अपनी स्थिति सुरक्षित रख सकेंगे। मान लीजिये ऐसा नहीं हो तब उनके मुसलमान पठान भाई पहाड़ी दरों से टिङ्की दलों की भाँति घायेंगे और उत्तर से बंगाल के अंत तक खून की नदियाँ बहा देंगे।"<sup>25</sup>

एम० एस० जॉन से अनुनार "सर सैयद अहमद बुद्धिमान् एवं दूरदर्शी नेता थे जो यह समझते थे कि मुसलमानों की प्रगति किस प्रकार हो सकती थी। हिन्दुओं में सहयोग लेकर (यदि हो सके) प्रयत्न मुसलमानों की पृथक्ता को दुहाई देकर (यदि आवश्यक हो) वे मुसलमानों को पुनः प्रगति के लिए मंगलित कर देना चाहते थे।" 1887 में उन्होंने मुसलमानों के विछेदे होने के सम्बन्ध में लिखा था, 'जितना अनुभव और जितना विचार रिया जाता है, सबका निर्णय यह निकलता है कि अब भारत के मुसलमानों को भारत की अन्य कीमों से गमानता कर पाना असम्भव या लगता है। बगाली तो अब इतना घागे बड़ गये हैं कि यदि बंगाल, हिन्दुस्तान और पंजाब के मुसलमान पर लगाकर भी उठे तो उनकी पकड़ नहीं सकते। भारत की हिन्दू कीमों ने भी उन्नति करके मैदान में मुसलमानों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यदि मुसलमान दौड़कर भी चलें तो भी उनकी पकड़ नहीं सकते।' ये मसाला इस बात में चिन्तित रहते थे कि भारत में एक कीम (हिन्दुओं) ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था और जो समय आने वाला था उसकी भाँती भाँति समझकर अपने-आपको उसके योग्य बना लिया था, मगर जो कीम पीछे पड़ी रह गई थी, 'वह हमारी कीम है जो मुसलमान बहुताती है और जिसको इस्लाम ने एक कीम बना दिया है।'<sup>26</sup>

इस प्रकार से सैयद अहमद खाँ ने भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन में साम्प्रदायिक राजनीति का आधार रखा। मुसलमानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये सर सैयद ने उन उपायों एवं कसबों का सहारा लिया जो राष्ट्रीय जीवन के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले सिद्ध हुए। मुसलमानों के अत्यन्त प्रतिष्ठित नेता एवं मार्गदर्शक बनने का श्रेय सर सैयद को अत्यन्त प्राप्त हुआ, फिर भी उनकी संकीर्ण "सौमित्र" की नीति ने उनके प्रबुद्ध भारतीय मुसलमानों को बायें की ओर आकर्षित किया। सर सैयद मुसलमानों के विछेदेन को दूर करने के लिये बहिष्कृत रहे। उन्होंने साम्प्रदायिक, सामाजिक, नैतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से मुसलमानों को घागे बढ़ाने के अनेक कार्य किये। उनके द्वारा बनाया गया दलील-दाखिलन भारतीय मुसलमानों में जागृति का मंदेकवाहक बना। अजेजी का विश्वास जीतने के लिये सर सैयद ने इतिहास साक्ष्य को भारत में जोड़ने रखने का उपायवाचक करने और वे पिछे छोड़ के निरन्तर दलील प्रमाण से रहे कि यदि स्वायत्त शासन तथा प्रतिनिधिमतक साक्षात् की आवश्यक विचारण हो गई। मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावना का पुनः अवारण कर सर सैयद ने दृष्ट

प्रतिनिधित्व एवं साम्प्रदायिक निर्वाचन की ऐसी मांगें प्रस्तुत कीं जिन्हें जिन्ना ने अपना मूलमंत्र बनाकर भारत के विभाजन में परिणत कर दिया ।

□□

### टिप्पणियाँ

1. एमिनेन्ट मुसलमान्स : बायोग्राफिकल एण्ड क्रिटिकल असेज (जी. ए. नटेसन एण्ड को., मद्रास, 1926) पृ. 2
2. वही, पृ. 5-21
3. वही, पृ. 21-37
4. लाला लाजपतराय, "बोपन लेटर्स टु सर सैयद अहमद खां", अक्टोबर 27, 1888—दिसम्बर 20, 1888 देखिये लाला लाजपतराय : बी मैन इन हिज वर्ड पृ. 1-38
5. देखिये सिलेक्ट राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज आफ मोलाना मोहम्मद अली, (मोहम्मद अचरफ, लाहौर, 1944) पृ 13
6. सर सैयद अहमद खां, बी प्रजेन्ट स्टेट आफ इण्डियन पोलिटिक्स (पायोनियर प्रेस, इलाहाबाद, 1888) पृ. 17-18
7. वही, पृ. 47-48
8. वही, पृ. 300-301
9. वही, पृ. 302
10. एम्प्लुव्ड ऑफ़ बी प्रोसीडिंग्स ऑफ़ बी गवर्नर जनरल ऑफ़ इण्डिया एटसेट्टा, (गवर्नमेन्ट प्रेस, कलकत्ता, 1888) चण्ड XXII
11. बी प्रजेन्ट स्टेट ऑफ़ इण्डियन पोलिटिक्स, पृ. 12-14
12. देखिये रफीक जकारिया, राइज आफ मुस्लिम इन इण्डियन पोलिटिक्स (सोमिया पब्लिकेशन्स, बम्बई, 1970) पृ. XII
13. देखिये एम. एस. जैन, आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक, (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1973) पृ. 41
14. बी प्रजेन्ट स्टेट ऑफ़ इण्डियन पोलिटिक्स, पृ. 3-12
15. वही, पृ. 49
16. देखिये एम. एस. जैन, आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक, पृ. 30
17. वही, पृ. 32
18. वही, पृ. 32-33
19. वही, पृ. 34
20. वही, पृ. 35
21. बी प्रजेन्ट स्टेट ऑफ़ इण्डियन पोलिटिक्स, पृ. 48-50
22. आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक में अमश्राब बंतावन-ए-हिन्द से उद्धृत, पृ. 49-50
23. बी प्रजेन्ट स्टेट ऑफ़ इण्डियन पोलिटिक्स, पृ. 35
24. वही, पृ. 27-28
25. वही, पृ. 37-38
26. आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक, पृ. 47-48

□□



मोहम्मद इकबाल का जन्म 1877 में सियालकोट में हुआ था। उनके पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात् भी उनके परिवार में सूफीवाद का प्रभाव निरन्तर बना रहा। लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें इतिहास एवं दर्शनशास्त्र में व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया। वे गवर्नमेन्ट कालेज लाहौर में अंग्रेजी तथा दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक भी रहे। उन्हें कविता लिखने का शौक था। प्रारम्भ में परम्परागत पद्य रचनाओं के पश्चात् वे भारत की एकता तथा स्वतन्त्रता के लिये देशभक्तिपूर्ण रचनाएँ करने लगे और उनकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। 1905 में वे यूरोप गये और कैंब्रिज में उन्होंने ब्रिटिश दार्शनिक चिन्तन का गूढ़ अध्ययन किया। वहाँ से जर्मनी पहुँचे और म्यूनिख विश्वविद्यालय से फारसी तत्त्वशास्त्र के विकास पर उन्हें डाक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त हुई। वहाँ से लौटकर लंदन में उन्होंने बैरिस्टरी के लिये योग्यता प्राप्त की। कुछ समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा प्राप्त कर वे तीन महीने के लिये लंदन विश्वविद्यालय में घरबी भाषा के प्रोफेसर भी रहे। सन् 1908 में इकबाल लाहौर लौटे और वकालत करने लगे।

इकबाल ने अनेक प्रसिद्ध रचनाएँ उर्दू के माध्यम से प्रस्तुत की हैं जिसके कारण वे प्रायुक्तिक उर्दू-जगत् के अग्रगण्य लोकप्रिय कवि माने गये हैं। उनके द्वारा लिखित अमरार-ए-गुदो उनकी सर्वश्रेष्ठ पद्यारमक कृति है जिसमें इकबाल की दार्शनिक उद्धान के दर्शन होते हैं। उन्होंने कविताओं के अलावा दार्शनिक चिन्तन में भी पूर्ण रचि दिखाई। उनके भाषणों तथा लेखों में उनके चिन्तन की झलक मिलती है। इकबाल को प्रायुक्तिक भारतीय मुस्लिम चिन्तन का दार्शनिक कहा जा सकता है। आकाशफोर्ब में दिये गये उनके व्याख्याओं का संग्रह 'रिक्तान्द्रबन ऑफ फिलॉसफी इन इस्लाम' के रूप में प्रकाशित हुआ। इकबाल की प्रारम्भिक रचनाओं पर सूफी चिन्तन का प्रभाव रहा। उनकी कृति 'जावेदनामा' पर कमी की स्पष्ट छाप रही। यहाँ तक कि उन्होंने फारसी के महाकवि कमी की शौली तथा उनके शब्द-विन्यास की अनेकी कृतियों में पुनः अर्पित किया है। इकबाल के चिन्तन पर यूरोप के प्रसिद्ध विचारकों बर्गोस तथा नीत्शे का भी प्रभाव पड़ा। उनकी रचनाओं का अ-ए-अबीन तथा अबा-ए-अबद पर बर्गोस का प्रभाव देखा जा सकता है। नीत्शे के अस्तित्ववाद के सिद्धान्त को इकबाल ने महत्व का बतलाया और उसे जीवनवादिनी, सृजनारमक एवं द्विआरीय मानववादि का उद्घोषक माना। इकबाल के विचारों पर इस्लाम धर्म की अस्तिता का भी प्रभाव पड़ा। इकबाल ने कुरान की शिक्षाओं को आत्मसात् करने हुए स्वामी अल्लाह के 'पुनः बनें की ओर जाने' के आदेश के अन्तर्गत 'कुरान की ओर पुनः जाने' की बात कही। वे दुर्लभता कुरान की ही एक मात्र वैचारिक आधार मानते हैं, ऐसी बात नहीं की। उन्होंने अनेक

स्थलों एवं विचारों में कुरान से हटकर अपने स्वतन्त्र विचार भी व्यक्त किये, किन्तु उनकी यह वैचारिक क्रान्ति उनके जीवन के मध्याह्न तक ही रही। जीवन के उत्तरार्द्ध में इकबाल पर रुढ़िवादिता का रंग चढ़ता चला गया और वे भारतीय मुसलमानों की पृथक्ता एवं सर्व-इस्लामवाद (पैन-इस्लामिज्म) की ओर झुक गये।<sup>3</sup>

एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनका जीवन 1927 में आरम्भ हुआ जब वे पंजाब के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से प्रांतीय विधान परिषद् के सदस्य चुने गये। 1930 में उन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। लंदन में आयोजित द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन (1930-1931) में उन्होंने भी भाग लिया। इकबाल भारतीय मुसलमानों को अपना पृथक् राज्य स्थापित करने की प्रेरणा देने लगे। वे भारतीय मुसलमानों को एक पृथक् राष्ट्रीयता के रूप में स्वीकार करने लगे। उनकी दृष्टि में मुसलमान अल्पसंख्यकों पर हिन्दू बहुसंख्यकों का शासन उचित नहीं था।<sup>4</sup> उन्हें अविभाजित भारत में मुसलमानों के हितों की असुरक्षा का अदेश था, अतः वे भारत के विभाजन का स्वप्न देखने लगे। वे भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में पृथक् मुस्लिम राज्य की स्थापना का समर्थन कर रहे थे। इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यही व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटेन की लोकतांत्रिक पद्धति को लागू करना निरर्थक होगा, क्योंकि इससे भारत के हिन्दुओं एवं मुसलमानों में गृहयुद्ध भड़क उठेगा। वे भारत को अनेक राष्ट्रीयताओं वाला देश मानते हुए भारत की समस्या को राष्ट्रीय न मान कर अन्तर्राष्ट्रीय मानते थे।<sup>5</sup>

एम. एस. जैन के अनुसार, "इकबाल का एक विशेष मन्तव्य यह था कि उन्होंने मुसलमानों की कौमियत का आधार भूमि के स्थान पर इस्लाम को बताया। उन्होंने मुसलमानों को मिल्लत के माध्यम से ही संगठित माना था। 'वतन' अथवा भूमि के आधार पर कौमियत की कल्पना का उन्होंने विरोध किया था और इस प्रकार मुसलमानों को भारतीय कौमियत में विलय होने से रोक दिया था। साधारणतया इकबाल को उनके तराना-ए-हिन्दी (1904) से जाना जाता है जिसमें उन्होंने कहा था :

"सारे जहाँ से अच्छा हिन्दीस्तां हमारा,

हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा,

मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना,

हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दीस्तां हमारा।"

(योग-ए-बरा, पृ. 77-78)

"उपयुक्त कविता से उनके देशप्रेम का अर्थ लगाया जाना स्वाभाविक ही है। किन्तु इस कविता का अर्थ इकबाल के लेखों की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। 'वतन' का अर्थ उस समय महत्त्वपूर्ण होता है, जब 'वतन' की कौम का आधार मान लिया जाता है—अर्थात् एक वतन के रहने वाले एक कौम के सदस्य समझे जायें। इस कविता का देशप्रेम के सन्दर्भ में कोई अर्थ नहीं रहता है, यदि इकबाल का अभिप्राय एक "हिन्दी" (हिन्दुस्तान में रहने वालों की) कौम से नहीं था।

"इकबाल ने 1938 में भी, जबकि वे मुसलमानों के पृथक् राज्य के विचार का प्रतिपादन कर चुके थे, यह लिखा कि 'हम सब हिन्दी हैं और हिन्दी कहलाते हैं क्योंकि हम

गव भूमि के उग भाग में रहते है जिसे हिन्द (भारत) के नाम से पुकारते है... 'यतन' शब्द... केवल एक भौगोलिक प्रयोग है और इस स्थिति में इस्लाम इस्लाम से संघर्ष नहीं होता है... इन वर्षों में प्रत्येक मनुष्य प्राकृतिक रूप से अपनी जन्मभूमि से प्रेम रखता है... किन्तु प्राधुनिक साहित्य में 'यतन' का अर्थ केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि 'यतन' मनुष्यों के संगठित प्रतिष्ठित्व का एक सिद्धान्त बन जाता है और इस दृष्टि से एक राजनीतिक कल्पना है। पूं कि इस्लाम में मनुष्यों के संगठित प्रतिष्ठित्व का एक नियम है, इसलिए जब यतन को एक राजनीतिक प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाये तो यह इस्लाम विरोधी है।"

"प्राधुनिक युग में कौमों का केवल यतन के आधार पर गठन करना और भारतीय मुसलमानों को यह मुझाय देना कि वे इसे स्वीकार करें, इकबाल के लिये असह्य था। इकबाल ने बताया था कि वे यतनियत के ऐसे इष्टिकोण की आलोचना उम समय से कर रहे थे जबकि इस्लामी-जगत् और भारत में इस इष्टिकोण की कोई विशेष चर्चा भी नहीं थी।"

इसी संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू<sup>7</sup> तथा एडवर्ड टॉमसन<sup>8</sup> के इन विचारों को कि इकबाल प्रारम्भ में पाकिस्तान के विचार के समर्थक रहे किन्तु बाद में उन्होंने भारत के विभाजन को हिन्दुओं, मुसलमानों तथा अंग्रेजों के लिये विनाशकारी माना, 'इकबाल ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन इसलिए किया कि वे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे—संस्वीकार करते हुए एम. एम. जैन ने लिखा है कि "यह (उपसुक्त) तर्क तर्कों के पश्चात् में शायद स्वीकार भी हो जाता, किन्तु इकबाल ने अपने अन्तिम दिनों में अपनी इस योजना का इतना स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया था, जितना कि शायद 1930 के अन्त्यर्ध भाषण में भी नहीं किया था। अपने 20 मार्च, 1937 के पत्र में उन्होंने जिद्दा पर इस बात के लिए दबाव डालने का प्रयत्न किया था कि वे जवाहरलाल नेहरू की मुस्लिम सम्पर्क योजना का उचित उत्तर दें और एक पृथक् एवं निश्चित राजनीतिक इकाई के रूप में भारतीय मुसलमानों के उद्देश्य को स्पष्ट करें। 28 मई, 1937 को पुनः आपने लिखा... "प्रश्न यह है कि मुस्लिम विधेयता की समस्या को किस प्रकार हल किया जाय ?... इस्लामी विधि प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि यदि इन नियमों को ठीक प्रकार से समझा जाये तथा लागू किया जाये तो प्रत्येक व्यक्ति (मुसलमान) को जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो सकने हैं किन्तु इस देश में इस्लामी शरियत (विधि प्रणाली) को उम समय तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि एक या एक से अधिक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य न हों - भारत में शान्ति स्थापित रखने का यही एक साधन है। यदि यह सम्भव है, तब एक मात्र विचार्य दूर-दूर है, जो शास्त्र में कुछ समय में मुस्लिम उपदेशों के रूप में बन रहा है... यह आवश्यक है कि भारत का नये गिरे से विभाजन हो और एक या एक से अधिक ऐसे राज्य स्थापित बिने जाय जहाँ मुसलमानों का पूर्ण बहुमत हो। क्या आप अनुभव नहीं करते हैं कि हम प्रकाश को मांग प्राप्त करने का समय का चुका है ?"

है कि इंग्लैण्ड में लार्ड लोथियान ने मुझ से कहा था कि मेरी योजना भारत की समस्याओं का एक मात्र हल थी... उत्तर-पश्चिमी भारत और बंगाल के मुसलमानों को पृथक् कौमियों न समझा जाय जिन्हें आत्मनिर्णय का उसी प्रकार अधिकार उपलब्ध हो जिस प्रकार भारत में और भारत के बाहर अन्य कौमों को उपलब्ध है।<sup>9</sup>

इकबाल द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग ने उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व को बहुसंख्यक समुदाय की दृष्टि में अलोकप्रिय बना दिया। साम्प्रदायिक राजनीति के भ्रंशवात में इकबाल ने मानव-एकता के धर्म को त्याग कर केवल समुदाय-विशेष के हितों को प्रथम दिया। 1935 से 1928 तक वे जिन्ना से विशेष सम्पर्क बनाये रहे। अनेक शारीरिक व्याधियों के कारण उनका स्वास्थ्य गिरता गया और 21 अप्रैल, 1938 को उनकी मृत्यु हो गई।

### इकबाल के राजनीतिक एवं धार्मिक विचार

इकबाल ने मुस्लिम कौम (राष्ट्र) को संगठित करने के राजनीतिक उद्देश्य का प्रतिपादन करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीयता का आधार भूमि के स्थान पर इस्लाम धर्म को बतलाया। वे मुसलमानों को किसी भूमि-विशेष से जोड़ने के स्थान पर धर्म से जुड़ा हुआ मानते थे। मुसलमानों को किसी निश्चित भौगोलिक सीमा में न बांधने का उनका उद्देश्य यह था कि वे नहीं चाहते थे कि यहाँ के मुसलमान भारतदेश को अपना वतन मानें। उनकी दृष्टि से मुसलमानों की प्रेरणास्थली केवल अक्का-मदीना ही हो सकती थी। वे इस्लाम धर्म का पुनः उत्थान करने के पक्षपाती थे। उनकी पुस्तक सिक्स लेक्चर्स ऑन दी रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ रिजिजियस थॉट इन इस्लाम इसी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करती है।<sup>10</sup> इकबाल के अनुसार कोई भी कौम अपने अतीत का परित्याग नहीं कर सकती, क्योंकि कौमियत का अतीत ही उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वे परम्परागत मुस्लिम चिन्तन के उग्र विरोध में नहीं थे, क्योंकि ऐसा करने का उनमें साहस न था। फिर भी उन्होंने इस्लाम के नव-निर्माण का नाम लेकर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल इस्लाम की मान्यताओं को ढालने का सुझाव दिया।

इकबाल के चिन्तन पर जर्मन दार्शनिक नीत्शे के विचारों का अतिशय प्रभाव था। वे नीत्शे के अतिमानव से प्रभावित थे, किन्तु नीत्शे का अनीश्वरवादी पक्ष उनका प्रेरक नहीं रहा। इस्लाम में उनकी पूर्वासक्ति ने उनके चिन्तन को धार्मिकता का बाना पहना दिया। वे प्रत्येक समस्या का समाधान धर्म में ढूँढ़ने लगे। उनके अनुसार मानव जाति का विकास आध्यात्मिकता द्वारा ही हो सकता था। धर्म को प्रगति का प्रेरक मानते हुये इकबाल ने पार्श्ववादी भौतिकवादी चिन्तन, पूंजीवाद तथा अनीश्वरवादी समाजवाद का विरोध किया।<sup>11</sup> वे द्विवेक के स्थान पर विश्वास को अधिक महत्त्व देते हुये ऐतिहासिक विरागत एवं धर्मजन्य संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानते थे। उनका लोकतन्त्र, लोकप्रिय सम्प्रभुता, लोक-शक्ति आदि राजनीतिक अवधारणाओं में विश्वास नहीं था। वे राजनीति को धर्म से अविच्छिन्न मानते हुये धर्मतन्त्र में पूर्ण निष्ठा रखते थे। उनके अनुसार जीवन का प्रत्येक पक्ष धर्म तत्व से आलोकित था। इकबाल ने इस्लाम के धार्मिक आदेशों के अनुसार "शरियत" में व्यक्त ईश्वरीय सत्ता की सर्वोच्चता के समस्त मानवीय सत्ता को नगण्य माना। वे इस्लाम के अद्वैत का प्रतिपादन करते हुये यह दर्शाना चाहते थे कि

इस्लाम कोई धर्म-संपन्न न होकर संविदाजनित धर्मधर्म के रूप में कल्पित एक राज्य है जिसका अर्थ स्वयं का नैतिक-आध्यात्मिक जीवन है।<sup>12</sup>

मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए 29 दिसम्बर, 1930 को इकबाल ने कहा :

“भारत में तथा अन्य स्थानों पर समाज के रूप में इस्लाम की संरचना इस्लाम की एक निश्चित नैतिक आदर्श पर आधारित संस्कृति से सम्बन्धित है। मेरा मतलब यह है कि मुस्लिम समाज अद्भुत सजातीयता एवं आंतरिक एकता के कारण इस्लामी संस्कृति से सम्बद्ध अधिक नियमों एवं संस्थाओं के दबाव में विकसित हुआ है। यूरोप के राजनीतिक चिन्तन से निस्सृत विचारों ने भारत के तथा भारत के बाहर के वर्तमान मुसलमानों को सीधे से परिवर्तित करना प्रारम्भ कर दिया है। हमारे युवाओं ने उन विचारों से प्रभावित होकर उनके अनुरूप जीवन ढालने का प्रयास किया है। उन्होंने यूरोप में विकसित होने वाले उन विचारों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परखने का प्रयास नहीं किया। यूरोप में ईसाई धर्म प्रारम्भ में केवल मठविषयक माना गया था किन्तु यही कालांतर में विज्ञान-संगठन के रूप में विकसित हुआ। सुधार ने इन विज्ञान-संगठन को विच्छेद आधारित उठाया ताकि किसी धर्म-निरपेक्ष प्रकृति की राजनीति स्थापित हो सके क्योंकि उस समय ईसाई धर्म के साथ ऐसी कोई राजनीति संयुक्त नहीं थी। रूसो तथा सुधार द्वारा प्रभावित बौद्धिक आन्दोलनों ने मानवीय विचारधारारणों को राष्ट्रीय विचार में परिवर्तित करने का प्रयास किया जिसमें भूमिविरोध के साथ आदर्श स्थापित करते हुए राजनीतिक शक्ति के विकास को बल मिला। यदि धर्म की जीवनेतर मान लिया जाय, तब तो ईसाई धर्म के साथ यूरोप में जो कुछ हुआ, वह पूर्णतः प्राकृतिक है। जीसस का मार्गभौमिक नीतिशास्त्र नैतिक एवं राजनीतिक राष्ट्रीय व्यवस्थाओं द्वारा अग्रगण्य कर दिया गया है। यूरोप जिन निष्कर्ष पर पहुँचा है, उसका अन्तिम अर्थ है कि धर्म शक्ति का निम्न त्रिधात्मक है और उसका मानव की भौतिक जीवन की एकरता से कोई लेना-देना नहीं है, किन्तु इस्लाम मानव की एकता को आत्मा तथा पदार्थ की समन्वय-विहीन द्वैतता में विभाजित नहीं करता। इस्लाम में ईश्वर तथा ब्रह्माण्ड, आत्मा तथा पदार्थ, धर्म तथा राज्य आदिक एकरता के सूत्र में बंधे हुए हैं। मानव ऐसे अविच्छिन्न विश्व का नागरिक नहीं है जिसे अन्तर्गत अन्तर्गत आध्यात्मिक विश्व के हित में नकारा जा सके। इस्लाम के अनुसार पदार्थ अन्तर्गत एवं समग्र से अनुभूत आत्मा है। ऐतिहासिक चिन्तन के अनुसार ही यूरोप ने आत्मा तथा पदार्थ को द्वैतता को बिना आत्मोपना के स्वीकार किया है। धार्मिक यूरोप के श्रेष्ठ चिन्तक भी इन त्रुटि को स्वीकार करते हैं किन्तु उनके सम्बन्ध में अन्तर्गत रूप में विश्व को इन विचारधारारणों के निरिच्छेद स्वीकारने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इन आध्यात्मिकता एवं भौतिकता के विभेद की साम्यता के कारण ही ईसाई धर्म यूरोपीय राज्यों के जीवन में अन्तर्गत-अन्तर्गत हो गया है। उनका परिणाम यह हुआ है कि यूरोप के संकुचित राज्य मानवीय उद्देश्यों से अन्तर्गत पर राष्ट्रीय हितों से अन्तर्गत है। वे राज्य ईसाई धर्म की अन्तर्गतता एवं साम्यताओं को ईश्वर से अन्तर्गत अन्तर्गत की स्थापना की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। ईसाई धर्म-संगठनों द्वारा राज्य एकरता को ईश्वर के साम्यता के अन्तर्गत अन्तर्गत करने के अन्तर्गत पर सुधार की

प्रेरणा के अन्तर्गत नष्ट करने का प्रयास जारी है। इस्लाम के विश्व में लूथर की उपस्थिति असंभव है क्योंकि इस्लाम में मध्ययुगीन ईसाई धर्म जैसा कोई चर्च-संगठन नहीं जिससे किसी संहारक को निमंत्रण मिले.... ।<sup>13</sup>

इकबाल ने साम्प्रदायिकता के महत्व को दर्शाते हुए व्यक्त किया, "यह सिद्धांत कि प्रत्येक समूह अपने स्वतन्त्र विकास का अधिकारी है, किसी संकीर्ण सम्प्रदाय की भावना से प्रभावित नहीं है। चारों ओर सम्प्रदायवाद ही सम्प्रदायवाद है। ऐसा समुदाय जो अन्य समुदायों के प्रति बुराई की भावना से प्रेरित हो निम्न एवं अधम है। मैं अन्य समुदायों के रीति-रिवाजों, कानूनों, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रति उच्चतम सम्मान रखता हूँ। नहीं, कुरान की शिक्षा के अनुसार यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आवश्यकता पड़ने पर उनके आराधना-स्थलों की रक्षा करूँ। फिर भी मैं साम्प्रदायिक समूह से प्रेम करता हूँ क्योंकि वह मेरे जीवन एवं व्यवहार का स्रोत है और उसने मुझे वह बनाया है जो मैं आज हूँ; उसने मुझे धर्म, साहित्य-चिंतन, संस्कृति दी है और उसके माध्यम से समस्त अतीत मेरी वर्तमानकालिक चेतना के समक्ष पुनः जीवित हो उठा है। नेहरू रिपोर्ट के निर्माताओं ने भी सम्प्रदायवाद के उच्च आदर्श के मूल्य को स्वीकार किया है। सिन्ध को पृथक् करने का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद के व्यापक अर्थों की दृष्टि से यह कथन कि साम्प्रदायिक प्रान्तों का निर्माण न किया जाय, एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार इस तर्क के समकक्ष है कि पृथक् राष्ट्रों का अस्तित्व ही न हो। दोनों ही कथनों में सत्य का अंश है। किन्तु कट्टरतम अन्तर्राष्ट्रवादी यह स्वीकार करता है कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्वायत्तता के बिना अन्तर्राष्ट्रीय राज्य का निर्माण असमान्य रूप से कठिन है : इसी प्रकार से सम्पूर्ण सांस्कृतिक स्वायत्तता के बिना, तथा सम्प्रदायवाद जो कि अपने अर्द्धे पक्ष में संस्कृति ही है, एक समन्वयकारी राष्ट्र का निर्माण करना असंभव हो जायगा।"<sup>14</sup>

इकबाल ने इस्लाम को राष्ट्रवाद तथा साम्राज्यवाद दोनों से भिन्न श्रेणी में रखते हुये उसे एक कौमी संघ की संज्ञा दी। उन्होंने इस्लाम की मानवीय एकता का प्रतीक बतलाते हुए आदि इस्लाम की और पुनः जाने की प्रेरणा दी। उन्होंने इस्लाम में अन्तर्निहित समानता, स्वतन्त्रता तथा भ्रातृत्व की भावना को इस्लामी मिलन का आधार माना। मिलन अर्थात् मुस्लिम विश्वबन्धुत्व में पूर्ण निष्ठा प्रकट करते हुए इकबाल ने सर्व-इस्लामवाद से अपना सम्बन्ध जोड़ लिया। उनके अनुसार सर्व-इस्लामवाद का यह अर्थ नहीं था कि विश्व के सभी मुसलमानों को एक ही राजनीतिक संगठन में आबद्ध कर दिया जाय। वे इसे ऐसा आदर्श मानते थे जिसके अन्तर्गत जातीयता, राष्ट्रीयता एवं भौगोलिक पृथक्ता का अंश लेशमात्र भी न हो। उनके अनुसार मिलन का सर्वोच्च आदर्श हजरत मोहम्मद के प्रति अगाध श्रद्धाभक्ति है। वे मानवीय विधान की अवमान्यता तथा ईश्वरीय विधान की अहंमन्यता में विश्वास करते थे।<sup>15</sup>

इकबाल ने पूंजीवाद को ईश्वरीय विधान के विरुद्ध बतलाया। वे सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर ईश्वर को समस्त भौतिक सम्पदा का स्वामी मानते थे। उनके अनुसार सम्पत्ति का निजी अधिकार शोषण का प्रतीक था। उन्होंने दम सन्ध में ग्यामिता के विचार को ग्रहण करते हुए व्यक्ति को सम्पत्ति के न्यायी के रूप में माना। वे

भूस्थामियों के शोषण का प्रतिकार करते थे। उनके अनुसार बड़े-बड़े जमींदारों द्वारा जमीन पर घपना एकाधिकार जताने का कोई घधिकार नहीं था क्योंकि पृथ्वी केवल ईश्वर के निमित्त है। हमके विपरीत प्राचरण करने का धर्म ईश्वरीय विधान में अनधिकार चेष्टा है। उनके उपर्युक्त विचारों का यह धर्म नहीं है कि इकबाल समाजवादी थे। समाजवाद का शास्त्रोक्त अद्ययन करने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। किन्तु एक मान्यता-वादी के नाते शोषण का प्रतिकार करते हुये इकबाल ने पूजावाद की समाप्ति या स्वप्न देखा। इकबाल का समाजवादी विचार इस्लाम की मान्यताओं पर आधारित था। वे भौतिकवाद के चकाचौंध कर देने वाले वैभव से दूर रहना चाहते थे। उनकी रचनाओं में निर्धन, दोन, दुःखी मानव के प्रति संवेदना एवं महानुभूति का स्वर गुंजित हुआ। वे निर्धनता, शोषण तथा भ्रष्टाचार का विरोध करने में समाजवादी दिशा देते थे, अन्यथा उनका चितन अनेक स्थितियों में समाजवाद के विपरीत था। उदाहरणार्थ, इकबाल ने भौतिक यस्तुओं के समुचित वितरण को मृग-वृष्ट्या माना। उनकी मान्यता थी कि ऐहिक सुख एवं समृद्धि की प्रतीक कोई भी ध्वंस्य मानव स्वभाव की अष्ट करने वाली थी। वे भौतिक उत्थति के स्थान पर आत्मिक उत्थति में विश्वास करते थे। वे पाश्चात्य देशों द्वारा प्राप्त वैज्ञानिक उपनधिधियों को लोभ एवं अहंकारिता का प्रतीक मानते थे। साम्राज्यवाद का विरोध करते हुये इकबाल ने उसे आधुनिक सभ्यता का कलंक धतलाया। वे अहित द्वारा अहित के शोषण अथवा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर जमाये गये आधिपत्य के विरोधी थे। पूजावाद की साम्राज्यवाद की अणुमंगुलता पर आधारित मानने हुये इकबाल ने न केवल साम्राज्यवाद का ही विरोध किया, अपितु वे राष्ट्रवाद को भी ऐष्ट में देखते थे।<sup>16</sup> वे कालमाकर्म के धर्म विरोधी एवं नारितवतावादी विचारों के आलोचक थे। वे अमरत विश्व में ईश्वर की गता का दर्शन करते थे।

प्रारम्भ में सर्वध्यायी ब्रह्म में विश्वास रखने वाले इकबाल अनेक अनेक अंधकार ईश्वरवादी बन गये। वे इस्लाम धर्म को अपना केन्द्र बिन्दु मानकर कुरान की आशयों में छो गये। उनका सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण एकेश्वरवाद में परिवर्तित हो गया। वे आध्यात्मिक चिन्तन की तुलना में आधुनिक मान्यताओं में अधिक प्रभावित हो गये। वे ईश्वर की गता की सर्वोच्च मान्य हुये मानव इतिहास में ईश्वरीय गता के मोहेश्वरवाद को दुन्दुने लगे। वे मानते थे कि परमगता साक्षर उद्देश्यपूर्ण एवं मूर्तनामक की अद्वैत आध्यात्मिक विश्वदर्शन था। इकबाल भौतिकवादियों के बट्ट आलोचक थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि इश्वरगत की मूल्यता की स्वीकार किया जाय। वे भौतिक विज्ञान के अन्तर्गत मान की सीमित एवं अज्ञानपूर्ण आशयों में क्योंकि उनकी दृष्टि में भौतिक

समान पुनरावृत्त होने की धारणाओं में निष्ठा नहीं रखते थे। उनकी दृष्टि में देश बृद्धकाल तथा समयतीत आत्मानुभूति में यही अन्तर था कि पहली स्थिति सीमाओं से आच्छादित थी, तो दूसरी नियंत्रण-विहीन शाश्वतता का बोध कराती थी। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये क्रमबद्ध काल का उपयोग करता है। अष्ट्यात्मिक सत्ता के कारण व्यक्ति विश्व की वृद्धि का अनुभव करते हुए नवीन सम्भावनाओं के परिवेश में पूर्णत्व को प्राप्त करता है। व्यक्ति का आदि अवश्य है किन्तु उसका कोई अन्त नहीं। पार्थिव अस्तित्व समाप्त हो जाने पर भी व्यक्तित्व का लोप नहीं होता। व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य की पूर्ति, आत्मनियंत्रण तथा स्वयं के विकास की संभावनाओं का पूर्ण उपयोग किया जाता है। आत्मानुभूति के लिये व्यक्ति को संघर्ष तथा तनाव के वातावरण में रहना पड़ता है। संघर्ष व्यक्ति को स्वतन्त्रता की महत्ता का बोध कराता है। व्यक्तित्व की अनुभूति, सामाजिक जीवन का अनुभव तथा ईश्वरीय शक्ति का बोध व्यक्ति को ईश्वरीय गुणों से विभूयित कर ईश्वर के सदृश ऊपर उठने की प्रेरणा है। कर्मविहीन व्यक्ति का जीवन नेष्ट है। अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती किन्तु आत्मिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति सफल होने पर अमरत्व सदृश स्थिति में पहुँचा देती है।<sup>18</sup>

इकबाल ने नीतेशे के प्रभाव में अतिमानव की स्थिति को स्वीकार किया है किन्तु उनके विचारों का अतिमानव नीतेशे के अतिमानव से भिन्न है। इकबाल ऐसा अतिमानव चाहते हैं जो आत्म-नियंत्रण रखता हो एवं ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप कार्य करने की स्थिति में हो। अतिमानव की स्थिति को समस्त समाज द्वारा स्वीकृत करना ही होता है, क्योंकि वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में होता है। ईश्वर अतिमानव के माध्यम से अपना सन्देश एवं अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुये मानव कल्याण के लिये उसे प्रेरित करता है। इकबाल ने तत्त्वशास्त्रीय चिन्तन का विरोध किया है। वे चाहते हैं कि चिन्तन एवं पारलौकिक सन्दर्भों के भ्रम से दूर रह कर व्यक्ति को लौकिक जीवन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। वे सामूहिक जीवन के महत्त्व पर बल देते हुये इस्लाम की सामूहिक प्राप्ति की पद्धति एवं भाईचारे की भावना को न केवल आत्मिक दृष्टि से अपितु राजनीतिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण मानते हैं। इकबाल ने साथ ही साथ व्यक्तिवाद का भी प्रतिपादन किया है जिसके अन्तर्गत वे ऐसे व्यक्तियों को समाज के दिशाबोध के लिये आवश्यक मानते हैं जो आत्मिक शक्ति के प्रस्फुरण से समस्त समाज को आलोकित करते हैं।<sup>19</sup> इकबाल ने यूनान के उच्च दार्शनिक चिन्तन का विरोध किया है। वे सुफियों के चिन्तन के भी विरुद्ध हैं। उनका कर्मयोग में विश्वास दिखाई देता है। भगवान् श्रीकृष्ण के कर्मयोग का इकबाल पर अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने हेगल के द्वन्द्वात्मक आध्यात्मिकवाद के विस्तृत विचारों के अनुरूप अवयवी निरपेक्ष स्वत्व को स्वीकार किया है।

इकबाल ने सृजनात्मक जीवन की शाश्वतता में पूर्ण निष्ठा प्रकट करते हुए नियतिवाद एवं परलोकवाद की धारणाओं पर कठोर प्रहार किया है। वे आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के परम उपासक हैं। उन्होंने तकदीर एवं तदबीर दोनों को ही स्वीकार किया है। तदबीर द्वारा सृजन की असोमित शक्ति मानव को प्राप्त होती है, जबकि इस बात के अनुसार तकदीर भाग्य मान न होकर शाश्वत काल का रूप है जिसे व्यक्ति अपने आत्म-विकास के लिए प्रयुक्त करने की स्वतन्त्रता रखता है। तकदीर व्यक्तित्व के विकास का अवसर



उपलब्ध कराती है। उनकी यह धारणा धार्मिक सौकतन्त्र का पोषण करती है जिसमें व्यक्ति के विकास की सम्भावनाओं का अन्त नहीं है। फिर भी इकबाल ने इस्लाम की मान्य गिषाओं के अनुसूचित रूप धरने-धारण को सौकतन्त्र से दूर रखने का प्रयास किया है ताकि वे सौकिक सत्ता एवं धार्मिक सत्ता के द्वन्द्व में न पड़ें। वे व्यक्ति के विकास को महत्व देकर भी सौकप्रिय सम्प्रभुता से दूर हैं। सौकतान्त्रिक संस्थाओं के स्वतन्त्र व्यवहार को वे स्वीकार नहीं करते। वे धार्मिक उपदेशों अथवा कुरान की गिषाओं के अनुसूचित समाज चाहते हैं जिसमें धार्मिक सत्ता की चुनौती नहीं दी जा सकती।<sup>20</sup> सौकिक उद्देश्यों के निर्वाह के लिये ईश्वरीय सत्ता का प्रयोग कर्म होगा, इसका उत्तर इकबाल के पास नहीं है। वे भारत के प्रभुत्व को चुनौती देने के स्थान पर उसके पूर्ण दाम दियाई देने हैं। वे सौकिक नेतृत्व को साम्प्रदायिक नेतृत्व के समतल बसि देकर पुरातनपरम्परी विचारों को पुनर्जीवित करते दियाई देते हैं। उनके विचारों में सौकतन्त्र के प्रति अत्यन्त दुर्भावनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि वे फासीवादी दृष्टिकोण का पोषण कर रहे हैं तथा धर्मग्रन्थों को बढ़ावा देकर व्यक्ति को बलात् धार्मिक प्रतिमान के बन्धीभूत करना चाहते हैं। यह धारणा उनकी दार्शनिकता का द्विधनापन प्रस्तुत करती है। उनके विचारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निरन्तर प्रभाव है क्योंकि उनके विचार अनेक पूर्वग्रहों में अन्त रहे हैं।

### समीक्षा

शेख मोहम्मद इकबाल के चिन्तन से यह स्पष्ट है कि वे भारत के प्रति अत्यन्त ही भावना में अन्त नहीं थे। वे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से परिचित होकर भी इस्लाम की इन मान्यताओं में विश्वास रखते थे कि यदि इस्लाम में विश्वास रखने वाले किसी व्यक्ति को इस्लामी जीवन व्यतीत करने में कठिनाई अनुभव होती हो तो उसे हजरत मोहम्मद की तरह वह देग छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिये। वे मदीना को मुगलमानों का एकमात्र धार्मिक स्थल मानते हुए इस्लाम की कौमियत को किसी भी विरोध से जोड़ना समझ नहीं करते थे। उन्होंने रमून-ए-बेनुदी (1918) में व्यक्त किया कि इस्लाम में विश्वास रखने वाला हजरत मोहम्मद को अन्तिम पैगम्बर मानते हुए अपने को किसी भी देग से जुड़ा हुआ नहीं मानता, यह तो ईश्वर की एकता में विश्वास रखना है। वे कौमियत को राष्ट्र की सीमाओं में सीमित रखने के विरोधी थे। उनका कहना था कि भारत में एक कौमियत (राष्ट्रीयता) को स्थापित करना सर्व्व पर्य्यप्त है क्योंकि "जिस प्रकार अधिकांश धार्मिक कार्य्य करने वाली सुन्नी अधिकांश अरब नहीं हैं, उसी प्रकार हम सब में भी कोई अधिकांश नहीं निश्चय कर सकते.....अरे विचार से एक कौम होता अन्त नहीं है"।<sup>21</sup>

इकबाल ने भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिये स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापित करने की बात कही। उन्हें यह डर था कि यदि मुगलमानों के सही विचारों का राष्ट्रीयता से अन्त-धारण जोड़ दिया तो इस्लाम उनके लिये केवल अरबों शब्द तक ही सीमित रह जायगा। वे इस्लाम को स्थापित रखने तथा मुगलमानों को अन्त-धारण करने का आग्रह इन कारणों से करते थे कि इस्लाम के मुगलमानों का अन्त-धारण अधिकांश अल्पसंख्यकों को अन्त-धारण का विरोध करने रहे और मुस्लिम अधिकांश पर अपने लिये अन्त-धारण को दूर करने का उन्हें निश्चय अन्त-धारण किया ताकि

समान पुनरावृत्त होने की धारणाओं में निष्ठा नहीं रखते थे । उनकी दृष्टि में देश-वृद्धकाल तथा समयातीत आत्मानुभूति में यही अन्तर था कि पहली स्थिति सीमाओं से आच्छादित थी, तो दूसरी नियंत्रण-विहीन शाश्वतता का बोध कराती थी । व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये क्रमबद्ध काल का उपयोग करता है । अध्यात्मिक सत्ता के कारण व्यक्ति विश्व की वृद्धि का अनुभव करते हुए नवीन सम्भावनाओं के परिवेश में पूर्णत्व को प्राप्त करता है । व्यक्ति का आदि अवश्य है किन्तु उसका कोई अन्त नहीं । पार्थिव अस्तित्व समाप्त हो जाने पर भी व्यक्तित्व का लोप नहीं होता । व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य की पूर्ति, आत्मनियंत्रण तथा स्वयं के विकास की संभावनाओं का पूर्ण उपयोग किया जाता है । आत्मानुभूति के लिये व्यक्ति को संघर्ष तथा तनाव के वातावरण में रहना पड़ता है । संघर्ष व्यक्ति को स्वतन्त्रता की महत्ता का बोध कराता है । व्यक्तित्व की अनुभूति, सामाजिक जीवन का अनुभव तथा ईश्वरीय शक्ति का बोध व्यक्ति को ईश्वरीय गुणों से विभूषित कर ईश्वर के सदृश ऊपर उठने की प्रेरणा है । कर्मविहीन व्यक्ति का जीवन नेष्ट है । अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती किन्तु आत्मिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति सफल होने पर अमरत्व सदृश स्थिति में पहुंचा देती है ।<sup>18</sup>

इकबाल ने नीत्शे के प्रभाव में अतिमानव की स्थिति को स्वीकार किया है किन्तु उनके विचारों का अतिमानव नीत्शे के अतिमानव से भिन्न है । इकबाल ऐसा अतिमानव चाहते हैं जो आत्म-नियंत्रण रखता हो एवं ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप कार्य करने की स्थिति में हो । अतिमानव की स्थिति को समस्त समाज द्वारा स्वीकृत करना ही होता है, क्योंकि वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में होता है । ईश्वर अतिमानव के माध्यम से अपना सन्देश एवं अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुये मानव कल्याण के लिये उसे प्रेरित करता है । इकबाल ने तत्त्वशास्त्रीय चिन्तन का विरोध किया है । वे चाहते हैं कि चिन्तन एवं पारलौकिक सन्दर्भों के भ्रम से दूर रह कर व्यक्ति को लौकिक जीवन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है । वे सामूहिक जीवन के महत्त्व पर बल देते हुये इस्लाम की सामूहिक प्रार्थना की पद्धति एवं भाईचारे की भावना को न केवल धार्मिक दृष्टि से अपितु राजनीतिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण मानते हैं । इकबाल ने साथ ही साथ व्यक्तिवाद का भी प्रतिपादन किया है जिसके अन्तर्गत वे ऐसे व्यक्तियों को समाज के दिशाबोध के लिये आवश्यक मानते हैं जो आत्मिक शक्ति के प्रस्फुरण से समस्त समाज को आलोकित करते हैं ।<sup>19</sup> इकबाल ने यूनान के उच्च दार्शनिक चिन्तन का विरोध किया है । वे सूफियों के चिन्तन के भी विरुद्ध हैं । उनका कर्मयोग में विश्वास दिखाई देता है । भगवान् श्रीकृष्ण के कर्मयोग का इकबाल पर अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है । उन्होंने हैगल के द्वन्द्वात्मक आध्यात्मिकवाद के विस्तृत विचारों के अनुरूप अवयवी निरपेक्ष स्वत्व को स्वीकार किया है ।

इकबाल ने सृजनात्मक जीवन की शाश्वतता में पूर्ण निष्ठा प्रकट करते हुए नियतिवाद एवं परलोकवाद की धारणाओं पर कठोर प्रहार किया है । वे आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के परम उपासक हैं । उन्होंने तकदीर एवं तदवीर दोनों को ही स्वीकार किया है । तदवीर द्वारा सृजन की असीमित शक्ति मानव को प्राप्त होती है, जबकि इस बात के अनुसार तकदीर भाग्य मात्र न होकर शाश्वत काल का रूप है जिसे व्यक्ति अपने आत्म-विकास के लिए प्रयुक्त करने की स्वतन्त्रता रखता है । तकदीर व्यक्तित्व के विकास का अवसर

उपलब्ध कराती है। उनकी यह धारणा धार्मिक लोकात्मता का पोषण करती है जिसमें व्यक्ति के विकास की सम्भावनाओं का धन नहीं है। फिर भी इकबाल ने इस्लाम की मान्य गिटाओं के अनुरूप अपने-आपको लोकात्मता से दूर रखने का प्रयास किया है ताकि वे लौकिक सत्ता एवं धार्मिक सत्ता के द्वन्द्व में न पड़ें। वे व्यक्ति के विकास को महत्व देकर भी लोकात्मता सम्प्रभुता से दूर हैं। लोकात्मिक संस्थाओं के स्वतन्त्र व्यवहार को वे स्वीकार नहीं करते। वे धार्मिक उपदेशों भ्रमण कुरान की गिटाओं के अनुरूप समाज चाहते हैं जिसमें धार्मिक सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती।<sup>20</sup> लौकिक उद्देश्यों के निर्वाह के लिये ईश्वरीय सत्ता का प्रयोग कैसे होगा, इसका उत्तर इकबाल के पास नहीं है। वे शरियत के प्रभुत्व को चुनौती देने के स्थान पर उसके पूर्ण दास दिखाई देते हैं। वे लौकिक नेतृत्व को साम्प्रदायिक नेतृत्व के समक्ष बलि देकर पुरातनपन्थी विचारों को पुनर्जीवित करते दिखाई देते हैं। उनके विचारों में लोकात्मता के प्रति व्यक्ति दुर्भावनाओं में ऐसा प्रतीत होता है कि वे फासीवादी दृष्टिकोण का पोषण कर रहे हैं तथा धार्मिकता को बढ़ावा देकर व्यक्ति को बलात् धार्मिक प्रतिमान के बंधीभूत करना चाहते हैं। यह धारणा उनकी दार्शनिकता का द्विधनापन प्रस्तुत करती है। उनके विचारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नितान्त अभाव है क्योंकि उनके विचार अनेक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहे हैं।

### समीक्षा

सर मोहम्मद इकबाल के चिन्तन से यह स्पष्ट है कि वे भारत के प्रति देशप्रेम की भावना से अंधित नहीं थे। वे धार्मिक ज्ञान-विज्ञान से परिचित होकर भी इस्लाम की इन मान्यता में विश्वास रखते थे कि यदि इस्लाम में विश्वास रखने वाले किसी व्यक्ति को इस्लामी जीवन व्यतीत करने में कठिनाई अनुभव होती हो तो उसे हजरत मोहम्मद की तरह वह देश छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिये। वे मदीना की मुसलमानों का एकमात्र धार्मिक मानने हुये इस्लाम की कौमियत को किसी भूमि-विशेष से जोड़ना पसन्द नहीं करते थे। उन्होंने रमूज-ए-अब्लुदी (1918) में व्यक्त किया कि इस्लाम में विश्वास रखने वाला हजरत मोहम्मद को अन्तिम पैगम्बर मानते हुये अपने को किसी भी देश से जुड़ा हुआ नहीं मानता, यह तो ईश्वर की एकता में विश्वास रखता है। वे कौमियत को राज्य की नीमाओं में सीमित रखने के विरोधी थे। उनका कहना था कि भारत में एक कौमियत (राष्ट्रीयता) की बात करना अर्थ है कि क्योंकि "जिस प्रकार अधिक धार्मिक करने वाली सुर्मा अधिक अच्छे नहीं देती, उसी प्रकार इन देश में भी कोई परिणाम नहीं निरव सक्ता.....मेरे विचार में एक कौम होना अच्छा नहीं है...."<sup>21</sup>

इकबाल ने भारत के मुस्लिम सत्तमंदरको के लिये स्वतन्त्र राज्य प्राप्त करने की बात कही। उन्हें यह डर था कि यदि मुसलमानों ने यही हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता में अपने-आपको जोड़ दिया तो इस्लाम उनके लिये केवल नीचा क्षेत्र तक ही सीमित रह जायगा। वे इस्लाम को सुरक्षित रखने तथा मुसलमानों को कविशकारी बनाने का धार्मिक इन कारण कर रहे थे कि इनके माध्यम से मुसलमानों का पृथक राजनीतिक अस्तित्व कायम हो सके। वे मुसलमानों में जाति-अंधा का विरोध करने रहे और मुस्लिम समाज पर पड़ने वाले हिन्दू-अंधा को दूर करने का उन्होंने निम्नर अर्थ किया ताकि

मुसलमानों का शुद्धीकरण होता रहे। वे मुसलमानों को हृदिच्छ मुसलमान देवना चाहते थे और "मिल्लत" के आधार पर उन्हें संगठित करना चाहते थे। वे सर्वइस्लामवाद के समर्थक थे। वे इस्लाम के विश्व-व्यापी महत्त्व को दर्शाते हुये भारत के मुसलमानों को अन्य समुदायों से पृथक् रखना चाहते थे किन्तु इकबाल का उद्देश्य सीमित था। वे विश्व के समस्त मुसलमानों को एकीकृत करने के स्थान पर भारतीय मुसलमानों को संगठित करने में रुचि रखते थे। यही कारण था कि इकबाल ने खिलाफत आन्दोलन का विरोध किया था। उन्हें एक और टर्कों के खलीफा में रुचि नहीं थी तो दूसरी ओर वे खिलाफत के कारण उत्पन्न हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक सद्भाव के विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि यदि यह साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा तो भारत के मुसलमानों की पृथक्ता का नाटक अधिक समय नहीं चल पायेगा। अतः इकबाल ने बतनियत तथा कौमियत के राजनीतिक सिद्धान्तों को इस्लाम की एकरूपता के सिद्धान्त का विरोधी घोषित कर प्रस्वीकार कर दिया ताकि भारत के मुस्लिम घल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा मिलती रहे।

इकबाल ने भारत में पश्चिमी लोकतान्त्रिक प्रणाली लागू करने का भी विरोध किया। वे लोकतान्त्रिक प्रणाली को एकतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था से कम निरंकुश नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में लोकतान्त्रिक शासन भ्रष्टाचार एवं दुर्बलताओं का प्रतीक था।<sup>22</sup> इकबाल की लोकतन्त्र के प्रति अनिच्छा का कारण स्पष्ट था। वे भारत में मुसलमानों की संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के समर्थक थे। विशेषतः पंजाब में मुसलमानों की बहुसंख्या बनाये रखने की उन्हें विशेष चिन्ता थी। ऐसी स्थिति में लोकतन्त्रात्मक पद्धति में उनका अविश्वास आश्चर्य का कारण कैसे हो सकता था! इस पर भी इकबाल ने यह बहाना बनाया था कि वे लोकतन्त्र की आड़ में किसी भी एक धार्मिक सम्प्रदाय के अधिपत्य से बचना चाहते थे। मुसलमानों के पृथक् अस्तित्व की दुहाई देते हुये इकबाल ने कहा कि "भारत में कोई कौम रहती है। इसलिए पश्चिमी ढंग का प्रजातन्त्र भारत के लिये उम समय तक अनुचित है जब तक कि एक इस्लामी भारत न स्थापित कर दिया जाय"।<sup>23</sup> इकबाल ने मुस्लिम राष्ट्रीयता का महत्त्व बतलाते हुये कहा कि "भारत में यदि कोई कौम रहती है तो वह मुसलमान ही है, हिन्दुओं को वह एकता प्राप्त नहीं हुई जो एक कौम बनने के लिए आवश्यक है।"<sup>24</sup> इकबाल ने कहा कि "भारत एशिया का सूक्ष्म रूप है। भारत विभिन्न मानवीय समुदायों का ऐसा देश है जहाँ भिन्न-भिन्न जातियों भाषाओं तथा धर्म हैं।"<sup>25</sup> इस प्रकार इकबाल ने भारत की सामाजिक एकता का विरोध किया और यह इच्छा व्यक्त की कि "पंजाब, उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, सिन्ध और बलूचिस्तान को एक ही राज्य में मिला दिया जाये, चाहे यह राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता प्राप्त करे अथवा उसके बाहर..... मैं केवल भारत और इस्लाम की भलाई के विचार से एक संगठित इस्लामी राज्य की स्थापना की मांग कर रहा हूँ। इससे भारत में शक्ति-गन्धुलन हो जाने में शान्ति स्थापित रहेगी....भारत के मतभेदों को दूरने हमें ऐसे स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना कर दी जाये जो भाषा, जाति, इतिहास, धर्म और आर्थिक लाभ के आधार पर स्थापित हो।"<sup>26</sup> अपने इन उद्गारों में इकबाल पाकिस्तान राज्य के निर्माता बन गये।

इकबाल के चिन्तन की सीमाओं तथा दुर्बलताओं का यह अर्थ नहीं है कि मुस्लिम राजनीतिक तथा सामाजिक विचारधाराओं के अध्ययन की दृष्टि से उनसे विचारों का

कोई महत्त्व नहीं। इकबाल ने मुस्लिम चिन्तन को गरिमायुक्त बनाया ही है। कविता एवं दार्शनिक चिन्तन दोनों के माध्यम से इकबाल ने इस्लामी संस्कृति, धर्म तथा राजनीति को सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की है। इकबाल के चिन्तन में शक्ति को प्रेम में, अहं को मौन्य में तथा विवेक को रहस्यवाद में जीतने का प्रयास किया गया है। उन्होंने जिजीविषा को जीवन का आधार मान कर पलायनवादी प्रकृति का विरोध किया है। वे व्यक्ति के व्यक्तित्व को उत्प्रेरित एवं विकसित करने के उच्च धरातल पर पहुँचाना चाहते हैं जहाँ ईश्वर के साप्रेरित में पारम्परिक ममानता का यातावरण उपस्थित हो सके। □ □

### टिप्पणियाँ

1. देखिये एमिनेट मुसलमान्स : बायोग्रैफिकल एण्ड क्रिटिकल स्केचेस, पृ. 386
2. बी डेवलपमेण्ट ऑफ़ मेडाकिजिबल इन पर्सिया, (गुजरात एण्ड बी. एन. 1903)
3. गमयू (म.), एनीवेअर एण्ड स्टेटेमेण्ट्स ऑफ़ इकबाल (अन-मनार प्रकाशनी, लाहौर, 1945) पृ. 73-76
4. वही, पृ. 74
5. रजिया पारहून बानु. गुनबात-ए-इकबाल (देहली, 1946), पृ. 36
6. आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारण, पृ. 102-103
7. देखिये इस्लामवी ऑफ़ इण्डिया, पृ. 372
8. देखिये एनलिटिड इण्डिया फोर ओइय, (1940) पृ. 50
9. आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारण, पृ. 125-126
10. गिरण लंशर्न जाल बी रोकरादुबान ऑफ़ रिनीजिबल यौट इन इस्लाम (कूरु आर्टे रिनिजिबल पब्लि, लाहौर, 1930) पृ. 218-220

मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म खोजा मुस्लिम परिवार में 25 दिसम्बर 1876 को कराची में हुआ था।<sup>1</sup> 11 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह काठियावाड़ की अमाई बाई से हुआ। 1892 में वे कानून का उच्च अध्ययन करने इंग्लैंड गये। वहाँ उनको अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला। वे 1896 में बैरिस्टर बन कर कराची लौटे। तत्पश्चात् 1906 में वे दादाभाई नौरोजी के सचिव के रूप में कांग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन में सम्मिलित हुए। यहीं से उनका राजनीतिक जीवन प्रारम्भ होता है। 1910 में बम्बई के मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में वे सामाजिक विधायी परिषद् के सदस्य चुने गये। 1914 में वे मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गये। 1918 में उन्होंने अपना विवाह अपने पारसी मित्र सर दीनशाह पेटिट की पुत्री रतनबाई (रत्ती) पेटिट से मुस्लिम प्रथा के अनुसार किया जो कि उनसे उम्र में 24 वर्ष छोटी थी। कांग्रेस के दिसम्बर 1920 के नागपुर अधिवेशन के पश्चात् उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। 1929 में रत्ती जिन्ना की भी मृत्यु हो गई। 1930 में उन्होंने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1940 में लाहौर मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी वर्ष उनकी 64वीं वर्षगांठ पर उन्हें 'कायदे-आजम' का खिताब दिया गया। 1944 में उनकी गांधीजी के साथ वार्ता हुई जिसमें गांधीजी ने उनकी पृथक् मुस्लिम राज्य की मांग को कतिपय शर्तों के साथ कांग्रेस के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। जिन्ना ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और वार्ता असफल हो गयी। 1945 में जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस को चेतावनी दी कि यदि वे भारत की स्वतन्त्रता को यथाशीघ्र चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये। 1946 में लीग ने सविधान निर्मात्री सभा के 76 मुस्लिम स्थानों पर अधिकार कर लिया और कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर "मोघी कार्यवाही" की स्वीकृति दी जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में हिन्दुओं को दंगों में जन-हानि उठानी पड़ी। 1947 में लार्ड माउन्टबेटन ने घोषणा की कि मई में भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। अगस्त 1947 में ही पाकिस्तान बनने पर जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर-जनरल बने। 1948 में जिन्ना की क्षयरोग से कराची में मृत्यु हुई।<sup>2</sup>

### जिन्ना के राजनीतिक विचार

मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रच्छन्न रूप से सर सैयद अहमद खां के साम्प्रदायिक विचारों का अक्षरशः पालन ही नहीं किया, अपितु उन पर चल कर भारत के मुसलमानों के एकमेव नेता बनने में सफलता भी प्राप्त की। जिन्ना के कट्टर मुस्लिम लीग बनने के पश्चात् उनके भाषणों में न केवल सर सैयद की भाँषों को दोहराया गया, अपितु वहीं-वहीं बंसी की बंसी ही गन्दावली का प्रयोग किया गया जैसी कि सर सैयद ने प्रयुक्त की थी।<sup>3</sup> यह कहना कि जिन्ना अपने राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ में हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे किन्तु बाद में वे मुस्लिम लीग के नेता के रूप में मुसलमानों के ही पक्षधर बन गये, तथ्यों के आधार पर स्वीकार करने योग्य नहीं है। जिन्ना ने प्रारम्भ से ही अपनी साम्प्रदायिक संकीर्णता का परिचय दिया जो दिन प्रतिदिन उग्र से उग्रतर होता चला गया। 1911 में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के सम्बन्ध में प्रिंसी काउन्सिल के विमो निर्वय के विरुद्ध इंडियन सेजिस्ट्रेटिव काउन्सिल में बोलते हुए जिन्ना ने व्यक्त किया था: "इस्लामी विधि प्रणाली में लोकनीति का कोई स्थान नहीं"। मैं किसी भी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हूँ जो मुसलमानों के व्यक्तिगत नियमों का उल्लंघन करे। मेरे हिन्दू मित्र मुझ से इस बात में सहानुभूति करेंगे कि मैं अपनी विधि-प्रणाली से इस सीमा तक बंधा हुआ हूँ कि मैं उसे बदलने में असमर्थ हूँ।"<sup>4</sup>

जिन्ना ने मुसलमानों के हितों को लाभ पहुँचाने का कार्य करने की बमो नहीं रगि। वे अल्प मुसलमान नेताओं से पीछे नहीं रहना चाहते थे। उनकी सृष्टिकारी राजनीति से घनेक वर्षों तक यह पता न चल सका कि जिन्ना के राजनीतिक विचारों का साम्प्रदायिक आधार क्या है? वे जब धर्म-निरपेक्षता के समर्थक बन गये और बंसे मोछसे ने उन्हें हिन्दू मुस्लिम एकता के सिधे कार्य करने के योग्य माना तथा जिन्ना की 'मुस्लिम मोछसे' बनने की अभिलाषा में गरयता का बितना अंश था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जिन्ना के बाद के जीवन से स्वतः प्राप्त होने लगा। जिन्ना का कायापलट आयधिक महारबुधं था। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन "मुस्लिम मोछसे" बनने की आशा से प्रारम्भ किया और उनकी परिणति "मुस्लिम महारामा" में हुई। वे महारामा की नापगन्द करने से किन्तु उनके समान महारा प्राप्त करने के अक्षर को नहीं।<sup>6</sup>

आवश्यक था कि वे हिन्दू-मुस्लिम एकता की दुहाई भी साथ-साथ देते रहें।<sup>9</sup>

जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों को संगठित होकर पूर्ण मतैक्य से अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने का आह्वान किया। उनके अनुसार मुसलमान एक अल्पसंख्यक वर्ग मात्र न होकर एक पृथक् कौम (राष्ट्रीयता) थे। वे मुसलमानों को पृथक् राष्ट्रीयता का दर्जा देना चाहते थे ताकि हिन्दुओं तथा मुसलमानों में बराबरी की स्थिति मानी जा सके। सखनऊ के कांग्रेस-लीग समझौते में मुसलमानों के लिये पृथक् प्रतिनिधित्व की बात मनवाकर मुस्लिम लीग के नेताओं ने विशेष ध्याति अर्जित कर ली थी। कांग्रेस ने यह कार्य मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से किया था, किन्तु जिन्ना जैसे मुस्लिम नेता इसे अपनी विजय मानते हुये भविष्य में इसी प्रकार से अंग्रेजों तथा कांग्रेस से इच्छानुसार रियायतें स्वीकार कराने का मार्ग अपनाना चाहते थे। जिन्ना का यह रवैया निरन्तर बढ़ता गया। 1925 में कांग्रेस की सर्वदल सम्मेलन से सम्बन्धित समिति में जिन्ना ने सखनऊ समझौते को अर्पणित एव अस्थायी बतलाते हुये पंजाब तथा बंगाल प्रान्त में जहाँ कि मुसलमानों की संख्या अधिक थी, मुसलमानों को प्रांतीय व्यवस्थापिका में बहुमत दिलवाने की माग प्रस्तुत की।<sup>10</sup> उन्होंने यह प्रचार भी किया कि भारत के मुसलमानों को हिन्दुओं में विश्वास नहीं रहा, अतः वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते रहेंगे। चूँकि समय पूर्णतया जिन्ना के अनुकूल न था और स्वयं मुसलमानों में उलेमाओं, मौलानाओं, मौलवियों तथा प्रांतीय नेताओं का बोल-बाला था, अतः जिन्ना ने समय-समय पर हिन्दुओं तथा कांग्रेस से सहयोग की बात कही ताकि दोनों दल एवं सम्प्रदाय मिलकर अंग्रेजों से भारत में उत्तरदायी शासन तथा सेवाओं में भारतीयकरण की मांग मनवा सकें।<sup>11</sup>

कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की माग जैसे-जैसे बलवती होती गयी, जिन्ना द्वारा मुस्लिम हितों के संरक्षण की दलील भी विस्तृत होने लगी। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों के गठन का ध्येय लेकर जिन्ना ने सिन्ध को बम्बई प्रान्त से अलग करने तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा बलूचिस्तान में अन्य प्रान्तों के समान उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की माग प्रस्तुत की। मुसलमानों की हठधर्मिता को देखकर ही लाला लाजपतराय ने भारत के विभाजन का पूर्वाम्भ दिया था।<sup>12</sup> जिन्ना ने लाजपतराय के उस कथन को लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग के अधिवेशन (1940) में तोड़-मरोड़ कर दोहराया और कहा कि यदि भारत के शासन को मुसलमानों की माग के कारण नोक्तांत्रिक आधार पर नहीं चलाया जा सकता, तो मुसलमान भी बहुसंख्यकों के शासन के अन्तर्गत रहना पसन्द नहीं करेंगे।<sup>13</sup>

दूसरे पहले जिन्ना ने 1926 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा कि-

1. देश की प्रत्येक निर्वाचित मभा में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त तथा प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये तथा किसी भी बहुमत को अल्पमत प्रभाव गमानेता में नहीं बदला जाना चाहिये।
2. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित रहनी चाहिये।
3. देश में प्रांतीय पुनर्गठन करते समय पंजाब, बंगाल और उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त में मुस्लिम बहुमत कम नहीं होना चाहिये।



सेवाओं में तथा स्थानीय संस्थाओं में मुसलमानों को उचित अनुपात में स्थान दिये जायेंगे।

12. मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत नियमों और राज्य से उपलब्ध अनुदान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
13. केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों में एक तिहाई स्थान मुस्लिम मंत्रियों के लिये सुरक्षित रखे जायें।
14. केन्द्रीय व्यवस्थापिका के संविधान में राज्यों की स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन न किया जाय।<sup>15</sup>

जिन्ना के इन चौदह सूत्रों का महत्व तब सामने आया जब रेमजे मैकडोनल्ड की सरकार ने साम्प्रदायिक पंचाट (1932) में उन्हें पूर्ण मान्यता प्रदान कर दी।<sup>16</sup> इस मध्य जिन्ना ने भारत को 'डोमिनियन स्टेटस' दिलाने की मांग की ताकि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग कमजोर पड़ जाय। इंग्लैण्ड की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया। जिन्ना की आवाज कुछ समय के लिये अनसुनी कर दी गई, क्योंकि कांग्रेस को समर्थन देने वाले मुस्लिम नेताओं तथा अन्य मुसलमान नेताओं के समक्ष जिन्ना का नेतृत्व फीका पड़ गया था। जिन्ना ने कुछ समय के लिये राजनीति से पलायन कर बकासत में अपना ध्यान लगाया। साम्प्रदायिक पंचाट की घोषणा के बाद जिन्ना पुनः राजनीति में कूद पड़े। अंग्रेजी शासन ने साम्प्रदायिक पंचाट के द्वारा हिन्दुओं के साथ घोर अन्याय किया था। बंगाल में जहाँ मुसलमानों की आबादी 54.8 प्रतिशत तथा हिन्दुओं की आबादी 44.8 प्रतिशत थी वहाँ मुसलमानों को प्रान्तीय व्यवस्थापिका के 250 स्थानों में से 119 स्थान दिये गये जबकि हिन्दुओं को केवल 80 स्थान ही मिले। पंजाब में हिन्दू तथा सिक्ख अल्पसंख्या में थे। वहाँ भी उन्हें वे सुविधायें नहीं दी गईं जो भारत के अन्य प्रान्तों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दी गई थीं। इससे भी अधिक शरारत जिन्ना द्वारा 1935 के अधिनियम की संधीय व्यवस्था को केन्द्रीय विधान परिषद् द्वारा प्रामाण्य ठहरा कर की गई। 1936 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को भारतव्यापी स्तर पर संगठित कर निर्वाचनों में भाग लेने का निर्णय किया। निर्वाचन में कांग्रेस की अधिकतर प्रान्तों में मंत्रिमण्डल बनाने का मुश्किल प्राप्त हुआ। जिन्ना ने कांग्रेस की विजय देखकर कांग्रेसी मंत्रिमण्डल पर यह आरोप लगाया कि वे मुसलमानों के हितों के विपरीत कार्य कर रहे थे तथा मुसलमानों को उनकी मान्यताओं के विपरीत 'बन्दे मातरम्' गान, हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन तथा कांग्रेसी ध्वज को सम्मान देने के लिये विवश कर रहे थे। जिन्ना द्वारा जवाहरलाल नेहरू के साथ पत्र-व्यवहार से भी यह स्पष्ट होता है कि जिन्ना की हठधर्मिता बढ़ती जा रही थी। वे चाहते थे कि कांग्रेस का समर्थन करने वाले मुस्लिम नेताओं की ओर ध्यान न दिया जाय, बल्कि मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि स्वीकार किया जाय। नेहरू को यह स्वीकार नहीं था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा पान अब्दुल गफ्फार याँ जैसे राष्ट्रीय मुस्लिमों की तुलना में जिन्ना को महत्व दिया जाता। वे मुस्लिम लीग को उसी प्रकार का साम्प्रदायिक संगठन मानते थे, जैसे की हिन्दू महासभा को। मुस्लिम लीग के अलावा

भी मुसलमानों के अन्य संगठन से जैसे पंजाब में सिक्खंदर हयात या बी मुनियनिस्ट पार्टी आदि। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग को भारत के मुसलमानों का एवमान प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कैसे माना जा सकता था? स्वयं कांग्रेस में अनेक मुसलमानों का विश्वास था और वे मानते थे कि कांग्रेस दल कोई हिन्दू संगठन नहीं था, किन्तु जिन्ना इस बात से चिढ़े हुये थे कि कांग्रेस धर्म-निरपेक्षता की नीति अपना कर मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वे संघ के समान समस्त मुसलमानों को कांग्रेस से वृत्त रचना चाहते थे ताकि वे अपना उल्लू गोटा कर सकें।

जिन्ना ने अपना पुराना तर्क दोहराना प्रारम्भ किया कि भविष्य में साम्प्रदायिक समस्या के निवारण के लिए अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश भारतीय राज्य, हिन्दू तथा मुसलमान मिलकर बातचीत करें तभी कोई हल सम्भव है, अन्यथा नहीं। मुस्लिम लीग के पटना अधिवेशन (1938) के अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने कांग्रेस की आलोचना करते हुये उसे हिन्दू संगठन की संज्ञा दी। वे कांग्रेस के राष्ट्रवादी आन्दोलन के कटु आलोचक थे।<sup>17</sup> 5 फरवरी, 1938 को अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी यूनियन के समक्ष बोलते हुये जिन्ना ने इतना किया कि 'संसदीय लोकतन्त्र भारत के लिए अनुपयुक्त है।' उन्होंने भारत के संविधान की इस प्रकार से संशोधित करने का सुझाव दिया ताकि मुसलमानों के उचित अधिकारों की सुरक्षा हो सके तथा मुस्लिम भारत को दोष भारत से विभाजित किया जा सके। जिन्ना के अनुसार भारत में स्वामी हिन्दू बहुमत के समक्ष मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कभी भी बहुमत प्राप्त नहीं हो सकता था। बहुमत यदि साम्प्रदायिक दृष्टिकोण अपना भी ले, तब भी वह मूल रूप में हिन्दू ही बना रहता। अतः अल्पसंख्यकों के लिए गठित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसी शक्ति प्राप्त किये बिना कोई भी संविधान भारत के लिये मान्य नहीं ठहराया जा सकता था।<sup>18</sup>

1937 में कांग्रेस द्वारा राज्यों में मंत्रिमण्डल बनाये जाने के समय स्थानीय कांग्रेस शाखा नेहरू ने मुसलमानों से सहयोग की मांग की, किन्तु मुस्लिम लीग ने सहयोग का मार्ग अपनाया तथा पंजाब, उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त, मध्य, बाङ्गाल, बलुचिस्तान के वृत्त महासंघ बनाये जाने की मांग प्रस्तुत की। मुसलमानों द्वारा वृत्त प्रदेश बनाने की यह मांग दिनों दिन बलवती होगी गयी। डॉ० मोहम्मद इकबाल तथा रहमन अली इस कार्य के लिये अत्यन्त ही उत्साहित थे कि वे न केवल कांग्रेस मुसलमानों को कांग्रेस के आन्दोलन से पूर्णतया विमुक्त कर दिया जाय। जिन्ना ने हिन्दू-बहुमत से मुक्त होने का आन्दोलन अपनाया।<sup>19</sup> पंजाब के सुदूरपश्चिमी सिक्खंदर हयात या के साथ जिन्ना ने समझौता कर मुस्लिम लीग के लिए सहयोग प्राप्त कर लिया और वृत्त एवं स्वभाव मुस्लिम राज्य

स्वीकार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। स्वयं गांधीजी द्वारा जिन्ना को समझाने का प्रयत्न भी विफल सिद्ध हुआ। 10 अक्टूबर 1938 को सिन्ध प्रान्तीय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुये जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक ऐसे संविधान बनाने का उत्तरदायित्व सौंप दिया जिससे भारत के मुसलमानों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके।<sup>21</sup> 1939 में प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमण्डलों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर जिन्ना ने भारत के मुसलमानों को 22 दिसम्बर 1939 को 'मुक्ति दिवस' के रूप में मनाये जाने की अपील की।<sup>22</sup> रहमत अली ने खुले घाम कहना प्रारम्भ किया कि "हम मुसलमान हैं न कि हिन्दू; पाकिस्तानी हैं, न कि हिन्दुस्तानी; एशियाबासी हैं, न कि भारतीय।"<sup>23</sup> जिन्ना इस बात के लिये प्रयत्नशील थे कि भारत के मुस्लिम समुदाय के सभी वर्ग मुस्लिम लीग के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिये बाध्य किये जायें।

मेनचेस्टर गार्जियन में छपे जिन्ना के वक्तव्य (1939-40) के अनुसार मुसलमान भारत में प्रतिनिधि शासन की स्थापना के प्रति सदैव भय-मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को एक सत्तालोलुप तथा फासीवादी संगठन बतलाते हुए भारत के 1935 के संविधान को रद्द करने की मांग की। जिन्ना ने यह तर्क दिया कि दक्षिण अफ्रीका में बोअर्स तथा ब्रिटिश समुदाय के मतभेदों के कारण जिस प्रकार से प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र नहीं चल सकता था, उसी प्रकार से हिन्दुओं तथा मुसलमानों में मूलभूत भिन्नता होने के कारण यह और भी कठिन था। लाई मोर्ले के तर्क को उद्धरित करते हुये जिन्ना ने कहा कि कनाडा का 'फरकोट' भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु में उपयोगी नहीं होगा।<sup>24</sup>

टाइम एण्ड टाइड में 19 जनवरी 1940 को छपे लेख में जिन्ना ने यह कहा कि इंग्लैण्ड जैसे सजातीय राष्ट्र के लिए उपयोगी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएँ भारत जैसे विजातीय देश में प्रयुक्त नहीं हो सकतीं। उन्होंने हिन्दू धर्म तथा इस्लाम को दो भिन्न सभ्यताओं का प्रतीक बतलाते हुये दोनों में समन्वय असंभव बतलाया। द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुये जिन्ना ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत के दोनों धर्म निश्चित सामाजिक हितों के माध्यम से न केवल व्यक्ति के ईश्वर के साथ सम्बन्धों को ही निश्चित करते हैं, अपितु व्यक्ति के पड़ोसी के प्रति व्यवहार को भी नियंत्रित करते हैं। वे केवल कानून तथा संस्कृति तक ही सीमित नहीं, क्योंकि उनका क्षेत्र सामाजिक जीवन के साथ-साथ व्यक्ति के समस्त क्रिया-कलापों पर व्याप्त है। पारिभाषिक लोकतन्त्र को भारत के लिये अनुपयुक्त बतलाते हुये जिन्ना ने उसके आरोपण को राज्य की एगणता का प्रतीक बतलाया।<sup>25</sup>

मुस्लिम लीग के साहौर अधिवेशन (मार्च 1940) की अध्यक्षता करते हुये जिन्ना ने कहा कि 'हिन्दू तथा मुसलमान दो भिन्न राष्ट्र हैं।' उनके द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भावी संवैधानिक योजना को मुसलमानों द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक उस योजना में भौगोलिक दृष्टि से निरन्तरता रखने वाले उन प्रदेशों को, जहाँ मुसलमान बहुसंख्या में हैं—जैसे भारत के उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र, 'स्वतंत्र राज्यों' के रूप में पूर्ण स्वायत्तता एवं संप्रभुता प्रदान नहीं कर दी जाती। जिन्ना ने यह भी दोहराया कि हिन्दू तथा मुसलमान उभय राष्ट्रीयता का विकास नहीं कर सकते।

धान-पान, आचार-विचार तथा व्यवहार में पूर्ण भिन्नता एवं विसीम स्थिति रखने के कारण हिन्दुओं का मुसलमानों के साथ सादर सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में दो भिन्न राष्ट्रों को एक राज्य के अन्तर्गत लाने का प्रयास, धीरे-धीरे भी एक धीरे अल्पसंख्यक तथा दूसरी धीरे पूर्ण बहुसंख्यक समुदाय के होते हुए, विनाश का ही कारण बन सकता है, निर्माण का नहीं। जिन्ना के अनुसार विश्व के अनेक राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयताओं के आधार पर हुआ है। पाकिस्तान प्रदेशों में ही सात अथवा आठ स्वतन्त्र राज्यों का निर्माण हुआ है। पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, पोर्लैण्ड आदि का उदाहरण देते हुए जिन्ना ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत गत बारह सौ वर्षों से 'हिन्दू भारत' तथा 'मुस्लिम भारत' में बंटा हुआ रहा है। उनके अनुसार मुसलमान हिन्दू राज की स्थापना को सहन नहीं कर सकते। यदि राज्यों में पुनः काश्मिर, आंध्र प्रदेश की पुनरावृत्ति हुई तो भारत में गृह-युद्ध तिष्ठ जायेगा तथा निजी संग्रहण गठित किये जायेंगे।<sup>16</sup> महात्मा गांधी को 17 सितम्बर 1944 को लिखे पत्र में भी जिन्ना ने यही दोहराया कि मुसलमान तथा हिन्दू दो प्रमुख कौमों (राष्ट्र) हैं। जिन्ना ने दावा किया कि 'मुसलमान सतरह करोड़ की आबादी वाली कौम है जिसकी अपनी संस्कृति, मूल्यता, भाषा, साहित्य, कला, स्थापत्य, नाम, पारिभाषिक शब्दावली, मूल्य एवं गुणात्मक बोध, वैयक्तिक नियम, नैतिक संहिता, रीति-रिवाज, पशाण, इतिहास, रुढ़ियाँ, मनोवृत्ति एवं अभिलाषायें हैं। जीवन के प्रति उनकी अपनी स्पष्ट धारणाएँ हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि की समस्त मान्यताओं के अनुसार हम एक कौम (राष्ट्र) हैं।'<sup>17</sup>

मुस्लिम लीग के (मई, 1940) लार्ड प्रादेशिक अधिवेशन के नाम अपने संदेश में जिन्ना ने कहा, "अधिन भारतीय मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों को गृहीत दिया दिया दी है। उसने उन्हें एक उत्तम कार्यक्रम, एक नीति, एक संघ और एक ध्वज प्रदान किया है - भारतीय राष्ट्र केवल काश्मिर, हाई कमाण्ड के मस्तिष्क में विद्यमान है।"<sup>18</sup>

लाहौर के मुस्लिम लीग अधिवेशन (मार्च, 1940) में पत्र लिखते जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करवा दिया था किन्तु हम पाकिस्तान-संघना के निर्माण में जिन्ना का स्वयं का योगदान नगण्य था। सर मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन (1930) में एक वृषक मुस्लिम राज्य की विधिबन्धु मांग प्रस्तुत की थी। 1933 में चौधरी रहमत अली ने 'पाकिस्तान' शब्द का निर्माण किया। उन्होंने पंजाब का 'पं', पश्चिमपश्चिम का 'प', बांग्लादेश का 'ब', सिन्ध का 'स' तथा बंगाल का 'ग' नामों के आधार पर 'पाकिस्तान' शब्द का प्रथम प्रारम्भ किया।<sup>19</sup> बाद में लाहौर इत संघना में जिन्ना ने मंजूर किया।

जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना कर अपनी हठ पूरी की, किन्तु नव स्थापित पाकिस्तान उनके लिये नवीन चुनौतियों का कारण बन गया। जीवन भर विरोधी स्वर अन्तर्धान के कारण देश निर्माण का काम उनके बस का रोग नहीं था। वे वही 'दस्तावेज समाजवाद'<sup>21</sup> की बात कहते, तो वही पाकिस्तान की जनता को देश-प्रेम का उपदेश देते। जिन्ना का अन्तिम समय अनेक शारीरिक एवं मानसिक कष्टों में बीता। पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति, बंगलादेश का निर्माण लोकनाटिक परम्परा का अभाव, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गूण्यता तथा सामान्य जनता की दयनीय स्थिति "कामरे अजम" जिन्ना की ही विरासत है।

□□

टिप्पणियाँ

24. सप्त रोसेण्ट स्पेचेज एण्ड राइटिंग्स आफ मि. जिन्ना. पृ. 86-87
25. वही, पृ. 111-113
26. वही, पृ. 153-154
27. गांधी-जिन्ना टॉक्स, जुलाई-अक्टूबर. 1944, (हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 1944) पृ. 16
28. आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक में उद्धृत, पृ. 162
29. देखिये खान ए. अहमद, दो फाऊंडर आफ पाकिस्तान, (हैफर, कैम्ब्रिज, 1942) पृ. 3
30. आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक में उद्धृत, पृ. 162
31. देखिये 'जिन्ना इन पाकिस्तान', दो इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इन्डिया, दिगम्बर 26, 1976

खण्ड २





गांधीजी का जन्म 2 अक्टोबर, 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनके पिता तथा पितामह धरणी ईमानदारी के लिये काठियावाड़ की छोटी रियासतों में प्रसिद्ध थे। इनके पिता पोरबंदर, राजकोट तथा बीकानेर रियासतों के सेवान रहे। 1876 में वे अपने माता-पिता के साथ राजकोट चले गये और वही उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। वही उनकी सगाई कस्तूरबाई के साथ होगयी। 1881 में उन्होंने हाईस्कूल में प्रवेश किया। दो वर्ष पश्चात् उनका कस्तूरबाई से विवाह होगया। 1884-1885 में कुसंगति में पढ़ कर उन्होंने पौरी लुवे मांग-भक्षण किया किन्तु वे अपने माता-पिता से यह सुना न सके और घन में उन्होंने समायाचना कर अपने शोधों का प्रावस्थित किया। गांधी परिवार पुष्टिमागीय वैष्णव परम्परा से प्रभुभूत था। ध्यान-न्याय, रहन-सहन में वैष्णव सम्प्रदाय की पवित्रता एवं मादगी उनके जीवन का प्रग थी। ऐसे परिवार में मांग-भक्षण धारण कुलित कार्य था। गांधीजी ने समाय का त्याग कर माय का करण किया; और पिता के समक्ष धरणी नृति स्वीकार कर माय का महान पाठ सीखा।

गांधीजी ने 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और ब्राबनर के सामयदान महाविद्यालय में प्रवेश लिया। किन्तु उन्होंने अध्ययन पूर्ण करने के पहले ही अपने परिवार की धार्मिक स्थिति को सुधारने तथा प्रजासत्ताय सेवा की पारिवारिक परम्परा का निर्वाह करने की दृष्टि में कानून का अध्ययन करने के लिये इंग्लैण्ड की प्रस्थान किया। इंग्लैण्ड में उन्होंने साक्षात्कारी भोजन का नियम बनाये रखा। अपने आपकी इंग्लैण्ड की मायता से कानने के लिये धन, संगीत, नृत्य आदि की पाठशाला गैरी का अनुकरण किया। किन्तु उनकी धनमाता ने उन्हें भारतीय परम्पराओं में दिलग नहीं होने दिया। वे कने: कने: मादगी की चीर प्रकृत हुए और पहले से चाये धन पर धरणी लिबनी बनाने लगे। वही उन्होंने पीता का अध्ययन किया और इन अध्ययन में इनने प्रभावित हुए कि वे पीता की जीवनपर्यन्त धरणी मार्गदलिका तथा माता के रूप में मानने रहे।

1891 में बैरिटर होकर वे भारत लीते। राजकोट तथा बम्बई में उन्होंने पत्रकारिता की शिपु उन्हें विचारता का ही सामना करना पडा। त्यागान्त में एक बार वे और के बराल होकर वे महान भी लीते का जाने और उन्हें मुकदमा करण पडा। पोरबंदर रियासत का अधाधिक कार्य उन्हें पारिवारिक प्रकाश के कारण किया किन्तु वही भी बरित राजकीय परिस्थि के कारण अरुणार के कारण उन्हें हृदय की धारण करा। वे पौरी रियासत के उलाखीय कार्य में बहुत कार्यवाही कर पशुधन की रीति-रिवाज की रीति-रिवाज में धन्य बनाने के। धन में धन्य धन्य का धन्य

नाम की एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था के दक्षिण अफ्रीका के कानूनी कार्यों की देखरेख के लिये उन्हें नियुक्ति मिली और वे 1893 में डर्बन पहुंचे।

दक्षिण अफ्रीका में नाटाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किये जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। वे 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। यह प्रवास उनके आध्यात्मिक विकास का उप-काल था। वे प्रवासी भारतीय समुदाय के अग्रगण्य नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। डर्बन में आते ही उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई कि उनका जीवन ही परिवर्तित होगया। वे एक बार रेल द्वारा प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे जबकि उनके साथ यात्रा कर रहे एक दक्षिण अफ्रीकी श्वेत ने उन्हें यान खाली कर सामान ले जाने वाले यान में जाने को कहा। अफ्रीका की रंगभेद नीति का उन्हें उस दिन व्यक्तिगत अनुभव हुआ। वे यान खाली करने के स्थान पर ट्रेन से उतर पड़े और उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। गांधीजी ने उस दिन से दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के दमन एवं भेदभाव का विरोध प्रारंभ कर दिया। प्रवासी भारतीयों को संगठित कर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। मई 1894 में गांधीजी ने नाटाल इंडियन काँग्रेस की स्थापना की। 1896 में भारत आकर दक्षिणी अफ्रीकी भारतीयों के लिए आंदोलन शुरू किया। उसी वर्ष वे अपने परिवार के साथ पुनः दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। डर्बन पहुंचने पर दक्षिण अफ्रीकी श्वेतों ने उनके द्वारा भारत में दक्षिण अफ्रीका के बंधक भारतीय मजदूरों के साथ होनेवाले दुर्व्यवहार पर दिये गये वक्तव्यों को लेकर दुर्व्यवहार किया। किन्तु गांधीजी इमसे नेशमात्र भी विचलित नहीं हुए। वे निरन्तर आठ वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के विरुद्ध सघर्ष रत रहे। उन्होंने अनिवायं पंजीकरण तथा हस्तमुद्रण, अन्तःप्रांतीय आप्रवास पर प्रतिबंध, बंधक मजदूरों पर लगाये गये कर तथा ईसाई विवाहों के अतिरिक्त अन्य सभी विवाहों को अमान्य ठहराने वाले कानूनों आदि का विरोध किया। वहीं उन्होंने 1899 में बोधर-युद्ध के समय इंडियन ऐम्बुलेंस कोर का गठन किया जिसने युद्ध में उल्लेखनीय सेवा कार्य किया और उसके उपलक्ष में उन्हें बोधर-युद्ध पदक प्रदान किया गया। 1901 में वे पुनः भारत लौटे। किन्तु 1902 में उन्हें ट्रान्सवाल के एशियावातियों विरोधी व्यवस्थापन का विरोध करने हेतु प्रवासी भारतीयों के निमंत्रण पर पुनः दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वे ट्रान्सवाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए और ट्रान्सवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की। 1904 में गांधीजी ने रस्किन की पुस्तक अन्टु दिस सास्ट का अध्ययन किया। फीनिक्स फार्म की स्थापना कर उन्होंने आंदोलनकारियों के समुदाय संगठित किये एवं उनके आश्रय का प्रबंध किया। यहीं से 'इंडियन ओपीनियन' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया जो पूर्णतः सहकारिता एवं श्रमदान के नियम पर संचालित होता था। जोहानेजबर्ग में फीरे प्लेग के समय वही अस्पताल की स्थापना की। उन्नीसवें गांधीजी ने आहार-विज्ञान पर अनेकों लेख गुजराती में लिखे जो हिन्दी में आरोग्य बरौन नामक पुस्तक में संकलित हो प्रकाशित हुए। 1906 में गांधीजी ने तुमु बिटोह के समय इंडियन स्टूडेंट-वेलफेयर कोर की स्थापना की। उन्नीसवें उन्होंने आजीवन प्रत्यक्ष का पालन करने का व्रत लिया।

जोहानेजबर्ग में ट्रान्सवाल एशियाटिक तथा अमेन्डमेन्ट सोसिटी के विरोध में

भारतीयों को विद्यालय तथा छात्रावास बनवा देने के लिये निरपेक्ष प्रतिरोध (सत्याग्रह) करने की शपथ दिलवाई। वे प्रतिनिधि मण्डल लेकर इंग्लैण्ड भी गये और उपनिवेशगत मंत्रों के समक्ष प्रवासी भारतीयों के साथ बिदे गये छात्रावास का विवरण प्रस्तुत किया। 1907 में उन्होंने निरपेक्ष प्रतिरोध छात्रावास बनाया और मन्त्रपरिषद् सेवा के लिये अपना जीवन समर्पित करने हुए पकामन छोड़ दी। सत्याग्रह छात्रावास के कारण उन्हें 10 जनवरी, 1908 को दो महीने के कारावास की सजा दी गयी। जनरल स्मट्स की सरकार द्वारा समझौता बार्ता के लिये उन्हें आमंत्रित किया गया और समझौता होने पर गांधीजी को जेल से मुक्त कर दिया गया। किन्तु प्रवासी भारतीय पढानों में इस समझौते को भारतीय हितों के विरुद्ध विख्यातमान माना और उन्होंने गांधीजी पर प्राणघातक हमला किया। भाग्य में गांधीजी बच गये किन्तु भी उन्होंने जमलाबगों के विरुद्ध बालूनी बार्तापत्रों नहीं की। जनरल स्मट्स द्वारा समझौते की शर्तों के साथ विख्यातमान करने के कारण गांधीजी ने पुनः सत्याग्रह प्रारम्भ किया। उन्हें दो महीने का बंदी कारावास दिया गया। कारावास की अवधि पूरी करने के एक माह के अन्दर सत्याग्रह करने पर पुनः विरपचार किया गया। इस बार गांधीजी को तीन माह की सजा दी गयी।

1909 में गांधीजी पुनः सिट्ट मटल लेकर इंग्लैण्ड गये और वहाँ से दक्षिण अफ्रीका लौटने समय अहादा में हिन्द स्वराज की रचना की। 1910 में उन्होंने प्रौढीयवर्ग के निकट टालस्टाय पार्स की स्थापना की। उन्होंने पाठपाठ्य वेदाभूषण तथा दूध का परिष्कार कर दिया। एक वे वेबल ताजा पानी तथा मूंगे सबों का छात्रा के रूप में प्रयोग करने लगे। इसी बीच उन्होंने एशियात विरोधना नामक पुस्तिका लिखी। गांधीजी ने उपवास का प्रयोग भी प्रारम्भ किया। 1913 में पौनिकम पार्स के दो छात्रमार्गियों के दोष के लिये लिखने में उन्होंने प्रायश्चित्त स्वरूप एक सत्याग्रह का उपवास किया। बाद में उन्होंने साठे चार महीनों के लिये एक ही समय भीजन किया। नवम्बर 1913 में दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय सरकार द्वारा तीन पीठ के पीठ-टैक्स को निरस्त न करने के विरोध में सत्याग्रह किया। गांधीजी ने 2037 पुरुषों, 127 स्त्रियों तथा 57 बालकों के जुटुग का नेतृत्व करने हुए द्वाववास में प्रवेश किया। उन्हें विरपचार कर जमानत पर रिहा किया गया। दो दिन बाद पुनः विरपचार किया गया और जमानत पर रिहा किया गया। एक दिवस सत्याग्रह पुनः विरपचार कर द हो में जाये गये और वहाँ उन्हें भी महीने तथा तीन महीने की सजा दी गयी। सरकार ने समझौता बार्ता करने के लिये उन्हें 16 दिवस की सजा देने लगी कर दिया। जनरल स्मट्स के साथ हुए समझौते के कारण सत्याग्रह में सत्याग्रह छात्रावास समाप्त कर दिया। वे इंग्लैण्ड गये और प्रथम विरुद्ध अत्याचार के समय उद्घाटन सदन के सदस्य ऐम्बुसेल और सदस्य की। इस समय एक सत्याग्रह विरुद्ध सरकार के प्रति सत्याग्रहों के रूप में ही प्रस्तुत हुए।

नाम की एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था के दक्षिण अफ्रीका के कानूनी कार्यों की देखरेख के लिये उन्हें नियुक्ति मिली और वे 1893 में डर्बन पहुँचे।

दक्षिण अफ्रीका में नाटाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किये जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। वे 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। यह प्रवास उनके आध्यात्मिक विकास का उपकाल था। वे प्रवासी भारतीय समुदाय के अग्रगण्य नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। डर्बन में आते ही उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई कि उनका जीवन ही परिवर्तित होगया। वे एक बार रेल द्वारा प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे जबकि उनके साथ यात्रा कर रहे एक दक्षिण अफ्रीकी श्वेत ने उन्हें यान खाली कर सामान ले जाने वाले यान में जाने को कहा। अफ्रीका की रंगभेद नीति का उन्हें उस दिन व्यक्तिगत अनुभव हुआ। वे यान खाली करने के स्थान पर ट्रेन से उतर पड़े और उन्होंने अपनी यात्रा स्वगित कर दी। गांधीजी ने उस दिन से दक्षिण अफ्रीका की गौरी सरकार के दमन एवं भेदभाव का विरोध प्रारंभ कर दिया। प्रवासी भारतीयों को संगठित कर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। मई 1894 में गांधीजी ने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1896 में भारत आकर दक्षिणी अफ्रीकी भारतीयों के लिए आंदोलन शुरू किया। उसी वर्ष वे अपने परिवार के साथ पुनः दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। डर्बन पहुँचने पर दक्षिण अफ्रीकी श्वेतों ने उनके द्वारा भारत में दक्षिण अफ्रीका के बंधक भारतीय मजदूरों के साथ होनेवाले दुर्व्यवहार पर दिये गये वक्तव्यों को लेकर दुर्व्यवहार किया। किन्तु गांधीजी इससे लेशमात्र भी विचलित नहीं हुए। वे निरन्तर आठ वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की गौरी सरकार के विरुद्ध सघर्ष रत रहे। उन्होंने अनिर्वास्य पंजीकरण तथा हस्तमुद्रण, अन्तः प्रातीय आप्रवास पर प्रतिबंध, बंधक मजदूरों पर लगाये गये कर तथा ईसाई विवाहों के अतिरिक्त अन्य सभी विवाहों को प्रमाण्य ठहराने वाले कानूनों आदि का विरोध किया। वही उन्होंने 1899 में बोधर-युद्ध के समय इंडियन एम्बुलेंस कोर का गठन किया जिसने युद्ध में उल्लेखनीय सेवा कार्य किया और उसके उपलक्ष में उन्हें बोधर-युद्ध पदक प्रदान किया गया। 1901 में वे पुनः भारत लौटे। किन्तु 1902 में उन्हें ट्रामवाल के एशियावातियों विरोधी व्यवस्थापन का विरोध करने हेतु प्रवासी भारतीयों के निमंत्रण पर पुनः दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वे ट्रामवाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए और ट्रामवाल इंडियन एशोसिएशन की उन्होंने स्थापना की। 1904 में गांधीजी ने रम्विन की पुस्तक अन्ट् दिम साट्ट का अध्ययन किया। फोनिक्स फार्म की स्थापना कर उन्होंने आंदोलनकारियों के समुदाय संगठित किये एक उनके आश्रय का प्रबन्ध किया। वहाँ में 'इंडियन घोषीनियन' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया जो पूर्णतः सहकारिता एवं धर्मदान के नियम पर संचालित होता था। जॉहान्सबर्ग में फैले प्लेग के समय वहाँ अस्पताल की स्थापना की। उसी वर्ष गांधीजी ने आहार-विज्ञान पर अपने लेख गुजराती में लिखे जो हिन्दी में आरोग्य दर्शन नामक पुस्तक में संकलित हो प्रकाशित हुए। 1906 में गांधीजी ने तुनु विटोर् के समय इंडियन स्ट्रेचर-वेपारर कोर की स्थापना की। उसी वर्ष उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों का पालन करने का धर्म लिया।

जोहान्सबर्ग में ट्रामवाल एशियाटिक तथा अमेन्टमेन्ट सोसिटी के विरोध में

भारतीयों की विज्ञान समझ को प्रोत्साहित कर गांधीजी ने उनसे इस काम के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) करने की राय दी। वे प्रतिनिधि मण्डल में ही इंग्लैंड भी गये और उपनिवेशों में गमक प्रवर्तकों भारतीयों के साथ मिले सत्याग्रह का विवरण प्रस्तुत किया। 1907 में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध को अपना और सांख्यिक सेवा के विरुद्ध अपना जीवन समर्पित करने का प्रस्ताव रखा। सत्याग्रह को 10 जनवरी, 1908 को दो महीने के कारावास की सजा दी गयी। जनरल स्मट्स की सरकार द्वारा समझौता बार्ता के विरुद्ध प्रस्तावित किया गया और समझौता होने पर गांधीजी को जेल से मुक्त कर दिया गया। किन्तु प्रवर्तकों भारतीय पक्षों ने इस समझौते को भारतीय हितों के विरुद्ध विस्वासास्पत माना और उन्होंने गांधीजी पर कारावास का फैसला किया। भाग्य से गांधीजी बच गये फिर भी उन्होंने हमलावरों के विरुद्ध सत्याग्रह का संकल्प नहीं रखा। जनरल स्मट्स द्वारा समझौते की शर्तों के साथ विस्वासास्पत करने के कारण गांधीजी ने पुनः सत्याग्रह प्रारम्भ किया। उन्हें दो महीने का बंदी कारावास दिया गया। कारावास की अवधि पूरी करने के एक माह के बाद सत्याग्रह करने पर पुनः विरपत्ता किया गया। इस बार गांधीजी को तीन माह की सजा दी गयी।

1909 में गांधीजी पुनः निष्क्रिय विरोध इंग्लैंड गये और वहाँ में दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय जहाज में हिन्दू स्वराज की रचना की। 1910 में उन्होंने जोशी-बर्मन के निष्क्रिय टाइटल पार्स की स्थापना की। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से सत्याग्रह का परिचय कर दिया। यह वे केवल ताजा पानी तथा गुणवत्ता का सागर के रूप में प्रयोग करने लगे। इसी बीच उन्होंने एम्पल टिप्पण नामक पुस्तिका लिखी। गांधीजी ने सत्याग्रह का प्रयोग भी प्रारम्भ किया। 1913 में पोलिस पार्स के दो छात्रों के हत्या के विरुद्ध वे उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। बाद में उन्होंने गांधी और मतिने के विरुद्ध ही समय भी रखा। नवम्बर 1913 में दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह सरकार द्वारा सैन्य बंदी के पोलिस को निरस्त न करने के विरुद्ध में सत्याग्रह किया। गांधीजी में 2037 पुरुषों, 127 स्त्रियों तथा 57 बच्चों के समूह का नेतृत्व करने का प्रयोग किया। उन्हें विरपत्ता कर जमानत पर रखा किया गया। दो दिन बाद पुनः विरपत्ता किया गया और जमानत पर रखा किया गया। एक दिवस सत्याग्रह पुनः विरपत्ता कर इंडो में जाने लगे और वहाँ उन्हें भी मतिने तथा सैन्य मतिने की सत्याग्रह की सजा दी गयी। सरकार ने समझौता बार्ता करने के विरुद्ध उन्हें 18 दिनों की सजा दी। सत्याग्रह कर दिया। जनरल स्मट्स के साथ ही समझौते के कारण गांधीजी ने सत्याग्रह को अपना समर्थन कर दिया। वे इंग्लैंड गये और प्रथम विश्व महायुद्ध के समय इंडो में सत्याग्रह कर दिया। इस समय तक गांधीजी हिन्दू स्वराज के प्रति

का विरोध किया। वे चर्खे द्वारा हाथ से बनाये गये वस्त्र के भारी मात्रा में उत्पादन के विचार में लीन रहने लगे। अप्रैल में वे नील बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा की जांच करने के लिये चम्पारन (बिहार) गये। चम्पारन के सत्याग्रह ने बीम लाघ से अधिक किमानों को प्रभावित किया। यह सत्याग्रह का अत्यन्त व्यापक प्रयोग था जिसमें एक शताब्दी से चले आने वाले अन्याय का अहिंसक सत्याग्रह द्वारा निवारण हुआ। वहाँ मोतीहारी जिला छोड़ने का सरकारी नोटिस मिला। इसकी अवज्ञा करने पर गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया किन्तु सरकार ने सजा देने के स्थान पर मुकदमा वापस ले लिया। बिहार सरकार ने उन्हें रैयत में व्याप्त असंतोष की जांच के लिये गठित समिति का मदस्य नियुक्त किया।

जनवरी-मार्च 1918 में गांधीजी ने अहमदाबाद के सूनी कपडा मिलों के श्रमिकों की मागों को लेकर उपवास किया। उनका यह प्रस्ताव था कि मिल-मजदूर समझौता होने तक अपनी दस्ताल जारी न रखें। गांधीजी के तीन दिन के उपवास में ही समझौता हो गया। उन्होंने बम्बई प्रदेश के खेड़ा जिले में फसल नष्ट होने के कारण लगान वसूली निरस्त करने की माग को लेकर सत्याग्रह किया। अप्रैल में गांधीजी वायसराय की मुद्र परिषद में भाग लेने के लिये दिल्ली गये तथा हिन्दी भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने खेड़ा जिले का दौरा किया और सेना में भर्ती करने के लिये रंगरूटों को तैयार किया। 1919 के फरवरी मास में रौलट विधेयकों के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा की। 6 अप्रैल, 1919 को देश व्यापी हड़ताल हुई तथा भारत व्यापी सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया गया। पंजाब में उनके प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को तोड़ने पर उन्हें दिल्ली पहुंचने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और पुनः बम्बई ले जाकर छोड़ दिया गया। देश के कई भागों में तोड़-फोड़ तथा हिंसा की घटनाएँ हुईं। 13 अप्रैल को उन्होंने साबरमती आश्रम के निकट सत्याग्रह आंदोलन के दौरान नड़ियाद में रेल की पटरी उखाड़ने के प्रयत्न के प्रायश्चित्त स्वरूप 'तीन दिन का उपवास' किया। उसी दिन अमृतसर के जानियावाला बाग में अंग्रेजों ने भयंकर नरसंहार किया जिसमें 400 व्यक्तियों की जानें गयीं। नड़ियाद में उन्होंने सत्याग्रह के सम्बन्ध में अपनी 'हिमानय मरण भूल' का स्वीकार किया और 18 अप्रैल को सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया।

गांधीजी ने 'नवजीवन' गुजराती मासिक का सम्पादन अपने हाथ में ले लिया। बाद में यह हिन्दी मासाहिक के रूप में भी प्रकाशित होने लगा। साथ साथ उन्होंने 'संग इच्छया' अंग्रेजी मासाहिक का सम्पादन भी सम्हाल लिया। इसी बीच पंजाब में मार्गन या प्रगाणन में हुई ज्यादतियों की जांच के लिये गैर सरकारी समिति की मददयता ग्रहण की। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय विनायक बान्केय्य की अध्यक्षता की। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस-नेम्बरकई मुद्दों को स्वीकार करने की मनाह दी। जनवरी, 1920 में वे वायसराय के पास एक निष्पक्ष मंडल लेकर उपस्थित हुए जिसमें टर्की के मुत्तान (मुत्तमानों के यतीना) को इन्ग्लैंड के पवित्र स्थानों पर अपने एकाधिकार से बर्बाद न करने सम्बन्धी दवाय ब्रिटिश सरकार पर दायरे की माग की गयी। 1 अगस्त को गांधीजी ने वायसराय के नाम पत्र लिखकर नेगरे-हिन्द पदक, ज़ुमु-मुद्र पदक तथा

बोम्बे-मुम्बई पदर बापन लौटा दिये । नितम्बर में साला साजपतराय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के बसकता विरोध अधिवेशन में गांधीजी ने पंजाब की घटनाओं तथा विचारण के समर्थन में प्रमहयोग कार्यक्रम के लिये स्वीकृति प्राप्त करली । नवम्बर में उन्होंने प्रमशाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की । बाद में बंगपुर में हुए कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में गांधीजी ने सभी वैधानिक एवं नातिपूर्ण उपायों से भारतीयों द्वारा स्वराजप्राप्ति को बाँधे का मध्य निर्धारित किया ।

प्रश्न, 1921 में गांधीजी ने बाँधे मद्रसता अभियान का लक्ष्य एक करोड़ मद्रसों का रखा । एक करोड़ रुपया एकत्रित करने तथा देश में बीम साथ चरणों की स्थापना का उद्देश्य भी प्रस्तुत किया गया । उन्होंने बम्बई में विदेशी बस्तों के पूर्ण बहिष्कार के आंदोलन का नेतृत्व किया और विदेशी बस्तों को होती जनार्द । बाँधे ने उन्हें अधिनायक के पूर्ण अधिकारों से मुक्त कर दिया । नवम्बर, 1921 में विम फॉर वेल्थ के बम्बई प्रागमन के समय पर हुए विचारक दलों के प्रायश्चित्त स्वरूप गांधीजी ने पाँच दिन का उपवास किया । फरवरी, 1922 में गुजरात के बारदोनी स्थान पर सायाष्ट करने के अपने निर्णय के लिये कामतराय को ज्ञापन दिया । किन्तु उत्तर प्रदेश के पोरी-पोरा स्थान पर बुद्ध भीड़ द्वारा एक पानेदार तथा दक्षीण पुनित के गिराहियों को जीवित जना देने की घटना का समाचार प्राप्त कर गांधीजी ने पाँच दिन का प्रायश्चित्त स्वरूप उपवास किया तथा सायाष्ट आंदोलन की योजना रद्द कर दी ।

10 मार्च 1922 को गांधीजी द्वारा 'वेमदक्षिणा' में लिये गये तीन लेखों के कारण उन पर सायाष्टोद्देश का अभिघोष लगाया गया और उन्हें 6 वर्षों की बंद की सजा दी गयी । उन्हें पण्यदा जेल में रखा गया जहाँ उनका अर्थेन्द्रमाहटिम का आरम्भ हुआ । रोगग्रस्त रहने के कारण उन्हें 5 फरवरी, 1924 को रिहा कर दिया गया । इसी समय ब्रोजान में हुए साम्प्रदायिक दलों के कारण हुआ ही गांधीजी में हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये दक्षीण दिना उपवास किया । ब्रोजान में विम प्रकाश में मुत्तमालों ने हिन्दुओं पर आजाधार क्रिये उनमें द्रविण हो गांधीजी ने ब्रोजान के हिन्दुओं की मह मदेम दिया था कि उन्हें अपने मित्रों के सम्मान तथा अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रोजान में आन्दोलन के स्थान पर मद्रस करने हुए अपना जीवन बलिदान कर देना चाहिये था । इन साम्प्रदायिक दलों में मोहम्मदिया तथा मौलानावादी ने मुस्लिम समर्थक रवेंदा आरम्भ । की लक्ष्य, अतिविकार लक्ष्य तथा साला साजपतराय ने गांधीजी के आर्य बहूतों के प्रति उदार रवेंदे की आलोचना भी की । दिग्दर्श में गांधीजी ने बाँधे के वेमदक्षिणा अधिवेशन को आरम्भ की ।

वहाँ उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर कार्य करने के लिए एक शिक्षा-सम्मेलन भी आयोजित किया। उनकी "शिक्षा की वर्धा शोचना" में भूतभूत हस्तकलाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का विचार प्रस्तुत किया गया। 3 मार्च, 1939 को राबर्टो रिवागल के शासन द्वारा प्रशासन में सुधार करने का पत्र भंग करने पर गांधीजी ने घामरत घनघन शुरू किया। वादमराय द्वारा 7 मार्च को सर. मास्मि खापर की विवाद विस्तार के विषे पंच के रूप में नियुक्ति करने पर घनघन का त्याग किया। द्वितीय महासुद्ध में उत्तम गम्भीर गंठ के समय वादमराय के निमन्त्रण पर गांधीजी ने सुद्ध की स्थिति पर जुलाई-गिास्वर, 1940 में वादमराय से बातचीत की। भारत में अंशेरी शासन के रसें में भारतीयों की स्वाधीनता के प्रति घनिष्ठा देखने हुए गांधीजी ने घटोबर, 1940 में स्थितिगत घनघन घषणा घान्दोचन शुरू करने का निर्णय किया। सुद्ध के रोगन सरदार द्वारा घेग पर मगाये घरे पूर्व-भंगर कराने के नियमों के विरोध में गांधीजी ने घरने गान्धाहिन पत्र घापने घर घर दिये। 30 दिसम्बर, 1941 को गांधीजी के घाघर पर घाघेग ने उन्हें नेकृत्य में निबुत्त कर दिया। जनवरी, 1942 में गांधीजी ने ह्मिन्नत गान्धाहिन तथा घनघन घन घापने घन: प्रारम्भ किये। मार्च 27 को गांधीजी सर स्टारट्टे किये में द्विती में किये। उन्होंने किये प्रस्तावों को "विघ्नो तारीख में दिये घरे घेर" की संज्ञा दी। मई में उन्होंने द्विदिम सरदार को भारत छोड़ने का घाघर किया।



गांधीजी को कांग्रेस का अधिनायक (डिप्टेटर) नियुक्त किया। 2 मार्च को बायसराय को लिखे पत्र में उन्होंने कांग्रेस की मांगे स्वीकार न करने की स्थिति में नमक-कानून तोड़ने का निश्चय प्रकट किया। 12 मार्च को उन्होंने दांडी कूच किया और दांडी 6 अप्रैल को नमक-कानून तोड़ा। किन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में 3 मई की रात को कराड़ी में उन्हें 1827 के रेग्युलेशन 25 के अन्तर्गत मुकदमा चनाये बिना गिरफ्तार कर यरवदा जेल में बन्द कर दिया गया। सरकार के इस कार्य के विरोध में भारत व्यापी प्रदर्शन एवम् हड़ताल हुई। लगभग एक लाख व्यक्ति जेलों में ठूस दिये गये। सरकार ने उन्हें 26 जनवरी, 1931 को गांधी-इविन ममभौते के लिये बिना शर्त रिहा कर दिया। गांधी-इविन वार्ता प्रारम्भ हुई। गांधीजी ने गोलमेज परिषद् में भाग लेना स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में वे लन्दन में आयोजित गोलमेज परिषद् में सम्मिलित हुए। ब्रिटिश सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया अतः गांधीजी ने पुनः 31 दिसम्बर, 1931 को सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। 14 जनवरी, 1932 को बम्बई में गांधीजी तथा मरदार पटेल को 1818 के रेग्युलेशन 3 के अन्तर्गत बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार कर लिया गया। यरवदा जेल में मेकडोनाल्ड के साम्प्रदायिक पंचाट, जिसमें हरिजनों को हिन्दुओं से पृथक करने के लिये पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, के विरोध में 20 सितम्बर 1932 को आमरण अनशन प्रारम्भ किया। किन्तु सरकार द्वारा गांधीजी की मांगे पूरा करने के निर्णय के पश्चात् उन्होंने अनशन त्याग दिया। यरवदा जेल में ही अम्पासाहब पटवर्धन द्वारा जेल में भंगी का काम करने की मांग अस्वीकृत होने के कारण उनके उपवास की सहानुभूति में गांधीजी ने उपवास किया। सरकार द्वारा आशवासन मिलने पर उपवास छोड़ा। 11 फरवरी, 1933 को गांधीजी ने "हरिजन" साप्ताहिक की स्थापना की जो हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होने लगा। 8 मई 1933 को गांधीजी ने इक्कीस दिन का हरिजन-उपवास प्रारम्भ किया। सरकार ने उसी दिन गांधीजी को बिना शर्त जेल से रिहा कर दिया। पूना में "पर्णकुटी" नामक स्थान पर गांधीजी ने 29 मई को अपना उपवास पूरा किया।

30 जुलाई, 1933 को गांधीजी ने बम्बई की सरकार को अपने तैतीस सहयोगियों सहित अहमदाबाद से रास तक कूच करने के व्यक्तिगत सत्याग्रह से अवगत कराया। 31 जुलाई को व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 अगस्त को नियंत्रण के अधीन छोड़ दिया गया। किन्तु गांधीजी ने उसी दिन नियंत्रण को सविनय भंग किया अतः उन्हें पुनः बन्दी बना लिया गया और एक वर्ष की सजा दी गयी। यरवदा जेल में गांधीजी ने हरिजनोद्धार का कार्य संचालित करने की छूट प्राप्त करने के लिये उपवास किया। 20 अगस्त को उनकी हालत खराब होने पर उन्हें सामून अस्पताल में भर्ती किया गया। 23 अगस्त को उनकी शारीरिक स्थिति गम्भीर होने के कारण बिना शर्त जेल से रिहा कर दिया गया। गांधीजी ने 4 अगस्त, 1934 तक केवल असृश्यता-विरोधी कार्य करने का ही व्रत लिया। 17 सितम्बर, 1934 को गांधीजी ने राजनीति से सन्यास लेकर ग्रामोद्योग के विकास, हरिजन संघ तथा युनियादी शिक्षा के लिये कार्य करने की घोषणा की। उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की।

1936-1937 में गांधीजी ने वर्धा के सेवासाम को अपना मुख्यालय बनाया।

वहाँ उन्होंने मुद्रियादी निशा पर कार्य करने के लिए एक निशा-सम्मेलन भी आयोजित किया। उनकी "निशा की वर्धा योजना" में मूलभूत हस्तकलाओं के माध्यम में निशा प्राप्त करने का विचार प्रस्तुत किया गया। 3 मार्च, 1939 को राब्रोट शिवामन के मासक द्वारा प्रमाणन में सुधार करने का वचन भंग करने पर गांधीजी ने आसन्न घनघन शुरू किया। बाबुलगाय द्वारा 7 मार्च को मर. मासिक खादर को विचार निपटारे के विवेक के रूप में नियुक्ति करने पर घनघन का समाप्त किया। डिप्टी महासुद में उदयन गम्भीर संकट के समय बाबुलगाय के निमन्त्रण पर गांधीजी ने सुद की स्थिति पर जुलाई-नवम्बर, 1940 में बाबुलगाय में जायचीन की। भारत में अफ्रीकी सामन के रथों में भारतीयों की स्थापितता के प्रति घनिष्ठता देखने हुए गांधीजी ने अक्टोबर, 1940 में व्यक्तिगत मविनय प्रवक्ता घान्डीजन शुरू करने का निर्णय किया। सुद के रोगन सरकार द्वारा प्रेष पर लगाये गये पूर्ण-संस्कार करने के नियमों के विरोध में गांधीजी ने अपने मासिक पत्र छापने बन्द कर दिये। 30 दिसम्बर, 1941 को गांधीजी के आदेश पर चापेन ने उन्हें नेमृत्यु में निवृत्त कर दिया। जनवरी, 1942 में गांधीजी ने हरितन मासिक पत्र का अन्त्य पत्र छापने पुनः प्रारम्भ किये। मार्च 27 को गांधीजी मर. मृत्युके विषय में दिल्ली में मिले। उन्होंने त्रिज्य प्रस्तावों को "विद्युती तामिस में दिने गये खैर" की संज्ञा दी। मई में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने का आदेश दिया।

गांधीजी चापेन में अग्रहण होने के कारण उनके नेतृत्व में हट चुके में फिर भी चापेन महासमिति ने गांधीजी की अहिंसा को प्रभावी मानने हुए उनके निवेदन किया कि वे हम सपर्यं का नेतृत्व करें। 8 अगस्त को गांधीजी ने बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय चापेन महासमिति के समक्ष 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार प्रकट किये। 9 अगस्त, 1942 को गांधीजी ने बम्बई में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का आरंभ किया। 'बरो मा मरो' के गांधीजी के आदेश पर "1942 को अन्ततः चापेन" भारत को अन्तरी की लड़ाई का अन्तर्भव्य भी। 9 अगस्त को सुद ही गांधीजी की चापेन के प्रमुख नेताओं की नियुक्तियों के बाद देन भर में भाग लेन गयी। मोदी के पास कोई निश्चित चापेन न था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त

शोषण के विरुद्ध बचाव है। राज्य प्रथवा राजनीतिक शक्ति को गांधीजी ने साध्य न मानकर जनता के जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति का साधन माना है। गांधीजी का राज्य न तो हेगल प्रथवा मुमोलिनी के विचारों का राज्य है, न भरतू, ग्रीन तथा बोनाके के विचारों-समूह समुदायों का समुदाय। उनके अनुसार राज्य सबके अधिकतम कल्याण के साधनों में से एक साधन है। राज्य के विषय में कोई पवित्रता जैसी बात नहीं। राज्य मानवीय दुर्बलता से उत्पन्न सुविधा है, अतः व्यक्ति जितना अधिक राज्य के बिना काम चलाये, उतनी ही उसकी स्वतन्त्रता वास्तविक होती चली जायेगी। वे राज्य में प्रविष्टताम प्रकट करते हैं और सत्याग्रह के माध्यम से जनता में राज्य सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रतिकार करने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। उनके अनुसार वास्तविक स्वराज्य की तब स्थापना होगी जब सत्ता चन्द व्यक्तियों के हाथ में न होकर उन सब व्यक्तियों के हाथ में आ जायेगी जो सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिकार कर सकें। वास्तविक स्वशासन वह है जहाँ सत्याग्रह जनता का मार्गदर्शक हो—अन्य कोई भी शासन विदेशी शासन है।

गांधीजी, बहुलवादियों तथा परराजकतावादियों के समान राज्य की पूर्ण सम्प्रभुता के विरुद्ध हैं जो कि व्यक्ति पर राज्य के कानून के प्रति बाध्यकारी साम्राज्यतन्त्र का कर्त्तव्य निर्धारित करती है। उनका विश्वास शुद्ध नैतिक सत्ता पर आधारित लोकसम्प्रभुता में है। व्यक्ति को अन्य संगठनों के समान राज्य के प्रति मौमित एवं तापेक्ष निष्ठा रखनी चाहिये। उनके अनुसार यह निष्ठा व्यक्ति के अन्तःकरण को प्रभावित करने वाले राज्य प्रथवा अन्य संगठनों के विनिश्चयों पर निर्भर करती है। यह परराजकता की निरन्तर धमकी की सूचक प्रथम है, फिर भी राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध यही समुचित सुरक्षा है। यद्यपि गांधीजी व्यक्ति की नैतिक धारणाओं को हानि पहुँचाने वाले कानूनों की अवमान्यता को नागरिक का अधिकार तथा कर्त्तव्य मानते हैं, फिर भी उन्होंने परराजकता की रोकथाम के लिये सत्य एवं अहिंसक प्रयत्न का सुरक्षात्मक उपाय सुझाया है।

अहिंसक राज्य के राजनीतिक मविधान के मंथन में गांधीजी के विचार इंग्लैण्ड की संसदात्मक शासन-पद्धति की प्रपनाने के पक्ष में नहीं हैं। गांधीजी ने 1908 में ही इंग्लैण्ड में प्रचलित संसदात्मक शासन-पद्धति की प्रालोचना प्रारम्भ कर दी। वे संसदात्मक लोकतन्त्र के पक्ष में थे किन्तु वे इसे प्राथमिक चर्चा में प्रयुक्त करना चाहते थे मद्यपि 1942 में मुई विचार के साथ बालगोल के दौरान गांधीजी ने कहा था कि वे सार्वभौम प्रतिनिधित्व तथा सार्वभौमिक मताधिकार वाली पश्चिमी लोकतान्त्रिक पद्धति को स्वीकार नहीं करते। गांधीजी के इन परम्पर विरोधी विचारों का यह तात्पर्य नहीं है कि उनका राजनीतिक दृष्टिकोण स्थिरता नहीं रखता। वास्तविकता यह है कि गांधीजी ने मविधान की मूल प्रारम्भ को विशेष महत्त्व दिया है, उनसे बाह्य प्रारम्भ को नहीं। गांधीजी के अनुसार प्रतिनिध्यात्मक शासन न तो भारत के लिए नया है और न अनुपयुक्त ही। उनका अभिप्राय केवल यह है कि भारत को पारम्परिक मन्दाओं की मकर नहीं बननी चाहिये। उनकी लोकतन्त्र-सम्बन्धी मान्यता भी पारम्परिक विचार धारा में सिद्धता रखती है। गांधीजी के अनुसार, लोकतन्त्र का अर्थ है मिलाकटविहीन प्रतियोगिता का शासन। अहिंसक शान्ति द्वारा स्थापित राज्य 'आध्यात्मिक लोकतन्त्र' कहलायेगा। ऐसे लोकतन्त्र में सामान्य बहुमत द्वारा ही निर्णय लिये जायेंगे लेकिन बहुमत के विरुद्ध की हमला के लिये स्वीकार नहीं

किया जायेगा। राज्य के अन्तर्गत किसी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक समूह से सम्बन्धित समस्याओं का निर्वहन उस समूह के द्वारा स्वयं किया जायेगा। महत्वपूर्ण समस्याओं पर अल्पमत की असहमति पर विस्तार से विचार किया जायेगा और बहुमत को उसकी अवहेलना करने का अवसर नहीं दिया जायेगा। गांधीजी के अनुसार अन्तःकरण से सम्बन्धित मामलों में बहुमत का नियम कोई स्थान नहीं रखता। बहुमत का नियम संकीर्ण है, क्योंकि विस्तृत व्याख्या करते समय प्रत्येक को बहुमत के समक्ष झुकना पड़ता है, किन्तु बहुमत से इस प्रकार बंधे रहने का अर्थ होगा दासता। वे ऐसे लोकतन्त्र को नहीं चाहते जिसमें जनता भेड़चाल चले। बहुमत के शासन का यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि व्यक्तिगत राय को निरर्थक ही समझा जाय। यदि किसी व्यक्ति के विचार गरिमापूर्ण हैं तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। गांधीजी का वास्तविक लोकतन्त्र यही है। असहमतिपूर्ण अल्पसंख्यकों को बहुमत की इच्छा द्वारा दवाने का प्रयास अहिंसा का हनन है और अल्पसंख्यक सत्याग्रहियों द्वारा विरोध किया जाना चाहिये। समझौते तथा आत्म-पीड़न का उदाहरण प्रस्तुत कर अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के विचारों के अनुरूप बनाने का प्रयास होना चाहिये।

इस प्रकार अहिंसक लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को मान्यता नहीं मिलेगी। गांधीजी बहुमत को उदारतापूर्वक व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं, किन्तु वे साथ ही साथ यह विचार भी व्यक्त करते हैं कि सामाजिक जीवन तथा स्वशासन को दृष्टि में रखकर अल्पमत को, उनकी नैतिक धारणा को ठेस पहुंचने वाले निर्णयों के अपवाद को छोड़कर, बहुमत के निर्णयों के समक्ष झुकने का कर्तव्य पालन करना चाहिये। अहिंसक लोकतंत्र की स्थापना में राज्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति समाज-सेवा की भावना से प्रेरित होकर कार्य करे। इसके लिये आदर्शों की एकता की आवश्यकता है। अहिंसक राज्य में नैतिक वातावरण का सृजन करना ही अहिंसक क्रान्ति का मूल उद्देश्य होगा। राज्य साधन है, स्वयंभेव साध्य नहीं। राज्य को जन-सेवा का आदर्श अपने समक्ष रखना होगा। स्वराज्य शासन का अर्थ है कम से कम शासन करने वाली सरकार। राज्य पर अधिक निर्भर नहीं रहना है।

गांधीजी के अहिंसक राज्य में राज्य के कार्यों को शनैः शनैः स्वयंसेवी संगठनों को हस्तांतरित करने पर जोर दिया गया है। वे राज्य-विहीन विचार के प्रति शास्त्रीय दृष्टिकोण के कायल नहीं हैं। वे प्रत्येक समस्या पर अलग से विचार करना चाहते हैं। यदि कोई ऐसा कल्याणकारी कार्य है जो राज्य के बिना नहीं हो सकता, तो ऐसे कार्य को वे राज्य द्वारा संपादित करवाना चाहेंगे। राज्य का प्रमुख कार्य जनता की सेवा करना है। राज्य अपने कार्यों में दमन का कम से कम उपयोग करेगा। आंतरिक प्रशासन में अपराधों को रोकथाम के लिये राज्य द्वारा विशिष्ट कार्य किया जायेगा। गांधीजी अपराधों को व्यक्तिगत बुराई न मानकर सामाजिक बुराई मानते हैं। उनकी मान्यता है कि समाज में न्याय, समानता तथा बन्धुत्व का वातावरण होना चाहिये ताकि अपराध तथा दमन दोनों की मात्रा कम हो गये। अपराध को स्थिति फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि सभी व्यक्ति आदर्श व्यक्ति नहीं होंगे। कुछ समाज-विरोधी तत्व अवश्य होंगे जो आत्म-नियंत्रण के अभाव में हिंसा द्वारा कानून को तोड़ने का कार्य करें। कुछ ऐसे संगठन भी हो सकते हैं जो हिंसा द्वारा

अहिंसक शासन को उलटने का प्रयास करें। गांधीजी के अनुसार कोई भी शासन निजी सैन्य गंगठनों को सार्वजनिक शांति भंग करने की अनुमति नहीं दे सकता। सत्याग्रही राज्य में न तो अपराधों को सहन किया जायेगा और न नागरिक स्वतंत्रता को अपराध की स्वतंत्रता में परिवर्तित करने का 'साइसेन्स' ही प्राप्त होगा। हिंसा को भड़काने वाली कार्यवाही करने पर किसी को क्षमा नहीं किया जायेगा। अपराधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपराध हिंसा को भड़काने हैं तथा व्यवस्थित समाज के शत्रु हैं। कोई भी शासन अपराजकता की स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। गांधीजी ने अहिंसक क्रान्ति के पश्चात् स्थापित होने वाले सत्याग्रही राज्य की संरचना पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, "स्वतंत्र भारतीय राज्य व्यक्तिगत तथा नागरिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेगा किन्तु संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम से भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान को हिंसा से पलटने की स्वतंत्रता नहीं होगी।"

गांधीजी हिंसात्मक कार्य करनेवाले अपराधियों को कारावास का दंड देने के पक्ष में नहीं हैं। तब यह है कि वे सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत अपराधों के लिये दंड की व्यवस्था को उचित नहीं ठहराते। उनके अनुसार सत्याग्रही नागरिक अपराधियों को अहिंसक तरीके से सुधारेंगे। गांधीजी का बस चले तो वे हत्यारों को भी जेल के दरवाजे गुलवाकर बाहर निकलने देंगे, किन्तु ऐसा समाज की वर्तमान स्थितियों में संभव नहीं है। गांधीजी ने दंड-व्यवस्था का विकल्प नहीं प्राप्त किया, अतः वे दंड देने की व्यवस्था को बनाये रखते हुये भी दंड को अहिंसक रखेंगे। सत्याग्रही राज्य में दंड के लिये कम से कम बल प्रयोग किया जायेगा। दंड के लिये राज्य का उद्देश्य न तो बितरशासनक होगा और न विचारक ही, क्योंकि दोनों स्थितियाँ अपराधों की सामाजिकता को समाप्त कर समाज तथा अपराधी दोनों के लिये हानिकारक हैं। सत्याग्रही राज्य में दंड का स्वरूप सुधारात्मक होगा। अहिंसक दंड में धमकाने, अपमानित करने, शारीरिक यातना पहुँचाने एवं भय उत्पन्न करने की स्थितियों का अंत हो जायेगा, मृत्यु-दंड नहीं दिया जायेगा क्योंकि मृत्युदंड अहिंसक के विरुद्ध है। हत्यारों को भी जेल भेजकर सुधारने का ध्येय प्रदान किया जायेगा। अन्य प्रकार के दंड दिये जा सकते हैं किन्तु दंडित अपराधियों को हर्षानुदान दिया जायेगा। अपराधियों को सुधारने तथा शिक्षित करने के लिये सभी अहिंसक उपाय काम में लिये जायेंगे। मनोचिकित्सकों द्वारा अपराधियों की जांच तथा उनका इलाज किया जायेगा। उन्हें शिक्षा दी जायेगी और दस्तकारी मिलायी जायेगी। वेगैरे पर गिरा दिये जाने तथा उनकी गिरावटों का निराकरण करने की व्यवस्था होगी। जेल तथा कारावास की व्यवस्था बनी रहेगी, जेलों तथा जेल-खोरन को सुधारने के लिए गांधीजी ने विस्तृत योजना प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा है कि जेल को समाप्त द्वारा अपराध का प्रतिरोध देने की संस्था न माना जाय, किन्तु एक सुधारक, चिकित्सात्मक तथा पाठशाळा में परिवर्तित कर दिया जाय ताकि चूटकराई को अहिंसक जीवन जीने का अवसर मिले। खादी के निर्माण एवं प्रचार के लिये गांधीजी ने जेलों को खूना है ताकि कारावास से मुक्त हुआ व्यक्ति खादी का सर्वोत्तम जन-जन तक पहुँचाने और यह राज्य का धार्मिक नागरिक बन सके। गांधीजी ने कारावास को भी दंड का ही स्वरूप मान कर उसे समाप्त करने का उपाय है। अहिंसक कारावास अथवा दंड अहिंसक राज्य के समाप्त हुए

विरोधाभास है। जब तक कारागृह रहेगे तब तक राज्य तथा समाज के दमनकारी रूप की ही याद ताजा रहेगी। गांधीजी इस दमन को भी हटाना चाहेंगे।

गांधीजी के अहिंसक राज्य में नागरिक उपद्रवों की संख्या भी कम हो जायेगी। जनसमूहों में पारस्परिक संघर्ष की घटनाएँ कम होगी। जनता हिंसात्मक घटनाओं पर अहिंसक नियंत्रण कायम करेगी। अहिंसा से जन-जीवन प्रोत्पन्न होने पर हिंसा की वारदातें स्वतः सीमित ही जायेगी। अहिंसक राज्य में साम्प्रदायिक दंगों तथा गंभीर श्रम-संकटों की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन गांधीजी अहिंसक राज्य में पुलिस-व्यवस्था को बनाये रखना पसंद करेंगे। पुलिस की हिंसात्मक तरीके अपनाने की छूट नहीं होगी। पुलिस के सिपाहियों की भर्ती के समय उनकी वही योग्यताएँ निर्धारित की जायेंगी जो शान्ति-सेना के स्वयंसेवकों के लिए है। वर्तमान पुलिस-बल के स्थान पर सर्वथा नवीन प्रणाली से ऐसे व्यक्तियों को पुलिस में भर्ती किया जायेगा जो अहिंसा में पूर्ण निष्ठा रखते हों। वे जनता के साथ स्वामियों जैसा बर्ताव न कर जन-सेवकों जैसा व्यवहार करेंगे। जनता उन्हें सहयोग देगी और परस्पर सहयोग से वे निरन्तर घटनेवाले उपद्रवों का सामना करेंगे। पुलिस के पास हथियार रहे भी तो वे उनका यदा-कदा ही प्रयोग करेंगे। पुलिस सुधारक की भूमिका अदा करेगी। उसका मुख्य कार्य डकैतों तथा लुटेरों से निपटने का रहेगा। पुलिस को हथियार रखने की सुविधा गांधीजी इस कारण से देना चाहते हैं कि पुलिस को अपराध करने वालों को गिरफ्तार करने तथा उन्हें अहिंसक उपचार के लिये कारागृह में भेजने का कार्य करना होगा। पुलिस को शारीरिक बल प्रयोग भी करना पड़ सकता है यदि वे किसी पागल को हत्या करने पर आमादा देखें। गांधीजी ने अपराध रोकने के लिये अश्रु गैस के प्रयोग की छूट दी है, यद्यपि वे इसे अहिंसक आदर्श के अनुरूप नहीं मानते। गांधीजी पुलिस के विरुद्ध नहीं हैं किन्तु वे पुलिस-व्यवस्था के हिंसात्मक पक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। के. जी. मधुवालाला के अनुसार गांधीजी ने पुलिस का वास्तविक कार्य अपराध की रोकथाम करना माना है, न कि अपराध के बाद अपराधी को खोज, जांच-पड़ताल तथा गिरफ्तारी, जैसा कि वर्तमान पुलिस-व्यवस्था में हो रहा है।

गांधीजी ने पूर्ण-स्वराज्य की स्थिति प्राप्त होने तक सेना को बनाये रखने का विचार प्रकट किया है। यह विचार उन्होंने गांधी-इविन समझौते के बाद व्यक्त किया था। बाद में (1937) उन्होंने नागरिक स्वतन्त्रता तथा आंतरिक शान्ति बनाये रखने के लिए सेना के प्रयोग को प्रस्वीकृत कर दिया। वे विदेशी आक्रमण के समय भी सेना के प्रयोग के पक्ष में नहीं हैं। सत्याग्रही राज्य में पुलिस तथा सेना का प्रयोग नहीं होना चाहिये। गांधीजी विशेषतः सेना के प्रयोग के विरुद्ध हैं। पुलिस को वे सुधारने के पक्ष में हैं किन्तु सेना को वे अहिंसा के विचारों के प्रतिकूल मानते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की दृष्टि से सैन्यबल मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। उनके मतानुसार यदि पूर्ण निःशस्त्रीकरण स्वीकार कर लिया जाय तो सेना की आवश्यकता ही नहीं है।

गांधीजी ने राज्य द्वारा न्यायिक कार्य करने की स्थिति को आंशिक रूप में स्वीकार किया है। वे चाहते हैं कि अहिंसक राज्य में न्यायानुसंगी का कार्य पंचायतों करे। गांधीजी वर्तमान न्यायिक प्रणाली के दोषों से पूर्णतः परिचित होने के कारण

वकीलों तथा न्यायाधीशों-दोनों-के विरुद्ध हैं। वकील तथा न्यायाधीश को गांधीजी ने चचेरे भाई माना है। जो बात वकीलों पर लागू होती है, वही न्यायाधीशों पर भी लागू है। उनके अनुसार न्यायिक व्यवस्था धर्मेतिकता मिटाती है। वकील भगड़ों को गमाप्त करने के स्थान पर उन्हें बढ़ावा देते हैं। उनका हित इसी में है कि भगड़े बचने जाय। गांधीजी वकीलों को मजदूरों से अधिक फीस दिलाने के पक्ष में नहीं हैं। हिन्दू-मुस्लिम दंगों के बारे में गांधीजी ने 1908 में कहा था कि दंगों का कारण वकीलों या हस्तक्षेप था। वे वकीलों को विदेशी भासन का शिकंजा मजबूत करने में सहायक मानने में। उनके अनुसार वकीलों के बिना न्यायालयों की स्थापना नहीं होनी और न्यायालयों के पभाव में अंग्रेज भारत पर हुकूमत नहीं कर सकते थे। वे न्यायालयों को जनहितकारी नहीं मानते। जो अपनी शक्ति को बनाये रखना चाहते हैं वे ही न्यायालय का सहारा लेते हैं। न्यायालयों का लक्ष्य उम्र घामन की सत्ता को स्थायित्व देना होता है जिसका कि वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरे पक्ष द्वय निर्णय हमेशा सही नहीं होता। दोनों पक्ष ही जानते हैं कि कौन सही है। उनकी मान्यता है कि हम अपने ध्यान तथा सादगीवश यह मान लेते हैं कि एक भजनवी [वकील या न्यायालय] हमसे धन लेकर हमें न्याय दे सकता है।

गांधीजी ने उपयुक्त कारणों से न्याय दिलाने की प्रक्रिया को मस्ता करने, पंचायती द्वारा पंच फैसले करने तथा मध्यवर्ती न्यायालयों की बहुलता गमाप्त करने का सुझाव दिया। वे वकीलों का पेशा समाप्त नहीं करना चाहते, पर उन्हें अपने व्यवसाय की उष्चता का दंभ न करने की बात कहते हैं। वकीलों का सामाजिक कार्य भंग करने वाले दो दलों को मिलाने का है। इन प्रकार गांधीजी राज्य के न्यायिक कार्य को भी न्यूनतम करना चाहते हैं। उनकी बन्धना के नवीन राज्य में अपराध तथा भगड़े कम होंगे। जनता न्यायालयों को छोड़कर प्राणियों समझौतों, प्रपक्वा पंच-फैसलों में भगड़ों का निबटारा करायेंगी। कुछ मुकदमों जो राज्य के न्यायालयों में जायेंगे, उनके लिए न्याय शान्ता, शीघ्र तथा दस होगा।

गांधीजी के द्वािक राज्य में सामाजिक तथा धार्मिक संरचनाएँ ऐसी होंगी जिनमें राज्य जनता की धार्मिक स्थितियों को गमानता प्रदान कर सामाजिक न्याय तथा धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना कर सके। राज्यविहीन समाज का सामाजिक-धार्मिक तथा नागरिकों की नैतिक क्षमता पर निर्भर करेगा। जब तक द्वािक राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक सामाजिक गमानता, धर्मरक्षण का अर्थ, जाति-प्रथा की कठोरता की गमानिता तथा दानकारी पर धार्मिक गमल-धार्मिक जीवन स्थापित हो जाना चाहिये। राज्य-विहीन समाज की वर्ण-व्यवस्था में भिन्न द्वािक राज्य की धर्म-व्यवस्था उत्साहन नीति में दिखाई देंगी और बड़े स्तर पर उत्साहन तथा भावने बहनों के प्रयोग की अनुमति देगी। फिर भी गांधीजी सपु-उद्योगों तथा स्वयंसेवी सेवाओं पर द्वािकता की धार्मिक बनना चाहते हैं। वे मानते हैं सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। कई भी द्वािक संस्थाएँ नहीं बनना चाहते हैं। वे बे-द्वेष उत्साहन तथा धार्मिक बहनों को गरी प्रसार के जीवन-धर्म में बाधा मानते हैं। फिर भी गांधीजी यह धार्मिक गमल मानते हैं कि जनता सामाजिक के धार्मिक गमलों तथा उद्योगों की धार्मिकता की गुण बचने

वाली भारी मशीनों को नहीं त्याग सकती। जो कार्य मानवीय श्रम से नहीं हो सकता, उस कार्य के लिये भारी मशीनों की उपयोगिता को स्वीकार किया जाना चाहिये। भूतः गांधीजी भी चाहते हैं कि जनता उद्योगवाद से छुटकारा पाना सीधे से तो उसके द्वारा वाष्प तथा विद्युत् का प्रयोग हानिप्रद नहीं होगा। उद्योगवाद के केन्द्रित उत्पादन तथा मुनाफे की वृत्ति दोनों के प्रति गांधीजी चिंतित हैं। वे कुछ सीमा तक केन्द्रित उद्योग को छूट देने को तैयार हैं किन्तु मुनाफे की प्रवृत्ति उन्हें स्वीकार नहीं है।

सीमित मात्रा में केन्द्रित उत्पादन की छूट में गांधीजी ने उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की अनुमति दी है यदि पूंजीपति श्रमिक के स्तर को अपनी पूंजी का समान भागीदार बनाने तथा श्रम एवं पूंजी को उपभोक्ता के न्यासी एवं न्यासिता के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो। यदि ऐसा न हो तो राज्य का स्वामित्व ही सर्वत्र श्रेयस्कर रहेगा। राष्ट्रीयकृत तथा राज्य नियन्त्रित कारखानों में उत्पादन मुनाफे की दृष्टि से नहीं किया जायेगा बल्कि मानवता के उपयोग के लिये होगा। व्यक्ति के श्रम को बचाने का उद्देश्य मानवीय आधारा पर होना चाहिये, न कि मुनाफा कमाने के लालच पर। राज्य के स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में श्रमिकों को उनके चुनिन्दा प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्थापन करने में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। उन्हें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थापन की समान साझेदारी मिलेगी। गांधीजी खाद्य पदार्थ तथा वस्त्रों के भारी उद्योगों के पक्ष में नहीं हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन साधन जनता के हाथों में रहने चाहिये और ये वस्तुएँ उसी प्रकार सुगमता से उपलब्ध होनी चाहिये जैसे ईश्वर-प्रदत्त हवा तथा पानी। यदि गांव इस दिशा में स्वावलम्बी बनना चाहें तो गांधीजी उन्हें छोटी मशीनों तथा उपकरणों को स्वयं बनाने तथा प्रयुक्त करने की पूर्ण अनुमति देते हैं। किन्तु इनसे दूसरों का शोषण नहीं होना चाहिये। वे विकेन्द्रित कुटीर उद्योगों में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध नहीं हैं। यदि गांवों में बिजली उपलब्ध है तो गांधीजी ग्रामीणों द्वारा अपने यंत्र तथा उपकरणों को बिजली में चलाये जाने का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि विद्युत-घरों पर स्वामित्व राज्य अथवा ग्राम समुदायों का होगा, ठीक उसी तरह जैसे उनके चरागाह होते हैं। फिर भी गांधीजी उद्योगवाद के प्रति निरन्तर शंकित हैं। वे नहीं चाहते कि विद्युत-चालित मशीनों द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन किया जाय। ऐसे उद्योग राज्य के स्वामित्व में ही तब भी निरर्थक ही रहेंगे, क्योंकि भारी-भरकम मशीनों से खतरा बना ही रहेगा।

जमींदारी प्रथा के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा है कि यदि जमींदार किसानों के साथ न्यासियों जैसा बर्ताव नहीं करे तो राज्य के कानून द्वारा उनकी भूमि छीन ली जायेगी। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास उसकी सम्पत्ति उदर प्रति से अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिये। गांधीजी सम्पत्ति का निजी स्वामित्व स्वीकार करते हैं, किन्तु उनके लिये न्यासिता की शर्त अनिवार्य है। यदि न्यासिता न मानी जाये तो राज्य का स्वामित्व आवश्यक है। फिर भी राज्य के स्वामित्व की वे न्यूनतम रचना चाहेंगे। राज्य शक्ति का प्रतीक एवं प्रयोगकर्ता होने के कारण व्यक्ति की सम्पत्ति छीन सकता है किन्तु ऐसा तब ही हो जब और कोई मार्ग न हो और वह भी कम से कम शक्ति के प्रयोग में किया जाय। इस प्रकार गांधीजी के अहिंसक राज्य में सामाजिक तथा आर्थिक



बाबे को सामाजिक न्याय तथा सनना पर निर्भर बनाने में राज्य की विशेष भूमिका मानी गई है। राज्य तत्पु उद्योगों को प्रोत्साहन देगा, बनों, घन्टियों, गन्ध के स्रोतों तथा संचार के माधनों को राज्य जनहित में स्वयं नियंत्रित करेगा, जनोदारी तथा पूंजीपतियों द्वारा न्यायिता के अनुसूच जीवन न जीने पर राज्य जनोदारी के विभिन्न प्रकार मनाया कर देगा और केन्द्रित उद्योगों को स्वयं के अधिकार में लेकर धर्मियों की सामोदारी में उद्योगों का व्यवस्थापन करेगा। इस तरह इन माधनों का अधिग्रहण राज्य न्यूनतम हिमा के साथ करेगा। गांधीजी द्वारा प्राथिक स्थितियों को समानता के स्तर पर माने के कार्य में राज्य द्वारा अधिग्रहण करने का कार्य अर्द्धमन से ही गई मुविषा ही है। राज्य में उनकी निष्ठा नहीं है, अतः वे निजी स्वामित्व की हिमा को राज्य की हिमा के कम हानिकारक मानते हैं। एक बार अहिंसक राज्य की स्थापना होने तथा सामाजिक एवं प्राथिक बाबे में आवश्यक परिवर्तन होने के पश्चात् प्राथिक जीवन स्वयं नियमित हो जायेगा और राज्य द्वारा नियमित करने की आवश्यकता शून्य शून्यः कम हो जायेगी।

गांधीजी ने राजस्व-व्यवस्था को सुधारने का मुभाव भी दिया है ताकि निधन व्यक्ति की भलाई राज्य का प्रारंभिक कार्य बन जाये। कराधान का स्वल्प प्रकार करदाता को दम पुनी सेवायें प्रेषित करने में है। यह भार रूप नहीं होना चाहिये। लेकिन अहिंसक राज्य व्यक्तियों को उनके नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक अष्टाधार के लिए कर देने को विवश नहीं करेगा। पाप की कमाई राज्य नहीं लेगा। पुष्टीकरण के युग में राज्य का कानूनी सरक्षण हटा लिया जायेगा और इसमें सम्बन्धित धाय भी राज्य छोड़ देगा। राज्य देशालयों को चलाने के साधनों नहीं देगा। राज्य तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से उपयुक्त बुरादियों के विरुद्ध ऐसा प्रचार किया जायेगा ताकि जनमत मिश्रित होकर इन बुरादियों से मुक्त हो। नैतिक आधारों पर गांधीजी ने मद्य एवं अन्य मनीषे अष्टों पर राजस्व पूर्णतः समाप्त करने के लिए बड़ा विचार प्रस्तुत किया है। मद्यनिषेध गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम का प्रमुख स्तम्भ रहा है। गांधीजी इसके लिए राज्य तथा स्वयंसेवी मददगारों में समान रूप में कार्य करने की धाराशा रखते हैं। मद्य की दुबानें बन्द करने का कार्य नकारात्मक है, बल्कि एक प्रकार की राष्ट्रीय प्रोड-मिटा द्वारा इसका हान्य नकारात्मक है। मद्य-निषेध के प्रचारार्थ शान्ति-पूर्ण धरना तथा मद्यों से निकट का व्यक्तिगत सम्पर्क मुभाया गया है। गांधीजी ने मद्य-निषेध से उत्पन्न राजस्व के संकट तथा अन्य अन्वयों की बिना बिना मद्य-निषेध को लागू करने में सहायता दिया है। उनके अनुसार अनुसूच न कि राजस्व मूल धारणा है।

गांधीजी ने कर देने की प्रणाली के बारे में गरीब विचार प्रस्तुत किये हैं। वे मुद्रा के स्थान पर धम द्वारा कर देने का मुभाव देते हैं। समाज के सेवायें जहाँ जनता स्वयंसेवा में धम बरे, वहाँ धन का विनिमय आवश्यक नहीं है। कर एकीकृत करने तथा उसका हिमाय रखने का धम भी बच जायेगा और परिणाम भी अच्छे ही रहेंगे। धम द्वारा कर देने से उम शेष की भाँसा के लिए, जहाँ से कर एकीकृत किया है, का का उपयोग धननिहित है।

इस प्रकार राज्य के बाबों में गांधीजी 'कम से कम राज्य' के सिद्धम का पालन करवाता चाहते हैं और राज्य द्वारा कम से कम गन्ध का प्रयोग ही जीवन टकाने है।

वाली भारी मशीनों को नहीं त्याग सकती। जो कार्य मानवीय श्रम से नहीं हो सकता, उस कार्य के लिये भारी मशीनों की उपयोगिता को स्वीकार किया जाना चाहिये। परतः गांधीजी भी चाहते हैं कि जनता उद्योगवाद से छुटकारा पाना सीख ले तो उसके द्वारा वाष्प तथा विद्युत् का प्रयोग हानिप्रद नहीं होगा। उद्योगवाद के केन्द्रित उत्पादन तथा मुनाफे की वृत्ति दोनों के प्रति गांधीजी चिंतित हैं। वे कुछ सीमा तक केन्द्रित उद्योग को छूट देने को तैयार हैं किन्तु मुनाफे की प्रवृत्ति उन्हें स्वीकार नहीं है।

सीमित मात्रा में केन्द्रित उत्पादन की छूट में गांधीजी ने उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की अनुमति दी है यदि पूंजीपति श्रमिक के स्तर को अपनी पूंजी का समान भागीदार बनाने तथा श्रम एवं पूंजी को उपभोक्ता के न्यासी एवं न्यासिता के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो। यदि ऐसा न हो तो राज्य का स्वामित्व ही सर्वत्र श्रेयस्कर रहेगा। राष्ट्रीयकृत तथा राज्य नियन्त्रित कारखानों में उत्पादन मुनाफे की दृष्टि से नहीं किया जायेगा बल्कि मानवता के उपयोग के लिये होगा। व्यक्ति के श्रम को बचाने का उद्देश्य मानवीय आधारों पर होना चाहिये, न कि मुनाफा कमाने के लालच पर। राज्य के स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में श्रमिकों को उनके चुनिन्दा प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्थापन करने में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। उन्हें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थापन की समान साझेदारी मिलेगी। गांधीजी खाद्य पदार्थ तथा वस्त्रों के भारी उद्योगों के पक्ष में नहीं हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन साधन जनता के हाथों में रहने चाहिये और ये वस्तुएँ उसी प्रकार सुगमता से उपलब्ध होनी चाहिये जैसे ईश्वर-प्रदत्त हवा तथा पानी। यदि गांव इस दिशा में स्वावलम्बी बनना चाहे तो गांधीजी उन्हें छोटी मशीनों तथा उपकरणों को स्वयं बनाने तथा प्रयुक्त करने की पूर्ण अनुमति देते हैं। किन्तु इनसे दूसरों का शोषण नहीं होना चाहिये। वे विकेन्द्रित कुटीर उद्योगों में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध नहीं हैं। यदि गांवों में बिजली उपलब्ध है तो गांधीजी ग्रामीणों द्वारा अपने यंत्र तथा उपकरणों को बिजली से चलाये जाने का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि विद्युत्-घरों पर स्वामित्व राज्य अथवा ग्राम समुदायों का होगा, ठीक उसी तरह जैसे उनके चरागाह होते हैं। फिर भी गांधीजी उद्योगवाद के प्रति निरन्तर शक्ति हैं। वे नहीं चाहते कि विद्युत्-चालित मशीनों द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन किया जाय। ऐसे उद्योग राज्य के स्वामित्व में हो तब भी निरर्थक ही रहेंगे, क्योंकि भारी-भरकम मशीनों से खतरा बना ही रहेगा।

जमींदारी प्रथा के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा है कि यदि जमींदार किसानों के साथ न्यायिमयों जैसा बर्ताव नहीं करें तो राज्य के कानून द्वारा उनकी भूमि छीन ली जायेगी। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास उसकी सम्यक् उदर पूर्ति से अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिये। गांधीजी सम्पत्ति का निजी स्वामित्व स्वीकार करते हैं, किन्तु उसके लिये न्यायिता की शर्त अनिवार्य है। यदि न्यासिता न मानी जाये तो राज्य का स्वामित्व आवश्यक है। फिर भी राज्य के स्वामित्व को वे न्यूनतम रखना चाहेंगे। राज्य शक्ति का प्रतीक एवं प्रयोगकर्ता होने के कारण व्यक्ति की सम्पत्ति छीन मरता है किन्तु ऐसा तब ही हो जब और कोई मार्ग न हो और वह भी कम से कम शक्ति के प्रयोग में लिया जाय। इस प्रकार गांधीजी के अहिंसक राज्य में सामाजिक तथा आर्थिक

ढांचे को सामाजिक न्याय तथा समता पर निर्भर बनाने में राज्य की विशेष भूमिका मानी गई है। राज्य लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देगा, वनों, पत्तियों, शक्ति के स्रोतों तथा संचार के साधनों को राज्य जनहित में स्वयं नियंत्रित करेगा, जमींदार तथा पूजोपतियों द्वारा न्यासिता के अनुरूप जीवन न जीने पर राज्य जमींदारी के विभिन्न प्रकार समाप्त कर देगा और केन्द्रित उद्योगों को स्वयं के अधिकार में लेकर श्रमिकों की सामेदारी में उद्योगों का व्यवस्थापन करेगा। इस तरह इन साधनों का अधिकारण राज्य न्यूनतम हिस्सा के साथ करेगा। गांधीजी द्वारा धार्मिक स्थितियों को समानता के स्तर पर लाने के कार्य में राज्य द्वारा अधिकारण करने का कार्य अर्द्धमन से दी गई सुविधा ही है। राज्य में उनकी निष्ठा नहीं है, अतः वे निजी स्वामित्व की हिंसा को राज्य की हिंसा से कम हानिकारक मानते हैं। एक बार अहिंसक राज्य की स्थापना होने तथा सामाजिक एवं धार्मिक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन होने के पश्चात् धार्मिक जीवन स्वयं नियमित हो जायेगा और राज्य द्वारा नियमित करने की आवश्यकता शून्य: शून्य: कम हो जायेगी।

गांधीजी ने राजस्व-व्यवस्था को सुधारने का सुझाव भी दिया है ताकि निर्धन व्यक्ति की भलाई राज्य का प्रारंभिक कार्य बन जाये। कराधान का स्वस्थ प्रसार करदाना को हम गुनी सेवायें अर्पित करने में है। यह भार रूप नहीं होना चाहिये। लेकिन अहिंसक राज्य व्यक्तियों को उनके नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक अष्टाचार के लिए कर देने को विवश नहीं करेगा। पाप की कमाई राज्य नहीं लेगा। पुढोड के जुए से राज्य का कानूनी संरक्षण हटा लिया जायेगा और इससे सम्बन्धित धाय भी राज्य छोड़ देगा। राज्य बेव्यालयों को चलाने के लाइसेंस नहीं देगा। राज्य तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की महामता से उपयुक्त बुराईयों के विरुद्ध ऐसा प्रचार किया जायेगा ताकि जनमत शिक्षित होकर इन बुराईयों से मुक्त हो। नैतिक आधारों पर गांधीजी ने मद्य एक धन्य नहीं है इन्को पर राजस्व पूर्णतः समाप्त करने के लिए दृढ़ विचार प्रस्तुत किया है। मद्यनिषेध गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम का प्रमुख स्तम्भ रहा है। गांधीजी इसके लिए राज्य तथा स्वयंसेवी संगठनों से समान रूप में कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। मद्य की दुकानें बन्द करने का कार्य नकारात्मक है, किन्तु एक प्रकार की राष्ट्रीय प्रोड-शिफा द्वारा इसका हल नकारात्मक है। मद्य-निषेध के प्रचारार्थ शक्ति-पूर्ण धरना तथा मद्यों से निवृत्त या व्यक्तिगत सम्पर्क: सुझाया गया है। गांधीजी ने मद्य-निषेध से उत्पन्न राजस्व के संकट तथा धन्य धरनाओं को चित्ता किये बिना मद्य-निषेध को लागू करने में सज्जता दिखाई है। उनके अनुसार मनुष्य न कि राजस्व मूल धारणा है।

गांधीजी ने कर देने की प्रणाली के बारे में नवीन विचार प्रस्तुत किये हैं। वे मुद्रा के स्थान पर धम द्वारा कर देने का सुझाव देते हैं। गमाज के विचारों जहाँ जगता श्रेष्ठता से धम करे, वहाँ धन का विनिमय आवश्यक नहीं है। कर एकत्रित करने तथा उमका हिमाय रखने का धम भी बष जायेगा और परिणाम भी धरने ही रहेंगे। धम द्वारा कर देने में उम धम की भलाई के लिए, जहाँ से कर एकत्रित किया है, का का उपयोग सम्मतिहित है।

इस प्रकार राज्य के कार्यों में गांधीजी 'कम से कम शासन' के सिद्धांत का पालन करवाना चाहते हैं और राज्य द्वारा कम से कम शक्ति का प्रयोग ही उचित रहने है।

वाली भारी मशीनों को नहीं त्याग सकती। जो कार्य मानवीय श्रम से नहीं हो सकता, उस कार्य के लिये भारी मशीनों की उपयोगिता को स्वीकार किया जाना चाहिये। अतः गांधीजी भी चाहते हैं कि जनता उद्योगवाद से छुटकारा पाना सीख ले तो उसके द्वारा वाष्प तथा विद्युत् का प्रयोग हानिप्रद नहीं होगा। उद्योगवाद के केन्द्रित उत्पादन तथा मुनाफे की वृत्ति दोनों के प्रति गांधीजी चिन्तित हैं। वे कुछ सीमा तक केन्द्रित उद्योग को छूट देने को तैयार हैं किन्तु मुनाफे की प्रवृत्ति उन्हें स्वीकार नहीं है।

सीमित मात्रा में केन्द्रित उत्पादन की छूट में गांधीजी ने उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की अनुमति दी है यदि पूंजीपति श्रमिक के स्तर को अपनी पूंजी का समान भागीदार बनाने तथा श्रम एवं पूंजी को उपभोक्ता के न्यासी एवं न्यासिता के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो। यदि ऐसा न हो तो राज्य का स्वामित्व ही सर्वत्र श्रेयस्कर रहेगा। राष्ट्रीयकृत तथा राज्य नियन्त्रित कारखानों में उत्पादन मुनाफे की दृष्टि से नहीं किया जायेगा बल्कि मानवता के उपयोग के लिये होगा। व्यक्ति के श्रम को बचाने का उद्देश्य मानवीय आधारों पर होना चाहिये, न कि मुनाफा कमाने के लालच पर। राज्य के स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों में श्रमिकों को उनके चुनिन्दा प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्थापन करने में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। उन्हें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ व्यवस्थापन की समान सम्बन्धारी मिलेगी। गांधीजी सख्त पदार्थ तथा वस्त्रों के भारी उद्योगों के पक्ष में नहीं हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन साधन जनता के हाथों में रहने चाहिये और ये वस्तुएँ उसी प्रकार सुगमता से उपलब्ध होनी चाहिये जैसे ईश्वर-प्रदत्त हवा तथा पानी। यदि गांव इस दिशा में स्वावलम्बी बनना चाहें तो गांधीजी उन्हें छोटी मशीनों तथा उपकरणों को स्वयं बनाने तथा प्रयुक्त करने की पूर्ण अनुमति देते हैं। किन्तु इनमें दूसरों का शोषण नहीं होना चाहिये। वे विकेन्द्रित कुटीर उद्योगों में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध नहीं हैं। यदि गांवों में बिजली उपलब्ध है तो गांधीजी ग्रामीणों द्वारा अपने यंत्र तथा उपकरणों को बिजली से चलाये जाने का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि विद्युत-घरों पर स्वामित्व राज्य अथवा ग्राम समुदायों का होगा, ठीक उसी तरह जैसे उनके चरागाह होते हैं। फिर भी गांधीजी उद्योगवाद के प्रति निरन्तर शंकित हैं। वे नहीं चाहते कि विद्युत-चालित मशीनों द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन किया जाय। ऐसे उद्योग राज्य के स्वामित्व में ही तब भी निरर्थक ही रहेंगे, क्योंकि भारी-भरकम मशीनों से खतरा बना ही रहेगा।

जमींदारी प्रथा के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा है कि यदि जमींदार किसानों के साथ न्यासियों जैसा बर्ताव नहीं करे तो राज्य के कानून द्वारा उनकी भूमि छीन ली जायेगी। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास उसकी सम्पत्ति उदर पूति से अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिये। गांधीजी सम्पत्ति का निजी स्वामित्व स्वीकार करते हैं, किन्तु उनके लिये न्यासिता की शर्त अनिवार्य है। यदि न्यासिता न मानो जाये तो राज्य का स्वामित्व आवश्यक है। फिर भी राज्य के स्वामित्व को वे न्यूनतम रखना चाहेंगे। राज्य शक्ति का प्रतीक एवं प्रयोगकर्ता होने के कारण व्यक्ति की सम्पत्ति छीन सकता है किन्तु ऐसा तब ही हो जब और कोई मार्ग न हो और वह भी कम से कम शक्ति के प्रयोग में किया जाय। इस प्रकार गांधीजी के अहिंसक राज्य में सामाजिक तथा धार्मिक

ढांचे की सामाजिक न्याय तथा समता पर निर्भर बनाने में राज्य की विशेष भूमिका मानी गई है। राज्य तपु उद्योगों को प्रोत्साहन देगा, वनों, पत्तियों, शक्ति के स्रोतों तथा संचार के साधनों को राज्य जनहित में स्वयं नियंत्रित करेगा, जमींदार तथा पूजीपतियों द्वारा न्यायिता के अनुरूप जीवन न जीने पर राज्य जमींदारी के विभिन्न प्रकार गमाप्त कर देगा और केन्द्रित उद्योगों को स्वयं के अधिकार में लेकर श्रमिकों की माफ़ेदारी में उद्योगों का व्यवस्थापन करेगा। इस तरह इन साधनों का अधिकप्रहण राज्य न्यूनतम हिमा के साथ करेगा। गांधीजी द्वारा भाषिक स्थितियों को समानता के स्तर पर लाने के कार्य में राज्य द्वारा अधिकप्रहण करने का कार्य अर्द्धमन से दी गई मुविधा ही है। राज्य में उनकी निष्ठा नहीं है, अतः वे निजी स्वामित्व की हिमा को राज्य की हिमा से कम हानिकारक मानते हैं। एक बार अहिंसक राज्य की स्थापना होने तथा सामाजिक एवं भाषिक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन होने के पश्चात् भाषिक जीवन स्वयं नियमित हो जायेगा और राज्य द्वारा नियमित करने की आवश्यकता शून्य शून्य कम हो जायेगी।

गांधीजी ने राजस्व-व्यवस्था को सुधारने का सुझाव भी दिया है ताकि निचंन व्यक्ति की भलाई राज्य का प्रारंभिक कार्य बन जाये। कराधान का स्वल्प प्रकार करदाता को दस गुनी सेवायें अर्पित करने में है। यह भार रूप नहीं होना चाहिये। लेकिन अहिंसक राज्य व्यक्तियों को उनके नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक अष्टाचार के लिए कर देने को विवश नहीं करेगा। पाप की कमाई राज्य नहीं लेगा। पुइदोइ के जुए से राज्य का पानुनी संरक्षण हटा लिया जायेगा और इससे सम्बन्धित धाय भी राज्य छोड़ देगा। राज्य वेपतालपी को चलाने के लाइसेंस नहीं देगा। राज्य तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की गहापता से उपयुक्त बुराइयों के विरुद्ध ऐसा प्रचार किया जायेगा ताकि अनमत मिशित होकर इन बुराइयों से मुक्त हो। नैतिक आधारी पर गांधीजी ने मद्य एक अन्य नशीले द्रव्यों पर राजस्व पूर्णतः समाप्त करने के लिए दृढ़ विचार प्रस्तुत किया है। मद्यनिषेध गांधीजी के रणनीतिक कार्यक्रम का प्रमुख स्तम्भ रहा है। गांधीजी इसके लिए राज्य तथा स्वयंसेवी संगठनों से समान रूप में कार्य करने की आकांक्षा रखते हैं। मद्य की दुकानें बन्द करने का कार्य नकारात्मक है, किन्तु एक प्रकार की राष्ट्रीय प्रोइ-मिशा द्वारा हमरा हय मकारात्मक है। मद्य-निषेध के प्रचारार्थ शानि-पूर्ण धरना तथा मद्यपी से विरुद्ध का व्यक्तिगत सम्पर्क सुभाया गया है। गांधीजी ने मद्य-निषेध से उत्पन्न राजस्व के संकट तथा अन्य अणराधों की चिंता किये बिना मद्य-निषेध को लागू करने में दृढ़ता दिखाई है। उनके अनुसार मनुष्य न कि राजस्व मूल धारणा है।

गांधीजी ने कर देने की प्रणाली के बारे में नवीन विचार प्रस्तुत किये हैं। वे मुद्रा के स्थान पर श्रम द्वारा कर देने का सुझाव देते हैं। समाज के सेवार्थ जहाँ जनता खेपता से भय करते, वहाँ धन का विनिमय आवश्यक नहीं है। कर अर्कित करने तथा उमरा हिमाव रखने का श्रम भी बय जायेगा और परिणाम भी अच्छे ही रहेंगे। धन द्वारा कर देने में उम क्षेत्र की भलाई के लिए, जहाँ से कर अर्कित किया है, का का उपयोग अन्तर्निहित है।

इस प्रकार राज्य के कार्यों में गांधीजी 'कम से कम अणन' के दिवस का आकांक्ष करवाना चाहते हैं और राज्य द्वारा कम से कम अर्कित का प्रयोज ही उचित दृष्टाने है।

फिर भी गांधीजी का यह आदर्श शास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। वे प्रवृत्त उपस्थित होने पर राज्य द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण करने, सार्वभौम शिक्षा के लिये अनिवार्य सेवा का प्रावधान रखने, अनिवार्य नशाबंदी करने तथा आवश्यक वस्तुओं के केन्द्रित उत्पादन के राष्ट्रीयकरण का समर्थन भी करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता द्वारा विकसित अहिंसक दृष्टिकोण कई दृष्टियों से तत्काल हल को जानेवाली समस्याओं से निपटने में असमर्थ है, किन्तु गांधीजी ने राज्य द्वारा हिंसा तथा दबाव का काम से कम उपयोग करने का विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार विकेन्द्रीयकरण स्वयंसेवी संगठनों के महत्त्व, राज्य की लोकतांत्रिक संरचना तथा अहिंसक प्रतिरोध की दृष्ट परम्परा द्वारा राज्य के दमनकारी स्वरूप से मुक्ति दिलाई जा सकती है।

गांधीजी का 'कम शासन' का विचार पुलिस राज्य के नकारात्मक कार्यों के सघन नहीं है। अहिंसक राज्य पुलिस राज्य नहीं है। अहिंसक राज्य में पुलिस तथा सेना का महत्त्व नगण्य रहेगा। गांधीजी ने लोक-कल्याण के लिए कुछ ऐसे कार्य भी रखे हैं, जो समाजवादी अथवा साम्यवादी प्रकृति के हैं, जिनके द्वारा राज्य का हस्तक्षेप जन-कल्याण में वृद्धि कर सके। गांधीजी न तो 'यद्भाष्यम्' श्रेणी के व्यक्तिवादी हैं, और न वे समाजवादी अथवा साम्यवादी विचारधारा के प्रति निष्ठावान् ही हैं, क्योंकि वे अहिंसक साधनों, हस्तकला-सम्बन्धिता, सादगीपूर्ण जीवन तथा विकेन्द्रीयकरण के कट्टर उपासक हैं। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए गांधीजी ने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को स्वीकार किया है। कांग्रेस के करांची अधिवेशन (अगस्त 1931) में पारित मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रस्ताव को गांधीजी ने पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। वे कतिपय संशोधन करने के पक्ष में हैं: जैसे श्रम-मताधिकार, शस्त्र रखने तथा शस्त्र लेकर चलने की स्वतंत्रता, (गांधीजी की मान्यता है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत अहिंसक बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता), सेना तथा सैनिक प्रशिक्षण का अंत, रोजगार का अधिकार आदि। गांधीजी ने अधिकार तथा कर्तव्यों के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया है।

### अधिकार तथा कर्तव्य

गांधीजी ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले तथा बाद में यह बात बार-बार दोहराई कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए न कि अधिकारों की चिन्ता। अधिकार कर्तव्यों की पूर्ति के अनुगामी हैं। अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्यों में निहित है। कर्तव्यों को छोड़कर अधिकारों के पीछे भागना मृग-मरीचिका के समान है। अधिकारों के पीछे जितना दौड़ेंगे, उतने ही अधिकार दूर होते जायेंगे।<sup>132</sup> गांधीजी के लिए सर्वोच्च धर्म ही सर्वोच्च राजनीति है। वे धर्म की चर्चा में राजनीति का ही अभिप्राय प्रकट करते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों द्वारा किए गये त्याग का सामूहिक रूप है। ऐसा राज्य जिनके व्यक्तियों का समुदाय राज्य में अधिकारों से अधिक करने का प्रयत्न करता है तथा उनके एवज में कम से कम योग्यता की मांग है, नष्ट हो जाता है। गीता की भाषा में ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक ग्लान्य के लिए परमार्थ-चिंतन आवश्यक है।

राज्य द्वारा गति के दुरुपयोग

गांधीजी ने स्वीकार किया है।

भूत अधिकारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, किन्तु गांधीजी ने अधिकारों की स्थिति को व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार निर्धारित करने पर बल दिया है। गांधीजी ने धर्म के आधार पर महाअधिकार देने की बात नहीं है। वे शस्त्र रखने तथा शस्त्र लेकर चलने के अधिकार को अहिंसा का विरोधी मानते हैं। चूंकि व्यक्ति स्वच्छा से अहिंसक नहीं बन सकता, अतः कानून की स्वीकृति द्वारा शस्त्र रखने का अधिकार दिया जा सकता है। अहिंसक राज्य में सेना तथा सैन्य प्रशिक्षण के नियम कोई स्थान नहीं है। धर्मिकी तथा किसानों के न्यूनतम आर्थिक वेतन के अधिकार को स्वीकृति दी गयी है। गांधीजी ने रोजगार के अधिकार को शिक्षा के साथ जोड़ दिया है। राज्य का यह कर्तव्य है कि सब को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराये। फिर भी गांधीजी कर्तव्यों को अधिक महत्त्व देते हैं। अधिकारों से आरमानुभूति होती है किन्तु सच्ची आरमानुभूति कर्तव्यों के माध्यम से ही हो सकती है। प्रत्येक अधिकार अपने कर्तव्य की पूति करने का अधिकार है। इसमें सभी प्रकार के वैधानिक अधिकार निहित हैं। यदि अधिकार की माँग करनेवाला तदनुरूप कर्तव्य-क्षमता नहीं रखता तो ऐसे अधिकार का महत्त्व स्वतः समाप्त हो जायेगा।<sup>134</sup>

गांधीजी ने अपने जीवन के अनुभवों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि युवावस्था में वे अधिकारों को जताने का प्रयास करते थे किन्तु उन्हें यह ज्ञात करने में बिलम्ब नहीं हुआ कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है—अपनी पत्नी पर भी नहीं। अतः उन्होंने अपनी पत्नी, मदान, मित्रों, सहयोगियों तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को जानने तथा पूरा करने का कार्य प्रारम्भ किया और यह अनुभव किया कि उन्हें कहीं अधिक अधिकार प्राप्त हैं। उनके अनुसार अनेक सोश्लान्तिव राग्यों में मन देने का अधिकार जनता के लिए भार रूप सिद्ध हुआ है, क्योंकि वह अधिकार शारीरिक शक्ति अथवा धर्मिकियों द्वारा प्राप्त किया गया है, न कि उनके अनुरूप योग्यता प्राप्त करके। वे श्रीहृष्ण के 'कर्मयोगाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन' के अमृत-वाक्य को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार अधिकार शब्द का प्रयोग केवल राज्य के संदर्भ में ही नहीं किया जाना चाहिये। स्पष्टक दृष्टि में देखने पर अधिकार सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को समाहित करने हुये हैं।<sup>135</sup>

सत्य तथा अहिंसा का पालन करने में उत्पन्न दक्षता के द्वारा व्यक्ति स्वयं अधिकारों का सृजन करता है। अधिकार राज्य अथवा अन्य किसी समुदाय द्वारा प्रदान नहीं है। गांधीजी की दृष्टि भी धारणा है कि राज्य अथवा समुदाय केवल अधिकारों को सामर्थ्य ही प्रदान करते हैं। अहिंसा के प्राप्त स्तर के अनुरूप में व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक को सैनिक क्षमता एक जैसी नहीं होती। व्यक्ति को अधिकार पर होने वाले प्रहार को रोکنे की उपचारसामर्थ्य सिद्धि अहिंसक अर्थशास्त्र के रूप में प्राप्त है। आचरणक्षमता इस बात की है कि व्यक्ति सामाजिक स्थिति की दृष्टि में प्रत्येक कार्य करे। इस प्रकार गांधीजी ने अधिकारों को अहिंसक अर्थशास्त्र में अन्तर्भूत करने का प्रयास किया करते के कार्य को करीबना दी है। उनका अधिकार-विचार सिद्धांत सामाजिक अर्थशास्त्र का पौष्टक है। वे अर्थशास्त्रियों तथा अर्थशास्त्रियों पर अधिक बल देते हैं। अधिकारों से अहिंसक व्यक्ति स्वयं रोपी है। यदि वह कर्तव्य के रूप में अधिकारों की

फिर भी गांधीजी का यह आदर्श शास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। वे प्रवसर उपस्थित होने पर राज्य द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण करने, सार्वभौम शिक्षा के लिये अनिवार्य सेवा का प्रावधान रखने, अनिवार्य नशाबंदी करने तथा आवश्यक वस्तुओं के केन्द्रित उत्पादन के राष्ट्रीयकरण का समर्थन भी करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता द्वारा विकसित अहिंसक दृष्टिकोण कई दृष्टियों से तत्काल हल की जानेवाली समस्याओं से निपटने में असमर्थ है, किन्तु गांधीजी ने राज्य द्वारा हिंसा तथा दबाव का कम से कम उपयोग करने का विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार विकेंद्रीयकरण स्वयंसेवी संगठनों के महत्व, राज्य की लोकतांत्रिक संरचना तथा अहिंसक प्रतिरोध की दृष्ट परम्परा द्वारा राज्य के दमनकारी स्वरूप से मुक्ति दिलाई जा सकती है।

गांधीजी का 'कम शासन' का विचार पुलिस राज्य के नकारात्मक कार्यों के साथ नहीं है। अहिंसक राज्य पुलिस राज्य नहीं है। अहिंसक राज्य में पुलिस तथा सेना का महत्व नगण्य रहेगा। गांधीजी ने लोक-कल्याण के लिए कुछ ऐसे कार्य भी रखे हैं, जो समाजवादी अथवा साम्यवादी प्रकृति के हैं, जिनके द्वारा राज्य का हस्तक्षेप जन-कल्याण में वृद्धि कर सके। गांधीजी न तो 'यद्भाव्यम्' श्रेणी के व्यक्तिवादी हैं, और न वे समाजवादी अथवा साम्यवादी विचारधारा के प्रति निष्ठावान् ही हैं, क्योंकि वे अहिंसक साधनों, हस्तकला-सभ्यता, सादगीपूर्ण जीवन तथा विकेंद्रीयकरण के कट्टर उपासक हैं। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए गांधीजी ने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को स्वीकार किया है। कांग्रेस के करांची अधिवेशन (अगस्त 1931) में पारित मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रस्ताव को गांधीजी ने पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। वे कतिपय संशोधन करने के पक्ष में हैं: जैसे श्रम-मताधिकार, शस्त्र रखने तथा शस्त्र लेकर चलने की स्वतंत्रता, (गांधीजी की मान्यता है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत अहिंसक बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता), सेना तथा सैनिक प्रशिक्षण का अंत, रोजगार का अधिकार आदि। गांधीजी ने अधिकार तथा कर्तव्यों के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया है।

### अधिकार तथा कर्तव्य

गांधीजी ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले तथा बाद में यह बात बार-बार दोहराई कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए न कि अधिकारों की चिंता। अधिकार कर्तव्यों की पूर्ति के अनुगामी हैं। अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्यों में निहित है। कर्तव्यों को छोड़कर अधिकारों के पीछे भागना भ्रम-मरीचिका के समान है। अधिकारों के पीछे जितना दौड़ेंगे, उतने ही अधिकार दूर होत जायेंगे।<sup>132</sup> गांधीजी के लिए सर्वोच्च धर्म ही सर्वोच्च राजनीति है। वे धर्म की चर्चा में राजनीति का ही अभिप्राय प्रकट करते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों द्वारा किए गये त्याग का सामूहिक रूप है। ऐसा राज्य जिसमें व्यक्तियों का समुदाय राज्य में अधिक में अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तथा उनके एवज में कम से कम योगदान करने की इच्छा रखता है, नष्ट हो जाता है। गीता की भाषा में ऐसे व्यक्तियों को चोरों की संज्ञा दी गई है। जनता के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए परमार्थ-चिंतन आवश्यक है।<sup>133</sup>

राज्य द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित करने की दृष्टि में अधिकारों का महत्व गांधीजी ने स्वीकार किया है। गांधीजी की सत्प्रति पर करांची कांग्रेस अधिवेशन में सूत्र-



भूत अधिकारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, किन्तु गांधीजी ने अधिकारों की स्थिति को स्थितियों की क्षमता के अनुसार निर्धारित करने पर बल दिया है। गांधीजी ने धर्म के आधार पर मताधिकार देने की बात कही है। वे अस्त्र रखने तथा अस्त्र सेना रखने के अधिकार को अहिंसा का विरोधी मानते हैं। पूंकि व्यक्ति स्वेच्छा से अहिंसक नहीं बन सकता, अतः कानून की स्वीकृति द्वारा अस्त्र रखने का अधिकार दिया जा सकता है। अहिंसक राज्य में सेना तथा सैन्य प्रशिक्षण के लिये कोई स्थान नहीं है। धर्मिकी तथा किसानों के न्यूनतम आर्थिक वेतन के अधिकार को स्वीकृति दी गयी है। गांधीजी ने रोजगार के अधिकार को शिक्षा के साथ जोड़ दिया है। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि सब को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराये। फिर भी गांधीजी कर्त्तव्यों को अधिक महत्त्व देते हैं। अधिकारों से आत्मानुभूति होती है किन्तु मर्चनी आत्मानुभूति कर्त्तव्यों के माध्यम से ही हो सकती है। प्रत्येक अधिकार अपने कर्त्तव्य की पूर्ति करने का अधिकार है। हममें सभी प्रकार के वैधानिक अधिकार निहित हैं। यदि अधिकार की माँग करनेवाला तदनुरूप कर्त्तव्य-क्षमता नहीं रखता तो ऐसे अधिकार का महत्त्व स्वतः समाप्त हो जायेगा।<sup>131</sup>

गांधीजी ने अपने जीवन के अनुभवों के संदर्भ में यह व्यक्त किया कि युवावस्था में वे अधिकारों को जताने का प्रयास करते थे किन्तु उन्हें यह ज्ञात करने में बिलम्ब नहीं हुआ कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है—अपनी पत्नी पर भी नहीं। अतः उन्होंने अपनी पत्नी, संतान, मित्रों, सहयोगियों तथा समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों को जानने तथा पूरा करने का काम प्रारंभ किया और यह अनुभव किया कि उन्हें कहीं अधिक अधिकार प्राप्त हैं। उनके अनुसार अनेक लौकिकताविक राज्यो में मत देने का अधिकार जनता के लिए भार रूप सिद्ध हुआ है, क्योंकि वह अधिकार शारीरिक शक्ति अथवा धर्मिकी द्वारा प्राप्त किया गया है, न कि उनके अनुरूप योग्यता प्राप्त करने के। वे श्रीकृष्ण के 'धर्मस्यैवाधिकारम्ते मा पतेयु बदाचन' के अमृत-वाक्य को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार अधिकार अस्त्र का प्रयोग केवल राज्य के संदर्भ में ही नहीं किया जाना चाहिये। व्यापक दृष्टि में देखने पर अधिकार सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को समाहित करने हूये हैं।<sup>132</sup>

राज्य तथा अहिंसा का वास्तव करने में उत्तम दृष्टान्त के द्वारा व्यक्ति स्वयं अधिकारों का सृजन करता है। अधिकार राज्य अथवा अन्य किसी समुदाय द्वारा प्रदान नहीं है। गांधीजी की यह भी धारणा है कि राज्य अथवा समुदाय केवल अधिकारों को माग्दता ही प्रदान करते हैं। अहिंसा के प्राप्त अस्त्र के अनुशासन में स्थितियों को अधिकार प्राप्त होते हैं। अहिंसा की नैतिक क्षमता एक ऐसी नहीं होती। व्यक्ति को अधिकार पर होने वाले अस्त्र को खोजने को उपचारसमय स्थिति अहिंसक अहिंसक के रूप में प्राप्त है। आत्मसत्ता इस बात की है कि व्यक्ति सामाजिक स्थिति की दृष्टि में अहिंसा काई करे। इस प्रकार गांधीजी ने अधिकारों को स्थितिगत अस्त्रिक न बताने उनके अहिंसक के अहिंसक-नेत्रा करने के कार्य को धरिणता दी है। जनता अधिकार-अहिंसक सिद्धांत सामाजिक अहिंसक का संकेत है। वे अहिंसक-अहिंसक तथा अहिंसक-अहिंसक पर अधिकार देने हैं। अधिकारों के अहिंसक स्थिति अहिंसक दीये हैं। यदि यह कर्त्तव्य में एक रहे तो अधिकारों की

प्राप्ति स्वतः कर लेगा तथा उनके दुरुपयोग की भयवा उनके माध्यम से शोषण की प्रवृत्ति उसमें नहीं रहेगी।<sup>136</sup>

### गांधीजी के आर्थिक विचार

गांधीजी के विचारों का वास्तविक अर्थशास्त्र यह है कि धन-संग्रह प्रगति के मार्ग में बाधक है। वे अर्थशास्त्र की आधुनिक पाठ्य-पुस्तकों की तुलना में विश्व की आर्थिक कृतियों को अर्थशास्त्र के नियमों की अधिक सुरक्षापूर्ण एवं ठोस कृतियाँ मानते हैं। उनके अनुसार आज की आर्थिक चुनौतियाँ जोसस फ्राइस्ट के समय में भी थीं। फ्राइस्ट ने कहा था कि 'एक जेंट का सूई की आख से निकल जाना सरल है किन्तु धनी व्यक्ति के लिए ईश्वर के राज्य में प्रविष्ट होना कठिन है।' फ्राइस्ट, मोहम्मद, बुद्ध, नानक, कबीर, चैतन्य, शंकर, दयानन्द, रामकृष्ण सभी महापुरुषों ने अपनी उपस्थिति से विश्व को सम्पन्न बनाया, किन्तु उन्होंने स्वेच्छा से निर्धनता को अपनी नियति के रूप में अंगीकार किया। हमने आधुनिक भौतिक सभ्यता को अपना लक्ष्य बनाकर प्रगति के मार्ग को नहीं चुना। वास्तविक उन्नति कुछ और ही है। प्राचीन आदर्शों के अनुसार पूँजी को बढ़ाने वाली गति-विधियों को सीमित करने की आवश्यकता है। इससे सब प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं की समाप्ति नहीं होती। पूँजी बनाने वाले अपने कार्य में फिर भी व्यस्त रहेंगे, किन्तु ईश्वर तथा कुवेर की एक साथ सेवा नहीं की जा सकती। यह आर्थिक सत्य है। गांधीजी के अनुसार 'भारत को अमेरिका तथा यूरोप के देशों के समान भौतिकवादी दौड़ में नैतिकता का अन्त नहीं करना है।' वे पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों की मृतदेहों पर खड़ी होने वाली दैत्याकार चिमनियों तथा फैक्ट्रियों को पसन्द नहीं करते। उनके अनुसार देश की आर्थिक ममृद्धि बढ़ने के साथ-साथ नैतिकता का स्तर दिनो-दिन घटता जा रहा है।<sup>137</sup>

गांधीजी के अनुसार 'भारत का आर्थिक ढाँचा अथवा समस्त विश्व का आर्थिक आधार ऐसा होना चाहिये जिसमें कोई भी व्यक्ति अन्न तथा वस्त्र से विपन्न न हो। प्रत्येक व्यक्ति को इतना काम मिलना चाहिये कि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं को न्यूनतम पूर्ति अथवा कर सके। यह तभी संभव है जबकि जीवन से सम्बन्धित मूलभूत आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन जनता के नियंत्रण में हो। दैनिक उपयोग की वस्तुएँ उसी प्रकार उपलब्ध हों जैसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त हवा एवं पानी। शोषण की अर्थव्यवस्था को तिलांजलि दे दी जाय। आर्थिक माधनों का एकाधिपत्य न किसी देश के हाथ में रहे, न राष्ट्र के हाथों में और न किसी व्यक्ति ममूह में। इस साधारण सिद्धान्त की अवहेलना का अर्थ विनाशकारी हो सकता है।'<sup>138</sup> यद्यपि गांधीजी समान वितरण के आदर्शों के पक्षपाती हैं, किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से वे समान वितरण के स्थान पर न्याय संगत वितरण को स्वीकार करते हैं।<sup>139</sup>

सममानता की उत्पत्ति की विवेचना करते हुये गांधीजी ने अपरिग्रह को अस्तेय से सम्बद्ध किया है। उनके अनुसार यदि कोई वस्तु किसी के पास अनावश्यक होने लगे भी मशहूत है तो उसे चोरी न मानते हुये भी चुराई गई सम्पत्ति के अतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिये। संग्रह का उद्देश्य भविष्य के लिये व्यवस्था करना है। सत्यमार्ग का पथिक तथा प्रेम के नियम का अनुयायी कभी भी अनावधान वस्तु की चिन्ता नहीं करता। ईश्वर कर्म के लिए तंगूहीन नहीं करता। वह तत्त्वानुसारी आवश्यकता-पूर्ति में परिग्रह

निर्माण नहीं करता। अतः ईश्वर में पूर्ण साक्षात्करण होने हेतु इस विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिये कि ईश्वर हमें प्रतिदिन रोटी देगा—हमें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। महापुरुषों एवं भक्तों ने यह तथ्य अनुभव किया है। इस दैवी कानून के प्रति हमारे अज्ञान अथवा नापरवाही ने ही हमारे मध्य अममानता तथा उसमें सम्बन्धित शक्तियों को उत्पन्न किया है। अमीरों के पास ऐसी वस्तुओं का भण्डार है जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं, और इस कारण वे वस्तुओं व्यर्थ पकी रहती हैं, जबकि करोड़ों व्यक्ति भूख के मारे काल-व्यथित हो जाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार ही वस्तुओं का संग्रह करे, तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और सब अमन धन से जीवन-यापन करेंगे। अन्वेषण अमीर में भी उतना ही अमन्तोष है जितना निर्धन में। निर्धन सगुणनि बनने की कामना करता है, तो सगुणपति करोड़पति बनने की। धनी व्यक्ति को अतिरिक्त के सामानों में पहल करने होगी ताकि सन्तुष्टि का विश्वव्यापी परावर्तन हो सके। उन्हें अपनी सम्पत्ति को सामान्य स्तर पर लाना होगा ताकि धृष्ट-गौडितों को भोजन मिल सके और वे अमीरों के साथ अन्तोष से जीवन-यापन कर सकें।<sup>140</sup> यदि सभी व्यक्ति सेवा की भावना से काम करने लग जायें तो पूँजी का संग्रह ही नहीं हो और पूँजी-जन्य अममानतायें समाप्त होने के साथ-साथ दुर्मिथ अथवा भ्रष्टमरी भी समाप्त हो जाय।<sup>141</sup>

गांधीजी ने समानता के आदर्श को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामाजिक दृष्टि से सब समान उत्पन्न होते हैं—अर्थात् सबको अक्षर की समानता का अधिकार प्राप्त है, किन्तु सब में समान क्षमताएँ नहीं होती। प्रकृति से ही इस प्रकार की असमानता होती है। सभी एक ही ऊर्ध्व, रंग, बुद्धि आदि के नहीं होते; कुछ अधिक कमाने की योग्यता रखते हैं, अन्य कम। योग्यता सम्पन्न व्यक्ति अधिक अर्जन करेंगे और वे अपनी दक्षता का इतने त्रिधे प्रयोग भी करेंगे। यदि ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता का उदाहरण में प्रयोग करें तो वे राज्य के कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ग्यामी के रूप में विद्यमान रहते हैं। बौद्धिक प्रतिभावाला व्यक्ति यदि अधिक धन प्राप्त करता है तो उसकी बुद्धि को कुंठित करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु ऐसे व्यक्ति की धन का बड़ा भाग राज्य के हित में उसी तरह प्रयुक्त किया जाना चाहिये जैसे कि मनुष्य परिवार में पिता के कमाने वाले लड़कों की धन। वे ग्यामी के रूप में ही अपनी कामदनी को रखें।<sup>142</sup>

प्राप्ति स्वतः कर, लेगा तथा उनके दुरुपयोग की अथवा उनके माध्यम से शोषण की प्रवृत्ति उसमें नहीं रहेगी।<sup>136</sup>

### गांधीजी के आर्थिक विचार

गांधीजी के विचारों का वास्तविक अर्थशास्त्र यह है कि धन-संग्रह प्रगति के मार्ग में बाधक है। वे अर्थशास्त्र की आधुनिक पाठ्य-पुस्तकों की तुलना में विश्व की धार्मिक कृतियों को अर्थशास्त्र के नियमों की अधिक सुरक्षापूर्ण एवं ठोस कृतियाँ मानते हैं। उनके अनुसार आज की आर्थिक चुनौतियाँ जोसस फ्राइस्ट के समय में भी थीं। फ्राइस्ट ने कहा था कि 'एक ऊँट का सूई की आख से निकल जाना सरल है किन्तु धनी व्यक्ति के लिए ईश्वर के राज्य में प्रविष्ट होना कठिन है।' फ्राइस्ट, मोहम्मद, बुद्ध, नानक, कबीर, चैतन्य, शंकर, दयानन्द, रामकृष्ण सभी महापुरुषों ने अपनी उपस्थिति से विश्व को सम्पन्न बनाया, किन्तु उन्होंने स्वेच्छा से निर्धनता को अपनी नियति के रूप में अंगीकार किया। हमने आधुनिक भौतिक सभ्यता को अपना लक्ष्य बनाकर प्रगति के मार्ग को नहीं चुना। वास्तविक उन्नति कुछ और ही है। प्राचीन आदर्श के अनुसार पूँजी को बढ़ाने वाली गति-विधियों को सीमित करने की आवश्यकता है। इससे सब प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं की समाप्ति नहीं होती। पूँजी बनाने वाले अपने कार्य में फिर भी व्यस्त रहेंगे, किन्तु ईश्वर तथा कुबेर की एक साथ सेवा नहीं की जा सकती। यह आर्थिक सत्य है। गांधीजी के अनुसार 'भारत को अमेरिका तथा यूरोप के देशों के समान भौतिकवादी दौड़ में नैतिकता का अन्त नहीं करना है।' वे पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों की मृतदेहों पर छोड़ी जाने वाली दैत्याकार चिमनियों तथा फैक्ट्रियों को पसन्द नहीं करते। उनके अनुसार देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ नैतिकता का स्तर दिनो-दिन घटता जा रहा है।<sup>137</sup>

गांधीजी के अनुसार 'भारत का आर्थिक ढांचा अथवा समस्त विश्व का आर्थिक आधार ऐसा होना चाहिये जिसमें कोई भी व्यक्ति अन्न तथा वस्त्र से विपन्न न हो। प्रत्येक व्यक्ति को इतना काम मिलना चाहिये कि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की न्यूनतम पूर्ति अवश्य कर सके। यह तभी संभव है जबकि जीवन से सम्बन्धित मूलभूत आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन जनता के नियंत्रण में हो। दैनिक उपयोग की वस्तुएँ उसी प्रकार उपलब्ध हों जैसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त हवा एवं पानी। शोषण की अर्थव्यवस्था को तिलांजलि दे दी जाय। आर्थिक साधनों का एकाधिपत्य न किसी देश के हाथ में रहे, न राष्ट्र के हाथों में और न किसी व्यक्ति समूह में। इस साधारण सिद्धान्त की अवहेलना का अर्थ विनाशकारी हो सकता है।'<sup>138</sup> यद्यपि गांधीजी समान वितरण के आदर्श के पक्षपाती हैं, किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण में वे समान वितरण के स्थान पर न्याय संगत वितरण को स्वीकार करते हैं।<sup>139</sup>

समानता की उत्पत्ति की विवेचना करते हुये गांधीजी ने अपरिग्रह को अन्वेष से सम्बद्ध किया है। उनके अनुसार यदि कोई वस्तु किसी के पाम अनावश्यक होने हुये भी संगृहीत है तो उसे खोरी न मानते हुये भी चुराई गई सम्पत्ति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिये। मग्न का उद्देश्य भविष्य के लिये व्यवस्था करना है। सत्यमार्ग का पथिक तथा प्रेम के नियम का अनुयायी कर्मों भी मानेवाले कल की चिन्ता नहीं करता। ईश्वर कल के लिए संगृहीत नहीं करता। वह तत्काल की आवश्यकता-पूर्ति में परिग्रह

निर्माण नहीं करता। अतः ईश्वर में पूर्ण आस्था रखने हुये हमें इस विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिये कि ईश्वर हमें प्रतिदिन रोटी देगा—हमें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। महापुरुषों एवं भक्तों ने यह तथ्य अनुभव किया है। इस दैवी नानून के प्रति हमारे अज्ञान अथवा लापरवाही ने ही हमारे मध्य असमानता तथा उससे सम्बन्धित कष्टों को उत्पन्न किया है। अमीरों के पास ऐसी वस्तुओं का भण्डार है जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं, और इस कारण वे वस्तुयें व्यर्थ पड़ी रहती हैं, जबकि करोड़ों व्यक्ति भूख के मारे काल-व्यलित हो जाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार ही वस्तुओं का संग्रह करे, तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और सब धन चैन से जीवन-यापन करेंगे। अन्याय अमीर में भी उतना ही असन्तोष है जितना निर्धन में। निर्धन लक्षपति बनने की कामना करता है, तो लक्षपति करोड़पति बनने की। धनी व्यक्ति को अपरिग्रह के मामले में पहल करना होगी ताकि सन्तुष्टि का विश्वव्यापी परावर्तन हो सके। उन्हें अपनी सम्पत्ति को सामान्य स्तर पर लाना होगा ताकि क्षुधा-पीडितों को भोजन मिल सके और वे अमीरों के साथ सन्तोष से जीवन-यापन कर सकें।<sup>140</sup> यदि सभी व्यक्ति सेवा की भावना से काम करने लग जायं तो पूँजों का संग्रह ही नहीं हो और पूँजी-जन्य असमानतायें समाप्त होने के साथ-साथ दुर्भिक्ष अथवा भुखमरी भी समाप्त हो जाय।<sup>141</sup>

गांधीजी ने समानता के आदर्श को स्पष्ट करते हुये कहा है कि सामाजिक दृष्टि से सब समान उत्पन्न हुये हैं—अर्थात् सबको भ्रमर की समानता का अधिकार प्राप्त है, किन्तु सब में समान क्षमताएँ नहीं होती। प्रकृति से ही इस प्रकार की असमानता होती है। सभी एक ही ऊँचाई, रंग, बुद्धि आदि के नहीं होते; कुछ अधिक कमाने की योग्यता रखते हैं, अन्य कम। योग्यता सम्पन्न व्यक्ति अधिक अर्जन करेंगे और वे अपनी दयाता का इसके लिये प्रयोग भी करेंगे। यदि ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता का उदाहरता में प्रयोग करें तो वे राज्य के कार्य का निष्पादन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ग्यामी के रूप में विद्यमान रहते हैं। बौद्धिक प्रतिभावाला व्यक्ति यदि अधिक आय प्राप्त करता है तो उसकी बुद्धि को कुंठित करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु ऐसे व्यक्ति की आय का बड़ा भाग राज्य के हित में उसी तरह प्रयुक्त किया जाना चाहिये जैसे कि संयुक्त परिवार में पिता के बमाने वाले पुत्रों की आय। वे ग्यामी के रूप में ही अपनी आमदनी को रखें।<sup>142</sup>

न्यायिता के मिश्रान्त की चर्चा करते हुए गांधीजी ने व्यक्त किया है कि ये न्यायिता की स्थापना केवल अनुरोध ही नहीं अपितु अमहयोग द्वारा करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति सम्पत्ति का अधिक मूल्य व्यक्तियों के स्पेसिफिक अथवा ग्यामि अयोग के बिना नहीं कर सकता। गांधीजी पूँजों के मानिकों को घाटन अथवा बट्टा देने के पक्ष में हैं। उन्हें घाटन इसलिए ही जानगी कि धन उनके स्वाधिकार में है। पूँजीपतियों ने न्यामी बनने का आग्रह किया जायेगा। गांधीजी ने इसे स्पष्ट करते हुये कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास मौ रुपये हैं तो उसे पचास रुपये धरने पास रखने को बतल जायगा तथा दोस पचास रुपये कामगारों को देने के लिए कहा जायगा तबके माँगने में बतल राशि उतार दई है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को जिनके पास एक करोड रुपये हैं, उन्हें केवल एक प्रतिशत धन धरने पास बट्टे के रूप में रखने को बतल जायगा तथा दोस राशि वहीं अयोग के अन्तर्गत दे करिन कर देगा।<sup>143</sup>

निजी सम्पत्ति के विषय पर गांधीजी ने निमल कुमार बोस के साथ हुई बातचीत में बतलाया कि "प्रेम तथा निजी सम्पत्ति साथ-साथ नहीं चल सकते। सैद्धान्तिक दृष्टि से पूरा प्रेम तभी सम्भव है, जब पूर्ण अपरिग्रह हो। हमारी देह ही हमारी अन्तिम सम्पत्ति है। पूर्ण प्रेम तथा अपरिग्रह तभी सम्भव है जब कि मानवीय सेवा में अपने शरीर को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाय"। व्यावहारिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं। मानव को अपूर्णता के कारण इस लक्ष्य की प्राप्ति कठिन है, फिर भी इसे एक आदर्श साध्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जिनके पास पैसा है वे न्यासी के रूप में कार्य करें तो समानता लाई जा सकती है। राज्य द्वारा हिंसा के प्रयोग से पूंजीवाद का दमन करना उचित नहीं है। एक बार हिंसा का चक्र प्रारम्भ हो गया तो फिर अहिंसा की स्थापना नहीं हो पायेगी। राज्य हिंसा का केन्द्रीय एवं संगठित प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति में आत्मा है किन्तु राज्य आत्माविहीन मशीन है। हिंसा पर आधारित होने के कारण राज्य हिंसा-रहित नहीं हो सकता। यही कारण है कि न्यासिता का सिद्धान्त अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होता है।<sup>144</sup>

गांधीजी राज्य को न्यूनतम सम्पत्तियुक्त बनाना चाहते हैं। राज्य में शक्ति का अत्यधिक केन्द्रीयकरण भयावह है। निजी स्वामित्व राज्य के सम्पत्ति के स्वामित्व से कम हिंसात्मक है। यदि व्यक्ति स्वच्छा से न्यासी बनने को तैयार न हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा कम से कम हिंसा का प्रयोग कर ऐसे व्यक्ति को सम्पत्ति को न्यास में परिवर्तित कर लेना उचित रहेगा। व्यक्ति अपनी आदतों के अनुसार चलता है, किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप चले। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को इतना विकसित कर ले कि वह शोषण को न्यूनतम कर सके। राज्य की शक्ति का विस्तार अत्यन्त भयानक है क्योंकि राज्य शोषण का अन्त करने का कार्य करते हुये हानि: हानि: व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाप्त कर देता है। व्यक्तित्व की हानि प्रगति विरोधी है। व्यक्ति न्यासी बन सकता है किन्तु राज्य रूपी मशीन गरीबों का हित नहीं कर सकती। राज्य का संगठन शक्ति पर आधारित है।<sup>145</sup>

गांधीजी के प्राथमिक विचारों का आधार रोटी-रोजी सिद्धान्त है। टालस्टाय से गांधीजी ने यह प्रेरणा प्राप्त की है कि जीवित रहने के लिये मनुष्य को कार्य करना चाहिये। रस्किन के विचारों ने भी उनको इस दिशा में प्रवृत्त किया। रूसी लेखक टी. एम. बोन्डारेफ ने सर्वप्रथम यह विचार प्रकट किया कि मनुष्य अपनी रोटी स्वयं अपने हाथों से काम करके कमाये। टालस्टाय ने इसी विचार को व्यापक रूप से प्रचारित किया। गीता के तृतीय अध्याय में भी यही विचार व्यक्त किया गया है कि बिना कष्ट के प्राप्त भोजन चुराये हुये भोजन के समान है। यही रोटी-रोजी सिद्धान्त का आधार है। भ्रम किये बिना व्यक्ति को भोजन करने का अधिकार नहीं है। पूंजी तथा भ्रम के मध्य विश्वव्यापी संघर्ष घिटा हुआ है। निर्धन व्यक्ति पूंजीपति से ईर्ष्या करता है। यदि सब व्यक्ति अपनी रोटी के लिये काम करें, वर्ग-भेद स्वतः मिट जायेगा। धनी व्यक्ति फिर भी होंगे किन्तु वे अपने को अपनी सम्पत्ति का न्यासी समझेंगे और इसका प्रयोग वे मुख्यतया मार्थजनिक हित में करेंगे।<sup>146</sup>

रोटी-रोजी का सिद्धान्त उन व्यक्तियों के लिये जो अहिंसा का पालन करते हैं,

सत्य की अर्चना करते हैं तथा ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं, वरदान स्वरूप है। श्रम का प्रयोग वास्तव में कृषि से ही सम्बन्धित हो सकता है। चूंकि सभी यह कार्य नहीं कर सकते, अतः व्यक्तियों को कताई घषवा बुनाई, बडईगिरी घषवा लुहारी आदि कार्य कृषि के स्थान पर करने चाहिये और कृषि को अपना भादसं स्वीकार करना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का महतर होना चाहिये। अपना मंसा खुद उठाना चाहिये। सफाई करने का कार्य समाज के किसी वर्ग-विशेष को सौंप दिया जाना न्याय-संगत नहीं है। बाल्यकाल से ही हमारे मस्तिष्क पर यह विचार कि 'हम सब महतर हैं' अंकित कर देना चाहिये और सफाई के कार्य को रोटी-रोजी के साथ जोड़ देना चाहिये। ऐसा करने से मानव की समानता का सही मूल्यांकन हो सकेगा।<sup>147</sup> सभी के लिये प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री तथा समुचित विश्राम की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। जनसंख्या का दबाव, रूग्णता तथा निर्धनता भी नहीं रहेगी। जनहित में अनेक प्रकार के हुनर व्यवसाय आदि विकसित होंगे। ऊंच-नीच के भेद नहीं रहेंगे। न कोई निर्धन होगा, न कोई धनाढ्य; न कोई सवर्ण होगा, न कोई अछूत।<sup>148</sup>

गांधीजी ने रोटी-रोजी के सिद्धान्त को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। असाध्य दिखाई देते हुये भी, इस सिद्धान्त का दैनिक शारीरिक परिश्रम द्वारा संधारण संभव है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं को सीमित करने तथा सादा भोजन करने की वृत्ति हमें 'जीने के लिये छाने' के न कि 'छाने के लिये जीने' की प्रेरणा देती है। बौद्धिक श्रम के द्वारा अर्जित आजीविका उचित नहीं है। शरीर की आवश्यकतायें शारीरिक परिश्रम द्वारा ही पूरी की जा सकती हैं। बौद्धिक श्रम केवल आत्मा की परितुष्टि के लिये है। श्रम के लिये इसका उपयोग नहीं होना चाहिये। आदर्श राज्य में चिकित्सक, वकील तथा अन्य केवल समाज के हित के लिये कार्य करेंगे, अपने स्वार्थ के लिये नहीं। रोटी-रोजी के नियम के प्रति आशापालन समाज की संरचना में अवाक् क्रान्ति लायेगी। अस्तित्व के लिये संघर्ष के स्थान पर पारस्परिक सेवा के आदर्श में ही मानव की विजय सन्निहित है। पाशविक कानून को मानवीय कानून में परिवर्तित करना है। स्वेच्छा से गांवों की और अभिमुख होना है। गांवों में बसनेवालों की निर्धनता का कारण स्वैच्छिक आशा पालन की क्षमता में कमी का सूचक है। शारीरिक श्रम से विमुख होने के कारण ही गांवों से ग्रहणों की ओर पलायन की स्थिति उत्पन्न हुई है। अनिवार्य आशापालन दासता है। रोटी-रोजी नियम के प्रति अनिवार्य आशापालन की स्थिति, निर्धनता, रोग एवं असंतोष उत्पन्न करती है। स्वेच्छा से आशापालन की प्रवृत्ति संतोष तथा स्वास्थ्य प्रदान करती है। जिस प्रकार से पुत्र स्वेच्छा से पिता की आशा का पालन करता है, उन्ही प्रकार व्यक्ति को रोटी-रोजी के लिये स्वैच्छिक श्रम करना है। गांवों में उद्योगों का विवास कर स्वैच्छिक श्रम का सूत्रपात किया जा सकता है।<sup>149</sup>

गांधीजी ने पूंजी तथा श्रम को परस्पर न्यायी के रूप में माना है। दक्षिण अफ्रीका, अम्पारन एवं अहमदाबाद में अहिंसा का प्रयोग कर गांधीजी ने बंधक मजदूरों तथा अन्य प्रकार के श्रमिकों की समस्या का निदान प्रस्तुत किया है। अहिंसा द्वारा श्रम की समस्याओं का निराकरण स्थायी है क्योंकि अहिंसा श्रमिक में यह अनुभूति जागृत करती है कि उतना श्रम उन्ही प्रकार पूंजी है जितन प्रकार धातु। उन्हें अपनी आन्तरिक शक्ति को पट्टाबन्धना

है ताकि वे अपनी संगठनात्मक शक्ति का सही प्रयोग कर शोषण का अंत कर सकें। श्रमिकों की स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं है कि वे शोषणमुक्त होने पर अहिंसा का त्याग कर दें। यदि ऐसा किया गया तो वे स्वयं पूंजीपतियों के समान बुरे एवं शोषणकारी बन जायेंगे। अहिंसक बनें रहने पर वे पूंजी को सहयोग प्रदान करते हुये उसका सही उपयोग करवा सकेंगे। मिल तथा मशीन को वे शोषण के प्रतिनिधि न मानकर उत्पादन के अपने उपकरण स्वीकार करेंगे। उसकी वे उसी प्रकार रक्षा करेंगे जैसे वह उनकी स्वयं की सम्पत्ति हो। वे न तो उसे हानि पहुंचायेंगे और न चोरी करेंगे अपितु अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ावेंगे। पूंजी तथा श्रम परस्पर न्यासी बन कर उपभोक्ताओं के भी न्यासी बन जायेंगे। न्यासिता का सिद्धान्त एकतरफा नहीं है। इसमें न्यासी की उच्चता को स्वीकार नहीं किया गया—सभी एक दूसरे के पूरक, सहायक एवं समान हैं। विश्व में देवताओं की कोई पृथक् प्रजाति नहीं है, किन्तु वे सब देवता हैं जो उत्पादन की शक्ति रखते हैं तथा उस शक्ति का प्रयोग समाज के हित में करते हैं—श्रमिक तथा पूंजीपति दोनों ही।<sup>150</sup>

आर्थिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से समान वितरण की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए गांधीजी ने व्यक्त किया है कि सब व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिये और आवश्यकता से अधिक किसी के पास नहीं होना चाहिये। उदाहरण के लिये, यदि किसी व्यक्ति की भूख कम है और वह पाव भर आटे में अपना पेट भर सकता है और दूसरे को उससे चार गुने आटे की आवश्यकता है, तो दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिये। इसके लिये समाज की संरचना में परिवर्तन करना होगा। अहिंसा द्वारा यह परिवर्तन लाया जा सकता है। व्यक्ति को अपने निजी जीवन में परिवर्तन लाना होगा। उसे भारत की निर्धनता को ध्यान में रखते हुये अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करना होगा। उसकी आमदनी बेईमानी-रहित होनी चाहिये। उसे भविष्य की चिंता छोड़नी होगी। उसे जीवन के हर क्षेत्र में अपने ऊपर नियंत्रण लगाना होगा। जब व्यक्ति अपने जीवन में यह उतार ले तभी अपने मित्रों तथा पड़ोसियों को इस आदर्श का उपदेश दिया जा सकता है। समान वितरण की धारणा पर ही न्यासिता का सिद्धान्त आधारित है। धनी व्यक्तियों को अपने पड़ोसियों से अधिक धन नहीं रखना है। अतिरिक्त धन को न्यासी के रूप में समाज के लिये प्रयुक्त करें। न्यासी की ईमानदारी पर सब कुछ निर्भर करेगा। यदि न्यासी ने निर्धनों के संकट का निवारण नहीं किया तो फिर सविनय अवज्ञा तथा अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया जायगा। निर्धन व्यक्तियों के सहयोग के बिना धनी व्यक्ति धन एकत्र नहीं कर सकता यह बात निर्धनों को संभलाई जाये तो वे एक टुट हो अहिंसा द्वारा समाज में व्याप्त निर्मम असमानता का अंत कर भुंगमरी से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे हैं।<sup>151</sup>

न्यासी के सम्बन्ध में गांधीजी ने बतलाया कि न्यासी से परोपकारी अथवा धर्मात्मा का अर्थ नहीं लेना चाहिये। न्यासिता का विचार स्थापित होने के पश्चात् परोपकारियों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। न्यासी का उत्तराधिकारी व्यक्ति-विशेष नहीं होता, अपितु ममत्व जनता होती है। अहिंसा पर आधारित राज्य में न्यासियों का बट्टा निर्धारित होगा। राजा-महाराजा एवं जमींदार सभी अन्य पूंजीपतियों के समान स्तर पर न्यासी ही माने जायेंगे।<sup>152</sup> पदासीन न्यासी अपने उत्तराधिकारी का कानूनन नामांतरण कर सकेंगे



यद्यपि सम्पत्ति जन हित में प्रयुक्त होगी।<sup>153</sup>

समानता के भावदर्श की व्याख्या करते हुए गांधीजी ने व्यक्त किया है कि वर्ग-भेद किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। धनी तथा गरीब की खाई इतनी बड़ी हुई है कि सारा धन्य हृदय-विदारक लगता है। निर्धन श्रमीण को दुतरफा शोषण का शिकार बनाया गया है—एक धीर विदेशी सरकार तो दूसरी धीर शहर के निवासी—दोनों ही उसका शोषण करते हैं। वे धन उपजाते हैं, फिर भी भूखे रहते हैं। वे दुग्ध उत्पादन करते हैं, फिर भी उनके बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता है। यह शर्मनाक बात है। प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित आहार मिलना चाहिये, साफ सुथरा मकान मिलना चाहिये, बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। यही आर्थिक समानता का चित्र है। गांधीजी आवश्यक वस्तुओं के अलावा उत्पादन को प्रतिबंधित नहीं करना चाहते किन्तु इतना आवश्यक चाहते हैं कि अन्य सभी उत्पादन निर्धन व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् किया जाय।<sup>154</sup>

न्यासिता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में गांधीजी ने एक ड्राफ्ट फामूला तैयार किया था किन्तु वह गांधीजी के जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। बाद में प्यारेलाल ने इस फामूला को प्रकाशित करवाया। न्यासिता के बारे में प्यारेलाल के गांधीजी से हुये वार्त्तालापों से अनेक नये तथ्य प्रकाश में आये हैं। प्यारेलाल ने जो प्रमुख प्रश्न प्रस्तुत किये हैं उनमें कतिपय महत्व के हैं। एक प्रमुख चुनौती जो कि गांधीजी के न्यासिता सिद्धान्त के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है, यह है कि यदि अहिंसा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग अथवा आत्मदाह भी करना पड़े और इसके द्वारा विरोधी पर उसका प्रभाव डाला जाय तो फिर पूंजीपतियों को शोषण से प्राप्त अपने अर्थात् सम्पत्ति त्यागने को विवश क्यों नहीं किया जा सकता? न्यासिता की हो क्या आवश्यकता है? अनेक व्यक्ति इसे कोरी गप्प मानते हैं। क्या अहिंसा की शक्ति सीमित है? गांधीजी सुधारवाद की राजनीति को क्रान्ति का हवन करने वाली मानते हैं। क्या यही बात सामाजिक क्रान्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होती? उपर्युक्त शंकाओं का निवारण प्रस्तुत करते हुये गांधीजी ने व्यक्त किया है कि अन्तर्कर्ता के अस्तित्व में हम का उदाहरण है। अनाथ वर्ग की सम्पत्ति को जब्त कर उसे जनता में वितरित कर दिया जाना अनाथारण क्रान्तिकारी उत्साह का जनक है, किन्तु न्यासिता की योजना में जनता न केवल पूंजीपतियों की सम्पत्ति का ही उपयोग करती है अपितु पूंजीपति की योग्यता, जानकारी तथा अनुभव का भी उपयोग कर सकती है। यह धीर भी बहुश्रु क्रान्ति है। हम पूंजीपतियों के व्यावसायिक अनुभव तथा योग्यता को जो कि उन्होंने पीढ़ियों के विसिष्टीकरण में प्राप्त की है, नकार नहीं करेंगे। जब तक हम अहित सम्पन्न न हो जायें, परिवर्तन ही हमारा शस्त्र है, किन्तु अहित प्राप्त करने के पश्चात् हम परिवर्तन को स्पष्ट शस्त्र के रूप में काम में लेंगे। परिवर्तन व्यवस्थापन के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। अन्यथा व्यवस्थापन निर्विघ्न मात्र रहेगा। उदाहरण के तौर पर हमें मर्राई के निदमों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है किन्तु हम हमसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि जनता हमारे विरोध में नहीं है।<sup>155</sup>

पूँजीपति यदि स्वेच्छा से न्यासी बनने को तैयार न हो तो जनमत के दबाव से ऐसा किया जा सकता है, किन्तु इसके लिए जनमत को संगठित करने की आवश्यकता है। जनमत की मत अभिव्यक्त करने की शक्ति को इतना विस्तृत करने की आवश्यकता है कि बहुमत की इच्छा को प्रभावी किया जा सके। केवल संसदात्मक कार्यवाही से जनता को शक्ति प्राप्त नहीं होगी। ग्रहिसक असहयोग ही जनता की वास्तविक शक्ति है। ग्रहिसा का यह तात्पर्य नहीं कि हम शक्ति पर कब्जा कर लें क्योंकि यह ग्रहिसा का लक्ष्य नहीं हो सकता। शासन की मशीनरी को कब्जे में किये बिना भी ग्रहिसा द्वारा शक्ति को नियंत्रित एवं निदेशित किया जा सकता है। शासन केवल हिंसा से ही नहीं चलाया जा सकता। शक्ति का प्रयोग फूल के समान हल्का होना चाहिये ताकि किसी को भी उसका वजन न अनुभव हो। गांधीजी के अनुसार, "जनता ने कांग्रेस की सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार किया था। एक से अधिक बार मुझे डिक्टेटर की पूर्ण शक्ति से विभूषित किया। किन्तु हर व्यक्ति यह जानता था कि मेरी शक्ति उनकी स्वैच्छिक स्वीकृति पर निर्भर करती थी। वे मुझे कभी भी अलग कर सकते थे तथा मैं भी बिना किसी नानुकर के हट जाता। खिलाफत के दिनों में मेरी सत्ता और कांग्रेस की सत्ता से किसी को परेशानी नहीं हुई। अली बंधु मुझे 'सरकार' कह कर पुकारते थे। हालांकि वे मुझे जानते थे कि वे मुझे अपनी जेब में रखते थे। जो कुछ उस समय मेरे बारे में अथवा कांग्रेस के बारे में सत्य था, वह शासन के बारे में सत्य हो सकता है।" 156

सिद्धान्त में ग्रहिसक राज्य की स्थापना अथवा ग्रहिसक तानाशाही सम्भव है, किन्तु उसके लिये आत्मानुशासन, आत्मत्याग एवं सपत्न्या की आवश्यकता है। भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध (अध्याय) में ग्रहिसक राज्याध्यक्ष का वर्णन मिलता है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने समस्त पारिवारिक सम्बन्धों का त्याग कर दिया है, भय, पक्षपात, क्रोध, मोह सबसे निर्लिप्त है। अपने लिए किसी बात की कामना न करते हुये—न शक्ति की, न गौरव और न प्रसिद्धि की—वह विनय एवं आत्मत्याग की अभिव्यक्ति है। सतत अनुशासन से वह ऋतुओं, धकान तथा हानि के कष्टों से निमुक्त हो जाता है। यदि उसकी आत्मा बलवान होते हुये भी शरीर निर्बल हो जाय तो ऐसा व्यक्ति आत्मदाह कर शरीर त्याग देगा। ऐसा ही व्यक्ति ग्रहिसा के अनुरूप शासन कार्य कर सकता है। मुक्ति का मार्ग सुगम नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं कि ईसामतीह, मोहम्मद अथवा बुद्ध जैसे दिव्य पुरुष ही यह कार्य कर सकते हैं। महापुरुषों का अवतरण कभी-कभी ही होता है। किन्तु साधारण व्यक्ति भी ग्रहिसा को आत्मसात् कर सारे समाज को मुक्ति दिला सकता है। ईसा द्वारा दर्शाये गये मार्ग का ईसा के बारह शिष्यों ने ईसा की उपस्थिति के बिना अनुसरण किया। विद्युत् का आविष्कार करने में वैज्ञानिकों की अनेक पीढ़ियाँ निरत गईं, किन्तु आज साधारण से साधारण व्यक्ति, यहाँ तक कि बालक भी विद्युतीय शक्ति का दैनिक जीवन में उपयोग करता है। इसी प्रकार से आदर्श राज्य का प्रशासन चलाने के लिये पूर्ण पुरुष की हर समय आवश्यकता नहीं होती। एक बार शासन स्थापित होने के पश्चात् सामान्य स्वतः मुचाप रूप में चलता रहेगा। सामाजिक जागृति की पहले आवश्यकता है, शेष बातें अपने आप हो जायेंगी। अभिकों को यह बताना आवश्यक है कि मन्वी पूँजी कोई शोना-पीपी नहीं, अपितु उनके हाथों एव मस्तिष्क द्वारा किया गया श्रम है। एक बार जनता की

अहिंसक असहयोग और उसकी शक्ति के प्रति जागृत कर देने के पश्चात् न्यासिता का विचार अपने प्राय व्यवहार में आने लगेगा।<sup>157</sup>

गांधीजी की न्यासिता का आरूप (झांपट) इस प्रकार है:—

1. न्यासिता समाज की वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समतावादी व्यवस्था में परिवर्तित करती है। यह पूंजीवाद का समर्पण नहीं करती बल्कि उसे सुधारने का अवसर प्रदान करती है। यह उस विश्वास पर आधारित है कि मानवीय प्रकृति में सुधार सम्भव है।

2. यह व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार की केवल समाज द्वारा अपने कल्याण में दी गयी अनुमति के अलावा स्वीकार नहीं करती।

3. पूंजी के स्वामित्व एवं उपयोग पर व्यवस्थापन-निर्णय को यह पृथक् नहीं करती।

4. इस प्रकार राज्य द्वारा संचालित न्यासिता में व्यक्ति स्वार्थसिद्धि के लिए अथवा सामाजिक हित की अवमान्यता कर सम्पत्ति रखने अथवा उसका उपयोग करने में स्वतन्त्र नहीं होगा।

5. जिस प्रकार से न्यूनतम पारिवर्त्मिक निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार से समाज में व्यक्ति की अधिकतम आय की सीमा भी निश्चित की जायेगी। ऐसी न्यूनतम एवं अधिकतम आय का अन्तर विवेक-संगत, समतापरक एवं समय-समय पर परिवर्तनशील होगा, ताकि अन्तर को कम से कम करने की प्रवृत्ति बनी रहे।

6. गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन की प्रकृति सामाजिक आवश्यकता द्वारा निर्धारित की जायेगी, न कि व्यक्तिगत इच्छा अथवा लोभ द्वारा।<sup>158</sup>

यद्यपि गांधीजी द्वारा स्वीकृत न्यासिता का उपर्युक्त आरूप गांधीजी के जीवन काल में न तो प्रकाशित ही हो सका और न प्रयुक्त ही, क्योंकि गांधीजी ने यह आरूप अपने किसी घनाडभ मित्र को सहमति के लिये भेजा था और वे लग्यन्त स्वयं न्यासिता के इच्छुक होने पर भी अन्य पूंजीपतियों का समर्पण न जुटा पाये; फिर भी इसकी प्राथमिक समय में साबिकता बिना भावे के सर्वोदय कार्यक्रम से स्वतः स्पष्ट है। अहिंसक क्रान्ति का दौर प्रारम्भ ही हुआ है।

समाजवादी कौन ?

गांधीजी के अनुसार समाजवाद सुन्दर शब्द है। समाजवाद में समाज के सभी सदस्य समान हैं—न कोई नीचा, न कोई ऊँचा। व्यक्ति के शरीर में तिर इसलिये ऊँचा नहीं कि वह शरीर के ऊपर है; न पैर के तलवे इस कारण नीचे हैं कि वे जमीन को छुते हैं। जैसे शरीर के अंग समान हैं वैसे ही समाज के सदस्य भी। यही समाजवाद है। उसमें राजा तथा रंक, धमीर तथा गरीब, मासिक तथा मजदूर सभी समान स्तर पर हैं। धार्मिक शब्दावली में 'समाजवाद में ईश' नहीं है, केवल एतता है; जबकि विश्व के सभी समाज ईश अथवा बहुलता ही दर्शते हैं। एतता का नितान्त अभाव है। अनेक जातियों की अनेकानेक उपजातियाँ बनी हुई हैं; किन्तु अनेकता को एतता में परिणत करने के लिये हिंसा की आवश्यकता नहीं है। केवल सत्यप्रिय, अहिंसक एवं दृढ़ मन वाले समाजवादी ही भारत तथा विश्व में समाजवादी समाज की स्थापना कर सकेंगे। इस दृष्टि में विश्व का कोई भी देश पूर्णतः समाजवादी नहीं रहा जा सकता।<sup>159</sup>

बोल्लेविकवाद के संबंध में अपने सीमित ज्ञान का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने यह बतलाया है कि यह निजी सम्पत्ति के उन्मूलन में विश्वास करता है। एक प्रकार से यह सिद्धान्त अपरिग्रह के नैतिक आदर्श का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया गया प्रयोग है। यदि स्वेच्छा एवं शांतिपूर्वक अपरिग्रह को स्वीकार कर लिया जाय तो अत्युत्तम है। बोल्लेविकवाद हिंसा का प्रयोग कर निजी सम्पत्ति को जन्त करने तथा सामूहिक राष्ट्रीयकरण की नीति को बनाये रखने का आह्वान करता है। अपने वर्तमान रूप में बोल्लेविकवाद अधिक दिनों तक चल नहीं सकता। हिंसा पर आधारित कोई भी विचार अधिक दिन नहीं टिकता। इसमें सन्देह नहीं कि बोल्लेविकवाद को स्थापित करने में सैकड़ों नर-नारियों ने बलिदान दिया है और इस आदर्श की रक्षा करने में सब कुछ न्योछावर किया है। लेनिन जैसे महापुरुषों के त्याग एवं समर्पण वाला यह आदर्श व्यर्थ नहीं जा सकता। उनका यह आदर्श भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद है।<sup>160</sup>

गांधीजी ने वर्ग-संघर्ष के मार्क्सवादी विचार को स्वीकार नहीं किया। वे पूंजी तथा श्रम में कोई नैसर्गिक विरोध नहीं मानते। वे श्रम तथा पूंजी को समान स्तर पर रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। दोनों वर्गों को एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करना है। पूंजीपतियों को केवल श्रमिकों की भौतिक आवश्यकता का ही ध्यान नहीं रखना है, अपितु उनका नैतिक कल्याण भी करना है। वे न्यायी के रूप में श्रमिकों के हित का पालन करें। सड़ाई पूंजी से नहीं, अपितु पूंजीवाद से है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक धनवान है तो कोई चिंता नहीं, किन्तु धनवान व्यक्ति निर्धन का शोषण करें तथा निर्धन व्यक्ति धनवान से ईर्ष्या रखे तो स्थिति विस्फोटक बन जाती है। संघर्ष एवं वैमनस्य का अंत कर पूंजी तथा श्रम में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने चाहिये।<sup>161</sup> गांधीजी के अनुसार सम्पत्ति के निजी स्वामित्व को नष्ट करने के स्थान पर उसके उपभोग पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है ताकि अमीर एवं गरीब के बीच की खाई को मिटाया जा सके।<sup>162</sup>

गांधीजी ने वर्ग-संघर्ष को समाप्त करने का दावा किया है यदि जनता उनके द्वारा दर्शाये आहिंसक मार्ग का अनुसरण करने को तैयार हो। अहिंसा को जीवन का आधारभूत सिद्धान्त बना लेने पर वर्ग-संघर्ष असंभव हो जायेगा। इसके द्वारा पूंजीपति को नष्ट करने के स्थान पर पूंजीवाद को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। पूंजीपति न्यायी के रूप में पूंजी का उत्पादन, संग्रह एवं संवर्द्धन करने के लिये आमंत्रित हैं। श्रमिकों को पूंजीपतियों के हृदय-परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है। यदि पूंजी शक्ति है तो श्रम भी। दोनों ही शक्तियाँ रचनात्मक अथवा विध्वंसक कार्य में प्रयुक्त हो सकती हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। श्रमिकों में अपनी शक्ति का बोध जागृत होने ही से पूंजी को गांजेदारी की बात गोबैगे, न कि पूंजीपतियों के दाम बने रहने की। यदि श्रमिकों में पूंजी के सम्पूर्ण स्वामित्व की बात सोचो तो यह मोने के अठेरानी मुर्गी को मारने के समान होगी। बुद्धि एवं धनसत्त्व की असमानता का अन्त होना बर्तन है। नदी के किनारे बसने वाले के लिए रेगिस्तान में रहनेवाले की तुलना में बेती करने में अधिक धनसत्त्व उपलब्ध है, किन्तु धनमानता में होते हुये भी समानता के उपलब्ध मूत्रों की नहीं खोना है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का समान अधिकार

प्राप्त है। अधिकार कर्तव्यों से युक्त होते हैं। श्रमिकों को अपने शरीर से श्रम करने के कर्तव्य का निर्वाह करना है और उन व्यक्तियों से प्रसहयोग करना है जो श्रम का शोषण करते हैं। मूलभूत समानता में विश्वास रखते हुये पूंजीपति एवं श्रमिक को एक ही धरातल पर देखना है। पूंजीपति को नष्ट करने के स्थान पर उसका हृदय परिवर्तन करना है।<sup>163</sup>

पूँजीपतियो एवं श्रमिकों के संबंधों का एक और पक्ष भी है। यह बहना उचित नहीं कि यदि पूंजीपति श्रमिकों को हिंसा द्वारा दबा कर रखना चाहते हैं तो श्रमिकों को हिंसा द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। गांधीजी के अनुसार श्रमिकों को पूर्ण सद्गता के साथ 'नहीं' कहना सीखना चाहिये। अश्रुगंस तथा गोलियों को सहन करते हुये भी उन्हें अपने 'नहीं' पर डटे रहना है, न कि पत्थर का जवाब पत्थर से देने का प्रयास अपेक्षित है। परेशानी यह है कि श्रमिक पूंजीपति को निष्क्रिय बनाने के स्थान पर पूंजी पर कब्जा करने तथा स्वयं पूंजीपति बनने की कामना करता है। पूंजीपति जो कि संगठित एवं पहले से पर जमाये हुए है, अपने धन का कुछ भाग श्रमिकों को दबाने में उपयोग करता है। गांधीजी ने दावे के साथ कहा है कि यदि उनकी योजना पर अमल किया जाय तो प्रत्येक श्रमिक स्त्री तथा पुरुष सफल हो सकता है। श्रमिक को अहिंसा की योजना के अन्तर्गत रह कर कार्य करने का जो सुझाव दिया गया है, वह कोई अतिमानवीय विचार नहीं, अपितु सुगमता से क्रियान्वित किया जा सकने वाला सुझाव है। वे चाहते हैं कि श्रमिक सैनिक की भांति शौर्यवान तो हो किन्तु सैनिक की तरह हिंसात्मक नहीं। निःशस्त्र श्रमिक का अहिंसात्मक आन्दोलन में बलिदान एक पूर्णतः शस्त्र सुगमजित व्यक्ति के शौर्य से अत्यधिक उच्च है।<sup>164</sup> पूंजी के सम्मोहन ने व्यक्ति को इतना घमस्त्रित कर रखा है कि वह पूंजी को ही सब कुछ मान बैठा है, किन्तु एक क्षण के चिंतन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि पूंजी श्रम के अधीन है। रस्किन ने भी कहा कि श्रम के पाम अनुलनीय प्रवसर है। मर डेनियम हेमिल्टन के विचारों को उद्धृत करते हुये गांधीजी ने यतनाया है कि यह सोचना व्यर्थ है कि एक घातु का टुकड़ा पूंजी का निर्माणक है। उत्पादित वस्तु भी पूंजी नहीं है। यदि गमम्या के मूल में जायं तो पता चलेगा कि श्रम ही पूंजी है और यह जीवित पूंजी अक्षय है।<sup>165</sup>

वर्ग-संघर्ष तथा निजी सम्पत्ति के अधिकार के संदर्भ में गांधीजी ने कहा है कि वर्ग-संघर्ष भारत की उस मूल प्रतिभा के लिए विदेशी है जो कि समान न्याय के सबके मौलिक अधिकारों पर आधारित साम्यवाद को विकसित करने की क्षमता रखती है। गांधीजी के स्वप्नों का रामराज्य राजा तथा रंक सभी को समान अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। पारनात्य समाजवाद एवं साम्यवाद ऐसी प्रब-धारणाओं पर आधारित है जो हमारे विचारों से मौलिक अक्षमता रखती है। ऐसी ही एक प्रबधारणा है मानवीय स्वभाव की अनिवार्य स्वायं परायणता में उनका विश्वास। गांधीजी इस धारणा की अक्षयीकार करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य तथा जंगली व्यक्ति में अंतर है। मनुष्य आत्मा की ध्वनि के अनुरूप कार्य करते हुये स्वार्थ एवं हिंसा में उग्र उठ सकता है, किन्तु जंगली व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। भारत में हिन्दू धर्म में मर्त्यों की तपस्या एवं त्याग पर आधारित इस मूल्य की प्रस्तुत किया है। अतः भारत में समाजवाद एवं साम्यवाद अहिंसा तथा श्रम एवं पूंजी, जमींदार व रैपट के संशोधनों के अन्तर्गत पर ही आधारित होना चाहिये। राष्ट्रीयकरण में अक्षमता नहीं होना चाहिये। राष्ट्र

स्वयं सम्पत्ति का स्वामी नहीं बन सकता। वह तो केवल सम्पत्ति को व्यक्तियों के सुपुर्ण करता है ताकि सम्पत्ति का उचित एवं समतापूर्ण उपयोग हो सके और उसका दुष्प्रयोग रोका जा सके। यदि पूंजीपति तथा जमींदार श्रमिकों एवं रैयत के हित में अपनी सम्पत्ति का उपयोग करें तो समाज में वर्ग-संघर्ष के स्थान पर शांति एक स्वतंत्रता का वातावरण निर्मित हो सकता है।<sup>166</sup>

गांधीजी ने वर्ग-संघर्ष के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए दर्शाया है कि शोषक एवं शोषित में तब तक कोई सहयोग की संभावना नहीं, जब तक शोषण तथा शोषण करने की भावना विद्यमान है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि पूंजीपतियों तथा जमींदारों को जन्मजात शोषक मान लिया जाय और यह विचारा जाय कि उनके तथा जनता के मध्य मौलिक वैमनस्य है। मूलतः सभी प्रकार का शोषण इच्छित एवं अनैच्छिक सहयोग पर आधारित होता है। यदि शोषित होने वाले शोषक की आज्ञा का पालन न करें तो शोषण होगा ही नहीं किन्तु स्वायंभूत हम बेड़ियों से बंधे रहना स्वीकार करते हैं। यह समाप्त हो जाना चाहिये। जमींदार एवं पूंजीपति को समाप्त करने के स्थान पर शोषक जन के साथ उनके सम्बन्धों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। भारत में वर्ग-संघर्ष अवश्यभावी नहीं है। इसे अहिंसा के द्वारा दूर ही रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति वर्ग-संघर्ष की अवश्यम्भाविता की बात करते हैं, वे अहिंसा के प्रभाव को नहीं समझ पाये हैं। न्यासिता के द्वारा संघर्ष की स्थिति टाली जा सकती है। वर्ग-भेद अवश्य रहेगा किन्तु वह क्षितिजाकार होगा न कि सम्बन्ध। हमें पश्चिम से आयातित नारों तथा दलीलों के मोहपाश में नहीं फँसना चाहिये। हमारा स्वयं का सामाजिक आदर्श इतना विस्तृत एवं व्यापक है कि हम वैज्ञानिक गवेषणा की भावना द्वारा एक सच्चा समाजवाद एवं साम्यवाद विकसित कर सकेंगे जिसकी विश्व में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह सोचना नितान्त त्रुटिपूर्ण है कि पश्चात्य समाजवाद अथवा साम्यवाद जनसमुदाय की निर्धनता के प्रश्न पर अंतिम वाक्य है।<sup>167</sup> हमारे पूर्वजों ने यह कहकर 'सब भूमि गोपाल की वामे अटक कहा' हमें सच्चे समाजवाद की धरोहर दी है। गांधीजी के अनुसार गोपाल का शाब्दिक अर्थ चरवाहा है, इसका अर्थ ईश्वर भी है। प्राधुनिक शब्दावलि में गोपाल का अर्थ है राज्य अर्थात् जनता। यह सत्य है कि आज भूमि पर जनता का स्वामित्व नहीं है, किन्तु यह दोष कहावत का नहीं है। दोष हममें है कि हम उसके अनुरूप नहीं रहे।<sup>168</sup>

गांधीजी की यह श्रुति धारणा है कि समाजवाद, यहां तक कि साम्यवाद भी, ईगोपनिषद के प्रथम श्लोक में परिलक्षित है। पूंजीपति द्वारा पूंजी के दुष्प्रयोग के प्राविष्कार के साथ समाजवाद का जन्म नहीं हुआ है। सत्य यह है कि जब कुछ सुधारकों ने मत-परिवर्तन की पद्धति में विश्वास छो दिया, तब वैज्ञानिक समाजवाद के तत्त्वों का जन्म हुआ। अहिंसा द्वारा उन सभी समस्याओं का निराकरण प्राप्त हो सकता है जो वैज्ञानिक समाजवादियों ने अनुभव की है।<sup>169</sup> साम्यवादियों का वर्गविहीन समाज का आदर्श अनुकरणीय है, किन्तु हिंसा द्वारा इसे प्राप्त करने का उद्देश्य त्रुटिपूर्ण है। हम सब समान उत्पन्न हुए हैं। फिर भी हमने सदियों से ईश्वर की इच्छा का विरोध किया है। प्रथमानता का विचार पाप है किन्तु अनुपप के हृदय से पाप को संगीन को नोक से नहीं निवाला जा सकता है। मानव-हृदय उग साधन को स्वीकार नहीं करता।<sup>170</sup>

श्रमिक के लिये कार्यकौशल का वही महत्त्व है जो पूंजीपति के लिये धन का। श्रमिक का चातुर्य ही उसकी पूंजी है। जिस प्रकार से पूंजीपति श्रमिकों के सहयोग के बिना पूंजी नहीं बना सकता, उसी प्रकार श्रमिक भी पूंजीपतियों के सहयोग के बिना अपने श्रम का सही उपयोग नहीं कर सकता। यदि दोनों ही बुद्धिमान हैं और एक दूसरे से उचित व्यवहार प्राप्त करने को आश्वस्त हैं तो वे एक ही उद्यम के साझेदार बन सकते हैं। उन्हें एक दूसरे का जन्मजात शत्रु नहीं मानना है। गांधीजी को चिंता इस बात की है कि जहां पूंजीपति अपनी जड़े जमाये हुये और संगठित भी है, वहां श्रमिकों की स्थिति ठीक विपरीत है। श्रम करने वाले व्यक्ति की बुद्धि उसके आत्मविहीन तथा यांत्रिक भ्रष्टवसाय ने कुंठित कर दी है जिससे वह अपने मस्तिष्क का ठीक से विकास नहीं कर पाता। अपने स्तर का गौरव एवं उसकी शक्ति को पहचानने का उसे भयसर नहीं मिलता। उसे यह शिक्षा दी जाती रही है कि उसका पारिश्रमिक पूंजीपति द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है, उसकी अपनी मांग द्वारा नहीं। श्रमिक को इस चुनौती का सामना करने के लिए अनेक हुनर सीखने दिये जाय तथा अपनी बुद्धि का विकास करने का भवसर उसे मिले ताकि वह गौरव से मस्तक ऊंचा उठाकर चल सके और आजोबिका रहित होने के भय से मुक्त हो सके।<sup>171</sup>

गांधीजी ने वर्ग-संघर्ष के अस्तित्व को कभी अस्वीकार नहीं किया। वे केवल वर्ग-संघर्ष को भड़काने एवं बनाये रखने के विरुद्ध हैं। उन्हें विश्वास है कि वर्ग-संघर्ष टाला जा सकता है। इसे भड़काने में जितनी भलाई नहीं है, उतनी इसे रोकने में है। धनी वर्ग तथा श्रमिकों के मध्य संघर्ष केवल नाममात्र का है। श्रमिकों द्वारा एकजुट होकर कार्य करने के बाद उनका भी उतना ही प्रभाव होगा जितना कि धनीवर्ग का रहा है। वास्तविक संघर्ष बुद्धिमानी एवं निबुद्धि में है। ऐसे संघर्ष को बनाये रखना मुश्किल ही होगी। निबुद्धि को दूर करने की आवश्यकता है। धनी वर्ग अत्यन्त अल्पसंख्या में है। यदि श्रमिकों ने उचित रूप से संगठित व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया तो पूंजीपतियों को भी भुक्ना पड़ेगा। श्रमिकों को पूंजीपतियों के विरुद्ध भड़काने का अर्थ होगा वर्ग-पूना बनाये रखना जो किसी भी दृष्टि से कल्याणकारी नहीं होगा। यह कुषक दूर रहना चाहिये। यह दुर्बलता एवं हीनता की भावना का परिचायक है। जैसे ही श्रमिक अपनी प्रतिष्ठा को पहचानने लगेगा, धन को सही स्थान प्राप्त हो जायेगा; अर्थात् धन श्रमिक हेतु न्याय के अधीन रहेगा। श्रम धन में अधिक मूल्यवान् है।<sup>172</sup> पूंजी अपने आपमें कोई बुराई नहीं है, बुराई पूंजी के दुरुपयोग में है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता तदैव रहेगी।<sup>173</sup>

रुम द्वारा प्राप्त औद्योगीकरण की उपलब्धियों के सदर्थ में गांधीजी ने स्पष्ट किया है कि वे रुम के जीवन से प्रभावित नहीं हैं। बार्डवेल की इस उक्ति से कि 'मनुष्य को इमते क्या प्राप्त होगा कि वह सारे विश्व को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा छोड़े ?' गांधीजी प्रभावित हैं। उन्हें व्यक्ति द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व को छोड़ना तथा मशीन का पुर्जा मात्र बन जाना मानमित्र गरिमा का अक्षयन दिखाई देता है। वे अक्षय व्यक्तियों को ममात्र के उम्माहो एवं पूर्ण विवर्धित मन्त्र के रूप में देखना चाहते हैं।<sup>174</sup> मरुतो जाने पर आदिश ममानता के मन्द को प्राप्त करने की उनकी लक्ष्नीक मया ममात्रवादिता एवं माध्यवादिता की लक्ष्नीक में क्या अमर है, गांधीजी ने स्पष्ट किया है कि 'ममात्रवादी

तथा साम्यवादी यह कहते हैं कि वे आर्थिक समानता लाने के लिए भाज कुछ नहीं कर सकते। वे इसके पक्ष में प्रचार करते रहेगे और अन्त में उनके अनुसार घृणा उत्पन्न होगी और बढ़ेगी। वे कहते हैं कि जब उनको राज्य पर नियंत्रण प्राप्त हो जायेगा, वे समानता लागू करेंगे। मेरी योजना के अनुसार, राज्य व्यक्ति की आकांक्षा की पूर्ति के लिये रहेगा, न कि उनको अपने निर्देशों के अनुसार कार्य करने भयवा बाध्य करने के लिये। मैं अहिंसा द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना करूंगा, जनता को अपने विचारों के अनुरूप परिवर्तित करूंगा, घृणा के स्थान पर प्रेम की शक्ति का उपयोग करूंगा। मेरे विचारों के अनुरूप समाज को बनाने तक मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा, अपितु मैं स्वयं से ही इसका प्रारम्भ कर दूंगा। यदि मैं पचास मोटरकारों अथवा दस बीघा जमीन का भी मालिक हूँ तो यह सत्य है कि मैं अपने विचारों की आर्थिक समानता नहीं ला सकता। इसके लिये मुझे स्वयं को निर्धन से निर्धनतम स्तर तक अपने आपको घटाना होगा। मैं गत पचास वर्षों से यही करने का प्रयास कर रहा हूँ और इस कारण से मैं अपने आपको अग्रणी साम्यवादी कहने का दावा करता हूँ, हालांकि मैं धनिकों द्वारा प्रस्तुत कार एवं अन्य सुविधाओं का उपयोग करता हूँ। उनका मेरे पर प्रभाव नहीं है और जनहित की मांग पर मैं उन्हें एक क्षण में त्याग सकता हूँ।' 175

### गांधीजी की अपरिग्रह अवधारणा के धर्म-निरपेक्ष तत्त्व

गांधीजी की अपरिग्रह-सम्बन्धी विचारधारा को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास उचित नहीं है। उनके विचार निश्चित राजनीतिक धारणा पर अवलम्बित हैं। 'अपरिग्रह' को आर्थिक आधारों पर देखने तथा परधने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता का पुट जोड़ देने से गांधीजी के अपरिग्रह-संबन्धी विचारों की स्पष्टता घुमिल हो जाती है। जिस प्रकार से एरिक फ्रोम ने मार्क्स के अमूर्तिक दर्शन को प्रकट कर मार्क्सवाद की समीक्षा को नया आयाम प्रदान किया है, उसी प्रकार से गांधीवाद को आध्यात्मिकता की जकड़ से परे देखने पर नवीन आर्थिक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। गांधीजी की अपरिग्रह की अवधारणा का आध्यात्मिक विवेचन उसे प्रवृत्ति तथा आर्थिक आवश्यकताओं से निवृत्ति के मार्ग की ओर ले जाता है, किन्तु धर्म-निरपेक्ष विवेचन से अपरिग्रह की अवधारणा अर्थ के सामाजिक परिणामों की प्रतीक बन जाती है। मशीनीकरण के दुष्परिणाम स्वरूप मानव की भौतिक वस्तुओं की लालसा असीमित हो गई है। सम्पत्ति को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयास सामाजिक शांति तथा समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व को आत्मसात् करने में बाधक है। इससे मानवीय मूल्यों का भंजन हुआ है तथा पारस्परिक मानवीय संबंधों में कटुता आई है। एक दृष्टि से गांधीजी के दृष्टिकोण में दोनों ही तत्त्व—आध्यात्मिक तथा भौतिक—विद्यमान हैं। इन दोनों के मिश्रण से आध्यात्मिक उन्नति तथा सामाजिक सहभाव की स्थिति उत्पन्न होती है, किन्तु धर्म-निरपेक्षतावादी तत्त्व अधिक प्रबल दिखाई देता है। गांधीजी मशीनीकरण का इस कारण से विरोध नहीं करते कि वे सम्पत्ति के अधिक संग्रह के विरुद्ध हैं, अपितु वे सम्पत्ति के संग्रह के विरुद्ध इस कारण से हैं कि सम्पत्ति का आधिक्य मशीनीकरण का भय उत्पन्न करता है।

अपरिग्रह की अवधारणा गांधीजी द्वारा मशीनीकरण के विरोध-स्वरूप उभरी है। सर्वोच्च में व्यक्त उनकी विचारधारा इसका प्रमाण है कि वे परम्परागत चिन्तन में



पश्चिम के विवेकवादी-मानवतावादी मूल्यों को जोड़कर ऐसी प्रगतिशील विचारधारा प्रस्तुत कर रहे थे जिसमें सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं का समीचीन विवेचन हो सके। गांधीजी ने अपरिग्रह की धारणा के माध्यम से मशीन के बुरे सामाजिक प्रभावों तथा मशीन द्वारा सम्पत्ति के अधिक से अधिक अर्जित करने की लालसा—दोनों—के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त की है। वे मानवीय भावना से प्रेरित दिखाई देते हैं।

माक्स ने पूंजी तथा मशीनीकरण-जन्य इस धार्मिक स्थिति को अन्यसंक्रमण (एलियनेशन) कहा है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने-आपसे तथा समाज से कटा-कटा-सा रहता है। माक्स ने अन्यसंक्रमण की चार स्थितियां बतलायी हैं—श्रमिक का अपने धर्म से अन्यसंक्रमण, श्रमिक का उत्पादन की प्रक्रिया से अन्यसंक्रमण, श्रमिक का अपने आपसे अन्यसंक्रमण तथा मानव का मानवों से अन्यसंक्रमण। यद्यपि गांधीजी ने अन्यसंक्रमण शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनके विचारों में माक्स-सदृश मशीन के मानव तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का सुन्दर विवेचन समाहित है। उनके द्वारा बार-बार श्रम के विभाजन पर आधारित मशीनी उत्पादन के क्रूर एवं आत्मविहीन पक्ष तथा सृजनात्मकता के ह्रास का विवेचन श्रम तथा श्रमिक के मध्य उत्पन्न होने वाले अन्यसंक्रमण के प्रति उनकी चेतना का परिचायक है। मशीनीयुग में मानव के अमानवीकरण के प्रति उनके विचार मानव के मानव से अन्यसंक्रमण के द्योतक हैं। गांधीजी ने मशीनीकरण के कारण मानव के नैसर्गिक परोपकारी पक्ष की अव्यवस्था को दर्शाकर मानव तथा समाज के मध्य अन्यसंक्रमण की स्थिति को प्रकट किया है। माक्स तथा गांधीजी में अन्यसंक्रमण सम्बन्धी विचारों का साम्य गांधीजी पर माक्सवादी प्रभाव का स्पष्ट परिचायक है।

तथापि, माक्स तथा गांधीजी में अन्यसंक्रमण का स्रोत समान नहीं है। माक्स ने अन्यसंक्रमण को पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम माना है जबकि गांधीजी अन्यसंक्रमण को मशीनीकरण से उत्पन्न विचार मानते हैं। माक्स ने पूंजीवाद के विनाश में अन्यसंक्रमण का उपचार सुझाया है, जबकि गांधीजी मशीनीकरण के अन्त में ही उपचार का अंत बूढ़ते हैं। वे पूंजीवादी व्यवस्था को इसका उत्तरदायी नहीं मानते। इस प्रकार गांधीजी के धार्मिक विचार भौतिक उत्पत्ति के बाधक नहीं हैं। वे भौतिक साधनों के उचित प्रयोग तथा उनके साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था के शांतिपूर्ण नियमन को स्वीकार करते हैं। वे पूंजी को सामाजिक व्यवस्था का शत्रु नहीं बनने देना चाहते। उनका दृष्टिकोण व्यक्ति की मोक्ष-प्राप्ति तक सीमित नहीं है। वे सामाजिक व्यवस्था में न्याय, स्वतंत्रता तथा ममान्य के लिये व्यक्तिगत दृष्टिकोण में समवेत स्वर की पूंज देयता चाहते हैं ताकि व्यक्ति तथा समाज में अतन्द्रा की स्थिति उत्पन्न न हो। वे स्वर्ग की कल्पना में दूर पृथ्वी पर द्रविडनारायण की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं।

### शिक्षा

गांधीजी के शिक्षा सम्बन्धी विचार उनकी रचनात्मक विचार-शक्ति के अनुसूचक राष्ट्र के नवयुवकों के नैतिक एवं धार्मिक उत्थान में प्रेरित हैं। शिक्षा का उद्देश्य बन्धु तथा मुवालों को समाज तथा राष्ट्र का उपयुक्त नागरिक बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये देश की संस्कृति एवं मूल्यों की धारण-रक्षाओं को दृष्टि में धरेना नहीं किया जा सकता। गांधीजी के शिक्षा-विषयक विचारों की मूल धारणा यह है कि वे

पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली को भारत के लिए उपयोगी नहीं मानते। पाश्चात्य शिक्षा साम्राज्यवाद, अहंमन्यता एवं शोषण की प्रवृत्ति का ही अंग है। भारत की ग्राम्यप्रधान सामाजिक एवं अधिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा ही भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा-प्रणाली इसी ध्येय को लेकर चलती है। इसमें वैयक्तिक महत्वाकांक्षा के स्थान पर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा-योजना में प्राथमिक शालाओं को स्वावलम्बी बनाया गया है। अहिंसा की धारणा पर आधारित यह योजना अहिंसक लोकतंत्रीय सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग मानी गई है। गांधीजी की इस योजना में बच्चों की शिक्षा किसी उपयोगी हुनर के माध्यम से कराई जाती है ताकि रोटी-रोजी का आदर्श शिक्षा से संयुक्त किया जा सके। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने तथा अन्य सब विषयों की शिक्षा को उत्पादन की क्षमता से युक्त हुनर का अभिन्न अंग बनाने का उद्देश्य इस योजना में अन्तर्निहित है। विद्यार्थी स्वयं के श्रम से उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त पारिश्रमिक द्वारा अपनी फीस वगैरह का प्रबंध करेंगे। वे कार्य, अध्ययन एवं जीवन के मध्य उचित समन्वय स्थापित कर अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सकेंगे।

गांधीजी ने प्राथमिक शिक्षा को सात से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क रखने का विचार प्रस्तुत किया है। वे लड़के तथा लड़कियों को सात वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् उनके द्वारा सीखे गये व्यवसायों में राज्य द्वारा उन्हें रोजगार की सुरक्षा दिलवाने अथवा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को राज्य द्वारा निर्धारित मूल्यों पर क्रय करने की सुविधा के पक्ष में हैं। इस प्रकार सभी विद्यालय आत्मनिर्भर हो जायेंगे क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा उत्पादन के माध्यम से अपनी फीस का प्रबंध किया जायेगा। इससे राज्य को एक महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। राज्य छात्रों के अभिभावकों को उनके बच्चों को विद्यालयों में भेजने के लिये विवश कर सकेगा। राज्य इन विद्यालयों के निरीक्षण, संयोजन एवं मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व वहन करेगा। वह इन विद्यालयों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का प्रबंध करेगा। इस कार्य के लिए भूमि, भवन तथा उपकरणों की व्यवस्था विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त धन के द्वारा नहीं होगी, किन्तु राज्य तथा स्थानीय निकायों को षर्च का वहन करना होगा। युवाओं द्वारा अपना व्यावसायिक जीवन प्रारम्भ करने के पहले उन्हें एक वर्ष के लिए अपनी सेवामें अनिवार्य रूप से इस कार्य के लिये अर्पित करनी होगी ताकि शिक्षा पर होने वाले व्यय को कम से कम किया जा सके। उन युवाओं को देश के आर्थिक स्तर को ध्यान में रखकर उतना वेतन भी दिया जा सकता है जितना उनके जीवन निर्वाह पर होने वाले व्यय से अधिक न हो।

गांधीजी की उपयुक्त योजना में आर्थिक क्षमता तथा शैक्षिक क्षमता को समन्वित किया गया है। किन्तु यदि कोई शिक्षण संस्थान आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायेगा, तो वह आर्थिक क्षमता विकसित करने के उद्यम की ओर अग्रसर होगा। शिक्षा की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। आत्मनिर्भरता को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। केवल शैक्षिक क्षमता को विकसित करने का ही उद्देश्य मूल होना चाहिये। गांधीजी की शिक्षा योजना के विरुद्ध यह भी नारा मचा गया है कि विद्यालयों में उत्पादित वस्तुओं का विक्रय राज्य द्वारा किये जाने का अर्थ यह होगा कि उद्योगों का ध्यान

स्तर पर समाजीकरण किया जाय। किन्तु इस आलोचना के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि गांधीजी विकेन्द्रीयकरण तथा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से यह कार्य करवाना चाहते हैं, अतः समाजीकरण हस्तशिल्प से जुड़ा रहे, न कि उसे केन्द्रीय उत्पादन से सम्बद्ध किया जाय। इस योजना से हस्त-शिल्पियों को कोई हानि नहीं होगी। इससे उनका समाज में सम्मान बढ़ेगा तथा श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित होगी। श्रम की नैतिक शक्ति को मान्यता मिलेगी ताकि सिद्धान्त तथा व्यवहार में होने वाला अन्तर दूर किया जा सके।

गांधीजी की शिक्षा-योजना का वास्तविक उद्देश्य बालक के हाथ, उसका मस्तिष्क तथा उसकी आत्मा का समन्वित विकास करना है। ग्रन्थ शिक्षा योजनाओं में बालक के हाथों का महत्त्व नहीं और उसकी आत्मा को भी दृष्टि से धोक्ल कर दिया गया है। गांधीजी ने कार्य के द्वारा शिक्षण की योजना के सम्बन्ध में लिखा है कि "मस्तिष्क की मज्जी शिक्षा के लिए भी शारीरिक प्रयत्नों का समुचित उपयोग आवश्यक है। शारीरिक शक्ति एवं कर्मेन्द्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से सुन्दर से सुन्दर और शीघ्र से शीघ्र मानसिक विकास सम्भव हो सकता है।" उनका यह प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से भी एक नवीन सामाजिक आन्ति का जनक है। गांधीजी ने लिखा है, "मैं यह मानता हूँ कि शिक्षा की इस पद्धति से व्यक्त का सबसे अधिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सकता है। इसमें उद्योग भी भाज की तरह यांत्रिक ढंग से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से सिखाये जायेंगे ताकि बालक प्रत्येक प्रक्रिया के मूल की जानकारी प्राप्त कर सके।" इसके द्वारा शहर तथा गांव के मध्य स्वस्थ एवं नैतिक सम्बन्धों की स्थापना की जायेगी ताकि सामाजिक असुरक्षा एवं वर्गों के मध्य विपाकत सम्बन्धों को दूर करने में सफलता मिल सके। इसके द्वारा गांवों का निरन्तर होने वाला ह्रास नियन्त्रित किया जा सकेगा और ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकेगी जिसमें गरीब तथा धनी का भेदभाव न रहे। प्रत्येक को समुचित पारिश्रमिक एवं स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त होगा। फिर, न तो बालकों और मजदूरों के मध्य भयानक वर्ग-संघर्ष होगा और न सम्पूर्ण भारत में स्थापित करने के लिए बृहत् उद्योगों में लगने वाली विपुल पूंजी की आवश्यकता होगी। विदेशों से मिलने वाली मशीनों अथवा तबनीकी जानकारों पर निर्भरता भी समाप्त हो जायेगी। उच्चस्तरीय तबनीकी चानुषं पर निर्भरता भी समाप्त हो जाने में जनसमुदाय का भविष्य स्वयं उनके हाथों में सुरक्षित होगा।"

गांधीजी ने विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा में भी प्रातिवारी परिपक्वता का सुभाव प्रस्तुत किया है। उनके शब्दों में "मैं उच्च शिक्षा का दुश्मन नहीं हूँ। मेरी योजना में तो अधिक से अधिक और सुन्दर से सुन्दर पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और शोध सम्पान रहेंगे। उनमें जो ज्ञान मिलेगा, वह जनता की संपत्ति होगी और जनता को उनका लाभ मिलेगा।" वे निजी क्षेत्र को उच्च शिक्षा का भार सौंपना चाहते हैं। अपने प्राविधिक, व्यावसायिक एवं वाणिज्य-सम्बन्धी महाविद्यालयों को व्यापारी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बनाने जाने का उत्तरदायित्व सुनाया है। तथा, यदि एवं चादुश्चित महाविद्यालयों को धारण-निर्भर रखने अथवा स्वनिर्भर ढंग में बनाने जाने का सुभाव गांधीजी में दिया है। वे राजकीय विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा देने तक ही सीमित रखना चाहते हैं।

और उन्हें परीक्षा-शुल्क द्वारा आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं।

गांधीजी विभिन्न विज्ञानों की शिक्षा को मूल्यवान मानते हैं, किन्तु वे नहीं चाहते कि हमारे विद्यार्थी रसायनशास्त्र तथा भौतिकशास्त्र में ही उलझे रहें। उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार पहले वे उपकरणों का प्रयोग सीखेंगे, बाद में लेखन का कार्य। प्रांथे पहले अक्षरों के चित्र पढ़ेंगी तथा जीवन का ज्ञान प्राप्त करेंगी, कान वस्तुओं तथा व्यक्तियों के नाम तथा उनके अर्थ का बोध करेंगे। समस्त प्रशिक्षण प्राकृतिक तथा प्रतिक्रियात्मक होगा और त्वरित तथा सस्ता भी। इस प्रकार गांधीजी की शिक्षा-योजना में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी गुणों की अभिव्यक्ति समाविष्ट है। गांधीजी पाठशालाओं में नैतिक शिक्षण के पक्ष में हैं। उनके अनुसार सभी धर्मों की आधारभूत नैतिकता में कोई अन्तर नहीं है। चरित्र-निर्माण, साहस, सद्गुण तथा महान् आदर्शों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का नैतिक शिक्षण परमावश्यक है। वे कला तथा संगीत के साथ-साथ शारीरिक प्रशिक्षण को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके विचारों के अनुसार सत्य तथा कष्टा के माध्यम से व्यक्ति समाज तथा मानवता की सर्वोत्तम सेवा कर सकता है। वे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ आधुनिकता का भी जीवन में समावेश चाहते हैं। वे रुढ़िवादी नहीं हैं। उनके आदर्शों के अनुरूप स्थापित गुजरात विद्यापीठ के सम्बन्ध में उनके विचार इसके प्रमाण हैं। उन्होंने कहा था, "विद्यापीठ केवल प्राचीन संस्कृति का अन्धानुकरण नहीं करेगा। इसका उद्देश्य प्राचीन परम्पराओं और नवीन अनुभूतियों का समन्वय कर एक नयी संस्कृति का निर्माण करना होगा। इसलिए यह विभिन्न भारतीय संस्कृतियों का समन्वय करेगा जिन्होंने भारतीय जन जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं उनसे प्रभावित भी हुए हैं।"

**गांधीजी : एक शान्तिवादी (पैसीफिस्ट) के रूप में**

गांधीजी को शान्तिवादियों की दृष्टि से विश्व में अग्रगण्य कहा जा सकता है। यूरोप में चलने वाले शान्ति-आन्दोलन के समर्थकों ने युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए समय-समय पर आन्दोलन चलाये हैं, किन्तु गांधीजी का सत्याग्रह इन सबसे भिन्न तथा अनुपम कहा जा सकता है। शान्तिवाद (पैसीफिज्म) नकारात्मक है। यह निष्क्रिय प्रतिरोध का ही एक रूप है। शान्तिवादी युद्ध में स्वयं सम्मिलित नहीं होता तथा अनिर्वाय सेना का विरोधी है, जबकि गांधीजी ने इस प्रकार के कार्य को अप्रत्यक्ष रूप में युद्ध को समर्पित करना ही कहा है। युद्ध का विरोध तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति युद्ध करने वाली स्वयं की सरकार के साथ पूर्ण अग्रहमोह करे। जब तक व्यक्ति कर देता है तथा शासन की अन्य आशाओं का पालन करता है, तब तक उसे शान्तिवादी नहीं माना जा सकता किन्तु गांधीजी का सत्याग्रह का प्रयास उन्हें शान्तिवादी बड़े जाने के उपयुक्त नहीं है। गांधीजी शान्तिवादी के स्थान पर सत्याग्रही अधिक हैं।<sup>176</sup> 'सत्याग्रही' शब्द अत्यन्त व्यापक है और उसमें गांधीजी की एक अद्वितीय योद्धा की स्थिति स्पष्ट होती है। वे सभी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हुये गत्य के लिए अहिंसक संघर्ष को ही एकमात्र मार्ग मानते हैं जिसमें युद्ध रोके जा सकें। 1940 के बाद के गांधीजी के समस्त विचार इस और इंगित करते हैं। गांधीजी से पहले भी शान्ति एवम् अहिंसक विचारों का विस्तार पर स्वाभिन्न करने के प्रयास हुये हैं। टागोर तथा गैरीसन ने गांधीजी के पहले शान्ति का संदेश दिया है, किन्तु उन्हें

तथा गांधीजी में मूलभूत अन्तर यह है कि जहाँ अन्य मनीषियों ने निष्प्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया है, वहाँ गांधीजी ने अहिंसा को संघर्ष के सक्रिय साधन के रूप में प्रयुक्त कर दिया है। यूरोप के शांतिवादियों के विचार एक निश्चित दर्शन के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाये हैं, क्योंकि सिद्धान्त की दृष्टि से उनमें बुद्धोन्माद को रोकने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं दिखाई देता। इस तरह गांधीजी अहिंसक शांतिवादियों में अग्रणी हैं। गांधीजी ने यूरोपीय आलोचकों के इस आरोप को कि उनका अहिंसक असहयोग अहिंसक नहीं कहा जा सकता<sup>177</sup>—यद्यपि स्वीकार किया है, फिर भी उनका अहिंसक आंदोलन अहिंसा के सिद्धान्त की निश्चित धारणा प्रस्तुत करता है।

### राष्ट्रवाद बनाम अन्तर्राष्ट्रवाद

गांधीजी के अनुसार राष्ट्रवादी बनने के पहले अन्तर्राष्ट्रवादी बनना असंभव है। राष्ट्रवादी बनने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति में संकुचित देशभक्ति की भावना बनी रहे और वह अपने देश की तुलना में अन्य देशों को हेय समझे। स्वयं के उदाहरण द्वारा गांधीजी ने बताया है कि वे केवल भारत का ही कल्याण नहीं चाहते, वरन् समस्त विश्व के कल्याण के इच्छुक हैं। हम अपने देश के प्रति निष्ठावान बने रहे, साथ ही साथ किसी अन्य देश को हानि नहीं पहुँचायें। अन्तर्राष्ट्रवाद तभी संभव है जब राष्ट्रवाद पूरी तरह स्थापित हो जाय; अर्थात् जनता एकजुट होकर रहने लग जाय। इसके पश्चात् सभी राष्ट्रीयतायें एक साथ संगठित होकर एक व्यक्ति के समान व्यवहार करने लग जाय, तभी सच्चा अन्तर्राष्ट्रवाद स्थापित हो सकता है। जब तक राष्ट्रों के परस्पर वैमनस्य एवं प्रतिद्वन्द्विता का अन्त नहीं होता, तब तक अन्तर्राष्ट्रवाद की कामना नहीं की जा सकती। राष्ट्रवाद का सही रूप में निर्वाह करने वाला व्यक्ति मानवता का भ्रान्त नहीं, अपितु सेवक है। अपने देश की सेवाभक्ति करना तब तक अनुचित नहीं, जब तक देशभक्ति दूसरे राष्ट्र को हानि पहुँचाने के कार्य के लिये विवश न करे।<sup>178</sup>

इस प्रकार गांधीजी की देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना सर्वोप नही है। वे मानव-प्रेम को विश्वप्रेम का प्रेरक मानते हैं। वे ऐसा आदर्श मानव विकसित करना चाहते हैं जो सम्पूर्ण मानवता से प्रेम करता हो। गांधीजी ने स्वायत्तम्भी प्रजातन्त्रों की स्थापना पर इसी उद्देश्य से जोर दिया है। राजनीतिक प्रबुद्धता के साथ-साथ गांधी में परस्पर आधिक एवं सांस्कृतिक सहयोग भी होना चाहिये। प्रामाण्य स्तर पर सामाजिक एवं नैतिक चेतना का विकास समस्त राष्ट्रीय चिन्तन द्वारा जो परिवर्तित कर सकता है और मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना का संचार करने में सहायक हो सकता है। ऐसी चेतना के पश्चात् सर्वोप भौगोलिक एवं राष्ट्रीय सीमायें स्वतः टूट जायेंगी। भाग्य का प्रोक्त राष्ट्रीय एकात्म एवं विश्व-अणुत्व का प्रतीक रहा है। अद्वैतों ने मुनि प्राण करने के पीछे भी स्वयन्तता का भाव है, न कि पूर्णता का। गांधीजी के शब्दों में, "पूर्ण स्वयन्त की मेरी कल्पना का अर्थ यह नहीं है कि हमारा देश सबसे अलग रह कर स्वयन्तता का उपयोग करे, बल्कि विश्व के राष्ट्रमण्डल में अपना एक दूसरे में स्वयं एक सम्मानपूर्ण सहयोग रहे। हमारी स्वयन्तता किसी दूसरे राष्ट्र के लिए कोई धारा नहीं बहने। जिस प्रकार हम अपना जोपर नही होने देंगे, ठीक उसी प्रकार हम किसी दूसरे का जोपरण भी नही करेंगे। अतः हम अपने स्वयन्त के द्वारा सम्पूर्ण विश्व की सेवा करेंगे।"<sup>179</sup>

गाँधीजी ने अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने तथा विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के पृथक् रहने से विश्व का सांस्कृतिक विकास अवरोध हो जायेगा। उनकी देशभक्ति में अन्य देशों के लिए वैर की भावना नहीं है। वे पश्चिम के भौतिकवादी चिन्तन से दूर रहना चाहते हुये भी पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति की श्रेष्ठ वस्तु ग्रहण करने में संकोच नहीं करते। उन्होंने पश्चिम के जन-स्वास्थ्य के विज्ञान को भारतीयों द्वारा ग्रहण कर लिये जाने का आग्रह किया है। इस प्रकार वे पाश्चात्य सभ्यता की अच्छाइयों को अगीकार करने तथा बुराइयों से दूर रहने का विचार प्रस्तुत करते हैं।

गाँधीजी के अनुसार पृथक्त्व को जन्म देने वाली स्वतन्त्रता को विश्व राज्यों का लक्ष्य नहीं माना जा सकता। स्वैच्छिक अन्तर्निर्भरता ही वास्तविक लक्ष्य है। अन्तर्निर्भरता के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की भी आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक अन्तःसम्बन्धों के बिना न तो वह सार्वभौम के साथ अपनी एकता की अनुभूति कर सकता है, न अपनी स्वार्थ-परायणता का दमन। उसका सामाजिक पक्ष ही उसे यथार्थ के निकट रखता है। उसके बिना व्यक्ति विश्व के लिये समस्या बन जायेगा। समाज पर निर्भरता मानव को मानवता की शिक्षा देती है। परिवार तथा समाज की सहायता के बिना व्यक्ति अकेले अपने आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। ममस्त विश्व को परिवार मानकर यह लक्ष्य अत्यन्त विस्तृत हो जाता है। मानव-मात्र में मूलभूत एकता के दर्शन के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान एवं पतन समस्त विश्व के उत्थान व पतन से जुड़ जाता है। ईश्वर की दृष्टि में सभी मानव समान हैं। सब एक ही प्रकार के नैतिक नियम में बंधे हैं। गाँधीजी के अनुसार उनका ध्येय केवल भारतीय मानवता एवं भ्रातृत्व तक ही सीमित नहीं है। वे सम्पूर्ण मानवता में भ्रातृत्व-भाव देखना चाहते हैं। वे केवल भारत की स्वाधीनता के ही इच्छुक नहीं, अपितु इसके माध्यम से सम्पूर्ण विश्व को स्वतन्त्र देचना चाहते हैं। उनकी देशभक्ति संकीर्ण नहीं है। वे ऐसी देशभक्ति के पक्षधर नहीं जो अन्य राष्ट्रों को भयभीत अथवा उनका शोषण करने वाली हो। उनकी देशभक्ति तथा उनका धर्म सम्पूर्ण जीव-जगत् को आत्मसात् करने वाला है। वे सभी चराचर प्राणियों में आत्मोपमा का दर्शन करते हैं। ईश्वर ने पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों से लेकर मानव तक सभी का मृजन किया है। अतः उस परमात्मा की मृष्टि के वैभिन्य में भी मूलभूत एकरा है। इस प्रकार गाँधीजी का सदेश विश्वव्यापी है।<sup>160</sup>

### समाज सुधार तथा हरिजनोद्धार

गाँधीजी ने समाज-सुधार के क्षेत्र में जो कार्य किया है, वह राष्ट्र के जीवन के पुनर्निर्माण की दृष्टि में अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। उनका ममस्त रचनात्मक कार्यक्रम एक प्रकार से समाज-सुधार कार्यों पर केन्द्रित रहा है। 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत जब कांग्रेस ने मन्त्रीपद ग्रहण किया, उन्होंने सभी कांग्रेसियों को रचनात्मक कार्यक्रम में लगे रहने का आह्वान किया था। गाँधीजी राजनीति में अग्रिष्ठ समाज-सुधार के कार्यों में रति लेते थे। सामाजिक सुधार की दृष्टि से गाँधीजी का सबसे बड़ा कार्य हरिजनोद्धार था। हिन्दू समाज में ही इस सुधार की आवश्यकता नहीं थी, अतिसु अल्प धार्मिक समुदायों में भी इसकी आवश्यकता थी। दुष्प्राप्त की भावना ने मानवीय गरिमा

को इतना गिरा दिया था कि हिन्दू समाज की दृष्टि में इसका निराकरण एक राष्ट्रीय समस्या बन गई थी। छुआछूत की भावना ने कुछ प्राथमिक समस्याएँ भी खड़ी कर दी थी। सूँकें हरिजनों का बहुमत आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था और उनके रोजगार के अवसर अत्यन्त सीमित थे, अतः उन्हें गाँव तथा शहरों से बाहर अत्यन्त दयनीय स्थिति में तथा अस्वस्थ वातावरण में रहने को विवश होना पड़ता था। हिन्दू होते हुए भी उन्हें हिन्दू-मन्दिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, उनके लिए सभी सांख्यिक स्थानों में प्रवेश वर्जित था। गांधीजी ने हरिजनोद्धार के कार्य को अन्वय तथा दमन के विरुद्ध महान् सपन मानकर भारत के जन-जीवन में एक नवीन विचार उत्पन्न किया। उनके हरिजनोद्धार-आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने इस आन्दोलन में हरिजनों को सम्मिलित नहीं किया। हरिजनोद्धार का कार्य सवर्ण कहे जाने वाले भारतीयों द्वारा किया जाना था। इस सदर्भ में गांधीजी का यह विचार था कि हरिजन इतने गिरे हुये हैं कि वे अपने अधिकारों की मांग करने में अपने आपको सामर्थ्य-विहीन मानते हैं; अतः उनके प्रति होने वाले अन्वय का विरोध उन्हीं के द्वारा होना चाहिये जो अन्वय करने वाले समूह के सदस्य हैं। गांधीजी ने एक और सवर्णों के हृदय में हरिजनों के प्रति घृणा की भावना को मिटाने का अथक प्रयास किया, तो दूसरी ओर उन्होंने हरिजनों के मन से हीनता तथा दासता का भाव निकालकर पुनः नया अत्मविश्वास दिनाया। गांधीजी ने हरिजनोद्धार कार्य के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि सदियों से हमारे पूर्वजों ने हिन्दू-साम्राज्य के एक अंग पर जो अत्याचार किये थे, उनका हमारे द्वारा ही प्रायश्चित्त किया जाना आवश्यक था। बिना किसी बाहरी दबाव के अनमत को शिथिल कर स्वेच्छा से छुआछूत की भावना का अन्त करना आधुनिक भारत की एक श्रेष्ठ उपलब्धि माना जा सकता है।

गांधीजी द्वारा प्रायश्चित्त में 'वाइकोम सत्याग्रह' चलाया जाना हरिजन-उद्धार की दृष्टि से भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना का प्रारम्भ था। प्रायश्चित्त के महाराजा ने गांधीजी के सत्याग्रह की नैतिक विजय को स्वीकार करते हुये हरिजनों के मंदिर-प्रवेश की आज्ञा जारी की। इसी प्रकार से राजस्थान के भालावाड़ प्रान्त के नरेश ने राजस्थान में पहली बार गांधीजी के हरिजन-उद्धार कार्यक्रम का प्रारम्भ किया। वे अपने ही द्वारा संचालित मंदिर में हरिजन-प्रवेश के प्रश्न पर जन-विरोध के कारण स्वयं मंदिर के आन्तरिक प्रवेश में दर्शन करने कभी नहीं गये। उन्होंने उगी स्थान में दर्शन करने का नियम निभाया जहाँ तक हरिजनों को दर्शन करने का अधिकार दिया गया था। वही से वे दर्शन करते रहे। गांधीजी ने अपने ही समय में छुआछूत की भावना के दो हजार वर्षों से चले आ रहे अहिंसादी विचार को परिवर्तित कर एक महान् सामाजिक आन्दोलन का सूत्रपात किया। बाद में भारत सरकार ने इस संबंध में कानून बनाकर छुआछूत की प्रथा का अन्त करने का प्रयत्न किया। गांधीजी ने कानून का महाराजिद्वारे बिना ही यह सब कुछ किया था। उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो सदियों से चली आ रही इस अहिंसादिना को मिटा नहीं पाता। आधुनिक विचार एवं कानूनी व्यवस्था के द्वारा, अथवा एवं आजादी के माध्यमों के विचार के माध्यम-आज आन्दोलन के सम्बन्धित सुराही बन होती गई है। गांधीजी की यह आशा थी कि हिन्दु धर्म में छुआछूत की भावना को स्वीकार नहीं किया गया। गांधीजी ने जहाँ छुआछूत की भावना

का विरोध किया, वहाँ वे जाति व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक अभियान नहीं चला पाये। शायद उनका यह विचार था कि छुआछूत की भावना के समाप्त होने के पश्चात् जाति व्यवस्था के दन्धन स्वयं शिथिल हो जायेंगे। गांधीजी हिन्दू धर्म की सभी बुराइयों पर एक साथ प्रहार करना इसलिये भी उचित नहीं समझते थे कि कहीं उन्हें विचारों से विदेशी न समझ लिया जाये। उन्होंने हिन्दू धर्म की संरचना में निष्ठा प्रकट करते हुये एक सुधारवादी के रूप में छुआछूत का विरोध किया यद्यपि वे संकीर्ण विचारों वाले हिन्दू नहीं थे।

गांधीजी ने अपने-आपको सनातन हिन्दू मानते हुये हिन्दू धर्म की अपनी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की जो इस कारण चल निकली कि हिन्दू धर्म किसी एक धर्म-पुस्तक की सत्ता के अधीन नहीं था। उन्होंने स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदों की सर्वोच्चता के विचार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वर्णाश्रमधर्म के जातीय स्पष्टीकरण को अपने नवीन दृष्टिकोण से देखा। वे जानबुझकर वेदों तथा स्मृतियों को अपौरुषेय नहीं मानते थे। ऐसा करने में उन्हें सनातन धर्म की अपनी पृथक व्याख्या करने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हुआ। यदि वे वेदों की अपौरुषेयता को मानकर चलते तो उन्हें अपने सामाजिक कार्यक्रम में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। स्वामी दयानन्द ने यद्यपि वेदों का सहारा लेते हुये छुआछूत का विरोध वेदसम्मत बतलाया और हरिजनो को यज्ञोपवीत धारण करने का समान अधिकार प्रदर्शित किया, किन्तु गैर-हिन्दुओं के बारे में उनके विचार संकीर्ण ही रहे; जबकि गांधीजी ने हरिजनो के साथ-साथ गैर-हिन्दुओं के प्रति भी बिना किसी दुर्भावना के समतापूर्ण व्यवहार दर्शाया। गांधीजी ने न केवल वेदों को अपितु वाइविल, कुरान, जिन्दअवेस्ता को समान रूप से ईश्वरीय माना। वे हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में पूर्ण श्रद्धा रखते हुये भी उनके प्रत्येक शब्द को ईश्वरीय वाक्य नहीं मानते थे। गांधीजी ने जाति व्यवस्था के संबंध में अन्तर्जातीय विवाह को स्वीकार किया। वाद में उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह को भी प्रचलित करने पर जोर दिया। गांधीजी के समय में जाति-व्यवस्था के विरोध में इतने प्रगतिशील विचार रखने वाले ध्यवित नगण्य थे, अतः गांधीजी का यह प्रयास क्रान्तिकारी माना गया। हिन्दुओं के दार्शनिक चिन्तन में सभी धर्मों में एकरता का विचार मिलता है किन्तु हिन्दुओं के सामाजिक विचार में इतनी उदारता नहीं रह गई थी कि वे अपने विधर्मियों को स्वीकार कर लें। गांधीजी द्वारा धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार-प्रसार एक ऐतिहासिक घटना थी। गांधीजी ने भारत में साम्प्रदायिकता का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने बिना किसी कानून अथवा राजकीय संरक्षण के इस कार्य को आगे बढ़ाया और हिन्दू-मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त किया।

सामाजिक क्षेत्र में गांधीजी ने मातृभाषा के प्रयोग को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। वे ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते थे जिसमें मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाये। वे प्राचीन भाषा को मातृभाषा में एकत्र रखना चाहते थे ताकि शासित एवं शासक में अन्तर्विरोध न हो तथा जनता द्वारा शासकीय कार्य में सहभाग्य होने की परम्परा का निर्वाह हो सके। उन्होंने देश में अंग्रेजी की मानसिक दासता का वातावरण समाप्त कर हिन्दी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा का गौरव-पूर्ण स्थान दिया। वे भाषा को भारत के रक्षा के। भाषाओं प्राचीन का निर्माण तथा प्राचीन भाषाओं को मार्गजित एवं निर्या प्रयोग में





होली में जनता ने स्वयं के ही वस्त्र जलाये हैं, गरीबों अथवा अन्य व्यक्तियों के नहीं। यदि किसी अन्य व्यक्ति के वस्त्र छीनकर जलाये जाते तो वे ऐसा न होने देते। गांधीजी का तर्क उचित था। उनके आन्दोलन के माध्यम से विदेशी वस्त्रों का उपयोग करनेवाले भारतीयों के मन में देश-प्रेम की भावना जागृत हुई और उन्होंने विदेशी वस्त्रों का प्रयोग छोड़कर भारत में निर्मित वस्त्रों का प्रयोग प्रारम्भ किया। इसका यह लाभ हुआ कि भारत का वस्त्र-उद्योग चमक उठा और अनेक व्यक्तियों को सूती वस्त्र-उद्योग में रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रकार गांधीजी ने बिना राजकीय सहायता के भारत के चूड़ों और आर्थिक नाकेबंदी करने में सफलता प्राप्त की। वे भारत की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के उद्धारक थे। ऐसा अर्थशास्त्र जो दूसरों को अपना शिकार बनाये, अनैतिक एवं पापपूर्ण होता है। वहिष्कार के आर्थिक उपकरण का प्रयोग कर गांधीजी ने देशभक्ति की भावना को प्रबल करने का राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया।

गांधीजी प्रजातीय भेदभाव के तीव्र विरोध में थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जातीय एवं रंग-भेद की नीति का सफल विरोध किया था। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी रंग-भेद की नीति का अभी तक त्याग नहीं किया, फिर भी गांधीजी की सफलता इस अर्थ में आंकी जा सकती है कि उन्होंने गोरी जाति के व्यक्तियों को रंग-भेद की नीति की कुटिलता के प्रति जागृत किया। सत्याग्रह द्वारा अपने विरोधी को उसके द्वारा उठाये गये दोषपूर्ण कदमों के प्रति आगाह करना गांधीजी का कार्यक्रम हुआ करता था। उनके नेतृत्व में व्यापक जन विद्रोह हुये, किन्तु यह सब शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। निष्क्रिय प्रतिरोध एवं अहिंसक असहयोग के माध्यम से उन्होंने बुराई का प्रतीकार किया।

भारत में देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों को दासता स्वीकार कर रियासतों में स्वराज्य आन्दोलन को शिथिल बनाने का जो प्रयास किया, उसका गांधीजी ने तीव्र विरोध किया। 1916 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए गांधीजी ने मंच पर बैठे बहुमूल्य रत्नों से विभूषित राजाओं तथा महाराजाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि "ये सम्पन्न भारतीय जब तक अपने बहुमूल्य रत्न-आभूषण धारण करना बन्द नहीं करते और यह सम्पदा भारत की जनता को सुपुर्द नहीं करते, तब तक भारत का उद्धार नहीं होगा।" उन्होंने उन बहुमूल्य रत्नों को भारतीय किन्नार के शोषण को कगार्द का प्रतीक बताया। समारोह के आयोजकों ने गांधीजी को आगे नहीं बोलने दिया, लेकिन गांधीजी के उम वक्तव्य ने उपस्थित जनममुदाय पर—विशेषतया युवा वर्ग पर—आश्चर्यजनक प्रभाव डाला। श्रोताओं ने वैसा क्रान्तिकारी वक्तव्य पहले कभी नहीं सुना था। गांधीजी ने अपनी निर्भीकता का परिचय देकर सत्ता तथा सम्पत्ति के प्रतीकों को घाटे हाथों लिया। इसके पश्चात् गांधीजी ने निरन्तर गामन्तशाही तथा राजशाही का भारत में विरोध किया। इन कार्यों के लिए गांधीजी ने रियासतों में प्रजासङ्घों की स्थापना की।

गांधीजी के गमनालोंन भारतीय उदारवादी चिन्तकों ने पाश्चात्य उदारवादी परम्परा का गठारा लिया, किन्तु उनकी कयनी और करनी में घन्तर था। प्रगतिष्टा उदारवादी भारतीय नेताओं में वे अनेक रियासतों में दीवान थे। वे रियासतों में मनमाना

शासन चलाते थे तथा अंग्रेजों की चाटुकारिता से पीछे नहीं रहते थे। गांधीजी इनसे सर्वथा भिन्न थे। यही कारण है कि भारत की देशी रियासतों के शासकों ने गांधीजी को अपना शत्रु मान लिया था। उन्होंने गांधीजी के किसी भी रचनात्मक कार्यक्रम में विरतीय सहयोग नहीं दिया। राजनीतिक मामलों में उन्होंने गांधीजी तथा उनके अनुयायियों को कोसों दूर रखा। अनेक बार गांधीजी के नेतृत्व में चलाये जाने वाले आन्दोलनों को देशी रियासतों के राजाओं ने अपने क्षेत्रों में अंग्रेज-सरकार से भी अधिक क्रूरता से दबाया। देशी रियासतों के राजा भारत के प्रशासनिक एवं राजनीतिक जीवन के पिछड़ेपन के ही प्रतीक रहे। भारत के एक तिहाई भाग पर उनका शासन था और वंश परम्परा के आधार पर उन्होंने अपने शासन को चलाते हुये अपनी प्रजा को साधारण अधिकारों तक से वंचित रखा। वे भारतीय जनता की प्रगति के मार्ग में रुकावट बने रहे, किन्तु वे भारतीय जनता में हमेशा ही यह स्वांग रचते रहे कि वे हृदय से देशभक्तिपूर्ण थे और उन्हें भारतीयता से अत्यधिक लगाव था। अपने इस छद्मपूर्ण व्यवहार को उन्होंने शैथिल्य एवं धन्य गतिविधियों के लिए उदार आर्थिक सहायता देकर जन-साधारण के समक्ष छिपाने का प्रयास किया। गांधीजी इस प्रकार के भुलावे में आनेवाले नहीं थे। उन्होंने इन देशी शासकों के आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति-प्रदर्शन का मुंहतोड़ जवाब दिया। 1916 में सामन्तशाही के विरुद्ध गांधीजी का बक्तव्य अत्यन्त प्रान्तिकारी था क्योंकि उस समय सामन्तशाही का पूरा दबदबा भारत में फैला हुआ था। उन्हें ब्रिटिश सरकार का भी पूरा समर्थन प्राप्त था और वे अपनी रियासतों में अधिभूतियों से कम नहीं थे। गांधीजी तथा उनके अनुयायियों ने अत्याचारी सामन्तों के गढ़ में भारतीय स्वराज्य का आन्दोलन किम तरह गंवाहित किया होगा, उसकी कल्पना भी रोगटे खड़े कर देने वाली है।

### मद्य-निषेध

जीवन में मादक तथा नैतिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य को बनाये रखने की दृष्टि से गांधीजी ने नशीली वस्तुओं तथा द्रव्यों का विरोध किया। उन्होंने पश्चिमी मज्जता के अग्रानुकरता से प्रेरित मद्यपान की आदत को बुरा माना। वे नशीले द्रव्यों के सेवन को अहित की नैतिक दुर्वृत्तता का प्रतीक मानते थे। भारत के निर्धन तथा निम्न वर्ग के लोगों में मद्यसेवन की प्रथा उनके जीवन की जिम प्रकार में शोचनीय बना रही थी, उसमें गांधीजी अत्यन्त चिन्तित हुये। निर्धन अहित के लिए बुरी आदतों में अपना अत्यन्त कठिन था। आर्थिक दृष्टि में भी मद्यपान के खर्च को समाज का निम्न वर्ग महत् नहीं कर सकता था। अपने परिवार का जीवन-स्तन बढ़ाने तथा अपने बच्चों के नशीलासन-यासन में अपनी आय खर्च करने के अर्थ पर नगा करने वाले नरों में ही मारा पैसा भोज देते थे। यह बात गांधीजी अत्यन्त तरह से समझते थे। उन्होंने परिवार-कल्याण की दृष्टि से मद्यनिषेध को अपने सामाजिक उत्थानक कार्यक्रम का अंग बनाया। यही कारण था कि गांधीजी भारत को मद्यरहित करना चाहते थे। गांधीजी की यह मांग थी कि आर्थिक दृष्टि में अग्र अहित भी अपने सामाजिक उत्थानकारियों को विचारित नहीं दे सकते। यदि अग्र वर्ग के लोग मद्यनिषेध का विरोध करें तो समाज को उन्हें ऐसा करने में रोक्ने का अधिकार है। भारत में निर्धन वर्ग में जहाँ बुरी अहित देकर अन्न भोजन नहीं पाते, वहाँ अमीरों की विवाहिया गहन मरी की जा सकती। अन्न

व्यक्तियों का यह सामाजिक कर्तव्य है कि वे स्वयं अपने से नीचे वर्गों को सही राह दिखलायें और उन्हें उचित शिक्षण देकर बुराईयों से दूर रखने का आदर्श स्वयं प्रस्तुत करें।

गांधीजी ने व्यक्तिगत अधिकार तथा स्वतन्त्रता को सार्वजनिक कल्याण से पृथक् स्थिति में नहीं माना। उनकी यह मान्यता थी कि सरकार नागरिकों के निजी व्यवहार को नियमित करने का अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक नियमों को कठोरता से लागू किया जा सकता है। उनके अनुसार यदि लोकतांत्रिक दृष्टि से भी निर्णय किया जाये तो जनता का बहुमत मद्य की दुकानों को अपने पड़ोस में खोलने का विरोध करेगा। उनके अनुसार जो व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बात करते हैं, वे भारत को अच्छी तरह से नहीं जानते। भारत की नैतिक मान्यता में मद्य-पान को अधिकार के रूप में मांगने की बात असम्भव-सी लगती है। पाश्चात्य देशों के समान जहाँ शराबखानों तथा वेश्यालयों की मांग जनता द्वारा राज्य से की जाती है, उतनी दुर्गति भारत की नहीं हुई है। गांधीजी अच्छी तरह से समझते थे कि भारत अमेरिका नहीं है जहाँ कानून द्वारा शराबबन्दी असफल हो जाये। अमेरिका में मद्यसेवन वहाँ के जीवन का अंग है। यदि वहाँ भी कुछ गिने हुये लोग मद्य-निषेध का कानून बनाने में सफल हुए, तो उसके बाद की उनकी असफलता को भी सफलता ही मानना चाहिये। भारत की स्थिति इससे भिन्न है, क्योंकि भारत में मद्य-पान को एक बुराई के रूप में माना जाता रहा है। बहुत कम लोग मद्य-सेवन करते हैं और ऐसे करोड़ों व्यक्ति होंगे जिन्हें मद्य का स्वाद भी सम्भवतः पता नहीं। ऐसी स्थिति में भारत में मद्य-निषेध सुगमता से लागू किया जा सकता है। इस्लाम, जैन-धर्म तथा वैष्णव धर्म सभी मद्य-सेवन को धार्मिक दृष्टि से वर्जित मानते हैं। राज्य सरकारों को मद्य-निषेध में केवल राजस्व अर्जन करने के लिए शिथिलता लाने की इजाजत देना उचित नहीं है। प्रशासनिक खर्चों पर बढते हुए व्यय को रोककर राजस्व का सही उपयोग किया जा सकता है। राजस्व का प्रश्न उठाना और इसके नाम पर मद्य-निषेध का विरोध करना तर्कमगत नहीं है। सरकारों को यह सोचना चाहिये कि यदि व्यक्ति अपने आय का दुरुपयोग मद्य-सेवन में नहीं करेगा तो वह उस आय को अन्य बन्तुओं के खरीदने में लगायेगा। भारत में माचिस से लेकर मोटरकार तक प्रत्येक वस्तु कर-युक्त है। ऐसी स्थिति में राजस्व-अर्जन की कोई कमी नहीं है। मद्य-निषेध लागू करने से राजस्व की आय अधिक कम नहीं होगी। गांधीजी ने नैतिक दृष्टि से आचकारी राजस्व को सबसे निम्न श्रेणी का करारोपण माना है। वही कर उपयुक्त होता है जो करदाता को दम मुनी अधिक आवश्यक भेजायें उपलब्ध कराये। आचकारी कर व्यक्तियों के अद्य-पतन की बीमा है। इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने मन्त्रियों द्वारा बन्दियों की भावना में मद्य-निषेध के कार्यक्रम बनाने को अक्षय नहीं माना। उन्हें यह बात बुरी लगती थी कि मन्त्री जन-स्वास्थ्य की चिन्ता बिना राजस्व के घाटे में अधिक चिन्तित थे। उन्होंने यह ध्येय दिया था कि शराब पाने वाले तथा अश्लील स्थानवाले यदि शराब तथा अश्लील माद्य-माय छोड़ दे तो फिर राजस्व के घाटे की पूर्ति कैसे होगी! क्या उस स्थिति में सरकारें धरना चाम नहीं चलायेगी। यदि ये चाम चला सकती हैं तो उन्हें बिना किसी बाध-बन्तुओं दबाव के स्थिति में मद्य-निषेध लागू करना चाहिये। भारत में बाड़ तथा अनाज से बरोंड़ों

व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ती है और राज्य का राजस्व कम हो जाता है। क्या ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कार्य करना बन्द कर देती है? तो फिर राजस्व के नाम पर मद्य-निषेध लागू न करना कहा तक उचित है? गांधीजी ने मद्य-निषेध कार्यक्रम को कानून तथा पुलिस के भरोसे छोड़ने को उचित नहीं ठहराया। वे इसके लिए जनमत जागृत करना चाहते थे। उनके अनुसार चिकित्सक इस कार्य में प्रच्छा योगदान दे सकते थे और वे नशा करने वालों को उचित इलाज से सुधार सकते थे।

### स्त्री-सुधार

स्त्रियों के स्तर को गरिमापूर्ण बनाने के लिए गांधीजी ने रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। गांधीजी ने अपने भ्रमहृषोण आन्दोलन में भारत के आबाल वृद्ध स्त्री-पुरुषों को सहयोग देने का आह्वान किया था। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान स्तर पर रखते हुये उन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में देश-सेवा के लिए आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। उनके गत्याग्रह-आन्दोलन में विदेशी वस्त्रों तथा वस्तुओं के बहिष्कार में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने का कार्य स्त्रियों ने बगुची निभाया। सड़कों स्त्रियों ने गांधीजी के कार्यक्रम में अपने परिवार की चिन्ता किये बिना जेल-यात्रा की और जेल में प्रसन्न रहते रहे। गांधीजी भारतीय नारियों के इस योगदान से प्रसन्न इतित हुये। उन्होंने अपने आश्रमों में स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्मान प्रदान कर उन्हें सामाजिक दृष्टि में अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध जागृत किया और इस प्रकार का राजनीतिक प्रशिक्षण दिया कि जिससे स्त्रियाँ शारीरिक दृष्टि में पुरुषों से निबल होते हुये भी अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कर सक्ती बने सकें। गांधीजी को यह मान्यता थी कि जिस प्रकार में वैदिक मगम में स्त्रियों को प्रत्येक कार्य में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे उन्ही प्रकार आज भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने मनुस्मृति के इस नियम को कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन मानकर सीमित स्वतंत्रता दी जाय, मान्य नहीं ठहराया। उनके अनुसार भारत के प्राचीन साहित्य में स्त्रियों के लिए जिन सम्माननीय शब्दों—धर्मांगिनी, गर्भमिणी आदि—का प्रयोग मिलता है, वह हम बात या सूचक है कि मनु के नियमों के विरुद्ध भास्व में स्त्रियों को सम्मानप्रद स्थान प्राप्त था किन्तु बाद में स्त्रियों को पुरुषों से ह्य समझा जाने लगा और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं तथा अधिकारों से वंचित कर दिया गया। गांधीजी ने स्त्रियों को पुनः उनकी प्राचीन सम्माननीय स्थिति दिवाने का प्रयत्न प्रयास किया और अपने आन्दोलनों के माध्यम में हम सम्बन्ध में जनमत जागृत किया। गांधीजी बाल-विवाह के तीव्र विरोध में थे। उन्होंने रिषवा-विवाह का समर्थन किया—विशेषकर बाल रिषवाओं के लिए। वे कहा करते थे कि हम मोरशा की बाल करने हैं और हमने लिए धर्म को दुलाई देते हैं किन्तु बाल-विवाह के रूप में साक्षात् मानवोन्मत्त को ही रिषकृत करने में नहीं मनुष्यों। धर्म में बाल-विवाह का विरोध करने हुए भी हम धर्म के नाम पर बाल-विवाह-प्रथा लागू करने हैं। अपनी बाल-विवाहियों के पुनर्विवाह के लिए प्रयत्न प्रयास किया। वे कहते थे कि 15 वर्ष की आयु के पहले लड़कियों का विवाह न किया जाये। उनकी दृष्टि में बाल-विवाह विवाह-प्रथा की प्राचीन या मर्यादा; पर बाल-विवाहों को अविवाहित ही मानते हुए उन्हें विवाह का रिष

अवसर देना धर्म-संगत है। गांधीजी ने विधवा-विवाह के मार्ग में आतेवाला सामाजिक तथा धार्मिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया। वे उन वयस्क विधवाओं के जिनके बाल-बच्चे थे—पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं थे, किन्तु इसके लिए वे चाहते थे कि वयस्क विधुर् भी पुनर्विवाह न करें। उनके अनुसार यदि कोई वयस्क विधवा पुनर्विवाह करने की इच्छुक हो तो उसे इसकी सामाजिक अनुमति दी जाये और समाज ऐसी विधवाओं को तिरस्कार की दृष्टि से न देखे। वे शास्त्र तथा हिन्दुओं के उन रीति-रिवाजों के विरुद्ध थे जो समाज में स्त्रियों की दासता को बनाये रखने की दुहाई देते थे। गांधीजी ने पर्दा-प्रथा का विरोध कर स्त्रियों की दशा को सुधारने का नवीन कार्य किया। पर्दा-प्रथा स्त्रियों के विकास तथा उनके द्वारा उपयोगी सामाजिक कार्य से उन्हें वंचित करती थी। गांधीजी ने पहले ग्राम पर्दा-प्रथा का विरोध किया और इस कार्य के लिए वे किसी के यहाँ भी ग्रामंत्रण पर जाते थे तो स्त्रियों के सुरक्षित कमरों में जाकर यह देखना चाहते थे कि उन्हें पर्दे में तो नहीं रखा जाता। गांधीजी को ऐसा करने से रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। स्त्रियाँ भी गांधीजी के दर्शन के लिए लालायित रहती थी। इन प्रकार गांधीजी ने व्यावहारिक रूप में पर्दा-प्रथा दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। गांधीजी ने मुस्लिम परिवारों में भी पर्दानशीन महिलाओं से वात्तलाप करने में संकोच नहीं किया और इस प्रकार उन्हें भी पर्दा-प्रथा छोड़ने के लिए उकसाया। गांधीजी द्वारा पर्दा-प्रथा का विरोध जिस मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया था, वह यह था कि स्त्रियों को पर्दे में रखकर उन पर पवित्रता लादी नहीं जा सकती। पवित्रता की भावना हृदय से निमृत् होती है। यदि स्त्रियों को पुरुषों के समक्ष उपस्थित होने में लज्जा अनुभव हो, तो वे इससे अधिक निर्बल ही बनती जायेंगी। जिस प्रकार से स्त्रियाँ अपने पति में विश्वास व्यक्त करती हैं, उसी प्रकार से पुरुषों का भी स्त्रियों में विश्वास व्यक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने सीता तथा द्रौपदी का उदाहरण देकर यह बतलाने का प्रयास किया कि स्त्री स्वातन्त्र्य उतना ही आवश्यक है जितना कि पुरुषों की स्वतन्त्रता का भाव।

गांधीजी ने स्त्रियों के प्रति अविश्वास की भावना तथा उनमें अविश्वमनीयता के सामाजिक दम्भ के विरोध में स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए ललकारा। वे स्त्रियों को ही अपने मन्त्रि का कार्य सौंपते थे और उन्हें खतरे से भरे हुए कार्यों में लगाने में संकोच नहीं करते थे। वे उन्हें भयला कहे जाने के विरोध में थे। गांधीजी ने स्त्री-मुधार कार्यक्रम में दहेज-प्रथा का भी विरोध किया। दहेज-प्रथा ने भारत के मध्यमवर्गीय तथा निम्न श्रायवाते परिवारों को नारकीय जीवन बिताने के लिए विवश कर दिया था। परिवार में कन्या-जन्म विपत्ति के रूप में माना जाता था, जबकि लड़के का जन्म हर्षोल्लास में मनाया जाता था। गांधीजी ने स्त्रियों के साथ किये गये घृणित भेदभाव को बहुत बड़ी बुराई माना। वे मछरे-मछरियों को परिवार में समान स्थिति पर माने जाने के समर्थक थे। उनके समान लालन-पालन के बिना उनके द्वारा भविष्य के उत्तरदायित्वपूर्ण श्रिया-कन्याओं को समान रूप में निर्वाह करने की आशा नहीं की जा सकती थी। उन्होंने विवाह को रस्म को मरत बनाने गया विवाह के समय जाति-भोज समग्र पर धन के प्राप्यय को रोक्ने में रुचि थी। उन्होंने धार्मिक धार्मिकवादिओं के मध्य विवाहों में ऐसी ही मारपी का उदाहरण प्रस्तुत किया। धार्मिक होने वाले विवाह धार्मिक की सामान्य प्राथना गया

गांधीजी के आशीर्वाद से सम्पन्न होते थे और अन्त में गांधीजी नव-दम्पति को गीता की प्रति भेंट करते थे। गांधीजी के इस अनुकरणीय उदाहरण ने अनेक धनाढ्य परिवारों को सादगी-पूर्ण विवाह की रस्म पूरी करने के लिए प्रेरित किया। सेठ जमनालाल बजाज ने वर्धा के गांधी-आश्रम में अपनी लड़कियों का विवाह ऐसी ही सादगी से किया था।

गांधीजी ने अपने सत्याग्रह आन्दोलन में स्त्रियों को केवल इस कारण ही शामिल नहीं किया कि वे स्त्रियों को पुरुषों के समान समझते थे, अपितु इस कारण भी किया कि वे स्त्रियों को कई मामलों में पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ मानते थे। उनके अनुसार अहिंसक संपर्क में स्त्रियोचित धैर्य, सहिष्णुता एवं कष्ट सहन की मूल क्षमता ऐसे गुण थे जिनके कारण स्त्रियाँ सत्याग्रह-आन्दोलन को पुरुषों से अधिक सफलता-पूर्वक संचालित कर सकती थी। वे स्त्री को अहिंसा का अवतार मानते थे। अहिंसा जो कि अन्त प्रेम तथा कष्ट-सहन की अन्त क्षमता की परिचायक है, स्त्रियों में स्पष्ट प्रतिबिम्बित होती है। माता के रूप में स्त्रियों द्वारा सन्तानोत्पत्ति के समय सहन किये गये कष्ट तथा उसके बाद बच्चों के लालन-पालन में स्त्रियों के योगदान को अतुलनीय मानते हुये वे स्त्रियों को मानवीयता का सर्वोच्च प्रादर्श मानते थे। स्त्रियों को वासना का पात्र न मानकर उन्हें समाज में सर्वोच्च प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य गांधीजी ने किया। यही कारण था कि गांधीजी के आन्दोलन में उच्च से उच्च कुलीन परिवारों की महिलाओं ने भी अपना उतना ही योगदान दिया, जितना सामान्य परिवार की महिलाओं में दिया था। गांधीजी के नेतृत्व में चलाने जाने वाले अहिंसक आन्दोलन में उनकी पूर्ण निष्ठा थी क्योंकि वे गांधीजी के नेतृत्व में अपनी मान-मर्यादा को सुरक्षित पाती थी। गांधीजी ने स्त्रियों को बहुमूल्य आभूषण अथवा यज्ञ धारण न करने की सलाह दी। वे प्रसाधन एवं शृंगार के साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। स्त्रियों को तड़क-भड़क से दूर रखने का उनका यह तात्पर्य था कि स्त्रियाँ पुरुषों के हाथ का घिलौना अथवा उनके मनोरंजन का साधन ही न बनीं रहें। माता तथा सौम्य जीवन ही स्त्रियों की सम्मान पूर्ण स्थिति दिलाने में सहायक हो सकता है। गांधीजी ने स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना अपने स्वयं के अनुभवों में सांगी थी। प्रारम्भ में वे भी अपनी पत्नी कस्तूरबा के प्रति कठोर व्यवहार के दोषी रहे, किन्तु जैंगे-जैंगे वे स्वयं अपने आपकी कस्तूरबा की स्थिति में रणजल मोचने लगे, उन्हें अपने व्यवहार के प्रति ज्ञानि हुई और उनके बाद उनका सारा व्यवहार बदल गया। यही कारण था कि गांधीजी ने स्त्रियों की दशा सुधारने की दृष्टि में जो कुछ व्यक्त किया, वह अत्यन्त सध्वन्य एवं अनुभव पर आधारित था। वे नारी जाति के उन महान् उदाहरणों में गिने जा सकते हैं, जिन्होंने पुरुष होकर भी स्त्रियों की दुःख-दुविधाओं के दायग्य अनुभवों को अपने जीवन का अनुभव मानकर उनकी दशा सुधारने के लिए कार्य किया। गांधीजी के विचारों में प्रेरित होकर कस्तूरबा ने गांधीजी के कार्यक्रम में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। कस्तूरबा सादगी तथा सौम्यता की प्रतिमूर्ति थी। गांधीजी का प्रत्येक विचार कस्तूरबा के जीवन में अमूर्त था। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े गये अहिंसक संपर्क का कार्य अधूरा ही रह जाता यदि गांधीजी को कस्तूरबा तथा भारत के रवी-मनाज का अत्यन्त प्रिय न हुआ होता। अग्रहोम-आन्दोलन के कारण भारतीय स्त्रियों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई पृथक् संपर्क नहीं किया। उन्हें वे मुक्तिदायक गांधीजी के आन्दोलन में स्वयः

प्राप्त हो गई। विश्व के अन्य विकसित राष्ट्रों में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। आज भी विश्व में अनेक ऐसे सम्म सुसंस्कृत राष्ट्र हैं जहाँ स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं माना जाता। भारत का प्रधानमंत्री पद स्त्री-द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु अमेरिका में राष्ट्रपति पद किसी स्त्री को प्राप्त हो जाये, यह असम्भव है। पाश्चात्य देशों में अभी भी स्त्रियों को घर का कार्य तथा सामाजिक कार्य तक ही सीमित रखने की मनोवृत्ति बनी हुई है, किन्तु गांधीजी ने स्त्रियों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर एक मूक सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात किया। उनके मार्गदर्शन में सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, अमृत कौर, प्रभावती, अनुसूया बेन, भीरा बेन आदि ने स्त्री-जाति को गौरवान्वित कर भारत की आजादी की मशाल को पुरुषों के समान प्रज्वलित रखा। न केवल भारत में अपितु दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका में भी जहाँ-जहाँ गांधीजी का प्रभाव फैला, स्त्रियों ने गांधीजी से प्रेरणा प्राप्त कर अपने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अस्तित्व को बनाये रखने का संघर्ष किया। गांधीजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में ऐसा सामाजिक परिवर्तन आया कि बिना किसी कानूनी सुधार के भारतीय समाज ने स्त्रियों को समानता तथा स्वतंत्रता का पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया।

### गांधीजी : क्रांतिकारी विचारक के रूप में

गांधीजी के विचारों को पुरातनवादी कहकर अनेक चिन्तकों ने उन्हें महत्वहीन सिद्ध करने का प्रयास किया है, किन्तु संतुलित दृष्टिकोण से परखने पर उनको नीतिवादी तथा उनके कार्यक्रम भावी भारत का भी मार्गदर्शन करने में समर्थ प्रतीत होते हैं। गांधीजी ने सत्य तथा अहिंसा के माध्यम से भारत के भावी लोकतंत्र के शासकीय ढाँचे को स्थायी आधार प्रदान किया है। उन्होंने शासकीय शक्ति के विकेंद्रीकरण का जो विचार प्रस्तुत किया है, उसे आभीष्ट स्तर पर क्रियान्वित करने का प्रयास दोष है। वर्तमान समय में जिस लोकतंत्र का प्रचलन है, वह निर्वाचन पर अधिक जोर देता है; किन्तु निर्वाचन का स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण प्रयोग जब तक सफल नहीं होता, तब तक इसे लोकतांत्रिक निर्वाचन नहीं कहा जा सकता। सत्य एवं अहिंसा का अनुसरण करने पर निर्वाचन-संबंधी समस्त दोषों का निवारण नहीं हो सकता। यदि सत्ताधारी दल शासकीय शक्ति का उपयोग मत प्राप्त करने के लिए करे तो यह सत्य का उल्लंघन माना जायेगा। यदि कोई प्रत्याशी अपना दल चुनाव में धन का प्रबोधन देता है तो इससे भी सत्य का उल्लंघन होता है। इसी प्रकार से जाति तथा साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारने का प्रयास भी निर्वाचन की दृष्टि से वर्जनीय है। इस पर यदि निर्वाचन के समय हिंसा का प्रयोग किया जाये तो वह अत्यन्त उपाय ही माना जायेगा क्योंकि शांति भंग करके सच्चे अर्थों में निष्पक्ष चुनाव सम्भव नहीं। हमने भारत में केवल नवीन गविधान का संवरण ही नहीं किया है, अपितु सच्चे राजनीतिक एवं वैधानिक अर्थों में कतिपय नैतिक सिद्धान्तों को भी स्वीकार किया है। ये नैतिक सिद्धान्त लोकतंत्र के गह्वारों में घोर देश के आंतरिक मामलों का निष्पादन करने के लिए हमारे मार्गदर्शक भी।

गांधीजी ने जिस शांति का पाठ हमें सिखाया है, मात्र नहीं आधुनिक विषय की आधुनिक सम्प्रदायों की नीति से बचाव प्रस्तुत करता है। विषय की महानक्तियाँ हिंसा के जोर पर



घपने-घपने प्रभाव क्षेत्र बनाने में जुटी हुई हैं, किन्तु यह समस्त प्रयास न केवल उन महाशक्तियों के लिए अपितु समस्त विश्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। प्राणविक युद्ध विजेता तथा विजित दोनों को लील जायेगा। आज सभी देशों के बुद्धिमान राजनेता शांति के महत्व को समझने लगे हैं और राजनीति में सत्य एवं शांति के गांधीजी के उपदेशों का अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं। यही नहीं, राजनय में भी सत्य का अनुसरण करना अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होने लगा है। अन्तर्राष्ट्रीय गुप्तचरी के द्वारा अवश्वास की भावना का जिस प्रकार से संचार हुआ है, उसे रोकने बिना विश्व शांति की कामना करना सम्भव प्रतीत नहीं होता। अतः सुले राजनय की आवश्यकता बलवती होती जा रही है। इस दृष्टि से भी गांधीजी का सत्य-अहिंसा का उपदेश आज की परिस्थिति में भी उतना ही तर्क-संगत है जितना स्वयं गांधीजी के समय में रहा है।

गांधीजी ने भारत की दरिद्र जनता की शोषण-मुक्ति के लिए जो विचार प्रस्तुत किये थे, वे पूंजीवादी, समाजवादी अथवा साम्यवादी विचारवादों से बढ नहीं थे। वे भारत की प्राथमिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये ऐसे प्राथमिक प्रयोजन प्रस्तुत कर रहे थे जिसके माध्यम से देश की जनता को बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। इस अर्थ में गांधीजी ने राष्ट्र की अथर्व्य होने वाली शक्ति की राष्ट्रीय सम्पदा में परिवर्तित करने का प्रयास किया। भारत के पास पूंजी-निवेश की सीमित सुविधा होने के कारण बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना करके बेरोजगारों तथा अर्द्ध-बेरोजगारों को रोजगार की सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं था। उद्योगों के संयोजन में प्रयुक्त प्रचुर धन के अभाव में औद्योगीकरण का मार्ग अधिक साभकारी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसके निम्ने विदेशी ऋण तथा सहायता पर निर्भरता बढ़ती थी। अतः गांधीजी ने कुटीर उद्योगों पर अधिक बल दिया ताकि बड़े उद्योगों में अथम करने के लिए प्राचीण जनता को अपने गांव की जमीन छोड़कर शहरों की ओर उन्मुख न होना पड़े। गांधीजी को भारतीय गांवों की वस्तु स्थिति का जितना बोध था, उतना अल्पत्र दृढ पाना कठिन है। उन्होंने प्राचीण जनता को अपनी भोंपड़ी, अपना परिवार तथा उसके ईर्ष-निर्दं भूमि के छोटे से हिस्से को बनाये रखने का यत्न किया ताकि प्राचीण किसान अपने घर में रहते हुये अपने सीमित साधनों के बावजूद आजीविका के स्रोतों में वृद्धि कर सकें। गांधीजी यह नहीं चाहते थे कि गांव का किसान स्वावलम्बन का मार्ग छोड़कर कठरी कारखानों में रोजगार पाने के लिए अटवत्ता रहे और उतना अपने गांव से भूलोप्येद हो जाय। वृहत् औद्योगीकरण का जो दुष्परिणाम गांधीजी ने देखा था, वह यह था कि उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक पहुँचाने के लिए बेचत देग की सीमा में ही नहीं रहा जा सकता था। इस अर्थ के लिए विदेशी मंत्रियों की तथाम तथा अपने अल्प पर कृपा मात्र प्राप्त करने की भ्रष्ट बहानी जाती थी जो अन्ततः साम्राज्यवाद में परिणत होती है। उनके अनुसार बेचन साम के लिए उत्पादन करना उतना महाबुद्धि नहीं था जितना आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करना। वे अर्ध-सत्य को सीमित रखने के परिणामी दे ताकि पूंजी का विनाशक स्वरूप लोपना तथा अष्टाचार का अन्त लक्ष्य माने। गांधीजी के संयोजन का विरोध बिना या क्योंकि वे अमीरों द्वारा अर्थिक अथम का हान उचित नहीं मानते थे। उनके अनुसार स्वशासन अमीरों में 90 अमीरों मात्र ही

श्रम को निरस्त करने का कुचक्र चलाया था। भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये स्वचालित यंत्रों के द्वारा बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सकता था। श्रम को बचाने के स्थान पर अधिक से अधिक श्रम को उत्पादन कार्यों में लगाने की आवश्यकता थी ताकि बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन हो सके। वे श्रम को ही पूंजी मानते थे और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने चरखा, हाथ करघा एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का प्रयोग किया ताकि उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण की योजना चल सके। उन्होंने भारत की दरिद्र जनता को अपने श्रम के अपव्यय से उबार कर उसे रोटी-रोजी दिलाने का प्रयत्न किया। वे चरखे की व्यवस्था को उप-उद्योग ही मानते थे। उनका यह प्रयास कदापि नहीं रहा कि जो अधिक पारिश्रमक प्राप्त करने वाला कार्य कर रहा है, वह अपना कार्य छोड़कर चरखा कातने लगे। वे भारत के सम्पन्न वर्ग को चरखा कातने के कार्य में लगाना चाहते थे और उनके लिए शारीरिक श्रम को एक फैशन के रूप में लोकप्रिय बनाना चाहते थे ताकि भारत के घनाढ्य वर्ग को जन-साधारण के निकट आने का अवसर प्राप्त हो सके। यदि गांधीजी को ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती विद्युत् उपलब्ध कराने का तथा उत्पादन के लिए छोटी मशीनों का उपयोग सम्भव दिखाई देता तो वे अवश्य ही स्वयं इसका प्रचार करते; किन्तु विदेशी शासन के अन्तर्गत ऐसा करना उनकी क्षमता से बाहर था।

उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण आधुनिक समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए तथा पूंजी के एकाधिकार एवं संग्रह को केवल इने-गिने हाथों में सीमित होने से बचाने के लिए औद्योगिक विकेन्द्रीयकरण ही एकमात्र उपाय दिखाई देता है। औद्योगिक विकेन्द्रीयकरण स्वप्न मात्र नहीं है। प्राधुनिक जापान इसका उदाहरण है। जापान का प्रत्येक ग्रामीण घर प्रचुर मात्रा में विद्युत् प्राप्त करता है और उससे घर-घर में छोटे उद्योग लगे हुये हैं। बड़े उद्योगों में भी कई छोटे-मोटे कल-पुर्जे बनाने की व्यवस्था होती है जिन्हें सम्मिलित करके बड़ी मशीनों का उत्पादन किया जाता है। बड़े उद्योगपति यह कार्य अपने कारखानों में करवाकर और भी अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि ये छोटे कल-पुर्जे औद्योगिक विकेन्द्रीयकरण के द्वारा गांवों में घर-घर उत्पादित किये जा सकें, तो बड़े उद्योगों का मनचाहा प्रसार रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर होने के साथ-साथ ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। इनमें उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी और उत्पादित वस्तुओं का मूल्य भी बड़े उद्योगों की तुलना में कम होगा। बड़े उद्योगों में होने वाले श्रम-संगठनों से श्रम के अपव्यय की हानि नहीं होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलम्बी बनने का अवसर प्राप्त होगा। जापान का उदाहरण भारत के लिए उचित दृष्टांत प्रस्तुत करता है। वहाँ लोहा, कोयला, रुई तथा गैस का अभाव होते हुये भी इन समस्त वस्तुओं का आयात पर जास्त नै जिस प्रकार में उद्योगों का विकास किया है, वही उदाहरण भारत में पंजाब के कुछ भागों में आशातीत सफलता के साथ प्रयुक्त हुआ है।

गांधीजी द्वारा चरखा, हाथ करघा, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की चर्चा को घने-घर्षणाश्रितियों ने उपहासार्थक दृष्टि में लिया। इन घर्षणाश्रितियों ने पाश्चात्य देशों द्वारा निम्न घर्षणाश्रितियों के पुस्तकों में घर्षणाश्रित का पाठ मीठा था। वे नेपर पत्र

देशों के अनुभवों के साधारण पर नियम निर्धारित करते थे। उनके अनुभव पाश्चात्य देशों की औद्योगिक प्रगति के पश्चात् विज्ञान की प्रगति द्वारा प्रदत्त औद्योगिक एवं भौतिक सम्पदा में वृद्धि के अनुभव थे। पाश्चात्य देशों ने उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का प्रयत्नमय लेकर गते मूल्य पर फच्चा माल प्राप्त किया और अपने यहां वस्तुओं का उत्पादन कर कई गुना लाभ अर्जित करने के लिए उन वस्तुओं का निर्यात किया था; किन्तु भारत में वे स्थितियां कभी भी नहीं रही। अर्थशास्त्रियों ने सम्भवतः अर्थशास्त्र के नियमों को लोह-नियम मानने की भूल की थी, क्योंकि वे पाश्चात्य अनुभवों पर भारत की प्राथिक समस्याओं का निर्वचन करना चाहते थे। कोई भी एक देश अपने प्राथिक अनुभवों को दूसरे देशों के मार्गदर्शन का आधार नहीं बना सकता, क्योंकि प्रत्येक देश की परिस्थितियां अपनी विशिष्टतायें रखती हैं। भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्राथिक एवं प्रकृति-जन्य वैभिन्न्य के कारण प्राथिक अनुभवों में विभिन्नता स्वतः निश्चिन्ता होती है। गांधीजी ने अर्थशास्त्रियों की आलोचना की तनिक भी परवाह न कर अपने तथा अपने देशवासियों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए एक विशिष्ट प्राथिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो आज भी युक्ति संगत प्रतीत होता है। गांधीजी ने समय-समय पर मशीनी, ध्यापक उत्पादन तथा विज्ञान के बारे में जो सामान्य विचार प्रस्तुत किये थे, वे अनेक बार विरोधाभास उत्पन्न करने वाले थे। हमें भारत के बुद्धिजीवियों को गांधीजी के विचार प्रतापिक दिखाई देने थे, किन्तु वास्तविकता यह थी कि इन प्रश्नों पर गांधीजी ने प्रत्यक्ष पूछे जाने पर जो उत्तर गांधीजी ने दिया था, वह विरोधाभास का अंजन बनने वाला होता था। उदाहरण स्वरूप, गांधीजी से यह पूछे जाने पर कि 'क्या वे बड़ी मात्रा में उत्पादन के विरुद्ध हैं?' उन्होंने कहा कि वे ऐसा कोई विचार नहीं रखते। उनके अनुसार वे उन वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन के विरुद्ध थे, जो सामान्य रूप से विना किसी परेशानी के उत्पन्न कर सकते हैं। मशीनों के बारे में गांधीजी ने कहा था कि जब मानवीय शरीर स्वयं एक मनुष्य मशीन है तो यह जानकर भी वे मशीनों का विरोध क्यों कर सकते हैं! उनके अनुसार वे मशीनों की मजदूरी के विरुद्ध थे। अथ अथाने दार्मी मशीनों की जो मजदूरी पर सवार थी, वे उनके विरुद्ध थे, क्योंकि इन मजदूरों का परिणाम हजारों व्यक्तियों को रोटी में वंचित कर उन्हें महलों पर भूख मरने के लिए विवश करने वाला था। उन्होंने कहा था कि वे विद्युत्, जहाज-निर्माण, मोटो तथा मशीन के कारखानों को सामान्य उद्योगों के माप-ताप गढ़ा होने देखना चाहते हैं, किन्तु वे प्रारम्भ सामान्य उद्योगों में करना चाहते हैं। औद्योगिकरण में सबसे तथा सामान्य अर्थशास्त्रियों की योजनायुक्त तरीके में नष्ट किया है, किन्तु गांधीजी अर्थशास्त्र के मार्ग में औद्योगिकरण का सबसे सामान्य अर्थशास्त्र के विभाग के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। वे राष्ट्रीयकरण के द्वारा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के समाजवादी विचार में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार राज्य द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण एक स्वाभाविक पूर्णकारी-उपकरण में भी अधिक फलदायक है क्योंकि उनके अनुसार पूर्णकारी के अभाव में ही है, किन्तु राज्य अर्थशास्त्रियों की मशीन है।

गांधीजी ने सामाजिक क्षेत्र में प्राथमिक स्वतन्त्रता का संकेत दिया था।  
 अनुभवों के अनुसार यह आवश्यकता के लिए देना उनका सदा ज्ञानी रहना। उत्तर

गांधीजी के प्रयत्नों के बावजूद आज भी गांव में छुआछूत की भावना के कारण अनेक जघन्य अपराध होते रहते हैं और भारत में शराबन्दी पूर्णतया लागू नहीं हो पाई है, फिर भी गांधीजी के इन कार्यक्रमों को सुधारवादी भावना-सहित की गई सेवा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। हम राजनीति में इतने उलझे हुये रहे हैं कि हमारे राजनेताओं ने गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को भुला-सा दिया है। आज गांधीजी के दर्शन सामाजिक सुधार के कार्य को हाथ में लेने का अर्थ कई व्यक्तियों द्वारा पूर्वाग्रह, दिखावा अथवा सनकीपन का प्रतीक माना जाता है। इसका कारण स्पष्ट है कि हम गांधीजी के कार्य को ठीक से समझ नहीं सके हैं। गांधीजी का वास्तविक विचार यह था कि वे सारे समाज को एक आंगिक इकाई के रूप में मानते थे जिसमें समाज के विभिन्न भाग पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं। समाज का धनी वर्ग समाज सेवी बन सकता था, यदि समाज संगठित नहीं होता और अराजकता का बोलवाला रहता तो न तो पूंजी का निर्माण ही हो सकता था और न उसका अधिग्रहण ही हो सकता था। गांधीजी समाज के सम्पन्न वर्ग को इसी कारण से सामान्य व्यक्ति के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते थे। गांधीजी ने स्वयं चरखा काता तथा अन्य नेताओं को भी ऐसा करने के लिए कहा, क्योंकि वे दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे और प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता को आवश्यक सिद्ध करना चाहते थे। चरखा कातने का यह अर्थ नहीं था कि वे अपने लिए चरखे से स्वयं के वस्त्र बना लेते हैं। यह तो मात्र एक सामाजिक नियम था। मद्य सेवन के सम्बन्ध में गांधीजी ने मद्य-निषेध कार्यक्रम निर्धन परिवारों को दृष्टि में रखकर ही बनाया था। अधिकतर निम्न वर्ग के व्यक्ति ही नशीले द्रव्यों के शिकार होते हैं और वे अपने परिवार को भी इसके लपेट में ले लेते हैं। धनिक वर्ग के लिए शराब का उपयोग जितना घातक नहीं होता है उतना गरीब परिवारों के लिए होता है। लेकिन अमीरों को दण्डित गरीब भी उनकी नकल करते हुए बुरी आदतें सीख लेते हैं। पुलिस की धमकौधता तथा प्रशासन की शिथिलता के कारण मद्य-निषेध विफल होता रहा है। यदि इसे ठीक से लागू किया जाय तो भारत में मद्य-निषेध कार्यक्रम जितना सफल हो सकता है, उतना विश्व के किसी भी भाग में नहीं हो सकता। गांधीजी ने भारत को वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र करने के लिए हमारे राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण पर अधिक ध्यान दिया था। वे राष्ट्रीय जीवन में मादगी तथा अनुशासन लाना चाहते थे। आज का सम्पन्न वर्ग जिस प्रकार से अपनी आर्थिक सम्पत्ता का भौटा प्रदर्शन करता है, वह गांधीजी के विचारों में गंभीर विरोध था। हमें इस अर्थ में बहुत कुछ सीखना है और अपनी रुचियों को पलायन बनाने के साथ-साथ जीवन में अनुशासन का प्रयोग निरन्तर करना है। आज हमारा देश गांधीवादी मूल्यों का त्याग करके हर प्रकार की कठिनाइयों को देख रहा है। गांधीजी के सिद्धान्त हर दृष्टि से मूल्यवान् हैं क्योंकि उनमें सभी धर्मों तथा जीवन के सभी गुणवत्तापूर्ण अनुभवों को सम्मिलित किया गया है। यदि गांधीजी के विचारों के अनुरूप भारत का पुनर्निर्माण किया जाय तो आज भी हमारे अनुशासन भावी जीवन के लिए गांधीवादी विचार अपना ही प्रेरणास्रोत सिद्धांत देगा जितना कि पहले रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम गांधीजी का अंधवत् अनुशासन करें। हम उनकी मोत्रनामों तथा पद्धतियों को नहीं

विचारों की मूल धारणा के अनुरूप ग्रहण करते हुये भारत की निर्धन जनता के लिए कुछ ठोस कार्य कर सकें, तो गांधीजी के मार्ग का पालन सही दृष्टि से कर सकते हैं। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जिस नई शिखा प्रवृत्ति का प्रचार किया, वह अपने प्रायः अत्यन्त वैज्ञानिक प्रयोग था। उनकी शिखा प्रवृत्ति में विचारों 'सोचो कमाओ' के आधार पर शिखा प्राप्त कर सक्ता है। इस प्रकार गांधीजी के समस्त विचार चाहे वे राजनीतिक हों, धार्मिक हों, सामाजिक हों, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक हों, एक दूसरे से पूर्णतया गुंथे हुये हैं। गांधीजी ने राष्ट्रीय जीवन को तथा मानवीय जीवन को एक पूर्ण इकाई के रूप में माना है जिसमें विभिन्नता में भी एकता है। वे राष्ट्र की धारणा को इतना स्वच्छ कर देना चाहते थे कि जीवन का कोई भी पक्ष अस्वच्छ न रहे। गांधीजी का चिन्तन आज भी उतना ही व्यावहारिक है। एक दृष्टि से विनोबा तथा जयप्रकाश नारायण का वर्तमान कार्यक्रम गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों को त्रिगुणित करने का उदाहरण ही है। सर्वोदय, अन्तयोदय तथा समग्र क्रान्ति सभी गांधीवादी चिन्तन के समुद्रत आयाम हैं। वे गांधीजी के चिन्तन की क्रान्तिकारिता के प्रतीक हैं। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक जीवन में गांधीजी के विचारों का अनुसरण करते हुये हम राष्ट्रीय जीवन को एकदम नवीन जीवन दे सकते हैं। □□

### टिप्पणियाँ

1. गांधी, आंदोलनोद्देशी, पृ. 92
2. वंग इण्डिया, अगस्त 6, 1925 तथा अक्टूबर 22, 1927
3. दिनगेट बोयान, सीड कास्टवली लाइट, पृ. 55-56
4. आंदोलनोद्देशी, पृ. 365
5. वही, पृ. 364-365
6. नई दिल्ली, लाइव आउट अटलास गांधी, पृ. 83
7. वही, पृ. 87
8. आंदोलनोद्देशी, पृ. 198, 178 तथा 108
9. हरिजन, 17-11-1946
10. नई दिल्ली, पृ. 93
- \* 1. अखिल, ए. आर. को दिल्लीओद्देशी आउट गांधी, (संग्रह, 1958) पृ. 17
12. गांधी, हिन्दु-अखिल, पृ. 32
13. सोशलिस्ट इकन, सेलेक्टेड राइटिंग्स आउट अटलास गांधी, पृ. 28
4. हिन्दु-अखिल, पृ. 32-46
15. वंग इण्डिया, अगस्त 21, 1926
16. वही, 31-12-1931
17. वही, 11-10-1928
18. वही
19. वादी, बीजा की अखिल, पृ. 65
20. गांधी, एडिशन रिजर्व, पृ. 58
21. सीड कास्टवली वंग इण्डिया वादी का अखिल वंग इण्डिया, पृ. 64
22. हिन्दु-अखिल, पृ. 48

23. महात्मा गांधी : बी कलेक्ट्रेड वस्तु, खण्ड 8, पृ. 91-92
24. वही पृ. 458-459
25. वही, खण्ड 9, पृ. 84
26. वही, पृ. 224
27. वही, पृ. 225
28. वही, पृ. 225-226
29. वही, पृ. 226-227
30. वही, पृ. 227
31. वही, पृ. 244
32. वही, पृ. 243
33. गांधी : बी स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स, पृ. 112-114
34. बी कलेक्ट्रेड वस्तु, खण्ड 9, पृ. 129
35. बी स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स, पृ. 115
36. बी कलेक्ट्रेड वस्तु, खण्ड 13, पृ. 518
37. वही, पृ. 519
38. बी स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स, (चतुर्थ संस्करण), पृ. 417-420
39. बी कलेक्ट्रेड वस्तु, खण्ड 15, पृ. 167
40. वही, पृ. 168-169
41. वही, पृ. 248-250
42. वही, खण्ड 12, पृ. 350-351
43. वही, खण्ड 16, पृ. 50-51
44. वही, पृ. 123-124
45. वही, पृ. 368-369
46. वही, पृ. 440-482
47. वही, पृ. 490-491
48. गांधी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, पृ. 159
49. वही, पृ. 285
50. वही, पृ. 182-183, 187-188
51. वही, पृ. 113-115
52. वही, पृ. 208-210
53. वग इण्डिया, 1924-26, पृ. 1182-1184
54. वग इण्डिया, 20-10-1927
55. वही, 8-8-1929
56. वही, 16-4-1931
57. हरिजन, 3-10-1953
58. वही, 15-4-1933
59. वही, 18-2-1933 तथा 4-3-1933
60. वही, 9-7-1933
61. वही, 10-12-1938
62. गांधी, बी वस्तुनग पुस्तिका, पृ. 47-48
63. वही, पृ. 48-49
64. वही, पृ. 142-143
65. हरिजन, 2-9-1939

66. श्री कम्युनल प्रनोटो, पृ. 353-364 तथा 862
67. मंग इण्डिया, 23-2-1921
68. वही
69. वही
70. वही, पृ. 59-60
71. वही, पृ. 60
72. वही, पृ. 61
73. वही, 23-3-1931
74. श्री स्पीचेज एण्ड राइटिंग, पृ. 346-347
75. मंग इण्डिया, 11-8-1920
76. वही
77. वही
78. वही, 25-8-1920
79. वही, 1924-1926, पृ. 874-875
80. वही, 12-2-1925
81. वही, 30-4-1925
82. वही, 8-10-1925
83. वही
84. वही, 20-5-1926
85. वही, 12-8-1926
86. वही, 23-9-1926
87. वही, 16-6-1927
88. वही, 13-9-1928
89. वही, 31-12-1931
90. गांधी, बंबदा अण्डियर, पृ. 8-9
91. वही, पृ. 5
92. मोर, कौन्सिलरल कोष गांधी, पृ. 195-196
93. हरिजन, 12-10-1935
94. वही
95. वही, 16-5-1935
96. वही, 16-9-1936
97. मोर, कौन्सिलरल कोष गांधी, पृ. 33
98. हरिजन, 18-6-1938 तथा 28-1-1939
99. वही, 12-11-1938
100. वही, 10-12-1938
101. वही, 11-2-1939
102. वही, 11-8-1940
103. वही, 26-7-1942
104. वही, 21-12-1947
105. श्री बनेरजेड बर्न, बण्ड 8, पृ. 239 तथा 375
106. अतिरिक्तकोषी, बण्ड 2, पृ. 105
107. एंड इण्डिया, 1924-1926, पृ. 956-957
108. हरिजन, 25-7-1946

109. वही, 18-1-1948
110. यंग इण्डिया, 12-5-1920
111. एन्ड्रयूज, सी एफ गांधी, हिज ओन स्टोरी, पृ. 338
112. बोस, सेलेक्शन्स फ्रॉम गांधी, पृ. 222-227
113. वही, पृ. 225
114. वही, पृ. 226
115. अटोबायोगेफी, खण्ड 2, पृ. 540-591
116. हरिजन, 28-11-1936
117. वही, 14-5-1938
118. हिन्द-नवराज, पृ. 63 तथा 65
119. हरिजन, 24-12-1938
120. वही, 23-3-1947
121. वही, 16-3-1947
122. वही, 31-8-1947
123. यंग इण्डिया, 13-11-1924
124. निर्मल कुमार बोस, 'एन इन्टरव्यू विथ महात्मा गांधी', मोडर्न रिप्यू, जून-दिसम्बर, पृ. 410-413
125. यंग इण्डिया, 6-8-1925
126. वही, 12-7-1931
127. सर्वोदय, पृ. 52
128. पट्टाभी सीतारमैया, गांधी और गांधीवाद, पृ. 113
129. गोपीनाथ धवन, बी पोलीटिकल फिलोसोफी ऑफ महात्मा गांधी. पृ. 263
130. वही, पृ. 273
131. वही, पृ. 274
132. यंग इण्डिया, 8-12-1925
133. चन्द्रशेखर शुक्ल, गांधी'ज थ्यू ऑफ लाईफ, पृ. 144
134. धवन, पृ. 303-304
135. वही, पृ. 304-305
136. वही, पृ. 305-306
137. बी कलेक्टरेड वक्ता, छप्ट 13, पृ. 313, 316
138. यंग इण्डिया, 15-11-1928
139. वही, 17-3-1927
140. सर्वेश मण्डिर, पृ. 23-24
141. एपिकल रिस्पीन्स, पृ. 58
142. यंग इण्डिया, 26-11-1931
143. वही
144. मोडर्न रिप्यू पृ. 412
145. वही, पृ. 413
146. सर्वेश मण्डिर, पृ. 51-52
147. वही, पृ. 53-54
148. हरिजन, 29-6-1935
149. वही
150. वही, 25-6-1938
151. वही, 25-8-1940



152. बहो, 12-4-1942
153. बहो, 23-2-1947
154. बहो, 31-3-1946
155. बहो, 25-10-1952
156. बहो
157. बहो
158. बहो
159. बहो, 13-7-1947
160. वंग इण्डिया, 15-11-1928
161. बहो, 7-10-1926
162. बहो, 21-11-1929
163. बहो, 26-3-1931
164. गांधी, हिंदू लोग एटोरो, पृ. 394-395
165. बहो, पृ. 393
166. बोध, तैत्तिरियाज क्रोम गांधी, पृ. 88-90
167. बहो, पृ. 90-93
168. हरिजन, 2-1-1937
169. बहो, 20-2-1937
170. बहो, 13-3-1937
171. बहो, 3-7-1937
172. बहो, 16-10-1935
173. बहो, 28-7-1940
174. बहो, 25-1-1939
175. बोध, तैत्तिरियाज क्रोम गांधी, पृ. 37-38
176. महादेवन, रोस्ट्रस तथा बार्नी (सं.), निर्दिष्ट दिवस, पृ. 15-52
177. हरिजन, 31-8-1947
178. वंग इण्डिया, 1924-1926, पृ. 1292
179. बहो, 26-3-1931
180. प्रभु तथा राय, दो बारेंड बॉक बहोना गांधी, पृ. 135-137

देशबंधु चित्तरंजनदास ने अलीपुर-पड़यंत्र-कांड(1909) में श्रीअरविन्द के बचाव में बहम करते हुए कहा था कि एक दिन श्रीअरविन्द को देशभक्ति का कवि, राष्ट्रवाद का अग्रदूत तथा मानव प्रेमी के रूप में याद किया जायगा। न केवल भारत में अपितु दूर दूर देशों तक उनके शब्द गुंजायमान होंगे।<sup>1</sup> दास के ये विचार सत्य सिद्ध हुए। 'ओरो-वोल' की स्थापना ने दुनिया को श्रीअरविन्द के विचारों से ओतप्रोत कर दिया। उनका मानव-एकता का आदर्श सत्य होता दिखाई दे रहा है।

श्रीअरविन्द भारतीय राष्ट्रीय चिंतन में पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षधर के रूप में सर्वदा याद किये जाते रहेंगे। 15 अगस्त, 1872 को श्रीअरविन्द का जन्म हुआ। उनके पिता कृष्णधन घोष एक सफल चिकित्सक थे और पाश्चात्य प्रभाव में पूर्णतया रंगे होने के कारण श्रीअरविन्द को भी वे भाषा, रहन-सहन और विचारों में अंग्रेजी बनाना चाहते थे। उन्होंने श्री अरविन्द को लोरेटो कान्वेंट स्कूल, दार्जीलिंग में पढ़ने भेजा। उस समय उनकी उम्र पाच वर्ष की थी। जब वे सात वर्ष के हुए तब उनके माता-पिता उन्हें लेकर इंग्लैंड गये और उन्हें एक अंग्रेज परिवार की देखरेख में रखा ताकि वे अंग्रेजी तीर-तरीकी से पूर्णतया परिचित हो जाय और भारतीय भाषा, संस्कृति एवं धर्म का उन पर लेशमात्र प्रभाव भी न रहे। श्रीअरविन्द चौदह वर्ष तक इंग्लैंड में रहे। वहां मेनचेस्टर, लंदन तथा कैंब्रिज में उनकी शिक्षा हुई। वे अंग्रेजी भाषा में निष्णात हुए और अंग्रेजी के साथ साथ फ्रांसीसी, ग्रीक, लेटिन तथा जर्मन भाषा में भी उन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने इन समस्त भाषाओं के पूर्ण वाङ्मय का अध्ययन किया। इतिहास, गद्य, पद्य, दर्शन तथा समस्त महान् कृतियों का मौलिक भाषा में अध्ययन कर वे पाश्चात्य साहित्य में पूर्णतः पारंगत हो गये। वे इन भाषाओं में कविता भी लिखने लगे थे। अंग्रेजी भाषा में उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। उनके पिता की इच्छानुसार उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज, केंब्रिज में प्रवेश दिलाया गया। प्रवेश परीक्षा में वे सफल हुए। ग्रीक तथा लेटिन में विशेष योग्यता अंक प्राप्त हुए। किन्तु वे पढ़नवारी की परीक्षा में जानबूझकर विफल हो गये। श्रीअरविन्द मन से प्रशासनिक सेवा पदवा राजकीय सेवा करने के इच्छुक नहीं थे।

श्रीअरविन्द और उनके साथ अन्य भाई जो उनके साथ ही इंग्लैंड में विद्याध्ययन कर रहे थे, श्रीअरविन्द की प्रतियोगी परीक्षा में अयोग्यता के कारण संकट के भागी बने। उनके पिता ने उन्हें घन भेजना नहीं; नहीं: बंद कर दिया। जीवन-यापन का संपर्क प्रारम्भ हुआ। उनका दिवास्वल्प भंग हुआ। उन्हें यह जानते विचलित नहीं हुआ कि उनकी अपनी मातृ भाषा तथा भारतीय संस्कृति में दूर रूचि कर परराष्ट्रीय बना दिया गया है। इस

घनतन्त्रेणना ने उन्हें भाग्यभूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पण करने के लिए प्रेरित किया। वे चाहते तो उन्हें कोई भी उच्च वैतनिक प्रशासनिक पद प्राप्त हो सकता था। किन्तु उनके विचारों में परिवर्तन घा चुका था। वे अंग्रेजों के दास बने रहना नहीं चाहते थे अपितु अपनी तथा समस्त भारत देश की दाम्ता को समाप्त करना चाहते थे। 1893 में जब वे स्वदेश लौटे तब वे अंग्रेजियत के उदाहरण न होकर एक राष्ट्रभक्त भारतीय बन चुके थे। उन्हें बड़ौदा-नरेश गायकवाड़ ने अपने यहां उचित पारिश्रमिक पर सेवा में रखा। वे बन्दोबस्त, राजस्व, मन्चिवालय आदि के सत्वाहकार एवं गायकवाड़ के निजी मन्चिव के रूप में काम करते रहे किन्तु यहां भी उनका मन नहीं लगा। वे घन में बड़ौदा-महाविद्यालय में प्रांतीय भाषा के व्याख्याता नियुक्त किये गये। बाद में उन्होंने अंग्रेजों के प्राध्यापक एवं उप-प्राचार्य के रूप में भी कार्य किया।

श्रीधरविन्द का बड़ौदा का कार्यकाल उनके जीवन का नव-निर्माणकाल था। बड़ौदा में उन्हें संस्कृत का गहन अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक गौरव के समीप आये। भारतीय दर्शन की समझने एवं उस पर मनन-ध्यान करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने भारतीय भाषाओं के साहित्य का भी अध्ययन किया। गुजराती, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं को सीखा। संस्कृत के महान् रचनाकारों के मौलिक ग्रन्थों का पठन-पाठन किया। पारम्परिक त्रिभाषा की पुनः हटनी शुरू हुई और भारतीयता का नैसर्गिक धरातल उन्हें दिखाई देने लगा। उनका पुनर्भारतीयकरण प्रारम्भ हुआ और वे मनातन-धर्म के प्रभाव-क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। योगाभ्यास भी प्रारम्भ किया। उनके योगगुरु विष्णु भास्कर सेने ने उन्हें धार्मिक त्रिभाषा में प्रवृत्त किया। उन पर योग का प्रभाव बढ़ता चला गया। वे राजनीतिक जीवन में एक योगी की तरह प्रविष्ट हुए। साप्ताहिक राजनीति या राजनीति का साप्ताहिककरण श्रीधरविन्द की भारतीय ध्यान की अनुपम देन है। राजनीति के पिनीने धाराधारण की परिष्कृत कर श्रीधरविन्द ने नैतिक एवं राष्ट्रीय जागरण का नवमदेश देने हुए समाज की जनता का राजनीतिक परिष्कार किया। उनकी राजनीति वैयक्तिक, राष्ट्रीय एवं मार्क्सवादीक साप्ताहिक विकास की परम परिष्कार है।

बड़ौदा में श्रीधरविन्द ने अपना राजनीतिक त्रिभाषागत प्रारम्भ किया। उनके राजनीतिक जीवन का श्रीमद्देश बरी में माना जाता चाहिए। यद्यपि राष्ट्र-सेवक के रूप में वे खुले तौर पर राजनीतिक कार्य नहीं कर सकते थे किन्तु परोक्षतः राजनीतिक परिवर्तनकारियों के रूप में कार्य-प्रवृत्त करने उन्होंने अपने भावी राजनीतिक जीवन का पूर्वसंज्ञा किया। इस अवधि में वे अपनी सेवनी का विशेष प्रयोग करते रहे। इसी अवधि में उनके विश्व दृष्टि बढ़ते गये। इन विश्वों में सर्वप्रथम अखिल विश्व का "एक ही राष्ट्र और एक ही राष्ट्र" त्रिभाषा श्रीधरविन्द ने सत्वादीय राजनीतिक साप्ताहिक के लिखित प्रकाशनों की धारागत की थी और भावी साप्ताहिक में उपस्थापित की साप्ताहिकता पर बल दिया था। उनके इस त्रिभाषागत विश्व के कारण महादेव बोधिवर साप्ताहिक अपने लिखित हुए कि उन्होंने इसी अवधि में सत्वादीय की परिष्कार में ऐसे विश्व में साप्ताहिक की सेवनी ही। यह के सत्वादीय के श्रीधरविन्द की परिष्कार में अपने विश्वों की अपने एक रूप में प्रकाश में करने का साप्ताहिक किया गया इस पर वे सत्वादीय भी हो सके। इनके सत्वादीय उनके विश्व की

भगली शृंखला में उन्होंने बंकिम चन्द्र चटर्जी पर लेख लिखे और उनके माध्यम से रचनात्मक राजनीतिक कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत की। श्रीधरविन्द के लेखों का प्रबुद्ध भारतीयों पर प्रभाव पड़े बिना न रहा। भारत की युवा पीढ़ी को, विशेषतौर पर बंगाल की युवापीढ़ी को, उनसे विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। इस प्रेरणा का एक रहस्य यह भी था कि श्रीधरविन्द का राजनीतिक कार्य केवल सौम्य उदारवाद पर आधारित नहीं था। उनके विचारों में दुर्दम उग्रता थी जिसके कारण उन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रारम्भ किया। गुप्त संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने नवयुवकों को बम बनाने, हथियार प्राप्त करने तथा राजनीतिक हत्याएं करने का मार्ग दिखाया। बहोदा की सेना में नियुक्त जतीन बनर्जी को उन्होंने क्रांतिकारी गुप्त संस्थाओं में नवयुवकों को प्रशिक्षण देने के लिए भेजा। गांव-गांव तथा नगर-नगर में वे इन संस्थाओं का जाल बिछा देना चाहते थे। उन्होंने अपने भाई बारीन्द्र कुमार घोष को भी इस कार्य के लिए बंगाल भेजा। मत्स्यीनी तथा गीता का संदेश प्रचारित किया गया। स्वदेशी-आन्दोलन को तेज करने के लिए प्रेरणाप्रद साहित्य तैयार करवा कर उसका वितरण किया गया।

श्रीधरविन्द ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों को निकट से देखा। कांग्रेस के 1902 के महमदाबाद-अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। इसके पश्चात् 1904 के बम्बई-अधिवेशन में भी वे उपस्थित रहे। बनारस के 1905 के अधिवेशन में भी वे सम्मिलित हुए। इस अधिवेशन में लाला लाजपतराय ने निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस को प्रेरित किया। तिलक ने भी लाला लाजपतराय के विचारों का समर्थन किया। तब तक श्रीधरविन्द द्वारा कांग्रेस के कार्य से अपने आपको सम्बन्धित करने प्रयास कांग्रेस को अपने विचारों के अनुसार ढालने का प्रयास प्रारम्भ नहीं किया गया था। वे केवल दर्शक मात्र ही थे। लाजपतराय तथा तिलक के उग्रवादी विचारों ने ही कांग्रेस को नवीन दिशा दी थी। श्रीधरविन्द का सक्रिय कामें कलाप 1906 में प्रारंभ हुआ था। 1906 में बहोदा नरेश की सेवा के तेरह वर्ष का कार्यकाल पूरा कर वे बंगाल चले गये और वहाँ 1906 में वे बड़ीताल सम्मेलन में सम्मिलित हुए। बंगाल-विभाजन की घटना से समस्त बंगाल उद्विग्न था। स्वदेशी-आन्दोलन ने उत्तेजना फैला रखी थी। श्रीधरविन्द का वहाँ पहुँचना स्वदेशी एवं बहिष्कार आन्दोलन को उचित नेतृत्व मिलने की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जा सकता था। वहाँ पहुँचते ही उन्हें नव गठित राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया। स्वराज्य, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा नव राष्ट्रवाद के चार आधारभूत कार्यक्रम थे। श्रीधरविन्द ने इन चारों कार्यक्रमों को अपना सर्वस्व देकर धागे बढ़ाया।

कांग्रेस के 1906 के बनारस-अधिवेशन में श्रीधरविन्द ने सक्रिय भाग लिया। विपिन चन्द्र पाल के नेतृत्व में स्वराज सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृत कराने में श्रीधरविन्द और उनके सहयोगियों का योगदान रहा। मिदनापुर के बंगाल प्रांतीय सम्मेलन में श्रीधरविन्द ने कांग्रेस में राष्ट्रीय तरकों को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया। लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक तथा श्रीधरविन्द के कांग्रेस का समस्त अधिवेशनानुसार में हठान्वय मूल्य में करने से उदारवादिनों के प्रयासों की सम्मति की। 1907 के मद्रास अधिवेशन में उदारवादिनों ने उग्रवादिनों को कांग्रेस से निकाल देने की योजना

बनायी थी। डा० रासबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। तत्पश्चात् श्रीधरविन्द राजपतराय को मूरत कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत करना चाहते थे। मूरत में उदारवादियों का पलड़ा भारी था। श्रीधरविन्द बंगाल में दलबल महित मूरत पहुँचे। घाम धारणा यह है कि तत्पश्चात् ने अपने महाराष्ट्रीय समर्थकों के माध्यम से मूरत-प्रतिवेदन (1907) को सफल नहीं होने दिया। गोगटे ने भी तत्पश्चात् को हमका दोषी ठहराया। किन्तु मरत यह है कि मूरत-प्रतिवेदन में उदारवादियों के प्रयासों को निष्फल करने का कार्य श्रीधरविन्द को पूर्व-निर्धारित योजना का फल था। श्रीधरविन्द ने स्वयं यह स्वकृत किया कि उन्हीं के आदेशों से उनके समर्थकों ने मूरत में उदारवादियों को हतप्रभ कर दिया और उग्रवादियों ने अपनी प्रलय सभा का आयोजन किया।<sup>2</sup>

श्री धरविन्द ने बंगाल के प्रमुख पत्र बन्देमातरम् का गृह-गम्पादन 1906 में प्रारंभ किया था। यह पत्र ब्रिटिश चन्द्र पाल ने स्थापित किया था। इस पत्र के माध्यम से स्वदेशी एवं स्वराज्य की भावना का जो भीषण प्रचार-प्रभियान बंगाल में प्रारम्भ हुआ वह धीरे धीरे सारे देश में फैल गया। बंगला राष्ट्रवाद का यह प्रमुख पत्र था। उग्रवादियों के कार्यक्रम को भी इस पत्र से प्रतीय संयत् प्राप्त हुआ। बन्देमातरम् पत्र के माध्यम से नागरिकों विचारों का प्रचार प्रारम्भ हुआ। शासन की कुरबिष्टि में सब तक बचा जा सकता था। धारिष्कार बानुनी कार्यवाही प्रारम्भ हुई किन्तु श्रीधरविन्द हमसे माफ़ कर गये। परन्तु शासन उन्हें सन्देह की दृष्टि से देख रहा था। धारिष्कार सरकारों मुत्तपरों ने धनीपुर में बम बनाने के कारखाने पर छापा मारा और श्रीधरविन्द के भाई बालिष्कुमार घोष को गिरफ्तार कर लिया। श्रीधरविन्द को भी सन्देह में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा गया और वे धनीपुर जेल में बन्द कर दिये गये। पदावली कार्यवाही एक वर्ष तक चली और देशव्यापी विचारजनता की पैरवी में उन्हें गिरफ्तार घोषित किया गया। वे जेल में मुक्त कर दिये गये। एक वर्ष तक जेल में रहकर उनके विचारों में भारी परिवर्तन दिखाई दिया। वे योग-साधना एवं ईश्वरोपामना में तल्लीन रहने लगे। जेल में रहने के बाद भी वे राष्ट्रीय विज्ञान के अध्ययन में लगे रहे किन्तु पहले की भाँति जन-उत्साह उन्हें दिखाई नहीं दिया। बर्मोपोली तथा धर्म में दो साप्ताहिक पत्र उन्होंने प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। वे अपने आपकी राजनीतिक धारोत्पत्ति में प्रवेश अनुभव करने लगे। ब्रिटिशचन्द्र पाल तथा राजपतराय शासन को नीति के विचार हीन राजनीतिक जीवन में मग्न नहीं थे। विचार को देश-निर्धारित मिला हुआ था। श्रीधरविन्द पर शासन की कड़ी निगरानी थी। हमसे पहले कि उन्हें देशनिर्धारित किया जाता था धर्म बानुनी कार्यवाही की निरूपण में लिया जाता वे ब्रिटिश शासन हीनकर चन्द्रावर गये गये। चन्द्रावर पत्र के धारिष्कार में था। बहा में वे 4 अप्रैल 1910 को धारिष्कार पहुँच गये। धर्म वे अटोरो के निरक्षर के कारण थे।

धारिष्कारों की मूलतः श्रीधरविन्द के जीवन का तथा धारण था। राजनीतिक धारोत्पत्ति में मुक्त हो के धारणात्मक जीवन में प्रवेश हो गये थे। वे पूर्ववत् राजनीति में मग्नता में लगे थे। बर्मोपोली टाकुर ने उन्हें धारिष्कार मारुति एक लक्षण का धारिष्कार कहा। वे मानते थे कि श्रीधरविन्द के धारण में धारण की धारणा लक्षण विचार में लगी धारणा।<sup>3</sup>

रोमा रोलाँ ने कहा था कि श्रीअरविन्द एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा के पूर्वतम मन्वय थे। अनेक महान् युगद्रष्टाओं ने कहा था कि पश्चिम की भौतिकता-प्रधान जीवन-पद्धति आध्यात्मिक उन्नति का आधार नहीं बन सकती किन्तु श्रीअरविन्द ने एक अद्भुत विचार प्रस्तुत किया और कहा कि भौतिक प्रगति भी ईश्वर की अवस्थिति का ज्ञान कराती है। मुक्ति से कोई वस्तु बिलग नहीं है। अंशतम पक्ष भी किसी दिन ईश्वरीय चेतना के प्रकाश से जगमगा उठेगा। यही अरविन्द की आध्यात्मिक उपलब्धियों का सार है।

श्रीअरविन्द मानवीय संघर्षों की वर्तमान स्थिति को विकासात्मक संकट के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि मानव, जीवन के इन संकटों से मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह आध्यात्मिकता का बोध नहीं कर लेता। राजनीतिक, नैतिक एवं धार्मिक सर्कीणताओं ने मानवीय चिन्तन को प्रतिवद्ध एवं अव्यवस्थित कर रखा है। मानसिक चेतना ने चिन्तन की स्वतन्त्रता को समाप्त प्रायः कर दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क की सीमाओं को लांघकर पराचेतन मस्तिष्क की स्थिति को प्राप्त करे अन्यथा मानवता का अस्तित्व समाप्त हो जायगा। श्रीअरविन्द के समग्र योग का सिद्धान्त इसी पर आधारित है। पराचेतन ही सत्य है। सत्य ही जीवन है।

श्रीअरविन्द भारत के लिए एक क्रांतिकारी के रूप में अधिक पहचाने जाते हैं। उनके द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में लायी गयी क्रांति कम महत्वपूर्ण नहीं किन्तु इससे भी अधिक उनके द्वारा भारत की स्वतन्त्रता के लिए किये गये क्रांतिकारी प्रयासों का महत्व है जो उन्होंने पांडिचेरी में योग-साधना प्रारम्भ करने के पहले किये थे। श्रीअरविन्द प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति को भारत के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक संघर्ष का उद्देश्य माना था। वे ऐसे मनीषी थे जिन्होंने साधारण व्यक्ति को राजनीतिक स्वतन्त्रता से अंतर्प्रोत्साहित करने का उद्देश्य प्रस्तुत किया और भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम को कोटि-कोटि जन-जन में सम्बन्धित कर दिया। बम्बई से प्रकाशित इन्दु-प्रकाश के 1893 के अंक में उन्होंने लिखा कि ऐसे काल में जब लोकतन्त्र तथा इसके सहज अन्य महत्वपूर्ण शब्द हमारी जिह्वा से निसृत होते हैं, कांग्रेस जो जनता का प्रतिनिधित्व न कर केवल एक छोटे में वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है राष्ट्रीय नहीं कही जा सकती। वे भारत के राजनीतिक चिन्तन को क्रांतिकारी विचारों से अनुप्राणित करना चाहते थे। उनके सम्बन्ध में नेताजी गुभापचन्द्र ने लिखा था कि वे कांग्रेस के वामपथ के समर्थक थे। ऐसे समय में जब कि प्रधिपत्नर भारतीय नेता साम्राज्यीय स्व-शासन के पक्ष में थे श्रीअरविन्द ने भारत की स्वतन्त्रता का सन्देश दिया। उन्होंने क्रांतिकारी कार्यों की ओर कदम बढ़ाया था। अंग्रेजों शासन के विरुद्ध सजसत्र विद्रोह की योजना बनाई थी। इन योजनाओं में अन्तर्भाव नहीं मानते थे क्योंकि उनका यह दृष्टिकोण था कि जिन दिनों श्रीअरविन्द ने नागरिकों को आन्दोलन का नेतृत्व किया था उन दिनों अंग्रेजों का संघर्ष सगठन इतना अज्ञेय नहीं था जितना बाद के दिनों में हो गया था। पहले बन्दूक ही मुझ में निर्माण नहीं होगी यदि बाद में वायुमानों के बड़े दृष्ट प्रयोग तथा तोपों की विस्तृत मात्र करने की बड़ी दृष्टि अन्तर्भाव में नागरिकों को बटित बना दिया।

प्रारम्भ में दिनों में श्रीअरविन्द की यह योजना थी कि उचित अवसरों के साथ

मे तथा बाह्य सहायता द्वारा भारत को नगण्य ब्रिटिश मेना में मुगलना मुद्र किया जा सकता था। जनता द्वारा विद्रोह का समर्थन तथा स्वयं जनता द्वारा मजदूर विरोध प्रभावपूर्ण हो सकता था। भारतीय मेना द्वारा सामूहिक विद्रोह की सम्भावना भी बनी हुई थी घन. मैन्य प्रतिरोध की सम्भावना कम न थी। श्रीधरविन्द ने ब्रिटिश जनता के विचारों एवं स्वभाव का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि मूलतः ब्रिटिश जनता भारतीयों द्वारा स्वतन्त्रता-प्राप्ति का विरोध करेगी और केवल कतिपय मुद्दों को ही प्रारम्भ करेगी ताकि उनके साम्राज्य को हानि न पहुँचे किन्तु घन तब यह भारत के बारे में निर्दय नहीं बनी रह सकती। जब उन्हें यह प्रतीत होने लगेगा कि विद्रोह तथा शिमारक विरोध नियन्त्रित नहीं किया जा सकता तब वे समझने के लिए तैयार हो जायेंगे ताकि साम्राज्य के हित में जो भी अवशिष्ट लाभ मिल सकें प्राप्त कर लें। वे सभी नहीं चाहेंगे कि उनमें भारत का नामन छीन लिया जाय, इसलिए वे घबराकर घाने पर भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा ही श्रेयस्कर समझेंगे। श्रीधरविन्द के ये विचार घाने जाकर स्पष्ट हुए। भारत ने 1947 में स्वतन्त्रता इन्ही परिस्थितियों में प्राप्त की।

### श्रीधरविन्द के राजनीतिक विचार

श्रीधरविन्द के राजनीतिक विचारों का मूल आधार उनकी धार्मिक धारणा है। राजनीति के धार्मिकीकरण का उनका प्रयास उनकी धन करण की प्रेरणा में उत्पन्न हुआ। उन्हें ऐसा लक्ष्य प्राप्त हो चुका था जिसमें उन्हें स्वयं ईश्वर द्वारा दिशा-निर्देश की अनुभूति होती थी और वे उमा निर्दिष्ट दिशा में कार्य करते थे। उनके विचारों को विवेक के माध्यम में प्रथम वैज्ञानिक बनीटी में नहीं परखा जा सकता। इसके लिए धारणा एवं श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रीधरविन्द ने ईश्वरीय धर्मप्रकृति एवं धर्ममान्योचिता को, जो कि बौद्धिक धरातल में उपर उठ कर ही पहचानी जा सकती है, अपनी प्रेरणा का आधार माना है। वे प्राचीन भारतीय महानता के पुनर्मुद्रण के पक्षपाती हैं। किन्तु उनके विचारों में पृथक्त्व के स्थान पर समिश्रण पर ध्यान बल दिया है। वे यूरोप की बौद्धिक प्रगति को भारत की धार्मिक-धर्म धेतता में समिश्रित करना चाहते हैं। भारत की धनमुंशी धेतता को पश्चिम की पश्चिमुंशी उपनि में मिला कर एक नवीन विश्वव्यापी विचारधारा का प्रवाह उनका लक्ष्य था।

श्रीधरविन्द ईश्वर की महारथ एवं धामनकर्ता दोनों ही रूप में देखते थे। वे विश्व इतिहास एवं विश्व-राजनीति को मार्क्सवादीय रूपों द्वारा नियन्त्रित प्रकृति के नियम अनुसार ईश्वरीय इच्छा का प्रतिफल मानते थे। ईश्वरीय लक्ष्य की प्राप्ति के कारण उनके विचारों में रहस्यवाद का ऐसा मुद्र है जिसमें उनके विचारों की माध्यात्मक दृष्टि में समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उनके विचार धार्मिकतात्मक धन-ईश्वर के रूप में प्रकटित हैं। धार्मिक अनुभूतियों द्वारा प्रभावित उनका विचार-व्यवहार करने योग्य नहीं है बल्कि वह धर्मधार्मिकारी है। फिर भी वैचारिक विविधता के कारण श्रीधरविन्द के विचार का कई दृष्टियों में धार्मिक विविधता महत्त्व है। वे जैसे रहस्यवादी विचारक हैं उसी प्रकार वे धर्मम लक्ष्य का पुनर्प्रकटन करते हैं। उनमें लक्ष्य की धार्मिक दृष्टि की धर्मधेतता है जो एक धर्म लक्ष्य लक्ष्य की धर्मधेतता है और जिसमें मुद्र, धर्म, धर्म धर्म का धर्मधार्मिक रूप का धर्म लक्ष्य लक्ष्य है। वे भी-से के धर्मधार्मिक को धर्मधार्मिक रूप

परिष्कृत कर नवीन स्थितप्रज्ञ भाव में प्रस्तुत करते हैं। चिंतन्य के समान जगत् को ब्रह्मलीला मानते हैं तथा तान्त्रिक प्रभाव के अन्तर्गत भारतमाता का कालिका रूपी रौद्र रूप भी वे प्रस्तुत करते हैं। उनमें उपर्युक्त समस्त प्रभावों को संश्लिष्ट करने की अपूर्व क्षमता थी। परब्रह्म को जगत् के साथ, जीव को आत्मा के साथ, रहस्यवाद को राजनीति के साथ एकाकार कर श्रीअरविन्द ने शाश्वत आध्यात्मिक मूल्यों को क्षणिक किन्तु महत्वपूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं सामाजिक गत्यात्मकता के मूल्यों से जोड़ दिया। श्रीअरविन्द ने अलबर्ट स्वीटजर के समान संस्कृति को नैतिक तत्त्वों पर आधारित माना। ऐश्वर्य, विलासिता एवं आर्थिक सर्वोपरिता की होड़ में राष्ट्र तथा व्यक्ति दोनों को नैतिक शक्तियों का बोध नहीं रहा। इसे सर्वनाश की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। इससे बचने का रास्ता नैतिक गुणों के विकास में ही अन्तर्निहित है। श्रीअरविन्द भारतवासियों को इसी नैतिक मार्ग पर चलाना चाहते हैं।

श्री अरविन्द उग्रवादी विचारक थे। उन्हें उदारवादियों की प्रार्थना एवं याचना की नीति पसंद नहीं थी। वे भारत की स्वाधीनता के इच्छुक थे।<sup>4</sup> इससे कम राजनीतिक लक्ष्य भारत की महानता के विपरीत था। प्रत्येक राष्ट्र को स्वाधीन रहने का अधिकार है फिर भारत को पराधीनता में जकड़े रखना और एक घटिया प्रकार की सम्मति में परिवर्तित करने का विदेशी प्रयास कैसे सहन किया जा सकता है।<sup>5</sup> श्री अरविन्द ने भारतीयों के अंग्रेजों के साथ सम्बन्धों को ईश्वरीय वरदान नहीं माना था। वे तो उनसे पूर्ण मुक्ति चाहते थे।<sup>6</sup> उदारवादियों की ब्रिटिश न्यायप्रियता में निष्ठा उन्हें नहीं सुहाती थी। वे निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति द्वारा भारत की स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे। निष्क्रिय प्रतिरोध से उनका तात्पर्य किसी अहिंसक आंदोलन से नहीं था।<sup>7</sup> उनका विश्वास था कि राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए हिंसा का मार्ग भी अपना सकता है। यह इस पर निर्भर करेगा कि तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या राष्ट्र को अन्य किसी नीति का पालन करने के लिए बाध्य करती हैं। स्पष्ट है कि गांधीजी की नैतिक धारणा में उनका विश्वास नहीं था।<sup>8</sup> वे राष्ट्र की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। वे इसके लिये गीता के धात्रधर्म का अनुसरण ही उचित मानते थे। राजनीति में अहिंसा को अथवा शांति की नीति को उन्होंने उचित नहीं ठहराया। आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय शत्रुओं का गंदार करना धर्मयुद्ध माना गया है। श्री कृष्ण के संदेश को वे शब्दशः स्वीकार करते थे। वे साधुवृत्ति एवं त्याग पर राजनीति को आधारित करना वर्णसंस्कार का चिह्न मानते थे।<sup>9</sup> मनसज विद्रोह एवं अमहयोग को श्री अरविन्द से सर्वाधिक उपयुक्त राजनीतिक पद्धति माना था। यह पद्धति अत्यन्त त्वरित एवं उपयुक्त फल देने वाली थी। अमहिम्नता, यातना एवं अनिदान प्रथम लक्ष्य ही करना पड़ सकता था।<sup>10</sup>

श्री अरविन्द के विचारों का राष्ट्रवाद एक मानवीय एकता का आदर्श ऊर्ध्व एवं उपनिषदों के उपदेशों पर आधारित है। वे सनातन धर्म को राष्ट्रवाद ही मानते हैं। उनका मत था कि हिन्दू राष्ट्र सनातन धर्म के माध्यम से उत्पन्न हुआ था। उन्हीं के माध्यम से सनातन धर्म अस्तित्व में आया है। जब सनातन धर्म का ह्रास होगा तभी हिन्दू राष्ट्र भी अस्तित्व की धार खोएगा। यदि सनातन धर्म नहीं होता तो हिन्दू राष्ट्र भी अस्तित्व नहीं रहता।<sup>11</sup> राष्ट्र के रूप में अस्तित्व का अन्वयण ही होता है।<sup>12</sup> राष्ट्र धर्म है। धर्म के



तीम करोड़ निवासी ईश्वर है। इसे धन, भू-भाग तथा जनसंख्या से नहीं नापा जा सकता।<sup>13</sup> किन्तु श्री प्रविन्द ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारा देशभक्ति का आदर्श प्रेम एवं विश्वबन्धुत्व पर आधारित है। हम अपने राष्ट्र के संकीर्ण दायरे में नहीं रहना चाहते। हमारी एतना का आदर्श सम्पूर्ण विश्व को एतना का आदर्श है। समस्त मानवता का एकीकरण हमारा उद्देश्य है।<sup>14</sup> यह एतना आध्यात्मिकता में उत्पन्न होगी न कि राजनीतिक घोर प्रशासनिक उपायों में।<sup>15</sup>

पारचाय प्रभावों के अन्तर्गत उनके द्वारा राष्ट्र को आत्मा का विचार भी प्रस्तुत किया गया है। हेगल के प्रभाव में श्री प्रविन्द ने राष्ट्र की आत्मा का आदर्श प्रस्तुत करते हुए उसकी सन्दर्भनीलता एवं मानवीय आत्मा में उभरता प्रत्यक्ष तादात्म्य स्थापित किया है। रेनान के समान श्री प्रविन्द भी राष्ट्र को एक मनोवैज्ञानिक इकाई मानते हैं। फिरने तथा श्री प्रविन्द दोनों ही राष्ट्र की अमरता का सदेव देते हैं। बर्क के प्रभाव में श्री प्रविन्द ने न्याय के प्रति आत्मिक, स्वशासन तथा समाज के आत्मिक आधार को स्वीकार किया।

श्री प्रविन्द राष्ट्रवाद के मसौहा थे। वे राष्ट्र तथा राज्य की घुमक्-घुमक् स्थिति में विश्वास करते थे। राष्ट्र को आध्यात्मिकता का अर्थ पूर्णतः मानते थे जब कि राज्य को वे अन्तर्गत ही स्वीकार करते थे। वे राष्ट्र के सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकास में सामंतीय हस्तक्षेप को उचित नहीं मानते थे। उनके विचार अमन आदर्शवादियों से अलग रखते हैं। वे राष्ट्र को अतिमानवीय बनाने के पक्ष में नहीं हैं। राष्ट्रवाद उनकी दृष्टि में पूर्णतया राजनीतिक अथवा आर्थिक अवस्थिति नहीं है। आत्मसर्व केवल भौतिक प्रदेस मात्र नहीं है, बल्कि माता मर्या है। राष्ट्रवाद आर्थिक अर्थ है। स्वदेशी एवं स्वराज्य द्वारा राजनीतिक एवं आर्थिक बाधों को निवृत्त किया गया है। श्री प्रविन्द को राष्ट्रवादी धारणा प्रतिस्पर्धावादी न होने हुए भी आध्यात्मिक एवं नैतिक आदर्शवाद पर आधारित है। राष्ट्रवाद को मानवीय एतना के अन्तिम अर्थ में मिश्रित कर दिया गया है। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक इकाई है। राष्ट्र के लिए राजनीतिक एतना आवश्यक नहीं है। राष्ट्र एक जीवन समूह एवं समष्टिगत मानवता है।<sup>16</sup> रबीन्द्रनाथ टागोर तथा साहें ऐण्टन के समान राष्ट्रवाद को आलोचना करने वालों के लिए श्री प्रविन्द का दर्शन उचित समाधान प्रस्तुत करता है। वे अन्तिम को पूर्णतया राष्ट्र के समर्पित करने के विचार में सहमत नहीं हैं। वे राष्ट्रवाद को मानवीय अर्थ का एक मोक्ष मानते हैं, अन्तिम अर्थ नहीं। मानव के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में राष्ट्रवाद अन्तिम अर्थ के रूप में है। उनका मानवीय एतना का आदर्श एक विश्व-अप को स्थापना का आदर्श ही है। वे आरम्भ में विश्व अर्थ की स्थापना परिलक्ष के आदर्श में आत्म बनाते थे किन्तु बाद में उनका विचार केवल समाजवाद आधार पर अन्तर्गत राष्ट्रीयवादों के रूप बनने का रहा।

श्री प्रविन्द ने पुनर्जागरणवाद के विचार द्वारा भारत के राष्ट्रीय जीवन तथा हिन्दू धर्म की अन्तर्गत का अर्थ दिया। वे भारत की आर्थिक अन्तर्गत, आदर्श अन्तर्गत का पुनर्जागरण चाहते थे।<sup>17</sup> अन्तिम के अन्तर्गत का अर्थ ही अर्थ नहीं थी। किन्तु वे ऐसे पुनर्जागरणवादी भी नहीं थे जो अन्तर्गत के अर्थ ही। ऐसे अन्तर्गत

से ग्रहण करने योग्य विचारों को अपनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। उनका आग्रह केवल यही था कि हम ईश्वर के विधान में निष्ठा रखते हुए भारतीय बने रहें।<sup>18</sup> यूरोप की हवा में बह न जाये। हम जो भी पश्चिम से ग्रहण करें वह एक भारतीय के रूप में ही करें। अपना अस्तित्व विस्मृत न कर बैठें।<sup>19</sup> उनके ये विचार उनकी राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। संकीर्ण दृष्टिकोण से देखने पर उनका यह प्रयास केवल आक्रामक हिन्दू राष्ट्रवाद कहा गया है। विवेकानन्द तथा भगिनी निवेदिता के विचारों की भी इसी आधार पर आलोचना की गई है किन्तु इस प्रकार की आलोचना का राष्ट्रीय चेतना के महान लक्ष्य की पूर्ति के प्रयास में इनकी उपयोगिता के समक्ष महत्त्व नहीं रहता। राष्ट्रीय चेतना उन्हीं तत्त्वों तथा कारणों से उद्दलित एवं जागृत की जा सकती है जिन तत्त्वों को बहुसंख्यक जन-समुदाय का समर्थन प्राप्त हो। केवल धर्मनिरपेक्षता के अर्थज्ञान को दृष्टि में रख कर इन मनीषियों की आलोचना-प्रत्यालोचना संदर्भहीन दृष्टि का ही परिणाम हो सकती है।

श्री अरविन्द ने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक कार्यक्रम न मान कर धर्म के रूप में स्वीकार किया। वे राष्ट्रवाद को ईश्वर-प्रदत्त धर्म मानते थे। केवल बौद्धिक धारणा के रूप में अपने आपको राष्ट्रवादी कहलाने वालों के प्रति उनका दृष्टिकोण तीखा था। राष्ट्रवादी होने का मापदण्ड धार्मिक चेतना से श्रोतप्रोत होना माना गया था। वे राष्ट्रीय क्रियाकलाप को निष्काम कर्म मानते हुए भारतीय स्वातन्त्र्य-आन्दोलन में व्यक्तियुक्त आत्मोन्नति नहीं अपितु सार्वभौमिक आत्मिक अनुभूति का आनन्द संचारित कर रहे थे। राष्ट्रवाद का धर्म के साथ अटूट सम्बन्ध स्थापित कर श्री अरविन्द ने ईश्वरीय कृपा में निमृत् अभय का मार्ग दिखाया। वे यूरोपीय संदर्भ में राष्ट्रवाद की चर्चा को भौतिक परिवर्तन तक ही सीमित मानते थे। विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अधिशासी स्तर की प्राप्ति अथवा स्व-शासन की स्थापना तब तक निरर्थक है जब तक हम अपने राष्ट्र को विशिष्टता प्रदान नहीं करते और जनता को वास्तविक स्वतन्त्रता तथा सुख नहीं दिलाने।<sup>20</sup> इस प्रकार श्री अरविन्द राष्ट्रवाद को देशभक्ति से अधिक व्यापक अवधारणा के रूप में मानते रहे। उनका दृष्टिकोण केवल राजनीतिक न होकर आध्यात्मिक था। किन्तु राष्ट्रवाद का धर्म के साथ समोजन अथवा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार संकीर्ण पुनर्जागरणवादी विचार नहीं था। वे अंतर्राष्ट्रीयता के धरातल पर राष्ट्रवाद को प्रस्तुत करना चाहते थे। उनका राष्ट्रवाद केवल हिन्दू-राष्ट्रवाद नहीं था। वे भारत के अन्य-सम्बन्धों का समुचित समर्थन प्राप्त करने के लिए सर्वे लाभायित रहे। वे भारतीय राष्ट्रवाद के उन्नयन में हिन्दूधर्म तथा इस्लाम दोनों को राजनीतिक जीवन के लिए जागृत करना चाहते हैं। उनका राष्ट्रवाद किसी भी वर्ग अथवा सम्प्रदाय की सहायता नहीं छोड़ता। वे 'विन-इस्लामवाद' में भयभीत नहीं होते। किसी भी प्रकार की बेतन्त्रता का नव जागरण राष्ट्रवाद के लिए बाधक नहीं यदि नु महादक ही है। उसी उपर्युक्त मान्यता उन्हें संकीर्ण राष्ट्रवाद की श्रेणियों में न रख कर राष्ट्रवाद के सर्वोच्च स्तराधिकार एवं परमोच्च राष्ट्रवादी विचार के रूप में प्रस्तुत करती है।<sup>21</sup>

श्री अरविन्द राष्ट्रवादी विचारक होने के रूप में विश्व-प्रसिद्धता के साक्ष्य के प्रतिपादन थे। वे विश्व-राजनीति के वैचारिक समर्थक, जलियुद्ध के कुटिल परिणामों, सामाजिक अंध-धन्ना से पीड़ित के बावजूद नर मानते थे कि किसी दिन विश्व-राजनीति का

पादमं यथायं यनेता । वे विश्व एतदा की स्थापना के लिए नई बाग्यों को उत्तरदायी मानते थे । उनके अनुसार प्राकृतिक बाग्यों में, परिस्थितियों के दबाव में तथा मानवमान की वर्तमान एवं भविष्य की प्रायश्चयताओं को पूर्ण करने की धारणा में प्रेरित हो विश्व एकता की स्थापना अवश्यमेव होगी । मानवीय समाज में वृद्ध मानव-मनुष्यों का निर्माण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है । मनुष्यों को परम्पर निर्भरता एवं उनके पारम्परिक हित तथा सम्बन्ध उन्हें बड़े-बड़े मनुष्यों में परिवर्तित कर सकते हैं ताकि छोटे मनुष्यों की संकीर्णता में उत्पन्न कठिनाइयों एवं समस्याओं को दूर किया जा सके । उनका यह दृष्टिकोण था कि भूतकाल में राष्ट्रीय राष्ट्रों एवं साम्राज्यों की स्थापना तथा विनाश के लिए यही कारण उत्तरदायी रहा है । इसी प्रकार में बाह्य धारणा के भय का निवारण करने के लिए भी मानवीय समुदायों में एतदा की भावना उत्पन्न तथा तद्वर्तित गर्भों की स्थापना का होना संभाव्य है । एकता की भावना के विनाश के लिए सामान्य हितों की समान सुरक्षा आवश्यक है । यह पादमं अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-संगठन का अनुगामी है । जब तक विश्व में शांतिपूर्ण उद्देश्यों को लेकर किसी ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना नहीं होती तब तक अमुकशा एवं पारम्परिक मंदिर की स्थिति को दूर नहीं किया जा सकता । अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की पूर्वविधा हम कारणों में भी है कि विश्व में विज्ञान एवं औद्योगिकी का विकास मानव-महान के स्थान पर मानव-कल्याण एवं सुन्दर हित साक्षात्कार को प्राप्त के लिए किया गया है । विश्व-मुक्त की महायत्नाओं को बम बर विश्व में जन-सामान्य के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना धार के युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारण्यवता है । विश्व में स्वतन्त्रता, समानता एवं धार्मिक या साक्षात्कार मानवतावारी उद्देश्यों को प्राप्त के साथ-साथ सामान्य धैर्यता का निर्माण करता है । प्राचीन प्राथमिक मान्यताओं को नवीन वैचारिक ज्ञान द्वारा परिष्कृत कर महिम्ना का ऐसा साक्षात्कार स्थापित होना चाहिये जिसमें जाति, धर्म, रंग, राष्ट्र, सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक प्रवृत्ति तथा प्रतिष्ठा के नाम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना जाय ।

श्रीअरविन्द की राष्ट्र सम्बन्धी विचारधारा विचारवारी है । वे विश्व की मानव के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास का कारण मानते हैं । मानव-विकास का प्रथम स्तर मूलभूत विवेक है । द्वितीय स्तर पर विवेक का युग प्रारम्भ होता है जिसमें वैदिक विवेक के आधार पर ही समस्त विश्वकाल निर्धारित होते हैं । तीसरी विचार धारणा की अन्तिम विवेकी मानवपरक धैर्यता होती जिसके द्वारा मानव का युग विकास होता रहने जीवन में सामुदायिक परिवर्तन दिखाई देता । समाज में ईश्वरीय पूर्णता के दर्शन होते मनेते । वे राष्ट्र को वैदिक मानव धार्मिक दुर्बाई ही मानते थे । राष्ट्र की उत्थान जिसका एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उत्पन्न है । वह प्रथम धार्मिक वेद में बहनी चली जा रही है और अपने पहिलों के बीच ही प्रथम का विशेष एवं साद मानवीय धैर्यताओं को कृष्णते के लिए तैयार है । इस प्रकार विश्वकाल में राष्ट्र की अन्तिम महत्त्व नहीं दिया गया है । वे समर्थितवारी नहीं हैं । अन्तिमवारे उनके विचारों का प्रमुख आधार था । किन्तु वह अन्तिम अन्तिमवारे ही प्रथम मानव-परिष्कार की साक्षात्कार सुशिक्षण गर्भों कासा अन्तिमवारे है । उनके अन्तिमवारे में एक का कोई अर्थ नहीं । यह की अन्तिम के अन्तिम का दिया गया है । अन्तिमवारे मया अन्तिमवारे, अन्तिमवारे मया अन्तिमवारे, अन्तिमवारे अन्तिमवारे अन्तिमवारे अन्तिमवारे

एक दूसरे की पूरक नहीं हो सकती, जब तक मनुष्य, व्यक्ति एवं समाज, अहंकार द्वारा ही जीना चाहते हैं। जब तक उनमें मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं आ जाते तब तक वे सामुदायिक संगठनों से ऊपर नहीं उठ सकते। उन्हें तीसरे ही लक्ष्य को प्राप्त करना है और वह लक्ष्य है बन्धुत्व का आदर्श; आन्तरिक एकीकरण का आदर्श।<sup>23</sup>

उनको यह धारणा नहीं रही कि राज्य श्रेष्ठ मस्तिष्कों का प्रतिनिधित्व करता है या राज्य श्रेष्ठ और आदर्श राष्ट्रवाद का प्रतीक है। राज्य एक भौतिक आवश्यकता है। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् अवश्य ही श्रीअरविन्द की राज्य-विषयक धारणा में परिवर्तन आया। वे राज्य को बुद्धि एवं नैतिकता दोनों ही दृष्टियों से श्रेष्ठ तथा आवश्यक मानने लगे।

श्रीअरविन्द ने राज्य के आंगिक सिद्धान्त की आलोचना की है। वे केवल समाज के सदस्यों में आंगिक समतुलना प्रस्तुत करते हैं। वे राज्य को अंग सदृश न मानकर केवल एक यन्त्र मानते हैं—ऐसा यन्त्र जिसके द्वारा मानव-मस्तिष्क पर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। राज्य द्वारा नियन्त्रित शिक्षा भी राज्य के इसी लक्षण का प्रतीक है। श्रीअरविन्द ने यह व्यक्त किया था कि हमारे सामान्य विकास के लिए राज्य एक सुविधा है। यह एक भद्दी सुविधा है किन्तु इसे अपने आप में साध्य कदापि नहीं बनने देना चाहिए। श्रीअरविन्द के चिन्तन में जहाँ राज्य केवल यन्त्रमात्र है और मनुज सम्पूर्ण जीवन न होकर केवल जीवन का एक पक्ष है वहाँ सर्वाधिक महत्त्व सत्य, आत्मा एवं ईश्वर का है जो सर्वव्यापी है।<sup>24</sup>

राज्य के कार्यों के बारे में श्रीअरविन्द के विचार अधिक उदारवादी नहीं थे। वे राज्य-कार्य को सीमित करने के पक्षपाती हैं।<sup>25</sup> राज्य का कार्य केवल बाधाओं को दूर करना तथा अन्वय को रोकना आदि है।<sup>26</sup> स्पेन्सर तथा श्रीअरविन्द के विचारों में काफी साम्य है। दोनों की यह धारणा है कि राज्य द्वारा न तो शिक्षण-कार्य किया जाना चाहिए और न राज्य द्वारा किसी चर्च अथवा धर्म विरोध का पालन कराया जाना चाहिए। ये विचार श्रीअरविन्द को व्यक्तिवादियों की श्रेणी में ला गड़ा करते हैं। किन्तु श्रीअरविन्द आंगिक व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं थे। वे ग्रीन की भाँति व्यक्ति के मर्यादीण विकास तथा आत्म-विकास के पक्षपाती थे। वे समाजवादी दर्शन के सर्वहितकारी आंगिक कार्यक्रम से प्रभावित थे। सर्वजनहिताय समाजवादी विचारधारा का उद्देश्य उन्हें स्वोक्त्या या किन्तु वे इसके अन्तर्गत व्यक्ति तथा राज्य के उद्देश्यों को समान मानने को तैयार न थे। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य परमसत्त्व की चेतना एवं मोक्ष-प्राप्ति है। इसके विपरीत राज्य का उद्देश्य सामाजिक एवं आंगिक आदर्शों की प्राप्ति है।<sup>27</sup>

श्रीअरविन्द ने मानवीय स्वतन्त्रता को मानव द्वारा स्वीकृत कानूनों का पालन माना है। पर्यावरण में मानव का तादात्म्य तभी स्थापित हो सकता है जब कि प्रत्येक प्राणी अपना स्वयं का नैर्गमिक विभाग प्राप्त कर सके।<sup>28</sup> जब तक यह स्थिति प्राप्त न हो तब तक कानून द्वारा स्थापित बाह्य नियन्त्रणों को मानना उचित है। नियन्त्रण स्थापित करने वाले कानून स्थायी नहीं माने जाने चाहिए। वे केवल उद्देश्य-प्राप्ति तक ही मर्यादित स्थिति जाय मर्यादात् मर्यादित कानून की स्थापना हो कि अन्तर्गम्य द्वारा ही ही बाह्य बाधकारी कानून का स्वयं स्थापन में योग्य। आन्तरिक स्वतन्त्रता स्वनिर्गम्य अन्तर्गत स्थापना

है। यह बाह्य लौकिक स्वतन्त्रता से भी अधिक वास्तविक है। आन्तरिक स्वतन्त्रता एवं आत्मिक स्वाधीनता जीवन का सार है।<sup>22</sup>

श्रीप्ररविन्द के अनुसार समाज की प्रागिक एकता पर ही राज्य की एकता आधारित है। स्वयं समाज द्वारा स्वयं राज्य की स्थापना सम्भव है और राज्य की शक्ति पर ही समाज की एकता का आदर्श अवस्थित है। यदि राज्य विदेशी तथा अनाधिक है तो समुदाय का प्रागिक जीवन सम्भव नहीं हो सकता। अतः पराधीन जनता के लिए यह अपरिहार्य है कि प्रथम राज्य की प्राप्ति की जाय। राज्य के बिना पराधीन देश की जनता सामाजिक एवं बौद्धिक दृष्टि में जागृत नहीं हो सकती। मार्गोनी ने इटली की जनता को सम्बोधित करते हुए यही कहा था कि साहित्य और कला को विनाशित देकर राष्ट्रीय संग्राम में जूझना आवश्यक है, ताकि व्यक्ति की सम्पत्तियों पर इटली की कला मथित हो सके। कोई भी समुदाय तब तक महान् कार्य नहीं कर सकता जब तक उसमें केन्द्रीय शक्ति न हो अथवा शक्ति केन्द्रित न हो। राजनीतिक स्वतन्त्रता से विमुख सामाजिक सुधारों की माँग केवल प्रवृत्तता है। नैतिक पुनरुत्थान के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता आवश्यक है। स्वतन्त्रता पुनरुत्थान की अग्रगामी होनी चाहिए।

स्वराज्य की प्राप्ति ही भारतीयों का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। यदि भारतीय शक्ति का विकास नहीं दृष्टि में सम्भव है तो केवल दूरी धारणा द्वारा कि स्वतन्त्रता सुख प्राप्त की जाय। राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए समस्त माधन एवं शक्ति जुटा दी जाय। सामाजिक सुधार एवं नैतिक पुनरुत्थान की बात बाद में की जाय अथवा मध्य अष्ट होने की सम्भावना बड़ी जायगी। वगण के विभाजन के समय उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्ति की बनावे रखने की आवश्यकता पर बल देने हुए श्रीप्ररविन्द ने यह प्रकट किया कि भारत की स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में जीवित रहने की आवश्यकता की पूर्ण प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके पश्चात् अष्टमी तरह में जीवित रहने की चिन्ता की जाय। इस दृष्टिकोण से सामाजिक सुधारों की राजनीतिक सुधारों के पश्चात् ही मागू बिना जाना उचित दृष्टाया गया है।<sup>23</sup>

श्रीप्ररविन्द ने स्वायत्तजन तथा निश्चय प्रतिरोध को पराधीन जनता की स्वतन्त्रता-प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने प्रकट किया कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अथ राष्ट्रों के प्रति पूर्ण की आवश्यकता नहीं है। विदेशी प्रशासन को मोक्षार्थिक बनाने की आवश्यकता है। विदेशी शासन को स्वदेशी शासन में परिवर्तित करना है। विदेशी नियंत्रण को भारतीय बनाना है। वे हिंसा एवं युद्ध को स्थापने का आह्वान कर रहे थे। उनकी दृष्टि में देशभक्ति का आदर्श प्रेम एवं मानव मांस में एकता के बिना पर आधारित था। किन्तु वे भारतीय स्वयं एवं बल के व्यक्तियों के दृष्टि-परिष्कार की स्थापना चाहते थे। वे ऐसी मानव-शक्ति से विश्वास करते थे किमें अन्त में और शक्ति की एक ही स्तर पर रखा गया हो। वे शोषण एवं दासता दृष्टि में बहुत विश्वस्तरीय अन्त की स्थापना चाहते थे।

समुचित विकास अभिषिक्त था। श्रीअरविन्द इन कार्यों के अलावा स्व-शासन की स्थापना के लिए विदेशी शासन के प्रति असहयोग की नीति का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे थे। अमेरिकावासियों की "प्रतिनिधित्व नहीं, तो कर भी नहीं" की नीति के अनुसार वे "नियंत्रण नहीं, तो सहयोग भी नहीं" का नारा प्रस्तुत कर रहे थे। बहिष्कार की पद्धति द्वारा शासन में अपनी बात मनवाने का प्रयत्न उचित माना गया था। बहिष्कार द्वारा स्वदेशी के उत्थान एवं विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त होता था। भारतीय उद्योगों, शिक्षण-संस्थानों एवं न्यायालयों में स्वदेशी तत्त्व की वृद्धि एवं विकास के लिए बहिष्कार से ही नवीन शक्ति प्राप्त हुई थी।<sup>31</sup>

निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा राष्ट्रीय प्रगति एवं स्वराज्य-प्राप्ति के लिए श्रीअरविन्द ने तीन प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी। प्रथम, वे निर्वाह बौद्धिक विज्ञान एवं चेतना का संचार करना चाहते थे ताकि भारत में व्याप्त पराश्रय एवं क्लृप्त-व्यवस्था का निराकरण हो सके। द्वितीय, वे राष्ट्रीय आत्म-प्रेरणा को विकसित करना चाहते थे ताकि भारत में स्वतन्त्र केन्द्रीय सत्ता की स्थापना की जा सके। तृतीय, वे संगठित विरोध प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि एक वास्तविक लोकप्रिय शासन की स्थापना हो सके। उनके अनुसार राष्ट्र के स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व के लिए अनेक मार्ग उपलब्ध थे। मशरूफ़ सैन्य-विद्रोह, संगठित आक्रामक प्रतिरोध तथा निष्क्रिय प्रतिरोध इन तीनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण किया जा सकता था। जहाँ प्रत्यक्ष आक्रामक प्रतिरोध अन्यायी व्यवस्था के विध्वंस का उपाय था वहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा आततायी व्यवस्था एवं अन्याय को प्रभावहीन बनाने के लिए असहयोग का प्रयोग किया जा सकता था। इन उपायों में श्रीअरविन्द ने निष्क्रिय प्रतिरोध को ही प्राथमिकता दी। निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा शांतिपूर्ण उपायों में विदेशी सत्ता के औचित्यविहीन शासन को चुनौती दी जा सकती थी। अहिमक असहयोग पर आधारित निष्क्रिय प्रतिरोध यातनाओं को सह्यं भोगने की प्रेरणा देने वाला था। श्रीअरविन्द के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध के अन्तर्गत गलत कानूनों की अवमानना केवल न्यायोचित ही नहीं अपितु कर्तव्य प्रेरक है। इसी प्रकार से शासन के अनुचित आदेशों का विरोध करना भी कर्तव्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्तियों का, जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, सामाजिक बहिष्कार सर्वथा उचित है।<sup>32</sup> निष्क्रिय प्रतिरोध नकारात्मक होने हुए भी राष्ट्रीय जीवन को स्पन्दित करने वाला कार्यक्रम है। वे इसे साधना का ही मार्ग मानते हैं। श्रीअरविन्द आत्मिक प्राप्ति लाना चाहते हैं ताकि मजबूत जीवमान में नवजीवन का संचार हो सके। वे भारत की पूर्ण स्वाधीनता के लिए मरण का साहसा कर रहे हैं। उनका निष्क्रिय प्रतिरोध केवल मात्र प्रतिरक्षात्मक विरोध ही नहीं है। साहस्यकता बढ़ने पर वह आक्रामक प्रतिरोध का स्वरूप भी ग्रहण कर सकता है।<sup>33</sup> उनके स्वयं के जीवन के उदाहरण में स्पष्ट होता है कि वे ज्ञानिसाधियों के कार्यों का समर्थन करने रहे थे।

श्रीअरविन्द तथा जर्मन आदर्शवादी विचार में समानता के दर्शन होते हैं। किन्तु जर्मन के वर्तमान श्रीअरविन्द का आध्यात्मिक रूप में स्वच्छन्द मानव सामाजिक एवं नैतिक मर्यादाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह केवल अपने अन्तर्मन में विद्यमान आत्मा के दर्शन उत्तरदायी है। जर्मन तथा किर्चने का जर्मन आदर्शवाद राज्य का ईश्वरीकरण करने का

प्रयत्न करता है किन्तु श्रीमदशरविन्द राज्य के प्रति बढोर दृष्टिकोण अपना कर पनो है। वे राज्य के प्रति अधिक आशावान है।

श्रीमदशरविन्द आध्यात्मिक आदर्शवाद एवं व्यक्ति की राजनीतिक गरिमा का संकेतदा चाहते हैं। वे दौलिक पद्धतियों से व्यक्ति को परिवर्तित करने का विचार प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति के अधिकारों के प्रति उनकी मूर्ती आस्था है। अधिकार राज्य द्वारा दिये हुए नहीं है अपितु वे व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय परिस्थितियों के फल हैं। व्यक्ति का स्वभाव एवं स्वधर्म उसके अधिकारों का जन्मदाता है। अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति सामुदाय में आध्यात्मिक गर्य का दर्शन करता है। व्यक्ति की भक्ति एवं आध्यात्मिक स्थिति ही उसकी उन्नति की मूल्य है। राज्य व्यक्ति से बड़ कर नहीं है। व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठतर बनाना चाहिए क्योंकि जीवन में मुख्य तथा मार्गदर्शक की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। वे मानव जीवन को अधिक आनन्दमय बनाना चाहते हैं किन्तु श्रीमदशरविन्द आध्यात्मिक शराजशास्त्रवाद के प्रतीक नहीं बने जा सकते। वे व्यक्ति तथा समाज दोनों ही को परिवर्तित करना चाहते हैं। वे प्राचीन भारतीय स्वर्णिम युग के आदर्श को पुनः स्थापना प्रस्तुत करते हुए सत्य-पुण्य का आदर्श हमारे सामने रखते हैं जो कि हिन्दू शराजशास्त्रवाद का विरोध है। वे गांधी तथा टॉल्स्टॉय के आध्यात्मिक शराजशास्त्रवाद में महत्त्व नहीं है। गांधीजी राज्य को एक आध्यात्मिक मनीष मानते थे। वे राज्य को व्यक्ति का समुच्चय मानते हुए व्यक्ति के स्वातन्त्र्य को केवल व्यक्ति के आनन्दमय से ही सुव्यक्त मानते थे। उनका शरशास्त्र व्यवसाय जन-सम्पत्ति का आधार भक्ति तथा पर आध्यात्मिक माना गया था। किन्तु श्रीमदशरविन्द मानव को आध्यात्मिक औद्योगिक मध्यता के मार्ग में व्यक्ति रखना नहीं चाहते। यतः उनके विचारों में आध्यात्मिक आदर्श तथा आनन्दमय प्रगति का सुन्दर समिश्रण विद्यमान है।

उन्नति एवं प्रगति असम्भव है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अस्तित्व से राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति सुगम हो जाती है। राष्ट्रीय शक्ति की स्व-शासन से अभिवृद्धि होती है। स्वशासन का व्यापक प्रयोग आवश्यक है। केवल किसी वर्ग विशेष को स्वशासन की सुविधाओं का एकाधिकार प्राप्त होने से राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि नहीं होती। श्रीअरविन्द ने भारत के प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हुए यह सिद्ध किया कि मुगलों या अंग्रेजों ने भारत की जनता से भारत का शासन नहीं जोता अपितु एक छोटे से विशिष्ट वर्ग से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। अठारहवीं शताब्दि में शिवाजी तथा गुरु गोविन्दसिंह ने जनता को प्रेरित कर उसे शासन से सम्बन्धित किया किन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने पुनः इस नीति को त्याग कर एक वर्ग विशिष्ट के हाथों में सत्ता निहित मानी। परिणाम वही हुआ जो पहले हुआ था—भारत पुनः गुलाम बन गया। श्रीअरविन्द ने यह उदाहरण इस अर्थ में प्रस्तुत किया है कि जब तक जनसाधारण में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना जागृत नहीं की जाती तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। केवल मुट्ठी भर शासकीय वर्ग द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का रक्षण हानिप्रद ही माना जायगा। अतः विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसमूह में राष्ट्रीय आत्म-चेतना का संचार किया जाय। विदेशी शासन स्वयं कभी नहीं चाहेगा कि वह व्यक्तियों में राष्ट्रीय चेतना का विकास होने दे। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करना आवश्यक है। विदेशी शासन के अंतर्गत एवं विदेशियों के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता-प्राप्ति मिथ्या है।<sup>34</sup>

श्रीअरविन्द ने लोकतंत्र की धारणा को आर्थिक एवं राजनीतिक व्यक्तिवाद का प्रतिकूल माना है। व्यक्ति के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों का संरक्षण लोकतंत्र का मूल उद्देश्य रहा है। किन्तु लोकतांत्रिक धारणा ने असमानता, सम्प्रात वर्ग का शासन, वर्ग-भेद तथा शोषण को जन्म दिया है। श्रीअरविन्द ने लोकतंत्र की भुट्टियों को मूर्खदर्ष्टि में देखा है। वे लोकतंत्र को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पोषक नहीं मानते। व्यक्ति का समष्टि-करण उसके व्यक्तित्व को दबा देता है। जनता के शासन के नाम पर केवल कतिपय धनी एवं कुलीन व्यक्तियों का शासन ही स्थापित हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता एवं समानता केवल नारैबाजी तक ही सीमित रह गयी है। लोकतांत्रिक संरचना के पार्श्व में एक शक्तिशाली ग्रन्थ सन्ध्य के नेतृत्व पनपा है जो पूरे शासन पर छाया रहता है। आधुनिक प्रतिनिधिभूलक लोकतंत्र केवल एक मिथ्या है। विधायकों अथवा मंत्रियों द्वारा जन-प्रतिनिधित्व का आदर्श दंभपूर्ण है। जन-प्रतिनिधित्व के स्थान पर केवल कुछ एक धायमायिक हितों एवं समूहों का हित संरक्षित किया जाता है। ऐसे लोकतांत्रिक उपकरणों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कामना श्रीअरविन्द को कविकर प्रतीत नहीं हुई। बहुसंख्यक दल का शासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा न कर उसे स्वार्थवृत्ति का माध्यम बनाता रहा है। राजनीतिक नेतृत्व ने जनसमूह को अपनी यकृतता के यमोक्तियों में बाँध दिया है। वे लोकतंत्र के इन दोषों के निवारण के लिए पुनः सामूहिक जीवन की जागृता करना चाहते हैं। उन्हें आधुनिक लोकतंत्र की केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति सर्वोच्च दोषदुष्टा समझती है। उनके अनुसार राजनीतिक जीवन के केन्द्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की स्थापना पर लोकतंत्र के दोषों में मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।<sup>35</sup>



श्रीशरविन्द ने पश्चिम के उपयोगितावाद तथा पूजोवाद को भी धर्मता को है। वे समाजवाद को ध्वनिवाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व-उद्योग्य का प्रतीक मानते हैं। सोवियत श्रमिकों को नवजीवन प्रदान करने में समाजवाद का जो महत्त्व रहा है उसे श्रीशरविन्द ने गराहा है किन्तु वे समाजवादो विचारधारा में मन्निहित राज्य शक्ति के केंद्रीकरण के पक्ष में नहीं हैं। वे समाजवाद के सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष का समर्थन करते हुए भी उसके सर्वाधिकारवादी पक्ष के समर्थक नहीं रहे। समाज का राजनीतिक एवं सामाजिक पक्ष एकीकृत नहीं किये जाने चाहिए। वे सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधारा को पृथक् पृथक् रखने के पक्षपाती हैं। समाजवाद ध्वनि के सामाजिक विचारधारा में राज्यीय हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करता है जिसे श्रीशरविन्द उचित नहीं मानते। वे समाजवाद के समाजवाद में परिवर्तित होने की सम्भावना के प्रति भी समान रूप में विवश हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् विश्व राजनीति के ध्रुवीकरण को ध्यान में रखते हुए श्री शरविन्द ने यह ध्वनि किया कि अमेरिका को राष्ट्रवादी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति तथा रूस का शक्ति-प्रदर्शन दोनों में पारस्परिक समर्थन एवं मनोमानिय का वाग्य बन सकता है। साथ ही साथ श्रीशरविन्द ने यह भी ध्वनि किया है कि सम्भवतः साम्यवाद एवं पूजोवाद में समन्वय भी हो सकता है। समाजवादी राज्य में पूजों पर साम्यीय नियंत्रण एवं राज्य द्वारा आर्थिक विचारधारा का निर्देशन एवं नियंत्रण राज्यीय पूजोवाद को जन्म देता है। यत्न पूजोवाद के बदलते हुए स्वरूप का समाजवाद में एकाकार होना सम्भव है।

श्री शरविन्द ने साम्यवाद को मानवीय सम्बन्ध के विघटनकारी तत्व के रूप में मानी माना। वे साम्यवाद को पूजोवादी समाज-विरोधी शक्तिधर्मों का जन्म ध्वनि मानते हैं और यह उचित भी है। उनकी यह धारणा है कि विश्व में पूर्ण साम्यवाद की कोई सम्भावना नहीं है। वे साम्यवाद के आधुनिक आदर्श को राज्य समाजवाद की ही मजा देते हैं। उनके अनुसार समाजवाद तथा पूजोवाद दोनों ही स्वरूपवाए विश्व में बनी रहेंगी। केवल समाजवादी ध्वनिवादी ही समस्त विश्व पर ही राज्य ऐसा आचार्य श्री शरविन्द के विचारों में नहीं मिलता। श्री शरविन्द ने समाजवाद के सामाजिक बन्धुत्व तथा राज्यीय नियंत्रण को समर्थन देना चाहा है। वे समाजवाद को आधुनिक बन्धुत्व का संकेत देकर ध्वनिवाद एवं साम्यवाद में समन्वय का स्वरूप देते हैं। आधुनिक बन्धुत्व पर आधुनिक साम्यवाद ही मान्य रहता एवं मान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त बन सकता है। २१

स्तरों पर विश्व-संगठन की स्थापना सम्भव है। पहले स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वयं संगठित होने की आवश्यकता है। इसके पश्चात् संगठित राष्ट्रों को पारस्परिक मतभेद एवं स्वार्थ मिटा कर अन्तर्राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण विकसित करना है। इन दोनों स्तरों को पार करके ही एक सच्चा सार्वभौम धर्म स्थापित हो सकता है जो मानवीय एकता का आदर्श स्थापित कर सके। राष्ट्रवाद मानवीय एकता की एक माध्यमिक इकाई है। राष्ट्रवाद से विश्व-एकता के आदर्श की ओर अग्रसर होना है। केवल राजनीतिक, प्रायिक एवं सामाजिक संगठनों की स्थापना मात्र से विश्व एकता अनुभूत नहीं होती। राष्ट्र-संघ भ्रष्टवा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से मानवीय धर्म विकसित नहीं होगा। इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। वर्गहित तथा राष्ट्रीय स्वार्थों को प्रेम एवं बन्धुत्व से जीतना है। मानवधर्म की स्थापना से ही मानव मात्र में एक ही आत्मा का बोध प्राप्त कर विभाजन परक स्वार्थ से मुक्ति मिल सकती है।<sup>39</sup>

किन्तु मानवधर्म की स्थापना को श्रीधरविन्द का आदर्श मानवतावाद से मेल नहीं खाता। वे बीसवीं शताब्दी के मानवतावादी आंदोलन के इस कथन को कि 'मानव ही सब वस्तुओं का नियामक है', स्वीकार नहीं करते। श्रीधरविन्द की वैचारिक योजना में मनुष्य अन्तिम तत्व नहीं है। मनुष्य का जो कुछ भी महत्त्व है वह इसी कारण से है कि वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। परमात्मा ने ही मनुष्य को महत्ता दी है अतः परमात्मा ही परम सत्य है।<sup>40</sup>

### निष्कर्ष

श्रीधरविन्द ने भारत के आदर्शवादी चिन्तन को परम्परा को नवीन ऊँचाई प्रदान की है। वे भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अद्भुत व्याख्याकार के रूप में सदैव याद किये जाते रहेंगे। उनकी वैचारिक महत्ता इस कारण से भी मानी जाती है कि वे पूर्व तथा पश्चिम की नैतिक, आध्यात्मिक एवं सौन्दर्यमय परम्पराओं के महान समन्वयकर्ता थे। उनका धार्मिक एवं रहस्यवादी दृष्टिकोण मौलिक एवं मर्मस्पर्शी था। वेद, वेदाङ्ग, उपनिषद्, गीता आदि पर उनके लेख, उनकी चमत्कारी शैली एवं मानवातीत ज्ञान के जीवन् प्रमाण हैं। उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों का सार सावित्री एवं दो साइफ विद्यान में प्रकाशित: उतरा है। गीता के पश्चात् भारतीय रहस्यवादी साहित्य में यदि सावित्री को रखा जाय तो कोई प्रतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीधरविन्द ने इन ग्रंथ की रचना तन्मय धन्यवा किमी भारतीय भाषा में की होती तो जन-मानस को इस ग्रंथ के सत्सम्बन्धन का अधिक आनन्द प्राप्त होता। श्रीधरविन्द को स्वयं यह चुभन हमेशा बनी रही कि वे संश्लेष में ही धन्यवा साहित्य-मृजन कर भारतीय जन साधारण तक नहीं पहुँच पाये। भारतीय जन-मानस पर उनका प्रभाव उनकी पत्रकारिता के माध्यम से अधिक पड़ा। बंगाल के नवधनना के संदेशवाहक के रूप में उनका निरस्मरणीय योगदान रहा। भारतीय राजनीतिक उदरवादी चिन्तन में वे प्रमुख स्थान थे।

राजनीतिक चिन्तन की दृष्टि में श्रीधरविन्द का योगदान राजनीति के आध्यात्मिकरण में बुरा हुआ है। वे राष्ट्रवाद, विश्व-एकता, मानव-म्यतंत्रता आदि के मूलन इनाफाकार थे। जीवन के पूर्वार्द्ध में श्रीधरविन्द ने राष्ट्रवाद, मोक्षग्रन्थ, समाजवाद, उद्योगिकीकरण, धर्मवाद, साम्यवाद आदि पर अपने उद्गार प्रकट किये, किन्तु जीवन के उत्तरार्द्ध में

अनकी कृतियां योग, दर्शन, रहस्यवाद एवं आध्यात्मिक धेतना में अंतर्भूत रहीं। एक महान् योगी के रूप में श्रीधररररर ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्रवेश किया। वे गुरुधि थे। उनकी आध्यात्मिक साधना तथा तपस्या ने उन्हें परमतत्त्व के साध एकाकार बन दिया। किसी राजनीतिक चिंतक का ऐसा आत्मोन्मथं अोर नहीं उदाहरण के रूप में भी प्राप्य नहीं है।

श्रीधररररर ने राष्ट्रवाद की संकीर्ण पैघारिष कीधी में निराल कर मार्यंभीम मर्य में उसे परिधृत किया। तपस्या, ज्ञान तथा कृत्ति के साध राष्ट्र का समन्वय कर उसे मानवीय एवता के शाश्वत मून्यों के साध जोड़ दिया। ये मानवमात्र में एवता एवं कर्णुण्य के दर्शन करते थे। 1907 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत कर उन्होंने मयकी स्तम्भित कर दिया। ऐसे समय में जब कि साम्राज्यवाद विश्व पर छाया हुआ था, श्रीधररररर ने मानवीय स्वतंत्रता का उद्घोष कर फासोवाद, मर्वाधिवाग्वाद तथा तानाशाही को धुनीती दी। ये मानव को इतना ऊपर उठाना चाहते थे कि शोषण एव परतंत्रता उसे न हो सके। इस संदर्भ में मानवीय गरिमा के रक्षार्थ उन्होंने अपना 'अतिमानव' का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। उनका यह सिद्धान्त नींदी के अतिमानवीय स्वरूप में भिन्न था। जहाँ नींदी ने मयंभशी जानवीय अतिमानव की कल्पना की थी तथा श्रीधररररर का अतिमानव नीता के मयंयोगी स्थितप्रज्ञ मानव का मीम्य चित्रण था।<sup>41</sup> मानव की गरिमा की आध्यात्मिक गरथों में अभिमतित कर श्रीधररररर ने शोषण तथा मातनाधी के विरुद्ध नवीन पैघारिष कान्ति का कथनाट किया था। □ □

स्तरों पर विश्व-संगठन की स्थापना सम्भव है। पहले स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वयं संगठित होने की आवश्यकता है। इसके पश्चात् संगठित राष्ट्रों को पारस्परिक मतभेद एवं स्वार्थ मिटा कर अन्तर्राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण विकसित करना है। इन दोनों स्तरों को पार करके ही एक सच्चा सार्वभौम धर्म स्थापित हो सकता है जो मानवीय एकता का प्रादुर्भाव स्थापित कर सके। राष्ट्रवाद मानवीय एकता की एक माध्यमिक इकाई है। राष्ट्रवाद से विश्व-एकता के आदर्श की ओर अग्रसर होना है। केवल राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की स्थापना मात्र से विश्व एकता अनुभूत नहीं होती। राष्ट्र-संघ अथवा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से मानवीय धर्म विकसित नहीं होगा। इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। वर्णहित तथा राष्ट्रीय स्वार्थों को प्रेम एवं बन्धुत्व से जीतना है। मानवधर्म की स्थापना से ही मानव मात्र में एक ही आत्मा का बोध प्राप्त कर विभाजन परक स्वार्थ से भुक्ति मिल सकती है।<sup>39</sup>

किन्तु मानवधर्म की स्थापना को श्रीअरविन्द का आदर्श मानवतावाद से मेल नहीं खाता। वे बीसवीं शताब्दी के मानवतावादी आंदोलन के इस कथन को कि 'मानव ही सब वस्तुओं का नियामक है', स्वीकार नहीं करते। श्रीअरविन्द की वैचारिक योजना में मनुष्य अन्तिम तत्व नहीं है। मनुष्य का जो कुछ भी महत्त्व है वह इसी कारण से है कि वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। परमात्मा ने ही मनुष्य को महत्ता दी है अतः परमात्मा ही परम सत्य है।<sup>40</sup>

### निरूपण

श्रीअरविन्द ने भारत के आदर्शवादी चिंतन को परम्परा को नवीन ऊँचाई प्रदान की है। वे भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अद्भुत व्याख्याकार के रूप में सदैव याद दिये जाते रहेंगे। उनकी वैचारिक महत्ता इस कारण से भी मानी जाती है कि वे पूर्व तथा पश्चिम की नैतिक, आध्यात्मिक एवं सौन्दर्यमय परम्पराओं के महान समन्वयकर्त्ता थे। उनका धार्मिक एवं रहस्यवादी दृष्टिकोण मौलिक एवं मर्मस्पर्शी था। वेद, वेदान्त, उपनिषद्, गीता आदि पर उनके लेख, उनकी चमत्कारी शैली एवं मानवातीत ज्ञान के जीवन प्रमाण हैं। उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों का सार सावित्री एवं दी साइक द्विवाचन में अधरगः उतरा है। गीता के पश्चात् भारतीय रहस्यवादी साहित्य में यदि सावित्री को रखा जाय तो कोई प्रतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीअरविन्द ने इस ग्रंथ की रचना मगूत अथवा किसी भारतीय भाषा में की होती तो जन-मानस को इस ग्रंथ के समास्वादन का अधिक आनंद प्राप्त होता। श्रीअरविन्द को स्वयं यह चुभन हमेशा बनी रही कि वे अंग्रेजों में ही अपना साहित्य-मृजन कर भारतीय जन माधुर्य तब नहीं पहुँच पाये। भारतीय जन-मानस पर उनका प्रभाव उनकी पत्रकारिता के माध्यम में अधिक पड़ा। बंगाल के गणधेनना के मंदेगवाहन के रूप में उनका विरम्भरणीय योगदान रहा। भारतीय राजनीतिक उपयोगी चिंतन के वे प्रमुख स्तंभ थे।

राजनीतिक चिंतन की दृष्टि में श्रीअरविन्द का योगदान राजनीति के अध्यामीकरण में हुआ हुआ है। वे राष्ट्रवाद, विरग-एरता, मानव-सत्तंत्रता आदि के गहन व्याख्याकार थे। जीवन के पूर्वार्ध में श्रीअरविन्द ने राष्ट्रवाद, सत्तंत्र, समाजवाद, उद्योगीकरण, धर्मवाद, साम्यवाद आदि पर अपने उद्गार प्रकट किये, किन्तु जीवन के उत्तरार्ध में

उनकी कृतियाँ योग, दर्शन, रहस्यवाद एवं आध्यात्मिक चेतना से प्रोत्पन्न रही। एक महान् योगी के रूप में श्रीश्ररविन्द ने अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में प्रवेश किया। वे महर्षि थे। उनकी आध्यात्मिक साधना तथा तपस्या ने उन्हें परमतत्त्व के साथ एकाकार कर दिया। किसी राजनीतिक चिंतक का ऐसा आत्मोत्कर्ष श्रर कहीं उदाहरण के रूप में भी प्राप्य नहीं है।

श्रीश्ररविन्द ने राष्ट्रवाद को सकीर्ण वैचारिक विधि से निकाल कर सार्वभौम सत्य से उसे परिष्कृत किया। तपस्या, ज्ञान तथा शक्ति के साथ राष्ट्र का समन्वय कर उसे मानवीय एकता के शाश्वत मूल्यों के साथ जोड़ दिया। वे मानवमात्र में एकता एवं बन्धुत्व के दर्शन करते थे। 1907 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की माँग प्रस्तुत कर उन्होंने सबको स्तम्भित कर दिया। ऐसे समय में जब कि साम्राज्यवाद विश्व पर छाया हुआ था, श्रीश्ररविन्द ने मानवीय स्वतंत्रता का उद्घोष कर फासीवाद, सर्वाधिकारवाद तथा तानाशाही को चुनौती दी। वे मानव को इतना ऊपर उठाना चाहते थे कि शोषण एवं परतंत्रता उसे न छू सके। इस संदर्भ में मानवीय गरिमा के रक्षार्थ उन्होंने अपना 'अतिमानव' का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। उनका यह सिद्धान्त नीतेशे के अतिमानवीय स्वरूप से भिन्न था। जहाँ नीतेशे ने सर्वमक्षी दानवीय अतिमानव की कल्पना की थी वहाँ श्रीश्ररविन्द का अतिमानव गीता के कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ मानव का सौम्य चित्रण था।<sup>41</sup> मानव की गरिमा को आध्यात्मिक तत्त्वों से अभिमंत्रित कर श्रीश्ररविन्द ने शोषण तथा यातनाओं के विरुद्ध नवीन वैचारिक क्रान्ति का शंखनाद किया था। □ □

## टिप्पणियाँ

1. निगिर कुमार मिश्र, श्री श्ररविन्दो एण्ड इन्डियन प्रोड्रम, (श्री श्ररविन्दो सायबेरी, मद्रास, 1948) पृ. 24
2. देखिये श्री श्ररविन्दो ऑन रिमसेन्स एण्ड ऑन शो मन्डर, (श्री श्ररविन्दो आश्रम, पाँडिचेरी, 1953) पृ. 81 तथा मनोज दास, श्री श्ररविन्दो इम शो फर्स्ट डेकेड ऑफ़ शो सेन्चुरी (श्री श्ररविन्दो आश्रम, पाँडिचेरी, 1972) पृ. 24
3. श्रीनियाम आश्रम, श्री श्ररविन्दो, (आर्य पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता 1945) पृ. 12
4. श्री श्ररविन्दो, शो शोश्ट्रीम ऑफ़ वेसिब रेजिस्टेन्स, (पाँडिचेरी, 1952) पृ. 69-70
5. वही
6. स्प्रीचेज़, (आर्य पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता, 1922, प्रथम संस्करण) पृ. 173-174
7. शो शोश्ट्रीम ऑफ़ वेसिब रेजिस्टेन्स, पृ. 71
8. देखिये श्रीनियाम आश्रम, पृ. 168
9. श्री श्ररविन्दो, एसेज़ ऑन शो गीता, (कलकत्ता, 1949) खण्ड I, पृ. 290 तथा खण्ड II, पृ. 312
10. शो शोश्ट्रीम ऑफ़ वेसिब रेजिस्टेन्स, पृ. 28-29, 62
11. श्री श्ररविन्दो, उत्तरपाड़ा स्प्रीच, (आर्य पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता) पृ. 20
12. वही, पृ. 33-34
13. वही, पृ. 29-30
14. श्री श्ररविन्दो, शो आइडियल ऑफ़ हू मन् प्रोपीटी, (श्री श्ररविन्दो वर्क मेन्टेनरी सायबेरी, पाँडिचेरी, 1971) पृ. 479

15. बी डोषद्वीन ऑफ वेसिथ रेजिस्ट्रन्स, पृ. 71
16. बी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनीटी, पृ. 290
17. श्री अरविन्दो, बी वैन ऑफ इण्डिया (आर्य पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता, 1923) पृ. 10-11
18. श्री अरविन्दो, बी आइडियल ऑफ कर्मयोगिन (आर्य पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता, 1921) पृ. 6-7
19. वही
20. स्पीचेज, पृ. 6, 18-19
21. देखिये करणसिंह, प्रोफेट ऑफ इण्डियन नेशनलिज्म, (भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1970) पृ. 82-83
22. बी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनीटी, पृ. .226
23. वही, पृ. 124-125
24. श्री अरविन्दो, बी साइकल डिवाइज, खण्ड II, (आर्य पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता, 1941) पृ. 921
25. बी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनीटी, पृ. 37
26. बी ह्यूमन साइकिल, पृ. 25-26
27. वही, पृ. 39
28. बी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनीटी, पृ. 166
29. वही, पृ. 166-167
30. देखिये हरिदास मुखर्जी एण्ड उमा मुखर्जी, श्री अरविन्दो एण्ड बी ग्यु वॉर्ड इन इण्डियन सोसियलिज्म, (कर्मा के. एल. मुखोगाध्याय, कलकत्ता, 1964) पृ. 379-380
31. स्पीचेज, पृ. 141-145
32. बी डोषद्वीन ऑफ वेसिथ रेजिस्ट्रन्स, पृ. 4-53
33. वही, पृ. 63
34. देखिये मुखर्जी एण्ड मुखर्जी, पृ. 22-27
35. देखिये बी. पी. वर्मा, बी पोसिटिव्ह फिलोसोफी ऑफ श्री अरविन्दो, (एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1960) पृ. 310-320
36. वही, पृ. 333-345
37. श्री अरविन्दो, वार एण्ड शेफ डिटरमिनेशन, (सेन्टेनरी लायब्रेरी, पांडिचेरी, 1971) पृ. 603
38. वही, पृ. 633
39. बी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनीटी, पृ. 362-369
40. बी ह्यूमन साइकिल, पृ. 78-79
41. श्री अरविन्दो, बी सुपरनेन, (कलकत्ता, 1944) पृ. 2-4, 81

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कलकत्ता के एक सम्पन्न जमीदार परिवार में 7 मई, 1861 को हुआ। उनके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर उपनिषदों के महान् विद्वान् थे। बंगाल की नवजाग्रति में उनका अनुपम योगदान रहा। रवीन्द्रनाथ ने अपने बाल्यकाल में राजा राममोहन राय के ब्रह्मसमाज-आंदोलन,<sup>1</sup> बंकिमचन्द्र चटर्जी के बंगला-साहित्य, पाश्चात्य प्रभाव में पली नव-सम्पन्न बंगाली पीढ़ी द्वारा प्राचीन मूल्यों के तिरस्कार का दृष्टिकोण आदि का अनुभव किया था। उनका स्वयं का दृष्टिकोण पाश्चात्य एवं पौराणिक के संमिश्रण का था। भारतीय नवजागरण के संदेशवाहक रवीन्द्र ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किये। उनका समन्वयकारी दर्शन जीवन की समस्त विधाओं—साहित्य, संगीत, चित्रकला, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज-सुधार, शिक्षा, को अंतर्भूत करने वाला था। वे केवल कवि और संगीतज्ञ ही नहीं थे अपितु एक नाटककार, कहानीकार, चित्रकार, अभिनेता, शिक्षाविद् तथा दार्शनिक के रूप में भी सर्व प्रसिद्ध रहे। राजनीति से उनका सम्बन्ध क्षणिक रहा किन्तु राजनीतिक विचारों में उनकी मौलिकता प्रशंसनीय थी। समाज सुधार के क्षेत्र में भी उनका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। उनकी कार्य शैली भिन्न थी। भीड़-भाड़ एवं जन-समुदाय के नेतृत्व का प्रचलित प्रयोग उनके बस का नहीं था। वे एकान्त के साधक थे किन्तु उनके विचारों ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। भारत के महान् सपूतों में से वे एक थे।

रवीन्द्रनाथ ने विश्वविद्यालय-शिक्षा कभी प्राप्त नहीं की। उनका विद्याभ्यास घर पर ही हुआ। वे पाठशाला भी भेजे गये किन्तु वहाँ वे प्रायः अनुपस्थित ही रहते थे। वे मेट्रिक तक भी नहीं थे किन्तु बंगला तथा अंग्रेजी का उन्होंने जो अध्ययन किया उसी से वे महान् बन गये। मृत्यु पर्यन्त उनका लेखन कार्य चलता रहा। उनकी कृतियों का सकलन पूरे 10 खंडों में प्रकाशित हुआ। कविता, उपन्यास, नाटक तथा निबन्धों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए। उनकी अनेक अंग्रेजी कृतियों में से सर्वाधिक चर्चित एवं विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि थी। इसी पर उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।<sup>2</sup> यह उनकी बंगला कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद था। वे प्रथम तथा अब तक अन्तिम भारतीय हैं जिन्हें साहित्य में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। उनके आलोचक भी उनके प्रशंसक बन गये। विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें उपाधियों से अलंकृत करने की होड़ सी लग गयी। उन्हें विदेशों से व्याख्यान देने के निमन्त्रण प्राप्त होने लगे। वे अनेक बार विदेश-यात्रा पर गये और प्रायः गमस्त विश्व का भ्रमण किया। उन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1915 में 'मर' का खिताब दिया।

रवीन्द्रनाथ ने 1901 में शान्ति निकेतन में ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना की। प्राचीन भारत की गुरुकुल व्यवस्था के अनुरूप उनका यह प्रयोग प्रारम्भ में अनेक कठिनाइयों ने गुजरा। उनके आश्रम में ईसाई तथा अंग्रेज अध्यापकों की नियुक्ति के कारण परम्परावादीओं ने उनकी आलोचना की। नवीन विचारधारा वालों ने उनके प्रयोग को पुरातनवादी बतलाया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनका यह आश्रम सफलतापूर्वक चलता रहा। आगे चल कर यह विश्व-भारती में रूपान्तरित हो गया और उसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व स्वीकार किया जाने लगा। विश्व के अनेक विद्वान् यहां शिक्षण के लिए आमन्त्रित किये गये। भारतीय संस्कृति का प्रकृति के निर्मल एवं स्वच्छन्द वातावरण में अनुशीलन इस संस्थान की विशेषता रही है।<sup>3</sup>

वैचारिक दृष्टि से रवीन्द्र परमेश्वर की सत्ता के उपासक थे। उपनिषदों के प्रभाव में वे मानव के क्षणभंगुर जीवन में अविनाशी ईश्वर की शक्ति का दर्शन करते थे। मानव द्वारा जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति ही उसका अमरत्व माना गया। यह जिजीविषा रवीन्द्र की प्रेरणा थी। वे जनता का साधारण लौकिक जीवन से उठकर अलौकिक की ओर बढ़ने के लिए ग्राह्वान करते थे।<sup>4</sup> संकीर्णता तथा क्षुद्र भावुकता एवं सामारिकता के मोहपाश से निकलना अनिवार्य था। जीवन में एकाकीपन ही अन्तिम सत्य था। मृत्यु तथा जीवन के बीच मानव का कार्य क्षेत्र उनके द्वारा भलीभांति परखा गया था। वे श्रद्धिनुल्य थे फिर भी लौकिक जीवन से दूर नहीं थे। भक्ति एवं कर्म का अनुपम योग उनमें दिग्दर्शक देता था। महात्मा बुद्ध के उपदेशों, कबीर की अनामक्ति एवं सत्यवाणी, वैष्णव मन्तों की निष्कण्ठ भक्तिविल्लसता तथा बंगाल के बाउल गायकों की हृदयस्पर्शी गंगीत नहरी ने उनके अन्तर्मन को निर्मित किया था। वे अद्वैतवादी थे। मानवीय एतता तथा विश्व-कल्याण उनके अभिष्ट थे। प्रकृति तथा मानव को एकत्व करना उनका उद्देश्य था। हिंसा से दूर, मानव-प्रेम पर ममस्त सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विचारों को उन्होंने आधारित माना। आत्मा का परिष्कार ही उनका ध्येय एवं सन्देश था। भारत के भावी भविष्य का आभाजनक चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया था। विभिन्नता में एकता स्थापित करने की भारत की विरोधता से वे अधिक प्रभावित थे। ममस्त धर्मों, जातियों एवं रंगों के व्यक्तियों का एकीकरण एवं ध्रातृत्व रवीन्द्र का भावी स्वप्न था। भारत की महिष्मृता, धर्मप्रियता तथा विदेशी तत्त्वों की आत्ममान् करने की घनृही शक्ति ने उन्हें भारत की महानता एवं उसकी भावी-भूमिका का ज्ञान कराया।<sup>5</sup> पूर्व तथा पश्चिम के मधुर सम्बन्धों के लिए भारत को ही प्रयास करना था। भारत एक महत्तरपूने सम्बन्धकारी तत्व था।

रवीन्द्र केवल मनोही तथा एवान्तवामी विन्त-माधक ही नहीं थे। वे राष्ट्र-नीतिक प्रबुद्धता के सदैववाहक भी थे। जीवन के प्रारम्भिक दिनों में बंगाल की राष्ट्र-नीतिक स्थिति ने उन्हें प्रभावित किया था। वे राष्ट्रीय आन्दोलन के मन्दकर्म के किन्तु वादेम की रीति-नीति उन्हें पसन्द नहीं थी। वेचन दिग्दर्शक एवं प्रस्ताव पालन करने वाली उदात्तवासियों की वादेम ने उन्हें प्रभावित नहीं किया। वे वादेम के परिष्कृत रचनात्मक वादेम की उम्मीद करने में। नैतिक शक्ति तथा मध्य के साधारण पर विदेशी शासन की घनृता का मानने के किन्तु भूता देना उन्हें पसन्द था न कि वाचना तथा



चाटुकारिता। यही कारण था कि 1898 के स्वतन्त्र भाषण पर प्रतिबन्ध लगाने वाले अधिनियम का उन्होंने खुल कर विरोध किया। वे राष्ट्रवादी देशभक्तों के कार्यों की सराहना करते थे। उपवादी कार्यक्रम की ओर उनका रुझान बंगाल तक ही सीमित नहीं था। तिलक की प्रथम गिरफ्तारी के समय उनके बचाव के लिए धन-संग्रह करने में उनका योगदान रहा। 1905 के बंग-भंग आन्दोलन में उनका सक्रिय सहयोग रहा। अपने अोजस्वी भाषणों, लेखों तथा प्रदर्शनों के द्वारा उन्होंने बंगाल की जनता को नई शक्ति प्रदान की। बिपिन चन्द्र पाल के अनुसार बंग-भंग के विरोध में 'राष्ट्री-उत्सव' तथा कलकत्ता-विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का बहिष्कार रवीन्द्र द्वारा प्रेरित थे।<sup>6</sup> वे शान्तिपूर्ण तरीकों से सरकार को बंगाल का विभाजन समाप्त करने के लिए बाध्य करना चाहते थे। किन्तु बंग-भंग-आन्दोलन के दौरान हिंसक प्रदर्शनों एवं घटनाओं से क्षुब्ध हो वे राजनीति से दूर हट गये और पुनः साहित्य-साधना में लीन हो गये। जालियांवाला बाग के नर-संहार ने उनके कवि हृदय को व्यथित कर दिया। उन्होंने शासन की इस क्रूर नीति के विरुद्ध अपना 'सर' का खिताब लौटा दिया। उनका यह कार्य साहित्यिक एवं देशभक्ति पूर्ण था। ऐसे समय में जब कि जनता का मनोबल ब्रिटिश शासन की कठोर नीतियों से गिर चुका था रवीन्द्र ने उन्हें आत्म-विश्वास का नया पाठ सिखाया।<sup>7</sup>

गांधीजी ने रवीन्द्र को 'गुरुदेव' कह कर सम्बोधित किया। वे जन जन की धृष्टा के पात्र बन चुके थे। देश-विदेश का कोई भी ऐसा महान् व्यक्ति नहीं था जो रवीन्द्र के दर्शनों के लिए लालायित न रहता हो। रवीन्द्र फासीवाद एवं सर्वाधिकारवाद के प्रबलतम विरोधी थे। उनकी रचनाएँ फासीवादियों तथा नाजियों द्वारा जलाई गयीं। 1926 में लिट्टुआनिया की सरकार ने ठाकुर की रचनाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया। किन्तु वे अपने विरोधी स्वर को बनाये रहे। 1938 में जापान के प्रसिद्ध कवि मोने नागूची को लिखे पत्र में उन्होंने जापान के साम्राज्यवाद की तीव्र भर्त्सना की। वे निर्वल देशों पर बलवान देशों द्वारा आधिपत्य किये जाने की भर्त्सना करते थे। जापान के एशियाई फासीवाद का रवीन्द्र ने तीव्रतम विरोध किया। जापान के प्रचार को भारत में रोकने के लिए किये गये प्रयत्नों में रवीन्द्र के विचारों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।<sup>8</sup>

रवीन्द्र ने इटली की सरकार के निमन्त्रण पर वहाँ की यात्रा की। मुसोलिनी ने उनकी काफी प्रशंसा की थी किन्तु जब रवीन्द्र को फासीवादियों की वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने अपनी तीव्र प्रातिक्रिया व्यक्त करना जीवन पर्यन्त जारी रखा। वे सोवियत रूस तथा अमेरिका की भी यात्रा कर चुके थे। विशेषतः रूस की यात्रा ने उन्हें काफी प्रभावित किया और वह भी ऐसे समय में जब स्टालिन यहाँ का सर्वोपनिषा था। 1937 में रवीन्द्र ने अफ्रीका की नीग्रो-प्रजातियों के प्रति संवेदना प्रकट की। वे अफ्रीका को पूर्व का शिशु मानते थे। वे एशिया तथा अफ्रीका के भाषी मधुर सम्बन्धों का स्वप्न सजोये हुए थे। पश्चिमी देशों द्वारा अफ्रीका पर आधिपत्य स्थापित करने के विरुद्ध उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से रोष प्रकट किया।<sup>9</sup>

रवीन्द्र तथा आईन्स्टीन में एक बार पारस्परिक वार्तालाप भी हुआ। वार्तालाप यथार्थ की प्रकृति पर केन्द्रित हुआ तो रवीन्द्र ने मानवीय जगह की अपनी ध्वजाएँ प्रस्तुत की। सापेक्षवाद के गणित में मन्त्रमुग्ध होकर ब्रह्माण्ड की कवितामय व्याख्या सुनी। रवीन्द्र ने

कहा कि पदार्थ का निर्माण प्रोटोन्स तथा इलेक्ट्रोन्स से हुआ है। इन दोनों के मध्य रिक्तता है किन्तु पदार्थ ठोस दिखाई देता है। इसी प्रकार से मानवता व्यक्तियों द्वारा निर्मित है फिर भी मानवीय सम्बन्धों में परस्पर अन्तर्सम्बन्ध है जो कि मानव-विश्व को जीवन्त रखता प्रदान करता है। सारा ब्रह्माण्ड भी इसी तरह हम से जुड़ा हुआ है, यह मानवीय ब्रह्माण्ड है। रवीन्द्र ने यह भी व्यक्त किया कि वे कला, साहित्य तथा मानव की धार्मिक चेतना के माध्यम से इस विचार का अनुसरण कर रहे थे। वे इसे सत्य तथा सुन्दर मानते थे।<sup>10</sup>

7 अगस्त 1940 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने शांति निकेतन में रवीन्द्र को डाक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया। लेटिन भाषा में उनकी प्रशस्ति पढ़ी गयी। रवीन्द्र ने इस प्रशस्ति का उत्तर संस्कृत में दिया। उनके लिए पढ़ी गयी प्रशस्ति में कहा गया कि रवीन्द्र का जीवन केवल साहित्य-साधना के एकाकी वातावरण का ही प्रतीक नहीं था। वे अक्सर अज्ञान पर जनता के मध्य उपस्थित हुए और मानवता के विरुद्ध किये गये कार्यों की भर्त्सना की। उन्होंने ब्रिटिश राज को भी आड़े हाथों लिया और ब्रिटिश प्रशासन के न्यायकर्तारों के बुरे कार्यों की आलोचना की। वे अपने देशवासियों की श्रुतियों के भी आलोचक रहे। वे जन सामान्य की स्वतन्त्रता के रक्षक रहे हैं। रवीन्द्र ने अपने संस्कृत भाषी उत्तर में व्यक्त किया कि ऐसे समय में जबकि विश्व में भयानक संघर्ष छिड़ा हुआ है और विज्ञान ने युद्ध की विभीषिका को तीव्र कर दिया है, विश्व-व्यापी सम्बन्धों की बात करना कवि की उड़ान जैसा लगता है। किन्तु समय की हिंसा भयावह होते हुए भी किसी दिन समाप्त होने वाली है और अन्त में मानव-सभ्यता का विकास पुनः लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होता दिखाई देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लेटिन तथा संस्कृत भाषा का यह संगम पूर्व तथा पश्चिम की एकता के सार्वभौमिक सत्य का साक्षी था।<sup>11</sup>

इस अवसर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सर मॉरिस स्वायर ने कहा कि रवीन्द्र मानवीय स्वतन्त्रता के प्रतीक हैं। वे फासीवाद तथा नात्सोवाद के गर्वाधिकारवादी तन्त्र के कटु आलोचक रहे हैं। मानवीय आत्मा की स्वतन्त्रता के वे समर्थक हैं।

सन्धे समय तक साहित्य-साधना एवं शिक्षण के अभिनव प्रयोगों द्वारा वे देश को मोया करते रहे। वे प्रकृति-चित्रण के महानतम साहित्यकार थे।<sup>12</sup> अनेक पारिवारिक विपत्तियों को सह्य भैरते हुए उनकी लेखनी सतत चलती रही।<sup>13</sup> 1941 में उनका स्वर्गवास हुआ। भारत को "जन-मण मन आधनायक जय है" का राष्ट्रगीत रवीन्द्र ने ही दिया है।

### रवीन्द्र के राजनीतिक विचार

रवीन्द्रनाथ ठाकुर के राजनीतिक विचार कुछ भीमा तक भारत के उपवासियों के साम्य रखते हैं। वे अत्याम एवं दमन के विरोधी थे। दासता तथा अमानवीयता उन्हें शोकार नहीं थी। स्वतन्त्रता एवं स्वच्छन्दता के उन्मुक्त वातावरण में यौना उनका सैन्य विदेशी शासन के कठोर नियंत्रण में मुक्त होने की प्रेरणा देता था। उन्हें पूर्णतया उपवासियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे यूरोपीय उदारवाद में अत्यधिक प्रभावित थे। किन्तु इतना सत्य है कि भारत के उदारवादी विचारकों के कार्यक्रम में उन्हें महत्वपूर्ण नहीं था। वे उदारवादियों की साधना एवं पाठिकाओं की नीति के विरोधी रहे। राजनीतिक विश्वासों को वे सुरक्षित रखते थे। उनका यह दृष्टिकोण था कि सर्वप्रथम

आन्दोलन चलाने मात्र से स्वशासन प्राप्त नहीं होगा। अधिकारो की मांग करने मात्र से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। हठधर्मी विदेशी शासन से स्वतन्त्रता की आशा करना व्यर्थ था। वे परोक्ष रूप से असहयोग एवं हड़ राजनीतिक कार्यक्रम के पक्षपाती थे। वे स्वदेशी तथा बहिष्कार की प्रतिमूर्ति थे। केवल राजनीतिक आन्दोलन तक ही वे अपने विचार सीमित नहीं करना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण व्यापक था और वे राजनीतिक कार्य के साथ ठोस रचनात्मक कार्य भी करना चाहते थे। उनके रचनात्मक कार्य का आधार समाज की विगलित मान्यताओं एवं रूढ़ियों को समाप्त कर देना था। हमारी सामाजिक व्यवस्था के वे अंश जो मानव-गरिमा के प्रतिकूल असंपृश्यता तथा ऊंचनीच का भेद-भाव दर्शाते थे उनसे वे जूझना चाहते थे। भारत के निवासियों में समान चेतना तथा आत्मविश्वास का जागरण करना उनका ध्येय था। इसकी प्राप्ति के लिए ही वे अधिक क्रियाशील रहे क्योंकि उनकी दृष्टि में हमारी आन्तरिक कमजोरियाँ ही हमारी दासता के लिए उत्तरदायी रही थी। उन कमजोरियों को दूर करके ही हम पुनः अपनी खोयी हुई स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते थे।<sup>14</sup>

रवीन्द्र राज्य के दमनकारी स्वरूप से घृणा करते थे। वे सीमित राज्य-व्यवस्था के पक्षपाती थे। सरकार का कार्य व्यक्तियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। वे नहीं चाहते थे कि सरकार 'माई-बाप' बन जाय। राज्य तथा समाज के अन्तर को स्पष्टतः आत्मसात् करके रवीन्द्र ने सामाजिक दायित्व को विस्तृत करने का सुभाव दिया। वे राज्य को समाज की तुलना में अधिक शक्तिसम्पन्न अथवा नियन्त्रणकारी नहीं बनने देना चाहते थे। व्यक्ति द्वारा अपने हितकारी एवं सुविधामूलक कार्यों को किया जाना चाहिए। व्यक्ति का कार्यक्षेत्र व्यापक होगा तभी राज्य पर व्यक्ति की निर्भरता कम होगी। समाज द्वारा स्वीकृत एवं प्रस्तुत क्षेत्राधिकार ही राज्य के लिए उपयुक्त था। वे इस प्रकार सीमित राज्य के समर्थक थे। समाज उनके राजनीतिक विचारों का मूलाधार था। इस सन्दर्भ में स्वयं रवीन्द्र ने बोलपुर में अपनी जमींदारी के क्षेत्र में स्वयंशासी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयोग किया था। वे ग्रामीण संगठनों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समस्त प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों की अनुपूर्ति चाहते थे। पंचायती राज-व्यवस्था का एक सुन्दर एवं सजीव प्रयोग उन्होंने किया था। वे आजकल की सामुदायिक विकास योजना तथा सहकारिता के पूर्वद्रष्टा माने जा सकते हैं।

वे भारत की प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं को प्रमाण मानते हुए यह सिद्ध करना चाहते थे कि शासक तथा शासित के सम्बन्धों में शासक समाज के नियमों के समक्ष अपने आप को आबद्ध एवं सीमित मानता था। समाज को व्यक्तियों के योगक्षेम का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। वे भारतीय समाज के इस पुरातन महत्त्व को पुनर्स्थापित करने के इच्छुक थे। उनकी स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणा भी इसी विचार पर आधारित थी। वे मानवीय आत्मा के परमात्मा में विलीनीकरण को ही सच्ची स्वतन्त्रता मानते थे।<sup>15</sup> व्यक्ति की यह स्वतन्त्रता समष्टिरूप में समाज के लिए भी आवश्यक थी। वे केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता के पक्षधर नहीं थे। वे मानवीय स्वतन्त्रता को अधिक महत्त्व देते थे। समाज के लिए चिन्तन, स्वतन्त्र क्रिया-कलाप एवं आत्म-विकास की स्वतन्त्रता चाहते थे; ऐसी स्वतन्त्रता जो समस्त कृत्रिम बन्धनों को समाप्त कर मानव की नैसर्गिक प्रतिभा को मुक्ति देने का भवसर प्रदान करे। वे राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता

कहा कि पदार्थ का निर्माण प्रोटोन्स तथा इलेक्ट्रॉन्स से हुआ है। इन दोनों के मध्य रिक्तता है किन्तु पदार्थ ठोस दिखाई देता है। इसी प्रकार से मानवता व्यक्तियों द्वारा निर्मित है फिर भी मानवीय सम्बन्धों में परस्पर अन्तर्सम्बन्ध है जो कि मानव-विश्व को जीवन्त रूढ़ता प्रदान करता है। सारा ब्रह्माण्ड भी इसी तरह हम से जुड़ा हुआ है, यह मानवीय ब्रह्माण्ड है। रवीन्द्र ने यह भी व्यक्त किया कि वे कला, साहित्य तथा मानव की धार्मिक चेतना के माध्यम से इस विचार का अनुसरण कर रहे थे। वे इसे सत्य तथा सुन्दर मानते थे।<sup>10</sup>

7 अगस्त 1940 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने शांति निकेतन में रवीन्द्र को डाक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया। लेटिन भाषा में उनकी प्रशस्ति पढ़ी गयी। रवीन्द्र ने इस प्रशस्ति का उत्तर संस्कृत में दिया। उनके लिए पढ़ी गयी प्रशस्ति में कहा गया कि रवीन्द्र का जीवन केवल साहित्य-साधना के एकाकी वातावरण का ही प्रतीक नहीं था। वे अक्सर आने पर जनता के मध्य उपस्थित हुए और मानवता के विरुद्ध किये गये कार्यों की भर्त्सना की। उन्होंने ब्रिटिश राज को भी आड़े हाथों लिया और ब्रिटिश प्रशासन के न्यायकर्त्ताओं के बुरे कार्यों की आलोचना की। वे अपने देशवासियों की त्रुटियों के भी आलोचक रहे। वे जन सामान्य की स्वतन्त्रता के रक्षक रहे हैं। रवीन्द्र ने अपने संस्कृत भाषी उत्तर में व्यक्त किया कि ऐसे समय में जबकि विश्व में भयानक संपर्प छिड़ा हुआ है और विज्ञान ने युद्ध की विभीषिका को तीव्र कर दिया है, विश्व-व्यापी सम्बन्धों की बात करना कवि की उड़ान जैसा लगता है। किन्तु समय की हिंसा भयावह होते हुए भी किसी दिन समाप्त होने वाली है और अन्त में मानव-सभ्यता का विकास पुनः लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होता दिखाई देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लेटिन तथा संस्कृत भाषा का यह संगम पूर्व तथा पश्चिम की एकता के सार्वभौमिक सत्य का साक्षी था।<sup>11</sup>

इस अवसर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सर मॉरिस स्वायर ने कहा कि रवीन्द्र मानवीय स्वतन्त्रता के प्रतीक हैं। वे फासीवाद तथा नात्सीवाद के सर्वाधिकारवादी तन्त्र के कटु आलोचक रहे हैं। मानवीय आत्मा की स्वतन्त्रता के वे समर्थक हैं।

लम्बे समय तक साहित्य-साधना एवं शिक्षण के अभिनव प्रयोगों द्वारा वे देश की सेवा करते रहे। वे प्रकृति-चित्रण के महानतम साहित्यकार थे।<sup>12</sup> अनेक पारिवारिक विपत्तियों को सहर्ष भेलते हुए उनकी लेखनी सतत चलती रही।<sup>13</sup> 1941 में उनका स्वर्गवास हुआ। भारत को "जन-गण मन आधनायक जय है" का राष्ट्रगीत रवीन्द्र ने ही दिया है।

### रवीन्द्र के राजनीतिक विचार

रवीन्द्रनाथ ठाकुर के राजनीतिक विचार कुछ सीमा तक भारत के उग्रवादियों से साम्य रखते हैं। वे अन्धाय एवं दमन के विरोधी थे। दासता तथा अमानवीयता उन्हें स्वीकार नहीं थी। स्वतन्त्रता एवं स्वच्छन्दता के उन्मुक्त वातावरण में बीता उनका जीवन विदेशी शासन के कठोर शिकंजे से मुक्त होने की प्रेरणा देता था। उन्हें पूर्णतया उग्रवादियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे यूरोपीय उदारवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। किन्तु इतना अवश्य है कि भारत के उदारवादी विचारकों के कार्यक्रम से उन्हें सहानुभूति नहीं थी। वे उदारवादियों की याचना एवं याचिकाओं की नीति के विरोधी रहे। राजनीतिक भिन्नावृत्ति को वे बुरा समझते थे। उनका यह दृष्टिकोण था कि संवैधानिक

आन्दोलन चलाने मात्र से स्वशासन प्राप्त नहीं होगा। अधिकारों की मांग करने मात्र से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। हठधर्मी विदेशी शासन से स्वतन्त्रता की आशा करना व्यर्थ था। वे परोक्ष रूप में असहयोग एवं दृढ़ राजनीतिक कार्यक्रम के पक्षपाती थे। वे स्वदेशी तथा बहिष्कार की प्रतिमूर्ति थे। केवल राजनीतिक आन्दोलन तक ही वे अपने विचार सीमित नहीं करना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण व्यापक था और वे राजनीतिक कार्य के साथ ठोस रचनात्मक कार्य भी करना चाहते थे। उनके रचनात्मक कार्य का आधार समाज की विगलित मान्यताओं एवं रूढ़ियों को समाप्त कर देना था। हमारी सामाजिक व्यवस्था के वे अंश जो मानव-गरिमा के प्रतिकूल असृश्यता तथा ऊचनीच का भेद-भाव दर्शाते थे उनसे वे जूझना चाहते थे। भारत के निवासियों में समान चेतना तथा आत्मविश्वास का जागरण करना उनका ध्येय था। इसकी प्राप्ति के लिए ही वे अधिक क्रियाशील रहे क्योंकि उनकी दृष्टि में हमारी आन्तरिक कमजोरियाँ ही हमारी दासता के लिए उत्तरदायी रही थी। उन कमजोरियों को दूर करके ही हम पुनः अपनी खोयी हुई स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते थे।<sup>14</sup>

रवीन्द्र राज्य के दमनकारी स्वरूप से घृणा करते थे। वे सीमित राज्य-व्यवस्था के पक्षपाती थे। सरकार का कार्य व्यक्तियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। वे नहीं चाहते थे कि सरकार 'माई-बाप' बन जाय। राज्य तथा समाज के अन्तर को स्पष्टतः आत्मसात् करके रवीन्द्र ने सामाजिक दायित्व को विस्तृत करने का सुझाव दिया। वे राज्य को समाज की तुलना में अधिक शक्तिसम्पन्न अथवा नियन्त्रणकारी नहीं बनने देना चाहते थे। व्यक्ति द्वारा अपने हितकारी एवं सुविधामूलक कार्यों को किया जाना चाहिए। व्यक्ति का कार्यक्षेत्र व्यापक होगा तभी राज्य पर व्यक्ति की निर्भरता कम होगी। समाज द्वारा स्वीकृत एवं प्रस्तुत क्षेत्राधिकार ही राज्य के लिए उपयुक्त था। वे इस प्रकार सीमित राज्य के समर्थक थे। समाज उनके राजनीतिक विचारों का मूलाधार था। इस सन्दर्भ में स्वयं रवीन्द्र ने बोलपुर में अपनी जमींदारी के क्षेत्र में स्वयंशासी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयोग किया था। वे ग्रामीण संगठनों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समस्त प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों की अनुपूर्ति चाहते थे। पंचायती राज-व्यवस्था का एक सुन्दर एवं सजीव प्रयोग उन्होंने किया था। वे आजकल की सामुदायिक विकास योजना तथा सहकारिता के पूर्वद्रष्टा माने जा सकते हैं।

वे भारत की प्राचीन राजनीतिक सत्ताओं को प्रमाण मानते हुए यह सिद्ध करना चाहते थे कि शासक तथा शासित के सम्बन्धों में शासक समाज के नियमों के समक्ष अपने आप को आबद्ध एवं सीमित मानता था। समाज को व्यक्तियों के योगक्षेम का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। वे भारतीय समाज के इस पुरातन महत्त्व को पुनर्स्थापित करने के इच्छुक थे। उनकी स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणा भी इसी विचार पर आधारित थी। वे मानवीय आत्मा के परमात्मा में विलीनीकरण को ही सच्ची स्वतन्त्रता मानते थे।<sup>15</sup> व्यक्ति की यह स्वतन्त्रता समष्टिरूप में समाज के लिए भी प्रावश्यक थी। वे केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता के पदाधार नहीं थे। वे मानवीय स्वतन्त्रता को अधिक महत्त्व देते थे। समाज के लिए चिन्तन, स्वतन्त्र त्रिया-व्यवस्था एवं भारत-विकास की स्वतन्त्रता चाहते थे; ऐसी स्वतन्त्रता जो समस्त कृत्रिम बन्धनों को समाप्त कर मानव की नैतिक प्रतिभा को मुक्ति देने का अवसर प्रदान करे। वे राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता

का दायरा सीमित मानते थे। मानव मानव के परस्पर मधुर सम्बन्धों की स्थापना अत्यन्त व्यापक विचार था। राजनीतिक स्वतन्त्रता की मांग राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की पृष्ठपोषक हो सकती थी किन्तु मानवीय स्वतन्त्रता को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के निमित्त न्योछावर नहीं किया जाना चाहिए था। जब तक मानव स्वतन्त्रता की आत्म-प्रेरित दिशा का स्वयं बोध न कर ले तब तक वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के महत्त्व को आत्मसात् नहीं कर सकता। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता मानव के विचारों को संकुचित करती है। वह राष्ट्र के नाम पर अन्य राष्ट्रीयताओं को हेय तथा महत्त्वहीन समझने तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को पैदा करने वाली हो सकती है। मानवीय स्वतन्त्रता का संदेश राष्ट्र को सीमाओं को समाप्त कर विश्व व्यापी मानव-बन्धुत्व एवं एकता का मार्ग है।

रवीन्द्र सकीर्ण राष्ट्रवाद के आलोचक थे। राष्ट्रवाद जनित-संकीर्णता मानव प्रकृति के स्वच्छन्द एवं आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा थी। वे राष्ट्रवाद को युद्धोन्मादवर्धक एवं समाजविरोधी मानते थे। राष्ट्रवाद के नाम पर राज्यशक्ति का अनियन्त्रित प्रयोग अनेक अपराधों का कारण था। व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देना उन्हें स्वीकार नहीं था। राष्ट्र के नाम पर मानव-संहार तथा मानवीय संगठनों का संचालन उनके लिए असह्य था। मानव की सहिष्णुता तथा उसमें नैतिकता जन्म परमार्थ की भावना राष्ट्र की स्वार्थ-परायणता की नीति के अन्तर्गत समाप्त प्रायः हो जायगी। ऐसे अप्राकृतिक एवं अमानवीय विचार पर राजनीतिक जीवन को आधारित करने का अर्थ सर्वनाश ही होगा। रवीन्द्र ने राष्ट्र की धारणा को विश्व-व्यापी स्तर पर अमान्य करने का आग्रह किया था। वे भारत में राष्ट्रवादी आन्दोलन के राजनीतिक स्वतन्त्रता-सम्बन्धी पक्ष के आलोचक थे क्योंकि उनका यह विश्वास था कि भारत इससे शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आर्थिक प्रगति में भारत चाहे पिछड़ा हुआ हो किन्तु मानवीय मूल्यों में पिछड़ापन उसमें नहीं होना चाहिए। निर्धन भारत भी विश्व का मार्गदर्शन कर मानवीय एकता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। भारत का अतीत इतिहास यह सिद्ध करता है कि भौतिक सम्पन्नता की चिन्ता न कर भारत ने आध्यात्मिक चेतना का सफलतापूर्वक प्रचार किया है। रवीन्द्र ने नव-युग की नवीन निर्माणक क्षमता को दृष्टि में रख कर राष्ट्रवाद का विरोध किया।

अपने राष्ट्र सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन करते हुए रवीन्द्र ने व्यक्त किया कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं के बराबर है। भारत में यूरोप सदृश राष्ट्रवाद नहीं पनप सकता। सामाजिक कार्यों में रुढ़िवादिता का पालन करने वाले यदि राष्ट्रवाद की बातें करते हों तो राष्ट्रवाद कहां से प्रसारित होगा। वे भारत के राष्ट्रवादी विचारकों के उम उदाहरण को जिसमें वे स्विट्जरलैंड को बहुभाषी एवं बहुजातीय होते हुए भी राष्ट्र का अनुकरणीय प्रतिरूप मानते थे और भारत को उसी के अनुरूप राष्ट्र मानते थे उचित नहीं ठहराया। रवीन्द्र का यह विचार था कि स्विट्जरलैंड तथा भारत में अनेक अन्तर एवं भिन्नताएँ हैं। वहाँ व्यक्तियों में जातीय भेद-भाव नहीं है और वे आपसी मेलजोल रखते हैं तथा अन्तर्विवाह करते हैं क्योंकि वे एक ही रक्त के हैं। भारत में जन्माधार समान नहीं है। जातीय विभिन्नता तथा पारस्परिक भेद-भाव के कारण भारत में एक

प्रकार की राजनीतिक एकता की स्थापना कठिन दिखाई देती है जैसी एक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। समाज द्वारा बहिष्कृत होने का भय भारतीय को डरपोक तथा कायर बना देता है। खान-पान की जहाँ स्वतन्त्रता न हो वहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ कुछ व्यक्तियों पर शासन ही कहा जायगा। निरंकुशता ही शासन का प्रकार बनेगी और राजनीतिक जीवन में विरोध अथवा मतभेद रखने वाले का जीवन दूभर ही जायगा। क्या ऐसी नाममात्र की स्वतन्त्रता के लिए हम अपनी नैतिक स्वतन्त्रता को तिलांजलि दे दें ?

रवीन्द्र ने 1917 में अपने लेख 'नेशनलिज्म इन दी वेस्ट' में यह प्रकट किया कि राष्ट्रवाद का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनात्मक आधार उत्पादन में वृद्धि तथा मानवीय श्रम की बचत कर अधिक सम्पन्नता प्राप्त करने का यान्त्रिक प्रयास है। राष्ट्रवाद की धारणा विज्ञापन तथा अन्य संगठनों का लाभ उठाकर राष्ट्र की समृद्धि एवं राजनीतिक शक्ति में अभिवृद्धि करने में प्रयुक्त हुई है। शक्ति की वृद्धि ने राष्ट्रों में पारस्परिक द्वेष, घृणा तथा भय का वातावरण उत्पन्न कर मानव जीवन को अस्थिर एवं असुरक्षित बना दिया है। शक्ति की यह लालसा जीवन के साथ खिलवाड़ है क्योंकि शक्ति का प्रयोग बाह्य सम्बन्धों के साथ-साथ राष्ट्र की आन्तरिक स्थिति को नियंत्रित करने में भी होता है। ऐसी परिस्थिति में समाज पर नियन्त्रण बढ़ना स्वाभाविक है। राष्ट्र समाज तथा व्यक्तिगत जीवन पर छा जाता है और एक भयावह नियन्त्रणकारी स्वरूप प्राप्त कर लेता है।<sup>16</sup> रवीन्द्र ने इसी आधार पर राष्ट्रवाद की आलोचना की है। वे राष्ट्र के विचार को जनता के स्वार्थ का ऐसा संगठित रूप मानते हैं जिसमें मानवीयता तथा आत्म तत्त्व लेश मात्र भी नहीं रहता। दुर्बल एवं असंगठित पड़ोसी राज्यों पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास राष्ट्रवाद का ही प्रतिफल है।<sup>17</sup> यह साम्राज्यवाद अन्ततः मानवता का संहारक बनता है। राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि अनियन्त्रित है। इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। किन्तु उसकी शक्ति में ही उनके विनाश के बीज उपलब्ध है। राष्ट्रों का पारस्परिक संघर्ष जब विश्व व्यापी युद्ध का रूप धारण कर लेता है तब उसकी संहारकता से सामने सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह निर्माण का मार्ग न होकर विनाश का मार्ग है।<sup>18</sup> मानव-प्रेम एवं एकता के स्थान पर मानव-जाति में वैमनस्य तथा स्वार्थ उत्पन्न करने की राष्ट्रवादी धारणा का विरोध रवीन्द्र का सदैव स्मरणीय योगदान है।

रवीन्द्रनाथ के विचारों में लोकतन्त्र की स्पष्ट भलक दिखाई देती है। वे लोक-तान्त्रिक सिद्धान्त के सर्वहितकारी पक्ष का जीवन भर अपनी लेखनी से निर्वाह करते रहे। वे सर्वजनमुखाय एवं सर्वजनहिताय राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक होते हुए भी समतावादी नहीं थे। मानव समुदाय में समानता न तो है और न लायी जा सकती है अतः वे समता के स्थान पर भवसर की समानता में अधिक विश्वास प्रकट करते थे। वे मानव प्रसमानता को नैतिक मानते थे। प्रकृति ने मानव में विभिन्न योग्यताओं तथा क्षमताओं का ऐसा प्राकृतिक भन्तर उत्पन्न किया है कि उसे शिक्षा द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। प्रसमानता के निवारण के स्थान पर व्यक्तियों में प्राप्त नैतिक प्रतिभा को उभारने तथा विकसित करने का उन्हें पूर्ण भवसर प्राप्त होने चाहिए।

रवीन्द्र प्राकृतिक अधिकारों समर्थक सिद्धान्त के अधिक निपट दिखाई देते हैं। वे

प्रत्येक देश के स्वतन्त्र बने रहने के प्राकृतिक अधिकार को मानते हैं। भारत द्वारा आत्म-निर्णय की क्षमता प्राप्त करना भी वे इसी सिद्धान्त के अनुसार उचित ठहराते हैं। वे सेवा-धर्म को ही स्वतन्त्रता मानते थे। कर्त्तव्य करने से ही अधिकारों की प्राप्ति होती है। यह ईश्वरीय विधान है कि हम देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आत्म-प्रेरणा हमें कर्त्तव्य के लिए बाध्य करती है। केवल अधिकारों की कामना मात्र से अथवा उनकी वैधिक प्राप्ति से राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती। प्रथम कर्त्तव्य है उनके पश्चात् अधिकार। यदि देश की सेवा का व्रत पूर्णतया निभाया जाय तो अधिकारों की प्राप्ति स्वतः अनुभव होने लगेगी। भारत की सेवा करने के पुनीत कर्त्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। देश निर्माण के कार्य में निरन्तर व्यस्त रहने की आवश्यकता है। इस कार्य को यदि ब्रिटिश हुकूमत रोकना चाहे तब भी नहीं रोक सकती। यदि हम सेवा करने के इस अधिकार का प्रयोग न करें तो दोष किसे देंगे। इस प्रकार से सेवा करने के प्राकृतिक अधिकार को ही रवीन्द्र ने विशेष महत्व दिया। उनका अधिकार विषयक दृष्टिकोण लोकतन्त्र सम्बन्धी व्याख्या के सन्दर्भ में अधिक सापेक्ष एवं सार्थक है। वे लोकतान्त्रिक पद्धति की थोड़ी समानता को स्वीकार न कर, मानव मानव में स्वार्थ, लालच तथा अहमन्यता को समाप्त करना चाहते हैं। लोकतान्त्रिक व्यवस्था का कतिपय हाथों में संकुचन तथा नेतृत्व द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि का प्रयोग उन्हें पसन्द नहीं था। वे चाहते थे कि जनता में सही चेतना जागृत हो और वह संगठित होकर अपनी शक्ति का स्वयं बोध कर सके। प्रेम तथा सेवा द्वारा ही मानव-समाज में शोषण समाप्त हो सकता है। वे ऐसा सामाजिक पुनर्निर्माण चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपनी क्षुद्र आकांक्षाओं को समाहित में नियन्त्रित कर सके। शक्ति का मनमाना प्रयोग जनहित के लिए घातक मानते हुए रवीन्द्र ने सच्चे लोकतान्त्रिक व्यक्ति के निर्माण पर बल दिया। उनकी यह धारणा विश्व-धर्मण के परश्चात् और भी बढ़ ही गयी। वे रूस तथा अमेरिका दोनों ही देशों की राजनीतिक स्थितियों को स्वयं देखकर आये थे। यही कारण था कि वे वर्ग-चेतना जागृत करने के स्थान पर मानव-कल्याण की विश्व-चेतना का विकास करना चाहते थे। वर्गभेद तथा वर्ग-संघर्ष द्वारा सामाजिक परिवर्तन अथवा विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता के लिए संघर्ष दोनों ही विकल्प उन्हें स्वीकार्य नहीं थे। वे सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए अलग ही मार्ग चुनना चाहते थे और वह था मानववादी व्यवस्था का मार्ग जिसमें निर्धन की स्थिति को सुधारने के लिए समृद्ध द्वारा सेवा अर्पित की जाय, जहाँ ग्रामीण अंचलों को विकसित करने के लिए स्वयं-सेवा की जाय। वे हिंसा द्वारा किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना को स्वीकार नहीं करते थे। उनके कवि हृदय में निर्धन एवं असहाय के लिए विशेष स्थान था और इसी कारण वे दरिद्रनारायण की सेवा को महत्वपूर्ण मानते थे।

रवीन्द्र ने भारत की विभिन्न धार्मिक इकाइयों में सामंजस्य एवं मेल-जोल बनाने का मार्ग-प्रशस्त किया। अल्प संख्यकों को देश की मुख्य धारा में एकीकृत करना चाहते थे। साम्प्रदायिकता के वे कट्टर विरोधी थे। बंगाल-विभाजन के समय मुसलमानों द्वारा हिंसात्मक कार्य किये जाने का उन्होंने प्रबल विरोध किया था। वे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की धार्मिक प्रवृत्ति के विरोधी नहीं थे। हिन्दू और मुसलमानों की धार्मिक पृथक्ता स्वयं स्पष्ट थी किन्तु उनकी यह धार्मिक प्रवृत्ति दोनों ही सम्प्रदायों में मनोमानिन्य उत्पन्न करने



के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरायी जा सकती थी। पारस्परिक वैमनस्य का कारण धर्म न होकर धर्म के साथ जोड़े गये अयुक्तसंगत सामाजिक रीति-रिवाज थे। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ धार्मिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आवश्यक था। रवीन्द्र चाहते थे कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनों मिलकर सद्भाव का वातावरण तैयार करें और भारत के निर्माण में अपना समान योगदान दें। वे भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भ्रष्टाचार प्रदान एवं समन्वय का ऐसा वातावरण चाहते थे जिससे जातीय एवं धार्मिक वैमनस्य कम हो सके तथा साम्प्रदायिकता का अन्त हो सके। मुसलमानों की पृथक्तावादी नीति इस कार्य में बाधक थी।

रवीन्द्र ने प्रारम्भ में (बंग-भंग के समय) असहयोग एवं बहिष्कार की नीति का समर्थन किया था। किन्तु गांधीजी के असहयोग एवं बहिष्कार-आन्दोलन के वे आलोचक बन गये। शिक्षण-संस्थाओं, न्यायालयों तथा विधानमण्डलों आदि का बहिष्कार जैसा कि गांधीजी चाहते थे रवीन्द्र को अरचनात्मक एवं नकारात्मक कार्यक्रम प्रतीत हुआ। उनमें गांधीजी की निष्ठा, सत्यप्रियता, सादगी तथा आध्यात्मिकता के प्रति गहरी आस्था थी किन्तु वे गांधीजी के असहयोग आन्दोलन को प्रलयंकर मानते थे। इतने व्यापक पैमाने पर असहयोग का कार्य ब्रिटिश शासन के साथ साथ हमारे अन्य देशों के प्रति दृष्टिकोण को भी असह्य एवं विरोधी बना सकता था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भाग प्रत्येक विदेशी वस्तु एवं विचार के बहिष्कार तक फैल सकती थी। ऐसी असहिष्णुता भारत के अन्य देशों के साथ सम्बन्धों तथा पूर्व-पश्चिम की संस्कृतियों के मिलन में बाधक बन सकती थी। रवीन्द्र ने जीवन पर्यन्त प्रयास कर शान्तिनिकेतन, श्री निकेतन तथा विश्व-भारती की स्थापना की थी। अब वे गांधीजी को सहयोग देकर अपने रचनात्मक कार्य में हटना नहीं चाहते थे। उन्हें गांधीजी के आर्थिक कार्यक्रम तथा उनकी चरखे की अर्थव्यवस्था के प्रति आस्था नहीं थी। वे स्वराज को घृणा द्वारा प्राप्त करने के इच्छुक नहीं थे। वे गांधीजी के आध्यात्मिक प्रयोगों एवं अहिंसा तथा सत्य के प्रति उनकी नैतिक निष्ठा को राजनीति के धिनोने वातावरण में प्रविष्ट होते देख उद्धेलित थे। गांधीजी जैसे व्यक्तित्व का सामाजिक सेवा में स्थान था, न कि राजनीति में। रवीन्द्र ने इसी कारण से गांधीजी के राजनीतिक कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया। रवीन्द्र की भावकता एवं कोमल कल्पना गांधीजी के राजनीतिक प्रयासों की वास्तविक गहराई तक नहीं पहुँच सकी। रवीन्द्र तथा गांधीजी में उतना ही वैचारिक भेद था जितना कि कल्पना तथा यथार्थ में हो सकता है। रवीन्द्र राजनीतिक यथार्थ से दूर कल्पनालोक में विचरण करने वाले मनस्वी थे। गांधीजी जन-आन्दोलन के अगुवा तथा भूखी और नंगी मानवता के उद्धारक थे। रवीन्द्र की संगीत-सहरी आत्मिक सुख की पूरक थी जबकि गांधीजी करोड़ों जन की उदरपूर्ति का मार्ग ढूँढ रहे थे।

रवीन्द्र ने गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन की पद्धति तथा उनके मध्य की आलोचना करते हुए यह ध्यस्त किया कि भारत की समस्याएं सामाजिक हैं, न कि राजनीतिक। सामाजिक समस्याओं का हल सामाजिक रीतियों में ही प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने प्रतीत में प्रजातीय समस्याओं का सुन्दर हल प्राप्त कर विन्व की विभिन्न संस्कृतियों में सुन्दर समन्वय स्थापित किया है। भारत का मार्ग सहयोग का रहा

है। असहयोग-आन्दोलन तिरस्कार तथा बहिष्कार पर आधारित होने के कारण मान्य नहीं हो सकता। रवीन्द्र ने इस सन्दर्भ में यह भी व्यक्त किया कि "स्वराज" हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा संघर्ष आध्यात्मिक संघर्ष है। यह मानव के लिए किया जाने वाला संघर्ष है। हमें मानव को मानवकृत जाल से, जो कि राष्ट्रीय स्वार्थ के रूप में विद्यमान है, मुक्त करना है। असहयोग-आन्दोलन अतार्किक धारणा के अन्धानुसरण पर आधारित है। यह भीड़ के मनोविज्ञान की आड़ में शोषण का मार्ग प्रशस्त करता है। "स्वराज" को केवल प्रचार के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। साम्प्रदायिक एकता की स्थापना का सुगम मार्ग प्रस्तुत करना भूलावा मात्र है। वे गांधीजी द्वारा पाश्चात्य शिक्षा की आलोचना को भी निरर्थक बतलाते थे।

रवीन्द्र की यह धारणा थी कि भारतीयों के अंग्रेजों के चरित्र में विश्वास के कारण ही उनमें भारत के प्रशासन में बराबर का हिस्सा मांगने का साहस जागृत हुआ है। उन्नीसवीं शताब्दी में जब कि इंग्लैंड का साम्राज्य अपनी चरम उन्नति पर था भारत को स्वशासन एवं स्वतन्त्रता का सन्देश प्राप्त हुआ। मत्सेनी, गैरीवाल्डी तथा ग्लैडस्टन भारतीयों की प्रेरणा का स्रोत बने। फ्रांस की राज-क्रांति के पश्चात् अमेरिका द्वारा नीग्रो लोगों को अधिकार दिये जाने का प्रयास एक नयी प्रेरणा का जनक था।<sup>19</sup> समय ने दस्ता खाया और बीसवीं शताब्दी में इंग्लैंड की स्थिति जर्जरित होने लगी। फिर भी यूरोप ने एशिया को नयी राह दिखाई, भ्रमरहित विवेक तथा व्यावहारिक कार्यों के लिए उसे प्रेरित किया। हमारा दृष्टिकोण अन्ध विश्वास से हटकर वैज्ञानिक सत्यता की ओर झुका। आत्म-विश्वास की भावना जागृत हुई। यदि इन पाश्चात्य प्रभावों में भारत प्रागे नहीं बढ़ा होता तो आज भारत की स्थिति उतनी ही दयनीय होती जैसी अंग्रेजों के आगमन के पहले विदेशी शासकों के अन्तर्गत रही। यह अंग्रेजी शासन का ही परिणाम था कि हम शासन कार्य में बराबर का हिस्सा मांगने लगे। यदि किसी अन्य शासन की बात होती तो इस तरह की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। भारत के पूर्व शासकों ने जो कुछ जनहित में किया वह जनता पर दया तथा अनुग्रह दिखाने के लिए किया था। उनमें कुछ मांगने का दुःसाहस कौन कर सकता था किन्तु अंग्रेजों ने हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि हम सामान्य आचार-शास्त्र की दलील देकर उनसे अधिकारों की मांग करने लगे।<sup>20</sup> रवीन्द्र के विचारों का यह पक्ष इस बात की ओर इंगित करता है कि वे भारत में अंग्रेजी शासन तथा पाश्चात्य प्रभाव के रचनात्मक पक्ष के प्रशंसक थे। यद्यपि उनके विचार उदारवादियों जैसे नहीं रहे और न वे प्रार्थना एवं याचिकाओं की नीति के पक्षपाती थे फिर भी उनके हृदय में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरी श्रद्धा थी। भारत में नव जागृति तथा अधविश्वास एवं रुढ़िवादिता को दूर करने में अंग्रेजी शासन के योगदान का सही मूल्यांकन उन्होंने किया। उनकी देशभक्ति इस सत्य की स्वीकारोक्ति में बाधक नहीं थी।

एशिया में नव-जागरण का रवीन्द्र ने स्वागत किया। उन्हें जापान के उद्भव में प्रमत्तता हुई थी। तब तक जापान द्वितीय विश्वयुद्ध में मर्मित नहीं हुआ था। जापान का उदाहरण उन्हें इसलिए भी रचिकर लगता था कि जापानियों ने पश्चिम के साथ संपर्क तथा सामंजस्य दोनों ही स्थितियाँ देखी थी। जापान ने यह दर्शाया कि वह अपने पुर्ण मान्यताओं को गमाए बिना वर्तमान में जीना जानता है। 1933 में रवीन्द्र ने अनुभव

किया कि भारत भी जापान की तरह आत्मनिर्णय की प्रतीक्षा करता रहा तथा प्रगति के लिए उत्कण्ठा लिये रहा किन्तु भारत की अंग्रेजी सत्ता ने मार्ग अवरोध कर दिया। भारत प्रगति चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सका। लम्बे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी लक्ष्य उतना ही दूर प्रतीत होता है। भारत में अंग्रेजी शासन केवल कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए चिन्तित है। नियमों तथा आदेशों के माध्यम से सामयिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये कार्य देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक नहीं है। जनता के जीविकोपार्जन के मार्ग सीमित है। भारत की सम्पदा को कानून और व्यवस्था रखने वाली मान्त्रिक प्रणाली निगल रही है। भारत के यूरोप के साथ सम्बन्ध आज भारत का शोषण कर रहे हैं। नवीन युग की चक्रावृत्ति वाली रश्मियों में भारत एक काला धन्वा बना हुआ है।<sup>21</sup>

1941 में रवीन्द्र ने अपनी मृत्यु के तीन मास पूर्व यह व्यक्त किया कि भारत पर विदेशी शासन दुर्भाग्यपूर्ण है। दैनिक जीवन की सुविधाओं में ही नहीं अपितु भारत में भेद-भाव की नीति द्वारा भी वारवार इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का बोध होता है। इससे भी दयनीय बात यह है कि इस सब का दोष हमारे मनाज पर ही मड़ा जाता है। भारत में पृथक्तावादी तत्वों को गुप्त रूप से उभारा जाता है।<sup>22</sup> रवीन्द्र का इंगित अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को पृथक्त्व के लिए प्रेरित करने वाले प्रचार की घोर था।

रवीन्द्र भारतीयों को बौद्धिक क्षमता में किसी अन्य की तुलना में पिछड़ा हुआ नहीं मानते थे। भारतीय जापानियों से किसी भी तरह कम नहीं। अन्तर यह है कि भारतीय अंग्रेजों के अधिपत्य में हैं जबकि जापान के निवासी स्वतन्त्र हैं। ब्रिटेन के प्रशासन के अन्तर्गत ब्रिटिश सभ्यता का मानव-गरिमा का आदर्श भारत में नहीं है। अंग्रेजों ने भारत में पुलिस राज्य की स्थापना कर रखी है। अंग्रेजी सभ्यता का यह भारतीय रूप स्वीकार योग्य नहीं हो सकता। सभ्यता का आदर्श व्यक्तियों में एकता की स्थापना करने का तथा शान्ति एवं सद्भाव बनाने का रहा है जबकि भारत में इसके विपरीत स्थिति है। भारत के सामाजिक ढाँचे को इस प्रकार में तोड़-मरोड़ दिया गया है कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाली हुकूमत के संरक्षण में गुंडागर्दी तथा तोड़-फोड़ की घटनाएं हो रही है। जब तक स्वयं शासकों का जीवन अतरे में न पड़े प्रशासन इस घोर में निश्चिन्त हुआ बैठा है। रवीन्द्र फिर भी उन महान् अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे जिनकी आत्मा उर्ध्व थी तथा जो चारित्रिक दृष्टि से प्रशंसा के योग्य थे। उन्हीं पर रवीन्द्र को भारत की नैया की रक्षा का भरोसा था। रवीन्द्र का यह अन्तिम विश्वास था कि भाग्यचक्र परिवर्तित होकर रहेगा और एक दिन अंग्रेज भारत के साम्राज्य को त्यागने के लिए विवश कर दिये जायेंगे।<sup>23</sup>

### रवीन्द्र के सामाजिक विचार

रवीन्द्र के सामाजिक विचारों पर धामीए परिवेष की स्पष्ट छाप है। धामीए क्षेत्र की समस्याओं में उनका साक्षात्कार एक जमींदार के रूप में हुआ था। उनकी महद्दयता ने उन्हें अपने ही किसानों के जीवन को सुधारने और सुखमय बनाने का धक्कर देकर एक नया प्रयोग देश के सामने प्रस्तुत किया।<sup>24</sup> उनकी दयनीय दृष्टि में वे द्रवित हुए और उनका मार्गदर्शन किया। वे इन भूमिहीन मेजोहर धर्मियों की शक्ति को जानने

थे। यद्यपि उनके द्वारा इन श्रमिकों को संगठित करने तथा उन्हें अपने वर्ग के प्रति चेतन्य कर संगठित प्रयासों से अपनी स्थिति को सुधारने का कार्य नहीं किया गया। वे इसके विपरीत जमींदारों के हृदय-परिवर्तन का कार्य कर रहे थे ताकि जमींदारों की जमीनें सुरक्षित रहें तथा श्रमिकों को भी दो जून रोटी मिल जाय। इस कार्य को सहकारिता के माध्यम से पूरा करने का उनका आह्वान अवश्य महत्वपूर्ण था। वे सहकारिता को कृषि-क्षेत्र में प्रयुक्त करना चाहते थे। सहकारिता का आधुनिक कार्यक्रम आर्थिक है जबकि रवीन्द्र का मन्तव्य मुख्यतः नैतिक पक्ष से रहा है। वे सहकारिता द्वारा व्यक्तियों में आत्म-विश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना का संचार कर रहे थे। सहकारिता के आर्थिक पक्ष को वे इस नैतिक दायित्व का अनुगामी मानते थे। केवल आर्थिक दृष्टिकोण नैतिक मूल्यों को तिरोहित कर सकता था।

ग्रामीण भारत की समस्याओं में एक समस्या जो कि प्रारम्भ से आज तक विद्यमान रही है वह है ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन। रवीन्द्र ने इस समस्या पर समुचित चिन्तन कर यह सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाय तथा जीवन को अधिक सुखमय बनाने का प्रयास किया जाय ताकि एक ओर गाँवों से शहर की ओर जाने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाय तथा दूसरी ओर शहरों से गाँवों की ओर जाने तथा बसने वालों की सख्या में वृद्धि हो। रवीन्द्र ने अपने-जीवन का अधिकांश समय शहर के कोलाहल से दूर ग्रामीण क्षेत्र में ही बिताया था। उनकी साहित्य साधना तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयोग भी ग्रामीण वातावरण में ही हुए थे। यहाँ तक कि उनकी साहित्यिक कृतियाँ भी प्रकृति के सुरम्य उपवन में प्रस्फुटित हुईं। यदि रवीन्द्र के जीवन से प्रकृति को पृथक् कर दिया जाय तो उनका साहित्यिक योगदान नगण्य रह जायगा। इसी प्रकृति के साथ साक्षात्कार के लिए वे प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों को जाशुत करना चाहते थे। आज की कठिन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का मूल शहरीकरण की प्रवृत्ति एवं महानगरों की छिछली संस्कृति है। रवीन्द्र ने बहुत पहले इस ओर ध्यान केन्द्रित कर हमें नया मार्ग दिखाया किन्तु पाश्चात्य सभ्यता के अन्धानुसरण में रवीन्द्र के प्रयोगों को विस्मृत सा कर दिया गया। कृत्रिमता जीवन का अंग बन गयी। शायद अमेरिका के महानगरों की असुरक्षित जनता का छोटे कस्बों की ओर अभिमुख होना भारतीयों को पुनः रवीन्द्र से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए विवश करदे।

रवीन्द्र समाज तथा व्यक्ति में तादात्म्य चाहते थे किन्तु उनका व्यक्ति समाज द्वारा आवृत्त नहीं था। वे समाज द्वारा व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा तथा आकांक्षाओं का कुञ्जित होना पमानन्द नहीं करते थे। वे अमानवीय सामाजिक मान्यताओं एवं बन्धनों को दूर करने में विश्वास करते थे। यही कारण है कि रवीन्द्र राजनीति से प्रायः दूर रहने का प्रयास करते रहे। उन्हें राजनीति से विशेष लगाव इसलिए भी नहीं था कि शक्ति प्राप्त करने की लालसा तथा जनता पर नेतृत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा उनमें कभी नहीं रही। वे गौम्यता, मादगी एवं माहित्य-सेवा में अपना जीवन गुजारना चाहते थे। उनकी दृष्टि में आर्थिक विपन्नता ही सामाजिक बुराइयों की जड़ थी। विशेषतौर से गाँवों के मन्दमं में वे निर्धनता के बुरे प्रभावों का मनीचीन अनुभव प्राप्त कर चुके थे। उनकी यह अनुभूति ही उनकी साहित्यिक रचना का भी स्रोत थी ग्रामीण समाज के पुनर्निर्माण का मार्ग दिखाती

है। गांवों में शिक्षा के समुचित प्रवन्ध द्वारा अन्धविश्वास एवं पिछड़पन को दूर किया जा सकता था। कुटीर-उद्योगों को पुनर्जीवित कर गांवों को आर्थिक दृष्टि से साधन-सम्पन्न तथा आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक था। इस कार्य के लिए रवीन्द्र ने श्रीनिकेतन की स्थापना की जिसका उद्देश्य ग्राम-पुनर्निर्माण का समुचित ज्ञान प्राप्त करना था। जब तक स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों की जनता अपने बारे में सोचने और कार्य करने के लिए जागृत न हो, बाह्य सहायता से उन्नति सम्भव नहीं। वे इस कार्य के लिए समय-समय पर भेलों तथा यात्राओं का आयोजन उचित समझते थे ताकि एक क्षेत्र के ग्रामीण दूसरे क्षेत्र के ग्रामीणों के सम्पर्क में आयें और एक दूसरे के अनुभव से लाभान्वित हों। किन्तु यह कार्य राजनीतिक प्रभाव से दूर रह कर ही किया जाना था।

रवीन्द्र उन सामाजिक बुराइयों का अन्त करना चाहते थे जिनसे भारतीय समाज की प्रगति अवरूद्ध हो रही थी। वे अस्पृश्यता, जाति-प्रथा एवं स्त्रियों की दुर्दशा से चिन्तित थे। ब्रह्म-समाज के प्रभाव में रवीन्द्र ने जाति-प्रथा का विरोध करते हुए इसे भारत की एकता का प्रबल शत्रु बताया। जाति-प्रथा के प्रतिकार से अस्पृश्यता की समस्या भी सहज रूप में हल की जा सकती थी। वे इसके उन्मूलन के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए उनके द्वारा शिक्षा के प्रचार पर बल दिया गया। शिक्षण-संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने यथाशक्य यह कार्य सम्पादित किया। वे स्त्रियों में जागृति तथा आत्मविश्वास का प्रसार निश्चिततः करना चाहते थे। किन्तु इससे उनका उद्देश्य स्त्रियों को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर भागे बढ़ाने का था न कि उनमें पारस्परिक प्रतियोगिता उत्पन्न करने का। स्त्रियों को वे कार्य करने हैं जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। स्त्रियों की महानता उनकी मृदुलता, वात्सल्य आदि स्त्रियोचित गुणों में हैं जिन्हें प्रकृति ने पुरुषों को प्रदान नहीं किया। पुरुषोचित कार्यों को करने की होड़ में स्त्रियां अपने स्वभाव के विपरीत दिशा में ही जा सकती हैं। यह स्थिति न केवल स्त्री समाज के लिए अपितु समस्त मानव-समाज के लिए समस्यामूलक बन सकती है। स्त्रियों का पुरुषों के समान आदर एवं सम्मान वे स्वीकार करते हैं।

रवीन्द्र ने समाज को राज्य का आधार माना है। उनके विचारों में ग्रामीण-समाज तथा विश्व-समाज का अन्तर अधिक स्पष्ट नहीं हो पाया। वे व्यक्ति का समष्टिकृत रूप स्वीकार नहीं करते। उनका सामाजिक व्यक्ति न तो जनता के दायरे में आता है और न वर्ग की संज्ञा के अन्तर्गत। वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता के प्रचारक हैं। सामाजिक पुनर्निर्माण को वे सुधारवादी दृष्टि से नहीं समझते। वे विकासवादी हैं, न कि सुधारवादी।<sup>25</sup>

रवीन्द्र समाज को राज्य से अधिक प्रमुखता देते थे और मानवीय विकास में समाज को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी यह धारणा राष्ट्रवाद की धारणा में सहायक थी। वे फासीवादियों को राष्ट्रवाद के पागलपन का प्रतीक मानते थे। फासीवाद के प्रवर्तन के पहले राष्ट्रवाद अधिक विस्तारवाद तथा उपनिवेशवाद में जुड़ा हुआ था। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के कारण राष्ट्रवाद को सामंतीय शक्ति सर्वत्र प्राप्त हो गयी। मुसोलिनी ने कहा कि 'राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं करता अपितु राज्य द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है।' राष्ट्रवाद की अवधारणा, जोकि उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध तथा बीसवीं शती में राजनीति की महयोगी अवधारणा बन गयी थी, अपने मूल

रूप से सांस्कृतिक थी। पाश्चात्य देश इससे पूर्व अधिक विश्वव्यापी दृष्टिकोण से मुक्त थे और इस कारण वहाँ राष्ट्रवाद सुप्तप्रायः रहा। किन्तु क्षेत्रीयता के प्रचार ने धीरे-धीरे स्थिति परिवर्तित कर दी। मशीनीकरण ने एक नया वातावरण तैयार किया। परम्परागत मूल्यों को समाप्त किया जाने लगा तथा मानव-समुदाय की एकता के सूत्र बिखरने लगे। राष्ट्रीय भाषाओं तथा राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ और पुनर्नवीनीकरण होने लगा। राष्ट्रवाद समाज की आंशिक एकता का प्रतीक बन उसके व्यक्तित्व को दमनकारी तत्वों से बचाने का साधन बन गया। जैसे-जैसे शासकीय वर्ग ने राष्ट्रवाद के महा-पुजारी बनने का कार्य प्रारम्भ किया वैसे-वैसे राष्ट्रवाद की धारणा शक्ति के यान्त्रिक संगठन में परिवर्तित एवं दृढ़ होती गयी। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय-राज्य का उत्थायक एवं उपनिवेशों के वाणिज्यीय शोषण का प्रतीक बन गया।

रवीन्द्र ने राष्ट्रवाद के इसी अन्तिम पक्ष की आलोचना की है जिसमें नृशंक्ता, रूढ़ता तथा पृथक्ता दिखाई देती है। वे राष्ट्रवाद को शक्ति का संगठित समष्टिगत रूप मानते हुए राज्य के शोषणकारी पक्ष को दर्शाते हैं। उनके अनुसार पश्चिम ने वाणिज्य तथा राजनीति की राष्ट्रीय मशीन द्वारा मानवता की साफ-सुथरी दबाई हुई गठि तैयार की हैं। वे भारत को पश्चिम के राष्ट्रवाद से दूर रहने की प्रेरणा देते थे। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यह आवश्यक था कि भारत इस पाश्चात्य राष्ट्रवादी विप से दूर रहे। उनका कहना था कि पाश्चात्य राष्ट्र ऐसा बाँध है जो पाश्चात्य सभ्यता को राष्ट्ररहित देशों की ओर प्रवाहित होने से रोकता है। वे भारत को राष्ट्र-रहित देश मानते थे क्योंकि भारत विभिन्न प्रजातियों का देश था और भारत को इन प्रजातियों में समन्वय बनाये रखना था। यूरोप के देशों के सामने प्रजातियों का समन्वय कोई समस्या नहीं थी, अतः वे राष्ट्रवाद रूपी मंदिर का सेवन कर स्वयं की आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक एकता को उत्तम उत्पन्न कर रहे थे। अब पाश्चात्य राष्ट्र या तो विदेशियों के लिए द्वार बन्द कर दें या फिर उन्हें दास बना दें। यही उनकी प्रजातीय समस्या का समाधान है।

राष्ट्रवाद की आलोचना के तीन प्रमुख आधार जो कि रवीन्द्र ने प्रस्तुत किये वे थे (1) राष्ट्रीय राज्य की आक्रामक नीति, (2) प्रतियोगी वाणिज्यवाद की विचारधारा तथा (3) प्रजातिवाद। धर्मरता के प्रबल विरोधी रवीन्द्र ने चीन, अवीसीनिया तथा गण-वादी स्पेन की स्वतन्त्रता के लिए आवाज बुलन्द की। वे अन्तर्राष्ट्रवादी होते हुए भी देश की संस्कृति से जुड़े हुए थे। वे फार्मीवादियों के राष्ट्रवाद की आलोचना करते थे किन्तु स्वयं भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मनाहर प्रतिनिधि थे।

फार्मीवाद तथा साम्यवाद की तुलना प्रस्तुत करते हुए उन्होंने फार्मीवाद को प्रत्यक्ष निरंकुशवाद की सजा दी। अपने सौधियत रूस के अनुभवों को अभिव्यक्त करते हुए वे अनुभव कर रहे थे कि स्टालिनवादी रूस में व्यक्ति को समष्टिवाद ने आच्छादित कर दिया था। वे वैचारिक नियन्त्रण को अच्छा नहीं मानते थे। किन्तु उन्हें इस बात से मन्मुग्ध थी कि रूस में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण होते हुए भी शिक्षा तथा सभ्यता के क्षेत्र में विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध थे। वे फार्मीवादियों की स्थिति को सर्वोपरि हेतु मानते थे क्योंकि उस व्यवस्था में हर प्रकार का नियन्त्रण था। वे रूस के उपभोगपरक उत्पादन श्रम की प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उसमें मालिक तथा संगठन का स्थान नहीं था। उन्हें यह

व्यवस्था भारतीय उपनिषदों की 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा.' के समान लगती थी ।

रवीन्द्र ने सोवियत रूस के धर्म-विरोधी प्रचार तथा कार्य की भी सराहना की । वे धर्म को 'विषकन्या' की तरह मानते थे । उनका कहना था कि सोवियत रूस के नेतृत्व ने देश को जारशाही के अपमान तथा स्वयं आरोपित तिरस्कार से बचाया था । धार्मिक दृष्टिकोण से रूस की आलोचना करने वालों को रवीन्द्र का कहना था कि वे रूस की धर्म सम्बन्धी नीति का समर्थन करते हैं क्योंकि मस्तिष्क को अन्धकार में रखने वाली तथा आत्मा को अग्नेरी गुफा में बन्द करने वाली धर्मान्धता से तो नास्तिकता कहीं अच्छी है । रवीन्द्र धर्म को लौकिक तथा कर्मकाण्डीय अर्थ में स्वीकार नहीं करते थे । उनका धर्म आध्यात्मिकता के उच्च धरातल पर अवस्थित था । वह आत्म-निग्रह तथा मोक्ष की ध्यानातीत अवस्था से सम्बन्धित था न कि दिन प्रतिदिन के धार्मिक संस्थाओं के आडम्बर तथा ढोंग से । किन्तु रूस में एक बात रवीन्द्र को रुचिकर नहीं लगी और वह थी व्यक्तिगत सम्पत्ति का समाजीकरण । रवीन्द्र सम्पत्ति को मानव व्यक्तित्व की सही अभिव्यक्ति का साधन मानते थे । सम्पत्ति का समष्टिकरण उन्हें मानवीय प्रकृति के नियमों की अवहेलना तथा अभिव्यक्ति को क्रूरतापूर्वक दबाने जैसा लगा । उन्हें इस बात का दुःख था कि रूस सहित सभी पाश्चात्य देशों में सामाजिक परिवर्तन के लिए शक्ति की विशेष महत्व दिया जाता था । बल-प्रयोग के स्थान पर सत्य की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए था । वे प्राचीन भारतीय आदर्शों को जिसमें अहम् तथा नोऽहम् दोनों के सामंजस्य की स्थिति स्वीकार की गई थी, उचित मानते थे । रवीन्द्र ने जहाँ रूस की इतनी प्रशंसा की वहाँ रूस की बोल्शेविक क्रान्ति को 'अप्राकृतिक क्रान्ति' भी बतलाया । व्यक्ति तथा समष्टि के मध्य द्वन्द्व ने रूस की क्रान्ति को जन्म दिया था । जारशाही के अमानवीय शासन से बचने के लिए क्रान्तिकारियों ने बलप्रयोग द्वारा सत्ता हाथ में ली किन्तु वे क्रान्ति के परिणामों को शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास में अपनी जनता पर बलप्रयोग करने लगे यह उचित नहीं था । फिर भी रवीन्द्र ने रूस की सहकारी कृषि की प्रशंसा की । वे स्वयं सहकारिता के प्रशंसक थे । अतः रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता का सफल प्रयोग देख कर वे हर्षित हुए । वे भारत में भी भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सहकारी खेती को प्रोत्साहित करने के पक्ष में थे ताकि भूमि न तो व्यक्तिगत स्वामित्व में रहे और न सामूहिक खेती का अभिशाप सहन करना पड़े । रवीन्द्र का यह विचार नृत्तिपूर्ण था क्योंकि रूस ने सामूहिक खेती तथा भूमि का पूर्ण समाजीकरण कर लिया था । सहकारिता का जो मधुर स्वप्न रवीन्द्र रूस में देख रहे थे वैसे वहाँ कुछ भी नहीं था । समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मूल्यों तथा आदर्शों का महत्व नहीं रहता । रवीन्द्र रूस की प्रशंसा तथा आलोचना के मिले-जुले स्वर में वास्तविकता से दूर जाते दिखाई देने हैं । एक ओर उनके संस्कारों की कुलीनता सर्वहारा के शासनतन्त्र को स्वीकार करने में संकोच करती है तो दूसरी ओर उनकी मानववादी भावनाएं हिंसा के प्रयोग पर आघारित समाजीकरण की अमानवीय प्रवृत्ति का प्रचंड विरोध करती हैं । रवीन्द्र के विचारों में न फार्मावाद के लिए प्रशंसा है और न रूस के समाजवादी समाज के प्रति मोह । उनका राजनीतिक चिन्तन राजनीतिक आदर्शवाद एवं अतिमानववाद पर आधारित है ।

रूप से सांस्कृतिक थी। पाश्चात्य देश इससे पूर्व अधिक विश्वव्यापी दृष्टिकोण से युक्त थे और इस कारण वहाँ राष्ट्रवाद सुप्तप्रायः रहा। किन्तु क्षेत्रीयता के प्रचार ने धीरे-धीरे स्थिति परिवर्तित कर दी। मशीनीकरण ने एक नया वातावरण तैयार किया। परम्परागत मूल्यों को समाप्त किया जाने लगा तथा मानव-समुदाय की एकता के सूत्र बिखरने लगे। राष्ट्रीय भाषाओं तथा राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ और पुनर्नवीनीकरण होने लगा। राष्ट्रवाद समाज की आशिक एकता का प्रतीक बन उसके व्यक्तित्व को दमनकारी तत्वों से बचाने का साधन बन गया। जैसे-जैसे शासकीय वर्ग ने राष्ट्रवाद के महा-पुजारी बनने का कार्य प्रारम्भ किया वैसे-वैसे राष्ट्रवाद की धारणा शक्ति के यान्त्रिक संगठन में परिवर्तित एवं बढ़ती गयी। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय-राज्य का उद्घायक एवं उपनिवेशों के वाणिज्यिक शोषण का प्रतीक बन गया।

रवीन्द्र ने राष्ट्रवाद के इसी अन्तिम पक्ष की आलोचना की है जिसमें नृशंखता, रूढ़ता तथा पृथक्ता दिखाई देती है। वे राष्ट्रवाद को शक्ति का संगठित समष्टिगत रूप मानते हुए राज्य के शोषणकारी पक्ष को दर्शाते हैं। उनके अनुसार पश्चिम ने वाणिज्य तथा राजनीति की राष्ट्रीय मशीन द्वारा मानवता की साफ-सुथरी दबाई हुई गाँठें तैयार की हैं। वे भारत को पश्चिम के राष्ट्रवाद से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यह आवश्यक था कि भारत इस पाश्चात्य राष्ट्रवादों विप से दूर रहे। उनका कहना था कि पाश्चात्य राष्ट्र ऐसा वाँध है जो पाश्चात्य सभ्यता को राष्ट्ररहित देशों की ओर प्रवाहित होने से रोकता है। वे भारत को राष्ट्र-रहित देश मानते थे क्योंकि भारत विभिन्न प्रजातियों का देश था और भारत को इन प्रजातियों में समन्वय बनाये रखना था। यूरोप के देशों के सामने प्रजातियों का समन्वय कोई समस्या नहीं थी, अतः वे राष्ट्रवाद रूपी मदिरा का सेवन कर स्वयं की आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक एकता को खतरा उत्पन्न कर रहे थे। अथ पाश्चात्य राष्ट्र या तो विदेशियों के लिए द्वार बन्द कर दें या फिर उन्हें दास बना दें। यही उनकी प्रजातीय समस्या का समाधान है।

राष्ट्रवाद की आलोचना के तीन प्रमुख आधार जो कि रवीन्द्र ने प्रस्तुत किये वे थे (1) राष्ट्रीय राज्य की आक्रामक नीति, (2) प्रतियोगी वाणिज्यवाद की विचारधारा तथा (3) प्रजातिवाद। अर्थरता के प्रबल विरोधी रवीन्द्र ने चीन, अवीसीनिया तथा गण-वादी स्पेन की स्वतन्त्रता के लिए आवाज बुलन्द की। वे अन्तर्राष्ट्रवादी होते हुए भी देश की संस्कृति से जुड़े हुए थे। वे फार्मीवादियों के राष्ट्रवाद की आलोचना करते थे किन्तु स्वयं भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मनोहर प्रतिनिधी थे।

फार्मीवाद तथा साम्यवाद की तुलना प्रस्तुत करते हुए उन्होंने फार्मीवाद को अमर निरंकुशवाद की सजा दी। अपने सोवियत रूस के अनुभवों को अभिव्यक्त करते हुए वे अनुभव कर रहे थे कि स्टालिनवादी रूस में व्यक्ति की समष्टिवाद ने आच्छादित कर दिया था। वे वैचारिक नियन्त्रण को अच्छा नहीं मानते थे। किन्तु उन्हें इस बात से मनुष्यत्व की कि रूस में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण होते हुए भी शिक्षा तथा सभ्यता के क्षेत्र में विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध थे। वे फार्मीवादियों की स्थिति की सर्वाधिक हृद्य मानते थे क्योंकि उस व्यवस्था में हर प्रकार का नियन्त्रण था। वे रूस के उपभोगपरक उत्पादन तंत्र की प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उसमें गलत तथा अर्थर या अर्थर नहीं था। उन्हें अर्थ



व्यवस्था भारतीय उपनिषदों की 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा.' के समान लगती थी।

रवीन्द्र ने सोवियत रूस के धर्म-विरोधी प्रचार तथा कार्य की भी सराहना की। वे धर्म को 'विषकन्या' की तरह मानते थे। उनका कहना था कि सोवियत रूस के नेतृत्व ने देश का जारशाही के अपमान तथा स्वयं आरोग्यित तिरस्कार से बचाया था। धार्मिक दृष्टिकोण से रूस की आलोचना करने वालों को रवीन्द्र का कहना था कि वे रूस की धर्म सम्बन्धी नीति का समर्थन करते हैं क्योंकि मस्तिष्क को अन्धकार में रखने वाली तथा आत्मा को अन्पेरी गुफा में बन्द करने वाली धर्मान्धता से तो नास्तिकता कहीं अच्छी है। रवीन्द्र धर्म को लौकिक तथा कर्मकांडीय अर्थ में स्वीकार नहीं करते थे। उनका धर्म प्राध्यात्मिकता के उच्च धरातल पर अवस्थित था। वह आत्म-निग्रह तथा मोक्ष की ध्यानातीत अवस्था से सम्बन्धित था न कि दिन प्रतिदिन के धार्मिक संस्थाओं के आडम्बर तथा ढोंग से। किन्तु रूस में एक बात रवीन्द्र को रुचिकर नहीं लगी और वह थी व्यक्तिगत सम्पत्ति का समाजीकरण। रवीन्द्र सम्पत्ति को मानव व्यक्तित्व की सही अभिव्यक्ति का साधन मानते थे। सम्पत्ति का समष्टिकरण उन्हें मानवीय प्रकृति के नियमों की अवहेलना तथा अभिव्यक्ति को क्रूरतापूर्वक दबाने जैसा लगा। उन्हें इस बात का दुःख था कि रूस महित सभी पाश्चात्य देशों में सामाजिक परिवर्तन के लिए शक्ति की विशेष महत्व दिया जाता था। बल-प्रयोग के स्थान पर सत्य की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए था। वे प्राचीन भारतीय आदर्श को जिसमें अहम् तथा नोऽहम् दोनों के सामंजस्य की स्थिति स्वीकार की गई थी, उचित मानते थे। रवीन्द्र ने जहाँ रूस की इतनी प्रशंसा की वहाँ रूस की बोल्शेविक क्रान्ति को 'अप्राकृतिक क्रान्ति' भी बतलाया। व्यक्ति तथा समष्टि के मध्य द्वन्द्व ने रूस की क्रान्ति को जन्म दिया था। जारशाही के अमानवीय शासन से बचने के लिए क्रान्तिकारियों ने बलप्रयोग द्वारा सत्ता हाथ में ली किन्तु वे क्रान्ति के परिणामों को शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास में अपनी जनता पर बलप्रयोग करने लगे यह उचित नहीं था। फिर भी रवीन्द्र ने रूस की सहकारी कृषि की प्रशंसा की। वे स्वयं सहकारिता के प्रशंसक थे। अतः रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता का सफल प्रयोग देख कर वे हर्षित हुए। वे भारत में भी भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सहकारी खेती को प्रोत्साहित करने के पक्ष में थे ताकि भूमि न तो व्यक्तिगत स्वामित्व में रहे और न सामूहिक खेती का अभिशाप सहन करना पड़े। रवीन्द्र का यह विचार त्रुटिपूर्ण था क्योंकि रूस ने सामूहिक खेती तथा भूमि का पूर्ण समाजीकरण कर लिया था। सहकारिता का जो मधुर स्वप्न रवीन्द्र रूस में देख रहे थे वसा वहाँ कुछ भी नहीं था। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मूल्यों तथा आदर्शों का महत्व नहीं रहता। रवीन्द्र रूस की प्रशंसा तथा आलोचना के मिले-जुले स्वर में वास्तविकता से दूर जाते दिखाई देते हैं। एक ओर उनके संस्कारों की कुलीनता सर्वहारा के शमनतन्त्र को स्वीकार करने में संकोच करती है तो दूसरी ओर उनकी मानववादी भावनाएं हिमा के प्रयोग पर आधारित समाजीकरण की अमानवीय प्रवृत्ति का प्रचंड विरोध करती है। रवीन्द्र के विचारों में न पामोवाद के लिए प्रशंसा है और न रूस के समाजवादी समाज के प्रति मोह। उनका राजनीतिक चिन्तन राजनीतिक आदर्शवाद एवं अमानववाद पर आधारित है।

### ठाकुर की आध्यात्मिक धारणाएं

रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने अपने कृतित्व में आध्यात्मिक मूल्यों का पुनर्स्थापन किया है। वे पश्चिम के संशयवादी भौतिकतावाद के स्थान पर पूर्व के आदर्शवादी रहस्यवाद के उन्नायक हैं। वे एकेश्वरवादी होते हुए भी सर्वेश्वरवादी तथा अद्वैतवादी होते हुए भी द्वैत के परम उपासक थे।<sup>26</sup> उनका धर्म-दर्शन विपरीत मान्यताओं का अलौकिक गुच्छ था। वे आत्मा एवं परमात्मा की पृथक् स्थिति को मानते हुए भी दोनों में सामंजस्य का प्रतिपादन कर रहे थे। ईश्वर का 'विश्वप्रज्ञानघन' स्वरूप मानव की आत्मीय सत्ता से पृथक् नहीं था। वे 'नर-नारायण' के रूप में मानवीय ईश्वर की मान्यता के प्रतीक थे।<sup>27</sup> नर और नारायण का सानिध्य एवं सहकार शाश्वत तत्त्व के रूप में मानते हुए रवीन्द्र ने नारायण की निरन्तरता एवं पुरुष तथा प्रकृति दोनों के सन्दर्भ में उनकी उभयता को माना।<sup>28</sup> नारायण के परम पुरुषत्व अथवा उनकी पुरुषोत्तम स्थिति को पुरुष तथा प्रकृति के सामंजस्य का आधार माना। वे निर्गुण ईश्वर से सगुण परमात्मा की ओर प्रवृत्त हुए। प्रेम में परमात्मा की पूर्णता का दर्शन करते हुए वे उच्चतम आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति करने लगे। वे मानव की नैतिक प्रकृति में विश्वास रखते थे। नैतिक आचरण के लिए ही मानव-जीवन का मृजन मानते हुए पाप एवं अनैतिक आचरण के लिए नारायण द्वारा दंडित किये जाने का विधान स्वीकार किया।<sup>29</sup>

रवीन्द्र की आध्यात्मिक प्रेरणा उपनिषदों, चैतन्य, कबीर आदि के प्रभाव में जाग्रत हुई थी। वे हिन्दू-धर्म एवं संस्कृति को यूरोपीय दर्शन एवं सभ्यता से उच्च मानते थे। हिन्दू जाति-व्यवस्था की संकीर्ण भावना से परे प्राचीन हिन्दू-धर्म, तत्त्व-दर्शन ने एकेश्वरवाद एवं आस्तिकता का ऐसा सामाजिक आदर्श प्रस्तुत किया था जो ईसाइयत की समस्त उपलब्धियों से श्रेष्ठ था। रवीन्द्र ने यह प्रेरणा अपने गुरु राजनारायण बोस से प्राप्त की थी।<sup>30</sup> वे भारत को विश्व-सभ्यता का सूर्योदय देश मानते थे।<sup>31</sup> उनके अनुसार मानव जीवन में ईश्वर की लीला की अनुभूति आवश्यक है। सर्वव्यापी ईश्वर का अभिमान वैज्ञानिक भौतिकवाद एवं जड़ता से श्रेष्ठ है। विश्वात्मा के प्रेरणा-स्रोतों के अनुसार जीवन जीना समस्त दुःखों एवं लिप्साओं से मुक्ति का मार्ग है। वे मृजनात्मक मानवीय गुणों की आत्म-प्रसूत एवं विश्वात्मा की सनातन सृजनशीलता का ही परिणाम मानते थे। उन्हें विवेक एवं अनुभवजन्य ज्ञान की अपेक्षा आत्मानुभव एवं आत्मगत ईश्वरीय निष्ठा ने अधिक आकर्षित किया।

रवीन्द्र ने मानव की आत्मा में अनन्त एवं अविनाशी ईश्वर का वास माना है। परम सत्य की प्राप्ति के लिए परमात्मा का पुरुष के रूप में अवतरण तथा पुरुष का अनन्त के साथ विनीचीकरण ही सबसे बड़ा सत्य है। मानव अपनी मृजनात्मक शक्ति के द्वारा परमात्मा की अभिव्यक्ति कर ऐहिक जीवन की सार्थकता मिट्ट करती है। ईश्वर द्वारा रचित मृष्टि में मानव-गरिमा को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। मानवता का सार्वभौमिक स्वरूप जीवन में परम सत्य, कल्याण एवं सौन्दर्य की प्राप्ति द्वारा सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन करता है। मनुष्य का स्थूल शरीर नाशवान् है किन्तु उसके सूक्ष्म शरीर की बटुनता जो कि मानवता में प्रस्फुटित होती है, शाश्वत है। मानवता द्वारा निम्न आध्यात्मिक एरता एवं मानवमात्र की नैतिक ममता ने रवीन्द्र को न केवल

आध्यात्मिक मानववाद का संदेशवाहक अपितु अनुभवातीत मानवतावाद का चिन्तक बना दिया है। उनका मानवतावाद सामाजिक एवं आर्थिक समानता के सिद्धान्त पर आधारित नहीं। वे भौतिक तत्व को जीवन के लिए उपयोगी मानते हुए भी उसकी अनिवार्यता को आध्यात्मिक चेतना का प्रतिगामी मानते हैं। परमात्मा द्वारा दी गयी मनुष्य की अतिरिक्त शक्ति जो कि उसे सृजनात्मकता एवं सौन्दर्यबोध के प्रति अग्रसर करती है, मूल रूप से आध्यात्मिक है। सार्वभौम मानव-मन एवं सार्वभौम मन में निरन्तर संघर्ष होता रहता है और समन्वय भी। समन्वय के बिना परमात्मा तथा आत्मा का तादात्म्य स्थापित नहीं हो सकता। सार्वभौम मानव-मन तथा व्यक्तिगत मन के मध्य समन्वय ही सच्चा मानव-धर्म है।<sup>32</sup>

रवीन्द्र ने मानव-व्यक्तित्व में विश्व का समावेश मानते हुए मानवता की सीमा-रेखाओं में परमात्मा के असीमित एवं अनन्त स्वरूप का दर्शन किया। उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा ने ईश्वर के साक्षात्कार के लिए बाह्य धार्मिक आडम्बरो के स्थान पर अपने अन्तराल में स्थित नर-नारायण की उपासना का मार्ग चुना। बाह्य जगत् एवं अन्तराल के सूक्ष्म अन्तर्जगत् में ईश्वर का अविराम अस्तित्व मनुष्य की आत्मिक उन्नति का प्रेरक अघ्याय है। समाज तथा शासन के अनुचित नियन्त्रणों से मुक्ति के लिए अनन्त के आनन्द-कन्द सच्चिदानन्द स्वरूप एवं उसके अविराम सौन्दर्य को हृदयंगम करना आवश्यक है। मायावाद के भ्रमजाल में न फस कर भक्तिभाव से अनन्त का सत्यान्वेषण अभीष्ट है।<sup>33</sup>

रवीन्द्र का आध्यात्मिक मानववाद ईश्वर साधना का एकाकी पथ नहीं है। वे व्यक्तिगत मोक्ष की कामना नहीं करते। मानवता का उनका दर्शन समष्टिरूप में मानव-कल्याण से अभिप्रेरित है। वे 'सुख-दुःख को चक्रवर्त्तु मानते हुये जीवन की नैसर्गिकता को बनाये रखने में विश्वास करते हैं। संन्यास ही आध्यात्मिक साधना का मार्ग नहीं। शारीरिक श्रम करने वाला मानव सहज भाव से अनन्त का साक्षात्कार कर सकता है। कबीर, रैदास, रज्जव आदि को परमात्मा की असीम अनुकम्पा का बोध हुआ था। उन्हें इसके लिए गूढ दार्शनिक तत्त्वों का विधिवत् अध्ययन अथवा शास्त्रार्थ नहीं करना पडा था। धर्म, दर्शन, शास्त्र और विज्ञान को नागम कल्पनाओं एवं तर्कों से ईश्वर की उपलब्धि नहीं होती। वास्तविक लक्ष्य कर्तव्य एवं विनय में ही प्राप्त हो सकता है। मानवता का संश्लिष्ट स्वरूप संवेगात्मक तथा निर्णयात्मक है। उसे घोषात्मक नहीं माना जाना चाहिए। उनके अनुसार त्याग अथवा तपस्या के स्थान पर सामाजिक साहचर्य एवं सहकार से ही परम तत्त्व की प्राप्ति श्रेयस्कर है। नर-नारायण तथा दरिद्रनारायण का सहानुभूति मूलक विचार ही सत्य है। दरिद्रनारायण की सच्ची सेवा में मानवता पल्लवित होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ को तिलाजलि देकर दुःख एवं क्षुधापीडित मानवता का परमार्थ अनन्त की प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है। मानव व्यक्तित्व की पूर्णता जब समाज के साथ एकात्म्य स्थापित करते और समाजगत एकात्म्य जब विश्वजनीन मार्गभौम का रूप ग्रहण करते तभी अनन्त के दर्शन होने हैं। यही सच्ची स्वतन्त्रता एवं मुक्ति है। राजनीतिव्य-सन्नता निम्नस्तरीय है। आध्यात्मिक स्वतन्त्रता सर्वोच्च है। प्रेम, मार्मत्रम्य एवं शान्ति आध्यात्मिक मानवतावाद से अनुभवातीत मानवतावाद की और अग्रसर होने के लक्ष्य तत्त्व है।<sup>34</sup>

## मूल्यांकन

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का चिन्तन सार्वकालिक एवं शाश्वत मूल्यों का निरूपक है। वे समन्वय-युग के ऐसे विचारक थे जिसने पाश्चात्य एवं प्राच्य के मानवीय मूल्यों को एकीकृत करने का स्वप्न देखा। उनका साहित्यसृजन अद्वितीय था। भारतीय परिवेश तथा पाश्चात्य प्रभाव के मिलेजुले वातावरण में उनका सृजन-चिन्तन प्रस्फुटित हुआ। पाश्चात्य देशों की अनेक यात्राओं ने उनके मानस में भारतीय महानता को और भी अधिक उभार दिया। वे मानवता के गरिमामय आदर्श की खोज में भारतीय आध्यात्म के मफल ग्रथेता थे। उनकी कृतियों में सार्वभौमिक मानववाद एवं विश्व-समाज की चेष्टा ने उन्हें 'विश्व-नागरिक' की श्रेणी में ला खड़ा किया। वे सामाजिक अन्याय एवं धार्मिक मतमतान्तर के आडम्बर से मानव की मुक्ति का प्रयास करते रहे। वे नैतिक आचरण की शुद्धता के प्रतीक थे। नैतिकता को धार्मिक धरातल से उठा कर मानवीय धरातल पर लाने का उनका प्रयास सराहनीय था। रवीन्द्र ने मानवता को ईश्वर के समकक्ष प्रस्तुत कर भारतीय संस्कृति की महानता का सन्देश दिया। वे मानवता के अग्रदूत थे। भारत में विभिन्न सम्प्रदायों एवं विश्व की समस्त मानवता को समन्वय का पाठ पढ़ा कर रवीन्द्र ने प्रेम एवं सहानुभूति के शाश्वत तत्त्वों का प्रस्थापन किया।

साहित्य में भारत के एक मात्र 'नोबेल पुरस्कार' विजेता का कीर्तिमान स्थापित कर रवीन्द्र ने समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी साहित्यिक कृतियाँ परमात्मा की विराट् सृजनात्मक शक्ति का ही बोध नहीं कराती अपितु मानव के प्रकृति के साथ तादात्म्य का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। उनकी गीतांजलि विश्व-साहित्य को अनुपम देन है। गीतांजलि में रवीन्द्र का यह विश्वास मुखरित हुआ है कि विश्वत्व के स्तर पर भारत की भूमिका अन्य देशों से भिन्न है। यह न केवल भारत के अपितु समस्त विश्व के हित में है कि भारत एकनिष्ठ होकर उम भूमिका का निर्वाह करे।<sup>35</sup>

रवीन्द्र का राजनीतिक दर्शन असामान्य है। वे राजनीति को सामाजिक दर्शन की तुलना में हेम मानते हैं। रवीन्द्र ने राजनीति को शक्ति का प्रतीक मान कर उसे मानवता का प्रबल शत्रु माना। वे सर्वाधिकारवाद के उग्रतम आलोचक थे। उनके अनुसार भारत ने सदैव सामाजिक स्वतन्त्रता को राजनीतिक स्वतन्त्रता से अधिक महत्त्व दिया था। सामाजिक स्वतन्त्रता एवं सामाजिक दर्शन का अत्यधिक महत्त्व रवीन्द्र ने इस कारण से भी व्यक्त किया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं पुनर्निर्माण के कार्य में अत्यधिक रुचि लेते थे। किन्तु रवीन्द्र की यह धारणा कि राजनीति को महत्त्वहीन बना दिया जाय तर्कसंगत नहीं थी। राजनीति-जनित युद्धोन्माद, शोषण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का हानि अवश्य आनेवाला था किन्तु केवल इसी आधार पर समस्त राजनीतिक क्रियाकलापों की अवमानना नुष्टिपूर्ण थी। रवीन्द्र राजनीतिज्ञ नहीं थे। वे देशभक्त एवं मानवीय स्वतन्त्रता की गरिमा के रक्षक थे। उनका कविहृदय मानवीय भावनाओं का प्रतिरक्षण स्वीकार नहीं करता था। इसी कारण से वे राष्ट्रवाद के भी कटु आलोचक रहे। वे राष्ट्रवाद को मनुष्य की सामाजिक गवेषात्मकता का शत्रु मानते थे। उनकी दृष्टि में राष्ट्रवाद की धारणा कृत्रिमता की परिचायक थी। यद्यपि उनके विचारों में मध्य का अंश विद्यमान है क्योंकि राष्ट्रवाद अनेक मपगों का कारण रहा है फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि राष्ट्रवाद की

धारणा का मानव स्वातन्त्र्य के लिए योगदान न रहा हो। राष्ट्रवाद की रवीन्द्र द्वारा प्रस्तुत आलोचना का एक पक्ष अवश्य विचारणीय है कि जब तक किसी देश में अन्तर्विवाह एवं सामाजिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापों में भाग लेने की स्वतन्त्र सामाजिक प्रवृत्ति न हो तब तक उस देश के प्रति निष्ठा अथवा लगाव की भावना—जो कि राष्ट्र के लिए अनिवार्य है—विकसित नहीं हो सकती। भारत के संदर्भ में रवीन्द्र ने 1917 में यही व्यक्त किया था कि सामाजिक संस्थाओं के प्रति हमारी मूर्तिपूजक दृष्टि ने जो गतिहीनता उत्पन्न की है वह हमारे राजनीति में भी अचल दीवारों का कारागृह बना देगी। रवीन्द्र की यह धारणा कि सामाजिक दासता पर राष्ट्रनिर्माण आधारित नहीं हो सकता हमारे लिए आज भी चुनाती है।

राष्ट्रवाद ही नहीं अपितु साम्यवाद के प्रति रवीन्द्र के उद्गार भी विचारोत्तेजक हैं। वे सामाजिक जीवन में अधिकारवाद के प्रवेश को व्यक्तिगत आत्मनिर्णय का अवरोधक मानते थे। वे उनके अनुसार मानव जीवन को साचे में ढालने वाली कोई भी रचना जो आत्म-निर्वचन का क्षेत्र सकुचित करती हो, धर्मग्रन्थ है। अतः कार्ल मार्क्स का 'कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो' उतना ही धार्मिक ग्रन्थ है जितनी कि हिन्दुओं के लिए जीवन का मार्ग निर्धारित करने वाली 'स्मृतियाँ'। रवीन्द्र साम्यवाद की मानवीय स्वतन्त्रता का पोषक नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में बोल्शेविकवाद यमदूतों के समान था। रवीन्द्र के राजनीतिक दर्शन का मूल उनका आध्यात्मिक मानवतावाद था और इसी कारण ने वे राज्यवाद, राष्ट्रवाद, फासीवाद एवं साम्यवाद के विरुद्ध संपर्कित रहे। □ □

## टिप्पणियाँ

1. सचिन सेन, बी पोलिटिकल थॉट ऑफ टेंगोर (जनरल प्रिन्टर्स, कलकत्ता, 1947) पृ. 22
2. तारकनाथ दास, रवीन्द्रनाथ टेंगोर : हिज़ रिजिजिपस, सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियल्स (सारस्वती साइन्स, कलकत्ता, 1932) पृ. 3-8
3. विनोय गोपाल रे, बी फिलोसोफी ऑफ रवीन्द्रनाथ टेंगोर (हिन्दू विज्ञान, बम्बई, 1949) पृ. 7-8
4. देखिये सचिन सेन, पृ. 64
5. वही, पृ. 35
6. देखिये इण्डियन नेशनलिज्म : इट्स परसोनेलिटीज़ एण्ड प्रिंसिपल्स (सूक्ति एण्ड को. प्रिन्टर्स, 1918) पृ. 18-19
7. इण्डियन इण्डियन, रवीन्द्रनाथ टेंगोर (अविद्यार्थी यूनिवर्सिटी प्रेस, 1962) पृ. 143
8. रासेन्द्र वर्मा, रवीन्द्रनाथ टेंगोर : प्रोफ़ेक्ट अगेन्स्ट टोटलिटेरियनिज्म (एशिया, बम्बई, 1964) पृ. 2-5
9. वही, पृ. 2-3
10. वही, पृ. 55-56
11. वही, पृ. 1
12. बी. लेग्नी, रवीन्द्रनाथ टेंगोर : ट्वि परसोनेलिटी एण्ड वर्क (जार्ज ऐमन एण्ड अर्नबिन, मन्टन, 1939) पृ. 255
13. इण्डियन इण्डियन, पृ. 197
14. देखिये हुमायूँ ख़ान, "सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियल्स ऑफ टेंगोर", टेंगोर सेऽनर्से बंगलुरु, पृ. 149
15. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बिसेटिव यूनीटी (सिंघमिशन, नूयार्क, 1922), पृ. 131-132

16. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नेशनलिज्म (मैकमिलन, लन्दन, 1920) पृ. 3-4
17. वही, पृ. 43-44
18. वही, पृ. 46
19. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, टुवाइंस यूनिवर्सल मेन, (एशिया, बम्बई, 1961) पृ. 346
20. वही, पृ. 347
21. वही, पृ. 348
22. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, फ्राइसिस इन सिविलाइजेशन, (विश्व भारती, कलकत्ता, 1941) पृ. 12-17
23. वही
24. देखिये शशाधर सिन्हा, सोशल रिक्रिप ऑफ टैगोर, पृ. 97, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सेटर्स फोन रसा, (विश्व-भारती, कलकत्ता, 1960) पृ 137-138
25. भुजेंटी प्रसाद मुखर्जी, टैगोर-ए स्टडी, (पद्मा पब्लिकेशन्स, बम्बई, द्वितीय संस्करण, 1944) पृ. 148
26. देखिये अलबर्ट श्वाइत्जर, इण्डियन थॉट एण्ड इट्स डेवलपमेन्ट, पृ. 244
27. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बी रिलीजन ऑफ मेन, पृ. 34
28. वही, पृ. 24
29. वही
30. विपिनचन्द्र पाल, इण्डियन नेशनलिज्म, पृ. 260-261
31. टुवाइंस यूनिवर्सल मेन, पृ. 272
32. बी रिलीजन ऑफ मेन, पृ. 233-235
33. वही, पृ. 120-186
34. वही, पृ. 15-30, 134-143
35. जी. डी. खानोलकर, बी ल्यूट एण्ड बी प्लो : ए लाइफ ऑफ रवीन्द्रनाथ टैगोर, (दी बुक सेन्टर प्रा लि, बम्बई, 1963) पृ. 154

14 नवम्बर 1889 के दिन जवाहरलाल नेहरू का इलाहाबाद में जन्म हुआ। उनके पिता पंडित मोती लाल नेहरू भारत के जाने-माने वकील थे। वकालत में उन्होंने अपार धन अर्जित किया और वैभव तथा विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। बाद में गांधीजी के नेतृत्व में उन्होंने सामान्यजन की तरह सादगी का जीवन प्रारंभ किया और कांग्रेस आंदोलन के कर्णधार रहे। पिता के प्रभाव में जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा-दीक्षा पश्चिमी तौर-तरीके से हुई थी। उन्हें शिक्षा के लिये इंग्लैंड के प्रसिद्ध हेरो विद्यालय में भर्ती किया गया। उसके पश्चात् वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए और विज्ञान में आनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर, लन्दन से बैरिस्टरी का प्रमाणपत्र लेकर भारत लौटे। 1912 में भारत लौटने के पश्चात् वे कांग्रेस-आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए और पहली बार बाकीपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय वे गांधीजी के सम्पर्क में आये और तब से गांधीजी के साथ उनके सम्बन्ध निरन्तर प्रगाढ़ होते गये। गांधीजी के माथ अनेक प्रश्नों पर असहमत होते हुए भी जवाहरलाल उन्हें अपना गुरु, मित्र तथा दार्शनिक मानते रहे।

जवाहरलाल वैभव के मध्य उत्पन्न हुए थे। साधारण जीवनयापन करने वाले औसत भारतीय के जीवन में जाँ आर्थिक एवं सामाजिक कष्ट आते हैं, उनका केवल सैद्धान्तिक अनुभव ही उन्हें रहा। स्वयं के जीवनयापन की समस्या उनके सामने कभी उपस्थित नहीं हुई।<sup>1</sup> किन्तु अपनी आर्थिक सम्पन्नता का उन्होंने स्वयं के आमोद-प्रमोद के लिए उपयोग न कर अपना सर्वस्व राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन सभी कुछ राष्ट्रीय जीवन के लिये समर्पित रहा। युवा जीवन के श्रेष्ठ वर्ष उन्होंने बाराबास में बिताये। कागवास का मिलसिला 1921 में उनके जीवन में प्रारंभ हुआ, जब कि गांधीजी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण वे तथा उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू 6 महीने के लिए बंदी बनाये गये और सबसे 1945 तक वे अनेक बार जेल गये।

जवाहरलाल 1918 में कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुने गये। 1922 में उन्हें इलाहाबाद नगरपालिका का सर्वसम्मत अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जिनेवा में होने वाले साम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन में जाने का अवसर 1927 में मिला। 1927 में ही वे गोविन्द सरकार के निमन्त्रण पर रूम-यात्रा पर गये। 1928 में उन्होंने समनऊ में माइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन किया जिसके कारण उन्हें पुनः भी

लाठियों का प्रहार सहना पड़ा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के वे अध्यक्ष निर्वाचित हुये और उन्होंने भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का शंखनाद किया। वे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे। गांधीजी द्वारा संचालित नमक-सत्याग्रह तथा 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' में वे अग्रणी रहे। 1936 में बिहार में भूकंप से पीड़ित जनता की उन्होंने सेवा की। 1936 में ही दो बार वे कांग्रेस अधिवेशनों—पहले लखनऊ तथा बाद में फैजपुर अधिवेशन—के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में उन्हें कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 1939 में चीन की भी यात्रा की। गांधीजी के 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। क्रिप्स-आयोग के आगमन पर 1942 में उन्होंने समझौतावार्ता में भाग लिया। अगस्त 1942 में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव का उन्होंने पूर्ण शक्ति के साथ समर्थन किया। 1945 में वे शिमला-सम्मेलन में भी मम्मिलित हुए। आजाद हिन्द फौज के सैन्य कर्मचारियों की रिहाई की परेशी में भी उन्होंने भाग लिया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित अन्तरिम सरकार की स्थापना के समय वे वायसराय की परिषद के उपाध्यक्ष बने एवं परराष्ट्र विभाग के सदस्य का कार्यभार उन्हें सौंपा गया। भारत के लिए संविधान निर्मात्री सभा का लक्ष्य निर्धारक प्रस्ताव उन्हीं के द्वारा 30 दिसम्बर 1946 को प्रस्तुत किया गया जो कि स्वतंत्र भारत के संविधान का आमुख बना। सदियों की दामता से मुक्ति प्राप्त कर जब भारत ने स्वतन्त्रता के नवयुग में प्रवेश किया, जवाहरलाल नेहरू को ही भारत की सत्ता संभालने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वे भारत के प्रथम प्रधान मंत्री बने। विभाजन के पश्चात् भारत के समस्त उपस्थित हुई अनेक चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। काश्मीर की समस्या, शरणाधिकियों की समस्या, खाद्यान्न समस्या, देशी रिसायतो के एकीकरण की समस्या, सभी का नेहरू ने विलक्षण ममाधान प्रस्तुत किया। सरदार पटेल के उप-प्रधान मंत्री होने के कारण उनके द्वारा लिये गये निर्णयों का पूर्ण अनुशासन से पालन करवाया गया। नेहरू का आदर्शवाद तथा पटेल के यथार्थवाद का सुन्दर समन्वय भारत के लिए संघर्ष की घड़ियों में महत्त्वपूर्ण रहा। नेहरू ने भारत की विदेश-नीति को नवीन दिशा दी। उनके नेतृत्व में भारत ने असंलग्नता की नीति का समर्थन करते हुये गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की भगुवाई की। एशिया तथा अफ्रीका के नव-जागरण को संबल प्रदान करने हुए नेहरू ने दिल्ली में 1949 में ग्यारह एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया। दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणपूर्वी एशिया में उनके राजनीतिक नेतृत्व की अमिट छाप पड़ी। धर्म-निरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक समाजवाद के स्तम्भ जवाहरलाल नेहरू ने भारत को विश्व-ज्ञानि का अग्रदूत बना दिया। 1954 में उनके सङ्प्रयत्नों से पंचशील का मिढान्त भारत ने स्वीकार किया और उन्हीं के अंतर्गत भारत-चीन समझौता किया गया। राष्ट्रीय के आदर्श अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करने तथा जयपुर में कांग्रेस महासम्मेलन के अधिवेशन में लोकतांत्रिक समाजवाद का ध्येय प्रस्तुत करने के साथ-साथ नेहरू ने भारत के योजनाबद्ध विकास का श्री गणेश किया। वे योजना आयोग के अध्यक्ष बने तथा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का मूखपान कर उन्होंने भारत की प्रगति के पथ पर ला गड़ा किया। भारी उद्योगों की स्थापना, माधेर्जातिक



क्षेत्र का विस्तार, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, पंचायती राज्य, राज्यों का पुनर्गठन, शिक्षा का विस्तार, वैज्ञानिक गवेषणा तथा अनुसंधान का विकास आदि अनेक कार्य नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में किये गये। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण की घटना ने नेहरू को विचलित कर दिया। उन्हें कड़ी आलोचना का भाजन बनना पड़ा। वे फिर भी भारत को सुसंगठित करने के प्रयास में लगे रहे। चीन की चुनौती ने नेहरू को अधिक यथार्थवादी बना दिया। उन्हीं के समय सेना का पुनर्गठन आरंभ हुआ और भारत की प्रतिरक्षा को नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया। उनकी गुटनिरपेक्षता की नीति यथावत् बनी रही। संयुक्त राष्ट्र की सफलता के लिए भारत का विशेष प्रयास उन्हीं के विचारों के अनुरूप था। अनेक कठिनाइयों के बावजूद नेहरू ने अपने विचार-दर्शन के अनुसार ही भारत का मार्ग-निर्देशन किया। भारत को संघर्षों के मध्य जीवित रखने में उनके करिष्मावादी नेतृत्व का अतुलनीय योगदान रहा।

जवाहरलाल केवल राजनीतिज्ञ एवं स्वाधीनता-सेनानी ही नहीं थे। उनकी लेखनी से अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ निरसृत हुईं। यदि उनके राजनीतिक जीवन-कार्य को कुछ समय के लिये विस्मृत कर दिया जाय, तब भी वे अपनी अनुपम कृतियों द्वारा विश्व मानवता के सदेशवाहक के रूप में माहित्य-आकाश के चमकते नक्षत्र रहेंगे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं

सोवियत रशा (1928); लेटस फ्रॉम ए फादर टु हिज डॉटर (1929); विदर इंडिया (1933); ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री (1934); एन ऑटोबैयोग्राफी (1936); इंडिया एण्ड दी वर्ल्ड (1936); दी ववश्चन ऑफ लेन्व्जेज (1937); एटीन मन्थ्स इन इंडिया (1938); व्हेयर आर वी ? (1939), चाइना, स्पेन एंड दी वार (1940); टुवर्ड फ्रीडम (1941); दी यूनीटी ऑफ इंडिया (1941), दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया (1947); ए बन्च ऑफ प्रोल्ड लैटस (रिटन मोस्टली टु जवाहरलाल नेहरू एंड सम रिटन बाई हिम—1958); लैटस टु हिज मिस्टस (1963); विजिट टु अमेरिका (1950)।

इनके अतिरिक्त उनके भाषणों के संग्रह 'बिफोर एण्ड आफ्टर इंडिपेन्डेंस, जवाहरलालनेहरूज स्पीचेज,' ( 4 खंड ), 'एक्सपर्ट्स फॉम हिज राइटिंग एंड स्पीचेज' तथा उनके वाङ्मय का सफलन 'सिलेक्टेड ववर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू' ( 8 खंड ) उनके समुचित व्यक्तित्व को प्रतिबिम्बित करता है। नेहरू का व्यक्तित्व एवं कृतित्व उनके 27 मई 1964 के निधन के पश्चात् भी अमरत्व प्राप्त कर चुका है।

### नेहरू का मानस

नेहरू के व्यक्तित्व की विशेषता उनके अंतराल में निहित बंधारिक द्वन्द्व में परिलक्षित होती है। उनके उपचेतन में विचारों, आकांक्षाओं एवं निष्ठाओं का निरन्तर संघर्ष उनकी बाह्य परिस्थितियों के साथ जुड़ता रहता था। उनकी आन्तरिक बंधारिक दुष्साक्षात् नहीं हो सकती थी।<sup>2</sup> वे क्रियात्मक जीवन की व्यग्रता से कुछ दूरी निरालाकर अपने बंधारिक जगत में खो जाना चाहते थे।<sup>3</sup> उनकी हाडिक इच्छा थी कि वे अपने विचारों को, जो कि चिंतन, शैक्षिक उत्सुकता एवं ज्ञान के अन्वेषण की विधाया द्वारा उत्पन्न हुए थे, जगत की वास्तविक समस्याओं में मग्न कर सकें। उन्हें हममें मग्नता भी प्राप्त हुई। वे केवल मानसिक धरातल पर ही चिंतन को मग्नोये न रहे, अपितु अपने चारों ओर रहने

हुये मानव-जगत की भावनाओं, आकांक्षाओं तथा विपत्तियों को भी उन्होंने सुलभाने का निरन्तर प्रयास किया। वास्तविकताओं के प्रति जागरूकता उनके जीवन-दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष था।

नेहरूने व्यवस्थित रूप से अपने जीवन-दर्शन की प्रक्रिया को स्थापित नहीं किया, किन्तु वे जीवन के दर्शन की मान्यता एवं आवश्यकताओं को स्वीकार करते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण होता है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने निर्णय, अपनी मान्यताओं एवं अपनी क्रियात्मकता निर्धारित करता है। वे भी अपने जीवन में ऐसे वैचारिक क्रम की सृष्टि कर रहे थे, किन्तु उनका चिन्तन आदर्शों अथवा आरोपित निष्ठाओं से दूर था। वे बौद्धिक दृष्टि से विवेक तथा तर्क के मापदण्ड पर अपने विचारों को आधारित मानते थे। उन्हें आध्यात्मिक गुरुओं अथवा युग-पुरुषों की अमृत-वाणियों से अधिक वैज्ञानिक एवं विवेकयुक्त सत्य पर भरोसा था। उन्होंने पुरातन काल की बुद्धिमता, मध्ययुग की धार्मिक मान्यताओं, आधुनिक काल की संशयवादिता का वैचारिक मंथन किया। वे विवेकवाद एवं यथार्थ की ओर अग्रसर हुए और विश्वास के स्थान पर तर्क अथवा विवेक को जीवन का आधारभूत सत्य मानने लगे। उनकी इस मनोवृत्ति ने उन्हें वास्तविकता की ओर प्रवृत्त किया। गांधीजी जैसे संत के संसर्ग में रह कर भी नेहरू के चिन्तन का यह क्रम नहीं बदला। वे नैतिकता एवं सत्य के शाश्वत नियमों के प्रति निष्ठावान् रहे। इहलौकिक अन्धविश्वास तथा पारलौकिक अनुभवों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रही। वे ब्रह्माण्ड को वैज्ञानिक स्थूलता के परिप्रेक्ष्य में देखते हुये उसे निरपेक्ष भाव में स्वीकार करना चाहते थे। उनकी वैज्ञानिक पद्धति ने उन्हें पारलौकिक तत्त्वों पर अपने विचारों को आधारित करने से दूर रखा। वे स्वतंत्र वैज्ञानिक चिन्तन को पारलौकिक तत्त्वों पर आधारित चिन्तन से इस कारण श्रेष्ठ मानते थे कि वह स्वावलम्बन रचनात्मकता, मानवीय क्षमता तथा योग्यता को कुठित करने वाला नहीं था। उनका चिन्तन एक म्रदंत वेदान्ती के समान था।<sup>4</sup> वे धर्म के मूल तत्त्व को समझने तथा उसके अनुसार आचरण करने को मान्य ठहराते थे, न कि संगठनात्मक धार्मिक सम्प्रदायों में व्यक्ति के धार्मिक बाह्य आवरण को। धर्म का वास्तविक तत्त्व चारित्रिक दृढ़ता, सत्यनिष्ठा, प्रेम एवं मस्तिष्क की विशुद्धता में निहित था। धर्म के नाम पर मानवीय मूल्यों, सामाजिक न्याय तथा सहिष्णुता का ह्रास करने वाले विचारों को भी विचार से वे टुट्ट नहीं थे। यही कारण था कि नेहरू धर्म के संस्थागत विचार से दूर रहे। वे संस्थागत धर्मों को अन्धविश्वास, अज्ञानता, आध्यात्मिक मतान्धता आदि का सूचक मानते थे। वे सत्यान्वेषण को ही अपना लक्ष्य मानते थे। सत्य को प्राप्त करने में मानव मस्तिष्क की सीमाओं को व्यक्त करते हुए वे मानते थे कि व्यक्ति जीवन में सत्य का कुछ पद ही ज्ञात कर सकता है, न कि पूर्ण सत्य का ज्ञान।<sup>5</sup> ऐसी स्थिति में व्यक्ति को निरन्तर सत्यान्वेषण में लगे रह कर विकासोन्मुख लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिये ताकि सत्य का अंश ज्ञात कर व्यक्ति उसे जीवन में प्रयुक्त करे। उनके अनुसार जीवनभर शून्यता एवं अस्तित्व के रहस्यों को प्राप्त करने में अनभिन्न बन कर रहने से तो मरण के क्षण एक अंश का ज्ञान प्राप्त करना श्रेयस्कर है।

रुश्चिवाद के प्रति विरोध वः स्वाभाविक परिणाम नेहरू के चिन्तन में जायत उदा-

वाद के रूप में परिलक्षित हुआ। वे सहिष्णुता एवं निरपेक्षवादी दृष्टिकोण के सहारे मानवीय प्रकृति को समझने का प्रयास करते रहे। उन्हें ईश्वर को नकारने के स्थान पर मानव को नकारना कठिन प्रतीत होता था।<sup>6</sup> उनका मानवतावादी दृष्टिकोण इतना व्यापक होता चला गया कि वे मानव के आराध्यक बन गये। केवल राजनीतिक उद्देश्यों से ही नहीं, अपितु आंतरिक संस्कृति के बशीभूत होकर नेहरू ने मानव की प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता एवं दृढ़ता का अभिनंदन किया। आदर्शों, सत्य, देश तथा आत्मसम्मान के लिए मानव के संघर्षों ने नेहरू की कल्पनाशक्ति को आलोकित किया। मानव की पारस्परिक निष्ठा, मैत्री एवं निःस्वार्थ वृत्ति के सुनहरे पक्ष ने नेहरू के दर्शन में मानव के प्रति मानव की श्रद्धा जागृत की। यही कारण था कि नेहरू ने सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति की गरिमा को बनाये रखने के अपने उदार संस्कारों को तिरोहित नहीं होने दिया। राजनीतिक नेतृत्व के सफलतम क्षणों में भी वे मानवीय सहयोग, मानवीय प्रसन्नता तथा मानवीय प्रगति के उदायक बने रहे। वैज्ञानिक मानवतावाद के समर्थक नेहरू ने जीवन में प्रलोभनकारी वृत्ति का विरोध किया। पारलौकिक सुषों की चिन्ता न कर इसी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मानवतावादी विचार नेहरू के जीवन-दर्शन का आधार था। वे विश्व-मानवता को अन्याय, दमन तथा दुःखों से मुक्त देखने के इच्छुक थे।<sup>7</sup>

नेहरू का मानव-प्रेम उनके प्रकृति-प्रेम का सहगामी था। वे प्रकृति के अनन्यतम पुजारी थे। मनोवैज्ञानिक कारण कुछ भी रहा हो, उनके प्रकृति-प्रेम ने उनकी सुकोमल मानवीय भावनाओं को सदैव जीवित रखा।<sup>8</sup> राजनीतिक सत्ता एवं नेतृत्व के उच्चतम शिखर पर पहुँच कर भी नेहरू की लोकतान्त्रिक निष्ठा भ्रष्ट नहीं हुई। संभवतः उनके प्रकृति-प्रेम ने सृजनात्मकता के प्रति उनकी आस्थाएँ इतनी गहरी कर दी थी कि वे संहार को अमानवीय समझने लगे। वे मानव प्रकृति तथा विश्व की एकता को साकार करना चाहते थे। उनका उद्देश्य जीवन में समन्वय, सन्तुलन एवं सम्प्रतिता को बनाये रखना था।

**नेहरू के राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन के मूल आधार**

नेहरू के चिन्तन में लोकतन्त्र के प्रति उनकी गहरी आस्था सर्वव्याप्त है। वे लोकतन्त्र को जीवन का एक प्रकार मानते थे। मानव-जीवन में स्वतन्त्रता का महत्व स्वीकार करते हुये नेहरू ने मानवीय स्वतन्त्रता को साध्य माना किन्तु वे स्वतन्त्रता को अनियन्त्रित अर्थों में स्वीकार नहीं करते थे। मानवीय प्रवृत्ति के पार्श्विक एवं प्रिलासी पक्ष को देखते हुए व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर राज्य द्वारा उचित नियंत्रण स्थापित करने की अनिवार्यता को वे स्वीकार करते थे ताकि निम्न स्तरीय संवेगारमय मानव-व्यवहार स्वतन्त्रता की गरिमा को न गिरा सके। वे राज्य की उपादेयता को स्वीकार करने वाले उन्हीं माध्यम से सामाजिक हित को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने राज्य का धर्म निरपेक्षता पर बल दिया है। व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों की मान्यता को स्वीकार करते हुए नेहरू ने राज्य के नैतिकवादी पक्ष को अधिक महत्व दिया है ताकि नैतिक गुणों को धार्मिक संकीर्णता तिरोहित न कर सके। वे व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रिया में इन प्रकार एकीकृत करना चाहते थे कि उसमें मानवीय आत्मा व्यक्ति जन्म न हो कर गरिमामय रूप में प्रकट हो सके ताकि धार्मिक न्याय, समानता, बर्गहीन समाज व भोपाल-रहित व्यवस्था की स्थापना हो सके। समाज की भौतिक, आध्यात्मिक एवं सामूहिक उन्नति

के साथ-साथ सहयोग, सौहार्द एवं प्रेम द्वारा विश्व-समाज की स्थापना हो सकती है। लोकतन्त्र तथा साम्यवाद दोनों ही इसी प्रकार की सामाजिक क्रान्ति के प्रतीक हैं। साम्यवाद अवश्य ही मानवीय स्वतन्त्रता को सीमित करता है, अतः आलोचना का विषय बना है, अन्यथा सहयोग एवं समानता के आदर्शों द्वारा मानवजीवन के रचनात्मक विकास का क्रम निरन्तर प्राप्त किया जा सकता है। नेहरू लोकतान्त्रिक पद्धति के प्रति पूर्ण निष्ठावान है किन्तु वे पंचवर्षीय लोकतन्त्र के पक्षपाती नहीं है जिसमें जनता चुनाव के समय ही लोकतन्त्र का आभास प्राप्त करे तथा शेष समय के लिए अवसरवादी तथा मत्त-लोलुप नेतृत्व का शिकार बनी रहे। नेहरू ने उन स्थितियों को आत्मसात् किया है जिनके अन्तर्गत मानवीय मस्तिष्क एवं आत्मा को परतन्त्रता में निबद्ध कर दिया जाता है। वे आधुनिक सभ्यता को मानवीय स्वातंत्र्य के लिए अभिशाप मानते हैं क्योंकि आज का मानव यान्त्रिक होकर समष्टिगत समुदाय में विलीन हो गया है।<sup>9</sup> औद्योगिक विकास के भ्रमजाल में फँस कर व्यक्ति का जीवन एकाकी एवं अन्तर्मुखी बन गया है। आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति को पुनः सामाजिक परिवेश के प्रति जागृत किया जाये और नेतृत्व सत्ता का मोह छोड़ कर सामाजिक प्रक्रिया को नवीन गति प्रदान करें। उचित नेतृत्व के माध्यम से सामाजिक दायित्वों की पुनर्स्थापना हो सकती है।

नेहरू ने सविधान द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं अन्य अधिकारों को व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिये काफी नहीं माना। इसके लिये वे चाहते हैं कि लोकतन्त्रीय व्यवस्था को अधिक से अधिक विकसित किया जाय तथा सामाजिक प्रक्रिया के आत्मीकरण के साथ-साथ अधिकारों की सुरक्षा एवं अधिकार दोनों ही को विषय निष्ठ बनाया जाये। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक बन्धनों को दूर करने से ही व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से लोकतान्त्रिक समाज की उपादेयता सिद्ध हो सकती है। लोकतन्त्र केवल व्यक्तिपरक धारणा नहीं है। समाज का आणविककरण उचित नहीं है। लोकतन्त्र इस दृष्टि से राज्य के बढते हुए प्रभाव एवं आधिपत्य को सीमित कर सकता है। समाज के विभिन्न समूहों के पास स्वतन्त्रता होनी चाहिए ताकि समाज का उचित स्तरण हो सके। सामाजिक स्तरण का अर्थ पूंजीपतियों को आधिपत्य अथवा जन्म, धर्म आदि परम्परागत प्रभावों के अन्तर्गत ऊंच-नीच का वातावरण न होकर मानवीय समानता के आदर्श पर स्थापित लोकतन्त्रीय समाज होना चाहिए।

नेहरू ने समाजवाद की व्याख्या करते हुए समाजवाद को राज्य द्वारा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को माना। समाजवादी व्यवस्था शोषण का प्रतिहार प्रयुक्त पत्नी है। संघर्ष को सामाजिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की विद्योपता समाजवाद में है, अतः लोकतन्त्र की दृष्टि में सर्वाधिक उपयुक्त विचारधारा समाजवाद के धनाभाव और बौद्धिक नहीं हो सकती। समाजवाद के माध्यम से भूमिहीन, गरीबी, बेकारी आदि का निराकरण करके समाज का परिवर्तन किया जा सकता है। नेहरू की समाजवाद में गहन निष्ठा थी। वे इसे केवल साधन के रूप में नहीं मानते थे। वे वैज्ञानिक समाजवाद में इतनी ही प्रभावित थे कि यह समाज की परम्परागत मान्यताओं को समाप्त कर उनके स्थान पर आधुनिकता का नर-संदेश देने की क्षमता रखता है।<sup>10</sup> सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्रगति दे कर सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा राष्ट्रीय जीवन का लोकतन्त्रीकरण सम्भव

है। भारत में समाजवाद का प्रसार एवं प्रचार भारतीय परिप्रेक्ष्य एवं पर्यावरण के अनुरूप होना चाहिये। नेहरू ने इस सदर्भ में गांधीजी के न्यायिता-सिद्धान्त को समाजवाद के अनुरूप स्वीकार नहीं किया। वे व्यक्ति अथवा समूह की न्यायिता के स्थान पर राष्ट्र की न्यायिता चाहते हैं। राष्ट्र की न्यायिता संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण में ही प्राप्त हो सकती है।

नेहरू के विचारों पर मार्क्सवाद की निश्चित छाप थी। वे मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग विहीन समाज तथा इतिहास की आर्थिक व्यवस्था को स्वीकार करते थे। अपनी रूस यात्रा के अनुभवों के आधार पर उन्होंने मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवादी पक्ष का समर्थन किया था। वे मानते थे कि रूस ने विज्ञान तथा प्रविधि का प्रयोग कर मानव के आर्थिक शोषण का प्रतिकार प्रस्तुत किया है। व्यक्ति ने समुदाय की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में एक नये विश्व का निर्माण किया है। किन्तु नेहरू समाजवाद को व्यक्तिवाद का तत्सम रूप मानते थे। वे मार्क्सवाद की उम व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे जिसमें व्यक्ति की समष्टि में परिवर्तित कर दिया गया है। समाजवाद में प्राप्त भौतिक सम्पन्नता व्यक्तिगत अभिव्यक्ति एवं स्वतन्त्रता का विलोम नहीं है, ऐसा उनका विचार था। सामाजिक अनुबन्ध एवं उत्तन्दायित्वों के अन्तर्गत व्यक्ति पूर्णतया सुरक्षित रह सकता है। वे सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार की पूर्णतया समाप्ति के पक्ष में नहीं थे। इसके स्थान पर वे सम्पत्ति को सहकारिता पद्धति पर आश्रित करना चाहते थे, ताकि उसे चन्द व्यक्ति मुनाफाखोरी का माध्यम न बना सकें। उनकी मान्यता थी कि माधनों के उचित वितरण द्वारा सम्पत्ति के एकाधिकार अथवा केन्द्रीयकरण से बचा जा सकता है, यद्यपि राज्य का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये अतन्त्रता भी उपस्थित कर सकता है। नेहरू इस अन्तरे को प्रति जागरूक हैं। समाजवादी राज्य द्वारा औद्योगिकरण का प्रसार राज्य में शक्ति की अभिवृद्धि करता है किन्तु चुनौती का सामना उचित आर्थिक समायोजन तथा योजनावद्ध विनाम पर सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छोटे उद्योगों का विकास करके भी औद्योगिक विकास का विकेन्द्रीयकरण किया जा सकता है ताकि महाशक्ति का महारा नेकर नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जा सके। राष्ट्र निर्माण में औद्योगिकरण की उन्नत महत्वपूर्ण भूमिका को नेहरू ने स्वीकार किया, किन्तु वे भारत राष्ट्र की आत्मा का ग्रामीण समाज में विशेष यथावत् बनाये रखना चाहते थे। अतः ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जाना आवश्यक है ताकि व्यक्ति शहरीकरण का विचार न बन जाये तथा शहरी औद्योगिक इकाइयाँ ग्रामीण इकाइयों का स्वावलम्बन समाप्त न कर दें। गांवों का आधुनिकीकरण करने ग्रामीण जन-समुदाय को शहरीकरण की चलाचौध करने वाली प्रवृत्ति में बंधाया जा सकता है। गांवों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित करने का यह प्रयास सम्भवपूर्ण था। नेहरू ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सामुदायिक विनाम योजनाओं तथा शिक्षण-मेधाओं का अनुमोदन किया।

नेहरू अन्तर्गच्छवादी थे। उनका अन्तर्गच्छीय दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा आधुनिक विज्ञान के अन्तर्गच्छीय दृष्टिकोण का मिश्रण था; वे समस्त विश्व को एक देश के रूप में

में देखते थे जिसमें मानवीय आत्मा की सार्वभौमिक एकता पर विशेष बल दिया गया था। इसी आधार पर वे लोकतन्त्र तथा राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्धों को अश्वस्थित करना चाहते थे ताकि राष्ट्रों में पारस्परिक वैमनस्य समाप्त होकर विश्व-बन्धुत्व का वातावरण बना रह सके।<sup>11</sup> वे राष्ट्रों की विस्तारवादी प्रवृत्ति के प्रबल आलोचक थे। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उनका यही अभिप्राय था कि मानवीय हितों तथा मानवगरिमा को मापदण्ड स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय हितों की आपूर्ति की जाये। वे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद, प्रजातीय सर्वोच्चता आदि दूषणों से राष्ट्रों को मुक्त रखने के लिये प्रयत्नशील थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से प्रत्येक राष्ट्र इन दुर्गुणों से बच सकता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। नेहरू का राष्ट्रवाद उनके अन्तर्राष्ट्रवाद के समकक्ष था।<sup>12</sup> वे केवल देश-भक्ति अथवा राष्ट्रवाद के संकीर्ण धरातल पर अश्वस्थित रहना नहीं चाहते थे।<sup>13</sup> उन्होंने बी डिस्कवरी आफ इण्डिया में स्थान-स्थान पर भारत की संस्कृति तथा सभ्यता की प्रशंसा में उद्गार व्यक्त किये हैं, किन्तु उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण उनके विचारों को सीमित न कर सका। वे भारत की सीमा के बाहर के विश्व पर अपनी दृष्टि लगाये रहे। उनका मानवतावादी चिन्तन उन्हें विश्व नागरिक की स्थिति में प्रस्तुत करता है।<sup>14</sup>

नेहरू ने गांधीजी को अपना "गुरु" स्वीकार किया था किन्तु नेहरू तथा गांधीजी में वैचारिक भेद की कमी न थी। नेहरू ने गांधीजी के चिन्तन की भौतिकता-विहीन दृष्टि तथा सामाजिक जीवन की यथार्थता से विलग विचारधारा को व्यावहारिक नहीं माना। वे मानते थे कि गांधीजी व्यक्ति को आत्मिक शुद्धता, जीवन में संयम तथा अपरिग्रह की धारणा से मानव जीवन को परिष्कृत एवं परिवर्तित करने को इष्ट-संकल्प थे किन्तु यथार्थ जीवन में गांधीजी को वे धारणाएँ सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के समक्ष महत्वहीन दिखाई देती थी। समाज के उत्थान तथा उसकी भौतिक समृद्धि नेहरू के लिये अग्रिम महत्वपूर्ण थी और उसकी वरीयता को आध्यात्मिक गुणों के व्यक्तिगत पक्ष के समक्ष अमान्य नहीं किया जा सकता था। वे व्यक्ति के आत्मिकरण के स्थान पर प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट जगत् में आत्मोपार्जन को महत्व देते थे।<sup>15</sup>

### नेहरू के राजनीतिक विचार

नेहरू के विचारों पर वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद, फेबियनवाद तथा मानसवाद का स्पष्ट प्रभाव था। वे आर्थिक नियोजन एवं लोकतन्त्रवाद दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहते थे। आलोचकों ने उन्हें शायद इसी कारण से "हेमलेट आफ इण्डिया" कह कर सम्बोधित किया है किन्तु यह सत्य है कि लोकतन्त्र को यथावत् बनाये रखने तथा आर्थिक नियोजन के हस्ती उदाहरण या भारतीयकरण करने में नेहरू ने जो वैचारिक एवं व्यावहारिक मफलता प्राप्त की वह विश्व में अमूर्त थी। स्वतन्त्रता तथा समानता के व्यक्तिगत मूल्यों का संघारण करने के माध्यम-माध्य नेहरू ने मोक्षित रूप के अमान्य मानसिकता के स्थान पर महत्कारिणा का वर्णन किया। ये समस्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता के मध्य आर्थिक समृद्धि का समाजवादी रूप माना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण सार्वभौम मानववादी था। वे उन मूल्यों को भारतीय जन-जीवन में उतारना चाहते थे जो कि पश्चात्त्य जीवन के प्राण थे। संसदात्मक लोकतन्त्र

को भारत में प्रतिष्ठित करने का उनका प्रयास सराहनीय था। वे भारत जैसे निर्धन, अल्पशिक्षित एवं अल्पविकसित देश में पश्चिम की अति-विकसित शासन पद्धतियों का प्रयोग करना चाहते थे ताकि वपों से चली आ रही जड़ता भ्रमज्ञानता एवं सामाजिक अंधविश्वासिता को दूर किया जा सके। नेहरू ने राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता तथा राजनीतिक समानता के आदर्शों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। नेहरू ने लोकतान्त्रिक उपायों से भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह उनके ही लोकतान्त्रिक विचारों एवं उदारता का परिणाम था कि केरल में "कुलेट" के स्थान पर "ब्लैट" से साम्यवादी सरकार की स्थापना हो सकी। देशी रियासतों के शासकों की अपार धन-सम्पदा, उद्योगपतियों के कालेद्यन से उत्पन्न समृद्धि तथा अंग्रेजों की गुलामी करने वाले सम्भ्रान्तसेवी वर्ग के त्रिदोषों से जनित वातावरण को सामान्य जन के स्वाधिकार एवं स्वाभिमान से परिशुद्ध करने का नेहरू का प्रयास व्यक्ति की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहा था।

नेहरू ने केवल भारत की सम्पत्ता तथा संस्कृति की महत्ता का ही अबलम्बन नहीं लिया, अपितु पाश्चात्य विश्व की महत्वपूर्ण विरासत को भी आत्मसात् करने का संदेश दिया ताकि समाज के आणविक विकास के स्थान पर उसके अन्य समाजों के साथ सहयोग की प्रक्रिया को निरन्तरता प्रदान की जा सके। भारतीय समाज की पृथक्ता पर जोर न देकर विश्व-समाज के साथ उसके सम्बन्धों को स्थापित कर नेहरू ने परम्परा की प्राधुनिकता के साथ अन्तरक्रिया को दर्शाया। उनका प्राधुनिक दृष्टिकोण उन्हें प्रारम्भ से ही विश्व इतिहास की अन्वयोन्याश्रितता से परिचित रखे हुआ था। वे भारत के भावी भविष्य को इसी विश्व घटनाचक्र से सम्बन्धित मानते हुये एक अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का स्पन्दन अपने हृदय में संजोये हुये थे।

नेहरू के राजनीतिक चिन्तन में उनकी सविधानवाद में दृढ़ निष्ठा प्रगट होती है। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोकतान्त्रिक पद्धति के आन्तिकारी कार्य को सम्पादित करना चाहते थे। सामाजिक तथा धार्मिक विकास के विभिन्न स्तरों को राष्ट्रनिर्माण के कार्यों के साथ सम्बद्ध करके जनता में निर्वाचक का आत्मविश्वास नेहरू ने जागृत किया। भारत की जनता में लोक सम्प्रभुता का संचार करने का श्रेय नेहरू को ही मिलने वाला था। विदेशी पर्यवेक्षकों को भारत जैसे विभास देस में लोकतन्त्र का प्रयोग अमम्भव-सा प्रतीत होता था। यह नेहरू के प्रवल संकल्प का ही प्रतिफल था कि वे भारत में व्याप्त समस्त कमियों के बावजूद भी लोकतन्त्र को सफल बना मके। केवल लोकतन्त्र को सफलता ही नहीं मिली, अपितु उसे स्थायित्व भी प्राप्त हुआ। दीर्घकाल में घसे धा रहे विदेशी शासन के पर्याप्त भारत की महत्वपूर्ण समस्या राजनीतिक एवं धार्मिक स्थायित्व प्राप्त करने की थी। नेहरू ने इन दोनों तथ्यों को पूर्ण करने का मार्ग प्रदर्शित किया। राजनीतिक स्थायित्व के लिए समदात्मक शासन पद्धति का सहारा लिया। सामाजिक परिवर्तन तथा उभरती हुई सामाजिक शक्तियों को सर्वसम्मति के आधार पर नियमित किया। धार्मिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिये नेहरू ने सम्पत्ति के अधिभार को घटाने के स्थान पर जनता की पूर्णों के केन्द्रीयकरण से उत्पन्न परेशानियों में संलग्न बनाया और सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना तथा गरिमत के

उचित विचारण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

### समाजवाद

नेहरू पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव उनके 1926-27 की हस्त-यात्रा से स्पष्ट हो गया था।<sup>16</sup> वे इस द्वारा प्राप्त आर्थिक विकास से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन (1929) के अध्यक्षीय भाषण में समाजवादी दर्शन के निष्पक्षवादी सामाजिक प्रभाव को व्यक्त किया। उन्होंने भारत की दरिद्रता तथा आर्थिक निपमत्ता के निवारण के लिये समाजवादी पद्धति को अनुकरणीय माना।<sup>17</sup> उन्हीं के प्रभाव में 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पारित किया गया। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने भूमि तथा चन्द्र व्यक्तियों के हाथ में उद्योगों के स्वामित्व की निन्दा करते हुए जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कही। वे मुनाफाखोरी, जमाखोरी आदि आर्थिक बुराइयों को दूर करने के लिये कृत-सकल्प थे। यह काम उनके जीवनपर्यन्त चलता रहा। उन्होंने ग्लिम्पमेज आफ वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐनिहामिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्स की शब्दावली का भी प्रयोग किया। यद्यपि वे मार्क्स की विचारधारा के सभी तथ्यों से प्रभावित नहीं थे और विशेषतः वर्ग-संघर्ष के विचार को भी स्वीकार नहीं करते थे, फिर भी उनके मन में पूँजीपतियों द्वारा साधनहीन कृषकों एवं श्रमिकों के शोषण के प्रति गहरा क्षोभ था। वे इस आर्थिक शोषण के क्रम को समाजवादी प्रक्रिया में समाप्त करना चाहते थे। वे भारत में नये आर्थिक समाज की स्थापना करने के लिए परिवर्तन एवं विकास का मार्ग अपनाना चाहते थे, किन्तु यह परिवर्तन शक्ति के द्वारा लाने का विचार उनका नहीं था। वे शान्तिपूर्ण उपायों से सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन चाहते थे। वे भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिये लोकतन्त्र को अनिवार्य शर्त मानते थे। भारतीय जनता में वर्ग-चेतना का अभाव, अधविश्वास, आत्मवादिता, अकर्मण्यता आदि ऐसे मूलभूत कारण थे जिनसे नेहरू ने भारत में समाजवाद को दमन के माध्यम से लाना उचित नहीं समझा। वे निरकुशता के माध्यम से उग्र परिवर्तन लाने के पक्ष में नहीं थे। वे इस कार्य के लिये जनता को जागृत कर उसमें समाजवाद के प्रति निश्चित लोचनता का संचार करना चाहते थे ताकि परिवर्तन की प्रक्रिया क्रमिक तथा स्वाभाविक रूप में पूर्ण हो सके। समाजवाद को गति प्रदान करने के लिए नेहरू ने भारत की अर्थ-व्यवस्था में मार्क्सजिक क्षेपण को अत्यधिक महत्त्व दिया। उत्पादन के प्रमुख स्त्रियों का मार्क्सजिक क्षेत्र में होना स्वतः मार्क्सजिक स्वामित्व में वृद्धि करने हुए देशवासी श्रमिकों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। वे भारत की दरिद्रता का निवारण मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में ढूँढ रहे थे। उनका यह प्रयास उन्हीं के प्रयत्नों में सफल हुआ। वे योजनायुक्त विचार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस कार्य में जुट गये। उनका द्वारा स्वीकृत मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रथम राष्ट्रीय उत्पादन-भारत तथा राष्ट्रीय आय में अभिवृद्धि का कारण बना। संपत्ति के सम्बन्ध में समाजवादी दृष्टिकोण के कारण नवीन धारणाएँ प्रतिष्ठित हुईं। मार्क्सजिक उपायों में निजी संपत्ति के उत्पादन का मार्ग भी नेहरू ने ही प्रस्तावित किया। यद्यपि आज भी देश में समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य पूर्णतया सम्पन्न नहीं हो पाया है।



श्रीर इस मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है, किन्तु हमका यह तात्पर्य नहीं है कि नेहरू ने जिस समाजवादी व्यवस्था का गृहण करना चाहा था, वह स्थापित नहीं हो पायी। 'प्रगतिशील' आलोचकों द्वारा प्रायः नेहरू के लिये यह आलोचना प्रस्तुत की जाती है कि उनके समाजवादी विचारों ने भारत को समाजवादी प्रगति की ओर बढ़ाने के स्थान पर पूँजीवादी प्रकृति की अभिवृद्धि में महायत्न ही है। उन 'बुद्धिजीवियों' का यह भी तर्क है कि भारत में पूँजीवादी व्यवस्था पहले से भी अधिक मजबूत हुई है और बड़े-बड़े व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों ने अधिक विरासत का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से वह भी व्यक्त किया जाता है कि भारत में जमींदारी व्यवस्था के समापन के बावजूद भूमिहीन कृषकों की स्थिति जैसी की तैसी ही बनी हुई है, बड़े-बड़े भूपतियों ने सघन ऐसी कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए भूमि के स्वामित्व में अधिक विस्तार किया है। किन्तु उपर्युक्त आलोचना बेबुनियाद है। वामपंथी अथवा प्रगतिशील आलोचक यह भूल जाते हैं कि नेहरू ने समाजवादी देशों के समान पूर्ण राष्ट्रीयकरण की नीति का अवलम्बन नहीं लिया। न उन्होंने भूमि के सामूहिक स्वामित्व का ही मार्ग अपनाया। नेहरू के समाजवादी समाज की रूपरेखा सीमित थी। वे सीमित अर्थों में समाजवादी प्रयोग कर रहे थे। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के उद्देश्यों में पूँजीपतियों को पूर्णतया समाप्त करने का कोई कार्यक्रम नहीं होता। उन्हें समाप्त करने के लिये परोक्ष रूप से सामाजिक क्षेत्र का विस्तार करने का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। नेहरू ने मार्क्सवादी क्षेत्र के विस्तार एवं बड़े-बड़े उद्योगों को मार्क्सवादी क्षेत्र में स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रारम्भ कर उन व्यवसायों से पूँजीपतियों को बर्चित कर दिया किन्तु देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा विशेषतः उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए छोटे उद्योगों एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखना आवश्यक था। नेहरू का धार्मिक कार्यक्रम महत्त्व का चेतक था, अर्थात् वे निजी क्षेत्र को समूल समाप्त करने का विचार प्रस्तुत करते। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के दान्तिपूर्ण प्रयासों में वर्ग-सघर्ष की स्थिति को टालना तथा हम सघर्ष को पारम्परिक वार्ता, मजदूर संगठनों के विनाम एवं बड़े हुए प्रभाव तथा उपभोगी व्यवस्थापन के माध्यम से दूर करने का उनका विचार सर्वथा समाजवादी था। वे समाजवाद को भारतीय परिवारण के अनुकूल स्थिति में टालना चाहते थे। हम अथवा चीन या धनुरण करने का उनका कोई दरादा नहीं था जैसा कि प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का १९५५ में।

उद्देश्यों को नेहरू ने अपने जीवन में साकार होते हुए देखा ।

### राजनीतिक नेतृत्व

नेहरू के राजनीतिक नेतृत्व को 'करिश्मेटिक लीडरशिप' की संज्ञा दी गयी है । नेहरू ने करिश्मावादी नेतृत्व प्रदान किया था । लोकतान्त्रिक पद्धति की दृष्टि से ऐसे नेतृत्व को विकास-शील देशों के लिये सामाजिक परिवर्तन तथा राजनीतिक विकास के अत्यन्त अनुकूल माना गया है । नेहरू के सफल नेतृत्व के अनेक आधार थे । वे जन-जन के नेता अर्थात् लोकनायक थे । कांग्रेस दल के वे दार्शनिक, मित्र एवं पथ-प्रदर्शक थे । गांधीजी तथा सरदार पटेल के पश्चात् नेहरू को ही कांग्रेस दल का भाग्यविधाता स्वीकार कर लिया गया था । कांग्रेस दल ने नेहरू के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अभूतपूर्व सफलताएँ अर्जित कीं । नेहरू को अपने राजनीतिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं समर्थन के लिए एक शक्तिशाली एवं सुसंगठित दल की आवश्यकता थी । कांग्रेस दल ने नेहरू का पूर्ण समर्थन किया । यद्यपि नेहरू के कांग्रेस में सभी हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था, फिर भी कांग्रेस ने उनके समाजवादी कार्यक्रम को समर्थन दिया और उसे सफलता की ओर बढ़ाया । कांग्रेस को बड़े उद्योगपतियों से समय-समय पर आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई । यह उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल कदम था । भारत जैसे विशाल देश में लोकतान्त्रिक चुनाव-पद्धति के लिए अपार साधनों की आवश्यकता थी । ऐसी स्थिति में दल स्वयं के सदस्यों की सदस्यता-शुल्क से अपना व्यय वहन नहीं कर सकता था । इतना होने पर भी नेहरू के प्रभावशाली नेतृत्व ने कांग्रेस को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाया और उसे दक्षिणपंथियों के प्रभाव से मुक्त रखा । नेहरू ने समाजवाद के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस को दलीय अनुशासन में निबद्ध किया । जन-सामान्य को समाजवादी कार्यक्रम से अवगत करने के लिये दल के अन्तर्गत विरोधी हित-समूहों को नियंत्रण में रखा । भारत में साम्यवादी दल तथा पूंजि समाजवादी दलों के विद्यमान रहते हुए भी नेहरू ने कांग्रेस दल को सर्वत्र पूर्ण बहुमत से सत्ता में प्रतिष्ठित रखा । उन्होंने कांग्रेस दल का आधुनिकीकरण करते हुए उसमें सरचनात्मक परिवर्तन भी किये । 'कामराज प्लान'<sup>18</sup> द्वारा दल से अनेक वरिष्ठ राजनेताओं को सत्ता से हटा कर नवीन तत्वों का समावेश किया । उनके द्वारा पंचायती राज्य की स्थापना भारत में प्रभावशाली नेतृत्व के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था ।<sup>19</sup>

### संविधानवाद

नेहरू ने संवैधानिक संरचना के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का स्वप्न प्रयास किया । वे स्वतन्त्र रूप से निर्मित लोकतान्त्रिक संविधान को ही संवैधानिक पद्धति का प्रमुख अंग मानते थे । यही कारण था कि भारत की परतन्त्रता के दिनों में उन्होंने लार्ड लोथियन द्वारा संवैधानिक पद्धति को भारत के हित के लिये अनुकूल बनाने का विरोध किया था ।<sup>20</sup> उनका यह तर्क था कि भारत में तब तक कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता जब तक कि भारत के संवैधानिक तन्त्र को जनता की स्वतन्त्र महर्षि पर आधारित नहीं किया जाता ।<sup>21</sup> इसी प्रकार नेहरू ने प्रतिवादी नान्तिवादी पद्धति को भी स्वीकार किया । हिंसा के आधार पर भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता-प्राप्ति का मार्ग उन्हें उचित नहीं लगा । वे कांग्रेस के पश्चिमक प्रयत्न के माध्यम से पश्चिम

प्रभावोत्पादक मानते थे। उनकी यह मान्यता थी कि हिंसक आन्दोलन देश की क्रान्तिकारी विचारधारा के बाल्यकाल का द्योतक है। क्रान्तिकारी विचारधारा वास्तव में हिंसा एवं बल प्रयोग के पश्चात् ही मही रूप में पनपती है। वास्तविक क्रान्ति केवल हिंसा पर आधारित नहीं होती।<sup>22</sup> नेहरू ने अहिंसक क्रान्ति का समर्थन किया था। वे गांधीजी के असहयोग आन्दोलन को आततायी शासन के प्रतिकार का सफल मार्ग मानने लगे थे,<sup>23</sup> किन्तु नेहरू की राजनीतिक पद्धति में असहयोग का मार्ग जनता द्वारा प्रयुक्त होने के स्थान पर नेताओं द्वारा प्रयोग में लाना चाहिये था। उनका विश्वास था कि पश्चात्य देशों के समान जनता के बहुमत द्वारा चलाये जाने वाले राजनीतिक कार्यक्रम का भारत द्वारा अनुकरण उचित नहीं था। केवल संख्यात्मक आधार पर किसी राजनीतिक आन्दोलन की सफलता को आंकना उन्हें पसन्द नहीं था। जन-सामान्य अहिंसक आन्दोलन से उत्पन्न कष्टों को भेलने का साहस नहीं रखता। चुने हुए व्यक्ति ही ऐसे आन्दोलन की वागडोर सम्भाल सकते हैं। जहाँ अधिक जनसमुदाय को राजनीतिक आन्दोलन में प्रयुक्त करना हो, वहाँ आन्दोलन को संवैधानिक दिशा ही मिलनी चाहिये।<sup>24</sup>

### राजनीति में नैतिक मूल्य : व्यक्ति तथा राज्य

नेहरू ने भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान बतलाया कि भारत की सफलता केवल विदेशी शत्रु की हार से ही पूरी नहीं हुई किन्तु घोर भी उपलब्धियाँ दी गई थीं। साधन और साध्य के पारस्परिक सम्बन्धों पर जोर देते हुए नेहरू ने नैतिक शक्ति को प्राणविक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण बतलाया। बुराई का सहारा लेकर किया गया कार्य एक कुचक्र है जिसमें फँस कर निकलना सम्भव नहीं। मर्य के आधार पर भारत द्वारा प्राप्त की गई स्वतन्त्रता यथार्थ पर आधारित है।<sup>25</sup>

नेहरू ने 1958 में फ्रांस के अपने महयोगियों के नाम लिखा था कि व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का हाम अच्छी स्थिति का द्योतक नहीं है। वे व्यक्ति के मस्तिक द्वारा भौतिक विश्व पर प्राप्त की गयी विजय को विश्व के होने वाले परिवर्तनों का आधार मानते हुए भी इन तथ्यों से निराश थे कि व्यक्ति बाह्य अतरिक्ष की खोज करते हुए भी अपने अन्तराल को टटोलने में विवशता दिखता है। उनकी मान्यता थी कि विज्ञान की प्राणविक तथा प्रविधि के क्षेत्र में प्रगति सभ्यता को विनाश की घोर धपेस रही है, धर्म विवेक के साथ संघर्ष में घाता है और धार्मिक तथा सामाजिक परिवर्तन के आधार विवेकवाद के समक्ष निस्तेज हो जाते हैं। धर्म यथार्थवादी न होकर पारलौकिक दृष्टिकोण अपनाता है और विवेकवाद मतही ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित रह जाता है। विज्ञान भी अनेकानेक उपलब्धियों के पश्चात् पदार्थ, ऊर्जा तथा आत्मा की परस्परआकृष्टता को नहीं समझ सका। भूतकाल में जब कि मानव का प्रकृति से अधिक मामूली था, व्यक्ति का जीवन मुख्यतः धर्म के विज्ञान के विनाश के उपायों को विनाश में प्रयुक्त करने का मार्ग दिखाना है।<sup>26</sup>

जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए, नेहरू के अनुसार, आज भी मानव उत्तुंग है। प्राचीन सभ्यताओं की अपूर्णता को शोधन पश्चात् सभ्यता प्राणविक बम का विनाश करने भी दूर नहीं कर सकी है। हमारी सभ्यता में बुरी न बुरी कोई त्रुटि अक्षय है। हमारी समस्याएँ भी हमारी सभ्यता के अक्षय से

हैं। धर्म ने जहाँ एक और आध्यात्मिक तथा नैतिक अनुशासन उत्पन्न किया है, वहीं अंधविश्वास तथा सामाजिक बुराइयों भी उत्पन्न की है। धर्म द्वारा उत्पन्न इन बुराइयों ने धर्म को निगल लिया है। अंधकार से बचने के लिये साम्यवाद एक नई ज्योति दिया जाता है, किन्तु साम्यवाद भी कतिपय दोषों से युक्त है। यह भी मानव, प्रकृति तथा मानवीय स्वतंत्रता को जड़बद्ध करने का प्रयास करता है। इसके द्वारा आध्यात्मिक तथा नैतिक पक्ष का प्रतिकार मानव व्यवहार के गूढ़ मूल्यों तथा नैतिक स्तर के विरुद्ध है। हिंसा का मार्ग प्रदर्शित करने वाली साम्यवादी विचारधारा मानवीय आचरण में बुराइयों को बढ़ावा देती है।<sup>27</sup>

नेहरू ये मोवियत रूस की प्रशंसा करते हुए व्यक्त किया कि वे रूस द्वारा बच्चों तथा गामान्यजन के लिए किये गये कल्याणकारी कार्यों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे, परन्तु व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का रूस का कार्य साध्य को भ्रष्ट करने वाले साधनों पर आधारित है। साम्यवाद द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था की यह आलोचना कि पूंजीवाद वर्ग-सघर्ष एवं हिंसा पर आधारित है, वास्तव में सही है, किन्तु इस स्थिति से बचकर वर्गविहीन समाज की स्थापना करने के लिए हिंसा ही एकमेव मार्ग नहीं हो सकती। साम्यवाद तथा फासिस्टवाद दोनों ही, नेहरू के दृष्टिकोण में, हिंसा के प्रयोग पर अव्यक्त होने के कारण स्वीकृति योग्य आदर्श नहीं है।

नेहरू ने गांधीजी द्वारा दर्शाये गये शांतिपूर्ण मार्ग को अन्य आदर्शों से कहीं अधिक सहिष्णु बनवाया है। वे साम्यवादी तथा गैर-साम्यवादी दोनों ही विचारधाराओं को मनो पर धोपने की अमहिष्णु रंगति के विरुद्ध थे। नेहरू ने 1956 के स्वेज-विवाद तथा हंगरी की स्वायत्तता-प्राप्ति की घटना-दोनों ही-को इगका ज्वलन्त उदाहरण बनवाया। उनकी धारणा थी कि इस प्रकार का वैचारिक सघर्ष सामाजिक प्रगति का बोध न हो कर टिटर जैमे व्यक्ति के अभ्युदय का कारण बन सकता है।<sup>28</sup>

नेहरू ने यह स्वीकार किया कि भारत में भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने के प्रयत्न में मानवीय प्रकृति के आध्यात्मिक तत्त्व की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि भारत में व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिये एक ऐसे जीवन-दर्शन की आवश्यकता है जो हमारे चिन्तन को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि दे सके। उनके अनुसार भारत का लक्ष्य व्यक्ति के जीवन को उत्थान करना होना चाहिये। समाजवाद तथा लोकतंत्र दोनों ही साधन हैं, साध्य नहीं हैं। हमें समाज के कल्याण के लिये व्यक्ति का बलिदान नहीं करना है।<sup>29</sup> इसके लिए जीवन का ध्येय प्रतिस्पर्द्धा प्रथवा संग्रहणशीलता न होकर सहयोग पर आधारित होना चाहिए। प्रत्येक का कल्याण सबसे पर्याप्त का जनक बन सकता है यदि: लोगों को परिधारा के स्थान पर वर्तव्यों के प्रति निष्ठावान् बना जाय। उस तरह शिक्षा को नई दिशा प्रदान कर एक नव मानवता का मूलन किया जा सकता है।

वैदिक दर्शन का उद्देश्य करने हुए नेहरू ने दर्शाया कि प्रत्येक बन्धु में परमात्मा का अंश है। यह स्थिति हमें तत्समीपता की गहराइयों की ओर ले जाती है। विज्ञान भी तत्समीपता की ओर बढ़ रहा है। यदि व्यापक दृष्टिकोण में देखा जाय तो प्रत्येक बन्धु में परमात्मा का निःसंग जीवन के लक्षणों को हमारे सामने प्रस्तुत करने हुए प्राणि, रश्मि, वर्ण-धे: धारि: के महीने बन्धनों में मुक्त तथा दृष्टात्मं परिधर सहिष्णु बनाने में सहायक

हो सकता है।

नेहरू के प्रयत्नों से भारत में लोक कल्याणकारी राज्य तथा समाजवाद के स्वीकार किया गया।<sup>30</sup> प्रत्येक देश चाहे वह पूंजीवादी हो, समाजवादी हो अथवा मध्यम-मूलरूप में लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्वीकार करता है। पूंजीवाद के इस आदर्श की पूर्ति का कार्य संपादित किया है। लोकतंत्र तथा पूंजीवाद ने एक-दूसरे के कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों ने भी आर्थिक विकास के क्रम को निरन्तर आगे बढ़ाया है और समाज के सभी वर्गों को उन्नत किया है। पिछड़े हुए देशों में औद्योगिक विकास की कमी के कारण वह स्थिति अभी तक नहीं बन पायी जिसमें आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके। समाजवाद इन असमानताओं को दूर कर सकता है। किन्तु नेहरू का यह स्पष्ट विचार है कि पिछड़े हुए अथवा अविकसित देशों में समाजवाद का प्रयोग समाजवाद को भी पिछड़ा एक अविकसित बना देगा।

उनके विचार से साम्यवाद के अनेक राजनीतिक आधारों ने समाजवाद सम्बन्धी मान्यताओं को विकृत रूप में प्रस्तुत किया है। साम्यवाद की वर्ग-हिंसक उपायों से स्थापना समाजवाद से मेल नहीं खाती। समाजवाद को समाज के सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि उत्पादन के स्रोतों की सामुदायिक परिवर्तन तथा विकास का मापदण्ड माना जा सके। साम्राज्यवाद अथवा उपनिवेशवाद ने प्रगति को अवरुद्ध किया है। इसके विपरीत समाजवाद आर्थिक स्वावलम्बन तथा समानता का आधार प्रस्तुत करता है।

नेहरू ने व्यक्ति तथा राज्य के सम्बन्धों पर बल देते हुए यह व्यक्त किया कि राज्य व्यक्ति के लिये है, न कि व्यक्ति राज्य के लिये। व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी है किन्तु राज्य का मूल आधार व्यक्ति के कल्याण पर निर्भर करता है। व्यक्ति के अधिकार उन्हीं सामाजिक उत्तरदायित्वों से संतुलित किये जाये जाते हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का बोध नहीं हो सकता।<sup>31</sup> नेहरू राज्य के पुनर्गठन में लोक कल्याणकारी राज्य की ओर विकास को प्राथमिक समय की आवश्यकता के अनुकूल मानते थे। वे राज्य के बढ़ते हुए कार्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्य-शक्ति के विस्तार तथा उसके केन्द्रीकरण से परितणित थे। वे चाहते थे कि राज्य-शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाय ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य से रक्षा की जा सके।<sup>32</sup>

नेहरू ने विकेन्द्रीकरण तथा गाँवों के स्वावलम्बन में अग्रतः धनताया है। गाँवों को स्वावलम्बी एवं विरमित बनाने की योजना उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता थी किन्तु वे एक आर्थिक विकेन्द्रीकरण के पक्ष में नहीं थे जो ऐसे प्रायोगिक पर टिका देते हो जो प्राथमिक उपकरणों एवं मशीनों की शक्ति के पुनर्गठन की माँगों से उद्योगों के विकास को गड़बड़ाता हो। निर्धनता को दूर करने के ऐसे प्रयास निर्धनता को और भी बढ़ाते हैं। निर्धनता को एतद्वय दूर नहीं किया जा सकता है। नेहरू के अनुसार समाजवादी दिशा में योजनाबद्ध प्रयास ही निर्धनता को मिटा सकता है।

योजना के माध्यमों पर प्रस्ताव दारों द्वारा नेहरू ने योजनाबद्ध कार्यक्रम को सीमित माध्यमों की दृष्टि में अग्रतः रखा था। निर्धनता एवं अशिक्षित लोगों का समाज रूप

से विकास करने के लिये राष्ट्रीय एकीकृत योजना की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिये निजी उद्योगों को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता होती है। भारत में निजी उद्योगों को योजना के अन्तर्गत उचित नियंत्रण में निबद्ध किया गया है ताकि योजना के राष्ट्रीय तथ्यों का संधारण हो सके तथा उत्पादन बढ़ाया जा सके।

नेहरू ने भूमि-सुधारों की योजना को कृषि की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिये आवश्यक माना।<sup>33</sup> इन सुधारों के माध्यम से अर्थ से चली आ रही सामाजिक असमानता तथा वर्ग संरचनाओं को समाप्त किया जाना आवश्यक था। भारत में भूमि-सुधारों द्वारा विकास के एक निश्चित आधार को प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा की स्थापना के लिये भी प्रयत्न किया गया था,<sup>34</sup> किन्तु कोई भी उद्देश्य तब तक, नेहरू की दृष्टि में, पूरा नहीं हो सकता जब तक कि मानवीय गुणों का विकास न किया जाये। मानव की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति निहित है। नेहरू ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य को इस दृष्टि से अधिक महत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो सके।

नेहरू ने भारत की समस्याओं को अन्य देशों से भिन्न स्तर पर रखा। औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों के समक्ष समस्याएँ भिन्न प्रकार की थी। उनका आर्थिक स्तर वर्तमान विकसित अवस्था से पहले भी भारत से कई गुणा अच्छा था। पश्चात्प मापदंडों से भारत की समस्याओं का निवारण सही ढंग से नहीं हो सकता। भावसंबादी आर्थिक व्यवस्था भी पुरानी पड़ चुकी है। अतः भारत के लिए अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु भारतीय दृष्टिकोण अपनाना ही श्रेयस्कर है। शांतिपूर्ण उपायों से तथा प्रत्येक वस्तु में जीवन-शक्ति के अस्तित्व के वैदिक आदर्शों को ध्यान में रख कर हमें आर्थिक समस्याओं का हल ढूँढ़ना है।

### सामाजिक परिवर्तन

नेहरू के अनुसार प्राचीन समय में जो राजप्रासाद की शान्तिवा हुभा करती थी, उनमें राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सामान्य जनता के जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। जन-जीवन के सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष को परिवर्तित करने की स्थिति सत्ताधारियों की शक्तिशालीता से सम्बन्धित नहीं थी। अच्छे और बुरे शासकों का गत्ता के लिये रक्तपात निर्वाह गति से चलता रहता था। किन्तु यह स्थिति राष्ट्रीय शान्ति के युग में बदल गयी। विदेशी गत्ता द्वारा संचालित राष्ट्र जनता की परतंत्रता के अलावा उनके नैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पतन का कारण बन जाता है। परतंत्रता में जखड़ी हुई जनता शोषण एवं अपमान की भागी बनती है। समाज की उच्च श्रेणियों को गत्ता तथा शक्ति से दूर रखकर विदेशी शासन अपनी जड़ें जमाने का प्रयास करता है किन्तु राष्ट्रीय शान्ति के माध्यम से विदेशी गत्ता में मुक्ति प्राप्त करने पर समाज का उच्च वर्ग पुनः शक्ति प्राप्त कर लेता है और दागता के सभी बंधन तोड़ देता है। फिर भी राष्ट्रीय शान्ति का लाभ समाज के निम्न वर्गों तक नहीं पहुंच पाता। उनके लिये परतंत्रता और स्वतंत्रता का अंतर तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता, जब तक उन्हें सामाजिक स्तर की दृष्टि में ऊंचा उठाने का प्रयास न किया जाय। इस कार्य के लिये केवल राजनीतिक परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं होता। राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक शान्ति की

आवश्यकता होती है। सामाजिक क्रान्ति समाज के ढाँचे को बदल देती है। अंग्रेजों की संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने वाली क्रान्ति अथवा फ्रांस की राज्यक्रान्ति इसी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन की द्योतक है। सामाजिक परिवर्तन के लिए जनता में जागृति आवश्यक है। जब आर्थिक कारणों से जनता तिलमिला उठती है, तब सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर भी जनता में अन्याय का प्रतिकार करने की भावना पूर्णतया जागृत नहीं हो पाती। उस सुपुष्ट भावना को जागृत किये बिना सामाजिक परिवर्तन अर्थहीन है।<sup>35</sup>

नेहरू ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में बाधक तत्वों का उल्लेख करते हुये स्तलाया कि प्राचीन समय में आवागमन के साधनों की सीमित उपलब्धि तथा उत्पादन एवं वितरण के साधनों में परिवर्तन की शिथिलता, धर्म द्वारा रूढ़िवादिता एवं परिवर्तन का विरोध, वर्ग-विशेष का साधनों पर एकाधिपत्य एवं सत्ता का स्वामित्व ऐसे कारण थे जिनसे यथास्थिति को भी परिवर्तन का प्रतीक बना दिया गया। उनके अनुसार सत्ता-धारियों द्वारा यह क्रम अभी भी बना हुआ है। वे जिसे स्वयं के लिए लाभकारी मानते हैं, उसी को श्रेष्ठ मानकर शेष समाज का शोषण करते हैं। वास्तव में समाज का हित केवल कुछ व्यक्तियों का हित नहीं हो सकता। सामाजिक हित की वास्तविक साधना में ही व्यक्तिगत हित की कामना करना श्रेयस्कर है किन्तु धर्म तथा रूढ़िवादिता से दबे व्यक्ति भी शोषण की व्यवस्था को अपने लिए श्रेष्ठ मानने की भूल कर बैठते हैं और सामाजिक परिवर्तन का स्वयं विरोध करते हैं। वे सामाजिक व्यवस्था को अपरिवर्तनशील मानते हुये भाग्यवादिता के सहारे जीते हैं। किस्मत को दोष देने वाले या मानने वाले प्रगति का विरोध करते हैं। नेहरू के अनुसार यह स्थिति तब छिन्न-भिन्न होती है, जब रूढ़ियाँ तथा वास्तविकता के बीच घाई गहरी हो जाय। एक बार परिवर्तन की प्रक्रिया स्थापित होने पर सामाजिक क्रान्ति वेग से साई जा सकती है। अतः रूढ़िवाद एवं परम्परावाद ही क्रान्ति-वेग के जनक हैं। यदि समाज परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ-साथ परिवर्तित होता रहे तो सामाजिक क्रान्ति की भी आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक क्रान्ति का स्थान सामाजिक विकास ले लेगा।<sup>36</sup>

सामाजिक परिवर्तन के लिए नेहरू ने गांधीजी के विचारों को स्वीकार नहीं किया। गांधीजी की धारणा कि व्यक्तियों का सुधार सामाजिक विकास का प्रतीक बन सकता है, नेहरू को गमोचीन प्रतीत नहीं हुआ। इसी प्रकार वे भौतिक सुविधाओं का स्वेच्छा से त्याग तथा मादगी और सीमित आवश्यकताओं में संयमित जीवन को उचित ही न मानते थे। नेहरू ने गांधीजी के इन विचारों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को हास्यास्पद माना। वे समाज की प्रगति के निम्ने विज्ञान की उपलब्धियों एवं भौतिक सुविधाओं को महत्त्व देने थे। वे गांधीजी के साधुवाद एवं निर्धनता के महत्प्रामाण्य को आपुनिकता की दृष्टि में निन्द्यतेपन का प्रतीक मानते थे। आपुनिक सम्पत्ता द्वारा न केवल शहरी समाज को अविशुद्ध प्रामाण्य भारत को ऊपर उठाने का उनका स्वप्न सामाजिक परिवर्तन का विनिश्चित विचार था। वे मानते थे कि जहाँ गांधीजी व्यक्तिगत मुक्ति तथा शांति की भावना में प्रदरुः वस्तु की लोचने थे, वहाँ सामाजिक हित आपुनिक सम्पत्ति की प्राप्ति का प्रतीक था। व्यक्ति को परिष्कृत करने का विचार व्यक्ति के सामाजिक जीवन को सम्पन्न

एवं सुखी बनाने से भिन्न था। निर्धन तथा साधनहीन व्यक्ति की सेवा के उपदेश से शोषण उत्पन्न करने वाले कारणों का अन्त ढूँढा जाना चाहिये था। नेहरू ने यहाँ तक माना कि गाँधीजी के विचारों की अहिंसा उनके द्वारा स्वीकृत राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनाओं की अहिंसा से मेल नहीं खाती। गाँधीजी का दार्शनिक अराजकतावाद हिंसात्मक परिवर्तन का विरोधी है किन्तु इसके कारण परिवर्तन की प्रक्रिया का त्याग नहीं करना चाहिए।<sup>37</sup> समाजवाद तथा मार्क्सवाद को हिंसा से जुड़ा हुआ मान कर गाँधीजी ने त्याग दिया है। पूँजीवाद को उससे कम बुरा मानकर उसे कुछ समय के लिये स्वीकार कर लेते हैं किन्तु मनुष्य की भौतिक सुख-सुविधाओं की उन्हें चिन्ता नहीं है। वे न्यासिता के सिद्धान्त की चर्चा करते हुये उसके माध्यम से जनता के कष्टों का निवारण ढूँढते रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य का आन्तरिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास चाहते हुये वे व्यक्ति के बाह्य पर्यावरण में परिवर्तन करना चाहते हैं। नेहरू के अनुसार उपर्युक्त गाँधीवादी दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं है। मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने की लालसा, धन अर्जित करने का लोभ एवं मानव-मूल्य अन्य चोटियों समाप्त नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन राध्येय इन सभी मानवीय चोटियों के मध्य सामंजस्य तथा सामाजिक नियंत्रण प्रस्तुत करने का है ताकि साधनहीन तथा साधन-सम्पन्न दोनों का निर्वाह हो सके। नेहरू के अनुसार ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा पुरातनपथी जीवन की पुनरावृत्ति से प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रगति के लिये आवश्यक है कि समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित किया जाये। सार्वजनिक हित में उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था की जाये। यदि राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएँ ऐसे परिवर्तन का विरोध करें तो उन्हें भी बदल दिया जाय। न्यासिता के नाम पर पहले पूँजीपति को पनपने देना और फिर उससे सार्वजनिक हित में सम्पत्ति के प्रयोग की कामना करना, जमींदारी-जागीरदारी तथा सामंतवादी व्यवस्था को स्वीकार करना आदि नेहरू को स्वीकार नहीं थे। वे परिवर्तनवादी थे। उन्हें हिंसा, अहिंसा, बल प्रयोग अथवा हृदय-परिवर्तन किसी भी माध्यम के प्रति अप्राप्त अथवा अप्राप्त नहीं था। उनके सामने मूल प्रश्न था सामाजिक व्यवस्था को बदलने का। नेहरू ने अपने प्राप्ति पारिवारिक कारणों से बुजुर्ग करार देते हुये तथा साम्यवादियों द्वारा उन्हें "पश्चात्तापी बुजुर्ग" समझने का औचित्य स्वीकार करते हुये भी यही कहा कि हमें पाप के स्थान पर पापी का अन्त करना है। पूँजी के दुर्गुणों को पूँजीपतियों की समाप्ति से ही दूर किया जा सकता है। अतः नेहरू ने व्यक्तियों के माथ दुःख न रखते हुए पूर्ण व्यवस्था को समय के अनुसार परिवर्तित करने पर जोर दिया। वे परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये सगदात्मक लोकतन्त्र को सही मानते थे। उनके अनुसार संसदात्मक लोकतन्त्र की घमण्डता का कारण उसका पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जाना है। नेहरू ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में धर्म को दूर रखने का अप्राप्त किया। वे स्पिनोजा के इस शब्द को कि 'ज्ञान तथा समझदारी से स्वतन्त्रता प्राप्त करना भावुकता के अन्त में अंधकार है'—भारत के लिये सर्वाधिक उपयुक्त मानते थे।<sup>38</sup>

### नेहरू तथा लोकतन्त्र

नेहरू के अनुसार लोकतन्त्र केवल राजनीतिक अथवा धार्मिक धारणा मान नहीं है बल्कि एक मानविक अवस्थिति है। लोकतन्त्र में राजनीतिक तथा धार्मिक शक्ति से अन्त



की अधिकधिक समानता अन्तर्निहित है। व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति सहिष्णुता का भाव लोकतन्त्र का मूलाधार है। इसकी गतिशीलता तथा सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति इसे ऐसा मानसिक उपागम बना देती है जिससे हमारी राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का हल निकल सके। लोकतन्त्र में प्रयुक्त राजनीतिक स्वतन्त्रता अथवा समानता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता अर्थहीन दिखाई देगी, फिर भी राजनीतिक समानता पूर्व आवश्यकता है। राज्य द्वारा प्रत्येक नीति पर जनता का समर्पण प्राप्त करना लोकतन्त्र की धुरी है। यदि जनता का यह परमाधिकार छीन लिया जाय तो स्वाधीनता की समाप्ति निकट है। नेहरू के अनुसार लोकतन्त्र में प्रचार के साधनों का दुरुपयोग किया जा सकता है ताकि जनता को गलत नीतियों से बहलाया-पुसलाया जा सके, किन्तु इस तरह का छतरा लोकतन्त्र में सदैव बना रहेगा। इस दोष के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था का त्याग नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों द्वारा विनिश्चय करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाना है ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर शासन में परिवर्तन कर सके। व्यक्ति की रक्षा करने के साथ-साथ महत्वाकांक्षी व्यक्ति में भी सामाजिक तन्त्र को सुरक्षित रखना है। अपराधी अथवा असामाजिक तत्त्वों से समाज को बचाना आवश्यक है। ऐसा कई बार हुआ है कि कोई एक समूह शक्ति प्राप्त कर उस शक्ति को कुछ समय तक बनाये रखता है तथा प्रचार-साधनों से जनता को गुमराह करता है। इस स्थिति से उबारने का उत्तरदायित्व व्यक्ति पर ही है। यदि व्यक्ति असफल होता है तो दोष लोकतन्त्र का नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति की असफलता को लोकतन्त्र की असफलता नहीं मानना चाहिये। लोकतन्त्र शासन के अन्य प्रकारों की तुलना में जनता से अधिक उच्च प्रतिमानों की अपेक्षा करता है। यदि जनता उस मापदण्ड तक नहीं पहुँच पाई तो लोकतांत्रिक यन्त्र असफल हो जाता है।<sup>39</sup>

नेहरू के अनुसार लोकतन्त्र के निर्वाह के लिये आर्थिक नायंत्रम जरूरी है। केवल मताधिकार के प्रयोग मात्र से समस्याओं का निराकरण नहीं होता। समाज में व्याप्त आर्थिक भेदभाव तथा असमानताओं को दूर किये बिना लोकतन्त्र नहीं बन सकता। अतः जन प्रतिनिधियों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना के लिये सभी उपाय काम में लायें। मंत्री, सहकारिता, राज्य द्वारा नियंत्रण आदि विभिन्न माध्यम से भेदभाव रोका जाना चाहिये।<sup>40</sup>

नेहरू ने लोकतन्त्र को शांतिपूर्ण पद्धति मानते हुए उसे माध्य प्राप्त करने का उचित माध्यम माना।<sup>41</sup> अनुशासन के स्थान पर लोकतन्त्र का धारमानुशासन अन्य पद्धतियों से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें व्यक्ति पर बाह्य दबाव का अभाव प्रकट होता है। अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णुता का भाव केवल लोकतन्त्र में ही सम्भव है। अल्पों के स्थान पर शांतिपूर्ण परिवर्तन लोकतन्त्र का प्राण है। यदि लोकतांत्रिक पद्धति में शांतिपूर्ण उपायों का प्रयोग नहीं होता तो वह लोकतन्त्र का विलोम ही होगा। धरातलता में भिन्न लोकतन्त्र प्रत्येक व्यक्ति को विनाश का अथवा प्रदान करता है। कोई भी सामाजिक गणठन बिना अनुशासन के नहीं चल सकता, अतः लोकतन्त्र में भी अनुशासन आवश्यक है। यह अनुशासन न केवल बाह्य दबाव में लाया जा सकता है, और न धारमानुशासन मात्र में। लोकतन्त्र में अनुशासन स्वयं पर आधेनित किया जाता है।

इस प्रकार नेहरू ने लोकतन्त्र के लिये अनुशासन को महत्त्वपूर्ण बतलाया और एकतंत्रवाद से उनकी भिन्नता प्रकट की। उन्होंने यह बतलाने का भी प्रयास किया कि व्यक्ति द्वारा अनुशासित न रहने पर बाह्य सत्ता अथवा सैनिक तानाशाही लोकतन्त्र का स्थान लेने के लिए अनुशासन आरोपित करती है।

उनके अनुसार केवल संवैधानिक ढांचे की श्रेष्ठता अथवा संवैधानिक नियमों की श्रेष्ठता से लोकतन्त्र की स्थापना नहीं होती। व्यक्तियों के चरित्र से व्यवस्था चलती है। संविधान भी जनता के विचारों का ही प्रतिबिम्ब हुआ करता है। यदि जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में असफल हो, तो श्रेष्ठ संविधान भी निरस्त कर दिये जाते हैं। समय के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलना आवश्यक है। आधुनिक समय की मांगों को देखते हुए संसदात्मक पद्धति पर्याप्त नहीं है। सांसदों के समक्ष कार्याधिकार से प्रदत्त व्यवस्थापन में वृद्धि होना अनिवार्य हो गया है। शासन का सामाजिक समस्याओं से संयुक्त होने का यह अच्छा परिणाम सामने आया है कि अब राज्य केवल पुलिस राज्य न कहा जाकर लोक-कल्याणकारी शासन की भूमिका निभाता है। लोकतन्त्र के आर्थिक पक्ष की पूर्ति के लिये शासन को वित्तीय प्रबन्ध भी करना पड़ता है। केवल राजनीतिक शक्ति के प्रसार तथा मताधिकार की व्यवस्था लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अपनाने पर टिप्पणी करते हुए व्यक्त किया कि भारत ने संसदीय जीवन को आणविक युग की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने का सफल प्रयास किया है, किन्तु निरन्तर विकासोन्मुख मानवसमाज के लिये सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास में तालमेल बिठाना आवश्यक है।<sup>42</sup> उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक शासन की इस विदोषता को अधिक ध्यान में रखने का आग्रह किया कि भारत में अन्य देशों की तुलना में लोकतन्त्र को स्थापित किये अधिक समय नहीं हुआ। इतने कम समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के अनेक लाभ तथा हानियाँ भी हैं जिनके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। लाभकारी पक्ष यह है कि भारत में लोकतन्त्र की स्थापना शांतिपूर्ण तरीकों में की गई है, किन्तु इसमें क्रांतिकारी पक्ष अन्तर्निहित है। इतने कम समय में व्यक्तियों के चिन्तन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है कि वे दासता तथा सामंतवादी युग ने अपने को पूर्णतया भिन्न पाते हैं। भारतीय जनता ने इस परिवर्तन को शांति में बिना किसी संपर्प तथा व्यवधान के प्राप्त किया है। फिर भी यह प्रश्न सामने आ सकता है कि व्यक्तियों के सोचने की आदत क्या इतनी शीघ्रता में परिवर्तित हो सकती है जितनी शीघ्रता में राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन लाया गया है? इसके उत्तर में नेहरू ने यह व्यक्त किया है कि व्यक्तियों को नवीन दृष्टिकोण अपना कर समय के साथ अपने को बदलना होगा, अन्यथा यह क्रांतिकारी सौरातांत्रिक परिवर्तन रुद्धिवादिता तथा यथास्थितिवाद का जिकार बनकर जड़पट हो जायेगा। उनके अनुसार क्रम बद्ध क्रान्ति लाने वाले स्वयं क्रान्ति के प्रतिगामी बन जाते हैं। इनमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इनने विज्ञान जन-ममुदाय को नवीन मार्ग पर प्रचल कराने के परगाह उन पर नियंत्रण की समस्या स्थाभायिक रूप में उत्पन्न होती है। भारत में शांतिपूर्ण अनुशासित तरीके से स्वतन्त्रता प्राप्त की है, अतः नियंत्रण की ये समस्याएँ भारत के सामने नहीं आयीं जो अन्य देशों में आयी हैं, फिर भी वे इनके विज्ञान जनमुदाय

को उचित नेतृत्व ही दिशा दे सकता है।<sup>43</sup>

लोकतन्त्र में नेतृत्व की समस्या पर प्रकाश डालते हुए नेहरू ने लिखा है कि नेतृत्व ऐसा होना चाहिये जो जनता की अनुवादी करे, न कि स्वयं जनता के आदेशों पर चलने लग जाय। भीड़ की इच्छा के अनुसार चलने वाला नेतृत्व नेतृत्व नहीं कहा जा सकता और न इसके द्वारा मानवीय प्रगति ही संभव है। इसी प्रकार यदि नेतृत्व प्रदान करने वाला जन समुदाय से अलग-थलग पड़ जाय तो वह भी उचित नहीं। यदि वह जनसामान्य की तरह सोचने लग जाय तो उसका चिंतन निम्न धरातल का हो जायगा और वह अपने आदेशों के प्रति विश्वासघात करेगा अथवा सत्य के लिये समझौता। एक वार समझौता करना प्रारम्भ कर दिया गया तो फिर इस अन्त न होने वाली फिमलन से संभलने का भवसर नहीं प्राप्त होगा। नेतृत्व के लिए सत्य का स्वयं दर्शन पर्याप्त नहीं है, दूसरों को भी सत्य का दर्शन करा सकने की उसमें क्षमता होनी चाहिये। उनके अनुसार लोकतांत्रिक समाज में जनता का नेतृत्व करने वाला धामतीर पर पर्यावरण के अनुरूप अपने-आपको ढालते हुये कम बुराई के मार्ग का अनुसरण करना चाहता है। अनुकूलन की थोड़ी-बहुत मात्रा तो अपरिहार्य है, किन्तु यह अनुकूलन मूलभूत आदर्शों तथा लक्ष्यों को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिये। यह समस्या निरन्तर बनी रहेगी। प्रत्येक पीढ़ी के ममक्ष यह समस्या चुनौती के रूप में होगी और हर व्यक्ति को इसका समाधान अपने प्रकार से चुनना होगा।<sup>44</sup>

लोकतन्त्र को बहस, वार्तानाप तथा असहमति से निर्णयों को स्वीकृत कराने वाली पद्धति मानते हुये नेहरू ने इसे अल्पसंख्यकों की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण माना। लोकतन्त्र को शान्ति तथा युद्ध दोनों ही परिस्थितियों में कार्य के अनुरूप मानते हुये ये श्रेष्ठ गतिशील परिवर्तन का माध्यम मानते रहे। उनके अनुसार लोकतन्त्र के अन्तर्गत स्थापित संसदात्मक शासन-व्यवस्था को किसी निश्चित अर्थव्यवस्था से जोड़ना उचित नहीं था। निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत समान रूप में आर्थिक कार्यक्रम के सहभागी बन सकते थे। यह कहना कि संसदीय लोकतन्त्र केवल निजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ रह सकता था, उचित नहीं था। उनके अनुसार समाजवाद, निजी उद्योग तथा लोकउद्यम के समर्थक तक महत्त्वपूर्ण दिखाई देते हुये भी अग्रभागी है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ कि विपरीत परिस्थितियों को मध्यमवर्ग द्वारा मिलाने का प्रयास न किया गया हो। अमेरिका जिसे कि निजी क्षेत्र तथा पूंजीवाद का गढ़ माना जाता है, वहाँ भी लोक उद्यमों की कमी नहीं है। जिन देशों में समाजवादी गोरक्षात्मक व्यवस्था है, वहाँ भी संसदीय लोकतन्त्र ठीक से प्रभावी है। वास्तविकता तो यह है कि संसदीय लोकतन्त्र तथा निजी क्षेत्र में कोई तानमेल नहीं।<sup>45</sup>

नेहरू ने संसदीय लोकतन्त्र की मान्यता के लिये कर्षक मताधिकार के माध्यम को स्वीकार किया। ये चाहते थे कि मताधिकार के व्यापक प्रयोग में उत्पन्न राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति को बनाये रखने के लिए आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना जरूरी है। मात्र समाजवादी, गैर-आत्म्यवादी तथा साम्यवाद-विरोधी सभी अपने-अपने आर्थिक लोकतन्त्र स्थापित करने की बात दोहराते हैं। इसी प्रकार नेहरू ने लिखा कि विचारक दर भी बंध दिया। उनके अनुसार अर्थ देनों में लोकतन्त्र की स्थापना लिखा तथा आस्था

इस प्रकार नेहरू ने लोकतन्त्र के लिये अनुशासन को महत्त्वपूर्ण बतलाया और एकतंत्रवाद से उनकी भिन्नता प्रकट की। उन्होंने यह बतलाने का भी प्रयास किया कि व्यक्ति द्वारा अनुशासित न रहने पर बाह्य सत्ता अथवा सैनिक तानाशाही लोकतन्त्र का स्थान लेने के लिए अनुशासन आरोपित करती है।

उनके अनुसार केवल संवैधानिक ढांचे की श्रेष्ठता अथवा संवैधानिक नियमों की श्रेष्ठता से लोकतन्त्र की स्थापना नहीं होती। व्यक्तियों के चरित्र से व्यवस्था चलती है। संविधान भी जनता के विचारों का ही प्रतिबिम्ब हुआ करता है। यदि जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में असफल हो, तो श्रेष्ठ संविधान भी निरस्त कर दिये जाते हैं। समय के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलना आवश्यक है। आधुनिक समय को मांगों को देखते हुए संसदात्मक पद्धति पर्याप्त नहीं है। सांसदों के समक्ष कार्याधिक्य से प्रदत्त व्यवस्थापन में वृद्धि होना अनिवार्य हो गया है। शासन का सामाजिक समस्याओं से संयुक्त होने का यह अच्छा परिणाम सामने आया है कि अब राज्य केवल पुलिस राज्य न कहा जाकर लोक-कल्याणकारी शासन की भूमिका निभाता है। लोकतन्त्र के आर्थिक पक्ष की पूर्ति के लिये शासन को वित्तीय प्रबन्ध भी करना पड़ता है। केवल राजनीतिक शक्ति के प्रसार तथा मताधिकार की व्यवस्था लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अपनाने पर टिप्पणी करते हुए व्यक्त किया कि भारत ने संसदीय जीवन को आणविक युग की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने का सफल प्रयास किया है, किन्तु निरन्तर विकासोन्मुख मानवसमाज के लिये सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास में तालमेल बिठाना आवश्यक है।<sup>12</sup> उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक शासन की इस विशेषता को अधिक ध्यान में रखने का आग्रह किया कि भारत में अन्य देशों की तुलना में लोकतन्त्र को स्थापित किये अधिक समय नहीं हुआ। इतने कम समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के अनेक लाभ तथा हानियाँ भी हैं जिनके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। लाभकारी पक्ष यह है कि भारत में लोकतन्त्र की स्थापना शांतिपूर्ण तरीके से की गई है, किन्तु इसमें क्रांतिकारी पक्ष अन्तर्निहित है। इतने कम समय में व्यक्तियों के चिन्तन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है कि वे दासता तथा सामंतवादी युग ने अपने को पूर्णतया भिन्न पाते हैं। भारतीय जनता ने इस परिवर्तन को शांति से बिना किसी संघर्ष तथा व्यवधान के प्राप्त किया है। फिर भी यह प्रश्न सामने आ सकता है कि व्यक्तियों के सोचने की आदत क्या इतनी भीम्रता में परिवर्तित हो सकती है जिनकी भीम्रता में राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन लाया गया है? इसके उत्तर में नेहरू ने यह व्यक्त किया है कि व्यक्तियों को नवीन दृष्टिकोण अपना कर समय के माप अपने को बदलना होगा, अन्यथा यह क्रान्तिकारी सोचक्रान्तिक परिवर्तन रुझावित तथा यथास्थितिवाद का शिकार बनकर जड़बद्ध हो जायेगा। उनके अनुसार क्रम बद्ध क्रान्ति लाने वाले स्वयं क्रान्ति के प्रतिगामी बन जाते हैं। इनमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इनने विद्यालय जन-समुदाय को नवीन मार्ग पर अग्रसर करने के पश्चात् उन पर नियंत्रण की समस्या स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होती है। भारत में शांतिपूर्ण अनुशासित तरीके से स्वतन्त्रता प्राप्त की है, अतः नियंत्रण की ये समस्याएँ भारत के सामने नहीं आयीं जो अन्यत्र देगी गयी है, फिर भी वे इतने विद्यालय जनसमुदाय

को उचित नेतृत्व ही दिशा दे सकता है।<sup>43</sup>

लोकतन्त्र में नेतृत्व की समस्या पर प्रकाश डालते हुए नेहरू ने लिखा है कि नेतृत्व ऐसा होना चाहिये जो जनता की अनुवाइ करे, न कि स्वयं जनता के आदेशों पर चलने लग जाय। भीड़ की इच्छा के अनुसार चलने वाला नेतृत्व नेतृत्व नहीं कहा जा सकता और न इसके द्वारा मानवीय प्रगति ही संभव है। इसी प्रकार यदि नेतृत्व प्रदान करने वाला जन समुदाय से अलग-थलग पड़ जाय तो वह भी उचित नहीं। यदि वह जनसामान्य की तरह सोचने लग जाय तो उसका चिंतन निम्न धरातल का हो जायगा और वह अपने आदर्शों के प्रति विश्वासघात करेगा अथवा सत्य के लिये समझौता। एक बार समझौता करना प्रारम्भ कर दिया गया तो फिर इस अन्त न होने वाली फिसलन से संभलने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। नेतृत्व के लिए सत्य का स्वयं दर्शन पर्याप्त नहीं है, दूसरो को भी सत्य का दर्शन करा सकने की उसमें क्षमता होनी चाहिये। उनके अनुसार लोकतांत्रिक समाज में जनता का नेतृत्व करने वाला आमतौर पर पर्यावरण के अनुरूप अपने-आपको ढालते हुये कम बुराई के मार्ग का अनुसरण करना चाहता है। अनुकूलन की थोड़ी-बहुत मात्रा तो अपरिहार्य है, किन्तु यह अनुकूलन मूलभूत आदर्शों तथा लक्ष्यों को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिये। यह समस्या निरन्तर बनी रहेगी। प्रत्येक पीढ़ी के समक्ष यह समस्या चुनौती के रूप में होगी और हर व्यक्ति को इसका समाधान अपने प्रकार से चुनना होगा।<sup>44</sup>

लोकतंत्र को बहस, वार्तालाप तथा असहमति से निर्णयो को स्वीकृत कराने वाली पद्धति मानते हुये नेहरू ने इसे अल्पसंख्यकों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना। लोकतन्त्र को शान्ति तथा युद्ध दोनों ही परिस्थितियों में कार्य के अनुरूप मानते हुये वे इसे गतिशील परिवर्तन का माध्यम मानते रहे। उनके अनुसार लोकतन्त्र के अन्तर्गत स्थापित ससदात्मक शासन-व्यवस्था को किसी निश्चित अर्थव्यवस्था से जोड़ना उचित नहीं था। निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत समान रूप से आर्थिक कार्यक्रम के सहभागी बन सकते थे। यह कहना कि संसदीय लोकतन्त्र केवल निजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ रह सकता था, उचित नहीं था। उनके अनुसार समाजवाद, निजी उद्योग तथा लोकउद्यम के समर्थक तर्क महत्वपूर्ण दिखाई देते हुये भी अप्रभावी है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ कि विपरीत परिस्थितियों को मध्यमवर्ग द्वारा मिलाने का प्रयास न किया गया हो। अमेरिका जिसे कि निजी क्षेत्र तथा पूंजीवाद का गढ़ माना जाता है, वहाँ भी लोक उद्यमों की कमी नहीं है। जिन देशों में समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ भी संसदीय लोकतन्त्र ठीक से प्रभावी है। वास्तविकता तो यह है कि संसदीय लोकतन्त्र तथा निजी क्षेत्र में कोई तालमेल नहीं।<sup>45</sup>

नेहरू ने संसदीय लोकतन्त्र की सफलता के लिये वयस्क मताधिकार के महत्व को स्वीकार किया। वे चाहते थे कि मताधिकार के व्यापक प्रयोग से उत्पन्न राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति को बनाये रखने के लिए आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना अनिवार्य है। आज साम्यवादी, गैर-साम्यवादी तथा साम्यवाद-विरोधी सभी अपने यहाँ आर्थिक लोकतन्त्र स्थापित करने की बात दोहराते हैं। इसी प्रकार नेहरू ने शिक्षा के विस्तार पर भी बल दिया। उनके अनुसार अन्य देशों में लोकतन्त्र की स्थापना शिक्षा तथा साक्षरता

इस प्रकार नेहरू ने लोकतन्त्र के लिये अनुशासन को महत्त्वपूर्ण बतलाया और एकतंत्रवाद से उनकी भिन्नता प्रकट की। उन्होंने यह बतलाने का भी प्रयास किया कि व्यक्ति द्वारा अनुशासित न रहने पर बाह्य सत्ता अथवा सैनिक तानाशाही लोकतन्त्र का स्थान लेने के लिए अनुशासन आरोपित करती है।

उनके अनुसार केवल संवैधानिक ढांचे की श्रेष्ठता अथवा संवैधानिक नियमों की श्रेष्ठता से लोकतन्त्र की स्थापना नहीं होती। व्यक्तियों के चरित्र से व्यवस्था चलती है। संविधान भी जनता के विचारों का ही प्रतिबिम्ब हुआ करता है। यदि जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में असफल हो, तो श्रेष्ठ संविधान भी निरस्त कर दिये जाते हैं। समय के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलना आवश्यक है। आधुनिक समय की मांगों को देखते हुए संसदात्मक पद्धति पर्याप्त नहीं है। सासदों के समक्ष कार्याधिकार से प्रदत्त व्यवस्थापन में वृद्धि होना अनिवार्य हो गया है। शासन का सामाजिक समस्याओं से संयुक्त होने का यह अच्छा परिणाम सामने आया है कि अब राज्य केवल पुलिस राज्य न कहा जाकर लोक-कल्याणकारी शासन की भूमिका निभाता है। लोकतन्त्र के आर्थिक पक्ष की पूर्ति के लिये शासन को वित्तीय प्रबन्ध भी करना पड़ता है। केवल राजनीतिक शक्ति के प्रसार तथा मताधिकार की व्यवस्था लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अपनाने पर टिप्पणी करते हुए व्यक्त किया कि भारत ने संसदीय जीवन को आणविक युग की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने का सफल प्रयास किया है, किन्तु निरन्तर विकासोन्मुख मानवसमाज के लिये सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास में तालमेल बिठाना आवश्यक है।<sup>42</sup> उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक शासन की इस विशेषता को अधिक ध्यान में रखने का आग्रह किया कि भारत में अन्य देशों की तुलना में लोकतन्त्र को स्थापित किये अधिक समय नहीं हुआ। इतने कम समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के अनेक लाभ तथा हानियाँ भी हैं जिनके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। लाभकारी पक्ष यह है कि भारत में लोकतन्त्र की स्थापना शांतिपूर्ण तरीकों से की गई है, किन्तु इसमें क्रांतिकारी पक्ष अन्तर्निहित है। इतने कम समय में व्यक्तियों के चिन्तन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है कि वे दासता तथा सामंतवादी युग ने अपने को पूर्णतया भिन्न पाते हैं। भारतीय जनता ने इस परिवर्तन को शांति से बिना किसी संघर्ष तथा व्यवधान के प्राप्त किया है। फिर भी यह प्रश्न सामने आ सकता है कि व्यक्तियों के सोचने की आदत क्या इतनी शीघ्रता से परिवर्तित हो सकती है जितनी शीघ्रता से राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन लाया गया है? इसके उत्तर में नेहरू ने यह व्यक्त किया है कि व्यक्तियों को नवीन दृष्टिकोण अपना कर समय के साथ अपने को बदलना होगा, अन्यथा यह क्रांतिकारी लोकतांत्रिक परिवर्तन रूढ़िवादिता तथा यथास्थितिवाद का शिकार बनकर जड़बद्ध हो जायेगा। उनके अनुसार क्रम वद्ध क्रान्ति लाने वाले स्वयं क्रान्ति के प्रतिगामी बन जाते हैं। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इतने विशाल जन-समुदाय को नवीन मार्ग पर अग्रसर करने के पश्चात् उन पर नियंत्रण की समस्या स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। भारत ने शांतिपूर्ण अनुशासित तरीके से स्वतन्त्रता प्राप्त की है, अतः नियंत्रण की वे समस्याएँ भारत के सामने नहीं आयी जो अन्यत्र देखी गयी हैं, फिर भी वे इतने विशाल जनसमुदाय

को उचित नेतृत्व ही दिशा दे सकता है।<sup>43</sup>

लोकतन्त्र में नेतृत्व की समस्या पर प्रकाश डालते हुए नेहरू ने लिखा है कि नेतृत्व ऐसा होना चाहिये जो जनता की अगुवाई करे, न कि स्वयं जनता के आदेशों पर चलने लग जाय। भीड़ की इच्छा के अनुसार चलने वाला नेतृत्व नेतृत्व नहीं कहा जा सकता और न इसके द्वारा मानवीय प्रगति ही संभव है। इसी प्रकार यदि नेतृत्व प्रदान करने वाला जन समुदाय से अलग-थलग पड़ जाय तो वह भी उचित नहीं। यदि वह जनसामान्य की तरह सोचने लग जाय तो उसका चिंतन निम्न धरातल का हो जायगा और वह अपने आदेशों के प्रति विश्वासघात करेगा अथवा सत्य के लिये समझौता। एक बार समझौता करना प्रारम्भ कर दिया गया तो फिर इस अन्त न होने वाली फिसलन से सभलने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। नेतृत्व के लिए सत्य का स्वयं दर्शन पर्याप्त नहीं है, दूसरो को भी सत्य का दर्शन करा सकने की उसमें क्षमता होनी चाहिये। उनके अनुसार लोकतांत्रिक समाज में जनता का नेतृत्व करने वाला आमतौर पर पर्यावरण के अनुरूप अपने-आपको ढालते हुये कम बुराई के मार्ग का अनुसरण करना चाहता है। अनुकूलन की थोड़ी-बहुत मात्रा तो अपरिहार्य है, किन्तु यह अनुकूलन मूलभूत आदर्शों तथा लक्ष्यों को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिये। यह समस्या निरन्तर बनी रहेगी। प्रत्येक पीढ़ी के समक्ष यह समस्या चुनौती के रूप में होगी और हर व्यक्ति को इसका समाधान अपने प्रकार से चुनना होगा।<sup>44</sup>

लोकतंत्र को बहस, वार्तालाप तथा असहमति से निर्णयो को स्वीकृत कराने वाली पद्धति मानते हुये नेहरू ने इसे अल्पसङ्ख्यको की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना। लोकतन्त्र को शान्ति तथा युद्ध दोनों ही परिस्थितियों में कार्य के अनुरूप मानते हुये वे इसे गतिशील परिवर्तन का माध्यम मानते रहे। उनके अनुसार लोकतन्त्र के अन्तर्गत स्थापित ससदात्मक शासन-व्यवस्था को किसी निश्चित अर्थव्यवस्था से जोड़ना उचित नहीं था। निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत समान रूप से आर्थिक कार्यक्रम के सहभागी बन सकते थे। यह कहना कि संसदीय लोकतन्त्र केवल निजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ रह सकता था, उचित नहीं था। उनके अनुसार समाजवाद, निजी उद्योग तथा लोकउद्यम के समर्थक तर्क महत्वपूर्ण दिखाई देते हुये भी अप्रभावी हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ कि विपरीत परिस्थितियों को मध्यमवर्ग द्वारा मिलाने का प्रयास न किया गया हो। अमेरिका जिसे कि निजी क्षेत्र तथा पूंजीवाद का गढ़ माना जाता है, वहाँ भी लोक उद्यमों की कमी नहीं है। जिन देशों में समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ भी संसदीय लोकतन्त्र ठीक से प्रभावी है। वास्तविकता तो यह है कि संसदीय लोकतन्त्र तथा निजी क्षेत्र में कोई तालमेल नहीं।<sup>45</sup>

नेहरू ने संसदीय लोकतन्त्र की सफलता के लिये वयस्क मताधिकार के महत्व को स्वीकार किया। वे चाहते थे कि मताधिकार के व्यापक प्रयोग से उत्पन्न राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति को बनाये रखने के लिए आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना अनिवार्य है। आज साम्यवादी, गैर-साम्यवादी तथा साम्यवाद-विरोधी सभी अपने यहाँ आर्थिक लोकतन्त्र स्थापित करने की बात दोहराते हैं। इसी प्रकार नेहरू ने शिक्षा के विस्तार पर भी बल दिया। उनके अनुसार अन्य देशों में लोकतन्त्र की स्थापना शिक्षा तथा साक्षरता

के पूर्ण विस्तार के पश्चात् ही हुई, किन्तु भारत में लोकतन्त्र जिन परिस्थितियों में स्थापित किया गया, उनमें शिक्षा की वह स्थिति नहीं थी। अन्य देशों में आर्थिक क्रान्ति ने शिक्षित जनसमुदाय की मांगों को बढ़ाया और लोकतांत्रिक व्यवस्था ने उसे पूरा करने का प्रयास किया। भारत में हमने राजनीतिक लोकतन्त्र एकदम प्रारम्भ कर दिया है यद्यपि जनता की भागों की आपूर्ति पूरी नहीं हो पायी। शिक्षा के विस्तार से जनसमुदाय में उत्पन्न राजनीतिक तथा आर्थिक जागृति का समाधान आवश्यक है। इसके लिये योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया गया है। यदि राजनीतिक संरचना जनता की आकांक्षाओं तथा उनकी पूर्ति के मध्य की खाई को नहीं पाटती तो उसका अर्थ होगा संरचना का पिछड़ापन और उसकी समाप्ति।<sup>46</sup>

संचार तथा आवागमन के साधनों के विकास ने समस्त मानवीय संरचनाओं को परिवर्तित कर दिया है। केन्द्रीयकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने मानवीय स्वतन्त्रता के लिये खतरा उत्पन्न कर दिया है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता वह स्थिति नहीं रही जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आदान-प्रदान किये बिना घना रह सके। राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता ने विश्व-सरकार की ओर इंगित किया है, किन्तु राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बनाये रखते हुये विश्व-सरकार की स्थापना मान्य है, अन्यथा नहीं। नेहरू के अनुसार वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है केन्द्रीयकरण तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की समस्या को सुलझाना। उनके अनुसार इस समस्या का समाधान संसदीय लोकतन्त्र में ही निहित है। एक-सत्तात्मक शासन इस दृष्टि से सफल नहीं माना जा सकता। कोई भी तानाशाह लंबे समय तक लोकमत की अवहेलना नहीं कर सकता। औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों में बुद्धिजीवियों द्वारा एक-सत्तात्मक शासन के प्रति विद्रोह अवश्यम्भावी है। फिर भी केन्द्रीयकरण जनता की स्वतन्त्रता को सीमित करता है। केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्रीयकरण में उचित सामंजस्य की आवश्यकता है। गांधीजी ने विकेन्द्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त किया है और वे आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण चाहते हैं ताकि शक्ति के केन्द्रीभूत होने से उत्पन्न दोषों से बचा जा सके। नेहरू के अनुसार समय की मांग को देखते हुए समाज का अधिक से अधिक संश्लिष्ट होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय तंत्र की अभिवृद्धि रोकी जानी चाहिये। नौकरशाही की संख्या में वृद्धि का अर्थ है, ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को सरकारी तंत्र में समाविष्ट करना जो कार्य कुशल होते हुए भी सरकारी तंत्र में अवरोध उत्पन्न कर दें और निरुद्देश्यता में वृद्धि करें। कोई भी शासन-व्यवस्था निष्क्रिय तथा जड़ होने पर समाप्त हो सकती है किन्तु संसदीय शासन व्यवस्था में निष्क्रियता तथा जड़ता से दूर रह कर जीवन<sup>47</sup> के बदलते हुए आयामों से युक्त होने की अद्भुत क्षमता है।

नेहरू ने समाजवाद से प्रेरणा प्राप्त कर लोकतन्त्र को समाजवादी लोकतन्त्र के रूप में परिष्कृत करने का सुझाव दिया। वे स्केण्डिनेवियाई देशों के समाजवादी लोकतन्त्र से अत्यन्त प्रभावित हुए थे।<sup>48</sup> यही कारण था कि उन्होंने भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में भूमि-सुधारों को प्राथमिकता दी और जमींदारी, तालुकेदारी तथा जागीरदारी प्रथाओं को मिटाने में पहल की। देशी रियासतों की समाप्ति के साथ ही सामन्तवादी शासन का अन्त कर दिया गया। कृषि की समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ भारत के औद्योगिक



विकास की ओर भी ध्यान दिया गया। योजना बद्ध विकास का उद्देश्य था समाजवादी समाज की क्रमिक स्थापना। नेहरू ने विज्ञान तथा प्रविधि को निर्धनता के निवारण प्रयुक्त करने का सुझाव दिया। वे उत्पादन में वृद्धि करना चाहते थे ताकि गरीब वर्गों को उबारा जा सके। वैज्ञानिक नियोजन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि कर राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि करना आवश्यक था, किन्तु इसका उद्देश्य चन्द व्यक्तियों को लाभान्वित करना नहीं था। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार से समान अवसर मिलने चाहिये थे। लोक कल्याणकारी राज्य के साथ समाजवादी समाज की स्थापना तथा सब को अवसर की समानता उपलब्ध कराने का कार्य सम्पत्ति की असमानता को दूर कर सकता है। आर्थिक भेदभाव अथवा ऊच-नीच के भाव रहते समाजवादी लोकतन्त्र की स्थापना नहीं हो सकती। नेहरू ने लोकतंत्र के विकास के लिए सैद्धान्तिक समाजवाद के स्थान पर प्रायोगिक तथा व्यावहारिक समाजवाद को अपनाने का आग्रह किया।<sup>49</sup> वे समाजवाद का प्रत्येक राष्ट्र अथवा समाज अथवा व्यक्ति का लक्ष्य देखना चाहते थे। आधुनिक समय में समाजवाद में अविश्वास का अर्थ है वर्तमान परिस्थिति के प्रति अज्ञानता। फिर भी नेहरू ने समाजवाद की किसी मान्यता विशेष से अपने को जोड़ना स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार समाजवाद का अर्थ था ऐसे सर्वहितकारी समाज की स्थापना जिसमें धनाढ्य द्वारा अनावश्यक व्यय, अथवा निर्धन की निर्धनता दोनों को समाप्त किया जा सके।<sup>50</sup>

### लोकतान्त्रिक समाजवाद

नेहरू ने लोकतान्त्रिक समाजवाद में निष्ठा प्रकट की। वे उत्पादन में वृद्धि करने के लक्ष्य की प्रगति के लिए भारत में राष्ट्रीयकरण की नीति के समर्थक थे, यदि राष्ट्रीयकरण द्वारा उत्पादन में वृद्धि संभव हो। उनका उत्पादन पर अधिक जोर यह सिद्ध करता था कि वे पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। पूंजीवादी व्यवस्था उत्पादन-प्रधान होती है जबकि साम्यवादी अथवा पूर्णतया समाजवादी व्यवस्था में उपभोग पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नेहरू द्वारा बारबार उत्पादन के महत्त्व को दोहराना यही स्पष्ट करता है वे समाजवाद के लक्ष्य की ओर तो बढ़ना चाहते थे किन्तु पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति अपना झुकाव रोकने में असमर्थ थे। लोकतान्त्रिक समाजवाद भी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अनुपयोगी नहीं था, किन्तु केवल उत्पादन के द्वारा निर्धनता के अंत की बात करना छद्मवेशी पूंजीवाद की दुहाई देने के समान था। सम्भवतः नेहरू आधुनिक समय के 'प्रगतिशील' कहे जाने वाले भारतीयों के समान अपनी वामपंथी छवि बनाये रखने के लिये अधिक उद्यत थे।

नेहरू ने राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थन करते हुये भारत में प्रतिरक्षा तथा कुछ अन्य प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। वे सम्पूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भारत के लिए व्यवहारिक नहीं मानते थे। इन उद्योगों पर व्यय करने के लिए प्राप्त धनराशि को नये उद्योगों की स्थापना में लगाया जा सकता था तथा निजी उद्योगों के लिए भी मार्ग खुला था; किन्तु नेहरू ने एक महत्त्वपूर्ण सुझाव यह दिया कि विज्ञान तथा प्राविधिकी के विकास के कारण उत्पादन के श्रेष्ठ साधनों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखा जाय ताकि निजी व्यावसायिकों के हाथ में आकर वे निजी एकाधिकार की वस्तुयें न बन

जायें ।<sup>51</sup>

नेहरू साम्यवाद तथा पूंजीवाद का मध्यम मार्ग चुनना चाहते थे ताकि समतापूर्ण वितरण तथा समुचित उत्पादन की समस्या का समाधान किया जा सके। वे भारत के संदर्भ में विचारवादों के संघर्ष से दूर रहने तथा जो यथेष्ट एवं श्रेयस्कर हो उसी मार्ग को अपनाने का आग्रह कर रहे थे। वे 'वाद' का लेबल लगाने के स्थान पर जनोपयोगी वस्तुओं के उत्पादन की ओर समग्र ध्यान केन्द्रित कर रहे थे। उनके अनुसार मूल समस्या थी जनता का जीवन स्तर उन्नत करने की, आवश्यकताओं की पूर्ति करने की, जीवन-यापन के साधन उपलब्ध कराने की तथा जीवन में विकास के लिए भौतिक वस्तुओं के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को प्राप्त कराने की। उनके अनुसार इन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था ही अंगीकार करनी है।<sup>52</sup>

नेहरू ने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति पर बल देते हुये उसे औद्योगीकरण के लिए आवश्यक बतलाया। वे निजी उद्योगों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते थे। उनका विचार था कि निजी व्यावसायिकों को भी उद्योग धन्धे चलाने का अवसर मिलना चाहिए। वे मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था के समर्थक थे। उनके अनुसार भारत को किसी बाह्य मॉडल की नकल करने के स्थान पर अपनी आवश्यकता तथा क्षमता के अनुसार आर्थिक कार्यक्रम अपनाना चाहिए। अनेक सिद्धान्तों, विचारवादों तथा नीतियों में से किसी भी एक मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें भी परिवर्तन लाये जा सकते हैं। नेहरू ने अमेरिका का उदाहरण देते हुये बतलाया कि वहां भी निजी उद्योगों का बाहुल्य होते हुये भी राजकीय उपक्रमों की संख्या कम नहीं है। रूस में मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना का दावा किया जाता है किन्तु वहां भी मार्क्स की अपने प्रकार से व्याख्या करते हुए राजकीय पूंजीवाद की स्थापना कर दी गई। अतः उचित यही है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना भारत में की जाय। अमेरिका की समृद्धि 150 वर्षों के निरन्तर प्रयास तथा शान्ति एवं सौहार्द के वातावरण में हुई है। उनका भौगोलिक विस्तार तथा उत्पादन का निरन्तर कीर्तिमान भी कम नहीं। किन्तु भारत को यह सब प्राप्त करने के लिए कम से कम 100 वर्ष चाहिये। नेहरू के अनुसार भारत जैसे महान् देश के सामने अनेक समस्याएं तथा संघर्ष-भरा वातावरण है। हम लम्बे समय तक आर्थिक विकास की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जैसे अमेरिका ने की है। भारत की बड़ी-बड़ी योजनाओं को भारत के निजी उद्योग नहीं चला सकते। राज्य द्वारा चलाये जाने पर भी ये योजनाएँ तुरन्त लाभ पहुँचाना शुरू नहीं करती। इसके लिये कुछ समय चाहिये। उन्होंने भारत के उद्योगपतियों को पैसे बनाने की कला में निपुण बतलाया किन्तु ध्यापक परिप्रेक्ष्य में विवेक शून्य करार दिया क्योंकि उद्योगपतियों ने समय के साथ-साथ आगे बढ़ने के स्थान पर प्राचीन विगलित मुक्त व्यापार की दुहाई देना बंद नहीं किया। नेहरू ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये निजी सम्पदा में अभिवृद्धि करने के स्थान पर सावजनिक हितों के सबर्द्धन पर ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध किया।<sup>53</sup>

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की लोक-कल्याणकारी राज्य से तुलना करते हुये नेहरू

ने दोनो को वित्तोम शब्दों की संज्ञा दी। वे यह मान सकते थे कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती थी किन्तु उन्हें कल्याणकारी राज्य को समाजवादी अर्थ-व्यवस्था पर आधारित करना संबंध अनुपयुक्त दिखाई देता था। उनके अनुसार भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य समाजवाद अथवा साम्यवाद द्वारा तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक हमारी राष्ट्रीय आय में अत्यधिक वृद्धि न हो जाये। समाजवाद अथवा साम्यवाद हमारी वर्तमान सम्पदा का विभाजन कर सकते हैं, किन्तु भारत में निर्धनता के अलावा विभाजन करने को क्या है! केवल गिने-चुने धनाढ्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को इधर-उधर बाँटने से हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था नहीं सुधर सकती। मात्र मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए हम ऐसा कर लें किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह अनुपयोगी रहेगा; क्योंकि भारत जैसे निर्धन देश में सम्पत्ति की अत्यल्पता है। पहले हम सम्पदा का निर्माण करें, देश में सम्पत्ति का उत्पादन करें और फिर उसे समता से विभाजित करें। आर्थिक साधनों के बिना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। अभाव की अर्थव्यवस्था पर हम जन-कल्याण की बुनियाद नहीं रख सकते। आवश्यकता है प्रचुरता की अर्थव्यवस्था की जो हर प्रकार के अभाव को दूर कर सके।<sup>54</sup>

समाजवाद की अवधारणा को गत्यात्मक, लचीली तथा विकासोन्मुख मानते हुये भी नेहरू ने उसे किसी विशेष साचे में ढालने के बजाय सर्वतोमुखी विचार के रूप में देखा। उनके अनुसार अत्यधिक विकसित औद्योगिक समुदाय का समाजवाद कृषि-प्रधान व्यवस्था के समाजवाद से भिन्न होगा। समाजवाद को किसी बड़ परिभाषा में बांधने के स्थान पर आवश्यकतानुसार किये गये जनोपयोगी कार्यों को समाजवादी कार्यक्रम की संज्ञा दी जा सकती है। समाजवाद की विशिष्टता इसमें है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था के संग्रहकारी समाज के स्थान पर सहयोग एवं सहकार पर नये समाज के निर्माण का मार्ग सुझाता है। सर्वाधिकारवादी राज्य के अन्तर्गत समाजवाद की स्थापना त्वरित गति से होती है, जैसा कि सोवियत रूस तथा माओ के चीन में हुआ है, किन्तु लोकतांत्रिक पद्धति से समाजवाद की स्थापना शनैः शनैः होती है। लोकतांत्रिक समाजवाद मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उनके अनुसार भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आदर्श को स्वीकार किया है; अतः केवल भौतिक समृद्धि ही हमारा लक्ष्य नहीं है। भौतिक सम्पदा के साथ-साथ मानव की रचनात्मक शक्ति को भी बढ़ाना है। लोकतंत्र तथा समाजवाद को समन्वित करने के शांतिपूर्ण उपायों पर भ्रमल करना है। दमन अथवा हिंसा के स्थान पर सद्भाव तथा सहयोग द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना होनी चाहिये। नेहरू ने इस संदर्भ में तानाशाही शासकों को भी सद्भाव तथा सहयोग का अवलंबन लेते हुये बतलाकर लोकतांत्रिक सरकारों के लिये इसकी अपरिहार्यता पर पूर्ण बल दिया।<sup>55</sup>

**नेहरू तथा मार्क्सवाद**

नेहरू ने मार्क्सवाद के प्रशंसकों में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था। वे मार्क्स के सामाजिक तथा आर्थिक दर्शन को अत्यधिक वैज्ञानिक एवं विचारोत्पादक स्वीकार करते थे किन्तु वे मार्क्स के विश्लेषण को उपयोगी एवं विवेकयुक्त मानते हुये भी मार्क्सवाद से पूर्णतया सहमत नहीं थे। मार्क्सवाद को इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति का प्रतिफल

मानते हुये नेहरू ने मार्क्स के विचारों को ऐसे वातावरण में उत्पन्न माना, जहाँ परिस्थितियाँ विकट एवं विचित्र प्रकार की थी—ऐसी स्थितियाँ जिनकी विश्व में कहीं और पुनरावृत्ति नहीं हुई थी। औद्योगीकरण के प्रथम चरण की दानवीयता एवं असामान्य परिस्थितियों का मार्क्स के विचारों पर भी प्रभाव पड़ा था। लोकतांत्रिक संरचना जैसी वस्तु उस समय में नहीं थी जिसके द्वारा बिना हिंसात्मक उपायों के परिवर्तन लाया जा सके। चूँकि संवैधानिक अथवा लोकतांत्रिक उपायों से परिवर्तनों का नितान्त अभाव था, अतः मार्क्स ने हिंसात्मक क्रान्ति के प्रयोग का ही चरण किया। नेहरू ने मार्क्स के इस असामान्य साधन को असामान्य परिस्थितियों का परिणाम मानकर पूर्णतया अस्वीकार किया।<sup>56</sup> मार्क्स के विचारों को पुराना धोषित करते हुये नेहरू ने वर्तमान समय में उनकी समय-पश्चता को सिद्ध किया है। उनके अनुसार मार्क्स को अपने ऐतिहासिक सन्दर्भ से पृथक् कर वर्तमान समय की समस्याओं का निराकरण मार्क्स में ढूँढना मुक्ति-मुक्त नहीं है।

नेहरू के अनुसार मार्क्सवादी विश्लेषण में ऐतिहासिक शक्तियों के महत्त्व को आर्थिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का अभिप्राय तार्किक था, किन्तु मार्क्स का यह विश्लेषण भविष्य में आनेवाले अन्य प्रभावों को आत्मसात् नहीं कर सकता था। यह मार्क्स का दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने समय में जो कुछ अनुभव किया, उसी के आधार पर अपने निष्कर्ष स्थापित किये। बाद में अन्य शक्तियों का उद्भव हुआ जिनमें राजनीतिक लोकतंत्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। मार्क्स के समय में लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में भी वास्तविक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं था क्योंकि शासन भूपतियों के हाथ में था। मताधिकार प्राप्त होने के पश्चात् जो परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, वह मार्क्स द्वारा प्रस्तावित सामाजिक परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से लाने में समर्थ है। मार्क्स इस तथ्य का स्वप्न में भी चिंतन न कर सका कि भविष्य में इस प्रकार की राजनीतिक शक्ति उत्पन्न हो सकेगी।<sup>57</sup>

इसी प्रकार से श्रमिक तथा कृषक-संगठनों के विकास ने पूँजीपतियों पर दबाव डाल कर जिस आर्थिक लोकतंत्र का सूत्रपात किया है, वह भी मार्क्स की इस भविष्य-वाणी को नकारता पूँजी तथा शक्ति का अधिक से अधिक केन्द्रीयकरण चन्द व्यक्तियों के हाथ में हो जायेगा और निर्धनता बढ़ती जायेगी। वास्तविकता यह है कि आधुनिक समय में लोकतांत्रिक माध्यमों से तथा मजदूरों के संगठनों द्वारा जो प्रभाव डाला जा रहा है उससे पूँजीपतियों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित हुआ है और निर्धनता भी दूर हुई है। यद्यपि मार्क्स द्वारा कल्पित आर्थिक स्थितियों को नेहरू ने अस्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने यह माना कि परिवर्तित वातावरण ने मार्क्स के विचारों को कुछ-कुछ सीमित कर दिया। प्राविधिकी के आशातीत विकास ने सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन की माँग को पूरा करने में जो भूमिका निभाई, वह भी मार्क्स वाद के लिये नुनोती बन गयी है। प्राविधिकी के विकास तथा वैज्ञानिक प्रगति ने पूँजी तथा उत्पादन की समस्याओं का ऐसा हल ढूँढ निकाला है जिससे भौतिक सम्पन्नता का सुख आम जनता को भी प्राप्त होने लगा है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से यह सम्पन्नता पूरी दिखाई देती है, किन्तु व्यवहार में अभी भी मानवता की सामान्य एवं प्रारम्भिक

मार्यों को पूरा करने के लिये बहुत कुछ करना शेष है। मार्क्स ने ऐसे समय में अपना कार्य किया था जब प्रमुख प्रश्न आर्थिक था। उस समय ऐसी वस्तुओं का वितरण जो सीमित मात्रा में उपलब्ध थीं और जिनके कारण विविध सघर्षों की उत्पत्ति हुई थी उनसे शक्तिशाली तथा धन-सम्पन्न वर्ग द्वारा निर्धन एवं दुर्बल का शोषण हो रहा था।<sup>58</sup> नेहरू ने वर्ग-संघर्ष की स्थिति को भी स्वीकार किया किन्तु वे मार्क्स द्वारा सुझाये गये हिंसात्मक हल के पक्ष में न थे। वे गांधीजी की शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण एवं रचनात्मक पद्धति को अधिक उपयुक्त मानते थे। नेहरू के अनुसार वर्ग-संघर्ष को सामान्य ठहराने के स्थान पर शांति तथा सहयोग से उसका हल ढूँढने की आवश्यकता है ताकि व्यक्तियों को नष्ट करने अथवा उनसे युद्ध करने की धमकी देने के बजाय उनका हृदय जीता जा सके और वर्ग-संघर्ष को सीमित किया जा सके। उनके अनुसार गांधीजी वर्ग-संघर्ष के प्रति इतने जागरूक नहीं थे जितने वर्तमान (1960) समय के व्यक्ति, किन्तु उनके द्वारा सुझाये गये उपाय आज भी उतने ही कारगर हैं—विशेष तौर से भारत के लिए। भारत का अतीत तथा भारतीय परम्परा शांति, मैत्री तथा सहयोग का प्रतीक है। नेहरू के विचारों के अनुसार वर्ग-संघर्ष के साथ एक और महत्वपूर्ण पक्ष जुड़ा हुआ है और वह है आणविक शक्ति का। आणविक शक्ति का शांतिमय पक्ष जहाँ मानवीय विकास को चरम सीमा तक पहुँचा सकता है, वहाँ आणविक बम समस्त मानवीय सभ्यता को कुछ ही क्षणों में नष्ट भी कर सकता है। इस अभूतपूर्व शक्ति के उदय ने वर्ग-संघर्ष अथवा पूंजीवादी-समाजवादी संघर्ष या जनता-युद्ध की भयावहता को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि हिंसा द्वारा इन समस्याओं का हल ढूँढना संभव नहीं है। अतः किसी भी दृष्टि से वर्ग-संघर्ष का विचार पुराना ही दिखाई देता है—विशेषतः तब जबकि न केवल राष्ट्रों अपितु मानव-समूहों अथवा व्यक्तियों द्वारा भी संहारक शस्त्रों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे समय में गांधीजी द्वारा प्रस्तुत समन्वय, सहयोग, सह-अस्तित्व तथा प्रगतिशील समीकरण के समाधान का अनुसरण करना ही श्रेयस्कर है।<sup>59</sup>

### साम्प्रदायिकता : धर्म तथा राजनीति

साम्प्रदायिकता को नेहरू ने मिथक की सजा दी और यह व्यक्त किया कि इस मिथक को समाप्त करने के लिये दमन की जितनी उपयोगिता नहीं उतनी भय की भावना के निवारण तथा हितों को दूसरी दिशा देने की है। मुसलमानों के हृदय से भय की भावना दूर करने तथा उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। उनके 1934 में व्यक्त विचार के अनुसार साम्प्रदायिकता शासकीय शक्ति से हित-माधन प्राप्त करने की लालसा का परिणाम है। साम्प्रदायिक विचारक विदेशी शासन को निरन्तर बनाये रखना चाहता है ताकि वह अपने समूह के लिये सब कुछ प्राप्त करता रहे। विदेशी सत्ता का अन्त करने में ही साम्प्रदायिक तत्वों का भी अन्त मुनिश्चित है। यही कारण है कि भारत में आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिये विशेष ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि विदेशी शासन तथा कतिपय उच्च वर्ग से सम्बन्धित साम्प्रदायिक नेताओं ने अपने स्वार्थपूर्ण हितों के संरक्षण में ही सारा समय लगाया। सामाजिक संरचना के परिवर्तन तथा आर्थिक सुधारों के कारण उनके एकाधिकार को ठेस पहुँचती थी, अतः सुधारों का क्रम रोक दिया गया। इस प्रकार साम्प्रदायिकता ने राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है।

ब्रिटिश सरकार ने इन प्रतिक्रियावादियों को पूर्ण संरक्षण दिया है।<sup>60</sup>

साम्प्रदायिक संगठनों को धार्मिक नहीं कहा जा सकता—यद्यपि वे धार्मिक समूहों से सम्बन्धित होते हैं तथा धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं। उन्हें सांस्कृतिक संगठनों की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, चाहे कितनी भी वीरता से वे भूतकालीन संस्कृति का वखान क्यों न करें। उनके उपदेशों में नैतिकता तथा आचार-शास्त्र का नितान्त अभाव है, अतः उन्हें नैतिक समूहों में भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उनका कोई आर्थिक कार्यक्रम भी नहीं है। कुछ अपने-आपको राजनीतिक भी कहलाना स्वीकार नहीं करते। वास्तविकता, नेहरू के अनुसार, यह है कि वे साम्प्रदायिक संगठन राजनीतिक तरीकों से कार्य करते हैं। उनकी माँगें राजनीतिक होती हैं, फिर भी वे अपने आपको गैर-राजनीतिक करार देते हुये अन्य समुदायों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। वे न तो भारत की पूर्ण स्वाधीनता की बात करते हैं और न अधिराज्य स्थिति की मांग ही प्रस्तुत करते हैं।<sup>61</sup> इन साम्प्रदायिक तत्त्वों को मिटाने के लिये नेहरू ने आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया है। उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता तो आवश्यक है ही, किन्तु आर्थिक स्वतंत्रता के बिना साम्प्रदायिकता नष्ट नहीं की जा सकती। आर्थिक प्रश्नों पर ध्यान केन्द्रित होते ही साम्प्रदायिकता का प्रभाव कम होने लगेगा। उनके अनुसार व्यक्तियों का ध्यान जीवन-यापन तथा उदरभरण की आवश्यकताओं का निवारण करते समय साम्प्रदायिकता की ओर नहीं रहेगा। श्रमिकों तथा कृषकों के सामने भी आर्थिक समस्याएँ हैं। उनका सहयोग मिलने से भी साम्प्रदायिकता से उनका ध्यान दूसरी ओर लगाया जा सकता है जिससे उनके आर्थिक हितों का उचित समाधान प्रस्तुत किया गया हो। जनमत जागृत करके देश की वास्तविक समस्याओं के प्रति जनता का ध्यान यदि आकृष्ट किया जाय तो साम्प्रदायिकता का वातावरण समाप्त हो सकता है।<sup>62</sup> साम्प्रदायिकता की समस्या का राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा कैसे समाधान किया जा सकता है, इस प्रश्न के उत्तर में नेहरू ने (1936 में) बतलाया कि साम्प्रदायिकता की समस्या का मूल कारण मध्यमवर्ग में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या है। साम्प्रदायिकता की आड़ में नौकरियां मिल जाती हैं। राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना ने साम्प्रदायिकता को कम करने में सहायता दी है, फिर भी साम्प्रदायिकता की भावना उसी समय समाप्त हो सकती है जब ये मूल प्रश्न आर्थिक तथा सामाजिक हों। ऐसे में साम्प्रदायिक नेताओं की बात न मध्यम वर्ग सुनेगा और न निम्न मध्यम वर्ग ही। नेहरू ने अपने तर्कों के समर्थन में 1921 के असहयोग आंदोलन का उदाहरण देते हुए बतलाया कि उस आंदोलन के समय साम्प्रदायिक नेताओं को तनिक भी प्रोत्साहन नहीं मिला क्योंकि जनता का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं पर लगा हुआ था। इस संदर्भ में ब्रिटिश शासन की नीति का विरोध करते हुये नेहरू ने कहा कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत सम्प्रदायों की अनेक इकाइयाँ स्थापित कर वातावरण को और भी विषला बनाया गया है। नेहरू ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि साम्प्रदायिक प्रश्न का जाति से कोई लेना देना नहीं है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण तथा अंब्राह्मण के विवाद को मानते हुये भी नेहरू ने उसे जातिगत प्रश्न न मानकर सम्पन्न तथा माधन-हीन का संघर्ष माना। उनके अनुसार दक्षिण भारत की मूल समस्या थी कुछ धन-सम्पन्न कुलीन व्यक्तियों तथा प्रमथ्य

साधनहीन निर्धन दलित वर्गों के मध्य संघर्ष । वे इसे साम्प्रदायिक समस्या मानने को तैयार न थे क्योंकि मूल समस्या आर्थिक थी ।<sup>63</sup>

नेहरू ने धर्म तथा राजनीति के साम्प्रदायिकता के रूप में गठबंधन को देश के लिये घातक बतलाया । राजनीति को नैतिक सिद्धान्तों से सम्बन्धित मानने का गाँधीजी का दर्शन स्वीकार करते हुये नेहरू ने व्यावहारिक अर्थों में इसे श्रेयस्कर माना, किन्तु राजनीति तथा धर्म के संकीर्ण सम्बन्धों की साम्प्रदायिक राजनीति के रूप में परिणति उन्हें स्वीकार नहीं थी । इसका सर्वाधिक बुरा परिणाम देश के साथ-साथ अल्प संख्यकों को भुगतना पड़ता है । नेहरू ने इस संदर्भ में व्यक्त किया कि स्वाधीन राज्य के अन्तर्गत किसी भी अल्प संख्यक वर्ग द्वारा अपने-आपको अन्य वर्गों से अलग रखने का विचार देश को नुकसान पहुंचाने वाला विचार है । अल्पसंख्यक वर्ग स्वयं इससे कष्ट उठाता है क्योंकि उसके तथा अन्य वर्गों के मध्य ऐसी दीवार—न केवल धार्मिक आधार पर अपितु राजनीतिक एवं आर्थिक आधार पर भी—खड़ी हो जाती है कि वह अपना औचित्यपूर्ण प्रभाव कभी नहीं डाल सकता । नेहरू ने संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष उपर्युक्त विचार व्यक्त करते हुये यह भी कहा कि अल्प संख्यकों के लिये प्रजातीय तथा धार्मिक दोनों ही स्थानों को सुरक्षित करना उचित नहीं है । उनके अनुसार जितना कम संरक्षण हो उतना ही अच्छा है और वह भी उन अल्पसंख्यकों की दृष्टि से जो संरक्षण चाहते हैं न कि उनकी दृष्टि से जो बहुमत में हैं ।<sup>64</sup>

नेहरू ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता की चर्चा करते हुये बतलाया कि आधुनिक लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग करने वाले निर्धन व्यक्तियों तथा धनकुबेरो में समानता स्थापित नहीं की जा सकती । आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त कर सकता है जबकि निर्धन व्यक्ति के लिये पेटभर भोजन भी कठिन हो जाता है । निर्धन तथा सामाजिक दृष्टि से दबे हुए वर्ग को ऊपर उठाने के लिये अनुसूचित जातियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अन्य वर्गों के समान प्रगति कर सकें । जन-जातियों को भी ऊपर उठाने की आवश्यकता है ताकि सदियों से होने वाले शोषण का अन्त किया जा सके । उनके लिए भी आर्थिक तथा शैक्षिक संरक्षण प्रदान किये गये हैं ताकि भविष्य में उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिल सके । किन्तु किसी भी समुदाय विशेष को दी गयी बाह्य सहायता उस समुदाय की वास्तविक शक्ति वा निर्माण नहीं करती । बाह्य सहायता समाप्त होते ही दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं । अतः आवश्यकता इस बात की है कि बाह्य सहायता प्राप्त करने वालों द्वारा अपनी शिक्षा, संस्कृति एवं शक्ति में वृद्धि की जाय । कोई भी राष्ट्र अपने पैरों पर खड़े हुए बिना आगे नहीं बढ़ता ।<sup>65</sup> इस प्रकार नेहरू ने धर्म तथा जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करते हुये इस कार्य के लिये उचित व्यवस्थापन के कार्य में सक्रिय सहयोग दिया ।

साम्प्रदायिकता को पिछड़ेपन की मंजा देते हुए नेहरू ने यह विचार प्रतिपादित किया कि धर्म की व्यक्तिगत मान्यता उचित है, किन्तु किसी भी धर्मवेनम्बी द्वारा धर्म को राजनीति में आयातित करना सर्वथा अनुचित जान पड़ता है । उनके अनुसार भारत को

हर प्रकार के साम्प्रदायिक संगठनों का विरोध करना है चाहे वह हिन्दू संगठन हो अथवा मुस्लिम संगठन अथवा सिक्ख संगठन। साम्प्रदायिकता तथा राष्ट्रवाद साथ-साथ नहीं चल सकते। राष्ट्रवाद का अर्थ हिन्दू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद अथवा सिक्ख राष्ट्रवाद नहीं है। जैसे ही कोई हिन्दू, सिक्ख अथवा मुस्लिम की बात करता है तो उसका स्पष्ट अर्थ है कि वह भारत की बात नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आपसे यह प्रश्न पूछना है कि क्या वह भारत को एक राष्ट्र, एक देश बनाना चाहता है अथवा 10, 20 या 25 राष्ट्रों में भारत को विभाजित करना चाहता है ताकि तनिक-सा धक्का लगते ही सभी टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर जायें। नेहरू के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इसका उत्तर देना है। विभाज्यता सदैव भारत की दुर्बलता रही है। पृथकता की भावना चाहे हिन्दुओं, मुसलमानों, सिक्खों, ईसाइयों अथवा अन्य में रही हो, भारत के लिये खतरनाक है। उन्हें क्षुद्र मस्तिष्कों की उपज माना जाना चाहिये। समय की आत्मा को पहचानने वाला व्यक्ति साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं रख सकता। भारत के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुये क्षुद्र हितों का त्याग आवश्यक है।<sup>66</sup>

नेहरू अपने-आपको धार्मिक मनोवृत्ति का व्यक्ति नहीं मानते थे। धार्मिक सम्प्रदाय उन्हें रुचिकार नहीं लगते थे। जीवन के बाद की धार्मिक निष्ठाओं में उनकी अभिरुचि नहीं थी<sup>67</sup>, किन्तु उन्हें इस ब्रह्माण्ड की नियंत्रक शक्ति में विश्वास था। उन्हें यह ज्ञात था कि मानव के पास विवेक, सूक्ष्मबुद्धि, ज्ञान तथा अनुभव का अपूर्व भंडार होते हुये भी वह जीवन के रहस्यों के बारे में बहुत कम जानता है। विश्व की रहस्यात्मक प्रक्रियाओं को समझने के स्थान पर व्यक्ति केवल कल्पना का ही पुट लगा सका है। उनकी धार्मिक दृष्टि ऐसे श्रद्धालु की थी जो धर्म को नैतिक मूल्यों के रूप में मानता है। नेहरू इस दृष्टि से पूर्णतः नास्तिक नहीं कहे जा सकते। वे संशयवादी थे।<sup>68</sup>

### धर्म-निरपेक्ष राज्य

नेहरू ने दैविक राज्य की मान्यता के विपरीत धर्म-निरपेक्षता को समर्थन प्रदान किया। वे भारत राष्ट्र की बहुधर्मिता के विचार से प्रभावित थे और चाहते थे कि भारत में धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार समस्त सम्प्रदायों को समान रूप से प्राप्त हो। धर्म-प्रधान राज्य की तरह भारत एक प्रमुख धर्म को मान्यता देकर शेष धर्मों के प्रति अन्याय नहीं कर सकता था। नेहरू के अनुसार धार्मिक राज्य का विचार सदियों पहले त्यागा जा चुका है। आधुनिक व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसे विचार के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत में इस प्रश्न को उन व्यक्तियों द्वारा उठाया गया है जो पुनः प्राचीन मनोवृत्ति का अपनाने के उत्सुक हैं।<sup>69</sup> नेहरू ने व्यक्तिगत मान्यताओं का विरोध करते हुये भी यह स्पष्ट किया कि आधुनिक विचाराधारा को दृष्टि में रखते हुये धर्म को राजनीति में पसीटने का प्रयास उपयुक्त नहीं दिखाई देता। वे भारत को केवल राष्ट्रीय एवं धर्म-निरपेक्ष मार्ग पर ही अग्रसर करने के इच्छुक रहे ताकि भारत राष्ट्रीय मार्ग से अन्तर्राष्ट्रवाद की ओर सुगमता से बढ़ सके। उनके अनुसार भारत को संकीर्णता की परिधि से निकल कर सभी धर्मों के साथ ममता का व्यवहार करना है ताकि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो सके। उन्हें संकीर्ण राष्ट्रवाद पसन्द नहीं था। वे राष्ट्रवाद को अधिक रचनात्मक एवं सहिष्णु बनाना चाहते थे ताकि भारत अपनी जनता की सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय



व्यवस्था की स्थापना के हित प्रयुक्त कर सके।<sup>70</sup> नेहरू ने हिन्दू-मुस्लिम एकता का जीवन पर्यन्त प्रयास किया और धर्म-निरपेक्षता पर अपनी अटूट आस्था रखते हुये<sup>71</sup> राष्ट्रवाद तथा एशियाई देशों के नवोदय के मध्य वे सेतु रूप में बने रहे।<sup>72</sup>

### नेहरू तथा गांधीजी

नेहरू के विचारों पर गांधीजी के व्यक्तित्व एवं चिन्तन का स्पष्ट प्रभाव अंकित रहा। वे सर्वप्रथम गांधीजी के सत्याग्रह-आन्दोलन से प्रभावित हुए और तब से वे गांधीजी के निरन्तर संपर्क में ब रहे। उन्हें गांधीजी का मार्ग कर्त्तव्यो का ऐसा मार्ग लगा जो स्पष्ट होने के साथ-साथ सम्भवतः प्रभावी भी था। वे गांधीजी की बुद्धिमत्ता तथा राजनीतिक अन्तर्दृष्टि के कायल थे। उनके तर्कों के समक्ष नेहरू को सहमत होते देर नहीं लगती थी। नेहरू ने डिस्कवरी आफ इण्डिया से एक पूरा अध्याय 'मध्यवर्गों की विवशता-गांधी का आगमन' गांधीजी के यशोगान पर लिखा। गांधीजी के सामूहिक प्रभाव से अभिभूत हो कर नेहरू ने व्यक्त किया "....गांधीजी आये, उनका आगमन एक ऐसी आधी और तूफान की तरह था जो सब कुछ को-और विशेषतौर पर जनता के मस्तिष्क को-उथल-पुथल कर डालता है। वे कही आसमान से नहीं आये बल्कि वे भारत के लाखों-करोड़ों नर-नारियों के बीच में जन्मे थे। उन्हीं की भाषा बोलते थे और निरन्तर उन्हीं की ओर आँखें लगाये हुए उनकी दारुण स्थिति को सामने रखकर चलते थे।"<sup>73</sup>

गांधीजी का प्रभाव केवल कांग्रेस सगठन तक सीमित नहीं था। राष्ट्रीय नेताओं की भिन्न-भिन्न मान्यताओं के बावजूद वे गांधीजी के प्रभाव से अछूते न रहे। उनके अनुसार, "गांधीजी ने भारत की कोटि-कोटि जनता को विभिन्न मात्राओं में प्रभावित किया है। कुछ की जिन्दगी का सम्पूर्ण ढाँचा बदल गया, कुछ आंशिक रूप में प्रभावित हुए, कुछ पर प्रभाव सीमित रहा और बाद में क्षीण हो गया, किन्तु कतिपय ऐसे भी थे जिन पर उनका प्रभाव अविरल रहा...।"<sup>74</sup> गांधीजी द्वारा अहिंसा एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्ति का संकल्प पूरा करने में नेहरू ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेहरू की भूमिका अनेक अवसरों पर निर्णायक थी। गांधीजी तथा नेहरू में परस्पर आस्था थी किन्तु दोनों के व्यक्तित्व अलग-अलग थे। गांधीजी के प्रति असाधारण श्रद्धा रखते हुए भी नेहरू को अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के समान असहयोग आन्दोलन सहसा समाप्त कर देना उचित नहीं लगा। वे गांधीजी के निर्णय से अप्रसन्न हुये। जेल से अपने विरोध को प्रकट करते हुए उन्होंने व्यक्त किया—"जब हमे हमारे संपर्क को ऐसे समय रोके जाने की सूचना मिली, जबकि हम चारों तरफ से जीतते जा रहे थे और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे थे तो हमारे क्रोध का पारावार नहीं रहा।"<sup>75</sup> किन्तु नेहरू का यह मतभेद अस्थायी सिद्ध हुआ। गांधीजी के आत्मोपव्यवहार ने उनका रूढ़ि-सहा विरोध भी जीत लिया। नेहरू ने कहा, "मुझे सत्याग्रह-आन्दोलन के विषय में सबसे प्रशंसनीय बात जो लगी, वह थी उसका नैतिक पहलू। मैंने कभी भी अहिंसा सिद्धान्त में सम्पूर्ण निष्ठा नहीं रखी और न ही उसे सर्वदा के लिये स्वीकार ही किया, किन्तु यह मुझे धीरे-धीरे अपनी ओर आकर्षित करता रहा। कालान्तर में मुझे यह विश्वास जागृत हुआ कि भारत में जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं और हमारी परम्पराओं की जो पृष्ठभूमि है, उसमें यह हमारे लिये नहीं नीति है।"<sup>76</sup> इस प्रकार नेहरू ने गांधीजी के प्रति अनुयायित्व में अपने

विवेक को नहीं छोड़ा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय भी नेहरू ने नमक सत्याग्रह की आलोचना की। वे नमक के प्रश्न को राष्ट्रीय संघर्ष के साथ जोड़ने के प्रति आश्चर्यान्वित थे। डांडी-यात्रा और नमक-सत्याग्रह की अभूतपूर्व सफलता ने नेहरू को गांधीजी की अहिंसक तकनीकों के प्रति मोह लिया। नमक-सत्याग्रह ने भारत में विदेशी शासन को चुनौती दी थी। प्रशासन छिन्न-भिन्न होने जा रहा था। नेहरू ने लिखा कि "जब हमने जनता में अदम्य उत्साह देखा और नमक बनाने के कार्यक्रम को दावानल की तरह फैलते हुए पहचाना तो हमें अपने आप से कुछ लज्जा अनुभव हुई क्योंकि हमने गांधीजी के प्रस्ताव का विरोध किया था। हम यह देखकर श्रद्धावन्त हुये कि एक व्यक्ति ने लाखों-करोड़ों व्यक्तियों को इतने संगठित ढंग से प्रभावशाली कार्य करने के लिए किस तरह निखारा।" 77

द्वितीय महायुद्ध के समय गांधीजी द्वारा सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को पुनः आरम्भ करने का नेहरू ने इस कारण विरोध किया कि वे मित्र राष्ट्रों की स्थिति को आन्दोलन द्वारा दुर्बल नहीं करना चाहते थे, किन्तु गांधीजी की प्रेरणा ने अन्ततोगत्वा नेहरू को व्यक्तिगत सत्याग्रह में सम्मिलित कर ही लिया। "भारत छोड़ो" आन्दोलन के समय भी नेहरू ने गांधीजी के इस कार्यक्रम के प्रस्ताव का विरोध किया किन्तु गांधीजी द्वारा समझाये जाने पर नेहरू ने स्वयं कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। गांधीजी ने नेहरू की रचनात्मक आलोचना का सदैव स्वागत किया। उनके पारस्परिक सहभाव एवं अस्मविश्वास के वातावरण में अधीनस्थता जैसी वस्तु नहीं थी, किन्तु गांधी तथा नेहरू में अन्तर्विरोध भी था। नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय और स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् महत्वपूर्ण समस्याओं पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया और उस पर दृढ़ रहे। यह विरोध केवल सामाजिक तथा आर्थिक प्रश्नों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसमें अहिंसा तथा शान्ति प्रियता की नीति के प्रश्न भी समाहित थे। द्वितीय महायुद्ध के समय गांधीजी द्वारा विना शर्त अहिंसा पर बल दिये जाने के विचार को नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। नेहरू के अनुसार "गांधीजी ने जब 1940 में युद्ध और भावी स्वतंत्र भारत के सन्दर्भ में अहिंसा का प्रश्न उठाया तो कांग्रेस कार्यसमिति को इसका प्रतिकार करना पड़ा। कार्यसमिति का यह मत था कि वे उतनी दूरी तक नहीं जा सकते जहाँ तक गांधीजी उन्हें ले जाना चाहते थे। वे इसके लिये भी तैयार नहीं थे कि भारत और कांग्रेस संस्था भावी विदेश नीतियों के सम्बन्ध में इस (अहिंसा) सिद्धान्त का प्रयोग करें। इससे गांधीजी के साथ इस प्रश्न पर निश्चित एवं सार्वजनिक सम्बन्ध भंग हुआ।" 78 विवाद की यह स्थिति गहरी होती गयी और भारत के विभाजन के समय अधिक मुखरित हुई। ऐसे मतभेदों का सिलसिला एक बार 1928 में भी सामने आया था जब गांधीजी तथा नेहरू ने पत्रों का आदान प्रदान हुआ। नेहरू ने 11 जनवरी 1928 के एक पत्र में गांधीजी को लिखा, "यद्यपि मैं आपके अनेक लेख और आत्मकथा आदि पढ़ने से ऐसा लगता है कि मेरे विचार आपसे गर्वथा भिन्न हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि आप अपने निर्णयों में जल्दबाजी करते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप घटनाओं के घट जाने के बाद उन्हें उचित सिद्ध करने के लिये जो भी प्रमाण मिल जाना है, उसी को तर्क बना देते हैं। आप पश्चिम की सभ्यता को गनन

दंग से आंकते हैं और उसकी बहुत सी असफलताओं को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं।..... मैं निश्चित रूप से आपसे असहमत हूँ।”<sup>79</sup> गांधीजी ने नेहरू को पत्रोत्तर में लिखा, “तुम्हारे और मेरे मध्य जो अन्तर है, वे मुझे इतने गहरे और व्यापक लगते हैं कि हमारे पास वार्तालाप करने के लिए कोई समान स्थल नहीं है। मैं अपनी इस वेदना को नहीं छिपा सकता कि मुझे तुम जैसे साहसी, निष्ठावान्, योग्य तथा ईमानदार सहयोगी को खोने का कितना दुःख होगा। किन्तु जब कोई किसी महत् ध्येय के लिये कार्य करता है तो सहयोगियों का मोह त्यागना ही पड़ता है। इन सभी विचारों से लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिये।”<sup>80</sup> नेहरू का वैचारिक एवं व्यावहारिक भेद भारत के विभाजन के सम्बन्ध में उभर कर सामने आया। गांधीजी ने विभाजन को कभी भी स्वीकार नहीं किया जबकि नेहरू के समक्ष इसके अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि “आन्तरिक विरोधों के बने रहने की अपेक्षा विभाजन सम्भवतः कम बुरा था, क्योंकि इसके द्वारा हमें अविलम्ब स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी। हम स्वतंत्रता प्राप्त करने को उत्सुक थे, अतः हमने विभाजन स्वीकार किया। किन्तु बाद के परिणामों से प्रमाणित हुआ कि विभाजन उससे कहीं अधिक बुरा निकला जिसकी हमने कल्पना की थी।”<sup>81</sup>

विभाजन के सम्बन्ध में गांधीजी तथा नेहरू के वैचारिक मतभेदों के अलावा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना, परम्परागत शक्तितन्त्र की स्थापना, भारत का औद्योगीकरण, लोक कल्याणकारी राज्य का विचार आदि ऐसे प्रयास थे जो नेहरू ने गांधीजी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर किये थे। गांधीजी ने स्वयं इस तथ्य का रहस्योद्घाटन अपने 5 अक्टूबर, 1945 को नेहरू को लिखे पत्र द्वारा किया। उन्होंने लिखा, “पहली बात जो मैं लिखना चाहता हूँ वह है हमारे दृष्टिकोण का अन्तर। यदि यह अन्तर मौलिक है तो मुझे लगना है कि यह अन्तर हमें जनता के समक्ष रखना चाहिये। इस तथ्य को जनता से छिपाना स्वराज्य के कार्य के लिये हानिकारक होगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं उस शासन व्यवस्था का पक्षधर हूँ जिसकी रूपरेखा मैं हिन्द स्वराज में वर्णित कर चुका हूँ।”<sup>82</sup> किन्तु नेहरू ने गांधीजी की हिन्द स्वराज में वर्णित योजना को कभी स्वीकार नहीं किया। नेहरू ने यद्यपि गांधीजी के आदर्शों पर भारत को यथासम्भव चलाने का प्रयास किया किन्तु व्यावहारिक राजनीति की आवश्यकता ने उन्हें पृथक् मार्ग अपनाने के लिये प्रेरित किया।

### नेहरू तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

नेहरू की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्तर्दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण उनके द्वारा निर्मित एवं संचालित भारत की विदेशनीति से मिलता है। वे भारत की विदेश-नीति के कर्णधार थे। अठारह वर्षों तक (1946-64) उन्होंने भारत के विदेशी सम्बन्धों को मार्ग-दर्शन दिया। उनके व्यक्तित्व की छाप भारत की विदेश-नीति के निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन पर इतनी गहरी थी कि आज भी भारत उनके द्वारा निर्धारित नीति के मापदंडों से विचलित नहीं हुआ है। भारत जैसे विशाल देश, उसकी महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थिति, उसका विश्व-इतिहास एवं सभ्यता में योगदान तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान, ये सभी महत्ता के सूचक होने के कारण उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने वाले तत्त्व

हैं। ऐसे महान् राष्ट्र की गौरवपूर्ण परम्पराओं का नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पूर्ण-तया निर्याह किया। न केवल भारत में, अपितु एशिया तथा अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्रों ने भारत की महत्ता का आभास नेहरू के अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व में प्राप्त किया। यह नेहरू के व्यक्तित्व एवं उनकी सत्यनिष्ठा का प्रमाण था कि वे भारत का विदेश नीति के निर्माण का श्रेय स्वयं को न देकर भारत की कोटि-कोटि जनता तथा उसकी भावनाओं को देते थे। उन्हें इस बात से चिढ़ थी कि व्यक्ति उन्हें ही विदेश नीति के निर्माण का सम्पूर्ण श्रेय दे। वे अपने-आपको केवल माध्यम के रूप में मानते थे और नीति का मूल स्रोत जनता की चेतन अथवा अचेतन भावनाओं को मानते थे।<sup>83</sup> व्यक्ति के रूप में नेहरू ने समस्त मानवोचित गुण एवं सीमायें थीं किन्तु उनके द्वारा भारत की विदेश-नीति का संघारण तत्कालीन परिस्थितियों में झुटि-रहित एवं श्रेष्ठ रहा। उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले तथा बाद में कई आलोचकों ने भारत की विदेश-नीति की आलोचना की किन्तु उनकी आलोचना का केन्द्र-बिन्दु भारत की चीन से पराजय पर ही केन्द्रित रहा। केवल एक घटना-विशेष से उनकी नीति की जय अथवा पराजय नहीं आंकी जा सकती। सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में विदेश-नीति का अध्ययन करने पर ही आलोचकों की अर्थहीनता सिद्ध हो सकती है।

नेहरू की विदेशनीति का निर्धारण भारत की घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया था। भारत ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत को साम्यवादी तथा पश्चिमी राष्ट्रों से अपने सम्बन्ध मधुर रखते हुये दोनों से आर्थिक सहायता प्राप्त करनी थी। भारत के सामाजिक जीवन के आधुनिकीकरण तथा प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए शिथिल आर्थिक व्यवस्था को नवजीवन प्रदान करना आवश्यक था। देश में व्याप्त प्रान्तवाद, सम्प्रदायवाद, भाषावादिता तथा अन्य पृथक्तावादी शक्तियों के निवारण के लिये आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ करने की आवश्यकता थी ताकि भारत की नवजात स्वतन्त्रता की रक्षा की जा सके। नेहरू ने आर्थिक विकास, धर्म निरपेक्षता तथा राजनीतिक लोकतन्त्र के त्रिगुणात्मक कार्यक्रम को आगे बढाने के लिए विदेश-नीति को उसी क्रम में निर्धारित किया जिससे भारत की प्रगति में बाधा न पड़े।<sup>84</sup> यह कार्य इतना सरल नहीं था। विश्व शीतयुद्ध के विपरीत वातावरण से गुजर रहा था। साम्यवादी देशों तथा पश्चिमी राष्ट्रों के पारस्परिक मनोमालिन्य के कारण असंलग्नता की मान्यता नगण्य थी। सामरिक महत्त्व की संघियों तथा शस्त्रों की होड़ में असंलग्न राष्ट्रों के लिये अनेक प्रलोभन प्रस्तुत किये गये थे। नाटो तथा वारसा संघियों के कारण दोनों ही गुट अपनी शक्ति में वृद्धि के प्रयत्न करते हुये असंलग्न राष्ट्रों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय में नेहरू ने भारत की विदेश-नीति को असंलग्नता के ध्रुव आधार पर बनाये रखा। बाईंगुण सम्मेलन में नेहरू के सफल नेतृत्व के कारण एशिया तथा अफ्रीका के देशों को नई प्रेरणा तथा शक्ति प्राप्त हुई।<sup>85</sup>

नेहरू के अन्तर्राष्ट्रीय चिंतन में विश्व को युद्ध की विभीषिका में बचाने का प्रयास अन्तर्निहित था। वे आणविक अस्त्रों की होड़ से चिंतित थे। विश्व की महाशक्तियों की शक्ति लोलुपता एवं नव-उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों की उम्होने भत्सना की। वे शांतिपूर्ण

सहअस्तित्व के सूत्रधार थे। उनका यह निश्चित विश्वास था कि यदि विश्व में शांति के प्रयासों तथा सह-अस्तित्व की भावना को न बनाये रखा तो समूचे विश्व का विनाश हो जायेगा। वे सहिष्णुता, सद्भावना एवं सौम्यता के आधार पर आणविक युग की चुनौतियों को स्वीकार करने का आह्वान कर रहे थे। वे महाशक्तियों से भयभीत नहीं थे और न अपने से दुर्बल राष्ट्रों को धमकाने अथवा डराने का उनका कोई इरादा ही था। उनका उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य मैत्री के संतुलन रूप में कार्य करने का था।<sup>86</sup> उनका यह विश्वास था कि भारत पार्थक्य की नीति का अनुसरण कर विश्व राजनीति से अलगवाव नहीं रह सकता था। भू-राजनीति एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी भूमिका निभानी थी। भारत की राष्ट्रीय सम्प्रभुता तथा उसके राष्ट्रीय हित राष्ट्रों के परस्पर मैत्री संबंधों से उसी प्रकार प्रभावित थे जैसे अन्य राष्ट्रों के। नेहरू "वसुधैव कुटुम्बकम्" के सिद्धान्त में निष्ठा प्रकट करते हुये विश्व के सभी देशों के साथ अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे।<sup>87</sup> यद्यपि नेहरू के विचारों में आदर्श एवं उच्च नैतिक सिद्धान्तों का विशेष पुट था, फिर भी उनकी विदेश-नीति को केवल आदर्शात्मक नहीं माना जा सकता। भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने का उद्देश्य आदर्शपूर्ण यथार्थ का था। भारत अन्य राष्ट्रों से अधिक नैतिकता का दावा नहीं कर सकता था। गांधीजी के साधन-साध्य सम्बन्धों के नैतिक औचित्य को पूर्ण मान्यता प्रदान करते हुये भी भारत राष्ट्रीय हितों की तिलाजलि नहीं दे सकता था। इस प्रकार नेहरू की विदेश-नीति के आदर्शात्मक पक्ष यथार्थवाद से असम्बद्ध नहीं थे।

भारत की शांतिप्रियता पर आधारित विदेशनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष था भारत का पंचशील के सिद्धान्त में विश्वास। पंचशील की मान्यता नेहरू के ही प्रयत्नों का परिणाम थी। नेहरू ने इसी के आधार पर भारत-चीन समझौता किया और तिब्बत के साथ भारत के व्यापार एवं आवागमन को सुरक्षित रखा। पंचशील के प्रमुख सिद्धान्त थे— (i) एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सम्प्रभुता का परस्पर सम्मान, (ii) अंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप, (iii) समानता, (iv) पारस्परिक हित तथा (v) शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। नेहरू की यह धारणा थी कि यदि पंचशील के सिद्धान्त को पूर्ण मान्यता मिल जाय तो राष्ट्रों का परस्पर मनोमालिन्य सर्वथा समाप्त हो जायेगा।<sup>88</sup> भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में इन सिद्धान्तों की मान्यता भारत की लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की प्रतीक थी। पंचशील का यह अर्थ नहीं था कि भारत अपनी मान्यताओं का त्याग कर दे, तुष्टीकरण की नीति अपनाये, तटस्थ बन जाय अथवा उपनिवेशवाद-साम्राज्यवाद का विरोध न करे।<sup>89</sup> पंचशील की मान्यता ने भारत को अन्य देशों से वचनबद्धता की अपेक्षा का भवसर दिया। नेहरू ने विश्व में प्रचार-साधनों के दुरुपयोग तथा वैचारिक संघर्ष की आलोचना की। वे शीतयुद्ध के विरोध में थे। साम्यवादी तथा पश्चिमी राष्ट्रों का यह शीत-युद्ध कभी भी विश्व में आणविक संहार की विभीषिका उत्पन्न कर सकता था। शीत-युद्ध, गृह-युद्ध तथा वैचारिक संघर्षों के प्रति नेहरू का विरोधी स्वरूप विश्व में शांति क्षेत्रों की स्थापना का पूर्वगामी विचार है। मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने तथा विश्व को जीवनदायिनी दिशा देने में उनका यह योगदान चिरस्मरणीय रहेगा।

नेहरू की विदेश नीति की दूसरी विशिष्टता थी असंलग्नता की नीति का अनुसरण।

नेहरू तथा उनके प्रशंसक दोनों ही असंलग्नता को भारत की विदेश-नीति का पर्यायवाची मानते रहे। वास्तविकता में असंलग्नता की नीति विदेश-नीति का साधन थी न कि स्वयमेव साध्य। असंलग्नता के प्रति लगाव का यह अर्थ नहीं था कि राष्ट्रीय नीति एवं क्रियाविधि की स्वतंत्रता का त्याग कर दिया जाय। इस दृष्टि से नेहरू के विचारों में स्पष्टता नहीं थी किन्तु उनके द्वारा असंलग्नता की नीति का अनुसरण संयुक्त राष्ट्रसंघियों को पूर्णतः अस्वीकृत करने की दृष्टि से किया गया था। असंलग्नता की नीति का दूसरा लाभ यह रहा कि इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अल्पकालिक निर्णय लिये जा सकते थे और प्रत्येक समस्या को उसके महत्त्व के अनुसार परखा जा सकता था। नेहरू के अनुसार असंलग्नता का अर्थ तटस्थता, निष्क्रियता अथवा दीवार के दोनों ओर पैर लटका कर बैठने की नीति से नहीं था। भारत की विश्व-राजनीति में सक्रियता एवं गतिशीलता को देखते हुये उसे तटस्थवाद का समर्थक नहीं कहा जा सकता था। असंलग्नता की नीति का उद्देश्य विश्व के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का था।<sup>90</sup>

नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाये रखने का निरन्तर प्रयास किया। उनके अनुसार भारत द्वारा शांति की कामना इस कारण से नहीं की गयी थी कि भारत अपने आर्थिक विकास के लिए इसे चाहता था अपितु इस भारतीय धारणा के अधीन की थी कि शांति जीवन, चिंतन तथा क्रियाशीलता का आधार है। नेहरू ने औपनिवेशिक शासन से दबे जनमानस के आत्मनिर्णय के अधिकार को सर्वव्यापी बनाने का प्रयास किया और उसे विश्व-शांति की आवश्यक शर्त बतलाया।<sup>91</sup> पराधीन राष्ट्रों के शांतिपूर्ण स्वातंत्र्य आन्दोलनों को उन्होंने समर्थन दिया। उनके नेतृत्व में भारत की विदेश-नीति में रंगभेद तथा प्रजातीय भेदभाव का व्यापक विरोध किया गया। नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सर्वोत्तम उपाय माना। युद्ध द्वारा भूगडों को निपटाने के स्थान पर पारस्परिक बातचीत एवं समझौतों द्वारा विवादों का हल ढूँढना उन्हें समीचीन प्रतीत होता था। स्वेज संकट के समय उन्होंने कहा था "आधुनिक विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को राष्ट्रों के मध्य मल्ल युद्ध द्वारा नहीं निपटाया जा सकता। व्यक्तियों को भर्त्सना करके भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। हमें गलत कार्य करने वालों को सद्भावना द्वारा जीतना चाहिये और साथ ही साथ उन सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिये जो हमारी दृष्टि में महत्त्वपूर्ण हैं।"<sup>92</sup>

नेहरू ने एशिया तथा अफ्रीका के नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की सहायता तथा उनकी प्रभाव वृद्धि का व्यापक प्रचार किया। वे एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रों को संकीर्णता के दायरे से बाहर निकाल कर विश्व-राजनीति में सक्रिय योगदान देने के पक्ष में थे। वे उनकी पार्थक्यवादी नीति के समर्थक नहीं थे। नेहरू द्वारा एशिया तथा अफ्रीका की समस्याओं के प्रति सहानुभूति एवं समानता के व्यवहार के आधार पर विश्व जनमत उद्वेलित किया गया। वे भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को स्थायी बनाने तथा उन्हें बल प्रदान करने के कार्य में निरन्तर लगे रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को लोकप्रिय एवं प्रभावी बनाने में अत्यधिक योगदान दिया। उनके अनुसार विश्व में युद्ध तथा शांति के प्रश्नों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था।<sup>93</sup>

नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भारत की स्थिति को अपने कार्यकाल में इतना सुदृढ़ कर दिया कि भारत विश्व के प्रत्येक कोने में, लातिनी अमेरिका के अपवाद को छोड़कर, अपने सम्बन्ध स्थापित कर सका। शीतयुद्ध के कारण भारत के महाशक्तियों के साथ सम्बन्ध इतने मधुर नहीं रहे किन्तु शनैः शनैः भारत की असलगतता की नीति के सम्बन्ध में महाशक्तियों के रवैये में परिवर्तन आया। भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते हुये दोनों ही गुटों से मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रखे। नेहरू के प्रभाव में भारत के अरब देशों के साथ भी सम्बन्ध प्रगाढ़ हुये। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। इंग्लैण्ड तथा युगोस्लाविया भारत के घनिष्ठ मित्र बने। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने तथा उनका समाधान ढूँढ़ने में भारत ने सहायता दी। कोरिया युद्ध, हिन्दचीन की समस्या, स्वेज संकट, निरस्त्रीकरण की समस्या आदि के निवारण में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।<sup>94</sup> चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने से भारत की प्रतिष्ठा गिरने के स्थान पर और भी बढ़ी क्योंकि एक और चीन की घिनौनी आक्रमणकारी तस्वीर विश्व के सामने आई तो दूसरी और भारत ने अपने प्रतिरक्षा प्रयासों को नया मोड़ दिया। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण नेहरू के लिये व्यक्तिगत चुनौती एवं प्रतिष्ठा का अर्थ अग्रवश्य था क्योंकि चीन के आक्रमक रवैये का नेहरू को व्यक्तिगत रूप से पूर्वज्ञान होते हुये भी भारत की जनता के समक्ष उन्होंने सदैव चीन का मंत्रीपूर्ण रूप ही प्रस्तुत किया। वे कृष्ण मेनन तथा अपने अन्य सहयोगियों के साथ चीनी आक्रमण के समय तक यही मानते रहे कि चीन भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। यद्यपि उनका यह निर्णय दोषपूर्ण रहा<sup>95</sup> और इसकी देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई किन्तु नेहरू द्वारा स्थापित विदेश-नीति का भारत ने परित्याग नहीं किया। उसी नीति पर चलकर भारत ने अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को सफल बनाया और आक्रमणकारियों को मुँह तोड़ जवाब देने की क्षमता विकसित की। यह नेहरू की विदेश नीति के कालजयी पक्ष का प्रतीक था कि हम भयानक आक्रमणों के बावजूद भारत की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

### विश्व एकता तथा नेहरू

नेहरू ने विश्व-एकता के स्वप्न को सदैव अपने मस्तिष्क में संजोये रखा। प्रारम्भ में वे ऐसे विश्वसंध की कामना करते थे जिसमें चीन, भारत, वर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि सम्मिलित हों।<sup>96</sup> वे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के पक्ष में नहीं थे। यद्यपि राष्ट्रसंध की असफलता ने उनके विचारों को द्रवित किया था और वे व्यापक अधिकारों से युक्त किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की कामना करते थे किन्तु ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का उन्होंने (भारत की स्वाधीनता के पूर्व) रगभेद की नीति तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार के कारण विरोध किया। वे ऐसी किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की योजना को स्वीकार करने के लिये उद्यत न थे जिसमें सोवियत रूस, चीन तथा भारत सम्मिलित न हो। पश्चिमी देशों के साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, फासीवादी रवैये की निंदा करते हुए उन्होंने भावी विश्वसंध में सोवियत रूस की महत्वपूर्ण भूमिका की कल्पना की। वे ऐसा विश्व संध चाहते थे जो लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता पर आधारित हों और जिसमें प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र आन्तरिक सम्प्रभुता का प्रयोग करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विश्व-व्यवस्थापिका का

नियंत्रण स्वीकार करे।<sup>97</sup>

नेहरू ने विश्व राज्य की अवधारणा का समर्थन करते हुये गांधीजी के विचारों के अनुरूप अहिंसा द्वारा विश्व-शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव का स्वागत किया। अन्त्याय पर आधारित व्यवस्था को साधन-साध्य के अर्थात् पर अस्वीकार करते हुए नेहरू ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नैतिक कानून की सर्वोच्चता को प्रतिपादित किया। विश्व-राज्य की कल्पना में उनका पूर्ण विश्वास था। संयुक्त राष्ट्र को और भी अधिक व्यापक संघात्मक स्थिति में परिवर्तित कर विश्व-राज्य की स्थापना की जा सकती थी जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने बुद्धि सौष्ठव के अनुसार अपनी नियति निर्धारित कर सके। नेहरू मानते थे कि राष्ट्रों में व्याप्त परस्पर भय तथा घृणा का अन्त करके स्वतंत्रता तथा पारस्परिक सहयोग पर आधारित विश्व-राज्य की स्थापना सम्भव है।<sup>98</sup> यदि विश्व-राज्य की स्थापना नहीं होती है तो विश्व का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। उनके अनुसार भारत में राष्ट्रवाद विश्व-राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अवधारणा पर सदैव आधारित रहा है, अतः विश्व-राज्य की स्थापना में वह अपना पूर्ण योगदान कर सकेगा।<sup>99</sup>

विश्व-शान्ति की दृष्टि से, नेहरू के अनुसार, वर्तमान समय में युद्ध के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता थी। एक देश द्वारा दूसरे देश पर आधिपत्य स्थापित करने की प्रवृत्ति युद्ध के अनेक कारणों में से एक मूलभूत कारण थी। लम्बे समय तक यूरोपीय देशों ने एशिया पर आधिपत्य जमाये रखा। अफ्रीका पर भी विदेशी साम्राज्यवादी छाये रहे। अन्य कारणों में नेहरू ने प्रजातीय सम्बन्धों, आर्थिक पिछड़ेपन आदि को भी युद्ध फैलाने वाले कारण मानते हुये उनका समाधान ढूँढने का आग्रह किया। उनके विचारों के अनुसार एशिया तथा अफ्रीका के देशों की पिछड़ी हुई स्थिति जब तक सुधारी नहीं जाती, तब तक विश्व में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती।<sup>100</sup>

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शान्ति स्थापना के प्रयास, नेहरू के अनुसार, तभी सफल हो सकते हैं जबकि शान्ति की मनोवृत्ति अपनाई जाये। सभ्यता तथा संस्कृति के विकास ने भविष्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है किन्तु यह सभ्यता और संस्कृति मानव-मस्तिष्क तथा मानवीय व्यवहार पर आधारित है, न कि भौतिक साधनों पर। युद्ध के समय यह सभ्यता तथा संस्कृति अवरूढ़ हो जाती है और व्यक्ति का मस्तिष्क बर्बरता का उदाहरण बन जाता है। इस बर्बरता से बचने का मार्ग है शान्ति को पूर्णरूपेण आत्मसात् करना तथा विवादों को मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाना। यद्यपि नेहरू शान्तिवादी नहीं थे और वे अन्त्याय का प्रतिकार करने में कोई बुराई नहीं मानते थे, किन्तु उनका मूल विचार यह था कि अन्त्यायी आक्राता से युद्ध करते समय भी मैत्री का हाथ उसकी ओर बढ़ाकर रखना चाहिये जो भय अथवा अन्य कारण से-हमारा विरोधी शत्रु है। गांधीजी के उपदेशों को अपनाते हुये शान्ति को चिरंतन सत्य के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रतिष्ठा अथवा अपमान का बदला लेने के नाम पर संघर्ष उत्पन्न कर शान्ति को भंग करने का प्रयास आधुनिक युग की दृष्टि से अमानवीय है।<sup>101</sup>

**मूर्त्याफन**

जवाहरलाल नेहरू के उदात्त मानवीय जीवन पक्ष ने उन्हें भारतीय जनता का हृदय-सम्राट बना दिया। राजनेता के रूप में वे जनता से दूर नहीं रहे। अपनी सुरक्षा के भावों



प्रबन्धकों को हतप्रभ करते हुए वे जनसमूह के मध्य आ खड़े होते थे। वे जनता को प्यार करते थे और भारतीय जनता भी उन पर अपना अपार स्नेह उंडेलती थी। वे भारतीय नेतृत्व के पद-सोपान में सदैव श्रेष्ठत्व प्राप्त करते रहे। गांधीजी के उत्तराधिकारी के रूप में उनका नेतृत्व उभरा और अपने पिता की महानता के दिनों में ही स्वयं भी महान् बन गये। उनकी उमस्थिति अनुभव की जाने लगी। स्वतन्त्रोत्तर भारत में उनका प्रधान मन्त्रित्व सदैव चर्चा का विषय रहा। दल तथा विपक्ष के दिग्गज नेता भी उनके समक्ष बौने लगते थे। समस्त भारत प्रशासन उनके इशारे पर चलता था। हिटलर अथवा मुसोलिनी की शक्ति उनके लोकतांत्रिक नेतृत्व तथा प्रभाव के समक्ष धूमिल होती दिखाई देती थी। अपने मन्त्रिमण्डलीय सहयोगियों के साथ उनका व्यवहार रूक्ष तथा कठोर था। यद्यपि टी० टी० कृष्णामाचारी, वी० वी० गिरि तथा सी० डी० देशमुख द्वारा त्यागपत्र देने के व्यक्तिगत कारण थे किन्तु नेहरू अपने सहयोगियों का चयन अथवा उनको अपदस्थ करने के अधिकार का स्वतन्त्र प्रयोग करने में सदैव दृढ़ रहे। उनके इस विचार के कारण उनके सहयोगियों में हीनता की भावना विकसित होना स्वाभाविक ही था।

नेहरू तथा गांधीजी में मूल वैचारिक अन्तर यह था कि जहाँ गांधीजी, शक्ति की चिन्ता किये बिना भी, अपने सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान् रहते थे, वहाँ नेहरू अपने राजनीतिक नेतृत्व को स्थायित्व प्रदान करने हेतु सिद्धान्तों के साथ समझौता करने को तैयार थे। सत्ता तथा उसके भ्रौचित्य को बनाये रखने में नेहरू सदैव सफल रहे। उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक प्रगतिवादी प्रतिभा को बनाये रखा। उन्होंने स्वयं के लिये सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। वे उन समस्त मानव-मुलभ प्रलोभनों से दूर थे जिनके कारण सत्ताधिकारी भ्रष्ट एवं अनैतिक कहलाते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि नेहरू में मानवोचित कमियाँ नहीं थी। वे चाटुकारिता से प्रसन्न रहते थे। अपनी बात का विरोध उन्हें असह्य बना देता था। वे क्रोधी भी थे। अपने उत्तराधिकारी के चयन में दिखाई गई शिथिलता उनकी अहमन्यता तथा हठधर्मिता का ही प्रतीक थी। सम्भवतः यह राजनीतिक शक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति रही है कि सत्ताधारी द्वारा सत्ता का उपयोग उसकी टुट्टा को शान्त करने के स्थान पर उसे और भी अधिक अतृप्त बना देता है। अधिनायकतन्त्र ही अथवा लोकतन्त्र, असाधारण शक्ति सम्पन्नता दोनों ही परिस्थितियों में सिंह पर सवारी करने के समान है। सवार रहना सुरक्षा का प्रतीक है किन्तु उतरना घोर असुरक्षा का कारण बन जाता है।

नेहरू के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुये पट्टाभिसीतारामैया ने 1942 में लिखा था कि "नेहरू अपने परिचितों के साथ गम्भीर, अपने मित्रों के साथ धनिष्ठ एवं प्रसन्न, अपरिचितों के साथ विनयशील, तथा सहयोगियों के साथ अमन्न हो सकते हैं। उनकी व्यग्रता तथा अमंतुलित भावुकता उनके द्वारा लिये गये शीघ्र निर्णयों तथा उनके प्रति दृढ़ खगव के कारण है। वे अन्य व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त करना स्वीकार नहीं करते और प्रायः ऐसे सुझावों को अस्वीकार करने में नहीं हिचकते। वे अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं और अपनी उच्चता प्रकट करते हैं किन्तु इसके साथ ही उनकी हीनता का भाव भी उपस्थित होता है जिसके कारण वे अपने आपको गांधीजी से हेय समझना भी उचित नहीं मानते। वे वापू द्वारा तैयार किये गये मध्याह्निकों को स्वीकार नहीं

करते जब कि समस्त मसवीदों के प्रारूप उनके द्वारा ही तैयार किये जाते हैं।.....  
जवाहरलाल नेहरू अपने वार्तालाप को गर्जना के साथ प्रारम्भ करते हैं, प्रत्येक को भलाबुरा कहते हैं, अपने देशवासियों की मन स्थिति की कटु आलोचना करते हैं, गांधीजी के धार्मिक-नैतिक आग्रह की आलोचना करते हैं, रूस, स्पेन तथा चीन की बातें करते हैं और एक ऐसी हलचल पैदा करते हैं जैसा कि मगरमच्छ घुटने तक गहरे पानी में अपनी गिरफ्त में फंसे शिकार द्वारा अपनी मुक्ति के सौम्यप्रयास के समय मचाता है।<sup>102</sup>.....जवाहरलाल एक राजनीतिज्ञ है न कि कोई सन्त अथवा दार्शनिक। वे विश्व की अच्छी वस्तुओं से प्रेम करते हैं, फिर भी वे कर्तव्य के स्थान पर सुख अथवा देश के स्थान पर स्वयं को रखना कदापि स्वीकार नहीं करते।<sup>103</sup>

नेहरू के विचारों तथा कार्यों को अनेक कारणों से आलोचना की गई। उनकी भावुकता, वैचारिक अस्थिरता तथा नीतियों के क्रियान्वयन में शिथिलता ने अनेक अवसर उपस्थित किये जिनके कारण उनसे झुटियाँ हुईं। उन्होंने समाजवादी समाज को अपना की घोषणा तो की, किन्तु उसे ठीक से कभी भी परिभाषित नहीं किया। नियोजन के सम्बन्ध में उनके विचार गांधीजी से भिन्न थे। वे विदेशी पर्यवेक्षकों की प्रशंसा को अधिक महत्व देते थे। भारत की कृषि-व्यवस्था पर उन्होंने अपना उतना ध्यान केन्द्रित नहीं किया जिसकी भारत को आवश्यकता थी। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को उन्होंने प्रारम्भिक वर्षों में चिन्ता न की। घोषणाओं के बावजूद उन्होंने जमाखोरों तथा कर-वंचकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं की। विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पश्चात् भी वे विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग को नहीं रोक सके। उन्हें ग्रामीण भारत की कठिनाइयों का सीमित ज्ञान था। भारत की अशिक्षित, भूखी तथा असहाय जनता को नियोजन से सम्बन्धित करने का प्रचार केवल भुलावा मात्र था। नौकरशाही के भ्रमजाल में फँसकर नेहरू ने सहकारिता, पंचायतीराज्य तथा सामुदायिक विकास योजनाओं को मखौल बना दिया। ग्रामीण जनता की समस्याओं के निराकरण को और उनका ध्यान बहुत विलम्ब से आकर्षित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ती चली गयी। खादी, ग्रामोद्योग आदि इस समस्या को हल नहीं कर सके।<sup>104</sup>

विदेश नीति के संचालन में नेहरू ने साम्यवादी चीन से मैत्री को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। वे चीन से अन्दर ही अन्दर भयभीत थे और उसे तुष्ट करने के लिये सुरक्षा परिपद् में उसे स्थान दिलाना चाहते थे किन्तु चीन के साथ लगने वाले भारत के सीमान्त प्रदेशों की ओर उनका ध्यान नहीं गया। वे भारत के अक्सई चीन प्रदेश में चीन के आक्रमण की सूचना प्राप्त करके भी संसद से इस तथ्य को छिपाये रहे। भारत की प्रतिरक्षा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वह भी विशेषतः भारत-चीन सीमाक्षेत्रों की दृष्टि से। परिणाम स्पष्ट था। चीन भारत की ओर बढ़ने लगा। नेहरू ने फिर भी जनता को वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं कराया। अन्त में चीन के साथ भारतीय जवानों को मुठभेड़ ने जब पराजय का मुख देखा तब विदेशों से सैनिक सहायता की वार्ताएँ प्रारम्भ हुईं। भारत की चीन के साथ संपर्क में हार ने थक सिद्ध कर दिया कि भारत की प्रतिरक्षा एवं असलमनता की नीति कितनी दुर्बल थी। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने भी भारत का वैसा साथ नहीं दिया जो कि उनसे अपेक्षित था। इससे पहले नेपाल के साथ सम्बन्धों में नेहरू ने

शुद्धियुक्त नीति का अनुसरण किया। नेपाल को संरक्षित राज्य बनाने तथा सिक्किम को संरक्षित राज्य से भारतीय गणराज्य में सम्मिलित करने के प्रस्तावों पर भी सन्हीने समय रहते स्वीकृति नहीं दी। नेपाल ने विवश होकर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये। वियतनाम के संघर्ष में वियतनामियों द्वारा सहायता की मांग को ठुकरा कर केवल मध्यस्थता करने का दंभ दर्शाना भी उनकी नीति का अंग रहा। वियतनाम भी चीन की और झुका। लाओस तथा कम्बोदिया के मामलों में भारत द्वारा चीन का दवे स्वर में समर्थन चीन के प्रभाव को ही बढ़ाने में सहायक रहा। पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों में भी कोई सुधार नहीं हुआ। काश्मीर की समस्या को भुलभाने के प्रयास विफल रहे। नेहरू की अमेरिका-विरोधी नीति बाद में परिवर्तित हो गयी और अमेरिका से अधिक सहायता का क्रम प्रारम्भ हुआ। गुट-निरपेक्षता की नीति से अधिक शीत-युद्ध के कारणों ने भारत को विदेशी सहायता दिलवाने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर, भारत तथा रूस के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का सिलसिला चलता रहा। तेलंगाना में साम्यवादियों के प्रति अपनाये गये कठोर रूख को रूस की बढ़ती हुई मैत्री के समक्ष त्यागना पड़ा।<sup>105</sup>

भारत के आंतरिक प्रशासन की दृष्टि से भी नेहरू की आलोचना की गयी। वे भारत की निर्वाचन-पद्धति से प्रसन्न नहीं थे। फिर भी उसमें आमूलभूत परिवर्तन करना उनके वश में न था। उन्होंने राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों को क्रियान्वित करने का व्यापक प्रयास नहीं किया। भारत के राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के साथ उनके मतभेद उभर कर सामने आये। न्यायपालिका की प्रक्रिया में उनके द्वारा किया गया हस्तक्षेप आलोचना का विषय बना। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण, धर्मनिरपेक्षता, राज्यों का भाषायी पुनर्गठन, राष्ट्रभाषा का प्रश्न, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की समस्या, नौकरशाही के बढ़ते हुए प्रभाव की समस्या, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, गांधीवाद के प्रति तिरस्कृत दृष्टि, कांग्रेस दल का नेतृत्व, राज्यों में हस्तक्षेप, कामराज योजना द्वारा मन्त्रीमंडलीय संतुलन बनाने का प्रयास, राज्यपालों के पद का राजनीतिक उपयोग, चुनाव के सम्बन्ध में धन-संग्रह, केरल राज्य में हस्तक्षेप आदि अनेक प्रश्नों पर आलोचकों द्वारा नेहरू की तीव्र आलोचना की गयी।<sup>106</sup>

फिर भी नेहरू के व्यक्तित्व, विचारों तथा कार्यों की उपर्युक्त आलोचना उनकी महानता, उनके त्याग तथा उनके आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान को तिरोहित नहीं कर सकती। नेहरू असाधारण व्यक्ति थे। वे भारत के प्रधानमन्त्री, कांग्रेस के कर्णधार, देश की जनता के हृदय सम्राट तथा विश्व शांति के अग्रदूत थे। उनकी दृष्टि भी असाधारण थी। वे केवल समय के साथ-साथ चलने के आदि ही नहीं थे, अपितु उन्हें भविष्य की संभावनाओं का भी ज्ञान था। उन्होंने इसी आधार पर भारत के भावी भविष्य का निर्धारण किया। उनकी असाधारण योग्यता एवं विवेकयुक्त दृष्टि के समक्ष उनके सहयोगी एवं सहायक प्रशासक भी भीचबके रह जाते थे। ऐसे प्रभावशाली नेतृत्व के अन्तर्गत भारत की प्रगति निश्चित थी और वह हुई भी। अनेक उपलब्धियों का वरण कर भारत जैसा समस्या-प्रधान देश नेहरू के प्रयासों से ही अपनी स्वतन्त्रता बनाये रख सका। समस्याओं के समाधान का नेहरू का वैचारिक क्रम शुद्धिपूर्ण नहीं था। दोष था उन व्यक्तियों का जो नेहरू की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। नेहरू एक सेनापति

के रूप में थे। उनके सेनापतित्व में विजय निश्चित थी किन्तु सेनापति की सफलता का रहस्य सेना के प्रत्येक सैनिक की कार्यकुशलता, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता पर जिस प्रकार आधारित होता है, उसी प्रकार नेहरू के विचारों के अनुरूप भारत को बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता के कंधों पर भी था। भारत की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों की सफलता का श्रेय यदि नेहरू के नेतृत्व को दिया जाता है तो असफलताओं का उत्तरदायित्व भारतीय जनता, भारत के बुद्धिजीवियों तथा अर्थहीन आलोचकों पर ही होगा।

नेहरू ने भारत को वैज्ञानिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया। आणविक अनुसन्धान एवं गवेषणा में भारत की सफलता का रहस्य स्वयं नेहरू का दृष्टिकोण था। वे जानते थे कि भारत की आर्थिक विपन्नता अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग द्वारा प्रविधि के विकास से दूर की जा सकती थी। उन्होंने विदेशों के ज्ञान-विज्ञान का भारत में दोहन किया और भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने तथा उभारने का कार्य कर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने में सहायता दी। यदि उनके समान वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला नेतृत्व भारत की स्वतन्त्रता के शैशव में प्राप्त न होता तो आज भारत गर्व के साथ मस्तक ऊंचा उठाकर खड़ा नहीं रह सकता था। भारत की सर्वतोमुखी उन्नति का श्रेय नेहरू को ही दिया जा सकता है। उनके समय से ही कृषि की ओर भारत का ध्यान आकर्षित हुआ। कृषि में वैज्ञानिक अनुसन्धानों के माध्यम से उन्नत बीजों तथा उर्वरकों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। जन-संख्या पर नियंत्रण के प्रयास उन्हीं के समय प्रयुक्त किये गये। कृषि के क्षेत्र में भारत की आधुनिक आत्म-निर्भरता नेहरू के प्रारम्भिक प्रयासों का ही परिणाम है। भारत में औद्योगीकरण की नीति का सफल संचालन उन्हीं के समय विधिवत् प्रारम्भ हुआ। उनके विचारों के अनुरूप भारी उद्योगों की स्थापना की गई जिनसे आज हम लाभ उठा रहे हैं। आवास, भवन निर्माण, परिवहन, चिकित्सा, जलदाय, विद्युत, सिंचाई आदि सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के प्रत्यक्ष परिणाम परिलक्षित हुये। कल-कारखानों का विस्तार, सिंचाई की वृद्ध योजनाएँ, शिक्षा का प्रसार व जन-स्वास्थ्य में वृद्धि आर्थिक नियोजन के परिणाम थे। देश की आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार के अवसरों की व्यापकता नेहरू के चिंतन के ही परिणाम थे। औद्योगिक विकास ने भारत को आधुनिकता के युग में ला खड़ा किया। परम्परागत शासन तथा सामाजिक व्यवस्था को नवीनता में ढालने का प्रयास शुरू हुआ। नेहरू के नेतृत्व में भारत के सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का कार्य स्वतंत्रोत्तर भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है।

नेहरू की जनता का अपार समर्थन प्राप्त होते हुए भी, उनकी मूलभूत लोकतांत्रिक मान्यताएँ परिवर्तित नहीं हुईं। यदि वे चाहते तो भारत पर अपना व्यक्तिगत शासन स्थापित कर सकते थे किन्तु उनके लोकतांत्रिक मानव ने उन्हें लोकतांत्रिक पद्धति के विकास की ओर ही प्रवृत्त किया। उनके नेतृत्व में स्वतन्त्र भारत का संविधान बना। मौलिक अधिकारों की मान्यता स्थापित हुई। न्यायिक संरक्षण प्राप्त हुये, विपक्ष को आलोचना करने का अवसर प्राप्त हुआ और भारत की निरीह जनता को बयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। लोकतांत्रिक दिकेन्द्रीयकरण भी एक नवीन उपलब्धि थी। नेहरू ने भारत में पंचायती राज्य को पुनर्स्थापित कर जनता को सच्ची सत्ता प्रदान करने का प्रयास किया। अनेक प्रशासनिक मुद्दों के माध्यम से सार्वजनिक कष्टों का निवारण प्राप्त किया। भारत

में प्रशासनिक दक्षता तथा जन-सेवी कार्यों के मध्य संतुलन स्थापित किया गया। नौकरशाही की प्रतिबद्धता का नया प्रयोग किय गया ताकि ग्राम जनता को उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। पूंजीवाद पर नियंत्रण तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए नियमित अर्थ-व्यवस्था प्रयुक्त हुई। समाजवाद की ओर भारत ने बढ़ना प्रारम्भ किया। इससे अधिक उपयुक्त और कोई विकल्प नहीं था। मानसवाद तथा पूंजीवाद दोनों के दुगुणों से मुक्ति दिलाने का नेहरू का कार्य प्रशंसनीय था। लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से नेहरू ने स्वतन्त्रता तथा क्षमता में तालमेल बैठकर राजनीतिक विकास का संतुलित उदाहरण प्रस्तुत किया।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेहरू द्वारा प्रस्तावित असंलग्नता, गुट-निरपेक्षता की नीति, सह-अस्तित्व का विचार तथा पंचशील के सिद्धान्त ने विश्व-शान्ति में भारत के योगदान को स्पष्ट कर दिया।<sup>107</sup> साम्यवादी चीन से भारत की हार ने भारत का कायापलट ही कर दिया। नेहरू चीन से युद्ध टालना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत की आर्थिक प्रगति युद्ध के कारण शिथिल हो जाय और भारत को शीत युद्ध का रणक्षेत्र बनना पड़े। उनकी कूटनीति यद्यपि असफल रही किन्तु यह असफलता भारत के ग्राज की शक्ति-सम्पन्नता का रहस्य बन गई। भारत ने चीन के आक्रमण के बावजूद अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। नेहरू की अहिंसा उनके दार्शनिक गुरु बापू की अहिंसा ही थी जिसमें कायरता के लिये कोई स्थान नहीं था। पुर्तगाल तथा फ्रांस के अधीन भारत के प्रदेशों को मुक्त कराने में नेहरू ने इसी नीति का अनुसरण किया। पाकिस्तान द्वारा पहले काश्मीर तथा बाद में पूरे भारत पर आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने न केवल राष्ट्रमण्डल को ही जीवन-दान दिया, अपितु नेहरू के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ भारत ने कोरिया, इण्डोनेशिया, बर्मा, मलेशिया तथा अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों को भी अभयदान दिया। विश्व में सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश का गौरव प्राप्त करने में भारत-रत्न नेहरू का सर्वाधिक योगदान रहा।

नेहरू ने सदियों से चले आ रहे साम्प्रदायिक वैमनस्य के विवाद में पड़े भारत को धर्मनिरपेक्षता का सन्देश दिया और भारत को विश्व के अग्रणी धर्मनिरपेक्ष राज्यों की पंक्ति में खड़ा होने का गौरव प्रदान किया। भारत के आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हुये भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गयी। सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु नेहरू ने ऊंच-नीच, जाति-पाति तथा छुआछूत के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया। मानव की गरिमा को उच्चतम शिखर पर स्थापित करने के लिये नेहरू ने मानव में ईश्वरोपित गुण आरोपित किये। गांधीजी ने ईश्वर को मृष्टि का निर्माता स्वीकार करते हुये मानव की तुच्छता का बोध करवाया किन्तु नेहरू ने युगों-युगों से चले आ रहे मानव के प्रकृति के साथ संघर्षों का उल्लेख कर मानव की उदात्त भावनाओं का रहस्योद्घाटन किया। अपने विचारों तथा सिद्धान्तों के हेतु सर्वस्व न्योछावर कर देने की मानव की साहसिक वृत्ति उन्हें मानवीय तत्व के प्रति निष्ठावान् बनाती थी। प्रकृति के समक्ष, ब्रह्माण्ड के सूक्ष्मतम तत्व के रूप में, मानव की नगण्यता भी उसे शक्तिशाली के विरुद्ध-संघर्ष करने में नहीं रोक सकती। अपने मस्तिष्क में प्राति बोध को संजोये हुये मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का

अविराम प्रयास किया है। नेहरू ने ईश्वर की स्थिति को स्वीकार करने के स्थान पर एक ऐसी रहस्यात्मक शक्ति की उपस्थिति को स्वीकार किया है जो मानव के जीवन तथा राष्ट्रों के भविष्य का सृजन करती है। ईश्वर हो या न हो, नेहरू ने मानव में ईश्वरोचित गुणों का दर्शन किया है। वे मानव के दानवीय पक्ष से भी अपरिचित नहीं हैं। वे आधुनिक सभ्यता के शिशु होने के साथ-साथ भारत की प्राचीन धरोहर के प्रतीक भी हैं। नेहरू ने भारत की प्राचीन दार्शनिक उपलब्धियों को आधुनिक चिन्तन के साथ एकाकार कर दिया है। नेहरू ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अवलम्बन लेकर भी भारत की आध्यात्म-प्रधान संस्कृति तथा सभ्यता के सहस्रो वर्षों के समन्वयकारी प्रभाव को स्वीकार किया है। यही कारण है कि नेहरू ने पाश्चात्य जीवन के चकाचौंध पैदा करने वाले कृत्रिम प्रभावों से दूर रह कर पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्यवाद आदि से मुक्ति का मार्ग दर्शाते हुए अन्तर्राष्ट्रीयवाद तथा विश्व-सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है।

आधुनिक विज्ञान की भावना से अतीतप्रोत नेहरू का संशयवादी दृष्टिकोण सत्य को तिरोहित करने वाले अर्थहीन धार्मिक आडम्बरों के प्रति घृणा का भाव व्यक्त करता है। लोकतांत्रिक होकर भी अपने प्रति समस्त विरोध को पुरातनपंथी तथा सामंतवादी मानने वाले, ईश्वर की सृष्टि को न मानते हुए भी मानव के भविष्य में बड़े निष्ठावान्, सर्वज्ञ सौन्दर्य के उपासक, अपने दारुण कष्टों की चिन्ता न कर मानव मात्र के मुख पर मुस्कान तथा उनकी आंखों के अश्रुओं को पोछने का अदम्य साहस एवं सेवा का भाव, सीमित विनय, असोमित सम्मान के भागी, नृतियां करते हुये भी विश्वासघाती व्यक्तियों पर विश्वास करने वाले नेहरू का व्यक्तित्व अद्भुत ही था।<sup>108</sup>

नेहरू ने विश्वव्यापी लोकप्रियता अर्जित की। देश-विदेश के मनीषियों ने उनके लिये उदार उद्गार प्रकट किये। 1936 में कवीन्द्र खीन्द्र ने नेहरू में युवाशक्ति के अविरल उत्स को देखकर उन्हें भारत के ऋतु-राज<sup>109</sup> की उपमा दी। आचार्य नरेन्द्र देव ने नेहरू को लोकतान्त्रिक समाजवाद का प्रतीक माना।<sup>110</sup> अशोक मेहता ने उन्हें "योगी तथा कामीसार का अद्भुत समिश्रण" माना।<sup>111</sup> जोफ़ टाइसन के अनुसार नेहरू ने केवल भारत को स्वतन्त्र ही नहीं किया, अपितु आने वाले वर्षों के लिये भारत का मार्ग भी निर्धारित किया।<sup>112</sup> फ्रैंक मोरेस ने व्यक्त किया कि "गोपीजनवल्लभ भगवान् श्रीकृष्ण की तरह नेहरू के नाम के जादू ने भारतीय जनसमुदाय को मुग्ध रखा।"<sup>113</sup> जाकिर हुसैन ने नेहरू को "विकासशील विश्व के निर्माताओं में से एक" माना।<sup>114</sup> आर० के० करंजिया के अनुसार "नेहरू ने शीतयुद्ध को असंगत बना दिया।"<sup>115</sup> माइकेल ग्रेचर ने व्यक्त किया कि "नेहरू ने प्रबुद्धवर्ग को राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति उसी प्रकार आकर्षित किया जिस प्रकार से गांधीजी ने किसानों को सम्मोहित किया।"<sup>116</sup> विन्स्टन चर्चिल ने "नेहरू को द्वैपरहित तथा निर्भीक व्यक्ति" माना।<sup>117</sup> नेहरू ने "भारत पर शासन करने के लिये अपने आपको सुशासित किया।"<sup>118</sup> वे फासीवाद के विरुद्ध सामाजिक लोकतन्त्र की विजय के प्रतीक थे।<sup>119</sup> गांधीजी के अनन्यतम शिष्य<sup>120</sup> होकर भी वे स्वतन्त्र चिन्तन के धनी थे। गांधी रूपी लेनिन के लिये नेहरू ट्राट्स्की के समान थे।<sup>121</sup> गांधीजी जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर कांग्रेस की बागडोर उनके हाथों में देते हुये भारत के भविष्य को सुरक्षा के प्रति पूर्णतया आश्वस्त रहे।<sup>122</sup> नेहरू का स्वयं का त्याग भी कम न था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति

के पूर्व के 3262 दिन नेहरू ने भारत के विभिन्न कारावासों में बिताये।<sup>123</sup> कोटि-कोटि जनता के प्रेरणा-स्रोत नेहरू ने स्वयं गांधीजी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानन्द जैसे सन्तों से प्रेरणा प्राप्त की। उनकी आन्तरिक प्रेरणा के आराध्य थे—स्वामी विवेकानन्द।<sup>124</sup>

नेहरू को अस्थिरचित्त, आत्मप्रशंसक, पलायनवादी तथा स्वप्न-विलासी कहा जाय<sup>125</sup> अथवा उन्हें सामाजिक क्रान्तिकारी के स्थान पर केवल समाज सुधारक ही स्वीकार किया जाय,<sup>126</sup> नेहरू के भारत प्रेम पर इसका लेशमात्र भी कुप्रभाव नहीं। अपने ही शब्दों में नेहरू ने अपने समाधि लेख के लिये निम्न उद्गार व्यक्त किये थे :

“यही व्यक्ति था जिसने, अपने समस्त चिन्तन एव मन से, भारत तथा भारत की जनता से प्रेम किया। और वे, प्रत्युत्तर में, उसे चाहते थे और उसे अपना प्रचुर एवं असंयत प्रेम प्रदान किया।”<sup>127</sup> सुप्रसिद्ध भौतिक शास्त्री अलबर्ट आइन्स्टीन ने जवाहरलाल नेहरू को “आने वाले कल का प्रधान मंत्री”<sup>128</sup> ठीक ही कहा था। नेहरू राथेनाऊ के समान कह सकते हैं : “अच्छे के लिये अथवा बुरे के लिये तुम्हें मुझ-सा फिर कभी नहीं मिलेगा।”<sup>129</sup>

□ □

## टिप्पणियाँ

1. वी. आर. नन्दा, दो नेहरूजः मोतीलाल एण्ड जवाहरलाल (जोर्ज एलन एण्ड अनविन, लन्दन, 1962) पृ. 341
2. जवाहरलाल नेहरू, एन आटोबायोग्रेफी (जॉन लेन, लन्दन, 1936) पृ. 207
3. जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी आफ इंडिया (दी सिग्नेट प्रेस, कोलम्बिया, 1945) पृ. 47
4. वही. पृ. 92
5. जवाहरलाल नेहरू, स्पीचेज, खण्ड-111, (पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली, 1958) पृ. 433
6. आटोबायोग्रेफी, पृ. 477
7. डिस्कवरी आफ इंडिया, पृ. 15
8. नेहरू, इन्डिपेण्डेन्स एण्ड आक्टर, (पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली 1949) पृ. 401
9. आटोबायोग्रेफी, पृ. 76-77
10. नेहरू, इंडिया एण्ड बी वर्ल्ड, (जोर्ज एलन एण्ड अनविन लन्दन, 1936) पृ. 82-83
11. विलाड रेन्ज, जवाहरलाल नेहरूज वर्ल्ड व्यू, (यूनिवर्सिटी आफ जोर्जिया प्रेस, 1961) पृ. 44
12. नेहरू अभिनन्दन ग्रंथ, (कमिटी फोर सेलेब्रेशन आफ जवाहरलाल नेहरूज सिक्सटियथ बर्थडे, कलकत्ता, 1949) पृ. 127
13. आटोबायोग्रेफी, पृ. 414
14. के. टी. नरसिंहचर, प्रोफाइल आफ जवाहरलाल नेहरू, (दी बुक सेंटर, बम्बई, 1965) पृ. 37-38
15. वार्ड. जी. कृष्णमूर्ति, जवाहरलाल नेहरू : दी मैन एण्ड हिज आइडियाज, (पापुलर बुक डिपो, बम्बई, 1944) पृ. 1-3
16. सर्वपल्ली गोपाल, जवाहरलाल नेहरू : ए बायोग्रेफी, खण्ड 1 : 1889-1947 (आशाफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1976) पृ. 106-107
17. नेहरू, इंडियाज फ्रीडम, (अनविन बुक्स, लन्दन, 1965) पृ. 14
18. आर. के. करन्जिया, दो टिमोसोचो आफ मि. नेहरू (जोर्ज एलन एण्ड अनविन, लन्दन, 1966) पृ. 133-140

19. वही, पृ. 141
20. नेहरू, ए वनच आफ ओल्ड लेटर्स, (एशिया, बम्बई, 1958) पृ. 142
21. वही,
22. नेहरू, टुवर्ड फ्रीडम (बी जोन डे कम्पनी, न्यूयार्क, 1941) पृ. 133-134
23. जे. एस. ब्राइट (सं) नेहरू: बिफोर एण्ड आफ्टर इंडिपेंडेन्स, खण्ड-1 (इंडिया प्रिंटिंग वर्कस, नई दिल्ली) पृ. 39
24. वही, पृ 37
25. नेहरू, बिजिट टु अमेरिका (बी जोन डे कम्पनी, न्यूयार्क, 1950) पृ. 26-29
26. ए. आई. सी. सी. इकोनोमिक रिप्यू, नई दिल्ली, 15 अगस्त, 1958, पृ. 3
27. वही, पृ. 4
28. वही, पृ. 5
29. ए वनच आफ ओल्ड लेटर्स, पृ 353
30. ओटोबायोग्रेफी, पृ. 551-552
31. नार्मन कजिन्स, टाक्स बिष नेहरू, (गोलेन्ज, लन्दन 1951) पृ. 21
32. वही, पृ. 22-24
33. स्पीचेज, खंड II, पृ. 407 तथा खंड IV पृ. 122
34. आर. के. करजिया, बी माइंड आफ मि. नेहरू, (जोर्ज एलन एण्ड अनविन, लंदन 1960) पृ. 46-47
35. नेहरू, ग्लिम्पसेज आफ वर्ल्ड हिस्ट्री, (लिंगडसे इमड, लंदन, 1949) पृ. 502-503
36. वही, पृ. 504-505
37. टुवर्ड फ्रीडम, पृ. 314-320
38. वही, पृ 321-326
39. टाक्स बिष नेहरू, पृ 18-21
40. स्पीचेज, खंड-111, पृ 95
41. एम. एन. दास, बी पोलिटिकल फिलासफी आफ जवाहरलाल नेहरू, (जोर्ज एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1962) पृ. 94-95
42. स्पीचेज, खंड-111, पृ. 139-141
43. वही, पृ 142-144
44. देखिये प्राक्कषण, बी जी. तैदुलकर, महारामा, खंड-1, (सर्वेरी एण्ड तैदुलकर, बम्बई, 1951) पृ. XIII
45. स्पीचेज, खंड IV, पृ. 69-70
46. वही, पृ 70-71
47. वही, पृ. 71-72
48. डोरोथी नोमन, नेहरू : बी कर्ट सिक्सटी ईयर्स, खंड-1 (एशिया, बम्बई, 1965) पृ. 450-451
49. स्पीचेज, खंड IV पृ. 150-152
50. बी माइंड आफ मि. नेहरू, पृ. 57
51. डोरोथी नोमन, खंड-11 पृ. 379-380
52. स्पीचेज, खंड-1, पृ. 140-143
53. वही, खंड-11, पृ. 13-18
54. वही, खंड-111, पृ. 17-18
55. वही, पृ. 52-54
56. टाइम्स मैगडे, क्लबसेशन बिष नेहरू, (सिंकर एण्ड बारबर्न, लंदन, 1956) पृ. 31-32
57. बी माइंड आफ मि. नेहरू, पृ. 28-29
58. वही, पृ. 29-30



59. वही पृ. 76-77
60. नेहरू, रीसेन्ट एसेज एण्ड राइडिंग्स ऑन बी पयूअर आफ इंडिया, कम्यूनलिज्म एण्ड अवर साबजेक्ट्स (किताबिस्तान, इलाहाबाद, 1934) पृ. 72-74
61. वही, पृ. 75-76
62. वही, पृ. 77-79
63. बिफोर एण्ड आफ्टर इंडियेन्स, पृ. 312-313
64. स्पीचेज, खंड, I पृ. 73-75
65. वही, पृ. 76-78
66. वही, खंड IV, पृ. 12
67. टाइमर मेन्डे, पृ. 144
68. डिस्कवरी आफ इंडिया, पृ. 685
69. स्पीचेज, खंड, I पृ. 339
70. वही,
71. ज्योफ टाइमर, नेहरू : बी ईयर्स आफ पावर, (पाल माल प्रेस, लंदन, 1966) पृ. 194
72. वही, पृ. 188
- \* गांधी मार्ग में प्रकाशित प्रो. बी. बी. रमण मूर्ति के लेख से साधारण भावानुवाद ।
73. डिस्कवरी आफ इंडिया, पृ. 227
74. वही, पृ. 428
75. आदोबायोप्रेकी. पृ. 73
76. वही,
77. वही, पृ. 213
78. डिस्कवरी आफ इंडिया, पृ. 539
79. बी क्लेबटेड ववर्स आफ महात्मा गांधी, खंड 35, (पब्लिकेशन्स डिबीजन, दिल्ली) पृ. 543-544
80. वही,
81. स्पीचेज, खंड, 11, पृ. 115
82. ए बन्ध आफ मोल्ड सेटर्स, पृ. 505
83. नेहरू, इंडियाज फोरन पॉलीसी, (पब्लिकेशन्स डिबीजन, नई दिल्ली 1961) पृ. 80
84. बी. एस. एन. मूर्ति, नेहरूज फोरन पॉलीसी, (दी बीकन इनफार्मेशन एण्ड पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1953) पृ. 31
85. डब्ल्यू आर. कोकर, नेहरू, (जोर्ज एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1966) पृ. 109
86. इंडियाज फोरन पॉलीसी, पृ. 83-84
87. वही, पृ. 84-85
88. टाइमर मेन्डे, पृ. 81
89. फ्रैंक मोरिस, नेहरू, सनसाइट एण्ड शंभो, (जैको पब्लिशिंग हाऊस बम्बई, 1964) पृ. 172
90. टाइमर मेन्डे, पृ. 44
91. इंडियाज फोरन पॉलीसी, पृ. 326
92. बी हिण्डू, दिसम्बर 28, 1956
93. टाइमर मेन्डे, पृ. 87
94. परजिया, बी किलॉलोकी आफ मि. नेहरू, पृ. 30
95. माइकेल एडवार्ड्स, नेहरू : ए पोलीटिकल बायोप्रेकी (विकास, दिल्ली, 1971) पृ. 304
96. टूथर्स फ्रीडम, पृ. 367
97. दोसोपी नोर्मन, खंड, I पृ. 636-641
98. नेहरू, एबजक्ट्स फ्रॉम हिज राइडिंग्स एण्ड स्पीचेज, (पब्लिकेशन्स डिबीजन, नई दिल्ली, 1964) पृ. 73-74

99. विजिट टु अमेरिका, पृ. 87-88
100. वही, पृ. 31-33
101. एक्जप्टस फॉर्म हिज राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, पृ. 64-65
102. देखिये प्राक्कथन बाई, जी कृष्णमूर्ति, जवाहरलाल नेहरू, पृ. XI
103. वही, पृ. XVIII
104. अमीय राव तथा बी. जी. राव, सिवस थाउजेंड डेज. जवाहरलाल नेहरू-प्राईम मिनिस्टर, (स्टॉनग, नई दिल्ली, 1974) पृ. 5-72
105. वही, पृ. 108-370
106. वही, पृ. 372-462
107. एम. एस. राजन (स) इडियाज फोरम रिलेशन्स ड्यूरिंग वी नेहरू ईरा (एशिया, बम्बई, 1976) पृ. I-XVIII
108. प्रोफाइल आफ नेहरू, पृ. 248-249
109. पी. डी. टंडन (सं.), नेहरू घुअर नेअर, (दी सिग्नेट प्रेस, कलकत्ता, तिथि नहीं) पृ. XI
110. वही, पृ. 35
111. वही, पृ. 130
112. नेहरू : बी इपर्स ऑफ पावर, पृ. 188
113. जवाहरलाल नेहरू : ए बायोग्राफी, (मैकमिलन, न्यूयार्क, 1956) पृ. 491
114. देखिये करजिया, बी फिलोसोफी आफ मि. नेहरू, (आमुष)
115. वही, पृ. 15
116. माइकेल श्रेचर, नेहरू : ए पोलीटिकल बायोग्राफी (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1959) पृ. 597
117. वही, पृ. 596
118. विनसेंट शीअन, नेहरू : बी इपर्स आफ पावर, (विक्टर गोलेंज, लंदन, 1960) पृ. 275
119. जे. एस. ब्राइट, जवाहरलाल नेहरू, (दी इंडियन प्रिन्टिंग प्रेस, लाहौर, तिथि नहीं) पृ. 218
120. कोर्नेला स्पेन्सर, नेहरू आफ इंडिया (पी. टी. आर्द. बुक डिपो, बंगलोर, 1951) पृ. 162
121. जे. एस. ब्राइट, पृ. 220
122. मग इंडिया, 9 जनवरी, 1930
123. रामगोपाल, ट्रायल्स आफ जवाहरलाल नेहरू, (बुक सेन्टर, बम्बई, 1962) पृ. 109
124. थोरोपी नोर्मेन, नेहरू : बी फस्ट सिक्सटी इपर्स, वॉल-11, पृ. 530-536
125. डॉ. एफ. करकन, नेहरू : बी सोटस ईटर फोम काश्मीर, (डिरेक वर्गीयल, लंदन, 1953) पृ. 113-114
126. माइकेल श्रेचर, पृ. 625
127. बी स्टैंडर्समैन, 21 जनवरी, 1954
128. देखिये करजिया, बी फिलोसोफी आफ मि. नेहरू, पृ. 11
129. देखिये कृष्णमूर्ति, जवाहरलाल नेहरू : बी मैन एण्ड हिज आइडियाज, पृ. 11

भारत के समाजवादी चिन्तकों में मानवेन्द्रनाथ राँय का अनूठा स्थान रहा है। वे न केवल भारत में समाजवाद के ही अग्रगण्य थे अपितु साम्यवाद के प्रसार एवं प्रचार के भी अग्रदूत रहे। भारत में साम्यवाद का अध्याय उन्हीं के नाम से प्रारम्भ होता है किन्तु जितनी प्रबलता से उन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया उतनी ही प्रबलता से उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में उसका विरोध भी किया। जहाँ एक ओर एशिया तथा भारत को साम्यवाद का संदेश उन्होंने दिया वहाँ दूसरी ओर उन्हींने सर्वप्रथम साम्यवाद की भर्त्सना कर सारे विश्व को मानववाद का संदेश भी दिया। साम्यवाद की निर्मूर्ति लेनिन, स्टालिन तथा ट्राट्स्की के अत्यन्त निकट रह कर तथा मैक्सिको, चीन व भारत को साम्यवाद का मार्ग दिखाकर जिस तरह से मानवीय स्वातन्त्र्य का उद्घोष किया उसका दूसरा उदाहरण विश्व में नहीं मिलता। यदि भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन से ऊपर उठकर विचार किया जाये तो यह कहना प्रतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि उनका नवमानववाद भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन की विश्व को एक अनुपम देन है।

**संक्षिप्त जीवन-परिचय**

मानवेन्द्रनाथ राँय, जिनका जन्म-नाम नरेन्द्र भट्टाचार्य था, 1887 में बंगाल के एक गाँव अरबालिया में जन्मे थे। उन्होंने अपना युवा जीवन एक क्रान्तिकारी के रूप में प्रारम्भ किया। 1905 के बंगभंग आन्दोलन में सक्रिय भाग लेकर वे भूमिगत क्रान्तिकारी आन्दोलन में सम्मिलित हुए। भारत-जर्मनी क्रान्तिकारी पट्टयन्त्र के थे सूत्रधार थे। 1907 में कलकत्ता के पास चिंगरीपोड़ा रेलवेस्टेशन की डकैती के राजनीतिक अपराध में उन्हें गिरफ्तार किया गया। किन्तु प्रमाण की कमी के कारण उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ और वे छोड़ दिये गये। पुनः हावड़ा-पट्टयन्त्र काण्ड में तथा गाइंनरीच डकैती काण्ड के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया पर वे जमानत पर मुक्त कर दिये गये। क्रान्तिकारी कार्यों की प्रेरणा उन्हें सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी जतीनमुर्खर्जी से मिली थी। उन्हीं के निर्देश से वे प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन की सहायता के लिए शस्त्रास्त्र प्राप्त करने जर्मनी भेजे गये। अंग्रेज गुप्तचरों की निगाह से अपने को बचाते हुए वे चीन, जापान होते हुए अमेरिका पहुँचे। अमेरिका में इनका सम्पर्क लाला लाजपतराय से हुआ। लाला लाजपत राय ने उन्हें दैनिक खर्च के लिए आर्थिक सहायता दी। इतना ही नहीं, राय की समाजवाद में जिज्ञासा देख कार्लमार्क्स के ग्रन्थों का संग्रह भी उन्हें धरोद कर दिया। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान राय ने अपना प्रथम विवाह एक अमेरिकन महिला एवेलिन से किया। लाजपत राय ने मानवेन्द्रनाथ की दयनीय आर्थिक स्थिति देख उनकी पूरी सहायता की तथा दम्पति का पूरा खर्चा उठाया। किन्तु मानवेन्द्र नाथ का प्रमुद्य

उद्देश्य जर्मनी से सहायता प्राप्त कर भारत आना था। इस कार्य की पूर्ति के पहले ही उन्हें अग्रेज गुप्तचरों द्वारा ढूँढ लिया गया तथा उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। जमानत पर छूटते ही राय अमेरिका से भग कर मैक्सिको पहुंचे। मैक्सिको पहुंचने के बाद उनका एक नया जीवन प्रारम्भ हुआ। अब वे भारतीय क्रांतिकारी न होकर एक विचारक, सशक्त लेखक तथा साम्यवादी नेता थे। मैक्सिको में ही उन्होंने सर्व प्रथम एक साम्यवादी दल की स्थापना की। रूस के बाहर यह पहला साम्यवादी दल स्थापित हुआ था तथा अमेरिकी महाद्वीप पर यह साम्यवाद का प्रथम दीर था। अब वे राष्ट्रवाद की सीमाएं पार कर साम्यवाद में प्रविष्ट हो चुके थे। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित हो वे अब विप्लववादी से एक कुशल राजनीतिज्ञ बन चुके थे। उनके विचारों की भावुकता तथा सांस्कृतिक चेतना लुप्त हो चुकी थी तथा उनका स्थान ले लिया था राजनीति पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक विचारों ने। मैक्सिको से वे रूस चले गये। रूस में वे लेनिन के अन्तर्गत शिष्य एवं प्रशंसक बन गये। लेनिन से इतनी घनिष्ठता होते हुए भी समय समय पर वे लेनिन से अपने वैचारिक मतभेद प्रकट करने से नहीं हिचकिचाते थे। लेनिन भी उनकी निर्भक्ता एवं योग्यता पर प्रसन्न थे। लेनिन उन्हें अफगानिस्तान में रूस का राजदूत बनाकर भेजना चाहते थे किन्तु सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण यह कार्य सम्पन्न नहीं हुआ।

अपने रूस प्रवास के दौरान मानवेन्द्रनाथ ने "कोमिन्टर्न" के लिए प्रशंसनीय कार्य किया। लेनिन के दो महान् शिष्यों ट्राट्स्की तथा स्टालिन से उनके घनिष्ठ सम्बन्ध रहे। अन्य रूसी नेता जैसे जिन्गेवीव, कामेनेव आदि के सम्पर्क में भी वे आये। इस तरह साम्यवाद के प्रणेताओं की दृष्टि से मानवेन्द्रनाथ एशिया के मान्य साम्यवादी नेता का स्थान प्राप्त कर चुके थे।

1922 में मानवेन्द्रनाथ बर्लिन में रहे थे। उनका बर्लिन जाने का उद्देश्य वहां से भारत की स्वतन्त्रता का नया कार्यक्रम बनाना था। वे लेनिन के भारत सम्बन्धी दो कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना चाहते थे। पहला तो यह था कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिल कर भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकें तथा दूसरा यह कि वे कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती दें। कांग्रेस को ध्वस्त कर उसके स्थान पर भारत में साम्यवादी दल को प्रोत्साहित करें। राय ने दोनों ही नीतियों का अनुसरण किया। उन्हें इस कार्य के लिए रूस से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई। इस घन से उन्होंने एक द्वैमासिक पत्र योंगार्ड आफ इण्डियन इण्डिपेन्डेन्स प्रकाशित किया। जिनेवा तथा पेरिस से उन्होंने पुस्तकें प्रकाशित कीं तथा कई पत्र लिखे। उन सबको साम्यवादी साहित्य के साथ प्रचार के लिए भारत में भेजा। किन्तु उनके इस कार्य का भारत में विशेष लाभ नहीं हुआ। गांधीजी तथा उनके सहयोगियों के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व था। वे राय के विचारों से प्रभावित न हो पाये। राय को इस बात से बहुत निराशा हुई। इससे भी अधिक निराशा राय को इस बात से हुई कि गांधीजी राजनीति व धर्म को समन्वित करना चाहते थे तथा ईश्वर की सत्ता को सर्वोपरि मानते थे। राय इससे निराश थे क्योंकि एक साम्यवादी विचारक के रूप में उन्होंने ईश्वर की सत्ता को तिलांजलि दे दी थी। राय ने भारत में साम्यवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। कानपुर (1924) तथा मेरठ (1929) पञ्चम-काण्ट द्वायी साम्यवादी उपक्रम के परिणाम थे। राय, "कोमिन्टर्न" तथा अंग्रेजी साम्यवादी दल

के प्रयत्नों से भारत में साम्यवादियों का जोर बढ़ रहा था और वे श्रमिकों में वर्ग-चेतना जागृत कर उन्हें संघर्ष के लिए तैयार कर रहे थे। किन्तु इस बीच "कोमिन्टर्न" के साथ हुए मतभेदों के कारण राँय को इससे अलग होना पड़ा। वे 1929 में साम्यवादी दल से अलग हो गये। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से सम्पर्क साधा तथा जर्मनी में कांग्रेस की शाखा स्थापित करने का प्रयास किया। वे 1930 में भारत लौटे। अब वे समाजवादी विचार-धारा के आलोचक बन चुके थे और अनुभव करते थे कि साम्यवादी विचारधारा में ऐसी कई कमियाँ थीं जिससे वह भारत के लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकती थी। यही कारण था कि वे रूस के साम्यवादी नेताओं की स्वार्थपरायण नीति के विरोधी बन गये थे। किन्तु राय को अपने पूर्व कार्यों एवं विचारों के कारण गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वे छः वर्ष जेल में रहे। जेल में उन्होंने अपना लेखन-कार्य जारी रखा था। जेल में उन्होंने फिलोसोफिकल कोन्सिश्चेंसेज आफ माडर्न साइन्स नामक ग्रन्थ लिखा जो कि 9 खण्डों में लिखा हुआ है। 1936 में जेल से मुक्त हुए। वे कांग्रेस के सदस्य बन गये। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस से उनका विशेष सम्पर्क रहा तथा राय के प्रभाव में कांग्रेस ने आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम निर्धारित किया। किन्तु कांग्रेस में राय की उतनी सफलता नहीं मिली जितनी वे अभिलाषा रखते थे। इसका कारण यह था कि वे गांधीजी से सर्वथा भिन्न विचार रखते थे। वे गांधीजी के विरोधी के रूप में कांग्रेस में नहीं पनप सके।

1940 में राँय ने रेडिकल डिमोक्रेटिक दल की स्थापना की। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में उन्होंने फासीवाद का जमकर विरोध किया। वे मानते थे कि विश्व में फासीवाद की विजय एक भयंकर घटना होगी। वे 1942 के कांग्रेस के "भारत छोड़ो" आन्दोलन को भी फासीवाद की संज्ञा दे चुके थे। वे फासीवादियों के विरुद्ध युद्ध में लड़ रहे ब्रिटेन की शक्ति को क्षीण नहीं देखना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने कांग्रेस के आन्दोलन को अदूरदर्शितापूर्ण कहा। उनके आलोचक इस कार्य के लिए उन्हें राष्ट्र-विरोधी एवं ब्रिटिश-समर्थक कहने लगे। राँय के लिए अपने पक्ष में सफाई प्रस्तुत करना कठिन था। सत्य यह था कि राँय किसी भी प्रकार की दासता पसन्द नहीं करते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि फासीवाद विश्व में स्वतन्त्रता की समाप्ति कर देगा। इसी कारण से वे फासीवाद के विरुद्ध लड़ने वाले ब्रिटेन तथा रूस के पक्ष का समर्थन कर रहे थे।

भारत में मानवेन्द्रनाथ राँय ने श्रमिक तथा किसानों के उद्धार के लिए "इन्डियन फेडरेशन आफ लेबर" संगठित किया। उनका यह विश्वास था कि श्रमिकों व किसानों की मुक्ति के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने एक नवीन सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दर्शन की आवश्यकता अनुभव की। वे एक और मार्क्सवाद से उत्पन्न संकटों तथा दूसरी तरफ संसदीय लोकतन्त्र की निर्बलता में परिचित थे। अतः उन्होंने इन दोनों खतरों का सामना करने के लिए एक नया दर्शन प्रस्तुत किया जिसे "उग्रमानववाद" अथवा "नवमानववाद" की संज्ञा दी गयी। 1937 में उन्होंने अपने प्रमुख माप्ताहिक पत्र इन्डिपेन्डेंट इन्डिया का नाम बदल कर दी रेडिकल ह्यूमेनिस्ट रख दिया जो मात्र भी इसी नाम से प्रकाशित हो रहा है। राय ने इस पत्र के माध्यम से अपने सामाजिक पुन-निर्माण मन्वन्धी विचारों को प्रस्तुत किया।

राँय सामाजिक समस्याओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते थे। स्वतन्त्रता की मूलभूत प्रेरणा ने उन्हें एक ऐसा यथार्थवादी चिन्तक बना दिया जो अपने राजनीतिक चिन्तन में वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण विचारों से प्रोतः प्रोत था। राँय का भारत के बुद्धि-जीवियों में अद्वितीय स्थान माना जा सकता है। उनका मानववाद मानवमात्र को स्वतन्त्रता का सन्देश देता है। राँय की महानता केवल विचारों तक ही सीमित नहीं थी। वे व्यक्तिगत जीवन में स्पष्टवादी एवं निर्मल रहे। वे सर्वदा सत्यान्वेषी रहे और कुटिलता तथा दम्भ उनको छू भी नहीं सके। उनके जीवन की सादगी तथा ईमानदारी का एक अनुकरणीय उदाहरण इस बात से मिलता है कि जब 1948 में उनको यह अनुभव हुआ कि उनकी स्थापित रेडिकल डिमोक्रेटिक पार्टी लोकतान्त्रिक धारणाओं से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पायी है तो उन्होंने बिना किसी फिझक के उसे समाप्त कर दिया। इसके बाद वे न तो किसी दल से सम्बन्धित रहे तथा न किसी प्रकार की दलगत राजनीति का समर्थन किया। जीवन के शेष दिन उन्होंने स्वतन्त्र लेखन, चिन्तन तथा स्वयं द्वारा स्थापित इन्डियन रिनेसां इन्स्टीट्यूट, देहरादून के निदेशन में व्यतीत किये। 25 जनवरी 1954 को उनका शरीरान्त हुआ।

### राँय के राजनीतिक विचार

मानवेन्द्रनाथ राँय का राजनीतिक दर्शन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग उनके उन विचारों से सम्बन्धित है जब वे कट्टर मार्क्सवादी थे तथा दूसरा भाग उन विचारों से सम्बन्ध रखता है जब वे मार्क्सवाद के विरोधी बन गये अतः मार्क्सवाद को चुनौती देने के लिए उन्होंने नव मानववाद की स्थापना की। उनके राजनीतिक विचारों का पहला भाग उनकी मार्क्स-भक्ति का वर्णन करता है जो उनके उपर्युक्त वर्णित जीवन-परिचय से मिल जाता है। दूसरे भाग का विचार अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से उनका मौलिक राजनीतिक चिन्तन प्रारम्भ होता है। यहाँ उन्हीं नव-मानववादी विचारों का उल्लेख किया जा रहा है।

राँय के राजनीतिक विचारों में व्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उनकी यह धारणा थी कि एक अच्छा व्यक्ति ही एक अच्छे समाज की रचना कर सकता है। वे व्यक्ति को ही समाज का आधार मानने लगे थे। उनका यह कथन था कि सदियों से राजनीतिक विचारकों ने व्यक्ति के महत्व को नहीं पहचाना। कालान्तर में नव-जागरण युग में ही व्यक्ति अपनी मौलिक स्थिति प्राप्त कर सका; इसके साथ ही व्यक्ति का स्थान राज्य तथा समाज की तुलना में पुनरांकित हुआ। राँय भी मार्क्सवादी प्रभाव के दिनों में व्यक्ति को राज्य की तुलना में दूसरे स्थान पर मानते रहे किन्तु मार्क्सवाद का प्रभाव दूर होने के बाद वे यह मानने लगे कि व्यक्ति का कार्य केवल आज्ञापालन ही नहीं अपितु अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखना भी है। इस तरह उन्होंने व्यक्ति को एक नागरिक के सम्मानित पद पर पुनः स्थापित किया। स्वतन्त्रता एवं कर्तव्य का व्यक्ति के जीवन में तालमेल बिठाया। वे सोचने लगे कि साम्यवादी तथा समाजवादी विचारकों ने व्यक्ति के आत्म-गौरव को ठेस पहुँचाई है। वे व्यक्ति के सामाजिक दायित्व तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दोनों को समान स्थान देते थे। उन्हें पूँजीवाद की व्यक्तिगत स्वार्थपरायणता की नीति पसन्द नहीं थी। इससे उनकी यह धारणा भी बनवती हुई कि पूँजीवाद की

स्वार्थ-वृत्ति ही अन्ततः पूंजीवाद को समाप्त कर देगी ।

राँय ने राज्य को केवल साधन माना, साध्य नहीं । राजनीतिक दर्शन के दृष्टि-कोण से वे राज्य को न तो एक आवश्यक बुराई ही मानते थे तथा न मार्क्स के समान राज्य के तिरोहित होने में ही उनका विश्वास था । वे राज्य की आवश्यकता एक अच्छे शासन के प्रदाता के रूप में आवश्यक समझते थे । उदारवादियों की भाँति राँय भी राज्य को सामान्य हित साधन का उपकरण समझते थे । उन्हें राज्य के कठोर नियन्त्रण अथवा अधिनायकतन्त्र में विश्वास नहीं था । वे जर्मनी तथा रूस के अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अधिनायकतन्त्र से, चाहे वह एक व्यक्ति का हो अथवा एक दल का, अत्यधिक धृष्टा करते थे । वे राज्य को पूर्णतया लोकतान्त्रिक आधार देना चाहते थे । उनकी दृष्टि में राज्य समाज का राजनीतिक संगठन है तथा सत्ता के विकेन्द्रीयकरण द्वारा राज्य व समाज दोनों समकक्ष हो जाते हैं । वे राज्य को एक अति लोकतान्त्रिक राज्य बनाना चाहते थे, जिससे संसदीय लोकतन्त्र तथा अधिनायकतन्त्र दोनों की बुराई से बचा जा सके । वे आर्थिक नियोजन को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से सम्मिलित कर अधिक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र स्थापित करना चाहते थे । चूँकि उन्हें पूर्व तथा पश्चिम के देशों की राजनीतिक स्थिति का व्यक्तिगत अनुभव था, अतः वे ऐसा निदान प्रस्तुत कर रहे थे जिससे दोनों की ही समस्याओं का उपचार हो सके ।

राँय को राष्ट्रवाद के सिद्धांत से धृष्टा हो चुकी थी । यद्यपि उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एक राष्ट्रवादी आंतिकारी के रूप में ही शुरू किया था किन्तु अध्ययन तथा मनन-चिन्तन ने उनको राष्ट्रवाद का विरोधी बना दिया । जो कुछ राष्ट्रवाद उनमें शेष था वह मार्क्सवाद के प्रभाव में समाप्त हो गया था । राँय का यह विचार था कि राष्ट्रवाद भावुकता पर आधारित होने के कारण किसी भी वैज्ञानिक राजनीतिक चिन्तन का आधार नहीं बन सकता । वे राष्ट्रवाद के सिद्धांत को निरर्थक मानते थे । वे राष्ट्रवाद को निरर्थक मानते हुए उसे पूंजीवादी शोषण तथा औपनिवेशिक विस्तारवाद का प्रतीक मानते थे । वे राष्ट्रवाद को फासीवाद का प्रेरक भी मानते थे । फासीवाद से उन्हें धृष्टा था । उनकी दृष्टि में मानवीय अस्तित्व को ध्वस्त करने में फासीवाद से बढ़ कर कोई और विचारधारा नहीं हो सकती थी । वे इसी कारण से भारतीय राष्ट्रवाद के कट्टर आलोचक थे ।

राँय अंतर्राष्ट्रवाद के प्रतीक थे । विश्व बन्धुत्व तथा विश्व-एकता में उनका विश्वास था । उनकी दृष्टि से इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि समस्त मानव संस्कृति का एक ही उद्गम है । वे मानते थे कि विश्व एकीकरण अवश्य स्थापित होगा । उन्होंने इस विचारधारा का इसलिए भी समर्थन किया कि इसके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, गरीबी तथा बेकारी दूर की जा सकती है, यदि राष्ट्रीय राज्यों का स्थान एक विश्व-राज्य ले ले । वे मानव व मानवता के बीच और किसी यस्तु को सहन नहीं कर सकते थे । उनका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वंश, रंग, राष्ट्रीयता या धर्म किसी भी तत्त्व से सीमित नहीं था । वे समाजवादी ध्येयस्था की घोषी अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करते थे । उन्हें इसका कटु अनुभव था कि विश्व के समस्त शक्ति पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध एक होने को तैयार नहीं थे । राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों ने समाज-

वादी सिद्धांत को ताक पर रख दिया था। उनके विचार से साम्यवादी तथा समाजवादी दोनों ही राष्ट्रवाद के विचार से ग्रस्त थे, यहां तक कि वे साम्यवाद को राष्ट्रवाद का ही उग्रतर रूप मानने लगे। उन्हें साम्यवाद से इसी कारण से चिढ़ हो गयी कि साम्यवादी अंतर्राष्ट्रवाद का प्रचार तो करते थे पर व्यवहार में राष्ट्रवादी थे। इस तरह रॉय का उपमानवाद एक सच्चे अंतर्राष्ट्रवाद का प्रतीक तथा उसकी प्राप्ति का साधन है।

### मानवेन्द्र नाथ रॉय की वैज्ञानिक राजनीति

मानवेन्द्र नाथ रॉय का राजनीतिक दर्शन पूर्णतया वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित है। उन्होंने अध्यात्मवाद, भौतिकवाद तथा समाजवाद तीनों का सागोंपांग अध्ययन कर उनकी उपादेयता अथवा निरर्थकता सिद्ध करते हुए मानववाद को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद तथा समाजवाद को विशेष महत्व दिया है। रॉय के अनुसार धर्म तथा अध्यात्मवाद मनुष्य के वैज्ञानिक चिंतन का मार्ग अवरुद्ध करते हैं। उनके विचारों में मध्ययुग तक की स्थिति इसी तर्क की पुष्टि करती है। जब से पुनर्जागरण काल में धर्म को सीमित कर वैज्ञानिक चिंतन का प्रारम्भ हुआ तभी से मानवीय स्वतन्त्रता का सही वातावरण बना। उनके विचारों से धर्म ने एक लम्बे समय तक मानव मस्तिष्क को नियन्त्रित किया तथा धार्मिक आडम्बरों में उसे फसाये रखा। यद्यपि उन्होंने बौद्ध, ईसाई तथा इस्लाम धर्म को सामाजिक क्रांति लाने के प्रयासों का श्रेय दिया फिर भी वे यह मानते रहै कि इन धर्मों के प्रवर्तकों के बाद उनके अनुयायियों ने भक्त मनुष्यों के धार्मिक विश्वास, अज्ञानता तथा निर्धनता का लाभ उठाकर उनका शोषण किया। वे धर्म की वर्तमान उपस्थिति का यह कारण प्रस्तुत करते रहे कि धर्म का मानव-जीवन के कई क्रिया-कलापों से ऐसा अदृष्ट सम्बन्ध रहा है जिससे वह अभी भी जीवित है। वे यह मानते थे कि धार्मिक संप्रदायों का शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रहा है। शिक्षा संस्थाओं का निर्माण, विकास तथा उनकी व्यवस्था धार्मिक संस्थाओं द्वारा होती रही। इन संस्थाओं ने शिक्षा के प्रसार में पूर्ण योग दिया तथा ज्ञान जागृत करते हुए मानव में विवेक तथा जिज्ञासा का पोषण किया। उनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में भी धर्म ने आर्थिक क्रिया-कलापों को प्रश्रय दिया। आर्थिक गतिविधियाँ धार्मिक सम्प्रदायों का अंग बन गयीं। इन सम्प्रदायों के पास अत्यधिक मात्रा में जमीन तथा धन सम्पदा उपलब्ध होने के कारण वे वैभवशाली बन गये। उनके आर्थिक वैभव के सामने साधारण मानव को झुकना पड़ा। इसका सबसे खतरनाक परिणाम यह हुआ कि मानव-मस्तिष्क तथा चिंतन की स्वतन्त्रता पर धर्म का एकाधिकार हो गया। स्वर्ग तथा नर्क की परिकल्पनाओं ने सामान्य जनता को सदैव भयभीत रखा। किन्तु रॉय के अनुसार भौतिकवाद के बढ़ते हुए प्रभाव ने इस धार्मिक एकाधिकार को चुनौती दी और उसे सीमित किया। मानववाद के उदय ने ईश्वर को चुनौती दी तथा पुनर्जागरण तथा सुधार युग ने धार्मिक विश्वास को भ्रूतकार दिया। यह मानव का धार्मिक बन्धनों से चिंतन को मुक्त करने के लिये विद्रोह था। इसमें विज्ञान से भी सहायता मिली। विज्ञान के विकास ने ब्रह्माण्ड के सम्बंध में नवीन विचार प्रस्तुत किये तथा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं ने ज्ञान की असीमित वृद्धि की। धर्म का व्यक्ति पर नियंत्रण शिथिल हो गया। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आया तथा अध्यात्मवाद द्वारा उत्पन्न निराशावाद एवं तर्कहीनता समाप्त



होने लगी। मानव में आत्मविश्वास, आशावादिता तथा विवेक को बल मिला। इस प्रकार मानवता की धर्म से मुक्ति का चित्रण प्रस्तुत करते हुए राँय धर्म को परिष्कृत<sup>1</sup> करने के स्थान पर उसकी पूर्ण समाप्ति के पक्ष में थे। वे आध्यात्मिकता के बन्धन से मानवीय चिंतन को मुक्त कर एक स्वतन्त्र चेतना की स्थापना कर रहे थे।

राँय भौतिकवादी थे। वे दर्शन को भौतिकवाद तथा भौतिकवाद को ही एक मात्र दर्शन मानते थे। उनका भौतिकवाद "खाओ, पीओ तथा जीओ" वाले भ्रमात्मक विचार से सम्बन्धित नहीं था।<sup>2</sup> उनकी दृष्टि में भौतिकवाद प्रकृति के यथार्थ ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्रकृति से मानव का तादात्म्य स्थापित करता है। वे प्रकृति को स्वाभिमान एवं व्यक्तिगत प्रसन्नता का परिचायक मानते थे।

भौतिकवादी विचारों के संदर्भ में राँय ने दिदरो को इतिहास का अग्रणी भौतिकवादी माना था। उनके विचार में दिदरो भौतिकवाद को एक मानवीय दर्शन में परिणत कर सका। उन्होंने दिदरों के इन विचारों को कि मानवीय शक्ति बन्धनमुक्त है तथा व्यक्ति को अपने अस्तित्व की रक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता है—भौतिकवादी दर्शन का आधार माना। दिदरो के अलावा राँय ग्रीक विचारकों जैसे थेल्स, एनाक्सागोरस, हेराक्लिट्स आदि का भी भौतिकवाद की समृद्धि के लिए उल्लेख करते थे। इनसे वे राँय ने हेराक्लिट्स का विशेष उल्लेख करते हुए बताया कि वे द्वन्द्वात्मिकता के प्रवर्तक थे तथा हीगल के प्रेरणा स्रोत थे। राँय ने यह माना कि द्वन्द्वात्मिकता की विचारधारा ने सम्पूर्ण सत्य तथा सम्पूर्ण ज्ञान को चुनौती देकर मानवीय मस्तिष्क को सभी बन्धनों से मुक्त कर दिया। राँय ने हेराक्लिट्स के इस कथन का—'साधारण सत्य है, असाधारण असत्य है तथा जो मानवीय मस्तिष्क के परे है वह सत्य नहीं किन्तु स्वप्न है, ज्ञान नहीं किन्तु केवल भ्रम है'—पूर्ण समर्पण किया। इसी प्रभाव में राँय ने अपने विचारों को अधिक से अधिक वैज्ञानिकता पर आधारित किया तथा कात्पनिकता का त्याग कर इन्द्रियजन्य अनुभव को ही सत्य माना।<sup>3</sup>

इसी प्रकार राँय प्रोटागोरस से भी प्रभावित हुए। प्रोटागोरस का यह सन्देश कि मनुष्य ही सत्र वस्तुओं का मापदण्ड है राँय के लिए ज्ञानदीप था। इसी तरह भारतीय उपनिषदों में भौतिकवादी अंशों का उल्लेख करते हुए उनसे प्रेरणा ली तथा ऋषि कपिल तथा कणाद के विचारों को भी भौतिकवादी संज्ञा दे उनके विचार ग्रहण किये। टॉमस हॉब्स ने राँय को प्रभावित किया। वे हॉब्स की धर्मनिरपेक्ष राजनीति एवं विवेक तथा उद्योगों के समन्वय के प्रशंसक थे। अपने भौतिकवादी दर्शन पर राँय हीगल, मार्क्स तथा एन्जल्स का प्रभाव भी स्वाकार करते थे। इन विचारकों का भौतिकवादी दर्शन राँय के चिंतन पर सदैव अंकित रहा। वे इस प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास करके भी मुक्त न हो सके। उनके समकालीन साम्यवादी विचारकों के सानिध्य का भी उन पर प्रभाव पड़ा और वे लेनिन, स्टालिन, ट्राट्स्की के समान भौतिकवादी एवं अस्तित्ववादी बन गये। वे राजनीति में नैतिकता को कोई स्थान नहीं देना चाहते थे। फिर भी उन्हें मैकियावेली का अनुयायी नहीं कह सकते। वे सत्यवादी थे तथा उन्होंने मैकियावेली के विपरीत अपने भौतिकवादी दर्शन में भी मानवीय कोमल भावनाओं को जीवित रखा। स्वार्थपरायणता का त्याग प्रस्तुत कर उन्होंने आर्थिक मानव के स्थान पर नैतिक मानव को प्रतिष्ठित किया। उनका भौतिकवाद

आदर्शवादी ज्ञानशास्त्र से रहित नहीं। वे समस्त विचारों का भौतिक अस्तित्व से सम्बन्ध मानते हैं।<sup>4</sup> इस प्रकार रॉय का भौतिकवाद पूर्णतया यथार्थवादी भौतिकवाद है। वे लेनिन के समान यथार्थवादी एवं भौतिकवादी दोनों ही हैं।<sup>5</sup>

मानेवन्द्र नाथ रॉय के विचारों में आर्थिक शोषण, सामाजिक दासता, सांस्कृतिक पिछड़ापन एवं आध्यात्मिक गिरावट से मुक्ति दिलाने के लिए समाजवाद से बड़ कर और कोई सिद्धान्त नहीं है।<sup>6</sup> रॉय पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे। मेक्सिको में समाजवादी दल की स्थापना करने के बाद वे निरन्तर समाजवाद के प्रसार में लगे रहे। किन्तु बाद में उनको यह कटु अनुभव हुआ कि समाजवाद सब कुछ नहीं दे सकता। वे यह मानने लगे कि मानव केवल पेट भर भोजन के लिए जिन्दा नहीं रहता। इस प्रकार वे शनैः शनैः समाजवाद के प्रबल आलोचक बन गये। वे समाजवादी चिन्तन जन्य नैतिकता, आचार तथा सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी कुचेष्टाओं को बुरा मानते थे। साधन तथा साध्य के अटूट सम्बन्धों के विचार में उनका पूरा विश्वास था।<sup>7</sup>

प्रचलित समाजवादी चिन्तन से ऊब कर रॉय ने एक नवीन समाजवादी विचारधारा प्रस्तुत की जिसका नाम उन्होंने 'सहकारी समाजवाद' रखा। सहकारी समाजवाद में रॉय ने व्यक्ति को समाज की स्वतन्त्र इकाई के रूप में स्वीकार किया। इसमें न तो व्यक्ति पर नियन्त्रण रहेगा और न उसकी स्वतन्त्रता सीमित की जायेगी। पंचायतों के माध्यम से हर व्यक्ति शासन में अपने आपको प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित कर सकता है। वे मानते थे कि सहकारी समाजवाद अधिक लोकप्रिय हो सकता है क्योंकि उत्पादन, वितरण एवं विनिमय में पारस्परिक सहयोग के द्वारा अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह सहकारिता के आधार पर व्यक्ति को भावसंवादी व्यवस्था से अधिक लाभ मिल सकते हैं। जहाँ भावसंवादी व्यवस्था केवल स्वतन्त्रता देती है वहाँ रॉय द्वारा प्रस्तुत सहकारी समाजवाद व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतन्त्रता देने को उद्यत है। रॉय ने सहकारी समाजवाद को पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों से ही मुक्ति दिलाने वाला माना। यह एक ऐसा सामाजिक दर्शन है जिसमें आर्थिक उपलब्धि ही सब कुछ नहीं किन्तु मानव का सर्वांगीण विकास एवं कल्याण इसका लक्ष्य है।

### मानवेन्द्रनाथ रॉय तथा नवमानववाद

रॉय के राजनीतिक विचारों में नव मानववाद का विशेष महत्त्व है। उनकी नवमानववादी विचारधारा को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले यह जान लिया जाय कि मानववाद क्या है? मानववाद एक प्राचीन विचारधारा है। यूनान के स्टोइस तथा एपीक्यूरियन्स विचारकों से लेकर आधुनिक काल तक इसके व्याख्याकार प्रस्तुत होते रहे हैं। प्राचीन समय से ही मानववादी विचारधारा का केन्द्रबिन्दु मानव रहा है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ही सब कार्यों का आधार है। मानव सर्वश्रेष्ठ है। भारत में भी चारवाक तथा बौद्धदर्शन में मानववाद के स्पष्ट लक्षण मिलते हैं। यूरोप में मानववादी चिन्तन ने पुनर्जागरणयुग के बाद अधिक वैज्ञानिकता ग्रहण की। ईश्वर की प्रमुखता कम हुई तथा मानव का महत्त्व बढ़ा। ईश्वर की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता को मानववाद ने स्थापित किया। डेकार्ट तथा स्पिनोज़ा ने ईश्वरीय सत्ता को भ्रमभोर दिया। कान्ट, फोल्टेयर आदि ने मानव की प्रमुखता स्थापित की। मानवरूपी ईश्वर की धाराधना होने

लगी। दार्शनिक चिन्तन का केन्द्रबिन्दु ईश्वर प्राप्ति न होकर ऐसा मनुष्य बना जो मानवीय अनुभवों के विश्व को मस्तिष्क द्वारा आत्मसात् करना चाहता था। विवेकपूर्ण, मानवीय तथा वैज्ञानिक विचारों की बाढ़ सी आ गयी। मनुष्य की सम्प्रभुता ने चिन्तन एवं जीवन के बाह्य बन्धनों को तोड़ने का मार्ग अपनाया।

आधुनिक युग में मानववाद यथार्थवाद, अस्तित्ववाद एवं भावसंवाद के रूप में प्रकट हुआ। वर्तमान के संदर्भ में मानववाद ने एक ओर यह धारणा प्रस्तुत की कि मानव स्वयं साध्य है तो दूसरी ओर इस विचार का प्रतिपादन किया कि मानव ही ध्यानातीत चिन्तन का केन्द्र है तथा वही सार्वभौम सृष्टि है। उसकी अन्तर्दृष्टि ही उसका लक्ष्य है। इस विचार ने मनुष्य को स्वभाव से अच्छा माना है तथा उसे पूर्णता प्राप्त करने की असीमित शक्ति से सम्पन्न माना है। यह मानव को स्वतन्त्रता दिलाने के प्रयास को उसके द्वारा समाज में सर्वांगीण विकास का अविभाज्य अंग माना है। यह व्यक्तिगत हित साधन की जगह सामाजिक हित साधन का समर्थक है। मानववाद इस ध्येय की प्राप्ति के लिए अज्ञान तथा अन्धविश्वास को विवेकपूर्ण चिन्तन द्वारा दूर करना चाहता है। यह मानव में मानव का प्रेम जागृत करता है। मानव को इसी भौतिक जीवन में सुखमय तथा आनन्दमय बनाने के लिए विज्ञान का सहयोग प्राप्त करना तथा मानव की श्रेष्ठता स्थापित करना इस विचारधारा का ध्येय है।

### नव मानववाद

मानवेन्द्रनाथ राँय ने प्राचीन मानववाद में अनेक कमियाँ पाईं। उन्हें प्राचीन मानववाद की धर्म प्रधानता स्वीकार नहीं थी। उनका विचार था कि मानववाद के साथ धर्म का मिश्रण किसी भी समय मानववाद को नष्ट कर सकता है। मनुष्य की सत्ता से ऊपर राँय अन्य किसी भी प्रकार की आधिदैविक अथवा आधिभौतिक सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अतः राँय ने मानववाद की प्राचीन मान्यताओं को समाप्त कर एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया। यह नवीन धारणा न तो एक रहस्य थी और न केवल मात्र विश्वास की वस्तु। नव मानववाद मानव के प्रादुर्भाव, उसके अतीत तथा उसकी वास्तविकता की खोज के साथ जीवन के मूलभूत अनुभवों पर आधारित किया गया। जीवशास्त्रीय प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि विवेक तथा नैतिकता मनुष्य की जन्मजात प्रकृति के परिणाम हैं। इसी जीवशास्त्रीय विशेषता के आधार पर वह अन्य मनुष्यों के साथ शान्ति व सहयोग का जीवन जीता है। राँय के अनुसार नव मानववाद कोई अमूर्त दर्शन या केवल मात्र सामाजिक दर्शन अथवा केवल मात्र राजनीतिक एवं आर्थिक सिद्धान्त ही नहीं है। इसके विपरीत यह उन गिद्धान्तों का संग्रह है जो मनुष्य जीवन के सभी क्रिया-कलापों को उसके सामाजिक अस्तित्व से सम्बन्धित कर उसकी अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।<sup>8</sup>

इस प्रकार नव मानववाद मानव को स्वयं के भाग्य का निर्माता बनाता है तथा वह सुविधा प्रदान करता है जिसके अपनाने में मनुष्य अपने विश्व का निर्माण तथा पुनर्निर्माण करता हुआ सतत विकास की ओर प्रयत्नशील रह सकता है। मानव-अस्तित्व को उत्तरा पैदा करने वाले निरन्तर सपनों तथा अनुभवों से ही नवमानववाद उत्पन्न होता है। मानव की सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक तथा नैतिक जीवन की समस्याओं

ने मानव-भविष्य के सम्बन्ध में यह सोचने के लिए विवश किया है कि यदि मानव अपने लिए एक नवीन जीवन-दर्शन की सृष्टि नहीं करता तो वह अपने आप में विश्वास छो बैठेगा तथा सदा के लिए मार्गच्युत हो जायेगा। अतः सामाजिक ढाँचे का नव निर्माण एवं मानव-जीवन को सौहार्द्रपूर्ण एवं सुखमय बनाने के लिए मानव का पुनर्मूल्यांकन नव मानववाद का ध्येय है।<sup>9</sup>

यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाये तो नवमानववाद कोई पूर्णतया नवीन विचारधारा नहीं दिखलाई देती। यह वही पुरानी मानववादी विचारधारा है जिसको आधुनिक विज्ञान की गवेषणाओं का पुट देकर नवमानववाद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मानवेन्द्रनाथ का यह उदारवादी दृष्टिकोण है कि उन्होंने नवमानववाद को कठोरता की परिधि में न रख कर उसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होने वाला सिद्धान्त बताया है। रॉय ने स्वीकार किया है कि मानववाद मार्क्स के प्रभाव से अछूता नहीं किन्तु साथ ही साथ उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि नव मानववाद मार्क्सवाद से अधिक वैज्ञानिक है। उनका कहना था कि जब मार्क्स ने अपने सिद्धान्तों का सृजन किया था उस समय वैज्ञानिक ज्ञान इतना विकसित नहीं था। इसके विपरीत वे अपने नवमानववाद को जीव शास्त्र तथा मनोविज्ञान के नवीनतम निष्कर्षों पर आधारित मानते हुए उसे मार्क्सवाद से भी अधिक प्रगतिशील मानते थे।

किन्तु नवमानववाद तथा मार्क्सवाद में पर्याप्त अन्तर है। नवमानववाद में व्यक्ति को प्रमुखता दी गई है, जब कि मार्क्सवाद में स्थिति इसके विपरीत है। नवमानववाद में व्यक्ति की प्रमुखता केवल समाज में ही नहीं, अपितु अखिल ब्रह्माण्ड में मानी गयी है। समाज की रचना का आधार ही व्यक्ति को माना है। यदि व्यक्ति समाज के बिना अस्तित्व नहीं रखता तो समाज भी व्यक्तियों का ही बनाया हुआ संगठन है। अर्द्धे व्यक्ति मिलकर ही अर्द्धे समाज का निर्माण करते हैं।<sup>10</sup> जब कि मार्क्सवाद एक अर्द्धे समाज की रचना को प्राथमिकता देता है ताकि उसके माध्यम से अर्द्धे मनुष्यों का निर्माण हो सके। पर रॉय के अनुसार अर्द्धे व्यक्ति का निर्माण अधिक महत्त्व रखता है। यह कहना कि पहले एक अर्द्धे समाज का निर्माण किया जाये तथा बाद में उसके माध्यम से अर्द्धे व्यक्ति बनाये जाये, उचित नहीं। यदि इस धारणा को माना जाये तो इसके अनुसार पहले शक्ति हथियानी होगी तथा साध्य की प्राप्ति में हर साधन उचित ठहराया जायेगा। इससे अर्द्धाई का लोप हो जायेगा और बुरे साधनों से भी अर्द्धे समाज को सगठित करने का समर्थन किया जायेगा। रॉय के अनुसार यह सर्वथा अनुचित है। बुरे साधन अर्द्धे व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकते तथा बुरे व्यक्ति अर्द्धे समाज का सृजन नहीं कर सकते। इस प्रकार रॉय मार्क्सवाद के विपरीत साधन तथा साध्य की नैतिकता के अक्षित्य पर बल देते हुए दोनों के समन्वय के पक्षपाती है।

रॉय के नवमानववाद की स्थापना शिक्षित एवं प्रबुद्ध जनता के माध्यम से ही हो सकती है। यदि समाज का ऐसा नव-निर्माण नवमानववाद पर आधारित किया जाये तो यह एक अभूतपूर्व क्रान्ति का जनक होगा। यह एक ऐसी क्रान्ति होगी जिसमें मानव के नैतिक, बौद्धिक, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य पक्षों का समावेश होगा तथा यह मानव के दृष्टिकोण में आधुनिकतम परिवर्तन ला देगी। यही उग्र मानव-

वाद है। इसमें न तो राष्ट्रवाद की भावना का समावेश है और न रंगभेद का। इसका प्रमुख लक्ष्य मानव है।<sup>11</sup>

इस तरह राँय ने एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया है जिसमें मानव को स्वतन्त्रता-प्रेमी, विवेकी तथा सृजनशील प्राणी के रूप में बताया गया है। राँय की मान्यता है कि मानव की स्वतन्त्रता ही उसे बर्बरता से सभ्यता की ओर बढ़ाने में सहायक हुई है। मानव विवेकपूर्ण चिन्तन तथा ज्ञान के आधार पर ही अपने तथा बाह्य विश्व के अस्तित्व को समझ पाया है। अन्धविश्वास तथा धार्मिक मतान्धता से ऊपर उठकर वह ईश्वर की सत्ता को चुनौती देते हुए स्वयं को ढूँढने का प्रयास करता है।<sup>12</sup> यही विचारधारा केवल आध्यात्मिक तथा सामाजिक जीवन में ही नहीं, अपितु राजनीति में भी नवीन प्रेरणा लेकर आई है। यह भौतिकवाद, प्रकृतिवाद एवं बुद्धिवाद का अद्भुत सम्मिश्रण है।

**मानवेन्द्रनाथ राँय के स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्र सम्बन्धी विचार**

राँय के उग्रमानववादी विचारों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सर्वोपरि माना गया है। उनके अनुसार राष्ट्रीय राज्य, साम्यवादी वर्ग-राज्य तथा समाजवादी राज्य सब ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को किसी न किसी अनुपात में सीमित कर देते हैं। यहाँ तक कि लोकतान्त्रिक राज्य तो राष्ट्रीय समष्टिवाद से बढ है।<sup>13</sup> इसी कारण से राँय ने एक ऐसे राजनीतिक सगठन का आधार प्रस्तुत किया है, जिसमें व्यक्ति राष्ट्रीय धनवा वर्ग-समष्टि का यन्त्र न बनाया जा सके। राँय ने राज्य की उत्पत्ति के प्रारम्भिक समय से ही स्वतन्त्रता की प्रमुखता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है और यह विश्वास व्यक्त किया है कि स्वतन्त्रता की प्रेरणा से ही मानव प्रकृति के साथ संघर्ष करता रहा है। राज्य तथा समाज का आधार मानव-स्वतन्त्रता मानते हुए राँय को यह छद्म धारणा है कि मानव बन्धन का हर समय प्रतिकार करता रहा है। आधुनिक परिस्थितियों ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता को आर्थिक सन्तुष्टि एवं सुरक्षा पर निर्भर कर दिया है, किन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि उसे सांस्कृतिक एवं बौद्धिक स्वतन्त्रता का वातावरण प्राप्त हो ताकि वह अपनी बौद्धिक क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके।<sup>14</sup>

राँय ने व्यक्ति को स्वतन्त्रता-प्राप्ति की लालसा को चिरंतन माना है। स्वतन्त्रता की अनुभूति ही उसका जीवन है। किन्तु राँय के अनुसार स्वतन्त्रता का यह तात्पर्य नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ करने की स्वतन्त्रता रखता है। उस पर विवेक का नियन्त्रण है, जो उसे बुराई से रोकता है। विवेक ही व्यक्ति को सामाजिकता सिखाता है। व्यक्ति तथा समाज में कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, यदि व्यक्ति विवेक द्वारा मार्ग-दर्शन प्राप्त करता रहे। राँय ने इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो नवीन व्यवस्था प्रस्तुत की है उसका नाम "संगठित लोकतन्त्र" है। राँय ने आधुनिक लोकतन्त्र को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पोषक मानने के साथ यह भी व्यक्त किया कि सामूहिक कार्रवाई के नाम पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का इसमें हनन होता है। वे प्रतिनिधि लोकतन्त्र के पक्ष में नहीं हैं। मतदाता तथा सरकार के मध्य इतनी दूरी बढ जाती है कि शासन पर जनता का नियंत्रण नाम मात्र को रह जाता है। इसलिए राँय ने प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का समर्थन किया है। राँय का यह विश्वास था कि आधुनिक लोकतन्त्र में दल व्यवस्था में हानि हुई है। दलों ने लोकप्रिय सम्प्रदाय को केवल मात्र संबैधानिक दिखावा बना दिया है।<sup>15</sup> वे यह मानते थे कि दलगत राजनीति के द्वारा

प्रतिनिधि लोकतन्त्र में सत्ता की होड़ नैतिक एवं सार्वजनिक मापदण्डों को समाप्त कर देती है। चरित्रवान व्यक्ति इस दलगत राजनीति से कतराते हैं तथा इस प्रकार जनता को उचित नेतृत्व मिल नहीं पाता। उन्होंने इस आधार पर संसदात्मक लोकतन्त्र के प्रति अपनी अनिच्छा प्रकट की। वे संसदात्मक शासन में लोक-कल्याणकारी राज्य के प्रयत्नों को मानव-स्वतन्त्रता को संकुचित करने वाले मानते थे। राँय ने "संगठित लोकतन्त्र" पर इसी कारण से इतना बल दिया। वह प्रत्यक्ष एवं विकेंद्रित लोकतन्त्र था जिसमें राँय ने राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं रखा था। इस प्रकार यह दल-विहीन लोकतन्त्र का विचार है। राँय ने इसका विस्तार से उल्लेख करते हुए इसके क्रियात्मक स्वरूप के बारे में यह बताया है कि छोटे छोटे सहकारी संगठनों के द्वारा यह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र आधुनिक राज्यों में स्थापित किया जा सकता है। इस व्यवस्था में शक्ति जनता के हाथों में रहेगी तथा जनता ही शासन-कार्य में भाग लेकर इसका नियन्त्रण करेगी।<sup>16</sup> स्थानीय लोकतान्त्रिक इकाइयों से राज्य का संगठन शंकुवत होगा। राँय ने रूस का हवाला देते हुए बताया है कि वहाँ पर भी लेनिन ने सोवियतों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की व्यवस्था की थी, किन्तु सामाजवादी व्यवस्था के केन्द्रीयकरण ने इसकी मूल आत्मा को समाप्त कर दिया। राँय ऐसी विकृति नहीं चाहते थे। अतः मार्क्सवाद के विपरीत उन्होंने लोकतान्त्रिक विकेंद्रीयकरण को अधिक महत्त्व दिया। अपने संगठित लोकतन्त्र के प्रतिपादन में राय ने मतदाताओं के शिक्षित होने की अनिवार्यता पर बल दिया ताकि वे भाषण कला में निपुण नेताओं के बहुकावे में नहीं आ सकें। वे नैतिक तथा बौद्धिक दृष्टि से ईमानदार तथा पक्षपात-रहित व्यक्तियों को ही शासन का नेतृत्व सौंपने के पक्ष में थे। चूँकि प्रारम्भ में कुशल तथा गुणी शासकों का चयन होना कठिन है, इसलिए प्रारम्भिक स्थिति में शासकों के निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन का प्रावधान भी प्रस्तुत किया।<sup>17</sup>

अपने संगठित लोकतन्त्र सम्बन्धी विचारों को राँय ने ग्रिन्सिपल्स आफ रेडिकल डिमोक्रेसी नामक पुस्तिका में प्रस्तुत किया। इन्हीं विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए उन्होंने अपनी ओर से भारत के संविधान का एक प्रारूप<sup>18</sup> भी लिखा था। यह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के भावी संविधान-निर्माताओं के लिए एक अनुकरणीय सुझाव था। अपने इस प्रस्तावित संविधान में राँय ने नागरिकों के उन मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया जो निर्धारित जीवन-स्तर, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, बुढ़ों तथा अपाहिजों के लिए सामाजिक सुरक्षा, चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं धर्म-निरपेक्ष शिक्षा, भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रता, श्रमिकों, कामिकों तथा किसानों के संगठनों का संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता आदि प्रदान करते हैं। राज्य की समस्त शक्ति जनता में निहित मानी गई है तथा इस शक्ति के प्रयोग का अधिकार गाँव, कस्बे तथा नगरों की स्थानीय जन-समितियों को सौंपा गया है। ये जन-समितियाँ व्यवस्थापिका के आधार पर प्रतिवर्ष चुनी जायेंगी तथा इनकी सदस्यता कुल मतदाताओं की आबादी का 1/50 वाँ भाग होगी। ऐसे राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी संरक्षण आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन-पद्धति द्वारा होगा। प्रांतीय एवं संघीय सरकारें जन-समितियों द्वारा चुनी जायेगी। संघ की इकाइयों को संघ की सदस्यता से अलग होने की स्वतन्त्रता भी होगी। राँय ने जन-समितियों को स्विट्जरलैण्ड के समान

आरम्भक तथा प्रत्यावर्तन का अधिकार भी दिया है। उन्हें प्रत्याह्वान का अधिकार भी होगा। इसी तरह केन्द्र में राँय ने एक सर्वोच्च जन-समिति की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें एक निर्वाचित गवर्नर-जनरल, राज्य-सभा तथा संघीय सभा रहेंगी। राज्य-सभा के बारे में राँय का विचार था कि उसमें योग्यतम व्यक्ति ही रखे जायें जिससे वे शासन का मार्ग-दर्शन करते रहें। संघीय सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो और उसे कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति प्रदान की जाये। किन्तु इन सब पर सर्वोच्च जन-समिति का नियन्त्रण रहेगा तथा शासन का कोई भी कार्य उसके समर्थन के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता। राँय ने संघ की इकाइयों के सम्बन्ध में भी कई सुझाव दिये हैं।

इस प्रकार मानवेन्द्र नाथ राँय ने राज्य-शासन के समस्त कार्य में जन-सहयोग पर बल दिया है। उनकी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं है, उनका दल-विहीन लोकतन्त्र का विचार उनकी एक अनूठी देन है। वे राजनीतिक दलों के अस्तित्व को तभी तक मानते हैं जब तक मनुष्यों में नैतिकता तथा विवेक जागृत नहीं हो जाता। व्यक्तियों के स्वयं विवेकी बनने के बाद नती राजनीतिक दलों की आवश्यकता रहेगी और न राज्य की। राँय के अनुसार राज्य भी शनः शनः समाप्त हो जायेगा। न कोई वर्ग-भेद रहेगा और न कोई किसी का शोषण करेगा। केवल एक समाज रहेगा। समाज का एक केन्द्रीय संगठन होगा लेकिन वह 'लेवांया' न होकर एक समन्वयवादी तत्त्व के रूप में कार्य करेगा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों में तालमेल रखेगा। इस प्रकार के समाज में राज्य शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।<sup>19</sup>

### राँय के आर्थिक विचार

राँय के आर्थिक विचार शोषण के प्रति विरोध का संदेश देते हैं। वे मानव को आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया संरक्षित करने के पक्ष में हैं। उनके विचार से मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर पर ही अपना बौद्धिक एवं सर्वांगीण विकास कर सकता है। स्वतन्त्रता का उपभोग मनुष्य को आर्थिक सुरक्षा ही प्रदान कर सकता है। वे ऐसे आर्थिक नियोजन के पक्ष में हैं, जो मानव-स्वतन्त्रता की रक्षा कर सके। विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान के द्वारा यह कार्य वे सम्पादित होता हुआ देखते हैं। उनके विचारों से औद्योगीकरण के द्वारा भौतिक समृद्धि प्राप्त कर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को संरक्षण मिल सकता है। किन्तु राँय के आर्थिक नियोजन सम्बन्धी विचार न समाजवादी हैं और न पूंजीवादी। वे नियोजन की समाजवादी पद्धति को इसलिए अमान्य ठहराते हैं कि उसमें नियोजन एक शक्तिशाली राजनीतिक यन्त्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और यह स्थिति सामाजिक प्रगति के नाम पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त कर देती है। वे पूंजीवादी नियोजन को भी पसन्द नहीं करते, क्योंकि यह व्यवस्था अधिक में अधिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धान्त पर आधारित है इसलिए निर्धनों का शोषण होता है।<sup>20</sup>

राँय के अनुसार आर्थिक समृद्धि के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। यह आन्तरिक व्यापार बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। वे विदेशी व्यापार पर अधिक जोर नहीं देते। उनकी दृष्टि में विदेशी व्यापार हर समय साथ नहीं देता तथा कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में बढ़ती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का गिबार बन सकता है। वे

प्रतिनिधि लोकतन्त्र में सत्ता की होड़ नैतिक एवं सार्वजनिक मापदण्डों को समाप्त कर देती है। चरित्रवान व्यक्ति इस दलगत राजनीति से कतराते हैं तथा इस प्रकार जनता को उचित नेतृत्व मिल नहीं पाता। उन्होंने इस आधार पर संसदात्मक लोकतन्त्र के प्रति प्रपनी अनिच्छा प्रकट की। वे संसदात्मक शासन में लोक-कल्याणकारी राज्य के प्रयत्नों को मानव-स्वतन्त्रता को संकुचित करने वाले मानते थे। रॉय ने "संगठित लोकतन्त्र" पर इसी कारण से इतना बल दिया। वह प्रत्यक्ष एवं विकेन्द्रित लोकतन्त्र था जिसमें रॉय ने राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं रखा था। इस प्रकार यह दल-विहीन लोकतन्त्र का विचार है। रॉय ने इसका विस्तार से उल्लेख करते हुए इसके क्रियात्मक स्वरूप के बारे में यह बताया है कि छोटे छोटे सहकारी संगठनों के द्वारा यह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र आधुनिक राज्यों में स्थापित किया जा सकता है। इस व्यवस्था में शक्ति जनता के हाथों में रहेगी तथा जनता ही शासन-कार्य में भाग लेकर इसका नियन्त्रण करेगी।<sup>16</sup> स्थानीय लोकतान्त्रिक इकाइयों से राज्य का संगठन शंकुवत होगा। रॉय ने रूस का 'हुवाला देते हुए बताया है कि वहां पर भी लेनिन ने सोवियतों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की व्यवस्था की थी, किन्तु सामाजवादी व्यवस्था के केन्द्रीयकरण ने इसकी मूल आत्मा को समाप्त कर दिया। रॉय ऐसी विकृति नहीं चाहते थे। अतः मार्क्सवाद के विपरीत उन्होंने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण को अधिक महत्त्व दिया। अपने संगठित लोकतन्त्र के प्रतिपादन में रॉय ने मतदाताओं के शिक्षित होने की अनिवार्यता पर बल दिया ताकि वे भाषण कला में निपुण नेताओं के बहकावे में नहीं आ सकें। वे नैतिक तथा बौद्धिक दृष्टि से ईमानदार तथा पक्षपात-रहित व्यक्तियों को ही शासन का नेतृत्व सौंपने के पक्ष में थे। चूंकि आरम्भ में कुशल तथा गुणी शासकों का चयन होना कठिन है, इसलिए आरम्भिक स्थिति में शासकों के निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन का प्रावधान भी प्रस्तुत किया।<sup>17</sup>

अपने संगठित लोकतन्त्र सम्बन्धी विचारों को रॉय ने प्रिन्सिपल्स आफ रेडिक्ल डिमोक्रेसी नामक पुस्तिका में प्रस्तुत किया। इन्हीं विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए उन्होंने अपनी ओर से भारत के संविधान का एक प्रारूप<sup>18</sup> भी लिखा था। यह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के भावी संविधान-निर्माताओं के लिए एक अनुकरणीय सुझाव था। अपने इस प्रस्तावित संविधान में रॉय ने नागरिकों के उन मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया जो निर्धारित जीवन-स्तर, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, वृद्धों तथा अपाहिजों के लिए सामाजिक सुरक्षा, चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं धर्म-निरपेक्ष शिक्षा, भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रता, श्रमिकों, कर्मिकों तथा किसानों के संगठनों का संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता आदि प्रदान करते हैं। राज्य की समस्त शक्ति जनता में निहित मानो गई है तथा इस शक्ति के प्रयोग का अधिकार याव, कस्बे तथा नगरों की स्थानीय जन-समितियों को सौंपा गया है। ये जन-समितियां वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिवर्ष चुनी जायेंगी तथा इनकी सदस्यता कुल मतदाताओं की आबादी का 1/50 वां भाग होगी। ऐसे राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी संरक्षण आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन-पद्धति द्वारा होगा। प्रांतीय एवं संघीय सरकारें जन-समितियों द्वारा चुनी जायेंगी। संघ की इकाइयों को संघ की सदस्यता में प्रत्यक्ष होने की स्वतन्त्रता भी होगी। रॉय ने जन-समितियों को स्विट्जरलैण्ड के ममान



आरम्भक तथा प्रत्यावर्तन का अधिकार भी दिया है। उन्हें प्रत्याह्वान का अधिकार भी होगा। इसी तरह केन्द्र में राँय ने एक सर्वोच्च जन-समिति की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें एक निर्वाचित गवर्नर-जनरल, राज्य-सभा तथा संघीय सभा रहेंगी। राज्य-सभा के बारे में राँय का विचार था कि उसमें योग्यतम व्यक्ति ही रखे जायें जिससे वे शासन का मार्ग-दर्शन करते रहें। संघीय सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो और उसे कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति प्रदान की जाये। किन्तु इन सब पर सर्वोच्च जन-समिति का नियन्त्रण रहेगा तथा शासन का कोई भी कार्य उसके समर्थन के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता। राँय ने संघ की इकाइयों के सम्बन्ध में भी कई सुझाव दिये हैं।

इस प्रकार मानवेन्द्र नाथ राँय ने राज्य-शासन के समस्त कार्य में जन-सहयोग पर बल दिया है। उनकी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं है, उनका दल-विहीन लोकतन्त्र का विचार उनकी एक अनूठी देन है। वे राजनीतिक दलों के अस्तित्व को तभी तक मानते हैं जब तक मनुष्यों में नैतिकता तथा विवेक जागृत नहीं हो जाता। व्यक्तियों के स्वयं विवेकी बनने के बाद न तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता रहेगी और न राज्य की। राँय के अनुसार राज्य भी शून्यः शून्यः समाप्त हो जायेगा। न कोई वर्ग-भेद रहेगा और न कोई किसी का शोषण करेगा। केवल एक समाज रहेगा। समाज का एक केन्द्रीय संगठन होगा लेकिन वह 'लेवाथा' न होकर एक समन्वयवादी तत्त्व के रूप में कार्य करेगा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों में तालमेल रखेगा। इस प्रकार के समाज में राज्य शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।<sup>19</sup>

### राँय के आर्थिक विचार

राँय के आर्थिक विचार शोषण के प्रति विरोध का सन्देश देते हैं। वे मानव को आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया संरक्षित करने के पक्ष में हैं। उनके विचार से मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही अपना बौद्धिक एवं सर्वांगीण विकास कर सकता है। स्वतन्त्रता का उपभोग मनुष्य को आर्थिक सुरक्षा ही प्रदान कर सकता है। वे ऐसे आर्थिक नियोजन के पक्ष में हैं, जो मानव-स्वतन्त्रता की रक्षा कर सके। विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान के द्वारा यह कार्य वे सम्पादित होता हुआ देखते हैं। उनके विचारों से औद्योगीकरण के द्वारा भौतिक समृद्धि प्राप्त कर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को संरक्षण मिल सकता है। किन्तु राँय के आर्थिक नियोजन सम्बन्धी विचार न समाजवादी हैं और न पूंजीवादी। वे नियोजन की समाजवादी पद्धति को इसलिए अमान्य ठहराते हैं कि उसमें नियोजन एक शक्तिशाली राजनीतिक यन्त्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और यह स्थिति सामाजिक प्रगति के नाम पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त कर देती है। वे पूंजीवादी नियोजन को भी पसन्द नहीं करते, क्योंकि यह व्यवस्था अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धान्त पर आधारित है इसलिए निर्धनों का शोषण होता है।<sup>20</sup>

राँय के अनुसार आर्थिक समृद्धि के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। यह आन्तरिक व्यापार बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। वे विदेशी व्यापार पर अधिक जोर नहीं देते। उनकी दृष्टि में विदेशी व्यापार हर समय साथ नहीं देता तथा कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में बढ़ती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का शिकार बन सकता है। वे

जनता की क्रय-शक्ति बढ़ाने के पक्ष में है। इसके लिए उन्होंने नये-नये उद्योगों की स्थापना की सिफारिश की है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। कृषि भूमि पर दबाव कम हो और कृषकों की स्थिति में भी सुधार आये, इसके लिये वे कृषकों की आर्थिक शक्ति बढ़ाने हेतु भूमि के उचित वितरण को अधिक महत्व देते हैं। अधिक में अधिक सार्वजनिक निर्माण-कार्य करने का पक्ष भी राँय ने समर्थित किया है, जिससे जनता को आय के साधन उपलब्ध हों। इस प्रकार भूमि के समान वितरण तथा कृषकों और श्रमिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि द्वारा आर्थिक सम्पन्नता का मार्ग राँय को पसन्द है।

राँय ने प्रचलित समस्त आर्थिक सिद्धान्तों की आलोचना की है तथा यह प्रबल किया है कि ये समस्त विचार मनुष्य को एक स्वार्थी प्राणी मानते हैं। इसके विपरीत राँय मनुष्य को स्वभाव से ही सहयोगी प्राणी के रूप में देखते हैं। इसी कारण से राँय उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण जनता में निहित करना उचित मानते हैं। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरुद्ध नहीं, वशतः इसके द्वारा सामाजिक शोषण न किया जाये। वे संपत्ति के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि यह व्यवस्था राज्य को मानवीय स्वतन्त्रता समाप्त करने का अधिकार देकर एक सर्वाधिकार राज्य की स्थापना करती है। इस तरह राँय निर्जा सम्पत्ति की मान्यता के साथ-साथ सम्पत्ति के सहकारी स्वामित्व पर भी बल देते हैं। वे आर्थिक नियोजन को ऐच्छिक सहकारिता पर आधारित करते हैं। निजी उद्योगों में हस्तक्षेप करने की नीति के पक्ष में वे नहीं थे क्योंकि उनका यह विश्वास था कि सहकारिता पर आधारित उद्योग अपने आप निजी उद्योगों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के द्वारा परास्त कर देंगे।<sup>21</sup>

इस प्रकार राँय ने आर्थिक विकेन्द्रीयकरण की नीति का अनुसरण किया है। वे आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप करने से वंचित करते हुए भी सामाजिक नियन्त्रण द्वारा आर्थिक उन्नति प्राप्त करने के इच्छुक हैं। वे राज्य का नियन्त्रण केवल विद्युत् उत्पादन, कोयला, रूपात, यातायात आदि विभागों तक सीमित रखना चाहते थे। उनकी सहकारिता केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं। वे शिक्षा को भी राज्य के नियन्त्रण से मुक्त रखना चाहते हैं। राज्य केवल विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। ये विचार बहुलवादियों के विचारों से मिलते-जुलते हैं। इस प्रकार राँय राज्य को केवल कानून तथा सुरक्षा आदि अधिकार देकर शेष सभी व्यवस्था मानव-सहकारिता पर छोड़ देते हैं।

भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से राँय के विचारों में मौलिकता भी है। उन्होंने कई ऐसे व्यावहारिक सुझाव दिये हैं, जिन पर अमल करना भारत के लिए श्रेयस्कर है। राँय के अनुसार भारत में औद्योगिककरण की प्रगति कृषि के विकास पर ही निर्भर करती है। वे कृषि के विकास को अत्यधिक महत्व देते हैं ताकि मैत्रीहर निमान की प्रयत्न की शक्ति में वृद्धि हो। वे कृषि के यान्त्रिकरण के पक्ष में न थे। यान्त्रिकरण के सम्बन्ध में उनका यह विचार था कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ेगी। वे उन्नत बनाने के बड़े-बड़े कारखानों के पक्ष में भी नहीं थे। उनका विचार इन कारखानों पर भारी लागत लगाने के स्थान पर गोबर की खाद को ही काम में लाने का था ताकि

खाद सुगमता में ग्रामीणों को प्राप्त हो सके। वे ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के लिए गोबर के स्थान पर कोयले के प्रयोग के पक्ष में थे। यदि कोयला अच्छी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में मिलने लगे तो गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होगा। कोयला-खदानों का नियन्त्रण राज्य के हाथ में रहे, ताकि उद्योगपति कोयले की कृत्रिम कमी पैदा न कर सकें और न कीमते ही बढ़ा सकें। इसी तरह सिंचाई के सम्बन्ध में भी राँय के विचार बहुत सुलभ हुए थे। उन्होंने बड़ी-बड़ी सिंचाई-योजनाओं के स्थान पर छोटी सिंचाई-योजनाओं को महत्त्व दिया। बड़ी योजनाएँ अपने पर खर्चे हुए धन की वसूली के लिए सिंचाई की दरों में वृद्धि करने के लिए अवश्य बाध्य होगी। इससे कृषक को सिंचाई की बढ़ी हुई दरें देनी होगी और उसे वास्तविक लाभ नहीं होगा। वे सहकारी आधार पर गाँवों में ट्यूब वेल्स लगाने के पक्ष में थे। इसी तरह कृषकों की समस्त कृषि सम्बन्धी समस्याओं के निवारण के लिए वे सहकारिता के सिद्धान्त पर बल देते थे। सहकारी ऋण-व्यवस्था, सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ आदि की उन्होंने सिफारिश की। वे सामूहिक सेती के स्थान पर सहकारी सेती के पक्ष में थे। सहकारी फार्म की योजना भी उन्होंने प्रस्तुत की। बड़े फार्म बनाने की योजना उन्हें पसन्द नहीं थी। जोत की सीमा निर्धारित करने का भी राँय ने समर्थन किया।<sup>22</sup> भारत की कृषि तथा उद्योगों की प्रगति से सम्बन्धित राँय के ये विचार यथार्थपूर्ण हैं।

### राँय द्वारा मार्क्सवाद की आलोचना

राँय ने अपने जीवन के कई वर्ष एक कट्टर मार्क्सवादी के रूप में बिताये। बाद में मार्क्सवाद की मर्वाधिकारवाद में परिणति, जिसे उन्होंने साम्यवादी शासन में देखा, के कारण वे मार्क्सवादियों से विमुख हो गये। यद्यपि यह सत्य है कि वे जीवनपर्यन्त मार्क्स के प्रभाव में रहे, किन्तु मार्क्सवादियों से उन्हें बाद के दिनों में पूर्ण घृणा हो गयी थी।

राँय ने सैद्धान्तिक तथा ध्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से मार्क्सवाद-साम्यवाद की आलोचना की है। राँय के अनुसार मार्क्स का यह कथन असत्य है कि मध्यमवर्ग का अन्त हो जायेगा और समाज केवल दो वर्गों अर्थात् पूँजीपतियों तथा निधन-वर्ग में विभाजित हो जायेगा। राँय ने मार्क्स की इस विचारधारा के प्रतिबुल यह पाया कि मध्यमवर्ग का विश्व में पहले से अधिक महत्त्व बढ़ा है। मध्यमवर्ग ही समाज को बौद्धिक एवं राजनीतिक जीवन देता है। लोकतन्त्र विशेषतया मध्यमवर्गीय नेतृत्व पर ही सफलतापूर्वक चल सकता है।<sup>23</sup>

राँय ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त की भी कट्टर आलोचना की है। उनके विचारों से अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त न तो पूँजीवादी प्रथा का द्योतक था न श्रमिकों के शोषण का। राँय के अनुसार पूँजीवाद को समाप्त करने के विचारों से मार्क्स इतने अधीर हो उठे थे कि उन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त को ताँड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और उममें अपने तर्कों को पुष्ट किया। वास्तविकता में अतिरिक्त उत्पादन के सामाजिक महत्त्व को भी देखना चाहिए था। राँय ने यह व्यक्त किया कि यदि अतिरिक्त मूल्य का अधिक पक्ष समाप्त हो जाता है तो सामाजिक मूल्य भी नष्ट हो जायेंगे और सामाजिक प्रगति समाप्त हो जायेगी। उनके विचारों से सामाजिक अतिरिक्त मूल्य के नष्ट होने में कई मन्व्यताओं का विनाश हुआ है। यदि भविष्य में सम्यता की रक्षा जर्गनों है तो

अतिरिक्त मूल्य की भी रक्षा करनी होगी ताकि आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था चलती रहे। वे यह कहते थे कि यदि अतिरिक्त मूल्य शोषण का ही प्रतीक मान लिया जाये तो इसका अर्थ होगा कि साम्यवादी रूस भी इस शोषण का अपवाद नहीं है। वहाँ व्यक्तिगत पूंजीवाद के स्थान पर राजकीय पूंजीवाद है। स्वयं ट्राट्स्की भी इसी विचार के थे।

मार्क्स द्वारा की गयी इतिहास की भौतिक व्याख्या भी रॉय ने स्वीकृत नहीं की। उनके अनुसार मार्क्स ने जीवन के भौतिकवादी पक्ष को अधिक उभारने का कार्य किया। यह एक निर्जीव आर्थिक आधार था जो कि मार्क्स ने इतिहास की निश्चयात्मकता के पुट के सहारे खड़ा किया था। मार्क्स ने मानवता, वैचारिक सुधारवाद तथा पूर्वगामी आर्थिक सिद्धान्तों को तिलाजलि दे इतिहास तथा सामाजिक आर्थिक मान्यताओं पर अपना सिद्धान्त आधारित किया। रॉय के अनुसार इतिहास का केवल आर्थिक आधार ही नहीं होता, उसके पीछे सामाजिक व विचारात्मक दृष्टिकोण भी होते हैं। फिर किसी भी प्रकार का दर्शन आर्थिक आधार पर ही नहीं खड़ा होता। स्वयं एन्जिल्स भी मार्क्स के इन विचारों से सहमत नहीं थे। रॉय भी एन्जिल्स की तरह सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक एवं भौतिक तत्वों के स्थान पर सांस्कृतिक एवं मानववादी तत्वों की स्थापना करते हैं। वे मार्क्स के यान्त्रिक सामाजिक दृष्टिकोण से भी सहमत नहीं हैं। आर्थिक प्रगति से समाज का अंकन करना दोषपूर्ण है। मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताएँ इतनी परिवर्तनशील तथा लचीली हैं कि इससे कोई शाश्वत विचार प्राप्त नहीं हो सकता।

रॉय ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सर्वहारा-वर्ग के अधिनायक तन्त्र की भी आलोचना की है। वे सर्वहारा-क्रान्ति को अपूर्ण मानते हैं। चन्द व्यक्ति जो कि सर्वहारा का प्रतिनिधित्व करने का दम भरते हैं कोई क्रान्ति नहीं ला सकते। आज के युग की विशाल राजकीय सेनाओं के सामने उनकी शक्ति नगण्य होंगी। उन्हें समाज के प्रगतिशील वर्ग का भी पूरी तरह समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका उद्देश्य संकुचित है। वे केवल साम्यवादी वर्ग का हित ही ध्यान में रखेंगे जिससे समाज का बहुसंख्यक वर्ग उन्हें अविश्वास की दृष्टि से देखेगा। उनके विचारों के अनुसार समाज में क्रान्ति तब तक नहीं आ सकती, जब तक प्रगतिशील व्यक्तियों का पूरा समर्थन प्राप्त न हो जाये। रॉय का यह विश्वास था कि मध्यम वर्ग सर्वहारा वर्ग से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मध्यम वर्ग को अधिक प्रगतिशील एवं चेतनशील बनाने की आवश्यकता है। वे वर्गसंघर्ष के स्थान पर सर्वाधिकारवाद एवं लोकतन्त्र के मध्य संघर्ष को अधिक महत्व देते हैं। उन्हें सर्वहारा से अधिक मानवीय स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की चिन्ता है। रॉय मध्यमवर्ग को ही समाज का नेतृत्व सौंपने के पक्ष में थे। उनके विचार से मध्यमवर्ग वर्गभेद की भावना से ऊपर उठकर अपनी बौद्धिक प्रतिभा द्वारा समाज का अधिक हित कर सकता है। मार्क्स के विपरीत रॉय मध्यमवर्ग को ही प्रगतिकारी कार्यों का सूत्रधार मानते हैं। इन्हीं चेतनाशील व्यक्तियों के माध्यम से वे ए-सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के इच्छुक हैं। इस तरह रॉय मार्क्सवाद के स्थान पर उदारवाद के अधिक समर्थक दिखाई देते हैं।<sup>21</sup>

व्यक्ति की स्वतन्त्रता को ध्यान में रखते हुए रॉय ने मार्क्स के बारे में यह विचार व्यक्त किया कि मार्क्स ने मानव की उपेक्षा करके इतिहास के क्रम को माप तथा पूर्ति के आर्थिक नियम से बांधने का प्रयास किया है। रॉय ने मार्क्सवादी स्वतन्त्रता को ऐच्छिक

दासता की मंजा दी है। उनके विचार से मार्क्सवाद ने वर्तमान जगत् के बौद्धिक कार्य-क्षेत्र को धूमिल कर विश्व में संघर्ष की स्थिति पैदा की है। व्यक्ति को व्यक्ति न मानकर उसे समष्टि में परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसा वातावरण राँय के अनुसार न तो स्वतन्त्रता का बोध कराता है न सच्चे राजनीतिक जीवन का। वे मानव को साधन बनाने की वृत्ति का भी विरोध करते हैं। राँय के अनुसार समाज व्यक्ति की रक्षा तथा उसके योगक्षेम की प्राप्ति के लिए है न कि उसको निगलने के लिए। मानव का विकास नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता से ही हो सकता है जिससे वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हुए विवेक पूर्ण व्यवहार करता रहे। मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आर्थिक सुरक्षा एवं सम्पन्नता के साथ-साथ सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण की भी जरूरत है, जिससे उसकी बुद्धि तथा सांस्कृतिक चेतना कुण्ठित न हो जाये। राँय के अनुसार, मानव स्वतन्त्रताप्रिय, कल्पनाशील एवं रचनात्मक प्रवृत्ति का है। उसे बन्धन, नियन्त्रण एवं दमन में रखना घातक सिद्ध हो सकता है। राँय मार्क्स की तरह समाज को प्राथमिकता देकर व्यक्ति को दूसरे स्थान पर नहीं रखना चाहते।<sup>25</sup>

राँय व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने के भी पक्षपाती हैं, किन्तु उनके द्वारा सुझाया गया परिवर्तन का मार्ग हिंसा पर आधारित नहीं है। वे शान्तिपूर्ण तरीके से राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों को सुधारना उचित समझते हैं। उनका यह विश्वास है कि मार्क्स द्वारा प्रदर्शित हिंसात्मक तरीका ही शासन-परिवर्तन के लिए एक मात्र उपाय नहीं है। वे शासक का हृदय-परिवर्तन करना अधिक उचित मानते हैं। शासक को हर समय अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराते रहने से जनता उसे लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए बाध्य कर सकती है। राजनीतिक सुधार का एक मात्र उपाय, राँय के अनुसार, यह है कि शासन के विवेक तथा नैतिकता को जागृत किया जाये। इसका यह तात्पर्य नहीं कि राँय ने क्रान्ति को कोई महत्त्व नहीं दिया। वे क्रान्ति को भी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्त्व पूर्ण मानते हैं, किन्तु उनकी यह क्रान्ति मध्यमवर्ग-जनित होगी न कि सर्वहारा द्वारा। राँय की यह धारणा है कि क्रान्ति द्वारा कोई अभूतपूर्व करिष्मा पैदा नहीं होता। क्रान्ति का आधार उचित कल्पना एवं विवेक पर होना चाहिए। वे मार्क्स के इस विचार से कि क्रान्ति का खुब प्रचार किया जाये सहमत नहीं है। उनके अनुसार क्रान्तिकारी कार्यों के अत्यधिक प्रचार से केवल मुट्ठी भर क्रान्तिकारी ही उसका लाभ उठाते रहेगे तथा शेष जनता क्रान्ति से सम्बन्धित न होकर अलग थलग हो जायेगी। इस कारण से वे क्रान्ति के पक्ष में न होकर शान्तिपूर्ण तरीकों में विश्वास व्यक्त करते हैं।<sup>26</sup>

राँय द्वारा मार्क्स के सिद्धान्तों की आलोचना की पृष्ठभूमि में एक और महत्त्वपूर्ण कारण भी है। राँय ने मार्क्स तथा एन्जिल्स दोनों को जर्मन राष्ट्रवाद का भ्रष्टभक्त माना है। उनके अनुसार ये दोनों महान् विचारक जर्मनी को ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानते रहे, यहा तक कि उन्होंने जर्मनी द्वारा एक विश्व-राज्य की स्थापना के काल्पनिक आधार को भी समर्थन प्रदान किया। राँय के अनुसार ऐसी जातीय भ्रष्टवा राष्ट्रीय सर्वोच्चता का विचार घतरनाक था। एक सच्चे अन्तर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण करने वालों को जातीय तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता के विचार से दूर रहने की जरूरत थी। राँय ने स्वयं अपने व्यक्तिगत

उदाहरण से यह स्थापित कर दिया कि संकीर्णता के आधार पर समाजवादी लक्ष्यो की प्राप्ति नहीं हो सकती। मार्क्स जैसे विश्व-प्रसिद्ध विचारक तथा साम्यवाद के मसीहा जर्मनी की श्रेष्ठता एवं उसके राष्ट्रीय गौरव के उपासक बने रहें यह राय को स्वीकार नहीं था। राय को इससे मार्क्सवाद के प्रति अश्रद्धा हो गयी। वे कथनी तथा करनी अर्थात् सिद्धान्त व व्यवहार में अटूट सम्बन्ध मानते थे। इसी कारण से राय ने अपनी मानसिक सच्चाई का परिचय देते हुए मार्क्स की आलोचना की और यह स्थापित किया कि कोई भी सिद्धान्त व्यवहार की कसौटी पर निखारे बिना ग्राह्य नहीं होना चाहिए। पूर्व-निर्धारित मान्यताओं पर आधारित सिद्धान्त अप्राह्य है चाहे वह कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्ति द्वारा ही प्रतिपादित क्यों न हो।

इसी तरह राय ने अपनी मार्क्सवाद की आलोचना के माध्यम से यह स्थापित किया कि मार्क्स के अन्धानुकरण की आवश्यकता नहीं है। वे साम्यवाद को ही मानव के विकास का अन्तिम लक्ष्य नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि साम्यवाद को मानव-विकास का अन्तिम लक्ष्य मान लिया गया तो समस्त सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जायेगा। विकास की यह अवरुद्धता मानव-जीवन की समाप्ति की सूचक होगी।

### मानवेन्द्रनाथ राय तथा विश्व-राजनीति

मानवेन्द्र नाथ राय के विचारों में उनकी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रति अगाध रुचि तथा उनके विश्लेषण की असामान्य प्रतिभा का परिचय मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्बन्ध में उनके विचारों में उसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है जैसा परिवर्तन उनके राजनीतिक चिन्तन में आया है। वही मार्क्सवाद से मानववाद की ओर प्रयाण इसमें भी विद्यमान है। अपने प्रारम्भिक राजनीतिक जीवन में मार्क्सवाद से प्रेरित हो एक सच्चे मार्क्सवादी की तरह अमेरिका तथा रूस के वैचारिक द्वन्द्व में राय ने रूस का पक्ष उचित माना। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् रूस तथा अमेरिका के पारस्परिक तनाव तथा शीतयुद्ध की प्रखरता ने उनके विचारों में परिवर्तन ला दिया। वे शीतयुद्ध के परिणामों से तथा आणविक शस्त्रास्त्रों की होड़ से काफी चिन्तित थे। वे तृतीय महायुद्ध की सम्भावनाओं में सृष्टि के अन्त का अभास पाते थे। धीरे धीरे उनके मानववादी दृष्टिकोण ने उन्हें अनायास अमेरिका का प्रशंसक बना दिया।<sup>27</sup> वे लोकतन्त्र को साम्यवाद से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। अतः पूंजीवाद के विरुद्ध होते हुए भी वे अमेरिका की स्वतन्त्रता प्रिय नीति के प्रशंसक बन गये। उन्हें अमेरिका में लोकतन्त्र की रक्षा तथा मानव-स्वतन्त्रता के गुण दिखाई दिये। लेकिन वे अमेरिका की रूस-विरोधी "साम्यवाद को रोकने सम्बन्धी नीति" के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में अमेरिका की सैनिक गठबंधन तथा सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की आलोचना की। उन्हें अमेरिका का यह नव-उपनिवेशवादी रवैया पसन्द नहीं था। इसे वे लोकतन्त्र की जड़े खोखला करने वाला उपाय मानते थे। उन्हें सैनिक गठबंधन की नीति से फासीवाद का आभास होता था। इसी कारण से राय ने ट्रूमैन-योजना तथा अतलान्तिक समझौते को भी अमेरिका की विस्तारवादी एवं हस्तक्षेप की नीति का अंग माना। इस प्रकार राय ने अमेरिका की विदेश-नीति को आक्रामक तथा विस्तारवादी बताया जब कि रूस की विदेश-नीति की उन्होंने कोई आलोचना नहीं की। राय का यह मत निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण था। उन्हें रूस की विदेश-नीति गान्तिप्रिय

प्रतीत होती थी ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका की एशिया सम्बन्धी नीति की भी राँय ने आलोचना की । वे अमेरिका के द्वारा एशिया में फासीवादियों के साथ किये गये समझौतों को लोकतन्त्र का संहारक मानते थे । उनके अनुसार अमेरिका की इस नीति से उसकी एशिया में प्रतिष्ठा कम हुई । एशिया में साम्यवाद के प्रति सद्भाव बढ़ने का कारण ही यह था कि एशियावासी साम्यवाद के राजनीतिक आदर्श में अपनी निर्धनता का हल ढूँढ रहे थे । राँय के अनुसार चीन में साम्यवाद की विजय से इसी तथ्य की पुष्टि होती है । वे अमेरिका से यही आशा करते थे कि अमेरिका एशिया में लोकतन्त्र की नींव गहरी करने तथा लोकतन्त्र की खोई हुई प्रतिष्ठा जमाने का प्रयास करेगा किन्तु अमेरिका द्वारा अवाञ्छित नेतृत्व का समर्थन तथा एशिया में अमेरिका की बदनामी से उन्हें काफी निराशा हुई ।

अपने निष्पक्ष विचारों में राँय ने गुट-निरपेक्षता की नीति को ही श्रेष्ठ माना । उनकी दृष्टि में भारत को न तो अमेरिका और न रूस से ही लाभ हो सकता था । वे रूस की साम्यवादी तानाशाही तथा अमेरिका की साम्राज्यवादिता दोनों के विरुद्ध हो गये । इसी कारण से उन्होंने एक तृतीय शक्ति के उदय पर बल दिया । उन्हें विश्व की दो महाशक्तियों पर नियन्त्रण के लिए तीसरी विश्वशक्ति की उपादेयता श्रेयस्कर दिखाई दी । भारत के लिए इसी नीति का अनुसरण उन्होंने उचित माना । वे नेहरू की गुट-निरपेक्षता की नीति के प्रशंसक नहीं थे, क्योंकि नेहरू का उन दिनों अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव था तथा वे भारतीय साम्यवादी दल के विरुद्ध कठोर रूख अपनाये हुए थे । राँय ने इस प्रकार की गुट-निरपेक्षता की नीति को प्रवर्चना माना । उनका यह भी विश्वास था कि साम्यवादी चीन भारत के लिए सदैव खतरा है । उनकी यह मान्यता थी कि इस खतरे का सामना करने के लिए भारत अमेरिका का समर्थन प्राप्त करेगा और वह अमेरिका की नीति का अनुसरण करेगा । यद्यपि राँय के विचार आज की परिस्थिति में सत्य होते दिखाई नहीं देते फिर भी उनमें स्थान स्थान पर मौलिक चिन्तन एवं विश्लेषण विद्यमान है ।

भारत की विदेश-नीति के सम्बन्ध में राँय का यह विचार था कि भारत पूर्ण रूप से असंलग्नता की नीति का ही अनुसरण करते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है । वे विदेशी आर्थिक सहायता तथा सहयोग में विश्वास नहीं करते थे । वे किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता को एक स्वतन्त्र विदेश-नीति में बाधा उत्पन्न करने वाला तत्त्व मानते थे । वे भारत की निर्धनता तथा पिछड़ेपन का अन्त भारतीय उपायों से ही चाहते थे । उनका यह विश्वास था कि भारत में आर्थिक समृद्धि जब तक नहीं आती और जब तक निर्धनता का निवारण नहीं होता तब तक साम्यवाद के खतरे में नहीं बचा जा सकता । वे यह मानते थे कि साम्यवाद को सेना अथवा शक्ति से नहीं रोका जा सकता । एक सच्चे राजनीतिक एवं आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना से ही भारत साम्यवाद का प्रसार रोक सकता है । वे यह भी मानते थे कि प्रचार तथा उचित शिक्षा से भी साम्यवाद को दूर रखा जा सकता है । वे जनता को इस तथ्य से अवगत कराना चाहते थे कि साम्यवाद उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का शत्रु है । इसके लिए वे शान्ति एवं सुरक्षात्मक वातावरण

आवश्यक मानते थे। उनके विचार से युद्ध को रोकने से ही सच्चा लोकतन्त्र पनप सकता है। युद्ध की स्थिति लोकतन्त्र की रक्षा नहीं करती। वे यह भी मानते थे कि जब तक भारत की जनता पूर्णतया जागृत नहीं हो जाती तब तक भारत में साम्यवाद का खतरा बना रहेगा। वे जनता के विचारों में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते थे और पुरानी मान्यताओं के स्थान पर मानववाद की स्थापना करना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने संगठित लोकतन्त्र, सहकारी अर्थ-व्यवस्था तथा नव मानववाद का लुब प्रचार किया।

मानवेन्द्रनाथ राँय का यह विश्वास था कि एक विश्व-सरकार ही विश्व-राजनीति से युद्ध की विभीषिका टाल सकती है। वे इस कार्य के लिए राष्ट्रवाद को पूर्णतया समाप्त करना चाहते थे। वे राष्ट्रीय राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय राज्य में कोई तालमेल नहीं देख पाये। उनके अनुसार एक सच्चा मानववादी दृष्टिकोण ही विश्व-शान्ति ला सकता था।

### निष्कर्ष

मानवेन्द्रनाथ राँय का राजनीतिक दर्शन उनकी बदलती हुई मनोस्थिति का दर्पण है। राँय ने एक राष्ट्रीय क्रान्तिकारी के रूप में अपने राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ किया। उसके पश्चात् वे मार्क्सवादी तथा मार्क्सवादी से उग्र मानववादी बन गये। यद्यपि उन्होंने मार्क्स की आलोचना प्रस्तुत की फिर भी वे जीवनपर्यन्त मार्क्सवाद के प्रभाव से विमुक्त न हो सके। उनका नव मानववाद उदारवाद तथा मार्क्सवाद का सम्मिश्रण था। वे अठारहवीं शताब्दी के बुद्धिवाद से प्रेरित थे तथा मार्क्स के जीवन के प्रारम्भिक विचारों को अपने नवीन दर्शन का आधार बनाये हुए थे। उनका नव मानववाद उदारवाद का ही दर्शन है। पुराने उदारवाद को मार्क्स के विचारों से परिष्कृत कर राँय ने नव मानववाद की स्थापना की है। मार्क्स का यह प्रभाव राँय के विचारों को कहीं-कहीं अस्पष्ट बना देता है।

राँय ने मार्क्सवादी ब्रह्माण्डीय अर्धव्ययन की व्याख्या द्वन्द्वात्मकता का सहारा लिये बिना ही की है। राँय के अनुसार मार्क्स का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद केवल नाम के लिए भौतिकवाद है। उसका मूलतत्त्व द्वन्द्ववाद है। अतः यह एक प्रत्ययवादी दर्शन है। राँय ने फ्यूरबाख के समान मानववादी भौतिकवाद के विरुद्ध संघर्ष चलाया है। किन्तु राँय ने भी वही मार्ग अपनाया जो मार्क्स ने अपनाया था और वे भी यह सिद्ध करने में असफल रहे कि अनुभव के आधार पर मस्तिष्क का बाह्य ब्रह्माण्ड से क्या सम्बन्ध हो सकता है। इसी तरह राँय ने धर्म का घोर विरोध किया। वे समस्त अन्धविश्वासों तथा धार्मिक कृत्यों के विरुद्ध थे तथा मार्क्स की तरह धर्म को मानवीय मस्तिष्क के लिए अफीम मानते थे। किन्तु अपनी इस धार्मिक अनास्था एवं नास्तिकता के कारण वे धर्म के मानववादी मूल्यों को ठीक से नहीं समझ पाये। विशेषतः हिन्दूधर्म के मूल सिद्धान्तों को वे कभी आत्मसात् नहीं कर पाये। साम्यवादियों की तरह हिन्दू-धर्म के केवल बाह्य आवरण तक ही उनकी दृष्टि रही। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि हिन्दू-धर्म से बढ़ कर मानववाद का संदेश और कहीं मिलेगा। इस तरह धर्म के प्रति अपनी पूर्ण निर्धारित मान्यताओं के कारण वे अपने विचारों को भारत में लोकप्रिय न बना सके।

मानवेन्द्र नाथ राँय ने विवेक की मान्यता पर अधिक बल दिया है। वे विवेक के समक्ष प्राध्यात्मिकता को गौण समझते थे तथा आन्तरिक प्रेरणा से प्राप्त ज्ञान की महत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने केवल ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त अनुभव को ही मान्यता दी।



वे अनुभव तथा विवेक को ही ज्ञान का आधार मानते थे। इससे आगे उन्होंने ज्ञान की कोई सीमा नहीं मानी। किन्तु भारतीय दर्शन के आधार पर राँय की यह मान्यता असत्य सिद्ध होती है। भारतीय ऋषि-महर्षियों ने ज्ञान की महत्ता को ध्यानातीत अवस्था तक ढूँढ निकाला और यह सिद्ध किया कि भारतीय योग-पद्धति द्वारा ज्ञान का वह धरातल प्राप्त किया जा सकता है जिसकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक भी नहीं कर सकते।

आर्थिक क्षेत्र में भी राँय अपनी निर्भीकता का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत नहीं कर सके। एक ओर राष्ट्रीयकरण तथा दूसरी ओर निजी व्यवसाय दोनों को ही उन्होंने मान्यता दी। इसी कारण से उन्होंने सहकारी स्वामित्व को विशेष महत्त्व दिया है। सहकारिता के प्रभाव में राँय आर्थिक नियोजन के स्थान पर ऐच्छिक सहयोग को उचित ठहराते हैं। बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना एवं कृषि के यन्त्रीकरण का उन्होंने यदि एक ओर विरोध किया है तो दूसरी ओर उनका समर्थन भी। वे इनका नियन्त्रण भी राज्य को न सौंपकर सहकारिता पर आधारित करते हैं। औद्योगीकरण द्वारा व्यक्तियों के जीवन-स्तर को उन्नत करने का भी उनका विचार है जो कि भारतीय मान्यता न होकर एक पाश्चात्य धारणा है।

यदि सही अर्थों में मानवेन्द्र नाथ राँय के विचारों का मूल्यांकन किया जाये तो यह कटु सत्य सामने आयेगा कि मानवेन्द्र नाथ राँय जैसे उद्भूत विद्वान् तथा दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण व्यक्ति को भारतीय जनमानस में उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय राजनीति में भी राँय को वह स्थान नहीं मिला जिसके वे उचित पात्र थे। उन जैसी प्रतिभा के गिने-चुने आदमी ही उस समय की देश की राजनीति में थे फिर भी उन्हें भारत में वह गौरव प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे अधिकारी थे। संभवतः इसके लिए स्वयं राँय की व्यक्तिगत मान्यताएं दोषी हैं। वे स्वभाव से हठी तथा दुर्गम्य थे। उनके इस स्वभाव को साधारण जनता अहंकारिता समझती थी। वे स्वभाव में गम्भीर तथा चिंतनशील व्यक्ति थे। इस कारण से साधारण जन-समुदाय से घुलने मिलने का उन्हें न तो अवसर मिला और न उन्होंने इसे पसन्द ही किया। केवल बुद्धिजीवी-वर्ग से ही उनका सम्बन्ध रहा। उनका पाश्चात्य रहन-सहन तथा उनके विचारों की अत्यधिक प्रगतिशीलता भी सामान्य जनता के लिए अगम्य थी। वे पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं थे और न उनमें वे विशेषताएं थी जो पेशेवर राजनीतिज्ञों में होती हैं। वे सीधे, सच्चे एवं ईमानदार आदमी थे। जो विचार उनको मान्य होता उसी पर वे चलते थे और फिर जनता की उन्हें चिंता नहीं रहती थी। उनके ये गुण उनके राजनीतिक जीवन के लिए दुर्गुण थे और इस कारण वे भारतीय राजनीति में नहीं चमके। इसके अलावा स्वयं राँय के कुछ कार्य भी उनकी लोकप्रियता को घटाने वाले रहे—जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कांग्रेस की आलोचना, भारत के स्वतन्त्रता सेनानियों की आर्थिक मान्यताओं पर बठोर प्रहार आदि। साधारण जनता राँय की राष्ट्रवाद-विरोधी विचारधारा से उनके प्रति विरक्त हो गयी। इससे वे भारत के राष्ट्रवादियों की दृष्टि से तो गिरे ही अपितु बाद के दिनों में मानसवाद का विरोध करने के कारण वे साम्यवादियों की निगाह में भी गिर गये। उनके लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वे न तो कांग्रेस के साथ मिल कर देश की स्वतन्त्रता के लिए ही कुछ कर सके और न भारत में साम्यवादी आंदोलन को ही उचित नेतृत्व दे पाये। उनके इस पशोपेश ने उनको भारत के राजनीतिक जीवन से सगरथ कर दिया है।

रॉय ने भारतीय राजनीति से अपनी हार मान ली और जीवन के अन्तिम वर्ष स्वस्थापित रिनासां इन्स्टीट्यूट की गतिविधियों में बिता दिये। किन्तु वे अपनी धुन के पक्के रहे और उन्होंने कभी भी अपने विचारों के साथ विश्वासघात नहीं किया। चिन्तन के क्षेत्र में उन्होंने सत्य व नैतिकता की मान्यता को नहीं छोड़ा। उनके द्वारा प्रतिपादित नवमानववाद राजनीतिक दर्शन को अनुपम देन है। यह जहाँ एक ओर मार्क्सवाद से प्रेरित है तो दूसरी ओर उसका प्रत्युत्तर भी है। मार्क्सवाद से बचने का एक ही तरीका है और वह है मानववाद। मानववाद को एक मान्य राजनीतिक विचार धारा बनाने के लिए उसे एक दर्शन तथा ऐतिहासिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार प्रदान किया जाये ताकि ताकिक दृष्टि से उसकी पुष्टि की जा सके। यह नवीन दर्शन समस्त मानव अस्तित्व का वृहत् निरूपण है, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों की तुलना में किसी भी तरह से कम महत्त्व का नहीं। यह उन्हीं की प्रेरणा का प्रतिफल था कि भारत में एक ऐसा नया बुद्धि-जीवी-वर्ग पैदा हुआ जिसने मानववाद के समर्थन द्वारा साम्यवादी कुचेष्टाओं को दूर करने का बीड़ा उठाया। साम्यवाद की बीभत्सता का चित्रण कर रॉय ने मानव स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत जीवन की श्रेष्ठता को समष्टिवाद से बचाने का अनुकरणीय कार्य किया है। किन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की विचारधारा कभी-कभी यह ग्राभास देती है कि उनका लोकतन्त्र एक ही मान्यता वाला लोकतन्त्र है। उसमें अन्य विचारधारा या मत का कोई स्थान नहीं है। लोकतन्त्रात्मक दृष्टि से एक रसता या एक रूपता अथवा एक दलीयता उचित नहीं है। रॉय ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट विचार प्रस्तुत नहीं किये। इससे यह पता लगाना कि स्वतन्त्रता तथा साम्यवादी पद्धति की सीमा रेखा कहाँ है, कठिन है।

रॉय ने मानववाद के माध्यम से एक नवीन सामाजिक दर्शन प्रस्तुत किया है। कुछ आलोचकों का यह कहना है कि उनके विचार नवीन नहीं है। सत्य यह है कि उनके मानववाद में यदि नवीनता है तथा मौलिकता भी है तो दूसरी ओर इस में पुरानी मान्यताओं पर चढ़ाया गया नया मुलम्मा भी विद्यमान है। एक दृष्टि से रॉय का यह दर्शन नवीन है क्योंकि उन्होंने पुरानी मान्यताओं तथा मार्क्सवाद को चुनौती देकर मानववाद की स्थापना की। दूसरी दृष्टि से रॉय का मानववाद कोई नवीन प्रयोग नहीं, क्योंकि वह उदारवाद का उन्नत एवं नव संशोधित स्वरूप मात्र है। उन्होंने उदारवाद को व्यक्तिवाद के संकीर्ण दायरे से निकालकर आधुनिक समाजवादी समाज के अनुरूप बना दिया है। यह विचार अधिक तक संगत भी दिखाई देता है। मार्क्स के कट्टर आलोचक बनने के बाद भी मानवेन्द्र नाथ रॉय मार्क्स के विचारों की सत्यता के कायल रहे। इस लिए उन्होंने उदारवाद को समाजवादी जामा पहनाया तथा सबके लिए ग्राह्य बनाया।

परन्तु रॉय के अति मानववाद का सही योगदान उनके विचारों की नवीनता में न होकर प्राचीनता में ही है। रॉय ने कतिपय प्राचीन तथा सार्वमान्य विचारों को अपने दर्शन का आधार बना कर उन्हें पुनर्जीवित किया है। उनका यह कार्य उन प्राचीन सिद्धान्तों में नवीनता का संचार करता है, जिनकी मान्यताएं व्यक्ति को सर्वाधिक प्रतिष्ठा दिलाने की पक्षपाती है तथा व्यक्ति को माघन न बनाकर माध्य बनाती है। इसी तरह रॉय की धर्म-विहीन नैतिकता का विचार भी आधुनिक समाज के लिए महत्त्वपूर्ण है।

इसके द्वारा समाज में फैली हिंसा, धार्मिक अन्धविश्वास तथा धर्माचार्यों की साम्प्रदायिकता से मुक्ति मिल सकती है। इसी तरह राँय द्वारा चिन्तन की स्वतन्त्रता का सन्देश भी महत्त्वपूर्ण है। राँय बाह्य तथा आन्तरिक दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता चाहते हैं ताकि व्यक्ति विवेकी तथा तर्कपूर्ण हो और वह अन्धानुसरण एवं विचारों की निर्धनता का शिकार न बने। इसी प्रकार राँय द्वारा प्रतिपादित संगठित लोकतन्त्र का विचार प्राचीन लोकतान्त्रिक मान्यताओं का नया रूप है। उनका संगठित लोकतन्त्र सबसे नीचे की इकाई से प्रारम्भ होता है तथा विकेन्द्रीयकरण के अकाट्य आधार पर हर व्यक्ति तक लोकतन्त्र का सन्देश पहुंचाता है। राँय ने अपने इन विचारों से एक ऐसे व्यक्ति के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत किया है जो निर्भङ्गता से राज्य के एकाधिकार को चुनौती दे सके। केवल मात्र संवैधानिक लोकतन्त्र की व्यवस्था तथा संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लेख से ही मानव की स्वतन्त्रता एवं उसके आत्म-गौरव की रक्षा नहीं हो सकती। राँय के विचारों में प्राप्त व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व की प्रधानता से आज की बढ़ती हुई नौकरशाही, राजनीतिक भ्रष्टता तथा राज्य की बढ़ती हुई सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति का प्रतिकार किया जा सकता है।

मानवेन्द्र नाथ राँय का दर्शन उस आत्मप्रेरणा तथा आत्म-विश्वास का मार्ग है जहाँ भाग्यवादिता का कोई स्थान नहीं। राँय ने मानव को स्वयं के अन्तराल में भ्रङ्गने के लिए बाध्य किया है। उनका ईश्वर के प्रति विद्रोह इसका प्रतीक है कि व्यक्ति ही सब वस्तुओं का नियामक है तथा वह अपने लिए अपना मार्ग स्वयं निर्मित कर सकता है। उनकी नास्तिकता मानवीय अस्तित्व की सार्थकता का संकेत है। धर्म, राज्य तथा समाज तीनों के अवांछित बन्धनों से व्यक्ति को मुक्ति दिलाना ही मानवेन्द्र नाथ राँय का अन्तिम लक्ष्य है। □ □

## टिप्पणियाँ

1. मानवेन्द्र नाथ राँय, रोजन, रोमेटीसिजम एण्ड रिबोल्यूशन, खंड I, पृ. 114
2. मानवेन्द्र नाथ राँय, मेटीरिपसिजम, पृ. 1-5
3. वही, पृ. 56-57
4. मानवेन्द्र नाथ राँय, पोलिटिबल पावर एण्ड पार्टीज, पृ. 30
5. देखिये बी. एस. शर्मा, 'बी.पोलिटिकल फिलोसोफी ऑफ एम. एन. राँय, पृ. 73-76
6. मानवेन्द्र नाथ राँय, म्यू ओरियेन्टेसन, पृ. 2
7. पोलिटिबल पावर एण्ड पार्टीज, पृ. 22-3
8. मानवेन्द्र नाथ राँय, रेडिबल ह्यूमेनिज्म, पृ. 1-14
9. वही, पृ. 14-18
10. पोलिटिबल पावर एण्ड पार्टीज, पृ. 141
11. मानवेन्द्र नाथ राँय, म्यू ह्यूमेनिज्म, पृ. 34-37
12. वही, पृ. 38
13. रेडिबल ह्यूमेनिज्म, पृ. 21
14. रोजन, रोमेटीसिजम एण्ड रिबोल्यूशन, खंड II, पृ. 298

15. रेडिकल ह्यूमेनिज्म, पृ. 30
16. वही, पृ. 27
17. न्यू ह्यूमेनिज्म, पृ. 46
18. कोन्स्टीट्यूशन ऑफ़ फ्री इंडिया-ए ट्रायल (1945)
19. रेडिकल ह्यूमेनिज्म, पृ. 37
20. न्यू ह्यूमेनिज्म, पृ. 56
21. रेडिकल ह्यूमेनिज्म, पृ. 54
22. वही, पृ. 47-50
23. न्यू ह्यूमेनिज्म, पृ. 23
24. रोजन, रोमेन्टीसिज्म एण्ड रिबोन्सूशन, पृष्ठ II, पृ. 209
25. वही, पृष्ठ I, पृ. 283
26. न्यू ह्यूमेनिज्म, पृ. 17
27. रोजन, रोमेन्टीसिज्म एण्ड रिबोन्सूशन, पृष्ठ II, पृ. 275



बिहार के सारग जिले में सितावदियारा नामक ग्राम में 1902 में एक कायस्थ परिवार में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। उनके पिता राजकीय सेवा में थे। ग्रामीण वातावरण में पले जयप्रकाश ने 17 वर्ष की आयु तक ग्राम तक नहीं देखी थी।<sup>1</sup> स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद जयप्रकाश ने पटना में विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश लिया किन्तु महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का प्रभाव उन पर इतना पड़ा कि उन्होंने अध्ययन का बहिष्कार कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। उनके पिता जयप्रकाश के इस निर्णय से अप्रसन्न हुए क्योंकि वे चाहते थे कि जयप्रकाश सरकारी सेवा में उच्च पद प्राप्त करके परिवार की समृद्धि में वृद्धि करेंगे। जयप्रकाश ने इन आग्रहों को स्वीकार नहीं किया और वे अपने इरादों के पक्के रहे। इसी दौरान 1922 में जयप्रकाश का विवाह एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो कि गांधीजी के चम्पारन सत्याग्रह में उनके सहायक रहे थे, की पुत्री प्रभादेवी के साथ हुआ।

“1957 में दलगत राजनीति से संन्यास लेने के लिए प्रजा समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देते हुए जयप्रकाश ने लिखा था, ‘मेरे पिछले जीवन का रास्ता बाहर के लोगों को टेढ़ा-मेढ़ा और पैचीदा लग सकता है। और वे उसे अनिश्चितता से भरा-हुआ एवम् अंधेरे में टटोलना कह सकते हैं। लेकिन अब मैं अतीत पर दृष्टि डालता हूँ, तो मुझे उसमें विकास की एक अटूट रेखा दिखाई पड़ती है। उसमें राह खोजने का प्रयत्न था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वह अंधकारमय हरगिज नहीं था, मेरे सामने ऐसे कई प्रकाशमान आकाशदीप थे, जो प्रारम्भ में ही अशुभिल एवं अपरिवर्तित रहे और मेरे पैचीदा दिखाई पड़ने वाले रास्ते पर मेरा पथ-प्रदर्शन करते रहे।’ ये आकाशदीप थे—स्वतन्त्रता एवं समता। जयप्रकाश के चिंतन में समय-समय पर कई परिवर्तन हुए हैं, किन्तु बराबर उनका ध्येय एक ही रहा है—एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की खोज, जो इन दोनों मूल्यों पर आधारित हो। इसी खोज में वे कभी मार्क्सवाद की ओर मुड़े, तो कभी गांधीवाद की ओर। और अंत में, उगी खोज में उन्होंने मार्क्सवाद, एव लोकात्म्य के सिद्धांतों का समन्वय कर एक ऐसी विचारधारा का सृजन किया, जो भारत में समाजवादी व्यवस्था को सत्य आधार प्रदान करने की क्षमता रखती है।”<sup>2</sup>

जयप्रकाश ने अपने अध्ययन को मुचाह रखने की दृष्टि से अमेरिका जाने का निश्चय किया। अमेरिका जाने का उद्देश्य एक और अध्ययन की बनावे रखना था तथा दूसरी ओर वे अमेरिका के स्वतन्त्र वातावरण में से भारत की स्वतन्त्रता के लिए नयी

दिशा प्राप्त करना चाहते थे। 1922 में जयप्रकाश सेनप्रांसिस्को पहुँचे। वे बर्कले में केलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए तथा परीक्षा के पश्चात् भ्रमकाश के समय अपनी आजीविका तथा फीस उपलब्ध कराने के लिए मेरिसवील नामक स्थान पर शेर घा नामक एक भारतीय के सम्पर्क में आये। उन्होंने जयप्रकाश को रोजगार उपलब्ध कराया। अमेरिका में अध्ययन करने के लिए जयप्रकाश को अनेक कार्य करने पड़े। वे कभी छान में काम करते तो कभी फैक्ट्री में और कभी कसाई छाने में। उन्होंने जूतों पर पालिश की तथा होटलों के शौचालय भी साफ किए। वे अपना छाना स्वयं बनाते और इस प्रकार अध्ययन के लिए धन एकत्रित करते। अमेरिका में ही जयप्रकाश मानसंवाद के प्रभाव में आये। जे. लवस्टोन के मार्क्सवादी विचारों का उन्होंने समर्पण किया और उस समय से ही मार्क्सवाद में उनकी रुचि निरन्तर बनी रही। केवल एक ही कभी उनमें थी जिससे वे कट्टर मानसंवादी न बन पाये और यह थी उनकी देशभक्ति तथा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति आभक्ति<sup>3</sup>। विस्कॉन्सीन विश्वविद्यालय में जयप्रकाश नारायण ने विज्ञान का अध्ययन छोड़ कर समाज शास्त्र में प्रवेश लिया। समाज शास्त्र में उनकी रुचि सामाजिक परिवर्तन तथा समाज के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से जाग्रत हुई थी। वे मार्क्स के समाजशास्त्रीय विचारों का भी अध्ययन करना चाहते थे क्योंकि वे मार्क्स को विश्व के महानतम मनीषियों तथा समाज शास्त्रीय पथप्रदर्शक के रूप में मानते थे। ओहायो विश्वविद्यालय से जयप्रकाश ने एम. ए. परीक्षा उत्तीर्ण की। "मार्क्स और लेनिन की जो भी रचनाएं उनके हाथ लगती वे तुरन्त पढ़ डालते। साथ ही साथ मानवेन्द्रनाथ राय की भी भारत-सम्बन्धी रचनाओं का अध्ययन चलता। अपने अध्ययन का धर्च जुटाने के लिए मजदूरी करते हुए जयप्रकाश मार्क्सवाद के उत्साही अनुयायी बन गये। स्वतंत्रता के ध्येय के प्रति अभी भी उनका पहले जैसा ही लगाव रहा, लेकिन यह विश्वास हो गया कि मार्क्स तथा लेनिन द्वारा बताये गये रास्ते से उसे पाना कहीं अधिक सहज था। इसके अतिरिक्त उनका यह भी विश्वास हो गया कि सिर्फ देश की राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफी नहीं है। यह स्वतंत्रता समाज के सभी वर्गों के लिए होनी चाहिए। और इसमें शोषण और गरीबी से भी स्वतंत्रता की व्यवस्था रहनी चाहिए। तब जयप्रकाश को यह नहीं पता था कि इस तरह की स्वतंत्रता के संबंध में गांधीजी के भी अपने विचार थे।"<sup>4</sup>

"जब 1929 में सात साल के बाद जयप्रकाश भारत वापस आये तब उनके सामने यह समस्या पड़ी हुई कि मार्क्सवाद को भारतीय राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार जोड़ा जाये। यहाँ 1925 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हो चुका था। बहुत छोटी होते हुए भी भारतीय मार्क्सवादियों की यही सबसे बड़ी जमात थी। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन (कॉमिन्टर्न) के निर्देश के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट उस समय गांधी और पूरे कांग्रेस को अंग्रेजों का पिट्टू घोषित कर रहे थे। मार्क्सवाद को भारतीय स्थिति से इस प्रकार जोड़ना जयप्रकाश को बिल्कुल गलत मान्य पड़ा। उनकी दृष्टि में, जब तक देश स्वतंत्र नहीं होता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता ही सार्वजनिक जीवन का मुख्य उद्देश्य रह सकती थी। और स्वतंत्रता का संपर्क आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व दोनों की ही आवश्यकता थी। फिर भारत के मार्क्सवादी किसी बाहरी संगठन के निर्देश में चलें यह भी जयप्रकाश को गवारा नहीं था।"<sup>5</sup>

कुछ समय तक वे प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्यामदास विड़ला के निजी सचिव रहे। इसके पश्चात वे भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए और कांग्रेस के उस ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में सम्मिलित हुए जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत की थी। वे नेहरू से अत्यन्त प्रभावित हुए और नेहरू उनसे। नेहरू ने उन्हें कांग्रेस के श्रम अनुसंधान ब्यूरो की देख रेख करने के लिए आमंत्रित किया। जयप्रकाश ने 1930 से अखिल भारतीय कांग्रेस के इलाहाबाद मुख्यालय में दल की श्रम संबंधी गतिविधियों का संचालन किया।

गांधीजी द्वारा 1930 में चलाये गये नमक सत्याग्रह ने कांग्रेस दल को उद्वेलित किया। हजारों की संख्या में कांग्रेसजन गिरफ्तार कर लिये गये। कांग्रेस के कार्यभारी महासचिव के रूप में जयप्रकाश पर कांग्रेस आंदोलन चलाने की जिम्मेदारी आई। 1932 में उन्हें भी मद्रास में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें नासिक जेल में रखा गया और एक वर्ष का कठोर कारावास मिला। नासिक जेल में वे अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, भीनू मसानी तथा अन्य युवा कांग्रेस नेताओं के सम्पर्क में आये। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलनों से अधिक प्रभावित नहीं हुए। उनकी दृष्टि में कांग्रेस दल राष्ट्रीय संघर्ष के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं रखता था तथा उच्च मध्यम वर्ग के कांग्रेस नेता भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं बलिदान से हिचकते थे। उनके अनुसार उच्चकुलीन कांग्रेस बुद्धिजीवी ब्रिटिश सरकार से विधायी सुविधायें प्राप्त करने में ही संतुष्ट थे। जयप्रकाश ने कांग्रेस में रहकर नये आर्थिक कार्यक्रम लागू करने का प्रयास किया तथा कांग्रेस के भीतर वर्ग चेतना में परिवर्तन लाने का भी प्रयास किया। उनकी योजना कांग्रेस की विचार धारा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की थी। वास्तव में कांग्रेस किसी सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। कांग्रेस में समृद्ध जमींदारों तथा कुलीन उच्च मध्यमवर्गीय शिक्षित व्यक्तियों का बोलबाला था। उनका उद्देश्य उच्च सरकारी सेवार्थ प्राप्त करने की सुविधायें, व्यवस्थापिका सभाओं में अधिक स्थान प्राप्त करने, स्थायी बन्दोबस्त तथा नागरिक अधिकार प्राप्त करने तक ही सीमित था। स्वतंत्रता प्राप्त करना उनकी वर्ग चेतना के अनुरूप नहीं था क्योंकि कांग्रेस मध्यमवर्गीय भारतीयों का ऐसा संगठन था जिसे सम्पूर्ण जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था।

“स्वतंत्रता के ध्येय की पूर्ति के लिए तो जयप्रकाश कांग्रेस में गये, लेकिन समता के ध्येय के लिए भी तो कुछ करना था। ताकि दोनों ध्येयों के लिए साथ-साथ काम किया जा सके। यही सोचकर उन्होंने कई अन्य साधियों के सहयोग से 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उस समय उनकी विचारधारा पूरी तरह मार्क्सवाद पर आधारित थी। 1936 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक समाजवाद ही क्या? में जयप्रकाश ने लिखा: ‘और पहले से नहीं अधिक स्पष्ट तौर पर आज यह कहना संभव है कि समाजवाद का एक ही रूप, एक ही सिद्धान्त है- मार्क्सवाद।’ ‘इसी पुस्तक में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उद्देश्यों पर प्रकाश टांके हुए जयप्रकाश ने समाजवादी कार्यक्रम को व्याख्या की है। इस कार्यक्रम के मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे: समाज के उत्पादक वर्गों के हाथ में मत्ता का हस्तान्तरण, राज्य द्वारा देश के आर्थिक जीवन की परियोजना एवं उम पर नियंत्रण, उत्पादन, वितरण एवं विनिमय के सभी माघनों का

क्रमिक राष्ट्रीयकरण, विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार, राष्ट्रीयकरण के बाहरवाले आर्थिक जीवन को चलाने के लिए सहकारिता समितियों का संगठन, जमीनों, जमींदारों तथा अन्य सभी शोषक वर्गों का बिना किसी मुद्दावाजे के उन्मूलन, किसानों के बीच जमीन का पुनर्वितरण, सहयोगी एवं सामूहिक भेती को प्रोत्साहन आदि। इस कार्यक्रम पर मार्क्सवादी चिन्तन एवम् उस समय रूस में चल रहे कार्यक्रम की छाप साफ़ तौर पर दिखाई पड़ती है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि कभी कोई क्रान्ति-शोधक लकीर का फकीर नहीं रहा। और जयप्रकाश पर भी यही बात लागू है। जिस प्रकार मार्क्सवादी होते हुए भी वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए और कांग्रेस में काम करते रहे। उसी प्रकार सिर्फ़ रूस की नकल के आधार पर उन्होंने भारत में समाजवाद लाने की योजना नहीं बनायी। इस तरह हम देखते हैं कि जयप्रकाश महयोगी एवम् सामूहिक भेती की बात तो करते हैं, लेकिन इसके लिए एक गाय को ही इकाई बनाना चाहते हैं, रूस की तरह अनेक गांवों के समूह को नहीं। वे यह भी चेतानवी देते हैं कि इनमें कोई जोरजबर्दस्ती नहीं होगी चाहिए, बल्कि किसानों को प्रचार एवम् प्रोत्साहन द्वारा इसके लिए तैयार करना चाहिए। जयप्रकाश यह भी लिखते हैं कि भारत में रूस की तरह भेती के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी मशीनों की उतनी आवश्यकता नहीं होगी जितनी अन्य चीजों की, क्योंकि यहाँ आवादी की कोई कमी नहीं है और उस हिसाब से जमीन भी बहुत अधिक नहीं है। जयप्रकाश उस समय भी बड़े ग्रहों के अनियंत्रित बढ़ाव से चिन्तित थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उद्योगों का कुछ घास-घास जगहों पर जमा होना रोका जाये और इसके बदले गांवों को भी औद्योगिक उत्पादन का केन्द्र बनाया जाये ताकि भेती और उद्योग बहुत अंशों में साथ-साथ चलें। यहाँ हमें सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के क्षेत्र में जयप्रकाश की विचारधारा में विविधता के बीच एक विचित्र एक रूपता दिखाई पड़ती है, जो आज चालीस वर्षों के बाद भी बनी हुई है।”

जयप्रकाश ने भारत के जन-जन की स्वतंत्रता के लिए विचार प्रस्तुत किए। उनका यह विश्वास था कि जनता की आवश्यक मांगों की पूर्ति के बिना भारत में स्वतंत्रता नहीं अर्थों में स्थापित नहीं हो सकती। वे गरीबी तथा शोषण को समाप्त करने तथा समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए लालायित थे। आचार्य नरेन्द्र देव भी कांग्रेस को समाजवाद की ओर बढ़ाने के लिए कृत संकल्प थे। 1937 में किसान सभा तथा कांग्रेस के मध्य उत्पन्न हुए विवाद के कारण कृषक आन्दोलन को कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस की संप्रभुता के लिए चुनौती समझा। परिणाम यह हुआ कि किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रदेश कांग्रेस से अपने संबंध तोड़ लिये। जयप्रकाश ने भी कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने डा० राजेन्द्र प्रसाद का विरोध किया तथा बिहार में कांग्रेस की रीति-नीति की आलोचना की। कांग्रेस संगठन में यद्यपि जवाहरलाल नेहरू के विचार समाजवाद के पक्ष में थे किन्तु कांग्रेस के अधिकतर नेता उदार-बुजुर्ग थे। ऐसे समाजवाद विरोधी वातावरण में प्रगतिशील तत्वों के लिए दल में रहना असहनीय था। अतः 1934 में पटना में एक पृथक कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई जिसमें जयप्रकाश संगठन सचिव तथा उसके प्रथम बम्बई अधिवेशन के महासचिव चुने गये। इस दल का उद्देश्य एक और संविधानवादी नेताओं का विरोध करना था तो दूसरी ओर



भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को तीव्र गति से आगे बढ़ाना था। समाजवादी नेताओं ने एक समाजवादी बुक क्लब बनाया और सुभाषचन्द्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू को इसका संस्थापक सदस्य बनाना चाहा। सुभाषचन्द्र बोस इसके लिए राजी हो गये लेकिन नेहरू ने इस कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी। जयप्रकाश को नेहरू की असहमति पसंद नहीं आई।

“कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के कुछ समय बाद कम्युनिस्टों के साथ मिल कर काम करने का जो अनुभव हुआ, उससे जयप्रकाश को इतना गहरा धक्का लगा कि उनके मन में कम्युनिस्टों की विचारधारा और रूस के अधानुकरण को प्रवृत्ति के प्रति तरह-तरह की शंकाएं उठने लगी। इसी समय रूस से स्टालिन के अत्याचार की खबरें आने लगीं। इसका भी जयप्रकाश के चिंतन पर प्रभाव पड़ा। वे मार्क्सवादो तो बने रहे, लेकिन उनके मन में यह धारणा धर करने लगी कि समता की खोज में रूस का अधानुकरण करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा पहुंचने का डर रहेगा। इसके चलते, शुरू में अनजाने ही, उनके मन में लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धति एवम् गांधी की विचारधारा के लिए आकर्षण उठने लगा। प्रभावती के साहचर्य से भी इसमें सहायता मिली। कुछ समय बाद वे अपनी तथा अपनी पार्टी की विचारधारा को भी मार्क्सवाद के बजाय लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से पुकारने लगे। इस तरह के चिंतन की पहली भंकी हमें जयप्रकाश के उस प्रस्ताव के प्रारूप में मिलती है, जो उन्होंने 1940 में रामगढ़ कांग्रेस में पेश करने के लिए तैयार किया था। इस प्रस्ताव द्वारा उन्होंने स्वतंत्र भारत की सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप का निरूपण करने का प्रयास किया था। इसे हम एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की संक्षिप्त रूपरेखा मान सकते हैं। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि देश का शासन जनता की इच्छा के अनुसार होगा और सभी नागरिकों को बोलने और लिखने की पूरी स्वतंत्रता होगी। जहां एक तरफ इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व स्थापित किया जायेगा। और सभी को विकास के लिए समान सुविधा प्रदान की जायेगी। वहां दूसरी तरफ यह भी साफ तौर पर कहा गया था कि राज्य का कर्तव्य सिर्फ नागरिकों की भौतिक आवश्यकताओं को देखना ही नहीं होगा, बल्कि उनके नैतिक एवं बौद्धिक विकास के लिए भी समुचित व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए इस बात का विशेष उल्लेख किया गया था कि राज्य की तरफ से लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिया जायेगा।”<sup>8</sup>

“1946 में जेल से छूटने के कुछ समय बाद अंग्रेजी साप्ताहिक जनता में जयप्रकाश ने “समाजवाद का मेरा चित्र” शीर्षक से जो लेख प्रकाशित किया, उसमें हमें उनके चिंतन का नया रूप स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। इस लेख में जयप्रकाश अपने को मार्क्सवादो घोषित करते हैं, लेकिन साथ ही इस पर जोर देते हैं कि मार्क्सवाद समाज को समझने का एक विज्ञान है, और उसमें किसी तरह के रूढ़िवाद के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। वे यह भी कहते हैं कि भारतीय समाजवादी आन्दोलन किसी दूसरे देश की नकल के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। इस भूमिका के बाद समाजवादी भारत का चित्र धीरे-धीरे हुए वे सेतो के क्षेत्र में सामूहिक सेतो की जगह ग्राम पंचायतों की देख-रेख में गृहकारी सेतो की बात करते हैं। उद्योग-धंधों के क्षेत्र में जहां एक तरफ वे बड़े-बड़े उद्योगों पर राज्य के स्वामित्व की बात करते हैं, वहां दूसरी तरफ यह सुभाव देते हैं कि मध्यम दर्जे के

उद्योगों का समाज के स्वामित्व में और लघु-उद्योगों का उत्पादकों की सहकारी समितियों के स्वामित्व में चलना ठीक होगा। समाजवाद के राजनीतिक पक्ष का निरूपण करते हुए जयप्रकाश ने उसके लोकतांत्रिक आधार पर और भी जोर दिया। उनके अनुसार मार्क्सवाद में "मजदूरों की अधिनायकशाही" की व्यवस्था कुछ ही समय के लिए की गयी है, और हर जगह इसे अनिवार्य नहीं माना गया है। फिर इसका अर्थ किसी खास पार्टी की अधिनायकशाही, जैसा कि रूस में हुआ, कतई नहीं है। सच्चा समाजवादी समाज लोकतंत्र के आधार पर ही कायम किया जा सकता है। और लोकतंत्र में सभी को अपना विचार व्यक्त करने और उसके प्रचार के लिए समुचित संगठन बनाने की पूरी छूट होनी चाहिए। जयप्रकाश के शब्दों में, "इस लोकतंत्र में मनुष्य न पूंजीवाद का गुनाम होगा, न किसी पार्टी का, न राज्य का, मनुष्य स्वतंत्र होगा।"<sup>9</sup>

"इस लेख के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद 1947 में, जयप्रकाश ने 'जनता' में एक दूसरा लेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था 'समाजवाद तक पहुंचने का रास्ता।' यहाँ उन्होंने इस मत का पंडन किया कि मार्क्सवाद के अनुसार सशस्त्र क्रान्ति द्वारा ही समाजवाद लाया जा सकता है। 1872 में "कम्युनिस्ट इंटरनेशनल" के द हेग सम्मेलन में मार्क्स के भाषण का हवाला देते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया कि सशस्त्र क्रान्ति हर जगह अनिवार्य नहीं है, जहाँ लोकतांत्रिक ढंग से काम करने का रास्ता खुला हुआ है वहाँ उस रास्ते से भी समाजवाद लाया जा सकता है। उनका यह विचार था कि भारत में समाजवाद के लिए लोकतांत्रिक ढंग से काम करना संभव होगा और इसी रास्ते को अपनाया श्रेयस्कर भी होगा। उस समय तक सिर्फ रूस में ही सशस्त्र क्रान्ति द्वारा समाजवाद लाने का प्रयत्न किया गया था और वहाँ एक सच्चे समाजवादी शासन के बजाय एक खास पार्टी की अधिनायकशाही कायम हो गयी थी। जयप्रकाश ने लिखा 'मैं इतिहास से सबक लेना चाहता हूँ।' रूढ़िवाद के दायरे से बाहर रहकर और इतिहास से सबक लेकर सोचने की इस प्रवृत्ति के चलते अगर एक तरफ जयप्रकाश समाजवाद के साथ लोकतंत्र को अविच्छिन्न रूप से जोड़ने लगे, तो दूसरी तरफ गांधीवाद के प्रति उनका आकर्षण दिनोदिन बढ़ने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सत्ता के लिए राजनीतिज्ञों की आपाधापी देखकर वे अकसर सोचा करते : क्या राजनीतिक जीवन में रहने का अर्थ सिर्फ सत्ता के लिए घुड़दौड़ में लगा रहना है? क्या सत्ता की राजनीति की जगह जनता की सेवा की राजनीति नहीं चलाई जा सकती? क्या नैतिक मूल्यों को बिलकुल भुला कर स्वस्थ राजनीतिक जीवन चलाया जा सकता है? नैतिकता-विहीन राजनीति का परिणाम क्या होगा? क्या इस तरह की राजनीति के आधार पर लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने के लिए जयप्रकाश अब गांधी की रचनाओं का अध्ययन एवम् उनके जीवन दर्शन पर मनन-चिंतन करने लगे। विशेषकर गांधी की हत्या के बाद जयप्रकाश के मन में उनका आकर्षण पहले से बहुत अधिक बढ़ गया। अब उनका यह विश्वास हो गया कि समाजवादी आन्दोलन को गांधी से बहुत-कुछ सीखना होगा।<sup>10</sup>

"इस चिंतन का प्रभाव हम जयप्रकाश की उस रिपोर्ट में देख सकते हैं, जो उन्होंने 1948 में समाजवादी पार्टी के महामंत्री के रूप में उसके नासिक सम्मेलन में

रखी थी। यही पर उस पार्टी ने कांग्रेस से अलग होकर एक विरोधी पार्टी के रूप में काम करने का निर्णय लिया, लेकिन जयप्रकाश की रिपोर्ट में सत्ता के लिए संघर्ष का उतना आह्वान नहीं था जितना गीता की शिक्षा के अनुसार, निष्काम रूप से जनता की सेवा में समर्पित होने का, इससे भी आगे बढ़कर, अपने अनेक साथियों को आश्चर्यचकित करते हुए, जयप्रकाश ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राजनीतिक जीवन नैतिक मूल्यों से अनुप्राणित होना चाहिए तभी जाकर उसे सिर्फ सत्ता के लिए घुड़दौड़ में परिणत होने से बचाया जा सकता है। दो साल बाद 1950 में समाजवादी पार्टी के मद्रास सम्मेलन में फिर महामंत्री के रूप में अपनी रिपोर्ट में जयप्रकाश ने कहा : "समाजवादी आन्दोलन के जिन उद्देश्यों पर हमें जोर देना है, वे सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने और एक पार्टी की अधिनायकशाही कायम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें स्वतंत्र एवम् समान व्यक्तियों के एक समाज का निर्माण करना है, एक ऐसा समाज जो मानवीय एवम् सामाजिक जीवन के कुछ मूल्यों पर आधारित हो।"<sup>11</sup>

"यह स्पष्ट है कि इन विचारों का स्रोत गांधीवाद में था। 1951 में प्रकाशित जयप्रकाश के 'समाजवाद एवम् सर्वोदय' शीर्षक लेख से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। समाजवादियों से सर्वोदयी नेताओं द्वारा रचित आर्थिक विकास की योजना का अध्ययन करने की अपील करते हुए यहाँ जयप्रकाश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि समाजवादियों की पुरानी धारणा के विपरीत, गांधी प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि एक महान क्रान्तिकारी थे और उनकी विचार-धारा से मानव सभ्यता के विकास में बहुत सहायता मिलेगी। समाजवादी आन्दोलन को विशेषकर तीन बातों को गांधी की विचारधारा में अपनाया होगा—नैतिक मूल्यों पर जोर, सत्याग्रह का तरीका और राजनीतिक एवम् आर्थिक विकेंद्रीकरण का सिद्धान्त। अगर समाजवादी गांधीवाद के प्रति उदासीन रहेगे तो इससे उन्हीं का नुकसान होगा। स्पष्ट है कि 1951 तक आते-आते जयप्रकाश मार्क्सवाद के चुस्त दायरे में काफी दूर पहुँच चुके थे, लेकिन अभी तक के अपने को मार्क्सवादी कहते आ रहे थे। जब 1952 के आम चुनाव के बाद उन्होंने पूना में 21 दिनों का उपवास किया तब विद्यार्थियों पर पड़े-पड़े वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिस तरह के समाजवादी समाज की कल्पना वे कर रहे थे, उसका आधार मार्क्सवाद नहीं बन सकता था। मार्क्सवाद का आधार भौतिकवाद में था। और जयप्रकाश का भ्रम यह दृढ़ विश्वास हो गया कि निरे भौतिकवाद में मनुष्य को अच्छाई के लिए प्रेरणा नहीं मिल सकती है। इसलिए अगर मनुष्य को नैतिकता के आधार पर चलना है, तो उसे भौतिकवाद से परे जाना होगा। मार्क्सवाद से विदा लेने का अर्थ यह नहीं हुआ कि जयप्रकाश ने मार्क्स के सभी विचारों, विशेषकर समाज का आर्थिक विश्लेषण तथा समाजवाद के उद्देश्य का परित्याग कर दिया। समाजवाद में उनकी निष्ठा अभी भी रही, स्वतंत्रता एवम् समता के जिन दो ध्येयों के पीछे उनका जीवन चल रहा था उन्हें वे अभी भी समाजवाद में ही ममाहित पाते थे। किन्तु जहाँ पहले वे समाजवाद तक पहुँचने के लिए मार्क्स द्वारा बताये गये रास्ते को कारगर मानते थे, यहाँ अब वे गांधी के रास्ते को ज्यादा सही मानने लगे। 1951 से विनोबा के नेतृत्व में चलने हुए भूदान-ग्रामदान आन्दोलन ने जयप्रकाश के नये चिंतन को एक ठोस आधार प्रदान किया।"<sup>12</sup>

“श्रान्ति शोधक जयप्रकाश का चिंतन भ्रव एक नये मोड़ पर घ्रा घड़ा हुआ । वे सोचने लगे कि स्वतंत्रता श्रीर समता के आधार पर जिम नयी सामाजिक व्यवस्था का स्वप्न वे इतने दिनों से देख रहे थे यह, गायद राजनीतिक संधर्ष के बजाय विनोबा के रास्ते से कहीं अधिक सुगमता से स्थापित हो जाये । इसके साथ-साथ उनको यह भी भान हुआ कि विनोबा भ्रववा सर्वोदय के रास्ते से बना हुआ समाज वास्तव में समाजवाद के उद्देश्यों को अधिक सुगमता से ग्रपना सकेगा, क्योंकि उसकी नीव संधर्ष श्रीर राज्य शक्ति पर होगी । इस विचारधारा का आकर्षण जयप्रकाश के लिए इतना बढ़ गया कि उन्होंने 1954 में बोध गया सर्वोदय सम्मेलन के भ्रवमर पर भूदान-ग्रामदान ग्रान्दोलन के लिए ग्रपने जीवन-दान की घोषणा कर दी । भ्रव वे सत्ता की राजनीति से ग्रपने को भ्रलग रखने लगे श्रीर 1957 में प्रजा समाजवादी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देकर पूरी तरह उससे मुक्त हो गये । दलगत राजनीति से सन्यास लेकर जयप्रकाश भ्रव तक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की षोज में लगे, जिसके द्वारा एक सहयोगी, समतावादी समाज की स्थापना की जा सके । उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था दलगत राजनीति के आधार पर नहीं षड़ी की जा सकती थी । दलगत राजनीति में साधारण जनता के नाम पर तो सय-बुछ होता है, लेकिन वोट देने के समय के भ्रलावा साधारण जनता की वास्तव में कभी पूछ नहीं होती । दलगत राजनीति के बजाय लोकनीति का चलन हों जाये तभी सही भ्रर्थों में लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, लोकनीति का भ्रर्थ है जनता द्वारा राजनीतिक दलों को परवाह किये बिना शासन के कार्यों में सीधे भाग लेना । इस लोकनीति का आधार ग्राम-पंचायत हो सकती थी, फिर उनके आधार पर जिला परिषद, राज्य के विधान मंडल एवम् पूरे राष्ट्र के संसद का गठन किया जा सकता है । इस तरह की व्यवस्था के निर्माण के लिए यह भी आवश्यक है कि एक नये भ्रर्थतंत्र का विकास हो, जिसमें सहकारी सेती श्रीर सहकारी उद्योगों को प्रश्रय दिया जाये । वेंतहाशा बड़े-बड़े उद्योग-धधों को कायम करने के बजाय हर क्षेत्र में जनता की आवश्यकताओं एवम् वहाँ के साधनों के पर्यवेक्षण के आधार पर अधिक विकास की योजना बनायी जाये । गाय सिर्फ खेती की ही इकाई नहीं हो, बल्कि उद्योग की इकाई भी । जयप्रकाश को इसका अंदाजा था कि जिस तरह की राजनीतिक एवम् सामाजिक व्यवस्था का चित्र उन्होंने यहाँ गड़ा था, वह तुरन्त नहीं कायम की जा सकेगी । बल्कि वह एक आदर्श के रूप में थी जिस श्रीर बढ़ने की कोशिश से वर्तमान व्यवस्था में क्रमशः सुधार होता चला जायेगा । श्रीर हम इस तरह समाजवाद एवम् लोकतंत्र दोनों ही दिशा में प्रगति करते चले जायेंगे । इस दृष्टि से प्रारंभिक कदम क्या हो, इनकी चर्चा जयप्रकाश ने अपनी 1961 में प्रकाशित पुस्तिका लोक स्वराज में की । यहाँ उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत बनाया जाये श्रीर ग्राम सभा को प्रदेश एवम् राष्ट्र की राजनीति से जोड़ने का प्रयत्न किया जाये । इसके लिए उनका यह सुभाव था कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की ग्राम-सभाओं से दो-दो प्रतिनिधि चुने जायें श्रीर उनको मिला कर एक निर्वाचक परिषद का गठन किया जाये । प्रदेशों के विधान-मंडलों अथवा लोकसभा के लिए कौन उम्मीदवार षडे हों, इसका फैसला इन्हीं निर्वाचक परिषदों पर छोड़ दिया जाये । न कि राजनीतिक दलों पर जैसा अभी होता

है। ये निर्वाचक परिपद इसकी भी देख-रेख रखें कि जो उम्मीदवार जीतते हैं, वे जनता प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, या अपने स्वार्थ-साधन में लग जाते हैं।" 13

"अपनी साधना के बीच गांधी शताब्दी के वर्ष, 1969, तक आते-आते जयप्रकाश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भूदान-ग्रामदान अन्दोलन में चाहे जितना भी पसीना बहाया जाये, बिना संघर्ष के भूमिहीनों और गरीब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। इसके साथ ही साथ उनका यह भी विश्वास हो गया कि बिना जीवन के हर क्षेत्र में क्रान्ति लाये, उस समाज की नींव नहीं पड़ सकती जिसका सपना वे अपने राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ से ही देख रहे थे। संघर्ष और क्रान्ति का रास्ता अहिंसात्मक ही होगा। 1969 में ग्राम विकास के लिए स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली में बोलते हुए जयप्रकाश ने खुले ग्राम घोषणा की कि वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक व्यापक क्रान्ति किस तरह लायी जाये, यह सोचने का समय आ गया है। उसी साल टाइम्स (लंदन) में प्रकाशित (13 अक्टूबर) एक लेख में उन्होंने लिखा: "गांधीवाद संपूर्ण क्रान्ति का दर्शन है।" 1969 से 1973 तक जयप्रकाश अन्य कई कामों के साथ-साथ ग्रामदान के काम में लगे रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी सोचते रहे कि कैसे कोई ऐसा जन-संघर्ष प्रारम्भ किया जाये, जिससे पूरा देश एक बार तंद्रा की स्थिति से उठ खड़ा हो जाये और संपूर्ण क्रान्ति की ओर बढ़ चले। 1973 तक आते-आते उनका यह विश्वास पक्का हो गया कि ऐसे संघर्ष के लिए स्थिति काफी अनुकूल है। चारों तरफ बढ़ते हुए घुटन के वातावरण को देखते हुए क्रान्ति-शीघ्रक जयप्रकाश इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि अब विस्फोट के आने में अधिक देर नहीं है। लेकिन अगर इस विस्फोट को रचनात्मक रूप देना था और संपूर्ण क्रान्ति की दिशा में बढ़ने के लिए इसका प्रयोग करना था, तो यह आवश्यक था कि इसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया जाये। इसी उद्देश्य को सामने रखकर जयप्रकाश ने 1973 के अन्तिम चरण में युवकों का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि उन्हें फिर भारत के राजनीतिक धितजिज पर '42 की तरह क्रान्ति के बादल दिखाई पड़ रहे थे, आवश्यकता थी आदर्शवादी युवकों की, जो आगे बढ़कर क्रान्ति का अग्रदूत बन सकें। पिछले तीन-चार सालों में जो कुछ हुआ है वह इसी चिंतन का परिणाम है।" 14

लक्ष्मी नारायण लाल ने जयप्रकाश के मानस का जीवंत वर्णन करते हुए लिखा है :

"इन्हें आन्दोलन में उतना विश्वास नहीं है, जितना कि संघर्ष में है। और सबसे ज्यादा आस्था है संघर्ष में, प्रबाधता में, निरन्तरता में। संघर्ष की इसी प्रबाधता को जहाँ फही भी बंधा हुआ, टूटा हुआ सांभित और कुंठित होते हुए देखा वही उस व्यवस्था को, दल-और विश्वास को छोड़कर यह आगे बढ़ गए। चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे साम्यवाद, चाहे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे पी. एम. पी. हो और चाहे सर्वोदय हो और अंत में चाहे स्वयं जे. पी. ही बयों न हो। पर उनमें रहने वालों ने हमेशा जे. पी. पर यह बहकर पत्थर फेंके हैं कि यह भगोड़ा है, भ्रमसंवादी है, व्यक्तित्वादी है, प्रतिनिध्यावादी है, सुधाग्यादी है, संशोधनवादी है, दक्षिणपंथी है..... पर मदा ऐसे फेंके हुए पत्थर उन्हें छूकर ऐसे काटे बन गए हैं जो पत्थर चलाने वालों के पैरों में घनघन धुभते हैं। और तब उन्हें दर्द की एक टोम होती है और उनके मुँह में निवृत्ता है : हाय ! म्

शब्द हमारी पार्टी का लीडर क्यों नहीं हुआ ? यह हमेशा क्या-क्या करता रहता है ? बोलता रहता है ? जे. पी. ने दो टूक उत्तर दिया है: आप कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण नेता बने, लेकिन नेता बनकर क्या करे और कहे वह जो आप चाहते हैं ? यानी जयप्रकाश नारायण अपना दिमाग कहीं रख आए, उसे कहीं ताले में बंद कर आए। आप उसके दिमाग को, कार्यकलाप को, विचार को समझना चाहते हैं ? वह क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसका समाजवाद से अथवा जनता के साथ क्या सम्बन्ध है ? यह सब आप समझना चाहते हैं ? क्या आपको 'ऐसा नेता मिलेगा जो आपको शर्तों पर आपका नेता बनने को तैयार होगा ? मैं अपनी शर्तों पर नेता बनने को तैयार हूँ। मानिए मेरी शर्तें और चलिए गांव में मेरे साथ। मैं जंगल में नहीं गया हूँ। हिमालय की गुफाओं में नहीं गया हूँ। गांधियन इंस्टीट्यूट में बैठा-बैठा किताब नहीं पढ़ रहा हूँ....।'<sup>15</sup>

### राजनीतिक विचार

जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों में दलविहीन लोकतन्त्र का विचार प्रमुख है। दलविहीन लोकतन्त्र का विचार स्वयं जयप्रकाश का मौलिक विचार नहीं है। उन्होंने मानवेन्द्र नाथ राय के दल विहीन लोकतन्त्र के विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। अतः इस सन्दर्भ में जयप्रकाश मौलिक चिंतक न होकर व्याख्याकार के रूप में ही माने जाने चाहिये। जयप्रकाश दलगत राजनीति को जनता की असहाय स्थिति का कारण मानते हैं। यह समाज में नैतिक पतन, भ्रष्टाचार एवं स्वार्थ परायणता फैलाने वाला तत्त्व है। बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथ में केन्द्रित कर लोकतान्त्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करता है। जनता को सुशासन का झूठा आश्वासन देकर भुलावे में डाल दिया जाता है। शासन के हाथों में शक्ति का केन्द्रीयकरण जनता को हर समय शासन का मुंह ताकने के लिये विवश करता है। छोटे-छोटे कार्य के लिए जनता को शासन पर निर्भर रहना पड़ता है। उसमें स्वावलम्बन की बची खुची भावना भी समाप्त हो जाती है और वे दलीय राजनीति के दल-दल में फांस दिये जाते हैं। राजनीतिक दल उन्हीं सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जिससे उनका राजनीतिक स्वार्थ पूरा होता हो। जनसामान्य की वास्तविक कठिनाइयों का निराकरण नहीं किया जाता। सत्ता-लोलुप राजनीतिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक हित के नाम पर अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की जाती है। सत्तारूढ़ दल ही नहीं अपितु विपक्ष भी इस होड़ में पीछे नहीं रहता। जयप्रकाश ने दलीय राजनीति के स्थान पर विकेन्द्रीयकरण का समर्थन किया। वे जनता को शासन पर नियन्त्रण करने के अधिकारों से युक्त करना चाहते थे। उनके अनुसार वर्तमान निर्वाचन पद्धति के स्थान पर जनता द्वारा स्थानीय स्तर पर जन-प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष मनोनयन होना चाहिये। ग्राम सभाओं द्वारा मतदाता परिषदों को चुना जाय। मतदाता परिषद् उम्मीदवारों का चुनाव करें और जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे राज्य अथवा केन्द्र की धारा सभा के लिये निर्वाचित माना जाय। चुनाव में शक्ति, धन तथा समय की बचत के लिये एक स्थान के लिये एक ही उम्मीदवार प्रस्तुत किया जाय। सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति ही निर्वाचित किया जाय। इस प्रकार जयप्रकाश ने विकेन्द्रीयकरण के माध्यम से पंचायती राज्य को केन्द्र से सम्बन्धित करने का मार्ग बताया। उन्होंने भारत के गांवों में बसने वाली समष्टि को पश्चात्

लोकतन्त्र की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति से विलग किया ।<sup>16</sup>

जयप्रकाश नारायण ने भारत की राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिये अपने विचार प्रस्तुत किये । वे वैज्ञानिक तथा विवेकपूर्ण व्यवस्था के लिये लोकतन्त्र को पुनर्गठित कर उसे सामुदायिक समाज एवं विकेन्द्रीयकरण पर आधारित करना चाहते थे । उन्होंने इस संदर्भ में दो तर्क प्रस्तुत किये । प्रथम, पश्चिम का लोकतन्त्र निर्वाचित अल्पतन्त्र है और लोकतन्त्र के स्थान पर उसे लोकतांत्रिक अल्पतन्त्र कहा जाता है । इसमें जन सामान्य का सहकार नगण्य होता है । द्वितीय, पाश्चात्य लोकतन्त्र व्यक्तिवादी समाज पर आधारित है । आधुनिक पाश्चात्य लोकतन्त्र व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति एवं सच्चे मानवीय समाज को नकारता है । ऐसे लोकतन्त्र में समाज एक अनागरिक पृथक व्यक्तियों का समूह है । राजनीति केवल मत प्राप्त करने का यन्त्र मात्र रह गई है । ऐसे में व्यक्ति भांगिक एकता का प्रतीक न होकर एक पृथक इकाई के रूप में दिखाई देता है । सामाजिक सम्वन्धों का उस पर कोई प्रभाव नहीं । वह सामुदायिक जीवन के स्थान पर व्यक्तिगत जीवन जीता है । इस प्रकार पश्चिमी लोकतन्त्र की प्रक्रियाएँ तथा संस्थाएँ दोषपूर्ण हैं । जयप्रकाश ने लोकतन्त्र को इन बुराइयों से बचाने के लिये प्राचीन भारतीय समाज के श्रेणीय एवं व्यवसायात्मक समुदायों का आदर्श अपनाने पर जोर दिया है । जयप्रकाश ने सुझाया है कि लोकतन्त्र के विकेन्द्रीयकरण को कठोर नीति से लागू किया जाय । समाज को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाय कि सामाजिक समन्वय एवं व्यक्तियों का सहकार भली प्रकार प्राप्त हो सके । ऐसा समाज जिसमें विभिन्नता में एकता, हितों की समरूपता, सामाजिक उत्तरदायित्वों के मध्य स्वतन्त्रता, प्रकार्यों का वैभिन्य किन्तु लक्ष्य की समानता और सामाजिक हित प्राप्त किया जा सके । जाति, वर्ग, नस्ल, धर्म, तथा राजनीति सभी व्यक्ति को विभिन्न संपर्कमय समूहों में बाँट देते हैं । समाज ही उन्हें एक जुट रखता है और उनके हितों को समन्वित करता है । मनुष्य सामुदायिक कार्यों में सहभागी होकर आत्म-नियंत्रण एवं आत्म-निर्देशन प्राप्त करता है ।<sup>17</sup>

जयप्रकाश समाज का पुनर्निर्माण पिरामिड की भाँति करना चाहते हैं अर्थात् वे सबसे नीचे के स्तर पर ग्रामीण समाज और उस पर श्रेणीय, जिलास्तरीय, प्रान्तस्तरीय एवं राष्ट्रीय समुदायों की स्थिति स्वीकार करते हैं । इनमें से प्रत्येक स्तर सामुदायिक जीवन दृष्टिकोण विकसित कर सकता है । समस्त समुदायों के प्रकार्यों को सामान्यतः सामुदायिक जीवन ही एकीकृत करता है । जयप्रकाश नारायण के अनुसार जैसे-जैसे हम सामुदायिक जीवन एवं संगठन के भौतिक वृत्त से निबल कर बाह्य वृत्त की ओर जाते हैं तो ऐसा आभास होता है कि बाह्य समुदायों के लिये सीमित कार्य ही शेष है । जब हम राष्ट्रीय समुदाय के स्तर तक पहुँचते हैं तो कार्यों की गंभीरा केवल प्रतिरक्षा, वैदंगिक सम्वन्ध, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय एवं व्यवस्थापन तक ही सीमित दिखाई देती है । जयप्रकाश के विचारों पर आधारित स्तरीय सामाजिक संगठन एक ऐसा सामाजिक प्रयोग है जो मानव को स्वशासित समुदाय के अन्तर्गत संगठित कर स्वशासन का प्रवर्णन देता है । यह लोकतन्त्र का ऐसा आदर्श प्रतिरूप है जो मानव को आधुनिक सम्वन्ध के यन्त्र-मानव में बचा सकता है ।<sup>18</sup>

जयप्रकाश ने लोकतन्त्र के लिये मूल्य, प्रणियाँ, स्वतन्त्रता, आचार के विरुद्ध

प्रतिकार की शक्ति, सहयोग, परमार्थ, सहनशीलता, उत्तरदायित्व की भावना, मानव समानता में निष्ठा एवं मानवीय प्रकृति की शिक्षणीयता में विश्वास आदि गुणों तथा मानसिक दृष्टिकोणों को लोकतन्त्र के लिये आवश्यक बताया। उनके अनुसार उपर्युक्त नैतिक गुणों के बिना लोकतन्त्र सम्भव नहीं। इन नैतिक गुणों के साथ-साथ जयप्रकाश नारायण ने आधुनिक उद्योगवाद की भौतिकवादी प्रकृति को लोकतन्त्र के लिये अनुपयुक्त माना है। उनकी दृष्टि में पूंजीवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद भौतिक वस्तुओं के लिये व्यक्ति की लालसा को बढ़ाते हैं। सच्चे धर्मों में स्वतन्त्रता, स्वाधीनता एवं स्वशासन की प्राप्ति एवं उपभोग के लिये धाकांक्षाओं पर स्वतः नियन्त्रण आवश्यक है। अधिक से अधिक प्राप्त करने की लालसा सपर्य, युद्ध तथा वैमनस्य को जन्म देती है। वह व्यक्ति को ऐसी उत्पादन व्यवस्था से बांध लेती है जो लोकतन्त्र को नष्ट कर उसे नौकरशाही के अल्पतन्त्र के सुपुर्द कर देती है। जयप्रकाश के इन विचारों पर गांधीजी के अस्तैय एवं अपरिग्रह सिद्धान्तों की छाप दिखाई देती है।<sup>19</sup>

जयप्रकाश क्रान्तिकारी समाजवाद के स्थान पर लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना के इच्छुक हैं। उनके अनुसार मार्क्स द्वारा क्रान्तिकारी समाजवाद के प्रतिपादन पश्चात् लोकतन्त्र के विकास ने काफी शक्ति प्राप्त करली है। अतः समाजवाद की स्थापना लोकतान्त्रिक तरीके से ही होनी चाहिये। स्वयं मार्क्स ने अपने 'हेम' में दिये गये भाषण में शान्तिपूर्ण परिवर्तन द्वारा समाजवाद की स्थापना को सम्भव बताया। जयप्रकाश ने समाजवाद के माध्यम से अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का निदान ढूँढा है।<sup>20</sup> उनके अनुसार समाजवादी राज्य को मूलभूत मूल्यों की स्थापना करनी चाहिये और नैतिकता विहीन जीवन को अस्वीकार करना चाहिये। वे साधन और साध्य के पारस्परिक सम्बन्ध को महत्व देते हैं। उच्च आदर्शों के अनुरूप किये गये कार्य उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव बनाते हैं। इसके विपरीत आचरण द्वारा लक्ष्य प्राप्ति सम्भव नहीं है। नवीन समाज की स्थापना के लिये स्वीकृत आदर्श मूल्यों को द्वन्द्वात्मक पद्धति परिवर्तित नहीं कर सकती। समाजवाद की सफलता के लिये जयप्रकाश ने लोकतान्त्रिक राज्य की अनिवार्यता पर बल दिया है। राजनीतिक दृष्टि से समाजवाद की यथार्थता इसी पर आधारित है कि समाजवाद को निम्नतम स्तर पर लोक शासन में उतार दिया जाय। केवल राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद की चर्चा निरर्थक है।<sup>21</sup>

जयप्रकाश ने समाजवादी समाज की आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालते हुये ये बतलाया कि केवल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बेतन की समानता तथा श्रमिकों का नियंत्रण प्रस्तुत नहीं कर सकता। वस्तुतः उद्योगों के राष्ट्रीयकरण ने नौकरशाही का शासन स्थापित कर दिया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की संरचना विकेंद्रित होनी चाहिये। बड़े पैमाने पर तथा केन्द्रित उत्पादन एशिया के देशों में समाजवाद नहीं ला सकता। इसके लिये गृह उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं छोटे उद्योगों की देश भर में स्थापना कर उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिये। केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं किन्तु स्वामित्व का विकेन्द्रीयकरण भी आवश्यक है। केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योगों का स्वामित्व नहीं होना चाहिये। विभिन्न स्तरों पर स्वामित्व होते हुये ग्राम संगठन या नगर निगमों तक स्वामित्व बटा हुआ होना चाहिये। जयप्रकाश के ये विचार राममनोहर लोहिया के विचारों को प्रति-



ध्वनित करते हैं। राममनोहर लोहिया के विचारों के समान आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीयकरण पर जयप्रकाश का सुभाव यह दर्शाता है कि चन्द व्यक्तियों के हाथ में पूंजी का केन्द्रीयकरण न हो। इस बात की आवश्यकता है कि समाजवादी समाज आर्थिक अधिनायकतन्त्र से मुक्त रहे। जयप्रकाशनारायण समाजवादी समाज की स्थापना के लिये शान्ति पूर्ण लोकतांत्रिक साधनों के प्रयोग को आवश्यक नहीं मानते। उनका यह अभिप्राय नहीं कि समाजवाद संसदात्मक अथवा संवैधानिक पद्धतियों से ही स्थापित किया जाय। वे अहिंसक जन आन्दोलन के माध्यम से समाजवाद की स्थापना का विचार प्रकट करते हैं। यदि जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके तो ऐसे शान्तिपूर्ण प्रयत्न असंवैधानिक होते हुए भी उचित हैं।<sup>22</sup> लोहिया के विचारों के विपरीत जयप्रकाश यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि हिंसा के बिना समाजवादी क्रान्ति अपूर्ण है। वे गांधीजी के आदर्शों को ध्यान में रखकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अनुचित साधनों से इच्छित साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। समाजवाद की सफलता के लिये जयप्रकाश ने व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित करने की आवश्यकता पर बल दिया। समाज के हित में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं पर नियन्त्रण स्थापित करना समानता, स्वतन्त्रता एवं भ्रातृत्व के लिये उपयोगी ही नहीं बरन् आवश्यकता भी है। जब तक व्यक्ति की माँग को नियन्त्रित नहीं किया जाता तब तक समाजवादी समाज का प्रयोग सम्भव नहीं। जयप्रकाश के अनुसार सामाजिक नियन्त्रण के स्थान पर आत्म नियन्त्रण द्वारा एक ओर व्यक्ति तथा व्यक्ति के मध्य तथा दूसरी ओर व्यक्ति समूहों एवं राष्ट्रों के मध्य संपर्क नहीं टाला जा सकता।<sup>23</sup>

जयप्रकाश नारायण ने महात्मा गांधी के साधन एवं साध्य के समन्वय को महत्त्वपूर्ण माना है। गांधीजी ने साधन को ही साध्य माना और यह व्यक्त किया कि बुरे साधनों से अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आधुनिक विश्व की समस्याओं को देखते हुए यह सर्वथा उचित है कि अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति एवं अच्छे समाज के निर्माण के लिये अच्छे साधनों का प्रयोग आवश्यक है।<sup>24</sup> इतना ही नहीं राजनीति में नैतिक मूल्यों का महत्त्व समझा जाना चाहिये। सर्वाधिकारवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए यह और भी आवश्यक हो गया है। फासीवाद, नात्सीवाद एवं स्टालिनवाद ने राजनीति में नैतिक मूल्यों को जो धक्का लगाया है उससे समाज में व्यक्ति की स्थिति निष्प्राण हो गयी है। न केवल राजनीति अपितु सामाजिक जीवन तथा पारिवारिक जीवन भी इसके कुप्रभाव से बंचित नहीं रहा। अच्छे समाज के निर्माण के लिये अनुशासन, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों की माधन के रूप में प्रयुक्ति आवश्यक है।<sup>25</sup>

जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय की धारणा के विकास एवं चिन्तन को विशेष योगदान दिया है। वे सर्वोदय को सर्वजन सुख एवं सर्वजन हिताय मानते हुए इसे उपयोगितावादियों के "अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिकतम सुख" के सिद्धान्त से भिन्न एवं श्रेष्ठ मानते हैं। वे सर्वोदय को सामाजिक दर्शन मानते हुए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो। पारस्परिक सहायता एवं जन सहयोग से राजनीति के स्थान पर सौजन्य की स्थापना की जाय। वे सामुदायिक सौख्य प्रथम शान्तिदार सौख्य चाहते हैं जिसमें राज्य व्यवस्था का पुनर्गठन किया जा सके। सर्वोदय के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विकेन्द्रीयकरण आवश्यक है।

है। राजनीतिक एवं आर्थिक विकेन्द्रीयकरण को सभी स्तरों पर लागू किया जाय। वे सर्वोदय को जनता का समाजवाद अथवा लोक-समाजवाद मानते हैं। वे राज्य की शक्ति को प्रयुक्त किये बिना समाजवादी जीवन का ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं जो जनता के स्वेच्छिक प्रयासों का परिणाम हो।<sup>26</sup>

जयप्रकाश ने सर्वोदय के सामाजिक दर्शन की प्राप्ति के लिये प्रेम एवं सहिष्णुता को सामाजिक जीवन का आधार माना है। घृणा से सामाजिक जीवन क्लुपित हो जाता है अतः घृणा जो कि सामाजिक वातावरण जनित है नियंत्रित की जानी चाहिये। जयप्रकाश ने इसी कारण से वर्ग-संघर्ष को जो कि वैज्ञानिक समाजवाद का आधार है, स्वीकार नहीं किया। जनता के स्वयं के प्रयत्नों से सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जा सकता है और संघर्ष का स्थान सहकारिता को प्राप्त हो सकता है। जयप्रकाश अहिंसा को साधन के रूप में प्रयुक्त करने के पक्षपाती है। सर्वोदय के विचार पर गांधीजी की अहिंसा की धारणा व्याप्त है। अहिंसा का आर्थिक क्षेत्र में उपयोग आर्थिक हिंसा अथवा शोषण के निराकरण के अर्थ में किया गया है। व्यक्ति का जीवन यदि निस्वार्थ सेवा एवं सीमित इच्छाओं से परिपूर्ण हो जाय तो आर्थिक समानता का आदर्श सुगमतापूर्वक स्थापित हो सकता है। सर्वोदय कार्यकर्ताओं के स्वयं के उदाहरण एवं उचित शिक्षा की व्यवस्था पर इस उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव है।<sup>27</sup>

सर्वोदय की मान्यता शक्ति के विरोध पर आधारित है। गांधीजी के आध्यात्मिक अराजकतावाद अथवा रामराज्य की कल्पना में राज्य रूपी यान्त्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी। किन्तु जयप्रकाश ने राज्य के तिरोहित होने के विचार को असम्भव माना है। उनकी मान्यता है कि राज्य पूर्णतया विलुप्त नहीं हो सकता अतः राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की कामना करनी चाहिये।<sup>28</sup> गांधीजी के सदृश जयप्रकाश की भी यह धारणा है कि कम से कम शासन करने वाली सरकार ही अच्छी है। राज्य के प्रति सर्वोदयवादियों की अविश्वास को भावना राज्य द्वारा समाज-सुधार के कार्यों में शक्ति का अन्तिम अस्त्र के रूप में प्रयोग करने से है। समाज-सुधार का कार्य, सर्वोदयवादियों के अनुसार, अनिवार्यता अथवा दबाव के वातावरण में नहीं हो सकता। स्थायी महत्व के कार्यों को सम्पादित करने के लिये राज्य शक्ति के स्थान पर लोकमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। जब तक व्यक्ति में निस्वार्थ सेवाभावना एवं सामाजिक अनुशासन का संचार नहीं होता तब तक सामाजिक तालमेल नहीं बैठ सकता। इसके लिये उपदेश एवं उदाहरण का अन्तर समाप्त होना चाहिये। अपनी मान्यताओं के अनुरूप कार्य कर दिखाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जब राज्य शक्ति का स्थान जनशक्ति से लेते तभी व्यक्ति को आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है। सर्वोदयवादियों की यह मान्यता उन्हें साम्यवादियों एवं समाजवादियों से ठीक विपरीत स्थिति में प्रस्तुत करती है। साम्यवादियों एवं समाजवादियों के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के संघर्ष में राजनीतिक शक्ति एक अनिवार्य तत्व है। शोषणकारी वर्ग के स्वेच्छा से आत्म समर्पण की सम्भावना न होने के कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शक्ति के प्रयोग पर बल दिया गया है ताकि राजनीतिक शक्ति का एकाधिकार प्राप्त कर पूँजीपतियों, जमींदारों एवं शोषक तत्वों का सफाया किया जा सके। किन्तु सर्वोदय की विचारधारा के प्रतिपादन में जयप्रकाश नारायण

ने लोकशक्ति के महत्व को ही दर्शाया है। उनके अनुसार जन-इच्छा की सकारात्मक एवं निर्भीक अभिव्यक्ति पर ही सर्वोदय की सफलता निर्भर है। लोकशक्ति को जागृत एवं संगठित करने के लिये सर्वोदयवादियों ने निस्वार्थ सेवा भावना से युक्त कार्यकर्त्ताओं की टोली तैयार की है जो जन-समुदाय में विचरण करती हुई उन्हें स्वावलम्बन एवं स्व-शासन का नव-जीवन प्राप्त कराने में सहायक हो सके।<sup>29</sup> इस प्रकार जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सम्बन्धी विचार ग्राम-स्वराज्य, विकेंद्रीयकरण तथा स्वावलम्बन का महत्व स्पष्ट करते हुए नवीन सामाजिक एवं आर्थिक क्रान्ति को इंगित करते हैं। सर्वोदय ने आधुनिक समय की सग्रहकारी समाज व्यवस्था एवं आत्म विहीन शहरीकरण की प्रवृत्ति को नई चुनौती दी है। शहरीकरण की आधुनिक स्पर्धा ने मानव जीवन को "एकाकी भीड़" में परिवर्तित कर दिया है। जयप्रकाश के अनुसार शहर तथा कस्बे ऐसे मानवीय जंगल हैं जहाँ व्यक्ति का जीवन भ्रवैयक्तिक सम्बन्धों से शामिल होता है।<sup>30</sup>

जयप्रकाशनारायण के अनुसार समाजवादी समाज की स्थापना दीर्घकालिक विकास एवं प्रयत्नों पर आधारित होती है। संक्रमणकाल की भ्रवधि पूरी होने के पश्चात् ही नवीन आदर्श की प्राप्ति होती है। वर्ग संघर्ष के बिना समाज में समाजवाद की घेतना मात्र दिखाई देती है। केवल समाजवादी बुद्धिजीवियों से समाजवाद स्थापित नहीं होता है। वास्तविक शक्ति काम करनेवाले श्रमिकों तथा पूजावादी समाज के शोषित वर्गों के समर्थन से ही संभव है। शोषित वर्ग द्वारा शोषण का विरोध सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करके एक शोषणविहीन समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक बनता है। बुद्धिजीवियों द्वारा इस संघर्ष में वैचारिक भूमिका निभाई जाती है तथा आन्दोलन को विचारवाद की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। समाजवाद की स्थापना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दो स्तर दिखाई देते हैं—एक समाजवादियों द्वारा वर्ग-संघर्ष के माध्यम से शक्ति पर नियंत्रण तथा दूसरा शक्ति सम्पन्न समाजवादियों द्वारा समाजवाद की स्थापना। सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य शक्ति पर दो प्रकार से अधिकार किया जा सकता है। एक तो क्रांति के द्वारा तथा दूसरा लोकतांत्रिक तरीकों से। किन्तु लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा राज्य शक्ति पर अधिकार केवल वही सम्भव है जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र पूर्णतया स्थापित हो चुका हो तथा श्रमिक वर्ग ने एक शक्तिशाली राजनीतिक दल बनाकर श्रमिकों तथा निम्न मध्यम वर्ग को प्रपने अधीन से लिया हो। जहाँ ऐसा सम्भव न हो वहाँ समाजवाद की स्थापना के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि कोई ऐसा समझौता सम्भव न हो तो उस देश में स्वतंत्रता की स्थापना ही नहीं की जा सके। भारतीय राष्ट्रवाद का उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि श्रमिक वर्ग का स्वतंत्र की शक्तियों के साथ समझौता न होने पर भी भारत की स्वतंत्रता की मांग अपना महत्व बनाये हुए है।<sup>31</sup>

जयप्रकाशनारायण ने राष्ट्रीय एकता को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है। वे राष्ट्रवाद को भारत में पूर्णतया पल्लवित होता देखना चाहते हैं। उनके अनुसार भारत न तो बर्फी राष्ट्र रहा या धीरे न प्राज ही एक राष्ट्र है। किसी भी देश के राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रीय घेतना की आवश्यकता होती है, जिसका भारत में निरान्त प्रभाव रहा है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति तथा चीनोदिक क्रान्ति ने समस्त विश्व में शक्ति तथा संघर्ष :

मूल्यों को परिवर्तित कर दिया है। भारत भी एक नवीन क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। भारत की जनता राजनीति के प्रांगण में प्रविष्ट हो चुकी है और अभिजनवादी राजनीति की अवधारणा अब पुरानी पड़ चुकी है। गांधीजी के सदु-प्रयत्नों से अभिजनवादी राजनीति जन-राजनीति में परिवर्तित हो गई। यदि राष्ट्रीय चेतना को राष्ट्र का आधार माना जाये तो भारत को अभी अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजरना है। केवल प्रादेशिक एवता से राष्ट्र की स्थापना नहीं होती। इसके लिए भावात्मक एवता की आवश्यकता होती है। एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना से ही इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। जयप्रकाश ने द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त तथा भारत के विभाजन दोनों का विरोध किया था। आज प्रत्येक राष्ट्र बहुराष्ट्रीय राज्य है। मिश्रित अथवा समन्वित राष्ट्रवाद ही प्राधुनिक विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस प्रकार जयप्रकाश ने राष्ट्रवाद के संदर्भ में एक नवीन विचार प्रस्तुत किया है। उनका समन्वित राष्ट्र का दृष्टिकोण मूलतः दो परिस्थितियों पर आधारित है। एक परिस्थिति है पूर्ण धर्मनिरपेक्ष आधार तथा दूसरी है जनता की आवश्यकताओं तथा भावनाओं के अनुरूप राष्ट्र की राजनीति। इन दोनों आदर्शों के पश्चात् ही व्यक्ति राष्ट्रीय विकास का आभास प्राप्त कर सकता है।<sup>32</sup>

जयप्रकाश ने राष्ट्रवाद के उद्गम पर ध्यान केन्द्रित कर यह विचार प्रकट किया है कि राष्ट्रवाद एक अर्वाचीन मान्यता ही है। 1900 वीं शताब्दी को राष्ट्रवाद की शताब्दी माना जा सकता है। पश्चिम यूरोप में राष्ट्रवाद अपने प्राधुनिक अर्थों में पूर्णतया प्रकट हुआ है। राष्ट्रवाद के विकास के लिए मानवीय समुदाय को एक उच्च सभ्यता के स्तर तक पहुँचना आवश्यक प्रतीत होता है। किन्तु जयप्रकाश ने यह माना है कि राष्ट्रवाद एक साधन है न कि साध्य। प्रत्येक राष्ट्र के तीन निर्माणक तत्त्व होते हैं :—(1) राष्ट्र की स्वयं की स्पष्ट भूसंपदा, (2) एक समान राज्य का प्रतिनिधित्व करनेवाली राजनीतिक एकता तथा (3) अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा अन्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त पृथक् संप्रभु राष्ट्र की स्थिति।<sup>33</sup>

जयप्रकाशनारायण ने व्यक्त किया कि ब्रिटिश शासन के अनुसार भारत प्राधुनिक अर्थों में राष्ट्र नहीं रहा। यद्यपि भारत में एकता थी, भारत के नाम से एक पृथक् प्रदेश था, तथा उसकी स्पष्ट सीमायें थी, किन्तु यह एकता आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक भावना जनित थी। राष्ट्रवादी नहीं थी। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा सम्पूर्ण भारतीय प्रदेश पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् ही एक सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता का उदय हुआ। चूँकि यह राजनीतिक एकता ऊपर थोपी हुई थी अतः इसके द्वारा राष्ट्रीयता की स्थापना नहीं हो सकती थी। ब्रिटिश शासन के विरोध करने की प्रक्रिया ने शनैः शनैः भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। उग्र ब्रिटिश राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ किन्तु दुर्भाग्य से यह इतना शक्तिशाली नहीं था कि भारत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्रीयता में बांध सकता। इसका एक परिणाम यह हुआ कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक नवीन राष्ट्रीयता के विचार ने चुनौती प्रस्तुत की। द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त ने भारत की स्वतंत्रता को स्वतंत्र-रजित कर दिया। द्विराष्ट्र सिद्धान्त अपने आप में निःसंदेह गलत आधारों पर स्थापित किया गया था। क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि केवल धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता

की स्थापना नहीं होती। फिर भी भारत में यह सब कुछ हुआ और विभाजन की स्थिति आई। विभाजन ने व्यक्तियों के हृदय में क्रोध, दुःख तथा असंतोष को जन्म दिया इसका प्रभाव अभी भी विद्यमान है। हमें एक स्वस्थ एवं यथार्थवादी विचार को बनाने के लिए सच्चे अर्थों में भारत राष्ट्र की स्थापना करनी है। यह कार्य राष्ट्रीय चेतना के बिना सम्भव नहीं है। इस दृष्टि से भारत के दो महान् व्यक्तित्व रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा महात्मा-गांधी—ने हमें ऐसे राष्ट्रवाद का चित्र प्रदान किया है जो कि आत्मा की उस एकता पर आधारित है जिसके द्वारा समस्त मानव जाति व्यक्तियों के एक राष्ट्र के अन्तर्गत आ जाती है।<sup>34</sup>

राष्ट्रवाद की दृष्टि से आक्रामक राष्ट्रवाद विश्व के लिए खतरा है। लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित जीवन सहिष्णुता का पाठ सिखाता है। वही सहिष्णुता राष्ट्रीय जीवन के लिए भी आवश्यक है। हिंसा तथा अहिंसा के मध्य यदि कोई वरणयोग्य है तो वह अहिंसा ही हो सकती है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध कर जिस विश्व बन्धुत्व की बात कही है वही वास्तविक राष्ट्रवाद है। गांधीजी ने भी अपने आपको राष्ट्रवादी कहा है किन्तु उनका राष्ट्रवाद न तो संकीर्ण राष्ट्रवाद रहा है और न आक्रामक राष्ट्रवाद ही। राष्ट्रवाद की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में हिन्दू तथा मुसलमान दो ऐसे बड़े समुदाय हैं जो सदियों से साथ रहते आये हैं। इन दोनों के मध्य साम्प्रदायिक वैमनस्य समाप्त करने ही धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान का लाभ उठाया जा सकता है। देश में व्याप्त जातिवाद उतना ही घातक है जितना कि साम्प्रदायिकवाद। हिन्दू समुदाय में जातिवाद के कारण अनेक संघर्ष समय समय पर उत्पन्न होते रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय समन्वय एवं एकता के मार्ग में बाधक सिद्ध हुए हैं। इन समस्याओं का निवारण नारेवाजी भ्रमवा संघर्ष से प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए धर्म एवं अनवरत परिश्रम की आवश्यकता है। भारत का अपने पड़ोसी राष्ट्रों से भी खतरे की चुनौती का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान तथा चीन के साथ युद्ध में अपार जन-धन की हानि हुई है। यदि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांति बनाये रखी जा सके तो हम सच्चे अर्थों में मानवतावादी बन सकते हैं।<sup>35</sup>

### राष्ट्रवाद की अवधारणा

भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा को जयप्रकाशनारायण ने भारत की एकता के ज्ञान के लिए आवश्यक माना है। उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद एक समन्वित एवं धर्म निरपेक्ष के उदाहरण के रूप में है। स्वतंत्रता संग्राम के दीर्घकालिक परिश्रम में राष्ट्रीयता उत्पन्न हुई। जिसका द्विराष्ट्र सिद्धान्त जिसमें एक पृथक् हिन्दू राष्ट्र तथा एक पृथक् मुस्लिम राष्ट्र का विचार भारत के विभाजन एवं एक पृथक् इस्लामी राज्य की स्थापना का कारण बना है स्वतंत्रता आन्दोलन की घुमिल करनेवाला था। इसका एक प्रभाव भारत में यह हुआ कि यहाँ भी हिन्दू-राष्ट्र की मांग जोर पकड़ने लगी। इसके अनेक कारण थे। भारत में हिन्दुओं का बहुमत होने पर भी उनमें एक अल्पसंख्यक समुदाय की मनोवृत्ति थी। जिसका कारण यह था कि हिन्दू-समुदाय जाति व्यवस्था तथा सुभाषुत के कारण अनेक भागों में बँटा हुआ था और अनेक राज्याधिकारों से हिन्दुओं पर और हिन्दू मुस्लिम तथा ईसाई अल्पसंख्यकों का शासन रहा जो कि भारत के

से आये थे। कुंठित भावनाओं के कारण हिन्दू राष्ट्र की मांग भारतीय जन समुदाय को आकर्षित करने लगी। एक अन्य कारण यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत की आजादी के लिए सभी समुदायों के सम्मिलित समर्थन की आवश्यकता थी जिसमें राष्ट्रवाद को एक बहुराष्ट्रीय दृष्टि से देखा गया था। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हिन्दू बहुसंख्यक समुदाय ने बहुमत होने के कारण अन्य समुदायों पर अपनी आकांक्षाओं को लादने का अवसर प्राप्त किया। हिन्दू राष्ट्र की भावना को किसी भी दृष्टि से राष्ट्रीय विकास एवं राष्ट्रीय शक्ति का उन्नायक नहीं माना जा सकता।<sup>36</sup>

भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिन्दू राष्ट्र की मांग का प्रबल समर्थक रहा है। सघ के अनुसार एक सुगठित हिन्दू समाज की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई है जो वास्तविक राष्ट्रीय एकता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जाति, धर्म, दल अथवा भाषा के भेदभाव से ऊपर हो। जयप्रकाश के अनुसार किसी भी समुदाय का संगठित होना अनुचित नहीं है। किन्तु उस समुदाय द्वारा पृथक्तावादी प्रचार, साम्प्रदायिक राजनीति एवं बहुसंख्यक समुदायों द्वारा अल्पसंख्यकों पर आधिपत्य करने का विचार उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार से भारतीय मुसलमानों ने जमायते-इस्लामी द्वारा मुसलमानों को संगठित करने तथा उनमें सामाजिक एवं राजनीतिक पृथक्ता के बीज बोने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य मुस्लिम राष्ट्र की भावना को बलवती करना है। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्र की मांग के स्थान पर मुस्लिम राष्ट्र तथा हिन्दू राष्ट्र की मांग समान रूप से साम्प्रदायिक है। जयप्रकाश ने व्यक्त किया है कि कतिपय व्यक्ति हमारे ऋषि मुनियों के, स्मृति एवं पुराणों के, कवियों तथा कलाकारों के, राजनेता तथा योद्धाओं के योगदान को भारत की राष्ट्रीय धरोहर एवं राष्ट्रीय एकता का कारण मानते हैं। उनकी दृष्टि में भारत एक अत्यन्त प्राचीन राष्ट्र है और यह कहना सर्वथा असत्य है कि भारत एक निर्माणाधीन राष्ट्र है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनता की सांस्कृतिक एकता तथा राजनीतिक एकता में भ्रम दिखाई देता है। क्योंकि भारत की जनता हिमाचल से सेतुबन्ध रामेश्वर तक सदियों से एक समान सांस्कृतिक धरोहर की सहभागी रही है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे एक ही प्रकार के राज्य के अन्तर्गत रहे हैं। ऐसा केवल भारत में ही नहीं हुआ अपितु यूरोप तथा अरब देशों में भी सांस्कृतिक एकता के साथ-साथ राजनीतिक विखंडता विद्यमान रही है। जयप्रकाश की मूल धारणा यह है कि सद्य प्राप्त राजनीतिक एकता जो कि भारत के स्वतन्त्र संविधान द्वारा स्थापित की गयी है उसे बनाये रखा जाये। भारत में भारतीय समाज के विभिन्न तत्वों द्वारा एक राष्ट्र में बंध जाने का काम अभी सम्पन्न नहीं हुआ। भारत की प्राचीन धरोहर एवं प्राचीन एकताओं का उल्लेख करके इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जयप्रकाश के अनुसार एक मत यह भी है कि जो व्यक्ति भारत के ऐतिहासिक अतीत से अपने आपको सम्बन्धित पाते हैं और उसके पूर्ण समर्थक हैं वे ही भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। उन व्यक्तियों की दृष्टि में राष्ट्रीय एकता प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने को राष्ट्र के साथ एकाकार होने में निहित है। इस मान्यता में निश्चित रूप से सत्य का अंश है यदि भारतीय इतिहास का प्रारम्भ केवल मुस्लिम अथवा ईसाई आक्रमणकारियों से माना जाये और भारत के इससे पूर्व के इतिहास को महत्ता न दी जाये। आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में प्रत्येक राष्ट्रीयता

अपनी प्राचीन गौरव गाथा से एक नयी वस्तु निकालने का प्रयास कर रही है।<sup>37</sup>

राष्ट्रीय धरोहर की चर्चा में न केवल प्राचीन समय की गणना ही सम्मिलित की जानी चाहिये अपितु उसके पश्चात् जो भी हुआ है उसको भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। भारत में विदेशी संस्कृति तथा जातियों का दीर्घाधि से सम्मिलन होता रहा है। इस्लाम तथा ईसाई धर्म के सम्बन्ध में जो कि बाद में भारत में प्राये समन्वय की भावना हिन्दू समाज के विरोध के कारण घीमी रही है। इसके उपरान्त भी भारतीय ईसाई तथा भारतीय मुसलमान रक्त, शारीरिक बनावट, जीवन के प्रकार, जाति व्यवस्था, भाषा, साहित्य, कला, विचार, दर्शन, भौतिक संस्कृति आदि की दृष्टि से भारतीय ही माने जाने चाहिये। इन दो धर्मों ने भारत में एक विरोध भारतीयता ग्रहण कर लिया है जिसके कारण भारतीय दर्शन, साहित्य, विज्ञान, संगीत, वास्तुकला, चित्रकला तथा मध्ययुगीन सन्तों के धार्मिक प्रवचनों पर उनका प्रभाव पड़ा है। इस दृष्टि से हमारी राष्ट्रीय धरोहर न केवल प्राचीन समय तक सीमित है अपितु मध्ययुगीन एवम् वर्तमानकालिक प्रभाव भी इसके अंग है। यह हो सकता है कि इस्लाम तथा ईसाई धर्म के प्रभाव में पारस्परिक विरोध की उग्रता के कारण परस्पर मनोमालिन्य अधिक रहा हो किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम भारतीय इतिहास को इसकी सम्पूर्णता में स्वीकार न करें। जयप्रकाशनारायण ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए व्यक्त किया है कि किसी भी देश के भूतकालिक इतिहास से जन-समुदाय द्वारा अपने आपकी भावनात्मक दृष्टि से सम्बन्धित करने की धारणा अन्ध विश्वास की प्रतीक नहीं है। केवल पारस्परिक सद्भाव, धर्म एवम् एक दूसरे के विचारों को समझने की दृष्टि से अधिक उदार दृष्टिकोण बनाये रखने पर बल दिया जाना चाहिये। हिंसा प्रपञ्च द्वारा इस प्रक्रिया को परिवर्तित करने का अर्थ होगा राष्ट्र का विघटन एवम् साम्प्रदायिक वैमनस्य।<sup>38</sup>

व्यापक राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से एक बहुभाषा-भाषी एवम् बहु-राष्ट्रीय राज्य हिन्दू राष्ट्र की धारणा से भिन्न है। व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण धर्म, भाषा आदि भेद-भाव को स्वीकार नहीं करता और सभी को भारत का नागरिक तथा भूमिपुत्र मानता है। इसके विपरीत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक श्री गोलवलकर के विचार केवल हिन्दुओं को भारतीय स्वीकार करते हैं। मुसलमानों तथा ईसाइयों को आत्रान्ता मानते हैं। जयप्रकाशनारायण के इन विचारों का मूल उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय एतना एवम् मोक्षार्थ की दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को देश के राजनीतिक जनमत को पूर्णतः इस योग्य बनाना चाहिये कि वे हिन्दू राष्ट्र तथा मुस्लिम प्रयत्नावादी तरुणों को उभरते और भारत की एतता एवं राष्ट्रीयता को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न न करें। जयप्रकाशनारायण ने धर्मनिरपेक्षवाद को राष्ट्रवाद की अवधारणा का आधार माना है। हिन्दू राष्ट्रवाद की धारणा को आलोचना का उनका आधार यही है कि हिन्दू राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है। भारतीय राष्ट्र की धारणा में पृथक्तावादी साम्प्रदायिक तरुणों को दूर रखने की आवश्यकता है। जयप्रकाशनारायण यह मानते हैं कि हिन्दू राष्ट्र की साम्प्रदायिक एवं धार्मिक आधार पर स्थापना स्वयं हिन्दू समुदाय के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जाति व्यवस्था, मतमतान्तर तथा अस्पृश्यता के निवारण से ही हिन्दू समाज की संस्कृति को बहुधर्मी, बहुसाम्प्रदायिक भारतीय समाज में जोड़ा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता के तत्त्व के माध्यम

से राष्ट्रीयता तथा एकता की स्थापना बलवती होगी। धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए जयप्रकाशनारायण ने व्यक्त किया है कि धर्मनिरपेक्षवाद अधर्म, नास्तिकता तथा भौतिकवाद का पर्यायवाची नहीं है। भारतीय जनता जो कि अत्यन्त धार्मिक है वह ऐसे धर्मनिरपेक्षवाद का अग्रलम्बन नहीं लेगी जो धर्म को निर्मूल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षवाद को राज्य तथा सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही देखने की आवश्यकता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है फिर भी उनका उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष भारत राज्य स्थापित करने का रहा है। भारत का संविधान अमेरिका की तरह धर्म तथा राज्य के मध्य भ्रमेद्य दीवार खड़ी नहीं करता किन्तु ब्रिटिश राज्य में अधिक धर्मनिरपेक्षता का समर्पण करता है। भारतीय संविधान किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं देता। भारत राज्य का कोई राज्य-धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के प्रति उदार निरपेक्षता का परिचय देता है। संविधान में ऐसे भी प्रयोजन रखे गये हैं जिसमें सरकार धर्म से सम्बन्धित धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों का विधायी नियमन करने का अधिकार रखती है। इसी प्रकार से सामाजिक कल्याण एवं सुधार की दृष्टि से शासन ऐसे कानून पारित कर सकता है जो धार्मिक विश्वास एवं क्रिया-कलापों में हस्तक्षेप करने वाले माने जाते हों।<sup>39</sup>

जयप्रकाशनारायण ने हिन्दू राष्ट्र के समर्थकों द्वारा राज्य के धर्मनिरपेक्ष होने की आलोचना का विरोध किया है। उनके अनुसार हिन्दू राजनीतिक चिंतन में इनके ऐसे संदर्भ हैं जिनमें यह स्पष्ट होता है कि राज्य तथा धर्म को अलग-अलग रखना चाहिये। प्राचीन समय से ही भारत में हिन्दू राज्यों ने विभिन्न सम्प्रदायों को अपनी धार्मिक मान्यताएं बनाये रखने का अधिकार दिया था। धर्म के नाम पर दमन भारतीय इतिहास का अंग नहीं रहा। भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक चिंतकों द्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग किया गया है। प्राचीन भारत में चिंतन की स्वतन्त्रता इतनी अधिक रही जितनी पारश्चात्य देशों में कुछ वर्षों पहले तक नहीं थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू संस्कृति पर भारतीय राजनीति को अवस्थित करने का हिन्दू राष्ट्रवादियों का प्रयास धर्मान्धता का प्रतीक है। यद्यपि भारत के मुस्लिम समुदाय में परम्परागत इस्लाम धर्म की मान्यताओं के कारण धर्म तथा राज्य एक दूसरे से इतने गुंथे हुए हैं कि मुसलमानों द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य के साथ सामंजस्य स्थापित करना कठिन प्रतीत होता है। किन्तु प्राधुनिक विश्व की वैज्ञानिक एवम् तकनीकी मान्यताओं के कारण विश्व के मुस्लिम राज्य भी धर्म को राज्य से पृथक् करने में लगे हुए हैं।<sup>40</sup>

जयप्रकाशनारायण के अनुसार अन्य धार्मिक सम्प्रदायों में राज्य तथा धर्म सम्बन्धी विवाद इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ईसाइयों ने लम्बे समय तक संघर्षरत रहकर चर्च को धर्म से पृथक् करने में सफलता अर्जित की है। सिक्ख सम्प्रदाय भी राज्य को धर्म के अन्तर्गत मानता रहा है किन्तु शनैः शनैः उनमें भी परिवर्तन दिखाई देता है। भारत के अन्य धार्मिक समुदाय भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की मान्यता स्वीकार करते हैं किन्तु सामाजिक जीवन में धर्मनिरपेक्षवाद की प्रगति अधिक उत्साहवर्धक प्रतीत नहीं होती। इसका कारण यह हो सकता है कि हम धर्म के वास्तविक मूल्यों को भूलकर केवल रूढ़िवाद एवम् अन्ध-विश्वास में फंसे हुए हैं। आधिक विपन्नता से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या भी धार्मिक



संकीर्णता का कारण हो सकती है जिसमें जाति अथवा साम्प्रदायिकता के नाम पर अधिकाधिक प्रतियोगिता से लाभ उठाने का प्रयास किया जाता हो। यही कारण है कि भारत के अनेक शिक्षित जन, धार्मिक तथा जातीय दृष्टि से उग्र साम्प्रदायिक दृष्टिकोण रखते हैं।<sup>41</sup>

जयप्रकाशनारायण के अनुसार केवल राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना ही राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से काफी नहीं है। राज्य के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी धर्म निरपेक्षता की समान मान्यता होनी चाहिये। सामाजिक जीवन के धार्मिक तथा अधार्मिक पक्षों पर इसका तीन तरह से प्रभाव पड़ता है। (1) समाज में व्यक्ति अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए अन्य धर्मों के प्रति आदर का भाव रखें तथा उनके प्रति सहिष्णुता एवं सहभाव बनाये रखें। (2) धर्मविहीन दृष्टिकोण से सामाजिक जीवन में विवेक, नैतिकता तथा मानवीय दृष्टिकोण द्वारा सामाजिक जीवन शासित हो न कि धार्मिक एवम् साम्प्रदायिक विचारों से। (3) धार्मिक क्रियाकलाप में भी धर्म के आवश्यक तत्वों एवम् धर्म से संबंधित अमानवीय कृत्यों जैसे नर-बलि, अस्पृश्यता, जातिगत ऊंच-नीच की भावना आदि को पृथक रखा जाये। धर्म से ऐसे तत्वों को दूर करने की आवश्यकता है जो धर्म की दृष्टि से भी तर्क संगत नहीं है जैसे इस्लाम पर आधारित बहुपत्नी प्रथा। भारतीय समाज राष्ट्रवाद के साम्प्रदायिक पक्ष के प्रति जितना जागृत रहेगा उतना ही राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक शांति को बल प्राप्त होगा। भारत में ऐसे राजनितिज्ञों की कमी नहीं है जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंध-विश्वास, धार्मिक मतभेदता एवम् जातिगत द्वेष को फैलाने का प्रयास करते हैं। इसके कारण आधुनिक विज्ञानजनित जागृति की प्रक्रिया तथा प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता जो कि उपनिषद कालीन गौरव गाथाओं की प्रतीक है, सीमित हो जाती है। भारतीय एकता की प्रक्रिया मूल रूप से बौद्धिक एवं आध्यात्मिक चेतना की प्रक्रिया है।<sup>42</sup>

### समाजवाद तथा सर्वोदय

जयप्रकाशनारायण के अनुसार सर्वोदय के सम्बन्ध में अनेक व्यक्ति अहिंसा एवं न्यायिता के सम्बन्ध में काफी कुछ बातचीत करने के बाद भी सामाजिक परिवर्तन लाने में भयावुर दिखाई देते हैं। यदि सर्वोदय योजना का ध्यान से अध्ययन किया जाय तो यह केवल भावुकता प्रधान योजना न होकर सामाजिक शांति का ठोस मुद्दा है। परम्परागत समाजवादी चिंतन से बाहर यह पहला प्रयास है जो नये समाज की रचना का चित्र प्रस्तुत करता है। समाजवादी, विशेषतः से वैज्ञानिक समाजवादों, विचारकों द्वारा जिन्हें निरपेक्ष होना चाहिये तथा तन्म्यों के आधार पर विचार प्रकट करना चाहिये, सर्वोदय की योजना के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाकर उन व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिये जो सर्वोदय के कार्य के लिए अपना सर्वस्व दान दे चुके हैं। मूल रूप में सर्वोदय योजना समाजवादी दल के 80 प्रतिशत कार्यक्रमों को लिए हुए है। माघ-माघ वर्गविहीन एवं जातिविहीन समाजवाद का आदर्श भी सर्वोदय की धारणा में सम्मिलित है।<sup>43</sup>

वर्षा में 30 जनवरी 1950 को सर्वोदय योजना प्रस्तावित की गयी। यह योजना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के माध्यामों के मिश्रणों के त्रिआन्वजन के लिए प्रस्तुत की गयी थी। इसका आदर्श एक अहिंसक, कोषाग्रहित, महत्वाकांक्षी के आधार पर स्थापित समाज है जो जाति अथवा वर्ग पर आधारित नहीं होगा और सभी की समान अथवा सभी की सुविधा प्राप्त

होगी। सर्वोदय योजना में वर्तमान प्रतियोगी अर्थ व्यवस्था के स्थान पर सहयोग पर आधारित सामाजिक अर्थ व्यवस्था स्थापित की जायेगी। कृषि भूमि पर स्वामित्व का अधिकार जमीन जोतनेवाले को दिया जायेगा जो कि समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के आधार पर होगा। भूमि का पुनर्वितरण नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति निश्चित भूमि के तीन गुने से अधिक भूमि नहीं रख सकेगा। शेष अलाभकारी जोत को सहकारी फार्मों में परिवर्तित कर दिया जायेगा। बंजर भूमि पर सामूहिक कृषि की जायेगी और उन्हें कृषि योग्य बनाया जायेगा। व्यक्तिगत जमीनों पर गेती करने वाले कृषकों को ग्रामीण बहुधरो संगठनों के माध्यम से कार्य करना होगा। वर्तमान मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए 100 रुपया प्रतिमाह न्यूनतम वेतन अथवा आय के रूप में निर्धारित किया जायेगा। और उससे 20 गुना अधिक अर्थात् दो हजार रुपया से अधिक किसी की आय अथवा पारिश्रमिक राशि नहीं होगी। इस योजना में उद्योगों को केन्द्रित एवं विकेन्द्रित दो भागों में विभाजित किया गया है। केन्द्रित उद्योगों में सामाजिक स्वामित्व होगा और उन्हें स्वायत्त शासी निगमों अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया जायेगा। ऐसे केन्द्रित उद्योगों की आय पर दो हजार रुपयों की न्यूनतम मामिक आय के आधार पर मुद्रावजा देकर राष्ट्रीयकरण कर लिया जायेगा। अर्थात् मुद्रावजा इतना सीमित होगा कि वह केवल पुनर्वास के योग्य रहेगा। सार्वजनिक स्वामित्व वाले केन्द्रिय उद्योगों में कर्मचारियों को व्यवस्थापन से संबंधित किया जायेगा। विदेशी कम्पनियों को या तो समाप्त कर दिया जायेगा या उनको सार्वजनिक स्वामित्व के अन्तर्गत ले लिया जायेगा। विकेन्द्रित उद्योगों की स्थिति इससे कुछ भिन्न होगी। उन उद्योगों में उत्पादन के उपकरण व्यक्तिगत अथवा सहकारी स्वामित्व में होंगे। देश का विदेश व्यापार सार्वजनिक निगम के नियंत्रण के अधीन होगा। बैंक तथा बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध में सर्वोदय योजना में न्यूनतम कार्यक्रम व्यापक स्तर पर बचत योजना संगठित करने, कृषि तथा विकेन्द्रित उद्योगों के हित में पूंजी विनियोग को सीमित करने का रहेगा। अन्त में बैंकों तथा बीमा कम्पनियों को राष्ट्रीयकृत कर लिया जायेगा ताकि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को वृहत पूंजी के एकाधिकार के कुचक्र से बचाया जा सके। करारोपण के सम्बन्ध में सर्वोदय योजना का उद्देश्य एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था को विकसित करना है जिसके अन्तर्गत सकलित सार्वजनिक राजस्व का पचास प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा खर्च किया जा सके। शेष पचास प्रतिशत से उच्च निकायों का प्रशासन चलाया जायेगा। सर्वोदय योजना के उपयुक्त आधार निश्चित रूप से समाजवाद की ओर ले जाते हैं।<sup>44</sup>

सर्वोदय योजना का दूसरा चरण पहले चरण से अधिक सरल होगा। चूंकि इस योजना का निर्माण राजनीतियों तथा राजनीतिक दलों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं किया गया अतः यह कहना कि सर्वोदय योजना के बाद समाजवादी दल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी उचित नहीं है। यह योजना किसी भी राजनीतिक कारण से प्रेरित नहीं है। इसका एक मात्र उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का गांधीवादी कार्यक्रम देश के समक्ष प्रस्तुत करना है। किन्तु जयप्रकाशनारायण ने साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोदय योजना का क्रियान्वयन करने के लिए कार्यकर्ताओं के पास क्रियान्वयन के उपकरण उपलब्ध नहीं है। योजना के आरम्भ में कांग्रेस द्वारा इसे लागू करने का प्रयास किया गया था

लेकिन वह भाषा ही धुमिल हो गई है। यदि समाजवादी दल इस पर झमल करना चाहे तो सर्वोदय कार्यकर्ता सहर्ष उनका समर्थन करेंगे। जयप्रकाश की मान्यता है कि रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा समाजवादी दल को नये सामाजिक ढाँचे को तैयार करने के लिए एक हो जाना चाहिये। किन्तु वे शीघ्रता से यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि समाजवाद केवल सर्वोदय योजना ही नहीं है समाजवाद इससे भी अधिक है।<sup>145</sup>

जयप्रकाश नारायण ने गांधीवाद को समाजवाद का पर्यायवाची नहीं माना है। किन्तु वे दृढ़ता के साथ यह कहना चाहते हैं कि भारत में समाजवाद गांधीवाद को भुला कर नहीं लाया जा सकता। वैज्ञानिक समाजवादियों ने गांधीवाद को आधुनिक युग की आवश्यकताओं के संदर्भ में, पुरातन पंथी बतलाते हुए भस्वीकृत कर दिया है। वे गांधीवाद को मध्ययुगीन, प्रतिक्रियावादी तथा निहित स्वार्थों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित करनेवाला मानते हैं जो कि उचित नहीं है। अनेक आलोचकों ने गांधीजी के न्यासिता सिद्धान्त की मचील उड़ाई है और गांधीजी को वर्ग सहयोगी कह कर पुकारा है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार ऐसे वैज्ञानिक समाजवादी आलोचक वैज्ञानिक ही नहीं। वास्तविकता यह है कि गांधीजी प्रतिक्रियावाद से दूर एक महान सामाजिक क्रांतिकारी कहे जा सकते हैं जिनका अपना पृथक मौलिक अस्तित्व है। गांधीजी ने सामाजिक चिंतन तथा सामाजिक परिवर्तन पद्धतिशास्त्र को विशेष योगदान देकर मानवीय प्रगति एवं सभ्यता को अमरत्व प्रदान किया है। जयप्रकाश के अनुसार गांधीवाद का पहला पक्ष जो कि समाजवाद के लिए रूचि का विषय होना चाहिये वह है उसका नैतिक अथवा आचारगत आधार, उसका मूल्यों पर विशेष आधार। रूसी अथवा स्टालिनवादी समाजवादी दर्शन की व्याख्या ने समस्त चिंतन को मैकियावेली के समान सट्ट-असट्ट, भले-बुरे आदि के ज्ञान से विहीन कर दिया है। मैकियावेली के समान स्टालिनवादी दर्शन साध्य को साधन से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। उनके लिए निजी अथवा सामुहिक शक्ति ही एक मात्र साध्य है और इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए वे किसी भी साधन का उपयोग तथा दुरुपयोग करने से नहीं हिचकते। प्रत्येक साम्यवादी देश में शक्ति के लिए सपथ—जो कि साम्यवादी शक्तिशाली वर्ग में पारस्परिक रूप से होता है—ने एक सर्वाधिकारवादी समाज का निर्माण किया है जो समाजवाद के सस्थापकों के घोषित विचारों के विपरीत होते हुए सामाजिक क्रांति को दूषित करता है। ऐसे नैतिकरहित विहीन अथवा अविचार के विरुद्ध गांधीजी का राजनीतिक दर्शन समाजवादियों के लिए आत्मशुद्धि का उपचार प्रस्तुत करता है। गांधीवादी समाज व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के उन मूल्यों को नवीन सभ्यता का आधार बनाना चाहता है जिन्हे प्राप्त करने के लिए समाजवादो सालापित है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से गांधीवाद अधर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक अथवा आधिभौतिक आधार लिए हुए है जबकि समाजवादी दर्शन पूर्णतया धर्म निरपेक्ष तथा प्राकृतिक एवं भौतिक है। किन्तु जीवन में व्यवहारिक गांधीवाद समाजवाद में भिन्न मूल्यों का दुराग्रह नहीं करता। सामाजिक तथा धार्मिक समानता अर्थात् वर्ग विहीन एवं वर्गविहीन समाज, अतएव के मुक्ति, मानवीय अस्तित्व की गरिमा, सहयोग, प्रत्येक के बल्याण वा सामाजिक उत्तरदायित्व तथा प्रत्येक का समाज के प्रति उत्तरदायित्व समान रूप में गांधीवाद में विद्यमान है।<sup>146</sup>

एक समाजवादी की दृष्टि में गांधीवाद का दूसरा अत्यंत पक्ष प्राणिकी तकनीक:

को नवीन योगदान देने में है। शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने में गांधीजी के पहले केवल हिंसक साधनों का ही प्रचार था। शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग आंदोलनों तथा औद्योगिक श्रमिकों द्वारा हड़ताल एवं सामूहिक हड़ताल में प्रयुक्त होता था। इससे अधिक संघर्ष शक्ति-विहीन प्रतीत होता था। हिंसक साधनों का प्रयोग न तो सुगम था और न सलाह योग्य। अतः सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करने में असमर्थ था। महात्मागांधी की सविनय अवज्ञा एवं सत्याग्रह की पद्धति में शोषित तथा दलित मानव ने एक नयी तकनीक प्राप्त की है जो संघर्ष को शांतिपूर्ण सीमा से आगे ले जाते हुए सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन की मांग को समुचित अभिव्यक्ति प्रदान करती है।<sup>47</sup>

गांधीवाद का तीसरा पक्ष आर्थिक एवं राजनीतिक विकेन्द्रीयकरण पर जोर देने से सम्बन्धित है। वामपंथी क्षेत्र में इस पक्ष को उचित मान्यता नहीं मिली किन्तु ऐसे समाजवादी चिंतक जो श्रमिकों के लोकतन्त्र से अपनी शक्ति की तुलना नहीं करते और जो राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण से उत्पन्न विनाशक प्रभावों से परिचित हैं वे गांधीवाद के इस पक्ष की सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आर्थिक विकेन्द्रीयकरण का यह अर्थ कदापि नहीं है कि आधुनिक विज्ञान एवं प्रविधि को तिलाजलि दे दी जाये। जयप्रकाश के अनुसार यह भी नहीं है कि आधुनिक उत्पादन की तकनीकों से शोषण नहीं होता अथवा व्यक्ति का व्यक्ति पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया जाता। भारत जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए विकेन्द्रित उद्योगों का अधिक महत्व है। क्योंकि भारत में उत्पादन श्रमलाभ की दृष्टि से किया जाता है न कि पूंजीगत लाभ की दृष्टि से। यह दृष्टिकोण गांधीवादी चिंतन तथा भारत में समाजवादी पुनर्निर्माण में निकटता स्थापित करता है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार राजनीतिक विकेन्द्रीयकरण का अर्थ न तो राज्य को दुर्बल बनाने से है और न योजनाबद्ध जीवन के अभाव से। इस दृष्टि से गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक विशेष भूमिका है। उपर्युक्त तीन आधारों के अलावा भी अनेक ऐसे आधार हैं जिन पर गांधीवाद के योगदान का समर्थन किया जा सकता है।<sup>48</sup>

### साम्यवाद, समाजवाद तथा सत्याग्रह

जयप्रकाश नारायण ने साम्यवाद तथा समाजवाद का विवेचन करते हुए गांधीवादी चिंतन के सत्याग्रह के आदर्श से उनकी तुलना की है। उनके अनुसार समाजवाद तथा साम्यवाद दोनों ही असफल सिद्ध हुए हैं। जहां कहीं भी साम्यवाद सफल हुआ है उसकी परिणती राज्य पूंजीवाद तथा अधिनायकतन्त्र—जो कि साम्यवाद के प्रतिवाद है—के रूप में हुई है। समाजवाद पश्चिमी यूरोपीय देशों के संदर्भ में अपना प्राचीन आदर्शवाद खो चुका है और वह केवल संसदात्मक एवम् वैधानिक मान्यता मात्र रह गया है। इस प्रकार से हिंसा एवं संसदात्मक कार्य दोनों ही पद्धतियां विफल हुई हैं। जयप्रकाश के अनुसार गांधीवाद अहिंसक जन-आन्दोलन द्वारा क्रांति का मार्ग प्रस्तुत करता है जिसे तीसरा विकल्प माना जा सकता है। गांधीवाद का उज्ज्वल पक्ष यह है कि वह शक्ति हथियाने पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करता और न राज्य शक्ति पर निर्भर करता है। गांधीवाद सीधा जनता तक पहुंचता है, उन्हें उनके जीवन में क्रांति लाने में सहायता देता है और उनके माध्यम से समस्त समुदाय के जीवन में क्रांति का सूत्रपात करता है। राज्य शक्ति का समर्थन तभी किया जाता है जब जन शक्ति का निर्माण मुनिश्चित हो।<sup>49</sup>

उपर्युक्त दृष्टि से गांधीवादी तकनीक दल तथा वर्ग के संकीर्ण दायरे से बाहर जाती दिखाई देती है क्योंकि यह सभी दलों तथा सभी वर्गों के सदस्यों को परिवर्तित करने तथा क्रांतिकारी बनाने का उद्देश्य रखती है। समाजवाद एक वर्ग को दूसरे के विरुद्ध भड़काकर भागे बढ़ना चाहता है। किंतु गांधीवाद वर्गों के मध्य घपना मार्ग निमित्त करता है। समाजवाद एक वर्ग को अन्य वर्गों पर विजयी बनाकर वर्गों का विनाश करना चाहता है जो कि पूर्ण अताकिंक है। गांधीवाद वर्गों को एक दूसरे के निकट लाकर वर्ग भेद इस प्रकार से समाप्त करना चाहता है कि किसी प्रकार का वर्ग भेद बचे ही नहीं। समाजवाद का अंतिम लक्ष्य है राज्य विहीन समाज की स्थापना किन्तु समाजवाद राज्य को सामाजिक क्रांति का पक्षधर बनाकर सर्वशक्तिमान बना देता है। जबकि गांधीवाद समाजवाद की बात ही राज्य विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता हुआ सामाजिक प्रक्रियाओं को राज्य पर कम से कम निर्भर करने का प्रयास करता है। राज्यविहीन समाज की स्थापना तत्क्षण होनी चाहिये। भविष्य के किसी काल्पनिक समय में उसकी स्थापना का आशवासन व्यर्थ है। इस प्रकार से गांधीवाद उस क्रांतिकारी प्रक्रिया का प्रतीक है जो अन्य प्रक्रियाओं से लक्ष्य प्राप्ति में अधिक सफल हो सकती है।<sup>50</sup>

जयप्रकाश नारायण ने उपर्युक्त आधारों पर गांधीवाद तथा गांधीवादी तकनीक के गूढ़ अध्ययन का समर्थन किया है। उनके अनुसार सत्याग्रह समाजवादी धेमे में एक फैशन सा बन गया है किन्तु सत्याग्रह को कई धर्मों में एक स्वतन्त्र समतापूर्ण एवं श्रेष्ठ समाज की स्थापना का सहायक बनाने के लिए उसे दलगत संघर्षों से कलुषित नहीं करना है। यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि कोई भी शांतिपूर्ण कार्य सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। सत्याग्रह हृदय परिवर्तन की सम्भावना में पूर्ण निष्ठा पर आधारित है। यदि कोई सत्याग्रही विशेष रूप से प्रतिद्वन्द्वी के हृदय को परिवर्तित करने में असफल होता है तो उसमें सत्याग्रह की असफलता नहीं है। यह व्यक्तिगत असफलता ही मानी जानी चाहिये। इस तरह सत्याग्रह दलगत भयवा वर्गगत संघर्ष नहीं हो सकता। इसकी अपील सभी दलों तथा सभी वर्गों के लिए है। सत्याग्रही के लिए इस धादमं की प्राप्ति चाहे सम्भव न हो सके लेकिन आवश्यक बात यह है कि सत्याग्रही सत्याग्रह के धादमं को भली-भांति समझे और इसके लिए पूर्णनिष्ठा से कार्य करता रहे।<sup>51</sup>

#### सामाजिक परिवर्तन के नवीन आधार

जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवाद ने विश्व मानवता के गमक समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व एवं शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहजीवन के उच्च धादमं को प्रस्तुत किया है। किन्तु ये धादमं अभी भी दूर के स्वप्न के समान हैं। प्रारम्भ के दिनों के इस अनुमान को कि एक बार समाजवादियों के शक्ति में घाते ही गारे स्वप्न पूरे हो जायेंगे, गहनता नहीं मिली। समाजवाद के धादमं तथा मिडान्त आज विस्मृत होने के अथवा पीछे धरेन दिये जाने की स्थिति में हैं। इसका कारण समाजवादी धादमं की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किये गये दोषपूर्ण उपायों में है। समाजवाद को जीवन का प्रसार, विघ्न का एक परत तथा व्यवहार के एक नैतिक धादमं के रूप में माना गया है। किन्तु इस संदर्भ में यह भूना दिया गया है कि ऐसा उच्च धादमं सरकार के निर्देशों के बाव्य द्वारा अथवा

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा पूंजीवाद को समाप्त करने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकता। समाजवादी समाज का निर्माण मौलिक रूप में एक नीवन मानव का निर्माण है। ऐसे मानवीय पुनर्निर्माण की महत्ता को सभी ने स्वीकार किया है। किन्तु इस तथ्य की स्वीकारोक्ति के बाद भी राज्यरूपी वाहन में बैठने वालों की दौड़ निरन्तर जारी है। यह स्पष्ट है कि यदि मानवीय पुनर्निर्माण समाजवादी पुनर्निर्माण की कुंजी है और वह राज्य के क्षेत्र की पहुँच के बाहर है तो समाजवादी आन्दोलन पर जोर देने के लिए आन्दोलन को राजनीतिक कार्यों के स्थान पर पुनर्निर्माण के कार्य में परिवर्तित कर देना चाहिये। जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मानवीय पुनर्निर्माण किस प्रकार से सम्भव है। इस प्रश्न के अनेक उत्तर दिये गये हैं। कोई शिक्षा को इस कार्य के लिए उपयुक्त मानता है तो कोई और अन्यतथ्य को। शिक्षा से इस समस्या का समाधान नहीं है। जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि समाजवादी आन्दोलन एक जन आन्दोलन के रूप में मानवीय पुनर्निर्माण का कार्य करे। ऐसा आन्दोलन तभी सफल हो सकता है जब वह गैर राजनीतिक उद्देश्यों से चलाया जाये और राज्य पर आधिपत्य करने का इसका लक्ष्य न हो। क्योंकि मनुष्य के पुनर्निर्माण की दृष्टि से राज्य पूर्णतया असंगत सिद्ध होगा।<sup>52</sup>

ऐसे आन्दोलन की प्रेरक शक्ति स्वार्थों की टकराहट गद्दी हो सकती। श्रमिकों का स्वार्थ पूंजीपतियों के स्वार्थ से भिन्न होता है तथा मध्यस्थता वाले हित अपनी-अपनी दृष्टि से अपना मार्ग चुनते हैं। ऐसे समाज में अनेक मौलिक मतभेद हो सकते हैं जो इस कहावत 'बोये पेड़ बबूल का ग्राम कहा से खाये' को चरितार्थ करते हैं। अतः आन्दोलन की प्रेरक शक्ति समाजवादी मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिये। इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद की परिभाषा प्रस्तुत की है। वे समाजवादी समाज को ऐसा समाज बतलाते हैं जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपने स्वयं के हितों को समाज के व्यापक हितों के अधीन बना लेता है। इस परिभाषा में स्वेच्छक शब्द का विशेष महत्व है। मनुष्यों को अपने हितों को दूसरे के हितों के अधीन बनाने के लिए अनेक प्रकार से विवश किया जा सकता है। किन्तु ऐसे कार्य में शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। अतः बल प्रयोग से समाजवाद सीमित एवं भ्रष्ट बन जाता है। समानता, स्वतन्त्रता तथा भावृत्व तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्तियों का नैतिक विकास इतना न हो जाये कि वे स्वेच्छा से अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने के लिए तैयार हो तथा अपनी स्वतन्त्रता को अन्य सहयोगियों के अधीन बना दें। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता हो और उसकी पूर्ति में लगा रहता हो तो समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती। जब तक व्यक्ति आत्मनिर्यंत्रण का पाठ नहीं पढ़ लेता तथा ऐसे नियन्त्रण के अनुरूप अपने जीवन को नहीं बना लेता तब तक व्यक्ति तथा व्यक्ति के मध्य एवं उसके समूहों, वर्गों तथा राष्ट्रों के मध्य संघर्ष बना रहेगा। विज्ञान ने व्यक्ति के हाथ में सम्पन्न जीवन के साधन उपलब्ध किये हैं। सार्वभौमिक सुख की संभावना के मध्य मनुष्य ने ईर्ष्या, लालच तथा स्वार्थपरायणता के कारण व्यापक कष्टों का जाल बुन लिया है। विश्व शीत-युद्ध एवं युद्ध-उपलब्धि के कारण सर्वनाश के कगार पर खड़ा है। विश्व में प्रत्येक के लिए काफी धन्युं उपलब्ध है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए अधिक से अधिक प्राप्त करना

चाहता है। जयप्रकाश ने यह भय प्रकट किया है कि यदि मानव का नैतिक विकास वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के समानान्तर नहीं रहा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की नहीं है कि स्वार्थों पर परस्पर द्वन्द्व हो किन्तु सामाजिक मूल्यों पर आधारित समता की भावना लायी जाये। शक्ति की पिपासा को छोड़कर राजनीति में सहभागी बनने वाले व्यक्तियों द्वारा नये जीवन का प्रारम्भ किया जाय। समानता के उपदेश के स्थान पर समानता का प्रयोग प्रारम्भ किया जाय। वास्तविक समानता की स्थापना तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के सदस्य भावसँ के 'प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार' के आदर्श का पालन नहीं करते। यद्यपि कोई भी राज्य व्यक्ति को इस आदर्श के अनुरूप जीने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह तभी व्यवहार में आ सकता है जब मानव समुदाय स्वेच्छा से इसे स्वीकार करे। समानता का यह अर्थ नहीं है कि धनी व्यक्ति से छीन लिया जाये व निधन में बाँट दिया जाये। यदि निधन व्यक्तियों ने भ्रमियों की संपत्ति प्राप्त कर समानता साबित करने के लिए उसका स्वयं वितरण प्रारम्भ कर दिया और जीवन के वास्तविक दर्शन को नहीं स्वीकार किया तो वे स्वयं अपने मध्य असमानता के विभिन्न प्रकारों का निर्माण करेंगे। यदि निधन व्यक्तियों ने जीवन दर्शन को स्वीकार कर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और व्यापक स्तर पर उसका प्रयोग किया तो भ्रमी भी उसमें पीछे नहीं रहेंगे। यही बात समाजवाद के अन्य मूल्यों और आदर्शों पर भी लागू होती है।<sup>63</sup>

**समाजवाद की विचारवाद सम्बन्धी समस्याएँ**

जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवाद का अर्थ है नब्बे प्रतिशत व्यवहार तथा दस प्रतिशत सिद्धांत। उनके अनुसार समाजवादियों ने इस साधारण गणना को भुला दिया है। कोई भी सिद्धांत व्यवहार में प्रयुक्त होने के पश्चात् ही सत्य की कमीटी पर भ्रष्टा या बुरा बताया जा सकता है। सिद्धांत तथा व्यवहार में अन्तर्सम्बन्ध होना चाहिये। यदि इस आधार पर समाजवाद का प्रयोग किया जाये तो समाजवाद के सम्बन्ध में विचारवाद से सम्बन्धित उतनी समस्याएँ उत्पन्न नहीं होंगी जितनी दिखाई देती है। जयप्रकाश नारायण ने कुछ प्रमुख समस्याओं पर विचार व्यक्त किये हैं। जयप्रकाश के अनुसार पहली समस्या समाजवादी मूल्यों से सम्बन्धित है। मोक्षियत रुम के सफल समाजवादी उदाहरण को ध्यान में रखते हुए समाजवाद के सम्बन्ध में अनेक नये प्रश्न उत्पन्न हुए। रूस के समाजवादी संस्थापकों ने न केवल सामाजिक संरचनाओं के नियमों को ही बदना अपितु संरचनाओं को ही बदल दिया। एक नवीन धार्मिक आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना की गई है। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, श्रमिकों का सामूहिकीकरण कर दिया गया है। निजी साम की भावना को धार्मिक व्यवस्था में हटा दिया गया है। इससे जिन सामाजिक संरचनाओं एवं अन्तर्सम्बन्धों का निर्माण हुआ है वे समाजवाद के विवरण में गही नहीं बँटनी। मोक्षियत रुम को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि वह समाजवादी समाज है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समाजवाद के स्थान पर राज्य पूंजीवाद की स्थापना कर दी गयी हो।<sup>64</sup>

उपसुक्त अर्थों का कारण हुआ जा सकता है। यदि हम भावसँ के द्वन्द्वमय अर्थों में ऐतिहासिक भौतिकवाद को देखें तो हमें यह जानकर निराशा होनी चि रुम में

माक्स के विचारों के विपरीत प्रयोग हुए हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से रूस तथा अमेरिका दोनों ही समान रूप से सम्पन्न हैं किन्तु एक में पूंजीवादी समाज है और दूसरे में भिन्न प्रकार की व्यवस्था। ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने विचारवादी मापदण्ड सीमित हो चले हैं। माक्स ने इतिहास की जो व्याख्या की थी वह वही पर रूकी हुई है। यह आशा की जाती थी कि रूस में समाजवादी शासन की स्थापना के पश्चात् समाजवाद का विज्ञान आगे बढ़ेगा और माक्स का दर्शन तथा उसकी ऐतिहासिक व्याख्या को आगे बढ़ाया जायेगा। किन्तु विडंबना यह है कि रूस में इतिहास को बनाने के स्थान पर उसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। यदि सत्य से आँख मूँद ली जाये तो किसी भी तरह की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकती।<sup>55</sup>

इसी प्रकार से रूस में सत्ता की स्थापना के पश्चात् साम्यवादी दल के अन्दर ही सत्ता के लिये भयंकर संघर्ष होता रहा है। यही स्थिति उन समाजवादी देशों की भी है जो स्टालिनवादी साम्यवाद के अन्तर्गत बने थे। इससे एक गंभीर समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि साम्यवादी दल उच्च आदर्शों के स्थान पर शक्ति की राजनीति का मोहरा बन गया है। किसी भी साम्यवादी देश में राज्यविहीन समाज की स्थापना नहीं हुई है। रूस ने अब इस आदर्श का नाम लेना ही बन्द कर दिया है। साम्यवादी दलों में शक्ति की होड़ के कारण दलों का नैतिक अवमूल्यन प्रारम्भ हो गया है। आज माक्सवाद का सामान्यतः स्वीकृत दर्शन नैतिकता विहीन हो चला है। साम्यवाद ने व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पर्यावरण को बदलने का प्रयास किया है किन्तु व्यक्ति को अछूता छोड़ दिया है। व्यक्ति की प्रकृति में निहित बुराईयों ने अपनी जड़े और गहरी कर ली है जिससे सामाजिक पुनर्निर्माण का कार्य जटिलतम हो गया है। भारत में व्यक्ति के विकास के लिए उसके पर्यावरण को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। गौतम बुद्ध ने मानवीय कष्टों का कारण मानवीय इच्छाओं को बताया है। उन्होंने आत्म संस्कृति की ऐसी व्यवस्था विकसित की जिससे व्यक्ति की मानवीय प्रकृति स्वतः परिवर्तित होने लगे और अपने कष्टों के निवारण के लिए व्यक्ति अपनी तृष्णाओं पर नियन्त्रण रख सके। किन्तु यह प्रयास भी एकांगी दिखाई देता है—ठीक उसी प्रकार से जैसे कि समाजवादी देश पर्यावरण को परिवर्तित करना चाहते हैं किन्तु व्यक्ति को भूल जाते हैं। बुद्ध ने दुःख का कारण तृष्णा को बतलाया। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक पर्यावरण से उत्पन्न कष्टों का निराकरण प्रस्तुत नहीं किया। उदाहरण के लिए यदि दो बालक विश्व में उत्पन्न होते हैं—एक निर्धन परिवार तथा दूसरा सम्पन्न परिवार में तो इन दोनों मानवीय व्यक्तियों के कष्टों का कारण उनकी स्वयं की प्रकृति न होकर वह सामाजिक पर्यावरण है जिसमें वे रह रहे हैं। अतः व्यक्ति तथा उसके सामाजिक पर्यावरण में ताल-मेल बैठाने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुशासित नहीं किया जाता तब तक सभी सामाजिक प्रयोग असफलता की ओर ही बढ़ते रहेंगे।<sup>56</sup>

समाजवादी आन्दोलन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। यद्यपि साम्यवादी एक नये समाज, वर्गविहीन तथा राज्यविहीन समाज, स्वतन्त्र तथा समान व्यक्तियों के समाज के विचार को लेकर आगे बढ़े हैं किन्तु वे अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। साम्यवाद की पूर्ण स्थापना होनी शेष है। यदि हमारे वर्तमान काम हमारे समक्ष आदर्श के अनुरूप



हैं तो हम भविष्य में भी भ्रादरंश को प्राप्त कर सकेंगे। यदि इसके विपरीत हमारे वर्तमान मूल्य अंतिम मूल्यों से मेल नहीं खाते तो हम द्वन्द्वत्मक विलोम के शिकार हो जायेंगे। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक भ्रान्दोलन में धार्मिक, राजनीतिक तथा समाजिक कार्यक्रम के साथ साथ मूल्यों के प्रश्न से सम्बन्धित कार्यक्रम भी सम्मिलित किये जायें। जयप्रकाश के अनुसार भ्रगली समस्या समाजवादी समाज के विकास के उचित राजनीतिक ढाँचे की हैं। यदि समाजवाद के प्रसिद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया जाय तो उससे ऐसा प्रतीत होगा कि मावसं, एंजिल्स, कॉत्स्की, लेनिन आदि किसी भी चिन्तक ने समाजवादी समाज की राजनीतिक विशेषताओं का विस्तृत विवरण, प्रस्तुत नहीं किया है। मावसं तथा एंजिल्स पूंजीवादी समाज के विश्लेषण तथा पूंजीवाद के अन्त पर उत्पन्न सामाजिक समाज के विवरण तक ही सीमित रहे। राजनीतिक दृष्टि से समाजवाद रूसी राजनीतिक व्यवस्था द्वारा ही सामने आया है। आज रूस में एक ऐसी संरचना है जो एकदलीय अधिनायकत्व के रूप में जानी जाती है।<sup>57</sup> एक ऐसा दल है जो सीमित सदस्यता लिये हुए है, जिसमें समय समय पर सदस्यों का दमन होता है तथा जिसमें लोकतन्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस एकदलीय अधिनायकत्व में पूर्ण नीकरशाही राज्य की स्थापना की गई है जो कि अतिक्रम के राज्य के अन्तरूप नहीं है और न उसे जनता का राज्य ही कहा जा सकता है। इन कारणों से रूस का राजनीतिक संगठन समाजवादी भ्रान्दोलन की दृष्टि से विश्व में मान्य नहीं रहा। हमें इससे भिन्न प्रकार की संरचना का पता लगाना होगा। जयप्रकाश के अनुसार कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में जैसे—स्वीडन अथवा फिनलैंड में समाजवादी सरकारें समाजवादी सरकार की स्थापना का प्रयास कर रही हैं। यह कार्य संसदारत्मक लोकतन्त्र के ढाँचे के अन्तरूप किया जा रहा है। ऐसे देशों में हो सकता है कि ब्रिटेन के समान समाजवादी दल कुछ वर्षों तक शक्ति में रहकर पुनः जनता के मत द्वारा शक्ति छो दें। एशिया के कई समाजवादी इसे समाजवाद की असफलता बताते हैं, इसका कारण यह है कि वे यह चाहते हैं कि एक बार समाजवादी दल शक्ति में आ जाने के बाद निरन्तर सत्ता में बना रहे चाहे उसके लिए कोई भी उपाय काम में क्यों न लिया जाय। राजनीतिक लोकतन्त्र में ऐसा नहीं हो सकता। वहा तो सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए प्रत्येक को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी। यह हो सकता है कि समाजवाद ध्यत्तियों के हृदय में ऐसा स्थान बना ले कि समाजवादी दल निरन्तर सत्ता में बना रहे और सामाजिक पुनर्निर्माण के निर्विरोध अथवा सरो का लाभ उठा सके। ऐसी स्थिति में भी बुजुर्ग उदारवाद की राजनीतिक संरचनाओं को बनाये रखने के स्थान पर बदलने की आवश्यकता प्रतीत होगी। केवल प्रतिनिध्यात्मक शासन काफी नहीं है। धार्मिक तथा राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में जनता को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिये। आज पश्चिम के समाजवादी भी राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण की समस्या में परिचित हो रहे हैं ताकि जनता स्वयं अपने कार्यों के प्रशासन में सहयोगी बन सके। यह सम्भव नहीं है कि एक समाजवादी संसद समाजवादी मन्त्रीमण्डल के माध्यम से देश पर शासन करती रहे। इसके लिए नीचे के स्तर से जनता का शासन में सहयोग तथा प्रत्यक्ष सहभागिता होना आवश्यक है।<sup>58</sup>

हमारे सामने समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था का एक अन्य उदाहरण दुर्गोस्लाविया

का है जो विकास की प्रक्रिया में है। युगोस्लाविया में साम्यवादी दल का शासन रहा है। वहां पर भी एकदलीय राज्य है लेकिन वहां के साम्यवादी यह चाहते हैं कि एकदलीय शासन को शीघ्रता से समाप्त कर दिया जाय और मास्को जैसी रूढ़िवादिता को समाजवादी आन्दोलन से दूर कर दिया जाये। रूढ़िवादिता से तात्पर्य है रूस का मावसंवाद-लेनिनवाद के एकमात्र व्याख्याकार होने का दम्भ। वास्तविकता यह है कि हममें से प्रत्येक इस सूक्ति को मानते हैं कि बिना लोकतन्त्र के समाजवाद कायम नहीं रह सकता और न लोकतन्त्र समाजवाद के बिना पूर्ण है। युगोस्लाविया में इसी सूक्ति के अनुसार जन समितियों के माध्यम से जनता द्वारा शासन के कार्य को साम्यवादी दल ने स्वीकार किया है जिसमें श्रमिकों तथा कृषकों को पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया है। उनकी यह धारणा है कि एक बहुदलीय व्यवस्था समाजवादी राजनीति की पूर्ति नहीं कर सकती। अतः एक नवीन राजनीति की संरचना की आवश्यकता है जहां समाजवाद का लक्ष्य जनता द्वारा स्वीकार कर लेने के पश्चात् एक अथवा अनेक दलों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार बहुदलीय राज्य के स्थान पर दलविहीन राज्य की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। यदि राज्य का तिरोहित होना अनिवार्य है तो दल को तिरोहित होना पड़ेगा। इसके लिये दल के उद्देश्यों को इतना प्रचलित, लोकप्रिय तथा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होना पड़ेगा कि दल की महत्ता ही समाप्त हो जायेगी। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस मत को स्वीकार नहीं किया कि दलों के समाप्त होने के पश्चात् एक ही विचारधारा वाले व्यक्ति समान उद्देश्य लेकर चलेंगे। इंग्लैंड में अनुदार तथा उदार दल पूंजीवादी समाज का उद्देश्य लेकर चलते हैं तथा अमेरिका के रिपब्लिकन तथा डिमोक्रेटिक दल द्वारा सुले व्यापार की नीति का समर्थन किया जाता है। अर्थात् समान उद्देश्य को लेकर चलनेवाला देश भी दो दलों में विभाजित दिखाई देता है। अतः यह कहना कि समाजवाद को जन स्वीकृति मिलने के पश्चात् सारा समाज एक ही नीति का अनुसरण करेगा, उचित प्रतीत नहीं होता। जयप्रकाश के अनुसार समाजवाद को लोक कल्याणकारी मानने के साथ साथ लोकतन्त्र को भी अनिवार्य रूप से स्थापित करने की आवश्यकता है। लोकतान्त्रिक पद्धति से शासन में आने के पश्चात् समाजवादी समाज में भी बहुदलीय व्यवस्था रहेगी। चाहे बहुदलीय व्यवस्था ही अथवा दलविहीन व्यवस्था ही जनता के लिए स्वशासन की स्थापना मूलभूत समस्या के रूप में सामने होनी चाहिये। इसके लिए राज्य को विकेंद्रित करना अनिवार्य होगा।<sup>59</sup>

जयप्रकाश नारायण के अनुसार तीसरी समस्या समाजवादी समाज की आर्थिक संरचना से संबंधित है। मावसंवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों के अनुरूप ही आर्थिक संरचना की स्थापना होती है। यदि रूस में राज्य समाजवाद जैसी स्थिति है तो उसका अर्थ यह है कि वहां की आर्थिक संरचना में कोई कमी अवश्य है। उस कमी का कारण केन्द्रीयकरण, नौकरशाही की प्रवृत्ति, औद्योगिक लोकतंत्र की कमी, उद्योगों के व्यवस्थापन में श्रमिकों के सहभागी होने की कमी, संक्षेप में आर्थिक प्रक्रियाओं पर लोकप्रिय नियंत्रण की कमी सर्वव्याप्त है। रूस में आर्थिक कार्यक्रम की दृष्टि से उद्योगों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर लिया गया फिर भी समाजवाद स्थापित नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीयकरण की नीति में कोई राष्ट्रीयनीति निहित है। उदाहरण के तौर पर भारत में रेलवे के समान

यदि अन्य उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये तब भी समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकेगी। नौकरशाही का बोलबाला हो जायेगा, शोपण बढ़ेगा, भ्रतिरिक्त मूल्य का समान वितरण नहीं हो पायेगा जैसा कि भारत की रेल व्यवस्था से स्पष्ट है। निजी क्षेत्र में रेलों के संचालन तथा राज्य द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में रेलों के संचालन में एक ही अन्तर है कि पहली वाली व्यवस्था में प्रशासनिक बोर्ड सामेदारों के प्रति उत्तरदायी था तो दूसरी व्यवस्था में वह केन्द्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी है। प्रशासकीय बोर्ड में नौकरशाही का बोलबाला है। रेल विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की नीचे के स्तर से लेकर रेलवे बोर्ड तक प्रशासन में कोई वाणी नहीं है। रेलवे के संचालन में भी उनकी कोई आवाज नहीं। वेतन संरचनाओं में भी पूंजीवादी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है जहां कि न्यूनतम वेतन तथा अधिकतम वेतन में इतना अन्तर है कि जितना शायद पूंजीवादी व्यवस्था में भी नहीं होगा। उपयुक्त स्थिति रूस में भी अल्पाधिक रूप में विद्यमान है। वहां भी उद्योगों के प्रशासन में उपभोक्ता एवं उत्पादकों का नियंत्रण नहीं है और न वे लाभ के वितरण पर नियंत्रण रख सकते हैं। नौकरशाही दल की सर्वोच्चता, उद्योग, सेना, सामूहिक कृषि आदि सभी प्रश्नों का विनिश्चय करती है। अतः यह सोचने की आवश्यकता है कि समाजवादी समाज किस प्रकार से नौकरशाही तथा केन्द्रीयकरण को समाप्त कर सकेगा और उत्पादक तथा उपभोक्ताओं को उद्योगों के व्यवस्थापन में सामेदार बना सकेगा। श्रमिकों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक वितरित हो यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका निराकरण विकेन्द्रीयकरण के अनाया संभव नहीं है।<sup>60</sup>

जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवादी समाज की आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर स्वामित्व का विकेन्द्रीयकरण करना लाभप्रद हो सकता है। केन्द्रीय सरकार के हाथों में सारी आर्थिक संरचना का दायित्व सौंप देना किसी भी दृष्टि से लाभप्रद नहीं हो सकता। अन्यथा पूंजी का केन्द्रीय सरकार के हाथों में केन्द्रीयकरण राजनीतिक अधिनायकवाद के साथ साथ आर्थिक अधिनायकतंत्र की भी स्थापना कर देगा। एशिया के देशों के लिए आर्थिक प्रगति प्राप्त करना सीमित पूंजी की समस्या के कारण कठिन हो गया है। उत्पादन कम होने के कारण पूंजी के निर्माण तथा उपभोग की मात्रा दोनों ही कम है। यदि ऐसी स्थिति में एशिया के राज्य अधिनायकतंत्र के द्वारा आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहें तो अधिनायकतंत्रीय व्यवस्था उत्पादकों से अधिक से अधिक भ्रतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करेगी। औद्योगीकरण के लिए कच्चे माल तथा वस्तुओं की आवश्यकता होंगी। कृषकों की दृष्टि से जितना अनाज उत्पन्न किया जायेगा वह कृषकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ सामाजिक पुनर्निर्माण दोनों की दृष्टि से काफी नहीं होगा। यदि अधिनायकतंत्रीय व्यवस्था होगी तो राज्य कृषकों का उत्पादन अपने हाथों में लेगा और कृषकों भूगर्भ मरने लगेगा। अनाज की कृषि स्थिति बनाकर राज्य के प्रचार माध्यमों से जनता को आश्चर्य बन्धुओं से विमुक्त कर राज्य स्वतंत्र गति से आर्थिक प्रगति कर सकती है किन्तु ऐसी आर्थिक प्रगति भी सीमित होगी क्योंकि जनता मन-ही-मन दमन एवं कुंठा प्रस्त होगी। औद्योगिक कृषि में अनाज जानेवाले क्षामन में आर्थिक विकास के लिए ऐसे नियंत्रण स्थापित नहीं किये जा सकते। यही कारण है कि एशिया के राज्यों में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना अनाज के

से विकेन्द्रित होती हुई दिखाई देती है।<sup>61</sup>

आर्थिक संरचना की समस्या के साथ-साथ एक और समस्या जुड़ी हुई है वह समस्या है समाजवाद के धर्मियों, कृषकों, मजदूर तथा कृषक संगठनों के संबंध की। रूस में इन संगठनों का महत्व उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करने का है। एशिया में ऐसे लोग ट्रेड यूनियनों में हैं जो मध्यमवर्ग से संबंधित होने के कारण सही अर्थों में मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते। राजनीतिक दल मजदूरों का संगठित समर्थन प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और भी पक्ष है और वह यह कि एशिया में समाजवाद की स्थापना के लिए केवल धर्मियों पर निर्भर नहीं किया जा सकता। कृषकों को साथ में लिए बिना समाजवाद की स्थापना असम्भव है। कृषकों का समर्थन तब ही प्राप्त हो सकता है जब उनकी आवश्यक मांगें पूरी की जा सकें। सामन्तवाद को समाप्त करके जब तक कृषकों को भूमि प्रदान नहीं की जायेगी और भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण नहीं होगा तब तक कृषक प्रसन्न नहीं होंगे। इससे भूमि के स्वामित्व के कारण एक नया वर्ग उत्पन्न होगा जो समाजवादी आन्दोलन का प्रबल समर्थक होगा। यह वर्ग सशस्त्र क्रांति अथवा चुनाव दोनों में समर्थन देगा। यदि स्थिति को ठीक से समझ लिया जाये तो समाजवादी समाज में आर्थिक संगठन की हमारी अवधारणा अन्य देशों से संबंधा भिन्न दिखाई देगी।<sup>62</sup>

जयप्रकाश नारायण के अनुसार हम कृषक वर्ग को धोखे में नहीं रख सकते। यह नहीं हो सकता कि पहले हम उसे जमीन दें और फिर उससे समर्थन प्राप्त करने के बाद सामूहिक खेती के नाम से उससे जमीन वापस छीन लें। इस प्रकार से समाजवाद नहीं आ सकता। भले ही एक नये प्रकार का अधिनायकवाद स्थापित हो जाय। छोटे किसान को जो कि गांवों में रहता है और अपने भूखण्ड से भावनात्मक दृष्टि से बंधा हुआ है उसे समाजवादी बना कर ही समाजवादी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया जा सकता है। भारत के सैकड़ों गांवों में समाजवाद लाने के लिए एक ही तरीका है कि किसानों की भूमि को एक साथ जोटा जाय और समस्त भूमि का राष्ट्रीयकरण अथवा ग्रामीणकरण कर दिया जाय। भूमि का स्वामित्व गांव के समस्त समुदाय में होना चाहिये न कि राज्यरूपी विचारात्मक अथवा राष्ट्ररूपी भावनात्मक इकाई में। ग्रामीण किसान को किसी ठोस संस्था के प्रति जिसका कि वह भाग है अपनी भूमि सौंपने में अनिच्छा नहीं होगी। सोवियत रूस का अनुभव यह बतलाता है कि सामूहिकीकरण नीकरशाही के हाथ में शोषण का एक यन्त्र बन गया है। रूस ने गांव में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध को समाप्त करने की दृष्टि से ग्रामीण जनसंख्या को कस्बों में और कस्बों की जनसंख्या को गांवों में भेजने का प्रयास किया ताकि नीकरशाही कृषकों पर शासन कर सके और कृषकों के व्यक्तिगत मानवीय सम्बन्धों के लिए कोई सम्भावना न रहे। रूस की व्यवस्था अपनाने का यही परिणाम होगा।<sup>63</sup>

जयप्रकाश के अनुसार संघर्ष करने की तकनीक भी समाजवादी विचारवाद का एक अंग है। और इसके सम्बन्ध में अनेक विवाद हैं। हम सभी चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक समाज के लिए लोकतांत्रिक साधनों का प्रयोग किया जाय। यदि लोकतांत्रिक तरीके सम्भव न हों तब तो बात दूसरी है अन्यथा हमारा कार्य लोकतांत्रिक होना चाहिये। हमें हिंसा का

प्रयोग नहीं करना चाहिये। लोकतांत्रिक साधनों से अभिप्राय केवल संसदात्मक पद्धति से नहीं है। इसका अर्थ व्यापक जन आन्दोलन से है जो कि अहितक हो। ऐसा आन्दोलन असंवैधानिक होने पर भी यदि शान्तिपूर्ण है तो यह हिसक आन्दोलन से कई गुना अच्छा ही है। जनता का सच्चा समर्थन प्राप्त करने के पश्चात् जन आन्दोलन चलाने में जनता का सदैव समर्थन प्राप्त होता रहेगा। ऐसे समाज की स्थापना के लिए अनेक समस्याएँ सामने आ सकती हैं। उदाहरण के लिए भूमि के पुनर्वितरण की समस्या। इस समस्या का तीन प्रकार से समाधान किया जा सकता है। प्रथम, समाजवादी दल के शाक्ति में आने तथा इस सम्बन्ध में व्यवस्थापन करने से, द्वितीय, किसानों द्वारा हिसक आन्दोलन करने अथवा भूमिहीन श्रमिकों द्वारा भूमि पर अधिकार प्राप्त करने से चाहे वह सफल हो अथवा नहीं, तृतीय, किसानों द्वारा उन भूखण्डों पर अधिकार करने के लिए शान्तिपूर्ण जन आन्दोलन करने से। भूमि के पुनर्वितरण की समस्या समाजवादियों के सत्ता में आने से आसानी से हल हो जाती है लेकिन जहाँ समाजवादियों का शासन न हो वहाँ कृषकों को सँकड़ों तथा सहस्रों की संख्या में शान्तिपूर्ण जन आन्दोलन चलाना होगा और शासन द्वारा सभी प्रकार के दमनात्मक उपायों का प्रयोग होने के बाद भी कृषकों का मनोबल नहीं टूटना चाहिये। कृषकों को छोटे-मोटे हिसक क्रान्तिकारियों की सहायता से भूमि पर अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इस आन्दोलन की अन्त में समाजवादी शासन की स्थापना में परिवर्तित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी के शान्तिपूर्ण आन्दोलनों से प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। गांधीजी की सफलता भूमि के सम्बन्ध में तथा भूमि के तथा समाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में चलाये जाने वाले आन्दोलन का मार्गदर्शन कर सकती है। अतः शान्तिपूर्ण सघर्ष करके समाजवाद की स्थापना हो सकती है तथा राज्य, पूँजीपतियों एवं शोषक वर्गों के विरुद्ध सघर्ष में विजय प्राप्त हो सकती है।<sup>61</sup>

भूमि के पुनर्वितरण के सम्बन्ध में जयप्रकाश ने विनोबा भावे द्वारा चलाये जाने वाले भूदान आन्दोलन की चर्चा की जो अपने आप में एक पूर्णतया नयी तकनीक है। विनोबा ने कहा है कि भूमि जोतने वाले की होनी चाहिये न कि जमींदार की। किन्तु यह कार्य प्रेम के माध्यम से किया जाना चाहिये न कि हिंसा के द्वारा। विनोबा ने गाँव-गाँव पदयात्रा करके अतिरिक्त भूमि के स्वामियों को यह भूमि, भूमिहीनों में वितरित करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार से जमींदारों तथा पूँजीपतियों का हृदय परिवर्तन कर हमारे एकड़ भूमि पुनर्वितरित की गयी है। इस आन्दोलन की विशेषता यह है कि दृग्गम्य स्थितियों के हृदय में अपने अधिकारों की पूर्ति की भावना जागृत होती है और वे नया धर्म विश्वास प्राप्त करते हैं। यदि भूमि पर अधिकार करने के लिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन भी चलाये जायें तो उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी जितनी भूदान आन्दोलन में दृग्गम्य स्थितियों के माध्यम से प्राप्त हुई है। सघर्ष करने में संपर्ष की सफलता का भी भय रहता है चाहे यह शान्तिपूर्ण ही क्यों न हो। किन्तु भूदान आन्दोलन में सफलता एवम् विनाश का कोई स्थान नहीं है। जयप्रकाश ने भारत में समाजवाद की स्थापना की दृष्टि में इस प्रयोग पर अमल करने तथा भारत में शोषण एवं अमानवता का अन्त करने के लिए समाजवादो मुक्तिवीरों का आह्वान किया है। उनकी यह धारणा है कि भारत में मुट्ठी भर छठी शक्तियों के हाथ में घादिक एवं राजनीतिक शक्ति का जो शोषणकारी केन्द्रितकरण हो

किया है कि मानवीय प्रकृति क्या है यह कहना कठिन है किन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि मानव जैसी प्रकृति का निर्माण करना चाहे वैसी प्रकृति बन सकती है। सम्य व्यक्ति उत्पन्न नहीं होता, वह प्रशिक्षण से सम्य बनता है। यदि समाजवादी दल का लक्ष्य केवल अच्छा खाना खाने वाले, अच्छे कपड़े पहनने वाले तथा अच्छी तरह से रहने वाले पशु उत्पन्न करने का नहीं है अपितु अच्छे व्यक्ति उत्पन्न करने का है तो हमें कतिपय नैतिक मूल्यों को स्वीकार करना होगा।

राजनीति का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है। क्योंकि शक्ति ही राजनीति का सार बन जायें तो भले बुरे सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग सुलभ किया जायेगा और राजनीति, भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन जायेगी। ऐसे वातावरण में कोई भी दल समाप्त हो सकता है। मानव की दृष्टि से यह स्वाभाविक ही है कि व्यक्ति अपने प्रभाव एवं व्यक्तित्व में वृद्धि की कामना करे किन्तु शक्ति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अपने कार्य तथा सेवाओं के बल पर यदि व्यक्ति ऊँचा उठता है तो उसमें कोई हानि नहीं है। जिन व्यक्तियों को राजनीति केवल शक्ति राजनीति ही दिखाई देती है वे इस भ्रान्ति के शिकार हैं कि राज्य ही सामाजिक भलाई का एकमात्र उपकरण है। वे राज्य पर अधिकार कर समाज की सेवा करना चाहते हैं तथा अपनी इच्छानुसार सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।<sup>69</sup> जयप्रकाश नारायण ने इस मत का पूरी तरह से खंडन किया है। उनके अनुसार कांग्रेस ने राज्य पर अधिकार जमा रखा है किन्तु यह प्रत्येक कांग्रेसी जानता है कि यदि कांग्रेस ने राज्य पर अधिक निर्भर किया और सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के हर कार्य के लिए राज्य का सहारा लिया तो कांग्रेस समाप्त हो जायेगी। संसदात्मक तंत्र से अलग होकर स्वतंत्र रूप से समाज एवं राज्य की सेवा के बिना जनहित का रक्षण नहीं हो सकता। फासीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही प्रकार के सर्वाधिकारवादी देशों ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य की सामाजिक पुनर्निर्माण का एजेन्ट मानकर सिवाय दमनयुक्त समाज के और कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसे समाज में राज्य सर्वशक्तिमान होकर लोकप्रिय सांभेदारी खो देता है और व्यक्ति राज्यरूपी अमानवीय मशीन का पुर्जा मात्र रह जाता है। ऐसे समाज की स्थापना का उद्देश्य निरर्थक है। हमें ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी समाज का विकास करना है जिसमें उपयुक्त कमियाँ न हों।<sup>70</sup>

लोकतन्त्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि व्यक्ति राज्य पर कम से कम निर्भर करे। गांधी तथा मार्क्स दोनों के अनुसार लोकतन्त्र का सर्वोच्च स्वरूप वह है जिसमें राज्य तिरोहित हो जाये। सर्वाधिकारवाद लोकतन्त्र का पूर्वगामी नहीं हो सकता है। लोकतन्त्र के पूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि जनता विभिन्न प्रकार के आर्थिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों में भाग ले। ऐसी लोक संस्थाओं की स्थापना की जाये जिससे व्यक्ति आत्म निर्भर होकर अपने स्वयं के कार्यों तथा अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कटिबद्ध रहे। इसके लिए आवश्यक हैं कि ऊँच नीच का भेद भुलाकर एक ऐसे श्रमिक संगठन की स्थापना की जाये जो स्वयं उद्योगों का संचालन कर सके, श्रमिकों को नागरिकता के गुणों में दीक्षित किया जाये, गांधी में सहकारिता समितियों की रचना की जाये। युवा वर्ग तथा बालकों को स्वेच्छिक संघों द्वारा राष्ट्रीय सेवा करने के

लिए प्रेरित किया जाये, समाज के पिछड़े से पिछड़े वर्ग में ऐसे सांस्कृतिक प्रभाव उत्पन्न किये जायें कि उनमें भी जाग्रति उत्पन्न हो जाये। यदि हम जाति, अंधविश्वास तथा साम्प्रदायिकता को समाप्त करने में सफल हो जायें, यदि शक्ति के आकर्षण से दूर राष्ट्र की सेवा में लगे हुए सहस्रों लोकसेवकों का सहयोग प्राप्त करने में सफल हो जायें तो समाजवादी समाज के निर्माण करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। इस स्थिति में राज्य स्वतः समाजवादी राज्य बन जायेगा और अपनी पूर्व निर्धारित भूमिका का निर्वाह करने लगेगा। राज्य समाजवादी आन्दोलन के हाथों में एक उपकरण मात्र रह जायेगा क्योंकि व्यक्ति जीवन के उस समाजवादी मार्ग का स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसरण करेगा जिसमें राज्य सत्ता तथा इच्छा का स्रोत नहीं रहेगा।<sup>71</sup>

### सर्वोदय दर्शन :

जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय निर्वाचन की पद्धति, दलीय संगठन तथा लोकतन्त्र की शैली को स्वीकार नहीं करता है। सर्वोदय इससे भी एक कदम आगे बढ़कर प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में तथा जनता के स्वावलम्बन में विश्वास रखता है। सर्वोदय केन्द्रीय नियंत्रण तथा दलीय सरकार के स्थान पर स्वतन्त्र शासन की स्थापना करना चाहता है। गांधीजी ने भी कांग्रेस दल से जनता की सेवा में पूर्णतया अपने आपको लगा देने की इच्छा व्यक्त की थी। एक भविष्यदृष्टा के रूप में गांधीजी ने आगे जाने वाली परिस्थिति का पूर्वाभास प्राप्त किया था। वे कांग्रेस संगठन को अहिंसक समाज की स्थापना में प्रयुक्त करना चाहते थे। वे ऐसा सर्वोदय समाज स्थापित करना चाहते थे जो रस्किन के अण्ड विस सास्ट में व्यक्त विचारों के अनुसार हो। वे चाहते थे कि कांग्रेस सभी प्रकार के शोषण तथा असमानता को समाप्त करने का कार्य करे। यही कारण था कि गांधीजी कांग्रेस दल को राजनीतिक शक्ति से दूर रखना चाहते थे ताकि अहिंसा का प्रयोग निर्विवाद चलता रहे। जयप्रकाश के अनुसार यदि कांग्रेस ने गांधीजी की सलाह मान ली होती और अपने आपको केवल समाजसेवा करने तक ही सीमित रखा होता तो इस देश में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती जो राजनीतिक शक्ति को अपने अधीन कर लेती। लोककल्याणकारी राज्य में नीकरशाही सर्वशक्तिमान हो जाती है। लोकतन्त्र तभी प्रभावित रहता है जब व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित वर्ग हो जो बिना किसी लोभ, लालच व मोह के जन कल्याण की भावना से संगठित होकर अपनी शक्ति का परिचय दे। यह विचार उन व्यक्तियों के लिए महत्त्व नहीं रखता जो यह मानकर चलते हैं कि राजनीतिक शक्ति के बिना कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि शक्ति को प्राप्त करने के लिए पागलों की भीड़ उमड़ पटी है। सेवा करने का लक्ष्य भुला दिया गया है। किन्तु भूदान ने एक नया मार्ग दिखाया है। भूदान कार्यक्रमों को सभी प्रकार के भुलावों से दूर रहना होता है। यह एक दलविहीन संगठन है। सभी दलों को इसमें सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता है। भूदान के मंच का उपयोग दलीय प्रचार के लिए भी नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो सेवा करना चाहता है। यह एक ऐसी जनशक्ति निर्मित करना चाहता है जो बानूब में भी स्थापित नहीं हो सकती। यह अहिंसक परसक को दाम्प्य सोशलिज्म में सम्मिलित होने पर जोर देती है। जनता को जाग्रत करने, स्वावलम्बी बनाने तथा अपने स्वयं के वारं में गोपने विचारने की स्थिति पर ध्यान

दिया गया है। ग्राम पंचायतों को ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित सभी विषयों पर विचार करने की क्षमता प्राप्त होनी चाहिये। यदि भारत के पाच लाख गांव इस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अपना लें तो वे स्वतन्त्रता की ज्योति का अनुभव करने लगेंगे।<sup>72</sup>

जयप्रकाश के अनुसार स्वायत्तशासी ग्रामीण गणतन्त्रों के विचार को अपने आपकी क्रान्तिकारी कहने वाले व्यक्तियों द्वारा यूटोपियावादी माना गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि बिना विकेन्द्रीयकरण के सत्ता निम्नतम इकाई तक नहीं पहुंच सकती। राजनीतिक दलों द्वारा यह कार्य सम्पादित नहीं हो सकता क्योंकि वे स्वयं केन्द्रीयकरण की नीति पर सगठित होते हैं। दल में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति ही महत्वपूर्ण दलीय प्रश्नों को निर्धारित करते हैं। और वे दल को अपनी स्वार्थपूर्ति का साधन बना लेते हैं। रूस में क्रान्ति की सफलता के बाद सोवियतों को शासन की इकाई माना गया और यह अपेक्षा की गयी थी कि उनमें ही वास्तविक शक्ति निहित होगी किन्तु ऐसा नहीं हुआ। स्वावलम्बन से ही स्वतन्त्रता की रक्षा हो सकती है। प्रत्येक क्षेत्र की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति उस क्षेत्र द्वारा ही पूरी होनी चाहिये। विभिन्न क्षेत्र पारस्परिक लेन-देन से एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हमने कस्बों के लिये ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं बनाई। इसका यह परिणाम हुआ कि कस्बों में सामुदायिक जीवन जैसी स्थिति ही नहीं। दो पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हमें सबसे पहले सामुदायिक जीवन का सृजन करना होगा। नगरपालिकाओं को अपने कार्यों का सफाई, विजली तथा पानी की सप्लाई से प्रथम विकास करना होगा और अपने आपको नागरिकों की उन तात्कालिक समस्याओं जैसे बीमारी, बेरोजगारी, ग्रामीण उद्योग आदि से सम्बन्धित करना होगा। तभी उन्हें स्वशासन की वास्तविक इकाईयां माना जायेगा। इनमें प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का भी प्रयोग किया जा सकता है।<sup>73</sup>

आजकल निर्वाचन केवल बहुमत को प्राप्त करने की तकनीक मात्र रह गया है। इसके द्वारा लोकमत का मापन किया जाता है। चूंकि हमारा देश निर्धन है हम खर्चीली चुनाव व्यवस्था का उपयोग नहीं कर सकते। जब तक चुनाव की पद्धति में परिवर्तन नहीं होता निर्धन व्यक्ति को कोई अवसर नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में शंकुवत अल्पसंख्यक निर्वाचन ही सही माना जायेगा। शासन की सबसे छोटी इकाई में भी बहुमत के आधार पर निर्णय न लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिये जाये। विचारों में मत भेद हो सकता है किन्तु कार्य करते समय सबको हिस्सा लेना चाहिये। भारत में पंचों को पंच परमेश्वर कहा जाता है। अकाली सिक्ख भी सर्वसम्मति से अपना मुखिया चुनते हैं। जब तक मत वैभिन्य होता है तब तक सभी सर्वसम्मति हल निकालने का प्रयास करते हैं जो सबको स्वीकार हो सके। हादिक सहयोग के बिना ऐसा होना सम्भव नहीं। यदि हम ऐसा समुदाय बना सके जो श्रम की महत्ता को मान्यता प्रदान कर श्रम को मुद्रा के रूप में प्रचारित कर सके तो मध्य यूरोप के "श्रम समुदायों" के समान श्रम का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।<sup>74</sup>

जयप्रकाश नारायण के अनुसार राज्य के तिरोहित होने की सभी कामना करते हैं। किन्तु ऐसे स्वतन्त्र समाज की और तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब हम दिन प्रतिदिन के जीवन में स्वावलम्बी बन जाये और सहयोग की कला सीख लें। केन्द्रीयकृत सत्ता द्वारा



ऐसे स्वतन्त्र समाज की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। यदि हम स्वतन्त्र तथा समान व्यक्तियों का समाज स्थापित करना चाहते हैं तो हमें स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर गांवों की अनेक इकाइयों का निर्माण करना पड़ेगा तथा सर्वसम्मति से निर्णय करने की कला सीखनी होगी। इसके लिए हमें जनता को अहिंसक शक्ति का भण्डार बनाना होगा (अर्थात् लोक-संग्रह करना होगा)। विनोबा भावे ने भूदान आन्दोलन को इसी दिशा की ओर आगे बढ़ाया है। वे जनता को अपने उत्तरदायित्व के प्रति चेतनाशील बनाना चाहते हैं। व्यक्ति स्वयं अपने गांवों में भूमि की समस्या का स्वयं को शक्ति के अनुसार निराकरण करें ताकि केन्द्रीय शासन के मार्गदर्शन से स्वतन्त्र होकर एक स्वतन्त्र समाज बनाया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन से स्वतन्त्र होने की आवश्यकता है। जनता स्वयं अपने बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करे। सरकार के हाथों में शिक्षा का कार्य नहीं सौंपा जायें। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो नीकरशाही के हाथों में होती है ऐसे उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य की भावना का विकास नहीं कर सकती जो कि स्वतन्त्र समाज के सदस्यों के लिए आवश्यक है। पारशात्य लोकतान्त्रिक देशों द्वारा की गई त्रुटियों को हमें नहीं दोहराना है। हमें उनकी पद्धति का अंधानुसरण भी नहीं करना है। हमारा संविधान अनेक पश्चिमी देशों के लोकतान्त्रिक संविधानों की प्रतिलिपि है। यह एक संकलन मात्र है, इसमें सम्पूर्णता का नितान्त अभाव है। इसके द्वारा नागरिकों में अंधविश्वास-द्वय विकसित हुआ है। इससे सर्वोदय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भारत की अधिकतर जनता अशिक्षित है। तोते की तरह हम राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक नियोजन की बात करते हैं किन्तु हमारे कोई मूलभूत मिथान्त नहीं हैं। परिणामस्वरूप हमारी चिन्तन की मौलिकता समाप्त हो गई है। सरकार पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। हम लोकतन्त्र को दुर्बल बनाकर हमारे राजनीतिक एवम् सामाजिक जीवन में एकतन्त्रात्मकता की प्रवृत्ति को बल प्रदान कर रहे हैं। सर्वोदय में इस प्रकार का अंधानुसरण नहीं है। सर्वोदय सभी के कल्याण पर महत्व देता है। सर्वोदय आदर्श के गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। जयप्रकाश नारायण ने भारत के बुद्धिजीवियों को सर्वोदय का अध्ययन कर उस पर अपना ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान किया है ताकि जन कल्याण की भावना लोक संग्रह के माध्यम में प्रकट हो कर राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित कर सके।<sup>75</sup>

### जयप्रकाश नारायण, नवसत्त्ववाद तथा विनोबा

जयप्रकाश नारायण की समाजवादी चिन्तन प्रणाली 1971-72 में भारतीय साम्यवादी दल के प्रभाव तक गृह्युप्त हो दिखाई देती थी वह पुनः नवसत्त्ववादी आंदोलन के कारण उद्वेगित हो उठी। जे. पी. ने लोकनीति तथा लोकशासन के माध्यम में अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिये थे। किन्तु हिमात्मक आंदोलन ने जयप्रकाश को अपने विचारों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिये बाध्य किया। बिहार के नवसत्त्ववादी आंदोलन का सामना करने के लिये जयप्रकाश ने समग्र जाति का विचार प्रस्तुत किया। ऐसे जयप्रकाश की समग्र जाति का विचार तथा नवसत्त्ववादियों के आंदोलन में अन्तर्बन्धन साधनों का ही था। दोनों का उद्देश्य सामाजिक जाति माले का था। यदि जिनको नवसत्त्ववादी आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया था कि जयप्रकाश की समग्र जाति भी उसी तरह सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक है। यह बात जयप्रकाश द्वारा बिहार के

मुसहरी प्रखंड के नक्सलवादी आंदोलनकारियों के साथ बातचीत में स्पष्ट हुई। जयप्रकाश ने पास के गांव में अपना शिविर स्थापित कर नक्सलियों का आह्वान किया कि यदि उनमें नैतिक साहस हो तो वे पहले जयप्रकाश की हत्या करें। नक्सलियों का जयप्रकाश से साक्षात्कार अनोखा था। नक्सलियों ने हिंसक क्रान्ति में अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए माओ के वाक्यों में दोहराया कि शक्ति बंदूक की नली से निष्पत्त होती है। जयप्रकाश का उत्तर था कि बिना प्रत्यक्ष लोकशक्ति का समर्थन प्राप्त किये हिंसात्मक आंदोलन भी सफल नहीं हो सकता और फिर क्रान्ति के बाद वही बंदूक जिसके हाथ में होगी, वही निरंकुश राजा बनेगा तो समाज की चिंता कौन करेगा? जयप्रकाश नारायण ने क्रान्ति को लोकशक्ति पर आधारित मानते हुए उसके अहिंसक होने पर जोर दिया। उसी से "पुराने समाज का बदलना और नये का बनना दोनों साथ-साथ और कदम-ब-कदम होते हैं।" 76

जयप्रकाश नारायण का वैचारिक द्वन्द्व चिंतन तथा समाज के आमूलचूल परिवर्तन की प्रक्रिया की वैचारिक गति और समष्टिगत दर्शन के दृष्टिकोण पर आधारित है। "जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय में रहकर उस सर्व से अपना तादात्म्य बनाये रखा, जो ठीक आम जन से होकर आता है और व्यष्टि से समष्टि की यात्रा करता है। यानी व्यष्टि का समष्टिगत चिंतन और समष्टि का व्यष्टि में निहित होना जयप्रकाश नारायण के चिंतन का आधार रहा, जबकि आचार्य भावे क्षेत्र सन्यास की स्थितियों से ब्रह्म चिंतन के स्तर पर पहुंच कर व्यष्टि से कटकर सीधे आध्यात्मिक ब्रह्म से जुड़े। ब्रह्मलीन व्यक्ति समाज की चिंता परेशानी, दुःख-सुख, मान-अपमान से परे हो जाता है। यानी यो कहा जा सकता है कि सर्वोदय की दो स्पष्ट धारा हो गयी है—सर्वोदयी लोकपक्ष तथा सर्वोदयी आध्यात्मिक पक्ष। इन पक्षों का अंतर ही जयप्रकाश नारायण तथा विनोबा का द्वन्द्व है।" 77 विनोबा ने गांधीजी के राजनीतिविहीन कार्य को पकड़ा था। जबकि जयप्रकाश ने गांधीजी के सक्रिय लोकनीति के पक्ष को पकड़ा था और वे इस सूत्र को बराबर धामे रहे। जयप्रकाश नारायण का पूरा आंदोलन पक्ष दलविहीन लोकनीति का रहा। 78 जयप्रकाश नारायण की चिंताएं सामाजिक हैं। तो विनोबा की चिंताएं देह से अलग मानसिक, आत्मिक शांति और ब्रह्म चिंतन की हैं। दोनों के आंतरिक हाहाकार का बराबर उतना ही भिन्न, जितना धरती और दूर क्षितिज पर जमी-भ्रासमां के मिलने का भ्रम। हालांकि विनोबा की दृष्टि और उनकी व्यापक बाहरी तथा आन्तरिक सच्चाई और ईमानदारी पर शंका नहीं की जा सकती। क्योंकि उनका यह मानना है कि वे भी लोक कल्याण के लिये ही जी रहे हैं। जबकि जयप्रकाश नारायण का लोक कल्याण एक पूरी प्रक्रिया के बाद की परिणति है। विनोबा का विकास, व्यक्ति विकास के दौर की स्थिति है, जो गहन एकात्मिक और सीमित दायरे की चीज है, जबकि जयप्रकाश नारायण का विकास समाज विकास की स्थितियों का तथा लोकशिक्षण की अवस्थाओं का है। ऐसा लगता है सर्वोदय के सिक्के के दो पहलुओं लोकपक्ष तथा आध्यात्मिक पक्ष का प्रतिनिधित्व क्रमशः जयप्रकाश तथा विनोबा करते हैं।" 77

जयप्रकाश नारायण तथा विनोबा भावे के मध्य वैचारिक अन्तर का कारण यह भी है कि जयप्रकाश भावसंवाद के वैज्ञानिक सत्य के समर्थक है तथा स्वयं सत्य

शोधन में विश्वास करते हुए सत्य को सापेक्ष मानते हैं। विनोबा का चिंतन निरपेक्ष है और इस कारण समाज में अनेक भ्रान्तियों का मामूहिक कारण बन गया है। "जो भ्रन्तर भावसं तथा हेगल के बीच है वही भ्रन्तर विनोबा तथा जयप्रकाश नारायण के बीच में है। सापेक्ष निरपेक्ष का द्वन्द्व ही जयप्रकाश और विनोबा का द्वन्द्व है। जो द्वन्द्व एक जमाने में गांधी और लोहिया में था, आज वही द्वन्द्व लगता है सनातन रूप से गतिशील है।" "जयप्रकाश के अनुसार "कोई व्यक्ति ऐसे सत्य को पाने का दावा नहीं कर सकता, जो सदा के लिये सत्य हो। हम लोगो ने सम्पूर्ण सत्य को न पाया है, न पा सकते हैं। एंजेलस का, जिसने इस सिद्धान्त की विवेचना बड़ी योग्यता से की है, कहता है कि हम लोग सापेक्ष सत्य तक ही पहुँच सकते हैं। सापेक्षिक सत्य से हम लोग असत्य को निवृत्त करते हैं और इस प्रकार पूर्ण सत्य तक पहुँचते हैं, इसी तरह से ज्ञान की वृद्धि होती है।" उक्त कथन मूलतः सिद्धान्त में निहित सत्य और सिद्धान्त का सत्य पाने के प्रयास का चिंतन है तथा प्रत्येक वस्तु की गतिशीलता का प्रमाणीकरण भी है। अतः जयप्रकाश के मूल चिंतन का आधार भावसं एवं व्यवहार गांधी है, जबकि विनोबाजी का आधार गांधी का व्यवहार और अध्यात्म है, यही द्वन्द्व इन दोनों का है। यही कारण है कि विगत तीस वर्षों में जहाँ जयप्रकाश का विक्रम जननेता के रूप में हुआ, वही विनोबा का विक्रम आध्यात्मिक संत के रूप में हो गया। लेकिन चिंतन की पृष्ठभूमि ही इसका प्रमुख कारण रही। उसी का यह परिणाम है कि आज सर्वोदय में आत्मनिरीक्षण और विचार का युग शुरू हो गया है। जयप्रकाश तथा विनोबा की सामाजिक चिन्ताओं को एक उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है। नवम्बी आन्दोलन को लेकर विनोबा तथा जयप्रकाश दोनों ही चिंतित थे। दोनों ही रक्तपात, लूट से घिरे थे, लेकिन दोनों के चिंतित होने में खास किस्म का फर्क था। विनोबा नवसत्वी आन्दोलन में रक्त-पात से, मानवीय तथा धार्मिक रूप से चिंतित थे, वे मानव को मानव द्वारा मरते-मरते नहीं देख सकते थे, जबकि जयप्रकाश पूरे नवसत्तवादी मूवमेंट को एक आन्दोलन के रूप में देख रहे थे। उसकी मूल उपज समाज की राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था में देख रहे थे। यह समाज व्यवस्था की घोषण की पद्धति में था, इसका निदान घोषण के घातों में था। ऊपरी तौर पर हल्के-पुलके गुधार में नहीं था। सरकार से मांग करके इन आन्दोलन को समाप्त नहीं किया जा सकता था। अतः हमने आचार्य विनोबा जहाँ क्षुब्ध थे, वही जयप्रकाश जो इसे चुनौती मानकर मुकामले पर हट गये थे, और इन आन्दोलन से बमोबेस प्रेरणा ग्रहण करके जन-आन्दोलन के लिये अपने को तैयार कर रहे थे। " इसी सम्दर्भ में जयप्रकाश की धारणा और निष्कर्ष को ध्यान में रखना होगा कि 'मंदोदय से समाजवाद की ओर बढ़ने की गति धीमी हो सकती है, पर वह अनिश्चित होनी चाहिए, गति धीमी हो ही। यह भी जरूरी नहीं। भारत का ही उदाहरण से। यहाँ की जगता आज समाजवाद के इतने पक्ष में है कि या तो सर्रा हस्तान्तरित होने के बाद यहाँ कोई पूंजीवादी राज्य स्थापित नहीं होगा और यदि पूंजीवादी राज्य स्थापित हो गया, तो प्रजातान्त्रिक ढंग से उसे हटाया जा सकेगा।' "प्रजातान्त्रिक रूप में से सरकार तो हटा चुके लेकिन पूंजीवादी का शासन लम्बी अवधि की मांग करना है। बमोबेस यह कथन पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा उल्लेख

मोर्चे की जीत है, जो यह सिद्ध कर रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी चुनाव के द्वारा सत्ता प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन जयप्रकाश तथा विनोबा की चिंतन भूमि का खास फर्क यह भी है कि विनोबा का समाज 'सत्ताहीन निरस्त्रीकरण चुपचाप ठंडे-ठंडे बदल कर कल्याणकारी समाज बनाने का है' जबकि जयप्रकाश ने जनसत्ता, पूर्णजीवाद के खात्मे का सुद्ध, एलान सा किया है, जो आगे जा कर शोषणहीन, वर्गविहीन, समाज में विकसित होगा, और अन्त में कल्याणकारी समाज में विकसित हो जायेगा। एक मामले में द्वन्द्व का मूल कारण 'क्रान्ति' है जो जयप्रकाश और विनोबा के बीच लटका हुआ है।<sup>78</sup>

### समग्र क्रान्ति

जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रान्ति के लिये संघर्ष की भूमिका को महत्त्व दिया है। वे यह आवश्यक नहीं मानते कि संघर्ष मार्क्सवादी वर्ग-संघर्ष के अनुरूप ही हो। उनका यह विश्वास है कि भारत में गाँधीजी के अत्यधिक प्रभाव के कारण मार्क्सवादी वर्ग-संघर्ष सफल नहीं हो सकता। गाँधीजी का सत्याग्रह तथा उनके अन्य विचार संघर्ष की दृष्टि से काफी महत्त्व रखते हैं। अतः यह सम्भव है कि भावी संघर्ष में मालिक तथा मजदूर में विभाजन न दिखाई दे और दोनों के मध्य विवाद की स्थिति भी न हो। सभी वर्गों के लोगों को इस मिश्रित क्रान्ति में भाग लेना है। पिछड़े तथा दलित वर्गों का यद्यपि इसमें बहुमत होगा, फिर भी ऊपर के लोग या तो इसमें सहयोग देंगे अथवा सक्रिय रूप से भाग लेंगे। समग्र क्रान्ति को सफल बनाने के लिये नवीन विचारधारा की आवश्यकता है क्योंकि इसके लिये किया गया संघर्ष वर्ग-संघर्ष से भी अधिक विस्तृत होगा। पिछड़े तथा दलित वर्गों के समर्थन के साथ-साथ समग्र क्रान्ति की सफलता के लिये समाज के ऊपर के वर्गों के नवयुवक भी इसमें भाग लेकर इसे सफल बना सकेंगे। युवा पीढ़ी की इसमें मुख्य भूमिका होगी। उन्हीं की इसका नेतृत्व करना है।<sup>79</sup> जयप्रकाश नारायण के अनुसार समग्र क्रान्ति के संदर्भ में "मिश्रित अर्थ व्यवस्था" आवश्यक है। अर्थ व्यवस्था मिश्रित ही रहेगी। सोवियत संघ जैसे देशों में जहाँ समाजवाद की स्थापना मानली गयी है वहाँ भी "मिश्रित समाजवाद" है। यह सत्य है कि वहाँ एक ही वर्ग है। सभी श्रम करने वाले लोग हैं। फिर भी व्यापक अन्तर विद्यमान है। कारखाने का व्यवस्थापक, दल का महा सचिव अथवा सचिव अपने आप में एक वर्ग है। यह स्थिति अब भी समाजवादी नेता मिलोवान जिलास ने अपनी पुस्तक 'दो न्यू क्लास' में अच्छी तरह स्पष्ट की है। जिलास ने यह बतलाया है कि क्रान्ति के कारण उत्पन्न यह नवीन वर्ग एक शोषक वर्ग के रूप में व्यवहार कर रहा है। अतः समाजवाद की कोई भी व्यवस्था क्यों न हो मिश्रित अर्थ व्यवस्था आवश्यक रूप से बनी रहेगी। फिर भी हमारा आदर्श एक वर्गविहीन समाज की स्थापना का होना चाहिये और किसी नवीन वर्ग को पनपने नहीं देना चाहिये। जयप्रकाश नारायण ने इस संदर्भ में जनता सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया है कि जनता दल अपनी पूर्व भूमिका तथा क्रान्ति को उपज होने के कारण इस दिशा में कुछ हद तक कार्य कर सकता है। जनता सरकार समग्र क्रान्ति की प्रक्रिया में अपनी आर्थिक नीतियों को बदल कर सहायक हो सकती है। अनेक रास्तों में से यह भी एक रास्ता हो सकता है। लेकिन जब तक नीचे के स्तर से जन-क्रान्ति नहीं होती सरकार के प्रयत्न विफल ही रहेंगे। इस कार्य में लिए विचारियों को वर्ग न मानकर जमात (समुदाय) मानते हुए उन्हें इस संघर्ष

में सबसे आगे रहने की बात जयप्रकाश नारायण ने कही है। फिर भी यह स्वाभाविक है कि वे सभी वर्ग जो वर्तमान समाज में साधनहीन माने जाते हैं और जिन्हें अपने आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों के लिये लड़ना पड़ता है, इस संघर्ष में प्रमुख सह-भागी होंगे। समग्र क्रान्ति को मफल होने में कितना समय लगेगा यह जयप्रकाश नारायण ने निर्धारित नहीं किया। उनके अनुसार यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह जल्दी भी हो सकती है। इसमें देर भी हो सकती है यदि इसके लिये उपयुक्त वातावरण न हो। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता।<sup>60</sup>

जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रान्ति [सम्बन्धी विचारों की धारणा में कहा गया है कि भारत में वर्ग-संघर्ष की आवश्यकता के मावसंवादी विचार को पुनर्जीवित करना उतना ही अर्थ हीन दिखाई देता है जितना जाति व्यवस्था की अमानवीय धारणा का अवलम्बन। जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर समाज के कतिपय वर्गों को सदा-सदा के लिए हेय बना देती है। उसी प्रकार से आर्थिक आधार पर समाज को वर्ग भेद की दृष्टि से देखा भी मानवीय गरिमा का अवमूल्यन करता है। मानवीय व्यक्तित्व की असोमित प्रतिभा को जाति अथवा वर्ग की दृष्टि से देखना उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य से पृथक रखने का कुचक्र बन जायेगा। वर्ग-संघर्ष द्वारा प्रेरित मानवप्रकृति तथा सामाजिक समुदायों में निष्ठा का अभाव दूषित मनोवृत्ति का परिचायक है। मावसं ने वर्ग संघर्ष के आर्थिक पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया है किन्तु जीवन में भौतिक उपलब्धियाँ ही सब कुछ नहीं होती। भारतीय चिंतन का आदर्श संघर्ष के स्थान पर सहिष्णुता एवम् समन्वय पर अधिक बल देना है। गांधीजी ने भी न्यायिता के माध्यम से वर्ग संघर्ष की कटुता को दूर करने का मार्ग दर्शाया है। यदि गांधीजी का विचार आज की परिस्थितियों से छूटने में समर्थ नहीं है तो वैधानिक माध्यम से तथा उचित शिक्षण से जनमत जागृत कर सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास का स्वयं प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये हमें रूस, चीन अथवा पश्चिम की औद्योगिक क्रान्ति के कठु अनुभवों को पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

समग्र क्रान्ति में जयप्रकाश नारायण ने युवाशक्ति के योगदान को विशेष महत्व दिया है। युवा पीढ़ी के उत्साह तथा आदर्शवाद को रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त करना सुराई नहीं है किन्तु साधन तथा साध्य के सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि युवा पीढ़ी को क्रान्ति के लिये हर प्रकार के साधनों का प्रयोग करने को अनुमति दे दी जाये। नवगणवाद के अनुभवों की स्मृति धुमिल नहीं हुई जिसमें युवकों ने हिंसा का मार्ग अपनाया था। आज भी छात्रों में अनुशासनहीनता की भावना के कारण शिक्षण संस्थाओं का वातावरण दूषित बना हुआ है। कानून तथा व्यवस्था की विधि पहले से अधिक बिगड़ी है। राजनीतिक दलों की विधि भी अधिक गूढ़ नहीं है। क्षेत्रीय दलों को अधिक स्थायित्व मिला है। ऐसे में राष्ट्रभरणी क्रान्ति का आह्वान केवल सर्वोदयवादियों के बगल का काम नहीं है। समग्र क्रान्ति का अर्थ केवल समाज की बाह्य संरचना में परिवर्तन तक सीमित नहीं रह सकता। इसके सिवा मानवीय धेनना में भी उतना ही परिवर्तन आवश्यक है। आज शिक्षण की उपलब्धियों ने मानवीय धेनना को अपनी सांस्कृतिक विरासत से हादरात्मक स्थिति करने को विवश कर दिया है। राजनीतिक संरचनाओं, सामाजिक प्रकारों तथा आर्थिक प्रणालियों में उनमें के स्थान पर मानव को

स्वयं के चेतनरूप का पूर्ण दर्शन कर लेना आवश्यक है ताकि प्रौद्योगिकी का मानवीय चेतना पर नियन्त्रण शिथिल हो जाय। इस कार्य को पुरातनपंथी बौद्धिक संरचनाओं के माध्यम से सम्पादित नहीं किया जा सकता। चेतना जागृति के नव-शिक्षण आन्दोलन के बिना समग्र क्रांति का अमृत पान असंभव है।<sup>81</sup>

जयप्रकाश नारायण ने भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को सुधारने के लिये अनेक योजनाएं तथा विचार समय समय पर दिये हैं। वे अधिकतर स्वप्नलौकी विचारों के सृजनकर्त्ता के रूप में ही लोकप्रिय हुए हैं। उनकी एक विशेषता यह भी रही है कि वे किसी नवीन विचार का आधार प्रस्तुत कर उस विचार की अनुपयुक्तता अथवा अव्यावहारिकता के कारण समाप्ति के पहले ही किसी अन्य योजना में उलझ जाते हैं और उसे लोकप्रिय बनाने के प्रयास में जुट जाते हैं। उनका जीवन ऐसे ही कार्यों से भरा पड़ा है। इस शताब्दी में दूसरे दशक तक वे मार्क्सवाद की जकड़ में रहे तो तीसरे दशक में गांधीवाद से प्रभावित समाजवाद ने उन्हें तल्लीन रखा। चौथे दशक में वे एक क्रान्तिकारी तथा उग्रवादी के रूप में उभरे और भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् वे भूदान आंदोलन, दलविहीन लोकतन्त्र आदि कार्यों में लगे रहे। छठे दशक में उनकी रूचि समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा भारत-पाक सम्बन्धों में रही तो सातवें दशक के प्रारम्भ में वे बंगलादेश की समस्या से उद्वेलित रहे और गुजरात के छात्र आंदोलन के मार्गदर्शक बने। विहार में जन आंदोलन का श्री गणेश कर जयप्रकाश समग्र क्रान्ति की ओर अभिमुख हुए।




## टिप्पणियाँ

1. मीनू मसानी, इज जे. पी. वी एन्सर ? (मैकमिलन, दिल्ली, 1975) पृ. 6
2. विमल प्रसाद, "जयप्रकाश : क्रांति-शोधक चिंतन के मोड़", धर्मयुग, 9 अक्टूबर, 1977
3. मीनू मसानी, पृ. 7
4. धर्मयुग, 9 अक्टूबर, 1977
5. वही
6. मीनू मसानी, पृ. 7
7. धर्मयुग, 9 अक्टूबर, 1977
8. वही
9. वही
10. वही
11. वही
12. वही
13. वही

14. वही
15. सदमीनारायण साल, जयप्रकाश (सैकमिलन, दिल्ली, 1974) पृ. 9
16. जयप्रकाश नारायण, ए. पिचरर ऑफ सर्वोदय सोशियल आइडर, (अधित भारतीय सेवा संघ, लंजोर, 1955) पृ. 10
17. वही
18. वही, पृ. 196-200
19. वही, पृ. 202-204
20. जयप्रकाश नारायण, दुसदू स इदुगल, (संपादक, मुसुक मेहरमली, पटा पमितनेशन, बम्बई, 1946) पृ. 65
21. विमल प्रसाद (सं.) सोशलिसम, सर्वोदय एण्ड डेमोक्रेसी, (एशिया पसि, बम्बई, 1964) पृ. 108
22. वही, पृ. 110-118
23. वही, पृ. 113
24. वही, पृ. 59-60
25. वही, पृ. 60-62
26. वही, पृ. 161
27. वही, पृ. 160
28. जयप्रकाश नारायण, प्रोम सोशलिसम दु सर्वोदय, (सर्व सेवा सप, बाली, 1958) पृ. 160
29. वही, पृ. 161
30. वही, पृ. 188
31. इतानाद (सं.), जयप्रकाश नारायण : नेशन बिस्टिडग इन इंडिया, (नवधेतना प्रकाशन, बारापली) पृ. 118-123 तथा 377-378
32. वही, पृ. 406-407
33. वही, पृ. 397
34. वही, पृ. 398-402
35. वही, पृ. 412-416
36. वही, पृ. 417-418
37. वही, पृ. 418-420
38. वही, पृ. 420-421
39. वही, पृ. 423-424
40. वही, पृ. 424
41. वही, पृ. 424-426
42. वही, पृ. 426-427
43. सोशलिसम, सर्वोदय एण्ड डेमोक्रेसी, पृ. 91
44. वही, पृ. 91-92
45. वही, पृ. 92
46. वही, पृ. 93-94
47. वही, पृ. 95
48. वही, पृ. 96
49. इतिहास, 6 पत्रवली, 1954
50. वही
51. वही
52. सोशलिसम, सर्वोदय एण्ड डेमोक्रेसी, पृ. 132
53. वही, पृ. 134-136

54. वही, पृ. 100  
 55. वही, पृ. 101  
 56. वही, पृ. 102-104  
 57. वही, पृ. 105  
 58. वही, पृ. 105-107  
 59. वही, पृ. 107-109  
 60. वही, पृ. 109-111  
 61. वही, पृ. 112-113  
 62. वही, पृ. 114  
 63. वही, पृ. 115  
 64. वही, पृ. 116-117  
 65. वही, पृ. 117-118  
 66. वही, पृ. 67-68  
 67. वही, पृ. 70-71  
 68. वही, पृ. 59-50  
 69. वही, पृ. 60-61  
 70. वही, पृ. 61  
 71. वही, पृ. 62  
 72. ए. पिपलकर ऑफ सॉशियल साइंसेस, पृ. 52-53  
 73. वही, पृ. 53-54  
 74. वही, पृ. 54-55  
 75. वही, पृ. 55-57  
 76. साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', जनवरी 16, 1977  
 77. वही  
 78. वही  
 79. जयप्रकाश नारायण, प्रिन्सिपल डायरी, (पोपुलर प्रकाशन, बम्बई 1977) पृ. 129  
 80. इण्डियन एक्सप्रेस, सितम्बर 22, 1977  
 81. करणसिंह, "टोटल रिवोल्यूशन सम क्वेश्चन्स", इण्डियन एक्सप्रेस, सितम्बर 27, 1977





विनोबा भावे का जन्म सितम्बर 11, 1895 के दिन महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गगोदे ग्राम में हुआ। इनका जन्म नाम विनायक भावे था किन्तु गांधीजी ने इन्हें विनोबा नाम दिया जो कि विनायक तथा बाबा शब्द का मिश्रित रूप था। ब्राह्मण परिवार में जन्मे विनोबा ने पूना तथा बड़ोदा में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की। वे अध्ययन में तन्मय रहते थे। गणित उनका सर्वाधिक प्रिय विषय था। उनके स्वाध्याय से प्रभावित होकर पिता ने उन्हें इंजीनियर बनाने का निर्णय लिया। 1912 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर वे इंटर परीक्षा की तैयारी में लग गये किन्तु उनका हृदय अध्ययन से दूर ब्रह्म-जिज्ञासा में लगा हुआ था। 1916 में एक दिन अपनी माता स्वामी देवी के देवते देखते उन्होंने अपने स्कूल तथा कालेज के प्रमाण-पत्रों को अग्नि के गुप्तुदं करते हुए जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ किया। जून 7, 1916 को वे महात्मा गांधी के सम्पर्क में आये और उनके बाद यह सम्पर्क बढ़ता चला गया। गांधीजी ने विनोबा को पहचाना और विनोबा को सच्चा गुरु प्राप्त हो गया।<sup>1</sup>

विनोबा ने स्वाध्याय से जो कुछ सीखा वह उनके जीवन की अपूर्व निधि है। मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी में निष्णात होने के साथ वे अनेक भारतीय भाषाओं के ज्ञाता हैं। महाराष्ट्र के संत-साहित्य को कंठस्थ करने के अलावा विनोबा ने तुमगीदास के रामचरित मानस तथा विनय पत्रिका, शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य तथा श्रीमद्भगवद्गीता का गुरु अध्ययन किया है। उपनिषदों, स्मृतियों तथा योगदर्शन का उनका ज्ञान उन्हें संतो की श्रेणी में ला चढ़ा करता है।<sup>2</sup> आजन्म ब्रह्मचारी रहकर पदयात्राओं के माध्यम से जनजीवन में घेनना का संचार करना उनका सद्य रूढ़ है। साबरमती-प्राथम से वर्षों के पवनार प्राथम तक उनका बौद्धिक क्रियाजगत् रहा है। गांधीजी के बाद उनके विचारों को कार्य रूप में परिणत करने का जो कार्य विनोबा ने अपने हाथ में लिया वह छात्र भी निर्यामित रूप से वे कर रहे हैं। हरिजनोद्धार, सेलंगाना में साम्प्रदायी प्रभाव के विरुद्ध भूमिहीन कृषकों की समस्या का निवारण, नई तालीम, राष्ट्रभ्रमण हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार, नागरी लिपि का संशोधन, भ्रूदान-यज्ञ, वांछन मुक्ति, अन्नदान, अन्नसिदान्त, श्रीकृष्णान्त, सर्व सेवा-सभ की गतिविधियाँ, छात्रुओं की समस्या का समाधान और अंत में अखण्ड विविध धार्मिक समस्त कार्य विनोबा के अथक परिश्रम तथा त्याग के परिणाम हैं। पर, अर्थ, धारम प्रचार तथा गुरु का त्याग कर विनोबा ने भारतीयों के समक्ष हो ली अखण्ड समस्त विश्व के सम्मुख एक ऐसा धारम प्रकृत विद्या है जिसका कोई माली नहीं। विनोबा के त्याग एवं साधना का छात्र के स्वार्थ तथा समाजोत्थक उत्कर्ष में उन्नत प्रचार विचारों की देना जिसका वि होता चाहिए था। विनोबा स्वयं इस तरह से परिचित नहीं।

किन्तु उन्हें इसकी चिन्ता भी नहीं है। वे अपना कर्तव्य किये जा रहे हैं। वे सर्वोदय के पुनीत विचार को आगे बढ़ाने के लिए कृत-संकल्प हैं। गरीबी और शोषण के विरुद्ध खड़े गये इस धर्मयुद्ध में वे अकेले भी अनेक से अपराजित रहेंगे।

विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951 को आन्ध्र प्रदेश के तैलंगाना के नालगुंडा जिले के पंचमपल्ली गांव में भूमिहीन हरिजनों की दंद भरी कहानी सुनकर भूदान का कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि भूमिहीन कृषकों को किसी प्रकार से भूमि प्राप्त हो जाये तो भारत की भूमि समस्या का समाधान हो सकता है। उनके अनुमान से पाच करोड़ एकड़ जमीन भारत से भूमि हीनता को मिटाने के लिए आवश्यक थी जो कि कुल काश्तकारी जमीन का छठा हिस्सा था। उन्होंने गाँव-गाँव में घूम कर भूमि का दान माँगा और भूदान आन्दोलन का सूत्रपात किया। वहाँ से वे पुनः पवनार आश्रम आये, तीन महिने बाद उन्होंने दिल्ली की ओर प्रयाण किया और 62 दिन की पवनार से दिल्ली की यात्रा में उन्हें 19 हजार 436 एकड़ भूमि दान में मिली। इसके बाद उन्होंने उत्तरप्रदेश की पदयात्रा की और वहाँ उनकी 2,95,018 एकड़ भूमि प्राप्त हुई। बिहार में उन्हें 839 दिन की यात्रा में 22,32,474 एकड़ भूमि भूदान में प्राप्त हुई। बिहार के लिए उन्होंने यह दिखा दिया कि अहिंसा की शक्ति से भूमि समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है। इसके बाद विनोबा ने उड़ीसा की 249 दिन की पदयात्रा में 2,57,277 एकड़ भूमि, आन्ध्र प्रदेश की 224 दिन की पदयात्रा में 50,754 एकड़ भूमि, तमिलनाडू में 341 दिन की पद यात्रा में 47,092 एकड़ भूमि; केरल की 138 दिन की पदयात्रा में 1,571 एकड़ भूमि तथा कर्नाटक की 212 दिन की पदयात्रा में 1,109 एकड़ भूमि भूदान में प्राप्त की। विनोबाजी ने सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं को 8 मार्च 1953 को चान्डिल्य में सम्बोधित करते हुए कहा, "हमारा उद्देश्य केवल भूदान प्राप्ति ही नहीं है। हमें स्वतंत्र लोकशक्ति का निर्माण करना है, जो हिंसक शक्ति की विरोधी और दंड शक्ति से भिन्न होगी। इस अहिंसक लोकशक्ति से देश की विभिन्न समस्यायें आसानी से हल की जा सकेंगी।"

विनोबा जी के भूदान आन्दोलन का यह प्रभाव हुआ कि जयप्रकाशनारायण ने इस अहिंसक क्रान्ति के लिए लगभग 600 कार्यकर्त्ताओं के साथ जीवन दान का व्रत लिया। जमीन के दाम गिरने लगे। जमींदार स्वयं विनोबाजी के पास आते और हाथ जोड़कर भूमि का छठा हिस्सा स्वीकार करने का आग्रह करते। किन्तु बिहार में इसकी एक प्रतिक्रिया यह हुई कि अनेक बड़े जमींदार घबरा गये। कांग्रेस तथा उसके समर्थक राजनीतिक क्षेत्रों में खलबली मच गई। जमीन हाथ से जाती देखकर कई कांग्रेसी भूला उठे और उन्होंने किसी तरह से विनोबाजी को बिहार से विदा किया। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार के जमींदार तथा बिहार की कांग्रेसी सरकार ने बिहार के भूदान आन्दोलन को जर्जरित कर दिया और भूमिहीनों की समस्या वैसे की वैसे बनी रह गई।

भूदान आन्दोलन शनैः शनैः शिथिल होता गया। उनकी पदयात्रायें दिखावा रह गईं। बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी तथा मंत्री उनकी पदयात्रा की अग्रदानी करते और स्वागत के लिए तैयार रहते लेकिन विनोबा जी के साथ फोटो खिंचाते ही फिर गायब हो जाते। उन लोगों का भूमि समस्या को हल करने में अथवा राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने में

कोई योगदान नहीं था। वे केवल स्वयंसेवा विनोबाजी के साथ हो जाते थे। भूदान के बाद विनोबाजी ने ग्रामदान की योजना प्रारम्भ की। उन्हें पहला ग्रामदान 23 मई 1951 को उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले के मंगरात गाँव में प्राप्त हुआ जहाँ सभी भूमिवालों ने अपनी जमीन विनोबाजी को दान कर दी। विनोबाजी ने ग्रामदान की 4 शर्तें रखीं थी: (1) गाँव के सब वयस्क निवासी, स्त्री हो भ्रषवा पुरय, मिलकर ग्रामसभा बनायें। (2) गाँव के सब भूमिवाले अपनी अपनी जमीन का स्वामित्व ग्रामसभा को सौंप दें। (3) गाँव के सब भूमिवाले अपनी जमीन का बीसवाँ हिस्सा ग्रामसभा को दान कर दें ताकि वह भूमिहीनों को दिया जा सके। (4) गाँव में ग्राम कोष खोला जाये जिसमें भूमिवाले लोग अपनी जमीन में होने वाले पैदावार का चालीसवाँ हिस्सा जमा करें और मजदूरी करनेवाले या वेतन पाने वाले लोग प्रतिमाह एक दिन की मजदूरी या वेतन जमा करें।

विनोबाजी ग्रामदान के माध्यम से प्रत्येक गाँव को एक परिवार जैसी सुरत देना चाहते थे। परिवार के सदस्य जिस प्रकार मिल-जुलकर घासपी सलाह से काम करते हैं उसी तरह गाँव के सारे विवाद ग्रामसभा के द्वारा तय करें, उन्हें कोर्ट भ्रषवा पुलित पाने में जाने की भावकश्यता नहीं रहे। सारे झगड़े ग्रामसभा में निपटाये जायें। इसी तरह प्रत्येक गाँव में ग्राम भंडार की स्थापना की जाय। गाँव की गपाई, मिचार्ड, मिशा, गुरशा, चिकित्सा, पशु-पालन आदि ग्रामसभा की देख-रेख में हो। ग्रामसभा द्वारा इन कार्यों के लिए जमीन दी जाये तथा उद्योग धन्धों की स्थापना करें। गेती की व्यवस्था अनग-अनग होते हुए भी लगान ग्रामसभा द्वारा दिया जाये। विनोबा के अनुसार ग्राम स्वराज्य का आदर्श 'मिठ गाँव का, खेती किमान की' था। किन्तु विनोबाजी का यह कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हुआ। विनोबाजी ने ग्रामदान के पश्चात् प्रत्यक्षदान माँगा और उनके बाद जिमादान की माँग की। बिहार में दरभंगा पहला जिमा था जिसका जिमादान हुआ। एक-एक करके सभी जिलों का दान हो गया और पूरा बिहार ही दान में आ गया। लेकिन इनके भूमिहीनों की समस्या नहीं मुलभी और यह केवल दियाये का ही आन्दोलन रहा। विनोबा ने सरकार की सामुदायिक योजना और ग्रामदान योजना के बीच अनिष्ट सहयोग की माँग की और यह सहयोग कुछ समय तक प्राप्त भी हुआ लेकिन सामुदायिक विकास के अधिकाधिकों द्वारा मिलने वाला सहयोग जनता में भ्रान्ति पैगाने में सहायक हुआ। जनता यह समझने लगी कि नायक भूदान तथा ग्रामदान का कार्य सरकारी है। सामुदायिक विकास का काम होता रहने के कारण ही भूदान का काम भी निमित्त होने लगा। इसके लिए भूदान आन्दोलन के अन्तर्निहित दोष काफी हद तक उत्तरदायी है। पहला दोष यह था कि जमीन के बंटवारे में दानशाला का सहयोग नहीं दिया गया था। भूदान का माँग तब ऐसा खड़ा किया गया था जहाँ भूदान वाले की भूमिदान के प्रति दर तथा अविश्वस है। इसका नतीजा यह हुआ कि भूदान करने वालों ने विनीत रविव नहीं किया। भूदान कार्य बर्सा भी अन्धे-बुरे सभी तरह के लोग थे। जन: कुछ भूमि भूमिहीनों की मित्री तो कुछ भूमि हटव तो गई। इसमें विनोबा ने बाद में यह स्वीकार किया कि भूमिदाता की सहाय न केवल उन्होंने बड़ी सलगी की थी। उनके अनुसार यह उनके पुत्र का अहंकार था कि

वे न्याय की बात छोड़ गये लेकिन इस चेतावनी के बाद भी विनोबा ने भूमिदानों को भूमि वितरण के कार्य में सम्मिलित नहीं किया।

दूसरी त्रुटि विनोबा के आन्दोलन में यह रही कि कार्यकर्त्ताओं के मामले में हुए खर्च का ठीक से हिसाब नहीं रखा गया। भूदान आन्दोलन को गांधी स्मारक निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी चूंकि विनोबा ने यह आन्दोलन अखिल भारत सर्व सेवा सभ के अन्तर्गत चलाया था। सर्व सेवा संघ के अधीन प्रान्तीय भूदान समितियां काम करती थी जिसका लेखा-जोखा लेखा परीक्षकों को पसंद नहीं आया। कार्यकर्त्ताओं ने ठीक से हिसाब रखने में असमर्थता प्रकट की। उनका यह उतर था कि क्रान्ति के काम में लगे हुए लोग हिसाब-किताब ठीक से नहीं रख सकते। परिणाम यह हुआ कि गांधी स्मारक निधि ने विनोबाजी को शिकायत की और इससे आन्दोलन को आर्थिक सहायता मिलनी बन्द हो गई। विनोबाजी तथा जयप्रकाशनारायण के अलावा और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भूदान आन्दोलन के लिए निस्वार्थ भाव से अपना जीवन अर्पित करता। फिर भी भूदान आन्दोलन ने वह कार्य कर दिखाया जो सरकारी तंत्र नहीं कर सकता था। 1957 तक 40 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन भूदान में प्राप्त हुई थी। यद्यपि 5 करोड़ के लक्ष्य की दृष्टि से चालीस लाख दसवें हिस्से से भी कम था किन्तु इससे लाखों भूमिहीनों को जीवन का नवीन मार्ग प्राप्त हुआ। भूमिहीनों में भूदान आन्दोलन ने नवीन जीवन का संचार किया। अनेक समाज सेवी आगे आये और सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं का निश्चित समुदाय जनता के समक्ष प्रस्तुत हुआ। विनोबाजी की अहिंसक क्रान्ति जैसे जैसे ग्रामदान, जिलादान, संपत्तिदान की और आगे बढ़ी भूदान आन्दोलन कमजोर होता रहा। यदि सर्वोदय आन्दोलन केवल भूदान तक ही सीमित रहता तो उसका लक्ष्य भी पूरा हो जाता और आन्दोलन को शिथिल नहीं होना पड़ता।

भूदान की असफलता आर्थिक विषमता, गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या के लिए चुनौती थी। भूदान आन्दोलन के सम्बन्ध में जयप्रकाशनारायण ने अपनी जेल डायरी में 18 अगस्त 1975 को यह अङ्कित किया, "शायद विनोबाजी यह समझते थे और अब भी समझते हैं कि बिना किसी संघर्ष के, शांतिपूर्ण संघर्ष के बगैर भी राजनीतिक तंत्र में क्रमागत परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन ग्राम स्वराज्य कार्य के वर्षों के अपने अनुभव से मेरा यह निश्चित मत बन गया है कि ग्राम स्वराज्य अपने में एक मूल्यवान राजनीतिक संगठन है बशर्ते कि वह काम करे और सिर्फ कागज पर न रहे। ग्राम स्वराज्य आन्दोलन में क्रमागत राजनीतिक परिवर्तन लाने की कोई क्षमता नहीं थी। सैद्धान्तिक दृष्टि से इस क्षमता का कोई कारण नहीं था "जिले लिए गए, फिर नमूना बनाने की दृष्टि से प्रखंड लिए गए, लेकिन सफलता कहीं भी नहीं मिली। भूदान से शुरू होकर और ग्रामदान में से होकर (आने वाले ग्राम स्वराज्य के लिए यह एक तरह का आधार समझे गये थे) बीस साल से ज्यादा लम्बे अरसे तक चलने के बाद ग्राम स्वराज्य आन्दोलन उस निष्फल हालत में पहुंच गया था जिसमें वह आज है।"<sup>3</sup>

विनोबा ने एक अनुशासित लोकतन्त्र की विचारधारा जो कि पूर्णतया अहिंसा पर आधारित है, प्रस्तुत की है लेकिन वे ग्राम स्वराज्य आन्दोलन को एक व्यापक आन्दोलन के

रूप में चलाने के समर्थक नहीं दिखाई देते। जयप्रकाशनारायण ने बिहार में जनता सरकार की स्थापना करने का जो प्रयास 1974-1975 में किया उसका विरोध कर विनोबा ने यह सिद्ध कर दिया कि ये बिहार जैसे आन्दोलन के पक्षधर नहीं है। स्वयं विनोबा वर्धा के पास हुए सर्वे सेवा संघ अधिवेशनों में अपना बहुमत जो चुके हैं। 1974-1975 में सर्वे सेवा संघ के सर्वोच्च कार्यकर्त्ताओं ने बहुमत से बिहार में सत्याग्रह का समर्थन किया था तथा जयप्रकाशनारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति के विचारों को स्वीकार किया था। विनोबा ने इस अल्पमत में अपने आपको देखकर 25 दिसम्बर, 1974 से एक वर्ष का मौन रखने का व्रत धारण कर लिया था। देखा जाये तो सम्पूर्ण क्रान्ति स्वयं विनोबा के विचारों से निगूत विचार है। भूदान के दिनों में विनोबा ने जो कुछ विचार एवम् आदर्श प्रस्तुत किये थे वे कुल मिलाकर सम्पूर्ण क्रान्ति के विचार का निर्माण करते हैं। आघातकाल सारे देश में लागू किया गया उसमें ऐसा लगता है कि विनोबा के विचारों में 25 दिसम्बर, 1975 को कुछ परिवर्तन आया। उन्होंने अचानक अपने एक वर्ष का मौन व्रत समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने लोकतांत्रिक सत्याग्रह के मार्ग को जनता के विचारार्थ प्रस्तुत किया और शिक्षकों तथा शिक्षाविदों के आचार्यकुल की स्थापना का मुद्दा दिया। उन्होंने आचार्यों का एक अधिवेशन बुलाने का आह्वान किया और यह कहा कि इस आचार्य सम्मेलन में उपस्थित होने वाले उच्च शिक्षकों, न्यायविदों, साहित्यकारों तथा दलीय राजनीति से दूर रहने वाले राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को शासन की वर्तमान नीति पर विचार विमर्श कर सर्वे सम्मति से अपना निर्णय लेना है ताकि शासन उस पर विचार कर सके। विनोबा ने साथ में यह भी ध्यक्त किया कि यदि आचार्य अधिवेशन के सर्वे सम्मत विचारों तथा सलाह को सरकार ने स्वीकृत नहीं किया तब ही सत्याग्रह प्रारम्भ करने की स्थिति उत्पन्न होगी। जनवरी 1976 में पवनार में आचार्यों का अधिवेशन हुआ और उसमें देश में जो कुछ घटित हुआ उसके लिए किसी को भी दोषी न टहराने हुए पुनः सामान्य स्थिति स्थापित करने पर विचार किया गया। यह भी विचार ध्यक्त किया गया कि बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की विरपत्तारी, नागरिक स्वतन्त्रताओं का परिगीमन तथा प्रेस पर नियन्त्रण राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं है। सम्मेलन में प्राम धुनाय कराने की शीघ्रता पर भी बत दिया गया। यह सम्मेलन विनोबा भावे की तरफातीन विचारधारा से अधिक उच्च गिद्ध हुआ। विनोबा चाहते थे कि आचार्यों का यह सम्मेलन आघातकालीन स्थिति को सामान्य ही बनवायेगा किन्तु आचार्यों ने आराधनातीन स्थिति को सामान्य बताया और देश में सामान्य स्थिति पुनः लागू करने का आह्वान किया।<sup>4</sup>

आराधना के दौरान विनोबा भावे का राजनीतिक विमन मुमुल होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने 1974 के जयप्रकाशनारायण के बिहार आन्दोलन की आराधना करना प्रारम्भ कर दिया। विनोबा ने उन समय के मन्त्रालय वर्धों में उनके द्वारा राजनीति के सम्मर्ष लेने के उनके निर्णय पर बन्द बन्दे जाने के प्रति प्रतिबिन्ध धन्य हो। वे मन्त्रों

लगे की भारत के समाचारपत्र राजनीति को अधिक महत्त्व देते हैं, समाज तथा अन्य समस्याओं पर कम ध्यान देते हैं। आलोचकों ने यह कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में विनोबा के 'आपात स्थिति अनुशासन पर्व है' जैसे विचारों का सार्वजनिक प्रचार एवम् प्रदर्शन करके विनोबा की लोकप्रियता का लाभ उठाया। भारत की सामान्य जनता में यह प्रश्न विचारणीय बना हुआ था कि सत्ता तथा पद की राजनीति से विमुक्त विनोबा जैसे आध्यात्मिक रुचि के राजनीतिज्ञ-मार्गदर्शक कब तक मौनव्रत धारण किये रहेगे। विनोबा ने यद्यपि सक्रिय राजनीति से वर्षों पहले संन्यास ले लिया था और उनका समय दल तथा शक्ति की राजनीति से कोसों दूर रचनात्मक कार्यक्रम में लगा हुआ था। इतना ही नहीं वे जीवन में आध्यात्मिकता का आस्वादन कर रहे थे। इन सभी परिस्थितियों ने विनोबा भावे के व्यक्तित्व पर ऐसा प्रश्न-वाचक चिह्न लगा दिया जिसके कारण उनकी लोकप्रियता घटी और उनके प्रति सामान्य जन में वैसा श्रद्धा का भाव नहीं रहा जैसा कि भूदान आन्दोलन के समय रहा होगा। आलोचकों ने विनोबा को आड़े हाथों लेते हुए यह व्यक्त किया कि गांधीजी के नाम पर संन्यासी के रूप में कंचनकामिनी का त्याग कर दर-दर स्वतन्त्रता की अलख जगाने वाले विनोबा भावे स्वयं गांधीवादी सत्याग्रह को भूल गये। आपातकाल के बाद के दिनों में उन्होंने दबे स्वर में गोवध विरोध का आह्वान किया तो ऐसा लगने लगा कि उनकी अन्तरात्मा अभी भी जीवित है किन्तु उसके बाद पुनः उनकी चुप्पी से यही सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि विनोबा में अब दमन तथा अत्याचार का विरोध करने की वह शक्ति नहीं रही जिसे गांधीजी ने उनमें देखी थी और जिसके कारण गांधीजी ने उनको अपने इतने अधिक निकट आने का अवसर दिया।

### विनोबा के विचार : विनोबा का स्वराज्य शास्त्र<sup>5</sup>

विनोबा भावे ने अहिंसक राजनीतिक समाज के सिद्धान्तों को स्वराज्य शास्त्र के नाम से व्यक्त किया है। स्वराज्य शास्त्र में विनोबा भावे ने सर्वप्रथम राजनीति की समस्या को लिया है। विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तों को स्पष्ट करने से पहले विनोबा राजनीतिक संगठनों की व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। व्यक्ति की समूह में रहने की प्रवृत्ति तथा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की भौतिक आवश्यकता के साथ-साथ सामाजिक जीवन में पारस्परिक सम्बन्धों की सुव्यवस्था एवम् जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करने की लालसा राजनीति अथवा राजनीतिक संगठन के विचार को जन्म देती है। व्यक्ति तथा व्यक्ति के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों की सुव्यवस्था इस कारण से भी आवश्यक होती है कि व्यक्ति भौतिक साधनों को आपस में बांटने के लिए साक्षर रहते हैं। सामाजिक जीवन में संतोष एवम् मानसिक शान्ति के लिए व्यक्ति अपने इर्द-गिर्द सामाजिकता का वातावरण तैयार करता है। राजनीतिक तथा सामाजिक दोनों ही पक्ष राजनीति के अन्तर्गत आते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विनोबा ने राजनीति की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीति


व्यक्ति समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों एवम् संगठनों का ज्ञान प्रदान करने वाला विज्ञान है।

विनोबा राजनीतिक समस्याओं के प्रति प्रचलित कृत्रिम व्यवहार के विरुद्ध हैं। उनके अनुसार आज मानवीय समाज तीन वर्गों में—उच्च, मध्य एवम् निम्न में बांट दिया गया है और राजनीति को इन तीन वर्गों के मध्य समन्वय स्थापित करने से सम्बन्धित माना जाता है। यद्यपि यह राजनीतिक अन्वेषण को दिया गया कृत्रिम धर्म है, यह समस्या राजनीतिक नहीं है। इसी तरह हिन्दू समाज में लोगों को उनके व्यवसाय के अनुसार जातियों में बांट दिया गया है और राजनीति को विभिन्न जातियों के मध्य अन्तर्संबंधों को समन्वित करने का उपाय माना गया है। यह भी एक कृत्रिम उपचार है। संसार में कुछ व्यक्ति अत्यधिक धनी हैं और कुछ अत्यन्त निर्धन इस प्रकार अमीर तथा गरीब दो वर्गों की स्थिति सामने आती है। राजनीति को इस वर्ग सभ्यता का कारण करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। विनोबा के अनुसार इस कृत्रिमता का मूल कारण उपयुक्त वर्ग भेदों के मनमाने तथा निर्मूल विचार के कारण है। जाति अथवा वर्ग-भेद वास्तविक होते हुए भी मौलिक नहीं कहे जा सकते। अतः संगठन का कोई भी सिद्धान्त जो इस निर्मूल धारणा पर आधारित होगा सोपा हूमा सिद्धान्त ही माना जायेगा। अमीर तथा गरीब का भेद मौलिक नहीं है अपितु परिस्थितिजन्य है। यदि किसी पूँजीपति को पैसे की यजह से धनी मान लिया जाये और धन के अभाव में किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाये तो यह मौलिकता विहीन विचार होगा क्योंकि निर्धन भी श्रम की महत्ता के विचार से कम धनी नहीं है और श्रम की शमना में निर्धन पूँजीपति धनी नहीं रहा जा सकता। अतः अमीर तथा गरीब शब्द अर्थगत नहीं है। उपयुक्त भेद के अभाव में तथा भाषा संबंधी अन्तर भी राजनीतिक समस्याओं में संबंधित किये जाते हैं जब कि वास्तविकता यह है कि भाषा तथा धर्म संबंधी अन्तर राज्य व्यवस्था के मौलिक गुण नहीं हैं।

राजनीतिक व्यवस्था का नैसर्गिक धर्म कुछ और ही है। कुछ व्यक्ति नैसर्गिक रूप में बुद्धिमान एवम् समर्थ होते हैं तो कुछ दमके विपरीत। बुद्धि तथा शारीरिक शक्ति दोनों की शमता के अन्तर्गत माना जाता है। जीवन में पूँजी नाम की वस्तु शमता में ही उत्पन्न होती है। अतः व्यक्तियों को उनके नैसर्गिक गुणों के अन्तर के कारण दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है—शमतागम्पन्न तथा अशम। यदि इन्हें वर्गों की स्थिति में देखा जाये तो इन्हें वर्गों के रूप में संगठित होना होगा। जब तक वे संगठित नहीं होंगे उन्हें वर्ग नहीं कहा जा सकता। यदि वे इस प्रकार मानवीय समाज में नैसर्गिक वर्ग नहीं हैं तो वे केवल कम अथवा अधिक शमता वाले व्यक्ति ही हैं और इन व्यक्तियों को अपने पापों के सम्पादन के लिए वर्गों संगठित होना है यह राजनीतिक विज्ञान का मौलिक विषय रहा है। इस मूल विचार के साथ महत्बुद्धि एवं आत्मनिक अर्थ सम्स्याओं का निदान कृता जा सकता है।

विनोबा ने सामान्य के तीन नैसर्गिक प्रकार बताये हैं। (1) कोई बुद्धिमान अथवा शमतायुक्त व्यक्ति सब को और से प्रभावित करे। (2) एक में अधिक व्यक्ति मिलकर प्रभावित करें। (3) सभी व्यक्ति मिलकर सामान्य के विचार में अपने प्रभावित का उत्तरदायित्व वहन करें। अन्य जगहों में उपयुक्त तीन प्रकारों को एक व्यक्ति का सामान्य, एक से अधिक व्यक्तियों का सामान्य तथा सबका सामान्य कहा जा सकता है। उपयुक्त मौलिक भेद स्थायी है फिर भी उनके अन्तर्भेद स्थापित किये जा सकते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा

शासन तथा सभी के द्वारा शासन दो अतिवादी विचार हैं किन्तु एक से अधिक व्यक्ति का शासन अनेक प्रकारों का जन्म देता है—एक तो कुछ व्यक्तियों का शासन तथा दूसरा अनेक व्यक्तियों का शासन। अनेक व्यक्तियों के शासन का अर्थ है साधनहीन, शक्तिहीन तथा श्रम पर जीवित रहने वाले व्यक्तियों का शासन। ऐसे व्यक्ति मर्दान एक समान होते हैं और उनकी शासन व्यवस्था भी एक जैसी ही होती है किन्तु कुछ व्यक्तियों का शासन अनेक प्रकार के विकल्प प्रस्तुत करता है जैसे—ज्ञानवान व्यक्तियों का शासन, सेना का शासन अथवा धनाढ्य का शासन। इनमें से कोई भी दूसरे के साथ मिलकर मिश्रित शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं जिसमें शासन के अनेक प्रकार सामने आते हैं :



उपरोक्त वर्गीकरण में व्यक्त शासन के 18 प्रकार सभी शासन व्यवस्थाओं को प्रकट करते हैं। रंग-भेद की नीति पर आधारित शासन-व्यवस्था, सवर्ण हिन्दुओं का अवर्ण हिन्दुओं पर शासन अथवा प्रजातिगत शासन जैसे—द्रैसाइयो का यहूदियों पर, राष्ट्रीयता पर आधारित शासन जैसे—इंग्लैण्ड का भारत पर शासन, नागरिकता पर आधारित शासन जैसे प्राचीन रोम का विश्व पर साम्राज्य तथा अन्य कई प्रकार के शासन उपरोक्त वर्गीकरण में आ जाते हैं।

विनोबा के अनुसार सभी व्यक्तियों का शासन आज तक कभी स्थापित नहीं हुआ। गांधीजी ने प्रयास किया है और वे भारत में सभी व्यक्तियों के शासन को स्थापित करने का प्रयोग कर चुके हैं। सभी व्यक्तियों के शासन के नाम से इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है वह केवल एक दिखावा है। हिंसा पर आधारित कोई भी शासन सभी व्यक्तियों का शासन नहीं कहला सकता। जब तक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से एक जुट होकर अपने में से किसी को शक्ति से युक्त नहीं करते और ऐसे व्यक्ति को जो कि स्वार्थ एवं धृष्टता से ऊपर है सत्ता नहीं सौंपते तो ऐसी व्यवस्था चाहे एक व्यक्ति के शासन के रूप में ही या एक से अधिक व्यक्ति के शासन के रूप में फिर भी (अहिंसा पर आधारित) ऐसी व्यवस्था सभी व्यक्तियों का शासन कहलायेगी। भारत की



प्राचीन पंचायती राज्यव्यवस्था अपूर्ण होते हुए भी इसी दृष्टिकोण पर आधारित थी। आज की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न पंचायतों में समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था के अभाव में पंचायत व्यवस्था अवैज्ञानिक एवं अपूर्ण मानी गई है। यद्यपि सभी व्यक्तियों का शासन अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है फिर भी भविष्य में इसकी स्थापना करने का आवश्यकता है।

एक व्यक्ति का शासन प्रारम्भ से ही चला आ रहा है, भारतीय रियासतों में इस प्रकार का शासन रहा है। इन राज्यों के संस्थापक जितने उदार तथा शक्तिशाली थे उतने उनके बाद के उत्तराधिकारी नहीं रहे। जिस प्रकार से सूर्य से तपी हुई रेत सूर्य से भी अधिक गर्म लगती है उसी तरह एकतंत्रात्मक शासन अनेक दुर्गुणों का कारण बन जाता है।

कुछ व्यक्तियों का शासन यूरोप में तथा अन्यत्र लोकप्रिय रहा है। नाजीवाद, फार्मा-वाद तथा साम्राज्यवाद इसी के उदाहरण हैं। हिंसा, पूँजी का संग्रह, बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये ऐसे शासन के अन्न हैं। यद्यपि हिंसा का बोलबाला रहता है फिर भी तेरी शासन में अहिंसा की बार बार दुहाई दी जाती है। अनेक व्यक्तियों पर नियंत्रण कायम करने के लिए बार बार लोकतन्त्राण का नारा लगाया जाता है। शासन तथा शासित के मध्य नाँक-भोंक चलती रहती है तथा हिंसा का घातावरण स्थायी रूप से बना रहता है। जब तक अधिकतर व्यक्ति दुर्बल तथा अज्ञानी रहते हैं तब तक ऐसी शासन व्यवस्था किसी न किसी रूप में चलती रहती है।

अनेक व्यक्तियों द्वारा शासन का उदाहरण हम ने प्रस्तुत किया है। वेबिनर हम का यह प्रयोग हिंसा पर आधारित होने के कारण समाज द्वारा प्रयुक्त नहीं हो सकता। हम का प्रयोग वास्तव में कुछ व्यक्तियों का शासन ही है जिन्होंने सेना, युद्धवीर्य तथा सम्पन्न व्यक्ति ही सम्मिलित हैं। तलवार के जोर पर स्थापित की गयी यह व्यवस्था तलवार से ही चलाई जाती है। ऐसे शासन की सफलता केवल हम घात पर निर्भर करती है कि शासन बड़े पैमाने पर अन्न अन्नो में सुमग्नित हो।

विनोबा ने सांख्य के 'दशम' पर आधारित तीन प्रकार के शासनों को विगुणों से संबंधित माना है। यह कहना कठिन है कि इनमें से कौनसा गुण विनोबा प्रभावकारी रहे सकता है। भूत रूप में यह शासन व्यवस्था अनेक के लाभ के लिए है किन्तु यह कुछ व्यक्तियों के शासन में सीमित हो गई है।

विनोबा ने केवल सैद्धांतिक आधार पर ही राजनीतिक प्रकारों को व्यक्त नहीं किया यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से भी नाजीवाद, फार्मावाद एवं समाजवाद को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये शासन के विभिन्न प्रकारों को जीवन के आवश्यक उपकरण मानते हैं। उनका यह विचार है कि जनता के समर्थन के बिना कोई भी शासन सफल नहीं हो सकता। यदि सब व्यक्ति शासन करने लग जायें तब भी प्रशासन का कार्य अभी स्थिर नहीं कर सकते। कुछ व्यक्ति ही हमारे योग्य होते हैं और उनमें भी एक सर्वोच्च व्यक्ति सम्पन्न होता है। जनता शासन के सिद्धांतों तथा प्रकारों से बाँधी हुई नहीं है। वह जीवन से संबंधित होती है। जब तक उनका जीवन आनन्दपूर्ण स्वरूप में नहीं है और वे जीवन कापन में कोई व्यवधान नहीं करते तब तक उनके लिए शासन की कोई भी व्यवस्था व्यर्थी

मानी जायेगी। सैद्धान्तिक दृष्टि से सिद्धान्त का निरूपण करने वाले शासन के विभिन्न सिद्धांतों की रचना करते हैं जबकि व्यवहारिक व्यक्ति शासन के प्रकार ढूँढते हैं और जनता उन्हें सहयोग देती है। सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के चिन्तक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। यदि इसके विपरीत केवल अपने विचारों के लिए शासन व्यवस्था का प्रकार प्रस्तुत किया जाये तो वह उच्छृंखलता अथवा असहिष्णुता का कारण बन जाती है जिसे लोकहितकारी कदापि नहीं माना जा सकता।

विनोबा ने शासन के सभी प्रकारों में चार सामान्य तत्त्व दर्शाये हैं जो इस प्रकार से हैं — (1) मानव जीवन की सेवा का लक्ष्य, (2) जन-सहयोग (3) क्षमतायुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रशासन, (4) एक व्यक्ति की अंतिम सत्ता। विनोबा ने इन चार सामान्य तत्त्वों के बारे में स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि उनके अनुसार मानव जीवन की सेवा करने का लक्ष्य यदि केवल स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहे तो इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि जीवन के अन्य लक्ष्यों से इसकी टकराहट होगी और उससे नवीन शासन व्यवस्था उत्पन्न होगी। इसी तरह से यदि उद्देश्य यह है कि कुछ क्षणों के लिए सेवा की जाये तो वह शीघ्र शिथिल हो जायेगा। यदि यह लक्ष्य केवल दिखावे के रूप में हंा है तो दिखावा समाप्त होते ही लक्ष्य भी समाप्त हो जायेगा। जहाँ तक जनसहयोग का प्रश्न है विनोबा का कहना है कि यह सहयोग दबाव पर आधारित होने पर स्थायी नहीं होगा। यदि इससे जनता को सुखी करने का उपक्रम अधिक रहा तो जनसहयोग की मात्रा बढ़ जायेगी। यदि शासकीय वर्ग शिक्षा पर नियंत्रण करके जनता को अधकार में रखे तो यह और भी स्थायी हो सकता है। जनता की भलाई चाहे नहीं भी हो तब भी सरकार के द्वारा दिखावा करने से जनता को कुछ समय के लिए बरगलाया जा सकता है। लेकिन यह निश्चित है कि इन सभी रीतियों से शासन अधिक दिन नहीं चलाया जा सकता। यदि जनता ने स्वेच्छा से सहयोग देने का संकल्प किया तब भी शासन तभी तक चल पायेगा जब तक कि जनता के सहयोग का दुरुपयोग नहीं होता और जनता को वफादारी के साथ विश्वासपात नहीं किया जा सकता। योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासन चलाने के मार्ग में भी अनेक बाधाएँ हैं। यदि उनका निर्वाचन किया जाता है तो उनका कार्यकाल सुशासन की मात्रा पर निर्भर करेगा। यदि वे नियुक्त किये जाते हैं तो वे तभी तक शासन कर सकते हैं जब तक जनता स्वयं इस योग्य नहीं होती तथा प्रशासकों में पारस्परिक संघर्ष नहीं होता। यदि वे खुद समीकृत होकर प्रशासन करें तो वे अधिक समय तक हावी रह सकते हैं। किन्तु जनता के सहयोग के बिना ऐसे प्रशासकों को अधिक समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिल सकता क्योंकि वे आपस में ही इर्ष्या, द्वेष के शिकार बन जाते हैं। सर्वोच्च सत्ता से युक्त व्यक्ति यदि स्वयं नियुक्त है तो वह अपने प्रभाव के समय तक ही सत्ता में रह सकेगा और यदि चुना (निर्वाचित) हुआ है तो वह अपने निर्वाचकों के प्रभाव एवम् उनकी स्वतंत्रता के अनुपात में ही शासन कर सकता है।

विनोबा ने राजनीतिक संगठनों के संबंध में राष्ट्रों के मध्य भाईचारे की भावना को राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं का मूल माना है। उन्होंने राजनीतिक आदर्शों की व्याख्या करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय ध्रातृत्व, राष्ट्र के सभी तत्त्वों में सहयोग, अभिजनों तथा जनता के हितों में एकता, समाज के सभी सदस्यों के समान विकास के प्रति सम्मानपूर्ण

रबैया, शासकीय शक्ति का विस्तृत विवरण, हुकुमत की कमी, शासकीय तंत्र की सरलता, न्यूनतम प्रशासकीय ध्यय, प्रतिरक्षा का सीमित संगठन, ज्ञान का प्रबाध विस्तार तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप की कमी आदि को शासन के प्रकारों के मापक सिद्धान्तों के रूप में माना है। उनके अनुसार नाजीवाद, फासीवाद तथा रूस का साम्यवाद प्रत्येक नृटियों से प्रस्त है। यद्यपि नाजीवाद, अधिक संगठित तथा फासीवाद की तुलना में समाज का अधिक स्पर्श करता है किन्तु शेष सभी संदर्भों में नाजीवाद और फासीवाद एक जैसे है। दोनों में प्रजातीय दंभ समान रूप से विद्यमान है और दोनों ही साम्राज्यवादी हैं। वे अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तथा पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस तथा इंग्लैंड के समान अपने साम्राज्य का विश्व में विस्तार करना चाहते हैं। रूस में समाजवाद प्रपवा साम्यवाद का जो प्रयोग हुआ है उसमें भी विश्वव्यापी विस्तारवाद की प्रवृत्ति देखी जाती है क्योंकि रूस अपने इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुआ अतः वह अपने ही राष्ट्र की सैनिक शक्ति को बढ़ाने में विश्वास करता है इसके लिए सारे सिद्धान्तों को ठाक में रख दिया गया है। रूस कृषि की पैदावार बढ़ाने में सगा हुआ है यद्यपि रूसी क्रान्ति का रंग पीला होता जा रहा है। पूंजीवाद के चार तत्त्व-केन्द्रीयकरण, मंत्रीकरण, का व्यापक उपयोग, सैन्यवाद तथा शोषण में से समाजवाद ने तीन को अंगीकार किया है और चौथे को छोड़ दिया है। यद्यपि शोषण को दूर किये जाने का प्रयास किया जाता है लेकिन समाजवाद शोषण का अन्त नहीं कर पाया। नाजीवाद तथा फासीवाद दोनों की तुलना में अधिक तथ्य संगत है। किन्तु तीनों जनता के बहुमत को संतुष्ट नहीं कर पाये हैं। लोककल्याण का सही आदर्श प्रयुक्त नहीं होता है। रूस भी जर्मनी तथा इटली के समान अन्तर्राष्ट्रीय भागृत्व का भरोसा ही सिद्ध हुआ है। सत्य का ज्ञान साम्यवादी रूस तथा नाजीवादी जर्मनी में प्रगम्भ है। शक्ति के आदर्श को दोनों ही देण समान रूप से धरनाते हैं। रूस में वर्ग-संघर्ष को हितों की एकता की तुलना में अधिक महत्त्व दिया गया है तथा साम्यवाद को राष्ट्रीय गौरव का संरक्षक बना दिया है। भारत में विदेशी संप्रभुता के कारण परम्परागत समाज में प्रजातीय गौरव को अधिक महत्त्व दिया गया है। भारत में दो प्रकार के अविधि है। एक तो वे जो नियंत्रणों के प्रति महानुभूति रखने के कारण समाजवाद की स्थापना चाहते हैं और दूसरे वे जो प्रजातीय गौरव के आधार पर भारत को संवर्धित करना चाहते हैं। भांगन के उत्स-हरण को एक और रखने के बाद यदि निष्पक्षता में मोचा जाये तो यह कहा जा सकता है कि समाजवाद की तुलना में नाजीवाद तथा फासीवाद दोनों ही कम आकर्षक दिखाई देते।

विनोबा ने नृटि रहित ज्ञान के चार प्रमुख तत्त्व बताये हैं। उनके अनुसार वह गत्वार सबसे अक्षती है जो किसी प्रकार-बिरोध पर और नहीं देती किन्तु समझ-मेल पर परिवर्तित होती रहती है। प्रशासन का प्रकार कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है जिस पर अंशक को आधारित माना जाये और जिसमें परिवर्तन की सम्भावना न हो। जब अल्प हितों अक्षरणा बिरोध में उत्र जाये तो उसे नयी अक्षरणा ग्रहण करनी होती है और वे गत्वार-हानि से रक्षण को एक और रख देने हैं। जिस समाज में बालविवाह की कुर्तियों में कृषि प्रत्य करने की आवश्यकता होती है वह अक्षर विवाह को अक्षरता सेना है और जो अक्षर विवाह में परेशान होने हैं वे बाल विवाह का समर्थन करते हैं। बालविवाह को अक्षर है कि सामाजिक पत्रन को रोकने का मार्ग अक्षरविवाह ही है। ज्ञान का वह अक्षर अक्षर

सभी व्यक्ति मिलकर सभी की समस्याओं का निवारण करें समाज के विकास के स्तर पर निर्भर करता है। जो चार तत्त्व महत्वपूर्ण हैं वे इस प्रकार से हैं :—

1. क्षमतासम्पन्न व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रयोग जनसेवा में करें।
2. व्यक्ति आत्मनिर्भर हो तथा एक दूसरे के साथ सहयोग करें।
3. उनके सहयोग का नियमित आधार अहिंसा ही होनी चाहिये तथा उममे यदा-कदा असहयोग अथवा प्रतिरोध भी विद्यमान होना चाहिये।
4. प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया ईमानदारीपूर्ण कार्य नैतिक एवम् आर्थिक दृष्टि से समान मूल्य का माना जाये।

उपर्युक्त चार विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए विनोबा ने कहा है कि जनसेवा में व्यक्तियों की प्रवृत्ति स्वस्थ लोकमत पर निर्भर करती है। ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ एवम् बौद्धिक दृष्टि से जाग्रत हैं उन्हें सत्तासम्पन्न माना गया है। तीसरी स्थिति समाज में उन व्यक्तियों के कारण उत्पन्न हुई जो पूंजीगत कारणों से उन्नत हैं। पहले के दो समूह नैसर्गिक हैं जब कि तीसरा समूह बाह्य कारणों से जनित है। ये तीनों ही समूह तीन प्रकार की क्षमताओं से युक्त हैं अतः इन तीनों को जनसेवा के कार्य में प्रयुक्त करने की आवश्यकता है। जो सरकार जन भावनाओं के अनुसार प्रशासन चलाती है उसे इन तीनों समूहों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। बौद्धिक क्षमता द्वारा जन सामान्य में ज्ञान का संचार, शारीरिक क्षमता द्वारा जनहित में शौर्यपूर्ण कार्य तथा आर्थिक सम्पन्नता के माध्यम से उत्पादन क्षमता का विस्तार एवम् समाज में समान वितरण की स्थिति को प्राप्त करना है।

लोकमत ऐसा होना चाहिये जो सत्तासम्पन्न व्यक्ति को समाज के कल्याण के विरुद्ध कार्य करने पर अपराधी ठहरा सके। किन्तु यह समस्त कार्य राज्य के नियमों के अधीन होना चाहिये। अहिंसक राज्य में कानून के नियन्त्रण का महत्व कम नहीं रहता यदि वह लोकमत के अनुकूल हो। समाज भय अथवा दण्ड के कारण सही मार्ग पर नहीं चलता। लोकमत का भय ही वास्तविक भय है जो समाज को सही मार्ग पर चलाता है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जिन्हें लोकमत नैतिकता की सीमा में नहीं बांध सकता। उमी प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो नैतिकता तथा लोकमत की परवाह नहीं करते। किन्तु सामान्य जनता अथवा जनता का बहुमत लोकमत के विपरीत काम करने से धरता है। यही लोकमत कानून का आधार है और बहुसंख्यक समाज इसका आदर करता है। लोकमत की अवहेलना करने वालों को उन श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति में रखना चाहिये जो नैतिकता से ऊपर हैं। जैसे लोकमत चोरी करने वाले के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखता उसी तरह से कृपण अथवा जमाखोर के प्रति भी अश्रद्धा का भाव होना चाहिये। उपनिषदों में राजा अश्वपति का उदाहरण विद्यमान है जिसमें वह घोषणा करता है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई कृपण अर्थात् वह कृपण तथा चोर दोनों को एक ही श्रेणी में रखता है। लोकमत द्वारा ऐसी स्थिति कानून के अन्तर्गत स्वीकार कराने का प्रयास किया जाना चाहिये।

धनिक व्यक्ति की सम्पत्ति का सामूहिक उपयोग होना चाहिये ताकि धनगम्पन्न

व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति की चिन्ता भी न रहे और सार्वजनिक उद्योगों में उस सम्पत्ति का सही उपयोग किया जा सके। विनोबा ने भारत के प्राचीन आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि प्राचीन व्यवस्था में शिदाकों को सम्पत्ति से दूर रहने का आग्रह किया जाता था ताकि वे सांसारिक चिन्ताओं से मुक्त रहे। शिष्य लोग गुरुओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। गुरु राजा पर भी नियन्त्रण रखते थे। किन्तु वर्तमान समय में यह आदर्श नहीं रहा। लोकमत की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति सम्पत्ति का भ्रजन अपने सुख के लिये नहीं करें और समाज के अन्य व्यक्तियों को कष्ट न पहुंचाये। जिस प्रकार से ज्ञान का दान करने से ज्ञान बढ़ता है उसी प्रकार से सम्पत्ति भी दान करने से बढ़ती है। सम्पत्ति का उचित वितरण सम्पत्ति में वृद्धि करनेवाला है। समाज व्यक्ति का बैंक है अतः सम्पत्ति का समाज के हार्थों नियमन सम्पत्ति की सुरक्षा का श्रेष्ठ आधार है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति समाज हित में सम्पत्ति का उपयोग करने में रचि रखता है किन्तु निजी स्वामित्व का विचार इस मार्ग में बाधक बन जाता है। सम्पत्तिवान व्यक्ति भी मानवीय हृदय से युक्त है फिर भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ भ्रामक धारणायें उसे स्वार्थी बना देती हैं।

विनोबा के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह परिवार की धार्मिक व्यवस्था को समाज पर लागू करे और लंगड़े तथा अन्धे वाली कटायत को भरितार्थ करे। यह कार्य राज्य ही कर सकता है परिवार नहीं कर सकता। यदि राज्य ऐसा नहीं कर सकता तो राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। राज्य को धार्मिक प्रमत्तता दूर करनी चाहिये। यदि राज्य इस कार्य में विफल हो जाये तो ऐसे राज्य को नष्ट करने पराजयता की स्थापना कुरी नहीं कहलायेगी। प्रशासनो ने पराजयता का भय फैलाकर जनता की मनमाने नियम मानने के लिये बाध्यकारी भीष्ता स्थापित करदी है। जब तक जनता में जादृति नहीं आती तब तक सत्ता सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा समाज हित में उनकी शमता का उपयोग नहीं हो सकता। राज्य के अन्तर्गत शमता-विहीन व्यक्तियों का भी सम महत्व नहीं होगा। शमतावान तथा शमताविहीन दोनों प्रकार के व्यक्ति मिलकर ही एक दूसरे की महायता करते हुए राज्य के कार्य को सफल बना देते हैं। यद्यपि राज्य की सत्ता शमतासम्पन्न व्यक्तियों में ही निहित होनी चाहिये किन्तु सत्ता का प्रयोग जन हित में ही किया जाना चाहिये।

शमतावान व्यक्तियों को जनसेवा के कार्य में लगाने रखने के लिए सामोदोषों का विनाश तथा सामो को आत्मनिर्भर बनाने की योजना लागू की जानी चाहिये। व्यक्ति यदि अशमताय अनुभव करता है तो वह जनसेवा का कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे उद्योगों की स्थापना होनी चाहिये जो व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित हों। अन्य व्यक्तियों द्वारा स्थापित उद्योगों मददवा कारखानों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनता। मात्र में बताने वाले प्रदेव व्यक्ति की दैनिक जीवन की आवश्यकता मात्र में ही पूरी होनी चाहिए। अन्य आवश्यकताओं की मात्र द्वारा पूर्ति की जा सकती है। सामोदोषों द्वारा अपने शरीर में उपाया जाने वाला कष्ट मान सामोदोषों के द्वारा नियंत्रित बाधुओं में धराया जाना चाहिए। मात्र मात्र यह है कि सामोदोषों में उपाय होने बाधा कष्ट मान सामो द्वारा स्वयं उपयोग में ली जाया जाय। प्रदेव बहु मात्र प्रेक्ष हो जाती है। मात्र

वाले तिलहन को बेच देते हैं और स्वयं की आवश्यकता के लिए तेल भी शहरों से खरीद कर लाते हैं। वे रूई का उत्पादन करते हैं फिर भी कपड़े तथा बोनो के लिए कपास भी खरीद कर लाते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ती है जिसमें उन्हें पूरा आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। व्यक्तियों की ऐसी सहाय्य स्थिति न तो जनता के लिए हितकारी है न राज्य के लिए और न मुट्ठी भर क्षमतावान व्यक्तियों के लिए। समाज का आदर्श संगठन वही हो सकता है जिसमें ग्रामोद्योगों का जाल सा विद्या हुमा हो और जो देश भर में कृषि को सहायता पहुंचा सके। राज्य को इस कार्य में सुरक्षा तथा सन्तुलन कायम करना होगा। पूंजी का समान वितरण सर्वत्र होने वाली वृंदावादी के समान है ताकि जनता में आत्मनिर्भरता पैदा हो और क्षमतावान व्यक्ति जनता की और जनता क्षमतावान व्यक्तियों की सेवा कर सके। व्यक्तियों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योगों के अलावा और कोई मार्ग नहीं है।

उपर्युक्त योजना के विकल्प में समाजवादियों ने अलग योजना प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत वे पहले पूंजी का केन्द्रीयकरण करके फिर उसका समान वितरण करना चाहते हैं किन्तु इस योजना से तीन हानियाँ हो सकती हैं। प्रथम, इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि इसमें दोहरी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है अर्थात् पहले पूंजी एक स्थान पर संगृहीत की जाती है और फिर उसका समान वितरण किया जाता है। द्वितीय, संग्रहीत पूंजी की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है फिर भी बाह्य आक्रमण का भय बना रहता है। तृतीय, इन सब के कारण समाज का संगठन इतना पेचीदा हो जाता है कि आन्तरिक संघर्ष के कारण कभी भी व्यवस्था समाप्त हो सकती है। अन्तर्निर्भरता का पैचीदापन इसके लिए उत्तरदायी है। यदि अन्तर्निर्भरता सरल हो तो इस भय से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आत्मनिर्भर अथवा शक्तिशाली समूहों में अन्तर्निर्भरता आसान रहती है। इसके विपरीत स्थिति गाड़ी में जुते हुए दो कमजोर बैलों के समान है। समाजवादी व्यवस्था पारस्परिक रूप से जुड़े हुए विभिन्न चक्रों के समान है जिसमें एक भी चक्र रुकने पर सारी मशीन रूक जाती है और उसको सुधारने का कार्य भी सुगम नहीं होता। यदि यह मशीन चलती भी रहे तो उसमें ऐसे कई स्थल होंगे जहाँ घर्षण के कारण तेल देने की आवश्यकता रहेगी। अतः समाजवादी योजना सरल नहीं कही जा सकती। यह राज्य पर अधिभार का कारण बन जाती है और हिंसा से इसे मुक्त नहीं रखा जा सकता। समाज के संगठन को सरल बनाने के लिए राज्य पर अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके स्थान पर प्रत्येक ग्रामीण को अपना स्वयं का शासक तथा ग्रामीणों को परस्पर सहयोग के द्वारा एक गुंथे हुए रस्से के समान बनाने की आवश्यकता है।

स्वशासी गांवों को प्रान्तीय राजनीतिक संगठन के अन्तर्गत लाना है और इन प्रान्तीय राजनीतिक संगठनों को राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के अन्तर्गत तथा स्वशासी राष्ट्रों को मानवीयता के राजनीतिक संगठन के अन्तर्गत लाना ही सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। मानवीय राजनीतिक संगठन विश्वसंसद् का रूप ग्रहण कर सकता है। इस संसद् में विश्व के समस्त प्रतिनिधि किसी प्रकार को शारीरिक शक्ति अथवा दण्ड शक्ति का अधिकार नहीं रखेंगे केवल नैतिक शक्ति तथा नियन्त्रण ही इस राजनीतिक संगठन का

प्राधार होगा। इस प्रकार के मानवीय संगठन की स्थापना भविष्य के राजनीतिक बर्माणम की मूल आवश्यकता है। यह कहना कि राजनीति में केन्द्रीय राज्य व्यवस्था शक्तिशाली हो सर्वथा मिथ्यापूर्ण है। नैतिक शक्ति के लिए बुद्धिमत्ता एवं चारित्रिक गुणों की आवश्यकता होती है और इस शक्ति द्वारा पाशविक शक्ति से भी अधिक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता तथा एक दूसरे का सहयोग नहीं बनता तब तक ऐसे विश्वव्यापी राजनीतिक संगठन का प्राधार निमित्त नहीं हो सकता।

शासन का राजनीतिक प्रकार चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो व्यवहार में यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह मानवीय तत्त्व पर कितना प्राधारित है। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले शासक अपने स्वयं के गुणदोषों को राज्य व्यवस्था के माध्यम से प्रकट करते हैं। अच्छे राज्य का प्रमुख निर्माणक तत्त्व यह है कि अच्छे व्यक्ति ही शासन करने के लिए चुने जाये। फिर भी प्रशासन पर अच्छे प्रपक्वा बुरे व्यक्तियों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। राजनीतिक संगठन का विज्ञान प्रपक्वा राजनीति का विज्ञान व्यवहारिक गणितशास्त्र की तरह कोई नियमित विज्ञान नहीं है और शुद्ध गणित शास्त्र तो कतई नहीं है। शुद्ध गणित शास्त्र सैद्धान्तिक चिन्तन के क्षेत्र में रहता है। जब कि एक व्यवहारिक गणित शास्त्र पदार्थ के विश्व में रहता है। राजनीति का क्षेत्र मानवीय सम्बन्धों का क्षेत्र है जो कि स्थूल चिन्तन एवम् पदार्थ दोनों क्षेत्रों से ही भिन्न है। इस कारण से राजनीति को मानवीय तत्त्व विहीन, स्वतन्त्र यान्त्रिक स्वरूप नहीं दिया जा सकता। राजनीति का उद्देश्य सभी व्यक्तियों के सम्पूर्ण कल्याण की सुरक्षा प्रदान करना है और यह इस प्रकार से कि जिससे संपर्क की स्थिति उत्पन्न न हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विस्तृत मताधिकार, बहुमत के अनुगार शासन, अल्प संस्थकों की सुरक्षा तथा उनमें पूर्ण सन्तोष की भावना प्राप्त करना आवश्यक है। वैचारिक स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासन की तटस्थता एवम् सुलभता, सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, सुधारक दृष्ट संविधाना प्रादि अच्छे शासन के बाह्य निर्माणक तत्त्व हैं।

सहयोग जीवन का शाश्वत नियम है किन्तु यह सभी सम्भव है जब कि यह स्वीकार हो और पूर्णतया अहिंसा पर प्राधारित हो। अज्ञानतावश प्रपक्वा विवकता से दिया गया सहयोग अच्छे राज्य के लिए निरर्थक है। क्योंकि यह अधिक दिन तक स्थिर नहीं रह सकता इसके प्रच्छन्न हिंसा तथा बाद में हिंसा का प्रसव रूप उभरता है। समाज में अनेक व्यक्ति द्वारा कानून का शासन दिया जाना चाहिये और तब तब कानून को सम्पन्न देना चाहिए जब तक वह नैतिकता के विरुद्ध न हो। लेकिन जब व्यक्ति कानून में अल्पमत में हो तभी उसे उभरकर विरोध करना चाहिए और वह भी अहिंसक रीति से। सहयोग देने वाला ही आवश्यकता पड़ने पर अग्रहयोगी बन सकता है। ऐसे ही व्यक्ति अहिंसक प्रतिरोध भी प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए प्रतिरोध बर्माण्य बन जाता है। राज्य के अनेक नागरिक को सहयोग की शिक्षा दी जानी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें अग्रहयोगी बनने तथा प्रतिरोध करने का भी पाठ पढ़ाना जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर अहिंसक अग्रहयोग भी किया जा सकता है।

अग्रहयोग एवं प्रतिरोध में समानता होने हुए भी एक अलग है। प्रतिरोध अहिंसक

वाले तिलहन को बेच देते हैं और स्वयं की आवश्यकता के लिए तेल भी शहरों से खरीद कर लाते हैं। वे रूई का उत्पादन करते हैं फिर भी कपड़े तथा बोनो के लिए कपास भी खरीद कर लाते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ती है जिसमें उन्हें पूरा आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। व्यक्तियों की ऐसी प्रसहाय स्थिति न तो जनता के लिए हितकारी है न राज्य के लिए और न मुट्ठी भर क्षमतावान व्यक्तियों के लिए। समाज का आदर्श संगठन वही हो सकता है जिसमें ग्रामीणों का जाल सा विद्या हुआ हो और जो देश भर में कृषि को सहायता पहुंचा सके। राज्य को इस कार्य में सुरक्षा तथा सन्तुलन कायम करना होगा। पूंजी का समान वितरण सर्वत्र होने वाली बूँदाबाँदी के समान है ताकि जनता में आत्मनिर्भरता पैदा हो और क्षमतावान व्यक्ति जनता की और जनता क्षमतावान व्यक्तियों की सेवा कर सके। व्यक्तियों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योगों के अलावा और कोई मार्ग नहीं है।

उपयुक्त योजना के विकल्प में समाजवादियों ने अलग योजना प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत वे पहले पूंजी का केन्द्रीयकरण करके फिर उसका समान वितरण करना चाहते हैं किन्तु इस योजना से तीन हानियाँ हो सकती हैं। प्रथम, इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि इसमें दोहरी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है अर्थात् पहले पूंजी एक स्थान पर संगृहीत की जाती है और फिर उसका समान वितरण किया जाता है। द्वितीय, संग्रहीत पूंजी की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है फिर भी बाह्य आक्रमण का भय बना रहता है। तृतीय, इन सब के कारण समाज का संगठन इतना पेचीदा हो जाता है कि आन्तरिक संघर्ष के कारण कभी भी व्यवस्था समाप्त हो सकती है। अन्तर्निर्भरता का पैचीदापन इसके लिए उत्तरदायी है। यदि अन्तर्निर्भरता सरल हो तो इस भय से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आत्मनिर्भर अथवा शक्तिशाली समूहों में अन्तर्निर्भरता आसान रहती है। इसके विपरीत स्थिति गाड़ी में जुते हुए दो कमजोर बैलों के समान है। समाजवादी व्यवस्था पारस्परिक रूप से जुड़े हुए विभिन्न चक्रों के समान है जिसमें एक भी चक्र रुकने पर सारी मशीन रुक जाती है और उसको सुधारने का कार्य भी सुगम नहीं होता। यदि यह मशीन चलती भी रहे तो उसमें ऐसे कई स्थल होंगे जहाँ घर्षण के कारण तेल देने की आवश्यकता रहेगी। अतः समाजवादी योजना सरल नहीं कही जा सकती। यह राज्य पर अधिभार का कारण बन जाती है और हिंसा से इसे मुक्त नहीं रखा जा सकता। समाज के संगठन को सरल बनाने के लिए राज्य पर अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके स्थान पर प्रत्येक ग्रामीण को अपना स्वयं का शासक तथा ग्रामीणों को परस्पर सहयोग के द्वारा एक गुंथे हुए रस्से के समान बनाने की आवश्यकता है।

स्वशासी गावों को प्रान्तीय राजनीतिक संगठन के अन्तर्गत लाना है और इन प्रान्तीय राजनीतिक संगठनों को राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के अन्तर्गत तथा स्वशासी राष्ट्रों को मानवीयता के राजनीतिक संगठन के अन्तर्गत लाना ही सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। मानवीय राजनीतिक संगठन विश्वसंसद् का रूप ग्रहण कर सकता है। इस संसद् में विश्व के समस्त प्रतिनिधि किसी प्रकार को शारीरिक शक्ति अथवा दण्ड शक्ति का अधिभार नहीं रखेंगे केवल नैतिक शक्ति तथा नियन्त्रण ही इस राजनीतिक संगठन का



आधार होगा। इस प्रकार के मानवीय संगठन की स्थापना भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रम की मूल आवश्यकता है। यह कहना कि राजनीति में केन्द्रीय राज्य व्यवस्था शक्तिशाली हो सर्वथा मिथ्यापूर्ण है। नैतिक शक्ति के लिए बुद्धिमत्ता एवं चारित्रिक गुणों की आवश्यकता होती है और इस शक्ति द्वारा पाशविक शक्ति से भी अधिक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता तथा एक दूसरे का सहयोगी नहीं बनता तब तक ऐसे विश्वव्यापी राजनीतिक संगठन का आधार निर्मित नहीं हो सकता।

शासन का राजनीतिक प्रकार चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो व्यवहार में वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह मानवीय तत्त्व पर कितना आघातित है। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले शासक अपने स्वयं के गुणदोषों को राज्य व्यवस्था के माध्यम से प्रकट करते हैं। अच्छे राज्य का प्रमुख निर्माणक तत्त्व यह है कि अच्छे व्यक्ति ही शासन करने के लिए चुने जाये। फिर भी प्रशासन पर अच्छे अथवा बुरे व्यक्तियों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। राजनीतिक संगठन का विज्ञान अथवा राजनीति का विज्ञान व्यवहारिक गणितशास्त्र की तरह कोई नियमित विज्ञान नहीं है और शुद्ध गणित शास्त्र तो कतई नहीं है। शुद्ध गणित शास्त्र सैद्धान्तिक चिन्तन के क्षेत्र में रहता है। जब कि एक व्यवहारिक गणित शास्त्र पदार्थ के विश्व में रहता है। राजनीति का क्षेत्र मानवीय सम्बन्धों का क्षेत्र है जो कि स्थूल चिन्तन एवम् पदार्थ दोनों क्षेत्रों से ही भिन्न है। इस कारण से राजनीति को मानवीय तत्त्व विहीन, स्वतन्त्र यान्त्रिक स्वरूप नहीं दिया जा सकता। राजनीति का उद्देश्य सभी व्यक्तियों के सम्पूर्ण कल्याण की सुरक्षा प्रदान करना है और वह इस प्रकार से कि जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विस्तृत मताधिकार, बहुमत के अनुसार शासन, अल्प संख्यकों की सुरक्षा तथा उनमें पूर्ण सन्तोष की भावना जाग्रत करना आवश्यक है। वैचारिक स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासन की तटस्थता एवम् सुलभता, सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, सुधारक दण्ड संहिता आदि अच्छे शासन के बाह्य निर्माणक तत्त्व हैं।

सहयोग जीवन का शाश्वत नियम है किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि वह स्वेच्छिक हो और पूर्णतया अहिंसा पर आधारित हो। अज्ञानतादश अथवा विवशता में दिया गया सहयोग अच्छे राज्य के लिए निरर्थक है। क्योंकि यह अधिक दिन तक स्थिर नहीं रह सकता इससे प्रच्छन्न हिंसा तथा बाद में हिंसा का प्रत्यक्ष रूप उमड़ता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कानून का पालन किया जाना चाहिये और तब तक कानून को समर्थन देना चाहिए जब तक वह नैतिकता के विरुद्ध न हो। लेकिन जब व्यक्ति कानून से सहमत न हो तभी उसे उसका विरोध करना चाहिये और वह भी अहिंसक रीति से। सहयोग देने वाला ही आवश्यकता पड़ने पर असहयोगी बन सकता है। ऐसे ही व्यक्ति अहिंसक प्रतिरोध भी प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए प्रतिरोध कर्त्तव्य बन जाता है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को सहयोग की शिक्षा दी जानी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें असहयोगी बनने तथा प्रतिकार करने का भी पाठ पढाया जाना चाहिये ताकि आवश्यकता पड़ने पर अहिंसक असहयोग भी किया जा सकता है।

असहयोग एवं प्रतिरोध में समानता होते हुए भी एक अन्तर है। प्रतिरोध अधिक

वाध्यकारी होता है। यदि असहयोग से काम चल जाये तो प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। असहयोग के असफल होने पर ही प्रतिरोध करना चाहिए और वह भी सविनय अवज्ञा के रूप में। प्रतिरोध अनुशासित होना चाहिए गोपनीय नहीं होना चाहिए तथा दृढ़ता के साथ किया जाना चाहिये। प्रतिरोध के कारण दिया गया दंड बिना किसी विरोध अथवा घृणा के स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए जनता का सही शिक्षण तथा राष्ट्र की नैतिक नियमावली में इसका समावेश आवश्यक है। सामाजिक जीवन में असहयोग का महत्त्व और भी अधिक है। सामाजिक सम्बन्धों में, पारिवारिक मामलों तथा व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में असहयोग का स्थायी महत्त्व है। अन्याय का भार वहन करने तथा हिंसक प्रतिरोध करने के मध्य अहिंसक असहयोग एवं प्रतिरोध कड़ी का काम करता है। राज्य की प्रगति, व्यक्तियों की मन:स्थिति तथा आन्दोलनकारियों की शक्ति चाहे कुछ भी क्यों न हो समाज में असहयोग को स्थायी महत्त्व मिलना चाहिए।

विनोबा भावे ने असहयोग की शिक्षा को बाल्यकाल से देने का आग्रह किया है। उनका यह कहना है कि माता-पिताओं को बच्चों के बाल्यकाल में ही आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाना चाहिए और उन्हें यह भी सिखाना चाहिये कि उनकी अन्तरात्मा किसी आज्ञा का पालन करने के विरुद्ध हो तो वे माता-पिताओं की आज्ञाओं का भी उल्लंघन कर सकते हैं। आगे चलकर इसीसे स्वस्थ लोकमत का निर्माण हो सकता है। मनुवैवस्वत ने यह कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति सिद्धांतों का आदर करते हैं अर्थात् सत्य के शाश्वत नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि परिवार, समाज तथा राष्ट्र के सभी प्रकार के नियमों को आँख मूँदकर स्वीकार कर लिया जाये। उनका तात्पर्य यही है कि नैतिक सिद्धांतों के विपरीत बने नियमों को स्वीकार नहीं किया जाये। अच्छे समाज में अनैतिक सिद्धांतों के लिए कोई सिद्धांत नहीं होता है फिर भी यदि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो तो आत्मविवेक से उसका निपटारा हो सकता है। आदर्श राज्य की स्थापना के पश्चात् भी जनता को जागृत रहने की आवश्यकता है अन्यथा व्यक्ति का स्वतन्त्र विकास अवरुद्ध हो जायेगा। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ अनेक समुदाय, धर्म तथा भाषायें हैं वहाँ समस्याओं का निदान ढूँढना सम्पूर्ण विश्व की समस्याओं का निदान ढूँढने के समान है। भारत जैसे बहुसंख्यक देश में जब संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ था उस समय उन्हें एक राष्ट्र में बाँधकर रखने के लिए जो प्रयास किये गये होंगे वे अकथनीय हैं। अहिंसा के द्वारा ही इतने बड़े राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर रखा जा सकता है। यही कारण है कि भारत की राजनीति में अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। राजनीति ही नहीं अपितु सामाजिक जीवन, पारिवारिक मामलों, आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्रों में भी अहिंसा का अनुसरण किया गया है। दीर्घकाल से चली आ रही अहिंसा की इस धारणा के कारण भारतवासियों ने अपने को एक राष्ट्र ही माना है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को मानवता के समुद्र की संज्ञा दी है। ऐसा समुद्र जो सभी के लिए सुला है। इतना होने पर भी राजनीति के क्षेत्र में अहिंसा का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। अहिंसा का पालन सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन में अवश्य किया गया है। सामाजिक जीवन में अहिंसा के प्रयोग का परिणाम यह हुआ है कि देश पर आक्रमण करने वाली विभिन्न विदेशी जातियाँ भारत राष्ट्र का अंग बन गईं।

यदि यह पूछा जाये कि राजनीतिक जीवन में अहिंसा का प्रयोग क्यों नहीं हुआ तो विनोबा के अनुसार इसका एक ही उत्तर है कि भारत में राजनीति का कभी महत्त्व नहीं रहा। आधुनिक परिस्थिति में राजनीति ने जीवन के सभी क्षेत्रों को आच्छादित कर दिया है और इसके कारण छोटे-बड़े सभी अच्छे व्यक्ति राजनीति के प्रति अन्वयमनस्क नहीं हो सकते।

राजनीति की व्यापकता के कारण भारत में अहिंसा के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। हिंसा की क्षमता एवं भावना के बने रहते भी राजनीतिक प्रशासन में जो कि जीवन के समान विस्तृत है हिंसा के लिए कोई सम्भावना नहीं है। अतः सभी व्यक्तियों के लिए अहिंसा का प्रयोग आवश्यक हो गया है। अहिंसा के कारण दुष्ट व्यक्ति में भी श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। समाज की सुरक्षा के लिए समझदार नागरिकों द्वारा अहिंसा के हथियार का प्रयोग राज्य द्वारा बिना किसी नियंत्रण के प्राप्त होना चाहिये। यदि यह अधिकार राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाता तो जनता सत्याग्रह के द्वारा प्राप्त करेगी। प्रशासकों द्वारा भी अहिंसक मनोवृत्ति काम में लायी जानी चाहिये और उन्हें हिंसा का त्याग कर देना चाहिए अन्यथा जब जनता दुबल हो जाती है, अच्छे व्यक्ति अन्वयमनस्क हो जाते हैं और बुरे व्यक्तियों का सामना करने के लिए केवल प्रौढ सभ्य ही रह जाते हैं तब प्रशासकों के सामने हिंसा का प्रतिरोध करने के लिए प्रतिहिंसा का मार्ग ही शेष रह जाता है। इसके विपरीत सभी जागृत व्यक्तियों के एक जुट हो जाने पर दुष्ट व्यक्तियों का भी अहिंसा से सामना किया जा सकता है और उनकी दुष्टता को दूर किया जा सकता है। इसका यह परिणाम होगा कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़कर अहिंसा के प्रति श्रद्धावन्त हो जायेगा। अच्छे शासन के लिए यही एक मापदण्ड है, शेष कार्य द्वितीय स्तर के हैं। जिस शासन में इसकी कमी है वह एक ऐसे सुन्दर चित्र के समान है जो जीवनहीन है।

आदर्श राज्य में श्रम का मूल्य यान्त्रिक श्रम या अनुत्तरदायी नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति समान श्रम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी क्षमता भिन्न होती है लेकिन राज्य को यह चाहिये कि वह सभी को समान सुरक्षा प्रदान करे। शारीरिक एवं मानसिक कार्य का भेद बना रहेगा और शारीरिक कार्य में भी दक्ष एवं अदक्ष का अन्तर मिटाया नहीं जा सकता। फिर भी अपनी क्षमतानुसार कार्य करने वाले व्यक्ति को जीविकोपार्जन का समान अधिकार मिलना चाहिये यदि व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से तथा समाज हित में करे। सेवा का आर्थिक मूल्य एक त्रुटिपूर्ण विचार है। सेवा का क्षेत्र आर्थिक नहीं किन्तु नैतिक है अतः उसका मूल्यांकन नैतिकता की दृष्टि से ही किया जा सकता है। खण्डावस्था में पड़े हुए व्यक्ति की सेवा करना और रात भर जगकर उसकी सुश्रूषा करने को आर्थिक तराजू में कैसे तोला जा सकता है? इस कार्य को अमूल्य ही माना जायेगा। मूल मापदण्ड समाज की सेवा करने का है और इसके लिए समाज का ही उत्तरदायित्व है कि वह सेवा करने वाले व्यक्ति को संबल प्रदान करे। परिवार में भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी से कार्य करता है और उसे परिवार का समान संरक्षण प्राप्त होता है। यदि इस पारिवारिक सिद्धांत को मान लिया जाये तो आधुनिक समय के प्रचलित वेतन भत्ते आदि की मान्यता प्रभावहीन हो जायेगी। परिवार में माता-पिता अपने से भी अधिक बच्चों के लालन-पालन पर खर्च करते हैं। बच्चे उनके समान परिवार की सेवा नहीं कर सकते फिर भी माता-पिता अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उन्हें

भविष्य में योग्यतापूर्वक कार्य करने के लायक बनाते हैं। जिस प्रकार से माता-पिता बच्चों के लालन-पालन में उनसे कोई आकांक्षा नहीं रखते उसी प्रकार से राज्य को भी सभी व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कर्त्तव्य निर्वाह करना चाहिये और जनता को भी समाज की सेवा का कर्त्तव्य निभाना चाहिए। राज्य को कभी भी अपने द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को व्यक्तियों द्वारा की गई सेवा से नहीं तोलना चाहिए क्योंकि यह तो स्वयं संतुलित होने वाली प्रतिक्रिया है। राज्य द्वारा प्रदत्त सुरक्षा तथा वेतन में अन्तर को समझना आवश्यक है। राज्य समान सुरक्षा प्रदान कर सकता है लेकिन सबको समान वेतन नहीं दे सकता। व्यक्ति को उतना ही वेतन मिल सकता है जिससे राज्य समान सुरक्षा प्रदान करने के उत्तरदायित्व का वहन कर सके। हो सकता है कि अत्यन्त क्षमतावान् व्यक्ति जिसकी आवश्यकताएँ कम हैं उसे कम वेतन दिया जाये तथा कम क्षमतावाला व्यक्ति जिसकी आवश्यकताएँ अधिक हैं अधिक वेतन प्राप्त करे। एक सेनापति जिसकी क्षुधा तीव्र हो उसे कम दैनिक भत्ता मिले जब कि एक सामान्य सिपाही जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है उसे अधिक भत्ता दिया जाये। विनोबा ने उपर्युक्त आर्थिक विचारों का सारांश प्रस्तुत करते हुए उन्हें क्रमबद्ध रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है :—(1) प्रत्येक व्यक्ति को समान संरक्षण प्राप्त होगा, (2) प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करेगा जो कि असमान होगी, (3) समान संरक्षण का अर्थ समान वेतन नहीं है, (4) वेतन की वर्तमान असमानता नहीं बनाये रखी जा सकती, (5) वेतन की असमानता कम से कम होगी तथा व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार होगी, (6) वेतन की असमानता सेवा की असमानता के अनुपात में ही नहीं होगी किन्तु आवश्यकता की असमानता के अनुरूप होगी, (7) सभी व्यक्तियों द्वारा की गई कुल सेवा तथा राज्य द्वारा प्रदान किये गये संरक्षण की मात्रा एक दूसरे के समान होगी।

उपर्युक्त सात सिद्धांतों पर आधारित श्रम संगठन सर्वथा अपरिचित नहीं है। भारत के गाँवों में सम्मिलित रूप से किया गया कार्य जिसमें सभी समान श्रम नहीं करते बंटवारे के समय समान लाभ प्राप्त करते हैं। समूह के रूप में काम करने से स्वतः उत्साह की वृद्धि होती है और भाईचारे की भावना बढ़ती है। झालसी व्यक्ति को काम चुराने का मौका नहीं मिलता और अधिक श्रम करने वाले को कुछ विशेष सुविधा प्राप्त हो जाती है। काम का यही प्रकार पूरे समाज में प्रचलित किया जा सकता है। समाज में इस प्रकार का प्रयोग शिक्षित व्यक्तियों के विरोध का कारण बन सकता है। लेकिन यदि वे भाईचारे के आधार पर इस व्यवस्था को स्वीकार करें तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगेगी कि इस व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है। समाज में पुरुषों तथा स्त्रियों में भी वेतन की असमानता नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों के कार्य में अधिक कलात्मकता होती है यद्यपि वे पुरुषों के समान शारीरिक श्रम नहीं कर सकती। आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक समानता के विचार के अन्तर्गत पुरुषों तथा स्त्रियों को एक स्थान पर रखा जाये। यदि श्रम की दृष्टि से कोई वास्तविक अन्तर है तो वह ईमानदारी से किया गया श्रम तथा बेईमानी से किये गये श्रम का अन्तर है। इसी तरह कुशल एवं अकुशल श्रम के अन्तर को भी नहीं टाला जा सकता। बेमानी श्रम को राज्य सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। यद्यपि राज्य को बेईमान व्यक्तियों को सुधारने का उत्तरदायित्व वहन करना

चाहिये और सुधार की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें भी संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार से यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह अकुशल श्रम को कुशल श्रम में परिवर्तित करे। ऐसे कार्य जिसमें कुशलता की आवश्यकता नहीं होती वह भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है और वह कार्य अकुशल श्रम को सौंपा जा सकता है।

प्राधुनिक समय में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना सामाजिक दृष्टि से अधिक लाभकारी सिद्ध हुई है। बच्चे में अपने कार्य की कुशलता से प्राप्त सौ पुरस्कार भी उतना संतोष उत्पन्न नहीं करते जितना अपनी माता द्वारा प्राप्त प्रशंसा का एक शब्द। यदि पुरस्कार से ही उत्साह उत्पन्न होता है तो वह व्यक्ति को लालची बना देगा। प्राथिक असंतुलन को दूर करने अथवा सामाजिक संतुलन की स्थापना करने का यही उपाय है कि सामाजिक भावना का उचित संचार किया जाये और ऐसे प्राथिक संगठन का निर्माण किया जाये जिसमें व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार प्राथिक लाभ का भ्रवसर मिले। विनोबा ने इस दृष्टि से हिन्दू धर्म के अन्तर्गत वंश परम्परागत व्यावसायिक समूहों के सामाजिक संगठन को एक महान उपलब्धि माना है किन्तु वे बाद के समय में इस व्यवस्था में उत्पन्न हुई ऊंच नीच की भावना को इस व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने का कारण मानते हैं। उनकी मान्यता है कि प्राथिक प्रतिस्पर्धा के कारण पतृक व्यवसायिक पद्धति अधिक जर्जरित हुई है। पतृक व्यवसायिक पद्धति की विशेषताओं की चर्चा करते हुए विनोबा ने यह कहा है कि इस व्यवस्था में व्यक्ति समाज द्वारा प्रदत्त कार्य करता है, समाज व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य का भ्रवसर देता है, उसकी पतृक कुशलता उसे कार्य के योग्य प्रशिक्षण देने में सहायता पहुंचाती है, प्रशिक्षित व्यक्ति प्रशिक्षण के अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य मानता है, कोई अन्य व्यक्ति उसके कार्य में प्रतिस्पर्धा नहीं करता, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक वेतन एवं संरक्षण प्राप्त होता है तथा निष्ठा से किये गये कार्य को समान मान्यता प्राप्त होती है परिणाम यह होता है कि व्यक्ति सेवा को ही धर्म मानते हुए ईश्वर को प्रसन्न करता है। पतृक व्यवसायात्मक समूहों का उपर्युक्त संगठन सामाजिक शान्ति तथा प्राथिक संतुलन का मुन्दर प्रयोग रहा है। विनोबा के अनुसार आदर्श राज्य का गठन ऐसे ही सामाजिक संगठन पर आधारित होना चाहिए। वे जाति व्यवस्था को उसकी तीन मौलिक विशेषताओं के कारण उपयोगी मानते हैं :— (1) आवश्यकतानुसार वेतन, (2) प्रतिस्पर्धा का अभाव, (3) ऐसी शिक्षा की व्यवस्था जो व्यक्ति के पतृक गुणों का पूरा पूरा लाभ उठा सके। उनके अनुसार प्रथम दो विशेषताएं अर्थशास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथा तीसरी विशेषता समाजशास्त्र की दृष्टि से उपयोगी है। कतिपय व्यक्ति तीसरी विशेषता को स्वीकार नहीं करते ऐसी स्थिति में पहली दो विशेषताओं को स्वीकार किया जा सकता है। यदि तीसरी विशेषता भी सत्य सिद्ध हो तो ऐसे पतृक व्यवसायिक समूहों को पुनर्जीवित कराने में संकोच नहीं करना चाहिये। किन्तु ऊंच नीच का भेद-भाव इसमें से पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए ताकि यह व्यवस्था समाज को लोहपाश में न जकड़ ले। उनके अनुसार हमें प्रकार से अधिक तत्त्व पर जोर देना चाहिये। सेवा की भावना, स्वावलम्बन, अहिंसक शक्ति तथा सभी को आवश्यकतानुसार वेतन ये चार ऐसे स्तम्भ हैं जिस पर राज्य रूपी भवन की आधारशिला रखी हुई है। राज्य का बाह्य स्वरूप समाज के मानसिक स्तर तथा देशकाल के भेद के कारण भिन्नता रख सकता है किन्तु राज्य के

उद्देश्यों में मौलिक समानता सर्वत्र विद्यमान है। इसी प्रकार से परिवार का बाह्य स्वरूप भी छोटा बड़ा हो सकता है किन्तु परिवार का मूल विचार सर्वत्र एक जैसा है। राजनीतिक विचारक भी चिकित्साशास्त्रियों के समान अपने विचारों को एकमात्र रामबाण औषधि मानते हैं किन्तु आज जब गणितशास्त्र भी सापेक्षता के विचार को स्वीकार कर चुका है तो फिर राजनीति अथवा सामाजिक संगठनों के शास्त्र को अपने विचारों की पूर्ण सत्यता पर जोर नहीं देना चाहिये। विज्ञान के क्षेत्र में दो प्रकार के विज्ञान दिखाई देते हैं : एक मानव को नियंत्रित करनेवाले विज्ञान तथा दूसरे मानवों द्वारा नियंत्रित होनेवाले विज्ञान। इन दोनों में गहन अन्तर है इस अन्तर को भुलाकर नियंत्रित करनेवाले विज्ञानों को नियंत्रित विज्ञानों के समान मानना अज्ञानिक है। सुशासन के लिए पहले वर्णित चार सिद्धान्तों को ही मान्यता प्राप्त होनी चाहिये ताकि जनता का कल्याण एवं सुख प्राप्त किया जा सके और शेष सभी विवाद परिस्थितियों के अनुसार निश्चित किये जाने के निमित्त छोड़ देने चाहिये।

विनोबा के अनुसार अहिंसा पर आधारित शासन अधिक स्थायी होता है। यद्यपि इतिहास में अहिंसा पर आधारित राज्य का उदाहरण मिलना कठिन है। फिर भी यह कहा जा सकता है हिंसा पर आधारित राज्य की लम्बे समय से चली आ रही मान्यता यह सिद्ध करती है कि हिंसा ही सब कुछ नहीं है। जिन राज्यों में हिंसा के द्वारा सरकार की स्थापना की गयी है वे भी जनमत का समर्थन अर्थात् अहिंसा का समर्थन पाने के इच्छुक हैं ताकि उनकी शासन व्यवस्था बनी रहे। हिंसा से प्रतिहिंसा और भी उभरती है और अन्त में परिणाम युद्ध होता है। अतः हिंसा को शासन का आधार नहीं बनना चाहिए। नैतिक दृष्टिकोण से भी सभी व्यक्तियों पर अहिंसा की मान्यता को ताकिक दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। आज के विश्व में युद्ध से उत्पन्न समस्त खामियों के प्रति व्यक्ति सचेत है क्योंकि इन युद्धों में राष्ट्रों का बहुत ध्वंस हुआ है। अतः भविष्य में युद्ध के लिए विशेष सम्भावना दिखाई नहीं देती क्योंकि हिंसा का स्थान अहिंसा लेती जा रही है। न केवल जनमत किन्तु विश्व का बहुसंख्यक जन समुदाय इसी परिणाम पर पहुँच रहा है।

अहिंसा में विरोधी को समाप्त करने के लिए कोई स्थान नहीं है। विरोधी को समाप्त करने के स्थान पर विरोधी के हृदय को परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। अहिंसा में एक व्यक्ति की विजय दूसरे व्यक्ति की भी विजय है। यदि कोई विवादपूर्ण विषय उपस्थित हो जाये तो उसे तटस्थ पंच फौसले के लिए सौंप दिया जाता है। यही अहिंसा का सरल मार्ग है। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उनमें परस्पर विरोध प्रारम्भ होता है तो उन दोनों में से हिंसक व्यक्ति अहिंसक व्यक्ति को समाप्त कर सकता है क्योंकि अहिंसक व्यक्ति की अहिंसा को हिंसक व्यक्ति शायद उभरने का अवसर ही न दे। ऐसा व्यक्तिगत सम्बन्धों में हो सकता है राष्ट्रीय सम्बन्धों में नहीं। व्यक्तिगत सम्बन्धों में भी अहिंसक व्यक्ति की ही विजय माननी चाहिये क्योंकि वह अपना आत्मसंयम नहीं खोता। इसी तरह राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी अहिंसा की ही विजय होती है।

पूर्ण युद्ध तथा अहिंसक राज्य के मध्य चयन करते समय अहिंसा अधिक रोचक नहीं लगती फिर भी संगठन प्रशिक्षण आदि की दृष्टि में अहिंसक राज्य की आवश्यकता अनुभव की जाती है। अहिंसक राज्य का संगठन युद्ध से भिन्न होता है। यह इतना अधिक

व्यापक होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को स्पर्श करता हो। प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा के प्रति निष्ठावान बनाया जाता है। क्योंकि अहिंसा विश्वास पर आधारित है और यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचनी चाहिये। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सम्पूर्ण प्रशासन अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रों को हिंसक राज्यों की रक्षा करने के लिए जितना बलिदान करना पड़ता है उतना अहिंसक राज्यों की रक्षार्थ नहीं करना पड़ेगा। अहिंसा की दृष्टि से प्रतिरक्षा अधिक सुरक्षाजनक है क्योंकि इसमें जीवन तथा सम्पत्ति को हानि नहीं पहुंचाई जाती है। अहिंसा की लड़ाई युद्ध क्षेत्र में नहीं होती बल्कि व्यक्ति के हृदय में होती है। फिर भी अहिंसा को लेकर निरन्तर तैयार रहने की आवश्यकता रहेगी एक बार अहिंसा के प्रयोग का यह अर्थ नहीं है कि जीवन भर उसी के काम चल जाये। अहिंसक जीवन को हर समय हर पल त्याग के लिए तैयार रहना होगा।

अहिंसक व्यवस्था मानवीय क्षमता से परे नहीं है और न इसके लिए किसी आधि-भौतिक शक्ति की आवश्यकता है यदि व्यक्ति अत्यन्त उन्नत मानव के रूप में हो तो उसके लिए प्रतिकार की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य व्यक्ति जिसकी प्रकृति में बुराई विद्यमान है वह एकदम अपनी कुटिलता का त्याग नहीं कर सकता फिर भी उसकी प्रकृति की अच्छाई उसकी बुराई पर हावी रहेगी और वह व्यक्ति समाज में अहिंसक व्यवस्था को बनाये रखने में सहायक बन सकेगा। यही कारण है कि अहिंसक व्यवस्था अन्य सभी सामाजिक व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक स्थायी है।

अहिंसक राष्ट्र चाहे एक ही हो फिर भी वह सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त कर अपनी सुरक्षा बनाये रख सकेगा। वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण मानवीय समाज एक है केवल सुविधा के लिए पृथक् पृथक् राष्ट्रों का विचार निसृत हुआ है। यदि कोई एक राष्ट्र अहिंसक बन जाता है तो वह अपने को दूसरे से विपरीत अथवा पृथक् नहीं मानेगा। वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों की वैधानिक हितों की उसी प्रकार से रक्षा करेगा जैसे वह स्वयं के हितों की करेगा। अहिंसक राष्ट्र अपनी उत्पादित वस्तुएं दूसरे राष्ट्र पर धोपना नहीं चाहता। इसमें प्रत्येक गाँव स्वावलम्बी होगा तथा श्रम के कार्य में लगा हुआ होगा। यदि पड़ोसी राष्ट्र के साथ किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आपसी बात चीत से या पंच फंसले से उसका निपटारा किया जायेगा। यदि पड़ोसी राष्ट्र ने आक्रमण कर दिया तो अहिंसक राष्ट्र उस आक्रमण का मुकाबला अहिंसा से ही करेगा। अहिंसक राष्ट्र भय से संबंधा मुक्त होता है। भारत का उदाहरण बताता है कि आक्रमण करनेवाला राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की भूमि तथा सुविधाओं को देखकर ललचाता है किंतु इससे दूसरे राष्ट्र को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। मूल रूप से सारा ही विश्व एक है। यदि हम किसी अन्य राष्ट्रीयता को अपने यहाँ आने से न रोके तो उसमें हमें कोई हानि नहीं होगी। भारत में पारसियों को आकर बसने की सुविधा देने का उदाहरण सामने है। प्रयत्न करने पर भी यदि पड़ोसी राष्ट्र आक्रमण करदे तो अहिंसक राज्य को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अहिंसक राज्य के साहसिक व्यक्ति जो कि अपने जीवन को अर्पित करने को तैयार है उनके होते हुए राज्य को कोई संकट नहीं होता। शक्ति अथवा धीरज की कमी अहिंसा की सबसे बड़ी कमजोरी है। अहिंसा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को आत्म-शक्ति से वंचित नहीं होना

होना चाहिए यदि उसमें भीरुता का भाव उत्पन्न हो गया तो वह अहिंसा को हिंसा से दुर्बल मानने लगेगा। वास्तविकता यह है कि अहिंसक राज्य व्यवस्था बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक कलह से मुक्त होती है। अहिंसक राज्य में सभी के सुख के लिए प्रयास किया जाता है और सभी के कष्टों के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करता है तो अहिंसा में विश्वास रखनेवाले सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा उनका शमन कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य में ऐसे कार्यकर्त्ताओं की टोली होती है जो सामाजिक सेवा का कार्य उत्तरदायित्व की भावना से करते हैं। उनका शेष जनता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और असंतुष्ट तत्त्व सही मार्ग पर आने लगते हैं। आदर्श अहिंसक व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस की आवश्यकता नहीं है पुलिस के स्थान पर सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को टोलियाँ ही रहेगी जो पूरे सगन से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी। शायद भविष्य में आदर्श राज्य स्थापित होने के पश्चात् कानून तथा व्यवस्था की समस्या ही उत्पन्न न हो। कानून तथा व्यवस्था की बात हम इसलिए करते हैं कि हम आधुनिक राज्य के संदर्भ में प्रत्येक स्थिति को आँकने का प्रयास करते हैं।

### माक्सवाद तथा सर्वोदय

विनोबा भावे ने कहा कि माक्सवाद एवम् सर्वोदय मानवीय प्रकृति की अवधारणा की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं। माक्स के अनुसार निर्धन व्यक्तियों द्वारा राज्य की शक्ति पर कब्जा किये जाने के पश्चात् अन्त में राज्य भी तिरोहित हो जायेगा। तात्पर्य यह है कि राज्य की सत्ता नहीं रहेगी और बिना किसी केन्द्रीय शक्ति के हस्तक्षेप के देश का शासन चलता रहेगा। यदि साम्यवादी माक्स के इस विचार को स्वीकार करते हैं तो उन्हें मनुष्य की नैसर्गिक अछछाई एवम् विश्वसनीयता को स्वीकार करना होगा। माक्स ने इसी मान्यता से अपना विचार व्यक्त किया था वह जानता था कि यदि व्यक्ति की अछछाई को स्वीकार नहीं किया गया तो राज्य कभी भी तिरोहित नहीं होगा और उसकी सत्ता सदैव बनी रहेगी। साम्यवादी कहते हैं कि आधुनिक समय में राज्य को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है और सारी शक्ति केन्द्र में निहित होनी चाहिये। इसे वे सर्वहारावर्ग का अधिनायकतन्त्र कहते हैं। उसका कहना है कि राज्य इस अधिनायकतन्त्र की स्थिति के पश्चात् किसी दिन तिरोहित हो जायेगा। लेकिन कैसे होगा इसका कोई उत्तर नहीं है। इसके विपरीत सर्वोदय विचारधारा राज्य सत्ता के पूर्ण विलोप में विश्वास रखती है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सत्ता की शक्ति को दुर्बल बनाना चाहती है। वे विकेन्द्रीयकरण के द्वारा राज्य की शक्ति को धीरे धीरे राज्य को तुरन्त समाप्त करने में विश्वास करते हैं। देखा जाये तो साम्यवादी मानव की नैसर्गिक अछछाई में निष्ठा प्रकट नहीं करते।<sup>16</sup>

सर्वोदय तथा माक्सवाद में सम्वाद की स्थिति बन सकती है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में विनोबा के विचार हैं कि माक्सवाद कोई ऐसा वाद नहीं है जो परिस्थिति एवम् इर्द-गिर्द के पर्यावरण को भुलाकर प्रयुक्त किया जा सके। यह प्रयोग की एक प्रकृति है जो कि स्थान तथा समयानुसार आवश्यक परिवर्तन के दौर से गुजरती है। रूस में हुई क्रान्ति पूर्णतया माक्स के अनुरूप नहीं थी। चीन में रूस से भिन्न स्थिति में क्रान्ति हुई। अतः माक्सवाद की पद्धतियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन होते रहे हैं। यूरोप में जब माक्सवाद



का जन्म हुआ उस समय पूंजीवाद अपने उग्रतम रूप में था। इस प्रकार से मार्क्सवाद का का प्रयोग परिस्थिति जन्य है।<sup>7</sup>

सर्वोदय जीवन का आदर्श है। यह अन्य विचारवादों में सुलभ उच्च आदर्शों को ग्रहण करने में सदैव तत्पर रहता है। सर्वोदय एक स्वतन्त्र विचारवाद है जो सम्पूर्ण जीवन को अंगीकार करता है। इसका जन्म मार्क्सवाद के समान किसी विशेष विचारवाद से संघर्ष करने के लिए नहीं हुआ। यही कारण है कि सर्वोदय निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यह अच्छाई का स्वागत करता है अतः मार्क्सवाद भी सर्वोदय के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। मार्क्सवाद तथा सर्वोदय के बीच कोई स्थायी संघर्ष नहीं है। विनोबा के अनुसार भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक एवम् परम्परागत परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्सवाद को भी बदलने की आवश्यकता है। मार्क्सवाद भारत के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है यदि यह भारत की आवश्यकतानुसार अपने को ढाल ले। यह तभी पल्लवित हो सकता है जब लोककल्याण की भावना इसका केन्द्र बिन्दु बन जाये। यदि मार्क्सवाद में परिवर्तन सम्भव नहीं है तो इस सिद्धांत का कोई मानवीय मूल्य नहीं होगा। विनोबा की यह मान्यता है कि मार्क्सवाद अज्ञानियों का अंधविश्वास न रहकर एक समयानुसार परिवर्तित होने वाली जाग्रत विचारधारा बन जायेगा। उनके अनुसार जिस प्रकार से गंगा का पाट बढ़ता चला जाता है और अन्त में वह समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार से किसी दिन मार्क्सवाद भी सर्वोदय में आ मिलेगा। सर्वोदय का दार्शनिक आधार भारतीय जनता के सांस्कृतिक एवम् पारस्परिक धरोहर के अनुरूप है। अतः सर्वोदय की मान्यता को भारत में स्थापित होने के लिए अधिक अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है जबकि भारत में मार्क्सवाद की स्थापना के लिए अनेक प्रयास करने होंगे। यही कारण है कि मार्क्सवाद सर्वोदय में मिलकर ही भारत में सर्वत्र फैल सकता है। भारत में संविधान के माध्यम से मार्क्सवाद की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि मार्क्सवाद में विश्वास रखने वाले विचारकों में हृदय परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गया है।<sup>8</sup>

### कानून तथा नैतिकता

विनोबा के अनुसार भूदान आन्दोलन के लिए भूमि प्राप्ति व्यवस्थापन के माध्यम से करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने आन्दोलन को नैतिक आन्दोलन मानते हुए व्यवस्थापन की मांग को निरर्थक समझते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति के नैतिक सिद्धान्तों में व्यवस्थापन के द्वारा लाये गये परिवर्तन केवल एक औपचारिकता और पुस्तक की समाप्ति पर अर्द्धित किये गये 'समाप्त' की भांति है। अहिंसक सामाजिक व्यवस्था में कानून समाप्ति का सूचक है और उसी प्रकार से निरर्थक है जिस प्रकार से समाप्ति का उपयुक्त चिह्न क्योंकि पुस्तक सम्पूर्ण होने के पश्चात् उपयुक्त चिह्न की आवश्यकता ही नहीं रहती। विनोबा ने इस प्रकार व्यवस्थापन के प्रति अपनी अनिच्छा प्रकट की है। उनका यह कहना है कि नैतिक वातावरण बनने के पश्चात् व्यवस्थापन की मांग करना बुरा नहीं है किन्तु व्यवस्थापन के माध्यम से इस कार्य को प्रारम्भ करना उचित नहीं ठहराया जा सकता। विनोबा व्यवस्थापन की सहायता के बिना भूदान की समस्या का हल ढूँढते हैं।<sup>9</sup>

### अपरिग्रही समाज का आदर्श

विनोबा ने अपरिग्रह वनाम अपहरण की समस्या का विमोचन किया है। उनके

अनुसार वर्तमान समाज में अपहरण का अधिक बोलबाला है। अपहरण के दावेदार यह मान्यता रखते हैं कि व्यक्ति समाज के निमित्त है अतः व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से समाज हित में वंचित करना बुरा नहीं है। बल्कि अपहरण के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करना श्रुतिपूर्ण है। कई देशों में यह विचार मान्यता प्राप्त कर रहा है। किन्तु विनोबा ने अपहरण के सिद्धान्त का तीव्रतम विरोध करते हुए अपरिग्रह के सिद्धान्त का पक्ष प्रस्तुत किया है। उनका यह कहना है कि सामान्यतया अपरिग्रह को संन्यासियों का विचार माना जाता रहा है। यह भ्रान्ति फैलाई जाती है कि परिग्रह के बिना सामान्य व्यक्ति का जीवन दूमर हो जायेगा। यह भी कहा जाता है कि इस अर्थ में संन्यासियों का आदर करना चाहिये किन्तु उनके विचारों का अनुसरण नहीं करना चाहिये। संन्यास को जीवन के अंतिम आदर्श के रूप में स्वीकार करते हुए भी संग्रह की प्रवृत्ति के प्रति आस्था बनायी रखी जाती है। विनोबा ने इस भ्रान्ति का निवारण करते हुए यह कहा है कि किसी पाप का निवारण करने के लिए उसी पाप को माध्यम नहीं चुना जा सकता। यदि इस कार्य में सफलता भी मिल जाये तब भी हम सत्य का हनन ही करते हैं। अतः लालच तथा संग्रह की वृत्ति को विश्व से मिटाने की आवश्यकता है और इसके लिए ऐसी मान्यता साबित करने की आवश्यकता है कि लोभ तथा लालच का समूल नाश कर दिया जाये। समाज में चोरी करने वाले, काला धन बनाने वाले तथा संग्रह करनेवालों को किसी मूल्य पर सम्मान का स्थान नहीं मिलना चाहिए। गीता में यह बात स्पष्ट रूप से अङ्कित की गई है लेकिन संन्यासियों के उपदेशों के समान गीता के उपदेश को भी ताना मे रख दिया है।<sup>10</sup>

विनोबा सम्पूर्ण के माध्यम से संग्रह को उचित मानते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार यज्ञ के समय जब इन्द्र को आहुति दी जाती है तो मन्त्र पढ़ा जाता है कि 'यह आहुति इन्द्र के लिए है, मेरे लिए नहीं।' इसी तरह से वे चाहते हैं कि हम कारखानों में जो भी माल उत्पादित करें वह समुदाय तथा राष्ट्र के लिए समर्पित करें न कि अपने लिए। हमारे पास जो कुछ भी है उसे समाज के निमित्त अर्पित कर दें और अपनी आवश्यकतानुसार हम समाज से पुनः जो भी प्राप्त करेंगे वह हमारे लिए अमृत के समान होगा। इस संदर्भ में विनोबा ने आधुनिक समय की उस अमंगति को दर्शाया है जो सेवा के नाम पर शोषण का प्रतीक बन गयी है। उनके अनुसार शासन के प्रशासकीय एवं अन्य विभाग जो कि अत्यन्त खर्चिले हैं 'सेवाओं' के नाम से जाने जाते हैं उदाहरण स्वरूप प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा आदि। प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को चार भद्रों में बतन मिलता है। जबकि उनके स्वामियों का जो कि देश के निर्धन व्यक्ति है और जिनकी सेवा करने का वे उपदेश देते हैं उन्हें केवल आठ आने रोज के मिलते हैं। यह एक दुःखद विरोधाभास है कि जो लोग लाखों रुपये कमाते हैं उन्हें सेवक कहा जाता है जबकि राष्ट्र के लिए अन्न उत्पन्न करने वालों को स्वार्थी की संज्ञा दी जाती है। यह दम्भ एवं दिग्घाते का चर्मोत्कर्ष है। विनोबा ने इस दम्भ के निवारण के लिए भूमि को सामूहिक संपत्ति मानने का विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार भूमि, संपत्ति तथा बुद्धि जो भी कुछ हमारे पास है वह समस्त समाज को अर्पित है। हमें अपरिग्रह से यह भय नहीं रखना है कि वह हमें निर्धन बना देगा। अपरिग्रह हमें समाज के सदस्य के रूप में धनी बनायेगा। यह कार्य पृथक् व्यक्तिगत हितों से पूरा नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि

अपरिग्रह के सिद्धान्त पर एक सुन्दर समाज की रचना को जाये। यही भूदान का आदर्श है।<sup>11</sup>

विनोबा ने अपरिग्रह के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को सुगम माना है। उनके अनुसार वर्तमान समय में जो व्यक्ति धनसंग्रह करता है वह धन के साथ-साथ चिन्ताओं तथा विभिन्न रोगों को भी अर्जित कर लेता है। उसके पास धन की प्रचुर मात्रा होती है किन्तु वह धन से भी अधिक मूल्यवान् अपने निकटतम व्यक्तियों का प्रेम खो देता है। यही कारण है आज के समाज में धनसम्पन्न व्यक्ति भी सुखी नहीं है। गरीब तथा अमीर सभी दुःखी हैं। इसके लिए व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि अपरिग्रह के दृढ़ आधार पर समाज को अस्थिर किया जा सके। विनोबा ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका विचार एक नैतिक विचार है और इस दृष्टि से यह समाज के हित में स्वयं द्वारा आरोपित है न कि बाह्य शक्ति के दबाव के द्वारा। हमें निर्धन तथा अमीर सभी को इस विचार की उपादेयता बतलानी है और अपरिग्रह का संदेश घर-घर पहुंचाना है। यदि यह संदेश देशवासियों द्वारा ठीक से आत्मसात कर लिया जाये तो हमें न तो अमेरिकी आर्थिक राहायता की आवश्यकता रहेगी और न नासिक प्रेस के कागजी रूपों की। प्रत्येक भारतीय घर बैंक बन जायेगा। जनता स्वयं सभी प्रकार की मांगों की पूर्ति कर सकेगी और अपनी चिन्ताओं को समाज पर छोड़ देगी। विनोबा ने अपने को भगवान् वामन के समान प्रस्तुत कर भूमि के छोटे भाग की माग की है। वे भूदान, संपत्तिदान तथा जीवनदान के क्रमिक कार्यक्रम को इस आदर्श पर चला रहे हैं ताकि सभी व्यक्ति ईश्वर की सम्पदा का समान रूप से उपयोग कर सकें और निर्धनों के हित अपना समस्त न्यौछावर कर स्वेच्छिक निर्धनता को अङ्गीकार कर लें।<sup>12</sup>

### मानवीय समाज का वास्तविक आधार

विनोबा के अनुसार केवल व्यक्तिवादी जीवन ही सब कुछ नहीं है। हम समाज में रहते हैं और समाज की सेवा करके ही आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं—चाहे हमारे समाज की कल्पना परिवार जितनी संकीर्ण हो अथवा समस्त मानवीयता जितनी विस्तृत। हम समाज से पृथक् जीवन की कल्पना नहीं कर सकते यह एक नैसर्गिक मानवीय भावना है जिसको दृष्टि से अङ्गीकार नहीं किया जा सकता। हम सभी प्रकार के सुख-दुःख में दूसरों के साथ रहना चाहते हैं और यही समाज का आधार है। समाज के शासन के लिए अनेक प्रकार के कानून विद्यमान हैं जिनमें कुछ धार्मिक हैं, कुछ सामाजिक तथा अन्य बौद्धिक। यह एक प्रकार का बन्धन है जो व्यक्तियों द्वारा सामान्यतया पालन किया जाता है। सामाजिक इच्छा के प्रति सम्मान की भावना से हमारा जीवन इन नियमों द्वारा बद्ध रहता है। आवश्यकतानुसार इन कानूनों की आलोचना की जाती है किन्तु इन्हें तोड़ा नहीं जाता। यही कारण है कि समाज एक जुट रहता है और यह प्रक्रिया निरन्तर बनी रहती है। किन्तु कानून कितने भी अच्छे तथा प्रभावशाली क्यों न हों वे काफी नहीं हैं इनसे समाज शक्तिशाली नहीं बनता। समाज को वास्तविक शक्ति निष्ठा से ही प्राप्त होती है। माता-पिता तथा बच्चों के बीच में निष्ठा का बन्धन होता है। इस निष्ठा के प्रभाव में परिवार रूपी संस्था का समस्त ध्यान तिरोहित हो जायेगा। इसी प्रकार में पति-पत्नी के बीच निष्ठा की भावना न रहे तो गृहस्थ जीवन सारहीन हो जायेगा। व्यक्ति तथा सामन्य के

मध्य भी निष्ठा की भावना आवश्यक है अन्यथा समुदाय दुर्बल हो जायेगा। कानूनों का निर्माण होता रहेगा और व्यक्ति उसका पालन भी करेंगे किन्तु उससे राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा। यदि व्यक्तियों की शासन में निष्ठा नहीं है तो वे शासन को असफल बना देंगे। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य विश्वास की कमी के कारण ही परीक्षा भवन में निरीक्षक नियुक्त किये जाते हैं ताकि विद्यार्थी नकल न कर सकें। किन्तु इससे नकल करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है। निष्ठा की कमी के कारण शिक्षा ने अपना ठोस आधार खो दिया है। जब तक विद्यार्थी तथा शिक्षक के मध्य पूर्ण विश्वास की भावना उत्पन्न नहीं होती तब तक शिक्षण व्यवस्था अधूरी ही मानी जायेगी। अतः यह कहा जा सकता है कि कानून द्वारा निष्ठा अथवा विश्वास का निर्माण नहीं हो सकता। कानून द्वारा प्रेम तथा श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। केवल धर्म ही, जो कि नैतिक एवम् सामाजिक उत्तरदायित्व की चेतना का प्रतीक है, निष्ठा का सृजन कर सकता है।<sup>13</sup>

### राजनीतिक शक्ति एवम् सामाजिक क्रान्ति के मध्य सम्बन्ध

विनोबा भावे ने आचार्य कृपलानी के विचारों का खण्डन करते हुए यह कहा था कि सामाजिक क्रान्ति के लिए पहले राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। उनके अनुसार केवल शक्ति प्राप्त करने से ही सामाजिक क्रान्ति सम्भव नहीं होती। शासनात्मक अधिकार प्राप्त होने से जनमत पर नियंत्रण हो सकता है किन्तु क्रान्ति नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक सरकार सामान्य जनता के विचारों को प्रकट करती है और बहुसंख्यक समाज की मान्यताओं को स्वीकार करती है। जैसी जनता होती है वैसी सरकार भी होती है। यदि जनता मद्यपान करने की इच्छुक हो तो सरकार मद्यनिषेध का नियम नहीं बना सकती। यदि सरकार अच्छी हो और जनता इसके विपरीत बुरे व्यक्तियों का बाहुल्य रखती हो तो वह सरकार लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। अतः सामाजिक क्रान्ति लाने वालों को राजनीतिक शक्ति का त्याग करना पड़ता है। उनके पास ऐसी शक्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है जिसके द्वारा वे राजनीतिक क्रान्ति ला सकें। महात्मा बुद्ध को क्रान्तिकारी नहीं बन सकते थे, अच्छे शासक भले ही बन जाते। अकबर एक अच्छा शासक था किन्तु क्रान्तिकारी नहीं था। बुद्ध, क्राइस्ट तथा गांधी सभी क्रान्तिकारी थे किन्तु उनकी शक्ति नैतिक थी। शासन नैतिक प्रभाव को मान्यता देता है और उसके अनुरूप अपने आपको ढाल लेता है किन्तु स्वयं प्रभाव अथवा शक्ति का सृजन नहीं कर सकता। शक्ति के लिए चिल्लाने से शक्ति नहीं बनती। नैतिक नियम के पालन से ही शक्ति का निर्माण होता है। विनोबा भावे ने नयी तालीम को इस प्रकार की शक्ति का सृजनात्मक उपाय माना है। उनके अनुसार नयी तालीम का अनुसरण सामाजिक क्रान्ति ला सकता है। वे सरकार से सहायता लेने में तत्पर हैं किन्तु सरकार पर निर्भर रहना नहीं चाहते। वे अपना काम स्वयं करके सरकार द्वारा अपना उदाहरण अपनाने पर जोर देते हैं अर्थात् सरकार का नेतृत्व करना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यदि समाज में ऐसे मार्गदर्शक हों तो शासन उनके विचारों से लाभान्वित हो सकता है। वे इस बात को केवल निराशा का विचार ही बताते हैं कि शक्ति के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। उनका यह कहना है कि व्यक्ति को स्वावलम्बी बनना चाहिये और आशावादी बनना चाहिये। गांधीजी

का जीवन इस मामले में प्रेरणादायी है। वे एक साधारण व्यक्ति से महान् शक्तिशाली व्यक्ति बन गये। सत्य यह है कि शक्ति पृथक् नहीं है इसके साथ आत्मा अर्थात् शिव अन्तर्निहित है। यदि हम आत्मा के प्रति निष्ठावान हैं तो शक्ति अपने आप हमें प्राप्त होगी। शिव तत्त्व शक्ति की कामना नहीं करता शक्ति ही शिव की कामना करती है। अतः हमें शक्ति के स्थान पर शिव को प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिये यही गांधीजी का उपदेश भी है।<sup>14</sup>

कोई भी रचनात्मक कार्य क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से किये जाने पर ही क्रान्ति का सूत्रपात करता है तभी आवश्यक शक्ति उत्पन्न होती है। रचनात्मक कार्य शक्ति का साधन है। कोई भी शासन राज्य की आज्ञा द्वारा जातिविहीन समाज की स्थापना नहीं कर सकता। सरकार ने शारदा एक्ट लागू किया था लेकिन आज भी 10-12 वर्ष की कन्याओं का विवाह होता है। इसका कारण यह है कि इसे दण्डनीय अपराध नहीं माना गया है जैसे कि चोरी को दण्डनीय अपराध मानते हैं। यह उसी तरह से जैसे कि चोरों के समाज में चोरी को दण्डनीय अपराध नहीं माना जायेगा। यदि हम राजनीतिक शक्ति अथवा शासकीय शक्ति के माध्यम से क्रान्ति की कामना करते हैं तो हमारा अहिंसा में विश्वास नहीं रहेगा। सत्ता द्वारा परिवर्तन शक्ति से ही सम्भव होता है। हमें शक्ति नहीं अपितु शंकराचार्य के विचारों के अनुरूप चलना है। शंकराचार्य से जब यह पूछा गया कि यदि जनता उनके विचारों को नहीं समझ पाये तो वे क्या करेंगे। उनका उत्तर था कि वे उन्हें और भी स्पष्ट करेंगे और यह पूछे जाने पर कि यदि फिर भी विचार समझ में न आये तो शंकराचार्य का कहना था कि वे बार-बार समझाते रहेंगे। अर्थात् नियम यह है कि प्रकाश के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता। अंधकार शक्ति नहीं है प्रकाश ही शक्ति है। एक बार प्रकाश उत्पन्न होने के पश्चात् अंधकार को नष्ट होना ही पड़ता है।<sup>15</sup>

क्राइस्ट ने भी एक बार यह पूछे जाने पर कि व्यक्ति अपराध करने वाले को कितनी बार क्षमा करे, कहा था कि जितनी बार वह अपराध करे उतनी बार उसे क्षमा कर दिया जाये। अर्थात् क्रोध शक्ति नहीं है क्षमा ही शक्ति है। यही सत्याग्रह की मान्यता है। यदि हमें हमारे विचारों में तथा हमारी क्षमाशीलता में पूर्ण निष्ठा है तो हम समाज में क्रान्ति ला सकते हैं यदि केवल शक्ति में ही हमारा विश्वास हो तो हम शासक भले ही बन जायें क्रान्तिकारी नहीं बन सकते। खादी पहनने को कानून द्वारा बाध्य करना क्या खादी की सफलता का सूचक कहा जा सकता है? यदि चर्खे तथा खादी के बारे में कोई क्रान्तिकारी विचार है तो वह यह है कि यह मिल के विच्छेद खड़ा है और मिल को समाप्त कर देगा। किन्तु गांधीजी के पश्चात् इस विचार की मान्यता खादी पहनना अनिवार्य करके प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें अपने आपको भारतवासी कहलाने का गौरव अनुभव करना चाहिये। विनोबा के अनुसार गांधीजी की नयी तात्वीम की योजना एक क्रान्तिकारी विचार है किन्तु इसके प्रसार के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है। सत्य तो यह है कि बिना शिक्षा के हम शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। हमें चिंतन के कृपक को तोड़कर शिक्षा के द्वारा शक्ति का प्रयोग करना है और शक्ति के माध्यम से नये विचारों को प्रसारित करना है। वास्तविक शक्ति हमारी आत्मा में अन्तर्निहित है उसे पहचानने की आवश्यकता है।<sup>16</sup>

### नवीन क्रान्ति

जनता क्रान्तिकारी कार्यक्रम अपनाते को उत्सुक रहती है और यह मानती है कि क्रान्ति रक्तहीन नहीं हो सकती। किन्तु सत्य यह है कि रक्त पूर्ण क्रान्ति-क्रान्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति यथास्थितिवादी है। उनके सामने क्रान्ति लक्ष्य नहीं है किन्तु स्थिति में परिवर्तन का सीमित कार्यक्रम ही है जिसमें वे एक स्थिति को बदल कर दूसरी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। क्या यह क्रान्ति है कि सुखी व्यक्ति दुःखी बन जाये और दुःखी व्यक्ति को सुखी बना दिया जाये? क्या इससे कष्टों का निवारण हो जायेगा? यह तो यथाशक्तिवाद का प्रतीक है। वास्तविक क्रान्ति सब की प्रसन्नता की कामना करती है। सर्वोदयवादी सच्चे क्रान्तिकारी है क्योंकि वे सभी के सुख के इच्छुक है। जो समाज को दो वर्गों में बांटना चाहते हैं वे साम्यवादी कहलाना पसन्द करते हैं किन्तु वास्तव में वे सम्प्रदायवादी है। पश्चात्त्य मस्तिष्क अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिकतम सुख चाहता है। किन्तु भारतीय चिन्तन सभी के कल्याण की कामना करता है। सभी को समान प्रेम भाव से देखना भारत का आदर्श है। एक समय था जब एक अल्पसंख्यक वर्ग ने बहुसंख्यक वर्ग पर शासन किया लेकिन आज बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर शासन करते हैं। किन्तु भारत में इसके विपरीत स्थिति है। हमें यह सिखाया जाता है कि हम दूसरों के लिए वंश ही व्यवहार करें जैसा हम दूसरों द्वारा अपने लिए चाहते हैं। विनोबा ने इसी आदर्श के अनुसार परिणाम प्राप्त करने की कामना की है। वे किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। वे हृदय परिवर्तन पर जोर देते हैं। उनका मार्ग कोई नवीन मार्ग नहीं है। ऋषि-मुनियों द्वारा दिये गये उपदेशों का वे पालन कर रहे हैं। वे एक ऐसी अहिंसक क्रान्ति लाना चाहते हैं जो भारत के विचारों के अनुकूल है। उनकी यह मान्यता है कि यदि भारत में अहिंसक क्रान्ति सफल नहीं होती तो विश्व में कहीं भी अहिंसक क्रान्ति नहीं लाई जा सकती है।<sup>17</sup>

विनोबा के अनुसार हमें अपने विचार दूसरों पर नहीं थोपने चाहिए। यदि कोई हमारे विचारों से सहमत न हो तो उन्हें अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने की छूट होनी चाहिए। दूसरों पर विचार थोपने का अर्थ है हिंसा, साम्राज्यवाद तथा विश्व-युद्ध की ज्वाला को भड़काना। जब तक राष्ट्रों में पारस्परिक सहिष्णुता का भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक सही अर्थों में शान्ति की सम्भावना असम्भव है। असुरक्षा की भावना अनेक कारण राष्ट्रों को शस्त्रीकरण तथा पारस्परिक भय के लिए प्रेरित करती है। यदि सही रूप में जनमत को जाग्रत किया जाये तो ऐसा संगठन विश्व में उभार सकता है जो स्यायी शान्ति का प्रतीक बन जाये। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपनी श्रेष्ठ सलाह दी किन्तु साथ-साथ उससे यह भी कहा कि वह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमें अपना आदर्श दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। हिंसा पर आधारित समाज का यही गुण है कि हम किसी को अपना विचार मानने के लिए बाध्य न करें।<sup>18</sup>

### सर्वोदय का अर्थ

विनोबा के अनुसार गांधीजी ने सभी के कल्याण का उद्देश्य प्रस्तुत किया था कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिकतम सुख का। उनके पदचिह्नों पर चलकर सेवाश्रम में सर्वोदय समाज की स्थापना हुई। यह समाज संगठन मात्र नहीं है किन्तु एक क्रान्तिकारी विचार से प्रेरित है। सर्वोदय शब्द अपने आप में एक मंत्रा में अधिक

शक्तिशाली है। शब्दों में जो शक्ति होती है वह संगठनों में नहीं होती। शब्दों से राष्ट्रों का उत्थान तथा पतन होता है। सर्वोदय शब्द कुछ व्यक्तियों के उदय का प्रतीक नहीं है, न अधिक से अधिक व्यक्तियों के उदय का। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है जिसमें गरीब तथा अमीर, छोटे तथा बड़े, बुद्धिमान तथा धनपढ़ सभी को सम्मिलित किया गया है। सर्वोदय सभी को हृदय से लगाने की उच्च भावना का प्रतीक है।<sup>19</sup>

सर्वोदय की अवधारणा हमें विश्व में व्याप्त हिंसक संघर्षों के प्रति सोचने के लिए विवश करती है। फिलिस्तीन में अरबों तथा यहूदियों के मध्य संघर्ष चल रहा है। चीन में होने वाले आन्तरिक कलह तथा डच राष्ट्रीयता द्वारा इण्डोनेशिया में मचाया गया संघर्ष हमें द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिलाता है। युद्ध के बाद जापान के युद्ध अपराधियों को फांसी पर चढ़ाया गया यह सोचकर कि जापान को दंडित करने पर शान्ति की स्थापना हो जायेगी। भारत में भी कश्मीर में हिंसक उपद्रव हुए हैं। कश्मीर की समस्या का अहिंसक हल नहीं हो पाया। भारत में राजनीतिक एकता के लिए प्रयत्न जारी है। छोटे राज्यों को बड़े समूहों में मिला दिया गया है किन्तु मानसिक दृष्टि से एकता की स्थापना नहीं हो पाई है। सभी दिशाओं में विघटनकारी तत्त्व मुँह बाये खड़े हैं। सभी राजनीतिक दल विद्यार्थियों को अपना मोहरा बनाने में लगे हुए हैं। श्रमिकों को भी राजनीतिक मोहरे बनाया जा रहा है और उनकी समस्याएँ सुलझने की जगह उलझ रही हैं। विनोबा के अनुसार इन सभी समस्याओं के निराकरण का मार्ग सर्वोदय समाज की स्थापना ही है। सर्वोदय का विचार क्रान्तिकारी विचार है। केवल संगठनात्मक धारणा नहीं। यह विचार तथा कर्म दोनों को प्रेरित करता है।<sup>20</sup>

अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिकतम सुख का पश्चात्य विचार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यकों की समस्या के कीटाणुशुद्ध से ग्रस्त है किन्तु सर्वोदय का विचार गीता के उपदेश पर आधारित है जिसमें सभी के सुख के लिए व्यक्ति को समर्पित होने की प्रेरणा दी गयी है। इस धारणा में सत्य तथा अहिंसा के प्रति पूर्ण निष्ठा की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। निजी एवं सार्वजनिक जीवन में व्यापारिक अथवा व्यावसायिक जीवन में असत्य को त्यागने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हमें जीवन में हिंसा का पूर्णतया त्याग देना है। समाज के उत्थान का रचनात्मक कार्यक्रम पूर्ण अथवा प्रांशिक रूप से व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से इत तरह प्रयुक्त करना है ताकि स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के साथ सर्वोदय का विचार सुगमता से चलता रहे। यदि हम युवा एवं प्रौढ़ व्यक्तियों में सर्वोदय के संदेश को प्रसारित करने में सफलता प्राप्त कर लें तो विश्व की समस्त समस्याओं का हल ढूँढ़ा जा सकेगा। आधुनिक विश्व में वर्तमान राजनीतिक पद्धतियों की हमें आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी क्योंकि सर्वोदय की अवधारणा इन सबसे एक कदम आगे है।<sup>21</sup>

इस प्रकार सर्वोदय का अर्थ स्वतः स्पष्ट है। मानवीय समाज मानव तथा मानव के मध्य हितों के टकराव पर आधारित नहीं हो सकता। व्यक्ति के विचारों में स्वार्थपूर्ण मकीर्णता हो सकती है किन्तु समष्टिगत चिंतन में हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। हमें पूँजी तथा अन्य भौतिक सुविधाओं की होड़ में नहीं पड़ना है। स्वर्ण से अधिक प्रेम का महत्त्व स्थापित करना है। पूँजी ही सामाजिक संगठन का कारण है और हितों के

संघर्ष की प्रतीक है। इस समस्या का निदान भी सर्वोदय ने सम्भव बना दिया है। हमें दूसरों के हितों की अधिक चिन्ता रखनी चाहिये ताकि व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना पर अंकुश लगाया जा सके और सामाजिक सद्भाव तथा शान्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। इस नियम द्वारा न केवल सुखी परिवारों की ही स्थापना होती है अपितु सारा समाज इस पर आधारित किया जा सकता है। व्यक्ति को अपना भोजन स्वयं जुटाना है और श्रम करके अपनी आजीविका जुटानी है उसे दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है। मनमाने प्रकार से आजीविकोपाजन उचित नहीं है। यदि विश्व दो नियमों—स्वयं द्वारा आजीविकोपाजन तथा उत्पादक श्रम को अपना ले तो सर्वोदय का मार्ग स्वयं प्रगस्त हो जायेगा।<sup>22</sup>

### लोक शक्ति तथा राज्य शक्ति

विनोबा ने स्वतंत्र लोकशक्ति के निर्माण का आह्वान किया है जो हिंसक शक्ति तथा राज्यशक्ति से भिन्न है। राज्यशक्ति में हिंसा का तत्त्व विद्यमान होता है यद्यपि राज्यशक्ति जन प्रतिनिधित्व के कारण हिंसा की प्रच्छन्न प्रतीति होती है और इस कारण लोकशक्ति से भिन्न होती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम राज्यशक्ति को अनावश्यक बना दें। यदि यह मान लिया जाये कि राजनीतिक शक्ति द्वारा ही जनसेवा की जा सकती है तो हम न जनसेवा कर पायेंगे और न जनता की मनोभावना के अनुरूप उनका भार कम कर सकेंगे।<sup>23</sup>

विनोबा ने स्वराज्य, सर्वोदय तथा रामराज्य का विश्लेषण करते हुए कहा है कि शासन द्वारा अधिक कार्य करने का अर्थ है जनता के द्वारा पहल करने की कमी। रामराज्य शब्द का प्रयोग स्वतंत्रता के पहले एक आदर्श लक्ष्य के रूप में दिखाई देता था किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे राज्य का स्वरूप रामराज्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। हम प्रत्येक कार्य के लिए सरकार का मुँह देखने लगे हैं। वास्तविकता यह है कि जनता शासन से अधिक शक्तिशाली होती है। उन दोनों के मध्य वही सम्बन्ध होता है जो कुएँ तथा बाल्टी के मध्य होता है। हमें अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने इर्द-गिर्द की समस्याओं का स्वयं हल ढूँढ़ना है। हमें अपने उपयोग के लिए कपड़ा, तेल तथा गुड़ बनाना है ताकि हम शहर का मुँह न देखें। भूमि का इस प्रकार से वितरण करना है कि सभी भूमिहीनों को भूमि प्राप्त हो जाये। तभी हमारा देश निर्धनता से सम्पन्नता में परिवर्तित होगा यही रामराज्य का आदर्श है।<sup>24</sup>

### वास्तविक लोकतन्त्र

विनोबा के अनुसार लोकतन्त्र तथा सैन्यशक्ति साथ साथ नहीं चलते। राजनीति तथा नैतिकता के मध्य भी असंतुलन दूर करना आवश्यक है ताकि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना की जा सके। विश्व के अनेक देशों में लोकतान्त्रिक सरकारें कार्यरत हैं किन्तु उनके द्वारा जो लोकतन्त्र प्रयुक्त हो रहा है वह केवल औपचारिक है। उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी पड़ती हैं। जबकि सच्चा लोकतन्त्र तथा सैन्यबल एक दूसरे के विरोधी है। सच्चा लोकतन्त्र शस्त्र के बल पर आधारित नहीं होता। वह जनता की सद्भावना तथा अहिंसा की शक्ति पर आधारित होना चाहिए। हमें ऐसा ही लोकतन्त्र स्थापित करना है। देश में औपचारिक लोकतन्त्र का आयात बुरा



नहीं है किन्तु उसके लिए विरोधी दल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें दल-विहीन लोकतांत्रिक संगठन बनाना है। सामाजिक न्याय पर आधारित परोपकारी कार्य करने तथा समाज की व्यवस्था को न्यायोचित बनाने के लिए ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो राजनीति को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए वर्तमान समय में व्याप्त राजनीति तथा नैतिकता के अन्तर को समाप्त करदे। ऐसा संगठन जो गुणों को भी परिसीमित करता हो अपने स्वयं के विनाश के बीज लिए हुए होता है। हम ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो व्यक्ति की दयालुता पर नियन्त्रण लगाती हो। सत्य तथा अहिंसा के प्रति निष्ठावन व्यक्ति जब तक राजनीति में प्रविष्ट नहीं होते तब तक उच्च कोटि की राजनीति का निर्माण नहीं हो सकता। हमें शासन तथा जनता दोनों पर समान प्रभाव स्थापित करना है और दलगत राजनीति के संकीर्ण लगाव से दूर होकर ऐसे कार्यकर्ताओं का संगठन बनाना है जो दलगतता से ऊपर हो। राजनीतिक दृष्टि से कार्यकर्ता विभिन्न राजनीतिक संगठनों से जुड़े रह सकते हैं किन्तु रचनात्मक कार्य के लिए उन्हें एक जुट होकर सर्वोदय के सेवकों के रूप में काम करना होगा न कि विभिन्न दलों के सदस्यों के रूप में। रचनात्मक कार्य के लिए यदि प्रत्येक गांव एक भूमिहीन परिवार को पुनर्स्थापित कर दे तो सारा देश इससे लाभान्वित हो सकता है। बड़े जमींदारों से भूमि प्राप्त करके भूमिहीनों को वितरित करनी है। बड़े जमींदारों द्वारा दिया गया भूमि का दान संस्थात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो निर्धन व्यक्ति द्वारा दिया गया दान गुणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे भूदान आन्दोलन का नैतिक स्तर ऊंचा होगा।<sup>25</sup>

### बहुमत एवं सर्वसम्मति

ग्राम पंचायत के रूप में भारत का राजनीतिक अनुभव उच्च शिखर पर पहुंचा है। ग्राम पंचायत की अनुपम संस्था पांच व्यक्तियों की सर्वसम्मति की प्रतीक रही है। जब तक आधुनिक लोकतन्त्र बहुमत द्वारा प्राप्त किये गये विनिश्चय की धारणा पर आधारित है अल्पसंख्यकों की समस्या उत्पन्न होती रहेगी। अल्पसंख्यकों की समस्या का तब तक निराकरण नहीं हो सकता है जब तक सभी ईमानदार तथा सद्भावनायुक्त व्यक्तियों में सर्वसम्मति के सिद्धान्त को लागू नहीं किया जाता। हमें ऐसे कार्यक्रम चलाने हैं जो सभी व्यक्तियों में समान स्वीकारोक्ति स्थापित कर सकें। अच्छे व्यक्तियों में मतों का वैभिन्य केवल सतही तौर का होता है और सामान्य स्वीकारोक्ति के तत्त्व विद्यमान रहते हैं जिन पर अमल किया जा सके। अतः प्रत्येक कार्य में मत वैभिन्य को छोड़कर कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में वैभिन्य का समावेश नहीं होना चाहिये चाहे कार्यक्रम को लागू करने के पहले विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद क्यों न हो। यदि किसी कार्य के सम्बन्ध में अच्छे व्यक्तियों की धारणा का एक मत प्राप्त नहीं होता तो सर्वसम्मति के आधार पर ऐसे कार्य का प्रियान्वयन नहीं होना चाहिए। वे ही कार्यक्रम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए जिनके सम्बन्ध में सर्वसम्मति हो।<sup>26</sup>

विनोबा ने आधुनिक लोकतन्त्र की कटु आलोचना की है। उनकी मान्यता है कि लोकतान्त्रिक कहे जानेवाले किसी भी देश में शासन जनता के द्वारा नहीं चलाया जाता

और कोई भी देश अब्राहम लिंकन की लोकतन्त्र की परिभाषा की परीक्षा में खरा नहीं उतर सकता। उन्होंने वर्षों तक भूदान के लिए पद यात्रायें की हैं और व्यापक जन सम्पर्क किया है। उन्हें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का जितना अनुभव है उतना बहुत कम राजनेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को प्राप्त हुआ करता है। फिर भी विनोबा ने आधुनिक संसदात्मक लोकतन्त्र की आलोचना की है यह अपने आपमें एक विशिष्ट विचार है। जयप्रकाश नारायण जो कि भूतकाल में पश्चिमी लोकतन्त्र के प्रबल प्रशंसक थे कालांतर में स्वयं सर्वोदय में परिवर्तित होकर गांधी तथा विनोबा के ग्राम स्वराज्य एवं लोकनीति के प्रशंसक बन गये। विनोबा ने लोकनीति को वास्तविक अर्थों में दल-विहीन लोकतन्त्र अथवा विकेंद्रित लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। लोकनीति राजनीति के विरुद्ध है लोकनीति द्वारा दलीय राजनीति अथवा शक्ति की राजनीति का पूर्ण बहिष्कार किया गया है। इसमें स्वतन्त्रता तथा अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों का यद्यपि त्याग नहीं किया गया है। फिर भी यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के पश्चिमी बाह्य आवरण को अस्वीकृत करती है। विनोबा की लोकनीति में बहुमत का शासन महत्त्व नहीं रखता। बहुमत के स्थान पर सर्व सम्मति से शासन या एकमत शासन स्वीकार किया गया है। यद्यपि विनोबा सहभागी लोकतन्त्र की स्थापना का उद्देश्य लेकर आगे बढ़े हैं किन्तु उन्हें अथवा उनके शिष्य जयप्रकाश नारायण को जो कि सम्पूर्ण क्रांति का विचार लेकर आगे बढ़े हैं सफलता प्राप्त नहीं हुई। विनोबा ने पवनार आश्रम में रहते हुए समय समय पर शासन को परिष्कृत करने के लिए जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें सरकार ने अभी तक पूर्णतया लागू नहीं किया। यद्यपि प्रचार यही किया जाता रहा है कि विनोबा के आदर्श का ग्रामस्वराज्य स्थापित किया जाये। यद्यपि आकाशवाणी से संस्कृत में समाचारों का प्रसारण विनोबा की सलाह पर ही किया गया माना जाता है।<sup>27</sup>

### समानता तथा दयालुता

विनोबा ने समानता के साथ-साथ दयालुता के आदर्श को स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि दयालुता के बिना व्यक्ति बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति से वंचित रह जाता है और उसमें अहंकारिता का भाव उत्पन्न हो जाता है। समानता एवं असमानता में विरोधाभास है किन्तु समानता तथा दयालुता में कोई विरोध नहीं। दयालुता से ही सच्ची समानता स्थापित होती है। असमानता को दूर करने के लिए दयालुता आत्मा को शान्ति प्रदान करती है और साथ ही साथ असमानता का भी निवारण करती है। हमें अपने दयालुता के प्राचीन धरोहर को नहीं मिटाना है क्योंकि केवल समानता की मांग स्वार्थपरायणता की प्रतीक मानी जायेगी। वर्तमान जीवन में समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न जारी है। हमें अपने पूर्वजों का ध्यान रखकर उनके आदर्शों के अनुसार चलना है ताकि हम उनके अनुभवों का लाभ उठा सकें। दयालुता का यह अर्थ नहीं है कि हम झूठे गौरव के शिकार बन जायें और निर्धनता की दयनीय स्थिति में पहुँच जायें। समानता के साथ ही यही हो सकता है। समानता: हमारी विवेकमूलक रीति को समाप्त कर देती है। यदि समानता में हमारे द्वारा विचार की शक्ति नष्ट हो जाती है तो वह समानता भी दिव्यावा मात्र रह जायेगी। इसलिए समानता के आदर्शों को दयालुता के साथ मिलाने की आवश्यकता है। यह कार्य निरन्तर आत्मपरीक्षण से ही सम्भव है।

हमें असमानता के दम्भ का निवारण करना है। जिसके पास निजी सम्पत्ति नहीं है वह भी आर्थिक समानता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिये। इसी प्रकार से शारीरिक अन्तर द्वारा जनित असमानताएं भी दूर होनी चाहिये। यदि हम समाज में समानता चाहते हैं तो व्यक्तिगत जीवन में उससे सौगुनी समानता पहले स्थापित करनी होगी। मानवीय शरीर में 98° (एफ) तापक्रम बना रहता है क्योंकि ताप का स्रोत सूर्य अत्यधिक गर्म है। यदि सूर्य का ताप मानव के शरीर के तापक्रम से कम होता तो अन्तर्ग्रहण हो जाता। इसलिए समाज के सेवकों को समाज से आगे चलकर बताना है तभी उनका लक्ष्य तथा कार्य पूरा हो सकेगा।<sup>28</sup>

### पूर्ण समानता, अनुपातविहीन असमानता एवम् समता

विनोबा भावे ने भूदान आन्दोलन के दौरान जमींदारों तथा समाज के हित में भूमि का दान करने का आग्रह किया है। और पूर्ण समानता, असमान असमानता तथा समानता का विवेचन किया है। विनोबा का कहना है कि समाज में गणितीय समानता सम्भव नहीं है फिर भी किसी सम्पन्न व्यक्ति द्वारा समाज हित में अपनी संपत्ति का कुछ भाग दे दिया जाये तो वह उसके लिए अच्छा ही होगा। वे समाज में पाचों अंगुलियों के समान समानता चाहते हैं। उनके अनुसार न सम्पूर्ण समानता सम्भव है और न असंतुलित असमानता ही समाज के लिए हितकारी है। अच्छा यह है कि समाज पंचायत धर्म का पालन करते हुए समता की स्थापना करें जिसमें छोटे-बड़े सभी का निर्वाह हो सके।<sup>29</sup>

### विनोबा का योगदान

विनोबा ने "स्वराज शास्त्र" में अपने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को प्रस्तुत किया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन के कारण गिरफ्तारी के दौरान 1943 में नागपुर-जेल में विनोबा ने अपने इन स्फुट विचारों को संकलित करवाया था। विनोबा के अनुसार राज्य (शासन) तथा स्वराज्य में अन्तर है। राज्य शक्ति से स्थापित किया जा सकता है किन्तु स्वराज्य अहिंसा के बिना असम्भव है। राज्य (शासन) के स्थान पर स्वराज्य की आवश्यकता है। स्वराज्य वैदिक शब्द है। यह प्रत्येक का प्रत्येक के लिए ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक को अपनत्व अथवा स्वशासन दिखाई दे। यह सबका शासन है। यह रामराज्य है।<sup>30</sup> राज्य का अस्तित्व ग्रामीर तथा गरीबों में समानता लाने के लिए है। जिस प्रकार से परिवार में सभी सदस्यों को समानता की दृष्टि से देखा जाता है उसी प्रकार से राज्य को भी व्यवहार करना है। यदि राज्य यह सेवा नहीं कर सकता तो ऐसे राज्य के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। असमानता फैलाने वाले राज्य को नष्ट कर उसके स्थान पर अराजकता ही सही रहेगी। प्रशासकों द्वारा अराजकता का भय हर समय फैलाया जाता है ताकि जनता उनके कुशासन को भी नम्रतापूर्वक स्वीकार कर ले। योग्य व्यक्तियों को योग्यता को स्वीकार करना चाहिए किन्तु योग्य व्यक्तियों को भी जनता के सहयोग एवं समर्पण की आवश्यकता है। उनके बिना योग्य व्यक्तियों का आगमन भी नहीं चल पायेगा। जिन्हें हम अयोग्य समझते हैं उनमें भी अपनी तरह की योग्यता है। उनके बिना राज्य नहीं चल सकता। पारस्परिक सहयोग के बिना सभी योग्यताविहीन है। ऐसी स्थिति अंधे तथा खंगड़े की कहावत की ही याद दिलायेगी। जिस राज्य में योग्य

व्यक्ति यह नहीं जा लेते कि समाज में कम योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का सहयोग भी आवश्यक है वहाँ राजनीतिक व्यवस्था के स्थान पर घोर भ्रराजकता का ही वास होगा। संक्षेप में, राज्य द्वारा योग्य व्यक्तियों को सत्ता भ्रवश्य सौंपी जाय किन्तु वह सत्ता जनता की सेवा में समर्पित की जानी चाहिए।<sup>31</sup>

विनोबा ने जनता की स्वतन्त्रता पर अधिक बल दिया है। उन्होंने सत्ता को जन-सेवा में प्रयुक्त किये जाने के उद्देश्य के साथ ही साथ व्यक्तियों को सबल एव स्वावलम्बी बनाना आवश्यक माना है। वे जनता को स्वावलम्बी बनाकर उसे अपनी शक्ति के प्रति जागृत करना चाहते हैं। वे उद्योग व्यवसाय की देखरेख भी जनता को ही सौंपना चाहते हैं और प्रत्येक गांव को स्वावलम्बी इकाई बनाना चाहते हैं। दक्ष व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से जनता की सहायता करने पर बल देते हैं ताकि जन-समुदाय उन्हें प्रत्युत्तर में सहयोग प्रदान कर सकें। जनता को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना है। समाजवादियों की तरह पहले एक स्थान पर धन केन्द्रित कर फिर उसके वितरण का प्रयत्न विपदाओं की ही आमन्त्रित करेगा। प्रत्येक को उसकी योग्यता एवं उसके धर्म के अनुसार वेतन देने की प्रणाली भी व्यर्थ है। किसी रोगी की तन्मयता से सेवा करने वाले व्यक्ति की श्रद्धा निष्पक्ष होकर न्याय करने वाले न्यायाधीश की सेवाओं का मूल्य कैसे आंका जा सकता है। ऐसी अनेक सेवाएँ हैं जो भ्रमूल्य हैं। वेतन-शृंखला निर्धारित करना न्यायोचित नहीं है। विनोबा के अनुसार न्यायोचित यही है कि वेतन-शृंखला की बात किये बिना व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण शक्ति एवं योग्यता समाज के हित में प्रयुक्त करे और समाज उस व्यक्ति के भरणपोषण का उत्तरदायित्व निभाये।<sup>32</sup>

विनोबा के अनुसार रूस की क्रान्ति का आकर्षण क्षीण होता जा रहा है। समाजवाद ने पूंजीवाद के चार पक्षों—केन्द्रीकरण, मशीनीकरण, सैन्यतन्त्र तथा मानव-शोषण में से प्रथम तीन को यथावत् रखकर अन्तिम को समाप्त करने का प्रयास किया है। किन्तु ऐसा प्रयास भ्रममूलक ही कहा जायगा। ये चारों पक्ष वैसे ही विद्यमान हैं। केन्द्रीकरण से उत्पन्न दक्षता, मशीनीकरण से उत्पन्न सुविधाएँ, सैन्यबल से उत्पन्न सुरक्षा की भावना व्यक्तियों को इतना भ्रमित कर देती हैं कि वे शोषण का अन्त करने के लिए इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। शक्ति से विजित वस्तु शक्ति द्वारा ही बनी रह सकती है। इसके लिए नेतृत्व द्वारा जनता को शस्त्रों से लैस रखा जाता है। जन साधारण द्वारा शस्त्रों के दक्ष संचालन की कमी के कारण उन्हें सेना पर निर्भर करना पड़ता है। प्रतिरक्षा की यह व्यवस्था प्रचुर मात्रा में धन संग्रह, विज्ञान तथा राजनय पर आश्रित है। परिणाम यह होता है कि अनेक का शासन कुछ व्यक्तियों का शासन रह जाता है और सशक्त, सुशिक्षित एवं धनी व्यक्तियों का एक नया गुट तैयार हो जाता है। विनोबा के अनुसार यह स्थिति जनता के हित में नहीं हो सकती। जनहित के लिए सशक्त व्यक्तियों को जनता की भलाई के लिए अपने शारीरिक बल का प्रयोग करना चाहिए। सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जनजीवन में ज्ञान का प्रवाह उत्पन्न किया जाना चाहिए और धन का उपयोग उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने तथा यथोचित वितरण की व्यवस्था के लिए होना चाहिए। तभी मज्दूरी शासन की स्थापना हो सकती है। दुर्गुण रहित शासन के लिए विनोबा ने चार आवश्यकताएँ बतलायी हैं—योग्य एवं क्षमता युक्त व्यक्तियों द्वारा जन-सेवा, व्यक्ति में आत्म-

निर्भरता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना, अहिंसक सहयोग अथवा असहयोग, निष्ठा-पूर्वक किये गये प्रत्येक कार्य का समान नैतिक एवं वित्तीय मूल्य। यदि इसके विपरीत कोई व्यक्ति आचरण करता है तो जनमत उसे उचित कानूनी दण्ड दिलाने की व्यवस्था करे। नैतिक नियमों तथा जनमत की अवहेलना करने वालों को उच्च विचारों से युक्त व्यक्तियों की देखरेख में रखा जाय न कि शासकीय नियन्त्रण में।<sup>33</sup>

गांधीजी के अहिंसा सम्बन्धी विचारों को विनोबा ने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। गांधीजी के उपदेशों में धृणा, क्रोध, असत्य आदि को जीतने के लिए प्रेम, शान्ति एवं सत्य का मार्ग दर्शाया गया है। विश्व में व्याप्त अशान्ति का मूल कारण भय एवं अविश्वास है। रूस तथा अमेरिका इसके उदाहरण हैं। विश्व के राज्य जितने अधिक समीप आते जा रहे हैं उतना ही पारस्परिक भय उनमें बढ़ता जाता है। विनोबा के अनुसार विज्ञान की प्रगति ने समय तथा दूरी को घटाकर विश्व को एक ही भौगोलिक इकाई में परिवर्तित कर दिया है। साथ ही विज्ञान ने सम्भ्यता के विनाश का मार्ग भी बना दिया है। हिंसा तथा धृणा की वृद्धि के साथ ही विश्व की समाप्ति सन्निकट है। अभी भी समय है कि इस विनाश की ओर बढ़ने के स्थान पर प्रेम एवं अहिंसा का मार्ग अपनाया जाय। महात्मा बुद्ध के सन्देश को सुनने और उस पर अमल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए विनोबा ने दया तथा क्षमा जैसे शाश्वत मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। गीता में प्राणिमात्र से धृणा न करने का सन्देश निहित है। वेद तथा साधु-सन्तों के उपदेश भी इसी सन्देश को बारंबार प्रस्तुत करते हैं। किन्तु विनोबा के अनुसार इन उपदेशों को कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया। कारण यह है कि धृणा को प्रोत्साहित करने वाले तत्त्व ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। विनोबा ने सटीक उदाहरण से इसे समझाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति साफ पानी न मिलने पर गन्दे पानी से ही अपनी प्यास बुझाने की ठान लेता है उसी प्रकार विश्व भी धृणा के पीछे नहीं दौड़ता, धृणा से धृणा के कारण प्रेम नहीं करता, किन्तु कुछ समस्याओं का समाधान न मिलने पर धृणा का सहारा लेता है। यदि विश्व की समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल ढूँढ लिया जाय तो हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। विनोबा ऐसी शान्ति की खोज में हैं जो विश्व को अशान्ति से बचा सके। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक यह सम्भव नहीं होता तब तक विश्व अहिंसा की शक्ति में विश्वास नहीं करेगा।<sup>34</sup>

गांधीजी के अहिंसा एवं असहयोग के सिद्धान्त को हृदयंगम कर विनाबा ने भी इन दोनों के महत्त्व को विस्तार से दर्शाया है। विनोबा के अनुसार नागरिक शिक्षा के अन्तर्गत व्यक्ति को राज्याज्ञा का पालन सिखाने के साथ ही साथ असहयोग एवं अहिंसक प्रतिरोध की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। वे असहयोग एवं अहिंसक प्रतिरोध दोनों को पर्यायवाची मानते हैं तथा अहिंसक प्रतिरोध को अधिक महत्त्व देते हैं। यदि असहयोग से कार्य पूरा हो जाय तो प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं होती। असहयोग में व्यक्ति अपना हाथ खींच लेता है ताकि विरोधी को स्वयं अपनी भूल-सुधार का फल प्राप्त हो सके। यदि यह सम्भव न हो तब ही राज्य के कानून को तोड़ने का संकल्प लिया जाय। अहिंसक प्रतिरोध के लिए व्यक्ति में मविनय अवज्ञा, अनुशासन, निष्पण्डता एवं त्रोध रहित होकर

दण्ड सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उचित प्रशिक्षण एवं शिक्षा से इन गुणों को विकसित किया जाना चाहिए। यद्यपि सुशासन के अन्तर्गत असहयोग अथवा प्रतिरोध का प्रयोग संयोगवश ही होता है फिर भी सामाजिक जीवन में उनका उपयोग जानना आवश्यक है। केवल राजनीतिक कारणों से ही नहीं अपितु परिवार, व्यवसाय एवं व्यक्तिगत सम्बन्धों में भी इनका उपयोग हो सकता है। अन्याय को आँख मूँदकर सहन करने अथवा अन्याय का उग्र विरोध करने इन दोनों मार्गों में से सहयोग एवं अहिंसा का मार्ग मध्यम मार्ग के रूप में है। यह मार्ग इन दोनों परिस्थितियों की तीव्रता को समन्वित करता है।<sup>35</sup>

विनोबा के अनुसार राज्य का कोई भी स्वरूप क्यों न हो, अहिंसक प्रतिरोध एवं असहयोग की रीति-नीति को जीवित रखना आवश्यक है। बाल्यकाल से ही इस बात की शिक्षा दी जाय कि माता-पिता के आज्ञा पालन के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर उनकी आज्ञाओं का भी प्रतिकार किया जाय यदि उनकी आज्ञाएं अन्तःकरण के विरुद्ध हो। स्वयं माता-पिता द्वारा इस प्रकार का शिक्षण अपने बच्चों को दिया जाय। इसके लिए उचित जनमत जागृत किया जाय। मानवीय सिद्धान्तों की अवहेलना करने वाले परिवार, समाज तथा राष्ट्र के नियमों की अवहेलना करना अनुचित नहीं है। राज्य कितना भी पूर्ण क्यों न हो उस पर अत्यधिक आश्रित होना अथवा उसको अपनी निष्ठा समर्पित कर देना उचित नहीं है। यदि ऐसा राज्य स्थापित भी हो जाय जिसे व्यक्ति अपना सब कुछ सौंपकर निश्चिन्त हो जाय तब भी ऐसा राज्य मानवता का शोषक ही माना जाना चाहिए। मानवीय विकास की संभावनाएं ऐसे राज्य में समाप्त हो जाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि एक अच्छा राज्य व्यक्ति में चेतना एवं स्वतन्त्र चिंतन का विकास करे ताकि आवश्यकता उपस्थित होने पर व्यक्तियों द्वारा अहिंसक असहयोग का प्रयोग राज्य को उचित मार्ग पर अग्रसर करने के लिए किया जा सके।<sup>36</sup>

विनोबा ने हिंसा के सिद्धान्त को मूर्खतापूर्ण बतलाया है। मानव इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हिंसा पर आधारित साम्राज्य एक के बाद एक धूलिधूसरित होते गये हैं। हिंसा पर आधारित कोई भी शासन चिरस्थायी नहीं हो सकता। फिर भी हिंसा मानव मस्तिष्क के लिए आकर्षण बनी हुई है और हिंसा की असफलता के बावजूद हम उसकी सफलता के लिए आशान्वित रहते हैं। सत्य तो यह है कि हिंसा पर आधारित राज्य भी जनता के समर्थन (अहिंसा) की आशा करते हैं ताकि उनका शासन चिरस्थायी हो सके। अहिंसा ही एकमात्र सत्य है। हिंसा का प्रयोग निरन्तर बढ़ने वाला नशा है। व्यक्ति के द्वारा की गयी हिंसा के उत्तर में प्रतिहिंसा और भी अधिक तीव्र होती है और यह तीव्रतम होती हुई युद्धोन्माद में परिवर्तित हो जाती है। जबकि अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को समाप्त करने अथवा कुचलने के स्थान पर उनके हृदय को प्रभावित कर परिवर्तन की अपेक्षा करता है। अहिंसा के विश्व में एक व्यक्ति की सफलता दूसरे व्यक्ति की भी सफलता है। अहिंसा का मार्ग सरल है। अहिंसा की लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं लड़ी जाती बल्कि हृदय में लड़ी जाती है। अहिंसा से परिपूर्ण जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह बलिदान निरन्तर है और इसमें विशेष प्रकार का आनन्द अनुभव होता है।<sup>37</sup>

विनोबा ने युद्ध को अहिंसा का प्रेरक बतलाया है। उनके विचार विस्मयकारी होते

हृद भी भारत को उठ घटना का स्मरण दिलाते हैं बिल्ले समाज प्रयोग के कुछ उचित विषय एवं विभाग में इविज हो महिला का पठ सौदा था। विनोबा को भी नही धारणा है कि विश्व-मुक्त हो होने वाले संसार को देखकर व्यक्ति एवं राष्ट्र मुक्त का मत करते का प्रयत्न करते हैं और वे महिला के समान पहुंचने का प्रयास करते हैं। विनोबा विश्व-मुक्त से उनके सम्पर्क नहीं बिल्ले छोटे दुष्टों एवं मनुष्यों से। विश्व-मुक्त व्यक्ति को सरोरता को परिधि में बाहर कर उसे समस्त मानवता के लिए बिजुन करने को बाध्य करता है जबकि छोटे दुष्टों का प्रभाव ठीक इनके विपरीत ही होता है। जहाँ विश्व-मुक्त महिला को मोर बढ़ना हुआ चरता है वहाँ छोटे दुष्ट महिला को दूर धकेलने का प्रयास करते हैं। यह विश्व शांति के लिए विश्व-मुक्त से भी अधिक भयावह स्थिति है। हिता में निष्ठा रखने वाले राष्ट्र जहाँ विश्व-मुक्त को समाप्त करने की बात करते हैं वहाँ उनका लोभित दुष्ट को पतले रखने का स्वार्थ यह निम्न करता है कि वे विश्व-शांति भयवा महिला के सम्पर्क नहीं है। महिला का वातावरण बनाये रखने के लिए एन छोटे-छोटे दुष्टों को रोकना प्रायाश्चित है।<sup>135</sup> विनोबा के उपर्युक्त विचार आधुनिक समय की शीत-मुक्त की राजनीति पर बराबर प्रहार है।

आर्थिक समानता की अवधारणा को विनोबा भावे ने अत्यन्त महत्व दिया है। आर्थिक समानता के बिना अच्चे समाज की कल्पना निरर्थक है। विनोबा ने भारत के प्राचीन जीवन में त्याग की भावना को समानता के आधुनिक साधन से सम्बन्धित करने का प्रयास किया है। आध्यात्मिक साधना के लिए भौतिक सुविधाओं एवं समृद्धि को त्यागना उचित माना गया है। अग्रिम, अन्न धर्म (बँड लेबर) तथा बेतन की समानता के माध्यम से आर्थिक समानता का आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया गया है। विनोबा इस दृष्टि से गांधीजी के पद निहों पर अग्रसर होते दिखाई देते हैं। गांधीजी के तत्प, विनोबा को भी यही धारणा है कि आवश्यकताओं भयवा इच्छाओं को बहूगुणित करने के स्थान पर उनका परिसीमन करना चाहिए ताकि समाज में समन्वय एवं संतोष का वातावरण बना रहे। प्रकृति ने हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुपात में सब वस्तुओं को उत्पन्न किया है अतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा केवल अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुओं का उपभोग लिया जाय, संग्रह न किया जाय, तो विश्व में कोई व्यक्ति क्षुधापीड़ित भयवा अन्य प्रकार से पीड़ित नहीं रह सकता। अपनी आवश्यकता से अधिक का अधिग्रहण अपराध है, चोरी है। अग्रिम एवं अस्तेय द्वारा समस्त सामाजिक एवं आर्थिक मुराद्यों को दूर किया जा सकता है। विनोबा के अनुसार किसी भी वस्तु का उत्पादन स्वयं के निमित्त न होकर राष्ट्र एवं समाज के निमित्त मानना चाहिए। उत्पादन समाज भयवा राष्ट्र को प्रतिष्ठ कर व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। समाज इस उत्पादन को जब पुनः व्यक्ति को प्रत्येक की आवश्यकता-नुसार वितरित करता है तब व्यक्ति में नवीन जीवनदायिनी शक्ति का संसार होगा। सहज में व्यक्ति तथा समष्टि की अन्वयिताधितता स्पष्ट हो जाती है।<sup>136</sup>

विनोबा के आर्थिक समानता सम्बन्धी विचारों का यह तात्पर्य नहीं कि वे पूर्ण समानता भयवा गणितीय समानता के पक्षपाती हैं। विनोबा गणितीय समानता के स्थान पर प्रौढिय पूर्ण भयवा ऐसी समानता चाहते हैं जैसी की हाथ की पाँच अंगुलियों में होती है। पाँचों अंगुलियाँ बराबर न होते हुए भी पूर्ण सहयोग से एक साथ मिलकर अनेक काम

संपादित करती है। अंगुलियों में अन्तर भी इतना अधिक नहीं कि छोटी अंगुली एक इंच लम्बी हो और सबसे बड़ी एक फुट लम्बी।<sup>40</sup> विनोबा के इस दृष्टान्त का तात्पर्य यह है कि यदि पूर्ण समानता असाध्य है तो असंतुलित असमानता भी हानिप्रद माननी चाहिए। इसके स्थान पर असमानता के माध्यम से समानता का प्रयोग होना चाहिए। वे समानता को विभेदक समानता भी कहते हैं अर्थात् ऐसी समानता जो भेदभावपूर्ण होते हुए भी औचित्यपूर्ण हो। विनोबा ने उदाहरण देते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि जैसे माता अपने बच्चों की पाचन शक्ति, वय एवं आवश्यकतानुसार ही भोजन देती है वह भेदभावपूर्ण दिखाई देते हुए भी समानता का आदर्श माना जाना चाहिए। विनोबा शक्ति अथवा बल-प्रयोग द्वारा समानता की स्थापना स्वीकार नहीं करते। उनका उद्देश्य विभेदमूलक आत्मिक अथवा आध्यात्मिक समानता की स्थापना करने का है जो कि बिना दबाव के प्राप्त की जा सके।<sup>41</sup>

विनोबा ने गांधीजी के 'रोटी-रोजी' सिद्धान्त का अक्षरशः समर्थन किया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से (श्रम करके) अपना भोजन जुटाये। उद्देश्य धन का संग्रह करना न हो अपितु अपना भरण पोषण मात्र माना जाय। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाय और उत्पादनकर्त्ताओं में समानता की भावना रखी जाय तो श्रम की महत्ता एवं आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन-दोनों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से वेतन की समानता का आदर्श भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें मेहनत द्वारा किये गये कार्यों में बड़े छोटे का भेद न रखकर समान वेतन देने का उद्देश्य निहित है। विनोबा ने आर्थिक समानता, रोटी-रोजी तथा वेतन की समानता का आदर्श स्वीकार करते हुए भी इसे पूर्णतया प्रयोगात्मक आदर्श नहीं माना है। वे यह मानते हैं कि व्यक्ति में भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा इतनी बलवती होती है कि अपरिग्रह अथवा श्रम-साध्य कार्य अथवा वेतन आदि की समानता के विचार को पूर्ण स्वीकृति मिलना असम्भव है। फिर भी आर्थिक भेदभाव मिटाने की दृष्टि से एक और गरीब और अमीर की खाई को बढने से रोकना है तथा दूसरी ओर उसे पाटने का प्रयास भी करना है।<sup>42</sup>

आर्थिक भेदभाव मिटाने के लिए विनोबा ने सर्वोदय की विचारधारा का प्रतिपादन किया है। उनका यह नारा है कि भारत के गाँव आत्म-निर्भर हो जाय। वे अपने लिए उन वस्तुओं का उत्पादन करें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को रोटी तथा रोजी मिलती रहे। प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे। ग्रामीण स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक देश की समस्त अर्थव्यवस्था संयुक्त परिवार के समान कार्यशील रहे। परिवार जैसा मधुर एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाय। आर्थिक विकेन्द्रीकरण के साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भी लाया जाय। प्रत्येक गाँव एक स्वशासित इकाई माना जाय। ग्रामीण जनता अपने कार्यों का निष्पादन स्वयं करे और स्वशासन के माध्यम से अपनी कठिनाइयों का निराकरण भी प्राप्त करें। स्थानीय स्तर पर पूर्ण स्वशासन का यह अर्थ नहीं कि केन्द्रीय सत्ता का महत्त्व समाप्त मान लिया जाय। केन्द्रीय सत्ता को बनाये रखना उसी प्रकार से आवश्यक है जिस प्रकार से रेल के डिब्बे में छतरे की जंजीर।<sup>43</sup> केवल आवश्यक होने पर ही केन्द्रीय सत्ता का नियन्त्रण स्वीकार किया जाय।

विनोबा आत्मविश्वास एवं ईश्वर के अधीन रहे हैं। वे शांति एवं अहिंसा द्वारा प्रज्ञान, आत्मा एवं हिंसा को जीतना चाहते हैं। उनके अनुसार गांधीजी द्वारा प्रतिपादित



क्रान्ति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक नई सामाजिक व्यवस्था नहीं स्थापित कर दी जाती। केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने से यह कार्य पूरा नहीं होगा। आर्थिक, जातीय तथा सामाजिक शोषण से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। हिंसा का नग्न ताण्डव चारों ओर दिखाई देता है ऐसे में विनोबा मानव को पशुता से ऊंचा उठ कर विवेक, न्याय एवं व्यवस्था के अनुरूप चलने की प्रेरणा देते हैं। वे प्रेम के शासन में विश्वास करते हैं जिसमें हिंसा अथवा दबाव लेशमात्र भी नहीं। विनोबा ने इस कार्य की पूर्ति के लिए सर्वोदय का मार्ग चुना है। सर्वोदय की अवधारणा अत्यन्त जटिल है क्योंकि उसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्वों को माना गया है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अन्तर्गत व्यक्ति का चहुँ-भुखी विकास एवं कल्याण निहित है। सामाजिक दृष्टि से सर्वोदय द्वारा सबके भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है ताकि समस्त मानवता का विकास हो सके।<sup>44</sup>

वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो प्रेम तथा सत्य पर आधारित हो। वे भक्ति के आन्तरिक विकास पर बल देते हुए यह कामना करते हैं कि घृणा, शान्ति एवं सहयोग का वातावरण विश्व में निर्मित किया जाय। मनुष्य का नैतिक पुनर्जागरण आवश्यक माना गया है। केवल वातावरण ही नहीं अपितु व्यक्ति द्वारा स्वयं परिवर्तित होना आवश्यक है। मनुष्य के आध्यात्मिक एवं चारित्रिक गुण ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। प्रगति के साथ मानव का अंतराल भी परिवर्तित होना चाहिए। बाह्य मतभेदों का मूल आन्तरिक कलह है अतः मानव के आन्तरिक एवं बाह्य विकास के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना उपयोगी मानी गयी है।<sup>45</sup>

विनोबा ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में 1951 में कहा था कि हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को शासन द्वारा रोटी-रोजी दिलाने की व्यवस्था का प्रावधान रखता है किन्तु योजना में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। योजना का उद्देश्य सेना का विस्तार एवं भारी उद्योगों की स्थापना है न कि रोजगार की व्यवस्था करना। आवश्यकता यह है कि पहले सबको रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाय और बाद में योजनाएं बनायी जायें। राजनीतिक दृष्टि से यह बात कितनी भी ग़रबने वाली लगती हो किन्तु वास्तविक उद्देश्य यही होना चाहिए। यदि शासन को यह कार्य असंभव दिखाई दे तो ऐसे शासन की आवश्यकता नहीं है।<sup>46</sup> इसी प्रकार से परिवार-नियोजन<sup>47</sup> के बारे में विनोबा का कहना है कि परिवार की संख्या निर्धारित करने का कार्य राज्य का नहीं है। शासन का उत्तरदायित्व खाद्य-पदार्थ उपलब्ध कराना है, इससे अधिक नहीं। जापान तथा इंग्लैंड में जन-संख्या की समस्या भारत से कम नहीं है। वास्तविकता यह है कि पृथ्वी पर जनसंख्या से अधिक दबाव पाप का होता है। विनोबा के अनुसार जनसंख्या नियंत्रित करने के स्थान पर व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाना चाहिए।<sup>48</sup>

विनोबा ने खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। वे खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से भारत में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का अन्त सम्भव मानते हैं। ग्रामोद्योग की स्थापना कर वे व्यक्ति को पैसों की भूख से बचाना चाहते हैं। जब प्रत्येक आवश्यक वस्तु गाँव में ही उत्पादित होने लग जाय तो फिर पैसों की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति विनिमय एवं पारस्परिक सहयोग से उन्हें प्राप्त

में बांट लेगा। विनोबा के अनुसार कुटीर-उद्योगों का हास नहीं हुआ अपितु उन्हें समाप्त किया गया है। बड़ी-बड़ी मिलों की स्थापना कर शूह- उद्योगों को समाप्त किया जाता है। हम पहले बेरोजगारी फैलाने और बाद में उसका हल ढूँढने का प्रयास करते हैं। पहले व्यक्ति को रोजगार दिया जाय, बाद में आवश्यकता हो तो मशीनीकरण किया जाय। मशीन मानव को बेकार बनादे यह विनोबा को स्वीकार नहीं।<sup>49</sup>

विनोबा ने सर्वोदय की विचारधारा को जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ दिया है। वे राजनीति में शक्ति तथा प्रभाव के क्षेत्र का परिसीमन करने के लिए उसे जीवन के उदात्त पक्ष से जोड़ना और राजनीति को मोक्ष की विचारधारा में परिवर्तित करना चाहते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए राजनीतिक क्रियाकलापों की अनिवार्यता मानते हुए भी विनोबा ने समाज-सेवा को राजनीति से अधिक महत्त्व दिया है। जन सामान्य के कल्याण के लिए तथा जनता जनार्दन की सेवार्थ पारस्परिक मनमुटाव, स्वार्थ तथा राजनीतिक शक्ति का प्रलोभन त्यागने का आदर्श सर्वोदय का प्रमुख आधार है। गांधीजी ने पूर्ण स्वराज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया है। यह आदर्श स्वराज को लक्ष्य मानकर चलने से प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्य के रूप में स्वराज की प्राप्ति मानवीय प्रेरणा एवं विकास को प्रबुद्ध करती है। आदर्श के रूप में पूर्ण स्वराज की मान्यता मानव विकास की अखिल धारा के समान है। बाह्य प्रेरक तत्वों से भी अधिक शक्तिशाली आन्तरिक आत्मप्रेरणा है। आत्मप्रेरणा से मानव सेवा का द्रत एवं तदनुसार कर्म सर्वोदय को इतिहासवाद तथा जीवन के काल-विभाजन के क्रम से मुक्त रखता है। सर्वोदयवाद लक्ष्य को कर्म से स्वतन्त्र नहीं मानता। जिस प्रकार से भविष्य वर्तमान से पृथक् नहीं हो सकता उसी प्रकार से लक्ष्य तथा भविष्य को भी मानव-अस्तित्व से पृथक् नहीं किया जा सकता। मानव-अस्तित्व की सार्थकता आत्मिक आत्मानुभूति में निहित है और सर्वोदय इस मार्ग को प्रशस्त करते हुए आत्मानुभूति को सामाजिक आत्मानुभूति से एकाकार करने में समर्थ है। विनोबा के अनुसार जो यह कहते हैं कि सत्ययुग अभी आना शेष है वे साम्यवादी हैं। परम्परावादी तथा साम्यवादी दोनों ही सत्ययुग में निष्ठा रखते हैं। परम्परावादी बीते हुए सत्ययुग का वर्णन करते हैं तो साम्यवादी आने वाले सत्ययुग का स्वप्न देखते हैं। किन्तु विनोबा न तो भूतकाल में विश्वास करते हैं और न भविष्य में। न तो भूतकाल हाथ में है और न भविष्य। केवल वर्तमान ही अपने हाथ में है और इस कारण से वर्तमान में ही सत्ययुग को वास्तविकता प्रदान करनी है।<sup>50</sup>

विनोबा ने भारतीय राजनीति के नैतिक उद्देश्यों एवं मानवीय मूल्यों को समर्थन देते हुए राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करने का अभियान चलाया है। वे साम्यवादी देशों को राजनीतिक स्वार्थ पर अपनी व्यवस्था आधारित करने के कारण निम्न श्रेणी में रखते हैं। उनकी दृष्टि में जनता के शासन का अधिक महत्त्व है और वह लोकनीति पर आधारित है। वे राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करना चाहते हैं। लोकनीति से ही गांधीजी के रामराज्य की कल्पना को साकार किया जा सकता है। लोकनीति में राजनीति के सत्य सिद्धान्त का अभाव नहीं है। राजनीति शोषण, पक्ष्यन्त्र तथा अन्य अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहित कर मार्बजिनिक जीवन में मानवीय मूल्यों को तिरोहित करती है। सत्तालोलुप शक्तियों द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अपने विरोधियों को कुचलने

में किया जाता है। राजनीति में मानव के शोषण का प्रतिकार करने का दृष्ट रचा जाता है। वास्तविक ऋषों में राजनीति स्वयं जनसाधारण का शोषण करती है। किन्तु लोकनीति जनसेवा पर आधारित है। लोकनीति मानव को सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों में प्रतिष्ठित करने का मार्ग है। लोकनीति सत्याग्रह की प्रक्रिया पर आधारित है। सार्वजनिक कार्यों में आध्यात्मिक भावना का संचार लोकनीति से ही सम्भव है। लोकनीति का विकास ही जनता में राजनीति के प्रति तिरस्कार की भावना उत्पन्न कर सकता है। लोकनीति सर्वोदयवाद पर आधारित है। इसमें लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के आदर्श अन्तर्निहित हैं। पंचायती राज-व्यवस्था के माध्यम से लोकनीति गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जनता का शासन स्थापित कर लेगी। शासन के विकेन्द्रीकरण का यही एक मार्ग है। ग्राम-स्वराज्य की कल्पना में पूंजीवाद, उद्योगीकरण तथा शहरीकरण का सशक्त प्रतिकार विद्यमान है।<sup>51</sup>

विनोबा की सर्वोदय-योजना में राजनीति की दण्डशक्ति को लोकनीति की जन-शक्ति में परिवर्तित करने का उद्देश्य प्रस्फुटित हुआ है। विनोबा ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को शहरीकरण का अन्त करने तथा उसके स्थान पर भारत के सहस्रों गावों में बसे भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास के लिए प्रयुक्त किया है। वे ग्रामीण भारत को दलगत राजनीति से मुक्त रखना चाहते हैं ताकि ग्रामीण जनता सच्चे लोकसेवकों का निर्वाचन कर सके। भारत में सच्चा लोकतन्त्र तभी स्थापित हो सकता है जब निष्ठा से ग्रामों के अग्रमुदय का कार्य किया जाय। विनोबा ने इसी उद्देश्य में भूदान-कार्यक्रम के साथ-साथ ग्रामोत्थान का सकल्प किया है।<sup>52</sup> विनोबा का भूदान-ग्रान्दोलन भारत के भूस्वामित्व की व्यवस्था को नवीन दिशा देने के लिए प्रारम्भ किया गया है। विनोबा सम्पत्ति के अत्यधिक सग्रह तथा उसके चन्द हाथों में केन्द्रित होने को सामाजिक एवं आर्थिक मन्तून का शत्रु मानते हैं। उनका यह विचार है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का पूति करने के पश्चात् शेष भूमि भूमिहीनों को वितरित करने को उद्यत हो जाय तो अनेक भूमिहीन मजदूरों एवं निर्धनों को जीवनयापन का स्वतन्त्र एवं निश्चित साधन प्राप्त हो जायगा। वे भूपति से अपनी भूमि का कुछ भाग भूमिहीनों को वितरित करने के लिए मांगते हैं। यही भूदान कार्यक्रम का लक्ष्य है। इससे भूमिहीनों में भूमि वितरित होगी और भूमि का समुचित वितरण होकर सर्वोदयी समाजवादी समाज की स्वतः स्थापना होती दिखाई देगी। गांधीजी ने अपरिग्रह का विचार इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था कि व्यक्ति कम से कम संग्रह करे। विनोबा का भूदान-ग्रान्दोलन भी भूपतियों के विवेक को प्रभावित कर साम्ययोग की स्थापना करना चाहता है ताकि समाज में अधिकतम समानता स्थापित हो सके और गरीब (हेवनादस) तथा धमीर (हेव्म्) को छाई पाट दो जाय।<sup>53</sup>

भूदान-ग्रान्दोलन ने भूमि का अन्तिम अधिकार ईश्वर में माना है। 'मैंने भूमि गोपाल की' इस मन्त्र के साथ वे धरति के सम्पत्ति के प्रति मोह को ममाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं ताकि व्यक्तिगत स्वामित्व का दम्भ छोड़कर सम्पत्ति का सार्वजनिक उपयोग हो सके। विनोबा ने तेलगाना में जिस प्रकार से भूदान यज्ञ प्रारम्भ किया था वह धाज भी समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साम्यवाद धर्म-संघर्ष के द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व को चुनौती देकर नवीन व्यवस्था स्थापित करता है। विनोबा प्रेम

में बांट लेगा। विनोबा के अनुसार कुटीर-उद्योगों का ह्रास नहीं हुआ अपितु उन्हें समाप्त किया गया है। बड़ी-बड़ी मिलों की स्थापना कर गृह-उद्योगों को समाप्त किया जाता है। हम पहले बेरोजगारी फैलाने और बाद में उसका हल ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले व्यक्ति को रोजगार दिया जाय, बाद में आवश्यकता हो तो मशीनीकरण किया जाय। मशीन मानव को बेकार बनादे यह विनोबा को स्वीकार नहीं।<sup>49</sup>

विनोबा ने सर्वोदय की विचारधारा को जीवन के प्राध्यात्मिक पक्ष से जोड़ दिया है। वे राजनीति में शक्ति तथा प्रभाव के क्षेत्र का परिसीमन करने के लिए उसे जीवन के उदात्त पक्ष से जोड़ना और राजनीति को मोक्ष की विचारधारा में परिवर्तित करना चाहते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए राजनीतिक क्रियाकलापों की अनिवार्यता मानते हुए भी विनोबा ने समाज-सेवा को राजनीति से अधिक महत्व दिया है। जन सामान्य के कल्याण के लिए तथा जनता जनार्दन की सेवार्थ पारस्परिक मनमुटाव, स्वार्थ तथा राजनीतिक शक्ति का प्रलोभन त्यागने का आदर्श सर्वोदय का प्रमुख आधार है। गांधीजी ने पूर्ण स्वराज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया है। यह आदर्श स्वराज को लक्ष्य मानकर चलने से प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्य के रूप में स्वराज की प्राप्ति मानवीय प्रेरणा एवं विकास को अवरोध करती है। आदर्श के रूप में पूर्ण स्वराज की मान्यता मानव विकास की अविरल धारा के समान है। बाह्य प्रेरक तत्वों से भी अधिक शक्तिशाली आन्तरिक आत्मप्रेरणा है। आत्मप्रेरणा से मानव सेवा का व्रत एवं तदनुसार कर्म सर्वोदय को इतिहासवाद तथा जीवन के काल-विभाजन के क्रम से मुक्त रखता है। सर्वोदयवाद लक्ष्य को कर्म से स्वतन्त्र नहीं मानता। जिस प्रकार से भविष्य वर्तमान से पृथक् नहीं हो सकता उसी प्रकार से लक्ष्य तथा भविष्य को भी मानव-अस्तित्व से पृथक् नहीं किया जा सकता। मानव-अस्तित्व की सायंकता आत्मिक आत्मानुभूति में निहित है और सर्वोदय इस मार्ग को प्रशस्त करते हुए आत्मानुभूति को सामाजिक आत्मानुभूति से एकाकार करने में समर्थ है। विनोबा के अनुसार जो यह कहते हैं कि सत्ययुग अभी आना शेष है वे साम्यवादी हैं। परम्परावादी तथा साम्यवादी दोनों ही सत्ययुग में निष्ठा रखते हैं। परम्परावादी बीते हुए सत्ययुग का वर्णन करते हैं तो साम्यवादी आने वाले सत्ययुग का स्वप्न देखते हैं। किन्तु विनोबा न तो भूतकाल में विश्वास करते हैं और न भविष्य में। न तो भूतकाल हाथ में है और न भविष्य। केवल वर्तमान ही अपने हाथ में है और इस कारण से वर्तमान में ही सत्ययुग को वास्तविकता प्रदान करनी है।<sup>50</sup>

विनोबा ने भारतीय राजनीति के नैतिक उद्देश्यों एवं मानवीय मूल्यों को समर्थन देते हुए राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करने का अभियान चलाया है। वे साम्यवादी देशों को राजनीतिक स्वार्थ पर अपनी व्यवस्था आधारित करने के कारण निम्न श्रेणी में रखते हैं। उनको दृष्टि में जनता के शासन का अधिक महत्व है और वह लोकनीति पर आधारित है। वे राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करना चाहते हैं। लोकनीति से ही गांधीजी के रागराज्य की कल्पना को साकार किया जा सकता है। लोकनीति में राजनीति के मर्यादित सिद्धान्त का अभाव नहीं है। राजनीति शोषण, पदग्रहण तथा अन्य अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहित कर मार्थजनिक जीवन में मानवीय मूल्यों को तिरोहित करती है। सत्तालोलुप व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अपने विरोधियों को कुचलने

में किया जाता है। राजनीति में मानव के शोषण का प्रतिकार करने का छद्म रचा जाता है। वास्तविक श्रमों में राजनीति स्वयं जनसाधारण का शोषण करती है। किन्तु लोकनीति जनसेवा पर आधारित है। लोकनीति मानव को सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों में प्रतिष्ठित करने का मार्ग है। लोकनीति सत्याग्रह की प्रक्रिया पर आधारित है। सार्वजनिक कार्यों में आध्यात्मिक भावना का संचार लोकनीति से ही सम्भव है। लोकनीति का विकास ही जनता में राजनीति के प्रति तिरस्कार की भावना उत्पन्न कर सकता है। लोकनीति सर्वोदयवाद पर आधारित है। इसमें लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के आदर्श अन्तर्निहित हैं। पंचायती राज-व्यवस्था के माध्यम से लोकनीति गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जनता का शासन स्थापित कर लेगी। शासन के विकेन्द्रीकरण का यही एक मार्ग है। ग्राम-स्वराज्य की कल्पना में पूंजीवाद, उद्योगीकरण तथा शहरीकरण का सशक्त प्रतिकार विद्यमान है।<sup>51</sup>

विनोबा की सर्वोदय-योजना में राजनीति की दण्डशक्ति को लोकनीति की जन-शक्ति में परिवर्तित करने का उद्देश्य प्रस्फुटित हुआ है। विनोबा ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को शहरीकरण का अन्त करने तथा उसके स्थान पर भारत के सहस्रो गांवों में बसे भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास के लिए प्रयुक्त किया है। वे ग्रामीण भारत को दलगत राजनीति से मुक्त रखना चाहते हैं ताकि ग्रामीण जनता सच्चे लोकसेवकों का निर्वाचन कर सके। भारत में मजदूर लोतन्त्र तभी स्थापित हो सकता है जब निष्ठा से ग्रामों के अग्रमुदय का कार्य किया जाय। विनोबा ने इसी उद्देश्य से भूदान-कार्यक्रम के माध्यम-माध्यम ग्रामोत्थान का सकल्प किया है।<sup>52</sup> विनोबा का भूदान-आन्दोलन भारत के भूस्वामित्व की व्यवस्था को नवीन दिशा देने के लिए प्रारम्भ किया गया है। विनोबा सम्पत्ति के अत्यधिक सग्रह तथा उसके चन्द हाथों में केन्द्रित होने को सामाजिक एवं आर्थिक मन्तुलन का शत्रु मानते हैं। उनका यह विचार है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति करने के पश्चात् शेष भूमि भूमिहीनों ने वितरित करने को उद्यत हो जाय तो अनेक भूमिहीन मजदूरों एवं निर्धनों को जीवनयापन का स्वतन्त्र एवं निश्चित साधन प्राप्त हो जायगा। वे भूपति से अपनी भूमि का कुछ भाग भूमिहीनों में वितरित करने के लिए मांगते हैं। यही भूदान कार्यक्रम का लक्ष्य है। इससे भूमिहीनों में भूमि वितरित होगी और भूमि का समुचित वितरण होकर सर्वोदयी समाजवादी समाज की स्वतः स्थापना होती दिखाई देगी। गांधीजी ने अग्रपरिग्रह का विचार इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था कि व्यक्ति कम से कम संप्रह करे। विनोबा का भूदान-आन्दोलन भी भूपतियों के विवेक को प्रभावित कर साम्ययोग की स्थापना करना चाहता है ताकि समाज में अधिष्ठित ममानता स्थापित हो सके और गरीब (हेवनाट्स) तथा अमीर (हेव्स) की खाई पाट दी जाय।<sup>53</sup>

भूदान-आन्दोलन ने भूमि का अन्तिम अधिकार ईश्वर में माना है। 'मैं भूमि गोपाल की' इस मन्त्र के साथ वे व्यक्ति के सम्पत्ति के प्रति मोह को ममाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं ताकि व्यक्तिगत स्वामित्व का दम्भ छोड़कर सम्पत्ति का मार्वाजनिक उपयोग हो सके। विनोबा ने तेलंगाना में जिस प्रकार से भूदान यज्ञ प्रारम्भ किया था वह आज भी समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साम्यवाद वर्ग-संघर्ष के द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व को चुनौती देकर नवीन व्यवस्था स्थापित करना है। विनोबा ग्राम

द्वारा वर्ग-भेद मिटाकर अहिंसा तथा अपरिग्रह के माध्यम से साम्य स्थापित करना चाहते हैं। वे समाज में व्यक्ति के स्वतः आत्मनिग्रह द्वारा ऊंचनीच का भेद मिटाना चाहते हैं। साम्यवाद का विकल्प विनोबा का सर्वोदयी विचार है। रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों ने शक्ति तथा भय से जिन भूमिसुधारों को अपने देशों में क्रियान्वित किया और जिस प्रकार से भूमि के स्वामित्व को समाज में हस्तान्तरित किया वह कार्य विनोबा हृदय-परिवर्तन द्वारा सुगमता से करते हुए दिखाई देते हैं।<sup>54</sup>

भूदान-आन्दोलन के साथ-साथ विनोबा ने ग्रामदान, सम्पत्तिदान, श्रमदान, जीवनदान आदि कार्यक्रम भी चलाये हैं। ग्रामदान से उनका तात्पर्य समस्त भूमि के व्यक्तिगत अधिकार को ग्राम को समर्पित कर पुनः प्रत्येक ग्रामवासी को उसकी आवश्यकता-नुसार भूमि का वितरण है। सम्पत्तिदान नगर के सम्पत्तिशालियों द्वारा समाजहित में अतिरिक्त सम्पत्ति त्यागने का कार्यक्रम है। यह अतिरिक्त सम्पत्ति जरूरतमन्द की सहायता में खर्च की जाय। निर्धन व्यक्ति जिसके पास भूमि तथा सम्पत्ति नहीं है वह विनोबा के कार्यक्रम में श्रमदान दे सकता है। श्रमदान द्वारा वह अपने श्रम का कुछ अंश सार्वजनिक जीवनोपयोगी कार्यों में लगाये। शारीरिक श्रम द्वारा वह अपनी क्षमतानुसार योगदान दे सकता है। विनोबा ने इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों के लिए भी मार्ग तैयार किया है जो उनके समान समस्त जीवन सामाजिक सेवा तथा सर्वोदय-कार्यक्रमों में व्यतीत करना चाहते हैं। इसे जीवनदान की संज्ञा दी गयी है। जयप्रकाश आदि सर्वोदयी कार्यकर्ता जीवनदान के उदाहरण हैं। विनोबा ने बुद्धिजीवी तथा श्रमजीवियों के अन्तर को मिटाने के लिए बुद्धिजीवियों से यथाशक्ति सामाजिक सेवा में प्रवृत्त होने का आग्रह किया है। बुद्धिजीवियों द्वारा अपने समय का कुछ भाग जनसेवा में लगाने का कार्य उनके परोपजीवी मानस को परिष्कृत कर सकता है।<sup>55</sup>

विनोबा ने गांधीजी के क्रान्ति एवं शान्ति के सन्देश को जीवित रखने तथा उसे यथार्थ रूप देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। गांधीजी के विचारों की आदर्श-वादिता को रचनात्मक कार्यक्रम में परिवर्तित कर विनोबा ने अपने कथन की पुष्टि की है कि गांधीजी के विचार व्यवस्थित न होते हुए भी सही चिंतन की शक्ति से युक्त हैं।<sup>56</sup> विनोबा ने मानवता को प्रेम के नियम से प्रतिबद्ध करने का प्रयास किया है। वे प्रेम तथा सत्य के आधार पर नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के इच्छुक हैं। सामाजिक समानता एवं न्याय के प्रतीक विनोबा ने भूदान, ग्रामदान आदि के द्वारा साम्यवाद का धार्मिक विकल्प प्रस्तुत किया है। राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रखर प्रचारक तथा यादी ग्रामोद्योग के संबंधक विनोबा ने भारत की निर्धन जनता को "शान्ति सेना" में परिवर्तित कर जनता-राज के प्रजासूय यत्न का सकल्प लिया है।<sup>57</sup>

□□

## टिप्पणियाँ

1. देखिये सुरेश राम शर्मा, विनोबा एण्ड हिम् मिशन (अखिल भारत सर्वसेवा सच, वर्षा, 1954) 5-10-15

2. वही, पृ. 20-24
3. जयप्रकाश नारायण, प्रिजन डायरी, पृ. 131
4. वसंत नारगोलकर, जे. पी. विन्डिकेडेड, (एस. बन्द एण्ड को., नई दिल्ली, 1977) पृ. 89-91
5. विनोबा भावे, स्वराज्य शास्त्र, पृ. 19-95
6. विनोबा भावे, सर्वोदय चर्चा, पृ. 20-21
7. वही, पृ. 30
8. वही, पृ. 31-32
- 9. हरिजन, 9 फरवरी, 1952
10. विनोबा भावे, भूदान धन, पृ. 66-67
11. वही, पृ. 67-68
12. वही, पृ. 68-69
13. हरिजन, 14 अगस्त, 1954
14. वही, 19 जून, 1949
15. वही
16. वही
17. वही, 15 दिसम्बर, 1951
18. वही, 7 जुलाई, 1951
19. वही, 26 दिसम्बर, 1948
20. वही, 13 फरवरी, 1949
21. वही
22. वही, 17 अप्रैल, 1949
23. वही, 2 मई, 1953
24. वही, 6 मार्च, 1954
25. वही, 29 मार्च, 1952
26. वही, 23 मई, 1953
27. वसंत नारगोलकर, जे. पी. विन्डिकेडेड, पृ. 85-86
28. हरिजन, 30 जून, 1951
29. वही, 26 जनवरी, 1952
30. देखिये लेजा डेल वास्टो, गांधी टु विनोबा, (राइट एण्ड कम्पनी, बन्दन, 1956) पृ. 215
31. वही, पृ. 211-212
32. वही, पृ. 213-214
33. वही, पृ. 209-211
34. देखिये हरिजन, जुलाई 3, 1954
35. लेजा डेल वास्टो, पृ. 207-208
36. वही, पृ. 208
37. वही, पृ. 214
38. देखिये हरिजन, जनवरी 8, 1950
39. विनोबा भावे, भूदान धन, (नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, महमदाबाद, 1953) पृ. 66-69
40. देखिये हरिजन, जनवरी 26, 1952
41. वही, दिसम्बर 20, 1952
42. देखिये अण्णादोराय, इण्डियन पोलिटिकल थिन्किंग, पृ. 78
43. वही, पृ. 126
- 44. बाबा धर्मधिकारी, सर्वोदय-वार्ता, (बहिष्कृत भारतीय सेवा संघ, बाबो, 1957) पृ. 225-233

45. विनोबा भावे, सर्वोच्च के आधार, (अखिल भारतीय सेवा संघ, काशी, 1956) पृ. 60-65
46. लेज़ा डेल वास्टो, पृ. 215-216
47. वही, पृ. 216
48. वही
49. वही, पृ. 217-218
50. देखिये मनोरंजन झा, मोडर्न इण्डियन पोलिटिकल पार्टी. (मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1975) पृ. 285
51. जयप्रकाश नारायण, सोशलिज्म, सर्वोच्च एण्ड डेमोक्रेसी, (बिमला प्रसाद द्वारा सम्पादित, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई 1964) पृ. 126-128
52. विनोबा भावे, भूदान ड्रु ग्रामदान, (अखिल भारत सेवा संघ, तंजौर, 1956) पृ. 41
53. विनोबा भावे, भूदान गंगा, प्रथम खण्ड (अखिल भारत सर्वसेवा संघ प्रकाशन, काशी, 1956) पृ. 128-133
54. वही, पृ. 131, 243-246
55. जयप्रकाश नारायण, पृ. 123-131 तथा 132-171
56. देखिये के. जी. मशरूवाला, गांधी एण्ड मार्क्स, (नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1954) में विनोबा द्वारा लिखित प्रस्तावना
57. पी. नागराज राव, क्रान्तेप्योरैरी इण्डियन पार्टी, पृ. 131-133



आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन में राष्ट्रवाद तथा स्वराज इन दो अवधारणाओं का विशिष्ट महत्त्व है। राष्ट्रवाद तथा स्वराज इन दोनों का सुन्दर समन्वय दासता-पीडित भारत की मुक्ति के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रबुद्धता का सन्देशवाहक रहा है। राष्ट्रवाद के प्रसार एवं प्रभाव के अन्तर्गत स्वराज्य-प्राप्ति की लालसा बलवती होती गयी और अन्त में राष्ट्रवादी विचारधारा ने ही भारत को स्वतन्त्रता दिलवायी भी। भारतीय चिंतकों में मानववादी रवीन्द्र नाथ ठाकुर तथा मार्क्सवाद के प्रभाव के अन्तर्गत मानवेन्द्रनाथ रॉय राष्ट्रवाद के आलोचक रहे हैं। ठाकुर ने भारत की जाति-प्रथा तथा सामाजिक संकीर्णता के आधार पर राष्ट्रवाद के प्रसार को असम्भव बताया है, जब कि मानवेन्द्रनाथ रॉय राष्ट्रवाद को मार्क्सवादी श्रमिकों तथा सर्वहारा के अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व के मार्ग में रुकावट मानते हैं। दोनों ही विचारक यथार्थ से दूर रहे हैं। इनके विपरीत प्रायः समस्त आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक विचारकों ने राष्ट्रवाद के महत्त्व को अंशाधिक रूपेण स्वीकार करते हुए उसे स्वराज्य-प्राप्ति का एक मात्र साधन माना है।

अवधारणात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद के विविध रूप आधुनिक भारतीय चिन्तन में प्रकट हुए हैं। पारश्चात्य राष्ट्रवादी विचारधारा में राजनीतिक एवं आर्थिक पक्ष को अधिक महत्त्व दिया गया है। भारत में भी राष्ट्रवाद को राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्त्व देने वाले अनेक विचारक हैं किन्तु राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने वाले विचारकों ने राष्ट्रवाद को एक नवीन दिशा दी है, जो कि भारतीय चिन्तन की मौलिक प्रवृत्ति की परिचायक मानी जा सकती है। स्वामी विवेकानन्द, बिपिन चन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद एक नवीन अनुभूति है। पारश्चात्य राष्ट्रवादी चिन्तन की संकीर्णता को भारत ने ग्रहण नहीं किया। विश्व बन्धुत्व तथा सर्वहितकारी प्रयोजनों के प्राचीन भारतीय आदर्श ने राष्ट्रवाद को अन्तर्राष्ट्रीयता का बाधक न बना कर उसका सहयोगी बना दिया है। राष्ट्रवाद के सुप्रसिद्ध दार्शनिक मत्सुनी के प्रभाव में रहते हुए भी भारतीय चिंतकों ने मानववादी विचारधारा को तिलांजलि नहीं दी अपितु व्यक्तिगत अधिकारों तथा नैतिक मूल्यों को स्वीकार करते हुए व्यक्ति के कर्तव्यों के साथ-साथ उसके अधिकारों का भी ध्यान रखा है। एक ओर जहाँ राष्ट्रवाद को आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक आधारों पर प्रकल्पित किया गया है, वहाँ दूसरी ओर स्वराज्य के भी भिन्न-भिन्न अर्थ प्रस्तुत किये गये हैं। भारतीय राष्ट्रीय चिन्तन में उदारवादियों, उपवादियों तथा अतिवादियों ने स्वराज्य को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखा है। यदि उदारवादियों ने भारत को औपनिवेशिक स्वराज मिलने मात्र में सन्तुष्टि प्रकट की है, तो उप-

वादियों ने औपनिवेशिक स्वतन्त्रता तथा पूर्ण स्वतन्त्रता के बीच का मार्ग अपनाया है। अतिवादियों ने पूर्ण स्वतन्त्रता को ही लक्ष्य मानकर सशस्त्र क्रांति का मार्ग प्रस्तुत किया है। इस तरह राष्ट्रवाद तथा स्वराज्य के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न स्वरूपों तथा अर्थों को प्रस्तुत करते हुए भी मूल रूप में भारतीय चिन्तकों का ध्येय स्वतन्त्रता प्राप्ति में साकार हुआ है।

राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि राष्ट्रीयता की भावना भारत में आरम्भ से ही रही है। भारतीय राष्ट्रीयता को किसी आंग्ल-इतिहासकार अथवा राजनीतिक चिन्तक के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं हुई। अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के उत्कर्ष के दिनों में भारत को एक राष्ट्र तथा एक पृथक् भौगोलिक अस्तित्व की गरिमा प्राप्त थी। समस्त भारत का एकीकरण करने वाले अंग्रेज शासक एकता के प्रथम संदेश-वाहक नहीं थे। मौर्यकाल तथा गुप्तकालीन भारत में चक्रवर्ती सम्राट का अस्तित्व था तथा समस्त भारत एक सूत्र में बन्धा हुआ था। बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने तथा भारतीयों के स्वयं की अज्ञानता तथा आलस्य की वृत्ति ने भारत को अन्धकार व दासता के गर्त में डकेल दिया। इन विदेशी आक्रमणकारियों में से अधिकांश भारतीय रंग में रंग गये। यहाँ तक कि मुस्लिम शासक भी भारतीय बन गये तथा भारत को अपना वतन मानने लगे। केवल एक ही आक्रांता ऐसा आया जो कि विज्ञान, भौतिकता, ईसाइयत तथा विशिष्ट संस्कृति के नाम पर भारत का हर प्रकार से शोषण तथा घपमान करने को उद्यत था। प्रारम्भ में व्यापारी बन कर आने वाले इस आक्रांता ने शनैः शनैः अपना असली रूप दिखाया तथा भारत का शासक बन बैठा। भारत में राष्ट्रवाद का आधुनिक स्वरूप इसी अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत बौद्धिक पुनर्जागरण एवं दासता से मुक्ति के प्रयास में परिलक्षित है। भारतीय पुनर्जागरण के नैतिक एवं आध्यात्मिक सन्दर्भों से यह स्पष्ट ही जाता है कि पारश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य, पारश्चात्य राजनीतिक विचारों तथा ईसाई धर्म के भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन पर पढ़ने वाले प्रभावों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है। पारश्चात्य प्रभाव को मानने से अस्वीकृति नहीं है, किन्तु भारतीय चिन्तकों का एक बहुत बड़ा समुदाय भारतीय संस्कृति, धर्म-चेतना एवं भारतीय आधारों पर ही आये बढ़ना श्रेयस्कर मानता रहा है। भारतीय बौद्धिक पुनर्जागरण के दो प्रकार हमारे सामने हैं—एक सुधारवादी तथा दूसरा पुनरभ्युदयवादी। जहाँ सुधारवादियों ने पारश्चात्य प्रभाव को आत्मसात् करते हुए पारश्चात्य पद्धतियों से नायं करना स्वीकार किया है वहाँ पुनरभ्युदयवादियों ने पारश्चात्य प्रभाव को भारतीय चिन्तन से मिलाकर एक कर दिया है और भारत के स्वर्णिम अतीत को ध्यान में रख भावी भारत के सुधद स्वप्न को संजोया है।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विचार है। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए एकता को आधार प्राप्त होना आवश्यक है। भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, समान ऐतिहासिक धरोहर, भौगोलिक एकता तथा आर्थिक हित आदि ऐसे कई तत्व हैं जिनकी महायत्ना से राष्ट्र का विचार उत्पन्न होता है और अन्त में राष्ट्र की भावना उत्पन्न होती है। एक बार इस भावना के उत्पन्न होने के बाद फिर यह निरन्तर बलवती होती जाती है और वह राष्ट्र स्वतन्त्रता प्राप्त करता है और उसे बनाये रख सकता है। भारत में विभिन्नता के अनेक कारण रहे हैं, फिर भी धार्मिक एवं ऐति-

हासिक कारणों से राष्ट्रीयता की भावना प्रारम्भ से ही बनी रही है। समय-समय पर इस भावना को जागृत करने की सामग्री मिलती रही है। मुगलकाल में महाराणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी के समय राष्ट्रीय भावना की जागृति के भवसर उपस्थित हुए। इससे राष्ट्रीय विचारधारा में तेजी आयी। ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध नव जागरण के भवसर फिर से उत्पन्न हुए तथा 1857 में फिरंगियों को भगाने का प्रयत्न इसी राष्ट्रवाद की भावना का कारण बना। इसके बाद धर्म तथा समाज-सुधार-आंदोलनों ने इसे निरन्तर बल प्रदान किया तथा यह विचारधारा बल प्राप्त करती गयी।

भारतीय बौद्धिक पुनर्जागरण में राष्ट्रवाद के पूर्ण दर्शन दयानन्द सरस्वती के विचारों में होते हैं। यद्यपि राजा राममोहन राय 'आधुनिक भारत के जनक' माने गये हैं फिर भी उन पर पाश्चात्य प्रभाव अधिक रहा एवं वे ईसाइयत के प्रभाव से अपने को मुक्त करने का निरन्तर संघर्ष करते रहे। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज भारतीय राष्ट्रवाद का पहला प्रतीक है, पूर्ण प्रतीक नहीं। राजा राममोहन राय द्वारा जहाँ एक ओर अंग्रेजों से मंत्री, उनके द्वारा भारत में बसने तथा भारत की शिक्षा, कानून तथा उद्योगों में पूरी तरह से सहायता एवं मार्ग-दर्शन का आह्वान उनकी पाश्चात्य भक्ति का प्रतीक है, वहाँ उनके द्वारा सामाजिक सुधारों को लागू करने का विचार जो कि सती-प्रथा, विधवा एवं बालविवाह से सम्बन्धित है उनकी सुधारवादी प्रवृत्ति का द्योतक है। दयानन्द सरस्वती पहले राष्ट्रवादी हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित वेदों की महानता का विचार भारतीयों में आत्म विश्वास जगाने का आधुनिक समय में प्रथम प्रयास था। भारतीयों में अपने अतीत के प्रति श्रद्धा तथा अपने धर्म के प्रति महत्ता का भाव पैदा कर उन्होंने प्रत्येक भारतीय को गर्व से मस्तक ऊँचा करके चलने की प्रेरणा दी। यह कार्य कोई और सम्पादित नहीं कर सकता था। उन्होंने संस्कृत व हिन्दी भाषा के माध्यम से अपने उपदेश दिये तथा हिन्दी को राष्ट्र-भाषा का पद प्रदान करके हमारे राष्ट्रीय संग्राम को अपनी स्वयं की राष्ट्रीय भाषा दी। ईसाई धर्म प्रचारकों तथा बट्टर पन्थी मुसलमानों से हिन्दू-धर्म की रक्षा करते हुए न केवल हिन्दू-धर्म की महानता का ही उन्होंने संदेश दिया अपितु छद्मतोद्धार का कार्य कर भारतीय सामाजिक कुरीतियों को ध्वस्त करने में सहायता दी। उन्हीं के सद् प्रयत्नों से अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित ईसाई धर्म प्रचारकों के धर्म-परिवर्तन सम्बन्धी देशद्रोही कार्य को चुनौती दी गयी तथा उनके योग्य शिष्य साहा साजपतराय ने हजारों हिन्दू-भनाय बच्चों तथा स्त्रियों को भ्रकाल एवं महामारी के समय ईसाइयों के चंगुल से बचाया। आर्यसमाज केवल धर्म-सुधार तथा समाज-सुधार-आन्दोलन ही नहीं था। यह एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने भारत की बहुसंख्यक जनता में पौरव्य पैदा कर उन्हें विदेशी दासता का प्रतिकार करने के लिए एक नवीन राजनीतिक विकल्प सुझाया। आधुनिक समय में हिंद-स्वराज्य की प्रेरणा स्वामी दयानन्द सरस्वती की देन है। भारत में स्वराज्य की कल्पना को पुनः साकार करने वाले वे प्रथम आधुनिक भारतीय चिंतक हैं। उनके राष्ट्रवाद तथा स्वराज सम्बन्धी विचारों से तिसक, साजपतराय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविन्द घोष आदि ने प्रेरणा ली है।

स्वामी विवेकानन्द भी राष्ट्रवाद के समर्थकों में हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक विचार राजनीतिक चिन्तन को एक अनुपम देन है। वे धर्म की

ही हर वस्तु का आधार मानते हैं। उनका स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचार स्वराज्य का प्रतीक है। वे आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता के प्रतिपादक हैं। उनके विचारों से भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलनकारियों को विशेष प्रेरणा मिली है। उन्होंने राष्ट्रवाद के व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही पक्षों का समन्वय प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार के विचार स्वामी रामतीर्थ ने भी प्रस्तुत किये हैं। श्रीमती एनीबेसेन्ट ने भी राष्ट्र को एक आध्यात्मिक सत्ता माना है। उन्होंने राष्ट्र को ईश्वरीय अभिव्यक्ति माना है। श्रीमती बेसेन्ट के अनुसार यदि राष्ट्र की स्वयं की भूमि, सरकार आदि भी नष्ट हो जायें, तब भी राष्ट्र धर्म के आधार पर ही जीवित रह सकता है। वे भारत को एक निरन्तर राष्ट्र के रूप में मानती थी और उनका यह निष्कर्ष था कि भारत की राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन नहीं है। राष्ट्र के अवयवी आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति तथा राष्ट्र के परस्पर सम्बन्धों को उन्होंने स्पष्ट किया। किन्तु वे राष्ट्रवाद को सामाजिक विकास की एक अवस्था से अधिक मानने को तैयार नहीं थी। वे राष्ट्रवाद की पूर्णता विश्व वन्धुत्व के आदर्श में ही मानती थी।

उदारवादी चिन्तकों में दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार प्रदान किया। अंग्रेजी दासता के अन्तर्गत भारतीय जनता की आर्थिक दुर्दशा का परिचय प्रस्तुत कर उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण के प्रति जनता की आँखें खोल दी। अंग्रेजी शासकों की अप्राकृतिक वित्तीय नीति को 'निर्गम-सिद्धांत' के द्वारा स्पष्ट कर भारतीयों के आर्थिक तथा राजनीतिक प्राकृतिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। भारतीय जनता की दरिद्रता के लिए अंग्रेजी शासकों को उत्तरदायी ठहराते हुए नौरोजी ने आर्थिक राष्ट्रवाद का आधार प्रस्तुत किया। अपने कलकत्ता-कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में स्वराज का आह्वान करते हुए देश में स्वशासन की रूपरेखा प्रस्तुत की। यद्यपि उनके विचारों का स्वराज इंग्लैण्ड अथवा उसके उपनिवेशों में प्रचलित स्वराज जैसा ही था।

महादेव गोविन्द रानाडे ने अपने लेखन में राष्ट्रवाद को प्रान्तीयता से आरम्भ कर सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्रवाद तक पहुँचा दिया। मराठों के इतिहास को भारतीय राष्ट्रीयता का स्रोत मानते हुए महाराष्ट्र की धर्म, भाषा, नस्ल तथा साहित्य सम्बन्धी एकता को सारे भारत के राष्ट्रानुभव का आधार बनाया। अंग्रेजों की सेवा में होने के कारण उन्होंने जहाँ एक ओर स्वराज के प्रश्न को टाला, वहाँ साथ ही साथ सामाजिक सुधारों के लिए शासन की सहायता का भी प्रयास किया। राजनीतिक आधार के स्थान पर रानाडे ने सामाजिक महत्ता तथा सामाजिक भेदभाव एवं कुरीतियों को दूर कर राष्ट्रवाद के सामाजिक पक्ष को बल प्रदान किया। वे सर्वांगीण स्वतन्त्रता में विश्वास रखते थे तथा मौन रूप में भारत की भावी स्वतन्त्रता के भी पक्षपाती थे। उदारवादी नेताओं में फ़िरोजशाह मेहता के राष्ट्र तथा स्वराज सम्बन्धी विचार नगण्य हैं। वे अंग्रेजी शासन के प्रशंसक थे। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में उनके विचार उत्साहजनक नहीं थे किन्तु सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने राष्ट्र तथा स्वराज दोनों अवधारणाओं पर गम्भीर मनन किया है। यद्यपि उनके उदारवाद और जीवन के अन्तिम दिनों में शासन के माथ उनके पूर्ण सहयोग की नीति ने उन्हें अलोकप्रिय भी बनाया, फिर भी बंगभंग आन्दोलन के समय उनके द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवादी विचारों ने अनेकानेक व्यक्तियों को प्रेरित तथा प्रभावित किया है। वे भारत

की महानता में विश्वास करते हैं। उन्होंने, अपनी आत्मकथा का नामकरण भी 'ए नेशन इन मैकिंग' किया है। वे मत्सीनी से अत्यधिक प्रभावित थे और इसी कारण से भारत की एकता का उन्होंने विशेष प्रयत्न भी किया। भारतीय सस्कृति तथा सम्पत्ता के महान् प्रवर्तकों तथा उनके सन्देशों को आत्मसात् करने की आवश्यकता पर उन्होंने इसलिए बल दिया ताकि देश का नैतिक पुनरुत्थान हो सके। भारत के अतीत को ध्यान में रख कर भावी नैतिक पुनर्जागरण की प्राप्ति को वे भारत की भावी राजनीतिक मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। उन्होंने स्वराज का प्रबल समर्थन किया है तथा स्वराज को वे ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति मानते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के आत्म-निर्णय के अधिकार को वे स्वीकार करते हैं। स्वराज-प्राप्ति का कार्य उनकी दृष्टि से केवल राजनीतिक उपक्रम ही नहीं अपितु धार्मिक एवं नैतिक कार्य भी है। ऐसे विचार न तो दादा भाई नौरोजी के ही हैं और न फिरोजशाह मेहता के। उदारवादियों में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्यों को राष्ट्रीय सेवा का मार्ग माना है। उनके द्वारा प्रस्तुत शासन के विकेन्द्रीयकरण की योजना तथा देहात में बसने वालों की भूमिहीनता के निराकरण के उपाय स्वराज्य-दिशा की ओर इंगित करते हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में कोई विचार व्यक्त नहीं किया। सम्भवतः इसी कारण से उन्हें एक भीरु राजनीतिज्ञ की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार उदारवादियों में सब लोग राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक नहीं थे। अधिकतर उदारवादी विचारक अंग्रेजी शासन को ईश्वरीय वरदान मानते थे, अतः वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र सम्बन्धी विचार प्रस्तुत करने में संकोच करते थे। स्वराज के सम्बन्ध में भी उनका दृष्टिकोण पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का नहीं था। उनमें से कुछ अंग्रेजी शासन के गुणगान में इतने तन्मय रहे कि स्वराज के सम्बन्ध में सोचने को उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई। कुछ ऐसे भी विचारक थे जो अंग्रेजी शासन के माध्यम से सामाजिक तथा सर्व प्रकार के सुधार लाने का स्वप्न देखते थे। दोनों ही प्रवृत्तियाँ भारतीय राष्ट्र तथा उसकी स्वाधीनता के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाली थीं। सुधारवाद की विचारधारा दासता की मनोवृत्ति की परिचायक है। इसे सच्चे अर्थों में चुनौती उपवादियों तथा पुनरन्वुदयवादियों से ही मिली है।

उपवादियों में से प्रत्येक ने राष्ट्र तथा स्वराज्य के सम्बन्ध में ठोस विचार प्रस्तुत किये हैं। लोकमान्य तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रबल आधार प्रदान किया है। शिवाजी तथा गणपति सम्बद्ध उत्सवों के द्वारा राष्ट्रवाद को धार्मिक आधार प्रदान किया गया। धर्म को राष्ट्रीयता का एक तत्त्व मानते हुए उसे राष्ट्रीय एकीकरण का आधार माना गया। जनता में देश भक्ति की भावना जागृत कर उसे स्वतन्त्रता के लिए उद्यत किया गया। तिलक स्वराज्य को अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते थे। उदारवादियों द्वारा की गई अंग्रेजों की प्रशंसा के विपरीत तिलक तथा अन्य उपवादियों द्वारा कांग्रेस को एक प्रतिवादी राष्ट्रवादी संगठन बनाने का प्रयास किया। सहयोग के स्थान पर असहयोग एवं निष्प्रिय प्रतिरोध की नीति उपराष्ट्रवादी विचार धारा की परिचायक है। होमरूल-मन्डोलन के माध्यम से भारत को स्वराज्य दिलाने का प्रयत्न भी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रेरक रहा। तिलक ने पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग प्रस्तुत नहीं की, लेकिन उनके विचारों में राष्ट्रवाद तथा स्वराज का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत हुआ है। उनके द्वारा

ही हर वस्तु का आधार मानते हैं। उनका स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचार स्वराज्य का प्रतीक है। वे आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता के प्रतिपादक हैं। उनके विचारों से भारत के आन्तिकारी आन्दोलनकारियों को विशेष प्रेरणा मिली है। उन्होंने राष्ट्रवाद के व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही पक्षों का समन्वय प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार के विचार स्वामी रामतीर्थ ने भी प्रस्तुत किये हैं। श्रीमती एनीबेसेन्ट ने भी राष्ट्र को एक आध्यात्मिक सत्ता माना है। उन्होंने राष्ट्र को ईश्वरीय अभिव्यक्ति माना है। श्रीमती बेसेन्ट के अनुसार यदि राष्ट्र की स्वयं की भूमि, सरकार आदि भी नष्ट हो जायें, तब भी राष्ट्र धर्म के आधार पर ही जीवित रह सकता है। वे भारत को एक निरन्तर राष्ट्र के रूप में मानती थी और उनका यह निष्कर्ष था कि भारत की राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन नहीं है। राष्ट्र के अव्ययी आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति तथा राष्ट्र के परस्पर सम्बन्धों को उन्होंने स्पष्ट किया। किन्तु वे राष्ट्रवाद को सामाजिक विकास की एक अवस्था से अधिक मानने को तैयार नहीं थी। वे राष्ट्रवाद की पूर्णता विश्व बन्धुत्व के आदर्श में ही मानती थीं।

उदारवादी चिन्तकों में दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार प्रदान किया। अंग्रेजी दासता के अन्तर्गत भारतीय जनता की आर्थिक दुर्दशा का परिचय प्रस्तुत कर उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण के प्रति जनता की आँखें खोल दीं। अंग्रेजी शासकों की अप्राकृतिक वित्तीय नीति को 'निगम-सिद्धांत' के द्वारा स्पष्ट कर भारतीयों के आर्थिक तथा राजनीतिक प्राकृतिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। भारतीय जनता की दरिद्रता के लिए अंग्रेजी शासकों को उत्तरदायी ठहराते हुए नौरोजी ने आर्थिक राष्ट्रवाद का आधार प्रस्तुत किया। अपने कलकत्ता-कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में स्वराज का आह्वान करते हुए देश में स्वशासन की रूपरेखा प्रस्तुत की। यद्यपि उनके विचारों का स्वराज इंग्लैण्ड अथवा उसके उपनिवेशों में प्रचलित स्वराज जैसा ही था।

महादेव गोविन्द रानाडे ने अपने लेखन में राष्ट्रवाद को प्रान्तीयता से आरम्भ कर सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्रवाद तक पहुँचा दिया। मराठों के इतिहास को भारतीय राष्ट्रीयता का स्रोत मानते हुए महाराष्ट्र की धर्म, भाषा, नस्ल तथा साहित्य सम्बन्धी एवता को सारे भारत के राष्ट्रानुभव का आधार बनाया। अंग्रेजों की सेवा में होने के कारण उन्होंने जहाँ एक ओर स्वराज के प्रश्न को टाला, वहाँ साथ ही साथ सामाजिक सुधारों के लिए शासन की सहायता का भी प्रयास किया। राजनीतिक आधार के स्थान पर रानाडे ने सामाजिक महत्ता तथा सामाजिक भेदभाव एवं कुरीतियों को दूर कर राष्ट्रवाद के सामाजिक पक्ष को बल प्रदान किया। वे सर्वांगीण स्वतन्त्रता में विश्वास रखते थे तथा मौन रूप में भारत की भावी स्वतन्त्रता के भी पक्षपाती थे। उदारवादी नेताओं में फिरोजशाह मेहता के राष्ट्र तथा स्वराज सम्बन्धी विचार नगण्य हैं। वे अंग्रेजी शासन के प्रशंसक थे। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में उनके विचार उत्साहजनक नहीं थे किन्तु सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने राष्ट्र तथा स्वराज दोनों अवधारणाओं पर गम्भीर मनन किया है। यद्यपि उनके उदारवाद और जीवन के अन्तिम दिनों में शासन के साथ उनके पूर्ण सहयोग की नीति ने उन्हें अलोकप्रिय भी बनाया, फिर भी बंगभंग आन्दोलन के समय उनके द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवादी विचारों ने अनेकानेक व्यक्तियों को प्रेरित तथा प्रभावित किया है। वे भारत

की महानता में विश्वास करते हैं। उन्होंने, अपनी आत्मकथा का नामकरण भी 'ए नैशन इन मैकिंग' किया है। वे मत्स्यीनी से अत्यधिक प्रभावित थे और इसी कारण से भारत की एकता का उन्होंने विशेष प्रयत्न भी किया। भारतीय सस्कृति तथा सभ्यता के महान् प्रवर्तकों तथा उनके सन्देशों को आत्मसात् करने की आवश्यकता पर उन्होंने इसलिए बल दिया ताकि देश का नैतिक पुनरुत्थान हो सके। भारत के अतीत को ध्यान में रख कर भावी नैतिक पुनर्जागरण की प्राप्ति को वे भारत की भावी राजनीतिक मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। उन्होंने स्वराज का प्रबल समर्थन किया है तथा स्वराज को वे ईश्वरीय इच्छा की पूति मानते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के आत्म-निर्णय के अधिकार को वे स्वीकार करते हैं। स्वराज-प्राप्ति का कार्य 'उनकी दृष्टि से केवल राजनीतिक उपक्रम ही नहीं अपितु धार्मिक एवं नैतिक कार्य भी है। ऐसे विचार न तो दादा भाई नौरोजी के ही हैं और न फिरोजशाह मेहता के। उदारवादियों में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी सार्वजनिक तथा राजनीतिक कार्यों को राष्ट्रीय सेवा का मार्ग माना है। उनके द्वारा प्रस्तुत शासन के विकेन्द्रीयकरण की योजना तथा देहात में बसने वालों की निर्धनता के निराकरण के उपाय स्वराज्य-दिशा की ओर इंगित करते हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में कोई विचार व्यक्त नहीं किया। सम्भवतः इसी कारण से उन्हें एक भीरु राजनीतिज्ञ की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार उदारवादियों में सब लोग राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक नहीं थे। अधिकतर उदारवादी विचारक अंग्रेजी शासन को ईश्वरीय वरदान मानने थे, अतः वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र सम्बन्धी विचार प्रस्तुत करने में संकोच करते थे। स्वराज के सम्बन्ध में भी उनका दृष्टिकोण पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का नहीं था। उनमें से कुछ अंग्रेजी शासन के गुणगान में इतने तन्मय रहे कि स्वराज के सम्बन्ध में सोचने की उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई। कुछ ऐसे भी विचारक थे जो अंग्रेजी शासन के माध्यम से सामाजिक तथा सर्व प्रकार के सुधार लाने का स्वप्न देखते थे। दोनों ही प्रवृत्तियाँ भारतीय राष्ट्र तथा उसकी स्वाधीनता के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाली थीं। सुधारवाद की विचारधारा दासता की मनोवृत्ति की परिचायक है। इसे सच्चे अर्थों में चुनौती उपवादियों तथा पुनरभ्युदयवादियों से ही मिली है।

उग्रवादियों में से प्रत्येक ने राष्ट्र तथा स्वराज्य के सम्बन्ध में ठोस विचार प्रस्तुत किये हैं। लोकमान्य तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रबल आधार प्रदान किया है। शिवाजी तथा गणपति सम्बद्ध उत्सवों के द्वारा राष्ट्रवाद को धार्मिक आधार प्रदान किया गया। धर्म को राष्ट्रीयता का एक तत्त्व मानते हुए उसे राष्ट्रीय एकीकरण का आधार माना गया। जनता में देश भक्ति की भावना जागृत कर उसे स्वतन्त्रता के लिए उद्यत किया गया। तिलक स्वराज्य को अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते थे। उदारवादियों द्वारा की गई अंग्रेजों की प्रशंसा के विपरीत तिलक तथा अन्य उग्रवादियों द्वारा कांग्रेस को एक प्रतिवादी राष्ट्रवादी संगठन बनाने का प्रयास किया। सहयोग के स्थान पर असहयोग एवं निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति उग्रराष्ट्रवादी विचार धारा की परिचायक है। होमरूल-भ्रान्दोलन के माध्यम से भारत को स्वराज्य दिलाने का प्रयत्न भी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रेरक रहा। तिलक ने पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग प्रस्तुत नहीं की, लेकिन उनके विचारों में राष्ट्रवाद तथा स्वराज का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत हुआ है। उनके द्वारा

प्रतिपादित स्वराज्य की विचारधारा, होमरूल-आन्दोलन में सहयोग, राष्ट्रभाषा हिन्दी का समर्थन, रेल मार्गों के राष्ट्रीयकरण का सुभाव तथा धर्म-निरपेक्ष राजनीति कुछ ऐसे वैचारिक आधार हैं जिनके द्वारा राष्ट्र की भावना का सर्वतोन्मुखी संस्थापन सम्भव हुआ। वे समाज में प्रचलित विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्यों को राष्ट्रवाद का प्राण मानते हैं। राष्ट्र की अविच्छिन्नता के लिए वे हिन्दू-संस्कृति की प्रमुख नैतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं को संरक्षण देना चाहते थे। उनकी दृष्टि में स्वतन्त्रता एक अविनाशी विचार है। राष्ट्र सम्बन्धी पाश्चात्य मान्यता को स्वीकार करते हुए वे राष्ट्र के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को दुहराते हैं। उन पर मत्सीनी, बर्क, मिल तथा विल्सन सभी का प्रभाव पड़ा है। स्वराज शब्द को वैदिक आधार पर मानते हुए उसका राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग किया है। उन्होंने स्वराज के राजनीतिक अर्थ के साथ ही साथ उसका नैतिक अर्थ भी प्रस्तुत किया है। राजनीतिक दृष्टि से यदि स्वराज का अर्थ स्वशासन है तो नैतिक दृष्टि से उन्होंने इसे आत्म-निर्भरता तथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता से सम्बन्धित किया है। तिलक ने पुरातनवाद का भी समर्थन किया है। उनके अनुसार किसी भी राष्ट्रीय कार्य को एकदम नवीन आधार देकर आरम्भ नहीं किया जा सकता। अतः तिलक ने इस कार्य को भारत की ऐतिहासिकता से सम्बन्धित कर एक निरन्तर गतिशील राष्ट्रीय ऐतिहासिक परम्परा प्रस्तुत की है। महाराष्ट्र में शिवाजी तथा गणपति-उत्सवों का प्रचलन उन्होंने इसी कारण से किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका प्रभाव केवल सम्प्रान्त वर्ग तक ही सीमित था, राष्ट्रीय आन्दोलन को उस स्तर तक प्रभावित नहीं कर पायी, जिस स्तर पर तिलक ने इन जन-आन्दोलनों से प्रभावित किया, इन उत्सवों का देश के अन्य प्रान्तों में मनाया जाना जनता के राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक था। स्वराज के साथ साथ स्वदेशी के आर्थिक कार्यक्रम ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना सिखाया, जिससे नवोदित मध्यम वर्ग तथा विकासशील भारतीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहन मिला। स्वराज के सम्बन्ध में तिलक की धारणा थी कि वे अंग्रेजों को हटा कर उसके स्थान पर जर्मन शासकों को नहीं बैठाना चाहते। उनका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना। वे चाहते थे कि भारत के आन्तरिक मामलों का संचालन भारत की जनता के हाथों में ही हो।।

इसी प्रकार विपिनचन्द्र पाल भी राष्ट्रवाद के महान प्रवर्तक हैं। राष्ट्र के विचार को दार्शनिक आधार पाल तथा श्री अरविन्द के विचारों में प्राप्त हुआ है। पाल ने इन्डियन नेशनलिज्म तथा नेशनेलिटी एण्ड एम्पायर के माध्यम से राष्ट्रवाद का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार राष्ट्र का अपना अवयवी स्वरूप है। वह नमस्त जनमानस को अपने अन्तराल में लिपे हुए है। राष्ट्र तथा व्यक्ति में पृथक्त्व नहीं। एक आध्यात्मिक इकाई के रूप में राष्ट्र ऐतिहासिक धरोहर को अपने साथ लिए हुए निरन्तर गतिमान है। राष्ट्र एक अजर अमर धारणा है। वे राष्ट्रवाद की धारणा को हिन्दू-धर्म से संयुक्त कर उसे आध्यात्मिकता के साथ साथ लौकिक गुणों से भी युक्त मानते हैं। उनके अनुसार हिन्दू-धर्म ईसाई धर्म तथा इस्लाम की तरह एक धार्मिक पन्थ न होकर सतत जीवन का प्रकार है। उसी प्रकार राष्ट्र की भावना भी पन्थ-विहीन जीवन का शाश्वत अंग है। यही हिन्दू धर्म की तरह आत्मोन्नति तथा आत्म-दर्शन का सच्चा मार्ग है। इसमें ऐंगो



आत्म-प्रबलता उत्पन्न होती है कि फिर किसी के सामने स्वतन्त्रता के लिए हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं हो सकती। इसी प्रकार पाल ने राष्ट्रवाद के विवेचन में स्वराज्य तथा पूर्ण स्वतन्त्रता का दर्शन किया है। उनका राष्ट्रवाद हिन्दू-राष्ट्रवाद न होकर एक यौगिक राष्ट्रवाद है। वह धर्म सामंजस्य की भावना पर आधारित है और हिन्दू-मुस्लिम-ईसाई सभी को प्रेरणा देने में समर्थ है। स्वराज के सम्बन्ध में भी पाल ने प्राकृतिक अधिकारों का तर्क प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि समस्त अधिकार सरकार की कृति न होकर ईश्वरीय उपकार है। इसी कारण से पाल ने वंगभंग-आन्दोलन के समय स्वराज्य को स्वदेशी से सम्बन्धित कर एक महान् कार्यक्रम प्रस्तुत किया। स्वदेशी में विदेशी बहिष्कार अनिवार्य रूप से अन्तर्निहित है। यही निष्क्रिय प्रतिरोध का भी आधार है। पाल ने पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग प्रस्तुत की किन्तु बाद में उन्होंने एक साम्राज्यिक संघ का उदाहरण पेश किया। दैवी लोकतन्त्र पर आधारित यह संघ राष्ट्रों की भावना से उठ कर मानवता के कल्याण की कामना को अपना लक्ष्य मानेगा। पाल के विचारों की यह अन्तर्राष्ट्रीयता आगे जाकर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के रूप में सफल होती दिखाई देती है।

उग्रवादी विचारकों में लाला लाजपत राय के विचार सशक्त राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। उनके द्वारा लिखित ग्रन्थों तथा भाषाओं में राष्ट्रवाद का बहुरंगी स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। वे राष्ट्र को राज्य से भी अधिक महत्त्व देते थे तथा राष्ट्र के अनुसार ही राज्य का निर्माण चाहते थे। उन पर मत्सीनी का विशेष प्रभाव पड़ा था और इस कारण वे मत्सीनी के समान ही राष्ट्रीयता को आवश्यक तत्त्व मानते हुए उसका प्रतिपादन करते हैं। मत्सीनी के समान ही उन्होंने राष्ट्रवाद से अन्तर्राष्ट्रवाद की ओर वैचारिक प्रयाण किया है। वे मानते थे कि राष्ट्र की भावना भारत में हमेशा से रही है। वे 1857 की क्रान्ति को भी भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। वे स्वराज्य-प्राप्ति के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के पक्ष में रहे। वे भारतीय राष्ट्रवाद को शैक्षिक सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टियों से बल प्रदान करना चाहते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध का ध्वलम्बन लेते हुए उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य को अपना ध्वभीष्ट माना। पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग उन्होंने प्रस्तुत नहीं की, फिर भी उनका दृष्टिकोण सन्कीर्ण नहीं कहा जा सकता। वे पूर्ण स्वतन्त्रता को दूरगामी लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर चुके थे। केवल तात्कालिक माँग के रूप में उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज की बात कही। वे हिंसा में पूरी तरह विश्वास नहीं करते हुए भी क्रान्तिकारियों को प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिकता से दूर रखा। हिन्दू-मुस्लिम विवाद में भी एक हिन्दू-नेता होने के नाते वे हिन्दुओं के पक्षपाती होते हुए भी राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी धर्मनिरपेक्ष राजनीति में विचलित नहीं हुए। उनके द्वारा भारत के भावी विभाजन की रूपरेखा इस बात का प्रमाण थी कि वे किसी भी कीमत पर भारत राष्ट्र के मार्ग में बाधा देचना पसन्द नहीं करते थे। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग करने वाले तथा हिन्दुओं के धर्म एवं स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखने वाले कट्टर पन्थी मुसलमान भारत को एक राष्ट्र बनाने तथा मानने से मुकरते हैं तब उन्होंने ऐसे गलित एवं राष्ट्रद्रोही तत्त्वों को भारत में प्रथम एक मुस्लिम राज्य स्थापित करने के कार्य को भविष्य की अवश्यभावों योजना के रूप में

प्रकट किया। उनकी भविष्यवाणी सच्ची सिद्ध हुई। जिन्ना तथा उसके कठमुल्ला लीगो साथियों ने अन्त में पृथक् मुस्लिम राज्य तथा पृथक् राष्ट्र का सिद्धान्त द्विराष्ट्र सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रस्तुत किया और इसी तरह भारत का भी विभाजन हुआ। लाजपतराय मुस्लिम विरोधी नहीं थे, अपितु राष्ट्रवाद के विरोधियों के विरोधी थे। आर्यसमाजी होते हुए भी वे यह मानते थे कि भारत में मुगल शासन पूर्णतया भारतीय था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि हिन्दू-मुसलमानों से सम्बन्धित साम्प्रदायिक दंगे धर्म के कारण नहीं होते, किन्तु धर्म की कमी के कारण होते हैं। कोई भी धर्म दंगे करने अथवा हत्या करने का उपदेश नहीं देता। इस प्रकार लाजपत राय ने राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्र तथा स्वराज्य की विचारधारा को प्रेरित किया है। वे केवल राष्ट्रवाद तक ही सीमित नहीं रहे। अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-संगठन का भी मानव-कल्याणार्थ उन्होंने समर्थन किया।

उग्रवादियों में श्री अरविन्द ने पाश्चात्य एवं प्राच्य दोनों ही विचार धाराओं का समन्वय प्रस्तुत किया है। वे राष्ट्रवाद को ही सच्चा धर्म मानते हैं और राजनीतिक स्वतन्त्रता को ईश्वरीय कार्य की संज्ञा देते हैं। भारत राष्ट्र सम्बन्धी उनके विचार केवल भारत की स्वतन्त्रता तक ही सीमित नहीं। वे भारत की स्वतन्त्रता में समस्त विश्व की नैतिक तथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्निहित मानते हैं। एक स्वतन्त्र भारत ही समस्त विश्व का नैतिक तथा आध्यात्मिक जागरण करा सकता है। इसी प्रकार गांधीजी ने भी जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर बल दिया है। वे ईश्वरवादी थे किन्तु भाग्यवादी नहीं। वे धर्म तथा राजनीति को संयुक्त मानते हुए उग्रवादियों की तरह कर्मयोग में विश्वास रखते थे। वे गुणात्मक राजनीति के सफल प्रयोगकर्ता थे। हिंसा के प्रबल विरोधी होने के नाते गांधीजी उग्रवादियों से भिन्नता रखते थे। सत्य तथा अहिंसा को उन्होंने राजनीति का आधार माना है। वे सत्याग्रह एवं असहयोग की राजनीति से स्वराज-प्राप्ति चाहते थे। सविनय अवज्ञा-आन्दोलन उनका अंग्रेजी शासन से भारत की मुक्ति दिलाने का सफल प्रयोग सिद्ध हुआ। वे निष्क्रिय प्रतिरोध के पक्षपाती थे, किन्तु उनका निष्क्रिय प्रतिरोध उग्रवादियों से भिन्न था। गांधीजी के कार्यक्रम में हिंसा तथा धृष्टता का कोई स्थान नहीं था। यह केवल राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र नहीं था। वे निष्क्रिय प्रतिरोध को पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य किसी भी क्षेत्र में प्रयोग के लिए उपयुक्त मानते थे। वे निरपेक्ष अहिंसा के पक्षपाती थे। राष्ट्रवाद का भी उन्होंने समर्थन किया। राष्ट्रों के आत्म-निर्णय के विचार को भी वे स्वीकार करते थे। उन्होंने औपनिवेशिक दासता से भारत की मुक्ति का ही प्रयास नहीं किया, अपितु गामन्तवादी देशी रियासतों के विरुद्ध भी स्वतन्त्रता की माँग को स्वीकार किया। वे राष्ट्रवाद को अन्तर्राष्ट्रवाद की ओर ले जाना चाहते थे। इस तरह संकीर्ण राष्ट्रवाद का उन्होंने समर्थन नहीं किया। गांधीजी का स्वराज सम्बन्धी दृष्टिकोण केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता पर आधारित नहीं था, वे आध्यात्मिक एवं नैतिक दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता चाहते थे। उनकी स्वराज की मान्यता सत्य अर्थात् ईश्वर पर आधारित थी। व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहायक हर प्रकार की स्वतन्त्रता का उन्होंने समर्थन किया है। वे मूल रूप में नैतिक, राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक स्वतन्त्रता को चाहते ही हैं। श्रीनिवास शास्त्री ने गांधीजी की अहिंसा एवं असहयोग की नीति का

समर्पण नहीं किया। शास्त्री औपनिवेशिक स्वराज एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पक्ष लेते हैं, किन्तु उनकी राजनीति में राष्ट्रवाद का विशेष पुट नहीं है।

स्वराज्य के सम्बन्ध में मोतीलाल नेहरू के विचार उत्साहवर्धक हैं। भारतीय स्वराज्य के पक्षपाती होने के नाते उन्होंने स्वराजदल के गठन में पूर्ण सहयोग दिया तथा उसका नेतृत्व भी किया। राष्ट्र के आत्म-निर्णय-सिद्धान्त को मानते हुए उन्होंने नेहरू-रिपोर्ट में भारतीयों के मूल अधिकारों का भी समर्पण किया। वे औपनिवेशिक स्वराज के पक्षपाती थे। चित्तरन्जनदास भी स्वराज की विचारधारा से प्रोत्साहित थे। स्वराज-दल के संस्थापक के रूप में उनका विशेष कार्य रहा। उनका ईश्वरीय प्रेम उनके विचारों में आध्यात्मिकता का संचार करता है। वे राष्ट्र तथा स्वराज दोनों को ही वैष्णव विचार धारानुसार ईश्वर की कृपा का ही प्रतिफल मानते हैं। वे जीवन तथा इतिहास को ईश्वर की लीला मानते हुए ईश्वरीय वरदान के रूप में उसकी प्राप्ति के इच्छुक हैं। राष्ट्र की सेवा उनकी दृष्टि में समस्त विश्व की सेवा है। राष्ट्रवाद को व्यक्ति के व्यक्तित्व-विकास का साधन मानते हैं। उन पर मत्सीनी के विचारों का प्रभाव रहा है। वे स्वराज्य को भी केवल मात्र स्वतन्त्रता का पर्यायवाची नहीं मानते। उनके अनुसार स्वराज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब कि भारत पूर्ण धर्म-निरपेक्षता, आधुनिकता एवं पूर्ण स्वशासन के सम्मिश्रण से एक नवीन व्यवस्था प्रारम्भ कर दे। वे स्वराज को अधिक से अधिक रचनात्मक बनाना चाहते हैं। उनका विचार था कि यदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य भी प्राप्त हो जाता है तब भी कोई हानि नहीं। उसे स्वीकार करने में ही भारत का हित है। भविष्य में स्वतः पूर्ण स्वराज की स्थापना हो जायेगी। परन्तु बंग्रेजों द्वारा इस प्रकार का आश्वासन न मिलने की स्थिति में वे पूर्ण स्वराज के लिए संपर्प करने के पक्ष में थे।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवाद के विचार को और भी दृढ़ता से ग्रहण करने वाले विचारक हैं। वे भारत की विभिन्नता में एकता का दर्शन करने वाले राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद को धर्म-निरपेक्षता पर आधारित मानते हुए वे इसे महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। नेहरू ने राष्ट्रवादी विचारधारा को संकट की घड़ियों में देश को उबारने वाला तत्व माना है। राष्ट्र की भावना से ही चतुर्दिक प्रगति प्राप्त हो सकती है तथा देश की शाश्वत प्रकृति स्पष्ट होती है। फिर भी वे संकुचित राष्ट्रवादी मनोवृत्ति से ग्रस्त नहीं थे। वे राष्ट्रवाद के साथ ही साथ विश्व के समस्त पराधीन राष्ट्रों के लिये आत्मनिर्णय के अधिकार का भी समर्पण करते थे। साम्राज्यवाद-विरोधी होने के नाते एवं मानव-स्वतन्त्रता के समर्थक के रूप में उनकी विरोध ध्याति है। भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की भांग उन्ही के द्वारा कांग्रेस में प्रस्तुत की गयी थी। वे ऐसी स्वतन्त्रता चाहते हैं, जो केवल मात्र राजनीतिक न होकर आर्थिक, सामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय भी हो। इसी कारण से उन्होंने राष्ट्रवाद के संकीर्ण प्रयोग का जो कि विश्व में विपटन, तर्कित राजनीति तथा उपनिवेशवाद के लिए उत्तरदायी है, विरोध किया है। वे वास्तविक अर्थों में स्वराज चाहते हैं। उनके द्वारा स्वीकृत तटस्थता एवं शान्तिपूर्ण सृष्ट-प्रगति का सिद्धान्त स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्र विदेश नीति का परिचायक है। उनकी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि के कारण ही भारत ने एशिया, अफ्रीका तथा समस्त विश्व की दासता-नोड़ित मानवता का साथ

दिया है।

स्वराज तथा राष्ट्रवाद के सन्दर्भ में सुभाषचन्द्र बोस के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने विचारों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के उच्च आदर्शों का बहन किया है। वे स्वराज दल के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में उतरे। प्रारम्भ से ही उनका विचार अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करने का रहा। वे भारत के राष्ट्रीय गौरव एवं उसकी महानता के अनन्य भक्त थे और पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। शक्ति के उपासक के रूप में निर्भीकता उनकी विशेषता थी। अंग्रेजी अत्याचारी शासन का विरोध करते हुए जब उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस से सन्तुष्टि नहीं हुई तो वे जर्मनी तथा जापान के सहयोग से भारत की स्वतन्त्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष करने के कार्य में जुट गये। यदि भाग्य ने उनका साथ दिया होता तो आज स्वतन्त्र भारत का इतिहास कुछ और ही होता। वे फासीवादियों की सहायता से भारत की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, किन्तु स्वयमेव जनता की स्वतन्त्रता के समर्थक थे। वे साम्राज्यवाद एवं उग्रराष्ट्र-वाद के विरोधी थे। वे स्वराज को एक लोकतान्त्रिक खिलवाड़ न बनाकर ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक नीति प्रस्तुत कर रहे थे जो समाजवाद, फासीवाद तथा मार्क्सवाद का संमिश्रण थी। वे सच्चे अर्थों में भारत की जनता को गरीबी, अशिक्षा तथा बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते थे। संसदात्मक लोकतन्त्र एवं गांधीवाद के प्रबल आलोचक होते हुए भी वे भारतीय राष्ट्रवाद एवं स्वराज के महान् सेनानी रहे। उन्होंने अहिंसा द्वारा स्वराज-प्राप्ति के मार्ग को ग्रहण नहीं किया तथा राष्ट्रवाद के विरोधी साम्यवाद को भी नहीं स्वीकारा। वे धर्म-निरपेक्ष राष्ट्रवाद के सदैव पक्षपाती रहे।

मानवेन्द्रनाथ राय प्रारम्भ में राष्ट्रवादी थे। भूमिगत क्रान्तिकारी आन्दोलन से उनका सम्बन्ध रहा, किन्तु बाद में साम्यवादी होने के नाते वे राष्ट्रवाद के विरोधी बन गये। अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे सशस्त्र क्रान्ति लाना चाहते थे किन्तु राष्ट्रवाद के माध्यम से नहीं। उनका स्वराज्य का आदर्श भी साम्यवादी विचार धारा ने घुमिल कर दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस तथा देश के स्वतन्त्रता सेनानियों को राय ने फासीवादी तथा पूंजीवादी-राष्ट्रवादी कहा। बाद के दिनों में जब कि वे मार्क्सवादी प्रभाव से मुक्तप्रायः हो गये, तब उन्होंने मानववाद का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रवाद के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय मानववाद को स्वराज्य का आधार बनाया। उनका स्वराज्य लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण एवं सर्वोदयवाद का प्रेरक था। वे विश्व राज्यवादी बन गये थे।

स्वराज तथा राष्ट्रवाद के अन्य चिन्तकों में डा. राजेन्द्र प्रसाद का भी विशेष महत्व है। अपनी पुस्तक *इण्डिया डिवाइडेड* में उन्होंने राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में व्यक्तित्वगत राष्ट्रीयता तथा राजनीतिक राष्ट्रीयता का भेद प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर दिया कि द्विराष्ट्र सिद्धान्त के आधार पर मुस्लिम लीग को भारत विभाजन की मांग तक हीन थी। वे भारत को अनेक राष्ट्रीयताओं से सम्पन्न देश मानते हुए भारत के शक्तिशाली राजनीतिक एवं प्रशासनिक संगठन के अग्रगण्य थे। राष्ट्रवाद में उनकी आस्था इतनी ही अटूट है जितनी स्वराज के बारे में। बल्लभ भाई पटेल भी राष्ट्रीय एकीकरण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बट्टर पक्षपाती हैं। राष्ट्रीय गौरव तथा प्रगति का उनका कार्य अनुकरणीय है।

भारतीय स्वराज तथा राष्ट्रवाद के चिन्तन में हिन्दू-राष्ट्रवाद के समर्थकों का भी विशेष योगदान है। स्वामी श्रद्धानन्द, पण्डित मदनमोहन मालवीय, भाई परमानन्द, वीर सावरकर, डा. हैडगेवार, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर आदि महानुभावों ने राष्ट्र के विचार को हिन्दू-धर्म पर आधारित कर राष्ट्रीय आन्दोलन को नवीन दिशा दी। ये विचारक हिन्दू-राष्ट्रवादी होते हुए भी हिन्दू-धर्म में अन्तर्निहित सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करते हुए अल्पसंख्यकों की समाप्ति नहीं चाहते थे। उनका पृथक् प्रतिनिधित्व अथवा विशेष राजनीतिक रियायत देने में विश्वास नहीं था। वे राष्ट्रवादी थे तथा स्वराज की कामना उनका एकमात्र लक्ष्य था। आधुनिक भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिन्तन में उनका योगदान कम महत्त्वपूर्ण नहीं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की शाश्वत धारा से वे अप्लावित थे। जहाँ हिन्दू राष्ट्रवादियों ने भारत की एकता का सन्देश तथा धर्म-सहिष्णुता को अधिकांश रूप में व्यक्त किया है वहाँ मुस्लिम राष्ट्रवाद भारतीय आन्दोलन से अलग-थलग हो गया है। सर सैयद अहमद खाँ, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना आदि मुस्लिम विचारक एवं मुस्लिम नेता पृथक् मुस्लिम राष्ट्र तथा अपने काँग्रेस-विरोधी या फिर अवसरवादी सहयोगी के रूप में संकीर्ण मुस्लिम राष्ट्रवाद के प्रणेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवाद एवं स्वराज के सन्दर्भ में इनका योगदान नगण्य है।

भारत के समाजवादी चिन्तकों में आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, डा० राममनोहर लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन आदि राष्ट्रवाद तथा स्वराज के आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष के विचारक हैं। इनका राष्ट्रवाद राजनीतिक उग्रवाद पर आधारित है। स्वराज की धारणा को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण एवं ग्राम-स्वराज की भावना पर आधारित करने के कारण इनका चिन्तन अधिक लोकप्रिय रहा है। विनोबा भावे के सर्वोदयवादी विचार भी स्वराज्यवाद को उच्च धरातल पर प्रस्तुत करते हैं। दक्षिण भारत के थोनिवास आयंगर, सुब्रह्मण्य भारती, डा० राधाकृष्णन, चन्नवर्ती राजगोपालाचार्य आदि राष्ट्रवाद तथा स्वराज के मध्यम मार्गी विचारक हैं।

इस प्रकार राष्ट्रवाद तथा स्वराज के अवधारणात्मक विकास ने आधुनिक भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिन्तन को स्थिर आधार प्रदान कर भारत की स्वतन्त्रता एवं उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को अनुप्राणित किया है। □□

दिया है।

स्वराज तथा राष्ट्रवाद के सन्दर्भ में सुभाषचन्द्र बोस के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने विचारों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के उच्च आदर्शों का वहन किया है। वे स्वराज दल के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में उतरे। प्रारम्भ से ही उनका विचार अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करने का रहा। वे भारत के राष्ट्रीय गौरव एवं उसकी महानता के अनन्य भक्त थे और पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। शक्ति के उपासक के रूप में निर्भीकता उनकी विशेषता थी। अंग्रेजी अत्याचारी शासन का विरोध करते हुए जब उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस से सन्तुष्टि नहीं हुई तो वे जर्मनी तथा जापान के सहयोग से भारत की स्वतन्त्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष करने के कार्य में जुट गये। यदि भाग्य ने उनका साथ दिया होता तो आज स्वतन्त्र भारत का इतिहास कुछ और ही होता। वे फासीवादियों की सहायता से भारत की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, किन्तु स्वयमेव जनता की स्वतन्त्रता के समर्थक थे। वे साम्राज्यवाद एवं उग्रराष्ट्र-वाद के विरोधी थे। वे स्वराज को एक लोकतान्त्रिक खिलवाड़ न बनाकर ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक नीति प्रस्तुत कर रहे थे जो समाजवाद, फासीवाद तथा मार्क्सवाद का संमिश्रण थी। वे सच्चे अर्थों में भारत की जनता को गरीबी, अशिक्षा तथा बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते थे। संसदात्मक लोकतन्त्र एवं गांधीवाद के प्रबल आलोचक होते हुए भी वे भारतीय राष्ट्रवाद एवं स्वराज के महान् सेनानी रहे। उन्होंने अहिंसा द्वारा स्वराज-प्राप्ति के मार्ग को ग्रहण नहीं किया तथा राष्ट्रवाद के विरोधी साम्यवाद को भी नहीं स्वीकारा। वे धर्म-निरपेक्ष राष्ट्रवाद के सदैव पक्षपाती रहे।

मानवेन्द्रनाथ राय प्रारम्भ में राष्ट्रवादी थे। भूमिगत क्रान्तिकारी घान्दोलन से उनका सम्बन्ध रहा, किन्तु बाद में साम्यवादी होने के नाते वे राष्ट्रवाद के विरोधी बन गये। अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे सशस्त्र क्रान्ति लाना चाहते थे किन्तु राष्ट्रवाद के माध्यम से नहीं। उनका स्वराज्य का आदर्श भी साम्यवादी विचार धारा ने धुमिल कर दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस तथा देश के स्वतन्त्रता सेनानियों को राय ने फासीवादी तथा पूंजीवादी-राष्ट्रवादी कहा। बाद के दिनों में जब कि वे मार्क्सवादी प्रभाव से मुक्त-प्रायः हो गये, तब उन्होंने मानववाद का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रवाद के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय मानववाद को स्वराज्य का आधार बनाया। उनका स्वराज्य लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण एवं सर्वोदयवाद का प्रेरक था। वे विश्व राज्यवादी बन गये थे।

स्वराज तथा राष्ट्रवाद के अन्य चिन्तकों में डा. राजेन्द्र प्रसाद का भी विशेष महत्त्व है। अपनी पुस्तक इण्डिया डिवाइडेड में उन्होंने राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में व्यक्तितगत राष्ट्रीयता तथा राजनीतिक राष्ट्रीयता का भेद प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर दिया कि द्विराष्ट्र सिद्धान्त के आधार पर मुस्लिम लीग को भारत विभाजन की मांग तर्कहीन थी। वे भारत का अनेक राष्ट्रीयताओं से सम्पन्न देश मानते हुए भारत के शक्तिशाली राजनीतिक एवं प्रशासनिक संगठन के अग्रगण्य थे। राष्ट्रवाद में उनकी ग्राम्या इतनी ही अटूट है जितनी स्वराज के बारे में। बन्नाभ भार्द्वाज भी राष्ट्रीय एकीकरण तथा व्यक्तितगत स्वतन्त्रता के कट्टर पक्षपाती हैं। राष्ट्रीय गौरव तथा प्रगति का उनका कार्य अनुकरणीय है।

भारतीय स्वराज तथा राष्ट्रवाद के चिन्तन में हिन्दू-राष्ट्रवाद के समर्थकों का भी विशेष योगदान है। स्वामी श्रद्धानन्द, पण्डित मदनमोहन मालवीय, भाई परमानन्द, बीर सावरकर, डा. हैदगेवार, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर आदि महानुभावों ने राष्ट्र के विचार को हिन्दू-धर्म पर आधारित कर राष्ट्रीय आन्दोलन को नवीन दिशा दी। ये विचारक हिन्दू-राष्ट्रवादी होते हुए भी हिन्दू-धर्म में अन्तर्निहित सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करते हुए अल्पसंख्यकों की समाप्ति नहीं चाहते थे। उनका पृथक् प्रतिनिधित्व अथवा विशेष राजनीतिक रियायत देने में विश्वास नहीं था। वे राष्ट्रवादी थे तथा स्वराज की कामना उनका एकमात्र लक्ष्य था। आधुनिक भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिन्तन में उनका योगदान कम महत्त्वपूर्ण नहीं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की शाश्वत धारा से वे आप्लावित थे। जहाँ हिन्दू राष्ट्रवादियों ने भारत की एकता का सन्देश तथा धर्म-सहिष्णुता को अधिकांश रूप में व्यक्त किया है वहाँ मुस्लिम राष्ट्रवाद भारतीय आन्दोलन से अलग-थलग हो गया है। सर सैयद अहमद खाँ, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना आदि मुस्लिम विचारक एवं मुस्लिम नेता पृथक् मुस्लिम राष्ट्र तथा अपने क्रांति-विरोधी या फिर अवसरवादी सहयोगी के रूप में संकीर्ण मुस्लिम राष्ट्रवाद के प्रणेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवाद एवं स्वराज के सन्दर्भ में इनका योगदान नगण्य है।

भारत के समाजवादी चिन्तकों में आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, डा० राममनोहर लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन आदि राष्ट्रवाद तथा स्वराज के आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष के विचारक हैं। इनका राष्ट्रवाद राजनीतिक उग्रवाद पर आधारित है। स्वराज की धारणा को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण एवं ग्राम-स्वराज की भावना पर आधारित करने के कारण इनका चिन्तन अधिक लोकप्रिय रहा है। विनोबा भावे के सर्वोदयवादी विचार भी स्वराज्यवाद को उच्च धरातल पर प्रस्तुत करते हैं। दक्षिण भारत के श्रीनिवास आयंगर, सुब्रह्मण्य भारती, डा० रामाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य आदि राष्ट्रवाद तथा स्वराज के मध्यम मार्गी विचारक हैं।

इस प्रकार राष्ट्रवाद तथा स्वराज के अवधारणात्मक विकास ने आधुनिक भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिन्तन को स्थिर आधार प्रदान कर भारत की स्वतन्त्रता एवं उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को अनुप्राणित किया है। □□

भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन में न्यासिता का सिद्धांत गांधीजी की अनुपम देन है। न्यासिता का सिद्धान्त आर्थिक समानता के आदर्श से जुड़ा हुआ है। समाज में आर्थिक विषमता बुराइयों की जड़ होती है। प्राचीन भारत में भौतिक समृद्धि के चरम उत्कर्ष के बावजूद जीवन में त्याग की भावना विद्यमान थी। आवश्यकता से अधिक धन-संग्रह करना नैतिक-दृष्टि से उचित नहीं माना जाता था। गांधीजी ने न्यासिता का विचार इसी आदर्श पर आधारित किया है। गांधी तथा विनोबा भावे दोनों सम्पत्ति के समान वितरण, शारीरिक श्रम, श्रम की महत्ता, वेतन की समानता आदि सर्वोदय विचारों के प्रेरक रहे हैं। गांधीजी ने स्वयं के अनुभवों से यह व्यक्त किया कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित "प्रत्येक मनुष्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार" वाला सिद्धांत अपूर्ण है क्योंकि यह जानना अत्यन्त कठिन है कि प्रत्येक की आवश्यकताएँ क्या हैं। अतः गांधीजी के अनुसार उपयुक्त यही है कि गरीब व अमीर के अन्तर को जितना अधिक हो सके, कम कर दिया जाय। इसका अर्थ यह होगा कि उन चन्द पूंजीपतियों, जिनके पास राष्ट्र की सम्पदा केन्द्रित हो गई है, के हाथों से सम्पत्ति छीनने के बजाय उनकी सख्या कम की जाय और लाखों करोड़ों भूखे इन्सानों को बढ़ावा दिया जाय। प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन की नैसर्गिक एवं अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का अवसर प्राप्त हो। गांधीजी नहीं चाहते कि योग्य तथा प्रतिभावन व्यक्ति अयोग्य एवं कम प्रतिभावाने व्यक्ति से कम आर्थिक आय प्राप्त करे और धनी व्यक्ति का अतिरिक्त धन उससे छीन लिया जाय। प्रतिभावान व्यक्ति को योग्यतानुसार आय से वंचित करना सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक होगा। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को धन-संग्रह करने का ज्ञान है, उससे वंचित होने पर समाज उसके ज्ञान से वंचित रहेगा। गांधीजी ने मार्क्स के अममान पूंजीपतियों को हिंसा के द्वारा समाप्त करना स्वीकार नहीं किया। वे पूंजीपति को समाज के हित में जीवित रखना चाहते हैं। वे ऐसा पूंजीपति-वर्ग उठा करना चाहते हैं जो सम्पत्ति का उपयोग, अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के परवाह, समाज के हित में एक न्यासी के रूप में करेगा। गांधीजी के अनुसार जैसे ही व्यक्ति अपने आपकी समाज के सेवक के रूप में देगा वह समाज के हित में सम्पत्ति का अर्जन एवं प्रयोग प्रारम्भ कर देगा। उसके आर्थिक क्रिया-कलापों में पवित्रता एवं अहिंसा विद्यमान होगी। यदि यह सम्भव हुआ तो समाज में शान्तिपूर्ण शान्ति आ जायेगी।

न्यासिता का सिद्धान्त पूंजीपति के हृदय-परिवर्तन पर आधारित है। सम्पत्ति समाज की होती है। व्यक्ति समाज के कारण ही उमका अर्जन करता है। व्यक्ति इन



भूटिपूर्ण धारणा पर जीवित रहता है कि सम्पत्ति पर उसका व्यक्तिगत स्वामित्व है किन्तु वास्तविकता यह है कि सम्पत्ति समाज की है और समाज के हित में ही उसे खर्च किया जाना चाहिए। न्यासिता के सिद्धान्त ने व्यक्तिगत सामाजिक शोषण का अन्त करने के लिए सम्पत्ति को न्यास के रूप में माना है और पूँजीपति को एक न्यासी के रूप में उसकी देखरेख का काम सौंपा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने गांधीजी के न्यासिता के सिद्धान्त को और भी अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो किसी पद पर है अथवा सम्पत्ति का स्वामी है, उसका प्रयोग एक न्यासी के रूप में, उन सबके साथ करे जिनसे उसका काम पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति व्यापारी है तो वह अपने ग्राहकों के लिए न्यासी है, यदि उसके पास जमीन है तो वह अपने परिवार, किरायेदारों तथा समुदाय के लिए न्यासी है। इसी प्रकार से व्यक्ति की स्थिति एक न्यासी के रूप में सदैव बनी रहनी चाहिए। राजगोपालाचार्य के अनुसार आधुनिक विश्व में न्यासिता का सामाजिक सिद्धांत समाज की उलझनों को दूर करने की दृष्टि से उपयुक्त है। ऐसी परिस्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं जिसमें न्यासिता ही सर्वोपरि रहेगी। प्रत्येक मानवीय कार्य, चाहे वह व्यक्तिगत क्यों न हो, सार्वजनिक हित से जुड़ा होने के कारण न्यासिता से सम्बन्धित है। व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सामाजिक हित की भावना से अभिप्रेरित न्यासिता आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

महात्मा गांधी तथा राजगोपालाचार्य ने आर्थिक वियमताओं तथा सम्पत्ति के शोषण से बचने का जो मार्ग न्यासिता के माध्यम से प्रस्तुत किया है उसके कई आलोचक भी विद्यमान हैं। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने न्यासिता को सामाजिक समन्वय एवं प्रगति के लिये उपयुक्त नहीं माना है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति को शक्ति एवं सम्पत्ति का अनियन्त्रित अवसर देकर उससे यह उम्मीद करना कि वह सार्वजनिक कल्याण हेतु उसका उपयोग करेगा—असम्भव सा लगता है। मानव इतना परिपक्व नहीं है कि उस पर इतना अधिक विश्वास किया जा सके। समाज में अतिमानव अथवा प्लेटो के दार्शनिक शासकों का नितान्त अभाव है। ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो व्यक्तिगत हितों की पूर्ति को सामाजिक हित के अनुरूप मानते हैं। जन्म, सामाजिक स्तर व आर्थिक शक्ति का दिखावा समाज पर इतना हावी है कि समाज कुलीनतंत्र के इस दोष का भयंकर परिणाम भुगत रहा है। गांधीजी के अस्तैय एवं अपरिग्रह की अवधारणाओं को भी नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। नेहरू के अनुसार गांधीजी व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उसका व्यक्तिगत एवं आत्मिक विकास हो सके। वे व्यक्ति को सुख-साधन से जिन्दगी व्यतीत करने की प्रेरणा नहीं देते। इसका अर्थ यह है कि समाज की सेवा करने के लिए प्रस्तुत व्यक्ति को भौतिक दृष्टि से कुछ पाने की लालसा के स्थान पर त्याग की भावना रखनी होगी। नेहरू ने इसकी तीव्र आलोचना की है। वे इसे हानिकारक सिद्धांत मानते हैं। वे निर्धनता एवं कष्ट की प्रशंसा को अच्छा नहीं मानते। निर्धनता का अन्त होना चाहिए किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में साधु वृत्ति की प्रशंसा की जाय। व्यक्तिगत रूप में साधुवृत्ति का सिद्धांत ठीक है किन्तु समाज के लिए इसका प्रचार घातक ही होगा। सादगी, समानता, आत्म-नियंत्रण प्रशंसायोग्य है किन्तु शरीर की नश्वरता एवं मायावाद का व्यापक प्रचार सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है। साधुवृत्ति

द्वारा प्रेरित इच्छाओं का दमन यथार्थ पूर्ण नहीं है। नेहरू के अनुसार साधुवृत्ति के प्रचार के स्थान पर जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विज्ञान एवं यांत्रिकी का विकास करने की आवश्यकता है। जहां नेहरू ने गांधीजी की न्यासिता सम्बन्धी विचारधारा की आलोचना की वहां राजेन्द्रप्रसाद ने उसे एक आदर्श सामाजिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार गांधीजी ने जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की अस्पष्ट, अनिश्चित एवं अनियन्त्रित लालसा को सामाजिक संघर्ष का मूल माना था। गांधीजी की यह मान्यता थी कि भौतिक आवश्यकताओं की मांग पर आधारित समाज में हिंसा से नहीं बचा जा सकता। हिंसा एवं सामाजिक संघर्ष से बचने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकताओं की उचित सीमा निर्धारित करना अन्ततोगत्वा अनिवार्य है। इस प्रकार न्यासिता की मान्यता समाज में आर्थिक शोषण की विकृति का उपचार है। पूंजी का प्रयोग व्यक्तिगत हित के साथ-साथ सामाजिक हित में होना चाहिए। गांधी तथा विनोबा भावे ने अपरिग्रह को असाध्य मानते हुए भी अनुकरणीय माना है। उनकी दृष्टि में न्यासिता का विचार अव्यावहारिक नहीं है।

### सत्याग्रह

महात्मा गांधी ने भारत में स्वराज्य-प्राप्ति के लिए जिस राजनीतिक पद्धति का प्रयोग किया उसे सत्याग्रह के नाम से सम्बोधित किया जाता है। गांधीजी का सत्याग्रह सम्बन्धी विचार एक और ईसा मसीह, थोरू एवं टॉलस्टॉय के विचारों पर आधारित था तो दूसरी ओर यह हिन्दू-धर्मदर्शन, दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद एवं जाति-भेद के स्वयं के अनुभव तथा भारत में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनके नेतृत्व पर आधारित था। सत्याग्रह कष्ट की अनुभूति पर आधारित होने के कारण हृदय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। गांधी विवेक से अधिक अनुभूति को महत्व देते हैं। विवेक मस्तिष्क को प्रभावित करता है जबकि अनुभूति हृदय को छू लेती है। इससे एक सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि व्यक्ति में विकसित होती है। गांधीजी ने सत्याग्रह के संदर्भ में अहिंसा, असहयोग, निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सविनय अवज्ञा आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। गांधीजी इन शब्दों को सत्याग्रह का पर्यायवाची मानते थे।

सत्याग्रह सत्य की खोज तथा सत्य को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय है। अहिंसा सत्य के प्रति आग्रह में साधन के रूप में प्राप्त होती है। वह सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति का मार्ग है। अष्ट राज्य के प्रति सहयोग की भावना न रखना असहयोग कहलाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सविनय अवज्ञा के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह कर्तव्य पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह असह्य ऋष्टियों का विरोध करे। निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सविनय अवज्ञा नागरिक प्रतिरोध के रूप में और वे असहयोग की भांति सत्याग्रह के अन्तर्गत आते हैं। इन सबका उद्देश्य गत्य के लिए कष्ट सहन करना है। सत्याग्रह भारतीय शक्ति के प्रयोग पर आधारित है। सत्याग्रही द्वारा कष्ट सहन कर दुर्व्यवहार करने वाले के हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। गांधीजी ने हरिजनो के मन्दिर-प्रवेश एवं नमक-कर-कानून के प्रतिरोध में दम पद्धति का सफलता पूर्वक प्रयोग किया था। सत्याग्रही द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की चिन्ता विवेक विना कानून की अवज्ञा कर बाराबाग भुगतना सम्भव है किन्तु सत्याग्रही कभी भी पारिविक दम का प्रयोग

नहीं करेगा। व्यक्ति निरपेक्ष सत्य को जानने की क्षमता नहीं रखता अतः उसे दण्ड देने का भी अधिकार नहीं है। प्रत्येक मानव में ईश्वर की ज्योति विद्यमान है अतः उममे विकास की असीमित क्षमता है। मानव मात्र के साथ दया एवं उदारता का व्यवहार होना चाहिए। गांधीजी के अनुसार अहिंसा के द्वारा ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। साधन तथा साध्य दोनों में परस्पर निर्भरता है। जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य भी होगा। अच्छे साधनों से ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। बुरे साधनों से साध्य भी अच्छा नहीं हो सकता।

सत्याग्रही निर्भीक होता है किन्तु वह अन्यायी को भयभीत नहीं करना चाहता और न उसे विवश करने का इरादा ही रखता है। सत्याग्रही ऐसी स्वतन्त्रता का वरण करता है जो दूसरे के लिए सुलभ नहीं है क्योंकि सत्याग्रही सत्य के लिए अपने जीवन की आहुति दे सकता है। इस प्रकार सत्याग्रह का मूल अर्थ अन्यायी के हृदय को परिवर्तित कर उसे न्याय के प्रति जाग्रत करना है। अन्यायी को यह बताना आवश्यक है कि जिस पर वह अन्याय कर रहा है उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग के बिना वह अन्याय नहीं कर सकता। आत्मिक शक्ति का प्रयोग सैन्यबल के प्रयोग से भिन्न है। आत्मबल प्राप्त व्यक्ति दुर्बलों को सताने या अनैतिक लाभ प्राप्त करने की लालसा नहीं रखता। सत्याग्रही को स्वयं के बचाव की भी आवश्यकता नहीं। उसे गोलियों की बौछार के बीच भी बचाव करने अथवा अपनी छोटी अंगुली उठाने की भी आवश्यकता नहीं। सत्याग्रही निर्भय हाने के कारण अपने विरोधी पर भी विश्वास करने के लिए तत्पर रहता है। यदि उसका विरोधी उससे साथ बीस बार भी विश्वासघात करे तब भी वह उस पर इक्कीसवीं बार विश्वास करने के लिए तैयार रहेगा क्योंकि सत्याग्रही मानव-प्रकृति में निष्ठा रखता है। गांधीजी के अनुसार सत्याग्रही आत्मा की आवाज का पालन करता है। सत्याग्रह प्रत्यक्ष कार्यवाही का सर्वाधिक शक्तिशाली मार्ग है अतः सत्याग्रही द्वारा इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब अन्य साधन शेष न रहे। सत्याग्रही बार बार संवैधानिक सत्ता से सम्पर्क स्थापित कर तथा जनमत को सम्बोधित कर अपने पक्ष को स्पष्ट करने का प्रयास करता है और जब सारे साधन प्रयोग में ले चुका होता है तब अन्तिम साधन के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग करता है। स्वयं की त्रुटियों के लिए सत्याग्रही उत्तरदायी है। उसे सम्मानजनक शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि समझौता असफल होने पर वह पुनः अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार रहेगा। इसके लिए आवश्यक है कि सत्याग्रही का मस्तिष्क निरलिप्त हो ताकि वह दूसरी की कठिनाइयों को भी सहानुभूतिपूर्ण तरीके से समझ सके। वह हमेशा दूसरों के कल्याण की भावना रखे। वह चाहे स्वतन्त्र हो या वन्दीगृह में अपने आपको विजेता के रूप में ही मानता है क्योंकि वह सत्कार्य कर रहा है। सत्याग्रही की हार तब होती है जब वह सत्य एवं अहिंसा को त्याग देता है। इसका अर्थ यह है कि सत्याग्रह में धोखाधड़ी का कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह अत्यन्त सौम्य है अतः किसी को दुख नहीं पड़ेगा। सत्याग्रह का मार्ग धीमा एवम् कौलाहल रहित होते हुए भी निश्चयात्मक एवं कार्यशक्ति की दृष्टि से वेगमय है।

सत्याग्रह प्रगतिशील विचारधारा है। इसकी प्रगति में कई तत्त्व सहायक होते हैं। गांधीजी के अनुसार प्रत्येक पवित्र कार्य में प्रगति का नियम लागू होता है और सत्याग्रह

के सम्बन्ध में यह और भी गतिशील है। सत्याग्रह दम्भ के स्थान पर प्रेम पर आधारित है। शक्ति के प्रयोग से प्रतिहिंसा एवं घृणा उत्पन्न होती है जबकि सत्याग्रह से मानव-प्रेम एवं दया का वातावरण तैयार होता है। समाज के हित में रचनात्मक कार्य करना ही सत्याग्रही का आदर्श है। मद्य-निषेध, हरिजनोद्धार आदि कार्य इस प्रवृत्ति के द्योतक हैं। रचनात्मक कार्यों के लिए क्रोध, अहंकार एवम् पिपासा पर नियंत्रण होना चाहिये। आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण तथा आत्मशुद्धि इस कार्य के लिए आवश्यक हैं। सत्याग्रही बुराई को अच्छाई से, क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से और हिंसा को अहिंसा द्वारा जीतता है। उसे समय समय पर आत्मपरीक्षण तथा प्रार्थनामय अन्तर्निरीक्षण करना होता है ताकि मानवीय कमजोरियाँ उसमें प्रविष्ट न हो जायें। उसे बुराई करने वाले तथा बुराई दोनों को अलग अलग रखना होता है। सत्याग्रही का विरोध बुराई के उन्मूलन से है न कि बुराई करने वाले के उन्मूलन से। आत्मा का अस्तित्व तथा ईश्वर में श्रद्धा ये दोनों ही सत्याग्रही को निरन्तर प्रेरणा देने वाले तत्त्व हैं।

सत्याग्रह एवम् अहिंसा में अतीव घनिष्ठता है। वे एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। हिंसा और अहिंसा में परस्पर विरोध है। क्रोध अथवा स्वार्थवश दूसरे को कष्ट पहुँचाना अथवा जीव को नष्ट करना हिंसा है जबकि शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से ऐसे कार्य को रोकना अहिंसा है। अहिंसा, प्रेम तथा परोपकार पर आधारित है। अहिंसा में विश्वास रखने वाला अपने शत्रु से भी प्रेम करता है। अहिंसा का प्रयोगकर्ता निर्भीक होना चाहिए। वह कायर नहीं हो सकता। वह बिना किसी घृणा के कष्ट एवं आक्रमण भेजने को तैयार रहता है। अहिंसा शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों का बोध कराती है। अहिंसा में जहाँ एक और शारीरिक हिंसा पर प्रतिबन्ध है तो दूसरी और मानसिक दृष्टि से घृणा करने पर भी नियंत्रण रखा गया है। शरीर एवं मस्तिष्क के तालमेल बिना अहिंसा का प्रयोग सम्भव नहीं है। अहिंसक संघर्ष की यह विशेषता है कि इसमें प्रतिशोध की भावना नहीं रहती और अन्त में शत्रु भी मित्र में परिवर्तित हो जाता है। अहिंसा दुर्बलता की नहीं किन्तु शक्ति की प्रतीक है। अहिंसा में आत्मबल का प्रयोग होता है। गांधीजी ने इस सन्दर्भ में यहाँ तक व्यक्त किया है कि यदि कायरता एवं हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो वे हिंसा की सलाह देंगे। यदि भारत को अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार भी उठाने पड़ें तो यह कायरता में अपमान सहन करने में श्रेष्ठ ही होगा। अहिंसा को बहादुरी एवं कायरता से भिन्न समझने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों न हो यदि वह अपने स्थान पर अटिग रहेगा और मैदान छोड़ने के स्थान पर जीवन अर्पित कर देगा तो उसे अहिंसा एवम् बहादुरी का प्रतीक माना जायेगा। यदि वह अपनी समस्त शक्ति को अपने शत्रु के विरुद्ध प्रयुक्त कर जीवन अर्पित करेगा तो वह बहादुरी अवश्य होगी अहिंसा नहीं और यदि वह रणक्षेत्र छोड़कर भाग जायेगा तो इसे कायरता का उदाहरण ही माना जायेगा।

अहिंसा द्वारा मानवीय प्रकृति की बर्बरता को बदलने का प्रयास किया गया है। सभी में ईश्वर के वास को मानते हुए सहिष्णुता की मान्यता आवश्यक है। गांधीजी के अनुसार मानव-सम्पत्ता अहिंसा से हिंसा की ओर बढ़ रही है फिर भी अवशिष्ट बर्बरता को दूर करना है। राष्ट्रों को परस्पर व्यवहार में हिंसा के स्थान पर अहिंसा का प्रयोग करना

है अन्यथा शस्त्रों की होड़ में लिप्त महाशक्तियाँ मानव-सभ्यता के विनाश को ही आमंत्रित करेंगी। असहयोग भी सत्याग्रह का मार्ग है। असहयोग का प्रयोग ऐसे राज्य के विरुद्ध किया जाता है जो जन-कल्याण का उत्तरदायित्व भूलकर दमनकारी नियमों द्वारा जनता का शोषण करता है। ऐसे राज्य के विरोध में अन्तःकरण की प्रेरणा से व्यक्ति उठ खड़ा होता है। हिंसक विरोध के स्थान पर अहिंसा का प्रयोग व्यक्ति को असहयोगी बना देता है जिससे राज्यव्यवस्था का चलन असम्भव हो जाता है। असहयोग द्वारा व्यक्ति राज्य के कानून की अवज्ञा, न्यायालयों का बहिष्कार, विद्यालयों तथा सम्मान एवं उपाधियों का बहिष्कार, कर न चुकाने तथा सेना में भर्ती न होने के कार्यों द्वारा राज्य से अपना समस्त सहयोग-सम्बन्ध तोड़ देता है। किन्तु यह असहयोग अहिंसा के द्वारा ही सफल हो सकता है। हिंसात्मक आन्दोलन द्वारा इसे प्राप्त करने का अर्थ है सरकार द्वारा सैनिक दमन-चक्र का प्रयोग। गांधीजी ने असहयोग के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया है कि असहयोग पूरी व्यवस्था के विरुद्ध किया जाना चाहिए न कि व्यवस्था के किसी एक भाग के विरुद्ध। उदाहरण के तौर पर युद्ध में सम्मिलित न होना तब तक असहयोग नहीं कहा जा सकता जब तक अन्य तरीकों से सहयोग दिया जाता रहा हो जैसे कर देना आदि। इसी प्रकार गांधीजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि असहयोग घृणा पर आधारित नहीं अपितु प्रेम पर आधारित है। असहयोग में सामाजिक बहिष्कार का कोई स्थान नहीं क्योंकि असहयोग की लड़ाई में किसी को विवश करना अथवा हिंसा के द्वारा अपनी बात मनवाना सम्मिलित नहीं है। असहयोग की लड़ाई हृदय-परिवर्तन पर आधारित है। इसी तरह असहयोग का अर्थ अराजकता या अव्यवस्था नहीं है। असहयोग का अर्थ है राज्य के प्रति सहयोग की समाप्ति किन्तु व्यक्तियों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। असहयोग की स्थिति में व्यक्ति पारस्परिक सहयोग द्वारा अपने स्कूल, न्यायालय आदि स्थापित कर सकते हैं ताकि राज्य-व्यवस्था के स्थान पर जनता की व्यवस्था चलती रहे और सामाजिक सेवाओं में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने में कमी न आये।

असहयोग एवं सविनय अवज्ञा अथवा नागरिक प्रतिरोध में अन्तर है। असहयोग में कानून की अवज्ञा सम्मिलित नहीं है किन्तु सविनय अवज्ञा में कानून को तोड़ने और दण्ड का भागी बनने का मार्ग सुनिश्चित है। तथापि सविनय अवज्ञा असहयोग पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा पारित कानून को उचित नहीं मानता तो उसे उसकी अवज्ञा करने का अधिकार है। कानून का अर्थ यह नहीं है कि हम उसे आख बंद करके धर्म की तरह पालन करें। गलत कानूनों का विरोध आवश्यक है। इसी तरह सविनय अवज्ञा का अर्थ यह नहीं है कि गलत तरीकों एवं तोड़ फोड़ द्वारा अवज्ञा की जाय। यह सविनय अवज्ञा न होकर अपराधपूर्ण अवज्ञा है जिसमें अपराधी हिंसा का प्रयोग करता है और दण्ड से बचने का प्रयास करता है। सविनय अवज्ञा में व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कानून भंग करते हुए दण्ड के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है। सविनय अवज्ञा अनुशासन पर आधारित है। पूर्ण सविनय अवज्ञा का अर्थ है शान्तिमय विद्रोह।

गांधीजी ने सत्याग्रह एवं निष्क्रिय प्रतिरोध में अन्तर स्थापित किया है। वे निष्क्रिय प्रतिरोध को सत्याग्रह का ही अंग मानते हुए भी दोनों में अन्तर स्पष्ट करते हैं। जहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध में प्रेम का कोई भी स्थान नहीं है वहाँ सत्याग्रह में घृणा के लिए कोई

स्थान नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध में आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र के प्रयोग की मनाही नहीं है किन्तु सत्याग्रह में उपयुक्त अवसर होते हुए भी शारीरिक बल का प्रयोग निषिद्ध है। निष्क्रिय प्रतिरोध शक्ति के प्रयोग की तैयारी है किन्तु सत्याग्रह में पूर्ण अहिंसा आवश्यक है। जहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध अपने विरोधी को कष्ट देने तथा स्वयं कष्ट भुगतने की शौर इंगित करता है वहाँ सत्याग्रह में अपने विरोधियों को हानि पहुंचाने का उद्देश्य लेशमात्र भी नहीं होता।

सत्याग्रह के अन्तर्गत उपवास एवं धरना देने की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। धरना देने में उन व्यक्तियों को अपनी शौर आकृष्ट करने का आग्रह है जो सविनय अवज्ञा में सम्मिलित नहीं हुए हैं। गांधीजी ने धरना देने को तब तक गैर कानूनी नहीं माना जब तक उसमें शक्ति अथवा धमकियों का प्रयोग नहीं किया जाता। नैतिक दृष्टि से दूसरों से अपनी बात मनवाने का कार्य गैर कानूनी नहीं हो सकता। इसी प्रकार गांधीजी ने उपवास को बुरे विचार, कार्य एवं भोजन का निराकरण माना है। उपवास का आरम्भ प्रार्थना से माना है क्योंकि बिना प्रार्थना के किया गया उपवास शरीर पर अत्याचार है। सत्याग्रही सरकार के दरवाजे पर अथवा समुदाय के विरोधी तत्त्वों के दरवाजे पर बैठकर आभरण अनशन करता है जैसे कि गांधीजी ने कलकत्ता में 1 सितम्बर 1947 के हिन्दू-मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए किया था। गांधीजी के अनुसार उपवास सत्याग्रही का आदर्श शस्त्र है। उपवास द्वारा आत्मा को कष्ट देने का मार्ग आततायी के हृदय को पिघला देता है। आभरण अनशन का मार्ग सत्याग्रही द्वारा आततायी के हृदय को प्रभावित करके वाला अत्यन्त तीव्र मार्ग है। अनशन में बल-प्रयोग का कोई स्थान नहीं है। गांधीजी के अनुसार उचित प्रकार से निर्धारित अनशन जो कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाय जिसमें प्रेम, अहिंसा तथा ईश्वरनिष्ठा हो तो परोपकार के लिए किया गया ऐसा अनशन दबाव पर आधारित न होकर प्रेम से उत्पन्न माना जायेगा। यह हो सकता है कि अनशन के कारण इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए दबाव का सा असर दिखाई दे और विरोधी इस दबाव के सामने अनशन करने वाले की मागे मान लें जिन्हें वह अन्याय स्वीकार नहीं करता किन्तु दबाव की भावना के बिना किया गया अनशन गलत नहीं माना जा सकता।

गांधीजी ने सत्याग्रह के प्रयोग का एक और पूर्वगामी उपाय प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सत्याग्रह आरम्भ करने के पहले पंच फंसले के द्वारा भगड़ों का शान्ति पूर्ण निपटारा किया जा सकता है। गांधीजी ने 1942 में अंग्रेजों के साथ इसी प्रकार के पंच फंसले का प्रस्ताव रखा था। साम्प्रदायिक मतभेदों को मिटाने के लिए भी गांधीजी ने पंच-फंसले का प्रयोग किया। पंच-फंसले के द्वारा सच्चा न्याय प्राप्त कर अदालतों के कानूनी दावपेचों से बचा जा सकता है। गांधीजी ने पंच-फंसले को अहिंसा का ही प्रयोग माना है। पंच-फंसले के फलफूल होने के बाद ही सत्याग्रह आरम्भ होता है जोकि अहिंसा का प्रतिवादी रूप है। इसी प्रकार पारस्परिक मतभेदों को मिटाने के लिए पंच-फंसले के पहले आपसी बातचीत एवं सत्याग्रह के पहले पंच-फंसला भगड़ों को निपटारने का अहिंसक मार्ग है। सामान्यतया पंच-फंसले की सम्भावना कम होने पर ही सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। पंच-फंसले में एक ही कमी है कि इन्में भगड़ने वाले दोनों गुटों को समानता के आधार पर रखा जाता है जिससे राजनीतिक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग सीमित

हो जाता है।

गांधीजी के सत्याग्रह सम्बन्धी उपर्युक्त विचार भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक चिन्तन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। सत्याग्रह, राजनीतिक पद्धति के रूप में, गलत कानून, सरकारी आदेश तथा सामाजिक मान्यताओं के विरोध का प्रशंसनीय प्रयोग है। कष्टों की अनुभूति एवं बलिदान के द्वारा सत्याग्रही बुराइयों पर विजय प्राप्त करता है। गांधीजी के अनुसार विश्व सत्य पर आधारित है। असत्य अविद्यमान है किन्तु सत्य यथार्थ है। असत्य की अविद्यमानता के कारण उसकी विजय कैसे हो सकती है। सत्य अविनाशी है। यही सत्याग्रह के सिद्धान्त का सार है। किन्तु इतना होने पर भी सत्याग्रह के सिद्धान्त को पूर्णतया विकसित सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता। फिर भी सत्याग्रह का सिद्धान्त गांधीजी की अनुपम देन है। गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं जन सत्याग्रह के प्रयोग किये हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह पाशविक बल के स्थान पर आत्मिक शक्ति का प्रयोग है। समूह अथवा जन-सत्याग्रह में भी गांधीजी ने आदर्शवादी विचार प्रस्तुत किया है। गांधीजी ने सत्याग्रह को समझने तथा सत्य एवं अहिंसा के गुणों का विकास करने के लिए सत्याग्रही को प्रशिक्षण देने का प्रयोग भी किया। समूह सत्याग्रह में गांधीजी ने अनुशासन एवं आज्ञापालन पर अधिक बल दिया। सत्याग्रह-आन्दोलन में कुछ अच्छी तरह से प्रशिक्षित नेताओं की अन्य व्यक्तियों द्वारा आज्ञा मानना उसी प्रकार से अनिवार्य माना गया है जिस प्रकार से एक सिपाही सैन्य अनुशासन के अन्तर्गत अपने सेनापति की आज्ञा मानता है। यदि अनुशासन की भावना नहीं है तो हिंसा की घटना द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विखण्डन प्रारम्भ हो जायेगा। गांधीजी इसके लिए आन्दोलनकारियों में उसी प्रकार का प्रेमभाव देखना चाहते हैं जैसा कि एक परिवार के सदस्यों में होता है।

गांधीजी का यह आदर्श एक संवेदनशील प्राणी एवं समाज का आवश्यकता पर बल देता है। उन्नत मानवता ही प्रेम एवं सहिष्णुता का परिचय दे सकती है। सत्याग्रह एक कठिन आदर्श है। इसकी प्राप्ति साधारण व्यक्ति अथवा समाज द्वारा नहीं की जा सकती। जिस दिन विश्व में सत्याग्रह पूर्णतया सफल हो जायगा उस दिन काल्पनिक स्वर्ग पृथ्वी पर साकार उतर आयेगा।

गांधीजी के सत्याग्रह-आन्दोलन की कई विचारकों ने प्रशंसा की है। राजेन्द्रप्रसाद ने सत्याग्रह को मनसा-वाचा-कर्मणा उपयोग में लाने पर बल दिया। वे गांधीजी के अहिंसा सम्बन्धी विचारों को सत्य के प्रयोग के लिए आवश्यक तत्त्व के रूप में मानते थे। उनके अनुसार सत्य का दर्शन स्वयं की अनुभूति से ही पूरा नहीं होता। उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति दूसरों को भी ऐसा करने में सहायक हो। वह दूसरों के मार्ग का बाधक नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भी गांधीजी के सत्याग्रह सम्बन्धी विचारों को विश्वकल्याण का साधन मानते थे। वे जनता सत्याग्रह के स्थान पर नेतृत्व के सत्याग्रह को ही उचित मानते थे। उनके अनुसार सत्याग्रह का मार्ग कष्टों से भरा हुआ है अतः साधारण व्यक्ति द्वारा इसकी पवित्रता की रक्षा नहीं की जा सकती। नेतृत्व द्वारा इसके सफल प्रयोग का जनता से समय समय पर प्राप्त समर्थन ही उसका आधार है। विनोबा भावे ने गांधीजी के विचारों का जीवन में अक्षरशः पालन किया है। वे अहिंसा के पालन में विश्व की समस्त कठिनाइयों का निराकरण देखते हैं। उनके अनुसार पूजा की जो कि

व्यक्तियों के जीवन का अंग बन गई है, उसे उचित समाधान के साथ अहिंसा में परिवर्तित करना आवश्यक है। अरविन्द घोष तथा तिलक भी असहयोग का पालन करते थे किन्तु उनके विचार गांधीजी के सदृश नहीं थे। दोनों ही निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का प्रचार करते रहे। किन्तु उनका निष्क्रिय प्रतिरोध गांधीजी के प्रतिरोध से भिन्न था। वे सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही प्रकार के बहिष्कार का प्रयोग करना चाहते थे। वे शासन के साथ असहयोग कर उसे पूर्णतया समाप्त करना चाहते थे क्योंकि उनमें शासन के प्रति आक्रोश एवं घृणा का भाव था। वे एक हद तक निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का पालन करने को तैयार थे किन्तु उसके पश्चात् वे सक्रिय प्रतिरोध के लिए भी तैयार रहना चाहते थे। उनका निष्क्रिय प्रतिरोध केवल उपयोगिता पर आधारित था। उन्हें गांधीजी जैसा धार्मिक लगाव नहीं था। सुभाष चन्द्र बोस के विचार तो और भी भिन्न थे क्योंकि वे सशस्त्र क्रांति के पुजारी थे।

सत्याग्रह के असहयोग एवं नागरिक प्रतिरोध की कई लोगों ने आलोचना की है। गोखले ने असहयोग को असम्भव बताया था। श्रीनिवास शास्त्री, जो गांधीजी के विश्वासपात्र सलाहकार थे, असहयोग को नकारात्मक सिद्धान्त मानते थे। वे असहयोग को नकारात्मक तथा प्राचीन बौद्ध धर्म के कर्म से दूर रहकर निष्क्रिय हो जाने के उपदेशों के समान मानते थे। उनके अनुसार असहयोग ने समाज में अनुशासन एवं कानून के पालन के आवश्यक सामाजिक आदर्श को हानि पहुंचाई थी। बहिष्कार की नीति ने व्यक्तियों के कथनी और करनी के अन्तर को ही प्रकट किया था। स्कूल तथा न्यायालयों का बहिष्कार बहुत कम लोगों द्वारा किया गया। इस प्रकार श्रीनिवास शास्त्री ने सत्याग्रह एवं असहयोग की नीति को अप्रयोज्य बतलाया। लाला लाजपत राय भी अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों को राजनीतिक दृष्टि से अव्यावहारिक मानते थे। उनके अनुसार अहिंसा की धारणा भारत की राजनीतिक निर्बलता का कारण थी। वे निष्क्रिय प्रतिरोध को अंग्रेजों से विमुक्ति का मार्ग मानते थे। वे सहयोग तथा असहयोग दोनों में से किसी एक पर स्थिर रहने की नीति के स्थान पर समयानुसार इनके प्रयोग पर बल देते थे। उनका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का था। इस कार्य के लिए वे उग्र राजनीतिक आन्दोलन चलाना चाहते थे। अपने विरोधियों के हृदय-परिवर्तन के स्थान पर वे उनके पलायन में अधिक विश्वास करते थे। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भी असहयोग की आलोचना करते हुए गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन को विदेशी शासन के प्रति घृणा एवं हिंसा को जाग्रत करने वाला माना था। भारत में राजनीतिक तथा धार्मिक तनावों के लिए उन्होंने गांधीजी के कार्यक्रमों को ही दोषी ठहराया। विदेशी शासन का विरोध हमारे मस्तिष्क पर इतना छा गया कि कानान्तर में हम देशवासी भी एक दूसरे के विरोधी बन गये तथा जाति व धर्म के नाम पर नर-संहार पर उतर आये। प्रोफेसर स्थानास्वामी के अनुसार अहिंसक असहयोग-आन्दोलन भारत की प्राचीन जाति व्यवस्था पर आधारित था। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों का मूल थी और जो जाति व्यवस्था के नियमों की अवमानना करता था उसे सामाजिक बहिष्कार रूपी असहयोग भुगतना पड़ता था। वर्तमान समय में उसी प्रकार के असहयोग की नीति का देशव्यापी प्रयोग उचित नहीं कहा जा सकता। असहयोग राज्य की स्थिरता को प्रभावित



करता है। भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न सम्प्रदाय के व्यक्ति बसते हैं, असहयोग के द्वारा एकरूपता प्राप्त करना कठिन है। सविनय अवज्ञा भविष्य के लिए बाधक सिद्ध हो सकती है जबकि देशवासी भारतीय सरकार के प्रति भी इसी अवज्ञा का प्रयोग करने लगेगे। इस प्रकार सत्याग्रह की विभिन्न विधाओं की समय समय पर आलोचना प्रस्तुत की गई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गांधीजी के सत्याग्रह सम्बन्धी विचार अपने समय से आगे हैं। गांधीजी आदर्शवादी थे और वे ऐसी आदर्श व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो सत्य और अहिंसा पर पूर्णतया आधारित हो। गांधीजी ने सत्याग्रह का अनेक बार प्रयोग कर यह दर्शा दिया कि सत्याग्रह सम्बन्धी धारणा आदर्शवादी होते हुए भी अव्यवहार्य नहीं है। दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में गांधीजी का सत्याग्रह-आन्दोलन सफलतापूर्वक चला। गांधीजी ने सत्याग्रह के सिद्धान्त को विकासशील माना और उसके निरन्तर प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। सत्याग्रह के निरन्तर प्रयोग द्वारा ही उसकी अछाई तथा कमजोरियाँ सामने आ सकती हैं। इस सिद्धान्त का और भी अधिक विकास करने की आवश्यकता है। गांधीजी के पद चिह्नों पर चलते हुए कई देशों में सत्याग्रह के प्रयोग किये गये हैं जिनमें अमेरिका के दिवंगत नीग्रो नेता मार्टिन लूथर किंग का उदाहरण हमारे सामने है।

□□

### भारत में समाजवादी चिन्तन का विकास

भारत में समाजवादी चिन्तन का विकास उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में आरम्भ हुआ। यह समाजवादी चिन्तन मार्क्स के विचारों के प्रत्यक्ष अध्ययन का परिणाम न होकर उन अंग्रेज समाजवादियों द्वारा प्रेरित था जो तत्कालीन भारतीय राजनेताओं के मित्र थे। अंग्रेज समाजवादी हाइंडमेन, लेन्सबरी, जोसिया वेजवुड आदि ने दादा भाई नौरोजी, तिलक, लाला लाजपतराय आदि को प्रभावित किया। लाजपतराय पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने 1917 की रूस की क्रान्ति का अभिवादन किया। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि यदि भारत की निर्धनता एवं दासता का अन्त नहीं किया जाता तो हिमालय भी भारत में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को नहीं रोक पायेगा। लाजपतराय की समाजवाद में पूर्ण आस्था थी किन्तु वे सैद्धांतिक समाजवादी नहीं थे। उन्हें साम्यवाद से घृणा थी क्योंकि वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनकी प्रेरणा से भारत में अखिल भारतीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई। एन. एम. जोशी तथा बी. पी. वाडिया इस सजदूर संगठन के स्तम्भ रहे। समाजवादी आन्दोलन के साथ-साथ साम्यवादी आंदोलन भी भारत में फैला। रूस की क्रांति एवं उनके प्रचार से प्रेरित हो काजी नजरूल इस्लाम, फजलुल हक, मुजफ्फर अहमद आदि ने पत्रकारिता के माध्यम से साम्यवाद का प्रचार-प्रसार आरम्भ किया। श्रीपाद अमृत डाँगे ने साम्यवादी दल के लिए सक्रिय कार्य किया। मानवेन्द्र नाथ राँय ने ताशकन्द में रूस की आर्थिक सहायता एवं सहयोग से एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जिसका उद्देश्य भारत में साम्यवादी क्रांति लाने के लिए एक सेना तैयार करना था। ट्राट्स्की के समान मानवेन्द्र नाथ राँय रूसी क्रांति को काबुल होते हुए बम्बई तथा कलकत्ता पहुँचाना चाहते थे। किन्तु भारत में गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने साम्यवादियों से अपने को अलग रखा।

भारत के समाजवादी चिन्तकों में मानवेन्द्र नाथ राँय का अग्रगण्य स्थान रहा है। वे न केवल भारत में समाजवाद के ही प्रेरक थे अपितु साम्यवाद के प्रसार एवं प्रचार के भी अग्रदूत रहे। भारत में साम्यवाद का अध्याय उन्हीं के नाम से आरम्भ होता है किन्तु जितनी प्रबलता से उन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया उतनी ही प्रबलता से उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसको आलोचना की। जहाँ एक ओर एशिया तथा भारत को साम्यवाद का संदेश उन्होंने दिया वहाँ दूसरी ओर उन्होंने सर्वप्रथम साम्यवाद की त्रिमूर्ति लेनिन, स्टालिन तथा ट्राट्स्की के अत्यन्त निकट रह कर तथा मैक्सिको, चीन व भारत को साम्यवाद का मार्ग दिखाने जिस तरह से मानवीय स्वतन्त्र्य का उद्घोष किया उसका दूसरा उदाहरण विश्व में नहीं मिलता। यदि भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की राजनीति से ऊपर उठकर विचार किया जाये तो यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा कि उनका नवमानववाद भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन में समाजवाद का ही अभिनव प्रयोग है।

कांग्रेस में समाजवादी प्रभाव के उधायक जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस थे। नेहरू माक्स तथा लेनिन के प्रशंसक थे। नेहरू के प्रगतिशील विचारों के कारण गांधीजी के नेतृत्व को समाजवादी चुनौती का सामना करना पड़ा। नेहरू ने ऐतिहासिक लाहौर-कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में समाजवादी सिद्धांतों के प्रति अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त की। उन्हींके प्रयत्नों से कांग्रेस निरन्तर समाजवाद की ओर बढ़ती गयी। कांग्रेस में कई अन्य नेता थे जिन्होंने नेहरू के समान समाजवादी कार्यक्रम को अपना लक्ष्य बना लिया था। ये थे जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, यूसुफ मेहरअली, एन. जी. गोरे, अच्युत पटवर्धन तथा आचार्य नरेन्द्र देव। आचार्य नरेन्द्रदेव का समाजवादी चिन्तन की दृष्टि से विशेष योगदान रहा। कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा वाले इस गुट ने पटना में मई 1934 में एक कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। इस दल के उद्देश्य श्रम-कल्याण, राजकीय आर्थिक नियोजन, महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, विदेशीव्यापार का राष्ट्रीयकरण, सामूहिक एवं सहकारी खेती, सहकारिता के आधार पर उत्पादन, वितरण तथा ऋण की व्यवस्था, राजतन्त्र व जमींदारी का उन्मूलन आदि थे। यह दल मार्क्सवाद के प्रभाव से अभिभूत था और कांग्रेस के अन्तर्गत कार्य करते हुए भी कांग्रेस के पूंजीवादी नेतृत्व का विरोधी था। आचार्य नरेन्द्र देव के अनुसार दल का उद्देश्य कांग्रेस को नवजीवन देना था ताकि वह भावी समाजवादी समाज का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सके। इसका उद्देश्य एक ओर किसानों तथा भजदूरों का समर्थन प्राप्त करना तथा दूसरी ओर उन्हीं के सहयोग से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के साथ-साथ अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्त करना भी था। वे गांधीजी के आर्थिक तथा सामाजिक विचारों के विरोधी थे।

1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय डा. राम मनोहर लोहिया आदि के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी दल ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा समर्थन दिया जब कि भारतीय साम्यवादियों ने ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपना विरोधी रवैया अपनाया। साम्यवादियों ने कांग्रेस को फासीवादी बतलाया तथा कांग्रेस के चलाये आन्दोलन को विफल करने में कोई कसर नहीं रखी। रूस पर जर्मनी का दबाव जारी था। उस ब्रिटेन आदि मित्र राष्ट्रों के साथ था अतः भारतीय साम्यवादी अपनी रूस-भक्ति के कारण भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति को भी ताक पर रखने को तैयार थे। उनका उद्देश्य रूस की रक्षा के लिए ब्रिटेन विरोधी आन्दोलन का विरोध करना था। साम्यवादियों के इस कार्य को जो कि मानेन्द्रनाथ रॉय आदि द्वारा निदेशित था राष्ट्रघाती माना गया। इससे भारतीय जनमानस में भारतीय साम्यवादी दल तथा समस्त साम्यवादी नेताओं के प्रति तिरस्कार की भावना उत्पन्न हुई। किन्तु इसके विपरीत कांग्रेस समाजवादी दल ने आन्दोलन का समर्थन करते हेतु जनता का हृदय जीत लिया। यह दल साम्यवादियों की भाँति भारतीय राष्ट्रवाद का शत्रु नहीं था। इस कारण से भी इसे जनता का समर्थन प्राप्त हुआ।

भारत को स्वाधीनता मिलने के पश्चात् कांग्रेस में समाजवादी दल का प्रभाव क्षीण होने लगा। इससे कांग्रेस समाजवादी दल ने अपने को कांग्रेस से पृथक् कर लिया। इस दल ने आचार्य कृपलानी के कृपक-भजदूर-दल के साथ मिलकर 1952 में प्रजा समाजवादी दल की स्थापना की। आन्तरिक मतभेदों के कारण डा. राम मनोहर लोहिया ने

1955 में पृथक् समाजवादी दल स्थापित किया किन्तु 1964 में पुनः प्रजा समाजवादी तथा समाजवादी दल एक हो गये तथा नवीन दल का नाम संयुक्त समाजवादी दल रखा गया।

समाजवादी दल के कांग्रेस से पृथक् होते हुए भी कांग्रेस ने अपना समाजवादी सश्य तिरोहित नहीं किया। नेहरू के नेतृत्व में समाजवादी समाज के यावड़ी-प्रस्ताव से जयपुर अधिवेशन के लोकतान्त्रिक समाजवाद के प्रस्ताव तक तथा उसके पश्चात् इन्दिरा गांधी द्वारा सम्पादित बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्स समाप्ति, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का द्रुतगामी कार्यक्रम आदि समाजवादी मार्ग की ओर भारत के बढ़ते हुए चरण हैं।

### भारत में समाजवादी चिन्तन

भारत के समाजवादी चिन्तकों में आचार्य नरेन्द्रदेव का विशेष स्थान रहा है। उनकी गणना भारत के प्रमुख समाजवादी बुद्धिजीवियों तथा प्रचारकों में की जाती है। गांधीजी के घनिष्ठ समर्थक होते हुए भी विचारों से वे मार्क्सवादी थे। वे मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद में द्वन्द्ववाद का समर्थन करते थे किन्तु भौतिकवाद में उनकी आस्था नहीं थी। वे वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि मार्क्सवाद को क्रियान्वित करके एक नवीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। नरेन्द्रदेव पर हिन्दू व बौद्ध चिन्तन का गहरा प्रभाव पड़ा था। इस कारण वे नैतिक मूल्यों को महत्ता प्रदान करते हुए नैतिक समाजवाद में विश्वास करते थे। मार्क्सवादी होने के नाते वे इतिहास की भौतिक व्याख्या तथा पूंजीवाद की समाप्ति में विश्वास करते थे। मार्क्स के अलावा नरेन्द्रदेव बुखारिन से प्रभावित हुए। वे बुखारिन के इस विचार से पूर्णतया सहमत थे कि समाज में केवल दो वर्ग—पूँजीपति तथा सर्वहारा ही नहीं होते अपितु अन्य कई वर्ग जैसे मध्यम वर्ग, सक्रमण वर्ग तथा मिथित वर्ग आदि भी होते हैं।

नरेन्द्र देव एक ओर लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक थे तो दूसरी ओर वे वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त के भी। वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त के माध्यम से उन्होंने भारत की आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया। सामान्य जनता में वर्ग-चेतना का संचार करने के लिए उनकी दृष्टि में निम्न मध्यमवर्ग तथा साधारण वर्ग में मधुर तन्म्यन्धों की स्थापना आवश्यक थी। वे लेनिन के इन विचारों से सहमत थे कि समाजवादी क्रान्ति केवल औद्योगिक देशों में ही नहीं अपितु साम्राज्यवाद अस्तित्व देशों में भी लायी जा सकती है। वे कृषकों-बुद्धिजीवियों के सहयोग से श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का अग्रगामी मानते थे। वे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को आर्थिक आधार प्रदान कर उसका समाजीकरण चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने समाजवादियों को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया। वे किसानों को समाजवादी विचारधारा से अनुप्राणित करना चाहते थे। उनका कृषक-पुनर्निर्माण का कार्यक्रम सहकारी समितियों के संगठन पर आधारित था। वे कृषि को भी सहकारिता के आधार पर उन्नत करना चाहते थे तथा कृषकों व ग्राम्य विज्ञान के लिए सरते ऋण की व्यवस्था के पक्षपाती थे। वे गांधी में लोकतान्त्रिक सरकार के पक्ष में थे। इसी तरह श्रमिक-संगठनों का भी वे समर्थन करते थे। उनका श्रमिक-संगठनों द्वारा धाम हड़ताल कर दबाव डालने की पद्धति में पूर्ण विश्वास था। उनके विचारों में यह पद्धति श्रमिकों का राजनीतिक महत्त्व बढ़ाती थी। इसी प्रकार मार्गों के

दर्शन को मानववादी मानकर आचार्य नरेन्द्र देव ने समाजवादी किसान-आन्दोलन को भारत में एक नवीन दिशा दी ।

भारतीय समाजवादी चिन्तकों में जयप्रकाश नारायण की भी गणना की जाती है । कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में उनका पूर्ण योगदान रहा । वे गांधीजी के अनुयायी होते हुए भी मार्क्स के विचारों से अनुप्राणित रहे । इन पर मानवेन्द्र नाथ राय के विचारों का भी पूरा प्रभाव पड़ा । फिर भी वे रूस की साम्यवादी सरकार के समर्थक नहीं बने । वे प्रजा समाजवादी दल के कर्णधार थे । बाद में वे सर्वोदय-आन्दोलन में लग गये । जयप्रकाश नारायण का समाजवादी दृष्टिकोण यह था कि वे समाजवाद को सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का पूर्ण सिद्धान्त मानते थे । उनके अनुसार मनुष्य अपनी अन्तर्निहित क्षमताओं में समाप्त नहीं होते । यह जैविक असमानता है जिसका निराकरण नहीं । किन्तु सामाजिक क्षेत्र में मनुष्यकृत असमानता का उन्होंने विश्लेषण किया तथा यह माना कि कुछ मुट्ठी भर लोगो का वितरण व उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण होने के कारण शेष जनता निर्धनता, महंगाई तथा शोषण का शिकार बन जाती है । वे इस व्यवस्था को समाजवादी उपचार से ठीक करना चाहते थे । वे उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के तथा आर्थिक नियोजन के पक्ष में थे । वे राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वयं अग्रगण्य रहे तथा अन्य समाजवादियों को भी इसके लिए प्रेरित किया । उनका यह विचार था कि बड़े-बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति से ही भारत का दारिद्र्य दूर हो सकता है । वे समाजवाद को भारतीय संस्कृति का सहगामी मानते थे । उनका यह विचार है कि समाजवाद के आर्थिक सिद्धान्तों का निर्माण अवश्य यूरोप में हुआ है किन्तु उसकी मूल आस्था का दर्शन प्रारम्भ से ही भारतीय संस्कृति में विद्यमान है । जयप्रकाश नारायण ने इस तरह समाजवाद का भारतीयकरण प्रस्तुत कर साम्यवादियों के रूसी मक्का-मदीना पर करारा व्यंग्य किया है ।

भारतीय कृषकों के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमि-सुधार तथा ग्रामसुधार योजनाएं प्रस्तुत की हैं । वे सहकारी खेती, ग्राम्य स्वायत्तता, किसानों का भूमि पर स्वामित्व, भूमि सम्बन्धी कानूनों आदि में आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में हैं । वे कृषि तथा उद्योगों में सन्तुलन बनाये रखना चाहते हैं । उनके विचारों में यह सन्तुलन कृषि के क्षेत्र में सहकारिता के द्वारा ही सम्भव है । वे एक ओर कृषि के व्यक्तिवादी आधार का अन्त करना चाहते हैं तो दूसरी ओर उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण । इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी विचारधारा का भारत में प्रसार कर उसे साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद से मुकाबला करने का अस्त्र बनाया ।

भारत के समाजवादी चिन्तन में एक और नाम प्रमुखता से लिया जाता है और वह है डा० राममनोहर लोहिया । लोहिया समाजवाद के भीषण प्रचारक थे । समाजवादी आन्दोलन को आगे बढ़ाने में उनका विशेष सहयोग था । वे सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने एक सच्चे गांधीवादी के रूप में गांधीवाद को समाजवादी चिन्तन में प्रमुखता देने का प्रयास भी किया । वे साम्यवाद के विरोधी थे । जहाँ आचार्य नरेन्द्रदेव तथा जयप्रकाश-नारायण मानववादी थे वहाँ लोहिया पर गांधीवाद की अमित छाप थी । वे समाजवादियों को कांग्रेस तथा समाजवादी दल दोनों से दूर रखना चाहते थे । इसी कारण उन्होंने प्रजा

1955 में पृथक् समाजवादी दल स्थापित किया किन्तु 1964 में पुनः प्रजा तथा समाजवादी दल एक हो गये तथा नवीन दल का नाम संयुक्त समाज रखा गया।

समाजवादी दल के कांग्रेस से पृथक् होते हुए भी कांग्रेस ने अपना समाज-तिरोहित नहीं किया। नेहरू के नेतृत्व में समाजवादी समाज के आबड़ी-जयपुर अधिवेशन के लोकतान्त्रिक समाजवाद के प्रस्ताव तक तथा उसके पश्चात् द्वारा सम्पादित बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपस समाप्ति, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम आदि समाजवादी मार्ग की ओर भारत के बढ़ते हुए चरण हैं।

भारत के समाजवादी चिन्तकों में आचार्य नरेन्द्रदेव का विशेष स्थान उनकी गणना भारत के प्रमुख समाजवादी बुद्धिजीवियों तथा प्रचारकों में गांधीजी के घनिष्ठ समर्थक होते हुए भी विचारों से वे मार्क्सवादी थे। वे मार्क्स-भौतिकवाद में द्वन्द्ववाद का समर्थन करते थे किन्तु भौतिकवाद में उनकी भाँति वे वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि मार्क्सवाद करके एक नवीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। नरेन्द्रदेव पश्चिमी चिन्तन का गहरा प्रभाव पड़ा था। इस कारण वे नैतिक मूल्यों को महत्ता नैतिक समाजवाद में विश्वास करते थे। मार्क्सवादी होने के नाते वे इतिहास व्याख्या तथा पूँजीवाद की समाप्ति में विश्वास करते थे। मार्क्स के प्रचारक से प्रभावित हुए। वे बुद्धारिन के इस विचार से पूर्णतया सहमत थे कि केवल दो वर्ग—पूँजीपति तथा सर्वहारा ही नहीं होते अपितु अन्य कई वर्ग जैसे संक्रमण वर्ग तथा मिश्रित वर्ग आदि भी होते हैं।

नरेन्द्र देव एक ओर लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक थे तो दूसरी ओर संघर्ष के सिद्धान्त के भी। वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त के माध्यम से उन्होंने भारत में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया। सामान्य जनता में वर्ग-चेतना का लिए उनकी दृष्टि में निम्न मध्यमवर्ग तथा साधारण वर्ग में मधुर तन्मन्धो आवश्यक थी। वे लेनिन के इन विचारों से सहमत थे कि समाजवादी क्रान्ति के लिए देशों में ही नहीं अपितु साम्राज्यवाद प्रसिद्ध देशों में भी लायी जा सकती है। बुद्धिजीवियों के सहयोग से श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का प्रेरणा दे। वे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को आर्थिक आधार प्रदान कर उसका समाजीकरण थे। इसी कारण से उन्होंने समाजवादियों को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित का आह्वान किया। वे किसानों को समाजवादी विचारधारा से अनुप्राणित करना थे। उनका कृषक-पुनर्निर्माण का कार्यक्रम सहकारी समितियों के संगठन पर आधारित थे। वे कृषि को भी सहकारिता के आधार पर उन्नत करना चाहते थे तथा कृषकों के विकास के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था के पक्षपाती थे। वे गाँवों में लोकतान्त्रिक गण-के पक्ष में थे। इसी तरह श्रमिक-संगठनों का भी वे समर्थन करते थे। उनका श्रमिक-संगठनों द्वारा धाम हड़ताल कर दबाव टाँसने की पद्धति में पूर्ण विश्वास था। उन विचारों से यह पद्धति श्रमिकों का राजनीतिक महत्त्व बढ़ाती थी। इसी प्रकार मार्ग

दर्शन को मानववादी मानकर आचार्य नरेन्द्र देव ने समाजवादी किसान-प्रान्दोलन को भारत में एक नवीन दिशा दी ।

भारतीय समाजवादी चिन्तकों में जयप्रकाश नारायण की भी यगना की जाती है । कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में उनका पूर्ण योगदान रहा । वे गांधीजी के अनुयायी होते हुए भी मार्क्स के विचारों से अनुप्राणित रहे । इन पर भानुषेन्द्र नाथ राय के विचारों का भी पूरा प्रभाव पड़ा । फिर भी वे रूस की साम्यवादी सरकार के समर्थक नहीं बने । वे प्रजा समाजवादी दल के कर्णधार थे । बाद में वे सर्वोदय-प्रान्दोलन में लग गये । जयप्रकाश नारायण का समाजवादी दृष्टिकोण यह था कि वे समाजवाद को सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण का पूर्ण सिद्धान्त मानते थे । उनके अनुसार मनुष्य अपनी अन्तर्निहित क्षमताओं में समृद्ध नहीं होते । यह जैविक असमानता है जिसका निराकरण नहीं । किन्तु सामाजिक क्षेत्र में मनुष्यकृत असमानता का उन्होंने विश्लेषण किया तथा यह माना कि कुछ झुट्टी भर लोगों का वितरण व उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण होने के कारण दोष जनता निर्धनता, महंगाई तथा शोषण का शिकार बन जाती है । वे इस व्यवस्था को समाजवादी उपचार से ठीक करना चाहते थे । वे उत्पादन के साधनों के ममाजीकरण के तथा आर्थिक नियोजन के पक्ष में थे । वे राष्ट्रीय प्रान्दोलन में स्वयं अग्रगण्य रहे तथा अन्य समाजवादियों को भी इसके लिए प्रेरित किया । उनका यह विचार था कि बड़े-बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति से ही भारत का दारिद्र्य दूर हो सकता है । वे समाजवाद को भारतीय संस्कृति का सहगामी मानते थे । उनका यह विचार है कि समाजवाद के आर्थिक सिद्धान्तों का निर्माण अवश्य यूरोप में हुआ है किन्तु उसकी मूल भास्था का दर्शन प्रारम्भ से ही भारतीय संस्कृति में विद्यमान है । जयप्रकाश नारायण ने इस तरह समाजवाद का भारतीयकरण प्रस्तुत कर साम्यवादियों के रूसी मक्का-यदोना पर करारा व्यंग्य किया है ।

भारतीय कृषकों के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमि-सुधार तथा ग्रामसुधार योजनाएं प्रस्तुत की हैं । वे सहकारी सेती, ग्राम्य स्वायत्तता, किसानों का भूमि पर स्वामित्व, भूमि सम्बन्धी कानूनों आदि में आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में हैं । वे कृषि तथा उद्योगों में सन्तुलन बनाये रखना चाहते हैं । उनके विचारों से यह सन्तुलन कृषि के क्षेत्र में सहकारिता के द्वारा ही सम्भव है । वे एक और कृषि के व्यक्तिवादी आधार का अन्त करना चाहते हैं जो दूसरी ओर उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण । इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी विचारधारा का भारत में प्रसार कर उसे साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद से मुकाबला करने का अस्त्र बनाया ।

भारत के समाजवादी चिन्तन में एक और नाम प्रमुखता से लिया जाता है श्रीर वह है डा० राममनोहर लोहिया । लोहिया समाजवाद के भीषण प्रचारक थे । समाजवादी प्रान्दोलन को आगे बढ़ाने में उनका विदेश सहयोग था । वे सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने एक सच्चे गांधीवादी के रूप में गांधीवाद को समाजवादी चिन्तन में प्रमुखता देने का प्रयास भी किया । वे साम्यवाद के विरोधी थे । जहाँ आचार्य नरेन्द्रदेव तथा जयप्रकाश-नारायण मार्क्सवादी थे वहीं लोहिया पर गांधीवाद की अमिट छाप थी । वे समाजवादियों को मार्क्स तथा समाजवादी दल दोनों से दूर रखना चाहते थे । इसी कारण उन्होंने प्रजा

समाजवादी दल से सम्बन्ध-विच्छेद कर एक अलग समाजवादी दल की स्थापना की। वे साम्यवादियों की तरह भारी उद्योगों की स्थापना के पक्षपाती नहीं थे। उन्होंने कुटीर-उद्योगों तथा छोटे उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। पूंजीवाद के प्रसार तथा बेरोजगारी को रोकने का उनका यह अपना तरीका था। छोटी मशीनों तथा सहकारी श्रम के आधार पर भारत की आर्थिक समस्याओं का निदान उन्होंने प्रस्तुत किया। वे कृषकों तथा गांवों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विकेन्द्रित समाजवाद की स्थापना चाहते थे।

लोहिया ने एशियाई समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया। वे एशिया की समस्याओं को एशियाई तरीकों से हल करने के पक्षपाती थे। पश्चिम का अन्धानुकरण उन्हें पसन्द नहीं था। इसी तरह से मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार करते हुए भी लोहिया आत्मा व चेतना को आर्थिक उद्देश्यों में विलीन नहीं करना चाहते थे। वे वर्ग-संघर्ष को भी नवीन दृष्टि से देखते थे। उनका यह विश्वास था कि वर्ग-संघर्ष जातियों तथा वर्गों का संघर्ष था। इसी तरह इतिहास की भी स्थायी व्याख्या के स्थान पर वे इतिहास की चक्रवर्त्त गति मानते थे। वे पन्थवादी नहीं थे। वे यथार्थवादी थे और इसी कारण समाजवाद के पुरातन पन्थी चीले को दूर फेंक उन्होंने समाजवाद के साथ-साथ लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों को जीवित रखा। आर्थिक विपमता उन्हें पसन्द नहीं थी किन्तु वे राष्ट्रीयकरण की नीति को ही इसका एकमात्र हल नहीं मानते थे। व्यक्ति की स्वतन्त्रता के महान् समर्थक होने के कारण उन्होंने प्रशासनिक केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को विकेन्द्रीकरण के साथ समन्वित करने का आदेश भी प्रस्तुत किया है।

इस तरह भारत में समाजवादी चिन्तन वैज्ञानिक समाजवाद की जकड़ से मुक्त होकर सैद्धान्तिकता के स्थान पर व्यावहारिकता का हामी रहा है। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद को ढाल कर हमारे समाजवादी चिन्तकों ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। श्रमिकों तथा किसानों, मध्यमवर्ग तथा निम्नवर्ग सभी की समस्याओं का समाधान इसमें प्रस्तुत है। वर्ग-संघर्ष के साथ जाति-संघर्ष से मुक्ति का भी प्रयास इसमें सम्मिलित है। भारत की कृषि-प्रधानता एवं भारत की आवादी का बहुमत जो कि गांवों में बसता है—दोनों ही इन समाजवादी चिन्तकों के विचार बिन्दु रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय समाजवाद सामूहिकता के स्थान पर खंडशः नियोजन, केन्द्रीकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण आदि का समर्थक है। भारतीय समाजवाद हिंसा के स्थान पर अहिंसा, सर्वाधिकारवाद के स्थान पर लोकतन्त्रवाद को स्थापित करता है। यह मानसवाद तथा गांधीवाद का गुन्दर मामंजस्य प्रस्तुत करता है।

### विकेन्द्रीकरण

आधुनिक भारतीय चिन्तन में विकेन्द्रीकरण की अवधारणा सर्वोदय विचारधारा पर अत्यन्तम्बित है। सर्वोदयवाद के अधिष्ठाता गांधीजी ने ग्राम-स्वराज्य की विस्मृत किन्तु प्राचीन मान्यता को नवजीवन प्रदान किया। उनके देहावसान के पश्चात् विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण तथा अनेक गांधीवादियों ने "सर्व सेवा संघ" के माध्यम से "सर्वोदय-योजना" को क्रियान्वित करने का बीड़ा उठाया। सर्व सेवा-संघ के सर्वोदय कार्यकर्ताओं की टोली ने गांधीजी के मार्ग का अनुसरण करते हुए समस्त राजनीतिक प्रतीकों में दूर खू कर जन-सेवा का द्यत किया। विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी विचारों को जयप्रकाश नारायण



तथा विनोबा भावे का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1959 में बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप भारत में पंचायती राज का श्रीगणेश हुआ। यद्यपि पंचायतीराज व्यवस्था का प्रायोगिक स्वरूप विकेन्द्रीकरण की सर्वोदय की विचारधारा को प्रतिध्वनित करता है किन्तु दोनों में उतना ही अन्तर है जितना कि सैद्धान्तिक राजनीति एवं व्यावहारिक राजनीति में। सर्वोदयवादियों का विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी प्रचार आदर्शोन्मुख है। यह सतत प्रेरणा का प्रतीक है। यहाँ विकेन्द्रीकरण का केवल अवधारणात्मक विवेचन ही किया गया है।

विकेन्द्रीकरण केवल मात्र राजनीतिक आदर्श ही नहीं है। आर्थिक पक्ष भी विकेन्द्रीकरण में सन्निहित है। विकेन्द्रीकरण का राजनीतिक उद्देश्य जहाँ स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम्य स्वराज की स्थापना का रहा है वहाँ इसका आर्थिक मंतव्य पूंजी का विकेन्द्रीकरण एवं न्यासिता से स्पष्ट होता है। राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही अर्थों में विकेन्द्रीकरण की अवधारणा का अध्ययन अपेक्षित है। विनोबा भावे भारत के प्रत्येक गाँव को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। वे आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से ग्राम्य-स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण यह है कि स्थानीय स्तर पर प्रत्येक कार्य सर्वसम्मति से किया जाय। बहुमत पर आधारित लोकतन्त्र उन्हें रुचिकर नहीं लगता। सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय ही स्थानीय स्वशासन की जड़ें मजबूत कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के अभिनव प्रयोग द्वारा नवीन सामाजिक क्रांति आ सकती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने को शासन से सम्बन्धित मानते हुए अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति में जुट जाए। केन्द्रीय शासन-व्यवस्था का नियंत्रण एवं हस्तक्षेप टाला नहीं जा सकता किन्तु कम अवश्य किया जा सकता है। विकेन्द्रीकरण को आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित करने के लिए विनोबा ने ऐक और भूदान-आन्दोलन का संचालन किया और दूसरी ओर न्यासिता के गांधीजी द्वारा प्रतिपादित विचारों को "सर्वोदय पात्र" के छोटे से प्रयोग से प्रारम्भ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक भूमि रखने वालों के हृदय-परिवर्तन से भूमिहीन कृषकों की समस्या का समाधान ढूँढा गया है। अनेक परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इसी प्रकार न्यासिता की धारणा ने उन व्यक्तियों को जिनके पास आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु है उसका स्वेच्छिक दान करने की प्रेरणा दी है। सम्पन्न पूंजीपतियों, कृषकों एवं समाज के कुलीन वर्गों पर असहाय एवं दरिद्र जनता के उत्थान का भार है। सर्वोदय की यह प्रेरणा आर्थिक असमानता को दूर करने में हितकारी सिद्ध हो सकती है। पूंजी का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। चन्द व्यक्तियों के हाथ में पूंजी सिमट जाने पर शोषण का चक्र और भी त्वरित वेग से घूमता है। शासन के समस्त मूत्र जनता के हित में शिथिलता किन्तु पूंजीपतियों के लिए अभूतपूर्व उत्साह एवं तत्परता प्रदर्शित करने लगते हैं। यदि मार्क्स के बताये हुए मार्ग का अनुसरण न करना हो तो न्यासिता के द्वारा भी आर्थिक समानता का आदर्श प्राप्त हो सकता है। सर्वोदयवादियों ने आर्थिक विकेन्द्रीकरण के प्रश्न को समाजवाद एवं साम्यवाद के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है।

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में जयप्रकाशनारायण ने कुछ विचार प्रस्तुत किये हैं। उनके अनुसार भारत में अत्यधिक विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। भारत के

प्राचीन सामाजिक संगठन के अनुरूप क्षेत्रीय एवं व्यवसायात्मक समुदायों का उत्थान आवश्यक है। समाज का पुनर्गठन पिरामिड के सदृश किया जाय। ग्रामीण समुदाय को आधार मानकर उस पर क्षेत्रीय, जिला स्तरीय, प्रांतस्तरीय एवं राष्ट्रीय समुदायों को आधारित किया जाय। प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक भावना का संचार किया जाय और प्रत्येक स्तर अन्य स्तरों के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान की भावना के द्वारा सामान्य राष्ट्रीय चेतना से एकाकार हो। राष्ट्रीय स्तर एवं ग्रामीण स्तरों में तारतम्य रहे। स्थानीय ग्रामीण स्तर पर सर्वाधिक स्वतन्त्रता उद्भासित हो जबकि राष्ट्रीय स्तर पर केवल कतिपय राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों का प्रावधान रखा जाय। विकेन्द्रीकरण की इस योजना में सामाजिक संगठनों के स्वशासन पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। जयप्रकाश-नारायण के इस सामुदायिक लोकनीति के आदर्श ने ऐसे लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त किया है जिसमें राजनीतिक दलों की अहमन्यता एवं अवसरवादिता के लिए कोई स्थान नहीं। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के सदस्य के रूप में अपना अंशदान देते हुए समुदाय के अविभाज्य अंग के रूप में अपने आपको मानें। स्वतन्त्रता, आत्मगर्विता एवं स्वावलम्बन का उच्च आदर्श इसी सामुदायिक लोकनीति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

विकेन्द्रीकरण का राजनीतिक पक्ष केवल स्वशासन तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ राज्य की मान्यता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। जयप्रकाशनारायण एवं विनोबा भावे ने राज्य की शक्ति को सीमित करने तथा समाज को आंतरिक विषयों में अधिक शक्तिशाली बनाने का विचार प्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य राज्य-शक्ति के स्थान पर जनशक्ति को जागृत एवं प्रतिष्ठित करने का है। वे राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करना चाहते हैं ताकि राज्य शोषण का प्रतीक न रहकर सेवा का प्रतीक बन जाय। राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप ने मानवीय गरिमा एवं स्वतन्त्रता को हास्यास्पद बना दिया है। राज्य को सीमित करने के लिए विकेन्द्रीकरण की अवधारणा प्रकाश में आयी है ताकि शक्ति का केन्द्रीकरण राज्य को सर्वाधिकारवादी न बनादे। जयप्रकाशनारायण के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवादी, साम्यवादी तथा लोककल्याणकारी राज्यवादी सभी राज्यवाद से ग्रसित हैं। राज्य को राजनीतिक शक्ति का एकाधिकार देकर नागरिक की स्वतन्त्रता एवं संप्रभुता को केवल कामजी संविधान द्वारा सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। राजनीतिक एवं आर्थिक नौकरशाही के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उचित नियंत्रणों का विकास आवश्यक है। समाजवादी चिंतन में भी विकेन्द्रीकरण का महत्त्व बढ़ने लगा है फिर भी समाजवादी राज्य "लेवाया" बनकर व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का संकुचन करता है। इसके लिए सर्वोदय ही नवीन दिशा प्रदान कर सकता है। सर्वोदय ने राज्य की सुराई में बचने का मार्ग प्रस्तुत किया है। व्यक्तियों को अपना काम राज्य के बिना स्वयं करने का अभ्यस्त होना चाहिए ताकि राज्य की कम से कम आवश्यकता रह जाय। राज्य समाजवाद के स्थान पर लोक-समाजवाद की स्थापना की जाय। सर्वोदय इसी लोकतांत्रिक समाजवाद का उन्नत स्वरूप कहा जा सकता है।

विकेन्द्रीकरण का विचार स्वभावतः शासन के सबसे नीचे के स्तर से प्रारम्भ होता है। भारत में गाँवों की स्थिति शासन के निम्नतम स्तर की द्योतक है। प्राचीन काल में पंचायतों की व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की प्रथम कड़ी थी। इसी प्रकार के स्थानीय

स्वशासन को राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत पुनः जीवित किया गया है। भारत के गांव सामाजिक संगठनों की प्राथमिक इकाई हैं। लोकतांत्रिक दृष्टि से सामुदायिक जीवन का पहला अध्याय गांव से ही प्रारम्भ होता है जहाँ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ घुलमिलकर अपना जीवन व्यतीत करता है। ग्रामीण स्तर को शहरी स्तर से मिलाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान समय में गांव तथा शहर दोनों ही असंतुलित स्थिति में हैं। राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस असंतुलन को दूर करने के लिए कृषि-प्रधान औद्योगिक समुदायों का विकास आवश्यक है ताकि कृषि तथा उद्योगों का साथ-साथ विकास हो और गांव तथा शहरो का असंतुलन दूर किया जा सके। इस कार्य के लिए निर्वाचन-पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गयी है। विकेन्द्रीकरण का सही लाभ तब मिल सकता है जबकि व्यक्ति शासन कार्य से अपने आपको सम्बन्धित माने और स्वयं अपना शासन चलाये। जयप्रकाशनारायण के अनुसार स्वशासन का यह उद्देश्य राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण से ही प्राप्त हो सकता है। पाश्चात्य लोकतांत्रिक पद्धति में प्रतिनिध्यात्मक शासन इस कमी को दूर करने में असफल रहा है। इस कमी को दूर करने का एक ही मार्ग है और वह यह कि राजनीतिक दलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के स्थान पर जनता का सीधा प्रतिनिधित्व हो। दलविहीन लोकतन्त्र की स्थापना कर शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता को सम्बन्धित किया जा सके। सामाजिक पुनर्निर्माण का यही एक मात्र साधन है। स्थानीय समुदाय की सर्वोच्च राजनीतिक इकाई—ग्राम सभा ही जिसकी सदस्यता प्रत्येक वयस्क को प्राप्त हो। ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पंचों का चुनाव किया जाय। ग्राम पंचायत पंचायत समितियों से तथा पंचायत-समिति जिला-परिषदों से संयुक्त की जाय। जिला-परिषदें राज्य विधानसभाओं से समन्वित की जायें और विधान-सभाएं राष्ट्रीय पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करें। इस प्रकार निम्नतम स्तर पर प्रत्यक्ष और उसके पश्चात् अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की पूर्ण स्थापना हो सकती है। जयप्रकाशनारायण का यह भी सुझाव है कि चुनावों में जिला स्तर तक राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन जनता द्वारा किया जाना चाहिए न कि राजनीतिक दलों द्वारा। जनता की बढ़ती हुई भूमिका के साथ ही राजनीतिक दलों का महत्व घटता जायगा और दलविहीन लोकतन्त्र की स्थापना होकर रहेगी।

स्वराज जब तक जनता के निकट नहीं पहुंच जाता तब तक स्वतन्त्रता की चर्चा अर्थहीन ही दिखाई देती है। यद्यपि भारत में पंचायतीराज की स्थापना सफलतापूर्वक कर दी गयी है फिर भी जयप्रकाश नारायण इससे संतुष्ट नहीं दिखाई देते। उनके अनुसार लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि जनता को लोकतन्त्र का सहभागी बनने के लिए शिक्षित किया जाय। शिक्षा का समुचित विस्तार हो। राजनीतिक दलों को पंचायतीराज में हस्तक्षेप करने से दूर रखा जाय। स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियों से सम्पन्न किया जाय। पंचायतीराज-व्यवस्था के स्वतन्त्र निष्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर समुचित आर्थिक साधनों का प्रावधान कर अर्थ उपलब्ध कराया जाय। प्रशासकीय अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति वास्तविक रूप से उत्तरदायी बनाया जाय। जयप्रकाश नारायण इतने तक ही अपने विचारों को सीमित नहीं रखते। वे

प्राचीन सामाजिक संगठन के अनुरूप क्षेत्रीय एवं व्यवसायात्मक समुदायों का उत्थान आवश्यक है। समाज का पुनर्गठन पिरामिड के सदृश किया जाय। ग्रामीण समुदाय को आधार मानकर उस पर क्षेत्रीय, जिला स्तरीय, प्रातस्तरीय एवं राष्ट्रीय समुदायों को आधारित किया जाय। प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक भावना का संचार किया जाय और प्रत्येक स्तर अन्य स्तरों के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान की भावना के द्वारा सामान्य राष्ट्रीय चेतना से एकाकार हो। राष्ट्रीय स्तर एवं ग्रामीण स्तरों में तारतम्य रहे। स्थानीय ग्रामीण स्तर पर सर्वाधिक स्वतन्त्रता उद्भासित हो जबकि राष्ट्रीय स्तर पर केवल कतिपय राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों का प्रावधान रखा जाय। विकेन्द्रीकरण की इस योजना में सामाजिक संगठनों के स्वशासन पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। जयप्रकाश-नारायण के इस सामुदायिक लोकनीति के आदर्श ने ऐसे लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त किया है जिसमें राजनीतिक दलों की अहमन्यता एवं अवसरवादिता के लिए कोई स्थान नहीं। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के सदस्य के रूप में अपना अंशदान देते हुए समुदाय के अविभाज्य अंग के रूप में अपने आपको मानें। स्वतन्त्रता, आत्मगर्विता एवं स्वावलम्बन का उच्च आदर्श इसी सामुदायिक लोकनीति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

विकेन्द्रीकरण का राजनीतिक पक्ष केवल स्वशासन तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ राज्य की मान्यता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। जयप्रकाशनारायण एवं विनोबा भावे ने राज्य की शक्ति को सीमित करने तथा समाज को आंतरिक विषयों में अधिक शक्तिशाली बनाने का विचार प्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य राज्य-शक्ति के स्थान पर जनशक्ति को जागृत एवं प्रतिष्ठित करने का है। वे राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करना चाहते हैं ताकि राज्य शोषण का प्रतीक न रहकर सेवा का प्रतीक बन जाय। राज्य के बढ़ते हुए हस्तशेष ने मानवीय गरिमा एवं स्वतन्त्रता को हास्यास्पद बना दिया है। राज्य को सीमित करने के लिए विकेन्द्रीकरण की अवधारणा प्रकाश में आयी है ताकि शक्ति का केन्द्रीकरण राज्य को सर्वाधिकारवादी न बना दें। जयप्रकाशनारायण के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवादी, साम्यवादी तथा लोककल्याणकारी राज्यवादी सभी राज्यवाद से प्रसित हैं। राज्य को राजनीतिक शक्ति का एकाधिकार देकर नागरिक की स्वतन्त्रता एवं संप्रभुता को केवल कागजी संविधान द्वारा सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। राजनीतिक एवं आर्थिक नीकरशाही के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उचित नियंत्रणों का विकास आवश्यक है। समाजवादी चिंतन में भी विकेन्द्रीकरण का महत्त्व बढ़ने लगा है फिर भी समाजवादी राज्य "लेवायों" बनकर व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का संकुचन करता है। इसके लिए सर्वोदय ही नवीन दिशा प्रदान कर सकता है। सर्वोदय ने राज्य की बुराई से बचने का मार्ग प्रस्तुत किया है। व्यक्तियों को अपना काम राज्य के बिना स्वयं करने का अभ्यस्त होना चाहिए ताकि राज्य की कम से कम आवश्यकता रह जाय। राज्य समाजवाद के स्थान पर लोक-समाजवाद की स्थापना की जाय। सर्वोदय इसी लोकतांत्रिक समाजवाद का उन्नत स्वरूप बना जा सकता है।

विकेन्द्रीकरण का विचार स्वभावतः शासन के मूलमें नीचे के स्तर से प्रारम्भ होता है। भारत में गांधी की स्थिति शासन के निम्नतम स्तर की द्योतक है। प्राचीन काल में पंचायतों की व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की प्रथम कड़ी थी। इसी प्रकार के स्थानीय

स्वशासन को राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत पुनः जीवित किया गया है। भारत के गांव सामाजिक संगठनों की प्राथमिक इकाई हैं। लोकतान्त्रिक दृष्टि से सामुदायिक जीवन का पहला अध्याय गांव से ही प्रारम्भ होता है जहाँ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ घुलमिलकर अपना जीवन व्यतीत करता है। ग्रामीण स्तर को शहरी स्तर से मिलाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान समय में गांव तथा शहर दोनों ही असंतुलित स्थिति में हैं। राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस असंतुलन को दूर करने के लिए कृषि-प्रधान औद्योगिक समुदायों का विकास आवश्यक है ताकि कृषि तथा उद्योगों का साथ-साथ विकास हो और गांव तथा शहरों का असंतुलन दूर किया जा सके। इस कार्य के लिए निर्वाचन-पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गयी है। विकेन्द्रीकरण का सही लाभ तब मिल सकता है जबकि व्यक्ति शासन कार्य से अपने आपको सम्बन्धित माने और स्वयं अपना शासन चलाये। जयप्रकाशनारायण के अनुसार स्वशासन का यह उद्देश्य राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण से ही प्राप्त हो सकता है। पाश्चात्य लोकतान्त्रिक पद्धति में प्रतिनिध्यात्मक शासन इस कमी को दूर करने में असफल रहा है। इस कमी को दूर करने का एक ही मार्ग है और वह यह कि राजनीतिक दलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के स्थान पर जनता का सीधा प्रतिनिधित्व हो। दलविहीन लोकतन्त्र की स्थापना कर शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता को सम्बन्धित किया जा सके। सामाजिक पुनर्निर्माण का यही एक मात्र साधन है। स्थानीय समुदाय की सर्वोच्च राजनीतिक इकाई—ग्राम सभा हो जिसकी सदस्यता प्रत्येक वयस्क को प्राप्त हो। ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पंचों का चुनाव किया जाय। ग्राम पंचायत पंचायत समितियों से तथा पंचायत-समिति जिला-परिषदों से संयुक्त की जाय। जिला-परिषदें राज्य विधानसभाओं से समन्वित की जायें और विधान-सभाएं राष्ट्रीय पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करें। इस प्रकार निम्नतम स्तर पर प्रत्यक्ष और उसके पश्चात् अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की पूर्ण स्थापना हो सकती है। जयप्रकाशनारायण का यह भी सुझाव है कि चुनावों में जिला स्तर तक राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन जनता द्वारा किया जाना चाहिए न कि राजनीतिक दलों द्वारा। जनता की बढ़ती हुई भूमिका के साथ ही राजनीतिक दलों का महत्व घटता जायगा और दलविहीन लोकतन्त्र की स्थापना होकर रहेगी।

स्वराज जब तक जनता के निकट नहीं पहुँच जाता तब तक स्वतन्त्रता की चर्चा अर्थहीन ही दिखाई देती है। यद्यपि भारत में पंचायतीराज की स्थापना सफलतापूर्वक कर दी गयी है फिर भी जयप्रकाश नारायण इससे संतुष्ट नहीं दिखाई देते। उनके अनुसार लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि जनता को लोकतन्त्र का सहभागी बनने के लिए शिक्षित किया जाय। शिक्षा का समुचित विस्तार हो। राजनीतिक दलों को पंचायतीराज में हस्तक्षेप करने से दूर रखा जाय। स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियों से सम्पन्न किया जाय। पंचायतीराज-व्यवस्था के स्वतन्त्र निष्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर समुचित आर्थिक साधनों का प्रावधान कर अर्थ उपलब्ध कराया जाय। प्रशासकीय अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति वास्तविक रूप से उत्तरदायी बनाया जाय। जयप्रकाश नारायण इतने तक ही अपने विचारों को सीमित नहीं रखते। वे

एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि स्वशासन में वर्गभेद भ्रष्टाचार की अपेक्षा मनोमालिन्य के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वे ग्राम-पंचायत के निर्वाचन सर्वसम्मति से कराने के पक्ष में हैं ताकि ग्रामीण समुदाय की शान्ति एवं सौहार्द्रता समाप्त न हो जाय। समस्त शासकीय नियमों की एक पंचायतराज-आयोग के द्वारा अनुवीक्षा की जाय। इस कार्य से नौकरशाही को दूर रखा जाय। इस प्रकार उनका उद्देश्य गांव से केन्द्रीय स्तर तक विकेन्द्रित शासन-व्यवस्था स्थापित करने का है। उनके विचार प्रेरणादायी होते हुए भी व्यावहारिक नहीं कहे जा सकते। राजनीतिक दलों द्वारा शक्ति का स्वैच्छिक त्याग सम्भव नहीं लगता।

विकेन्द्रीकरण की उपर्युक्त राजनीतिक योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि तदनुरूप आर्थिक विकेन्द्रीकरण का विचार भी उपलब्ध हो। वर्तमान आर्थिक आयोजन लोकतांत्रिक होते भी जनहितकारी नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने इस दुविधा का निराकरण एक नवीन आर्थिक योजना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार उत्पादन, वितरण एवं विनिमय के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी साम्यवादी देशों में आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना नहीं हो सकी है। राष्ट्रीयकरण की नीति के नाम पर आर्थिक अधिनायकतंत्र एवं आर्थिक शोषण का नया रूप सामने आया है। जयप्रकाश छोटी मशीनों तथा श्रम-प्रधान अर्थव्यवस्था के पक्ष में हैं। वे राष्ट्रीय योजना के स्थान पर क्षेत्रीय योजना एवं सर्वेक्षण का समर्थन करते हैं ताकि एक क्षेत्र के साधनों का उसी क्षेत्र में तथा बाहुल्य होने पर दूसरे क्षेत्र में प्रयोग किया जा सके। इसी प्रकार से ग्रामीण उद्योगीकरण का कार्यक्रम प्रयोग में लाया जाय ताकि कृषि एवं उद्योगों का समन्वय हो सके। विकेन्द्रित उद्योगों की व्यवस्था को नौकरशाही तथा शोषण से दूर रखा जाना आवश्यक है। पंचायतीराज के माध्यम से इस नवीन आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाय। जयप्रकाश की विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था केवल लोकतंत्र को संरक्षित करने के लिए ही नहीं अपितु जनसमुदाय को प्रत्यक्ष आर्थिक हित पहुँचाने के लिए प्रस्तुत की गई है। इस योजना द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है और धन का इतना उत्पादन हो सकता है कि उसका जनता में विस्तृत वितरण हो सके। वे भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं से इस कारण से संतुष्ट नहीं हैं कि योजनाओं ने राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर्शायी है किन्तु जनसाधारण आज भी बेकारी, भुजमरी तथा गरीबी में पिरा हुआ है। जब तक सामान्यजन को आर्थिक लाभ प्राप्त न हो तब तक आर्थिक नियोजन की निरुद्देश्यता ही प्रकट होगी। जयप्रकाश आर्थिक व्यवस्था का मानवीकरण कर रोटी-रोजी की समस्या को ग्रामीण-उद्योगीकरण द्वारा दूर करना चाहते हैं। वे समाजवादी, मार्क्सवादी, साम्यवादी अथवा अराजकतावादियों के अर्थतन्त्र की जनता के बर्तों या निवारक नहीं मानते। वे फ्रांस की "कम्यूनिटीज ऑफ बर्क", इजरायल के "किबूत्सिम" तथा भारत के "ग्रामदान" गांवों से प्रेरणा प्राप्त करने का आह्वान करते हैं। समाजवाद, सर्वोपेय तथा लोकतन्त्र का सम्मिश्रण, जो कि आर्थिक एवं राजनीतिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित हो, विश्व की अभाव पीड़ित एवं गौपित जनता को नवीन जीवन-ज्योति देने में समर्थ है।

# ग्रन्थ सूची

## खण्ड 1

### अध्याय 1—आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन

- अप्पादोराय, ए. : पोलिटिकल आइडियाज इन माडर्न इंडिया : इंपैक्ट ओफ  
बी वेस्ट, एकेडेमिक बुक्स, बम्बई, 1971
- " " : डोक्यूमेंट्स आन पोलिटिकल पाठ इन माडर्न इण्डिया,  
2 भाग, आक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, 1973
- " " : इंडियन पोलिटिकल थिंकिंग : फ्रॉम नौरोजी टु नेहरू,  
आक्सफर्ड, बम्बई, 1972

अमीर अली, सैयद : दी स्पिरिट आफ इस्लाम ओर दी साइफ एण्ड टॉचिंग्स  
आफ मोहम्मद, लाहिड़ी, कलकत्ता, 1902

अम्बेडकर, बी. आर. : थोट्स ओन लिगविस्टिक स्टेट्स, धीरंगाबाद, 1955

अमोरी डी. रेनकोर्ट : दी सोल आफ इंडिया, हांपर एण्ड ब्रदर्स, न्यूयार्क, 1960

श्री अरविन्द : ओन हिश्तेल्फ एण्ड ओन बी मबर, पांडिचेरी, 1953

अलबिरुनी, ए. एच. : मेकर्स आफ पाकिस्तान एण्ड मोडर्न मुस्लिम इंडिया, अशरफ,  
लाहौर, 1950

अली, रहमत : दी मिल्लत आफ इस्लाम एण्ड बी भीनेस आफ इंडियनिज्म,  
हैफर, कैम्ब्रिज, 1940

अहमद, खान ए. : बी फाउंडर आफ पाकिस्तान, हैफर, कैम्ब्रिज, 1942

अहलूवालिया, एम. ए. : फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया (1858-1909), एराजीत  
प्रिन्टर्स, दिल्ली, 1965

भागवत, डेनियल : मोडरेट्स एण्ड एक्सट्रीमिस्ट्स इन बी इंडियन नेशनलिस्ट  
मूवमेन्ट, एशिया, बम्बई 1967

भाजाद, मोलाना अ. क. : इंडिया विन्स फ्रीडम, प्रोरियंट लॉगमेन्स, बम्बई, 1959

\_\_\_\_\_ : आटोबायोग्रेफि आफ गितेपे गैरिबाल्डी, 3 भाग, स्मिथ एण्ड  
ऐनीज, लन्दन, 1889

भायंगर, के. आर. श्रीनिवास : श्री अरविन्द : ए बायोग्रेफि एण्ड ए हिस्ट्री, 2 भाग, पांडि-  
चेरी, 1972

" " : इंडियन राइटिंग्स इन इंगलिस, एशिया, बम्बई, 1973

- आत्मप्राण, परिव्राजिका : आत्त मेन आर श्रवसं (यूनेस्को), ओरियंट लॉगमेन्स, बम्बई, 1959
- आटोबायोग्राफी ओफ सर सी. शंकरन नैय्यर, लंडी माधवन नैय्यर, मद्रास, 1966
- इंद्रप्रकाश : हिन्दू महासभा : इट्स कन्ट्रीग्रुशन टु इंडियाज पोलिटिक्स, लक्ष्मी प्रेस, दिल्ली, 1966
- इमाम, जफर : कोलोनिअलिज्म इन ईस्ट वेस्ट रिलेशन्स, ईस्टमेन पब्लि., नई दिल्ली, 1966
- डी इंडियन नेशन बिल्डर्स, भाग 1, गणेश एण्ड कं., मद्रास, ति. र.
- उपाध्याय, गंगाप्रसाद : डी ओरीजिन, स्कोप एण्ड मिशन आफ डी आर्य समाज, इलाहाबाद, 1954
- " " : डी साइट आफ ट्रुथ : इंगलिश ट्रान्सलेशन आफ स्वामी ध्यानन्दस सत्यार्थप्रकाश, कलाप्रेस, इलाहाबाद, 1956
- एन्ड्र्यूज, सी. एफ. तथा मुखर्जी : डी राईज एण्ड प्रोग्रेस ओफ कांग्रेस इन इंडिया, मोनाशी प्रकाशन, मेरठ 1967
- एन्ड्र्यूज, सी. एफ. : डी इंडियन प्रोब्लम, नटेशन, मद्रास, 1920
- ऐश, ज्योफ़े : गांधी ए स्टडी इन रिवोल्यूशन, एशिया, बम्बई 1968
- एदीब, हालिद : इनसाइड इंडिया, ऐलन एण्ड अनविन, लन्दन, 1937
- एम्ब्री, एनस्ली : 1857 इन इंडिया: र्भ्यूटनी ओर दार ओफ इंडिपेन्डेन्स, हीय एण्ड को, वोस्टन, 1963
- भोकाकुरा, कारूजो : डी आइडियल्स आफ डी ईस्ट, जोनमर्रे, लन्दन, 1920
- भोडायर, सर माइकेल : इंडिया एज आई न्यू इट : 1885-1925, फोन्स्टेबल, लंदन, 1925
- भोयरस्ट्रीट तथा विडमिलर : कम्पूनिज्म इन इंडिया, पेरेनियल प्रेस, बम्बई, 1960
- भोर्ती, पीएट्रो : केथूर : एण्ड डी मेकिंग आफ माइनें इटैली : 1810-1861, पुटनेम्स सन्स, लन्दन, 1914
- करंदिकर, एस. एल. : लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक : डी हरकपूतिस एण्ड प्रोमिथ्यूस आफ माइनें इंडिया, पूना, तिथि रहित
- करुणाकररण, के. पी. : कन्ट्रीन्यूटि एण्ड चेन्ज इन इंडियन पोलिटिक्स, पी. पी. एन. नई दिल्ली, 1964
- करुणाकररण, के. पी. (सम्पा.) : माइनें इंडियन पोलिटिकल ट्रेडिशन, एनाइट पब्लिशिंग नई दिल्ली, 1962
- " " : रिसेगन एण्ड पोलिटिक्स एथेरनिंग इन इंडिया, मोनाशी प्रकाशन, मेरठ, 1966



- : कम्प्लोट वक्सं आफ स्वामी विवेकानन्द, 7 खण्ड, भद्रैत  
भाश्रम, भलमोड़ा, 1950, 6 वां खण्ड, 1951
- कबीर, हुमायूँ : मुस्लिम पोलिटिक्स (1906-1942), गुप्ता रहमान गुप्ता,  
कलकत्ता, 1944
- करमरकर, डी. पी. : बाल गंगाधर तिलक, पोपुलर बुक डिपो, बम्बई, 1956
- कानिक, वी. बी. : इंडियन ट्रेड यूनियन्स, मानकटलाज, बम्बई, 1966
- : दी कांफ्रेस स्प्लिट, नगेन्द्र वक्सं, कलकत्ता, 1908
- ब्लार्क, विलियम (सम्पा.) : एसेज : सिलेक्टेड फ्रोम दी राइटिंग्स, लिटेरेरी, पोलिटिकल  
एण्ड रिलीजस आफ जोसेफ मस्सीनी, वाल्टर स्काट, लंदन,  
1887
- : कांफ्रेस प्रेसिडेन्शियल एड्रेसेज (दो सीरीज), जी. ए.  
नटेसन, मद्रास, 1917 तथा 1934
- कीर, धर्मंजय : लोकमान्य तिलक : फावर आफ वी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल,  
पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1969
- ” वीर सावरकर, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1966
- ” डा. अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन, पोपुलर प्रकाशन,  
बम्बई, 1971
- कोय, ए. बी. : स्पीचेज एण्ड डोक्यूमेंट्स आन इंडियन पोलीसी, 2 खण्ड,  
भाक्सफर्ड, लंदन 1922
- कुलकर्णी, वी. बी. : इंडिया एण्ड पाकिस्तान : ए हिस्टोरिकल सर्वे आफ हिन्दू  
मुस्लिम रिलेशन्स, जेकको पब्लि० हाऊस, बम्बई, 1973
- कुमारास्वामी, आनन्द : स्पिरोचुअल आधोरिटी एण्ड टेम्पोरल पावर इन दी इंडियन  
थ्योरी आफ गवर्नमेंट, अमेरिकन ओरियंट सोसाइटी,  
न्यू हेवन, 1942
- कुर्रन, जे. ए. (जुनि.) : मिलिटेंट हिन्दुइज्म इन इंडियन पोलिटिक्स : ए स्टडी आफ  
दी आर. एस. एस., इंस्टीट्यूट आफ पब्लि. रिलेशन्स,  
न्यूयार्क, 1951
- कूपलैंड, रेजिनल्ड : वी इंडियन प्रोग्राम (1933-1935), भाक्सफर्ड युनि. प्रेस,  
लन्दन, 1942
- केडोगन, एडवर्ड : वी इंडिया वी सॉ, जोनमर्ने, लन्दन, 1933
- केशवमूर्ति : श्री अरविंद : दी होप आफ मैन, दीप्ति पब्लिकेशन,  
पाडिचेरी, 1969
- कोटमेन, जे. : ईयर्स आफ रेस्टिनी : इंडिया (1926-1932), जोनापन  
केप, लन्दन, 1932
- ” ” : दी रोड टु सेल्फ गवर्नमेंट (1908-1942), एलन एण्ड  
सनविन, लन्दन, 1942
- कॉटन, सर हेनरी : न्यू इंडिया, केगनपाल, लंदन, 1904

- कोकर, फ्रांसिस : रीसेन्ट पोलिटिकल घाट, वर्ल्ड प्रेस, कनकता, 1957
- कोहन, हन्स : ए हिस्ट्री आफ नेशनलिज्म इन दी ईस्ट, जार्ज रुटेलेज एण्ड सन्स, लन्दन, 1929
- कौशिक, के. डी. : दी कांफ्रेंस आईडियोलॉजी एण्ड प्रोग्राम 1920-47, एलाइड, बम्बई, 1964
- कृपलानी, जे. बी. : गांधी : हिज लाइफ एण्ड घाट, पब्लि. डिबीजन, नई दिल्ली, 1970
- कृष्णा, के. बी. : दी प्रोब्लम आफ माइनोरिटीज, जोर्ज एलन एण्ड अनविन, लन्दन, 1939
- कृष्णदास : सेवन मॅन्स विय महात्मा गांधी, नवजीवन, अहमदाबाद, 1951
- खरे, एस. बी. (सम्पा) : होमेज टू दी डिपार्टेड बाई एम. के. गांधी, नवजीवन, अहमदाबाद, 1958
- खरे, पी. एस. : दी प्रोथ आफ प्रॅस एण्ड पब्लिक ओपीनियन इन इंडिया : 1857-1918, पीयूष प्रकाशन, इलाहाबाद, ति. र..
- गिल्बर्ट, मार्टिन : सर्वेन्ट ओफ इंडिया—सर जेम्स डनलप स्मिथ, लॉगमॅन्स, लन्दन, 1966
- ग्रिफिथ्स, सर परसीवाल : दी ब्रिटिश इम्पॅक्ट ओन इंडिया, मैकडोनाल्ड, लन्दन, 1952
- गुस्टाफसन तथा जोन्स : सोसॅच ओन पंजाब हिस्ट्री, मनोहर बुक सर्विस, दिल्ली, 1975
- गुहा, अरूणचन्द्र :: फस्ट स्पार्क आफ रिवोल्यूशन, आरियन्ट लॉगमॅन्स, नई दिल्ली, 1971
- गुहा, ए. सी. (सम्पा.) : दी स्टोरी आफ इंडियन रिवोल्यूशन, अलाइड, बम्बई, 1972
- गुप्ता, ए. सी. ( " ) : स्टडीज इन बॅंगाल रिनातां, जादवपुर, 1958
- गुप्ता, डी. सी. : इंडियन नेशनल मूवमेंट, विकास, दिल्ली, 1970
- गॅरेट, जी. टी. : एन इंडियन कमेंटरी, बटलर एण्ड टेनर, लन्दन, 1918
- गोपा, के. एल. : फ्रेन्ड्स एण्ड फोज, इंडिया बुक कम्पनी, नई दिल्ली, 1974
- गोपालकृष्णैया, डी. : दी पिल्ग्रिम्स मार्च : देपर मेसेजेज, गंगेश, मद्रास, 1921 (सम्पा.)
- गोडन, लियोनार्ड : बंगाल : दी नेशनलिस्ट मूवमेंट : 1876-1940, मनोहर, नई दिल्ली, 1974
- गोयल, घो. पी. : स्टडीज इन मोडर्न इंडियन पोलिटिकल थोट, रिनाव मद्रास, इलाहाबाद, 1964
- गोवर, बी. एल. : ए डोक्ट्रीनेटरी स्टडी ओफ ब्रिटिश पार्लिमेण्टरी इंडियन नेशनलिज्म, नेशनल पब्लि., दिल्ली, 1967

- गंगाधरन, के. के. (सम्पा.) : इंडियन नेशनल कौंसिलनेस—ग्रोथ एण्ड डेवलपमेन्ट, कलकत्ता प्रकाशन, नई दिल्ली, 1972
- घोष, शंकर : दी वेस्टर्न इम्पेक्ट आन इंडियन पोलिटिक्स, अलाइड, बम्बई, 1967
- ” ” : दी रिनासां डु मिलिटेन्ट नेशनलिज्म इन इंडिया, अलाइड, बम्बई, 1969
- ” ” : सोशलिज्म एण्ड कम्यूनिज्म इन इंडिया, अलाइड, बम्बई, 1971
- ” ” : पोलिटिकल आइडियाज एण्ड मूवमेन्ट्स इन इंडिया, अलाइड, बम्बई, 1975
- घोष, अजय : भगर्तसिंह एण्ड हिज कोमरेड्स, पी. पी. एच., बम्बई, 1945
- घोष, पी. सी. : इंडियन नेशनल कांग्रेस (1892-1909), फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1960
- चक्रवर्ती तथा भट्टाचार्य : कांग्रेस इन इवोल्यूशन-ए कलेक्शन ओफ कांग्रेस रिजोल्यूशन फ्रॉम 1895-1934 एण्ड अदर इम्पोर्टेन्ट डोक्यूमेंट्स, 2 भाग, दी बुक कम्पनी, कलकत्ता, 1935-1940
- चतुर्वेदी, सीताराम : मदनमोहन मालवीय, पब्लि० डिबीजन, नई दिल्ली, 1972
- चिन्तामणी, सी. वाई. : इंडियन पोलिटिक्स सिन्स दी म्यूटिनी, आंध्र यूनीवर्सिटी, वाल्टेयर, 1937
- चौधरी, बी. एम. : मुस्लिम पोलिटिक्स इन इंडिया, थोरियन्ट बुक कम्पनी, कलकत्ता, 1946
- चौधरी, खलीकुज्जमा : पायथे टू पाकिस्तान, लॉगमैस, लाहौर, 1961
- चौधरी, सुखवीर : पेजेन्ट्स एण्ड बर्कस मूवमेन्ट इन इंडिया: 1905 टू 1929, पीपुल्स पब्लि. हाऊस, नई दिल्ली, 1971
- जकारियास, एच. सी. ई. : रिनेसेन्ट इंडिया, एलन एण्ड अर्नविन, लन्दन, 1933
- जकारिया, रफ़ीक : राइज आफ मुस्लिम्स इन इंडियन पोलिटिक्स, सोमैया, बम्बई, 1970
- जगदीशान, टी. एन. (सम्पा.) : एशिया, बम्बई, 1963
- जयकर, एम. आर. : दी स्टोरी आफ माई साइफ, 2 भाग, एशिया, बम्बई, 1958
- जोग, एन. जी. : लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पब्लि. डिबीजन, नई दिल्ली, 1970
- जोन्स, केनेथ : आर्य धर्म : हिन्दू कौंसिलनेस इन नाइन्टीन्थ सेंचुरी पंजाब, कैलिफोर्निया युनि. प्रेस, बर्कले, 1976
- झा, मनोरंजन : केथेरीन मेयो एण्ड इंडिया, पी. पी. एच., नई दिल्ली, 1971

- भा, एम. एन. : माडर्न इंडियन पोलिटिकल घाट, मीनासी, मेरठ, 1975
- टोपा, आई. एन. : दी प्रोय एण्ड डेवलपमेन्ट आफ नेशनलिस्ट घाट इन इंडिया, आगस्टीन, हैम्बर्ग, 1928
- " " : साइड लाइट्स आन दी प्रोब्लम आफ इंडियन नेशनलिटी, इलाहाबाद ला जर्नल प्रेस, इलाहाबाद, 1933
- टंडन, प्रकाश : पंजाबी सेन्चुरी 1847-1947, चेटो विन्डस, लन्दन, 1961
- डाक्टर, आदी एच. : सर्वोदय : ए पोलिटिकल एण्ड इकोनोमिक स्टडी, एशिया, बम्बई, 1967
- डेश, एस. सी. : पंडित गोप बन्धु, गोपबन्धु साहित्य मंदिर, कटक, 1964
- डोडवेल, एच. एच.  
(सम्पा.) : दी कॅम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, एस. चन्द, दिल्ली, 1958
- ताराचन्द : हिस्ट्री आफ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, 4 भाग, नई दिल्ली, 1961, 1972
- तेन्दुलकर, डी. सी. : महात्मा, 8 भाग, भवेरी एण्ड तेन्दुलकर, बम्बई, 1952
- " " : अब्दुल गफार खाँ, गांधी पीस फाउंडेशन, दिल्ली, 1967
- तैयबजी, बद्रुद्दीन : दी सेल्फ इन सेक्यूलरिज्म, ओरियन्ट लॉगमेन्स, बम्बई, 1971
- याम्पसन तथा गैरेट : राइज एण्ड फुलफिलमेंट आफ ब्रिटिस हल् इन इंडिया, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1969
- दयानन्द सरस्वती : सत्यार्थप्रकाश, वैदिक यंत्रालय, अजमेर
- दत्त, रजनी पाम : इंडिया टू डे, पी. पी. एच., बम्बई, 1947
- दास, एम. एन. : इंडिया अन्डर मोर्ले एण्ड मिन्टो, जोर्ज एलन एण्ड अनविन, लन्दन, 1964
- दास, मनोज : थो अरविन्द इन दी फास्ट डेकेड ओफ दी सेन्चुरी, थी अरविन्द आश्रम, पांटीचेरी, 1972
- द्वारकादास, कानजी : इंडियाज, फाइट फोर फ्रीडम, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1966
- दीक्षित, प्रभा : कम्यूनलिज्म—ए स्ट्रगल फोर पावर, ओरियन्ट लॉगमेन्स, नयी दिल्ली, 1974
- दुबोर्ड, एने : हिन्दू मेनस, कस्टम्स एण्ड सेरेमनीज, घोक्सफर्ड, 1906
- दुर्गानी, एफ. के. घान : बी स्पूचर ओफ इस्लाम इन इंडिया, इनयान एकेडेमी लाहौर, 1926
- " " : दी भीनिंग ओफ पाकिस्तान, अजरफ, लाहौर, 1946
- दुर्गादास : इंडिया फ्रीम कर्जेंट टू नेहरू एन्ड आपटर, बोनिना, मन्गन, 1969
- देसाई, ए. धार. : रीगेड ट्रेन्ड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, पोपुलर बुक डिपो, बम्बई, 1960

- देसाई, ए. आर. : सोशल बेकग्राउण्ड ओफ इंडियन नेशनलिज्म, पोपुलर बुक डिपो, बम्बई, 1959
- देवगिरिकर, टी. आर. : गोपालकृष्ण गोखले, पब्लि. डिवीजन, नई दिल्ली, 1959
- देवल, जी. एस. : बी रोल ओफ बी गवर्न पार्टी इन बी नेशनल मूवमेन्ट, स्टर्लिंग, दिल्ली, 1969
- ” ” : शहीब भगतसिंह—ए बायोग्राफी, पंजाबी यूनीवर्सिटी, पटियाला, 1969
- देशबन्धु चित्तरंजनदास : श्रीफ सर्वे ओफ लाइफ एण्ड वर्क, राजन सेन, कलकत्ता, 1927
- धर्मवीर : लाला हरदयाल एण्ड रिवोल्यूशनरी .मुवमेंट्स आफ हिज टाइम्स, इंडियन बुक एजेंसी, नई दिल्ली, 1970
- नटराजन, एस. : ए सेन्चुरी आफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, एशिया, बंबई, 1959
- नागर, पुरुषोत्तम : लाला लाजपतराय : दी मेन एण्ड हिज आइडियाज़, मनोहर, नई दिल्ली, 1977
- नागरकर, बी. बी. : जेनेसिस आफ पाकिस्तान, एलाइड, बम्बई, 1975
- नायडू, सरोजिनी : मोहम्मद अली जिन्ना : एन अम्बेसडर आफ यूनीटी : हिज स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स : 1912-1917, गणेश, मद्रास, 1918
- निरोद बरन, : टाक्स विय थ्री अरविन्द, थ्री अरविन्द पाठ मन्दिर, कलकत्ता, 1960
- निज्जर, बी. एस. : पंजाब अंडर बी ब्रिटिश रूल, 2 खंड, के. बी. पब्लि. नई दिल्ली, 1974
- नेहरू, जवाहरलाल : एन आटोबायोग्रेफी, एलाइड, बम्बई, 1962
- ” ” : दी डिस्कवरी आफ इंडिया, मेरीडियन, लन्दन 1960
- नेविनसन, एच. डब्ल्यू : बी न्यू स्विफ्ट इन इंडिया, हापर ब्रदर्स, लन्दन, 1908
- नोमान, मोहम्मद : मुस्लिम इंडिया, किताबिस्तान, इलाहाबाद, 1942
- नोरोजी, दादाभाई : पायर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, स्वान शोनेनसीन, लन्दन, 1901
- नंदा, बी. आर. तथा जोशी, पी. सी. : स्टडीज इन माडर्न इंडियन हिस्ट्री, प्रोरियन्ट लॉगमेन्स, नई दिल्ली, 1972
- पण्डितकर, के. एम. : ए सर्वे आफ इंडियन हिस्ट्री, एशिया, बम्बई, 1954
- ” ” : बी स्टेट एण्ड बी सिटिजन, एशिया, बम्बई, 1956
- ” ” : कास्ट एण्ड डिमोक्रेसी, होगार्थ प्रेस, लन्दन, 1933
- पण्डितकर तथा प्रसाद (सम्पा.) : बी वोट्स आफ फ्रीडम, एशिया, बम्बई, 1961

- पलान्डे, एम. आर. : सोसॅ मेटोरियल फोर ए हिस्ट्री आफ् दी फ्रीडम मूवमेंट  
(सम्पा.) इन इंडिया, बम्बई, 1953
- पटेल, गोवर्धनभाई : विट्ठलभाई पटेल : साइफ एण्ड टाइम्स, 2 खंड, बम्बई,  
1960
- प्रभू, आर. के. (सम्पा.) : एन एन्थोलोजी आफ् मोडर्न इंडियन एलोकवेन्स, भारतीय  
विद्या भवन, बम्बई, 1960
- प्रधान, आर. जी. : इंडियाज स्ट्रगल फोर स्वराज, नटेशन, मद्रास, 1930
- प्रसाद, बेनी : इंडियाज हिन्दू मुस्लिम रिलेशन्स, जोर्ज एलन एण्ड  
अनविन, लन्दन, 1946
- प्रसाद, बिशेष्वर : चॅजिंग मोडर्न आफ् इंडियन नेशनल मूवमेंट, पी. पी.  
एच., नई दिल्ली, 1966
- पायंते, टी. वी. : मेकर्स आफ् मोडर्न इंडिया, युनि. प्रिन्सि., जलंधर, 1964
- पांडे, धनपति : दी आर्यसमाज एण्ड इंडियन नेशनलिज्म : 1875-1920,  
एस. चन्द, नई दिल्ली, 1972
- प्यारे मोहन : एन इमेजनेरी रिबोलियन, खालसा ब्रदर्स, लाहौर, 1920
- पुराणी, ए. बी. (सम्पा.) : ईवनिंग टाक्स विथ श्री अरविन्द,  
श्री अरविन्दाश्रम, पांडिचेरी, 1959
- पुरोहित, बी. आर. : हिन्दू रिवाइवलिज्म एण्ड इंडियन नेशनलिज्म, साथी  
प्रकाशन, सागर, 1965
- फरकुहर, जे. एन. : मोडर्न रिजिजस मूवमेन्ट्स इन इंडिया, मुंशीलाल  
मनोहरलाल, दिल्ली, 1967
- फारूकी, जियाउलहसन : दी डेवयन्ड स्कूल एण्ड दी डिमान्ड फोर पाकिस्तान, एशिया,  
बम्बई, 1963
- फिलिप्स, सी. एच. : दी इवोल्यूशन आफ् इंडिया एण्ड पाकिस्तान, आक्सफर्ड,  
लन्दन, 1962
- " " (सम्पा.) : पोलिटिक्स एण्ड सोसाइटी इन इंडिया, एलन एण्ड अनविन,  
लन्दन, 1963
- फोजर, सोवेट : इंडिया अन्डर कर्जन एण्ड आपटर, हाइनमैन, लन्दन, 1911
- बनर्जी, सर सुरेन्द्रनाथ : ए नेशन इन मेकिंग, आक्सफर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, लन्दन,  
1925
- बनर्जी, एस. सी. : इंडियन कोन्स्टीट्यूशनल डेव्लपमेन्ट्स, तीन खंड, ए. मुषर्जी,  
कलकत्ता, 1946
- बनर्जी, देवेन्द्रनाथ : इंडियाज नेशन बिल्डर्स, हैटले ब्रदर्स, लन्दन, 1919
- बेरी, वियोडोर डे तथा : सोसॅज आफ् इंडियन इंटेलिजेंस, मोतीलाल बनारसी दास,  
लन्दन, 1958
- भरतार्य, एस. सी. : दी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेन्ट, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,  
1958

- बालाबुसेविच, तथा : ए कन्टम्पेरेरी हिस्ट्री ओफ इंडिया, पीपुल्स पब्लि. हाऊस, ड्याकोव (सम्पा.) नई दिल्ली, 1964
- बालशास्त्री हरदास : आर्म्ड स्ट्रगल फोर फ्रीडम: नाइन्टी ईयर्स वार ओफ इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स-1857 टू सुभाय, काल प्रकाशन, पूना, 1958
- बाबा छज्जूसिंह : बी लाइफ एण्ड टीचिंग्स ओफ स्वामी दयानन्द सरस्वती, एडीसन प्रेस, लाहौर, 1903
- ब्राइट, जे. एस. (सम्पा.) : इम्पौरटेन्ट स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स ओफ सुभाय बोस, दी इंडियन प्रिंटिंग वर्क्स, लाहौर, 1947
- ब्राउन, डी. मेकेंजी : फ्रोम रानाडे टु भाबे, केलिफोर्निया प्रेस, 1961
- ब्राउन, एमीली. सी. : हर्दयाल: हिन्दू रिबोलूशनरी एण्ड रेशनलिस्ट, एरीजोना यूनिवर्सिटी प्रेस, 1975
- ब्राउन, एन. मेकेंजी : बी ह्याइट अन्ग्रेला: इण्डियन पोलिटिकल थोट फ्रोम मनु टु गांधी, केलिफोर्निया प्रेस, 1953
- ब्राउन, डब्ल्यू. नोर्मन : इण्डिया, पाकिस्तान, सीलोन, कोर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, इथाका, 1951
- बिपिनचन्द्र,
- अभलेश त्रिपाठी, बरून डे : फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली, 1972
- बुच, एम. ए. : राइज एण्ड प्रोप ओफ इंडियन लिबरलिज्म, गुड कम्पेनियन्स, बडौदा, 1938
- ” ” : राइज एण्ड प्रोप ओफ इंडियन मिलिटेन्ट नेशनलिज्म, बडौदा, 1940
- बेवान, एडविन : इंडियन नेशनलिज्म, मेकमिलन, लन्दन, 1913
- ब्रैक्सफोर्ड, एच. एन. : रीबल इण्डिया, गोल्लेज, लन्दन, 1931
- बेनी प्रसाद : थ्योरी आफ गवर्नमेन्ट इन एनरान्ट इण्डिया, दी इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 1927
- बेसॅट, एनी. : हाउ इंडिया रोट फोर फ्रीडम, थियोसोफिकल पब्लि. हाऊस, भडयार, मद्रास, 1915
- ” बिल्डसँ ओफ न्यू इंडिया, भडयार, 1942
- बेम्फोर्ड, पी. सी. : हिस्ट्रीज ओफ दी नोन-कॉओपरेशन एण्ड लिलाफत भूवमेन्ट्स, दीप पब्लि., दिल्ली, 1974 (भारतीय संस्करण)
- बोलियो, हैक्टर : जिन्ना:क्रियेटर ओफ पाकिस्तान, जोन गर्रे, लन्दन, 1954
- बोस, निर्मलकुमार : स्ट्रक्चर ओफ हिन्दू सोसायटी, विश्वभारती, कलकत्ता, 1949
- ” ” : प्रोबलम्स ओफ इण्डियन नेशनलिज्म, एलाइड पब्लि. बम्बई, 1969

- बोस, शिशिरकुमार : अ बीकन अक्रोस एशिया:ए बायोग्राफी ओफ सुभाषचन्द्र  
तथा अन्य बोस, थोरियन्ट लॉगमैन्स, नई दिल्ली, 1973
- बोस, सुभाषचन्द्र : दौ इण्डियन स्ट्रगल, 2 भाग, थेकर, कलकत्ता, 1948
- " " : दौ मिशन ओफ लाइफ, थेकर, कलकत्ता, 1953
- ब्लंट, डब्ल्यू. एस. : माई डायरीज, 2 खण्ड, लन्दन, 1919
- वृजानारायण : इंडियन सोशलिज्म, आत्माराम, लाहौर, 1937
- मजूमदार, जे. के. (सम्पा.) : इंडियन स्पीचेज एण्ड डोक्युमेंट्स आन ब्रिटिश रूल :  
1821-1918, लॉगमेन्स ग्रीन एण्ड कं., कलकत्ता, 1937
- मजूमदार, ए. के. : एडवेंट आफ इन्डिपेन्डेन्स, भारतीय विद्या भवन, बम्बई,  
1963
- " " : प्रो फेजेज आफ इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम, भारतीय  
विद्या भवन, बम्बई, 1961
- " " : हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, 3 खंड फर्मा के.  
एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1963
- " रायचौधरी : एन एडवॉरस हिस्ट्री आफ इंडिया, 3 खंड,  
तथा दत्ता मैकमिलन, लन्दन, 1962
- मलिक, हाफिज : मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया एण्ड पाकिस्तान, पब्लि.  
ग्रफेयर्स प्रेस, वाशिंगटन, 1963
- मलहोत्रा, एस. एल. : गांधी : एन एक्सपेरिमेंट विथ कम्यूनल पोलिटिक्स, पंजाब  
युनिवर्सिटी, चंडीगढ़, 1975
- मनकेकर, डी. धार. : लाल बहादुर शास्त्री, पब्लि., डिवीजन, नई दिल्ली, 1973
- मजूमदार, विमानविहारी : इण्डियन पोलिटिकल एसोसिएशन एण्ड रिफॉर्म ऑफ सेजि-  
स्तेचर्स : 1818-1917, फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय,  
कलकत्ता, 1965
- " " : मिजिटिंग नेशनलिज्म इन इण्डिया, जनरल प्रिन्टर्स, कलकत्ता,  
1966
- " " : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज :  
फ्रोम राममोहन टू ब्यानन्द, बुकलैंड, कलकत्ता, 1967
- मत्सानी, जोसेफ : दौ इण्टीज आफ मेन एण्ड अबर एमेज, डेंट एण्ड सन्स,  
लंदन, 1907
- महादेवन, टी. एम. पी. : आउटसाइन्स आफ हिन्दुइज्म, चेतना, बम्बई, 1956
- मत्सानी, धार. पी. : बाबाभाई मीरोजी : दौ प्रॅक्ट ओल्डमेन आफ इंडिया, जार्न  
ऐनन एण्ड धनविन, लंदन, 1939
- मजूमदार एण्ड : कांप्रेस एण्ड कांप्रेसमेन इन दौ प्री-नाॅण्डियन इरा:  
मजूमदार 1885-1917, फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता,  
1967
- मजूमदार, ए. सी. : इंडियन नेशनल इकोनॉमिज्म, मटेयन, मद्रास, 1917



मडफोर्ड, पीटर : वर्ड्स आफ ए डिफरेंट प्लेज : ए स्टडी आफ ब्रिटिश इंडियन रिलेशन्स फ्रॉम अकवर टू कर्जन, कोलिंग्स, लंदन, 1974

————— : एम. एन. राय मेमोइसर्स, ग्रलाइड पब्लि., बम्बई, 1964

माधुर, डी. बी. : गोखले : ए पोलिटिकल बायोग्रेफी, मानकटलाज, बम्बई, 1966

” एल. पी. : इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बी युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, एस. चंद, दिल्ली, 1970

मिचिसन, नाथ्रोमी : दी मोरल बेसिस आफ पोलिटिक्स, कोन्स्टेबल, लंदन, 1938

————— : मिसलेनियस राइटिंग्स आफ दी लेट ओनरेबल मि. जस्टिस एम. जी. रानाडे, मनोरंजन प्रेस, बम्बई, 1915

मिश्रा, डी. पी. : लिबिंग एन इरा, खंड 1, विकास, दिल्ली, 1975

मीरडल, गुनर : बियॉंड दी वेल्फेयर स्टेट, युनिवर्सिटी पेपर वेक्स, लंदन, 1958

मुजीब, एम. : दी इंडियन मुस्लिम्स, जोर्ज एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1967

मुकर्जी, राधा कुमुद : नेशनलिज्म इन हिंदू कल्चर, थियोसोफिकल पब्लि. हाउस, लंदन, 1921

” ए. पी. : सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज आफ बिपिनचन्द्रपाल, मिनर्वा, कलकत्ता, 1974

मुखर्जी, हरिदास तथा

मुखर्जी उमा : मुखोपाध्याय, कलकत्ता 1964

” ” : दी प्रोय आफ नेशनलिज्म इन इंडिया : 1857-1905, कलकत्ता, 1957

” ” : बिपिनचन्द्रपाल एण्ड इंडियाज स्ट्रगल फोर स्वराज, कलकत्ता, 1968

” ” : दी ओरीजन आफ दी नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, कलकत्ता 1957

मुखर्जी, हीरेन्द्रनाथ : इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम, नेशनल बुक एजेंसी, कलकत्ता, 1962

मुंशी, के. एम. : पिलग्रिमेज टू फ्रीडम (1902-1950), खंड 1, भारतीय विद्या भवन, बम्बई

मुंशीराम तथा रामदेव : दी आर्यसमाज एण्ड इट्स डिस्टिक्ट्स, गुरुकुल कांगड़ी, 1930

मूर्ति, धी. धी. रमण : नानथायल्लेस इन पोलिटिक्स, फ्रैंकफर्ट्स, दिल्ली, 1958

” ” (सम्पा.) : गांधी : एसेंशल राइटिंग्स, गांधी पीस फाउंडेशन, नई दिल्ली, 1970

- बोस, शिशिरकुमार : अ थौकन अक्रोस एशिया:ए बायोग्राफी ओफ सुभाषचन्द्र  
तथा अन्य बोस, ओरियन्ट लॉगमेंस, नई दिल्ली, 1973
- बोस, सुभाषचन्द्र : दो इण्डियन स्ट्रगल, 2 भाग, थेकर, कलकत्ता, 1948
- " " : दो मिशन ओफ लाइफ, थेकर, कलकत्ता, 1953
- ब्लंट, डब्ल्यू. एस. : माई डायरीज, 2 खण्ड, लन्दन, 1919
- बृजनारायण : इंडियन सोशलिज्म, आत्माराम, लाहौर, 1937
- मजूमदार, जे. के. (सम्पा.) : इंडियन स्पोचेज एण्ड डोषमूमेंट्स आन ब्रिटिश इल :  
1821-1918, लॉगमेंस ग्रोन एण्ड कं., कलकत्ता, 1937
- मजूमदार, ए. के. : एडवेन्ट आफ इन्डिपेन्डेन्स, भारतीय विद्या भवन, बम्बई,  
1963
- " " : प्री फेजेज आफ इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम, भारतीय  
विद्या भवन, बम्बई, 1961
- " " : हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, 3 पंड फर्मा के.  
एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1963
- " रायचौधरी : एन एडवांस्ड हिस्ट्री आफ इंडिया, 3 पंड,  
तथा दत्ता मैकमिलन, लन्दन, 1962
- मलिक, हाफिज : मुस्लिम मेरानसिज्म इन इंडिया एण्ड पाकिस्तान, पब्लि.  
अफेयर्स प्रेस, वानिगटन, 1963
- मलहोत्रा, एम. एल. : गांधी : एन एक्सपेरिमेंट विथ कम्यूनल पोलिटिक्स, पंजाब  
युनिवर्सिटी, चंडीगढ़, 1975
- मनकेकर, डी. भार. : साल बहादुर शास्त्री, पब्लि., डिवीजन, नई दिल्ली, 1973
- मजूमदार, बिमानबिहारी : इण्डियन पोलिटिकल एसोसिएशन एण्ड रिफॉर्म ऑफ सेजि-  
स्लेचर्स : 1818-1917, फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय,  
कलकत्ता, 1965
- " " : मिनिस्टेज मेरानसिज्म इन इंडिया, जनरल प्रिन्टर्स, कलकत्ता,  
1966
- " " : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज :  
फ्रीडम राममोहन टू बयानन्द, बुकलैंड, कलकत्ता, 1967
- मण्डीनी, जोसेफ : बी डू यूटीज आफ मेन एण्ड अवर एगोज, डेंट एण्ड गन,  
लंडन, 1907
- महादेवन, टी. एम. पी. : आउटसाइन्स आफ हिन्दुइज्म, धेनना, बम्बई, 1956
- मगानी, धार. पी. : बाबामाई मीरोजी : बी एंड थोल्डमेन आफ इंडिया, नार्थ  
ऐलन एण्ड अनविन, लंडन, 1939
- मजूमदार एण्ड : कांवेस एण्ड कांवेसमेन इन बी प्री-मार्शियल इरा:  
मजूमदार 1885-1917, फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता,  
1967
- मजूमदार, ए. पी. : इंडियन मेरानसिज्म इपोप्युलर, नैगन, मद्रास, 1917

- मडफोर्ड, पीटर : वर्ड्स आफ ए डिफरेंट प्लेज : ए स्टडी आफ ब्रिटिश इंडियन रिलिगन्स फ्रॉम अकबर टु कर्जेंन, कोलिनस, लंदन, 1974
- 
- माधुर, डी. बी. : एम. एन. राय मेमोइस, अलाइड पब्लि., बम्बई, 1964
- माधुर, डी. बी. : गोखले : ए पोलिटिकल बायोग्रेफी, मानकटलाज, बम्बई, 1966
- " एल. पी. : इंडियन रिवोल्यूशनरी भूवर्मेंट इन दी युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, एस. चंद, दिल्ली, 1970
- मिचिसन, नाओमी : दी मोरल ब्रेसिस आफ पोलिटिक्स, कोन्स्टेबल, लंदन, 1938
- 
- मिसलेनियस राइटिंग्स आफ दी लेट ओनरेबल मि. जस्टिस एम. जी. रानाडे, मनोरंजन प्रेस, बम्बई, 1915
- मिश्रा, डी. पी. : लिविंग एन इरा, खंड 1, विकास, दिल्ली, 1975
- मीरडल, गुनर : ब्रियोड दी वेल्फेयर स्टेट, युनिवर्सिटी पेपर बेक्स, लंदन, 1958
- मुजीब, एम. : दी इंडियन मुस्लिम्स, जोर्ज एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1967
- मुकर्जी, राधा कुमुद : नेशनलिज्म इन हिंदू कल्चर, थियोसोफिकल पब्लि. हाउस, लंदन, 1921
- " ए. पी. : सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज आफ बिपिनचन्द्रपाल, मिनर्वा, कलकत्ता, 1974
- मुखर्जी, हरिदास तथा श्री अरविन्द एण्ड दी न्यू घाट इन इंडियन पोलिटिक्स, 1964
- मुखर्जी उमा : मुखोपाध्याय, कलकत्ता 1964
- " " : दी प्रोव आफ नेशनलिज्म इन इंडिया : 1857-1905, कलकत्ता, 1957
- " " : बिपिनचन्द्रपाल एण्ड इंडियाज स्ट्रगल फोर स्वराज, कलकत्ता, 1968
- " " : दी ओरीजन आफ दी नेशनल एजुकेशन भूवर्मेंट, कलकत्ता 1957
- मुखर्जी, हीरेन्द्रनाथ : इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम, नेशनल बुक एजेंसी, कलकत्ता, 1962
- मुंशी, के. एम. : पिलग्रिमेज टु फ्रीडम (1902-1950), खंड 1, भारतीय विद्या भवन, बम्बई
- मुंशीराम तथा रामदेव : दी आर्यसमाज एण्ड इट्स डिस्ट्रिक्ट्स, गुरुकुल कांगड़ी, 1930
- भूति, वी. बी. रमण : नानवायलेंस इन पोलिटिक्स, फ्रैंकफर्ट, दिल्ली, 1958
- " " (सम्पा.) : गांधी : एसेंसल राइटिंग्स, गांधी पीस फाउंडेशन, नई दिल्ली, 1970

- बोस, शिशिरकुमार : अ बीकन अफोस एशिया:ए बायोग्राफी ओफ सुभाषचन्द्र  
तथा अन्य बोस, थोरियन्ट लॉगमैन्स, नई दिल्ली, 1973
- बोस, सुभाषचन्द्र : दी इण्डियन स्ट्रगल, 2 भाग, थेकर, कलकत्ता, 1948
- " " : दी मिशन ओफ लाइफ, थेकर, कलकत्ता, 1953
- ब्लंट, डब्ल्यू. एस. : माई डायरीज, 2 घण्ट, लन्दन, 1919
- बृजनारायण : इंडियन सोशलिज्म, आत्माराम, लाहौर, 1937
- मजूमदार, जे. के. (सम्पा.) : इंडियन स्पीचेज एण्ड डोषयूमेंट्स आन ब्रिटिश रूल :  
1821-1918, लॉगमेन्स ग्रीन एण्ड कं., कलकत्ता, 1937
- मजूमदार, ए. के. : एडवेंट आफ इन्डिपेन्डेन्स, भारतीय विद्या भवन, बम्बई,  
1963
- " " : प्रो फेजेज आफ इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम, भारतीय  
विद्या भवन, बम्बई, 1961
- " " : हिस्ट्री आफ वी फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, 3 पंड कर्मा के.  
एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1963
- " रामचौधरी : एन एडवांसड हिस्ट्री आफ इंडिया, 3 पंड,  
तथा दत्ता मेकमिलन, लन्दन, 1962
- मलिक, ह्राफिज : मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया एण्ड पाकिस्तान, पब्लि.  
अफेयर्स प्रेस, याशिगटन, 1963
- मलहोत्रा, एम. एल. : गांधी : एन एक्सपेरिमेंट विथ कम्यूनल पोलिटिक्स, पंजाब  
मुनिवर्सिटी, चंडीगढ़, 1975
- मनकेकर, डी. धार. : तास बहादुर शास्त्री, पब्लि., द्विवीजन, नई दिल्ली, 1973
- मजूमदार, विमानविहारी : इण्डियन पोलिटिकल एवोल्युशन्स एण्ड रिफॉर्म ऑफ सोशल-  
स्लेषर्स : 1818-1917, कर्मा के. एल. मुखोपाध्याय,  
कलकत्ता, 1965
- " " : मिसिटेन्ट नेशनलिज्म इन इंडिया, जनरल प्रिन्टर्स, कलकत्ता,  
1966
- " " : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज :  
प्रोम राममोहन टू बभानुब, बुकवैड, कलकत्ता, 1967
- मत्गीनी, जोसेफ : दी इन्डियन आरु मेन एण्ड अवर एजेंड, डेंट एण्ड एल्स,  
लंदन, 1907
- महादेवन, टी. एम. पी. : आउटलाइन्स आरु हिन्दुइज्म, धेनना, बम्बई, 1956
- मत्गीनी, धार. पी. : बाबासाई नौरोजी : वी प्रॉड मोडर्न आरु इंडिया, जार्ज  
ऐलन एण्ड अनविन, लंदन, 1939
- मजूमदार एण्ड  
मजूमदार : कर्पिंग एण्ड कर्पिंगमेन इन वी प्री-नॉर्माइज्म इराः  
1885-1917, कर्मा के. एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता,  
1967
- मजूमदार, ए. पी. : इंडियन नेशनल इन्फ्लूएन्स, मदेवन, मद्रास, 1917

- महफोर्ड, पीटर : बर्ड्स आफ ए डिफरेंट प्लेज : ए स्टडी आफ ब्रिटिश इंडियन रिलिजिअस फ्रॉम अक्यर टू कर्जन, कोलिनस, लंदन, 1974
- 
- माधुर, डी. बी. : एम. एन. राय सेमोइस, ग्लाइड पब्लि., बम्बई, 1964
- माधुर, डी. बी. : गोल्ले : ए पोलिटिकल बायोग्रेफी, मानकटलाज, बम्बई, 1966
- ” एल. पी. : इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन दी युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, एस. चंद, दिल्ली, 1970
- मिचिसन, नाम्रोमी : दी मोरल बेसिस आफ पोलिटिक्स, कोन्स्टेबल, लंदन, 1938
- 
- मिसलेनियस राइटिंग्स आफ दी लेट ओनरेबल मि. जस्टिस एम. जी. रानाडे, मनोरंजन प्रेस, बम्बई, 1915
- मिश्रा, डी. पी. : लिबिंग एन इरा, खंड 1, विकास, दिल्ली, 1975
- मीरडल, गुनर : बिगॉड दी थेल्फेयर स्टेट, युनिवर्सिटी पेपर वेक्स, लंदन, 1958
- मुजीव, एम. : दी इंडियन मुस्लिम्स, जॉर्ज एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1967
- मुकर्जी, राधा कुमुद : नेशनलिज्म इन हिंदू कल्चर, थियोसोफिकल पब्लि. हाउस, लंदन, 1921
- ” ए. पी. : सोशल एण्ड पोलिटिकल आइडियाज आफ बिपिनचन्द्रपाल, मिन्वा, कलकत्ता, 1974
- मुखर्जी, हरिदास तथा श्री अरविन्द एण्ड दी न्यू घाट इन इंडियन पोलिटिक्स, मुखर्जी उमा : मुखोपाध्याय, कलकत्ता 1964
- ” ” : दी प्रोय आफ नेशनलिज्म इन इंडिया : 1857-1905, कलकत्ता, 1957
- ” ” : बिपिनचन्द्रपाल एण्ड इंडियाज स्ट्रगल फोर स्वराज, कलकत्ता, 1968
- ” ” : दी ओरीजन आफ दी नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, कलकत्ता 1957
- मुखर्जी, हीरेन्द्रनाथ : इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम, नेशनल बुक एजेंसी, कलकत्ता, 1962
- मुंशी, के. एम. : पिलग्रिमेज टु फ्रीडम (1902-1950), खंड 1, भारतीय विद्या भवन, बम्बई
- मुंशीराम तथा रामदेव : दी आर्यसमाज एण्ड इट्स डिस्टिक्ट्स, गुरुकुल कांगड़ी, 1930
- भूति, बी. बी. रमण : नानवायलेंस इन पोलिटिक्स, फ्रं कन्नडस, दिल्ली, 1958
- ” ” (सम्पा.) : गांधी : एसेंशल राइटिंग्स; गांधी पीस फाउंडेशन, नई दिल्ली, 1970

- मेरी, काउंटेस आफ मिटो : इंडिया : मिटो एण्ड मोल्ल, मैकमिलन, लंदन, 1934
- मेवलेन, जे. आर. : दी पोलिटिकल एवेकनिंग इन इंडिया, प्रेंटिस हल, न्यू जर्सी, 1970
- मेहरअली, युसूफ : दी प्राइस आफ लिबर्टी, नेशनल पब्लि. बम्बई, 1948
- मेहरोत्रा, एस. आर. : इंडिया एण्ड कामनवेल्थ : 1885-1929, जोर्जे एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1965
- मेहता, अशोक तथा पदवर्धन, अच्युत : दी कम्यूनल ट्रांजिशन इन इंडिया, किताबिस्तान, इलाहाबाद, 1942
- मोदी, होमी : सर फिरोजशाह मेहता : ए पोलिटिकल बायोग्रेफी, एशिया, बम्बई, 1963
- मोल्ल, जान : रिक्लेक्शन, 2 खंड, मैकमिलन, न्यूयार्क, 1917
- यंगह्यूबर्ट, सर फ्रांसिस : डान इन इंडिया, जान मर्से, लंदन, 1930
- रघुवंशी, बी. पी. एस. : इंडियन नेशनलिस्ट भूवर्मेण्ट एण्ड पाठ, लक्ष्मोनारायण प्रबुवाल, आगरा, 1959
- रमण, एन. पट्टाभि. : पोलिटिकल इनवोल्वमेंट आफ इंडियाज ट्रेड यूनियन्स, एशिया, बम्बई, 1967
- राधाकृष्णन, एस. : गौतम दी बुद्ध, हिन्द किताब्स, बम्बई, 1946
- राजगोपालाचारी, सी. : सत्यम एव जयते, खण्ड 1, भारतन पब्लि., मद्रास, 1961
- राजगोपाल : हाउ इंडिया स्ट्रगल फोर फ्रीडम, बुक सेंटर, बम्बई, 1967
- " : लोकमान्य तिलक : ए बायोग्रेफि, एशिया, बम्बई, 1954
- राव, के. सम्पत्गिरी : से बट फ्रंश, हार्डीकर ट्रस्ट, हुबली, ति. र.
- राव, यू.एस. मोहन (गम्पा) : पेन पोर्ट्रेट्स एण्ड ट्रिम्पूट्स बाई गांधीजी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1969
- राय चौधरी, पी. सी. : सी. एफ. एन्डयूज : हिज साइफ एण्ड टाइम्स, मोंगिया, बम्बई, 1971
- राय, एम. एन. : दी पयूथर आफ इंडियन पोलिटिक्स, मिनर्वा, बनारस, 1971
- रेवड़ी, गो. : दी इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ओरियंट लीडिंग, नई दिल्ली, 1972
- रे, पी. सी. : साइफ एण्ड टाइम्स आफ जी. आर. बान, आर्यभट्ट, लंदन, 1927
- रेडक्लिफ, एम. के. : सर जिनियम वेडरबर्न एण्ड दी इंडियन रिफार्म मूवमेंट, आर्यभट्ट एंड अनविन, लंदन, 1923
- रोषा, रोषा : प्रोटेस्ट्स आफ बी मू इंडिया, कामन एण्ड बं. लंदन, " " : बाहि. एन्विन निवेश, वेरिग, 1960
- रोजिनगन, एंगिंग : नेचरेलिज्म अफ इंडियन मुक्तिगन : दी पोलिटिक्स आफ

- बी युनाइटेड प्रोविसेज मुस्लिम्स : 1860-1923, विकास, दिल्ली, 1975
- रोनल्डशे, अर्ल आफ : बी हार्ट आफ आर्यावर्त, कॉन्स्टेबल, लंदन, 1925
- लास्की, हेरल्ड : ए ग्रामर आफ पोलिटिक्स, जोर्ज एलन एण्ड अनविन, लंदन 1948
- : साइफ एण्ड राइटिंग्स आफ जोसेफ मत्सोनी, 6 खंड, स्मिथ, एल्डर एण्ड कं. लंदन, 1891
- लाल बहादुर : बी मुस्लिम लीग : इट्स हिस्ट्री, एक्टिविटीज एण्ड एचीव-मेन्ट्स, आगरा बुक स्टोर, आगरा, 1954
- लूथरा, वेद प्रकाश : बी कन्सेप्ट आफ बी सेक्यूलर स्टेट इन इंडिया, आक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1964
- लोवेट, वर्नी : ए हिस्ट्री आफ बी इंडियन नेशनल मूवमेंट, जान मर्रे, लंदन 1920
- लोहिया, राम मनोहर : माक्स, गांधी एण्ड सोशलिज्म, नवाहिद, हैदराबाद, 1953
- लोशे, डेविड : बेंगाल टेररिज्म एण्ड बी मार्क्सिस्ट लेफ्ट : आसपेक्ट्स आफ रीजनल नेशनलिज्म इन इंडिया (1905-1942) फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1975
- वर्मा, बी. पी. : माडर्न इंडियन पोलिटिकल घाट, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1961
- वर्मा, शान्तिप्रसाद : प्रोबलम्स आफ डिमोक्रेसी इन इंडिया, एस. चन्द, दिल्ली, 1946
- वस्ती, सैयद रजा : लोर्ड मिन्टो एण्ड बी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट : 1905-1910, क्लेरेंडन प्रेस, आक्सफर्ड, 1964
- वाटकिन्स, फ्रीडरिक एम. : बी एज आफ आइडियोलोजी : पोलिटिकल घाट 1750 टु बी प्रजेंट, प्रेन्टिसहॉल, नई दिल्ली, 1965
- व्यास, के. सी. : बी सोशल रिनासा इन इंडिया, वीरा एंड कं., बम्बई, 1957
- : हवाई इंडिया इज इन रियोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रुल, इंडियन नेशनल पार्टी, लंदन, 1916
- वाजपेयी, जे. एन. : बी एक्स्ट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, चुग पब्लि., इलाहाबाद, 1974
- विद्यावाचस्पति, इन्द्र : आर्यसमाज का इतिहास, 2 भाग, सार्वदेशिक आर्य प्रति-निधि सभा, दिल्ली, 1957
- वुडरोफ, जान : इज इंडिया सिविलाइज्ड ? गणेश, मद्रास, 1918
- वुडरफ, फिलिप : बी मेन हू व्हो इंडिया, खंड 1, मोबेन बुक, न्यूयार्क, 1953
- वेस्ट, ज्योफ्रे : बी साइफ आफ एनी बीसेंट, जेराल्ड होवे, लंदन, 1929

वेडरबर्न, विलियम : एलन आक्टेवियन ह्यूम : फादर आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस (1829-1912), टी फिशर, लंदन, 1913

शर्मा, श्रीराम : महात्मा हुंसराज : मेकर आफ दी माडर्न पंजाब, प्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, लाहौर, 1941

" " : पंजाब इन फर्मेट, एस. चन्द, दिल्ली, 1971

शर्मा, जगदीशचरण : इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम : सिलेक्टेड डोक्युमेंट्स एण्ड सोर्सोज, 3 खण्ड, एस. चन्द, 1962-65

" " : इंडियन नेशनल कांग्रेस : डिस्लोपिंग एण्ड शोनीताजी, एस. चन्द दिल्ली, 1959

शास्त्री, बी. एस. श्रीनिवास : माई मास्टर गोखले, माडर्न पब्लि. मद्रास, 1946

शाफिर, मोहन : सिलाफत टु पार्टीशन, कलमकार प्रकाशन, नई दिल्ली, 1970

शिरमत, के. शार. : कारका जोसेफ थापटिस्टा : फादर आफ होमरुल मूवमेंट इन इंडिया, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1974

शिरोन, वेलेन्टीन : इंडिया ओन्ड एण्ड न्यू, मैकमिलन, लंदन, 1921

शुक्ला, बी. डी. : ए हिस्ट्री आफ बी इंडियन सिगरस पार्टी, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 1960

शे, थियोडर एल. : बी सिगरी आफ बी लोकमान्य, घासकरुंड, 1956

शर्मा, डी. एम. : हिन्दूइज्म प्रू बी एजेज, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 1956

सामी, पी. डी. (गम्पा.) : साइफ एण्ड बर्क आफ साल, थात एण्ड पाल, श्रीरमीत्र पब्लि. नई दिल्ली, 1962

सरकार, मुमित : बी स्पेरी मूवमेंट इन बंगाल : 1903-1908, पी. पी. एण्ड, नई दिल्ली, 1973

साहनी, जे. एन. : बी सिड ओरु : फिफ्टी ईयर्स आफ इंडियन फोतिटिशन : 1921-1947, एनाइड, बम्बई, 1971

सिमर, विलफ्रेड गो. : माडर्न इस्ताम इन इंडिया, विक्टर गोर्जेज, लंदन, 1946

स्टोयन, एरिक : बी इंगलिसा यूटीनिटेरियन्स एण्ड इंडिया. बनेरेगहन, घासकरुंड, 1959

सिमर, विलियम राय : नेगलियिज एण्ड रिक्वेम इन इंडिया, वेन मुनीसगिटी प्रेंस, न्यू हैवन, 1938

सिंह, श्री. एन. : सेन्डभारण इन शोन्टीड्युरानग बेवेनरमेंट आठ इंडिया, सिन्धी, 1967

सिंह, बरग : प्रोटेस्ट आफ इंडियन नेगलियिज्म, एलन एण्ड फर्निन, एलन, 1963

सिंह, संजय : प्रोइम मुवमेंट इन बेन्गी : 1858-1919, एनेगिस्ट्री, नई दिल्ली, 1972



सिन्हा, शशाधर : इंडियन इन्डिपेन्डेन्स इन पर्सपेक्टिव, एशिया, बम्बई, 1964

सीतारमैया, बी. पी. : बी हिस्ट्री आफ बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2 खण्ड, पद्मा पब्लि., बम्बई, 1946

सीतलवाड़, सी. एल. : रिकलेक्शन्स एण्ड रिफ्लेक्शन्स, पद्मा पब्लि. बम्बई, 1946

सील, अनिल : बी इमरजेन्स आफ इंडियन नेशनलिज्म, कॉम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1968

\_\_\_\_\_ : बी सूरत कांग्रेस एण्ड कान्फ्रेंसेज, नटेशन, मद्रास, 1907

सूद, जे. पी. : मॅन करेंट्स आफ सोशल एण्ड पोलिटिकल थाट इन माडर्न इंडिया, जयप्रकाशनाथ, मेरठ, 1963

सेनगुप्ता, पद्मिनी : सरोजिनी नायडू : ए बायोग्रेफि, एशिया, बम्बई, 1966

सेन, एन. बी. (सम्पा.) : पंजाब्स एमिनेन्ट हिन्दूज, न्यू बुक सोसाइटी, लाहौर, 1944

सेन, एस. पी. (, , ) : डिक्शनरी आफ नेशनल बायोग्रेफि, 2 खण्ड, इन्स्टीट्यूट आफ हिस्टोरिकल स्टडीज, कलकत्ता, 1973

स्वेलमेन, जे. डब्ल्यू. : पोलिटिकल थ्योरी आफ एनशन्ट इंडिया, ग्राक्सफर्ड, 1964

सैयद, एम. एच. : मोहम्मद अली जिन्ना : ए पोलिटिकल स्टडी, मोहम्मद अशरफ, लाहौर, 1945

\_\_\_\_\_ : स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ दादाभाई नौरोजी, नटेशन, मद्रास, 1917

स्नाईडर, लुई (सम्पा.) : बी डायनेमिक्स आफ नेशनलिज्म, वेन नोस्ट्रॅंड, न्यूजर्सी, 1964

श्रीनिवास, एम. एस. : सोशल चेंज इन मोडर्न इंडिया, केलिफोर्निया युनिवर्सिटी, बर्कले, 1966

श्रीवास्तव, एन. एम. पी. : ग्रीय आफ नेशनलिज्म इन इंडिया : इफेक्ट्स आफ इंटरनेशनल ईथेन्ट्स, मीनाक्षी, मेरठ, 1973

हमीद, अब्दुल : मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया : 1858-1947, ग्राक्सफर्ड, लाहौर, 1967

हाइंडमेन, एच. एम. : बी एथेकनिंग आफ एशिया, लन्दन, 1919

हिदायतुल्ला, एम. : डिमोक्रेसी इन इंडिया एण्ड बी ज्यूडिशियल प्रोसेस, एशिया, बम्बई, 1966

हीमसाथ, चार्ल्स : नेशनलिज्म एण्ड हिन्दू सोशल रिफॉर्म, प्रिंसटन युनि. प्रेस, न्यू जर्सी, 1964

हेयकोक्स, जोन पेट्रिक : कम्युनिज्म एण्ड नेशनलिज्म इन इंडिया : एम. एन. राय एण्ड कोमिनटर्न पोलीसी : 1920-1939, प्रिंसटन युनि. प्रेस, न्यूजर्सी, 1971

होडसन, एच. बी. : बी ग्रेट डिवाइड, हचिनसन, लन्दन, 1969

## प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन

- वेडरबर्न, विलियम : एलन आक्टेवियन ह्यूम : फादर आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस (1829-1912), टी फिशर, लंदन, 1913
- शर्मा, श्रीराम : महात्मा हंसराज : मेकर आफ दी माडर्न पंजाब, प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, लाहौर, 1941
- " " : पंजाब इन फर्मेट, एस. चन्द, दिल्ली, 1971
- शर्मा, जगदीशशरण : इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम : सिलेक्टेड डोक्युमेंट्स एण्ड सोर्सेज, 3 खण्ड, एस. चन्द, 1962-65
- " " : इंडियन नेशनल कांग्रेस : बिब्लोग्रैफि एण्ड क्रोनोलाजी, एस. चन्द दिल्ली, 1959
- स्त्री, वी. एस. श्रीनिवास : माई मास्टर गोखले, माडल पब्लि. मद्रास, 1946
- शाकिर, मोइन : खिलाफत टु पाटर्शन, कलमकार प्रकाशन, नई दिल्ली, 1970
- शिरसत, के. आर. : काका जोसेफ बापटिस्टा : फादर आफ होमरूल मूवमेंट इन इंडिया, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1974
- शिरोल, वेलेन्टीन : इंडिया ओल्ड एण्ड न्यू, मैकमिलन, लंदन, 1921
- शुक्ला, बी. डी. : ए हिस्ट्री आफ वी इंडियन लिबरल पार्टी, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 1960
- शे, थियोडर एल. : वी लिगेसी आफ वी लोकमान्य, ग्रावसफर्ड, 1956
- सर्मा, डी. एस. : हिन्दूइज्म थ्रू वी एजेज, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 1956
- सग्गी, पी. डी. (सम्पा.) : लाइफ एण्ड यकं आफ लाल, बाल एण्ड पाल, धीवरलीज पब्लि. नई दिल्ली, 1962
- सरकार, सुमित : वी स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल : 1903-1908, पी. पी. एच., नई दिल्ली, 1973
- साइनी, जे. एन. : वी लिड ओफ : फिफ्टी ईयर्स आफ इंडियन पोलिटिक्स : 1921-1947, एलाइड, बम्बई, 1971
- स्मिथ, विलफ्रेड सी. : माडर्न इस्लाम इन इंडिया, विक्टर गोर्लेंज, लंदन, 1946
- स्टोक्स, एरिक : वी इंगलिश यूटीलिटेरियन्स एण्ड इंडिया, क्लेरेंडन, ग्रावसफर्ड, 1959
- स्मिथ, विलियम राम : नेशनलिज्म एण्ड रिफॉर्म इन इंडिया, येल युनीवर्सिटी प्रेस, न्यू हेवन, 1938
- सिंह, जी. एन. : सेन्डभायर्स इन कोन्स्टीट्यूशनल डेवेलपमेंट आफ इंडिया, दिल्ली, 1967
- सिंह, करण : प्रोफेट आफ इंडियन नेशनलिज्म, एलन एण्ड ब्रनविन, लन्दन, 1963
- सिंह, संगत : फ्रीडम मूवमेंट इन डेल्ही : 1858-1919, एगोसिएटेड, नई दिल्ली, 1972

सिन्हा, शशधर : इंडियन इन्डिपेन्डेन्स इन पर्सपेक्टिव, एशिया, बम्बई, 1964

सीतारमैया, बी. पी. : बी हिस्ट्री आफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2 खण्ड, पद्मा पब्लि., बम्बई, 1946

सीतलवाड़, सी. एल. : रिक्लेवशन्स एण्ड रिफ्लेक्शन्स, पद्मा पब्लि. बम्बई, 1946

सील, अनिल : दी इमरजेन्स आफ इंडियन नेशनलिज्म, कॅम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1968

— — — — — : दी सूरत कांग्रेस एण्ड कान्फ्रेन्सेज, नटेसन, मद्रास, 1907

सूद, जे. पी. : मैन करेंट्स आफ सोशल एण्ड पोलिटिकल थाट इन माडर्न इंडिया, जयप्रकाशनाथ, मेरठ, 1963

सेनगुप्ता, पद्मिनी : सरोजिनी नायडू : ए बायोप्रेफि, एशिया, बम्बई, 1966

सेन, एन. बी. (सम्पा.) : पंजाब्स एमिनेन्ट हिन्दूज, न्यू बुक सोसाइटी, लाहौर, 1944

सेन, एस. पी. ( , ) : डिक्शनरी आफ नेशनल बायोप्रेफि, 2 खण्ड, इन्स्टीट्यूट आफ हिस्टोरिकल स्टडीज, कलकत्ता, 1973

स्देलमेन, जे. डब्ल्यू. : पोलिटिकल थ्योरी आफ एनशन्ट इंडिया, ब्राक्सफर्ड, 1964

सैयद, एम. एच. : मोहम्मद अली जिन्ना : ए पोलिटिकल स्टडी, मोहम्मद अशरफ, लाहौर, 1945

— — — — — : स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ दादाभाई नौरोजी, नटेसन, मद्रास, 1917

स्नाईडर, लुई (सम्पा.) : दी डायनेमिक्स आफ नेशनलिज्म, वेन नोस्ट्रॅड, न्यूजर्सी, 1964

श्रीनिवास, एम. एस. : सोशल चेन्ज इन मोडर्न इंडिया, केलिफोर्निया युनिवर्सिटी, बर्कले, 1966

श्रीवास्तव, एन. एम. पी. : प्रीय आफ नेशनलिज्म इन इंडिया : इफेक्ट्स आफ इन्टरनेशनल ईवेन्ट्स, मीनाक्षी, मेरठ, 1973

हमीद, अब्दुल : मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया : 1858-1947, ब्राक्सफर्ड, लाहौर, 1967

हाइंडमेन, एच. एम. : दी एथेकनिग आफ एशिया, लन्दन, 1919

हिदायतुल्ला, एम. : डिमोक्रसी इन इंडिया एण्ड बी ज्यूडिशियल प्रोसेस, एशिया, बम्बई, 1966

हीमसाथ, चार्ल्स : नेशनलिज्म एण्ड हिन्दू सोशल रिफोर्म, प्रिंसटन युनि. प्रेस, न्यू जर्सी, 1964

हेयकोवस, जोन पेड्रिक : कम्युनिज्म एण्ड नेशनलिज्म इन इण्डिया : एम. एन. राय एण्ड कोमिनटर्न पोलिती : 1920-1939, प्रिंसटन युनि. प्रेस, न्यूजर्सी, 1971

होडसन, एच. बी. : दी ग्रेट डिवाइड, हचिनसन, लन्दन, 1969

अध्याय 2—राजा राममोहन राय

इकबाल सिद्द : राम मोहन राय, भाग 1, एशिया, बम्बई, 1958

- \_\_\_\_\_ : बी इंग्लिश यक्स आफ राजा राममोहन राय विय एन इंग्लिश ट्रांसलेशन आफ "तुहफातुल मुवाहिद्दीन," पाणिनी प्राफिस, इलाहाबाद, 1906
- कौलेट, सोफिया डाक्सन : साइफ एण्ड सेटर्स आफ राजा राममोहन राय, 1913
- गांगुली, नलिन : राजा राममोहन राय, वाई. एम. सी. ए. पब्लि. हाउस, 1939
- जोशी, बी. सी. (सम्पा.) : राममोहन राय एण्ड बी प्रोसेस आफ मोडर्नाइजेशन इन इण्डिया, विकास, दिल्ली, 1975
- \_\_\_\_\_ : बी फादर आफ माडर्न इण्डिया : कोमेमोरेशन वोल्यूम आफ बी राममोहन राय सेन्टेनरी सेलिब्रेशन, 1933, एस. सी. चक्रवर्ती (सम्पा.), कलकत्ता, 1935
- वाल, उपेन्द्रनाथ : राममोहन राय : ए स्टडी आफ हिज लाइफ, यक्स एण्ड थाट्स, राय एण्ड सन्स, कलकत्ता, 1933
- मजूमदार, जे. के. : राजा राममोहन राय एण्ड प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स इन इण्डिया, कलकत्ता, 1941
- " पी. सी. : बी फेथ एण्ड प्रोग्रेस आफ बी ब्रह्मो समाज, कलकत्ता, 1882
- \_\_\_\_\_ : राजा राममोहन राय हिज लाइफ, राइटिंग्स एण्ड स्पीचिंग, नटेसन, मद्रास, 1925
- शास्त्री, पण्डित शिवनाथ : हिस्ट्री आफ बी ब्रह्मोसमाज, 2 भाग, आर. चटर्जी कलकत्ता, 1911

अध्याय 3—स्वामी दयानन्द सरस्वती

- दयानन्द, स्वामी : सत्यार्थप्रकाश, स्टार प्रेस, बनारस, 1875 (सर्वं प्रथम संस्करण)
- " " : वेदान्तिध्वान्ति निवारण, ओरियंटल प्रेस, बम्बई, 1876
- " " : पंचमहायज्ञविधि, बनारस संस्करण, 1877
- " " : शिक्षापत्रो ध्वान्त निवारण, 1876
- " " : वेदविरुद्धमतखण्डन, निर्णयसागरप्रेस, बम्बई, 1873
- " " : आर्याभिधिनय, प्रथम संस्करण, बम्बई, 1876
- " " : अनुष्ममोच्छेदन, बनारस, 1880
- " " : संस्कारविधि, प्रथम संस्करण, एशियाटिक, बम्बई, 1877
- " " : ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, लजारस प्रेस, बनारस, 1877
- " " : व्यवहारमानु, वैदिक यन्त्रालय, बनारस, 1879
- \_\_\_\_\_ : दयानन्द : कोमेमोरेशन वोल्यूम, हरबिलास शारदा द्वारा सम्पादित, अजमेर, 1933

- : आटोबायोप्रेफि आफ पण्डित दयानन्द सरस्वती, (सम्पा.)  
मैडम ब्लावटस्की, थियोसोफिकल पब्लि. हाउस, मद्रास,  
1952
- : आटोबायोप्रेफि आफ स्वामी दयानन्द सरस्वती, (सम्पा.),  
के. सी. यादव, मनोहर, दिल्ली, 1976
- : वी आटोबायोप्रेफि एण्ड वी ट्रेयल्स आफ स्वामी दयानन्द  
सरस्वती, (सम्पा.) दुर्गाप्रसाद, विरजानन्द प्रेस, लाहौर,  
1908
- मुंशीराम तथा रामदेव : वी आर्यसमाज एण्ड इट्स डिट्टेक्टस : ए थिण्डिकेशन,  
लाहौर, 1910
- रोला, रोमां : प्रोफेस आफ वी न्यू इण्डिया, लन्दन, 1930
- लाजपतराय, लाला : वी आर्यसमाज, लीगमेन्स, ग्रीन एण्ड कं., लन्दन, 1915
- : महर्षि दयानन्द की आत्मकथा, (सम्पा.) भवानीलाल  
भारतीय, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर, 1975
- शारदा, हरबिलास : लाइफ आफ दयानन्द सरस्वती, परोपकारिणी सभा,  
अजमेर, 1968
- सेन, एन. वी. (सम्पा.) : विट एण्ड विजडम आफ स्वामी दयानन्द, न्यू बुक सोसाइटी,  
नई दिल्ली, 1964

#### अध्याय 4—स्वामी विवेकानन्द

- : वी कम्प्लीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकानन्द, 8 भाग, अद्वैत  
आश्रम, अल्मोड़ा
- दत्त, भूपेन्द्रनाथ : विवेकानन्द : पेड्रियट प्रोफेट, नवभारत, कलकत्ता, 1954
- निवेदिता, सिस्टर : वी मास्टर एज आई सा हिम, उद्बोधने, कलकत्ता, 1939
- बर्क, मेरी लुई : स्वामी विवेकानन्द इन अमेरिका : न्यू डिस्कवरीज, अद्वैत  
आश्रम, कलकत्ता, 1958
- मजूमदार, सत्येन्द्रनाथ : विवेकानन्द-चरित  
————— : वी मेसेज आफ विवेकानन्द, अद्वैत आश्रम, अल्मोड़ा, 1966
- योगेश्वरानन्द, (सम्पा.) : वी लाइफ आफ स्वामी विवेकानन्द, अद्वैत आश्रम,  
अल्मोड़ा, 1949
- रोलां, रोमां : लाइफ आफ विवेकानन्द, अद्वैत आश्रम, अल्मोड़ा, 1953
- : लाइफ आफ स्वामी विवेकानन्द : आई हिज ईस्टर्न एण्ड  
वेस्टर्न डिसाइपल्स, अद्वैत आश्रम, अल्मोड़ा, 1933
- विवेकानन्द, स्वामी : फ्रॉम कोलम्बो टु अल्मोड़ा : लेक्चर्स, मद्रास, 1904
- ” ” : स्पोजेज एण्ड राइटिंग्स,
- ” ” : इंडिया एण्ड हर प्रोग्रेस,

- विवेकानन्द, स्वामी : एपिसल्स आफ स्वामी विवेकानन्द, मायावती, अल्मोड़ा, 1920
- ” ” : सिलेक्शन्स फ्रॉम स्वामी विवेकानन्द,
- ” ” : ज्ञानयोग
- ” ” : राजयोग
- ” ” : प्रैक्टिकल वेदान्त
- ” ” : इन्स्पामर्ड टाक्स, माई मास्टर एण्ड अदर राइटिंग्स, रामकृष्ण-विवेकानन्द सेंटर, न्यूयार्क, 1939
- ” ” : माडर्न इंडिया, अद्वैत आश्रम, अल्मोड़ा, 1923
- ” ” : भक्तियोग
- ” ” : प्रेमयोग
- ” ” : शिकागो वक्तृता, श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, 1972

### अध्याय 5—श्रीमती एनी बेसेंट

- बेसेंट, एनी : हाऊ इंडिया रोट फोर फ्रीडम, थियोसोफिकल पब्लि. हाउस, अडयार, मद्रास, 1915
- ” ” : दो फ्यूचर आफ इंडियन पोलिटिक्स, थि. प. हा., मद्रास, 1922
- ” ” : इंग्लैंड, इंडिया एण्ड अफगानिस्तान, थि. प. हा. मद्रास, 1931
- (सम्पा.) : अवर ऐल्डर ग्रेडरन, थि. प. हा., मद्रास, 1934
- बेसेंट, एनी : दो यूनिवर्सल टेक्स्ट-बुक आफ रिलीजन्स एण्ड मोरल्स, मद्रास, 1910
- ” ” : इंडिया एण्ड दी एम्पायर, थियोसोफिकल पब्लि. सोसायटी, लंदन, 1914
- ” ” : कांग्रेस स्पीचेज आफ एनी बेसेंट, मद्रास, 1917
- ” ” : दी बेसेन्ट स्पिरिट, 4 भाग, मद्रास, 1938
- ” ” : ब्रह्मविद्या, मद्रास, 1932
- ” ” : दी बेसिक ट्रुथ्स आफ वर्ल्ड रिलीजन्स : दी श्री वर्ल्ड मुवमेंट्स, मद्रास, 1926
- ” ” : शैल इंडिया लिव और डाइ, मद्रास, 1925
- ” ” : पोपुलर लेक्चर्स आन थियोसोफी, मद्रास, 1939
- ” ” : इंडिया, थि. प. सो., लंदन, 1913
- ” ” : दी इंडिया वेट शैल बी, मद्रास, 1940
- ” ” : सिविलीजेशन्स डेडलोक्स एण्ड दी कीज, मद्रास, 1925
- ” ” : दी विजडम आफ दी उपनिषद्स, मद्रास, 1907

- बेसेंट, एनी : इंडियन आइडियल्स इन एजुकेशन, रिसीजन, फिलोसोफीज, आर्ट, कमला भाषण माला 1924-25, मद्रास, 1930  
 " " : लेक्चर्स आन पोलिटिकल साइंस, मद्रास, 1919  
 " " : इंडिया : ए नेशन, मद्रास, 1939  
 " " : आटोबायोप्रेफि, मद्रास, 1939  
 " " : दी मास्टर्स, मद्रास, 1912  
 पाल, विपिनचन्द्र : मिसज एनी बेसेंट : ए साइकोलोजिकल स्टडी, गणेश, मद्रास, ति. र.  
 श्री प्रकाश : एनी बेसेंट, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1954

### अध्याय 7—महादेव गोविंद रानाडे

- रानाडे, महादेव गोविंद : एसेज आन इंडियन इकोनोमिक्स, बम्बई, 1899  
 " " : दी मिसलेनियस राइटिंग्स आफ एम. जी. रानाडे, मनोरजन प्रेस, बम्बई, 1915  
 " " : दी राइज आफ मराठा पावर, बम्बई, 1900  
 " " : रिलीजियस एण्ड सोशल रिफोर्म्स, बम्बई, 1918  
 अम्ब्रेडकर, भीमराव : रानाडे, गांधी एण्ड जिन्ना, घेकर, बम्बई, 1924  
 कर्वे, डॉ. जी. : रानाडे, दी प्रोफेट आफ लिबरेटेड इंडिया, आर्य भूषण प्रेस, पूना, 1942  
 केलीक, जेम्स : महादेव गोविन्द रानाडे : पेट्रियट एण्ड सोशल सर्वेंट, कलकत्ता, 1926  
 गोखले तथा वाचा चिन्तामणि, सी. वाई. (सम्पा.) : इंडियन सोशल रिफोर्म, 4 भाग, मद्रास, 1901  
 जागीरदार, पी. जे. : स्टडीज इन दी सोशल पाठ आफ एम. जी. रानाडे, एशिया, बम्बई, 1963  
 पावंते, टी. वी. : महादेव गोविन्द रानाडे : ए बायोप्रेफि, एशिया, बम्बई, 1963  
 मांकड, जी. ए. : ए स्केच आफ दी लाइफ एण्ड वर्क आफ दी सेट जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे, 2 भाग, बम्बई, 1902  
 रानाडे, रमाबाई : हिज घाइसट रेमिनिसेन्सेज, पब्लि. टिवीजन, नई दिल्ली, 1963

### अध्याय 8—दादाभाई नौरोजी

- नौरोजी, दादाभाई : पावर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, स्वान सोनेनशीन, लंदन, 1901

- पारिख, सी. एल. (सम्पा.) : एसेज, स्पीचेज, एड्जेसेज एण्ड राइटिंग्स आफ दादाभाई नौरोजी, बम्बई, 1887
- मसानी, आर. पी. : दादाभाई नौरोजी, दी प्रॉड ओल्डमेन आफ इंडिया, एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1939
- स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ दादाभाई नौरोजी, नटेशन, मद्रास, 1917

### अध्याय 9—फिरोजशाह मेहता

- चिन्तामणि, सी. वाई. : स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ दी आनरेबल सर फिरोजशाह मेहता, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 1905
- (सम्पा.)
- जीजीभाय, जे. आर. बी. : सम अनपब्लिशड एण्ड लेटर स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ दी ओनरेबल सर फिरोजशाह मेहता, बम्बई, 1918
- मोदी, एच. पी. : सर फिरोजशाह मेहता : ए पोलिटिकल बायोग्रेफि, 2 भाग, वाचा, दी० इ० : स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ दी ओनरेबल सर फिरोजशाह मेहता, इलाहाबाद, 1905
- शास्त्री, वी. एस. श्रीनिवास : लाइफ एण्ड टाइम्स आफ सर फिरोजशाह मेहता, मद्रास, 1945

### अध्याय 10—सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

- बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ : ए नेशन इन मेकिंग : बींग दी रेमिनिस्सेन्सेज आफ फिफ्टी ईयर्स आफ पब्लिक लाइफ, आक्सफर्ड, बम्बई, 1925
- ” ” : स्पीचेज, 6 भाग, कलकत्ता, 1891-1908
- आगंठ, डेनियल : मोडरेट्स एण्ड एक्सट्रीमिस्ट्स इन दी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट : 1883-1920, एशिया, बम्बई, 1967
- बोस, के. एस. : सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, पब्लि. डिवीजन, नई दिल्ली, 1974
- ” जे. एस. : सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, (ए स्नेपशाट), ढाका, 1939
- नटेशन, जी. ए. : बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी : दी मेन एण्ड हिज मिशन, मद्रास, 1917

### अध्याय 11—गोपाल कृष्ण गोखले

- कर्वे, बी. जी. (सम्पा.) : स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ गोपालकृष्ण गोखले, बम्बई, 1966
- कुंजरू, एच. एन. : गोपाल कृष्ण गोखले : दी मेन एण्ड हिज मिशन, नई दिल्ली, 1966
- : गोखले सेन्टेनरी सुवेनिर (1866-1966), नई दिल्ली, 1966
- देवगिरिकर, टी. आर. : गोपाल कृष्ण गोखले, पब्लि. डिवीजन, नई दिल्ली, 1964



नंदा, बी. आर. : गोखले : दी इंडियन मोडरेट्स एण्ड दी ब्रिटिश राज, ब्राक्सफर्ड, दिल्ली, 1977

पटवर्धन, आर. पी. : दी सिलेक्ट गोखले, नई दिल्ली, 1968

परांजपे, आर. पी. : गोपालकृष्ण गोखले, पूना, 1915

पार्वते, टी. बी. : गोपालकृष्ण गोखले, नवजीवन, ग्रहमदाबाद, 1959

माथुर, डी. बी. : गोखले : ए पोलिटिकल बायोग्रेफि, बम्बई, 1966

रामास्वामी, सी. पी. तथा : गोखले : दी मेन एण्ड हिज मिशन, बम्बई, 1966

ग्रन्थ

राव, पी. कोदंड : गोखले एण्ड शास्त्री, मैसूर, 1961

शास्त्री, बी.एस. श्रीनिवास : माई मास्टर गोखले, मोडल पब्लि. मद्रास, 1946

शाहनी, टी. के. : गोपालकृष्ण गोखले : ए हिस्टोरिकल बायोग्रेफि, बम्बई, 1929

शाह, ए.बी. तथा ऐयर, : गोखले एण्ड माडर्न इंडिया : सेन्टेनरी सेक्चर्स, बम्बई, 1966  
एस. पी (सम्पा.)

————— : स्पीचेज आफ गोपालकृष्ण गोखले, नटेशन, मद्रास, 1920

————— : स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ गोपालकृष्ण गोखले, भाग प्रथम, आर्थिक, पूना, 1962

होयलंड, जे. एस. : गोपालकृष्ण गोखले : हिज लाइफ एण्ड स्पीचेज, कलकत्ता, 1933

### अध्याय 12—बी. एस. श्रीनिवास शास्त्री

जगदीशन, टी. एन : बी. एस. श्रीनिवास शास्त्री, पब्लि. डिवीजन, नई दिल्ली, 1969

” ” (सम्पा.) : लेटर्स आफ बी. एस. श्रीनिवास शास्त्री, रोच हाउस, मद्रास, 1944

राव, पी. कोदंड : दी राइट आनरेबल बी. एस. श्रीनिवास शास्त्री : ए पोलिटिकल बायोग्रेफि, एशिया, बम्बई, 1963

————— : दी राइट आनरेबल बी. एस. श्रीनिवास शास्त्री : ए स्केच, नटेशन, मद्रास, 1924

शास्त्री, बी.एस. श्रीनिवास : माई मास्टर गोखले, मोडल पब्लि., मद्रास, 1946

” ” : दी राइट्स एण्ड ड्यूटीज आफ दी इंडियन सिटीजन, कलकत्ता युनिवर्सिटी प्रेस, 1927

” ” : दी अदर हार्मनी, एस. विश्वनाथन, मद्रास, 1927

” ” : शास्त्री स्पोषस, नाटाल प्रेस, पीटर मेरिजवर्ग, 1931

” ” : रेमिनिसेन्सेज (तमिल), कलाइमगल प्रेस, मद्रास, 1954

” ” : सेल्फ गवर्नमेन्ट फोर इंडिया अंडर दी ब्रिटिश एनेग, सर्वेट्स आफ इंडिया सोसायटी, पूना, 1916

- शास्त्री, बी.एस. श्रीनिवास : कांग्रेस-लीग स्कीम : एन एक्सपोजीशन, सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी, पूना, 1917
- " " : दी कौन्सिल प्रोब्लम, सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी, पूना, 1924
- " " : साइफ एण्ड टाइम्स आफ फिरोजशाह मेहता, मद्रास ला जर्नल प्रेस, मद्रास, 1945
- " " : लेक्चर्स आन दी रामायण, एस. विश्वनाथन, मद्रास, 1949
- " " : थम्बनेल स्केचेज, मद्रास, 1946
- : स्पीचेज आफ दी राइट आनरेबल श्रीनिवास शास्त्री, नटेशन, मद्रास, 1924
- सर्वेन्ट आफ इंडिया (साप्ताहिक) दी सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसायटी, पूना

### अध्याय 13—बाल गंगाधर तिलक

- अठाल्ये, डी. वी. : साइफ आफ लोकमान्य तिलक, जगत हितेच्छु प्रेस, पूना, 1921
- श्री अरविन्द : बंकिम, तिलक, दयानन्द, आर्य पब्लि. हाउस, कलकत्ता, 1940
- करमरकर, डी. पी. : बाल गंगाधर तिलक : ए स्टडी, पोपुलर बुक डिपो, बम्बई 1936
- करदिकर, एस. एल : लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक : दी हरब्यूलीज एण्ड प्रामेथ्यूज आफ माडर्न इंडिया, पूना, 1957
- केलकर, एन. सी. : साइफ एण्ड टाइम्स ओफ लोकमान्य तिलक, मद्रास, 1928
- तहमानकर, डी. वी. : लोकमान्य तिलक : फादर आफ इंडियन अनरेस्ट एण्ड बी मेकर आफ मोडर्न इंडिया, जान मर्रे, लन्दन, 1956
- तिलक, बाल गंगाधर : दी आर्कटिक होम इन दी वेदाज, तिलक ब्रदर्स, पूना
- " " : ओरियाँ ओर रिसर्चज इन्टू दी एन्टिक्विटी आफ दी वेदाज, तिलक ब्रदर्स, पूना
- " " : वैदिक फोनोस्तोजी एण्ड वेदांग ज्योतिष
- " " : राइटिन्स एण्ड स्पीचेज, मद्रास, 1922
- " " : गीता रहस्य
- " " : आर्टिकल्स आफ लोकमान्य तिलक इन दी केसरी, 4 भाग
- पावंते, टी. वी. : बाल गंगाधर तिलक, नवजीवन, अहमदाबाद, 1958
- प्रधान तथा भागवत : लोकमान्य तिलक : ए बायोपेफि, जैको, बम्बई, नि.र.
- वापट, एस.बी. (सम्पा.) : स्तीनिंग फ्रॉम तिलकस राइटिन्स एण्ड स्पीचेज, पूना, 1926
- भट्ट, बी. जी. : लोकमान्य तिलक : हिज साइफ, माइन्ड, पोलिटिक्स एण्ड फिलोसोफी, पूना, 1956
- रामगोपाल : लोकमान्य तिलक, एशिया, बम्बई, 1956

- रीजनर तथा गोल्डबर्ग : तिलक एण्ड बी स्ट्रुगल फोर फ्रीडम, पी.पी.एच., नई दिल्ली, 1966
- वोल्पर्ट, स्टेनले : तिलक एण्ड गोखले, कैलिफोर्निया युनि. प्रेस, बर्कले, 1962
- शे, टी. एल. : बी लिंगेस्ती आफ बी लोकमान्य, आक्सफर्ड, बम्बई, 1956
- सास्त्रुलु : धाल एबाउट लोकमान्य तिलक, मद्रास, 1922

अध्याय 14—लाला लाजपतराय

- लाजपत राय, लाला : अनहैपी इंडिया, बन्ना पब्लि. कलकत्ता, 1928
- " " : आत्मकथा, नवयुग ग्रन्थमाला, लाहौर, 1932
- " " : दो आर्यसमाज, लॉगमेन्स, ग्रीन एण्ड कं., लंदन, 1915
- " " : आइडियल्स आफ नान-कोओपरेशन एण्ड अवर एजेज, गणेशन, मद्रास, 1924
- " " : इंग्लंड्स डेट टु इंडिया, ह्यू बश, न्यूयार्क, 1917
- " " : इवोल्यूशन आफ जापान एण्ड अवर पेपर्स, भार. अटर्जी, कलकत्ता, 1919
- " " : दी काल टु यंग इंडिया, गणेशन, मद्रास, 1920
- " " : गेरीबेल्डी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1967
- " " : छत्रपति शिवाजी, लाहौर, 1896
- " " : जीवन चरित्र पंडित गुरुवत्त विद्यार्थी, पिंडीदास, लाहौर, 1914
- " " : डायरी, जून 6, 1919, न्यू यार्क, नेशनल थारकाइज्ज आफ इंडिया (माइक्रो फिल्म)
- " " : दी पोलिटिकल पयूचर आफ इंडिया, ह्यू बश, न्यूयार्क, 1919
- " " : दी प्रोबलम आफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, पब्लि. डिवोजन, नई दिल्ली, 1966
- " " : दी मेन इन हिज वर्ड, नटेसन, मद्रास, 1907
- " " : दी मेसेज आफ बी भगवद्गीता, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 1908
- " " : मत्सोनी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1967
- " " : महात्मा गांधी : बी वल्ड्स प्रेस्टेज मेन, नेशनल पब्लि. कं., बम्बई, 1922
- " " : यंग इंडिया : एन इंटरप्रेटेशन आफ बी नेशनलिस्ट मुवमेंट फ्रॉम विदिन, ह्यू बश, न्यूयार्क, 1917
- " " : बी यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका : ए हिन्डू इम्प्रेसन एण्ड ए स्टडी, थारु अटर्जी, कलकत्ता, 1916
- " " : रिफ्लेक्शन आन बी पोलिटिकल सिच्युएशन इन इंडिया, 3 भाग, जापान, ति. र.

- " " : रिपोर्ट्स आफ पीपुल्स फेमीन रिलीफ मूवमेंट 1908, लाहौर, 1909
- " " : साइफ आफ महात्मा श्रीकृष्ण, लाहौर, 1900
- " " : साइफ एण्ड टीचिंग्स आफ स्वामी दयानन्द, लाहौर, 1898
- " " : साइफ आफ पंडित गुरुदत्त विद्यापीठ, विरजामन्द प्रेस, लाहौर, 1891
- " " : सन्नाट अशोक, चौधरी एण्ड सन्स, बनारस, 1933
- " " : स्टोरी आफ माई डिपॉजिशन, पंजाबी प्रेस, लाहौर, 1908
- " " : दी स्टोरी आफ माई लाइफ, दी पीपुल (लाहौर), लाजपतराय नम्बर, अप्रैल 13 तथा, 18, 1929
- साला लाजपतराय : आटोबायोग्रेफिकल राइटिंग्स, युनिवर्सिटी -पब्लि., दिल्ली, 1965, बी. सी. जोशी द्वारा संपादित
- साला लाजपतराय : राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, 2 भाग, युनि. पब्लि. 1966, बी. सी. जोशी द्वारा संपादित
- अग्रवाल, आर. सी. : बेशकत्त लाजपति, देवनागरी यंत्रालय, कलकत्ता, 1912
- कैलाश, एन. एन. : साला लाजपतराय : हिज रिलेवेन्स फोर अवर टाइम्स, ललवाणी ब्रदर्स, बम्बई, 1965
- 
- प्रेट घाट्स आफ साला लाजपतराय, अल्बर्ट प्रेस, लाहौर, 1928
- मर्ग, बी. आर. : साला लाजपतराय एज एन इलुशनिस्ट, अम्बाला, 1973
- गोल्डन जुबली मूव्हेनर : सर्वेन्ट्स आफ दी पीपुल सोसायटी, लाजपत भवन, नई दिल्ली, दिसम्बर, 1972
- पोषाल, ज्योतिषचन्द्र (सम्पा.) : साइफ आफ साला लाजपतराय, रामकृष्ण पब्लि. वर्क्स, कलकत्ता, 1928
- चंदवानी, पी. बी. : साला लाजपतराय एण्ड हिज रिलेवेन्स टु डे, ललवाणी ब्रदर्स, बम्बई, 1965
- जगन्नाथ, साला : शोर्ट बायोग्रेफिक आफ साला लाजपतराय, नई दिल्ली, ति. र. फट्के, एस. के. : साला लाजपतराय किंवा नव युगाचा पूर्ववंग (मराठी), नवयुग धर्ममाला, पणवेल, 1931
- 
- पोसीडिंग्स आफ दी हिन्दू कॉन्स्पिरेसी ट्रायल आफ सैन-क्रॉसिस्को (1917-18), (माइक्रोफिल्म)
- 
- बायोग्रेफिकल स्केच आफ साला लाजपतराय, लाजपत भवन, नई दिल्ली
- मोहन साला : साला लाजपतराय : जीवन और कार्य, विश्वेश्वरानंद इंस्टीट्यूट, होशियारपुर, 1965
- मटेसन, जी. ए. : साला लाजपतराय आन मोन-कॉन्सोपरेशन: दी मॅनिफेस्टो थान क्रीडम आफ ओपीनियन एटसेट्टा, नटेसन, मद्रास, ति. र.

- नागर, पुरुषोत्तम : लाला लाजपतराय : दी मेन एण्ड हिज आइडियाज, मनोहर, नई दिल्ली, 1977
- रामदेव : लाला लाजपतराय यांचे आत्मचरित्र थ चरित्र (मराठी) कर्नाटक पब्लि. हाउस, बम्बई, 1931
- लाजपतराय एण्ड रेलेवेन्स आफ हिज आइडियाज टु डे, पंजाब युनिवर्सिटी, चंडीगढ, 1972 (मिमोग्राफ)
- लाका लाजपतराय ग्लिम्पसेज फ्रोम हिज लाइफ, लालपत भवन, नई दिल्ली, 1965
- शास्त्री, अलगूराय : लाला लाजपतराय, लोक सेवक मंडल, दिल्ली, 1951
- सहोटा, डी. एस. : लाला लाजपतराय हिज लाइफ एण्ड थाट, दूधिके, 1974
- हार्डीकर, एन. एस. : लाला लाजपतराय इन अमेरिका, सर्वेट्स आफ दी पीपुल सोसायटी, नई दिल्ली, ति. र.
- बी पंजाबी : लाहौर, मई 15, 1905 से जुलाई 15, 1909
- बी पीपुल : लाहौर, जुलाई 5, 1925 से दिसम्बर 5, 1929

अध्याय 15—बिपिन चन्द्र पाल

- पाल, बिपिनचन्द्र : एनी बेसेट, गगेश, मद्रास, 1917
- " " : एन इन्ट्रोडक्शन टु दी स्टडी आफ हिन्दूइज्म, कलकत्ता, 1908
- " " : विगिनिंग्स आफ फ्रीडम मूवमेंट इन माडर्न इंडिया, युगयात्री प्रकाशन, कलकत्ता, 1954
- " " : रेस्पॉसिबल गवर्नमेंट, बनर्जी, दास एण्ड कं. कलकत्ता, 1917
- " " : बी सोल आफ इंडिया, चौधरी एण्ड चौधरी, कलकत्ता, 1911
- " " : नेशनलिज्म एण्ड दी ब्रिटिश एम्पायर,
- " " : नेशनलिटी एण्ड दी ब्रिटिश एम्पायर, रॉकर, स्पिक एण्ड कं., कलकत्ता, 1916
- " " : इंडियन नेशनलिज्म : इट्स पर्सनेलिटोज एण्ड प्रिंसिपल्स, मूर्ति एण्ड कं., मद्रास, 1918
- " " : बी स्पिरिट आफ इंडियन नेशनलिज्म, हिन्दू नेशनलिस्ट एजेन्सी, लंदन,
- " " : बी न्यू इकोनोमिक मीनेस टु इंडिया, गगेश एण्ड कं., मद्रास, 1920
- " " : थीहूएन, टैगोर एण्ड कं., मद्रास,
- " " : मॅमोरीज आफ पाइ लाइफ एण्ड टाइम्स, (1858-1885), भाग 1, कलकत्ता, 1932

## धामुनिक भारतीय समाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन

- कृष्ण, के. बी. : दी प्रोब्लम आफ माइनोरिटोज, ऐलन एण्ड धनविन, लंदन, 1939
- कौशिक, बी. जी. : दी हाउस वेट जिन्ना बिल्ड, पद्मा पब्लि. बम्बई, 1944
- ग्राहम, जी. एफ. आई. : दी लाइफ एण्ड वर्क आफ सर सैयद अहमद खां, हार्वर एण्ड स्टारटन, लंदन, 1909
- खलिकुज्जमां : पाथ वे टु पाकिस्तान,
- इकबाल, मोहम्मद : सिक्स लेक्चर्स आन दी रिकंस्ट्रक्शन आफ रिंलीजियस थाट इन इस्लाम, कपूर आर्ट प्रि. वर्क्स, लाहौर, 1930
- " " : रिकंस्ट्रक्शन आफ रिंलीजियस थाट इन इस्लाम, ग्रान्सफर्ड, 1934
- " " : दी डेवलेपमेंट आफ मेटाफिजिक्स इन पशिषा, लुजाक एण्ड कं., लंदन, 1908
- चौधरी, बी. एम. : मुस्लिम पोलिटिक्स इन इंडिया, ओरियन्ट बुक कं. कलकत्ता, 1946
- जंदी, ए. एम. : फ्रोम सैयद टु इमरजेंस आफ जिन्ना : इवोल्यूशन आफ मुस्लिम पोलिटिकल थाट इन इण्डिया, खण्ड 1, मिचिको, दिल्ली, 1975
- जैन, एम. एस. : आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1973
- जकारिया, रफीक : राइज आफ मुस्लिम्स इन इण्डियन पोलिटिक्स, सोमैया पब्लि. बम्बई, 1970
- एनवर, आई. एच. : मेटाफिजिक्स आफ इकबाल, अशरफ, लाहौर, 1933
- 
- "जिन्ना इन पाकिस्तान", इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इण्डिया, दिसम्बर 26, 1976
- जिन्ना, एम. ए. : स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स (1912-1917), गणेश, मद्रास, 1917
- 
- जिन्ना-गांधी टाक्स (सितम्बर, 1944), आल इण्डिया मुस्लिम लीग, 1944
- 
- दी ट्रिब्यून (लाहौर), दिसम्बर 14, 1924
- दर, बी. ए. : ए स्टडी आफ इकबाल्स फिलोसोफी, अशरफ, लाहौर, 1944
- दुर्रानी, एफ. के. के. : दी मीनिंग थाफ पाकिस्तान, अशरफ, लाहौर, 1946
- " " : दी पयूवरर आफ इस्लाम इन इण्डिया, इकबाल एनेडेमी, लाहौर, 1926
- प्रसाद, राजेन्द्र : इण्डिया डिवाइडेड, हिन्द किताब्स, बम्बई, 1946
- फारूकी, जियाउल हसन : दी डेवन्वर् लूल् एण्ड बी डिमांड फोर पाकिस्तान, एशिषा, बम्बई, 1963

- फिलिप्स, सी. एच. : वी इवोल्यूशन आफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान, ब्राक्सफर्ड, लन्दन, 1962
- बानू, रजिया फरहत : खुबबात-ए-इकबाल, दिल्ली, 1946
- बेग, ए. ए. : वी पोपट आफ वी ईस्ट, कुतुबखाना, लाहौर, 1939
- बोलियो, हेक्टर : जिफ्रा : क्रिएटर आफ पाकिस्तान, जान मर्रे, लन्दन 1954
- बेनी प्रसाद : वी हिन्दू-मुस्लिम रिलेशन्स, किताबिस्तान, इलाहबाद, 1941
- मलिक, हाफिज : मुस्लिम नेशनलिज्म इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पब्लि. अफेयर्स प्रेस, वाशिंगटन, 1963
- मेहता, अशोक तथा पटवर्धन, अच्युत : वी कम्यूनल ट्राएंगल इन इंडिया, किताबिस्तान, इलाहबाद, 1942
- नायडू, सरोजिनी : मोहम्मद अली जिफ्रा, एन एम्बेसेडर आफ यूनीटी : हिज स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स, 1912-1917, गणेश, मद्रास, 1918
- नागरकर, वी. वी. : जेनेसिस आफ पाकिस्तान, एसाइड पब्लि. नम्बई, 1977
- नोमान, मोहम्मद : मुस्लिम इंडिया, किताबिस्तान, इलाहबाद, 1942
- साजपतराय, लाला : "ओपन लैटर्स टू सर सैयद अहमद खां", अक्टूबर 27-दिसम्बर 20, 1888 देखिये लाला साजपतराय : वी मैन इन हिज यर्ष
- शमलू, (संक) : स्पीचेज एण्ड स्टेटमेंट्स आफ इकबाल, अल-मन्नार अकादमी, लाहौर, 1948
- शेरवानी, हारूँ खां : स्टडीज इन मुस्लिम पोलिटिकल थॉट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अशरफ, लाहौर, 1945
- सैयद, अहमद खां : वी प्रेजेन्ट स्टेट आफ इंडियन पोलिटिक्स, पायोनीयर प्रेस, इलाहाबाद, 1888
- ” ” वी क्राजेज आफ वी इंडियन रिपब्लिक
- सैयद, एम. एच. : मोहम्मद अली जिन्ना : पोलिटिकल स्टडी, अशरफ, लाहौर, 1945
- सिन्हा, सच्चिदानन्द : इकबाल : वी पोपट एण्ड हिज मेसेज, रामनारायणलाल, इलाहाबाद, 1943
- स्मिथ, बिलफोर्ड सी. : माडर्न इस्लाम इन इंडिया, विक्टर गोर्लेज, लन्दन, 1946

## आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन

### खण्ड 2

#### अध्याय 20—मोहनदास करमचन्द गांधी

- अग्रवाल, श्रीमन्नारायण : गांधीयन फोन्स्टीट्यूशन फोर फ्री इंडिया, इलाहाबाद, 1946
- ” ” : दी गांधीयन'प्लान, बम्बई, 1944
- ” ” : गांधीज्म : ए सोशललिस्टिक एप्रोच, इलाहाबाद, 1946
- ” ” : प्रिन्सिपल्स ऑफ गांधीयन प्लानिंग, इलाहाबाद, 1960
- अंजारिया, जे. जे. : एसेज आन गांधीयन इकोनोमिक्स, बम्बई, 1945
- अठाले : नियो-हिन्दूइज्म, बम्बई, 1932
- अवेदकर, बी. आर. : एनिहिलेशन आफ कास्ट एण्ड ए रिप्लाय टू महात्मा गांधी, बम्बई, 1939
- ” ” : श्वाट फॉरस एण्ड गांधी हेव इन फोर दी अनटचेबल्स, बम्बई, 1945
- ” ” : मि. गांधी एण्ड दी इमेन्सीपेरान आफ अनटचेबल्स, बम्बई, 1943
- ” ” : रानाडे, गांधी, जिन्ना, बम्बई, 1943
- अलेक्जान्डर, होरेस तथा  
अन्य : सोशल एण्ड पोलिटिकल आईडियाज आफ महात्मा गांधी, नई दिल्ली, 1947
- आयनायकम, आशादेवी : गांधी : दी टीचर, बम्बई, 1966
- आहुलीवालिया, बी. के.  
(सम्पा) : फेसेट्स आफ गांधी, नई दिल्ली, 1968
- ईटन, जीनेट : गांधी : फाइटर विदाउट ए स्विर्ड, न्यूयार्क, 1950
- एन, ज्योफे : गांधी : ए स्टडी इन रिवोल्यूशन, लंदन, 1968
- एरिकसन, ई. एच. : गांधीज ट्रूथ : आन दी ओरिजिन आफ मोनोपॉलीसेन्स, न्यूयार्क, 1969
- एंड्रूज, सी. एफ. : महात्मा गांधी : हिज ओन स्टोरी
- ” ” : महात्मा गांधीज आईडियाज, लन्दन, 1949
- ” ” : मोनिंग आफ मोन-कीआपरेशन, मद्रास, 1922
- ” ” : दी चेतन आफ दी नार्थ-वेस्टर्न फ्रंटियर, लन्दन, 1937
- \_\_\_\_\_ : दी क्लेयटेड वर्स आफ महात्मा गांधी, नई दिल्ली,



- कालेलकर, काका : गांधीवाद और समाजवाद, दिल्ली, 1939
- किंग, मार्टिन लूथर : स्ट्राइड्स टुवार्ड्स फ्रीडम, लंदन, 1959
- कुमारप्पा, जे. सी. : गांधियन इकीनोमी एण्ड अदर एसेज, अहमदाबाद, 1942
- ” ” : नोन-वापोलेंट रिवोल्यूशन एण्ड वर्ल्ड पीस, वर्धा, 1958
- कुलकर्णी, बी. बी. : दी इंडियन ट्रियमविरेट, बम्बई, 1969
- कूपर, लियो : पेंसिव रेजिस्टेंस इन साउथ अफ्रीका, लन्दन, 1656
- केटलिन, एल. एम. : दी पाय आफ महात्मा गांधी, लंदन, 1948
- कौशिक, के. डी. : दी कांग्रेस आईडियोलोजी एण्ड प्रोग्राम : 1920-47, बम्बई, 1964
- ” नारायण : प्ली फोर ए न्यू वर्ल्ड आर्डर : ए साइंटिफिक एप्रोच इन ट्रूथ एण्ड नोन वापोलेंस, नेमारा, 1941
- कृपालानी, कृष्ण : गांधी : ए लाइफ, 1968
- ” (सम्पा) : आल मैन आर ब्रदर्स, अहमदाबाद, 1960
- ” जे. बी. : गांधी : दी स्टैंट्समेन, दिल्ली, 1951
- ” ” : दी गांधियन वे, बम्बई, 1938
- ” ” : गांधी : हिज लाइफ एण्ड थाट, नई दिल्ली, 1970
- ” ” : नोन-वापोलेंट रिवोल्यूशन, बम्बई, 1938
- ” ” : पोलीटियस आफ चर्चा, बम्बई, 1943
- कृष्णमूर्ति, वाई. जी. : गांधियन ईरा इन वर्ल्ड पोलीटियस, बम्बई, 1943
- ” ” : नियो-गांधीज्म, बम्बई, 1954
- ” ” : रिफ्लेक्शन्स आन दी गांधियन रिवोल्यूशन, बम्बई, 1944
- कृष्णदास : सेवन मंथ्स विय महात्मा गांधी, अहमदाबाद, 1951
- कृष्णया, पी. जी. (सम्पा.) : महात्मा गांधी एण्ड दी यू. एस. ए., न्यूयार्क, 1949
- गांधी, मोहनदास करमचन्द : अनासक्ति योग, कलकत्ता, 1934
- ” ” : अवर लॅंग्वेज प्रोग्राम, करांची, 1942
- ” ” : आरोग्य दर्शन,
- ” ” : इकोनोमिक एण्ड इंडस्ट्रियल लाइफ एण्ड रिलेशन्स, 3 एण्ड, (सं) नेर, अहमदाबाद, 1957
- ” ” : इकोनोमिक्स आफ लादी, अहमदाबाद, 1941
- ” ” : इन सचं आफ दी मुप्रोम, 2 एण्ड, बम्बई, 1932
- ” ” : इंडिया आफ माई ड्रीम्स, (गंक) प्रभु अहमदाबाद, 1960
- ” ” : इंडियन स्टेट्स प्रोग्राम, अहमदाबाद, 1941
- ” ” : एथिकल रिलीजन, नद्राम, 1922
- ” ” : फॉरवर्ड आर सेफ, प्रभु तथा राय द्वारा सम्पादन, बम्बई, 1943
- ” ” : बौद्धिक प्रोग्राम, अहमदाबाद, 1941
- ” ” : बम्बूनिज्म एण्ड बम्बूनिज्म, अहमदाबाद, 1959

## प्राधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन

### खण्ड 2

#### अध्याय 20—मोहनदास करमचन्द गांधी

- अप्रवाल, श्रीमन्नारायण : गांधीयन कोन्स्टीट्यूशन फोर फ्री इंडिया, इलाहाबाद, 1946
- ” ” : दी गांधीयन प्लान, बम्बई, 1944
- ” ” : गांधीज्म : ए सोशललिस्टिक एप्रोच, इलाहाबाद, 1946
- ” ” : प्रिन्सिपल्स ऑफ गांधीयन प्लानिंग, इलाहाबाद, 1960
- अजारिया, जे. जे. : एसेज आन गांधीयन इकोनोमिक्स, बम्बई, 1945
- अठाले : नियो-हिन्दूइज्म, बम्बई, 1932
- अंबेदकर, बी. आर. : एनिहिलेशन आफ फास्ट एण्ड ए रिप्लाइ टू महात्मा गांधी, बम्बई, 1939
- ” ” : क्लॉट फॉरस एण्ड गांधी हेव इन फोर दी अनटचेबल्स, बम्बई, 1945
- ” ” : मि. गांधी एण्ड दी इमेन्सीपेशन आफ अनटचेबल्स, बम्बई, 1943
- ” ” : रानाडे, गांधी, जिन्ना, बम्बई, 1943
- अलेक्जान्डर, होरेस तथा अन्य : सोशल एण्ड पोलिटिकल आईडियाज आफ महात्मा गांधी, नई दिल्ली, 1947
- अर्यनायकम, आशादेवी : गांधी : दी टीचर, बम्बई, 1966
- आहुलीवालिया, बी. के. (सम्पा) : फेसेट्स आफ गांधी, नई दिल्ली, 1968
- ईटन, जीनेट : गांधी : फाइटर विदाउट ए स्पोर्ड, न्यूयार्क, 1950
- एण, ज्योफे : गांधी : ए स्टडी इन रिवोल्यूशन, लंदन, 1968
- एरिकसन, ई. एच. : गांधीज ट्रूथ : आन बी ओरिजिन आफ मोनबायोलेन्स, न्यूयार्क, 1969
- एंड्रूज, सी. एफ. : महात्मा गांधी : हिज ओन स्टोरी
- ” ” : महात्मा गांधीज आईडियाज, लन्दन, 1949
- ” ” : मोनिंग आफ मोन-कोआपरेशन, मद्रास, 1922
- ” ” : दी चैलेंज आफ दी नॉन-वेस्टर्न कंटिण्ट, लन्दन, 1937
- : दी क्लेबेटेड चर्च आफ महात्मा गांधी, नई दिल्ली,

- कालेलकर, काका : गांधीवाद और समाजवाद, दिल्ली, 1939
- किंग, मार्टिन लूथर : स्ट्राइड्स टुवार्ड्स फ्रीडम, लंदन, 1959
- कुमारप्पा, जे. सी. : गांधियन इकौनोमी एण्ड अदर एसेज, अहमदाबाद, 1942
- " " : नोन-वायोलेंट रिवोल्यूशन एण्ड वर्ल्ड पीस, वर्धा, 1958
- कुलकर्णी, वी. बी. : दी इंडियन ट्रियम्विरेट, बम्बई, 1969
- कूपर, लियो : पैसिव रेजिस्टेंस इन साउथ अफ्रीका, लन्दन, 1656
- केटलिन, एल. एम. : दी पाथ आफ महात्मा गांधी, लंदन, 1948
- कौशिक, के. डी. : दी कांग्रेस आईडियोलोजी एण्ड प्रोग्रम : 1920-47, बम्बई, 1964
- " नारायण : प्लो फोर ए न्यू वर्ल्ड आर्डर : ए साइंटिफिक एप्रोच इन टूथ एण्ड नोन वायोलेंस, नेमारा, 1941
- कृपालानी, कृष्ण : गांधी : ए लाइफ, 1968
- " (सम्पा.) : आल मैन आर ब्रदर्स, अहमदाबाद, 1960
- " जे. वी. : गांधी : दी स्टेट्समेन, दिल्ली, 1951
- " " : दी गांधियन वे, बम्बई, 1938
- " " : गांधी : हिज लाइफ एण्ड थाट, नई दिल्ली, 1970
- " " : नोन-वायोलेंट रिवोल्यूशन, बम्बई, 1938
- " " : पोलिटिक्स आफ चर्खा, बम्बई, 1943
- कृष्णमूर्ति, वार्ड. जी : गांधियन ईरा इन वर्ल्ड पोलिटिक्स, बम्बई, 1943
- " " : नियो-गांधीज्म, बम्बई, 1954
- " " : रिफ्लेक्शन्स आन दी गांधियन रिवोल्यूशन, बम्बई, 1944
- कृष्णादास : सेवन मंथस. धिय महात्मा गांधी, अहमदाबाद, 1951
- कृष्णैया, पी. जी. (सम्पा.) : महात्मा गांधी एण्ड दी यू. एन. ए., न्यूयार्क, 1949
- गांधी, मोहनदास करमचन्द : अनासक्ति योग, कलकत्ता, 1934
- " " : अवर लॅग्वेज प्रोब्लम, कराची, 1942
- " " : आरोग्य दर्शन,
- " " : इकोनोमिक एण्ड इंडस्ट्रियल लाइफ एण्ड रिलेशन्स, 3 खण्ड, (स) खेर, अहमदाबाद, 1957
- " " : इकोनोमिक्स आफ खादी, अहमदाबाद, 1941
- " " : इन सर्च आफ दी मुप्रोम, 2 खण्ड, बम्बई, 1932
- " " : इंडिया आफ माई ड्रीम्स, (संक.) प्रभु अहमदाबाद, 1960
- " " : इंडियन स्टेट्स प्रोब्लम, अहमदाबाद, 1941
- " " : एथिकल रिलीजन, मद्रास, 1922
- " " : कोंव्हेस्ट आफ सेरफ, प्रभु तथा राव द्वारा सम्पादित, बम्बई, 1943
- " " : कोंस्ट्रक्टिव प्रोग्रम, अहमदाबाद, 1941
- " " : कम्यूनिज्म एण्ड कम्युनिट्स, अहमदाबाद, 1959

- गांधी, मोहनदास करमचन्द : कोओपरेटिव फार्मिंग, अहमदाबाद, 1959
- " " : गांधीज कोरेस्पोंडेन्स विय वी गवर्नमेण्ट, अहमदाबाद, 1945
- " " : गोता एकोडिग टु गांधी, अहमदाबाद, 1948
- " " : गांधीवाणी, रामनाथ सुमन द्वारा सम्पादित, इलाहाबाद, 1942
- " " : गोता बोध, दिल्ली, 1938
- " " : गोता वी मंदर, जग प्रवेशचन्द्र द्वारा सम्पादित, लाहौर, 1932
- " " : टीचिंग्स आफ महात्मा गांधी, (सं.) जग प्रवेशचन्द्र, लाहौर, 1945
- " " : टू वी हिंदूज एण्ड मुस्लिम्स, (सं.) हिगोरानी, करांची, 1942
- " " : हू वी प्रिसेज एण्ड वी पीपुल, (सं.) हिगोरानी, करांची, 1942
- " " : हू वी स्टूडेन्ट्स, (सं.) हिगोरानी, करांची, 1941
- " " : हू वी वीमेन, करांची, 1945
- " " : हू वी परप्लेवल्स, (सं.) हिगोरानी, बम्बई, 1966
- " " : टुवार्ड्स लार्स्टिंग पीस, बम्बई, 1966
- " " : टुवार्ड्स नोन-वायोलेंट सोशलिज्म, अहमदाबाद, 1951
- " " : ट्रस्ट्योशिप, अहमदाबाद, 1960
- " " : डिमोक्रेसि : रीयल एण्ड डिसेप्टिव, अहमदाबाद, 1961
- " " : डेल्ही डायरी, अहमदाबाद, 1948
- " " : ड्रिफ्ट, ड्रम एण्ड गेम्बलिंग, अहमदाबाद, 1952
- " " : नोन-वायोलेंस इन पीस एण्ड वार, 2 खण्ड, अहमदाबाद, 1942-1945
- " " : पंचायती राज, अहमदाबाद, 1961
- " " : प्रार्थना प्रवचन, 2 खण्ड, रामनाथ, (सं. तथा प्र.) हिगोरानी, कलकत्ता, 1947
- " " : पूना स्टेटमेंट्स, लण्डन, 1933
- " " : फोर पेसोफिस्ट्स, अहमदाबाद, 1949
- " " : फ्रॉम यवदा मंदिर, अहमदाबाद, 1949
- " " : फ्रीडमूस थेंटल, मद्रास, 1921
- " " : माई सोशलिज्म, अहमदाबाद, 1959
- " " : वी माइन्ड आफ महात्मा गांधी, (सं.) प्रभु तथा राव, बम्बई, 1945
- " " : माई सोल्स एगनो, बम्बई, 1932

- गांधी, मोहनदास करमचन्द : रोविल्डिंग अवर विलेजेज, अहमदाबाद, 1956
- " " : ला एण्ड वी लायर्स, (संक.) एस. बी. खेर, अहमदाबाद, 1950
- " " : वर्णाश्रमधर्म, अहमदाबाद, 1962
- " " : विलेज इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद, 1960
- " " : व्हाट जोसस मीन्स टु मी, अहमदाबाद, 1958
- " " : वीमेन एण्ड सोशल इनजस्टिस, अहमदाबाद, 1942
- " " : सर्वोदय : इट्स प्रिंसीपल्स एण्ड प्रोग्राम, अहमदाबाद, 1957
- " " : सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद, 1961
- " " : सत्याग्रह (1910-35), इलाहाबाद, 1945
- " " : सत्याग्रह, दिल्ली, 1940
- " " : सेलेक्शन्स फ्रॉम गांधी, (सं.) निर्मलकुमार बोस, कलकत्ता, 1934
- " " : सेल्फ रेस्ट्रेंट वसेंस सेल्फ इंडलजेन्स, 2 भाग, अहमदाबाद, 1930 तथा 1939
- " " : स्टोरी आफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, अहमदाबाद, 1946
- " " : स्पीचिज एण्ड राईटिंग्स, मद्रास, 1922
- " " : स्वराज इन थन ईयर, मद्रास, 1921
- " " : हिंद स्वराज और इंडियन होमरूल, अहमदाबाद, 1958
- " " : हिंदूधर्म, अहमदाबाद, 1958
- " " : फेमस लेटर्स आफ महात्मा गांधी, (संक.) आर. एल. खिपले, लाहौर, 1947
- " " : वी मेसेज, (सं.) यू. एस. मोहन राव, नई दिल्ली, 1968
- " " : सेलेक्टेड लेटर्स, सेकंड सीरीज, (संक.) वी. जी. देसाई, अहमदाबाद, 1962
- " " : वी सेलेक्टेड वरर्स आफ महात्मा गांधी, 6 बंड, (सम्पा.) श्रीमन्नुनारायण, अहमदाबाद, 1968
- " " : पेन पोर्ट्रेट्स एण्ड ट्रीब्यूट्स चाई गांधीजी, (संक.) यू. एस. मोहन राव, नई दिल्ली, 1969
- गांधी, एम. के. एण्ड टेंगोर, रवीन्द्रनाथ : अहमदाबाद, 1961
- \_\_\_\_\_ : गांधीयाना, नई दिल्ली, 1962
- \_\_\_\_\_ : गांधी, व्यक्तित्व, विचार, और प्रभाव, (सम्पादित) कानन कालेलकर, विद्योगी हरि, बनारसीदास चतुर्वेदी, बी. बी. बेसकर, हरिभाऊ उपाध्याय, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, नई दिल्ली, 1966

- गांधी, देवदास (सं.) : इंडिया अनरिक्तोसाइलड, दिल्ली, 1943
- ग्रेग, रिचर्ड बी. : दी इकोनोमिक्स आफ खदर, मद्रास, 1928
- ” ” : ए डिस्प्लीन आफ नोन-वायोलेंस, अहमदाबाद, 1941
- ” ” : दी पावर आफ नोन-वायोलेंस, लंदन, 1960
- गद्रे, कमल : दी कर्मिंग स्ट्रगल फोर ट्रस्टीशिप, नई दिल्ली, 1971
- ग्रे तथा पारेख : महात्मा गांधी, कलकत्ता, 1924
- गुप्ता, नगेन्द्रनाथ : गांधी एण्ड गांधीज्म, बम्बई, 1945
- गंगल : गांधियन वे टु वर्ल्ड पीस, बम्बई, 1960
- गोरा, : एन एथीस्ट विथ गांधी, अहमदाबाद,
- ” : पार्टीलेड डिमोक्रेसी : इट्स नीड्स एण्ड फॉर्म, रायपुर, 1961
- ग्रोजियर, एफ. पी. : ए वर्ड टु गांधी, लंदन, 1937
- घोष, अतुल्य : अहिंसा एण्ड गांधी, कलकत्ता, 1954
- घोष, पी. सी. : महात्मागांधी-एज आइ सा हिम, दिल्ली, 1968
- षांदीवाला, वृजकृष्ण : एट दी फीट आफ बापू, अहमदाबाद, 1954
- चौधरी, एम : बापू एज आई सा हिम, अहमदाबाद, 1959
- जोर्ज, एस. के. : गांधीज चेलेंज टु क्रिश्चनिटी, अहमदाबाद, 1959
- जाजू, श्री कृष्णदास : दी आईडियोलॉजी आफ दी चर्खा, काशी, 1951
- जोन्स, स्टैनली : महात्मा गांधी : एन इंटरप्रिटेशन, न्यूयार्क, 1948
- टातस्टाय, लियो : दी किंगडम आफ गोड इज विदिन यू, लंदन, 1936
- डांगे, एस. ए. : गांधी वर्सेस लेनिन, बम्बई, 1921
- डोक, जे. जे. : एम. के. गांधी, एन इंडियन पेंट्रियट, मद्रास, 1909
- डोक्टर, ए एच. : प्रोव इन्टु दी गांधियन कोसेट आफ अहिंसा, कलकत्ता, 1962
- डंकन, रोनाल्ड (सं.) : सेलेक्टेड राइटिंग्स आफ महात्मा गांधी, लंदन, 1951
- तिवारी, आर. डी. : गांधी-मीमांसा, उलाहाबाद, 1941
- तेंदुलकर, डी. जी. : महात्मा, 8 खट, बम्बई, 1951-54
- तेंदुलकर तथा अन्य : गांधी : हिज लाईफ एण्ड वर्क, बम्बई, 1944
- (सम्पा.)
- दयाल, भवानी : दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, इन्दौर, 1916
- दत्ता, डी. एम. : दी फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी, विस्कोमिन, 1953
- दिवाकर, आर. आर. : सत्याग्रह इन एक्शन, कलकत्ता, 1949
- ” ” : सत्याग्रह : इट्स टेकनीक एण्ड हिस्ट्री, बम्बई, 1946
- ” ” : सत्याग्रह : दी पावर आफ ट्रूथ, जिनागी, 1948
- ” ” : गांधीजीज बेसिक आईडियाज एण्ड सम माडर्न प्रोग्रेस, बम्बई, 1963

देसाई, महादेव : दी एपिक आफ ट्रेवनकोर, ग्रहमदावाद, 1937

" " : गांधीजी इन इंडियन विलेजेज, मद्रास, 1927

" " : दी स्टोरी आफ बारदोली, ग्रहमदावाद, 1929

" " : टू सर्वेंट्स आफ गोड, दिल्ली, 1935

" " : विय गांधीजी इन सीलोन, मद्रास, 1928

" " : डे टू डे विय गांधी, वाराणसी, 1968

देसाई, वी. जी. : ए गांधी एन्योलोजी, ग्रहमदावाद, 1952

धर्मवीर, : गांधी बिब्लोफाफी, चंडीगढ़, 1967

धवन, गोपीनाथ : दी पोलिटिकल फिलोसोफी आफ महात्मागांधी, ग्रहमदावाद, 1957

नटेशन, जी. ए. (प्र.) : महात्मा गांधी : दी मेन एण्ड हिज मिशन, मद्रास, 1932

नाग, कालिदास : टालस्टाय एण्ड गांधी, पटना,

नेस, आर्नो : गांधी एण्ड दी न्यूविलियर एज, लंदन, 1965

नेहरू, जवाहरलाल : महात्मा गांधी, न्यूयार्क, 1948

" रामेश्वरी : गांधी इज माई स्टार, पटना,

नंदा, गुलजारीलाल : सम आसपेक्ट्स आफ खादी, इलाहाबाद, 1935

नंदा, वी. आर . महात्मा गांधी : ए बायोप्रेफि, लंदन, 1958

पटेल, एम. एस. : ऐजुकेशनल फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी, ग्रहमदावाद, 1953

पावर, : गांधी आन वर्ल्ड अफेयर्स, लन्दन, 1961

पेंटर, ब्रिक, साइमोन : गांधी अगेंस्ट मेकियावेलिज्म : नोन-बायोलेंस इन पोलिटिक्स, बम्बई, 1966

पोलक, एम. जी. : महात्मा गांधी : दी मेन, लन्दन, 1931

पोलक, एच. एस. एल. : महात्मा गांधी, मद्रास, 1930

पोलक, थॉमसफोर्ड तथा लारेंस : महात्मा गांधी, लन्दन, 1949

प्यारेलाल : गांधियन टेक्नीक्स इन दी मोडर्न वर्ल्ड, ग्रहमदावाद, 1953

" : दी लास्ट फेज

" : ए विलिप्रमेज फीर पीस, ग्रहमदावाद, 1950

" : दी एपिक फास्ट, ग्रहमदावाद, 1932

प्रसाद, महादेव : सोशल फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी, गोरखपुर, 1958

प्रसाद, राजेन्द्र . सत्याग्रह इन चम्पारण, ग्रहमदावाद, 1946

" " : एट दी फीट आफ महात्मा गांधी, बम्बई, 1961

फुनोप मिलर, रैने : सेनिन एण्ड गांधी, लन्दन, 1927

फिशर, लुई . लाइफ आफ महात्मा गांधी, लन्दन, 1951

फील्ड, जी. जी. : पेरिफिज्म एण्ड बोमोशम ओरिएशन, कैंब्रिज, 1945

वर्नेज, थार. नेकेट फीर, लन्दन, 1932

- वार, मेरी एफ. : कनवर्सेशन्स एण्ड कोरेस्पोंडेन्स विथ महात्मा गांधी, बम्बई, 1949
- ब्राउन, डी. मेकेंजी : दी व्हाइट अम्ब्रेला : इंडियन पोलिटिकल थॉट फ्रॉम मनु टू गांधी, बम्बई, 1953
- विडला, घनश्यामदास : बापू, दिल्ली, 1944
- " " : डायरी के कुछ पन्ने, दिल्ली, 1944
- " " : इन दी शेडो आफ दी महात्मा, बम्बई, 1968
- वोन्ड्रूरेन्ट, जोन बी. : कॉन्वेस्ट आफ चोयलेंस : दी गांधियन फिलोसोफी आफ कोनफ्लिक्ट, बम्बई, 1958
- बोस, एन. के. : गांधी दी मेन एण्ड हिज मिशन, बम्बई, 1966
- " " : माई डेज विथ गांधी, कलकत्ता, 1953
- वोल्टन, जी. : दी टू जेडी आफ गांधी, लन्दन, 1934
- बंचोपाध्याय, जे. : माओ त्से-तुंग एण्ड गांधी, दिल्ली 1973
- भावे, विनोबा : राजपाट की सन्निधि में, नई दिल्ली, 1955
- मजूमदार, बी. बी. : बी गांधियन कोन्सेप्ट आफ दी स्टेट, पटना, 1957
- मथ्रुवाला, के. जी. : पोलिटिकल नोन-वायोलेंस, अहमदाबाद, 1941
- " " : गांधी एण्ड मार्क्स, अहमदाबाद, 1956
- मणि, धार. एस. : एजुकेशनल आईडियाज एण्ड आईडियल्स आफ गांधी एण्ड टेंगोर, नई दिल्ली, 1961
- माधुर, बी. एस. : गांधी एज एन ऐजुकेशनिस्ट, दिल्ली, 1971
- मिचीसन, नाम्रोमी : बी मोरल बेसिस आफ पोलिटिक्स, लन्दन, 1938
- मुखर्जी, हीरेन : गांधी : ए स्टडी, कलकत्ता, 1960 (द्वितीय सं.)
- भून, पेन्डेरेल : गांधी एण्ड मोडर्न इंडिया, लन्दन, 1968
- मोरेर, हैरीमेन : ग्रेट सोल, बम्बई, 1969
- यशपाल : गांधीवाद की शव परीक्षा, लखनऊ, 1952
- याज्ञिक, आई. के. : गांधी एज आई:नो हिम, दिल्ली, 1942
- रमणमूर्ती, बी. बी. : नोन-वायोलेंस इन पोलिटिक्स, दिल्ली, 1958
- " " (सम्पा.) : गांधी : एसेंसल राइटिंग्स, नई दिल्ली, 1970
- रघ्नस्वामी, एम. : दी पोलिटिकल फिलोसोफी आफ मि. गांधी, मद्रास, 1922
- राजगोपालाचारी, सी. : गांधीजीज टोचिंग्स एण्ड फिलोसोफी, बम्बई, 1967
- राजगोपालाचारी तथा कुमारप्पा (सम्पा.) : बी नेशन्स चोयस, अहमदाबाद, 1957
- राधाकृष्णन, एस. (सम्पा.) : महात्मा गांधी 100 ईयर्स, नई दिल्ली, 1968
- रामचन्द्रन, जी तथा महादेवन, टी. के. (सम्पा.) : गांधी—हिज रेलेवेन्स फोर अवर टाइम्स, नई दिल्ली, 1967
- रामकृष्ण राय, के. : गांधी एण्ड प्रोग्रेसिज्म—एन इंटरवल्चरल स्टडी, कलकत्ता, 1968



- रोलां, रोमां : महात्मा गांधी, नई दिल्ली, 1968
- ” ” : महात्मा गांधी, बी मेन हू बिकेन वन विच बी गनीवर्सल वींग, 1924
- राय, क्षितीश (सम्पा.) : गांधी मेमोरियल पोस नम्बर, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, 1949
- रेनोल्ड्स, रेजिनाल्ड : ए बवेस्ट फोर गांधी, न्यूयार्क, 1952
- रे, विनोय गोपाल : गांधियन एथिक्स, ग्रहमदावाद, 1950
- रोलेड, आर. एम. : गांधी, लंदन, 1931
- लाला लाजपतराय द्वारा गांधीजी पर लिखित : "एन एप्रीसियेशन", महात्मा गांधी : दी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मेन, बम्बई, 1922
- लेस्टर, म्यूरियल : गांधी : वर्ल्ड सिटिजन, इलाहाबाद, 1945
- वर्मा, बी. पी. : पोलिटिकल फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी एण्ड सर्वोदय, आगरा, 1959
- वाडिया, पी. ए. : महात्मा गांधी, 1940
- व्यास, एच. एम.  
(संकलनकर्ता) : गांधीजी एक्सपेक्ट्स, ग्रहमदावाद, 1965
- वैलोक, विल्फोर्ड : नई तालीम एण्ड दी सौरल आर्डर, वर्धा, 1949
- शाप, जेने : गांधी वोल्ट्स दी वेपन आफ मोरल पावर, ग्रहमदावाद, 1960
- शार्दूलसिंह, कबीशर : गांधीज्म वसंत कोमनसेंस, लाहौर, 1946
- शीमान, विन्सेंट : सीड काइन्डली लाइफ, लंदन, 1950
- ” ” : महात्मा गांधी—ए ग्रेट लाइफ इन व्रीफ, दिल्ली, 1968
- शुक्ला, चंद्रशेखर : गांधीज ह्यू आफ लाइफ, बम्बई, 1960
- शर्मा, बी. एस. : गांधी एज ए पोलिटिकल थिंकर, इलाहाबाद, 1956
- शर्मा, जे. एस. : महात्मा गांधी : ए डेस्क्रिप्टिव बिब्लोग्रेफी, दिल्ली, 1968
- सोतारामैया, पट्टाभि : गांधी और गांधीवाद, 2 भाग, वेदराज वेदालंकार द्वारा अनुदित, आगरा, 1957, 1959
- मुमन, रामनाथ : गांधीवाद की रूपरेखा, दिल्ली, 1939
- ” ” : महात्मा गांधी, दिल्ली 1939
- स्प्रेट, पी. : गांधीज्म : एन एनेलिसिस, मद्रास, 1939
- संथानम, के. : सत्याग्रह एण्ड दी स्टेट, बम्बई, 1960
- हीघ, कार्ल : गांधी, लंदन, 1944
- हीमलर, यूजीन (सम्पा.) : रेजिस्टेन्स अगेस्ट टाइरेनी—ए सिम्पोजियम, न्यूयार्क, 1960
- होम्स, जे. एच. : माई गांधी, लंदन, 1954
- होयलैंड, जे. एस. : दी ओस मूव्ज ईस्ट, लंदन, 1931
- होसंबर्ग, एच. जे. एन. : महात्मा गांधी, लंदन, 1972

## अध्याय 21—अरविन्द घोष

- घोष, अरविन्द : दी आईडियल आफ ह्यूमन यूनीटी, श्री अरविन्द लायब्रेरी, न्यूयार्क
- " " : दी ह्यूमन साइकल, न्यूयार्क, 1950
- " " : दी आईडियल आफ कर्मयोगिन, आर्य पब्लि. हाउस, कलकत्ता, 1921
- " " : दी ब्रेन आफ इंडिया, कलकत्ता, 1923
- " " : ए सिस्टम आफ नेशनल एजुकेशन, कलकत्ता, 1924
- " " : दी रेनासां इन इंडिया, कलकत्ता,
- " " : स्पीचेज, कलकत्ता, 1922
- " " : बंकिम-तिलक-दयानंद, कलकत्ता, 1940
- " " : दी फाउंडेशन्स आफ इंडियन कल्चर, न्यूयार्क, 1950
- " " : दी लाइफ डिवाइन, न्यूयार्क, 1951
- " " : आन हिमसेल्फ एण्ड आन दी मदर, पांडिचेरी, 1953
- " " : दी स्पिरिट एण्ड फीमं आफ इंडियन पोलीटी, कलकत्ता, 1947
- " " : दी डोक्ट्रीन आफ पेरिपेटिव रेजिस्टेन्स, श्री अरविन्द प्राध्रम, पांडिचेरी, 1952
- " " : वार एण्ड सेल्फ डिटरमिनेशन, पांडिचेरी, 1957
- " " : एसेज आन दी गीता, कलकत्ता, 1945
- " " : उत्तरपाड़ा स्पीचेज, कलकत्ता, 1943
- " " : दी सुपरमेन, कलकत्ता, 1944
- " " : दी प्रजेंट सिच्युएशन, मद्रास, 1909
- " " : एन ओपन लेटर टु हिज-कन्ट्रिमेन, कलकत्ता, 1909
- " " : हिज लेटर्स टु हिज वाइफ, पूना, 1909
- " " : आन दी वेदा, पांडिचेरी, 1956
- " " : बंकिम चन्द्र चटर्जी, पांडिचेरी, 1950
- " " : "न्यू लैम्प फोर श्रीलड" इन्दु प्रकाश, अगस्त, 7, 1893, अगस्त 21, 1893, अगस्त 28, 1893, सितम्बर 18, 1893, अक्टूबर 30, 1893, दिसम्बर 4, 1893, मार्च 6, 1894
- आर्यगर, के. आर. श्रीनिवास : श्री अरविन्दो, आर्य पब्लि. हाउस, कलकत्ता, 1945
- केशव भूति : श्री अरविन्दो : दी होप आफ मेन, दीप्ति पब्लि., पांडिचेरी, 1969
- गुप्त, नोलिनीकात : दी मोग आफ श्री अरविन्दो, 9 भाग, पांडिचेरी, 1958
- घोष, हृमेन्द्र प्रसाद : अरविन्दो : दी प्रोफेट आफ पेड्रिओटिज्म, एम. के. मिटर, कलकत्ता, 1949

- ठाकुर, रवीन्द्रनाथ : सेल्युटेसन टु श्री अरविंदो, पांडिचेरी, 1959  
 डोनेली, मोर्बेना : फार्डिंग दी लाइफ डिवाइन, राइडर एण्ड क., लंदन,  
 1955  
 दास, मनोज : श्री अरविंदो इन दी फर्स्ट डेकेड आफ दी सेन्चुरी, पांडिचेरी,  
 1972

- दिवाकर, आर. आर. : महायोगी, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 1954  
 निरोद बरन : टाक्स विय श्री अरविन्दो, श्री अरविंद पाठमंदिर, कलकत्ता,  
 1960

- पियरसन, नाथानील : श्री अरविंदो एण्ड दी सोल ब्येस्ट आफ मेन, एलन एण्ड  
 ग्रनविन, लंदन, 1952

पुराणी, ए. बी. : लाइफ आफ श्री अरविन्दो, पांडिचेरी, 1958

" " : श्री अरविंदो इन इंग्लैंड, पांडिचेरी, 1956

पुराणी, ए. बी. (सम्पा.) : ईर्वनिंग टाक्स विय श्री अरविंदो, पांडिचेरी, 1959

भट्टाचार्य, हरिदास

(सम्पा.) : दी कल्चरल हेरिटेज आफ इंडिया, 4 खण्ड, कलकत्ता,  
 1956

भारती, शुद्धानंद : श्री अरविंदो : दी डिवाइन मास्टर, पांडिचेरी, 1948

मित्र, शिशिरकुमार : श्री अरविंदो एण्ड इंडियन फ्रीडम,  
 श्री अरविंद लायब्रेरी, मद्रास, 1948

" " : श्री अरविंदो एण्ड दी न्यू वर्ल्ड, पांडिचेरी, 1957

" " : दी लिबरेटर, जैको, बम्बई, 1954

" " : दी डान एटर्नल, पांडिचेरी, 1954

मुखर्जी, हरिदास तथा उमा : बंदे मातरम् एण्ड इंडियन नेशनलिज्म, (1906-1908)  
 फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1957

" " : श्री अरविंदोज पोलिटिकल घाट (1893-1908), कलकत्ता,  
 1958

" " : श्री अरविंदो एण्ड दी न्यू घाट इन इंडियन पोलिटिक्स,  
 कलकत्ता, 1954

मैत्रा, एस. के. : दी मीटिंग आफ दी ईस्ट एण्ड दी वेस्ट इन श्रीअरविंदोज  
 फिलोसोफी, पांडिचेरी, 1956

मोटवाणी, के. : श्री अरविंदो आन सोनाल साइन्सेज एण्ड ह्यूमेनिटीज,  
 थोरियंट लॉगमेन्स, बम्बई, 1962

राय तथा रामवन : श्री अरविंदो : एन इन्ट्रोडक्शन, मंगूर, 1961

राय, दिक्षीपमुमार : क्षमंग दी प्रेंट, जैको, बम्बई, 1950

यर्मा, बी. पी. : दी पोलिटिक्स फिलोसोफी आफ श्री अरविंदो, एगिया,  
 बम्बई, 1966

विजयवतुंग, जे. : आसपेक्ट्स आफ श्री अरविन्दो, मद्रास

सिंह, करण : प्रोफेट आफ इंडियन नेशनलिज्म, जोर्ज एसन एण्ड अनविन, लंदन, 1963, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1970

### अध्याय 22—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

कृपलाणी, कृष्ण : रवीन्द्रनाथ टेंगोर, आक्सफर्ड, लंदन, 1962

खानोलकर, जी. डी. : दी ल्यूट एण्ड दी प्लो : ए लाइफ आफ रवीन्द्रनाथ टेंगोर, बुकसेंटर, बम्बई, 1963

गोपाल, के. : सोशल थाट आफ रवीन्द्रनाथ टेंगोर, अणु प्रकाशन, मेरठ, 1974

ठाकुर, रवीन्द्रनाथ : नेशनलिज्म, मैकमिलन, न्यूयार्क, 1917

" " : दी रिलीजन आफ मेन, मैकमिलन, लंदन, 1920

" " : लंटसं फ्रोम रशा, विश्वभारती, कलकत्ता, 1960

" " : फ्राइसिस इन सिविलीजेशन, विश्वभारती, कलकत्ता, 1941

" " : क्विर्टिव यूनीटी, मैकमिलन, न्यूयार्क, 1922

" " : टुयर्ड्स युनिवर्सल मेन, एशिया, बम्बई, 1961

धामसन, एडवर्ड : रवीन्द्रनाथ टेंगोर, एसीसिएशन प्रेस, कलकत्ता, 1928

दास, तारकनाथ : रवीन्द्रनाथ टेंगोर : हिज रिलीजियस, सोशल एण्ड पोलिटिकल आईडियल, सरस्वती लायब्रेरी, कलकत्ता, 1932

मुखर्जी, घुजंटी प्रसाद : टेंगोर-ए स्टडी, पद्मा पब्लि., बम्बई, 1944

रीस, ग्रनोस्ट : रवीन्द्रनाथ टेंगोर, मैकमिलन, लंदन, 1915

रे, विनोय गोपाल : दी फिलोसोफी आफ रवीन्द्रनाथ टेंगोर, हिन्द किताब, बम्बई, 1949

लेज्नी, बी. : रवीन्द्रनाथ टेंगोर, एसन एण्ड अनविन, लंदन, 1939

वर्मा, राजेन्द्र : रवीन्द्रनाथ टेंगोर, प्रोफेट अगेन्स्ट टोटैलिटैरियनिज्म, एशिया, बम्बई, 1964

सेन, सचिन : पोलैटिकल फिलोसोफी आफ रवीन्द्रनाथ, एशर, कलकत्ता, 1929

" " : दी पोलैटिकल थाट आफ टेंगोर, जनरल प्रिन्टर्स, कलकत्ता, 1947

### अध्याय 23—जवाहरलाल नेहरू

————— : ए. आई. सी. सी. इकोनॉमिक रिप्यू, नई दिल्ली, 15 अगस्त, 1958

एडवर्ड्स, माइकेल : नेहरू : ए पोलैटिकल बायोग्रेफि, विद्याग, दिल्ली, 1971

करंजिया, धार. के. : दी फिलोसोफी आफ मि. नेहरू, एसन एण्ड अनविन, लंदन, 1960

कड़वला, टी. एफ. : नेहरू : दी लीटल ईंटर फ्रोम करमोर, लंदन, 1953

कजिन्म, नार्मन : टाइट विय नेहरू, गोलिन्ज, लंदन, 1951

- कृष्णमूर्ति, वाई. जी. : जवाहरलाल नेहरू : दी मेन एण्ड हिज आईडियाज, पापुलर बुक डिपो, बम्बई, 1944
- कुसकर्णी, बी. वी. : दी इंडियन ट्रियमविरैट, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1969
- क्रोकर, डब्ल्यू. आर. : नेहरूज, एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1966
- गोपाल, सर्वपल्ली : जवाहरलाल नेहरू : ए बायोग्रेफि, खण्ड 1, 1889-1947, आक्सफर्ड, 1976
- टंडन, पी. डी. (सम्पा.) : नेहरू युवर नेबर, सिग्नेट प्रेस, कलकत्ता (तिथि रहित)
- टाइसन, ज्योफ़े : नेहरू : दी ईयर्स आफ पावर, पाल माल प्रेस, लंदन, 1966
- तेंदुलकर, डी. जी. : महात्मा, खण्ड 1, प्राक्कथन, भवेरी एण्ड तेंदुलकर, बम्बई, 1951
- दास, एम. एन. : दी पोलोटिकल फिलीसोफी आफ जवाहरलाल नेहरू, एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1962
- नरसिंहचार, के. टी. : प्रोफाइल आफ जवाहरलाल नेहरू, दी बुक सेंटर, बम्बई, 1965
- नंदा, बी. आर. : दी नेहरूज : मोतीलाल एण्ड जवाहरलाल, एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1962
- 
- नेहरू अभिनन्दन ग्रंथ, कमीटी फार सेलेब्रेशन आफ जवाहर लाल नेहरूज सिक्सटियथ वर्थ डे, कलकत्ता, 1949
- नेहरू, जवाहरलाल : एन आटोबायोग्रेफि, जोन लेन, लंदन, 1936
- " " : डिस्कवरी आफ इंडिया, दी सिग्नेट प्रेस, कोलंबिया, 1945
- " " : स्पीचेज, खण्ड 3, पब्लि. टिवीजन, नई दिल्ली, 1958
- " " : इंडिपेंडेन्स एण्ड आपटर, पब्लि. टिवीजन, दिल्ली, 1949
- " " : इंडिया एण्ड दी वर्ल्ड, एलन एण्ड अनविन, लंदन, 1936
- " " : इंडियाज फ्रीडम, अनविन बुक्स, लंदन, 1965
- " " : ए बंच आफ ओल्ड लैंटर्न्स, एशिया, बंबई, 1958
- " " : टूयर्ड फ्रीडम, दी जोन डे कम्पनी, न्यूयार्क, 1941
- " " : विजिट टु अमेरिका, दी जोन डे कम्पनी, न्यूयार्क, 1950
- " " : ग्लिम्पसेज आफ वर्ल्ड हिस्ट्री, निन्टगे ट्रुमंट, लंदन, 1949
- " " : रीसेंट एमेज एण्ड राईटिंग्स आन दी समूचर आफ इंडिया आफ कम्यूनलिज्म एण्ड अदर सबजेक्ट्स, रिनाविरतान, इनाहावाद, 1934
- " " : इंडियाज फोरेन पालिसी, पब्लि. टिवीजन, नई दिल्ली, 1961
- 
- नेहरू : एजपेंट्स फ्रीम हिज राईटिंग्स एण्ड स्पीचेज, पब्लि. टिवीजन, नई दिल्ली, 1964

- नोर्मन, डोरोथी : नेहरू : दी फर्स्ट सिक्सटी ईयर्स, खण्ड 2, एशिया, बम्बई, 1965
- ब्राइट, जे. एस. (सम्पा.) : नेहरू : बिफोर एण्ड आफ्टर इंडिपेन्डेन्स, खण्ड 1, इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, नई दिल्ली
- ब्रेचर, माईकेल : नेहरू : ए पोलिटिकल बायोग्राफि, ब्राक्सफर्ड, लंदन, 1959
- भूति, बी. एस. एस. : नेहरूज फोरेन पालिसी, दी वीकन इनफोर्मेशन एण्ड पब्लि., नई दिल्ली, 1953
- मेन्डे, टाइबर : कनवर्सेंशंस विय नेहरू, लंदन, 1956
- मोरेस, फ्रैंक : जवाहरलाल नेहरू : ए बायोग्राफि, मैकमिलन, न्यूयार्क, 1956
- " " : जवाहरलाल नेहरू, टाईम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई, 1956
- " " : नेहरू : सनलाइट एण्ड शेडो, जैको, बम्बई, 1964
- राय, अमीय तथा राव, बी. जी. : सिक्स थाउजंड डेज : जवाहरलाल नेहरू दी प्राइम मिनिस्टर, स्टलिंग, नई दिल्ली, 1974
- राय, एम. एन. : जवाहरलाल नेहरू, रैंडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, दिल्ली, 1945
- राजन, एम. एस. (सम्पा.) : इंडियाज फोरेन रिलेशन्स ड्यूरिंग दी नेहरू ईरा, एशिया, बम्बई, 1976
- रामगोपाल : ट्रायल्स आफ जवाहरलाल नेहरू, बुक सेन्टर, बम्बई, 1962
- वैकटेश्वर, आर. जे. : दी इंपेक्ट आफ जवाहरलाल नेहरू आन इंडियन इकोनोमी, ब्राक्सफर्ड बुक कम्पनी, कलकत्ता, 1962
- शीघ्रान, विनसेन्ट : नेहरू : दी ईयर्स आफ पावर, विन्टर गोलेंज, लंदन, 1960
- सिन्हा, सच्चिदानंद : ए शीर्ट लाइफ स्केच आफ जवाहरलाल नेहरू, लॉ प्रेस पटना, 1936
- स्मिथ, डोनल्ड यूजीन : नेहरू एण्ड डिमोक्रेसि, ओरियंट लॉगमेन्स, कलकत्ता, 1958
- स्पेन्सर, कोर्नोला : नेहरू आफ इंडिया, पी. टी. आई. बुक डिपो, बंगलोर, 1951
- सेलेक्टेड वर्क्स आफ जवाहरलाल नेहरू, खण्ड 9, ओरियंट लॉगमेन्स, नई दिल्ली, 1976
- रेज, बिलांड : जवाहरलाल नेहरूज वर्ल्ड थ्रू, युनिवर्सिटी आफ जोर्जिया प्रेस, 1967
- अध्याय 24—मानचन्द्रनाथ राय
- अवस्थी, आर. के. : साइंटिफिक ह्यूमनिज्म : सोशियो-पोलीटिकल आइडियाज आफ एम. एन. राय (ए फ्रिडक), जयपुर, तिथि रहित
- ओवरस्ट्रीट तथा विडमिलर : कम्प्युनिज्म इन इंडिया, दी पेरेनियन प्रेस, बम्बई, 1960
- ओवर, डी. सी. : एम. एन. राय : रिपोल्यूशन एण्ड रीजन इन इंडियन पोलीटिक्स, कलकत्ता, 1973

- जेना, कृष्णचन्द्र : कोन्ट्रीड्यूशन आफ एम. एन. राय टु पोलिटिकल फिलोसोफी, एस. चंद, दिल्ली
- घर, निरंजन : दी पोलिटिकल थाट आफ एम. एन. राय (1936-1954), यूरेका, कलकत्ता, 1966
- भट्टाचारजी, जी. पी. : इवोल्यूशन आफ पोलिटिकल फिलोसोफी आफ एम. एन. राय, मिनर्वा, कलकत्ता, 1971
- रॉय, मानवेन्द्र नाथ : रोजन, रोमेन्टीसिज्म एण्ड रिवोल्यूशन, 2 भाग, रेनासां पब्लि. कलकत्ता, 1952 तथा 1955
- " " : न्यू ह्यू मेनिज्म : ए मेनिफेस्टो, कलकत्ता, 1947
- " " : रिवोल्यूशन एण्ड काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना, कलकत्ता, 1946
- " " : पावर्टी और प्लेंटी, कलकत्ता, 1943
- " " : न्यू ओरियंटेशन, कलकत्ता, 1946
- " " : मेटीरियलिज्म : एन आउटलाइन आफ दी हिस्ट्री आफ साइंटिफिक थाट, देहरादून, 1940
- " " : माई एक्सपीरियेन्स इन चाइना, कलकत्ता, 1945
- " " : दी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, बम्बई, 1943
- " " : प्लानिंग इन इंडिया, कलकत्ता, 1944
- " " : इंडियाज प्रोब्लम एण्ड इट्स सोल्यूशन, 1922
- " " : प्रोम सेवेजरी टु सिविलीजेशन, कलकत्ता, 1940
- " " : साइंटिफिक पोलिटिक्स, कलकत्ता, 1942
- " " : रेडिकल ह्यू मेनिज्म, नई दिल्ली, 1952
- " " : नेशनल गवर्नमेन्ट और पीपुल्स गवर्नमेन्ट, दिल्ली, 1943
- " " : वार एण्ड रिवोल्यूशन, दिल्ली, 1942
- " " : फ्रोगमेन्ट्स आफ ए प्रिजनर्स डायरी, 2 भाग, देहरादून, 1941
- " " : साइन्स एण्ड फिलोसोफी, कलकत्ता, 1947
- " " : पोलिटिक्स, पावर एण्ड पार्टीज, कलकत्ता, 1960
- " " : व्हाट डू वी वान्ट, जे. बी टार्गेट, जिनेवा, 1922
- " " : वी प्यूचर आफ इंडियन पोलिटिक्स, धार. विशप, लंदन, 1926
- " " : हेरेसीज आफ दी 20थ सेन्चुरी, मुरादाबाद, 1940
- " " : नेशनलिज्म, बम्बई, 1942
- " " : दी आल्टरनेटिव, बोरा एण्ड कं., बम्बई, 1940
- " " : इंडियन सेक्टर एण्ड पोस्ट-वार रिफ्लेक्शन, दिल्ली, 1943
- " " : फ्रीडम और फासिज्म, 1942,
- " " : प्रोब्लम आफ फ्रीडम, बनारस, 1945

- राय, मानवेन्द्र नाथ : दी आफ्टरमेथ आफ नोन-कोओपरेशन, लंदन, 1926  
 ————— : एम. एन. राय मेमोयर्स, अलाइड, बम्बई, 1964
- राय, एम. एन. तथा  
 मुखर्जी, अरुनी : इंडिया इन ट्रांजिशन, जे. बी. टागॉट, जिनेवा, 1922
- राय, एम. एन. तथा  
 कार्लिक, बी. बी. : अवर प्रोब्लम्स, कलकत्ता, 1938
- राय, एम. एन. तथा : वन ईयर आफ नोन-कोओपरेशन : फ़ोम अहमदाबाद टु गया,  
 राय, एवेलिन सी. पी. आई, कलकत्ता, 1923
- लोसे, डेविड एम. : बेंगाल टेररिज्म एण्ड दी मार्क्सिस्ट लेफ्ट : 1905-1942,  
 कलकत्ता, 1975
- शर्मा, बी. एल. : दी पोलिटिकल फिलोसोफी आफ एन. एन. राय, नेशनल  
 पब्लि, हाउस, दिल्ली, 1965
- हैथकोक्स, जान पेट्रिक : कम्युनिज्म एण्ड नेशनलिज्म इन इंडिया : एम. एन. राय  
 एण्ड कोमिनटर्न पालिसी : 1920-1939, प्रिस्टन युनि-  
 वर्सिटी प्रेस, न्यू जर्सी, 1971

### अध्याय 25—जयप्रकाश नारायण

- नारायण, जयप्रकाश : व्हाई सोशलिज्म ? बनारस, 1936
- ” ” : टुयार्डस् स्ट्रगल, पद्मा पब्लि., बम्बई, 1946
- ” ” : ए पिक्चर आफ दी सर्वोदय सोशल आर्डर, सर्वोदय प्रचु-  
 रालयम, तंजौर, 1961
- ” ” : ए प्लो फोर दी रिफॉर्मेशन आफ दी इंडियन पीपुली,  
 ग्रिडिल भारतीय सर्व सेवा संघ, 1959
- ” ” : फ़ोम सोशलिज्म टु सर्वोदय, ग्र. भा. स. से. सं., 1959
- ” ” : क्रांति का आधुनिक प्रयोग, जनता प्रकाशन, पटना, 1954
- ” ” : सोशलिज्म, सर्वोदय एण्ड डिमोक्रेसि, विमलाप्रसाद द्वारा  
 संपादित, एशिया, बम्बई, 1964
- ” ” : स्वराज फोर दी पीपुल, ग्रिडिल भारतीय सर्व सेवा संघ,  
 1961
- ” ” : श्री वेसिक प्रोब्लम्स आफ फ़्री इंडिया, एशिया, बम्बई,  
 1964
- ” ” : दी प्रिजन डायरी, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, 1977
- नारगोनकर, वसंत : जे. पी. विन्डकेटेड, एम. चन्द, नई दिल्ली, 1977
- बारिक, राधाकांत : पीपुलिटिक आफ दी जे. पी. मूवमेंट, रेडिएण्ट, नई दिल्ली,  
 1977
- भगानी, मीनू : इज जे. पी. दी एन्सर ? मैकमिलन, दिल्ली, 1975
- सान, लक्ष्मीनारायण : जयप्रकाश, मैकमिलन, दिल्ली, 1974



- शाह, घनश्याम : प्रोटेस्ट मूवमेंट्स इन द इंडियन स्टेट्स : ए स्टडी आफ गुजरात एण्ड बिहार मूवमेंट्स, अजंता, नई दिल्ली, 1977  
स्कार्फ, एलन तथा वेंडी : जे. पी. : हिज वायोफ्री, ओरियंट लॉगमेन्स, नई दिल्ली, 1975

**अध्याय 26—विनोबा भावे**

- कुमारप्पा, भारतन : केपिटलिज्म, सोशलिज्म एण्ड विलेजिज्म, शक्ति कार्यालय, मद्रास, 1946  
" जे. सी. : स्वराज फोर दी मासेस, अ. भा. स. से. सं., वर्धा, 1957  
केला, भगवानदास : भूदान, श्रमदान, जीवनदान, भारतीय ग्रन्थमाला, इलाहाबाद, 1955  
गोरा : झाई ग्राम राज ? काशी, 1958  
चौधरी, एम. : भूमि क्रान्ति की महानदी, अ. भा. स. से. सं., 1956  
जाजू, श्रीकृष्णदास : सम्पत्तिदान यज्ञ, वर्धा, 1957  
टंडन, पी. डी. : विनोबा भावे : मेन एण्ड मिशन, वीरा एण्ड कं. बम्बई, टिकेवर, इंदु : क्रान्ति का समग्र दर्शन, वाराणसी, 1972  
डेल वास्टो, लांजा : गांधी टु विनोबा, लंदन, 1956  
ढढ्ढा, सिद्धराज : ग्रामदान, काशी, 1958  
धर्माधिकारी, दादा : सर्वोदय दर्शन, 1958  
नारायण, जयप्रकाश : क्रान्ति का आधुनिक प्रयोग, पटना, 1954  
नारगोलकर, वसंत : बी क्रीड आफ सेंट विनोबा, बम्बई, 1963  
पटवर्धन, अम्पा साहेब : टुवार्ड्स ए न्यू सोसायटी, 1959  
भावे, विनोबा : भूदान यज्ञ, क्या और क्यों, काशी, 1956  
" " : भूदान यज्ञ, अहमदाबाद, 1957  
" " : चुनाव, 1957  
" " : प्रोम भूदान टु ग्रामदान, तंजौर, 1957  
" " : ग्रामराज, वाराणसी, 1957  
" " : हिंसा का मुकाबला, काशी, 1956  
" " : लोकनीति, काशी, 1958  
" " : दी प्रिंसिपल एण्ड फिलोसोफी आफ भूदान यज्ञ, तंजौर, 1955  
" " : रिवोल्यूशनरी सर्वोदय, बम्बई, 1964  
" " : सर्वोदय दर्शन, नई दिल्ली, 1960  
" " : सर्वोदय एण्ड कम्युनिज्म, तंजौर, 1957  
" " : सर्वोदय एण्ड दी विजनेस कम्युनिटी, तंजौर, 1958  
" " : सर्वोदय, तंजौर, 1977  
" " : शान्ति देना, तंजौर, 1958  
" " : स्वराज शास्त्र बम्बई, 1946

- भावे, विनोबा : भूदान गंगा, 7 खंड  
 " " : त्रिवेणी, निर्मला देशपांडे द्वारा सम्पादित, काशी, 1956  
 मजूमदार, धीरेन्द्र : शासन मुक्त समाज की ओर, 1957  
 मथुरालाल, के. जी. : प्रेविट्कल नान-बोयलेन्स, ग्रहमदावाद, 1941  
 मसानी, आर. पी. : दी फाइव गिफ्ट्स, लंदन, 1956  
 मिश्रा, एल. आर. : बी फोर विनोबा, बम्बई, 1956  
 मूंदड़ा, दामोदरदास : भूदान गंगोत्री, काशी, 1957  
 रामभाई, एस : विनोबा एण्ड हिस मिशन, 1958  
 \_\_\_\_\_ : लाइफ आफ विनोबा, तंजौर, 1958  
 व्यास, एच. एम. (सम्पा.) : विलेज स्वराज, ग्रहमदावाद, 1963  
 विद्योगी हरि आदि : विनोबा : व्यक्तित्व और विचार, नई दिल्ली, 1971  
 वेलोक, डब्ल्यू. : इंडियाज सोशल रिबोल्यूशन लेड बाई महात्मा गांधी एण्ड  
 नाऊ विनोबा, प्रेस्टन, इंग्लैंड, ति. र.  
 " " : ऑफ दी बीटन ट्रेक, एडवेन्चर्स इन दी आर्ट आफ लिविंग,  
 तंजौर, 1962  
 सिवली, मल्फर्ड : दी थवाइट बंटल : राइटिंग्स आन दी थियरि एण्ड प्रैक्टिस  
 आफ नान-वायोलेट रेजिस्टेन्स, बम्बई, 1965  
 होफमेन, डी. पी. : इंडियाज सोशल मिरेकल, लंदन, तिथि रहित

### अध्याय 27—राष्ट्रवाद एवं स्वराज

- थडाले : नियो-हिन्दूज्म, बम्बई, 1932  
 अण्णादोराय, ए. : रिवोजन आफ डिमोक्रेसि, आवसफर्ड, बम्बई, 1940  
 ऐयर, ए. सुब्रह्मण्य : ए लेफचर आन स्टेट इंटरफियरेन्सेज इन सोशल मेटर्स इन  
 इंडिया, श्रीनिवास वर्दाचारी एण्ड कं., मद्रास, 1891  
 अग्रमाले, एल. एस. एम. : मोडर्न इंडिया एण्ड दी वेस्ट, लंदन, 1941  
 अडरवुड, ए. सी. : कोन्टेम्पोररि थाट आफ इंडिया, विलियम्स एण्ड नोर्गेट,  
 लंदन, 1930  
 कर्मिष, जोन (सम्पा.) : पोलिटिकल इंडिया (1832-1932) : ए कोओपरेटिव सर्वे  
 आफ ए सेन्चुरी, लंदन, 1932  
 कार्लिक, बी. बी. : इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी डेव्लपमेंट्स : 1930-56, न्यूयार्क,  
 1957  
 कूपलैंड, आर. : दी कोन्स्टिट्यूशनल प्रोब्लम आफ इंडिया, 1937  
 कम्पबेन, जानमन एलन : मिशन थिच माउंटबेटन, लंदन, 1951  
 कोलासालर, एम. बी. : रिलीजस एण्ड सोशल रिफोर्म, बम्बई, 1902  
 \_\_\_\_\_ : काप्रेस प्रेसिडेन्शियल एड्जेसेज, मद्रास, 1934  
 गाटमिन, टी. आर. : दी इंडस्ट्रियल रिबोल्यूशन आफ इंडिया, आवसफर्ड, 1954  
 गेस्ट, जी. टी. (सम्पा.) : दी लिविंगी आफ इंडिया, लंदन, 1937

- ग्लेडिंग, पर्सी : इंडिया अंडर ब्रिटिश टेरर, लंदन, 1931
- गोपालकृष्ण, पी. के. : डिवेलपमेंट आफ इकोनोमिक आईडियाज इन इंडिया, बम्बई, 1959
- गोर्डन, लियॉनार्ड ए. : बंगाल : दी नेशनलिस्ट मूवमेंट : 1876-1940, दिल्ली, 1974
- गोलवलकर, एम. एस. : वी और अवर नेशनहुड डिफाइन्ड, नागपुर, 1947
- गोयल, ओ. पी. : स्टडीज इन मोडर्न इंडियन पोलिटिकल थाट, इलाहाबाद, 1964
- " " : कोन्टेम्पोररी इंडियन पोलिटिकल थाट, इलाहाबाद, 1965
- गंगाधरण, के. के. (सम्पा.) : इंडियन नेशनल कांशसनेस : प्रोप एण्ड डिवेलपमेंट, नई दिल्ली, 1972
- धोप, शंकर : दी रेनासां टू मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया, कलकत्ता, 1969
- " " : दी वेस्टर्न इंपेक्ट आन इंडियन पोलिटिक्स, कलकत्ता, 1967
- " " : पोलिटिकल आईडियाज एण्ड मूवमेंट्स इन इंडिया, बम्बई, 1975
- चटर्जी, ए. सी. : इंडियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम, कलकत्ता, 1947
- चंचिल, विन्सटन : इंडिया स्पीचेज एण्ड एन इन्ट्रोडक्शन, लंदन, 1931
- चितामणि, सी. यज्ञेश्वर : इंडियन सोशल रिफॉर्म, 4 टाइ, मद्रास, 1910
- " " : इंडियन पोलिटिक्स सिम्पल दी थ्युरिती, इलाहाबाद, 1937
- चंदर, जे. पी. (सम्पा.) : गोता : दी मदर, लाहौर, 1942
- ड्याकोव, ए. एम. : ए न्यू स्टेज इन इंडियाज लिबरेशन स्ट्रगल, 1947
- दत्त, रोमेशचन्द्र : स्पीचेज एण्ड पेपर्स आन इंडियन इवोल्यूशन : 1897-1900, कलकत्ता, 1902
- दत्ता, टी. के. : व्हाट इंगलिश एजुकेशन हेज मेड ओफ अस, लाहौर, ति र.
- दीक्षित, प्रभा : कम्यूनलिज्म : ए स्ट्रगल फोर पावर, नई दिल्ली, 1974
- देवल, जी. एस. : दी रोल आफ दी गदर पार्टी इन दी नेशनल मूवमेंट, दिल्ली, 1969
- देशपांडे, बी. एस. : व्हाई हिन्दू राष्ट्र ? नई दिल्ली, 1949
- देसाई, ए. भार. : सोशल बैकग्राउंड आफ इंडियन नेशनलिज्म, बम्बई, 1954
- नटराजन, एस. : ए सेन्चुरी आफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, लंदन, 1908
- नर्वानि, बी. एस. : मोडर्न इंडियन थाट, बम्बई, 1964
- नायक, बी. एन. : इंडियन लिबरलिज्म : ए स्टडी, बम्बई, 1945
- नेविनसन, एच. डब्ल्यू. : दी न्यू स्पिरिट इन इंडिया, लंदन, 1908
- नौरोजी, दादाभाई : पावर्टी एण्ड अन ब्रिटिश हल इन इंडिया, 1901
- पणिकर, के. एम. : हिन्दू सोसाइटी एट थोसरोइस, बम्बई, 1955
- परांजपे, भार पी. : दी ब्रह्म आफ दी इंडियन प्रोब्लम, लंदन, 1931

- पार्क तथा टिकर : लीडरशिप एण्ड पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स इन इण्डिया, प्रिन्सटन, 1959
- पाल. विपिनचन्द्र : दी स्पिरिट आफ इण्डियन नेशनलिज्म, लंदन, 1910
- : पीपुल्स प्लान फोर इकोनोमिक डिवेलपमेन्ट आफ इण्डिया, दिल्ली, 1944
- पार्वते, टी. वी. : मेकर्स आफ मोडर्न इण्डिया, जालंधर, 1964
- पाडे, धनपति : दी आर्य समाज एण्ड इण्डियन नेशनलिज्म, नई दिल्ली, 1972
- पुरोहित, वी. आर. : हिन्दू रिवाइवलिज्म एण्ड इण्डियन नेशनलिज्म, सागर, 1965
- फकुंहर, जे. एन. : माडर्न रिजीजस मूवमेंट्स इन इण्डिया, न्यूयार्क, 1911
- फिशर तथा बोंडुरेंट : इण्डियन एप्रोचेज टु ए सोशललिस्ट सोसाइटी, बर्कले, 1956
- बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ : ए नेशन इन दी मेकिंग, मद्रास, 1925
- वालानुबोविच तथा  
ड्याकोव : ए कोन्टेम्पोररी हिस्ट्री आफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1964
- वेसेंट, एनी : हाउ इण्डिया रोट फोर फ्रीडम, मद्रास, 1915
- वेवान, एडविन : इण्डियन नेशनलिज्म, लन्दन, 1913
- ब्रेंत्सफोर्ड, एच. एन. : सञ्जेषट इण्डिया, बम्बई 1946
- बोस, सुभाषचन्द्र : दी इण्डियन स्ट्रनल (1920-1934), लन्दन, 1935
- ” ” : स्वदेशी एण्ड बायकाट, कलकत्ता, 1931
- मडफोर्ड, पीटर : वर्ड्स आफ ए डिफरेंट प्लमेज : ए स्टडी आफ ब्रिटिश-इण्डियन रिलेशन्स फ्रॉम अकबर टु कर्जन, लन्दन, 1974
- मत्सानी, जोसेफ : दी इग्लूटीज आफ मेन एण्ड अदर एसेज, लन्दन, 1929
- मजमूदार, ए सी. : इण्डियन नेशनल इवोल्यूशन, मद्रास, 1915
- ” जे. के. : इण्डियन स्पेचेज एण्ड डोन्मूमेंट्स आन ब्रिटिश रूल : 1821-1918, कलकत्ता, 1937
- मावर्स, कालं : आर्टिकल्स आन इण्डिया, बम्बई, 1943
- मुयर्जी, राधा कमल : फन्डामेन्टल यूनीटी आफ इण्डिया, 1926
- ” हरिदाम तथा उमा : दी प्रोय आफ नेशनलिज्म इन इण्डिया (1857-1950), कलकत्ता, 1958
- ” हीरेन्द्रनाथ : इण्डियाज स्ट्रगल फोर फ्रीडम, कलकत्ता, 1962
- मेनगले, लार्ड : स्पेचेज विय ह्विज गिनट आन इण्डियन एजुकेशन, लन्दन, 1935
- मैकममूलर : चायोंग्रै फिक्ल एमेज,
- मैकनिकोल, गिस्कोल : दी मेनिंग आफ माडर्न इण्डिया, लन्दन, 1924
- मोजले, नियोनार्ड : दी लास्ट डेज आफ ब्रिटिशराज,
- मंगहृस्वैट, मर फ्रागिम : टान इन इण्डिया, लन्दन, 1930
- रघुवंशी, वी. पी. एम. : इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एण्ड चाट्स, घागरा, 1959

- राजगोपालाचारी, सी. : सत्यम् एव जयते, मद्रास, 1961
- रानाडे, महादेव गोविन्द : दी राईज आफ मराठा पावर,  
राधाकृष्णन, एस. : दी रिलीजन वी नोड, बाराणसी, 1963
- रामगोपाल : इण्डियन मुस्लिम्स (1858-1947), बम्बई, 1959
- राय, एम. एन. तथा अन्य : सत्पाग्रह एण्ड दी पोटेशियलिटीज आफ दी काँग्रेस,  
अजमेर, 1941
- राय, एम. एन. : इण्डिया इन ट्रांजिशन, जिनेवा, 1922
- रोनाल्ड बे, थर्ल आफ : दी हार्ट आफ आर्यावर्त, लन्दन, 1925
- रोबिनसन, फ्रांसिस : सेपरेटिज्म अमंग इण्डियन मुस्लिम्स (1860-1923),  
दिल्ली, 1975
- लाल बहादुर : दी मुस्लिम लीग, आगरा, 1954
- नाजपतराय, लाला : यंग इण्डिया : एन इंटरप्रिडेशन एण्ड ए हिस्ट्री आफ दी  
नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम विदिन, न्यूयार्क, 1917
- " " : दी पोलिटिकल फ्यूचर आफ इण्डिया, न्यूयार्क, 1919
- वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद : भाइने इण्डियन पोलिटिकल थॉट, आगरा, 1967
- वस्ती, सैयद रजा : लोड मिटो एण्ड दी इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, 1905-  
1910, लन्दन, 1964
- बुडरोफ, जान. : इज इण्डिया सिविलाइज्ड ? मद्रास, 1918
- शाकिर, मोइन : खिलाफत हू पार्टीशन, नई दिल्ली, 1970
- श्वीटजर, थर्लवर्ट : इण्डियन थॉट एण्ड इट्स डिवेलपमेन्ट, लन्दन, 1936
- शिरोल, वेनेन्टीन : इण्डियन अनरेस्ट, लन्दन, 1910
- सरकार, सुमित : दी स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, 1903-1908, नई दिल्ली,  
1973
- सावरकर, विनायक दामोदर : हिन्दुत्व, पूना, 1949
- " " : दी इण्डियन वार आफ इण्डिपेन्डेन्स : 1857, बम्बई, 1947
- सोतारमैया तथा राव : इण्डियन नेशनल एजुकेशन, मसुलीपट्टम, 1910
- स्मिथ, बी. एन. : नेशनलिज्म एण्ड रिफॉर्म इन इण्डिया, लंदन, 1938
- सील, थर्निल : दी इमरजेंस आफ इंडियन नेशनलिज्म, लंदन, 1968
- सेन, सुरेन्द्रनाथ : ऐट्रीन फिपटी सेवन, नई दिल्ली, 1957
- हाइंडमेन, एच. एम. : दी एवैकनिंग आफ एशिया, लंदन, 1919
- हाडिग, लोड : भाई इण्डियन ईयर्स : रेमिनीतेन्सेज, लंदन, 1948
- हीमसाय, चार्ल्स. एच. : इण्डियन नेशनलिज्म एण्ड हिन्दू सोशल रिफॉर्म, प्रिंसटन,  
1964
- ह्यूम, ए. सी. : ए स्पीच आन दी इण्डियन नेशनल काँग्रेस, कलकत्ता, 1888
- होडमन, एच. पी. : दी ग्रेट डिवाइड, लंदन, 1969

अध्याय 28—न्यासिता एवं सत्याग्रह

- अग्रवाल, श्रीमन्नारायण : दी गांधियन प्लान आफ इकोनोमिक डिवेलपमेंट फोर इण्डिया, बम्बई, 1944
- ” ” : प्रिंसीपल्स आफ गांधियन प्लानिंग, इलाहाबाद, 1960
- अंजारिया, जे. जे. : एसेज आन गांधियन इकोनोमिक्स, बम्बई, 1945
- अलेक्जेंडर, होरेस तथा अन्य : सोशल एण्ड पोलिटिकल आईडियाज आफ महात्मा गांधी, नई दिल्ली, 1949
- एड्ज, सी. एफ. . भीनिंग आफ नोन-कोओपरेशन, मद्रास, 1922
- ” ” : महात्मा गांधीज आईडियाज, न्यूयार्क, 1930
- एश, ज्योफ्री : गांधी : ए स्टडी इन रिवोल्यूशन, लन्दन, 1968
- कृपालानी, कृष्ण : गांधी : ए लाइफ, 1968
- ” जे. बी. : गांधी : दी स्टेट्समेन, दिल्ली, 1951
- ” ” : गांधियन थे, बम्बई, 1938
- ” ” : नोन-वायोलेंट रिवोल्यूशन, बम्बई, 1938
- ” ” : गांधी : हिज लाइफ एण्ड थाट, नई दिल्ली, 1970
- कृष्णमूर्ति. बाई. जी. : नियो-गांधीज्म, बम्बई, 1954
- ” ” : रिप्लेवशन्स आन दी गांधियन रिवोल्यूशन, बम्बई, 1944
- कुमारप्पा, जे. सी. : गांधियन इकोनोमी एण्ड अदर एसेज, अहमदाबाद, 1942
- कौशिक, नारायण : प्लो फोर ए न्यू वर्ल्ड ओर्डर : ए साईडिफिक अप्रोच इन टू एण्ड नोन-वायोलेंस, 1941
- गद्रे, कमल : दी फार्मिंग स्ट्रगल फोर ट्रस्टीशिप, नई दिल्ली, 1971
- गांधी, मोहनदास करमचन्द : दी स्टोरी आफ माई एक्सपेरिमेंट्स विय टू थ, अहमदाबाद, 1940
- ” ” : सत्याग्रह, (1910-1935), अहमदाबाद, 1935
- ” ” : नोन-वायोलेंस इन पीस एण्ड वार,
- ” ” : सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद, 1950
- ” ” : कोन्स्ट्रक्टिव प्रोप्रेस : इट्स भीनिंग एण्ड प्लो, अहमदाबाद, 1945
- ” ” : सर्वोदय, अहमदाबाद, 1958
- ” ” : सेंट परसेंट स्वदेशी, काशी, 1938
- ” ” : कोओपरेटिव फार्मिंग, अहमदाबाद, 1959
- ” ” : बरिन्द्रनारायण, ए. टी. हिगोरानी द्वारा सम्पादित, करांची, 1946
- ” ” : इकोनोमिक एण्ड इंडस्ट्रियल-लाइफ एण्ड रिलेगन्स, 3 एण्ड, बी. जी. मेर द्वारा सम्पादित, अहमदाबाद, 1957
- ” ” : इकोनोमिक्स एण्ड शादी, अहमदाबाद, 1949

- गांधी, मोहनदास करमचन्द्र : हिंद स्वराज ओर इंडियन होमरूल, ग्रहमदावाद, 1958
- " " : फोर पेसोफिस्ट्स, ग्रहमदावाद, 1949
- " " : ट्रस्टीशिप, ग्रहमदावाद, 1960
- " " : नोन-वापोलेंट वे टु वर्ल्ड पीस, ग्रहमदावाद, 1959
- " " : दी साइंस आफ सत्याग्रह, बम्बई, 1957
- " " : इंडियाज केस फोर स्वराज, बम्बई, 1932
- : "गांधी एण्ड दी वर्ल्ड काइसिस : ए सिम्पोजियम" गांधीमार्ग, जनवरी, 1962
- ग्रेग, रिचर्ड (सम्पा.) : दी पावर आफ नोन-वापोलेंट, लन्दन, 1960
- " " : गांधीज सत्याग्रह, मद्रास, 1930
- " " : गांधीज्म वसेंस सोशलिज्म, मद्रास, 1930
- गगल : गांधियन वे टु वर्ल्ड पीस, बम्बई, 1960
- जाजू, श्रीकृष्णदास : दी आईडियोलोजी आफ दी चर्खा : ए कलेक्शन आफ सभ आफ गांधीज स्पेचेज एण्ड राइटिंग्स अबाउट खादी, काशी, 1951
- झा, एस. एन. : ए क्रिटिकल स्टडी आफ गांधियन इकोनोमिक थॉट, भागरा,
- डॉक्टर, ए. एच. : प्रोब इन्टू दी गांधियन फोन्सेप्ट आफ अहिंसा, कलकत्ता, 1962
- तैयबुल्ला, एम. : इस्लाम एण्ड नोन-वापोलेंट, इलाहाबाद, 1959
- दत्ता, डी. एम. : दी फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी, विस्फोमिन, 1953
- दासगुप्ता, ग्रहणचन्द्र : नोन-वापोलेंट : दी इन्विजिनिबल पावर, कलकत्ता, 1946
- दांतवाल, एम. एल. : गांधीज्म रीकन्सोर्टर्ड, बम्बई, 1944
- दिवाकर, आर. आर. : सत्याग्रह : इट्स टेकनीक एण्ड हिस्ट्री, बम्बई, 1951
- " " : सत्याग्रह इन एक्शन, कलकत्ता, 1949
- " " : सत्याग्रह : दी पावर आफ ट्रूथ, भिकागों, 1948
- " " : गांधीजीज वेसिक आईडियाज एण्ड सभ मोडर्न प्रोजेक्शंस, बम्बई, 1963
- देसाई, ए. आर. : गांधीज ट्रूथ एण्ड नोन-वापोलेंट एक्स-रेज : एन ओपन सेटर, बून, 1939
- देसाई, कान्तिलाल : गांधी एण्ड गांधीज्म, ग्रहमदावाद, 1930
- देसाई, महादेव हरिभाई : दी गोस्पेल आफ सेल्फलेस एक्शन ओर दी गीता अरोइजिंग टु गांधी, ग्रहमदावाद, 1946
- " " : ए राइजुअर इट्रगल : ए जौनिबल आफ दी ग्रहमदावाद टेबेस्टाइल लेयरर्स फाइट फोर जस्टिस, ग्रहमदावाद, 1951
- " " : हिस्ट्री आफ दी बारबोली सत्याग्रह आफ 1928 एण्ड इट्स सोरवेल, ग्रहमदावाद, 1929
- देव, बकरराव : फुट दी मोट एप्रो आन गांधीज अन्टरनेटिव टु वेपिटलिज्म, पञ्जूर, 1969

- देशपांडे, पी. जी. : ए गांधियाना, ग्रहमदावाद, 1948
- धवन, गोपीनाथ : दी पोलिटिकल फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी, ग्रहमदावाद, 1951
- नन्दा, बी. आर. : महात्मा गांधी, लन्दन, 1958
- नेहरू, जवाहरलाल : फ्रीडम फ्रोम फीयर, नई दिल्ली, 1960
- नेल्सन, स्टुअर्ट : "नोन-वायोलेंस इन अमेरिका", गांधी मार्ग, अक्टोबर, 1960
- नैयर, शंकरन् : गांधी एण्ड एनकी, मद्रास, 1922
- प्रसाद, राजेन्द्र : सत्याग्रह इन चंपारण, ग्रहमदावाद, 1946
- " " : इकोनोमिक्स आफ खादी, मुजफ्फरपुर, 1927
- प्यारेलाल : महात्मा गांधी : दी लास्ट फेज, 3 खण्ड, ग्रहमदावाद, 1956, 1958, 1965
- " : गांधियन टेक्नीक्स इन दी मोडर्न वर्ल्ड, ग्रहमदावाद, 1953
- प्रीतमसिंह, भाई : गांधीज कोन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम, लाहौर, 1944
- पोलिंग, थियोडोर : इन्ट्रोडक्शन टु नोन-वायोलेंस, 1944
- पोलक, एम. जी. : महात्मा गांधी : दी मेन, लंदन, 1931
- फिशर, लुई : लाइफ आफ महात्मा गांधी, लंदन, 1951
- फुलोप-मिलर, रेने : गांधी दी होली मेन, लंदन, 1931
- बंधोपाध्याय, एन. सी. : गांधीज्म इन थियरि एण्ड प्रैक्टिस, मद्रास, 1958
- बेंकड, पी. सी. : हिस्ट्रीज आफ दी नोन-कोओपरेशन एण्ड खिलाफत मूवमेंट्स, दिल्ली, 1925
- बोन्दुरांट, जोन बी. : कोंक्वेस्ट आफ वायोलेंस, बर्कले, 1965
- बोस, आर. एन. : गांधीयन टेक्नीक एण्ड ट्रेडिशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशनस, कलकत्ता, 1956
- बोस, निर्मल कुमार : स्टडीज इन गांधीज्म, कलकत्ता, 1947
- " " : गांधी दी मेन एण्ड हिज मिशन, बम्बई, 1966
- बोस, ए. के. तथा पटवर्धन, पी. : गांधी इन इंडियन पोलिटिक्स, बम्बई, 1967
- मचेंट, विजय : एन ऐंथोलोजी आफ गांधीज धाट्स आन ट्रस्टीशिप मेनेजमेंट थिय एन एक्सपेरिमेंट आन दी कोन्सेप्ट, बम्बई, 1969
- मजूमदार, बी. बी. : दी गांधीयन कोन्सेप्ट आफ दी स्टेट, पटना, 1957
- मश्रुवाला, के. जी. : गांधी एण्ड माक्स, ग्रहमदावाद, 1956
- " " : प्रैक्टिकल नोन-वायोलेंस, ग्रहमदावाद, 1941
- माधुर, जे. एम. तथा माधुर, ए. एम. (सम्पा.) : इकोनोमिक धाट्स आफ महात्मा गांधी, इलाहाबाद, 1962
- माधुर, जे. एम. : एसे आन गांधीयन इकोनोमिक्स, इलाहाबाद, 1960



- मुंशी, क. मा. : गांधी, दी मास्टर, दिल्ली, 1948
- " " : रिकोन्स्ट्रक्शन आफ सोसाइटी ग्रू, ट्रस्टीशिप, बम्बई, 1960
- मून, पेंडरेल : गांधी एण्ड मोडर्न इंडिया, लंदन, 1969
- मंडल, संतराम : गांधी एण्ड वर्ल्ड पीस, कैलिफोर्निया, 1932
- रथनस्वामी, एम. : दी पोलिटिकल फिलोसोफी आफ मि. गांधी, मद्रास, 1922
- रमणामूर्ति, बी. बी. : नोन-वायोलेंस इन पोलिटिक्स, दिल्ली, 1958
- रामचन्द्रन, जी. तथा महादेवन, टी. के. (सम्पा.) : गांधी हिज रेलेवेन्स फोर अवर टाइम्स, नई दिल्ली, 1967
- रामकृष्णराव, के. : गांधी एण्ड प्रोग्रेटिज्म : एन इंटरकल्चरल स्टडी, कलकत्ता, 1968
- राय चौधरी, पी. सी. : गांधीजीज फर्स्ट स्ट्रगल इन इंडिया, अहमदाबाद, 1955
- रिवेट, के. : इकोनोमिक थॉट आफ महात्मा गांधी, बम्बई, 1959
- रेस्टर, मूरियल : गांधी : वर्ल्ड सिटिजन, इलाहाबाद, 1945
- वाकर, रे. : दी विजडम आफ गांधी, लंदन, 1943
- वाइनी, टाइसन, एस्मे : "दी टू सिग्नीफिकेन्स आफ गांधी," गांधी मार्ग, अक्टोबर, 1958
- वेलोक, विल्फ्रिड : गांधी एज ए सोशल रिवोल्यूशनरी
- " " : "गांधी एण्ड वेस्टर्न मेटोरियलिज्म", गांधी मार्ग, अप्रैल, 1950
- वेस्टन, ब्लैश : गांधी एण्ड नोन-वायोलेंट रेजिस्टेंस, मद्रास, 1923
- वेंकट रंगैया, एम. : गांधीजीज गोस्पेल आफ सत्याग्रह, बम्बई, 1966
- शर्मा, बी. एस. : गांधी एज ए पोलिटिकल थिंकर, इलाहाबाद, 1956
- शार्प, जेने : गांधी थिंक्स दी वेपन आफ मोरल पावर, अहमदाबाद, 1960
- शार्डूलसिंह, कवीश्वर : नोन-वायोलेंट नोन-शोओपरेशन, लाहौर, 1934
- शुक्ला, चन्द्रशेखर : गांधीज धर्म आफ लाइफ, बम्बई 1960
- सारुलातियाला तथा गांधी : इज इंडिया डिफरेंट ? लंदन, 1927
- सिबली, मल्फोर्ट : दी ब्याइट बेटस : राइटिंग्स ओन दी विथरि एण्ड प्रॅक्टिस आफ नोन-वायोलेंट रेजिस्टेंस, बम्बई, 1965
- सीतारामंदा, पट्टाभि : गांधी एण्ड गांधीज्म 2 ग्रुप, इलाहाबाद, 1942
- श्री धरविन्द : दी डोक्ट्रीन आफ पॅसिब रेजिस्टेंस, पाटिपेरी, 1952
- श्रीधररानी, वृष्णलाल : धार विदाउट वायोलेंस, न्यूयार्क, 1939
- सोमग : पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेज्म : देयर साइन्स एण्ड टेक्नीक, अहमदाबाद, 1957
- संघानम, के. : सत्याग्रह एण्ड दी स्टेट, बम्बई, 1960
- हुगन, घासिद एम. : दी वे आफ दी गांधी एण्ड नेहन, बम्बई, 1960

- हैंड्रिक, जोर्ज : "इन्फ्लुएंस आफ थोर एण्ड एमरसन आन गांधीज सत्याग्रह" गांधी मार्ग, जुलाई, 1959
- होसंबर्ग, एच. जे. एन. : नोन-यापोलेंस एण्ड एग्जेशन, 1968
- " " : महात्मा गांधी, लंदन, 1972
- अध्याय 29 — समाजवाद एवं विकेन्द्रीकरण**
- अग्रवाल, श्रीमन्नारायण : गांधीयन कौन्सिलिंग फोर फ्री इंडिया, इलाहाबाद, 1946
- " " : गांधीज्म : ए सोशललिस्टिक एप्रोच, इलाहाबाद, 1946
- " " : लेटर्स फ्रॉम गांधी, नेहरू एण्ड विनोबा, बम्बई, 1966
- अप्पादोराय, ए. : रिवीजन आफ डिमोक्रेसि, बम्बई, 1940
- " " : पोलिटिकल आईडियाज इन माडर्न इंडिया : इम्पेक्ट आफ दी वेस्ट, बम्बई, 1971
- " " : इंडियन पोलिटिकल थिंकिंग : फ्रॉम नौरोजी टु नेहरू, बम्बई, 1972
- ऐयर, एस. पी. तथा श्रीनिवासन, आर. (सम्पा.) : स्टडीज इन इंडियन डिमोक्रेसी, बम्बई, 1965
- कल्याणकर, के. पी. : मोडर्न इंडियन पोलिटिकल थिंकिंग, नई दिल्ली, 1962
- कार्णिक, वी. बी. : इंडियन थिंकिंग यूनियन्स, बम्बई, 1966
- कालेलकर, काका (सम्पा.) : गांधीवाद और समाजवाद, दिल्ली, 1939
- कुमारप्पा, भारतन : केपिटलिज्म, सोशलिज्म एण्ड विलेजिज्म, 1960
- कुमारप्पा, जे. सी. : स्वराज फोर दी मासेस, वर्धा, 1957
- " " : व्हाई दी विलेज मूवमेंट ? राजमूंद्री, 1938
- " " : एन ओवरआल प्लान फोर रूरल डिवलपमेंट, वर्धा, 1960
- " " : इकोनोमी आफ परमानेंस, 2 भाग वर्धा, 1957
- केटलिन, एल. एम. : दी पाय ओफ महात्मा गांधी, लंदन, 1948
- गजेन्द्रगढ़कर, पी. वी. : लॉ, लिक्टॉ एण्ड सोशल जस्टिस, बम्बई, 1960
- गांधी, मोहनदास करमचंद : हिन्दु स्वराज और इंडियन होम रुल, ग्रहमदाबाद, 1958
- " " : टुवर्ड्स नोन यापोलेंस सोशलिज्म, ग्रहमदाबाद, 1951
- " " : सोशलिज्म आफ माई कन्सेप्शन, बम्बई, 1957
- " " : सर्वोदय, इट्स प्रिंसीपल्स एण्ड प्रोग्राम, ग्रहमदाबाद, 1957
- " " : पंचायती राज, ग्रहमदाबाद, 1961
- गोयल, प्रो. पी. : कोन्टेम्पोररी इंडियन पोलिटिकल थिंकिंग, इलाहाबाद, 1966
- घोष, शंकर : सोशलिज्म, डिमोक्रेसि एण्ड नेशनलिज्म इन इंडिया, बम्बई, 1973
- चौधरी, एम. : भूमिर्शान्ति की महानदी, काशी, 1956
- चौधरी, मुख्तियार : वेजेंट एण्ड यर्केंस मूवमेंट इन इंडिया, 1905-1929, नई दिल्ली, 1971
- भार, मनोरंजन : माडर्न इंडियन पोलिटिकल थिंकिंग, मेरठ, 1975
- डाने, एम. ए. : गांधी वरेंस सेनिन, बम्बई, 1921

- डांगे, एस. ए. : महात्मा गांधी एण्ड हिस्ट्री, नई दिल्ली, 1969
- डेल वास्टो, लेंजा : गांधी एण्ड फ्री इंडिया, बम्बई, 1956
- डे, एस. के. : कम्यूनिटी डिवेलपमेंट, इलाहाबाद, 1962
- " " : पंचायती राज, बम्बई, 1961
- डोक्टर, आदी एच. : सर्वोदय : ए पोलिटिकल एण्ड इकोनोमिक स्टडी, 1967
- दत्त, रजनी पाम : इंडिया टुडे, लंदन, 1940
- देव, शकरराव : सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र, काशी, 1956
- धर तथा लाइडाल : रोल आफ स्मात् एंटरप्राइजेज इन इंडियन इकोनोमिक डिवेलपमेंट, बम्बई, 1961
- धर्माधिकारी, दादा : क्रान्ति का अगला कवम, काशी, 1953
- " " : सर्वोदय दर्शन, काशी, 1957
- नम्बूद्रीपाद, ई. एम. एस. : इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिक्स आफ इंडियाज सोशलिस्ट पेटर्न, नई दिल्ली, 1966
- " " : बी महात्मा एण्ड बी इज्म, नई दिल्ली, 1959
- नरेन्द्र देव, आचार्य : सोशलिज्म एण्ड बी नेशनल रिवोल्यूशन, बम्बई, 1946
- " " : राष्ट्रीयता और समाजवाद, वाराणसी, 1949
- नारायण, जयप्रकाश : सोशलिज्म, सर्वोदय एण्ड डिमोक्रेसि, बम्बई, 1964
- " " : "आर्गनिक डिमोक्रेसि", स्टडीज इन इंडियन डिमोक्रेसि, बम्बई, 1965
- " " : व्हाई सोशलिज्म, बनारस, 1936
- " " : फ्रीम सोशलिज्म टु सर्वोदय, 1959
- " " : समाजवाद से सर्वोदय की ओर, काशी, 1958
- नेहरू ओन सोशलिज्म : सेलेक्टेड स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स, दिल्ली, 1964
- फिलिप्स, सी. एच. : पोलिटिक्स एण्ड सोसाइटी इन इंडिया, लंदन, 1963
- फिशर तथा वॉड्यूरान्ट : इंडियन एप्रोचेज टु ए सोशलिस्ट सोसाइटी, मोनोघाफ, कैलिफोर्निया, बर्कले, 1956
- फिशर, सुई : गांधी एण्ड स्टालिन, न्यूयार्क, 1947
- गृजनारायण : इंडियन सोशलिज्म, लाहौर, 1937
- ग्राउन, डी. मेकेंजो : फ्रीम रानाडे टु भाये, बर्कले, 1961
- भट्ट, श्रीकृष्ण : भूमि क्रान्ति का तोर्य, बनेरापुट, काशी, 1955
- भाये, विनोबा : लोकनोति, काशी, 1958
- " " : सर्वोदय दर्शन, नई दिल्ली, 1960
- " " : स्वराज शास्त्र, बम्बई, 1946
- गुबान यत्त, बया और ब्यों : वर्धा, 1956
- गुज्रमदार, धीरेन्द्र : शोषण मुक्त समाज की ओर, काशी, 1957
- गुप्तवाला, के. जी. : गांधी एण्ड भारत, ब्रह्मदाबाद, 1956
- गुप्तानी, एम. धार. : सोशलिज्म रोबन्सोइड, बम्बई, 1944

- मेहता, अशोक : स्टडीज इन एशियन सोशलिज्म, बम्बई, 1969  
 " " : डिमोक्रेटिक सोशलिज्म, बम्बई, 1959  
 रमण, एन. पट्टाभि : पोलिटिकल इनवोल्वमेंट आफ इंडियाज ट्रेड यूनियन्स,  
 बम्बई, 1967  
 राव, एम. धी. (सम्पा.) : दी महात्मा : ए मार्क्सिस्ट सिम्पोजियम, नई दिल्ली, 1969  
 राय, भानुचन्द्र नाथ : रीजन, रोमेंटीसिज्म एण्ड रिवोल्यूशन, कलकत्ता, 1952  
 " " : दी पयूचर आफ इंडियन पोलिटिक्स, लंदन, 1926  
 लाजपतराय, लाला : दी पोलिटिकल पयूचर आफ इंडिया, न्यूयार्क, 1919  
 लोहिया, राम मनोहर : मार्क्स, गांधी एण्ड सोशलिज्म, हैदराबाद, 1963  
 " " : ऑसपेक्ट्स आफ सोशल पालीसी, बम्बई, 1952  
 लिमये, मधु : इवोल्यूशन आफ सोशलिस्ट पोलिती, बम्बई, 1951  
 लखनपाल, पी. एल : हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, लाहौर, 1946  
 वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद : दी पोलिटिकल फिलोसोफी आफ महात्मा गांधी एण्ड सर्वोदय,  
 आगरा, 1959  
 व्यास, एच. एम. (सम्पा.) : विलेज स्वराज, अहमदाबाद, 1963  
 शाह, सी एफ : मार्क्सिज्म, गांधीज्म, स्टालिनिज्म, बम्बई, 1963  
 सच्चिदानंद : सर्वोदय इन ए कम्यूनिस्ट स्टेट, बम्बई, 1961  
 सरदेसाई, एस. जी. : इंडिया एण्ड दी रशन रिवोल्यूशन, नई दिल्ली, 1967  
 सर्वोदय एण्ड कम्यूनिज्म : तंजीर, 1957  
 सहस्त्र बुद्धे, अम्ना साहब : रिपोर्ट आन ग्रामदान इन कोरापुट विलेजेज, वर्धा, 1960  
 सीतारमैया, पट्टाभि : सोशलिज्म एण्ड गांधीज्म, राजमूंद्री, 1938  
 हरि, वियोगी (सम्पा.) : चिन्तोवा और उनके विचार, दिल्ली, 1940  
 हैरीसन, एस. एस. : इंडिया : दी मोस्ट डेन्जरस डेकेड्स, मद्रास, 1965

# अनुक्रमणिका

अ

- अकबर 61, 225  
 अकसाई चीन 522  
 अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ 336  
 अखिल भारतीय हाथ चर्खा संगठन 335  
 अग्निहोत्री, पंडित शिवनारायण 213  
 अछूतोद्धार 178, 201, 202, 218,  
 236, 247, 248, 259, 281,  
 286, 336, 343, 347, 367, 475  
 अजीतसिंह, राजा (जोधपुर) 37  
 अजीतसिंह, सरदार 44, 217  
 अर्जुन 185, 208  
 अर्जुता 12  
 अतिमानव 449, 461  
 अतिमानववाद 477  
 अर्थशास्त्र 238, 265, 406  
 अद्वैतवाद 23, 59-60, 63, 67, 201,  
 204, 263, 268, 308, 348,  
 449, 460, 464, 478  
 अध्यात्मोत्कर्षण 7, 83-84, 102, 257,  
 276  
 अध्यात्मवाद 282  
 अधिनायक (डिक्टेटर) 336, 412  
 अधिनायकत्व, दलीय 20  
 अधिराज्य स्थिति (होमीनियन स्टेटस) 172,  
 173, 175-176, 198, 231,  
 244, 246, 254, 335  
 अन्तरराष्ट्रवाद 9, 11, 14, 197-198,  
 225, 232, 254, 257, 258,  
 265, 310, 423-424, 476  
 अन्तःकरण-नियम 167  
 अन्तर्जातीय विवाह 177, 281, 282,  
 292  
 अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन 220  
 अन्तर्राष्ट्रीय विश्व संगठन 453  
 अन्तर्राष्ट्रीय विधि (कानून) 280, 323  
 अन्त्योदय 383  
 अन्यसंक्रमण (एलियेशन) 419  
 डा० अन्सारी 203  
 अनीश्वरवाद 204, 308  
 अनुपस्थित भूस्वामित्व 228, 241  
 अनुसूया वेन 434  
 अनेकांतवाद-स्वाद्धाद 344  
 अनेकेश्वरवाद 59  
 अपरिग्रह 353-354, 406-408, 418  
 अप्पादोराय 17, 18, 19, 21 टि०  
 अफजल खाँ 185  
 अवुल फजल 295  
 अम्दुल गफार खाँ, खान 320  
 अभिजन, शासकीय 16, 17, 384  
 अभिजन वर्गचक्र 66  
 अभिजाततंत्र 78-79, 457  
 अभिजातीय लोकतंत्र 84, 383  
 अमृतकोर, राजकुमारी 432  
 अमितवाद 9  
 अमेरिका की स्वतंत्रता 12  
 अम्बेडकर, डा० भीमराव 16, 284  
 अय्यर, धी० कृष्णस्वामी 169  
 अय्यर, सी० पी० रामास्वामी 86 टि०  
 अय्यर, डा० मुद्रहाण्य 74  
 अरविंद घोष 9, 10, 12, 14, 15, 21  
 टि०, 50 टि०, 90, 187, 196,  
 217, 218, 221, 254, 255,  
 444-462  
 — राजनीतिर विचार 449-460  
 — निष्कर्ष 460-461

- अरस्तू 22, 397  
 अराजकतावाद 17, 18, 263, 341, 343, 372, 389, 392, 395, 457  
 अराष्ट्रवाद 10  
 अरूण्डेन, डा० जी० एस० 74  
 अल्लाह 387  
 अलीगढ़ आन्दोलन 298, 302  
 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 298, 321  
 अलीपुर बमकांड 354, 447  
 अली बन्धु 188, 203, 335, 412  
 अवतारवाद 82, 201, 205, 344, 348, 450  
 अशोक 61, 225  
 अष्टाध्यायी 37  
 असहयोग आन्दोलन 6, 10, 40, 74, 85, 88 170, 171, 179, 189, 230, 231, 254, 257, 335, 365, 370, 422-423 आलोचना 471-472  
 असम के चाय बागान 143, 146  
 अस्तेय 352, 354  
 असंलग्नता की नीति 484  
 अहमद, मुजफ्फर 666  
 अहिंसक आन्दोलन 230, 388, 431, 433  
 अहिंसा 10, 195, 219, 230, 231, 232, 248, 349, 351, 369, 370, 374-381, 391  
 अहिंसा, सापेक्ष 285, 288  
 अहूरमज्द 61  
 आ  
 आईन्स्टीन 465, 527  
 आगरकर 109, 111, 151, 183, 184  
 आगा खाँ 154, 161, 174, 232, 244  
 आंग्ल प्रेमवाद 140  
 आंगिक सिद्धान्त 454  
 आचार्य कुल 605  
 आचार्य कृपलानी 285, 339  
 आचार शास्त्र 388  
 आजाद, चन्द्र शेखर 220  
 आजाद, मौलाना अबुल कलाम 320  
 आजाद हिन्द फौज 194, 339, 484  
 आणविक शस्त्र 434-435  
 आत्म निर्णय (सिद्धान्त) 176, 189, 196, 198, 224, 286, 308, 459, 470  
 आत्मा 257, 260, 265, 269, 271, 309, 408  
 आदर्शवाद 248, 267, 460, 467  
 आध्यात्मिक आदर्शवाद 457  
 आध्यात्मिक अराजकतावाद 457  
 आध्यात्मिक प्रजातन्त्र 386  
 आध्यात्मिक समाजवाद 275  
 आध्यात्मिकवाद, द्वन्द्वात्मक 312  
 'आनन्द मठ' 20 टि०  
 आनुपातिक प्रतिनिधित्व 244  
 आपस्तम्ब 238  
 आर्य 209, 213, 236, 262  
 आर्य भट्ट 83  
 आर्यसमाज 5, 8, 36, 40, 44, 213, 214, 215, 234, 235, 236, 247, 285, 287  
 आर्यावर्त 112  
 आर्यगर, श्रीनिवास 655  
 आयरलैंड का गृहयुद्ध 12  
 आयुर्वेदिक 238  
 आरेलियस, मार्क्स 179  
 'आरोग्य दर्शन' 332  
 आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 220  
 आर्य-साहित्य 37  
 आश्रम व्यवस्था 264  
 आसफ अली 203

- इ  
इकबाल, शेख मोहम्मद 10, 13, 225, 305-315, 321, 323  
— राजनीतिक एवं धार्मिक विचार 308-313  
— समीक्षा 313-315  
इजलिगटन कमीशन 153, 154, 159, 228  
इण्डियन एसोसिएशन 5, 136, 137, 138  
इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 240  
इण्डियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 300  
इण्डियन बाँय स्काउट एण्ड गर्ल-गाइड एसोसिएशन 72  
इण्डिया ऑफिस 239  
इण्डिया हाउस, लन्दन 216, 279, 280  
'इन्दु प्रकाश' 96, 111, 445, 448  
इलवर्ट विधेयक 127-128, 138, 295, 299  
इलियट, जार्ज 179  
इस्लाम 8, 22, 29, 30, 213, 214, 244, 246, 261, 262, 271, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 317, 322, 387, 430, 452  
इस्लाम, काजी नजरूल 666  
इस्लामिक समाजवाद 325  
इस्लामी शरियत 307, 308
- ई  
ईमाम, हुसन 189, 198  
ईश्वर 39, 203-204, 205, 254, 258, 262, 263, 266, 269, 270, 271, 272, 302, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 322, 344, 345, 346, 348, 379-381, 387, 407, 449, 450, 451, 452, 464, 470, 478, ईश्वरकीकरण 456, 457
- ईशोपनिषद् 416  
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 115, 126, 132  
ईस्ट इंडिया कम्पनी 11, 22, 26, 294  
ईसाई, भारतीय 105, 215, 271, 285, 292, 302  
ईसाइयत 8, 31, 59  
ईसाई धर्म 22, 29, 30, 38, 55, 108, 178, 202, 235, 237, 309, 310, 340, 366, 387  
ईसा मसीह 31, 186, 309, 412 यीशू 196  
ईसाई मिशनरी 5, 23, 29, 31, 167, 202, 215
- उ  
उग्रवाद 7, 9, 84, 164, 187, 190, 191-192, 207, 217, 248, 255, 256, 465, 466  
उत्तरप्रदेश 37  
उदयपुर (मेवाड़) 37  
उदारवाद 7, 111, 150, 154, 168, 169, 179, 190, 191-192, 466  
उदारवाद तथा उग्रवाद 88-94  
उपनिषद् 8, 12, 22, 29, 30, 39, 64, 67, 81, 83, 200, 202, 264, 269, 270, 340, 343, 347, 450, 460, 463, 464, 477  
उपनिवेशवाद 381, 475  
उदनिवेशीकरण 161  
उप राष्ट्रवाद 12, 93, 221, 225, 247  
उपयोगितावाद 196, 204, 381, 382, 459, 460
- ऋ  
ऋग्वेद 40, 46, 186, 204, 269, 450  
ऋग्वेद भाग 3

ऋतु-राज 526

ऋषि 144, 237, 281, 283, 346,  
374

ए

एकबर्ध रेल्वे-समिति 168

एक्टन, लाई 13, 451

एकनाथ 101, 108, 111

एकप्राणता (सोलिडैरिटी) 271

एकेश्वरवाद 8, 22, 29-30, 36, 96,  
102, 311, 478

एटली, लाई 339

एडम, गवर्नर-जनरल 23

एण्ड्रूज, सी० एफ० 442 टि.,

एनस्टे 133

'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' 52, 181

एम्हस्ट, लाई 24

एमसन 238, 342

एमेट 223

एमेरी, भारत सचिव 175

एल्फिन्स्टन कॉलेज 95, 96, 115, 126,  
150

ऐ

ऐंग्लो-इंडियन 285

ऐंजिल्स 16

ओ

ओक्सफर्ड 139, 147, 181, 305, 466

ओऽम् 37

ओटोमन साम्राज्य 272

ओडायर 219

'ओरियो' 186

ओवेन, रॉबर्ट 25

ऑस्टिन 26

ओ

ओकार 292

ओद्योगिक क्रान्ति, इंग्लैण्ड की 12, 240,  
507

ओद्योगिकवाद 343 उद्योगवाद 383, 402

ओद्योगिक प्रदर्शनी 239

ओपनिवेशिक स्वराज्य 650

ओरंगजेब 284, 291

अं

अंगिरस ऋषि 262

अंडमान (कालापानी) 280

अंतःकरण 343, 346, 398, 449

अंतरिम सरकार 339

क

कजंन, लाई 6, 90, 138, 151, 192

कन्या ऋष-विषय 176

कबीर 225, 406, 427, 464

'कमला व्याख्यान माला' 81, 168, 171

'कम्प्यूनिटीज आफ बर्क' (फ्रांस) 674

'कम्प्यूनिस्ट मेनिफेस्टो' 481

कर्मयोग 110, 205, 282, 312, 350

कर्मयोगी 461

कर्मवाद 6, 178, 187, 203, 208,  
222, 346

कम्बोदिया 523

करंजिया, घार० के० 526

करंदीकर 189

करिश्मावादी नेतृत्व 485

कर्ब, डी० के० 176

कस्तूरवा 167, 331, 338, 433

काट 14, 52, 102, 200

काइस्ट, जीसस 271, 360, 366, 406

कान्हूरे, अनन्त 280

काफोर्ड भ्रष्टाचार कांड 184

कामनवेल्थ आफ इंडिया बिल (1925)  
78

कामराज योजना 523

कामा, श्रीमती 279, 292

'कायदे-भाजम' 324, 325

कायिक श्रम 354-355

कार्लाइल 383

कालिदास 225, 279, 283



- काशी 144  
 किंग, मार्टिन लूथर 665  
 'किबूत्ज़ीम' (इजरायल) 674  
 क्रिप्स मिशन 286, 324  
 क्रिप्स, सर स्टाफर्ड 287, 337, 338  
 क्लेमैण्डो 198  
 कीर हार्डी 216, 240  
 कुटीर उद्योग 12, 206, 274, 393, 402, 475  
 कुण्डलिनी 287, 292  
 कुरान 29, 38, 213, 298, 302, 311, 313, 426  
 कृपलानी, जे० वी० 285, 339  
 कृपक प्रांदोलन 240  
 श्री कृष्ण, भगवान 58, 60, 61, 141, 185, 193, 204, 215, 255, 257, 262, 283, 312, 365, 371, 405, 450  
 कूका सम्प्रदाय (पंजाब) 206  
 केलकर, एन० सी० 189  
 केलकर, मा० कु० 209  
 केरूर 12, 169, 213, 223  
 कैबिनेट मिशन 316, 324, 339  
 काँग्रेस-लीग योजना 228  
 काँग्रेस-लीग समझौता 74, 167, 188, 202, 244, 286, 318  
 क्रीपोटकिन 395  
 कोवेन 13  
 'कोमिन्टर्न' 532-533  
 कोलम्बग 358  
 कोमेट, सोफिया दायसन 23  
 कोम्पूष 223  
 कोहात छापाखाना 174, 335  
 कोटिन्व 238
- ए
- एच०बी०एच० 245  
 एच०पी० 301-302, 334  
 एच०डी 355, 356, 367, 436, 438, 627, 639  
 एच०एच० 189  
 एच०एच०एच० 189, 219, 231, 301, 314  
 एच०एच०एच० 225  
 एच०एच०एच० (राजस्थान) 53  
 एच०एच०एच० 105
- ग
- गणतंत्र 40, 41, 42  
 गणतंत्रवाद 25, 258, 395  
 गणराज्य 382  
 गणराज्यपति 40  
 गणपति उत्सव 185, 201, 221  
 गदर पार्टी 218, 279  
 गर्भ निरोध 177  
 गंगा 283, 366  
 गंगोत्री 210  
 गांधी-इरविन समझौता 168, 336, 400  
 गांधी, श्रीमती इंदिरा 493  
 गांधी, मोहनदास करमचंद (महात्मा) 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 74, 82, 84, 85, 86, 88, 92, 129, 139, 142, 153, 164, 167, 169, 170, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 188, 189, 190, 191, 198, 209, 219, 230, 231, 236, 246, 248, 249, 254, 281, 301, 316, 317, 322, 323, 324, 331-443, 457, 465, 471, 472, 483, 521  
 — गांधीजी का दर्शन: वास्तविक प्रभाव 340-343  
 — दार्शनिक तथ्य 344-348  
 — नैतिक आधार 348-357  
 — साधन तथा साधन 357

- सत्याग्रह 357-361
- निष्क्रिय प्रतिरोध 361-368
- पंच फैसला: सत्याग्रह की पूर्व प्रक्रिया 368-369
- सत्याग्रह कार्यक्रम तथा प्रतिवादी विचार धाराएं 369-370
- असहयोग : सिद्धान्त एवं व्यवहार 370-373
- सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग 373-374
- ग्रहिसा 374-381
- सर्वोदय 381-382
- सर्वोदय बनाम लोकतंत्र 382
- गांधीजी तथा लोकतंत्र 382-386
- धर्म तथा राजनीति 386-388
- शाक्ति सम्बन्धी अवधारणा 388-389
- गांधीजी तथा अराजकतावाद 389-390
- व्यक्ति तथा राज्य 390
- आदर्श राज्य 390-396
- सत्याग्रही राज्य 396-404
- अधिकार तथा कर्तव्य 404-406
- आर्थिक विचार 406-413
- समाजवादी कौन ? 413-418
- अपरिग्रह अवधारणा के धर्म निरपेक्ष तत्त्व 418-419
- शिक्षा 419-422
- शांतिवादी के रूप में 422-423
- राष्ट्रवाद बनाम अन्तर्राष्ट्रवाद 423-424
- समाज-सुधार तथा हरिजनोद्धार 424-429
- मद्य-निषेध 429-431
- स्त्री-सुधार 431-434
- क्रांतिकारी विचारक के रूप में 434-439
- गांधी हत्याकांड विशेष प्रदालत 281
- ग्राम दान 562
- ग्रामाधिपति 42
- ग्रामोद्योग 336, 497
- ग्राम पंचायत 17, 199, 384-385, 395; 400, 562
- ग्राम प्रशासन 474
- ग्राम पुनर्निर्माण 475
- ग्राम राज 372
- ग्राम सभा 229, 261, 562
- ग्राम स्वराज्य 10, 15, 382, 423
- गायकवाड़, बड़ौदा नरेश 445 .
- गालिय 225
- ग्वायर, सर मॉरिस 337, 466
- गिरि, वी० वी० 521
- श्रीक 22, 29
- गीता 6, 15, 29, 54, 62, 64, 81, 91, 93, 178, 187, 191, 196, 200, 204, 205, 208, 221, 262, 282, 285, 340-341, 344, 347, 365, 371, 408, 433, 446, 450, 460, 461
- 'गीताजलि' 463
- 'गीता रहस्य' 187, 196, 203, 204, 210
- ग्रोन, टी० एच० 14, 102, 397
- गुजरात 37, 44
- गुजरात विद्यापीठ 335, 422
- गुट निरपेक्षता 485
- गुरुकुल प्रणालि 48, 215, 464
- गुरु गोविंदसिंह 45, 223, 267, 284, 427, 458
- गुरुदत्त विद्यार्थी 213
- गेटे 238
- गेलीलियो 358
- गैरीबाल्डी 12, 169, 213, 215, 472
- गैरीसन 422

- ग्लैंडस्टन 143, 472  
 गोखले, गोपाल कृष्ण 5, 9, 89, 92,  
 100, 111, 116, 150-165, 167,  
 169, 175, 179, 180, 181,  
 184, 185, 186, 187, 192,  
 193, 197, 214, 216, 219,  
 247, 284, 317, 447  
 — गोखले का राजनीतिक वसोयतनामा  
 154  
 — राजनीतिक विचार 154-161  
 — सामाजिक विचार 161-162  
 — आर्थिक विचार 162-163  
 — शिक्षा सम्बन्धी विचार 163-164  
 — योगदान 164  
 गोखले योजना 228  
 गोडविन 395  
 गोरे, एन०'जी० 667  
 गोपी जनवल्लभ भगवान श्री कृष्ण 526  
 गोलमेज सम्मेलन 168, 173, 174, 306,  
 316 320, 336, 384  
 गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव 655  
 गोवध-निषेध 18, 601 मोहत्या निषेध  
 321
- घ
- घोष, प्रद्य 679  
 घोष, डा० रामबिहारी 168, 447  
 घोष, बालीन्द्र कुमार 446, 447
- च
- चक्रवर्ती 42, 45  
 चक्रिभ, विन्स्टन 175, 338, 526  
 चटर्जी, बंकिम चन्द्र 20 टि०, 64, 446,  
 463  
 चन्द्रगुप्त 267  
 चाको, प्रदुल्ल 187  
 चापेकर बन्धु 185, 279  
 चिन्तामणि, मो० याद० 218  
 चित्तमन्थर, चिन्तुमास्त्री 183
- चेम्सफर्ड, साहें 219  
 चैतन्य, महाप्रभु 142, 145, 225, 255,  
 406, 427, 450  
 चीरो-चीरा कांड 219, 335  
 चपारन 5, 334
- छ
- छापामार युद्ध 187  
 छुन्ना-छूत 201, 202, 361
- ज
- जनक 8  
 जगदम्बा 271  
 जफर अली खाँ 272  
 जफर, बहादुरशाह 294  
 जमींदारी प्रथा 402-403  
 जर्मन आदर्शवाद 100, 102, 456  
 जर्मन एकतंत्र 228 सैन्यवाद 275  
 जयकर, एम० प्रार० 175  
 जयप्रकाश नारायण 11, 16, 17, 18,  
 19, 439, 555-600, 642  
 — राजनीतिक विचार 564-571  
 — राष्ट्रवाद की अवधारणा 571-575  
 — समाजवाद तथा सर्वोदय 575-578  
 — साम्यवाद, समाजवाद तथा मत्स्याह  
 578-579  
 — सामाजिक परिवर्तन 579-581  
 — समाजवाद की विचारवाद सम्बन्धी  
 समस्याएँ 581-588  
 — नोबताधिक समाजवाद 588-589  
 — साध्य एवं माध्यम 589-591  
 — सर्वोदय दर्शन 591-593  
 — जयप्रकाश नारायण, समाजवाद  
 तथा विनोबा 593-596  
 — मध्य प्राप्ति 596-598  
 ज्ञानदेवान, के० पी० 17  
 ज्ञानदात्री 275, 477  
 ज्ञानपीथाना बाबू लक्ष्मणदास 6, 85,  
 171, 189, 219 334, 382, 465

- जिन्दघवेस्ता 426  
 जिन्ना, मोहम्मद अली 10, 12, 169,  
 174, 187, 189, 197, 244,  
 245, 286, 298, 307, 308,  
 316-326, 338, 339  
 — राजनीतिक विचार 317-325  
 — 'जिन्ना के चौदह सूत्र' 319-320  
 जिलास, मिलोवान 596  
 जिहोवा 61  
 जोमूतवाहन 26  
 जीवनदान 562  
 जूट उद्योग 146  
 जैन धर्म 55, 60, 430  
 जोर्ज, लाँयड 74, 198, 218, 224  
 जोशी, गणेश वामुदेव 97  
 जोशी, एन० एम० 666  
 जोहनीजबर्ग 332
- झ**
- झालावाड़ नरेश 425  
 झौंसी की रानी 223
- ट**
- टकर, बेजामिन 395  
 टाइसन, ज्योफे 526  
 टाटा, नीशेरवानजी जमशेदजी 98  
 ट्राँट्स्की 526, 531, 532  
 टॉमसन, एडवर्ड 307  
 टॉलस्टाय 12, 14, 179, 341, 342,  
 354, 361, 364, 408, 422,  
 457, टॉलस्टाय फार्म 333  
 ट्राँसवाल 332, 359  
 टिकर, ह्यूग 248  
 टिडाल 179  
 टीपू सुल्तान 223, 284  
 टैनीसन 373
- ठ**
- ठाकुर, देवेन्द्र नाथ 145, 463  
 ठाकुर, रवीन्द्र नाथ 10, 12, 14,
- 15, 21 टि. 181, 267, 427,  
 447, 451, 463-482, 526  
 — राजनीतिक विचार 466-473  
 — सामाजिक विचार 473-477  
 — आध्यात्मिक धारणाएँ 478-479  
 — मूल्यांकन 480-481
- ड**
- डफरिन, लाइं 147, 296  
 डब्लन, शास्त्री कॉलेज 168  
 डायुप्रो की समस्या का समाधान 601  
 डाये, श्रीपाद भ्रमृत 666  
 डिग्वी, विलियम 4, 110, 197, 239  
 डेक्कन कॉलेज, पूना 110, 183  
 डेनियल 360, 364  
 डोमिनियन स्टेट्स 320
- त**
- तत्त्वमीमांसा 96, 108, 204, 312,  
 496  
 तन्त्रशास्त्र, 68, 73, तान्त्रिक 268, 450  
 तमिल 181  
 'तराना-ए-हिन्दी' 306  
 ताराचन्द्र 20 टि.  
 ताशकन्द 666  
 तिल्लवेली 4  
 तिलक, बाल गंगाधर 9, 14, 73, 82,  
 84, 88, 90, 98, 103, 111,  
 117, 139, 151, 153, 164,  
 175, 183-212, 214, 216,  
 217, 218, 221, 229, 230,  
 254, 255, 256, 279, 291,  
 365, 427, 446, 447  
 — राजनीतिक विचार 190-200  
 — सामाजिक विचार 200-201  
 — धर्म तथा अध्यात्म 201-205  
 — आर्थिक विचार 205-208  
 — योगदान 208-210  
 तिलक स्कूल आफ पालिटिक्स 219

- तुकाराम, संत 101, 108, 111  
 तुलसीदास, गोस्वामी 225, 343, 344,  
 347, 601  
 तैयबजी, जस्टिस 185  
 तैलंग, काशीनाथ व्यंबक 111  
 तैलंगाना 601
- थ
- थर्मोपली 377  
 थियोसोफी 72, 79-80  
 थियोसोफिकल सोसायटी 8, 9, 72, 73,  
 74, 177  
 थोह 12, 14, 15, 341, 342, 358,  
 364, 373, 390
- ब
- बत्त, रजनी पाम 197  
 बत्त, रमेशचन्द्र 4, 115  
 बयानन्द-एंग्लो वैदिक कॉलेज, लाहौर 214,  
 215  
 बयानन्द, स्वामी 5, 7, 8, 20, 36-51,  
 64, 105, 106, 213-214, 215,  
 225, 249, 305, 406, 426  
 — उनको रचनाओं का विवरण 37-  
 38  
 — राजनीतिक विचार 39-45  
 — सामाजिक विचार 45-47  
 — धार्मिक विचार 47-48  
 — शिक्षा सम्बन्धी विचार 48-50  
 बरिद्वनारायण 8, 67, 419, 470, 489  
 बलविहीन राजनीति 383  
 बलविहीन लोकतंत्र 564  
 बहुज प्रया 177, 432  
 बल्लिण धर्मिका 129, 142, 153, 168,  
 169, 171, 180, 206, 218,  
 322, 332, 333, 341, 364,  
 428  
 बल्लिण सभा, पूना 98  
 बल्लिणेश्वर 53
- दांडी कूच 336  
 दाय भाग 26  
 दारुल इस्लाम 298  
 दारुल हबे 298  
 दास, चित्तरंजन 14, 139, 219, 447  
 दिदरो 537  
 दुर्गापूजा 271, 279  
 दुर्भिक्ष आयोग (फेमिन कमीशन) (1901)  
 215  
 दुराग्रह 366-367  
 देशमुख, गोपाल हरि: 111  
 देशी रियासते 173, 183, 185, 220,  
 228, 229, 231, 246, 428-429  
 देसाई, महादेव 377  
 द्वैतवाद 59, 110, 478  
 द्वैध शासन 17, 140  
 द्रौपदी 432
- ध
- धर्म-मुद्धार भांदोलन 7  
 धर्म निरपेक्ष राज्य 11, 174, 199, 245  
 धर्म निरपेक्षता 219, 257, 258, 272,  
 287, 292, 321, 452  
 धर्मार्थ्य सभा 40  
 धर्म शास्त्र 39, 42, 81, 109, 238  
 धरमसी, सेठ द्वारकादास 185  
 धोंगड़ा, मदन लाल 279  
 ध्रुवीकरण 459
- न
- नई तालीम 601  
 नटेशन, जी० ए० 167  
 नमक कर 4, 166, 184  
 नमक सत्याग्रह 336, 484  
 नरेन्द्रदेव, छाचार्य 11, 16, 21 टि., 339,  
 526  
 नव मानववाद 7, 11, 531, 533  
 नव वेदान्तवाद 38, 257  
 नवाब मोहसिन-उल-मुल्क 295

- नसबंदी (अनिवार्य) 177  
 नाइट, राबर्ट 146  
 नागरी लिपि 283, 290, 601  
 नात्सीवाद 466  
 नाजी 465  
 नाटाल 142, 153, 332  
 नानक, गुरु 225, 406, 427  
 नामजोशी 183  
 नामदेव 101  
 नामिलवर्त्तन आश्रम 219  
 नाथडू, सरोजनी 181, 434  
 नारद 238  
 नारायण (जगत्पिता) 257, 265, 266, 269  
 नर नारायण 265, 478-479  
 नारी व्यायामशाला 238  
 नासिक पढ़यत्र केस 280  
 नास्तिकता 477  
 न्यासिता अथवा न्यासकारिता 10, 11, 19, 310, 392, 402-403, 407, 408, 409-410, 411-412, 416  
 न्यासिता का प्रारूप 413  
 न्यासिता एव सत्याग्रह 656-665  
 नाहरसिंह, राव (शाहपुरा मेवाड़) 37  
 निर्गम सिद्धान्त 110, 116, 118, 146, 197  
 निजाम हैदराबाद 255  
 नियतिवाद 312  
 निरंकुशवाद 360, 388, 457  
 निरस्त्रीकरण 376, 400  
 निरुक्त 37  
 निवेदिता, भगिनी 64, 164, 230, 452  
 निष्क्रिय प्रतिरोध 9, 15, 191, 192, 194-195, 208, 217, 221, 230, 248, 254, 257, 333, 341, 360, 361-368, 422-423, 446, 450, 455, 456,
- नीधो प्रजाति 465, 472  
 नीत्से 12, 263 305, 308, 312, 449, 461  
 नील की खेती 5, 334  
 'दो न्यू क्लास' 596  
 न्यूटन 374  
 नेशनल काँग्रेस (1883) 5  
 नेहरू, कमला 434  
 नेहरू, जवाहरलाल 10, 11, 16, 18, 70 टि., 175, 180, 221, 246, 287, 307, 320, 321, 339, 483-530  
 — रचनाएँ 485  
 — नेहरू का मानस 485-487  
 — राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन के मूल आधार 487-490  
 — राजनीतिक विचार 490-520  
 — समाजवाद 492-494  
 — राजनीतिक नेतृत्व 494  
 — संविधानवाद 494-495  
 — राजनीति में नैतिक मूल्य : व्यक्ति तथा राज्य 495-498  
 — सामाजिक परिवर्तन 498-500  
 — नेहरू तथा लोकतंत्र 500-505  
 — लोकतान्त्रिक समाजवाद 505-507  
 — नेहरू तथा मार्क्सवाद 507-509  
 — साम्प्रदायिकता : धर्म तथा राजनीति 509-512  
 — धर्मनिरपेक्ष राज्य 512-513  
 — नेहरू तथा गांधीजी 513-515  
 — नेहरू तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 515-519  
 — विश्व एकता तथा नेहरू 519-520  
 — मूल्यकान 520-527  
 नेहरू, मोतीलाल 219, 220, 483  
 नेहरू रिपोर्ट 245, 310, 319  
 नोबेल पुरस्कार 463

- नौमाखली 339  
 नौरोजी, दादाभाई 4, 9, 20 टि. 89,  
 110, 111, 115-125, 126,  
 146, 169, 186, 191, 192,  
 197, 217, 239, 292, 316  
 — राजनीतिक विचार 116-118  
 — सामाजिक विचार 118-124  
 नौसैनिक निरास्त्रीकरण सम्मेलन(वाशिगटन)  
 168  
 नौसैनिक विद्रोह 339
- प
- पटवर्धन, अच्युत 557  
 पटवर्धन, अण्णा साहेब 336  
 पट्टाभिषीतारामैया 521  
 पटेल, सरदार वल्लभ भाई 173, 246,  
 339  
 पतंजलि 49, 144, 283  
 पब्लिक स्कूल शिक्षा पद्धति 237  
 पर्यावरण 17  
 परमात्मा 460  
 परलोकावाद 312  
 परशुराम, भगवान 598  
 परहितवाद 196, 204  
 पराचेतन 292, 448  
 पलायनवाद 315, 344  
 प्रजातिवाद 476  
 प्रजामण्डल 428  
 'प्रजामुय यज्ञ' 642  
 प्रताप, महाराणा 223, 279, 283,  
 284, 427  
 प्रतापादित्य 267  
 प्रभावती 434  
 प्रल्हाद, भक्त 351  
 पाकिस्तान 175, 176, 286, 287, 307,  
 308, 314, 316, 323, 324,  
 325  
 पाहिपेरा 10, 187, 447
- पांडुरंग, दादोबा 108  
 पारिनि 49, 283  
 पार्नेल 223  
 पारसी (धर्म) 54-55, 105, 115  
 पाल, बिपिन चन्द्र 9, 25, 90, 139,  
 153, 186, 187, 189, 190,  
 196, 214, 217, 218, 221,  
 253-278, 446, 447, 465  
 — राजनीतिक विचार 251-268  
 — सामाजिक विचार 268-269  
 — धार्मिक विचार 269-274  
 — धार्मिक विचार 274-276  
 पारश्चात्य प्रभाव 11, 15, 200, 261  
 268, 294, 343, 381, 472  
 पारश्चात्योकरण 209, 226, 340  
 प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति 347, 352,  
 394  
 प्राच्यविद्या 12, 294  
 प्रार्थना समाज 96, 108, 109, 253  
 प्रायश्चित्त 161, 201  
 पिगल 49  
 पितृमत्तारमक 261  
 पिरामिड 382  
 प्रिवीपसं समाप्ति 668  
 पुनर्जागरण 89, 92, 102, 107, 234,  
 235, 253, 259, 268, 273,  
 451-452  
 पुनर्जन्मवाद 57, 81, 110  
 पुनरश्नुदयवाद 6, 44, 64, 75, 108,  
 200, 247  
 पुनरुत्थानवाद 196, 267, 281, 282  
 पुराण 108, पौराणिक 12, 55, 63,  
 270  
 पुरवार्य अनुष्ठान—धर्म, दर्शन, शास्त्र, मोक्ष 39  
 पुष्टिमार्गीय वैष्णव 331  
 पुष्पमित्र 287  
 पूंजीवाद 9, 19, 207, 240, 248,

- 265, 275, 308, 310, 383, फैंजी 225  
 388, 415-418, 419, 459 फैंबियनवाद 16, 78  
 पूर्ण-स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता 209, फॉक्स 141  
 231, 232, 246, 254, 256, व  
 320, 335, 390, 400, 423, 461 वकें 12, 141, 179, 451  
 पूना प्लेग 152 बगंसां 305  
 पूना सार्वजनिक सभा 5 अजेन्द्र नाथ सील 52  
 पेरिया 259, 268 बजाज, सेठ जमनालाल 433  
 पेशवा 267, 279, 284 बड़ीसाल सम्मेलन 446  
 प्रोटागोरस 537 बनर्जी, जतीन 446  
 प्रोद्योगिकी 12 बनर्जी, सुरेन्द्र नाथ 5, 9, 89, 136-149,  
 प्रोमेथियस 210 169, 213, 216, 217, 300  
 पंच वर्षीय योजनाएँ 484 — राजनीतिक विचार 140-144  
 पंचशील 281, 484 — सामाजिक विचार 144-145  
 पंचांग 323 — आर्थिक विचार 145-147  
 पंचायती राज 78, 154, 229, 372, — योगदान 147-148  
 400, 401, 467, 485 बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी 72, 448  
 पंजाब 37 'बन्दे मातरम्' 447  
 पंजाब नेशनल बैंक 216 बन्दोबस्त 206  
 फ बम्बई नगर-निगम 126, 130-131  
 फड़के, धामुदेव बलवंत 102, 183, 194, बहलवाद 397  
 206 ब्रह्म 22, 195, 203-204, 257, 269.  
 फर्ग्युसन कॉलेज 150, 184 271, 311, 344 ब्रह्म-लीला 450  
 फासीवाद 313, 461, 465, 466, 475, ब्रह्मचर्य 351-352, 409, 464  
 476, 477, 481 ब्रह्मसमाज 4, 8, 22, 29-30, 52, 96,  
 फासीवादी 322 145, 213, 236, 253, 463,  
 फासेट भारतीय वित्त प्रवर समिति 115 475  
 फ्रांस की राज्य क्रांति 12, 52, 222, ब्रह्मसूत्र भाष्य 601  
 258, 263, 472 बाईबिल 340, 417, 426  
 फिक्टे 102, 456 बाउल गायक 464  
 फिलस्तीन 323 बाकुनिन 395  
 फिशर, सुई 397 बापट, सेनापति 279  
 फीनिक्स फार्म 332-333 बारदोली सत्याग्रह 335  
 फ्रीडमेन 13 बाल्फर, लार्ड 181  
 फुलर, वैमफील्ड 138 ब्राइट, जॉन 145  
 फूले, ज्योतिबा 111 ब्राउन, डी. मेकेंजी 21 टि.  
 बिड़ला, घनश्यामदास 242, 248



- ब्रिस्टल 22  
 बिस्मार्क 223  
 बीकानेर के महाराजा (सर गंगासिंह) 198  
 बुधार्नि 668  
 बुद्ध, महात्मा 144, 285, 406, 412, 464  
 बुनियादी शिक्षा 336, 420  
 बेकन 75, 238  
 बेगार प्रथा 220, 240  
 बेचर, माइकेल 526  
 ब्रेडलॉ 72, 216  
 बैथम 25, 102, 196, 200  
 बेनफे 37  
 बेनी प्रसाद 15  
 बेपटिस्टा, जोसेफ 365  
 बेबोलोन 144  
 बेनूर मठ 62  
 ब्लेकस्टन 25  
 बेसेंट, एनी 7, 9, 72-87, 120, 168, 187, 188, 219, 284  
 — राजनीतिक विचार 75-77  
 — स्वराज एवं लोकतंत्र 77-78  
 — समाजवाद 78-79  
 — धार्मिक विचार 79-82  
 — मूल्योंकन 82-86  
 बेको का राष्ट्रीयकरण 493  
 ब्लैकटुकी, मैडम 72  
 बोभर युद्ध 206, 332  
 बोन्डारेफ, टी० एम० 408  
 बोल्शेविकवाद 208, 232, 241, 363, 414, 481  
 बोल्शेविक क्रांति 477  
 योग, घानन्द मोहन 136  
 योग, गुदीराम 187  
 योग, निर्मल कुमार 408  
 योग, राजनागयग 478  
 योग, राम बिहारी 218  
 बोस, सुभाष चन्द्र 6, 14, 194, 249, 321, 448  
 बोसांके 397  
 बौद्ध दर्शन 38 बौद्ध धर्म 22, 55, 60, 178, 288  
 बंगाल रेग्यूलेशन एक्ट (1818) 217  
 बंगाल का विभाजन (1905) 6, 64, 84, 206, 217, 446, 455, 470  
 बंग-भंग आंदोलन 138, 139, 142, 153, 190, 256, 267-268, 279, 465  
 'बंगाल हरकार' 25  
 म  
 भगतसिंह, शहीदे आश्रम 220-221  
 भगवानदास 72  
 भगीरथ 208  
 भण्डारकर, धार० जी० 106  
 भक्ति आंदोलन 262  
 भक्ति मार्ग 255 भक्ति योग 110, 178  
 भक्तभूति 279, 283  
 भाई परमानन्द 279, 291  
 भागवत 67, 412  
 भारत छोड़ो आंदोलन 175, 324, 337, 339, 484  
 भारत माता 225, 248, 257, 450  
 भारतीयकरण 9  
 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 88, 89-90, 100, 111, 137, 154, 174, 175, 191, 256, 271, 297, 299, 300, 323, 464,  
 बम्बई (1885) 5  
 मद्रास (1887) 206, 253, 255, 256,  
 नाहोर (1888) 214  
 बम्बई (1889) 128, 133, 184, 190, 214  
 बम्बई (1890) 128

- नागपुर (1891) 184, 190  
 पूना (1895) 98, 139, 185  
 लखनऊ (1899) 186  
 साहौर (1900) 216  
 अहमदाबाद (1902) 139, 147,  
 153, 446  
 बम्बई (1904) 128, 216, 446  
 बनारस (1905) 128, 153, 186,  
 217, 446  
 कलकत्ता (1906) 118, 186, 217,  
 254, 446  
 सूरत (1907) 153, 186, 217,  
 446-447  
 बाँकीपुर (1912) 483  
 कराँची (1913) 218  
 मद्रास (1914) 218  
 बम्बई (1915) 73, 317  
 लखनऊ (1916) 74, 187, 483  
 बम्बई (1918) 139, 188  
 दिल्ली (1918) 189  
 अमृतसर (1919) 189  
 कलकत्ता (1920) 218, 335  
 नागपुर (1920) 219, 316, 335  
 बेलगाँव (1924) 335  
 साहौर (1929) 335, 484  
 कराँची (1931) 404, 492  
 लखनऊ (1936) 484  
 फैजपुर (1936) 484  
 भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, कलकत्ता 1883  
 तथा 1885, 137  
 भारत की विदेश नीति 515-519  
 भारत-विभाजन 169, 175, 220, 244-  
 245, 281, 287, 298, 306,  
 307, 316, 318, 324, 339  
 भारतीय सामाजिक सम्मेलन,  
 इलाहाबाद (1888) 106  
 नागपुर (1891) 106  
 मद्रास (1894) 107  
 पूना (1895) 185  
 साहौर (1900) 98  
 लखनऊ (1900) 99  
 कलकत्ता (1901) 215  
 भारती, सुग्रहण्य 655  
 भारतीय संस्कृति 8, 181, 209, 237,  
 257, 285 सम्मत्ता 266, 444,  
 460  
 भारतीय संविधान 321, 434, 484  
 भावे, विनोबा 11, 15, 16, 18, 413,  
 439, 562, 601-644  
 — विनोबा का स्वराज्य शास्त्र 606-  
 622  
 — मार्क्सवाद तथा सर्वोदय 622-623  
 — कानून तथा नैतिकता 623  
 — अपरिग्रही समाज का आदर्श 623-  
 625  
 — मानवीय समाज का वास्तविक  
 आधार 625-626  
 — राजनीतिक शक्ति एवं सामाजिक  
 क्रांति के मध्य सम्बन्ध 626-627  
 — नवीन क्रांति 628  
 — सर्वोदय का अर्थ 628-630  
 — लोकशक्ति तथा राज्यशक्ति 630  
 — वास्तविक लोकतंत्र 630-631  
 — बहुमत एवं सर्व सम्मति 631-632  
 — समानता तथा दयालुता 632-633  
 — पूर्ण समानता, अनुपातविहीन  
 असमानता एवं समता 633  
 — योगदान 633-642  
 भाषाई अल्पसंख्यक 289  
 भाषायी राज्य 173, 199, 426  
 भूदान 11, 562, 601  
 भूदान आन्दोलन 602-604  
 भू-राजनीति 233  
 भौतिकवाद 196, 274, 308, 311, 475

म

मजूमदार, विमान बिहारी 22, 39, 40,  
45, 46  
मद्रास महाजन सभा 5  
मदीना 313  
मद्य-निषेध 18, 186, 199, 209, 229,  
367, 403, 429-431  
मनु 20, 44, 265  
मनुस्मृति 41, 42, 43, 45, 48, 431  
मलाबारी, वी० एम० 46, 111  
मथुवाला, के० जी० 400  
मशीनीकरण 418, 419, 476  
मसानी, मौनू 557  
मत्सीनी 12, 75, 136, 141, 142, 169,  
213, 215, 223, 263, 446,  
455, 472  
महाभारत 45, 81, 193, 262, 279  
महाभारत काल 44  
महाराणा सज्जनसिंह (उदयपुर मेवाड़) 37  
महाराष्ट्र का कृषक-विद्रोह (1870) 206  
महिधर 39  
माउन्टबेटन, साहं 316, 339  
माघो रसे तुंग 370  
माघोवादी-माघसंवादी 369-370  
माघसं, कालं 12, 16, 275, 311, 419, 481  
माघसंवाद 120, 241, 248, धर्म-संपर्क  
414  
माघसंवादी 276, 419  
माघसंवादी-मानवतावादी 241  
माघसंवादी-साध्यवादी 241  
माघसंवाद-तेनितवाद 120  
माघसंवादी जेल 187, 217, 240  
मानव विज्ञान 238  
मानवीकरण 269, 270  
मानव धर्म 460  
मानववाद 11, 14, 460, 470, 477,  
479, 480

माया 195, 204, 269, 271  
मायावाद 348, 479  
मालवीय, पं० मदनमोहन 72, 189, 216,  
219, 220  
मिषक (माइघोलॉजी) 270  
मिटो, साहं 90, 187, 217, 254, 272  
मिल्टन 279  
मिल, जे० एस्० 12, 14, 16, 52, 102,  
109, 141, 179, 200  
मिल्लत 310, 314  
मिश्रित धर्म व्यवस्था 492  
मित्र-मेला 279  
मीरा 344  
मीरा बेन 434  
मुक्त व्यापार 5  
मुघर्जी, सर घाशुतोष 81  
मुघर्जी, जतीन 331  
मुघर्जी, श्यामा प्रसाद 655  
मुजफ्फरपुर बम काण्ड 187  
मुन्गीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) 215, 291  
मुस्लिम कानून 12  
मुस्लिम राष्ट्र 261, 272, 273, 297  
मुस्लिम लीग 10, 174, 175, 176,  
274, 285, 286, 306, 307,  
309, 316, 317, 318, 319,  
320, 321, 322, 323, 324,  
339  
मुमोतिनी 397, 465, 475, 521  
मूर्तिपूजा 270-271, 273  
मेघदोनेस्च, रैन्जे 216, 240, 320  
मेक्लेन, जे० धार० 20 टि०  
मेराट्टी 13  
मेन, सर हैनरी 133  
मेचो, मिग बंदरोन 248  
मेहता, घणेश 11, 523, 557  
मेहता, नरणी 344  
मेहता, गिरोराम 9, 73, 89, 111,

- 126-135, 154, 169, 186, 216,  
217, 284
- राजनीतिक विचार 129-130
- स्वशासी संस्थाओं में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का विरोध 130-131
- स्थानीय स्वशासन 131-135
- मेहरअली, यूसूफ 667
- मैकॉले, लार्ड 91, 140, 141, 256
- मैक्समूलर 34, 37, 50 टि०, 269
- मैकियावेली 537
- मैनचेस्टर 239
- मैनिशियन चिन्तन 309
- मोटेग 17, 139, 167, 172, 180,  
188, 387
- मोटेग-चेम्सफर्ड (रिफोर्म्स) रिपोर्ट 74,  
139, 154, 161, 188, 198,  
254
- मोंथेको 25
- मोने नागूची 465
- म्योर 37
- मोरेस, फ्रैंक 526
- मोर्ले, 90, 153, 180, 192, 217,  
322
- मोर्ले-मिटो सुधार 6, 10, 153, 161
- मोस्का, गायटानो 66
- मोहनजोदड़ो 12
- मोहम्मडन पोलिटिकल एसोसिएशन 300
- मोहम्मद अली 188
- मोहम्मद गजनी 291
- मोहम्मद बिन कासिम 291
- मोहम्मद, (पैगम्बर) हजरत 271, 310,  
313, 406, 412
- मोहम्मद 285
- मोरिस, विलियम 263
- मोहानी, मौलाना हजरत 186, 197, 203,  
225, 244-245
- य
- यजुर्वेद 40
- 'यद्-भाव्यम्' 110, 240, 274, 404
- यशोधर्मा 287
- यहूदी धर्म 54-55, 75, 109
- यज्ञोपवीत 237, 426
- यास्क मुनि 37, 49
- यूधिष्ठिर 45
- यूक्लिड 382
- यूनियनिस्ट पार्टी 321
- योगविद्या 73, 81, 203, 261, 287,  
292, 448, 461,
- योगाभ्यास 48, 49, 68, 201, 221,  
445, 447
- योगी 447, 461
- योजना आयोग 484
- र
- रज्जव 479
- रणजीत सिंह 146
- रमजान 213
- रमणमूर्ति, प्रो० वी० वी० 388
- रमाबाई, पंडिता 202
- रस्किन 14, 332, 341, 342, 354,  
381, 408
- रहमत अली 245, 321, 322, 323
- रहस्यवाद, 315, 449-450, 460, 461,  
478
- राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती 14, 15, 16,  
19, 175, 635
- राजद्रोह 208
- राजतंत्र 41-42
- राजपूताना 37, 215
- राजस्थान 425
- राजस्व व्यवस्था 403, 430-431
- राज्यवाद 481
- राज्य क्षेत्रातीत भावना 272
- राजादय्य सभा 40

- राजा राममोहन राय 4, 7, 8, 22-35, 145, 225, 267-268, 427, 463  
 — राजनीतिक विचार 26-29  
 — सामाजिक विचार 29  
 — धार्मिक विचार 29-31  
 — धार्मिक विचार 31-34  
 डा० राजेन्द्र प्रसाद 13, 15, 18, 339, 523  
 राधेनाऊ 527  
 राधाकृष्णन, सर्वपल्ली 16, 655  
 राधा नगर 22  
 रानाडे, रमाबाई 97, 104  
 रानाडे, महादेव गोविन्द 5, 9, 95-114, 150, 151, 154, 163, 175, 184, 185, 200, 235, 247, 445  
 — राजनीतिक विचार 98-103  
 — सामाजिक विचार 103-108  
 — धार्मिक विचार 108-110  
 — धार्मिक विचार 110-111  
 — योगदान 111-112  
 रानी लक्ष्मी बाई, भ्रामिनी 223  
 रामकृष्ण परमहंस 8, 52, 53, 67, 68, 406  
 राम कृष्ण मिशन 8, 62  
 श्री राम, भगवान 179, 283, 344  
 'राम चरित मानस' 347  
 रामनाम 344  
 रामराज्य 343, 389, 390, 391, 415, 457, 633  
 रामायण 81, 169, 178-179, 180, 181, 279, 343  
 रामोशी 183  
 राय, मानमोहन नाथ 11, 16, 21 टि० 64, 218, 230, 241, 287, 531-554  
 — राजनीतिक विचार 534-536  
 — वैज्ञानिक राजनीति 536-538  
 — सहकारी समाजवाद 538  
 — नव-मानववाद 538-541  
 — स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र 541-543  
 — धार्मिक विचार 543-545  
 — भावसंवाद की प्रालोचना 545-548  
 — विश्व राजनीति 548-550  
 — रेडिकल डिमोक्रेटिक दल 533  
 — 'रेडिकल ह्यूमेनिस्ट' 533  
 — द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की सीमाएं 550  
 — विवेकवाद 550-551  
 — महत्कारिता 551  
 — राय का विलक्षण व्यक्तित्व एवं कृतित्व 551-553  
 राय, डा० विद्यान चन्द्र 140, 254  
 राष्ट्रगीत 466  
 राष्ट्रवाद 5, 11, 12 राष्ट्र 75, 89-90, 91, 92, 93, 111-112, 140, 196, 208, 210, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 231, 232, 234, 240, 247, 248, 253, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 272, 273, 274, 283, 284, 288, 294, 310, 343, 363, 396, 423-424, 444, 446, 448, 450, 451, 457, 458, 459, 460, 461, 465, घानोरगा 468-469, 475, 476, 481. धार्मिक राष्ट्रवाद 12, 62-65, 196, 452, द्वि-राष्ट्रवाद 12, 65, 93, 225, 322, 323. बहुराष्ट्रीय राज्य 13, 14  
 राष्ट्रवाद एवं स्वराज्य 645-655  
 राष्ट्रविद्या 340  
 राष्ट्रभाषा 8, 285, 426

- राष्ट्रमंडल 77, 85, 172, 180, 199, 197, 213-252, 256, 291, 254, 265, 423 राष्ट्रकुल 231, 318, 335, 446, 447, 531  
 233, 246  
 — राजनीतिक विचार 221-234  
 राष्ट्रसंघ 168, 180 (लीग ऑफ नेशन्स) 239-242  
 198, 199, 233, 246. 460  
 — धार्मिक विचार 239-242  
 राष्ट्रीयकरण 18, 19, 199, 290, 404, 414, 505  
 — मूल्यांकन 246-249  
 राष्ट्रीय शिक्षा 9  
 लाहौर, गवर्नमेन्ट कॉलेज 213  
 राष्ट्रीय स्वयं-सेवक दल (सेवादल) 218  
 लिंकन, अब्राहम 16, 227  
 राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ 281, 286, 287  
 लिगायत 285  
 रिपन, लार्ड 132, 137, 147, 183, 256, 295  
 लिटन, लेडी 181  
 रूजवैल्ट 175  
 लिटन, लार्ड 5, 126, 132, 137, 183, 295, 302  
 रूथनास्वामी, प्रो० 664  
 लिस्ट, फ्रेडरिक 111, 163  
 रूमी 305  
 लूथर, मार्टिन 309, 358  
 रूस की साम्यवादी क्रांति 12, 232, 241, 248, 275  
 लेखराज, पण्डित 215  
 रूसो 12, 200, 343  
 लेटिन 29, 466  
 रेड क्रॉस 377  
 लेनिन 12, 207, 414, 526, 531, 532  
 रैदास 479  
 लेबर पार्टी 275  
 रैनान 13, 451  
 लेले, विष्णु भास्कर 445  
 रैयतवाड़ी 32  
 'लेवाधा' 672  
 रोनाल्ड शे, लार्ड 255  
 लैन्सबरी, जोर्ज 74, 216, 240  
 रोमां रोलां 70 टि०, 249, 448  
 लोककल्याणकारी राज्य 235, 240, 248, 389, 505  
 रोलट एक्ट 167, 171, 189, 334, 363  
 लोकतंत्र 15, 16, 77, 173, 198, 209, 210, 226-227, 228, 232, 233, 246, 247, 258, 265, 268, 272, 313, 314, 318, 322, 380, 382, 383, 396, 397, 455, 457, 458, 460, 469, 470, संवैधानिक लोकतंत्र 17, सहभागी लोकतंत्र 17, 19, ससदीय 17, 20, देवी लोकतंत्र 267, अप्रजातान्त्रिक 384-385, समाजवादी लोकतंत्र 504. आध्यात्मिक प्रजातंत्र 386, 397, 'संगठित लोकतंत्र' 541  
 रंगभेद की नीति 169, 171, 172  
 स  
 सखनऊ पेंकट 188  
 लगान बंदी 209  
 'लक्ष्य निर्धारक प्रस्ताव' 484  
 लक्ष्मीनारायण लाल 563-  
 लाभोस 523  
 लास-बाल-पाल 216, 254, 256  
 लाला लाजपतराय 5, 9, 21 टि०, 44, 73, 90, 132, 153, 164, 175, 180, 186, 187, 189, 190,

- लोकतांत्रिक समाजवाद 484  
लोकसंग्रह 350  
लोथियन, लाहं 308  
लोहिया, डा० राम मनोहर 11, 16, 655  
लंकाशायर 146, 206, 239
- घ
- घर्ष-संपर्क 415-416, 417, 470  
घट्टं सवर्षं 52  
घर्ष-व्यवस्था 12, 67, 203, 392  
घर्षाश्रम घर्षं 38, 43, 81, 239, 282, 394, 426  
घर्षा, गौधी आश्रम 433  
घनाकुलर प्रेस अधिनियम 129, 137  
'वन्दे मातरम्' 320, 321  
वर्मा, श्यामजी कृष्ण 187, 194, 216, 230, 279  
व्यक्तिवाद 100, 102, 312, 394, 404, 453, 458, 459, 460  
वराहमिहिर 83  
वलहं माइप्रेसन कंग्रेस 220  
वलहं पालियामेन्ट्स मूनिपन 220  
वल्लभाचार्य, महाप्रभु 268, 348  
वहाबी आंदोलन 4  
वाइकोम सत्याग्रह 425  
वाइनाड 4  
वाचा, दीनशाह 169, 216  
वाडिया, बी० पी० 74, 666  
वालिग्यवाद, प्रतियोगी 476  
वामदेव 265  
वामध पण्डित 101  
वासा, कृष्ण इंपायन 60  
वारन, जोनिया 395  
वाल्मोकि 144, 178, 225, 343  
वागिनटन, जोर्ज 223  
वागिनटन-मन्नेलन 246  
विश्वामादिप 265, 287  
विश्वेन्द्रोत्तरण या विश्वेन्द्रोत्तरण 10 11. 15, 42, 101, 103, 133, 159-160, 227, 232, 275, 370, 384-385, 392, 404, 421, 436, 458  
विक्टोरिया 192, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र (1858) 4, 116, 128, 142  
विजयनगरम् 4  
विजयरायवाचारी, सी० 167  
विद्यार्थी, गुरुदत्त 213  
विद्यार्थ्यं सभा 40  
विद्यासागर, ईश्वरचन्द्र 136, 144, 145  
विप्लववाद (क्रांतिकारी आंदोलन) 8, 185, 187, 194, 220-221, 230, 279-280, 446  
विपत्तनाम 523  
वित्तमेन 238  
विरजानन्द, स्वामी 36, 37  
वित्तन, ब्रूडो 74, 189, 198  
विनिगटन 159  
विवेकानन्द, स्वामी 7, 8, 20, 21 टि०, 52-71, 82, 236, 249, 291, 452  
— विवेकानन्द एव राष्ट्रवाद 62-65  
— सामाजिक विचार 66-67  
— धार्मिक विचार 67-69  
— शिक्षा सम्बन्धी विचार 69-70  
विरव-धर्म संसद (शिकागो) 53, 61  
विश्य-बंगुरव 10, 224-225, 247, 265, 459  
विश्य-नागरिक 480  
विरव-राजनीति 459  
विरव-राज्य 10  
विश्य-संगठन 459-460  
विष्णु (बदन्तिना) 257  
वृह, मर चान्नी 124  
वेदरठनं, विहितम् 184

- वेद 8, 12, 37, 47, 55, 58, 59,  
77, 101, 105, 108, 186, 191,  
196, 200, 202, 262, 265,  
270, 281, 344, 426, 460
- वेदान्त 8, 29-30, 53, 55, 60, 64,  
68, 197, 202, 204, 205,  
256, 344, 460
- वेम्स 16, 240
- वेलिंगटन 374
- वेल्वी कमीशन 115, 138, 151
- वेजवूड, जोसिया 189, 216, 240, 247
- वैदिक धर्म 39, 67
- वैराग्य 261
- वैवल, लाई 175, 338
- वैष्णव धर्म 29, 67, 225, 268, 344  
345, 430, 464
- वोल्टेयर 12, 200
- श**
- शंकर 406
- शंकराचार्य, जगद्गुरु 30, 37, 67, 68,  
204, 268, 348, 601, 627
- शफी, मोहम्मद 174, 232
- शरियत 313
- शॉ, बर्नार्ड 16
- शाक्त 268
- शान्ति-निकेतन 464
- शान्तिवाद (पैसिफिज्म) 422-423
- शान्ति-सम्मेलन (1919) 189, 198,  
(1945) 169
- शान्ति-सेना 400, 642
- 'शारदा एक्ट' 627
- 'शारदा सदन' 202
- शारदा, हरविलास 50 टि.
- शालिग्राम केस 138
- शालिवाहन 285
- शास्त्री, लाल बहादुर 219
- शास्त्री, बी० एस० श्रीनिवास 9, 89, 152,  
166-182, 253, 287, 335
- राजनीतिक विचार 169-176
- सामाजिक विचार 176-178
- अध्यात्म सम्बन्धी विचार 178-179
- योगदान 179-181
- शास्त्री, शिवनाथ 136, 253
- शाहजहाँ 294
- शिकागो सम्मेलन 53, 82
- शिरोल, वेलेन्टीन 44, 179, 187, 189,  
208, 255
- शिवाजी, छत्रपति 45, 101, 146, 185,  
186, 191, 201, 215, 221,  
223, 267, 279, 283, 284,  
427, 458
- शिवाराव, बी० 21 टि.
- शिक्षा की वर्धा-योजना 337
- शित-युद्ध 452
- शियान, विनसेन्ट 340
- शुद्धाद्वैत 348
- 'शुद्धि' 8, 283
- शेरीडन 141
- शैक्सपीयर 179, 238, 279
- शैले 52, 238, 371
- शोपनहावर 83
- शोकत अली 188, 197
- श्रद्धानन्द, स्वामी 215, 291
- श्रमजीवी वर्ग 206-207, 409-410,  
415-418
- श्रमिक आंदोलन 220, 248, 275
- श्रमिकों की हड़ताल (1905-1907) 207
- श्राद्धकर्म 269
- स**
- सच्चिदानन्द स्वरूप 204
- सती प्रथा 8, 25, 29, 105
- सत्ययुग 457
- सत्याग्रह 7, 10, 11, 15, 74, 189,  
219, 230, 332, 333, 334,



- 341-342, 358, 359, 360, सरलादेवी 230  
 363, 364, 365, 366, 367, सरस्वती 270  
 368, 389, 391, 431-433 स्वदेशी घादोलन 9, 186, 206, 207,  
 सत्याग्रही 422 254, 267, 271, 272, 274,  
 276, 299, 365, 446  
 सत्याग्रह प्राश्न, साबरमती 333, 350 स्वधर्म 457  
 'सत्यार्थ प्रकाश' 8, 21 टि., 37, 40, 46 स्वराज्य 9, 11, 179, 222, 246,  
 सत्येन्द्र (लोडें सिन्हा, रायपुर) 73, 198 254, 256, 257, 273, 335,  
 सदरलैंड, जेम्स 25 381, 390, 396, 428  
 सन्यास 205, 264, 479 स्वराज्य दल 219, 220  
 सनातन धर्म 95, 96, 108, 174, 180, स्वशासन 19, 20, 143-144, 167,  
 184, 197, 201, 202, 203, 170, 190, 208, 210, 225,  
 208, 236, 255, 426, 445, 226, 229, 279, 383, 458,  
 450 467, 633  
 स्मट्स, जनरल 169, 333 सर्व-इस्लामवाद (पैन-इस्लामिज्म) 244,  
 समग्र-क्रान्ति 439 254, 258, 271, 272, 273,  
 समग्र-योग 448 274, 301, 306, 310, 314,  
 समष्टिवाद 476 452  
 समतावादी समाज 383 सर्वदल सम्मेलन (1925) 318, (1928)  
 गम्भति-घायु विधेयक (1891) 103, 319  
 184, 200 सर्व-सेवा संघ 601  
 साम्प्रदायवाद 91-92, 284, 287, 310, सर्वहारा दल 207, 222 सर्वहारा शासन-  
 388, 471 तन्त्र 477  
 साम्प्रदायवाद 601 सर्वोधिकारवाद 18, 178, 261, 380,  
 समाज-गुधार घादोलन 8, 106-107, 459, 461, 465, 466, 480  
 200, 201, 202, 209, 236, सविनय अवज्ञा घादोलन 40, 170, 335,  
 247, 248, 267-268, 424-429, 337, 341, 484  
 समाजवाद 9, 11, 15, 16, 18, 19, सर्वेष्टम घाक इष्टिया भोगायटी 152,  
 25, 31, 78, 79, 207, 208, 167, 175  
 216, 240, 241, 242, 248, सर्वेष्टम घाक पीपुन भोगायटी, साहौर 219  
 265, 266, 272, 274, 275, गवोंश्य 11, 14, 15, 16, 381, 413,  
 276, 282, 290, 308, 311, 418 'सर्वोदय' 340  
 413, 418-419, 454, 459, गृहवारिष्ठा 18, 167, 208, 392, 467,  
 460, 477 474, 477  
 समाजवाद एवं विवेकीकरण 666-674 गृहवारी वृत्ति 477  
 समाजीकरण 421, 477 गादमन वर्धमान 220, 319, 453  
 समाधि, निश्चित्य 204, 261 गादिसम, गाता 213  
 गणदार रामसिंह 206

- साउथबरो, लाई 168  
 सांख्य-दर्शन 204, 205  
 स्टालिन 465, 531, 532  
 साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 174, 202-  
 203, 245, 247, 286, 298,  
 301, 318, 319  
 साम्प्रदायिक निर्णय 273, 285, 303-  
 304  
 साम्प्रदायिक पचाट (1932) 320, 321,  
 336  
 सापेक्षवाद 465  
 सामंतवाद 12, 207 सामतशाही 428,  
 429  
 साम्य योग 205  
 साम्यवाद 9, 16, 248, 481  
 साम्यवादी वर्ग-सर्पण 11, 248, 415,  
 459, 460  
 साम्राज्यवाद 9, 83, 84, 85, 86, 120  
 142, 196, 209, 210, 233,  
 240, 248, 258, 265, 310,  
 311, 391, 416, 420, 459,  
 461, 465  
 साम्राज्यिक संघ 168, 221, 254, 256  
 274, 276  
 साम्राज्यिक श्रम घायोग 168  
 साम्राज्यीय सम्मेलन 168, 171  
 साम्राज्यीय स्व-शासन 448  
 सामुदायिक विकास योजना 467, 489  
 सायण 37  
 सार्वजनिक सभा, पूना 97, 98, 111,  
 184, 188, 404  
 सार्वभौम धर्म 460  
 सार्वभौमवाद 7, 288  
 सार्वभौम सत्ता 461  
 सावरकर, बाबाराव 280  
 सावरकर, विनायक दामोदर 10, 12, 21  
 टि., 187, 194, 279-293,  
 — हिन्दू-राष्ट्र की भवधारणा 281-  
 288  
 — सावरकर का चिंतन 288-291  
 — योगदान 291-292  
 'सावित्री' 460  
 सिकन्दर 287  
 सिकन्दर हयात खाँ 321  
 सिडनहम, लाई 210  
 स्थितप्रज्ञ, 450, 461  
 सिधिया, महादजी 146  
 स्पिनोजा 500  
 स्मिथ, ए० एच० 181  
 'सिल्वर टेंडर शास्त्री' 181  
 सीता 179, 432  
 'सीधी कार्यवाही' 316, 324  
 स्वीटजर, प्रसबर्ट 450  
 स्त्री-स्वातंत्र्य 176  
 स्त्री-सुधार 431-434  
 सुकरात 196, 360  
 सुखवाद 196, 204, 210  
 सुहरावर्दी 324  
 सूफीवाद 305, 312  
 'सूरत-फूट' (1907) 74, 186, 254  
 सूरदास 344  
 सेन, केशवचन्द्र 30, 34, 96, 145  
 सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज 72  
 स्पेन्सर, हर्वर्ट 12, 52, 109, 141,  
 179, 200, 454  
 सेलिसबरी, लाई 4  
 सेवाप्राम, वर्धा 336  
 सैयद अमीर खली 272, 273, 274  
 सैयद अहमद खाँ 10, 213, 214, 225,  
 236, 273, 294-304, 317, 321  
 — राजनीतिक विचार 296-304  
 सैयद अहमद बरेलवी 4  
 सोवियत रूस 465, 477  
 स्काट 179, 279

8917

संक्रमणकाल 20

संघानम, के० 20 टि०, 21 टि०

संयुक्त राष्ट्र 247, 460

संरक्षण, पिछड़ी, आदिम एवं अनुसूचित जातियों का 493, 511

'सबाद कौमुदी' 23

संविधान निर्मात्री सभा 316, 324, 339, 399, 484

संविधानवाद 9, 74, 193, 248

संशयवाद 271, 478, 486

संस्कृत, देवभाषा 290, 466

संस्थागत 7

ह

हक, फजलुल 666

हक्सले, टी० एच० 179

हड़प्पा 12

हदीस 298

हवीबुल्ला प्रतिनिधिमंडल 168

हरषयूसीज 210

हरदयाल, साता 279, 291

हरिजन 12, 236, 237, 336

हरिजनोद्धार 8, 11, 336, 350, 424-429

हरिश्चन्द्र 225

हंसराज, नाला 213, 215

हादण्डमेन, हैनरी मॅयर्स 216

हाडिंग, सांड 138, 218

हाडी, टॉमस 179

हाडीकर, एन० एम० 189, 218

हॉम 537

हांबहाउन (विकेन्द्राकरल) घायंग (1908) 153, 158

हाली 225

हिटलर 369, 521

'हिन्द-स्वराज्य' 383

हिन्दी, राष्ट्रभाषा 44, 186, 209, 213, 281, 287, 290, 320, 426,

601, 642

हिन्दी-उर्दू विवाद 213

हिन्दुत्व 10, 93, 281-283, 287, 288

'हिन्दुत्व' 21 टि., 291

हिन्दू उत्तराधिकार कानून 26, 29, 176

हिन्दूकरण 237

हिन्दू जातिव्यवस्था 268, 275, 279, 284, 286

हिन्दू तत्त्व-ज्ञान 210

हिन्दू तीर्थस्थल 347

हिन्दू धर्म (दशान) 8, 22, 29-30, 31, 38, 54-55, 59-60, 63, 67,

72, 75, 76, 81-82, 83, 93, 95, 102, 108, 109, 179, 197,

201, 202, 203, 208, 236, 244, 246, 255, 261, 263,

265, 266, 269, 270, 271, 275-276, 282, 302, 320,

322, 340, 343, 347, 386, 387, 425-426, 478

हिन्दू महासभा 219, 220, 245, 281, 285, 286, 287

हिन्दू-मुस्लिम एकता 214, 217, 219, 225, 244, 261, 284, 291,

317, 318, 335, 426, 471

हिन्दू राज्यदर्शन 15, 261

हिन्दूराज 245, 246, 273, 323

हिन्दू राष्ट्र 10, 93, 108, 197, 213, 225, 245, 246, 261, 272,

279, 281-283, 284, 285, 286, 287, 291, 450, आनामद हिन्दू राष्ट्रवाद 452

हिन्दू विवाह कानून 106, 167, 176, 177, 178, 200

हिन्दू मरदन घोरोसन 291

'हिन्दू समाजवाद' 275

हिन्दू संस्कृति 263, 282

हिब्रू 22, 29	होमरूल भांदोलन 9, 72, 84, 85, 120, 139, 187, 188, 254
हिल्टन-यंग शाही आयोग 168	होमरूल लीग 73, 120, 188, 189, 218, 254
हुसैन, डा० जाकिर 526	
हुसैन, मौलवी मोहम्मद 213	
हुसैन, हजरत 294	
ह्यू गो, विक्टर 179	क्ष
ह्यूम, ए० प्रो० 100, 192, 214	'दामायाचना की घटना' 104, 152
हेगल 52, 102, 200, 269, 312, 397, 449, 456	त्र
हेमलेट 175	त्रावणकोर 425
हेराक्लिटस 537	त्रिगुण—सत्त्व, रजस्, तमस् 204
डा. हैडगेवार 655	त्रिवेणी 201
हैदरअली 146	
होजस्किन, टॉमस 395	ज्ञ
	ज्ञानयोग 110
	ज्ञानेश्वर, संत 101





